अकाली मोर्चों
का
इतिहास

अकाली मोर्चों का इतिहास

सोहन सिंह जोश

भूमिका

अकाली मोर्चों का इतिहास पुस्तक हिन्दी और पजाबी मे एक साथ लिखी गयी थी, मगर कई कारणो से हिन्दी मे यह अब तक नही छप सकी थी। हिन्दी मे अब यह तीन साल बाद छपी है जबकि पजाबी का पहला सस्करण लगभग खत्म हो चुका है।

इस पुस्तक की सामग्री इकट्ठा करने, इसे रूप और आकार प्रदान करने तथा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इडिया (दिल्ली) की रिपोर्टों और दस्तावेजो को पढने मे मैंने कमोबेश साढे तीन साल लगाये।

मैंने खुद भी इस तहरीक म हिस्सा लिया था और इसम चार साल जेल काटी थी। मैं उस वक्त की इकलाबी स्पिरिट से कुर्बानी बेगरजी और गुरुद्वारो की आजादी की लगन से, वाकिफ था। उस वक्त के वातावरण को चित्रित करने मे मैं कितना सफल हुआ हू, मैं नही कह सकता। मैं यह ही कह सकता हू कि अपनी तरफ से उस समय के वातावरण को चित्रित करने की मैंने पूरी कोशिश की है और इस बात का प्रयत्न किया है कि अतमुखी न होकर बहिर्मुखी रहू।

पजाबी पुस्तक की बहुत प्रशसा हुई है। अकाली मोर्चों का इतिहास हिंदी पाठको को कैसी लगेगी, मैं नही कह सकता।

मेरे मन मे एक लम्बे अर्से से यह ख्याल पैदा हो रहा था कि गुरुद्वारा की आजादी के लिए लडे गये मोर्चों के इतिहास के साथ अभी तक इसाफ नही किया गया। मैं शायद इसके साथ कुछ इसाफ कर सकू। पर राजनीति से इस काम के लिए फुर्सत कहा मिलती है ? वक्त गुजरता गया। हा अकाली मोर्चों का इतिहास लिखने के इरादे न मेरा पल्ला न छोडा। आखिर १६६७ के आखीरी महीना मे इस काम के लिए मैंने अपने साथियो स छुट्टी ले ली और साथी राजेश्वर राव ने मुझे अपनी जीवनी लिखने के लिए दिल्ली बुला लिया।

मैंने साथी राजेश्वर राव से कहा कि मुझे अपनी जीवनी लिखने से पहले अकाली तहरीक का इतिहास लिख लेने की इजाजत दीजिए। उन्होंने बडी खुशी से इजाजत दे दी। और, मैंने यह इतिहास लिखना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था कि इसे मैं एक साल के अन्दर-अन्दर समाप्त कर दूगा, पर वक्त तिगुने से भी ज्यादा लग गया।

मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करके जितनी भी सामग्री मिल सकती थी, हासिल की। जो कुछ भी अकाली इतिहास पर लिखा गया था, इकट्ठा करने का मने प्रयास किया। इससे सबधित १९१९ से लेकर १९२७ तक की ब्रिटिश हाकिमो की सारी खुफिया कारवाइयो, फाइलो और मिसलो का मने अध्ययन किया। इन "खुफिया" "बहुत खुफिया', वगैरा, मिसलो के कमोबेश ८ हजार पन्नो को मने देखा। इनके अलावा सरकारी कमीशनो की रिपोर्टों के हजारो पृष्ठो को पढा। इस सबध मे इस पुस्तक के आखीर म जो पुस्तक सूची दी गयी है उससे इस अध्ययन का कुछ अनुमान लगाया जा सकेगा।

पहली जगत जग से पहले आम सिखो को—स्वार्थी लोगो ने—वहमों और भ्रमो का शिकार बना रखा था। सिफ पाच या छ फी सदी पढ़े लिखे सिख मिलत थे वर्ना सब तरफ निरक्षरता का बोलबाला था। चीफ खालसा दीवान के काम का दायरा सीमित था। सिख धम मे खोट मिला कर, दुश्मनो ने इसकी शक्ल बिगाड दी थी। जपजी साहब की हर पौडी जतरमतर बन चुकी थी—फला पौडी फला जगह बैठ कर इतनी बार पढो तो फला मुराद पूरी हो जायगी, दुश्मन काबू म आ जायगा' और, पता नही क्या क्या काबू म करने के तरीके उसम दिये गये थे' अधोगति का हाल यह था कि गुरुद्वारा दरबार साहिब म कलगीधर दा जहूर नाम की पुस्तक मुफ्त छाप छाप कर बाटी जा रही थी। आज की पीढ़ी के लोग इन तथ्यो से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं।

प्रस्तुत पुस्तक अकाली मोर्चों का इतिहास अंकित करने का प्रयत्न करती है। ये मोर्चे गुरुद्वारो की आजादी हासिल करने के लिए १९१९ से लेकर १९२६ तक लडे गये थे। लडाई असल म बदकार, विषयी और दुराचारी महतो के खिलाफ थी। पर ये महत अंग्रेज राज के पिटठू थे और धम को अंग्रेज राज की मजबूती के लिए इस्तेमाल करने म सहायक होते थे। इसलिए अंग्रेज हाकिम महतो के समथन मे आ खडे हुए और कानून तथा जायदाद की रक्षा का बहाना सामने लाकर अकाली तहरीक को कुचलने लगे। स्वाभाविक था कि मोर्चों का रुख अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध हो गया।

अकाली तहरीक उस वक्त की क्रातिकारी तहरीक का अग थी। अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ कई मोर्चे लड कर उसने बडी शानदार जीतें हासिल कीं। इस तहरीक को कुचलने के अंग्रेज हाकिमों के सब प्रयत्न विफल होते रहे। इसकी कामयाबी का राज किसी भी कुर्बानी से पीछे न हटने और गोलियों के आगे छातियां तान देने में था। एकता और अकेवदी इस तहरीक का मूल आधार थी और शान्तिमय सत्याग्रह दूसरा हथियार था। धम को अंग्रेजों के चगुल म छुडाना और गुरुद्वारों को महतों तथा अंग्रेजों से आजादी दिलाना

इसका प्रोग्राम था। जितनी शहीदियां इस लहर में हुई, उतनी जलियांवाले बाग में भी नही हुई थी।

अकाली लहर यद्यपि धार्मिक थी, पर इसका सूफ़दार हिन्दुओ, मुसलमानो और अनेक देशी ईसाइयो की पूरी हिमायत हासिल थी। ज्यो ज्यो इस तहरीक की खसलत साम्राज्य विरोधी होती गयी, त्यो-त्यो दूसरी जातियों की इसको ज्यादा से ज्यादा हिमायत मिलती गयी। इस तहरीक से कांग्रेसियो हिन्दुओं और मुसलमानो को अलहदा करने के हाकिमो के सब प्रयत्न नाकामयाब होते रहे। इसकी सफलता म कांग्रेसियों, हिन्दुओं और मुसलमानों के हिस्से को घटा कर देखना गलत होगा।

नयी पीढ़ी को पजाब के इतिहास के इस शानदार काड का कुछ भी पता नही। इन मोर्चों को लडे हुए लगभग ५० साल हो गये हैं। इन मोर्चों ने सिखो की कायापलट कर दी। मोर्चों के अत पर सिख वह कुछ नही रहे थे जो वे अकाली तहरीक शुरू होने के वक्त थे, अकाली मोर्चों ने उनका कायाकल्प कर दिया। वफादारी का बोझ उतार कर वे देशभक्तो की कतार में आ खडे हुए।

इस पुस्तक म मैंने न तो सेंट्रल सिख लीग का इतिहास शामिल किया है, न ही बब्बर अकाली आदोलन का। सेंट्रल सिख लीग ऐतिहासिक तौर पर, अकाली तहरीक से पहले वजूद मे आयी थी और इसके फैसलो ने, काफी हद तक, अकाली तहरीक को प्रभावित किया था। जो नेता लीग के थे, वे ही धार्मिक नेताओ के साथ मिल कर श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी म काम करते थे। इसके इतिहास के साथ न्याय तब ही हो सकता है, जब ढाई-तीन सौ पष्ठों की अलग स एक पुस्तक लिखी जाय। इसीलिए मैंने लीग का इतिहास इसके साथ नत्थी करने का प्रयत्न नही किया।

बब्बर अकाली तहरीक गुरू के बाग के मार्चे के दौरान उभरी और विकसित हुई थी। इसका गदर पार्टी की लहर वाला ही प्रोग्राम था। यह तहरीक गवनमेट के जुल्म का मुकाबला तसद्दुद से करने की हामी थी। इसने 'झोली चुक्को" (सरकारपरस्तों) के छक्के छुडा दिये थे। ये बब्बर वीर सिरो पर कफन बाध कर फिरते थे और ब्रिटिश राज के जानी दुश्मन थे। इस लहर की कुर्बानिया के चित्रण के लिए भी ३०० सफे चाहिए। इस पुस्तक मे उनका जिक्र नाम मात्र को ही आया है।

पुस्तक मे ब्रिटिश साम्राज्य की भूमिका को मैंने बहुत उभार कर पेश किया है और अग्रेज हाकिमो की कुटिल नीतियों, कुचालो, फूट डालने की करतूतो, अपने हिमायतियो तथा अध हिमायतियों को ऊपर लाने की उनकी साजिशो को अच्छी तरह नगा किया है। मेरी पक्की राय है कि ब्रिटिश

साम्राज्य के दौर का कोई भी इतिहास, जो साम्राजी साजिशों और कुटिल नीतियों को अच्छी तरह नंगा नहीं करता सच्चा इतिहास नहीं हो सकता, यह अंग्रेज राज के जुल्मों उपद्रवों और तानाशाही पर पोचा फेरता है। दुख की बात है कि आजादी के २५ २६ साल बाद भी इतिहास की पढ़ाई और लिखाई की हालत कुछ ज्यादा नहीं बदली।

न ही अकाली लहर के इतिहास के साथ तब तक इन्साफ हो सकता है, जब तक इस लहर में चीफ खालसा दीवान की भूमिका को और अकाली पत्रकारिता के निडर, साम्राज्य विरोधी और आजादीपसंद किरदार को पूरी तरह न समझा जाय। अकाली लहर सम्बन्धी लेखों में हमारे आधुनिक विद्वान चीफ खालसा दीवान के अकाली संग्रामों के विरोध पर पर्दा डाल कर इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं और अकाली अखबारों के साम्राज्य विरोधी प्रयासों के महत्त्व की ओर से आंखें बंद कर आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों तथ्यों को पुस्तक में अच्छी तरह पेश करने का प्रयत्न किया गया है।

अंग्रेज राज के वक्त के हमारे बहुत से प्रोफेसर और डाक्टर अब तक लगभग उन्हीं लाइनों पर इतिहास लिख और पढ़ा रहे हैं जिन पर वे अंग्रेज राज के वक्त लिखते और पढ़ाते थे। उनकी भाषा से और पुस्तकों से न तो साम्राज्य की गुलामी के विरुद्ध गुस्सा ही उभरता है, न नफरत। ऐसा लगता है मानो उनके अन्दर आजादी का जज्बा उभरने का नाम ही नहीं लेता।

मैं इस विषय पर नेशनल आर्काइव्स (दिल्ली) में इतिहास विभाग के एक इंचार्ज से बातचीत कर रहा था। वह कहने लगे कि अंग्रेज और अमरीकी लाखों रुपये खर्च करके, हमारे आजादी के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखवा रहे हैं, कुछेक पुराने प्रोफेसर रुपये लेकर उनके इस नापाक काम में सहायक हो रहे हैं तथा उनकी मर्जी के मुताबिक हिन्दुस्तान के इतिहास पर पुस्तकें लिख रहे हैं। अमरीका इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और हमारे इतिहास को साम्राजी दृष्टि से लिखने पर लाखों रुपये खर्च कर रहा है।

सिख इतिहास में तो बहुत ज्यादा खोट मिलाया जा चुका है। अनुसंधान करके इसे फिर लिखने की बड़ी जरूरत है।

और, आज के साजगार हालात में आजादी की साफ ऐनकें लगा कर पंजाब के इतिहास को नये सिरे से लिखना कोई मुश्किल काम नहीं। पंजाब के पास धन है विद्वान हैं और यूनिवर्सिटियां हैं। इस अनुसंधान के काम को हाथ में लेना वक्त का तकाजा है।

मैं अपना फर्ज पूरा नहीं करूंगा अगर मैं साथी राजेश्वर राव और डा० गंगाधर अधिकारी को धन्यवाद देना भूल जाऊं। साथी राव ने मुझे दिल्ली में बुला कर और यह इतिहास लिखने की इजाजत दे कर, पंजाबियों के

साथ अपने विशाल प्यार का सबूत दिया है। डा अधिकारी ने इसके लिखने मे विचार परामश के वक्त, बडे अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं। नेशनल आर्काइव्स के सज्जनो ने भी हर वक्त मदद की है। इन सब मित्रो को मैं दिल मे धन्यवाद देता हू। साथ ही, मैं रामशरण शमा 'मुशी' का आभारी हू जिन्होने मेरी हिन्दी को बेहतर बनाने मे बडी इमदाद दी। मैं रामस्वरूप शास्त्री, टाइपिस्ट का भी आभारी हू जो इस पुस्तक को टाइप करने के वक्त मुझे कई दफा अच्छे शब्द सुझा देता था।

मैं पाठको से निवेदन करता हू कि जो भी भूलें या त्रुटिया उन्हें इस पुस्तक को पढते समय खटकें उन्हे लिख कर भेजने की जरूर कृपा करें। इतने बडे और महत्वपूण इतिहास के बारे में पुस्तक लिखते वक्त गलतियो का हो जाना असभव नही। मैं चाहता हू कि इस पुस्तक की बे लिहाज, बे-लगाम और बे रहमी से, लेकिन बा-उसूल, आलोचना की जाय ताकि अगले सस्करण मे मैं इसको अच्छी तरह शुद्ध करके छपवा सकू।

ता १३ सितम्बर १९७४ पाठको का अपना

अजय भवन, **सोहन सिह जोश**

१५ कोटला माग, नई दिल्ली

क्रम

पहला खण्ड

तीसरा खण्ड

चौथा खण्ड

पहला खण्ड

पहला अध्याय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अकाली तहरीक को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कुछ जानकारी बहुत जरूरी है। इसको जाने बिना अकाली सग्रामो की जरूरत को पूरी तरह समझ नहा जा सकती। यह तहरीक पहली जगत जग के खात्मे के कुछ समय बाद ही शुरू हो गयी थी। ६ ७ साल तक इसने ताकतवर अग्रेज राज्य के हुक्मरानो की नीद हराम कर रखी थी।

१ पजाब के बारे में अग्रेज राज की युद्ध-नीति

अग्रेज साम्राज्य की युद्ध नीति मे पजाब को विशेष स्थान प्राप्त था। पजाब से अग्रेज साम्राज्य को जगो के लिए १० १०, १२ १२ रुपये माहवार पर फौजी भर्ती के लिए अच्छे तगडे-तदुरुस्त, नौजवान मिलते थे। अग्रेज राज मे पजाब को फौजी भर्ती के लिए सुरक्षित स्थान बना रखा गया था। हिदुस्तान के अन्य प्रातो से भर्ती पर इतना जोर नहीं दिया जाता था जितना पजाब मे भर्ती पर।

अग्रेज साम्राज्य ने अपने साम्राज्यी स्वार्थों के कारण हिदुस्तान को माशल (जगजू) और गर माशल (गर-जगजू) वर्गों में विभाजित कर रखा था। पजाब माशल वग की पहली श्रेणी म दज था। यहा के मुसलमानो और सिक्खों को भर्ती के लिए प्राथमिकता मिलती थी, और इन दोनो म से अग्रेज हाकिमों की दृष्टि म सिख तरजीह के हकदार थे।

आप रॉलेट रिपोर्ट पढें अथवा हटर कमेटी की रिपोर्ट, रशब्रुक विलियम्स की इडिया पढें या अग्रेज राज की सुरक्षा के बारे मे कोई और नोट—जहा भी पजाब का जिक्र आयेगा, वहा आपको यह हकीकत साफ नजर आयेगी। पुखार मा डवायर की नजरो म 'हिदुस्तान म फौजी स्थिति की चाभी पजाब था और हिदुस्तानी फौज के लिए यही मुख्य भर्ती क्षेत्र था।'[1] "जग के चार सालो म

१ इडिया एज आई न्यु इट, पृ २००

सिखो ने अपनी कुल २५ लाख की आबादी म से (जो ब्रिटिश इंडिया की कुल आबादी के एक प्रति शत स भी कम थी) ६०,००० स भी किसी तरह कम लडने वाले फौजी जवान मुहैया नहीं किये थ।'[1]

यह थी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रणनीतिक महत्ता पजाब की। भर्ती के अफसरो की तरफ स सिविल अफसरो को बकायदा हिदायतें नहा दी जाती थी। 'जिला अफसरों का निशाना यह होना चाहिए कि जहां तक सभव हो वे देहाती जमातों को गर जरूरी प्रभावों की असुरक्षितता से बचा कर रखें।"[2] (जोर मेरा)।

इसलिए पजाब म ऐसी कोई धार्मिक या राजनीतिक तहरीक नहीं उठने दी जाती थी जो भर्ती म विघ्न डाले, फौजियो पर गलत प्रभाव डाले और गवनमेंट को "परेशान कर", और अगर कोई तहरीक सिर उठाये तो उसी वक्त उसका सिर ताड दिया जाय। यही मुख्य कारण था लायलपुर की १६०६ ७ की तहरीक और गदर तहरीक के बेरहमी से कुचल दिये जान का।

इस रणनीति के लिए जरूरी था कि पजाब को हर क्षेत्र—आर्थिक, धार्मिक शैक्षिक, सामाजिक—म पिछडा रखा जाय। पजाबियो के ऊपर टैक्स ज्यादा स ज्यादा लगाये जायें उन्ह कर्जों के बोझ के तले दबा रखा जाय, उनकी पैदावार की कीमत थोडी से थोडी रखी जाय और उनके लिए जरूरी चीजो के भाव बडे महग रखे जायें ताकि वे भूखा मरते हुए फौज म भर्ती होने के लिए मजबूर हो जायें। पजाबियो को अशिक्षित रखा जाय ताकि रगरूटो को राज्य के हितो के साचे म ढालना आसान हो सके। पजाबियो के धर्मों मे जो महत, मौलवी, पडित अधविश्वास दुराचार और कुकम फलाते हैं और अग्रेज राज की मजबूती के लिए धर्मों को तोडते मरोडते हैं उन्हे खुली छूट दी जाय ताकि धर्मों को भी अग्रेज राज के दीघ जीवन के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

२ अग्रेज राज और सिख गुरद्वारे

१८५७ की आजादी की पहली जग के कुचले जाने के बाद १८५८ मे महारानी विक्टोरिया ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार हिदुस्तानी लोगो के धार्मिक मामलो म दखल नहीं देगी। इस ऐलान पर हिदुस्तान के अग्रेज हाकिमो ने गैर सिख मजहबो के सबध मे कितना अमल किया, इसकी खोज की

१ वही पृ २०७

२ फाइल न २०३ २०४ शेख असगर अली का पजाब के तमाम कमिश्नरा और डी सी ज को पत्र शिमला, ८ अक्तूबर, १६२०

जरूरत है। जहा तक सिख धम और सिखो के गुरुद्वारा का सबध था, अग्रेज हाकिमो की नीति इस ऐलान के एकदम विपरीत थी। नीति यह थी कि सिख धम और सिखो के गुरुद्वारा के प्रबध म दखल दिया जाय। उनको अपने अधीन, या कम से कम अपने असर के नीचे, रखा जाय और अपने राज्य की मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जाय।

यो भी अग्रेज हाकिम इस किस्म के एलान को अमल करने के लिए नही निकालते थे। वे ऐसा लोगो की आखो म धूल भोकने और उन्हे छीके पर टागे रखने के लिए करते थे। उनकी अपनी मिसल जाहिर करती है कि सिख धम और गुरुद्वारा को अपने अधीन रखना उनकी जानी मानी नीति थी। इस नीति के अधीन सिख राज्य की शिकस्त के कुछ साल बाद ही, उन्होने दरबार साहब अमृतसर और उसके साथ सबधित गुरुद्वारा को अपने अधीन कर लिया था तथा सिख धम का तोडना मरोडना और दरबार साहब व दीगर गुरुद्वारा को अपने राज्य की मजबूती के लिए इस्तेमाल करना शुरु कर दिया था।

अग्रेज हाकिमो के सिख धम म दखल देने के प्रश्न पर भी ज्यादा खोज करने की जरूरत है। पजाब के इतिहासकारो, खास कर सिख इतिहासकारो को मेरी राय मे इस खोज को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन जो कुछ इस वक्त मिल सका है वह इस हस्तक्षेप का पूर्ण रूप से साबित करता है और किसी किस्म के सदेह की गुजाइश नही रहने देता। इस नुक्ते को स्पष्ट और सिद्ध करने के लिए मैं कुछ हवाले देता हू।

१८८१ मे पजाब के लेफ्टीनेन्ट गवनर एजटन ने लाड रिपन को एक चिट्ठी लिखी थी जिसम उसने कहा था सिख गुरुद्वारा के प्रबध को ऐसी कमेटी के हाथो म जाने देने की आज्ञा देना, जो गवनमेन्ट कट्रोल मे आजाद हो चुकी हो, राजनीतिक तौर पर खतरनाक होगा। मैं भरोसा करता हू कि हुजूर इस मामले म ऐसे हुक्म जारी करने म सहायक होंगे जो उसी सिस्टम को जारी रखे जो पिछले ३० सालो से ज्यादा अरसे से सफलतापूर्वक अमल म लाया जा रहा है।'

यह उस समय की बात है जब कि दरबार साहब और उसके साथ सबधित दूसरे गुरुद्वारा पर गवनमेन्ट ने अपना पूरा अधिकार जमा लिया था और सिखो की कमेटी, जो इन गुरुद्वारो का अच्छा या बुरा प्रबध भी करती थी, खतम कर दी जा चुकी थी। गवनमेन्ट ने गुरुद्वारा के जरिये १८५७ की पहली आजादी की जग म सिखो को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपने डूबते साम्राज्यी बेडे को बचाया और सिखो की आखो म धूल झोकने के लिए पुजारियो को इस्तेमाल करके जनरल निकलसन को दरबार साहब अमृतसर म सिख बनाने का ढोंग रचा।

लिया था, ताकि वे सिखों को "लड़ने वाली मशीन"[1] के तौर पर अपने राज्य की सुरक्षा और उसके प्रसार के लिए इस्तेमाल कर सकें। 'मशीन' शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। वफादारी ने सिखों की सोचने की शक्ति में ताले लगा दिये थे, उनके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया था कि अंग्रेज, गुरु तेगबहादुर की पहलकदमी पर ही पंजाब में आये हैं। मैकालिफ ने इसके बारे में इशारा करते हुए लिखा था कि 'सिख पवित्र ग्रंथ में ब्रिटिश लोगों के प्रति वफादारी के हुक्म भिन्न भिन्न पेशगोइयों के जरिये दिये गये हैं। उसके विचार में, यह इस किस्म की पेशगोइयां ही हैं जिन्होंने सिखों को ब्रिटिश ताज की अत्यंत वफादार, श्रद्धालु और बहादुर रिआया बनाया है।'[1] (आकड़ा ९)

बीसवीं शताब्दी से पहले की सिंह सभाएं अंग्रेज हाकिमों और उनकी पालिसी के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई थीं। चीफ खालसा दीवान के वजूद में आने पर सिख धर्म के उसूलों और इतिहास की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। ऐसे उपदेशक रखे गये जिन्होंने सिख गुरुओं की कुरबानियां, सिख शहीदों की ऊंची रवायतों और अपनी जत्थेबंदी मजबूत करने पर जोर देना शुरू किया। सिख प्रोफेसरों ने खालसा कालेज में विद्यार्थियों के सामने सिख धर्म का महत्व रखा और विद्याध्ययन द्वारा अपनी अधोगति से निकलने और अपना पिछड़ापन दूर करने के लिए सीधे और टेढ़े ढंग से लेक्चर दिये। चीफ खालसा दीवान की इन धार्मिक और शिक्षक कारवाइयों में अंग्रेज हाकिमों को राजनीति की बू आने लगी। एक वफादार जमात को शक की निगाह से देखा जाने लगा और इसकी कारवाइयों पर नजर रख कर खुफिया रिपोर्टें हासिल की जाने लगीं।

इससे साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज हाकिम सिखों के बीच अपनी मर्जी के 'सिख धर्म प्रचार' के अलावा और कोई प्रचार नहीं चाहते थे। अंग्रेज हाकिमों की वफादारी के लिए शर्त यह थी कि सिख धर्म का प्रचार ऐसा हो जो उनको (हाकिमों को) मंजूर हो। 'एकता, कौम के लिए कुरबानी, सिखों की गिरी हुई हालत और राजनीतिक प्रोपेगंडा के भिन्न भिन्न सिद्धान्तों"[2] की बातें 'सरकार के हक में नहीं हैं सरकार के खिलाफ हैं।' (आकड़ा १६)

४ सिंह सभा पर भी संदेह

यह थी अंग्रेज हाकिमों की मनोवृत्ति उस समय और उसके बाद भी। उन्हें अपने वफादारों पर भी गैर-वफादारी का शक था। उनको चीफ खालसा

१ आटोबायोग्राफीकल राइटिंग्ज आफ लाला लाजपतराय, पृ २३८ ३९
२ मेमोरंडम—दि पालिटिक्स आफ सिख कम्युनिटीज, सिंह सभाज एण्ड दि चीफ खालसा दीवान, डी पेट्री

कि दीवान जैसी वफादार और धार्मिक जत्थेबदी की हर कारवाई गवर्नमेंट की नजरो मे सदेह और राजकीय खसलत की दिखायी देती थी और अफसर महसूस करने लगे थे कि सिखो की वफादारी मानो धीरे धीरे ढहने लगी है।

गवर्नमेंट बडा खतरा महसूस करती थी कि 'अगर कभी तत खालसा पार्टी (दीवान) ने दरबार साहब पर कब्जा कर लिया और धार्मिक मामलो मे लीडरशिप हासिल करने की स्थिति मे आ गयी, तो जो स्थिति उसने राजनीति म पहले ही सभाली हुई है, उससे बडे गम्भीर नतीजे निकल सकते हैं।" (आकडा १३)। इसलिए अग्रेज हाकिमो ने अपने सरबराहो और दूसरे पिट्ठुओ के जरिये पुजारियो को पहले ही तैयार कर लिया था कि वे 'सिंह सभाइयो' से खबरदार रहें, क्योकि वे रविदासियो, अछूतो कमियो को अपने म शामिल कर रहे हैं। उन्हें अपने जैसा समझ कर उनके साथ खाने पीने लग हैं। इसलिए अगर वे दरबार साहब आयें, तो उन्ह मुह न लगाओ। ये थे अब अग्रेज हाकिमो की नजर मे 'पुरातनवादी सिखो" के और इन्ही कारणो से चीफ खालसा दीवान के आगुओ ने "अपने आपको अमृतसर दरबार साहब के धार्मिक अधिकारियो और सारे मुल्क के भिन भिन गुरुद्वारो और धर्मशालाओ के पुजारियो और महतो के विरोध म खडा पाया।" (आकडा १६)। अग्रेज राज के असर के नीचे पुजारी सिख धर्म के उसूल त्याग चुके थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ढाचे का अग बन चुके थे।

गवर्नमेंट ने सिख धर्म को ब्रिटिश ताज की वफादारी" बना दिया था। सिख 'फौजी असामी' थे। पजाब फौजी स्थिति की चाबी था। इसलिए उनको अग्रेज राज की वफादारी और तावेदारी के साचे मे ढाले रखना और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार के लिए तोपो के खाजे के तौर पर इस्तेमाल करना जरूरी था। इसलिए इन सिखो को गुलाम बनाये रखो और इन्ह दूसरी कौमो को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल करो—यह थी गवर्नमेंट की पालिसी।

जिन सवालो पर यहा विचार किया गया है, उनका अकाली तहरीक के साथ गहरा सबध है। इन सवालो के साथ अकाली तहरीक के दौरान किसी न किसी शक्ल मे हमारा वास्ता पडेगा। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाने बिना यह समझना मुश्किल है कि गवर्नमेंट क्या अपने हाथो से गुरुद्वारे नहीं जाने देना चाहती थी। ऐतिहासिक गुरुद्वारों के साथ बहुत बडी धार्मिक ताकत और दौलत जुडी हुई थी और गवर्नमेंट ने लगातार इस दौलत और ताकत को अपने राज्य के राजनीतिक हितों की सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया।

इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अकाली तहरीक पर किये गये जबर अत्याचार और कत्लेआम को समझने के लिए जरूरी है कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा जाय। जो गवर्नमेंट चीफ खालसा दीवान जैसे अपने

जाय वफादारा और भक्त की ईमानदारी पर शक करके उन्हे गैर वफादार और गवनमेंट विरोधी करार दे सकती थी, वह अकाली तहरीक के साथ अगर बागियो और विद्रोहियो जसा सलूक करे, तो इस समझना बहुत मुश्किल नही। मजे की बात यह कि दीवान के नेता अकाली लहर के दौरान भी वफादार के वफादार बने रहे और जरूरत पड़ने पर गवनमट को सहायता पहुचाते रहे।

५ जग के दौरान और अन्त मे स्थिति

जग के दौरान लोगा पर बेहद सख्ती की गयी। लोग अकाल की स्थिति मे रह रहे थे। कीमतें आसमान छू रही थी और लोगो की खरीदने की शक्ति से बहुत आगे बढ गयी थी। 'दाना-दाना हिन्द का खाली ब्रादर ले गया'— कौमी शायर लालचन्द फलक गा रहा था। आर्थिक सकट बहुत गहरा था और लोग बेहद दुखी थे।

१६१५ मे प्लेग फूट पडी और जिला झग म (अब पाकिस्तान म) हिन्दुआ की लूटमार और दगे शुरू हो गये। १६१६ मे बाजडे म हैजा शुरू हो गया और १६१७ म मलेरिया ने लोगा के अम्बार लगा दिये। विराम सधि स पहले इन्फलुएजा ने आ दबाया। लोग मक्खियो की तरह मरे कुटुम्ब के कुटुम्ब खत्म हो गये। कुल दस लाख से ज्यादा लोग मर गये। दो लाख तो फौजी उमर के ही मरे।[1]

भर्ती और जगी कर्जों के बारे म लाड विलिंगडन का पालिसी प्रेरणा और दबाव' की थी। प्रेरणा का मतलब प्रेरणा देना नही, सख्ती करना था। पजाब म इस पालिसी ने अधेर मचा दिया। हटर कमिटी न ओ'डवायर और उसके चीफ सेक्रेटरी थामसन की गवाहियो के जरिये इन सख्तियो का विस्तार स वणन किया है। भर्ती होने के लिए मजबूर करने के वास्ते नौजवानो को औरतों के सामने नगा खडा किया गया उन्हे जबरन पकड-पकड कर कांटेदार बेरियो म खडा किया गया। रगरूट भर्ती करने वाले बोड ने भर्ती के कोटे मुकर्रिर कर दिये—इतने रगरूट दो, इतने हजार रुपय जगी फड मे दो वगरा। बेगुनाह जवानो को घरो से पकड कर दफा १०७ और ११० के मातहत धर दबाया गया। उनसे कहा गया—या तो भर्ती हो जाओ या जेलो म चलो। जैलदारो और नम्बरदारो न देहातो के लोगो को फौज म भर्ती करने के लिए जुल्म ढाने शुरू कर दिये। जो गाव भर्ती नही देते थे उनका नहरी पानी बन्द कर दिया गया। १६१७ म भगोडो की गिनती २ ६७० थी, अर्थात भर्ती किये

१ एम एस ले दि पजाब एण्ड दि वार, पृ १२ १३

गये रंगरूटों की गिनती से २६ प्रति शत ज्यादा। सख्ती के कारण तहसीलदार नासिर हुसैन को कत्ल कर दिया गया।[1]

ऐसी ही सख्ती जंगी फण्ड या जंगी कर्जे वसूल करने के लिए की जाती थी। जमीन की रजिस्ट्री का कागज हो या लेन-देन के दूसरे कागज, तहसीलदार के दस्तखत तब होते थे जब रकम का कुछ फी सदी हिस्सा चंदे या जंगी कर्जे के रूप में पहले वसूल कर लिया जाता था। चंदा दिये बिना छुटकारा असंभव था।

जंग के दौरान जो थोड़ी-बहुत और सीमित-सी शहरी जमहूरी आजादियां थीं वे भी खत्म कर दी गयी थीं। जलसे-जुलूस वगैरा बिल्कुल बन्द थे। नेशनल कांग्रेस जंग में सरकार की मदद कर रही थी। गुरुद्वारा रकाबगंज (दिल्ली) की दीवार को फिर से खड़ा करने का आंदोलन बीच में ही रोक दिया गया था। वफादार चीफ खालसा दीवान को पहले की तरह ही सिखों के ऊपर गलबा हासिल था। वह अंग्रेज राज की दीर्घायु के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था और प्रस्ताव पास कर रहा था।

लेकिन जंग के दौरान ही लोगों में बेचैनी की अलामतें नजर आने लगी थीं। चालाक अंग्रेज हाकिमों ने भांप लिया था कि अगर जंग के दौरान किये गये वादे पूरे किये जायें, तो उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। इसलिए उन्होंने एक तरफ हिंदुस्तानियों की दिलजोई करने के लिए माटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना का एलान किया था और दूसरी तरफ उठने वाली कौमी और धार्मिक आजादी की लहर को कुचलने के लिए रौलेट एक्ट जैसे वहशियाना हथियार तैयार कर लिये थे। रौलेट रिपोर्ट का सहारा लेकर ढिंढोरा पीटा गया था कि हिंदुस्तान की हिंसावादी तहरीकों और पार्टियों की तरफ से लूट मार और कत्लो-गारत का जबर्दस्त खतरा पैदा हो गया है।

लेकिन जंग के दौरान और उसके खात्मे के बाद अंग्रेज साम्राज्य की अजय ताकत की पोल खुल गयी थी। न सिर्फ उसकी फौज को कई लड़ाइयों में शिकस्त हुई थी, बल्कि हिंदुस्तानी फौजों ने गोरी फौजों और उनके अफसरों को भाग भाग कर जान बचाते हुए भी देखा था। जंग के खात्मे के बाद फौजी खर्च कम करने के लिए हजारों फौजियों को नौकरियों से जवाब मिल गया। उनमें से बहादुर फौजियों को न कोई इनाम ही दिये गये और न जमीनें ही दी गयीं। गवर्नमेंट को ये शिकायतें भी पहुंची थीं कि कई फौजियों को न तो जाते वक्त वर्दियां दी गयी थीं, न ही रेल के टिकट।

इन फौजियों ने 'जंग में इंसानी कत्लेआम ही नहीं सीखा था, बल्कि

१ ये तथ्य हंटर कमेटी की रिपोर्ट से लिये गये हैं—के डब्ल्यू टू फाइल नं १६४/१/१९२३, थामसन की गवाही

उससे ज्यादा कीमती सबक भी सीखे थे। हरेक सिख फौजी जो अपने गाव को वापस गया अपने साथ गरीबी और तगी के खिलाफ बेचैनी और आरम्भिक विद्रोह के बीज लेकर गया। इस हालत ने जलती आग म घी का काम किया।'

पहली जगत जग के खात्मे के बाद दुनिया भर म इन्कलाबी तहरीका की तेज और तुद हवायें चलने लगी। इनका निशाना साम्राज्यी देशो के खिलाफ अपने-अपने देश की गुलामी स छुटकारा पाना और आत्मनिर्णय का हक हासिल करना था। इगलड के प्रधानमत्री एटली को दूसरी जगत जग के बाद कहना पडा था लोक राय की रफ्तार और तहरीक को बडी जग से ज्यादा और कोई चीज तेज नही करती। हरेक शख्स जिसे जग के बीच से गुजरना पडा है, जानता है कि १६१४ १८ की जग का हिदुस्तानी विचारा और उमगो पर क्या असर हुआ था। वह लहर, जो अमन के दौरान निस्बतन सुस्त रफ्तार से दौडती है, जग के वक्त, और खास कर जग के खात्म के जल्द ही बाद, बडी तेज रफ्तार धारण कर लेती है क्योकि वह जग के दौरान किसी हद तक बाध लगा कर रोक रखी गयी होती है।"[२]

यह असल मे टेढे तरीके स इस हकीकत का इकबाल था कि सोवियत रूस के इकलाब ने दुनिया भर के मुल्का पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

सोशलिस्ट ने १६२२ मे लिखा था कि अकाली जमीन जोतने वाले किसान हैं। जग के दौरान बहुत से किसान भर्ती के कारण जमीन से अलहदा कर दिये गय थे। विदेशी मडी म गेहू की बढती हुई माग ने गेहू की कीमतो म तेजी कर दी थी और अकाली किसान कुछ वक्त क लिए अच्छी हालत मे हो गये थे। ऊची कीमतें इतनी आकर्षक थी कि अकालियो ने करीब करीब दाना दाना बच दिया। नतीजा निकला—गेहू का अकाल। पजाब मे खान के लिए गेहू बाहर स मगाना पडा।

इस तरह किसान पहले की तरह ही कगाल हो गया और नाम कटे जवानो के वापस आने पर जमीन पर पहले स ज्यादा खान वाले लोगो का बोझ बढ गया। इससे किसाना की हालत और भी पतली हो गयी।[३]

१६१७ की गर्मिया के शुरू मे ही हिदुस्तान के लोगो का वह हिस्सा, जो राजनीतिक मामला म दिलचस्पी लेता था अपने विचारो म अशात और अस्थिर हो गया था।'[४] रूसी इकलाब द्वारा जार का तख्ता पलट कर मज

१ इन्टरनेशनल प्रेस करेस्पाडेंस, खड २ १३ १० १६२२
२ इडिया टुडे, रजनी पामदत्त पृ ६७
३ सोशलिस्ट वाम्बे एस ए डागे का लेख २१-१० २२
४ इडिया, (१६१७ अप्रल स १६१८ दिसम्बर), पृ ३२

दूरो की पहली हुकूमत कायम करना, जगत जग की महान घटना थी जिसका इन्कलाबी असर दुनिया भर की साम्राज्यी हुकूमतो और गुलाम कौमो पर पडा और दुनिया भर म एक जबरदस्त तहरीक उठी जिसका उद्देश्य जमहूरी राज्य कायम करना था।

दुनिया का अग होने के नाते इस इन्कलाबी तहरीक के असर से न तो हिन्दुस्तान बाहर रह सकता था, न पजाब। उन नेताओ मे से, जो ब्रिटिश साम्राज्य की फतह के लिए काम कर रहे थे कुछ की आखे पहले रालेट एक्ट न और बाद मे जलियावाला बाग के कत्लेआम ने खोल दी। लाला लाजपतराय जसे लीडर को भी राष्ट्रीय काग्रेस के सितम्बर १९२० के विशेष कलकत्ता अधिवेशन मे कहना पडा "इस तथ्य से आखे बद करने का कोई लाभ नही है कि हम इन्कलाबी दौर से गुजर रहे है।"

६ सग्राम के लिए नई दिशा

पजाब म सर ओडवायर का राज्य था। वह पजाब मे कोई भी राजनीतिक लहर नही उठने देना चाहता था, क्योकि पजाब रगरूट भर्ती करने के लिए सुरक्षित स्थान था। लेकिन दूसरी तरफ पजाब काग्रेस के रहनुमा डा सैफुद्दीन किचलू और डा सत्यपाल, अमृतसर म काग्रेस इजलास के लिए तयारिया कर रहे थे। अप्रल १९१९ के दूसरे हफ्ते के तीन दिन अमृतसर म हिन्दू मुस्लिम एकता के बेनजीर दिन थे, जब हिन्दुओ और मुसलमानो मे मिलाप के नजारे देखने म आये। दोनो एक दूसरे के हाथो म पानी लेकर पी रहे थे और तमाम लोगो मे एकता की अपीले कर रहे थे। यह एकता ब्रिटिश राज्य और ओ'डवायर की पालिसी के लिए बडी खतरनाक थी। अमृतसर के डी सी ने उपरोक्त दोनो अगुओ को १० अप्रैल को अपनी कोठी मे बुला लिया और चुपचाप उन्ह ले जाकर किसी दूर जेल म नजरबद कर दिया।

यह खबर सुन कर लोग डी सी से यह पूछने गये कि उनके नेता कहा हैं। लेकिन रास्ते म उनका गोलियो से स्वागत किया गया। एक दो आदमी गोलियो से मर गय। भीड इनका मातमी जुलूस बना कर वापस शहर लौटी। जनता म बहद गुस्सा था। उसने नेशनल बक म आग लगा दी, मैनेजर को जान से मार दिया और चार पाच अग्रेज और मार दिय। ओ'डवायर तो मौका ढूढ ही रहा था। उसने जनरल डायर की कमाड म फौज भेज कर जलियावाला बाग म निहत्थे पुरअमन शहरियो पर अधाधुध १६०० गोलिया चलवायी और वैसाखी के दिन यानी १३ अप्रल को, सकडो आदमियो को उसी जगह मौत के घाट उतार दिया।

इसके बाद पजाब म कुछ और फसाद हुए। मार्शल-लॉ के तहत कार्यकर्ताओ

और लोगा को तो ी ंकी मैं: की सजायें दी गयीं। कसूर (अब पाकिस्तान म) म पेट" नी ाना की गयी। गुजरांवाला म हवाई जहाज के जरिये बमों की वर्षा की गयी। अमृतसर म लोगों को पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर किया गया। बेंत मार की सजायें दी गयीं और औरतों की बेइज्जती की गयी। इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाले जुल्म किये गये। ५१ को मौत की सजा, ४६ को उमर कैद, दो को दस-दस साल की कैद, ७९ को सात सात साल की कैद, १० को पांच-पांच साल की कैद, तेरह को तीन-तीन साल की कैद और ग्यारह को इससे कम कैद की सजायें दी गयीं।[1]

ये थे अमृतसर और पंजाब के दर्दनाक हालात अप्रैल १९१९ में और उसके बाद—उसी अमृतसर में हालात जिस अगले ही महीनों में कांग्रेस की तहरीक का गढ़ बनता था और जहां सिक्खों को संगठित होकर अंग्रेज राज की हिमायती नीतियों का मुकाबला करता था।

१९१९ में महात्मा गांधी के शान्तिमय सत्याग्रह के हथियार की रूपरेखा तैयार हो रही थी। अमृतसर में १९१९ में हुई स्पेशल कांग्रेस ने इसे नहीं अपनाया था।

लेकिन महात्मा शान्तिमय असहयोग का प्रचार करते रहे और लोगों को अपनी पालिसी से सहमत करते रहे। पहली और दूसरी जून १९२० को करीब ४० ५० प्रसिद्ध हिन्दू और मुसलमान लीडरों का आल इंडिया इलाहाबाद में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। कांग्रेस और खिलाफत के तमाम प्रसिद्ध नेता इसमें शामिल थे। इस सम्मेलन ने शान्तिमय असहयोग के हर पहलू पर विचार किया और इसको स्वराज्य प्राप्ति के लिए अच्छे हथियार के तौर पर मंजूर किया। जून १९२० में शान्तिमय असहयोग वजूद में आ गया।[2] जून में खिलाफत कमेटी ने इसको अपना लिया।

माडरेट (नरम दली) नेता कांग्रेस से निकल गये थे। महात्मा गांधी ने सुधार स्कीम के साथ सहयोग का रवया त्याग दिया था और गवनमेंट के साथ असहयोग करने का प्रचार शुरू कर दिया था।

कलकत्ता कांग्रेस ने सितम्बर में महात्मा गांधी का शान्तिमय असहयोग का प्रस्ताव अपना लिया और वह जनता की मांगों और उमंगों की रहनुमाई करने के योग्य हो गयी।

इस कांग्रेस अधिवेशन ने पंजाब पर हुए जुल्मों को जोर के साथ लोगों के सामने लाना शुरू किया और ब्रिटिश मन्त्रिमंडल पर दोष लगाया कि उसने

१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभि सीतारमैया, खंड १ पृ १६५
२ 'इंडिपेंडेंट', इलाहाबाद, ६ जून, १९२०

पजाब के जुल्मो से राहत दिलाने के लिए कोई उचित कारवाई नही की, बल्कि पजाब के डायर, ओ'ड्वायर जैसे अफसरो के खूनी जुर्मों को अमली तौर पर माफ कर दिया और इस तरह हिदुस्तान के लोगो का विश्वास गवा दिया है। अफसरो की तरफ से किये गये जुल्मो के लिए माइकेल ओ'ड्वायर को जिम्मेदार ठहराया गया और लोगो की तरफ अफसरो के वहशियाना रवैये की सख्त निंदा की गयी। साथ ही मुजरिम अफसरो को सख्त सजायें देने पर जोर दिया गया।

एक और प्रस्ताव मे खिलाफत के मसले के बारे म कहा गया कि हिदुस्तान की और इगलैड की सरकारो ने हिदुस्तान के मुसलमानो की तरफ अपने फर्ज को बिलकुल नही निभाया और प्रधान मत्री ने जानबूझ कर अपना किया हुआ वचन भग कर दिया है। इस धार्मिक मुसीबत म हर गैर मुस्लिम को अपने मुस्लिम भाइयो की मदद करनी चाहिए।

काग्रेस इस राय की है कि उपरोक्त दोनो जुल्मो के इलाज के बगैर हिदुस्तान म अमन-चैन नही हो सकता और कौमी इज्जत की रक्षा करने और भविष्य मे इस किस्म के जुल्म रोकने के लिए एक ही प्रभावशाली तरीका है— स्वराज्य कायम करना।"[1]

इस तरह जुल्मो से लडने और स्वराज्य हासिल करने के लिए हिदुस्तानी लोगो के सामने शातिमय असहयोग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नही रह गया था। यही रास्ता अकाली तहरीक ने मजबूती स अपना लिया। इस शाति मय असहयोग के मोटे मोटे मुद्दे ये थे

(क) अपने लकब या खिताब वापस करो, मुकामी कमटियो म से सरकारी नामजद मेम्बर निकल आयें, (ख) गवनमेट के दरबारो का और अफसरो की इज्जत म किये गये जलसो का बायकाट किया जाय, (ग) सरकारी स्कूलो और कालेजो मे से अपने बच्चे हटा लिये जाय और उनकी जगह कौमी स्कूल और कालेज खोले जायें, (घ) वकील और मुअक्किल ब्रिटिश अदालतो मे जाना छोड दें और लोग अपने निजी मुकदमो या झगडो का फैसला सालसी अदालतो के जरिये करायें, (ड) फौजी, कलर्क या मेहनतकश वर्ग मैसोपोटामिया म नौकरी करने के लिए जाने से इनकार कर दें, (च) नयी बनी कौंसिलो के चुनाव म से उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लें और जो काग्रेस के इस मशविरे के बावजूद खडे रह उन्हें वोटर वोट न दें, तथा (छ) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय।

अगले लम्बे समय के लिए मुल्क के सामने पजाब के जुल्मो का इलाज

[1] भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, खड १ पृ २०२ २०३

कराने, खिलाफत का मसला हल करने और स्वराज्य हासिल करने के तीन मुद्दे उभर कर सामने आ गये और उन्हें हासिल करने के लिए उपरोक्त ठोस कार्यक्रम का प्रचार शुरू हो गया। सारे मुल्क में एक नया उत्साह और जोशीला उभार पैदा हो गया। विदेशी कपड़ा की ढ़ाट ढ़ाट कर होली जलायी जाने लगी। स्वदेशी और हाथ से बने कपड़े पहनना देशभक्ति और इज्जत की निशानी बन गया। देश के मुख्य वकीलों ने अदालतें छोड़ दीं। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कालेज छोड़ना शुरू कर दिये। चुनाव का बायकाट किया गया। उम्मीदवार के तौर पर खड़े लोगों का मखौल उड़ाया गया। हिन्दुस्तान भर में सरकारपरस्तों की बेइज्जती करने के लिए टोली बच्चा—हाय हाय! के नारे गाने लगे।

१९२० के कांग्रेस इजलास ने देश को एक नई रहनुमाई और नई दिशा प्रदान की। महात्मा गांधी के शान्तिमय असहयोग के इस प्रोग्राम ने देश को झिंझोड़ कर जगा दिया। सुस्ती और शिथिलता के बादल उतर गये। देश के परों की हरकत तेज हो गयी। हिन्दुस्तान को अपनी एकता और बढ़ती हुई ताकत का अहसास होने लगा। एक नये वातावरण, नये वायुमंडल, की आभा मूर्तिमान हो गयी।

सिखों की धार्मिक भावनाओं को सरकार पिछले कई सालों से रौंदती चली आ रही थी। मिसाल के लिए कृपाण पहनने वालों को पकड़ना, गुरुद्वारा रकाबगंज की दीवार को गिराना, दरबार साहब का पानी बन्द करना, वगैरा। इन बातों ने सिखों को गहरी ठेस पहुंचायी थी। वे कुछ कर गुजरने को उतावले हो रहे थे।

ऐसा था जोशीला समय और उत्साहभरा वातावरण, जिसमें जरमें सारा पंजाब अपना उचित योगदान कर रहा था। ये ही थे देश के राजनीतिक और *आर्थिक हालात जब गुरुद्वारों की आजादी की तहरीक* शुरू हुई और इसको कांग्रेस तथा खिलाफत की लगातार और एक साथ हिमायत हासिल हुई।

सिख इतिहास में गुरुओं ने अहिंसा और हिंसा के दोनों तरीके इस्तेमाल किये हैं और इन्हें जायज करार दिया है। अकाली तहरीक के दौरान बब्बर अकालियों ने हिंसावादी तरीके इस्तेमाल किये और अपने दर्जनों साथियों की जानें कुर्बान कर दीं। लेकिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लगातार अहिंसात्मक सत्याग्रह के हथियार को इस्तेमाल किया और अंग्रेज हाकिमों की यह ख्वाहिश पूरी न होने दी कि सिख आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अहिंसा छोड़ देंगे और हिंसा का रास्ता अपनाने लगेंगे।

देश में पैदा हो चुके इस नये वातावरण को ध्यान में रख कर ही अकाली तहरीक का यह शानदार इतिहास पढ़ना चाहिए। ●

दूसरा अध्याय

गुरुद्वारों की आजादी का सवाल

१ आन्दोलन का स्वरूप

गुरुद्वारा की आजादी का अकाली संग्राम एक महान और विशाल संग्राम था। यह कुछ पहलुओ मे कांग्रेस के आजादी के संग्राम से भी बडा था। सख्ती, मार-पीट, जेल, तसदद्दुद, शहीदो की तादाद, इत्यादि को देखा जाय तो राष्ट्रीय कांग्रेस इस छोटे इलाके की कुर्बानियो का मुकाबला नही कर सकती। अकाली तहरीक ने देहात की आम जनता को जितना अपनी तरफ खीचा, कांग्रेस की आजादी की तहरीक नहा खीच सकी थी। अकाली तहरीक की बुनियाद आम किसान और गरीब देहाती लोग थे। इस तहरीक को ज्यादातर नेता भी सुलझे हुए और कुर्बानी वाले मिल गये थे। इसलिए यह अंग्रेज सरकार के साथ अच्छा लोहा ले सकी और अच्छी खासी कामयाबियां हासिल करने मे सफल हुई।

गुरुद्वारा तहरीक मे उठी समस्याए एकाएक नही उठ खडी हुई थी। सूखे आकाश से बिजली कभी नही गिरती। इसके पीछे घने बादल होने चाहिए। इन समस्याओ के पीछे खासा लम्बा इतिहास है, जिस हमने थोडे शब्दो म शुरु म देखा है। इस तहरीक ने न केवल कुर्बानियो और त्याग के पिछले सिख इतिहास को ही दोहराया और चमकाया बल्कि देशभक्तो की नजरो म सिखो की गिरी हुई साख को भी फिर से कायम और बहाल किया। यह तहरीक शुरू से ही अंग्रेज साम्राज्य की दुश्मन थी।

अकाली अगुआ ने गुरुद्वारा तहरीक को गुरुद्वारा सुधार की तहरीक कहा है। लेकिन असल मे यह सिर्फ गुरुद्वारा सुधार की लहर नहीं थी। मुख्य तौर पर यह गुरुद्वारो की आजादी की लहर थी। अंग्रेज सरकार ने गुरुद्वारो पर अपना पूरा कब्जा जमाया हुआ था। गद्दीदार महंत अफसरो के पिट्ठू और पालतू ताबेदार बने हुए थे। वे 'मसद' (पाखडी) थे और सिख मत के उसूलो को तिलांजलि दे चुके थे। दुराचार बदकारी और भ्रष्टाचार उनका नित्य का व्यवहार बन गया था। अपराधी, अपने अपराधो पर पर्दा डालने के लिए वक्त के हाकिमो के आगे सरकारपरस्त लोगो से ज्यादा झुक झुक कर सलाम करते और उनकी खुशामद करते हैं। अक्सर इनकी

तर साधुओं ने ब्याह करा लिये। धर्मशाला के दरवाजे बन्द कर दिए गये और आम लोगों से प्राप्त चढ़ावे की रकम से वे आराम वाले घर बना कर जमीन के मालिक बन बैठे। जिन साधुओं ने ब्याह नहीं किए थे वे बुराई वाले रास्ते पर चल पड़े।[1]

बड़े गुरुद्वारों के कब्जे का इतिहास यह है कि अंग्रेज राज के आने पर महंत आहिस्ता आहिस्ता सिख संगतों के कंट्रोल से आजाद हो गये। संगत से महंत के चुनाव के अधिकार एक्जिक्यूटिव और वित्त अफसरों ने छीन लिये और अफसरों की इमदाद से वे जमीनों पर काबिज हो गये और गुरुद्वारों को अपनी निजी जायदाद समझने लगे। यह ब्रिटिश सरकार ही थी, जिसने अपने मातहत सीधे या टेढ़े अफसरों द्वारा दुराचारी महंतों को गुरुद्वारों के मालिक बनने की आज्ञा दी।

राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में यह बात सही लिखी गयी है कि

> जब कोई विदेशी हुकूमत मुल्क के ऊपर कब्जा हासिल करती है तो उससे ऐसी बात की आशा की जा सकती है कि वह तेंदुए की तरह मुल्क की लगभग हर संस्था को—आर्थिक, शैक्षिक या धार्मिक को भी—अपनी जकड़ में ले आयेगी। अंग्रेजों ने पंजाब को १८४९ में अपनी सल्तनत में शामिल किया और जब तब्दीली का दौर था तो अमृतसर दरबार साहब के मामले—जो कि सिख मत का केन्द्र और किला है—गड़बड़ी में पड़े हुए थे। उस वक्त अमृतधारी सिखों की ट्रस्टी के तौर पर एक कमेटी कायम की गयी थी जिसका सरबराह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसके हाथों से लाखों रुपये हर साल जमा होते थे। और जैसा कि ऐसे मामलों में आम तौर से होता है १८८१ में यह कमेटी चुपचाप हटा दी गयी और सरबराह के हाथों में पूरी ताकत आ गयी। कंट्रोल न होने में गैर जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार वजूद में आ गये।[2]

लेकिन सर मैल्कम हेली इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखता है कि लगभग १८५९ में सिख जाति की आम रजामंदी के साथ गवर्नमेंट ने दरबार साहब के प्रबंध के लिए एक कमेटी बना दी जिसका मुखिया गवर्नमेंट नामजद करती थी। कितने ही साल तक यह कमेटी अच्छा काम करती रही। लेकिन कुछ समय बाद इस कमेटी ने सरगर्मी से दिलचस्पी लेनी छोड़ दी और दरबार साहब का सारा प्रबंध सरबराह के हाथों में आ गया। यह वह वक्त था जब सिख अपने गुरुद्वारों और इनके नक्शों में कोई भी दिलचस्पी नहीं

१ लुधियाना गजेटियर, १८८८-८९ तीसरा अध्याय—सी पृ ७२
२ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, खंड १ पृ २९२-९३

लेते थे। यह बात आम लोग जानते हैं कि दरबार साहब में से १६०५ तक मूर्तियां नहीं उठायी गयी थीं और प्रबंधक कमेटी के इतिहासकारों के अनुसार दरबार साहब के कंट्रोल के कौमीकरण की तहरीक भी इसी वक्त शुरू हुई।[1]

३ चीफ खालसा दीवान

१६११ तक चीफ खालसा दीवान सिखों की लगभग एक ही केंद्रीय जत्थेबंदी थी और "सरदार सुंदर सिंह मजीठिया उस वक्त सिख कौम के एकमात्र नेता माने जाते थे।" "इस केंद्रीय जत्थेबंदी पर खानदानी सरदारों और धनवान सिखों का कब्जा था और अंग्रेज सरकार ने इनको सिखों का 'कुदरती नेता' माना हुआ था। चीफ खालसा दीवान धार्मिक जलसे करता और धार्मिक प्रचार का काम जरूर करता था, लेकिन जिस तरह नौजवान लड़के उन दिनों हंसी ठिठोली में कहा करते थे—चीफ खालसा दीवान के लिए सब से ऊंची सिख कौम और उससे ऊंची सरकार इंगलिशिया थी। सरकार के साथ हर तरह सहयोग करना अपने और सिखों के लिए कुछ ओहदे लेना और फायदे उठाना—यही था चीफ खालसा दीवान का सबसे बड़ा मनोरथ।"[2]

अंग्रेज साम्राज्य के हिंदुस्तान में सबसे बड़े मददगार रजवाड़े, जागीरदार और सौदागर सरमायेदार थे। इन वर्गों में से जिन लोगों ने हिंदुस्तान की पहली आजादी की जंग (गदर १८५७) में वक्त अंग्रेज राज की मदद की थी, उनको कई जागीरें, ओहदे और रियासतें मिली थीं। वर्गीय हितों और स्वार्थों के कारण ये सब अंग्रेज राज के साथ मजबूती से जुड़े हुए थे। अंग्रेज अफसर इनके पुत्र पौत्रों को ही फौज, पुलिस और ऊंचे दफ्तरों में ऊंचे ओहदे देते थे। इसलिए अंग्रेज राज की जिंदगी इन्हीं लोगों पर निर्भर थी और इनकी जिन्दगी अंग्रेज राज पर निर्भर थी। अंग्रेज अफसर जैसा कि हम आगे देखेंगे, आम लोगों से बहुत नफरत करते थे।

पंजाब के रजवाड़ों और जागीरदारों ने गदर के वक्त अंग्रेज राज की बेहद मदद की थी और सिख फौज को इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने अपने डूबते हुए बेड़े को बचाया था। इस मदद के कारण उनको बहुत बड़ी जागीरें हासिल हो गयी थीं। इस मदद का और मुसीबत के वक्त काम आने का

१ एम हेली की तकरीर, लेजिस्लेटिव असेंबली, २६ फरवरी १६२४ (कार्यवाही विवरण)

२ अकाली लहर दियां कुछ यादां, प्रिंसिपल निरंजन सिंह, रोजाना जत्थेदार, जलंधर, १३ अगस्त, १६६७

४ बेचैनी की शुरुआत

११ नवम्बर १९१८ को पहली जगत जग खतम हुई। जगत जग के खातम म पहले मार्च-अप्रल १९१७ म ही अग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बचैनी बढने लगी थी और लोगो के दिमाग म तब्दीली आनी शुरू हो गयी थी।[1] अग्रेज हाकिम बडे घाघ थे। वे जानते थे कि जग म सफलता प्राप्त करने क लिए इत्तहादियो न छोटी और कमजोर कौमो की रक्षा', आत्मनिर्णय के हक", जनमत स सरकार बनाने के अधिकार" और जमहूरियत ' के ऊच नारे लगाये थे। इनको असली जामा पहनाने का अर्थ हिन्दुस्तान म चल जाना था। लेकिन सोने का अडा देने वाली हिन्दुस्तान जसी बत्तख हाथ म नहीं छोडी जा सकती थी। इस हर सूरत म कब्जे म रखना था। इन नारो और वादो के कारण अग्रेज राज के खिलाफ बढ रही बचनी ठोस शक्ल धारण करके भयानक तूफान बनने वाली था। इसलिए इस उठने वाली तहरीक को ध्वस्त करने के लिए पहले से ही तयारी के साथ बदोबस्त और प्रबध करना था और राज्य व्यवस्था की मशीनरी को हर तरह लैस करके रखना था।

और हाकिमो ने पहले ही सब कुछ सोच रखा था। उनकी पहली फिक्र यह थी कि सरकारी हिमायतियो की गाठ साम्राज्य के साथ पक्की की जाय ताकि आने वाले राजनीतिक उभार म वह कर वे हाकिमो का साथ न छोड दे। २० अगस्त १९१७ को मिस्टर माटग्यू ने बरतानिया की सरकार की नयी पालिसी का ऐलान किया। नयी पालिसी यह थी कि हिन्दुस्तान की सरकार राज प्रबध की हर शाखा म हिन्दुस्तानियो की बढती जाने वाली हिस्सेदारी" कायम करगी ताकि हिन्दुस्तान म जिम्मेदार हुकूमत का एकसार हासिल करने" का रास्ता अख्तियार किया जाय। वायसराय चेम्सफोर्ड ने इस स्कीम के साथ सहमति प्रकट करते हुए कहा— हिन्दुस्तानियो का सरकार क मातहत ज्यादा जिम्मेदार आसामियो ' पर लगाया जायगा। 'विधान निर्मात्री कौंसिल म तब्दीलिया की जायेंगी और ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अग के तौर पर 'ब्रिटिश भारत का स्वायत्त सरकार' ' प्रदान की जायगी।

इस एलान का मकसद हिन्दुस्तानियो म फूट डालना निश्चित लोगो की आखो म धूल झोकना, अनजान और नसूझ कार्यकर्ताओ तथा नेताओ को

१ इडिया इन दि इयस १९१७ (अप्रल)—१९१८ (दिसम्बर) पृ ३२
२ वही, पृ ३२
३ वही, पृ ३६
४ वही, पृ ४१

गुमराह करना और अपने हिमायतियों को अपने साथ अच्छी तरह से जोड़े रखना था। लेकिन हिन्दुस्तान के कुछ दूरदर्शी राजनीतिक नेताओं ने इस एलान का खोखलापन ताड़ लिया और उन्होंने इसका विरोध जहाँ करना शुरू कर दिया। वे लोगों के सामने इस पार्टी 'स्वायत्त सरकार' का भंडा फोड़ने लगे और आम राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता उनके साथ हो लिये।

५ कायम शासनों का पहरेदार

जंग के बाद राजनीतिक हालात बिल्कुल बदल चुके थे। लेकिन चीफ खालसा दीवान के लीडर न तो खुद बदले थे न उन्होंने इन बदले हुए हालात को नजर अंदाज किया। उनके ऊपर पारसी की वही कहावत पूरी तरह लागू बैठती थी जैसा जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद अर्थात जमीन हिलती है तो हिल जाय, लेकिन गुल मोहम्मद अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये लोग और ज्यादा सरकार भक्त तथा वफादार बन गये।

सिखों के ऊपर चीफ खालसा दीवान का गलबा जहाँगीरी सिंहवाद के कंधों पर चढ़ कर बूढ़ा हो चुका था। इस गलबे को तोड़ने के लिए लायलपुर के सिख सरदार हरचंद सिंह ने अगुवायी में दो बार यत्न किये थे। उन्होंने उर्दू में खालसा अखबार निकाल कर दीवान की अंधी सरकार भक्ति के खिलाफ भी आवाज उठायी थी। लेकिन उन लोगों ने यह आवाज सुन कर भी अनसुनी कर दी थी।

१० ११ और १२ अप्रैल १९१४ को जलंधर में सिख एजुकेशनल कान्फ्रेंस की सालाना कायम हुई। इसमें सरदार हरचन्द सिंह जी रईस और देशभक्त की रहनुमाई में लायलपुर के खालसा ने गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली की दीवार गिराने के बारे में सरकार से जोरदार तरीके से पूछने और सिखों द्वारा जोरदार एजीटेशन चलाने का प्रस्ताव पेश करना चाहा लेकिन उनकी बात को हां न सुना गया। सरदार जी अपने साथियों को साथ लेकर कांग्रेस के पंडाल से बाहर चले जाने पर मजबूर हुए। सरदार तेजा सिंह समुंदरी भी बाहर जाने वालों में शामिल थे।

लेकिन चीफ खालसा दीवान की कारवाई के लीडर अपनी विवेक बुद्धि अंग्रेज राज के पास गिरवी रख चुके थे। जंग के खात्मे के बाद नागरिक और जनवादी आजादियों की हवा तेजी से चलने लगी थी। दरबार साहब, ननकाना साहब और खालसा कालेज के प्रबंध को खालसा पंथ को सौंपने के प्रस्ताव पंजाब तथा पंजाब से बाहर पास किये जा रहे थे। यहाँ तक कि बसर

१ जीवन, मोहन सिंह वैद्य पृ २५१ ५२

उस वक्त खालसा कालेज म प्रोफेसर था। मैंने उन तमाम डबल कम्पनी वाला को अपने घर बुलाया। यद्यपि वे अंग्रेजो की तरफ से लडाई मे हिस्सा लेकर जाय थ तो भी वे दुनिया देख कर लौटे थे। इसलिए उनकी आखें खुली हुई थी। सरदार मगल सिंह ने उस वक्त मुझे भरोसा दिलाया कि अगर हम पजाब म दैनिक अखबार निकाले ता वह जहा कही भी हागे नौकरी छाड कर इस अखबार के पहले एडीटर बनेग। जब सरदार मगल सिंह जी तहसील दार बन गये थे तब भी वह मुझे चिट्ठिया लिखत रहत थे और जोर देत रहत थे कि अखबार जल्दी स जल्दी निकाला जाय।''[1]

दैनिक अकाली लाहौर म गुरु अजुनदेव के शहीदी दिन पर—२१ मई १९२० को—निकला। इसका निकलना एक महान राजनीतिक और ऐतिहासिक घटना थी। इस घटना का मूल्याकन न ता अब तक अकाली तहरीक के इतिहासकारो म हो सका है और न कोइ अंग्रेज अफसर या सक्रेटरी ही एसा था जिसने इसके ऐतिहासिक कायक्रम को समझा हो। यह अकाली अखबार ही था जो गुरुद्वारा आजादी की लहर और कौमी आजादी की तहरीक म लोगो की जबान बन गया और जिसने चीफ खालसा दीवान और इसके खानदानी और कुदरती लीडरो का खोटे सिक्के बना कर रख दिया।

जब तक पजाबी पत्रकारिता मुख्य तौर पर जी हुजुरी की पत्रकारिता थी। आजादी पसद साम्राज्यवाद विरोधी पत्रकारिता के कुछ कुछ प्रयत्न हुए थ, लकिन उन्ह साम्राजी हाकिमो ने बेरहमी स कुचल दिया था। दैनिक अकाली के साथ पजाब म अवज्ञाकारी पत्रकारिता का आरम्भ हुआ और इसने सिखो की सामाजिक राजनीतिक और सास्कृतिक जिदगी म एक तरह का इन्कलाब पैदा कर दिया।

अकाली का गुरु अजुनदेव क शहीदी दिन पर जारी करना बडा अथपूर्ण था। इसका यह अथ था कि इसके कर्ता धर्ता कुर्बानी कर उन मिसालो पर चलने के लिए तयार होकर आये हैं जिन्ह जुल्म के खिलाफ शहीद होकर गुरु अजुनदेव ने कायम किया था। बडी दृढ़ता और मजबूती स उन्होंने जेलो की मुश्किलो बरदाश्त की और निजी जुर्माना की कुर्किया का मुकाबला किया। अकाली न धम और देश की आजादी के लिए कुर्बानी और त्याग की नयी बुनियाद कायम कर दी। इसके बाद दो चार और अखबारो न भी पत्रकारिता का यही रास्ता अपनाया।

१ अकाली लहर दिया कुछ यादा प्रिंसिपल निरजन सिंह रोजाना अकालीबार, १३ अगस्त १९६७

८ तहरीक का प्रोग्राम

रोजाना अकाली ने अपने पहले पर्चे में ही लोगों के सामने जो लक्ष्य रखे, वे उस वक्त की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का सही प्रोग्राम मुहैया करते थे। अपनी पालिसी का प्रचार करते हुए अकाली ने निम्नलिखित प्रोग्राम रखा था

(१) गुरुद्वारों का महंती और सरबराही प्रबंध खत्म करके, इनको सिक्खों के जनवादी प्रबंध में लाओ,

(२) खालसा कालेज को सरकारी प्रबंध में निकाल कर केवल सिक्खों के जनवादी प्रबंध में लाओ,

(३) सरकार के हाथों गिरायी गयी गुरद्वारा रकाबगंज की दीवार को पहले की तरह तामीर कराओ,

(४) सिख जनता में राजनीतिक और राष्ट्रीय जाग्रति पैदा करो, उनको देश की आजादी के संयुक्त संग्राम में शामिल करो और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए उत्साहित करो तथा

(५) पंचायती उसूलों के मुताबिक सिक्खों की प्रतिनिधि जत्थेबंदी कायम करो।[1]

यह प्रोग्राम अंग्रेज राज के खिलाफ सिक्खों के लिए नई दिशा देता था और नई जत्थेबंदी और नये लीडर वजूद में लाने का सूत्र था। यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई का झंडा बुलंद करता था। यह अंग्रेजों की वफादारी और तावेदारी का बोझ उतार देने और अपने गुरद्वारे आजाद कराने और कौमी आजादी की लडाई में शरीक होने की दावत देता था। बदले हुए हालात के वक्त की मांग को अकाली ने ठीक समय पर प्रकाशित होकर पूरा किया।

अकाली अखबार नहीं था, एक नया रहनुमा था जो नये बदलते हुए हालात में हर उठने मसले पर रहनुमाई देता था। जो कुछ अकाली लिखता था, वह—कुछ देर के बाद ही—अकाली प्रचारक और आम लोग कहने लगते थे। यह लोगों की सच्ची भावनाओं और मांगों का अद्भुत व्याख्याकार था। यह धार्मिक और राष्ट्रीय मसलों पर लोगों को लामबन्द और जत्थबंद करता था। इसमें लिखे गये लेख अकालियों पर जादू का असर करते थे। इसके द्वारा मोर्चों में शामिल होने के आह्वान पर अकाली दल के सदस्य अपने सिरों पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे।

अन्तिम विश्लेषण में अकाली अखबार, अकाली तहरीक का रहनुमा और

१ मेरियां कुछ इतिहासक यादां, हीरा सिंह दर्द, पृ १५३

साम्याकार, लामबन्दकार और चत्थेबन्दवार था और राष्ट्रीय आजादी के साम्राज्यवाद विरोधी समान और गैर फिरकापरस्त सग्राम का झडाबरदार था।

६ 'अकाली' के सचालक

इस बात का श्रेय लायलपुर जिले को है कि वहा के सिखो ने सरदार हरचन्द सिंह की रहनुमाई मे सबसे पहले गुरुद्वारा रकाबगज और दरबार साहब मे अग्रेज अफसरो के दखल के खिलाफ आवाज उठायी और मास्टर सुन्दर सिंह ने खालसा कालेज का प्रबध खालिस सिख कमेटी के हाथो मे लाने के लिए एजीटेशन चलायी। दैनिक अकाली के प्रकाशन की जरूरत को भी उन्होने ही पहले महसूस किया था।

अकाली अखबार की जान और रूह मास्टर सुन्दर सिंह जी लायलपुरी थे। मास्टर जी उत्साह, कुर्बानी और निडरता की मूर्ति थे। उनके अग अग मे अग्रेज हुकूमत के खिलाफ नफरत देश के लिए अथाह प्यार और कौमी आजादी हासिल करने के लिए बेशुमार लगन और कुर्बानी की भावना भरी हुई थी। यह सरदार मगल सिंह और ज्ञानी हीरा सिंह दद का नौकरिया से हटा कर अकाली के सपादक मडल मे लाये थे।

मास्टर सुन्दर सिंह जी की देशभक्ति सारी बार मे प्रसिद्ध थी। यह लायलपुर से प्रकाशित अखबार सच्चा ढिढोरा (१६०८) मे रकाबगज की गिरी हुई दीवार खडी करने और गुरुद्वारा की आजादी के लिए लेख लिखते रहे थे। इन्होने १६०६ मे एक पैम्फलेट—क्या खालसा कालेज सिखो का है ?—लिख कर अग्रेज हाकिमो को गुस्से मे भर दिया था। उन्होने लिखा था, "ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिखो से उनका कालेज उसी तरह छीन लिया है जिस तरह उसने विश्वासघात करके पजाब को हडप लिया था।"[1] और सरदार सुन्दर सिंह मजीठिया को कालेज पर सरकारी कब्जा कर लेने की इजाजत देने पर गद्दार का खिताब दिया था।

पहले उन्होने मास्टर तारा सिंह और मास्टर विशन सिंह के साथ १५ रुपए माहवार पर एक साल के लिए अपनी सेवा खालसा हाई स्कूल लायलपुर, को अर्पित की थी। इसके बाद दूध और मक्खन मे भी कपास खाने-कपडा लेकर सेवा करते रहे थे। आरम्भ से उनके दिल मे धर्म और विद्या के प्रचार का बडा शौक था। धीरे धीरे उनके दिल मे देश की स्वतत्रता की लगन लग गयी थी। १६१६ के मार्शल-ला दिनो मे उन्हे भी जेल मे बन्द किया गया था।

[1] ममोरेंडम दि पार्टिशन आफ दि सिख कम्यूनिटी, सभात एड चीफ खालसा दीवान, डी पट्टी सफ्मन १८

रिहा होने ही वह मार्शल लॉ के अत्याचारों की पड़ताल के लिए कायम की गयी कांग्रेस की जांच कमेटी के साथ मिल कर काम करने लगे थे।[1]

ज्ञानी हीरा सिंह जी के साथ विचार विनिमय करते हुए मास्टर जी ने कहा था, "सिख अगुवा ने गुरुद्वारा के महन्तों ने और देसी राजाओं ने अंग्रेजी राज की वफादारी और राजभक्ति का धर्म बना कर सिख जाति को दुनिया में बदनाम कर दिया है। अब हम मैदान में कूद कर कुछ करना ही पडेगा।"[2]

और मास्टर जी डट कर मैदान में कूद पड़े और उन्होंने अपने साथी भी शेरदिल ही चुने। मास्टर जी अंग्रेज राज के खिलाफ बगावत का झंडा उठा कर दंगल में कूदे थे। वह हार जाना, थक कर रास्ते में खड़े हो जाना—नहीं जानते थे। दैनिक अकाली में यही भावना काम कर रही थी। इसलिए अकाली ने न केवल साम्राज्य के साथ संघर्ष करने वाले ऐसे लीडर पैदा करने में योगदान किया जिन्होंने अंग्रेज राज के इज्जत और रुतबे को पैरों तले रौंदा बल्कि महान संग्राम संगठित करने में भी रहनुमायी की, जिसके द्वारा सिखों का खोया हुआ राजनीतिक आत्मसम्मान बहाल हुआ और वे योजनाबद्ध रूप से अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल हुए।

अकाली और उसके सम्पादक मंडल के इस ऐतिहासिक रोल को समझे बगैर न तो गुरुद्वारा की आजादी की तहरीक ही पूरी तरह समझी जा सकती है और न कौमी आजादी के लिए किये गये संग्रामों का महत्व ही उभर कर सामने आ सकता है। अकाली के इस कार्य का मूल्यांकन न तो अकाली तहरीक के इतिहासकारों ने किया है न इसकी महानता अंग्रेज हाकिमों और उनके जासूसों के दिमाग में आयी थी।

अकाली के निकलते ही हवा का रंग बदलना शुरू हो गया। सिखों में नई चेतना पैदा होने लगी। चीफ खालसा दीवान का असर कम होने लगा और सिख लोग अंग्रेज राज के खिलाफ हरकत में आने लगे। चीफ खालसा दीवान की अंग्रेज भक्ति और वफादारी पर हर तरफ से हमले होने लगे और एक नया धार्मिक तथा राजनीतिक वातावरण पैदा होने लगा।

अकाली ने उन सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सवालों को हाथ में लिया जो सिखों में एजीटेशन और चिन्ता का मुख्य कारण बने हुए थे। उसने गुरुद्वारा रकाबगंज की दीवार खड़ी करने, दरबार साहब अमृतसर पर अधिकार प्राप्त करने, खालसा कालेज पर से सरकारी जकड़ तोड़ने और देश की आजादी के लिए मिल कर संघर्ष करने के लिए लगन पर लेख लिखने शुरू

१ मेरियां कुछ इतिहासक यादां ज्ञानी हीरा सिंह दर्द, पृ १४७
२ वही

आरम्भ किये। जहा भी वे बोलते और गिरायी गयी दीवार की तामीर करने की व्याख्या करके शहीदी प्राप्त करन वाला म नाम लिखवान की अपील करते वहा ही सिख नौजवान धडाधड अपन नाम लिखवाने लगते थे। उस वक्त के धार्मिक और राजनीतिक वातावरण का पता इस हकीकत से साफ हो जाता है कि शहीद होन के लिए सैकडो सिखो ने अपने नाम लिखवाये। बाज लोगो ने तो चिट्ठिया भी अपने लहू से लिख कर भेजी।[1]

सिख लीग का दूसरा अधिवेशन अक्तूबर १६२० मे हुआ। इसके प्रधान सरदार खडक सिंह जी थे। इस मौके पर शहीदी जत्थे म शामिल होने वालो की लाहौर मे एक मीटिंग हुई। सिख लीग ने इस बैठक मे गवनमेंट से असहयोग का प्रस्ताव पास कर लिया था। लोगो ने हिन्दुस्तान भर के बडे नेताओ—महात्मा गाधी, डा किचलू मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली—की तकरीरें सुनी थी। लोगो म बहुत जोश था। अग्रेज राज का डर भय उड गया था।[2] दूसरे बहुत से लोग भी शहीदी जत्थे में अपने नाम लिखवा रहे थे। कवीश्वर जी की रहनुमाई मे मीटिंग ने फैसला किया कि शहीदी जत्था पहली दिसम्बर को दिल्ली पहुचेगा। जत्थे के मेम्बर बुलावा पहुचते ही चल पडे।

अर्जियों और विनय पत्रो से बात आगे निकल चुकी थी। वायसराय की कोठी के ठीक सामने मोर्चा लगाने की तिथि नियत हो चुकी थी। शहीदी जत्थे के सिरो पर कफन बाध कर आने की खबरो ने अग्रेज हाकिमो के कुछ होश ठिकाने किये। नौकरशाही की सुस्त मशीनरी झटपट हरकत म आने लगी। जो मुहिम साठ आठ सालो के प्रस्तावो डपुटेशनो और विनय पत्रो न सर नही की थी वह कुर्बानी के सगठित उभार ने चन्द दिनो म ही कर दी। जत्थे के पहुचने की तिथि से बहुत पहले महाराजा नाभा न दखल देकर दीवार बनवा दी और गवनमेंट ने लोगो की तसल्ली के लिए बनी हुई दीवार की तस्वीरें अखबारो म छपवायी। जल्द ही अखबारो के जरिये आम सिखो को मालूम हो गया कि गवनमेंट ने रकाबगज की गिरी हुई दीवार फिर से बनवा दी है।

१ गुरु के बाग (कुक्केवाली) की जुताई-अगस्त की अमावस का सरदार सरदूल सिंह कवीश्वर, म दान सिंह और स अमर सिंह की अपील पर औरो के साथ मैंने भी अपना नाम शहीदी जत्थे मे लिखवाया था—लेखक

२ मैं सिख लीग के समागम पर शहीदी जत्थे की मीटिंग म शामिल हुआ था—लेखक

११ मोर्चा सर हो गया

यह एक प्रभावशाली विजय थी जिसने सीखों की एकता, जत्थेबन्दी और कुर्बानी काम कर रही थी। इसने अकालियों के उत्साह जोश और हौंसले को बहुत बढ़ावा दिया। इस जीत के कारण अकाली लहर पहले से और ज्यादा विशाल और मजबूत हो गयी तथा इस कामयाबी ने गुरुद्वारों की आजादी के मोर्चों के लिए रास्ता साफ कर दिया।

सिख इतिहास में १९२० के साल ने नया मोड़ शुरू किया। इस साल ने सिख इतिहास की रफ्तार को तेज कर दिया। इस साल में महीनों के काम दिनों में हुए और सालों के काम महीनों में हुए। इतिहास में इस प्रकार के अवसर कभी-कभी उठ खड़ा होते जब उभार के वक्त हो जाते हैं आगे-पीछे नहीं।

सारे ही अंग्रेज हाकिम चतुर नहीं थे। उनमें काफी बेवकूफ भी थे। पंजाबी का मुहावरा—जिसके घर में दाने उसके कमले भी स्याने—जिन्दगी के तजुर्बे पर आधारित है। जिस तरह धन वाले घर के कमले परदे में ढके रहते हैं उसी तरह हुकूमत के कमलों पर भी परदा पड़ा रहता है क्योंकि उन्हें राज का घमंड होता है और वे समझने लगते हैं कि पुलिस तसद्दुद गोलियाँ-जेलों कैदों और फौज का इस्तेमाल करके वे उल्टे काम भी सीधे और गलत काम भी दुरुस्त कर सकते हैं।

लेकिन जंग के बाद हालात अब बिल्कुल बदल चुके थे। नये समय की अलामतें और निशानियाँ पुकार पुकार कर कह रही थीं कि भविष्य में गुरुद्वारों पर सरकारी कब्जा कायम नहीं रह सकेगा। उसे यह कब्जा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हाकिमों को सिखों की तेज हो रही हरारत का चढ़ता हुआ पारा देखना चाहिए। अकालियों की दिनादिन फैल रही जत्थेबंदी एकता और ताकत का लेखा जोखा करना चाहिए। दुराचारी और आचारहीन महंतों की सहायता करनी छोड़ देनी चाहिए और गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों की प्रतिनिधि कमेटियों के हवाले कर देना चाहिए। दूरदर्शिता और अक्ल की माँग यही थी।

१२ हुकूमत—महंतों की पीठ पर !

लेकिन अपने राज के स्वार्थों ने अंग्रेज हाकिमों को अंधा कर दिया था। वे गुरुद्वारों पर से अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते थे और घिसी पिटी पालिसी को जबरदस्ती राजसत्ता इस्तेमाल करके सिखों पर थोपे रखना चाहते थे क्योंकि गुरुद्वारों के सरकारी इस्तेमाल ने उन्हें बड़े राजनीतिक लाभ पहुंचाये थे। गुरुद्वारों ने अंग्रेज हाकिमों के जुल्मों और कत्लों पर परदे डाले थे और सिखों

को वफादार गुलाम बनाये रखने और दूसरी कौमों को गुलाम बनाने में सहायता की थी।

इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं कि 'असल में झगड़ा सरकार का और सिखों का नहीं था, बल्कि सिखों और महन्तों का था।" गुरुद्वारों में महन्त सिख जाति से बागी हो चुके थे और कुछ महन्त तो सरकारी अफसरों की खुल्लम खुल्ला मदद मिलने के कारण पंथ और धर्म को जवाब दिये बैठे थे। ऐसी दुर्दशा सिख कौम कितनी देर तक सह सकती थी।[1]

महन्तों की सिखों से बागी होने की जुरअत क्या हुई? इसलिए कि हुकूमत उनकी पीठ पर थी और फिरंगियों के साथ मिल कर उन्होंने गुरुद्वारों की हजारों लाखों रुपयों की जायदादें अपने व्यक्तिगत नामों में करा ली थी। हुकूमत नहीं चाहती थी कि गुरुद्वारे और उनकी जायदादें सिख पंथ के हाथों में जायें क्योंकि गुरुद्वारों की आजादी और इनकी जायदादें भविष्य में सरकार के हितों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती थीं। इसलिए महन्तों को बागी सरकार ने ही किया था। सरकार दरम्यान में न पड़ी होती, तो महन्तों ने चुपचाप समझौता करके गुरुद्वारे सिख पंथ के हवाले कर दिये होते और अपने चलन सुधार कर या तो महन्त बने रहते, या जीवन भर के लिए वजीफे लेकर गुरुद्वारों से अलग हो जाते।

इसलिए झगड़ा सिखों और महन्तों का नहीं था। झगड़ा था—सिखों और सरकार का। महन्त तो अंग्रेज सरकार की राजनीति का अमली जामा पहनाने का एक हथियार थे। सरकार सिखों और महन्तों में इसलिए समझौता होने ही नहीं देना चाहती थी। उसने तो कुछेक महन्तों को अपने हाथ में लेकर, हो रहे समझौतों को भी सफल नहीं होने दिया था।

१३ हाकिमों के इरादे

अंग्रेज हाकिम अपने किये फैसलों पर अमल करने और कराने के बड़े पाबंद थे। तरक्की उसको मिलती थी जो पिछले किये फैसलों को हमेशा सामने रखता था और उनको अमल में लाने के लिए कोई भी ढंग और ताकत इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाता था। शुरू से ही, खास कर १९०६-७ के बाद हरेक लेफ्टीनेंट गवर्नर पंजाबियों को—खास कर सिखों को—सरकार का वफादार और ताबेदार बनाये रखने के लिए सोचता और योजनाएं बनाता रहता था। ओडवायर ईजिल ने पंजाबियों को अपनी जूती के तले रखने के लिए केंद्रीय सरकार का तमाम जनवादी और शहरी आजादियां छीन लेने की

1 अकाली ते प्रदेसी, २२ अक्तूबर, १९२२

मिफारिश की थी। उसके बाद आये लेफ्टीनेन्ट गवर्नरों ने सिखों की शैक्षिक और धार्मिक संस्थाओं को अच्छी तरह से हथिया लिया था। उनकी पालिसी यह थी कि खालसा कालेज को अपनी वफादारी का केन्द्र बना कर रखा जाय और दरबार साहब का प्रबंध—अंग्रेज राज की मजबूती और हितों में—अपने चुने हुए वफादार सरबराहों द्वारा किया जाय, और तो और, इनको चीफ खालसा दीवान जैसी अंग्रेजभक्त जमात के हाथों में भी न जाने दिया जाय।

"अगर कभी तत खालसा पार्टी (चीफ खालसा दीवान) दरबार साहब पर कब्जा जमाने में सफल हो गयी और धार्मिक मामलों में लीडरशिप हथियाने की पोजीशन में हो गयी तो नतीजे बड़े गम्भीर हो सकते हैं। इस किस्म के कदम से उनके सफल होने की संभाव्यता बहुत दूर नहीं। १६०७ में तत खालसा पार्टी की दरबार साहब के बारे में साजिशों के मुतल्लिक नाभा के राजा के पास सिख पुजारियों ने शिकायत की थी। उस वक्त से लेकर कई बार रिपोर्टें हो चुकी थीं कि ग्रंथियों और पुजारियों को अपनी तरफ खींचने के लिए तत खालसा ने बार-बार यत्न किये हैं। इन यत्नों की सफलता के नतीजे बड़े दूरगामी हो सकते हैं।"[1]

यह थी अंग्रेज सरकार की पालिसी सिखों के सबसे बड़े और केन्द्रीय गुरुद्वारे—दरबार साहब—के बारे में। अकालियों के दरबार साहब पर कब्जा करने की तो बात ही छोड़िए सरकार तो चीफ खालसा दीवान की अपने प्रति वफादार लीडरशिप को भी दरबार साहब के नजदीक नहीं फटकने देना चाहती थी। अपनी ताकत के खिलाफ साजिशों का शक उसे अपने वफादारों पर भी था। अंग्रेज हाकिमों की पालिसी साफ यह थी कि दरबार साहब और दूसरे गुरुद्वारों पर अपना कब्जा जमाये रखा जाय और सिख धर्म को अंग्रेज राज के स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया जाय।

१४ बाबे दी बेर

इस पालिसी के कारण अंग्रेज हाकिम सिख संगतों के वावेले और शोर की तरफ ध्यान तक नहीं देते थे। बाबे दी बेर (स्यालकोट) के गुरुद्वारे का सरबराह सिखों के जोरदार विरोध के बावजूद एक गैर सिख—गंडा सिंह—को बना दिया गया। उसके खिलाफ स्यालकोट के सिखों ने हर किस्म की कानूनी कारवाई की। लेकिन डिप्टी कमिश्नर किसी की कोई बात नहीं सुनता था। पहले महंतों के खिलाफ कई मुकदमे किये जा चुके थे। अदालतों के दरवाजे

[1] ममोरंडम, डी पट्टी, (१६११) मकान २३ पैरा १

खटखटाय जा चुके थे कि गुरुद्वारा सिखों की चुनी हुई कमेटी के अधीन किया जाय, लेकिन न तो कोई अफसर सुनता था और न ही कोई अदालत।[1]

खुद गवर्नमेंट की एक फाइल में दर्ज है कि 'स्यालकोट के नजदीक एक गुरुद्वारे के फैसले के लिए किया गया मुकदमा कई सालों तक घसिटता रहा। महंत के खिलाफ हुआ फैसला आखीर में एक टेक्नीकल नुक्ते को लेकर चीफ कोर्ट ने उलट दिया। यहां तक कि आम सिविल अदालतों के मामले में ज्यादा सूझदारों का सब्र भी खत्म हो गया और ज्यादा गर्म-ख्याल सिखों ने ताकत के साथ गुरुद्वारों पर कब्जे की वकालत शुरू कर दी।'[2]

इसी गुरुद्वारे के महंत हरनाम सिंह के खिलाफ यह दोष साबित हो गया था कि वह शराब पीता है और गुरुद्वारे की जायदाद बर्बाद करता है। डेपुटी कमिश्नर ने फैसला किया "महंत से कहा जाये कि वह शराब पीना छोड़ दे। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा शराब पीने के चिह्न नजर आते हैं।"[3] लेकिन गुरुद्वारे के उसी महंत को बहाल रखा गया।

सिख यह बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे कि उनके गुरुद्वारे पर सिखों के किसी दुश्मन का कब्जा जमा रहे। गंडा सिंह का सरबराह बने रहना सिख धर्म की बेअदबी निरादर और बेइज्जती थी और सिखों के लिए चैलेंज था। इसलिए उन्होंने उस बरतरफ करने के लिए पहले हफ्ते दो हफ्ते और बाद में रोजाना गुरुद्वारे में जलसे करने शुरू कर दिये। गंडा सिंह अपनी मदद के लिए गुंडे ले आया, जो सिखों से उलझते थे और इक्के दुक्के सिखों को पकड़ कर मारपीट भी करते थे। गुंडों ने इस तहरीक के एक नेता भाई जवाहर सिंह को अकेले गुरुद्वारे में आते हुए देख कर पकड़ लिया और खूब पीटा। इस मारपीट से सिखों में बड़ा जोश आ गया। गुंडों ने कई और सिख नेताओं को भी पीटने की धमकियां दीं। गंडा सिंह के पुत्र जॉन हैंडो ने गुरुद्वारे में अपनी पिस्तौल निकाल कर लोगों को भयभीत करने के यत्न किये। उसने कुछ औरतों को भी सिखों को गालियां देने और पीटने के लिए लामबंद कर लिया और फसाद खड़ा करने के यत्न किये। इतना ही नहीं इस चंडाल चौकड़ी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी बरगला कर सिखों के खिलाफ करने की सरतोड़ कोशिशें कीं।

अमन और कानून के रक्षक हाकिमों के बन्दे अमन और कानून खत्म कर रहे थे। हाकिम तमाशा देख रहे थे। वे पूरी तरह गंडा सिंह की मदद कर

१ विस्तार के लिए देखिए दि गुरुद्वारा रिफार्म मूवमेंट, पृ १२१ से १३६

२ फाइल नं ६४२—१९२२, होम, पोलिटिकल

३ वही

रह थ और सिख रहनुमाओं का पता न था मौका द रह थ। कामकता और सौतानानी क च्ची हानात म गरफ्तार अमर सिंह और गसवन्त सिंह दोनो चमानिय भाई ग्यानराद जा पन्चा। उन्होंने गुरद्वारा क सुधार, विनापन देश की आजादी और हिन्दू मुस्लिम सिख एकता के मसालो पर भाषण दिय। उन्होंने गडा सिंह द्वारा पन्थ की हुई गनायदहमियो का दर किया और तमाम लागो म आजादी विनापन और गुरद्वारा सुधार क लिए मिल कर सघष करने की अपीलें की। उन्होंने गडा सिंह और उसो गुडा तथा सरकारी हिमायतियो का जनता म अलग कर दिया।

दोनो भाई अमृतसर म वापस आ गय। जब सरदार खड्ग सिंह जी भी सग्राम के मदान म कूद पड। बस्ती छुई शहर का रग बदल गया सरकारी हाकिम आपे से बाहर हो गय। डेपुटी कमिश्नर ग्यालकार ने सार जत्थे के पाच नेताओं—भाई भाग सिंह जवाहर सिंह दारान सिंह राम सिंह और महा सिंह—के खिलाफ दफा १०७ के मातहत वारट जारी कर दिये। यह सुन कर लोगो का जोश उफनने लगा। उसी रात का एक बहुत बडा जलसा किया गया जिसमे एक प्रस्ताव पास किया गया कि कोई सिंह जमानत न द, जेल म चला जाय। उपस्थित सिखो ने प्रण किया कि गडा सिंह को गुरद्वार का प्रबध नही रहने दिया जायगा। इसके लिए जितनी कुर्बानी की भी जरूरत पडेगी दी जायगी। सरदार खड्ग सिंह जी ने इस प्रस्ताव की डट कर हिमायत की।

१५ पहली गिरफ्तारिया

अगले दिन का दृश्य देखने योग्य था। उनको पकडने के लिए गुरद्वारे म पुलिस का बहुत भारी दस्ता आ गया। लोगो ने कहा—हम खुद साथ जाकर इन्हे अदालत म पेश करेंगे। हजारा लाग जुलूस की शक्ल म गडा सिंह (गद्दू) —मुर्दाबाद। गुरुद्वारा सुधार—जिन्दाबाद।' के नारे लगाते हुए अदालत म पहुच। पाचो रहनुमा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डेपुटी कमिश्नर) के आगे जाकर पेश हो गये। उन्होंने न कोई जमानत दी और न ही कोई सफाई पेश की। कहा जो कारवाई करनी है, करो। डेपुटी कमिश्नर ने उन्ह जेल म भेज दिया और अगली पेशी ४ अक्तूबर १९२० को रखी।

डेपुटी कमिश्नर के गुस्से का पारा बहुत ऊपर चढ गया। लोगो की इतनी बडी हिमायत देख कर उसको कुछ घबराहट भी हुई लेकिन साम्राज्यी हाकिमो की घबराहट क्षण भगुर होती थी। पीठ पर राजसत्ता का—जेल गोली आदि का—हाथ होने के कारण घबराहट पर गुस्सा जल्दी काबू पा लेता था। डेपुटी कमिश्नर ने दो महीने के लिए दफा १४४ के अतगत जलसो पर पाबन्दी

लगा दी और हुक्म दे दिया कि अगल दा महीना मे गडा सिह के गुरद्वारा प्रवध म कोइ दखल नही द। अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसन नागा की जुबान और हरकत पर पाबदी लगा दी।

लेकिन नाग डपुटी कमिश्नर का चलेंज मजूर कर चुक थ। उन्होंने उसी रात जलसा करके दफा १४४ तोडी और फैसला किया कि गडा सिह का गुरुद्वार के मतनर के तौर पर काम नही करने दिया जायगा। शहर, देहात के सिखा का ज्या ज्यो खबर पहुची वे पाच पाच, सात सात के जत्थ बना कर शहर म पहुचन लगे। कुछ दिना के बाद उन्होंने गुरद्वार का इनजाम एक आरजी कमेटी के हवाले कर दिया और नगर चलाने की हटी हुई परपरा को फिर म जारी कर दिया।

१६ रिहाइया

लोगा का यह पहला जोश और उभार था। यह खुद ब-खुद पैदा हुआ उभार देख कर सरकारी अफसर, लगता है कुछ दुविधा म पड गये। एक तरफ वे गुरद्वारा पर कब्ज के राजनीतिक फायदा को छोडने स झिझकते थे दूसरी तरफ वे अभी जुल्म के अखीरी तरीके इस्तेमाल करने स हिचकिचाते थे क्योकि उन्ह डर था कि सिख कहा हाथ स ही न निकल जायें और इसका सिख रगरूटा की भर्ती और सिख फौज पर असर पडे। इसलिए उन्होने उचित यही समझा कि उठाये गये कदम को अमल मे लाने के लिए कोई कारवाई न की जाय और जेल म भेजे गये पाचा सिखा पर स मुकदमा वापस ल लिया जाय।

पेशी वाले दिन पाचा नेता रिहा होकर वापस आ गये। यह एक और बडी विजय थी। सिर्फ रिहाई की ही नही बल्कि रिहाई से भी बडी विजय— गडा सिंह का गुरुद्वार मे निकाल कर सिखा के गुरुद्वारे पर कब्जे की विजय— थी। ५ अक्तूबर को यह जीत मनाने के लिए एक बहुत बडा दीवान हुआ जिसम गुरुद्वारा बाब दी बर के प्रबध और कट्रोल के लिए १३ सदस्या की एक कमेटी चुनी गयी। इस तरह गुरुद्वारा बाब दी बर सिखा के प्रबध म आ गया। और अमन और कानून का रखवाला तमद्दुद आखे बद करके खामोश हो गया।

६ अक्तूबर का इस डिवीजन का कमिश्नर—मिस्टर किंग—स्यालकोट पहुचा। उसन ६ सिख नेताओ को बुला भेजा। सिख नेता उससे मिलन के लिए गये। उसन बडी मीठी बातें करके उनस कहा—सरकार सिखा के धार्मिक मामला म कोई दखल नही देना चाहती। सिख अपन धार्मिक मामला का जैस चाह प्रबध करने के लिए आजाद हैं। लेकिन जहा तक जागीर और आमदनी का

ताल्लुक है, यह तब तक सरकार के पास अमानत के तौर पर रहेगी जब तक दोनों पार्टियां कोई समझौता नहीं कर लेतीं।"[1]

यहां तीन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। एक यह कि सिखों के गुरद्वारों का प्रबंध आजादी से करने और इनमें दखल न देने की सरकारी बातचीत फरेबभरी थी झूठी थी जो सिखों को ठगने और गुमराह करने के लिए की गयी थी। दूसरे यह कि 'दोनों पार्टियों' की बात करना असल में अपनी टांग अड़ाये रखना था। आगे चल कर हम देखेंगे कि ये "दो पार्टियां" (कभी तीन पार्टियां) गुरद्वारा आजादी की तहरीक के आखीर तक चलती रहीं। इसका अर्थ था—दूसरी या तीसरी पार्टी खड़ी करके सिखों में फूट डाल कर गुरद्वारों में अपनी टांग अड़ाये रखना। तीसरे यह कि गुरुद्वारों की आमदनी को कोई पंथक प्रबंधक कमेटियों के पास न जाने दिया जाये क्योंकि इसके इस्तेमाल से सिख जत्थेबंदी मजबूत होगी और गुरद्वारा तहरीक जोर पकड़ेगी। और इस तहरीक का मजबूत होना सरकारी हितों के खिलाफ होगा।

१ गुरद्वारा रिफार्म मूवमेंट एंड दि सिख अवेकनिंग प्रो तेजा सिंह पृ १३२ १३६

तीसरा अध्याय

दरबार साहब पर कब्जा

१ अधोगति की हालत

बाग दी बर का मोर्चा अभी फतह हुआ ही था कि जगह-जगह दरबार साहब अमृतसर के पुजारियों के बागी होने की खबर फैल गयी। तमाम सिखों का ध्यान इस केन्द्रीय एतिहासिक गुरुद्वारे की ओर केन्द्रित हो गया। दरबार साहब का सिखों के कब्जे में लाना बाकी सब गुरुद्वारों के सुधार की कुंजी थी। अगर दरबार साहब का प्रबन्ध सिख अपने हाथ में ले सकते, तो बाकी गुरुद्वारों का कोई भी सुधार अगर असम्भव नहीं, तो मुश्किल जरूर हो सकता था।

सिखों का यह पवित्र श्रीमणि मन्दिर गुरु रामदास जी ने बनाया था। इसकी नींव एक मुसलमान सूफी मियां मीर ने रखी थी। फर्रुखसियर के राज के वक्त इस पर कट्टर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। इसको उन्होंने नाच और शराब का अड्डा बना लिया था और इर्द गिर्द के मकान घोड़ों के तबेलों में तब्दील कर दिये थे। तालाब को उन्होंने मिट्टी से भर दिया था। लेकिन सिख छापे मार मार कर, बार-बार हमले करके, उनकी नींद हराम किये थे। इस गुरुद्वारे को आजाद करने के लिए सिखों ने कितने ही सिर दिये और दुश्मनों के सिर लिये थे। बीकानेर के जंगलों में से आकर सिंहों ने इस जगह के हाकिम मस्सा रंघड़ का सिर काट लिया था।

महाराज रणजीत सिंह के राज के वक्त इस गुरुद्वारे के नाम जागीर लग गयी थी और इसकी शान फिर दुगनी हो गयी थी। उस वक्त दरबार साहब का प्रबन्ध सिंहों के अपने हाथ में था। लेकिन सिखों के अंग्रेजों के हाथों शिकस्त खा जाने के बाद दरबार साहब पर अंग्रेज हाकिमों ने गैर-कानूनी तौर पर कब्जा जमा लिया। उन्हें खतरा था कि दरबार साहब कहीं सिखों की जाग्रति का केन्द्र न बन जाय। फलतः इस श्रीमणि गुरुद्वारे पर कब्जे का उनका मकसद राजनीतिक था। उन्होंने उसे अपने राज की मजबूती के लिए दिल खोल कर इस्तेमाल किया।

अंग्रेजों की अपनी एक खुफिया रिपोर्ट कहती है कि, "स्वर्ण मन्दिर सिखों

के प्रबंध में था। अंग्रेजी सिक्खों के आने से प्रबंध सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता था और सरबराह साहब से पुजारियों प्रबंध में कुछ मामा पगार के लिए दस्तूर के मुताबिक भी मांग के पास भेजे जाते थे। यह बात अस्त जो कि गुरु से मन्दिर का सम्बन्धित गालियों के लिए इस्तेमाल करने से गायन के लिए किया गया था सिक्ख जगत में मान्य मन्दिर में ... पुरअमन प्रबंध को मरीनी कहा गया। अंग्रेजी हुकूमत के बाहर आम तौर पर कायम आमरा को ज्यादा का कायम रखता था और कुछ मन्दिरों गालियां की हिमायत रखता था इसलिए मुताबिक पार्टी सिक्ख कुछ माना से गवर्नमेंट बदलाव का हुक्म देने पर जोर नहीं दी थी क्योंकि कायम गवर्नमेंट बदलाव किसी कानूनी बुनियाद पर आधारित नहीं था। ' (जोर मेरा)

यहां बाद किर ना पर जोता है। अंग्रेज सरकार द्वारा दरबार साहब का कब्जा गैर-कानूनी और नाजायज था। यह कब्जा यह ताकत के जोर पर जमाय बैठी थी और पुराने रीति-रिवाज दस्तूर का बहाना करके कब्जा नहीं छोड़ना चाहती थी। वह सिक्खों की आंखों में धूल डालने के लिए मन्दिर का प्रबंध किसी अपने पिट्ठू को सौंपती रहा। इसी सदी के आरम्भ में सरकार ने इस गुरुद्वारे का प्रबंधक अपने एक जी हुजूर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अरूड़ सिंह सुखहिरा नगला को नियुक्त कर रखा था जो थोड़ा-सा उर्दू जानता था और सिक्खी उसूलों की कोई खास परवाह नहीं करता था।

इस पुस्तक में हम गुरुद्वारों के कायम होने का और उनके विकास का इतिहास नहीं लिख रहे हैं गुरुद्वारों की आजादी के लिए किए गये अकाली संग्रामों का इतिहास लिख रहे हैं। इसलिए यहां गुरुद्वारों के इतिहास के विस्तार में जाना हम ठीक नहीं समझते।

धर्म और इखलाक की रूह से इस श्रोमणि गुरुद्वारे दरबार साहब की दशा बहुत गिर चुकी थी। और दरबार साहब तरनतारन की हालत इससे भी खराब हो चुकी थी। इस स्थिति को समझने के लिए यहां एक घटना पेश करता हूं।

१ सितम्बर १९०६ को कमिश्नर साहब श्री दरबार साहब में दर्शन करने गये। पुजारी टोली में मिले हुए एक भाई ने कमिश्नर के सामने इस तरह अर्ज की "श्री हुजूर हमारी तमाम (ग्रंथियों और पुजारियों की) बड़ी नम्रता के साथ विनती है कि आज कल की नयी रोशनी के सिंह सभाई लोग हम बहुत ही तंग करते हैं। हम उनकी तरफ से बड़े दुखी है।

१ फाइल न ६४२—१९२२ होम, पालिटिकल दि सिख क्वेश्चन इन दि पंजाब, सेक्शन ७

'ये हमारी पूजा का बडा नुकसान पहुचा रहे हैं और अपने आश्रमों के वास्ते सहायता इकट्ठी कर रहे हैं। ये माहीगिया (अछूता) को अपने में मिलाते हैं। नई रीतें और रस्म (अर्थात् गुरु मर्यादा) करने लगे है। परिक्रमा में आकर प्रचार करते हैं आश्रमो की सहायता के वास्ते नानक लिये फिरते हैं। सरकार हमारे और हमारे बाल-बच्चा पर तरस खाकर इन्हें ऐसा करने से तत्काल रोके। ये न दरबार साहब में, और न परिक्रमा में दाखिल हो सकें और परिक्रमा और दरबार साहब की हद में दूर रहे ' आदि ।'

अमृतसर के और तरनतारन के दरबार साहब की हालत के बारे में, खालसा दीवान माझा की एक रिपोर्ट में दर्ज है

कई पतियो की स्त्रियां, कई भाइयो की बहनें, कई मा-बापो की लडकियां परिक्रमा में उनसे अलग कर उठाली जाती थीं और नरक निवासी टोलियो के कधो पर से उछलती हुई चार चार सौ कदम दूर जमीन पर पटकी जाती थी। ऐसे भयानक समय में कोई ऐसा सूरमा नहीं था जो ऊची आवाज में कहे— ऐसा नहीं करो प्यारो ! यह काम अच्छा नहीं ! क्योंकि डर था कि बदमाश मडली उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही उसे खींच कर जमीन पर लिटा देगी।"[1]

गुरुद्वारा अमृतसर और तरनतारन दोनो के सरबराह अरूड सिंह के मातहत थे। दोनो गुरुद्वारे एक दूसरे से कोई १८ मील की दूरी पर हैं। दोनो के आचार व्यवहार और रीति रस्मो का एक-दूसरे पर प्रभाव पडता है। जो कुछ एक जगह पर घटता है वह ही दूसरी जगह पर होने लगता है। सिंह सभा तरनतारन की रिपोर्ट में तरनतारन की परिक्रमाओं में हो रहे दुराचार के विषय में इस प्रकार लिखा हुआ है

' अमावस का यह मेला पजाब में पहले दर्जे के गदे मेलो में गिना जाता था। बाहर से आये लोग शराब पीकर परिक्रमा में आते। गुडो और बदमाशो की टोलियां परिक्रमा में गन्दे गीत गाती और गदी बातें बकती फिरती। नर्तकियो के नाच होते। गडरियां बेरो और लड्डुओ की झोलियां की झोलियां बहू बेटियो पर खाली होती। बिगडे हुए जवान लाठियां कधो पर उठाये सीटियां बजाते लडकियो को छेडते फिरते, धक्के मारते। आपस में लडाइयां हो जाती और कइयो के सिर फट जाते। महिलाओ की

१ जीवन, भाई मोहन सिंह जी वैद्य, पृ २१४
२ वही, पृ १२०

बेइज्जती होती, चोरिया होती, दर्शनी ड्योढी के सामने कजरिया के मुजरे होते और रास-तमाशे होते, इत्यादि।"[1]

और तरनतारन की परिक्रमा का रागट खींचकर दन वाला चित्र ब्रुद्ध निवारन अखबार ने इस तरह खींचा था

'वही तरबूजा के खप्पर वही कचालू छोला के गद पत्ते वही आमो की गुठलिया वही गन्ने के छिलके वहा भल्ले पकौडिया की जूठन वहा हलवाई सरोवर म आग के जलते हुए लक्कड बुझा रहे थे वहा गजर, चूडिया और पहुचिया के बाजार सज रहे थे थोडे म यह कि परिक्रमा में चारो तरफ बाजार ही बाजार नजर आते थे।"[2]

लगभग ऐसे ही बुरे हालात दरबार साहब अमृतसर म थे। परिक्रमा मे जेबकतरे फिरते थे ज्योतिषी हाथ देखते और फाल फकते थे, मनियारी की दुकानें लगती थी। गुड नौजवान औरतो को फसाने के लिए मिलने का वक्त मुकर्रर करने के लिए, सुबह शाम आते जाते थे। अमावस बसाखी और दीवाली के दिनो म भाति भाति के भ्रष्टाचार और दुराचार होते। पुजारी खुद चढावे के पैसो की और रुमालो की चोरी करते।

मरणगह अड्ड सिंह से सिखो ने इन पुजारियो की दुराचारी और बदइखलाकी हरकतो के खिलाफ शिकायत पर शिकायतें की। श्रद्धालु लोग बडे दुखी थे लेकिन वे कुछ कर नही सकते थे। कारण एक तो यह कि उनके अन्दर अंग्रेज भक्ति घुसी हुई थी और दूसरे कोई ऐसी जत्थेबदी नही थी जो इन कुकर्मों, कुरीतियो दुराचार और बदइखलाकी के खिलाफ लडने म अगुवायी कर सके। और तो और ब्रिटिश राज के मातहत गुरुद्वारे सिखो का इखलाक बिगाडने और उन्ह बदनाम बनाने के अड्डे बनते जाते थे।

अग्रेज राज के वक्त सिखो म इतनी इखलाकी गिरावट आ चुकी थी कि जो सिख गुरुद्वारा की पवित्र मर्यादा कायम रखने के लिए प्राणो को न्यौछावर कर देते थे, वे खुद गुरुद्वारा म शराब पीकर जाने थे और कजरियो के नाच देख कर शर्म नही खाते थे।

और सरदार अरूड सिंह बिल्कुल टस से मस नहीं होता था। उसकी सरबराही के वक्त एक तरफ ग्रथियो और पुजारियो ने लूट मचा रखी थी दूसरी तरफ गोलक का कोई हिसाब किताब नही था। उसने न कभी हिसाब किताब लिया न कभी किसी जिम्मेदार सस्था को दिया। वह सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया था। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि

१ वही, पृ १२१
२ वही, पृ १२३

वह पथ को हिसाब दे और अगर वह नहीं देता, तो सरकार खुद हिसाब ले। सरकारी हिसाब में अगर छोटी मोटी हेरा फेरी भी हो तो सरकारी नौकरों को रगड़ दिया जाता है। मगर यहां लाखों रुपयों का कोई हिसाब नहीं था। रुपया बर्बाद होता हो ना हो सरकार को कोई परवाह नहीं थी—यह रुपया किसी संस्था के हाथ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह उसे सिक्खों की सांस्कृतिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करेगी! अंग्रेज अफसरों को अपने राज के हितों की खातिर सिक्खों की तरक्की मंजूर नहीं थी।

यही नहीं, तोशेखाने में अर्जन सिंह से पहले कितने हीरे जवाहरात पन्ने आदि थे, और उसके जाने के बाद कितने शेष रहे इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। जवेरखाता खुला हुआ था। हिसाब देने का न सरबराह को जिम्मेदार ठहराया गया और न ही सरकारी अफसरों को जो अपने राज के लिए आशीर्वाद और सिरोपा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।

और सरबराह बिल्कुल मिट्टी का माधो था। वह डिप्टी कमिश्नर का गुलाम था। डिप्टी कमिश्नर जिले का ईश्वर था वह सरकार की पालिसी का रक्षक था। वह नहीं चाहता था कि गुरुद्वारों में कोई सुधार होने दिया जाय। इसलिए सरबराह लोगों की शिकायतों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। फलत कोई शिकायत दूर नहीं होती थी।

"दरबार साहब के सरबराह की नियुक्ति नाम के तौर पर उस आदमी की की जाती थी जिसने सरकार की कोई वफादारी से भरी सेवा की हो। सरबराही का लगातार एक गुलाम सरदार के हाथों में रहना—यह उसकी शानदार भर्ती की खिदमतों के कारण था। इस तरह सरकार ने इन ओहदों को अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया और गुरुद्वारों के हितों की कभी परवाह नहीं की।"[1]

गुरुओं की शिक्षा में रंग नस्ल, मजहब और जात पात का कोई भेद भाव नहीं है। गुरु नानक ने अपने आप को नीचों से नीच का संगी साथी कहा था। गुरु गोविन्द सिंह के खालसा पंथ के निर्माण के वक्त सबसे पहले नामनिहाद नीची जाति वालों ने अपने शीश भेंट किये थे। लेकिन अंग्रेज हाकिमों की शह पर हालत यह हो गयी थी कि नामनिहाद अछूतों या रामदासियों को सिक्खों में शामिल करने वाले सिंहों के भी दरबार साहब में जाने पर बुरा माना जाता था और उनका प्रसाद कबूल करके उनके लिए प्रार्थना नहीं की जाती थी।

१ पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल डिबेटस, ८ जनवरी से १६ अप्रैल १९२१, जिल्द १, सरदार करतार सिंह का भाषण, पृ ५४६

सरदार अरूड सिंह के खिलाफ बडे गम्भीर इल्जाम लग रहे थे। लेकिन सरकार की हिमायत के कारण यह कोई बाद जवाब हो नहीं देता था। 'सरदार अरूड सिंह (जिसने आज तक दरबार साहब और तरनतारन साहब का कोई हिसाब नहीं दिया और जो कहता है कि मेरे पास कोई हिसाब है ही नहीं) को हटाने का यत्न कई साल से होता रहा है पर उसे सरकारी अफसरों को खुश करने का ढंग मालूम है।'¹ इस सरबराह को बरखास्त करने की एजीटेशन जब भी तेज होती सरकारी अफसर कहने लगते, यह सिर्फ कुछ पढे लिखों की शरारत है, शोर मचाना उनकी आदत हो गयी है आम लोग बडे संतुष्ट हैं वगैरा। अफसरों का रवैया इस एजीटेशन की तरफ कोई ध्यान देने का नहीं था। वे इसको बातों बातों में टालने का यत्न करते थे। दरबार साहब को लाखों रुपये की सालाना आमदनी थी जो कि बर्बाद की जा रही थी या गबन की जा रही थी। गवर्नमेंट की मंशा न तो दरबार साहब को किसी प्रतिनिधि सिख जत्थे के हवाले करने की थी न ही वह चाहती थी कि गुरुद्वारे की आमदनी किसी कमेटी के हाथ में जाय।

२ कब्जे की तैयारी

लेकिन अकाली ने गुरुद्वारा सुधार की समस्या जोरों से उठायी थी और इसके मुख्य लेखों ने सिखों में एक नयी जागृति पैदा कर दी थी। हर इलाके और जिले में सावन भादों की खुम्भों की तरह अकाली रहनुमा पैदा हो गये थे जिन्होंने दिनों और हफ्तों में ही अपने-अपने अकाली जत्थे कायम कर लिये थे और गुरुद्वारों के सुधार के लिए अपनी-अपनी कमर में केसरी साफे बांध लिये थे तथा छोटी और बडी कृपाणें हर अकाली के कंधे से लटकने लगी थीं। गांव के गांव और बाजार के बाजार अकाली बनने में फख्र समझने लगे थे।

लेकिन अभी तक न तो गुरुद्वारा के सुधार के लिए कोई केन्द्रीय जत्थेबंदी कायम हुई थी और न जत्था ने ही अपना कोई केन्द्रीय दल कायम किया था। लेकिन अकाली फिर भी बडे अनुशासनबद्ध थे और गुरुद्वारा सुधार के लिए हर कुर्बानी करने के लिए तैयार थे। गुरुद्वारा बाबे दी बेर की जीत के साथ तमाम सिखों में खुशी की लहर दौड गयी थी और गुरुद्वारों में से जल्दी से जल्दी कुरीतियों और कुकर्मों को निकालने के तथा गुरुद्वारों पर कब्जा हासिल करने के उनके इरादे तेज हो गये थे।

गुरुद्वारा सुधार समर्थक मिस्त्री गंडा सिंह के पतित होने और चाल चलन के बारे में जो इल्जाम लगाते थे बाद में सरकारी हाकिमों ने उन्हें अपनी

१ अकाली ते प्रदेसी, सम्पादकीय, २७ अक्तूबर १९२२

खुफिया रिपोर्टों मे स्वीकार किया। लेकिन उस समय नहीं, गुरुद्वारों के सिखो के कब्जे म आने के बाद। एक रिपोर्ट न अकाली लहर के इतिहास का विश्लेषण करते हुए लिखा है

'गुरुद्वारा कमेटी न न तो अपने दावे सिविल अदालतो म मुकदमे करके ही साबित किय और न असल कागजो के दावो को ही गलत साबित किया। गुरुद्वारो पर कब्जे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी के वजूद म आन स पहल ही शुरू हो गये। लेकिन उस वक्त म रफ्तार बडी तेज हो गयी। सबसे पहला केस बाबे दी बेर का था (महन्त नारायण, ट्रस्टी गडा सिह—विषयी आदमी और सिख धर्म से पतित)। सिखो न कुछ साल पहले इस गुरुद्वारे का हासिल करने के लिए सिविल सूट किया था और इस चीफ कोर्ट तक लडे। वहा जाकर एक तकनीकी कारण स यह खत्म हो गया। महन्त को निकालने के लिए सिविल अदालत म एक और मुकदमा किया गया और उस कारवाई के दौरान मुकदमा दूसरी अदालत म तब्दील करने के लिए अर्जी दी गयी। यह दरख्वास्त रद्द कर दी गयी और सिखो से कहा गया कि बारह सौ रुपये फीस अदा करो। सिखो न यह रुपया लगान म इनकार कर दिया। सिविल मुकदमेबाजी की असफलता के बाद म लडाई के गैर कानूनी तरीके अपनाये जान मे बडा हाथ है। स्यालकोट के मुकामी सिखो न गुरुद्वारा सुधारको की मदद हासिल करके सितम्बर के आखीर या अक्तूबर १९२० के शुरू म गुरुद्वारा बाबे दी बेर पर कब्जा कर लिया।'[1]

डेपुटी कमिश्नर का गुरुद्वारा सुधार विरोधी रवैया साबित करता है कि इन सिविल मुकदमो की नाकामी म अफसरो का हाथ था।

३ अंग्रेज पिट्ठू सरबराह

सिख पथ के माथे पर सबसे ज्यादा कालिख लगने वाली बात यह थी कि अकाल तख्त और दरबार साहब की तरफ स देशभक्तो के कातिलों को प्रशंसा पत्र द रहा था और जनता म उनकी साख बहाल करन म लगा रहता था। अंग्रेज अफसरो न दरबार साहब के इन सरबराहो पिट्ठुओ को लोगो का गुस्सा ठडा करने के लिए कई बार इस्तेमाल किया। 'इस मनजर के रहते हुए अकाल तख्त पर कामागाटामारू के सिखो की मुजम्मत की गयी। मार्शल-लॉ के दिनो मे दरबार साहब स जनरल डायर को सरोपा दिया गया—उस दरबार साहब स जिसमे महाराजा रणजीत सिंह का एक गैर सिखी

१ सी एम किंग का रिपोर्ट टु गवर्नमेन्ट आफ इंडिया, होम, दिनाक २६ मार्च, १९२१

काम करने के लिए सजा दी गयी थी।'' और, इसी सरबराह के वक्त अकाल तख्त से गदर पार्टी के दल की आजादी के लिए लड़ रहे योद्धाओं के खिलाफ "अशिष्ट होने के फतवे दिए गए थे और सिखों को अंग्रेज भक्ति और सरकारी वफादारी का समर्थक बना दिया गया था।

अंग्रेज हाकिमों के जो मान हुए पिट्ठू पुजारी, सिख उसूलों के खिलाफ जो चाहे बकवास कर सकते थे। सिख कितना भी वावेला मचायें इन पुजारियों को कोई आंच नहीं आती थी। एक पुजारी ने यहां तक कह दिया कि मैं कड़ाह प्रसाद में तम्बाकू मिलाऊंगा। यह सिखों मर्यादा की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। सिखों की जबरदस्त प्रोटेस्ट के बावजूद उसे दरबार साहब से नहीं निकाला जा सका। एक और पुजारी को—जिसके भ्रष्टाचारी होने के कारण उस दरबार साहब से निकाल दिया गया था और जिसे अदालत से सजा मिल चुकी थी—मैनेजर ने डिप्टी कमिश्नर के साथ मशविरा करके, फिर से बहाल कर लिया था। इससे पुजारी एक ही नतीजा निकाल सकते थे। वह यह कि वे बेशक सिखों के खिलाफ रहें, उनकी कोई बात न सुनें अंग्रेज हाकिम उनकी पीठ पर हैं व उन्हें किसी किस्म की आंच नहीं पहुंचने देंगे।

सरदार अरूड़ सिंह के सरबराहा प्रबंध के विरुद्ध सिख शिकायत करते करते थक गए थे। कितनी ही गम्भीर शिकायतें क्यों न हों, वह किसी की बात नहीं सुनता था। मिसाल के तौर पर पुजारी अपने अपने फर्ज पूरी तरह नहीं निभाते थे, वक्त पर हाजिर नहीं होते थे, कई बार अपनी जगह किसी और बंदे को भेज देते थे—ये सब बातें श्रद्धालु सिख उसको बताते पर उसके कानों पर जूं न रेंगती। वह पुजारियों की किसी भी बुराई की निंदा नहीं करता था सजा देनी तो अलग बात रही। उसमें किसी को झिड़कने तक का साहस नहीं था और गुरुद्वारों का प्रबंध बद से बदतर होता जाता था। लगता है कि वह खुद भी साफ नहीं था एबों से खाली नहीं था, जिसके कारण उसका किसी को भी कुछ कहने का हौसला नहीं पड़ता था।

दरअसल असली सरबराह सरदार अरूड़ सिंह नहीं, बल्कि जिले का डेपुटी कमिश्नर था। श्रद्धालु सिखों और पुजारियों के दरम्यान तकरार बढ़ती बढ़ती झगड़े तक पहुंच जाती फसाद होने वाला होता, तो डेपुटी कमिश्नर पहुंच जाता और समझा बुझा कर झगड़ा टाल देता। लेकिन मसला वहीं का वहीं बना रहता। एक दो इक्का की बात नहीं थी, आवे का आवा ही निकम्मा हो चुका था। झगड़े हुए कुछ देर के लिए टले, फिर शुरू हो गए। कई शताब्दियों से गुरुद्वारा में धर्म, सदाचार इन्सानी सभ्य आचार और मानवतावादी गुणों का

१ दि गुरुद्वारा रिफार्म मूवमेंट, प्रो तेजा सिंह पृ १४८

लगातार भट्ठा बैठ रहा था। इन गुरुद्वारों से लोग सेवा भाव, कुर्बानी के लिए उत्साह आत्म-गौरव और ऊंचे सदाचार की शिक्षा लेकर नहीं जाते थे बल्कि गंदे गीत, बदमाशी के टप्पे और स्त्रियों के साथ छेड़खानी करने के ढंग सीख कर जाते थे। ये हालात देख कर कई श्रद्धालुओं ने अमावस पर दरबार साहब और तरनतारन जाना ही छोड़ दिया।

तरनतारन के पुजारियों के इस बारे में पत्र की तो आखिरी हद हो चुकी थी। ग्रंथियों और पुजारियों की जुबान में तोता रटत की तरह बार-बार यही निकलता था—'लोगों की दूकानों की तरह यह दरबार साहब भी हमारी दूकान है'[1] इसका अर्थ यह था कि वे दरबार साहब में अपनी मर्जी का सौदा बेचेंगे—राम कर वह सौदा जिसमें उन्हें अच्छा-खासा लाभ हो। और एक ग्रंथी के पुत्र ने तो जो कुछ नहीं कहा जा सकता था, वह भी कह दिया। उसने कहा 'अगर औरतें दरबार साहब आयेंगी तो हम उनकी बेइज्जती करेंगे। अतः जिनको जरूरत है दरबार साहब में औरतें भेजें जिन्हें शर्म है वे न भेजें,' वगैरा।[2]

भाई मोहन सिंह जी वैद्य तरनतारन ने सरबराह से हालत सुधारने की बड़ी मिन्नतें कीं और दूरदर्शी सूझ के साथ कहा 'यह सरबराही सदा नहीं रहेगी, केवल यह समय याद रह जायगा।'[3]

४ लोगों की जीत

और यह सरबराही उसको बड़ी बेइज्जती के साथ छोड़नी पड़ी। एक पुजारी ने प्रातःकालीन सेवा अकाल तख्त अमृतसर में न की। श्रद्धालु सिखों के पूछने पर उसने उनको बुरा भला कहा। श्रद्धालु लोग सरबराह के घर पर गये और उसको सारा माजरा कह सुनाया। उसने वचन दिया कि वह खुद अगले दिन प्रातःकालीन सेवा के समय आयगा और पुजारी से मुआफी मंगवायगा। लेकिन वह अगले दिन पहुंचा ही नहीं।

अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। बरदाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी। श्रद्धालु सिखों ने सरबराह से कोई वास्ता न रखने का फैसला किया और संग्राम का रास्ता अख्तियार कर लिया। सरबराह और पुजारियों के खिलाफ सिखों ने मुजम्मत के प्रस्ताव पास करने शुरू कर दिये। सिख स्त्रियों ने अपने तौर पर एजीटेशन शुरू कर दी। सरबराह के लापरवाह और कड़े

१ जीवन, भाई मोहन सिंह वैद्य पृ १७८
२ वही, पृ १७५
३ वही, पृ १७४

रवैये के विरुद्ध एक दीवान दरबार साहब की परिक्रमाओं में रखा गया। डेपुटी कमिश्नर ने परिक्रमा में पुलिस भेज दी, ताकि दीवान न होने दिया जाय। डेपुटी कमिश्नर की इस मूर्खता ने लोगों में और जोश पैदा कर दिया। उन्होंने नतीजों की कोई परवाह न करके एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें बड़ी जोशीली तकरीरें की गयीं और डेपुटी कमिश्नर तथा सरबराह के खिलाफ अविश्वास और निन्दा के प्रस्ताव पास किये गये। इन प्रस्तावों ने लोगों का गुस्सा और भी भड़का दिया।

अब डेपुटी कमिश्नर को कुछ होश आया। लेकिन कुछ ही, पूरा नहीं। लोग सरबराह से इस्तीफे की माँग कर रहे थे। डेपुटी कमिश्नर ने उसको दो महीने की छुट्टी दे दी—उसी तरह जिस तरह एक सरकारी संस्था में बड़ा अफसर छोटे को छुट्टी देता है। लेकिन लोग अब सरबराह को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। वे उससे इस्तीफे की माँग कर रहे थे। रोज ब रोज एजीटेशन का जोर बढ़ता जा रहा था। एक दीवान में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया कि अगर सरबराह २९ अगस्त तक इस्तीफा नहीं देगा तो उसकी अर्थी—स्यापा करने और जुलूस निकालने के बाद—आग की भेंट की जायगी।

इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग में आम जलसे होते थे। एक बहुत बड़ा जलसा इस बाग में सरबराह की अर्थी जलाने के प्रसंग में हो रहा था। अब उसे अपनी इखलाकी मौत साफ नजर आने लगी। वह अपनी गलती माफ कराने के लिए खुद जलसे में हाजिर हुआ, गले में पल्ला डाल कर अपनी गलतियों की माफी मांगी और एलान किया कि मैं सरबराही से इस्तीफा देता हूं।

सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट में इस घटना के संबंध में इस प्रकार लिखा गया "दरबार साहब के सरबराह का मातमी जुलूस निकाल कर खुले आम उसे बइज्जत करने के प्रबंध किये गये। सरबराह एजीटेशन के सामने झुक गया और उसने सिक्खों से माफी मांगी। इसीलिए अर्थी का जुलूस तो न निकाला गया लेकिन सुधारक पार्टी ने निर्णायक जीत हासिल कर ली।[1]

लोगों के एके और इत्तहाद की यह एक बड़ी जीत थी। डेपुटी कमिश्नर ने अब गुरुद्वारे का नया सरबराह स० सुन्दर सिंह रामगढ़िया को मुकर्रर किया।

५. दरबार साहब पर कब्जा

इन दिनों एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जिसने दरबार साहब के प्रबंध में तब्दीली लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। किसी के ख्याल में भी यह

१ गवर्नमेंट आफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी सी० एम० किंग की खुफिया रिपोर्ट, लाहौर, २६-३-१९२१

नहीं था कि इस घटना के इतने दूरगामी नतीजे निकलेंगे और दरबार साहब के प्रबंध में बिल्कुल तब्दीली हो जायगी।

अमृतसर में कुछ दिनों से एक जबरदस्त काम चल रही थी जिसका नाम "खालसा बिरादरी" था। इसका रहनुमा एक साधारण, मिष्टभाषी सिख महताब सिंह था जो गुरु कूचिया बाजार का काम करता था और जिसने चमारों और दूसरी पिछड़ी श्रेणी के लोगों को सिंह बनाकर छुआछूत मिटाने की ठानी थी। १२ अक्तूबर १९२० को 'खालसा बिरादरी' की तरफ से जलियांवाले बाग में कुछ मजहबियों और चमारों को 'अमृत छकाया गया' और फैसला किया गया कि नए सिखों को ले जाकर दरबार साहब में मत्था टिकाया जाय और कड़ाह प्रसाद चढ़ाया जाय।

"खालसा बिरादरी" ने इस अवसर पर दरबार साहब में पहुंचने के लिए कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों और जत्थों को भी निमंत्रित किया था। खालसा कालेज के तीन प्रोफेसर श्री तेजा सिंह, बाबा हरकिशन सिंह और श्री निरंजन सिंह इसमें शामिल हुए थे। ये प्रोफेसर गुरुद्वारा सुधार और सिखों के मामले में दिलचस्पी लेते थे। इस ऐतिहासिक घटना का आंखों देखा वर्णन प्रो. निरंजन सिंह ने इस प्रकार किया है :

'इन सिखों ने दरबार साहब में जाकर 'कड़ाह प्रसाद' चढ़ाया। लेकिन पुजारी अरदास करने को तैयार नहीं थे। कहने लगे—मजहबी सिखों के लिए ६ बजे तक का वक्त नियत है इसके बाद उनकी अरदास नहीं हो सकती। बाबा जी ने उठ कर पहले पुजारी से और उसके बाद गुरबचन सिंह ग्रंथी से जो गुरुग्रंथ की सेवा में बैठा था, इन सिखों की ओर से अपील की कि अरदास करके कड़ाह प्रसाद बांट दीजिए। लेकिन वे न माने। फिर उन्होंने कहा—अगर आप नहीं बांटते तो हम गुरु अरदास करके कड़ाह प्रसाद बांट देंगे। बाबा जी की यह बात मुझे अच्छी न लगी। इतने में बाहर से 'सत श्री अकाल' की जयकारा की आवाज आयी। कुछ क्षण में ही सरदार करतार सिंह झब्बर, तेजा सिंह चूहड़काणा और तेजा सिंह भुच्चर हाथों में टकुवे लिए हुए अन्दर आ गये। आते ही उन्होंने पांच जयकारे बोले जिसके साथ सारा दरबार साहब गूंज उठा और वातावरण ही बदल गया।"[1]

प्रो. निरंजन सिंह जी के जोर देने पर गुरु अरदास करने और कड़ाह प्रसाद बांटने की बात रह हो गयी। फैसला यह हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब से वाक्य लिया जाय। वाक्य लिया गया। यह वाक्य 'मनूर नू कंचन वणाण' के

१ अकाली लहर दियां कुछ यादां प्रिंसिपल निरंजन सिंह रोजाना जत्थेदार, इतवार, २० अगस्त १९६७

रवैये के विरुद्ध एक दीवान दरबार साहब की परिक्रमा में रखा गया। डेपुटी कमिश्नर ने परिक्रमा में पुलिस भेज दी ताकि दीवान न होने दिया जाय। डेपुटी कमिश्नर की इस मूर्खता ने लोगों में और जोश पैदा कर दिया। उन्होंने नतीजा की कोई परवाह न करके एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें बड़ी जोशीली तकरीरें की गयी और डेपुटी कमिश्नर तथा सरबराह के खिलाफ अविश्वास और निन्दा के प्रस्ताव पास किये गये। इन प्रस्तावों ने लोगों का गुस्सा और भी भड़का दिया।

अब डेपुटी कमिश्नर का कुछ होश आया। लेकिन कुछ ही, पूरा नहीं। लोग सरबराह से इस्तीफे की माग कर रहे थे। डेपुटी कमिश्नर ने उसको दो महीने की छुट्टी दे दी—उसी तरह जिस तरह एक सरकारी संस्था में बड़ा अफसर छोटे को छुट्टी देता है। लेकिन लोग अब सरबराह को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। वे उससे इस्तीफे की माग कर रहे थे। रोज-ब-रोज एजीटेशन का जोर बढ़ता जा रहा था। एक दीवान में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया *कि अगर सरबराह २६ अगस्त तक इस्तीफा नहीं दे देगा तो उसकी अर्थी—स्यापा करने और जुलूस निकालने के बाद—आग की भेंट की जायगी।*

इन्हीं दिनों जलियावाले बाग में आम जलसे होते थे। एक बहुत बड़ा जलसा इस बाग में सरबराह की अर्थी जलाने के प्रसंग में हो रहा था। अब उसे अपनी इखलाकी मौत साफ नजर आने लगी। वह अपनी गलती माफ कराने के लिए खुद जलसे में हाजिर हुआ गले में पल्ला डाल कर अपनी गलतियों की माफी मांगी और एलान किया कि मैं सरबराही से इस्तीफा देता हूं।

सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट में इस घटना के संबंध में इस प्रकार लिखा गया 'दरबार साहब के सरबराह का मातमी जुलूस निकाल कर खुले आम उसे बइज्जत करने के प्रबंध किये गये। सरबराह ऐजीटेशन के सामने झुक गया और उसने सिखों से माफी मांगी। इसीलिए अर्थी का जुलूस तो न निकाला गया लेकिन सुधारक पार्टी ने निर्णायक जीत हासिल कर ली।'[1]

लोगों के एके और इत्तहाद की यह एक बड़ी जीत थी। डेपुटी कमिश्नर ने अब गुरुद्वारे का नया सरबराह स. सुन्दर सिंह रामगढ़िया को मुकर्रर किया।

५ दरबार साहब पर कब्जा

इन दिनों एक ऐसी एतिहासिक घटना घटी जिसने दरबार साहब के प्रबंध में तब्दीली लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। किसी के ख्याल में भी यह

१ गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी सी एस किंग की खुफिया रिपोर्ट, लाहौर, २६ ३ १९२१

नहीं था कि इस घटना के इतने दूरगामी नतीजे निकलेंगे और दरबार साहब के प्रबंध में बिल्कुल तब्दीली हो जायगी।

अमृतसर में कुछ दिनों से एक संस्था काम कर रही थी जिसका नाम खालसा बिरादरी था। इसका रहनुमा एक साधारण मिष्टभाषी सिख महताब सिंह था जो सुर्ख दुनिया बनाने का काम करता था और जिसमें चमार और दूसरी पिछड़ी श्रेणी के लोगों को सिंह बनाने और इन्साफ दिलाने की लगन थी। १२ अक्तूबर १९२० को खालसा बिरादरी की तरफ से जलियांवाले बाग में कुछ मजहबियों और चमारों का अमृत छकाया गया और फैसला किया गया कि नये सिंहों को ले जाकर दरबार साहब में मत्था टेकाया जाय और कड़ाह प्रसाद चढ़ाया जाय।

खालसा बिरादरी' ने इस अवसर पर दरबार साहब में पहुंचने के लिए कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों और लोगों को भी निमंत्रित किया था। खालसा कालेज के तीन प्रोफेसर श्री तेजा सिंह, बाबा हरकिशन सिंह और श्री निरंजन सिंह इसमें शामिल हुए थे। ये प्रोफेसर गुरुद्वारा सुधार और सिक्खों के मामले में दिलचस्पी लेते थे। इस ऐतिहासिक घटना का आंखों देखा वर्णन प्रो निरंजन सिंह ने इस प्रकार किया है

'इन सिंघों ने दरबार साहब में जाकर 'कड़ाह प्रसाद' चढ़ाया। लेकिन पुजारी अरदास करने को तैयार नहीं थे। कहने लगे—मजहबी सिंघों के लिए ६ बजे तक का वक्त नियत है इससे पहले उनकी अरदास नहीं हो सकती बाबा जी ने उठ कर पहले पुजारी से और उसके बाद गुरबचन सिंह ग्रंथी से जो गुरुग्रंथ की सेवा में बैठा था बड़े मीठे शब्दों में अपील की कि अरदास करके कड़ाह प्रसाद बांट दीजिए। लेकिन वे न माने। फिर उन्होंने कहा— अगर आप नहीं बांटते तो हम खुद अरदास करके कड़ाह प्रसाद बांट देंगे। बाबा जी की यह बात मुझे अच्छी न लगी। इतने में बाहर से 'सत श्री अकाल' की जयकारों की आवाज आयी। कुछ क्षण में ही सरदार करतार सिंह झब्बर तेजा सिंह चूहड़काणा और तेजा सिंह भुच्चर हाथों में टकुवे लिए हुए अन्दर आ गये। आते ही उन्होंने पांच जयकारे बोले जिसके साथ सारा दरबार साहब गूंज उठा और वातावरण ही बदल गया।'[1]

प्रो निरंजन सिंह जी के जोर देने पर खुद अरदास करने और कड़ाह प्रसाद बांटने की बात रद्द हो गयी। फैसला यह हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब से वाक्य लिया जाय। वाक्य लिया गया। यह वाक्य मनूर नू कंचन बणाए' के

१ अकाली लहर दियां कुछ यादां प्रिंसिपल निरंजन सिंह रोजाना जत्थेदार, इतवार, २० अगस्त १९६७

लडाई लटने वाले ढग के आन्दोलन को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर चुके थे। उन्होंने अब नयी साजिशें रचनी शुरू कर दी।

नये सरबराह सरदार सुदर सिंह रामगढ़िया को इस घटना की, और पुजारियो तथा ग्रथियो के अकाल तख्त से भाग जाने और तख्त को खाली छोड जाने की बेअदबी की खबर दी गयी। उसके जरिये पुजारियों को आकर इस बेअदबी के लिए मुआफी मागने के लिए कहलाया गया। लेकिन वे पुजारी नये सरबराह के बुलाने पर भी नहीं आये।

अगले दिन, १३ अक्तूबर को, डेपुटी कमिश्नर ने सरबराह और कुछ प्रसिद्ध सिखो को अपनी कोठी पर बुलाया। उसने ग्रथियो और पुजारियो को भी साथ ही बुला लिया, ताकि नये पैदा हुए हालात पर विचार किया जाय। लेकिन पुजारी उसके बुलाने पर भी न पहुचे। डिपुटी कमिश्नर ने ६ सुधार-वादियो (सरदार सुदर सिंह रामगढिया सरबराह, प्रो तेजा सिंह और बावा हरकिशन सिंह खालसा कालेज, भाई दवा सिंह सेक्रेटरी सिंह सभा, बहादुर सिंह हकीम, तेजा सिंह भुच्चर करतार सिंह झब्बर, चन्दा सिंह पथ सेवक और डा गुरबख्श सिंह) की, जिनमे खुद सरबराह भी शामिल था, एक आरजी प्रबध कमेटी बना दी और कहा कि यह कमेटी तब तक काम करेगी, जब तक पक्की प्रबध कमेटी नही बना दी जाती।

कमेटी बन जाने के बाद पुजारियो और ग्रथियो को होश आया कि उनके हाथो से रोजगार छिन गया है। उन्हे ब्रिटिश राज की सेवा पर बडा गर्व था। वे अफसरो के इशारे पर सारे सिख पथ को कुछ नहीं समझते थे। उन्हे आशा और विश्वास था कि डेपुटी कमिश्नर के हाथो उनके हित (स्वार्थ) सुरक्षित हैं। मगर यह आशा और विश्वास गलत साबित हुए। उनके हाथो से अकाल तख्त का राज छिन गया।

अब उन्होंने साजिशें रचने का रास्ता अपनाया। मरता क्या न करता। वे दौडे-दौडे बूढा दल के निहग सिंहो के पास गये। उनके पास अपना रोना रोया—पता नहीं क्या कह कर उनके कान भरे और उन्हें अकाल तख्त पर हमला करके कब्जा करने को उकसाया। निहग सिंहो ने यह जरूरत भी न समझी कि दूसरी तरफ से मिल कर सारे हालात का पता तो कर लिया जाय—जत्था बना कर वे अकाल तख्त पर कब्जा करने के लिए आ गये। खीचा-तानी से बढ कर सकट की सी स्थिति पैदा हो गयी। १५ अक्तूबर का दिन था। निहग हमला करने की तैयारियो में जुटे थे कि बाबा मेहर सिंह जी पट्टी (जिला अमृतसर) ने बीच मे पड कर मौके को सम्भाल लिया। बाबा जी ने निहग सिंहों को पुजारियो की गद्दारी की सारी कथा खोल कर सुनायी। बाबा जी पुराने, बुजुर्गों वाले बडे दाव पेंच जानते थे। उनकी जुबान बडी मीठी और

रस भरी थी और वेस भी बडा मजबूत था। उन्होंने निहग सिहा का ठडा कर लिया। प्रेरणा देकर पुजारियो के अकाल तख्त छोड कर भाग जाने की निन्दा करने और जब तक पथ का इकट्ठा होकर कोई फैसला नही हो जाता तब तक वर्तमान प्रबध को चलने देने के लिए निहग सिंघो को तैयार कर लिया। निहग मान गय और वापस चले गये।

लेकिन दीवाली वाली रात को कुछ निहग सिंह फिर से जत्था बना कर आये और फसाद करने के लिए आस्तीनें चढाने लगे। वे अकाल तख्त पर कब्जा करना चाहते थे। इस बार बाबा केहर सिंह जी की प्रेरणा शक्ति भी असफल हो गयी। कुछ दूसरे सज्जनो ने भी उन्ह फसाद करने से रोकने के यत्न किये, लेकिन सब निष्फल हो गये। जब वे कोई बात न माने तो जत्थेदार अकाल तख्त ने हुकार कर कहा—'अच्छा, आ जाओ! देख लो मजा!" इस चैलेंज ने उनके कान ढीले कर दिये और वे चुपचाप वहा से खिसक गये।

अब कुछ दिनो तक शाति रही।

६ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी

अकाल तख्त पर कब्जे और अकाली जत्थो के वजूद मे आने के कारण केन्द्रीय जत्थेबदिया कायम करने के हालात पदा हो गय। अराजकता, गुडागर्दी, वगैरा को रोकने के लिए, गुरुद्वारो के केन्द्रीय प्रबन्ध और जत्थो को अनुशासन मे रखने के लिए, केन्द्रीय जत्थेबदिया का कायम करने का वक्त आ गया था। इस जरूरी काम के प्रति लापरवाही पथ के लिए बडी हानिकारक साबित हो सकती थी। भिन भिन जत्थो म परस्पर विरोध पैदा हो जाने का खतरा था, जिसस अग्रेज हाकिमो के हाथो म खेलने के लिए रास्ता साफ हो सकता था। दनिक अकाली केन्द्रीय जत्थेबदियो को वजूद म लाने पर बडा जोर दे रहा था।

इस कमी को पूरा करने के लिए १५ नवम्बर १९२० का सिखो की सामूहिक प्रतिनिधि जत्थेबदियो की एक कान्फ्रेंस जत्थेदार अकाल तख्त की ओर से अमृतसर मे बुलायी गयी। इसम शामिल होने के लिए निमत्रण पत्र तख्तो सिंह सभाओ, गुरुद्वारो, फौजो कालेजो, स्कूलो, सिख रियासतो को—सक्षेप मे हर सिख सम्प्रदाय को—भेजे गये। इस कान्फ्रेंस का निमत्रण सब पहलुओ पर विचार कर बगर किसी भेद भाव के, दिया गया था ताकि किसी सम्प्रदाय के सिख को कोई शिकायत न रहे। अकाल तख्त का निमत्रण हुक्मनामे का दर्जा रखता था।

अकाली और दूसरे पथक अखबारो ने १५ नवम्बर के जमाव के लिए जोरो से प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन सरकारी अफसर भी चुप नही बैठे थे। वे नये पैदा हुए हालात से निबटने के लिए पजाब सरकार के सेक्रेटेरियट और गवनर के साथ मिल कर पालिसी बना रहे थे और गवनर चिट्ठियो पत्रो द्वारा—

श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर
यहाँ से शान्तमई का प्रण लेकर जत्थे भेजे जाते थे।

(SGPC)

और मिल कर भी—गवर्नर जनरल (वायसराय) के साथ इस पॉलिसी के बारे मे मशविरे करके मजूरी ले रहे थे। गुरद्वारो के अहम प्रबध के विषय मे कोई डेपुटी कमिश्नर या कमिश्नर अकेला फैसला नही ले सकता था। ऐसे अहम फसले "मुकामी' (सूबायी) सरकार भी केन्द्रीय सरकार के साथ सलाह मशविरा करके ही लेती थी और केन्द्रीय सरकार द्वारा लदन के इडिया हाउस को हर फैसले की जानकारी भेजी जाती थी।

अग्रेज सरकार के कायक्रम से अनभिज्ञ हाने के कारण ही कई बार यह प्रचार किया जाता था कि ये अफसर ही हैं[1] जो गुरद्वारा का सुधार नही होने देना चाहते और सिखा के साथ दुश्मनी बरतते हैं—यानी सामूहिक सरकार नही। ये बातें बसमझी के कारण की जाती थी। गवनर पजाब के और वायसराय हिदुस्तान के छोटे और बडे ईश्वर थे। उनकी मोहर लगे बगर कोई पालिसी तय नही हो सकती थी। अकाली ते प्रदेसी अखबार भी कई बार अफसरा के जुल्म को निजी फैसला कहने लगता था। लेकिन किसी बडी राजनीतिक या धार्मिक तहरीक स किस तरह निबटना है—इस मामले मे केन्द्र के मशविरे के बाद ही पजाब सरकार का आखिरी फैसला होता था, जो हरेक अफसर को मानना पडता था।

पजाब सरकार की नई पालिसी अब यह थी कि पिछले कुछ मोहरे पिट रहे हैं और पिट गये हैं, वे अब काम नही दे सकते—इसलिए गुरुद्वारा प्रबध को हाथ म रखने के लिए कोई और दाव खेलो। इस दाव खेलने वाली पालिसी का प्रकट रूप १५ नवम्बर के पथक जमाव स दो दिन पहले सामने आया। सरकार ने उस महाराजा पटियाले के साथ मशविरा करके ३६ आदमियो की एक गुरद्वारा प्रबधक कमेटी पेश कर दी जो सरकार का 'फरजदे अरजमद' और 'पाचा ऐब सरई' था। इस कमेटी म सिखो के आसू पोछने के लिए कुछ लोग सुधारवादियो मे से भी ले लिये गये। लेकिन ज्यादा गिनती वफादारा की थी।

३६ आदमियो की यह कमेटी बनाने के दो मकसद थे एक—सिखों को जत्थेबद होने से रोकना, दूसरा—सिखो म फूट डाल कर 'जी हुजूरो' द्वारा गुरुद्वारा पर अपना कब्जा जमाये रखना। लेकिन गुरद्वारा प्रबधक कमेटी ने सरकार की यह चाल नाकाम कर दी। सरकार ने इसे अपनी मर्जी के खिलाफ एक चुनौती समझा और यही चुनौती अगली घटनाओ का स्रोत बन गयी।

१५ और १६ नवम्बर को दो दिन अकाल तख्त के ऊपर पथक एकत्र हुआ। इसके प्रतिनिधि होन की और सिखा की शर्तें पूरी करने की, पडताल पहले हो चुकी थी। यह सिख इतिहास मे पहला जमाव था जो सिख राज के

१ अकाली ते प्रदेसी, २७ अक्तूबर १९२२

था। सबसे बड़ा प्रतिनिधि और पुजारियों का गढ़ समझा जाता था। इसने भिन्न भिन्न राजनीतिक, धार्मिक और समाज सुधार विचारों के लोगों ने भाग लिया और उन्होंने गुरुद्वारों के सुधार के बारे में सर्वसम्मति से प्रस्ताव किये। अंग्रेज-सरकार पंजाबियों के कारण चीफ खालसा दीवान अब तक बहुत बदनाम हो चुका था। लेकिन सिखों में अभी गुरुद्वारों का सुधार करने के दांव-पेंचों और तरीकों के बारे में सूझबूझ और व्यावहारिकता पैदा नहीं हुई थी।

१७५ मेम्बरों की एक आम कमेटी जिसका नाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तय हुआ चुनी गयी। इसमें वे ३६ मेम्बर भी शामिल कर लिये गये जिन्हें सरकार ने नामजद किया था। यह कदम उस वक्त बड़ी सूझबूझ का और अंग्रेज सरकार की कूटनीति को मात देने वाला था। इस कदम के कारण कई वहमें जो उठ सकती थीं नहीं उठीं। सम्मेलन बड़े सुहावने और अच्छे वातावरण में हुआ।

चुनाव अकाल तख्त के ऊपर हो चुका था। नीचे दीवान सजा हुआ था और आम लोग ऊपर हो चुकी कारवाई को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता से इन्तजार कर रहे थे। बाबा हरनाम सिंह ने पहले उन लोगों का जिक्र किया जिनकी गलतियां माफ कर दी गयी थीं और उनका नाम लिया जिनको "तनखाहें' (सजायें) लगी थीं। जब वे सजायें मंजूर करने की बातें कर रहे थे, तो सबकी आंखें बार-बार सरदार सुन्दर सिंह मजीठिये की तरफ उठती थीं। लोग जानना चाहते थे कि मजीठिये को पिछले गुनाहों की क्या सजा दी गयी है क्योंकि वह लोगों की नजरों में जी हुजूर और बड़ा स्वार्थी बना हुआ था और सिखों में गदरी इन्कलाबियों के खिलाफ असिख होने के फतवे देने के कारण बड़ा बदनाम हो चुका था।

७ मजीठिये की चालाकी

बाबा जी ने सरदार सुन्दर सिंह की पोजीशन के बारे में सविस्तार बताया। बाद में सुन्दर सिंह ने भरे दीवान में खड़े होकर कहा—"मैंने अब तक जो कुछ किया है—गुरू को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूं—पंथ के भले के लिए अपनी योग्यतानुसार किया है। मैंने कोई बात निजी स्वार्थ के लिए नहीं की। अगर मैंने कोई भूल की है, तो पंथ माफ करे।"[1]

लेकिन यह सब ढोंग की बात थी। उसने कहा कि मैंने तो कोई भूल नहीं की, लेकिन अगर संगत समझती है कि मैंने कोई भूल की है, तो गुरू बख्शिन्द है। उसने गुरू और गुर वाणी का सहारा लेकर लोगों की आंखों में धूल झोंकी

१ अकाली लहिर दा इतिहास, ज्ञानी प्रताप सिंह, पृ १०१

और श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी का प्रधान चुन लिया गया। चीफ खालसा दीवान के पुराने लीडर फिर मुख्य ओहदो पर बैठ गये—लेकिन कुछ समय के लिए ही। सरदार सुन्दर सिंह तो अग्रेज राज के साथ टक्कर होने से पहले ही भाग गया। दीवान के बाकी मेम्बर टक्करा के समय सिर छिपा कर बैठ गये या ढीठो की तरह सरकार की हिमायत करने लगे।

बाद म चुनाव का ऐलान किया गया। चुनाव म चीफ खालसा दीवान के "कुदरती" और खानदानी" लीडर फिर ऊपर आ गये। सरदार सुदर सिंह मजीठिया श्रोमणि कमेटी के प्रधान, सरदार हरबश सिंह अटारी उप प्रधान और सरदार सुदर सिंह रामगढिया सक्रेटरी चुन गये। यह उस वक्त की अस्पष्ट और धुधली स्थिति का प्रकट रूप था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के घर मे घी के दिये जलाये गये क्याकि गुरुद्वारा लहर को काबू म रखने के लिए उनके अपने ही बदे फिर प्रधान, उप प्रधान और सेक्रेटरी बन गये थे। सरकार को एक और 'सबूत' मिल गया कि पथ के असली प्रतिनिधि ये ही 'कुदरती" नेता हैं। पजाब के गवनर ने झटपट सरदार सुदर सिंह का इनाम के तौर पर पजाब सरकार की एक्जेक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर बना लिया, यानी बिल्ली के भागो छीका टूटा। सरदार जी की उमग पूरी हो गयी। उन्हाने न आव देखा न ताव, कुछ समय बाद श्रोमणि कमेटी से इस्तीफा दे दिया और एक्जेक्यूटिव कौंसिल की मेम्बरी की कुरसी पर जा बैठे और सिखा की मार-पीट, कारावास और कत्लेआम म भागीदार बन कर 'गुरु का हाजिर-नाजिर जान कर," सिख पथ की सेवा करने लग।

सरकार की नजरा म 'गुरुद्वारा सुधार लहर अब तक वैधानिक तरीका पर चल रही थी। उदारपथी दल किसी भी तेज मुहिम पर ठडा पानी डालने के लिए काफी मजबूत था। नये साल के आरम्भ म कुछ साहसी अकालियो ने—जिनमे सबसे बदनाम तेजा सिंह चूहडकाणा और करतार सिंह झब्बर थे—गुरुद्वारा पर कब्जे की मुहिम फिर शुरू कर दी। साथ ही, देहाती इलाका म धार्मिक और राजनीतिक प्रचार शुरू कर दिया गया और सिखो के धार्मिक जोश की बडी महनत के साथ परिवरिश की गयी। गुरुद्वारा के सुधार का सवाल सबसे अहम सवाल बन गया और सिखा की वह कमटी, जो शुरु म दरबार साहब के प्रबध के बार मे विचार करने के लिए अमृतसर मे बनायी गयी थी, सिखी मनोरथ के लिए जोश मे आकर सरगर्मी के नये और ज्यादा विशाल क्षेत्र मे दाखिल हो गयी। यह 'श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी' के नाम के अन्तगत जूझने के लिए मैदान म उतर आयी। इसका घोषित लक्ष्य तमाम सिख गुरुद्वारा और धार्मिक सस्थाना का कट्रोल हासिल करना और प्रमाणित तरीका पर उनका प्रबध करना था। इसके उदार विचारा वाले मेम्बरा का कोई

असर या अधिकार नही रहा था। कमेटी, अमली तौर पर, उन अतिवादियो की टोली के कब्जे म चली गयी थी, जिनके लिए धार्मिक सुधार का मनोरथ अतिवादी राष्ट्रीयतावाद स अलग नही था।"[1]

१६२१ के आरम्भ मे ही सरकारी हाकिमो ने अकाली तहरीक का ऊपर दिया लखा जोखा कर लिया था। उ हे इसको बढने स रोकने का बदोबस्त करने की फिक्र हो गयी। उ हे बनी कमटी बना कर सरकार के ३६ नामजद मेम्बरो को शामिल कर देना भी अच्छा नही लगा था क्योकि पहली कमटी ने अकाल तख्त की मीटिंग म सरकार की नामजद सलाहकार ३६ सदस्यीय कमेटी बनाने की हरकत को नापसद किया था और स्पष्ट कहा था कि गुरद्वारा प्रबध के लिए कमेटी बनाने का सरकार का कोई हक नही—यह हक तो सिफ खालसा पथ को है।

श्रोमणि गुरद्वारा प्रबधक कमेटी स्थापित करना बडा महत्वपूण सगठनात्मक कदम था। इसने सिखो की बिखरी हुई ताकत को एक जगह इकट्ठा और मजबूत कर दिया। केन्द्र सगठित हो जाने के साथ आपा धापी का खतरा जाता रहा। श्रोमणि कमेटी के फसले तमाम पथ के फसले मान जाने लगे और अमल म लाये जाने लगे। इस केन्द्र ने जल्द ही फसले तोडन वालो के कान खीचने की ताकत हासिल कर ली। सिख श्रोमणि कमेटी को सम्मान और भय की नजरो स देखने लगे।

लेकिन अकाल तख्त स भाग हुए पुजारी अभी भी विष घोल रहे थे। वे श्रोमणि कमेटी का यह कह कर विरोध कर रहे थे कि यह कमेटी बाकायदा नियमो के अनुसार नही कायम की गयी है—निमत्रण पत्रो पर न अकाल तख्त की मोहर ह न दरबार साहब की अत यह सिखो की प्रतिनिधि नही, इत्यादि। लेकिन नक्कारखाने म इस तूती की आवाज का कौन सुनता ? ये न पथ के रहे, न सरकार के। य वक्त की नमाज गवा कर बक्त की टक्करें मार रह थे। इनके सामने भल्ल पकौडिया या आलू छोल बचन के अलावा और कोई रास्ता नही रह गया था।

●

१ वी डब्ल्यू स्मिथ की रिपोट, फाइल न ४५९ होम पालिटिकल, सकान न १२

चौथा अध्याय

केन्द्रीय अकाली दल

शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की हैसियत और उसलत सिख धार्मिक जत्थे बंदी की थी और इसके कार्यों की परिधि गुरद्वारो के सुधार और सिखों के धार्मिक, सदाचार संबंधी और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा करने तक सीमित थी। राजनीतिक मामले इसके दायरे से बाहर थे। यह बात दूसरी है कि कमेटी के मेम्बरों मे गुरुद्वारा सुधार के प्रश्न पर राजनीतिक और राष्ट्रीय विचार रखने वाले लोग भी शामिल थे और वे सरगर्मी से धार्मिक कामों में भी हिस्सा लेते थे।

लेकिन अकाली जत्थों के मेम्बरों पर कोई पाबंदी नहीं थी। अकाली जत्थे धार्मिक कामों में भी भाग लेते थे और राजनीतिक सरगर्मियों में भी। ये जत्थे अभी तक किसी केन्द्रीय जत्थेबंदी में नहीं पिरोये गये थे। ये अलग अलग इलाकों में बंटे हुए थे। अभी तक ये एक दृढ़ केन्द्रीकृत मजबूत ताकत से जुड़े हुए नहीं थे। आवश्यकता इस बात की थी कि जत्थों को संगठित कर एक प्रभावशाली और ताकतवर केन्द्रीय जत्थेबंदी कायम की जाय, जो तमाम मसलों को हल करने के लिए कारगर हथियार बन सके।

अकाली जत्थों के उद्भव और विकास का अभी तक कोई इतिहास नहीं लिखा गया। हो सकता है कि आगे भी बहुत समय तक न लिखा जाय। आरम्भिक सामग्री ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं। इसके अलावा मेहनत, सूझ और सब्र की जरूरत है। जत्थेबंदी की अच्छी ट्रेनिंग और अमली तजुर्बे के बगैर वैसे भी यह काम करना आसान बात नहीं।

खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार "गुरद्वारा सुधार लहर १९२० की ग्रीष्म और पतझड़ की ऋतु में अस्तित्व में आयी।"[1] उस वक्त तक अकाली अखबार निकल चुका था और गुरद्वारा सुधार का ढिंढोरा पीट रहा था। मेरे ख्याल में गुरुद्वारा सुधार लहर और अकाली जत्था की रूपरेखा बनने के दरम्यान कोई ज्यादा वक्फा नहीं पड़ा—शायद दोनों साथ साथ ही वजूद में

१ वी डब्लू स्मिथ दि अकाली दल, सेक्शन २६, भाग तीसरा

आय हो। अकाली जत्थार सुधार और जत्थेबन्दी दोनों पर जोर दे रहा था। लेकिन जत्था की भर्ती में 'अमृतसर जिला पहला था जहां अकाली भर्ती का काम शुरू किया गया। भादों की अमावस (जुलाई अगस्त) को तरनतारन में सिख लीग की तरफ से एक जलसा हुआ जिसमें अमर सिंह चभाल ने श्रोताओं से अपील की कि दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज की दीवार बनाने के लिए अपने नामों को शहीदों में दर्ज करायें। लगभग ७० ८० सिखों ने अपने नाम लिखाये। अपने भाई जसवंत सिंह, तेजा सिंह भुच्चर और कुछ अप्रसिद्ध अकालियों की मदद से उसने बाद में अकालियों की भर्ती का बाकायदा सिलसिला जारी कर दिया, जिनका फर्ज ननकाना साहब पर कब्जा करना था। *तेजा सिंह भुच्चर के गुरुद्वारा तरनतारन की घटना में पकड़े जाने के बाद* उसकी जगह एक और अकाली ने ले ली और भर्ती पूरे जोश के साथ जारी रही। इस वक्त श्रोमणि प्रबंधक कमेटी से मदद हासिल हो गयी। श्रोमणि कमेटी पर कब्जा प्रमुख तरक्कीपसंद सिखों का था, जिन्होंने खालसे में नया जीवन भरने की पहली बात के रूप में गुरुद्वारा सुधार की एजीटेशन शुरू की थी।" [१]

जत्थेबन्दी की इस लगन ने और जिलों में भी जड़ पकड़ ली। पहले केन्द्रीय पंजाब, और बाद में दूसरी जगहों पर भी, जत्था की भर्ती होने लगी। जत्थबन्दी के बगैर गुरुद्वारा में उग्र सुधार असंभव था और सिखों में यह सूझ किसी हद तक घर कर गयी थी कि जत्थबन्दी जितनी मजबूत और विशाल होगी उतनी ही ज्यादा मदद सरकार द्वारा डाली गयी अड़चनों और मुश्किलों के खिलाफ लड़ने और सुर्खरू होकर निकलने में मिलेगी। जत्था और जत्थेबन्दी की पिछली रवायतें भी जत्थों के कायम करने में बड़ी मददगार साबित हुई और रकाबगंज की दीवार खड़ी करने के लिए शहीदी जत्थे की धड़ाधड़ भर्ती ने जत्था के बनने के काम को तेज कर दिया था।

अस्तु समय आ गया था कि इस बिखरी हुई ताकत को केन्द्रित किया जाय और जत्था के प्रतिनिधियों को बुला कर केन्द्रीय अकाली दल कायम किया जाय। इस उद्देश्य से अमृतसर में १४ दिसम्बर १९२० को जत्थों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई जिसमें सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि अकाली जत्था की केन्द्रीय जत्थबन्दी का नाम श्रोमणि अकाली दल रखा जाय। इसके पहले प्रधान, चभाल भाइयों के तीसरे भाई सरदार सरमुख सिंह जी चुने गये। *केन्द्रीय दफ्तर अमृतसर में ही रखने का फैसला हुआ। सिखों चलन और* *जत्थों का संगठन करने के नियम उप नियम, वगैरा बना लिये गये। केन्द्र में*

१ वही

जत्था की नुमाइन्दगी, कुल मेम्बरशिप की कुछ फी सदी के हिसाब से होनी मञ्जूर हुई। फलत केन्द्र म ज्यादा प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए जिला मे मेम्बरा की भर्ती पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा और थोडे अर्से मे ही श्रोमणि अकाली दल एक सजीव लडाकू और ताकतवर सगठन बन गया।

अकालियो म देश की आजादी और गुरद्वारा के सुधार के लिए जबदस्त जोश और उत्साह था। य नय मुजाहिद पदा हुए ने जो कमरकस्से बाधे, गात्रा मे छोटी-बडी कृपाणें डाले गावा म मिशनरिया जैसी विजयी भावना लकर जाते थे और गावा के गावो को अकाली दल के साथ सबधित करते थे। इनको कोई डर भय नही रहा था। इनका प्यारा गीत था सूरा सो पहचानिये, जो लड दीन के हत, पुर्जा-पुजा कट मर, कबहु न छाडे खेत।" वातावरण म नये जीवन की सुगधि फैलन लगी थी।

अकाली आन्दोलन स पहले सिखा की जिन्दगी पूरी तरह ब्रिटिश राज के अधीन थी। सरदार सुन्दर सिंह मजीठिया के श्रोमणि कमेटी से इस्तीफे के बाद इस अधीनता का बोझ आहिस्ता-आहिस्ता उतरने लगा। १९२१ के पहले कुछ महीना म ही यह अधीनता लगभग पूरी तरह जाती रही और श्रोमणि कमेटी तथा श्रोमणि अकाली दल सिर ऊचा करके अपने मजबूत पैरा पर खडे हो गये।

शुरू शुरू म अग्रेज हाकिमा ने इस तहरीक को बिल्कुल मामूली समझा, उन्होंने इसको नीच जातिया की तहरीक कह कर बदनाम किया। अकालिया की टोलिया के मखौल उडाये। कुछ गुरद्वारा के कब्जा के बाद अकालिया पर चार डाकुआ की तोहमत लगा कर और यह कह कर कि दल म बदमाश और गुड भर्ती हो रहे हैं—उन्ह बदनाम करने के यत्न किये। जब कोई चारा न रहा और ये सब हरबे नाकाम हो गये, तो जिला म जैलदारा और सफेदपोशा को हुक्म भेजे गये—सिखा का अकाली बनन स रोको, इनके जलसे न होने दो और इन पर निगरानी रखो।

१ नये जत्थेदार

केन्द्रीय जत्थबन्दिया के वजूद म आने पर सिखा म स्वाधीनता की भावना जोर पकडन लगी। गुरुद्वारा का भविष्य अपने हाथ मे लेने और उन में हाकिमो का असर और रसूक खत्म करने के विचार दृढ हो गय। सरदार खडक सिंह के श्रोमणि कमेटी का प्रधान बनने के साथ सिखा की बागडोर एक ऐसे रहनुमा के हाथ म आ गयी थी, जो अग्रेज साम्राज्य का कट्टर दुश्मन था और जिसने सिख एजूकेशनल कमेटी की ९वी कान्फ्रेंस (१९१५, तरनतारन) का प्रधान होने

के नाते अग्रेजा के जग म जीत हासिल करन और चिरजीवी राज के प्रस्ताव को फाड कर रद्दी की टोकरी म फेंक दिया था। यह प्रधान, सिखा के साथ अग्रेज हाकिमो की धोखाधडी के इतिहास से अच्छी तरह परिचित था। निजी लाभा की खातिर सिखा को बेचने वाला के खिलाफ यह नफरत करता था। सिखो के गिरे हुए मनोबल को जगान के लिए—मूसला की मार स बफिक्र होकर—हर ओखली म सिर देने के लिए तयार था। सरदार खडक सिंह अकाली तहरीक के वातावरण म पहली पैदा हुई नई बागी भावना का साकार स्वरूप था। उसकी बोल चाल, तकरीरा के जोश, मूछो के ताव और चेहरे के जलाल तक से यह बागी भावना प्रकट होती थी।

आगे चल कर हम दखेंगे कि अकालिया की य दाना श्रोमणि जत्थेबदिया किस तरह एक जबदस्त ताकत बन गयी और किस तरह इन्होने मोर्चे लगा कर अग्रेज साम्राज्य के सम्मान और प्रतिष्ठा को मिट्टी मे मिला दिया। श्रोमणि अकाली दल की जत्थेबदी अग्रेज राज के लिए एक बडा हौआ बन गयी। इसके मेम्बरा के चार चार की कतार में होकर, कदम मिला कर, मार्च करने का हाकिमा ने अग्रेजी राज के लिए बहुत बडा खतरा अनुभव किया। एक तरह की मुकाबले की फौजी जत्थेबदी बता कर इस गैर-कानूनी करार देने के लिए हिंदुस्तान और पजाब दोना की सरकारों के बीच कई बार मशविरे हुए।

२ तरनतारन की घटना

१६२१ का साल बडी शोकप्रद घटनाआ और घमासान सग्रामा का साल था। एक तरफ, अग्रेज अफ्सरो ने गुरुद्वारो की आजादी के सग्रामा को कुचलने का निश्चय कर लिया था, दूसरी तरफ श्रोमणि कमेटी की रहनुमाई म अकाली सिखो ने गुरुद्वारो का सुधार करने के लिए कमर कस ली थी। दोना एक-दूसरे से टक्कर लेने के लिए सग्राम क्षेत्र म जूझने के लिए, तयार हो गय थे। सिखा के पास लडाई का हथियार था—शात रह कर मार खाना और दमन सहना। गवनमेंट के पास दमन चक्र के सारे हथियार थे, जिनको इस्ते माल करके वह सिखा को पीट-पीट कर अग तोड तोड कर साहसहीन और मुर्दादिल करके कुचलना चाहती थी। इसके अलावा गवनमेंट के पास सिखा म फूट डालने के लिए खिताब और ओहदे थे, महता को शह देकर साजिशे रचान का हथियार था, हिंदुओ और मुसलमानो को सिखा के मुकाबले म खडा करने के लिए कई हथकडे और कुटिल चाले थी। इनके मुकाबले म अकालिया के पास जत्थेबदिया की मजबूती और सच्चाई सिखो का दृ एका और हिंदुआ मुसलमानो के साथ गहरा मेल मिलाप और उनकी सरगम इमदाद

हासिल करना था। १६२१ का साल अपनी झोली म एक तरफ नये खतरे लेकर आया था, दूसरी तरफ आगे बढ़ने के नए अवसर लेकर आया था।

नये साल मे सरकार ने सरदार सुन्दर सिंह मजीठिया को और सरदार अरूड सिंह को "सर' (के सी आई ई) के खिताब दे दिये। इस समय असहयोग की तहरीक जोरो से चल रही थी। खिताबो को इज्जत की निशानी नही, बइज्जती की निशानी समझा जाता था। माग की जा रही थी कि खिताबो वाले हिन्दुस्तानी अपने खिताब वापस कर दें। अकाली ने भी यही माग की कि य खिताब वापस कर दिये जायें।[1] कौमी अखबारो ने खिताबो के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा—खिताब उनको मिलते हैं, जो अफसरो के दरवाजो के सामने हाजिरी भरने का नाच नाचते रहते हैं और गिरे हुए तरीके इस्तेमाल करके उनकी खुशनूदी हासिल करते हैं। ये खिताब उन लोगो को मिलते हैं जो जनता का विश्वास गवा बैठते हैं और जिनको जनता नफरत और शक की निगाह से देखती है।

यह टिप्पणी दोनो सरदारो पर कमोबेश एक जैसी लागू होती थी। स अरूड सिंह तो किसी तीन-तेरह म नही था, क्योकि उसका कोई ऐतिहासिक अतीत नही था। लेकिन सरदार सुन्दर सिंह का अपना इतिहास था। वह चीफ खालसा दीवान का कर्ता धर्ता था। उसको यह खिताब सरकार ने अकाली तहरीक से अलग करने और चीफ खालसा दीवान को अकाली लहर के मुकाबले म लाने के लिए दिया था। सरकार इस चाल म पूरी तरह सफल हुई। साथ ही, उसको पजाब एक्जेक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर बना लिया गया और मिस्टर मजीठिया वजीरी की कुरसी पर जा बैठे। जहा की मिटटी थी, वही जा लगी। पहले सर फजल हुसैन और लाला हरकिशन लाल नमक की खान मे जाकर नमक हो गये थे। अब उनमे भी ज्यादा अग्रेज राज का एक और भक्त उसी खान म चला गया। "अमन और कानून की रक्षा" के नाम पर वह असहयोग की राजनीतिक (काग्रेस) और धार्मिक (अकाली और खिलाफती) उठानो को तोडने के लिए अग्रेजो का समथक बन बैठा।

१६२० मे चुभाला साहब का प्रबन्ध एक प्रतिनिधि कमेटी न अपने हाथ म ले लिया था और महन्त को, बदचलन होने के कारण, निकाल दिया था। बाब दी बेर और अकाल तख्त पर कब्जे की गाथा हम पीछे पढ आये है। १८ दिसम्बर को सरदार अमर सिंह चभाल और करतार सिंह झब्बर ने पाठोहार के मशहूर गुरुद्वारे पजा साहब पर एक जत्थे के साथ धावा बोल कर कब्जा कर लिया। गुरु नानक के जन्म दिवस पर इसकी प्रबधक कमेटी चुन

१ अकाली अखबार, लाहौर, ३ जनवरी १६२१

ली गयी और गुरुद्वारा उसके प्रबध के अतर्गत आ गया। १६२० म सुधार लहर की गुरुआत खासी अच्छी हो गयी थी।

३ गुरुद्वारा तरनतारन पर कब्जा

गुरद्वारा तरनतारन की दुरवस्था का जिक्र हम पहले कर आये है। यह भी दस आये हैं कि पुजारी और ग्रथी सब सिखी उसूलो को तिलाजलि दे चुके थे। वे बदमाश और व्यभिचारी बन चुके थे। इसलिए, अकाली तहरीक का ध्यान इस गुरद्वारे के सुधार की तरफ जाना स्वाभाविक था। गुरुद्वारे की परिक्रमा म किसी जत्थे का कीतन करन तक की आज्ञा नही दी जाती थी। गुडा के साथ इन पुजारियो ने भाईचारा कायम कर रखा था। वे यात्रियो की बहू बेटियो को बहू-बेटिया नही, कुछ और समझने लगे थे।

११ जनवरी को स्थानीय सेवक जत्थे ने पुजारियो को सुबह 'आशा दी वार" का कीतन करने की सलाह दी। इस पर पुजारियो ने झट डडे उठा लिये।[1] पहले एक बार गुरद्वारे का दशन करने के लिए फीरोजपुर स आयी हुई महिलाओ को कीतन करने स रोक दिया गया था। पुजारियो ने कैरो (अमृतसर) स आयी महिलाओ के जत्थे को कीतन भी नही करन दिया था। भाई लक्ष्मण सिंह जी (जो बाद म ननकाना साहब म शहीद हुए) महिलाओ का जत्था लेकर आये थे। उनको गुरद्वारे के नजदीक ही नही आने दिया गया। सक्षेप म यह कि परिक्रमा के अन्दर इहोने झूठ, कुसत्य और उपद्रव का राज कायम किया हुआ था।

२४ जनवरी को अकाल तख्त (अमृतसर) के सामने, भरे दीवान म, एक महिला न फरियाद की कि तरनतारन के पुजारियो ने परिक्रमा म स पकड कर मेरे लडके को सरोवर म फेंक दिया मेरी लडकी को मदिर के अन्दर बुरे भले शब्द कहे और धमकिया दी तथा एक हिंदू लडकी की बइज्जती की। य ददनाक बातें सुन कर सिहा म बडा जोश पैदा हो गया और उन्होंने तरनतारन के गुरुद्वारे का सुधार करने का फसला कर लिया।

२६ जनवरी का, अमृतसर से सुबह रवाना होन वाली गाडी पर सवार हो भाई तेजा सिंह जी भुच्चर ४० सिहो का जत्था लेकर ८ बजे तरनतारन पहुच गये। जत्थे को देखते ही पुजारी और ग्रथी क्रोध से लाल हो उठे। वे खूनी काण्ड रचने की तयारिया करने लगे— पलो मे ही व छोटे-बडे कई किस्म के गुप्त और प्रकट टकुव, कुल्हाडिया तीर, बगरा लेकर थी दरबार साहब के अन्दर जा बैठे।[2]

१ जीवन, भाई मोहन सिंह वैद्य, पृ ३६६
२ जीवन, भाई मोहन सिंह वैद्य, पृ ३७१

भाई मोहन सिंह जी वैद्य ने समझौते की बडी कोशिशें की। अकाली जत्थे वाले तो वैद्य की हरेक जायज और उचित बात मान लेते थे, लेकिन पुजारी आपे से बाहर थे। वे कोई बात नही सुनना चाहते थे और फसाद के लिए कमर बाधे हुए थे। शहर को कलक से बचाने के वैद्य जी के तमाम प्रयत्न असफल हो गये।

"रात को ९ बजे के करीब शराबी पुजारी टोला शातिपूर्ण अकाली जत्थे पर टूट पडा। गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दरबार, शहीदी खून से लथपथ हो गया पुजारियो ग्रथियो ने हथियारो का इस्तेमाल करके अपनी जडें काट डाली और गोले मार कर उन्हे जला डाला।"[1] जत्थे ने शातिमय रहने की सौगध खायी थी। वे लोग मुकाबले में हाथ नही उठा रहे थे, कह रहे थे, "मरना है, मारना नही, सहना है पर भाइयो के ऊपर वार नही करना।" जत्था हाथ उठाने वाला होता, तो उनके दस आदमी ही इन कायरो को बकरियो के रेवड की तरह पीट पीट कर भगा देते।

सिंहो को जख्मो पर जख्म लगे। उनमे से कुछ को तो इतने जख्म लगे कि वे मौत के किनारे पहुच गये। अगले दिन भाई हजारा सिंह अलदीनपुर (अमृतसर) जख्मो की ताव न ला सके और शहीद हो गये। पाचवें दिन भाई हुकुम सिंह वसाऊकोट (गुरदासपुर) भी शहीद हो गये। गुरद्वारा को आजाद कराने की तहरीक मे ये सबसे पहली दो शहादतें हुइ।

भाई हजारा सिंह की शहीदी वाले दिन बाहर से कई और जत्थे पहुच गये थे। उन्होंने इन पुजारियो और ग्रथियो को गुरद्वारे मे से निकाल कर दरबार साहब पर कब्जा कर लिया। जत्थे वाले लीडर, पुजारियो से समझौते के वक्त अपनी कुरीतियो को दूर करने, शिरोमणि कमेटी का आदेश मानने और सिखी उसूल ग्रहण करके पुजारी बने रहने की अच्छी शर्तें पेश करते थे, लेकिन उनकी हालत तो 'विनाश काले विपरीत बुद्धि' वाली हो गयी थी।

ये पुजारी अग्रेजो के बलबूते पर मुकाबला करने के लिए मैदान मे आये थे, नही तो इन गये गुजरे लोगो की मजाल ही क्या थी कि पथ के मुकाबले मे खडे होते। अकाली तहरीक शुरू होने के बाद, ये लोग कमिश्नर मि किंग के पास मदद के लिए गये थे।

किंग अमृतसर जिले का काफी दिन तक डेप्युटी कमिश्नर रह चुका था। किंग और पुजारी, दोनो, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। उसने इनको शह दी और कहा—"जरूरत के वक्त सरकार तुम्हारी मदद करेगी।" यह बात अवाम मे फैल गयी। भाई मोहन सिंह वैद्य ने जनवरी के पहले हफ्ते मे

[1] वही, पृ ३७२

मि किंग को एक चिट्ठी लिखी, जिसमे उन्होंने कहा कि आप के बारे मे यहा यह कहा जा रहा है कि आप ने पुजारियो से गुरुद्वारा सुधार के खिलाफ मदद देने का इकरार किया है। आप कृपा करके यह गलतफहमी दूर कीजिए। लेकिन किंग ने इस चिट्ठी का कोई जवाब ही नही दिया। इससे एक ही नतीजा निकल सकता है—"खामोशी—पूरी नहीं, तो आधी रजामदी।"

इस शोकमय घटना की पडताल के लिए पजाब नेशनल काग्रेस ने एक जाच कमेटी बनायी जिसके मेम्बर काग्रेस के तीन प्रसिद्ध लीडर—डा किचलू लाला गिरधारी लाल और लाला भोलानाथ—थे। इस कमेटी के सामने पुजारियो ने अपनी तमाम गलतिया मानी और लिखित मुआफीनामा दिया। इसम उन्होने लिखा "हमारी भूलो को माफ किया जाय और अकाली हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दायर न करे।" लेकिन पुजारियो ने अकालियो के विरुद्ध पहले ही पुलिस थाने मे रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पुलिस को कारवाई करने की हिदायत दी। पुजारियो ने अकालियो के विरुद्ध जबरदस्ती कब्जा (दफा १४५) करने का मुकदमा भी कर रखा था। यह मुकदमा ६ जुलाई १६२१ को खारिज हो गया। लेकिन लडाई के मुकदमे चलते रहे। अकालियो ने मुकदमे की पैरवी की तरफ कोई ध्यान न दिया। मुकदमा बडा लम्बा हो गया। आखिर ६ जनवरी १६२२ को पन्द्रह पुजारियो को तीन-तीन साल की कैद और एक को ५० रुपये जुर्माने की सजा हुई। १५ अकालियो को एक एक साल की कैद और ५० ५० रुपये जुर्माने की सजा मिली। भाई मोहन सिंह जी और हेडमास्टर महताब सिंह को बरी कर दिया गया। सजा पाने वालो मे जथेदार तेजा सिंह भुच्चर भी शामिल थे। सेशन जज ने ये सजायें घटा कर पुजारियो की ६ ६ महीने की और अकालियो की ६ ६ महीने की कर दी।[1]

गुरुद्वारा सुधार की रफ्तार तेज हो रही थी। १४ फरवरी १६२१ का एक जत्थे ने तरनतारन से नौरगाबाद जाकर वहा के गुरुद्वारे का सुधार किया। महत ने पथ की पाबदी मे रह कर सेवा करनी स्वीकार की और समझौते का मसौदा लेकर जत्था वापस आ गया। १८ फरवरी को यहां से ही एक जत्था गडूर साहब के गुरुद्वारे का प्रबध सुधारने के लिए और उसे शिरोमणि कमेटी के मातहत लाने के लिए पहुचा। भाई मोहन सिंह जी वैद्य भी उसके साथ गये। इसका भी समझौता बाकायदा लिखित रूप मे हो गया और जत्था वापस तरनतारन आ गया। साफ जाहिर है कि शुरू मे अकाली तहरीक का मकसद गुरुद्वारा का सुधार करके उन्हें एक केन्द्र के नीचे लाना था पुजारियो को निकालना नही। गुरुद्वारा पर कब्जे, पुजारियो के आकी होने के कारण हुए।

१ ज्ञानी प्रताप सिंह अकाली लहिर दा इतिहास, पृ ११० १११

पांचवां अध्याय

ननकाना साहब का कत्लेआम

ननकाना साहब सिखो के पहले गुरु नानकदेव जी का जन्मस्थान है। इसलिए सिख गुरुद्वारा मे इसका सर्वोपरि स्थान है। इसके नाम पर तीन-चार लाख रुपये की जागीर थी। दरबार साहब अमृतसर और तरनतारन की तरह इस पर भी पिट्ठुओ और जी-हुजूर महता की मारफत अंग्रेज हाकिमो का कब्जा था। लेफ्टीनेंट-गवनर या उसके किसी प्रतिनिधि की मजूरी के बगैर कोई आदमी महत नही बन सकता था।[1]

नारायणदास से पहले के दो महत बदमाश और शराबी थे और दोनो गुप्त बीमारियो के शिकार थे। दोनो ही एक-दूसरे के बाद थोडे अरसे मे ही इन बीमारियो के कारण मर गये। इनको गद्दीदार बनने की स्वीकृति सर माइकेल ओ'डवायर या उसके किसी प्रतिनिधि ने दी थी। ये महत लाखो रुपये की जायदाद को अंग्रेज अफसरो को नजराने और तोहफे के रूप मे दे-दे कर तथा दुराचारी कुकर्म करके बर्बाद कर रहे थे। ननकाना साहब धर्म स्थान नही रह गया था। वह गुडो, बदमाशो, भगेडियो पोस्तियो की परवरिश गाह बन गया था।

सरकारी हाकिमो को इस बात मे कोई दिलचस्पी नही थी कि महत बदमाश हैं और जागीर के चढावे का बेहिसाब रुपया बर्बाद कर रहे हैं जब कि यह रुपया सिखो म शिक्षा और सस्कृति फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। उनकी दिलचस्पी तो इस बात म थी कि गुरुद्वारा को सिख जाग्रति के केन्द्र न बनने दिया जाय और सिख जितने जाहिल, अनपढ और कुकर्मो मे रत रहेंगे उतना ही उनको ब्रिटिश राज की मजबूती के लिए भर्ती करना और अपनी वफादारी मे पक्का बनाना आसान होगा। गुरुद्वारा की अधोगति की यह हालत भर्ती और राज मजबूती की हाकिमो की पालिसी को सफल बनाने म सहायक होती थी।

[1] सर माइकेल ओ'ड्वायर, इडिया एज आई नोउ इट, पृ ३२०

१ महंत की करतूतें

महंत नारायणदास गवर्नर मैकलैगन के नामजदगी में ननकाना साहब का महंत बना। गद्दी पर बैठने से पहले उसने अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने सिख संगत से वादे किये थे कि वह अपने से पहले के महंतों के कुकर्मों और करतूतों को छोड़ देगा—उनके कुकर्म उनके साथ ही चले गये। अगर उसके खिलाफ कोई कसूर साबित हो जायगा, तो वह इस्तीफा दे देगा। यह वादा उसने लिखित रूप में किया था।

लेकिन जल्दी ही नारायणदास अपने वचन भंग कर दिये और पहले के महंतों की दूषित लीक पर चलने लगा। उसने एक मुसलमान मिरासिन अपने घर—गुरुद्वारे के अन्दर ही—बसा ली थी जो पहले महंतों के साथ रही थी और कुछ और आदमियों की भी रखैल थी। उसने उसकी कोख से दो लड़के और दो लड़कियां पैदा किया जिनके लिए उसने रहने के दो घर बनवाये—एक राम गली लाहौर में, दूसरा, ननकाना में। सबसे घृणित बात यह कि अगस्त १९१७ में उसने लाहौर से वेश्यायें मंगवायीं उनके नाच जन्मस्थान के अन्दर कराये और उनसे गंदे गीत सुने। महंत की इस हरकत ने सिख जगत में उसके खिलाफ गुस्से की आग भड़का दी। अखबारों ने महंत की इस करतूत की तीव्र निंदा की। सिंह सभाओं और संगतों ने गुरुद्वारों के सम्मेलनों में इस बेअदबी और सदाचार विरोधी करतूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किये और अपने गुस्से तथा घृणा का इजहार किया। उन्होंने गवर्नमेंट से महंत की इन धर्म विरोधी—सिख मत की मिट्टी पलीत करने वाली—कुरीतियों को रोकने की विनती की। लेकिन किसी विदेशी गवर्नमेंट ने न तो कभी विनतियां सुनी हैं और न इसे सुननी थीं।

इतना ही नहीं। ननकाना दरबार व्यभिचार का अड्डा बन गया था। १९१८ में सिंध का एक रिटायर्ड (ई ए सी) अफसर अपनी पुत्री को साथ लेकर गुरुद्वारे के दर्शन के लिए आया। रात को उसे गुरुद्वारे में ही ठहरने के लिए जगह दी गयी। एक तरफ रहिरास का पाठ हो रहा था दूसरी तरफ एक पुजारी उसकी तेरह साला लड़की की इज्जत लूट रहा था। महंत से पुजारी को दंड देने और उसे गुरुद्वारे से निकालने को कहा गया। लेकिन महंत ने पुजारी के इस जुर्म की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसी साल जड़ावाला (लायलपुर) से ६ महिलाएं पूर्णमासी के दिन चढ़ावा चढ़ाने के लिए आयीं। वे रात को जन्मस्थान के अन्दर ही रहीं। बदमाश पुजारियों ने रात को इन महिलाओं की भी जबरदस्ती इज्जत लूटी।[1] यहां उनके गुनाहों के

१ गुरुद्वारा रिफार्म मूवमेंट एण्ड दि सिख अवेकनिंग, तेजा सिंह पृ २२०-२२२

अम्बार म से सिर्फ दो-तीन नमूने पेश किये गये हैं। ऐसे थे गुनाह और बलात्कार जो जन्मस्थान म ही हो रहे थे—उस स्थान मे जहा झूठ, कुसत्य और गुनाहों के खिलाफ जेहाद करने वाला गुरु नानक पैदा हुआ था।

२, पथ से बागी

अक्तूबर १९२० के शुरू म नगर धारोवाल मे एक बडा भारी दीवान हुआ। महंता की करतूता और उनके दुराचारी प्रबंध से इलाके के सब लोग दुखी थे। रहनुमाओं ने इस गुरुद्वारे म हो रहे पापो का कच्चा चिट्ठा लोगा के सामने पेश किया और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया, जिसमे महंत नारायण दास से अपना और गुरुद्वारे का सुधार करने के लिए कहा। लेकिन महंत तो गलत रास्ते पर चलने वाला बन गया था। वह क्या किसी की अच्छी बात सुनता। इस चडाल चौकडी के पास बेहिसाब रुपया था। ब्याह-शादियों पर कंजरियों का नाच कराने वाले कुछ जागीरदार बंदी उनका समर्थन कर रहे थे। सरकारी हाकिमा के साथ उनके गहरे संबंध थे। इसलिए महंत और उसके सह-अपराधियो ने अपना सुधार करने के बजाय सिख-पथ का मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी। नये उपद्रव कामयाब बनाने के लिए उन्होंने साजिशें रची। बदमाशो, गुडो और लफंगो को शराब पिला कर और तनख्वा दे-देकर गुरुद्वारे के अन्दर मुलाजिम रखा और पवित्र जन्मस्थान को जगी किले म तब्दील करने का साज-सामान तैयार कर लिया।

इस तरह वह सिखो से दूर और बागी होता गया। गुरुद्वारे को वह अपनी जागीर और मिलकियत समझने लगा। बेहिसाब धन दौलत के नशे ने उसको अधा कर दिया। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। वह खोटे-खरे की पहचान करने की शक्ति खो बैठा। अपनी वफादारी और ताबेदारी दिखाने के लिए वह अग्रेज हाकिमो की कठपुतली बन गया और उनकी उगलियो पर नाचने लगा। वह समझने लगा कि जब तक अग्रेज हाकिम उस की पीठ पर है, उसे गुरुद्वारे मे निकालने का साहस कौन कर सकता है!

फलत सिखो और सिख जत्थेबदियो की तरफ से गुरुद्वारे की हालत सुधारने की माग करने वाले प्रस्तावो की उसने कोई परवाह नही की। इन प्रस्तावो को उसने रद्दी की टोकरी म फेंका और गुरुद्वारा सुधार तहरीक का मुकाबला करने की तैयारियो म जुट गया। बाबा करतार सिंह बेदी और सरकारी अफसरो के साथ गहरा सबध रखने वाले कुछ बंदे उसके सलाहकार बन गये। उसने राभा और रिहाणा जैसे दस-नम्बरी बदमाशों को दर्जनों की गिनती म भर्ती करना शुरू कर दिया। इलाके के एक इस्माइल भट्टी को अपने हाथ मे लेकर उसने भट्टी मुसलमानो को भी अपने साथ गाठ लिया।

दूसरी तरफ, इन वदमाशा को हथियारवद करन के लिए उमन जमस्थान के अदर कुल्हाडिया, टकुवे और भाले जसे हथियार बनाने की भट्ठिया चालू कर दी। लोहार अदर आकर लगातार हथियार बना-बना कर महत के इस ब्रिगेड को हथियारवद करने लगे। इस तरह जमस्थान अकालिया को कत्ल करन के हथियार वनाने का कारखाना वन गया। लेकिन शायद य हथियार ही काफी नही थे। कुछ पिस्तौला, कारतूसो और बदूका की भी जरूरत थी। यह सामान महत ने अपने एजेंटा के जरिय लाहौर से खरीदा। अभी भी योजना मे एक कमी रह गयी थी—मारे-काटे गये अकालिया को जला कर भस्म करने के लिए मिट्टी के तेल के पीपा की जरूरत थी। दजनो तेल के पीपे खरीद कर रख लिये गये। भीतर प्रवेश के फाटक भी मजबूत लाहे के वना लिय गये। फाटका मे अदर से बदूकें और पिस्तौलें चलाने के लिए स्थान स्थान पर मोरिया रख ली गयीं, ताकि किसी को दरवाजे के नजदीक आने ही न दिया जा सके। गुरुद्वार के अदर और वाहर कत्लेआम का पूरा-पूरा बदोवस्त कर लिया गया।

लेकिन अभी अकाली लहर के खिलाफ प्रचार का मोचा खाली था। इस मोर्चे को मजबूत करन के लिए महत ने अपने सलाहकारा के साथ मशविरा किया और ननकाना साहव म साधुआ और महता की एक मीटिंग बुलायी। इसम कोई ६० ६५ साधू और सत महत इकट्ठे हुए। उस मीटिंग म वेदी कर तार सिंह भी शामिल था। श्रोमणि गुरुद्वारा प्रवधक कमेटी के सुधार के खिलाफ धुआधार तकरीरें हुइ और फसला किया गया कि श्रोमणि गुरुद्वारा प्रवधक कमेटी का मायता न दी जाय। उन्हाने साधुओ और महता की एक कमेटी कायम कर ली और अपने उद्देश्या के प्रचार के लिए सत सेवक नाम का अखबार निकालने का भी फसला किया। अखवार के और दूसरे खर्चों के लिए, उसी वक्त लगभग ६० हजार रुपया इकट्ठा हो गया। कमेटी का प्रधान महत नारायण दास ननकाना और सेक्रेटरी महत वसत दास गुरुद्वारा माणक चुन लिये गये।

नवम्वर म, गुरु नानक देव के जन्म उत्सव से चार पाच दिन पहले महत ने गुरुद्वारा जमस्थान म हथियारा स लैस लगभग ४०० लडाकू बदमाश इकट्ठे किये और हुक्म दे दिया कि किसी कृपाण वाले सिख को गुरुद्वारे के अन्दर नही जाने दिया जाय। सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल—इलाके का एक प्रसिद्ध पथक दर्दी—अपन गाव के कुछ वदा को साथ लेकर गुरुद्वारे के दशना को आया। महत के कातिलाना इरादा का उसको कोई पता नही था। इत्तिफाक से उस दिन डेपुटी कमिश्नर और सी आई डी का सुपरिटेंडेंट भी गुरुद्वारे के अदर उपस्थित थे। महत के गुडे और बदमाश इनके ऊपर हमला करने

ही वाले थे कि इन अफसरों ने उनको हमला करने से रोक दिया। भाई लक्ष्मण सिंह और उनके साथी बच कर निकल गये।

लेकिन इन अफसरों की तरफ से महंत को कानून हाथ में लेने और अकालियों के कत्ल का षडयंत्र रचने के अपराध में कोई ताड़ना न देना बड़ा अर्थपूर्ण है। अमन और कानून के रखवालों की आंखों के सामने महंत के गुंडे हत्याकांड रचने के लिए तैयार थे। लेकिन अफसरों के मुंह से निंदा या ताड़ना का एक भी शब्द न निकला।

३ महंत को सुधारने के प्रयत्न

अकालियों का कत्ल करने के महंत के इरादे प्रकट हो चुके थे। पंजाब के अखबारों में महंत द्वारा अकालियों का मुकाबला करने की तैयारियों की आम चर्चा हो रही थी। जिले के अफसरों ने इन तैयारियों को अपनी आंखों से देखा था। सच तो यह है कि सी आई डी तथा बेदी करतार सिंह द्वारा उनको बाकायदा सब खबरें मिलती थीं। अकाली लीडर भी आंखें मूंद कर नहीं बैठे थे। वे सब खबर हासिल कर रहे थे और महंत की साजिशों का अखबारों और खुले जलसों में भंडाफोड़ कर रहे थे। २४ जनवरी १९२१ को उन्होंने शिरोमणि कमेटी की मीटिंग करके गुरुद्वारा जन्मस्थान की बिगड़ती स्थिति पर विचार किया और प्रस्ताव पास किया कि ४ ५ और ६ मार्च को ननकाने में सामूहिक खालसा का दीवान होगा, जिसमें महंत को बुलाया जायगा और कहा जायगा कि वह अपना सुधार करे तथा पंथ के अधीन चले। इस सिलसिले में छपा हुआ नोटिस बांटा गया जिसमें पंजाब सरकार, सिख राज्यों और आम सिख संगतों से कहा गया कि वे एक साथ मिल कर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें ताकि गुरुद्वारे का प्रबंध बगैर खून खराबे के पंथ के अधीन हो जाय। शिरोमणि कमेटी ने ६ फरवरी को संगतों के लंगर के प्रबंध के लिए भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल, सरदार दिलीप सिंह सांगला, सरदार तेजा सिंह समुंद्री, करतार सिंह झब्बर और बख्शीश सिंह की कमेटी कायम की। इसको आटा दाना रुपया बगैरा इकट्ठा करने और दीवान के लंगर तथा दूसरी संबंधित चीजों का प्रबंध करने का काम सौंपा गया।

महंत को लगभग सभी बेदी जागीरदारों का समर्थन हासिल था। सरदार सुंदर सिंह मजीठिया पहले से ही सरकार का अपना बंदा था। माल मंत्री बन कर अब वह सरकार का और ज्यादा नमकहलाल बन गया था। महंतों के बारे में सरकार की जो पालिसी थी, कमोबेश वही इस व्यक्ति की पालिसी थी। चीफ खालसा दीवान अंग्रेज साम्राज्य का समर्थक होने के कारण बहुत बदनाम

४ समझौते की बातें

लगता है कि महंत बड़ा चालाक, होशियार तथा साजिशों का गहन में माहिर था। एक तरफ वह सिख लीडरों के कत्ल का बन्दोबस्त कर रहा था, दूसरी तरफ उनके साथ समझौते की बातें भी चला रहा था, ताकि सिख उसकी साजिश को भाप न सकें और भाल पंछियों की तरह जाल में फसाये जा सकें। वह करतार सिंह झब्बर से लाहौर में मिला और समझौते के लिए खुद एक तजवीज पेश की। तजवीज यह थी कि—मैं कमेटी बनाने के लिए सहमत हो जाऊंगा अगर १) मुझे गुरुद्वारे से निकाला न जाय, २) मुझे कमेटी का मेम्बर बना लिया जाय, और ३) तनखा की जगह मुझे गुरुद्वारे की आमदनी से हिस्सा दिया जाय।

करतार सिंह झब्बर ने इसका जवाब यह दिया कि अगर तुम अपना सुधार कर लो, तो तुम्हारी पहली और तीसरी शर्तें स्वीकार की जा सकती हैं। दूसरी शर्त का मानना श्रोमणि कमेटी के हाथ में है। कमेटी से मशविरा करके 'हां' या 'न' में जवाब दिया जा सकता है। झब्बर ने इस बातचीत की रिपोर्ट श्रोमणि कमेटी को दी और कमेटी ने समझौते की बातचीत आगे चलाने के लिए एक सब-कमेटी कायम कर दी, जिसके सदस्य सरदार बूटा सिंह जी वकील शेखूपुरा तेजा सिंह समुन्द्री बाबा केहर सिंह जी पट्टी, प्रो. जाध सिंह और भाई करतार सिंह झब्बर थे। इस सब-कमेटी ने महंत से खरा सौदा दीवान (शेखूपुरा) में पहुंच कर बातचीत करने को कहा।

लेकिन, खरा सौदा में महंत खुद नहीं पहुंचा। उसने वहां अपनी जगह सुन्दर दास, हरी दास और एक-दो और को भेज दिया। उन्होंने वहां एकत्र सिखों को बताया कि महंत खरा सौदा नहीं पहुंचेगा। वह १५ फरवरी १९२१ को बातचीत करने खुद शेखूपुरे आयगा। झब्बर १४ फरवरी की रात को शेखूपुरे पहुंचा तो उसको पता लगा कि महंत वहां भी नहीं पहुंच रहा। वह सरदार बूटा सिंह और झब्बर से मिलने लाहौर पहुंचेगा—यही संदेश देने के लिए महंत जीवन दास वहां गया था। झब्बर और बूटा सिंह नियत तारीख पर लाहौर पहुंच गये। मीटिंग सरदार अमर सिंह—सम्पादक लायल गजट (उर्दू साप्ताहिक)—के दफ्तर में १० बजे होनी नियत हुई थी। उसमें न तो महंत खुद पहुंचा, न उसका कोई और आदमी उसके न आने का कारण बताने पहुंचा। इसलिए बातचीत आगे न बढ़ सकी।

असल में महंत द्वारा समझौते की पेशकश अपनी रणनीति में एक दाव थी, जिसका मकसद सिखों के ऊपर यह प्रभाव डालना था कि वह बिल्कुल पुरअमन है और समझौता करने के लिए तैयार है तथा अखबारों में उसके

४ समझौते की बातें

लगता है कि महंत बड़ा चालाक, होशियार तथा साजिशों को गढ़ने में माहिर था। एक तरफ वह सिख लीडरों के कत्ल का बन्दोबस्त कर रहा था, दूसरी तरफ उनके साथ समझौते की बातें भी चला रहा था, ताकि सिख उसकी साजिश को भांप न सकें और माल पछियों की तरह जाल में फंसाये जा सकें। वह करतार सिंह झब्बर से लाहौर में मिला और समझौते के लिए खुद एक तजवीज पेश की। तजवीज यह थी कि—मैं कमेटी बनाने के लिए सहमत हो जाऊंगा अगर १) मुझे गुरुद्वारे से निकाला न जाय, २) मुझे कमेटी का मेम्बर बना लिया जाय, और ३) तनखा की जगह मुझे गुरुद्वारे की आमदनी में हिस्सा दिया जाय।

करतार सिंह झब्बर ने इसका जवाब यह दिया कि अगर तुम अपना सुधार कर लो, तो तुम्हारी पहली और तीसरी शर्तें स्वीकार की जा सकती हैं। दूसरी शर्त का मानना शिरोमणि कमेटी के हाथ में है। कमेटी से मशविरा करके 'हां' या 'न' में जवाब दिया जा सकता है। झब्बर ने इस बातचीत की रिपोर्ट शिरोमणि कमेटी को दी और कमेटी ने समझौते की बातचीत आगे चलाने के लिए एक सब-कमेटी कायम कर दी, जिसके सदस्य सरदार बूटा सिंह जी वकील शेखूपुरा, तेजा सिंह समुन्द्री, बाबा केहर सिंह जी पट्टी, प्रो० जोध सिंह और भाई करतार सिंह झब्बर थे। इस सब-कमेटी ने महंत से खरा सौदा दीवान (शेखूपुरा) में पहुंच कर बातचीत करने को कहा।

लेकिन, खरा सौदा में महंत खुद नहीं पहुंचा। उसने वहां अपनी जगह सुंदर दास, हरी दास और एक-दो और को भेज दिया। उन्होंने वहां एकत्र सिखों को बताया कि महंत खरा सौदा नहीं पहुंचेगा। वह १५ फरवरी १९२१ को बातचीत करने खुद शेखूपुरे आयेगा। झब्बर १४ फरवरी की रात को शेखूपुरे पहुंचा तो उसको पता लगा कि महंत वहां भी नहीं पहुंच रहा। वह सरदार बूटा सिंह और झब्बर से मिलने लाहौर पहुंचेगा—यही संदेश देने के लिए महंत जीवन दास वहां गया था। झब्बर और बूटा सिंह नियत तारीख पर लाहौर पहुंच गये। मीटिंग सरदार अमर सिंह—सम्पादक लायल गजट (उर्दू साप्ताहिक)—के दफ्तर में १० बजे होनी नियत हुई थी। उसमें न तो महंत खुद पहुंचा न उसका कोई और आदमी उसके न आने का कारण बताने पहुंचा। इसलिए बातचीत आगे न बढ़ सकी।

असल में महंत द्वारा समझौते की पेशकश अपनी रणनीति में एक दांव थी, जिसका मकसद सिखों के ऊपर यह प्रभाव डालना था कि वह बिल्कुल पुरअमन है और समझौता करने के लिए तैयार है तथा अखबारों में उसके

गिलाफ अकालियों को गुमराह करने को जो खबर उड़ रही है वह गलत है। बल्कि अकाली रहनुमाओं का—उनके ही एक मुखबर द्वारा—महन्त के खूनी इरादों का पता चल गया। उन्होंने गहरा मशवरा कर निश्चय किया कि मार्च में होने वाले दीवान से पहले ननकाना साहब में कोई जत्था न पहुंचे।

झब्बर को जब ही यह खबर मिली कि महन्त अकाली लीडरों का कत्ल करने की साजिशें रच रहा है उनके शरीर में आग लग गयी। वह उसी वक्त गुरुद्वारा खरा सौदा की तरफ चले और अपने जत्थे के सदस्यों को बुला कर महन्त की खूनी साजिश की तैयारी के बारे में बताया। उनकी तजवीज थी कि नियत तारीख से पहले ही पहुंच कर जत्थे को महन्त की शैतानी साजिश को पराजित करना चाहिए और गुरुद्वारे पर कब्जा कर लेना चाहिए। फैसला हुआ कि भाई लक्षमण सिंह धारोवाल और भाई बूटा सिंह लायलपुर को भी बुला कर सलाह मशविरा कर लिया जाय। बुलाये जाने पर ये दोनों १७ फरवरी को खरा सौदा पहुंच गये। विचार विनिमय के बाद तय हुआ कि भाई बूटा सिंह १९ फरवरी को सवेरे ननकाना साहब पहुंच जायें और भाई लक्ष्मण सिंह जी अपना जत्था लेकर उसी रात चन्द्रकोट आ जायें—वहां भाई करतार सिंह झब्बर अपना जत्था लेकर उनके साथ शामिल हो जायेंगे।।

५ ननकाने नहीं जाओ

इस फैसले का पता स. हरचन्द सिंह स. तेजा सिंह समुन्द्री और मा. तारा सिंह को लग गया। करतार सिंह झब्बर नहीं चाहता था कि इस बात की खबर श्रोमणि प्रबंधक कमेटी को लगे क्योंकि वह उन्हें जाने की आज्ञा नहीं देगी—बल्कि रावी के पार भी किसी आदमी के साथ यह बातचीत नहीं की जायगी।[1] यह फैसला श्रोमणि कमेटी के फैसले के खिलाफ था क्योंकि कमेटी का फैसला का फ़सा की तारीखों पर ही पहुंचने का था। इसलिए उपरोक्त तीन रहनुमाओं को कमेटी के इस फैसले का उल्लंघन पसंद नहीं था। ये तीनों ही १९ फरवरी की सुबह लाहौर में अकाली के दफ्तर पहुंच गये। वहां एक मीटिंग हुई जिसमें सरदार सरदूल सिंह कवीश्वर सुन्दर सिंह लायलपुरी जसवन्त सिंह चभाल और भाई दिलीप सिंह सागला भी शामिल हुए। उन्होंने पहले फैसले को बहाल रखते हुए यह निर्णय किया कि कोई भी जत्था तय की गयी तारीख से पहले ननकाना साहब न जाय।

इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए सरदार दिलीप सिंह और जसवंत सिंह को गुरुद्वारा खरा सौदा भेजा गया। वह उसी दिन एक बजे

१ अकाली मोर्चे ते झब्बर, पृ. १०८

दापहर म पहुच गये और ८ बजे रात तक उन्होंने भाई करतार सिंह से यह मनवा लिया कि वह फैसले का उल्लघन नही करेंगे। इसके बाद भाई दिलीप सिंह न अपने सिर पर जिम्मदारी ली कि वह लक्षमण सिंह के जत्थे को ननकाना साहब जाने से रोकेंगे। य दोनो—कुछ अन्य सवारो समेत—घोडो पर चन्द्रकोट पहुचे। लेकिन लक्षमण सिंह वहा न मिले। वह वहा से भाई उत्तम सिंह की फैक्टरी म, जो ननकाने से कोई एक मील के फासले पर थी, चल गये।

उसी दिन सरदार तेजा सिंह समुन्द्री और मास्टर तारा सिंह शिरोमणि कमेटी की एक अनियमित मीटिंग मे—जो अमृतसर मे हुई—शामिल हुए। इसमे फैसला किया गया कि सरदार तेजा सिंह समुन्द्री और मास्टर तारा सिंह तुरन्त ननकाने की तरफ जाये और लोगो को गुरुद्वारा जन्मस्थान म जाने स रोकें।

१९ फरवरी को भाई लक्षमण सिंह जी अपने गाव स ९ और अकाली लेकर शाम को वहा स चले। उनके साथ उनकी पत्नी और एक अध्यापिका भी थी। रास्ते म उनके साथ एक और महिला शामिल हो गयी। उन्होंने १९ अकाली देवी सिंह वाला से, ११ धनूवाला से, ७ या ८ चेलावाला स, ६ ठोठिया स, ५ मूला सिंह वाला स तथा कुछ और ग्रामो स अन्य अकाली साथ ले लिये। कुल अकालियो को मिला कर लगभग १५० शूर वीरो का जत्था बन गया। २१ फरवरी को सुबह लगभग पाच बजे जन्मस्थान के उत्तर की तरफ भट्ठा पर उनके पास भाई दिलीप सिंह का आदमी सदेश लेकर पहुचा। सदेश यह था—भाई साहब, जत्थे समेत ननकाना साहब स वापस चले जाइए, ननकाना साहब म बिल्कुल पैर न रखिए। भाई लक्षमण सिंह जी भाई दिलीप सिंह जी का बडा आदर करते थ। वह यह हुक्म मान कर वापस जाने के लिए तैयार हो गये। लेकिन भाई टहल सिंह जी कहने लगे—आज गुरु हर राय जी का जन्म दिवस है। हम लोग यहा पर पहुच ही गये हैं, चलो गुरुद्वारे के दर्शन करते चलें। महन्त हम कत्ल ही कर देगा न ? कोई बात नही ! हमे कोई हथियार नही उठाना, शान्तिमय रहना है। हमे मुकाबला नहीं करना, भडकावा पैदा करने वाली कोई बात नही करनी। मत्था टेक कर वापस चले जाना है तो फिर झगडा किस तरह होगा ?

लेकिन उनको महन्त के शैतानी मसूबो का पता नहीं था।

६ सदेश न मिला

भाई लक्षमण सिंह जी रवाना हो गये और जत्था गुरुद्वारा जन्मस्थान के दर्शनो को चल पडा। महिलाए गुरुद्वारा तम्बू साहब के दर्शनो के लिए चली

गयी, जहा से ग्राद म वे घग वो वापस लौट गयी। अकाली, जन्मस्थान व बाहर तालाब म स्नान करने लगे। सुबह मे लगभग ६ बजे थे। वे गुरुद्वार म मत्था टेकन के लिए दाखिल हुए।

महत के गुडे और बदमाश पहले से ही तैयार बैठ थ। महत न मुकम्मिल तैयारिया कर रखी थी। उसने अपने कुटुम्ब के बदे पहले ही लाहौर भेज दिय थे। रुपया पैसा और जरूरी कागजात भी उनके हवाले कर दिय थ। और तो और, उसने कसूर के थाने म दस नम्बरी बदमाशा—रिहाणा, अमली, उदी वसाखा और कुछ और—की हाजिरिया लिखाने का बदोवस्त भी कर दिया था, ताकि वह अपनी पोजीशन साफ करने के लिए उज्र पश कर सके कि जिन बदमाशा को कातिल कहा जा रहा है वे उस दिन ननकाना साहब म थे ही नही, उनकी हाजिरी कसूर के थाने मे लगी हुई है।

१६ और २० फरवरी को महता ने लाहौर मे अपनी सनातन सिख कान्फ्रेंस रखी थी। इस कान्फ्रेंस को ध्यान म रख कर ही भच्चर के जत्थे न फैसला किया था कि मार्च म होने वाले पथ के सम्मेलन से पहले महत की गर हाजिरी म ननकाने साहब पर कब्जा कर लिया जाय और नेताओ को कत्ल होने स बचाया जाय। लेकिन शिरोमणि कमेटी ने यह फैसला रद्द कर दिया था। १६ फरवरी को महत कान्फ्रेंस म जाने के लिए दोपहर बाद ३ ४४ की गाडी म बठा ही था कि एक मुसलमान औरत न उससे जाकर कहा जत्था वुचआणे आ गया है।' महत गाडी से उतर कर वापस आ गया और उसने सारे गुडा बदमाशा और दस-नम्बरिया को गडासा तलवारा, बदूका और पिस्तौला स लस कर दिया। बडी मात्रा म इधन और मिट्टी का तेल पहले ही गुरुद्वारे म जमा कर लिया गया था। कोठा की छतो पर रोडे, पत्थर और ईंटा वगैरा रख लिये गये थे।

●

शहीदी साका श्री ननकाना साहिब जिला शेखूपुरा (पाकिस्तान)
यहा अंग्रेजी शासन की शह पर महंत ने जत्थो को कतल किया।

(S G

छठा अध्याय

कत्लेआम

मोर्चेबंदी मजबूत बनाने के लिए महत ने बदमाशो की बाकायदा टुकडिया बना दी। माझे के बदमाशा को उसने स्वय अपनी और अपनी बैठक की हिफाजत के लिए मुकरर किया। कोठा के कुछ आदमी उसने बाजार गेट के सामने नियुक्त किये कुछ दशनी डयोढ़ी के निकट—अन्दर गुरुद्वारे मे। पठाना को दो बड़े दरवाजो की हिफाजत का काम सौंपा गया। अगर गुरुद्वारे मे आज तक धम या इखलाक का कोई अश बचा भी था, तो अब वह भी खत्म हो गया। गुरुद्वारा जन्मस्थान जग और मार-काट की मोर्चेबन्दी मे बदल गया।

सिहो ने दशनी डयोढ़ी मे दाखिल होने से पहले, सत्कार के तौर पर अपने शीश झुकाये। फिर 'सत श्री-अकाल।' के नारे लगाये और जाकर दरबार के सामने मत्था टेक कर बैठ गये। भाई लक्ष्मण सिंह जी गुरुग्रथ के पास श्रद्धा से बैठ गये और तमाम सिह शब्द पढने मे मग्न हो गये। साधू वहा से आहिस्ता आहिस्ता खिसक गये। सिहो को यह सदेह नहीं था कि महत की नीचता सब सीमाए पार जायगी और दरबार साहब का—जहा गुरु नानक ने जन्म लेकर एकता, भाईचारे बराबरी और शाति का सदेश दिया था—कत्लेआम का क्षेत्र बना देगी। वे सब कुछ भुला कर शब्द पढने मे मग्न थे। वे शब्द पढ़े जा रहे थे कि एकाएक गोलिया की वर्षा होने लगी। सिंह जख्मी हो होकर जमीन पर तड़पने लगे। कोठा की छतो पर मोर्चे बने हुए थे और महत के गुडे दनादन गोलिया चला चला कर सिहो को शहीद किये जा रहे थे। कुछ सिह उठ कर बचाव वाली जगहो की तरफ लपके। लेकिन बचाव वाली जगह वहा थी हो कहा? कहीं से गोलिया आ रही थी तो कहीं से ईटो पत्थरो की बौछार हो रही थी। न छिपने के लिए कोई जगह थी न बाहर निकलने के लिए। सब दरवाजे बन्द थे। चारो तरफ मोर्चेबन्दी थी। जो शाति से बैठे रहे वे वहीं गोलिया का निशाना बन कर शहीद हो गये। आगन मे करीब २५ २६ सिह शहीद हुए। करीब ६० सिंह दरबार के अन्दर चौखडी मे चले गये और उन्होने अन्दर से कुडे लगा लिये। लेकिन महत के खूखार बदमाशो के सिर पर खून सवार था। वे शराब पीकर अन्धे हो रहे थे। पहले

व हर निस्त वाली जगह खडे हाकर गालिया चलाते और सिहो को मारते रहे। बाद म वे दशनी ड्योढी के निकट आ गये और कई सिहो को यहा से निशाना बनाया। जब देखा कि अब नीचे कोई हरकत नजर नही आती, तो महत के ये बदमाश नीचे उतर आये और दशनी और बाजार-गेट खोल कर पहरेदार पठाना तथा दूसरे पहरेदारो को अन्दर बुला लिया तथा नीचे जो भी जख्मी सिंह जीता नजर आया उसको कुल्हाडिया से टुकड-टुकडे कर दिया, लाठिया मार मार कर हलाक कर दिया। पाच-छै आदमी एक बन्द बरामदे म खडे थे। उनको गोलियो से भून दिया। २५ के करीब अकाली कुछ कमरो मे पनाह ले रहे थे। उनको महत के गुर्गो ने गोलियो टकुवो, लाठियो और ईटो से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया।

इसी समय बाहर से सिहो के जयकारे की आवाज आयी। इन गुडो और बदमाशो ने उन पर हमला करने के लिए दशनी और बाजार गेट खोल दिये और उन पर जा पिले। कुछ छतो पर चढ कर गोलिया ईटें वट्टे चलाने लगे। इस अफरा तफरी म कुछ सिंह बाहर निकल गये। दो पौडिया चढ कर वे एक मकान की छत पर घिर गये और वहा ही गडासो से जख्मी कर दिये गये तथा बाहर फेंक दिये गये। महत खुद इस कत्लेआम की रहनुमाई कर रहा था। उसने मुह के ऊपर चादर लपेट रखी थी और घोडे पर चढ़ा हुआ कभी इधर जाता था कभी उधर और ऊची आवाज म कह रहा था— कोई बालो वाला सिख जिन्दा न रहने देना, मारो इनको।" उनको उत्साहित करने और जोश दिलाने के लिए उसने खुद अपनी पिस्तौल से गोलिया चला कर एक सिंह को वही ढेर कर दिया, लगभग ६ सिंह इस तरह बाहर ही कत्ल कर दिये गये। कुछ सिहो का पीछा रेहाणे और कुछ साधुओ ने रेलवे लाइन तक किया—वहा पर एक बूढा सिख और दो और सिंह मार दिये गये। दो तीन सिंह आग खेतो म हलाल कर दिये गये। महत अकालियो का बीज ही नाश कर देने पर तुला नजर आता था।[1]

अन्दर और बाहर यह कत्लेआम लगातार जारी ही था कि एक गुडे ने ऊची आवाज म चिल्ला कर कहा—चौखडी के अन्दर कुछ अकाली छिपे हुए हैं। दरवाजे अन्दर से बन्द हैं इधर आओ।' यह सुनते ही तमाम कातिल उस तरफ टूट पडे। दो के हाथो म बन्दूकें थी बाकी लोगो के हाथो म गडासे और टकुवे थे। एक सिख समाधि म छिपा हुआ था। उसको वही गोली मार कर ढेर कर दिया गया। एक गुडे ने चौखडी के अन्दर गोली चलानी शुरू कर दी।

१ घटनाओ का यह वृत्तान्त मोटे तौर पर प्रो तेजा सिंह की गुरद्वारा सुधार लहर से लिया गया है —लेखक

दूसरा ने उत्तर की तरफ के दरवाजे को कुल्हाडियों और गडासा स तोड दिया। राझे और एक और बदमाश ने इस तरफ स गोलिया चला चला कर सिंहा को हलाक करना शुरू कर दिया। एक पठान न पश्चिमी दरवाजे म कुल्हाडी मार मार कर दरार बनायी जिसम मे दो आदमी गोलिया चला सकते थे। अदर से एक सिंह न आवाज दी—मुझे बाहर आने दो! महत के एक आदमी ने बडा व्यग्यपूण जवाब दिया—तुझे अभी बाहर निकालते हैं, फिक्र न कर! बाहर आते ही वह गोली मार कर ढर कर दिया गया। अदर जब सब जख्मी कर दिये गये या मार दिये गये, तो पठान तथा दूसरे बदमाश अदर पहुचे और घसीट घसीट कर तमाम का बाहर ले आये। लगभग ६० सिंह यहा पर शहीद किये गये। सिफ १२ साल का एक लडका, जो गुरुग्रथ साहब के नीचे छिपा था, बच रहा।

इसके बाद महत खुद आया और उसन हुक्म दिया कि सहन म पडी लोथें इकट्ठी करो और उन्ह जलान का प्रबध करो, सिफ चार लोथे पीछे रहने दो। जो लोथें नही जलायी गयी, वे थी—भाई मगल सिंह हजारा सिंह, आत्मा सिंह और एक साधू की। साधू किसी बदमाश की गोली के लगने से मरा था। मगल सिंह मजहबी सिख था, जिसे भाई लक्ष्मण सिंह ने अपना पुत्र माना था। वह कृपाण पहनने के कारण फौज म निकाल दिया गया था और उसको 'कृपाण बहादुर' का खिताब मिला हुआ था। इन चार लोथो को अलहदा निकाल लिया गया।

बाकी लोथा का जलान स पहले, पठाना और बदमाशा ने उनकी तलाशी ली और जो भी रुपये कृपाण, कम्बल वगैरा की शक्ल म माल मिला, सब हडप लिया। इतने ज्यादा आदमिया को जलान के लिए लकडी और तेल नाकाफी था। इसलिए बाजार से रेडियो मे लाद-लाद कर लकडी और तेल मगवाया गया। मुकदमे म कुछ मुलजिमो के बयानो स साबित हुआ कि कई जीवित सिंहा को जलती हुई चिताओ म फेंका गया और भस्म कर दिया गया था। लक्ष्मण सिंह को दरख्त से बाध कर नीचे स आग लगा दी गयी थी। जो सिंह गुरुद्वार स बाहर कत्ल किये गये थे, उन्हें इन्ही के भट्ठे म जलाया गया था। महत के गुडो की लपेट म आया कोई भी सिंह बच न सका।

१ दिलीप सिंह की शहीदी

भाई दिलीप सिंह को पता लगा कि महत चडालपन म बाज नही आया। वह सिंहा को कत्ल करके खून की होली खेल रहा है। उसम सिंहा का यह बहशी कत्लेआम बर्दाश्त न हो सका और महत को इस कत्लेआम म रोकने के लिए वह गुरुद्वारे की तरफ चल पडा। भाई उत्तम सिंह फक्टरी वाले तथा कुछ और

सज्जना ने उसे गुरद्वारे मे आने से रोकने के लिये बडा जोर लगाया, पर वह न रुका। उसका ख्याल था कि महत उसे अच्छी तरह जानता और उसका सत्कार करता है वह उसकी बात सुनेगा और कत्लआम बन्द कर देगा। लेकिन यह उसका भ्रम था। उस वक्त उसके साथ भाई वरियाम सिह भी था।

ये दोनो जिस समय दर्शनी दरवाजे के सामने पहुचे, उस समय महत की चडाल चौकडी का बाहर से आये हुए सिहो पर हमला जारी था और सिहो को बिना सोचे-समझे दायें-बायें कत्ल किया जा रहा था। उसने हाथ जोड कर महत से कहा— न करो कत्ल, बद करो कत्लेआम, मैं अब भी तुम्हे पथ से मुआफी दिला दूगा। लेकिन महत कत्लेआम के नशे मे अधा हो रहा था। उसने भाई दिलीप सिंह की अपीलो पर कोई ध्यान न दिया। वह तो घोडे पर सवार होकर कत्लेआम के हुक्म दे रहा था। वह सीधा भाई दिलीप सिंह जी की तरफ घोडा दौडा कर आया और पिस्तौल से गोली चला कर और यह कह कर कि तुम भी तो सिख ही हो न, उनको वही पर ढेर कर दिया। उसके और चडालो ने भाई वरियाम सिंह के टुकडे-टुकडे कर दिये।

अब कत्ल किये जाने वाला कोई भी सिंह गुरुद्वारे के आस-पास नही रह गया था। दहशत के कारण सारा कस्बा खाली हो गया था। महत और उसके चडालो ने मोर्चा सर कर लिया था। अब वे लोथो को फूकने का बन्दोबस्त करने लगे और अगर कोई इक्का-दुक्का भोला सिख नजर आता, तो उसको भी उसी जगह मार कर खत्म कर देते।

२ किंग की रिपोर्ट

इस कत्लेआम के बारे मे खुद सरकार की एक गुप्त रिपोट कहती है कि

य तमाम (अकाली) बेरहमी के साथ कत्ल किये गये और जरमियो को कुल्हाडियो और लाठियो से मार मार कर खतम कर दिया गया। मालूम होता है कि महत ने अपने चेलो और फरमाबरदारो को हुक्म दिया था कि एक भी अकाली जिन्दा न रहने दिया जाय और उसके हुक्म को लगभग अक्षरश अमल मे लाया गया। सारा मामला सिखो के खालिस कत्लेआम की नीची से नीची गिरावट तक पहुच गया होगा। उनमे से जख्मियो और बेदम हो चुके पकड लिया को बडे वहशीपन और कठोरता के साथ काट काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस कत्लेआम के खतम होने के बाद मारे गये सिखो को इकट्ठा किया गया और लाशो के ढेरो को मिट्टी के तेल के साथ भिगोया गया और फिर उनमे आग लगा दी गयी।[1]

१ केन्द्रीय सरकार को सी एम किंग की रिपोर्ट लाहौर २६ मार्च १९२१

कत्लेआम की खबर अच्छी तरह तसदीक हो जाने पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर श्री एन एस सधू ने अपना एक खास आदमी सवा आठ बजे घोड़े पर डेपुटी कमिश्नर मि करी की तरफ भेजा, ताकि वे खुद मौके पर आकर यह भयानक घटना अपनी आखो से देख सकें। डी सी का ननकाना से १२ मील दूर मागटावाला मे मुकाम था। उधर स उत्तम सिंह ने कोई सवा बजे के करीब इस दुखद घटना की खबरें तारो के जरिये पजाब के गवर्नर, कमिश्नर, डी सी और सुपरिटेंडेंट को भेजीं। साथ ही उन्होने सारे सिख केन्द्रो, खासकर शोमणि कमेटी को भी खबरें पहुचा दी। सारे सिख जगत म हाहाकार मच गया।

डी सी करी ननकाना साहब मे दोपहर १२ बज कर ३० मिनट पर पहुचा और अकेला ही महत के साथ अन्दर गया। उसने उस समय महत के साथ क्या बातें कीं और महत ने उसको क्या कहानिया गढ कर सुनायीं—यह कही पर भी दर्ज नही है। उस वक्त उसके पास बन्दोबस्त के लिए कोई पुलिस नही थी। उसने फौजी दस्ते भेजने के वास्ते ऊपर के अफसरो को तार भेजे। पुलिस का एक सब इसपेक्टर दो बजे के करीब ननकाने साहब पहुचा। उसको डी सी ने हुक्म दिया कि वह लगी हुई आग को बुझा दे और जख्मिया तथा मर चुके लोगो को लगे जख्मा की रिपोट तैयार करे।

इसका साफ अथ यह है कि डी सी करी के पहुचने के डेढ घटे बाद तक भी महत के गुडे लाशें जलाये जा रहे थे और जिन्दा बचे हुओ को काट-काट कर—या जीवित ही—आग मे फेंक रहे थे, यानी उसके आने के बाद भी अकालियो का कत्ल जारी था, बन्द नही हुआ था। लोगो का डी सी पर यह इल्जाम लगाना दुरुस्त था कि डी सी के पहुचने पर भी कत्लेआम रुका नहीं, बल्कि जारी रहा था। इस इल्जाम को झुठलाने के लिए पजाब सरकार को इस आशय की एक विशेष विज्ञप्ति निकालनी पडी कि डी सी के पहुचने के बाद भी कत्लेआम बन्द न होने की अफवाह बिल्कुल ही बेबुनियाद है।[1]

३ नाकाबन्दी

इस दुघटना के फौरन बाद ननकाना साहब पहुचने के हर तरफ के रास्ते बन्द कर दिये गये। ननकाना साहब स्टेशन पर आने वाली गाडियो को खडा करना बन्द हो गया। रात के लगभग सवा नौ बजे लाहौर से कमिश्नर किंग और डी आई जी पुलिस एक स्पेशल गाडी स पहुचे। उनके साथ एक सौ अंग्रेजी फौजी अफसर और सिपाही तथा १०० देसी फौजी सिपाही थे। उनके

१ ११ जून १९२१ का सरकारी एलान—जूनियर सेक्रेटरी आर टी की होज के दस्तखतो स

आने के बाद महत नारायण दास उनके पिट्ठू और २६ पठान पकड़ कर उसी स्पेशल ट्रेन से लाहौर भेज दिये गये। जाहिर है कि बहुत से बदमाश इस अरसे में इधर-उधर खिसक गये।

महत को जिस वक्त पकड़ा गया उस वक्त उसके हाथ में बन्दूक थी। उसके घर की तलाशी के वक्त दो बन्दूकें और एक पिस्तौल और मिली। लेकिन हथियार और भी थे। गडासा टकुआ और कुल्हाड़िया के इस्तेमाल के अलावा कितनी ही पिस्तौलों और बन्दूकों को इस्तेमाल किया गया होगा। किराये के लोग कायल और बुजदिल होते हैं वे उनके सामने होकर लड़ने का हौसला नहीं रखते जिनके पास कृपाणें हों। सिह यद्यपि पूर्ण रूप से शांत रहने का प्रण लेकर आये थे मगर बुलावे की धाड सीधी उनके साथ लडाई नहीं कर सकती थी। गुडे जान लेने के लिए आये थे देने के लिए नहीं। इसीलिए उन्होंने काफी भारी पिस्तौलें और बन्दूकें इस्तेमाल करके पहले कुछ सिखों को गोलियां चला कर मारा, बहुतों को जख्मी और बेदम किया और जब उनको यकीन हो गया कि अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं तो वे पौडियों के जरिये बड़े सचेत होकर दो-दो तीन-तीन डडे उतरे और गोलियां चला चला कर सिहों को मौत के जबडों में फेंकने गये। ये इस्तेमाल की गयी पिस्तौलें और बन्दूकें भी उन बदमाशों के साथ ही बाहर चली गयी।

लेकिन देखना यह है कि डेपुटी कमिश्नर का कार के होते हुए भी इतनी देर से पहुचना और लाशों वगैरा को जलते रहने देना तथा कमिश्नर और डी आई जी पुलिस का रात के सवा ६ बजे पहुचना—क्या ही ये सब बातें तय की हुई साजिश के अनुसार ही तो नहीं थी? १९१९ में गुजरावाला में कुछ गड़बड़ हुई थी तो बम फेंकने के लिए हवाई जहाज सवा घटे में पहुच गया था। 'कमिश्नर और फौज को ननकाना साहब पहुचने में पूरे आठ घटे लगे। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि करी के ननकाना साहब पहुचने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त हुए या मृत्यु के सन्निकट लोग पूरे चार घटे तक जलाये जाते रहे।"[1] इस नतीजे पर पहुचना कि यह साजिश ही थी, कोई मुश्किल बात नहीं। आगे चल कर यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी।

●

१ दि सिख, लाहौर, २४ फरवरी १९२१

जन्मस्थान पर कब्जा

महंत और उसके साथियों को पकड़ कर जेल भेज दिया गया और गुरुद्वारा जन्मस्थान पर सरकार ने कब्जा कर लिया तथा गुरुद्वारे को ताले लगा दिये। अब सरकार ही गुरुद्वारे की महंत बन गयी। सिख जानते थे कि सरकार को ननकाना गुरुद्वारा से अपना दखल हटाने की नहीं थी। इस कब्जे से उनके विचारों की और भी पुष्टि हो गयी। इस कब्जे के खिलाफ अकालियों का गुस्सा भड़क उठा। यह स्वाभाविक बात थी, क्योंकि एक तो अफसरों की साजिश के कारण सिख अपने लगभग १६० वीरों को शहीद करा चुके थे, दूसरे, इन अफसरों ने ही अब गुरुद्वारे पर कब्जा जमा लिया था।

२० और २१ फरवरी को कुछ सिख नेता ननकाना पहुंच चुके थे। सरदार महताब सिंह तो २० फरवरी की रात को ही फौजियों वाली गाड़ी से जा पहुंचे थे। २१ फरवरी को ६ दूसरे नेता कारों से सवेरे पहुंच गये थे। इनमें सरदार सुंदर सिंह रामगढ़िया और हरबंस सिंह अटारी तथा तीन डाक्टर थे। उस दिन आठ बजे सवेरे दरवाजे खोले गये ताकि जांच का काम शुरू किया जाए। दृश्य बड़ा भयानक और दुखद था। सारा गुरुद्वारा श्मशान बना हुआ था। जमीन पर जगह जगह लहू के धब्बे और दाग लगे हुए थे। लहू की लकीरें बताती थीं कि लहूलुहान सिंहों को टांगों और केशों को पकड़ कर घसीटा गया था। बाल और कपड़े जगह जगह बिखरे पड़े थे। लाशों के जले अधजले पांच-पांच ढेर सहन में अलग-अलग पड़े थे और चार लोथें चौखंडी के सामने पड़ी थीं। लोथों को बगैर हिलाये डुलाये ५६ खोपड़ियां गिनी गयीं। बाहर के मटके में से छः बड़े निकले—बाकी सब कुछ भस्म हो चुका था। कोठों पर ईंटों और पत्थरों के चौबीस ढेर पड़े थे। वहां पुलिस को कारतूसों के खाली बक्से भी मिले। हर बक्से में (बक्स पर लिखे अनुसार) २५ कारतूस थे। ६३ कारतूस खाली पड़े हुए मिले।[1][2]

१ अकाली, १२ नवम्बर १६२१

२ गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, पृ २४० २४१

महत की बैठक से जुर्म साबित करने वाली और भी कई चीजें मिली—सिक्का लोहा, लोहे को ढालने वाले बर्तन, छलनी। एक कमरे में से शराब की पांच खाली बोतलें मिली। बाद में पठानो के कमरों से भी कुछ खाली कारतूस मिले। पर जुर्म साबित करने वाली और बहुत सारी चीजें मुलजिमो के साथ ही बाहर चली गयी थी।

१ झब्बर की रहनुमाई

पाठक पीछे देख चुके हैं कि जत्थेदार करतार सिंह झब्बर ने श्रोमणि कमेटी के लीडरो की प्रेरणा पर ४ ५ मार्च से पहले ननकाना साहब में जाकर कब्जा करने का विचार छोड दिया था। ननकाना साहब की इस महाशोकांत घटना ने जिला शेखूपुरे और लायलपुर के अकाली सिंहो और जत्थो के गुस्से का पारा हद दर्जे पर पहुचा दिया था और वे गुस्से से दात पीस रहे थे। झब्बर की रहनुमाई में उन्होंने बाकायदा अपने जत्थे लामबन्द किये और जन्मस्थान पर कब्जा करने या शहीद हो जाने का फैसला लेकर वे ननकाना साहब की तरफ चल पडे।

कई और जत्थे भी उत्साहित होकर झब्बर के जत्थे के साथ आ मिले। कमोवेश दो हजार दो सौ जवानो का एक मजबूत लश्कर बन गया। और, ये वे अकाली थे जो पहले ही सिर देने की कसम खाकर आये थे। इनका अंग अंग गा रहा था—सूरा सोई जो लरै दीन के हेत। ये जब गुरुद्वारे के कुछ नजदीक पहुचे तो डी सी करी का हुक्म पहुचा—"जत्थे को आगे लेकर मत जाओ ! वापस चले जाओ और तितर बितर हो जाओ !" झब्बर ने बडे गुस्से से यह हुक्मनामा टुकडे टुकडे करके जमीन पर फेंक दिया और पैगाम लाने वाले से कहा— मैं जत्था लेकर आता हू,' जो मर्जी है कर लो।"

जत्था पूरे अनुशासन के साथ आगे बढता जा रहा था। सरदार महताब सिंह आगे बढ कर उनसे मिले और जत्थे को रोक देने की अपील की। उन्होंने बताया—आगे गोरी फौज मशीन-गनें जोडे खडी है टक्कर होने से बहुत नुकसान का खतरा है तुम आगे न जाओ। लेकिन जत्थेदार ने कहा—अब पीछे जाने का वक्त नही। जत्था आगे बढता गया। रेल के फाटक के नजदीक सिख लीडर और अंग्रेज अफसर फिर आकर सामने खडे हो गये और जत्थेदार से कहने लगे कि घोडे से उतर कर बात सुनो। डिप्टी कमिश्नर ने जत्थेदार से कहा—आगे न जाओ गोली चल जायेगी ! झब्बर ने जवाब दिया—गोली चलती है तो चले सिंहो का फैसला है कि हमें गुरुद्वारे के अन्दर जाकर माथा टेकना है। "गुरुद्वारे पर कब्जा करने का तुम्हारा कोई हक नही।"

१ देखिए, अकाली मोर्चे ते झब्बर, पृ १२१ १२४

इसी किस्म के कई और सवाल जवाब हुए। अफसरों ने रौब दिखाने की कोशिश की। जत्थेदारों ने रौब दाब मानने से इनकार कर दिया। डी सी करी ने कहा—तुम गुरुद्वारे की कुंजियां चाहते हो न? रात भर की मोहलत दो। सुबह के वक्त तुम्हें कुंजियां मिल जायेंगी। जत्थेदारों ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा—कुंजियां इसी वक्त दी जायें, जत्था गुरुद्वारे को अंग्रेज अफसरों के कब्जे में नहीं रहने देगा। आखिर अफसरों ने परस्पर मशविरे के लिए दो मिनट मांगे और वे अलहदा होकर आपस में मशविरा करने लगे।

जत्थे के सारे लहजे, रवय और मूड से एक बात सिख लीडरों और अंग्रेज अफसरों को बिलकुल साफ हो गयी थी। वह यह कि जत्था अपनी आन पर डटा है—वह न तो पीछे हटने वाला है न वापस जाने वाला है। उसने गुरुद्वारा या मौत का नारा अपनाया हुआ था।

२ सिहों ने कब्जा कर लिया

अफसरों के सामने हथियार डाल देने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। करी और किंग पहले ही महंत की साजिश में शरीक और अकालियों के कातिल समझे जा रहे थे। जत्थे पर गोली चला कर और ज्यादा सिहों को शहीद करना आसान बात नहीं थी। इसके बड़े दूरगामी राजनीतिक परिणाम निकलते थे। एक तो सीधा नतीजा यह निकलता था कि गवर्नमेंट गुरुद्वारों को सिखों के हवाले करने को तयार नहीं, दूसरे, वह सिखों की फौजी साथकता पर जैसे यकीन गंवा बैठी थी, तीसरे गोलीबारी का नतीजा लगभग समस्त सिखों का असहयोगियों के कैम्प में धकेल दे सकता था, चौथे, वफादारों, पेंशनरों वगैरा का सहारा भी खतम हो जाना संभव था, पांचवें, सिख रजीमेंटों में गड़बड़ हो जाने पर इसके बुरे परिणाम निकल सकते थे। इन सब मसलों पर सरकारी कारवाई की मिसलों में पहले ही विचार हो रहे थे। यह भी हो सकता है कि अकाली जत्था के मुकाबले फौज की संख्या थोड़ी होने का भी इस फसले पर प्रभाव हो।

कारण कुछ भी हो अफसरों ने जल्दी ही कुंजियां दे देने और फौजी दस्ते वहां से हटा लेने का फैसला किया। उन्होंने कुंजियां सिहों के हवाले कर दीं। कुंजियां हासिल कर लेने पर सिहों को जो खुशी हुई उसकी कल्पना की जा सकती है—बयान करने की शब्दों में सामर्थ्य नहीं।

२१ फरवरी को गुरुद्वारा ननकाना साहब पर जत्थे का कब्जा हो गया। सिंह गुरुद्वारे के अन्दर गये और मकतूल शहीदों की हालत देख कर स्वभावतः बड़े भावुक हो उठे और महंत की दुष्टता और चंडाली को धिक्कारने लगे।

२२ फरवरी को पजाब का गवनर मिस्टर मैकलैगन अपने एक्जेक्यूटिव मेम्बरो को साथ लेकर ननकाना साहब पहुचा। उसने अपनी आखो से मखतूल शहीदो की लोथो के जले अधजले ढेर, लहू से लथपथ स्थान और दद भरे हालात देखे। उसके साथ नया कमिश्नर लगले और नया कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी किंग और जिले के अन्य अफसर भी थे। श्रोमणि कमेटी की तरफ से उनको सब कुछ दिखाने के लिए सरदार हरबश सिंह अटारी और महताब सिंह जी थे। गवनर ने "हमदर्दी" प्रकट की। वह सिखो की कतारो के बीच से गुजरा और उन्होने सत श्री-अकाल के जयकारे से उसका स्वागत किया। भीड बहुत भडकी हुई थी। लेकिन वह रहनुमाओ की तावेदार और उनके कट्रोल मे थी। वहा पर अगचे पुलिस हाजिर नही थी—फिर भी गवनर और उसकी पार्टी बगर किसी कठिनाई के गुरुद्वारे के अन्दर इधर उधर आसानी के साथ घूमती फिरती थी।

गवनर ने वादा किया कि, "जुम के मुजरिमो को ढूढने और सजा देने के यत्नो मे कोई कसर नही छोडी जायगी।" उसन 'और ज्यादा पुलिस तथा दो सिख अफसर—जिन पर सिखो का विश्वास हो—भेजन का हुक्म दिया।'[1] सिख बडे खुश हुए, पर ओ'ड्वायर अपनी पुस्तक म झूठ लिखता है कि "उन्होने (अकालियो ने) देहात मे दहशत फैला रखी थी और ननकाने के दौरे पर सूबे के गवनर और उनके साथियो को उनकी ओर स डराया धमकाया गया।"[2] इसके विपरीत स्थानीय सरकारी रिपोर्टें अकालियो के आत्म-अनुशासन की प्रशसा करती हैं।

लेकिन अगली घटनाओ ने गवनर के उपरोक्त वादे को धोखे की चाल सिद्ध किया।

२३ फरवरी को शहीद सिंहो का दाह सस्कार किया गया। भाई जोध सिंह न शहीदी अगीठे पर दाह-सस्कार के वक्त अरदास करते हुए सिफ इतना ही कहा "इस मुसीबत को बगैर किसी बुरे शब्द या लानत मलामत के बर्दाश्त करो। गुरुद्वारा मे जो गुनाह किये गये थे उनको धोन के लिए व गुनाहो के खून की बाढ की जरूरत थी। जहा तक मुजरिमो का सबध है, उनको तबाह करने के लिए उनके गुनाह काफी हैं।'[3]

१ पजाब गवनमट, कम्प रावलपिंडी की गवनमट आफ इडिया को रिपोट, टेलीग्राम, २२ फरवरी १९२१
२ ओ'ड्वायर, इडिया एज आइ न्यू इट, पृ ३२
३ गुरुद्वारा रिफॉम मूवमेंट पृ ३२

भाई जोध सिंह की अग्रेज-वफादारी को यह भयानक शहीदी जरा भी न झिंझोड सकी। उसने, अग्रेज हाकिमो के इस साजिश मे शरीक होने के बावजूद, उनके बारे मे एक शब्द भी अरदास मे न कहा।

डी सी करी और कमिश्नर किंग, महत के साथ साजिश के इलजामो के कारण पब्लिक मे बहुत बदनाम हो चुके थे। इसलिए करी तो बीमारी का बहाना बना कर छुट्टी लेकर चला गया, किंग को तरक्की मिल गयी। वह पजाब गवनमेट का कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। यह वह ऊची जगह थी, जहा पहुच कर पजाब सरकार की बागडोर उसके हाथो मे आ गयी। वहा बैठ कर उसने महत के मुकदमे को खुर्द-बुर्द करने के यत्न किये। अकाली तहरीक के बारे मे किंग न कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से २६ माच १९२१ को एक लम्बी खुफिया रिपोट केन्द्रीय सरकार को भेजी, जिसम कुजिया देने की उक्त घटना का जिक्र इस तरह किया गया

'अगले दिन दोपहर ढले जत्थे के आदमियो की बडी भारी सख्या ननकाने के बाहर इकट्ठी हो गयी। डेपुटी कमिश्नर कमिश्नर और डी आई जी पुलिस उनस मिले। बाद मे डिवीजन के कमिश्नर और किंग भी जत्थे के रहनुमाओ से मिले। और, जत्थे चूकि फौजी दस्त की तरफ आग बढने और (मशीनगनो से) भूने जाने का फसला किये बैठे थे इसलिए झगडे को निबटाने के लिए की गयी बातचीत के बाद मिस्टर किंग ने गुरुद्वारा सरदार हरबश सिंह की प्रधानता म शरीफ सिखो की एक प्रतिनिधि कमेटी के हवाले करने का प्रबन्ध कर दिया। पुलिस और फौज को पीछे हटा लिया गया। कमेटी ने वचन दिया कि वह अपने आदमियो को दूसरी पार्टियो पर हमला करने से रोकेगी। गवनमेट द्वारा यह यकीन किया जाता है कि सिखो मे कत्लेआम के अत्याचार और इसस पैदा हुई घबराहट को सामने रख कर देखा जाय तो यह फैसला बहुत सुलझा हुआ था।'[1]

'शरीफ सिखो' की प्रतिनिधि कमेटी—ये शब्द बडे अथपूण हैं। इसके प्रधान सरदार हरबश सिंह को—जो चीफ खालसा दीवान के सेक्रेटरी थे—कुजिया देना और भी अथपूण है। इस वक्त सरकार की पालिसी यह थी कि यत्न करके गुरुद्वारो पर सरकारी असर स अरूड सिंह जसे पिट्ठुओ के जरिये कायम रखा जाय। यह सभव न हो तो चीफ खालसा दीवान के लीडरो जैसे सरकारी हिमायतियो को गुरुद्वारे सौप दिये जायें। सरकार नही चाहती थी कि गुरुद्वारो का प्रबन्ध किसी तरह भी उग्र-विचार वाले लीडरो के हाथ म पहुचे। कारण यह कि वह इन्हे 'शरीफ' नही समझती थी। आगे चल कर सरकार की यह पालिसी और भी स्पष्ट हो जाती है।

१ गवनमेट आफ इडिया को किंग का पत्र, लाहौर, २६ माच, १९२१

आठवां अध्याय

कत्लेआम की प्रतिक्रिया

ज्यो ज्यो इस भयानक कत्लेआम की खबरें फैलीं, सिख जगत म गवनमेंट और महन्त के विरुद्ध गुस्से और नफरत के शोले भडक उठे। दूर बैठे सिखो ने महन्त के इस घणित अपराध की निन्दा की और उसको मौत की सजा देने के प्रस्ताव पास किये। उन्होने सरकार की महन्त के साथ भीतरी साजिश की भरपूर निन्दा की। आस पास के इलाके के सिख खबर सुनते ही खुद-ब-खुद ननकाने साहब को चल दिये। दूसरे जिलो के जत्थे और अकाली कब चैन से बैठ सकते थे? वे भी या तो अकेले ही या चार चार पाच पाच के जत्थे बना कर ननकाना साहब की तरफ पैदल चल पडे। इस भयकर कत्लेआम से अकाली भयभीत नही हुए। इसके विपरीत वे उन रवायतो पर चलने के लिए और दृढ़ हो गये जिन पर चल कर ननकाने म अकाली शहीद हुए थे।

और, इस कत्लेआम के कारण हिन्दुओ और मुसलमानो की हमदर्दी भी अकालियो के साथ हो गयी। महन्त के इस काले कारनामे पर उन्होने भी महन्त को लानत भेजने वाले शब्द इस्तेमाल किये। केसरी, वन्देमातरम्, मिलाप, प्रताप वगैरा हिन्दुओ द्वारा प्रकाशित उर्दू अखबारो ने इस अधेरगर्दी की घोर निन्दा की और सभी अखबारो ने अपने-अपने तरीके से सरकार पर महन्त के साथ साठ गाठ के आरोप लगाये।

जमीदार (उर्दू) ने इस कत्लेआम मे भाग लेने वाले मुसलमानो के विरुद्ध बडे सख्त शब्द इस्तेमाल किये। उसने लिखा "मुसलमानो की बेशर्मी का इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता है कि जिन्होने महन्त की (कत्लेआम मे) मदद की उनम मुसलमान भी थे। ओ बेशर्म मुसलमानो क्या अभी भी तुम्हारी बेहयायी और बेशर्मी का प्याला भरपूर नही हुआ। तुम बन्दूकें और तलवारें उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हो जो ननकाना साहब म अपना धार्मिक फर्ज पूरा करने के लिए गये। तुम मुसलमान कहलाने के लायक नही तुम काफिरो से भी बुरे हो कौम के रहनुमाओ को अपना ध्यान इस नये जलियां वाले बाग की तरफ मोडना चाहिए।' (२३ फरवरी १६२१)।

सरकार की अपनी रिपोर्टों म वे इल्जाम दर्ज हैं जो सरकार और अफसरो

के खिलाफ उस वक्त लोग खुल्लमखुल्ला लगा रहे थे। इसका गोपनीय बर्नेन के एक जगह लिखता है 'महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह शोकपूर्ण घटना सरकार के विरुद्ध शिकायतों का हथियार मुहैया कर रही है। यह बात जोर से कही जा रही है कि अकाली जत्था के मुतालबे के खिलाफ महंत गुरद्वारे के बचाव के लिए हथियारों को इस्तेमाल करने की खुल्लमखुल्ला तैयारियां कर रहा था। इन तैयारियों का चारों तरफ मुकामी तौर पर आम लोगों को पता था, इसलिए मुकामी अफसरों को भी जरूर पता रहा होगा। लेकिन उन्होंने इसको रोकने के लिए कोई यत्न नहीं किये। ऐसी बातें फैल जाने के कारण रिश्वत का शक हो जाना कुदरती बात है—यह खुले आम कहा और यकीन किया जा रहा है कि महंत ने मनमानी कारवाईयां करने के लिए मुकामी ब्रिटिश अफसरों को भारी रिश्वत दी, फलतः महंत को खुली छूट दे दी गयी।'[1]

उस वक्त की चर्चा की यह खुफिया रिपोर्ट सही तसवीर पेश करती है। इस दुखांत घटना ने पंजाबी कवियों और लेखकों में नया जोश और उभार पैदा कर दिया। उन्होंने छोटी-बड़ी कविताएं लिखीं और उनमें कमिश्नर किंग और सी सी करी के खिलाफ रिश्वत के इल्जाम लगाये। ननकाने में हुए सिंहों के कत्लेआम की जिम्मेदारी उन्होंने इन अफसरों के सिर डाली। कैदों और जुर्माना के बावजूद कवि और लेखक, अकाली तहरीर के आखीर तक, अफसरों पर ये इल्जाम लगाते रहे। उन्होंने साम्राजी कानूनों की रत्ती भर परवाह न की। अंग्रेज अफसरों द्वारा जनवादी और शहरी आजादियों पर लगायी गयी तमाम पाबंदियों को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। यही सब-कुछ देहात के आम जलसों में अकाली भाषणकर्ताओं ने किया। उन्होंने अफसरों के खिलाफ जगह जगह रिश्वत के इल्जाम दोहराये। इस कारण देहात में अंग्रेज राज के खिलाफ बड़ा जोश और गुस्सा पैदा हो गया। जगह-जगह पर प्रचारक और डफली पर गीत गाने वाले पैदा हो गये। फलस्वरूप अकाली लहर का विस्तार विशाल से विशालतर होता गया।

इस महान शहीदी घटना की सबसे बड़ी देन—अन्य देनों के अलावा—यह थी कि इसने सिखों के दिमाग से अंग्रेजी राज की ताबेदारी और वफादारी की गंदगी धो दी और समझबूझ वाले आम लोगों में महसूस किया जाने लगा कि गुरद्वारों की आजादी की लड़ाई के साथ-साथ राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई लड़ना भी हमारा फर्ज है। जंग के दिनों वाला कट्टर वफादार सिख, वफादारी छोड़ कर गुरद्वारों और देश की आजादी का रास्ता अपनाने की तरफ बढ़ चला।

ननकाना साहब की शहीदी घटना की एक प्रतिक्रिया यह भी हुई कि

१ सी क, नोट्स, इंटेलीजेंस ब्यूरो, २ ३ २१

अकालियों को महंत भी अंग्रेज सरकार की साजिश में शरीक नजर आने लगे। इसलिए, अकालियों ने कुछ जगहों पर गुरुद्वारों पर कब्जे करने तेज कर दिये। २३ फरवरी को गुरुद्वारा लुलिआणी (जिला लाहौर) पर कब्जा कर लिया गया और महंत को गुरुद्वारे से निकाल दिया गया। लेकिन, महंत ने श्रोमणि कमेटी की शर्तें स्वीकार कर ली। फलत वह ग्रंथी के तौर पर बहाल कर दिया गया। २१ फरवरी को गुरुद्वारा हर (जिला लाहौर) पर कब्जा हो गया। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस भेज कर गुरुद्वारे का कब्जा फिर महंत को दिलवा दिया। २८ फरवरी को अकाली रोडी साहब (ऐमनाबाद, गुजरावाला) को पंथ के कब्जे में ले आये। इसी तरह सचखंड गुरुद्वारे (चूहड़काणा, शेखूपुरा) पर ५ मार्च को कब्जा कर लिया गया। अन्य गुरुद्वारे जिन पर कब्जे किये गये वे थे गुरुद्वारा माणक (रायविंड लाहौर) गुरुद्वारा रामदास (अमृतसर) और आधे दर्जन दूसरे छोटे-बड़े गुरुद्वारे। जिन महंतों ने अपने आप को सुधारने का प्रण किया और श्रोमणि कमेटी के अधीन रहना मान लिया उन्हें बहाल रखा गया। जिन्होंने शर्तें स्वीकार न कीं उन्हें या तो निकाल दिया गया या उन्होंने गवर्नमेन्ट की इमदाद से दुबारा अपना कब्जा जमा लिया।

फरवरी में सिंहों ने गुरु सर सतलाणी (अमृतसर) पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि महंत कृपा सिंह गुरुद्वारा छोड़ कर चला गया था। यह महंत बदमाश और रंडीबाज था। वह कुछ समय बाद फिर गुरुद्वारे में चला आया। मुकदमे में उसके खिलाफ बदमाशी और रंडीबाजी के इल्जाम साबित होने के बाद, इलाके के लोगों ने उसको गुरुद्वारे से निकाल दिया। २१ फरवरी को गुरुद्वारा तेजे के महंत ध्यानदास को, गुरुद्वारा श्रोमणि कमेटी के हवाले करना पड़ा। यह महंत गुरुद्वारे की १८,००० रुपये की जायदाद शराब कबाब और रखैलों पर बर्बाद कर रहा था। उसको कुछ शर्तों पर महंत बने रहने दिया गया और हिदायत दी गयी कि अगर उसने ये शर्तें तोड़ीं तो उसको निकाल बाहर किया जायेगा। उसने बदमाश इकट्ठे करके ननकाना साहब जैसी घटना रचने के यत्न किये इसलिए उसको गुरुद्वारे से निकाल दिया गया। इसी तरह उन दिनों गुरु अर्जुन देव के गुरुद्वारा होठियां (गुरदासपुर) को अकालियों ने अपने कब्जे में ले लिया। सरकार तेजे और होठियां के कब्जे दुबारा महंतों को दिलाना चाहती थी। लेकिन सिंहों ने पुलिस अफसरों की धमकियों के बावजूद, गुरुद्वारे अपने कब्जे में बहाल रखे।

१ कौंसिल और असेंबली में सवाल

इस महाशोकाकार घटना का असर आम जनता और अकालियों के अलावा, पंजाब कौंसिल के सरकारपरस्त मेम्बरों पर भी हुआ। लगभग हर मेम्बर ने

इस घटना के सम्बध म सवाल पूछे और प्रस्ताव लिख कर भेजे। एक दो मेम्बरा ने काम रोको प्रस्ताव भी पेश किया। होम मिनिस्टर सर जान मेनाड का रवया इन सवाला के बारे म बडा सख्त और टालन वाला था। सरदार दसवधा सिंह के काम रोको प्रस्ताव का विरोध करते हुए उसने कहा—"वातावरण पहले ही बडा खराब है। इस पर विचार करने से और ज्यादा खराब हो जायगा।" प्रस्ताव के समथन म ४० मेम्बर उठने चाहिए थे, लेकिन उठा सिफ वह अकेला। इसलिए उसका प्रस्ताव पेश न हो सका। लेफ्टीनन्ट सरदार रघुवीर सिंह न (सवाल न २३६) पूछा कि महत और उसके अनुयायियो को हथियारा के कितने लाइसेंस दिय गये? पहले से ही गढा हुआ जवाब था—हाल के वक्त लाइसेंसो म काई इजाफा नहीं किया गया। और महत की हिमायत करते हुए कहा गया कि महत की तरफ से उठाय गये कदमो से यह जाहिर नहीं होता था कि वह किसी के ऊपर हमला करना चाहता है। कप्तान गोपाल सिंह की तरफ से सवाल पूछा गया—क्या ननकाने के प्रबध से सिख असतुष्ट थे? जवाब मे कहा गया—गवनमन्ट यह जाचने की पोजीशन मे नहीं कि कुछ सिखा की असतुष्टि मे सिख जाति कितनी हिस्सेदार थी[1], वगैरा वगैरा।

कौंसिल की कोई साथकता न होने के कारण ही शिरोमणि कमेटी ने असहयोगी देशभक्तो की तरफ से आवाज उठायी थी कि कौंसिल के मेम्बर कौंसिल से इस्तीफा दे दें। गवनमेन्ट के शत्रुतापूण रवय के कारण कौसिल म रहने का कतई कोई लाभ न था।

इस भयकर कत्लेआम के बारे म दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली मे भी सिख और गैर सिख मेम्बरा की तरफ स सवाल उठाये गये और प्रस्ताव पेश किय गय। इस प्रसग म भाई मानसिंह की मि विनसेंट, होम मेम्बर, को लिखी गयी चिट्ठी तथा प्रस्ताव बडे महत्त्वपूण थे। चिट्ठी बडे विनम्र शब्दो मे—प्रस्ताव को पेश करन की अनुमति और हिमायत हासिल करने के लिए—लिखी गयी थी। प्रस्ताव के शब्द इस तरह थे

"यह असबली गवनर जनरल इन कौसिल से सिफारिश करती है कि वह कृपा करके मि शेषगिरि अय्यर मि वागदे, स जोगिन्दर सिंह मि भुरगिरी, खुद पेश करन वाले और दो सरकारी नामाद मेम्बरो का कमीशन मुकरर कर जो (१) २० फरवरी १९२१ को हुई दुखात घटना के सबध म अमन-कानून की रक्षा के वास्ते नियुक्त अफसरा के, (२) उन अफसरा के जिन्होंने उपरोक्त केस की पडताल मे हिस्सा लिया, और (३) दूसरे अफसरा

१ पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल डिबेटस, सवाल न ३२७, पृ ४४४

के गुरुद्वारा तहर या उपरांत दुर्गा घटना के सबध म लिया म साथ सबूत और रवैय के मामल म (क) बतौरे की पडताल और रिपोट करे, और (ख) इस मामले म मुनासिब कदम उठान के लिए सुझाव पश करे।''[1]

चिट्ठी म प्रस्ताव की व्याख्या करत हुए भाई मानसिंह न लिखा कि सिखो को बडी जबदस्त शिकायत ह कि उक्त दुखद घटना स पहल अमन-कानून कायम रखने वाल कमिश्नर अफसरो का रवैया ननकाना साहब म बहुत ज्यादा आपत्तिजनक था। उन्होंने कई अविचारपूण कारगुजारियो की ओर इस दुखद घटना को टालन के लिए कोई मुनासिब कदम नहीं उठाये। हर आदमी समझता था कि यह घटना किसी वक्त भी घट सकती है। चिट्ठी म यह भी लिखा था कि इस दुघटना के बाद पजाब कौंसिल और असबली के मम्बरो न पजाब सरकार स शिकायत की थी कि ननकाने साहब का मुकदमा सही हाथो म नहा है क्योकि कई पुरान पुलिस अफसर जिनकी आखो के सामने यह तैयारिया कर रहा था, इस जाच स सबधित ह। बडी गम्भीर शिकायत यह है कि जाच सही तरीके स नही की गयी और न ही जुम सबधी साजिश को नगा करन क लिए कोई यत्न किया गया। बहुत स गवाहो का मजिस्ट्रेट के सामन पहल दिय गये बयानो स फिर जाना इस भावना की पुष्टि करता है।

लेकिन गवनमेंट न अपनी पालिसी पहले से ही बना रखी थी कि इस किस्म के प्रस्तावो पर विचार का कोई अवसर ही न दिया जाय। गढा-गढाया कारण मौजूद था मामला सूबे से सबध रखता है। सरकारी कारोबार वाली तारीख पर कोई सहूलियत न दी जाय और वायसराय लाड रीडिग न— जिससे हिंदुस्तान पहुचने के वक्त, श्रामणि कमेटी न एक तार के जरिये इसाफ की माग की थी—यह इसाफ दिया हिज एक्सीलेंसी सहमत हैं कि प्रस्ताव को पश न होन दिया जाय।"[2]

१ फाइल न २६२, १६२१ होम पालिटिकल
२ फाइल न २६२ १६२२ (सितम्बर १६२१ की पजाब सरकार का चिट्ठी)

नौवां अध्याय

जांच-पडताल और मुकदमे

अंग्रेज राज पर से सिख जनता का इस समय भरोसा बडी तेजी से उठ रहा था। १९१४-१५ में गदर पार्टी पर किये गये जुल्म, सरकारी वफादारी का रास्ता रोक कर खडे थे। इस तथ्य का सबूत ननकाने साहब की इस घटना से ही मिलता था कि लोगों ने उन दो स्पेशल गाडियों में चढने से इन्कार कर दिया, जो लोगों को ननकाने से बाहर निकालने के लिए स्टेशन पर लायी गयी थीं। अफवाह यह फैल गयी कि सरकार कहीं दूर ले जाकर "सभी सिखों को पकड लेगी या बजबज घाट के मामले जैसा सलूक करेगी।"[1] लोग आम गाडियों पर चढ कर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन स्पेशल गाडियों पर नहीं।

गवर्नमेंट के अपने शब्दों में उस वक्त सरकार के विरुद्ध 'बडे अविश्वास का वातावरण" था। लायलपुर की मीटिंग के प्रधान की तरफ से २१ फरवरी को एग्जेक्यूटिव मेम्बर, मियां मुहम्मद शफी, को तार दिया गया—'कोई मुजरिम सजा से बच न सके। व्यक्तिगत रूप से जाकर सब कुछ देखो और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराओ।'[2] गोजरां से मियां मुहम्मद शफी और मि. शर्मा को श्री चंदा सिंह ने तार भेजे और 'सरकारी और गैर सरकारी अफसरों द्वारा पडताल कराने की मांग की।'[3] इसी तरह और सिखों की तरफ से भी निष्पक्ष जांच की मांग पर जोर दिया गया।

१. मांग : दो मुकदमे चलाओ

सिख जगत इस वक्त दो मुकदमे चलाने की मांग कर रहा था—एक, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस कत्ल में हिस्सा लिया था यानी महंत और उसके साथी कातिलों के खिलाफ, दूसरा, गवर्नमेंट अफसरों, खास कर मि. किंग

१ सी. के., नोटस

२ पंजाब गवर्नमेंट, कैम्प रावलपिंडी, की तरफ से गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट

३ उपरोक्त

और डी सी करी के खिलाफ, जिन्होंने शांति भंग करने महंत का यत्न करने की स्कीमा को आगे बढाया और महंत द्वारा यत्न के हथियार एकत्र करने के वक्त आखें बंद रखीं यानी इन अफसरों और महंत की साजिश के खिलाफ। दो मुकदमे चलाने की इस एजीटेशन के प्रति गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया यह थी कि सिख लोग महंत से बदला लेने पर तुल हुए हैं।[1]

जहां तक अफसरों पर मुकदमा की बात थी, पंजाब गवर्नमेंट के हाथ-पैर फूल गये थे। उसे कोई बात नहीं सूझती थी। दिल्ली की केंद्रीय सरकार उसकी मदद को दौड़ पड़ी। उसने पंजाब सरकार को दो-तीन बार लिखा "सरकारी चुप" नुकसान पहुंचा रही है। मुकदमे चला कर अफसरों की इज्जत बहाल करने से पहले इस विषय में मुकम्मिल एलान करो कि अफसर फर्ज की कोताही के कसूरवार नहीं थे, वे सरकार को सभी घटनाओं की सूचना देते रहे हैं और आखीर तक सरकार की पालिसी के मुताबिक काम करते रहे हैं वगैरा। अफसरों को उन तमाम शक सुबहों से बरी कराओ जो अखबारों में उनके खिलाफ थोपे गये हैं और हालात को स्पष्ट करने के लिए बार-बार एलान करो।[2]

इस सुझाव और मशविरे से पंजाब सरकार को जबान मिल गयी। उसने एक तरफ तो दोनों अफसरों की पोजीशन साफ करने के लिए एलान जारी करने शुरू किये। दूसरी तरफ, अखबारों पर अफसरों की हतक इज्जत के मुकद्दमे दायर कर दिये और बहुत बड़ी रकम जमानतों के तौर पर मांगी। वन्देमातरम ने माफी मांग ली।[3] अकाली डटा रहा। उसने लिखा "किंग और योरिंग ने उसके खिलाफ मुकदमे दायर कर दिये हैं। वह मर्दों की तरह इन मुश्किलों का मुकाबला पंथ और ईश्वर की मदद से करेगा।"[4] और उसने बड़े फख्र के साथ कहा कि यह अकाली के यत्नों का ही सदका है कि इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद भी अकाली (पंथ) में फिर नव जीवन आ गया है।

२ महात्मा गांधी का मशविरा

३ मार्च को महात्मा गांधी जी ननकाने साहब पहुंचे। उन्होंने इस दुखद घटना का बड़े ध्यान से अध्ययन किया। पूरी जानकारी हासिल करने के बाद

१ सी के नोट्स, १० ३ २१
२ एस पी ओ डॉनेल का मि ट्रेंच को पत्र, ८ ३ २१
३ पंडित दौलतराम कालिया का सवाल न ३६४, पंजाब कौंसिल, ५ अप्रैल १९२१
४ रोजाना अकाली, लाहौर, ७ अगस्त १९२१

उन्होंने कहा "हर एक चीज डायरशाही की पुनरावृत्ति की तरफ संकेत करती है —जलियावाले बाग के वहशीपन से भी ज्यादा वहशी, उससे भी ज्यादा शैतानी भरी।"[1]

महात्मा जी ने सिखो को बडा विवेकपूर्ण परामर्श दिया। पर उन्होंने इस परामर्श को स्वीकार न किया क्योंकि ननकाने साहब का इन्चार्ज इस वक्त हरवंस सिंह अटारी था, जिसकी राजनीति यह थी कि कांग्रेस लीडर के दखल देने से अंग्रेज हाकिम नाराज हो जायेंगे। उसका रवैया अफसरों के गुनाहों पर पर्दा डालने में सहायक हुआ और इस इन्कार का अकाली तहरीक को बहुत नुकसान पहुंचा।

महात्मा गाधी ने परामर्श यह दिया था कि, "मैं इस हत्याकांड की जांच करने के लिए गैर-सरकारी जांच कमेटी का प्रधान बनने को तैयार हूं लेकिन शर्त यह है कि तुम अदालतों में इन्साफ के लिए नहीं जाओ।"[2] असहयोगी सिख इस बात से सहमत थे। वे समझते थे कि अव्वल तो सरकार अफसरों के खिलाफ महंत पर साजिश का मुकदमा चलायगी ही नहीं। लेकिन अगर उसने यह अनहोनी बात कर भी दी, तो इसमें इंसाफ हासिल करना असंभव है। उदारपंथी अकालियों को यह संभव दिखायी देता था कि महंत और उसके सह-अपराधियों के खिलाफ अदालतों से इंसाफ मिल जायगा। लेकिन शीघ्र यह स्पष्ट हो गया कि वे सब भुलावे का शिकार बने हुए थे।

गैर सरकारी जांच-कमेटी से ब्रिटिश सरकार बहुत डरती थी। इसकी जांच से साजिश का सारा भेद खुल जाने की बड़ी संभावना थी। महात्मा गांधी का इस कमेटी का प्रधान बनने को रजामंद होना मामूली बात नहीं थी। कमेटी की जांच का नतीजा सारे हिंदुस्तान की जबान बन जाता और ब्रिटिश राज की साजिश को नंगा करने तथा उसकी साख को धूल में मिलाने में बड़ा सहायक होता। इससे अकाली तहरीक का सम्मान और भी बढ़ जाता। लेकिन यह सुनहरा मौका हाथ से खो दिया गया।

पुलिस के बड़े अफसर मिस्टर डेविड पैट्री की रिपोर्ट कहती है 'यह बहुत बढ़ा कर बात करना नहीं होगा कि ऐसी गैर सरकारी जांच के नतीजे उतने ही बदकिस्मत होते जितने दूरगामी। मैं लगे हाथ कहे देता हूं कि साजिश की कहानी झूठी है। जो कुछ भी महंत साजिश करके कर रहा था, वह अपने खिलाफ आने वाले, दुरुस्त तौर पर आने वाले, हथियारबंद हमले से बचाव के

१ दि टाइम्स, ११ मार्च १९२१
२ सी के, नोट्स, १० ३ २१

लिए कर रहा था। यह दूसरी बात है कि जब उसने स्वय हमला कर दिया, तो वह अपने हको से बहुत आगे बढ गया।"[1]

सारी अफसरशाही शुरू से ही महता का पक्ष ले रही थी। पैट्री के उपरोक्त वणन मे सरकार की तरफ स महत नारायण दास की तरफदारी साफ प्रकट होती है और यह भी जाहिर होता है कि वह अफसरा पर मुकदमा चलाने की माग कभी मानने वाली नही थी। उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया था कि अगर अफसरा पर साजिश का मुकदमा न चलाया गया, तो (सिखा के लिए) यह अनहोनी बात न होगी कि वे महात्मा गाधी की शर्तें मान कर गैर-सरकारी जाच कमेटी के लिए तयार हो जायें। असहयोगी सिख इसी बात पर जोर दे रहे थे, लेकिन गुजरा वक्त अब वापस नही आ सकता था। साजिश मे अफसरा को फासने का काम भी नही बना और महात्मा जी की रहनुमाई म गैर-सरकारी जाच कमेटी की स्थापना का मौका भी हाथ से निकल गया।

और जल्दी ही यह बात सामने आ गयी कि सरकारी अफसर सिखा को ननकाने साहब मे देखना तक पसद नही करते। अकालियो की मौजूदगी महत के खिलाफ गवाहो पर असर डालती थी। अफसर गवाहो से अपनी मर्जी के बयान दिलाना चाहते थे, इस वास्ते जरूरी था कि अकालिया को दबाने और गवाहा को ढाढस बधाने के लिए अकालिया पर फिर से दहशत बैठाने और उनकी गिरफ्तारिया करने का दौर शुरू किया जाय। इस आतक के वगैर गवाहो से अफसरो की मर्जी के बयान हासिल करना मुश्किल था। लोगो ने अकालिया की सगठित शक्ति का जन्मस्थान पर कब्जे के वक्त देख लिया था।

३ केस पैट्री के हवाले

और इस मुकदमे को खुद-बुद करने के लिए पजाब सरकार ने (जिसमे किग अब फसला करने वालो म मुख्य बन गया था) हिन्दुस्तान की सरकार से डी आई जी पुलिस डेविड पट्री की माग की। वह जासूसी महकमे का बडा तजुर्बेकार और माहिर अफसर था। उसने गदरी बगावत को खतम करने तथा बजबज घाट पर कोमागाटामारू के मुसाफिरो को गोलियो से भूनने मे बडा हिस्सा लिया था। वह पजाब आकर महत के मुकदमे मे काम करने से झिझक रहा था। खुद उसकी जबानी सुनिए कि वह क्या कहता है

इन स्थितियो म जाच का काम सभालने के लिए मेरी माग करने पर मैं पजाब सरकार के विवेक पर गहरा शक करने की आजादी लेता हू। यह आम जानी मानी बात हो गयी है कि बजबज के हल्ले गुल्ले के वक्त मैं वहा मौजूद

1 डी पट्री का सी के का पत्र लाहौर १५ माच १९२१

था—और इस बात का सारे लोगो को पूरी तरह पता है कि मैं हिंदुस्तान मे, और इसके बाहर, सिख इन्कलाबी साजिशो का तोडने से कई तरीको से सरगर्मी के साथ जुडा रहा हू। मैं जानता हू कि मैं कुछ भी हो सकता हू लेकिन नव सिख पार्टी के उन बहुत सारे रहनुमाओ की आखो म 'धूल झाकने वाला व्यक्ति' नही हो सकता, जो इस वक्त मौके पर हाजिर हैं। उनके साथ बर्ताव और बातचीत म मैं उनका भरोसा हासिल नही कर सकता। यकीनी तौर पर मैं यह समझ ही नही सकता कि उनकी तरफ से गहरे सदेह का पात्र होने के अलावा मैं और कुछ हो सकता हू। मैं इसाफी तौर पर यह असभव समझता हू कि उनको यकीन दिलाया जा सके कि मैं उनके साथ उचित व्यवहार करू गा। वे झटपट पीछे मुड कर देख कर कहेंगे 'देखो, गवनमट ने किस किस्म का अफसर निश्पक्ष जाच के लिए नियुक्त किया है।'"[1]

पैंट्री के उपरोक्त शब्द पढ कर नतीजा निकाला जा सकता है कि उसने पजाब म आकर इस केस की तफ्तीश और पैरवी करने से इकार कर दिया होगा। लेकिन बात ऐसी नही। उसको पजाब भेजने का फैसला हो चुका था। बेशक, केन्द्रीय सरकार यह फसला जाहिर नही होने देना चाहती थी। योजना यह बनायी गयी कि "पैंट्री इतवार ६ माच को लाहौर चला जाय। वह सोमवार ७ माच को ६ बजे वहा पहुच जायगा। उसको अपने विशेष काम से दस्तबरदार होने के लिए कहा जाय और ७ माच को दोपहर से पहले उसको मेरे (सी के—डायरेक्टर जसूसी महकमा) दफ्तर म नियुक्त कर दिया जाय।"[2]

पैंट्री ने खुद सुझाव दिया था कि अच्छा यह होगा कि उसको हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कुछ देर के लिए पजाब सरकार का हाथ बटाने भेज दिया जाय। वह उन की तफतीश के सामने मे मदद करे, लेकिन एक्जेक्यूटिव के कामो म दखल न दे।

इस तरह यह चालाक अफसर पीछे रह कर मुकदमे को खुद-बुद करने की साजिश रचने लगा। इसके जासूसो ने खबर दी कि श्रोमणि कमटी के मेम्बर इस शत पर महत को पद से मुआफी दिलाने और उसकी सजा कम से कम कराने का बदोबस्त कर सकते हैं कि वह साफ तौर पर किंग और करी का हाथ ननकाने के हत्याकाड म नगा कर दे। इस पर सरकार को और फिक्र पड गये। इस लिए पहले तो उन्होंने गवाहो के बयान—जिस तरह वे देते थे—लिखने से इकार कर दिया और फिर मुकदमे म गवाहो को अफसरो के खिलाफ जाने

१ डी पैंट्री ४ ३ २१ (प्रोसीडिंग्स, मई १६२१ न २८२ ३१५ तथा के डब्ल्यू)

२ सी के, नोट्स, ५ ३ २१

वाले बयानों से पलटाना शुरू कर दिया। सरकार की यह सारी साजिश सरकारी अफसरों को मुलजिम ठहराती है।

पट्टी खुद लिखता है— ननकाने की पड़ताल चल रही है। मैंने दूसरे इकबाली गवाह का बयान देख लिया है। यह ज्यादातर उसी बयान की तसदीक करता है जो पहले गवाह ने दिया था एक या ज्यादा पठानों द्वारा— जो महंत ने नौकर रखे थे और उसके साथ पकड़े गये थे—भेद खोल दिया जाना संभव है।"[1] यह शुरू में तफ्तीश के वक्त और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के वक्त की बात है। पैट्री ने जल्दी ही हालात पर काबू पा लिया और अपनी मर्जी के बयान दिलाने शुरू कर दिये। सीधा सरकारी दखल देख कर अकालियों की मुकदमे में दिलचस्पी जाती रही। उन्होंने एक तरह से मुकदमे का बहिष्कार कर दिया। इस किस्म की रिपोर्ट मिस्टर पैट्री ने भी मिस्टर के को भेजी थी। 'मुजरिमाना लापरवाही' का इलजाम तो नमदलीय अखबार भी इन अफसरों पर बार-बार लगाते थे।

लेकिन आम सिख, खास कर अकाली इस दुखद घटना का जिम्मेदार अंग्रेज अफसरों—किंग और करी—को ठहराते थे। महंत तो उनका पिट्ठू था। गैर सिखों की भी प्रकट या अप्रकट यही राय थी। इस हत्याकांड ने अंग्रेज राज के खिलाफ आम सिखों का गुस्सा भड़का दिया था और वे श्रोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कोई तेज कदम उठाने के लिए जोर दे रहे थे। खुद श्रोमणि कमेटी के बहुत से मेम्बर भी कुछ न-कुछ करने के लिए उतावले थे। १३० सिखों की शहादत कोई मामूली बात नहीं थी। वफादारों के सिवाय इस शहादत ने सिखों के दिलों में सरकार के खिलाफ बड़ी नफरत भर दी थी।

लगभग १०० सिखों की गिरफ्तारियां उनके डाका डालने, घर तोड़ने और गैर-कानूनी संगठन वगैरा के मेम्बर होने के आरोप लगा कर चलाये गये मुकदमे—यह सब गुरद्वारा तहरीक को कुचलने के लिए हमला था। इन घटनाओं ने जलती आग पर तेल का काम किया। पहले जख्म ही अभी सिखों को तड़पा रहे थे कि अंग्रेज राज ने सिखों के दिल पर नये जखम कर दिये।

११ मई १९२१ को श्रोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें सरकार सहयोगियों और जुझारू असहयोगियों के दरम्यान टक्कर हुई। सहयोगियों की मांग यह थी कि सरकार गुरद्वारा-कानून बनाना चाहती है, इसमें मोटी तरमीम करके यह कानून बनवा लिया जाय और सिखों का पूर्ण

१ डी पैट्री का कनर के का पत्र लाहौर १५ मार्च

गुरुद्वारा सुधार या आजादी के लिए असहयोग के रास्ते पर न जाने दिया जाय, ताकि सिख—चीफ खालसा दीवान वालो की तरह ही—अंग्रेजो के "दीर्घजीवी राज" के गीत गाते रहे।

४ कवीश्वर और असहयोग

सरदार सरदूल सिंह कवीश्वर उस मीटिंग मे उपस्थित थे। उन्होंने मीटिंग मे सरदार सुन्दर सिंह की पेश की हुई तजवीज की मुखालिफत की थी और असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था। वह लिखते हैं "गुरुद्वारा कमेटी अपने गुरुद्वारा के इतजाम म गवनमेट का कोई हस्तक्षेप नही चाहती थी। इसलिए उन्होने इस बारे मे एक प्रस्ताव पास किया और एक प्रस्ताव यह भी पास किया कि सरकार के साथ असहयोग की पालिसी अख्तियार की जाय। सरदार हरबश सिंह अटारी और जोधसिंह वगरा ने इस प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। परन्तु उनकी एक न चली। इसलिए उन्होंने इस कमेटी से इस्तीफे दे दिये और यह कहते हुए मीटिंग से बाहर चले गये कि हम उन लोगो से बदला लेकर छोडेंगे जिन्होंने बनने वाले कानूनो की मुखालिफत की है। यह इनका दिली मनोरथ था। इस कानून द्वारा सरदार सुन्दर सिंह सब सिख मदिरो के रक्षक बनने वाले थे।"[१]

गवनमेट अफसरो को बडा यकीन था कि उनके वफादार शिरोमणि कमेटी के अन्दर बठे हैं जो सरकार के खिलाफ—सरकारी तसदद्दुद के बावजूद—कोई प्रस्ताव पास नही होने देंगे और सिखो को अंग्रेज राज के साथ जोडे रखेंगे। यह तो उन अफसरो ने सपने मे भी नही सोचा था कि शिरोमणि कमेटी गुरुद्वारो को पथिक कब्जे मे लाने के लिए असहयोग का प्रस्ताव पास करने तक आगे बढेगी। इसलिए सरकार की चिन्ता समझ म आनी मुश्किल नही थी।

पट्टी लिखता है "करतार सिंह की गिरफ्तारी को जत्था की तरफ से, कुदरती तौर पर, अच्छा नही समझा गया। इस गिरफ्तारी ने उस कमेटी को भी परेशान कर दिया है जिससे हम ज्यादा सुलझी हुई और सहायक पालिसी की उम्मीद रखते थे। उसने गवनमेट के साथ असहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया है और गवनमेट की निन्दा का भी। और इन बातो का लाजिमी नतीजा वफादारो के इस्तीफो मे ही निकलता दिखायी देता है।"[२]

१ सरदार सुन्दर सिंह कवीश्वर का एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मि हैरीसन की अदालत मे अपना लिखित बयान, जून १९२१

२ डी पट्टी का कनल के को पत्र, लाहौर, १५ माच १९२१

ये प्रस्ताव अंग्रेज अफसरो को एकदम हरकत मे ले आये । अफसरो ने य प्रस्ताव वापस कराने के वास्ते श्रोमणि कमेटी पर दबाव डालने के लिए कई तरीके अख्तियार किये । "पजाब गवर्नमेंट शिमले चली गयी । परन्तु सरदार सुदर सिंह मजीठिया जानबूझ कर, पीछे ठहर गया था—यह सोच कर कि वह पर्दे के पीछे से कमेटी की कारवाई पर नजर रखेगा और जिस तरह भी हो, स्वय अपनी मर्जी के खिलाफ कोई फैसले नही होने देगा । लेकिन जब उसके दोस्तो की कोशिश के बावजूद भी वह इन प्रयत्नो म असफल हुआ तो उसने शिमले पहुच कर मेरे विरुद्ध रिपोर्ट करने म कोई कसर न छोडी ।"[1] तो भी असहयोग का प्रस्ताव वापस कराने के प्रयत्न उन्होने ढीले नही किये । शिमले से लाला हरकिशन लाल खेती बारी के वजीर, को अमृतसर भेजा गया कि वह सिखो को असहयोग का प्रस्ताव मसूख करने और सरदार सुदर सिंह की रहनुमाई कबूल करने को प्रेरित करें ।"[2] लेकिन श्रोमणि कमेटी ने यह कदम वापस लेने के लिए नही उठाया था—सोच समझ कर और इसके नतीजो का मुकाबला करने के लिए उठाया था ।

५ प्रचार युद्ध

सरदार सरदूल सिंह कवीश्वर ने गुरद्वारो की आजादी के सग्राम मे बडी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी । वह सेंट्रल सिख लीग और पजाब सूबा काग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे । २७ मई १९२१ को गिरफ्तार होने से पहले वह सिख पब्लिसिटी कमेटी के सक्रेटरी थ । मार्च की गिरफ्तारियो के बाद, सरकारी अफसरो ने अकालियो को बदनाम करने के लिए झूठे इलजामो का जबदस्त प्रचार शुरू कर दिया था और सरकारी एलानो के जरिये कहा था कि अकालियो ने हिंदुओ की पवित्र मूर्तियां तोड दी हैं मस्जिदो को गिरा कर उनकी बेहुरमती की है समाधियां ढहा दी हैं वगैरा वगैरा । कवीश्वर ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ननकाने मे स्वराज्य आश्रम और खिलाफत कमेटी के प्रतिनिधियो पजाब कौंसिल के मेम्बरो और सियासत के एडीटर सैयद हबीब को ननकाने भिजवाया ताकि वे सच्चाई का बयान करके सरकारी प्रचार का भडाफोड करें । ननकाने साहब के सिख यात्रियो पर इल्जाम लगाये गये थे कि उन्होने स्त्रियो और मूर्तियो का अपमान किया है, मजारो और मस्जिदो का निरादर किया है तथा स्त्रियो को दुख दिये हैं । सिख पब्लिसिटी कमेटी ने हिंदुओ सिखो और मुसलमानो के इज्जतदार और प्रतिष्ठित

[1] कवीश्वर का बयान
[2] उपरोक्त बयान

प्रतिनिधियों की दाद्दता के साथ गवर्नमेंट अफसरों की शह से फैलायी हुई इन झूठी कहानियों की अच्छी तरह पोल खोली और साबित किया कि उपरोक्त कहानियाँ मनगढ़त और झूठी थीं।

"ननकाना मंडी में रहने वालों और अन्य लोगों ने मुझे बताया कि सिखों ने किसी का नहीं लूटा, लेकिन खौफ के मारे लोग जब भाग गये, तो उन्होंने उनकी जायदाद पर पहरे लगा रखे।" (सैयद हबीब, एडीटर सियासत)।

'अकाली जत्थों के सदस्य पवित्र आदमी हैं। उनकी पिछली जिंदगी कुछ भी रही हो, इस समय वे धार्मिक भावना से उत्पन्न जोश से भरपूर हैं।" (हंसराज बैरिस्टर, प्रधान, कांग्रेस कमेटी, जालंधर)।

"यह सब देखने के बाद कुछ तुच्छ-सी शिकायतों के सिवा किसी शिकायत का कोई आधार नहीं। हम उस अनुशासन और शांति की, जो खालसे ने दिखायी है तारीफ करने को मजबूर हैं।" (खिलाफत डेपुटेशन)।

११ मार्च को ननकाने में हुई हिंदुओं मुसलमानों की एक संयुक्त सभा ने प्रस्ताव पास किया 'जिस वक्त से ननकाने में सिख आये हैं, उनका हिंदुओं मुसलमानों के साथ सलूक हमदर्दी भरा और सराहनीय है। वे दूसरों के धर्मों में कोई दखल नहीं देते। हम दुश्मनों की तरफ से फैलायी हुई झूठी अफवाहों की पुरजोर निंदा करते हैं।"

इस तरह जनता के जो भी प्रतिनिधि ननकाना साहब गये, उन्होंने गवर्नमेंट के झूठे प्रचार का भंडाफोड़ किया। स्वराज्य आश्रम डेपुटेशन ने अपनी दो टूक राय दी जांच करने के उपरान्त हमें यकीन हो गया है कि गुरुद्वारा जन्मस्थान में कोई शिवलिंग नहीं था, न ही वहां किसी मूर्ति की जगह कोई और चीज रख देने के निशान थे। कब्रिस्तान को सिख लोग पाक जमीन समझते हैं। वे दूसरे फिरकों के भावों का बड़ा आदर करते हैं और इस किस्म की अफवाह कि उन्होंने कोई कब्र तोड़ी है—बिल्कुल झूठी और बे-बुनियाद है। इस किस्म की झूठी अफवाहें और शरारतियों द्वारा अपवित्र हरकतें—हलचल और भड़काव के वक्त कोई नयी बात नहीं हैं। इनका मकसद एक फिरके को दूसरे के खिलाफ लड़ाना है। (पंजाब कौंसिल के सिख मेम्बरों का बयान)।[1]

सरकारी झूठे प्रचार का मकसद यह था कि सिखों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों को खड़ा किया जाय अकालियों के प्रति आम सिखों की सद्भावनायें समाप्त की जायें, उनको बदनाम करके तथा आम लोगों से अलहदा

[1] उपरोक्त सब बयान प्रो तेजा सिंह की गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट में विस्तार से दिये गये हैं —लेखक

करके उन्हें कुचल दिया जाय। सरकार का प्रचार-यन्त्र बहुत शक्तिशाली था क्योंकि सारी प्रचार एजेंसियों की जिंदगी सरकार की कृपा पर निर्भर थी। इनका काम सच्ची खबरें देना नहीं बल्कि सरकार के पक्ष की रंगदार और सरकारी रुचि वाली खबर देना था। इस मामले में अंग्रेज अफसरों की पालिसी थी—कुत्ते को पागल कह कर बदनाम करो और गोली का शिकार बनाओ। लेकिन सिख पब्लिसिटी कमेटी ने प्रचार के क्षेत्र में सरकारी मशीनरी को सफल न होने दिया और सरकार की ओर से फैलायी गयी झूठी खबरों का सही और सच्चा जवाब देकर आम लोगों तथा हिंदुओं मुसलमानों को अकाली तहरीक के पक्ष में बनाये रखा। अकाली तहरीक के सफलता के साथ बढ़ते जाने और तरक्की करने में शिरोमणि कमेटी की पब्लिसिटी कमेटी का बड़ा हाथ था।

६ गरम-ख्याल असहयोगी

इस वक्त गुरुद्वारों की आजादी के लिए आम सिखों में जोश और कुर्बानी की भावना लगातार बढ़ रही थी। कौमपरस्त सिख लीडर जहां देश की आजादी के लिए आगे-आगे थे वहां गुरुद्वारों की आजादी के लिए भी वे सब से आगे थे। बाबू दानसिंह विछोआ, सरदार अमर सिंह झबाल और जसवंत सिंह झबाल ने सिखों में जाग्रति पैदा करने में बड़ा काम किया। वैसे इस अकाली तहरीक की वाणी—अकाली अखबार इसके प्रबंधक तथा एडीटर थे। शहीदी जत्था कायम करने और रकाबगंज की दीवार खड़ी करने के मोर्चे की बात सबसे पहले सरदार सरदूल सिंह कवीश्वर ने चलायी। एक सौ से बढ़ कर ननकाना साहब के हत्याकांड के जल्दी बाद ही शहीदी जत्थे में शामिल होने वाले अकालियों की संख्या १००० से भी ज्यादा हो गयी। ये अकाली ऐसे सूरमा थे जो अपने धर्म की खातिर—नोटिस मिलते ही—एकदम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए घर बार छोड़ने को तैयार थे। वे किसी भी मोर्चे में भेजे जा सकते थे। उन्होंने अनुशासन में रहने और उकसावे की हालत में भी शांति कायम रखने की सौगंध खायी थी। इस किस्म के सरफरोशों और आत्मत्यागियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। इस सूरमा जत्थे की रहनुमाई उपरोक्त लीडरों के अलावा सरदार खड़क सिंह, तेजा सिंह समुद्री, हरचंद सिंह वगैरा कर रहे थे और नये से नये कौमपरस्त लीडर लगातार मैदान में कूद रहे थे।

सरकार को एक तो गुस्सा शिरोमणि कमेटी की तरफ से असहयोग का प्रस्ताव पास कर देने पर था, दूसरे इस बात पर कि गुरुद्वारों पर कब्जा करने की रहनुमाई कौमपरस्तों द्वारा की जा रही थी और धन—अधिकारों—

सहयोगी सिखा के हाथा मे आ रहे थे। गवनमेंट का एक तरफ तो सिखा वफादारी के कम होने जाने का फिक्र खाय जा रहा था, दूसरी तरफ यह फिक्र कि अगर गुरुद्वारा और वक्फा की आमदनी राष्ट्रवादियो के हाथ मे आ गयी, तो वे उसे राजनीतिक कामा और सग्रामा के लिए इस्तमाल करेंगे, इस-लिए जिस तरह भी वन पडे इस तहरीक को कुचला जाय!

लेकिन गवनमट की यह चिता बे-बुनियाद थी। इस चिन्ता के कारण मि किग ने बाबे दी बेर का गुरुद्वारा सिखो की प्रतिनिधि कमेटी के हवाले करते समय रुपय का इस्तमाल करने पर पाबदी लगा दी थी और वक्फ पर सरकार ने कब्जा कर लिया था। सरकार को असल फिक्र शोमणि कमेटी पर राम-स्थालिया का कब्जा हा जाने और वफादार चीफ खालसा दीवान की साख गिरते जाने का था। शामणि कमेटी किसी भी लीडर का गुरुद्वारे के रुपये के गलत इस्तेमाल की इजाजत नही दे सकती थी। न ही अकाली जत्थे, जिनम अधिकाश अकाली सिर्फ धार्मिक ख्याला के थे, किसी को राजनीतिक कामा के लिए धार्मिक आमदनी के नाजायज इस्तेमाल की इजाजत द सकत थे। गुरुद्वारों के रुपया का नाजायज इस्तेमाल फूट पैदा करने और गुरुद्वारा लहर को तोडने का काम दता।

दसवां अध्याय

साजिश के सबूत

अफसरो को इस साजिश का अच्छी तरह पता था। कमिश्नर किंग ने पंजाब कौंसिल मे अपनी व्यक्तिगत सफाई पेश करते हुए कहा था "यह कहना सच है कि २० फरवरी की घटना से पहले के कुछ महीनो से—असल मे अक्तूबर के शुरु से—ननकाना गुरुद्वारे पर हमले की धुंधली अफवाहो से वातावरण भरपूर था। यह कहा जाता था कि गुरुद्वारे पर हमला करने के लिए जत्थे जमा हो रहे हैं ताकि ताकत के बलबूते पर उस पर कब्जा किया जाय। इस तरह इस बात की अफवाह उडायी गयी थी कि महन्त गुप्त रुप से हथियार जमा कर रहा है जिनसे वह अपनी रक्षा कर सके।"[1] लेकिन झूठ को साबित करने के लिए जितनी चालाकी और होशियारी चाहिए थी, उतनी किंग मे नही थी।

पहले किंग ने कौंसिल को बताया था कि, जब मैंने जनवरी १९२१ के आखीर मे ननकाने का दौरा किया तो मैंने देखा कि दरवाजा को मजबूत कर दिया गया था और उनमे जासूसी मोरिया बना ली गयी थी। लेकिन तैयारियो का मकसद बाहर के हमले के खिलाफ रक्षा करना दिखायी देता था।"[2]

इस तरह य सिफ 'अफवाहें' नही थी। रक्षा की तैयारियां होती वह खुद देख आया था—किनके खिलाफ? उनके खिलाफ जो गुरु नानक के श्रद्धालु भक्त थे और गुरद्वारे म जाकर माथा टेकना चाहते थे। उसको महत की साजिश का पूरा पता था। वह अपने झूठ को छिपाने के लिए 'अफवाहो" का परदा ओढता है। सरकार और किंग को यह भी पता था कि अकाली लोग महंतो का सुधार करना चाहते हैं। व सबको गुरुद्वारा से निकालना नही चाहते, सिफ बदमाशो को निकालना चाहते हैं।

दूसरे कौंसिल म दी गयी अपनी व्यक्तिगत सफाई म किंग कहता है नवम्बर (१९२०) के आखीर म बडे मेले के वक्त उस (डेपुटी कमिश्नर करी)

१ सी एम किंग 'ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन" कौंसिल डिबेटस ८ जनवरी—
 १६ अप्रैल १९२१ पृ ३८० ८१
२ वही

की उपस्थिति और व्यक्तिगत भाग-दौड ने, उससे भी ज्यादा दुखात घटना को टाला, जो फरवरी (१६२१) म वास्तव म घटी ।" इसलिए अगर नवम्बर १६२० मे महत नारायण दास, फरवरी १६२० स भी ज्यादा भयानक हत्याकाड करने के लिए तैयार था, तो अब तो हालात और भी खराब हो गए थे। और, किंग खुद दरवाजा की मजबूती और उनम बनायी गयी चोर मोरिया का देख आया था। लेकिन डी सी करी या किंग द्वारा सिख यात्रिया की रक्षा मे, या महत का २० फरवरी की दुखात घटना करया करन स रोकने के, कोई कदम न उठाना उनका महत की साजिश मे शामिल होन का दावी ठहराता है। अत उस वक्त लोग ठीक इलजाम लगा रहे थे कि इन दोना अफसरा का इस "भयानक जुर्म म छिपा हुआ हाथ था।"[1]

तीसरे, चार-पाच जिला के "अमन और कानून" का रखवाला यह किंग कहता है कि अगर य तैयारिया (मजबूत दरवाजे, चोर मोरिया) महन्त अपनी रक्षा के लिए कर रहा था, तो हरेक इसाफपसद व्यक्ति यह बात स्वीकार करेगा कि य तैयारिया बिल्कुल जायज थी।"[2] ठीक है, महन्त का नाजायज पिस्तौलें और बन्दूकें, कारतूसा की पटिया आदि खरीद कर रखना बिलकुल कानून के मुताबिक था। उसकी तरफ से गुरुद्वार के अन्दर भटिठ्या लगा कर गडासे, टकुवे, वगैरा बनाना बिलकुल जायज था। इस कानून के रक्षक न पता किया होगा कि अकालिया के कत्लेआम के लिए महत ने और क्या-क्या हथियार तैयार करवाय थे, क्योकि जो अफसर दरवाजा की मजबूती और चोर मोरिया देख सकता है, वह रक्षा के असल हथियार—पिस्तोलो, बन्दूका और कारतूसा को—इस तरह आखा से ओझल कैसे रहने दे सकता है ?

किंग कहता है कि "मुझे खबर नही थी—गवनमेट का कोई खबर नही थी—कि चन्द्रकोट म १६ या २० फरवरी को कोई बडा दीवान हो रहा है और लछमण सिह और उसकी पार्टी ननकाने जा रहे हैं।'[3] इसका मतलब तो यह निकलता है कि सी आई डी के कारिंदे (कमचारी) महत से रिश्वत खाकर सरकार को रिपोर्ट नही द रहे थे—राजनीतिक नेताओ की मिनट मिनट की रिपोट करने के लिए तो ये बडे मशहूर थे—या यह कि जानबूझ कर किसी घृणित साजिश के अन्तगत वे आख और मुह बन्द रखे थे कि महत नारायण दास के हाथो अकाली जत्थे का कत्लेआम होने दिया जाय ताकि अकाली लहर का टटा

१ वही
२ वही
३ वही

सरकार के गले से छूटे। सभावना इस बात की है कि महत की रिशवत भी काम कर रही थी और साजिश भी रची जा रही थी।

चौथे, पजाब कौसिल को दी गयी उसकी व्यक्तिगत सफाई का पूरा बयान अकाली तहरीक के खिलाफ अधे तअस्सुब और वैर भाव से ओत प्रोत है। इसमे किग कहता है कि वह "चिटठी" जो मैंने "सरकार की मजूरी के साथ" बाबा करतार सिंह बेदी को लिखी थी, इस उम्मीद से लिखी गयी थी कि "जत्थे यह बात समझ जायेंगे कि वे कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं और वे अपने आपको रोक लेंगे।"[1] अब उस चिटठी के सबधित भाग का अध्ययन कीजिए जो उसने १८ दिसम्बर (१९२०) के बाद बेदी को किसी तारीख पर लिखी थी। किग ने शुरू म १८ दिसम्बर को बेदी के साथ हुई बातचीत का हवाला दिया है और फिर महतो के गुरुद्वारो पर अमन अमान के साथ कब्जा जमाये रखने की बात करते हुए लिखा है "मैं (यह पत्र—स) यह बताने के लिए लिख रहा हू कि ऐसा कोई आदमी जो किसी महत को—या किसी अय आदमी को जिसके किसी गुरुद्वारे मे हक हैं—जबदस्ती निकालने के यत्न करता है, वह दड वाले कानून का भागीदार है। महत—अगर उसके पास यह सोचने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि उसको अपने गुरुद्वार से जबदस्ती निकाल दिया जायगा तो वह—जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस की हिफाजत के लिए दरखास्त दे सकता है। पर इस हिफाजत का खच उसको भरना पडेगा। अगर वह चाहे तो वह दडावली की दफा १०७ के तहत शिकायत भी कर सकता है कि उन आदमियो की जमानत ली जाय, जिनकी ओर से उसको बल प्रयोग का खतरा है। अगर अहतियाता के बावजूद—या अहतियातें न भी ली गयी हा तो भी—उसको गुरुद्वारे म से निकाल दिया जाता है, तो वह अपने हका की बहाली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है तथा विरोधियो को दड दिलाने के लिए भी मुकदमा दायर कर सकता है।"[2]

करतार सिंह बेदी पजाब कौंसिल का मेम्बर और सरकार के दरबार म बडा असर रसूख रखने वाला व्यक्ति था। वह बेदी जागीरदारो मे से एक था और अपने-आपको गुरू भी कहलवाता था तथा सरकार की तरफ से गढी गयी शब्दावली के अनुसार 'सिखा का कुदरती लीडर' भी था। वह महत नारायण दास का सलाहकार और उसके सुख-दुख का साझीदार था तथा अफसरा के साथ उसके गहरे रिश्ते थे। चिटठी मे इन दोनो के दरम्यान सिफ वही बातचीत हुई जो चिटठी म दज है। पता नही किग ने बेदी स जबानी

१ वही

२ ननकाना हत्याकाड पर गवनमट का २८ फरवरी १९२१ का एलान

ौर क्या-क्या कहा होगा। दोनों अकाली आन्दोलन के शत्रु और महंत के हित साधक थे। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि किंग ने, जबानी बातचीत में, वदी के वसीले से महंत की तैयारियों को शह दी होगी।

खुद सरकारी एलान में यह बात कबूल की गयी है कि "लाहौर के भूतपूर्व कमिश्नर (किंग) को बाबा करतार सिंह बेदी के नाम चिट्ठी लिखने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है।"[1] सायल गजट के एडीटर सरदार अमर सिंह ने गवनमेंट को तार दिया था "इस व्यापक षडयंत्र में बदियां तथा अन्य का हाथ बताया जाता है।" यह चिट्ठी असल में महंत के लिए खुनी रास छोड़ने की हरी झंडी थी। महंत का अखबार सत सेवक खुला चैलेंज कर रहा था कि— "आ जाओ जिसे आना है ! हम तयार हैं।"[2]

चिट्ठी में किंग द्वारा महंत को मशविरा दिया गया था कि वह खर्च देकर अपनी हिफाजत के लिए पुलिस मंगवा ले। वह हजारों रुपये खर्च करके अकालियों के कत्लेआम के लिए गुंडे और बदमाश भरती कर रहा था। उसने पुलिस से हिफाजत क्यों नहीं मांगी ? जिन लोगों या लीडरों से उसको खतरा था, किंग के मशविरे के मुताबिक महंत ने उनकी जमानतें क्यों न करायीं ? चिट्ठी में दिये गये इन मशविरों के न माने जाने के बारे में किंग अपने व्यक्तिगत बयान में एक शब्द भी नहीं कहता। उल्टे, वह कहता है कि चिट्ठी इस उम्मीद से लिखी गयी थी कि जत्थे यह बात समझ जायेंगे कि वे कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और अपने को रोक लेंगे।'

प्रत्यक्ष नजर आता है कि किंग कातिल महंत का पक्ष ले रहा था, उसके कत्लेआम पर पर्दा डाल रहा था और मकतूल शहीदों को गुनहगार बताने का यत्न कर रहा था। वह खुद साजिश में शामिल था और परस्पर विरोधी बातें करके झूठ बोल रहा था।

और, उसके इस झूठ का सबूत खुद उसकी लेखनी से लिखित बातों में मौजूद है। वह अपने नोट में लिखता है महंत नारायण दास की तरफ से जनवरी के शुरू में भेजे गये एक टेलीग्राफ में कहा गया था—सिखों ने दरबार जन्मस्थान पर ताकत के बलबूते पर कब्जा करने का एलान किया है। इस मकसद को पूरा करने के लिए लीडरों ने दस हजार आदमी इकट्ठे कर लिये हैं। रहम करके बचाओ। मैं पुलिस गारद वगैरा का खर्चा महंत के लिए तैयार हूं। अगर मौके पर ही कोई मौत हो गयी तो मैं अपने आपको जिम्मेदार नहीं समझूंगा। सदगे के वक्त दरबार साहब के दरवाजे बन्द कर दिये

१ वही
२ खालसा एडवोकेट, २५ फरवरी १९२१

जायेंगे। कृपया पुलिस गारद तावड़तोड़ भेजिए।" और यह भी दर्ज है कि डी एस पी द्वारा भी उसी मतलब की रिपोर्ट, उसी तारीख को दी गयी थी, जिसे करी ने 'बरजत् गौर यानी" बताया था।

यही नहीं, किंग के इसी नोट में यह भी दर्ज है कि "मि करी का विचार था कि महन्त अपने वतीरे में ज्यादा गुस्सा भड़काने का कसूरवार था। लेकिन वह (करी) इस बात में दखल नहीं करता था कि महन्त सिखों से सचमुच ही डरता था।'

इससे साफ सिद्ध होता है कि मि किंग को महन्त की सब तैयारियों का पता था, मिसलों को "मौके पर ही" महन्त द्वारा मार देने की तजवीज का पता था। उससे और करी का महन्त के तार और डी एस पी की तरफ से लगभग डेढ़ महीने पहले दी हुई रिपोर्ट से पता था कि महन्त सिखों के कत्ले आम का प्रबंध कर रहा है। उन्होंने जानबूझ कर यह कत्लआम होने दिया। कारण यह कि वे खुद इस कत्लेआम की साजिश में शामिल थे और यह ब्रिटिश साम्राज्य के अफसरों के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में राष्ट्रीय आजादी की तहरीकों को तोड़ने के लिए किंग और करियों ने सैकड़ों इस किस्म के उपद्रव किये थे।

इस भयंकर हत्याकाण्ड के २० फरवरी को हो जाने के कारण ५ मार्च का इससे भी ज्यादा भयानक शहीदी हत्याकाण्ड टल गया। विश्वसनीय समाचारों के अनुसार ५ मार्च को पंथ के बड़े सम्मेलन के वक्त महन्त द्वारा सिख नेताओं को जन्मस्थान के अन्दर समझौते की बातचीत करने के लिए बुलाया जाना था और वहां पंथ के सभी नेताओं का कत्लेआम कर दिया जाना था। यह था फैसला जो महन्त और उसकी चंडाल-चौकड़ी तथा उसके मददगारों ने किया था।[1] इस तरह सर जॉन मेनार्ड के इस सिद्धान्त को अमली जामा पहनाया जाना था कि—सिर काट दो, धड़ अपने आप जमीन पर गिर जायेगा।

०

१ सी एम किंग, आफीशियटिंग चीफ सेक्रेटरी, का सक्रेटरी गवर्नमेंट आफ इंडिया को नोट, २६ मार्च १९२१

गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, पृ २२७ २२८

ग्यारहवा अध्याय

दमन का नया दौर

ननकाने साहब की इस अद्वितीय शहीदी ने, धार्मिक ज्वाला के नम, गम और उदारपंथी सिखों को एकत्र कर और भी दृढ प्रतिज्ञ बना दिया था। अकाली जत्थेबन्दी की परिधि ज्यादा विशाल और गहरी हो गयी थी। जन्मस्थान पर कब्जा होने के बाद, ननकाना साहब के बाकी गुरुद्वारे भी अकाली जत्थो के प्रबंध मे आ गये थे। धार्मिक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारो के प्रबंध के मामले म सारे सिखो का प्रतिनिधि सगठन बन गयी थी। जत्था की बढ रही सगठनात्मक ताकत न गवनमट को बहुत चिंतित कर दिया था। कारण यह कि इतनी बडी तहरीक और जत्था की ऐसी निर्भयता तथा दिलेरी से उसका पहले कभी वास्ता नहीं पडा था। सरकारी हाकिम आम लोगो की अटूट वफादारी और ताबेदारी को एक न मिटने वाली हकीकत समझ कर, आराम और ऐश के साथ राज कर रहे थे।

लेकिन अब पहले वाले हालात नहीं रह थे। कांग्रेसी असहयोग, मुसलमानो की खिलाफत और सिखो की गुरुद्वारा आजादी की एजीटेशन ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध नय हालात पैदा कर दिये थे। अंग्रेजी राज अब अपनी स्थिरता को अपन राज के दमन यत्र के अधिक से अधिक इस्तेमाल के जरिये ही देखने लगा था।

गवनमट ने गुरुद्वारा लहर से निपटने क लिए दो-नुक्ता पालिसी बनायी (१) गुरुद्वारा तहरीक से निपटने के लिए कानून बनाने का चुग्गा डालो—इस किस्म का कानून, जिसमे अगर सीधे नहीं ता टेढे, सरकारी दखल जारी रह और (२) ला-कानूनी का हौआ खडा करके अकाली जत्थेबदी को भरपूर दमन के जरिये खत्म करो।

१३ माच १९२१ को दिल्ली से भारत सरकार ने गवनर मैकलगन को लिखा 'पजाब स सिखो की ला-कानूनी की बडी चिंताजनक खबरें आ रही ह तुम जल्दी स जल्दी पता दो कि तुम किस के बारे म क्या कारवाई करने जा रहे हो। हमे—जो केन्द्रीय सरकार म बठे है—बडा खतरा महसूस हो रहा है कि अगर इसको रोका न गया, ता यह लहर बडी तेजी स बढ सकती है और

सारे सूबे के अमन-चैन के लिए गम्भीर खतरा बन सकती है। मौजूदा हालात का इलाज करने के लिए फौरन कारवाई की जाय।'[1]

१५ मार्च से गिरफ्तारियां शुरू हो गयीं। लाहौर का कमिश्नर और पुलिस की धाड ननकाने साहब पहुंच गये। करतार सिंह झब्बर उनकी आंख में सबसे ज्यादा खटकता था। उसी की जत्थेदारी में गुरुद्वारा जन्मस्थान पर कब्जा किया गया था। पुलिस के अफसर अकालियों से टक्कर लेने के विचार से हथियारों के साथ पूरी तरह लैस होकर गये थे। उनका मकसद गुरुद्वारा कियारा साहब में अकालियों को पकड़ना और गुरुद्वारे पर कब्जा कर लेना था, पर पुलिस अफसरों को—सामने से मुकाबला न होने के कारण—बड़ी निराशा हुई। पहले करतार सिंह झब्बर ने चुपचाप अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वह अकाली जत्थे के मेम्बरों के पास कियारा साहब गया और उनको चुपचाप गिरफ्तार हो जाने की प्रेरणा दी।[2] उसने कहा—शिरोमणि कमेटी की पालिसी शान्तिमय रह कर संग्राम चलाने की है, हम पंथ की पालिसी का उल्लंघन नहीं करना है। वे लोग भी गिरफ्तार हो गये और उनके टकुवे तथा लाठियां छीन ली गयीं।

सरकारी हमला तेज हो गया था। पंजाब सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को हिदायतें भेज दी थीं कि झगड़े वाले गुरुद्वारों को दफा १४५ के मातहत सरकारी कब्जे में ले लो। उसने डेपुटी कमिश्नरों को हुक्म भेज दिये कि जिनके पास टकुवे, गंडासे या इस किस्म के और हथियार हों, उन पर हथियार कानून के मातहत मुकदमे चलाओ।[3] सरकारी दमन का चक्कर पूरी तेजी से चल पड़ा।

पंजाब सरकार ने गुरुद्वारा माणक और लाहौर शहर के एक और गुरुद्वारे चुभाला साहब पर कब्जा कर लिया और प्रबंधक अकालियों को पकड़ कर जेल में डाल दिया। उसने भारत सरकार से मांग की कि १५ मार्च को मुक्तसर में फौजी दस्ते भेजे जायें और १६ मार्च को आनन्दपुर साहब तथा होशियारपुर में फौज भेज दी जाय[4] ताकि इन जगहों के गुरुद्वारों को अकालियों के हाथों में जाने से रोका जाय।

१ गवर्नर जनरल कौंसिल के सदस्य एच डब्ल्यू विनसेंट का सर एडवर्ड मक्लैगन को पत्र (नं ६८० पुलिस)
२ पट्टी का सी के को पत्र, लाहौर, १५ मार्च
३ पंजाब सरकार का २६ मार्च का पत्र
४ ओ डॉनेल का चीफ सक्रेटरी पंजाब को पत्र, १२ मार्च

१ इस हमले का जवाब

इस अचानक हमले ने सिखो के जोश और गुस्से को और भी भडका दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी सरकार का यह जुल्म और तसद्दुद देख कर चुप नहीं बैठी रह सकती थी। कमेटी ने २० मार्च को अपनी मीटिंग बुलायी और उसमे अकाली तहरीक और इसके बारे मे सरकार के रवैये पर विचार किया तथा फैसला किया कि सरकार पकडे गये अकालियो को १० अप्रैल तक छोड दे और सिखो की ख्वाहिश तथा मर्जी के अनुसार गुरुद्वारा कानून बनाय। और, अगर यह बात न की गयी तो गुरुद्वारो के धार्मिक सवाल का हल करने के लिए वह खुद जरूरी पालिसी तय करेगी। कमेटी ने इन मागो पर खास तौर से जोर दिया

१ उन सब गुरुद्वारो को मान्यता दी जाय जिनके वह सिख गुरुद्वारा होने का दावा करे,

२ सभी वक्फ जायदाद को—जो गुरुद्वारो की है—मिल्कियत गुरुद्वारा की करार दी जाय, और

३ गद्दीदारो की जद्दी जानशीनी के सिलसिले को खत्म किया जाय।

यह एक ध्यान देने की है कि जन्मस्थान गुरुद्वारे पर न तो कब्जा करने का प्रयत्न किया गया और न ही किसी को पकडा गया, जबकि ननकाने साहब के और गुरुद्वारो पर छापे मार कर तथा बल प्रदर्शन करके, अकाली प्रबधको को बेइज्जत करने के लिए हथकडिया लगा कर पकडा गया, ताकि महत के मुकद्दमे म इकबाली गवाहो पर अपनी मर्जी के बयान दिलाने के लिए दबाव डाला जा सके। जन्मस्थान के कब्जे के बाद ये गुरुद्वारे आसानी से अकाली जत्थो के अधीन आ गये थे। असल बल प्रदर्शन के साथ तो जन्मस्थान पर कब्जा हुआ था। फिर क्या कारण था कि इस पर छापा न मारा गया?

इसका एक कारण तो यह था कि हरबस सिंह अटारी, सेक्रेटरी चीफ खालसा दीवान सरकार का वफादार आदमी था और सिख न उसको अपना आदमी समझ कर ही कुजिया दी थी। दूसरे यह कि 'यह 'वफादार' महत के मुकदमे म और हरेक बात म गवनमट के साथ सहयोग कर रहा था।'[1] इसलिए बल प्रदर्शन के साथ जन्मस्थान गुरुद्वारे पर कब्जा करने के बावजूद, सरकारी अफसरो ने इस तरफ मुह नहीं किया, क्योंकि सरकार की पॉलिसी यह थी कि गुरुद्वारे सरकार के समर्थको के हाथ म भले ही चले जायें, गर्म ख्याल अकालियो के हाथ म न जायें। इसलिए अमन कानून की मशीनरी की हरकत निष्पक्ष नहीं थी, बल्कि पक्षपातपूर्ण थी। ताकत के इस्तेमाल से जो गुरुद्वार

१ पट्टी का पत्र, ४ ३ २१

सैरकारी आदमियो के हाथ मे आ जायें, तो अमन-कानून आखें बन्द करके सो सकता था।

२ इन्साफ की आशा

अप्रैल १९२१ के पहले हफ्ते म लॉर्ड रीडिंग नये वायसराय की हैसियत से हिन्दुस्तान आया। यहा आने से पहले उसने हिन्दुस्तान के साथ इन्साफ करने की बडी डीगें हाकी थी। इन्साफ हासिल करने की आशा रखते हुए श्रोमणि कमेटी न उसको निम्नलिखित तार दिया

'हिन्दुस्तान मे आने पर स्वागत। इन्साफ करन की अपकी आतुरता जख्मी सिख दिला के लिए आखिरी उम्मीद है। एक बदकार महत को एक सौ तीस से ज्यादा सिखो को कत्ल करने की आज्ञा दे दी गयी। खबरदार करने के बावजूद जिम्मेदार अफसरो ने इस दुखद घटना को रोकने के लिए कुछ न किया। जाच-पडताल बडी लापरवाही से घसीटी जा रही है। इन्साफ से नाउम्मीद हो कर सिख इस जाच-पडताल से अलग हो गये हैं। हमारी धार्मिक आजादी पर जानबूझ कर छापा मारा गया है। हमारे कितने ही सम्मानित वीर झूठे और घणित इल्जामा के मातहत जेला म ठूसे जा रहे है। सिखा ने सफाई न देने का फैसला कर लिया है। हमारे धार्मिक चिह्न कृपाण पर—जिसे कानून की मार से छोड दिया गया था—जालिम नौकरशाही ने पाबदी लगा दी है। जानबूझ कर सिखा की बइज्जत करने की पालिसी अपनायी जा रही है। हाथा मे लेकर चलन की सोटिया भी ननकाने मे छीन ली गयी हैं। धार्मिक सुधार लहर को झूठे इल्जामा और गलत बयाना के जरिये बदनाम किया जा रहा है। और तो और, सिख विधान सभाइया ने भी गुरद्वारे सिखो के हाथो से छीन लिये जाने का विरोध किया है। सिखो का सब्र टूटने ही वाला है।'

सार वायसराय साम्राजी थलै के ही चट्टे बट्टे थे। वे हिन्दुस्तान म इन्साफ करन के लिए नही आते थे हम दवा कर गुलाम बनाय रखने के लिए आते थ। उक्त तार पढते ही पजाब के हाकिम तत्पर और होशियार हो गये। गवनर ने सुझाव दिया कि अगर वायसराय इस प्रकार का जवाब भेज दें कि मामला बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा है और लाहौर के अपने आगामी दौरे के समय वह इस बार म जाच करेंगे—ता नम राय पर इसका अच्छा असर पडेगा।[१]

सरकारी दमन स सिखा म एकजुटता का अमल बहुत तेज हो गया था। इसलिए अग्रेज हाकिमा को फिक्र यह थी कि वफादारा क अलावा नम-ख्याल

१ "मुझे ऐसा तार भेजने मे कोई ऐतराज नहीं"—एम पी आ डानल, होम सक्रेटरी, ७ ४ २१ (तार नम्बर २९७—भेज दिया गया)।

सिखो को भी अपने साथ जोडे रखा जाय। नया वायसराय हिंदुस्तान के हालात से नावाकिफ होने के कारण सेक्रेटेरियट के सलाह मशविरे के बगैर कोई कदम नही उठा सकता था।

३ जज क्यू का इन्साफ

गुरुद्वारो से पकडे गये अकालियो के कई मुकदमे मिस्टर जे ई क्यू स्पेशल और एडीशनल मजिस्ट्रेट, लाहौर, के सामने (जिसको धारा ३० हिन्द दडावली की और ज्यादा ताकत हासिल थी) एक-दूसरे के बाद पेश हुए। इस जज मे, जजो वाली निरपेक्षता और निर्लिप्तता का कोई अश तक नही था। यह अकाली तहरीक का सख्त दुश्मन था और उसे कुचलने के लिए कानून म दी गयी आखिरी सजा तक देकर अग्रेज राज की रक्षा म अपना योग देता था। इसने अग्रेज राज के इसाफ के दाग को नगा करने मे अच्छा काम किया।

पहला मुकदमा उसके सामने तेजा सिंह भुच्चर और उसके ११ अन्य साथियो का पेश हुआ। यह मुकदमा डाके और घर मे नाजायज तौर पर दाखिल होने (नुकसान पहुचाने के इरादे से) की दफाओ के अतगत था। जज ने फैसले मे लिखा 'मुलजिमो ने माणक चौक, थम्म साहब और चाह निहगा वाला (भब्बरवला) के तीन गुरुद्वारो पर बल प्रयोग के जरिये कब्जा किया। अकालियो ने सूबे मे यकायक प्रसिद्धि हासिल कर ली। ये अकाली का खिताब जोड कर बडे खुश होते हैं और हमे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सिख धर्म-सुधार की जिम्मेदारी इनके सिर पर है। लेकिन इनका एलानिया इरादा गुरुद्वारो पर—चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हो—जबरदस्ती कब्जा करने के अलावा और कुछ नही है। तेजा सिंह मुलजिम भीड का शरारती नेता था जिसके कहने पर यह सब कुछ किया गया। इसको पाच साल सख्त कैद (तीन महीने कोठी बद) डाके म, और घर मे घुसने के जुर्म मे दो साल कैद। दोनो सजायें मिल कर सात साल सख्त कैद भुगतनी होगी। तीन और अकालियो को चार चार साल और बाकी को तीन-तीन साल सख्त कैद की सजा दी गयी।'[१]

इस जज के सामने ३१ अकालियो का एक और मुकदमा ११ अप्रैल को पेश हुआ। इन पर छै सगीन दफायें लगायी गयी थी। फैसले मे क्यू ने लिखा "अकालियो के हथियारबद जत्थो ने गुरुद्वारा माणक पर कब्जा किया। यह अपने आप बनी गैर जिम्मेदार जत्थेबदी है, जो अपने को धार्मिक सस्थाओ का

१ १९२१ का मुकदमा न ५ २ लाहौर

गुआरा बनाती है यह कानून और हाकिमा की अवज्ञा करने वाली है तथा इसकी साजिश घातक के जरिये ला-कानूनी भडकाना है।"

इस मुकदमे मे ब्यू ने लाहौरा सिंह को ६ साल, तीन और अकालिया को ६ ६ साल और १६ को २ २ साल सख्त कैद की सजा दी।[1]

इसी जज के सामने करतार सिंह झब्बर और उनके कई अन्य साथियों का मुकदमा पेश हुआ। झब्बर पर कई गुरुद्वारा पर डावा डालने, अवैध सगठनो का सदस्य होने वगैरा स सबधित आधे दजन से ज्यादा दफायें लगायी गयी थी। गुरुद्वारा बाल लीला ब्यिारा साहब अटारी और धदरकोट वगैरा के अलावा उस पर और मुकदमे भी चले। उसको कुल सजा १८ साल की हुई। और, तेजा सिंह भुच्चर को एक अन्य मुकदमे म दो साल सजा और होने के कारण ६ साल की, इसी तरह लाहौरा सिंह की दो साल और बढ जान के कारण ११ साल की सख्त कैद हुई। यह इन्साफ नही था इन्साफ का खून था और साम्राजी जजो की बे इन्साफी की जीती जागती मिसाल थी।

ये तीनो अकाली जत्थेदार ऐसे थे जो अफसरो की आखो म काटे की तरह चुभते थे। झब्बर ने सहयोगी[2] होने के कारण मुकदमे की पैरवी भी की लेकिन सजा उसको असहयोगिया स भी कई गुना ज्यादा मिली। असहयोगियो का रवैया वीरतापूण था। उन्हें ब्रिटिश जजो के इन्साफ पर पहले ही कोई भरोसा नही था। इसका नतीजा उनके लिए झब्बर से अच्छा रहा।

इस जज के सामने कुछ अन्य अकालिया के मुकदमे भी पेश हुए। उसने अकालिया को न केवल बडी सख्त सजायें दी बल्कि अकाली तहरीक की बडी निन्दा की और फैसला मे फतवे दिये कि उदासी सिख नही हैं और कब्जे मे लाये गये गुरुद्वारे, गुरुद्वारे नही हैं बल्कि उदासी डेरे हैं। वह सात के कागजो म दज 'गुरुद्वारे' शब्द को भी कोई महत्व नही देता था, न ही वह इस तथ्य की कोई परवाह करता था कि मालक गुरुद्वारे का महत पहले अपने बयाना म अपने आपको सिख कहता रहा है और अब कहता है कि वह हिन्दू है तथा उसका सिखो से कोई वास्ता नही।

इस समय गवनमेन्ट की पालिसी यह थी कि महतों का पथ स सबध तोडने के लिए उकसाया जाय। उनको पथ से बागी करके पथ के साथ लडाया जाय

१ १९२१ का मुकदमा न ७ २ लाहौर
२ झब्बर को सहयोगी होने पर बडा फख था। उसको, अन्य कई की तरह ही, यह समझ नही थी कि गवनमेन्ट खुद धार्मिक गुरुद्वारा लहर के हामियो को पकड कर इसको राजनीतिक बना रही है। देखिए अकाली मोर्चे ते झब्बर, पृ १३६ ३७)

और अकालिया की जत्थेबंदी और लहर को—कानून और अमन की हिफाजत के बहाने—कुचल दिया जाय। जज क्यू—इन्साफ का चोगा उतार कर और बिल्कुल नगा होकर—इसी पालिसी को अमली रूप ले रहा था।

यह भरपूर तसद्दुद और जुल्म अफसरो की साजिश पर पदा डालने, महत नारायण दास के खिलाफ गवाही से अपनी मर्जी के बयान लेने और महत को मौत की सजा से बचाने के लिए किया जा रहा था। और, इसका गवाहो पर असर पडा। गवाह पहले दिये गये अपने बयाना स मुकर गये। सरदार गज्जण सिह ने लेजिस्लेटिव असेम्बली, दिल्ली, मे सवाल पूछा कि— महत के केस मे, मजिस्ट्रेटो के सामने पहले बयानो मे मुकर गय गवाहो के खिलाफ भूठ बोलन के कोई मुकदमे चलाये गय ?[1] जवाब गढे-गढाय फार्मूले के जरिये टालने वाला दिया गया—सवाला का सबध पजाब गवनमेट स है, केन्द्रीय सरकार मे नहीं, इसलिए ये सवाल पजाब कौंसिल मे पूछे जाने चाहिए। सरकारी अफसरो के बयान अकाली तहरीक की निन्दा करने वाले थे और महत को मौत की सजा से बचाने के लिए रास्ता साफ करते थे। साफ जाहिर है कि कानून अपना खून भरा जबडा सरकारी पालिसी को अमल मे लाने के लिए ही खोलता है। जरूरत पडे ता वह तथ्यो और भूठे गवाहा के खिलाफ भी आखें बन्द करके एक तरफ खडा हो जाता है।

४ महत का मुकदमा

हाईकोट म महत ने पटने के एक एडवोकेट हसन इमाम को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए बुलाया। उसने महत के गुनाहो को घटाने के लिए जो दलीलें दी वे कानून के इतिहास को हमेशा लज्जास्पद बनाती रहेंगी। उसने महत द्वारा जन्मस्थान के अन्दर दाखिल हुए तमाम सिखो को मार देने के हुक्म के बारे मे कहा 'एक सौ तीस नही, अगर मौना की गिनती एक सौ तीस हजार होनी तो भी महत इस हुक्म को देने का हकदार होना और दुरुस्त होता।"[2] और हाईकोट के जजो ने ३ मार्च १९२२ को अपने फैसले मे लिखा कि सरकार द्वारा रक्षा न मिल सकने के कारण महत को हक था कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाये, पठानो को पहरेदार रखे और राभे तथा रिहाणे जैसे अच्छे लडाकुओ को बाहर स ले आये। जजा की राय मे "वह, बिला शक, निराशा और मजलूमियत के गहरे अहसास का शिकार हो गया था और यह हैरानी की बात नहीं कि उसका दिमागी सतुलन जाता रहा और उसने इस जैसा काय

१ फाइल न ९१४/११, १९२२, होम पोलिटिकल
२ ट्रिब्यून, २६ जनवरी १९२२

किया।" यह दलील देकर जजा न महन्त की मौत की जगह उमर कैद की सजा दी। हरिनाथ (जिसने जुर्म का पूरा इकबाल कर लिया था), राभा और रिहाणे की फांसी की सजा बहाल रखी गयी। जिनको उमर कैद की सजा मिली थी, उनमें से सिर्फ दो मुजरिमों की सजा बहाल रखी गयी, बाकी सब को—पठाना समेत—रिहा कर दिया गया। इस फैसले का आम तौर से मुल्क पर, और सिखों पर तो खास तौर से जो असर हुआ उससे ब्रिटिश जजों के इंसाफ के प्रति भ्रम बड़ी हद तक टूट गये।

फैसला यही होता या कुछ और लेकिन जजों से यह तथ्य छिपाया गया कि महन्त ने सरकार को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस भेजने के वास्ते अर्जें दी थीं। लेकिन किंग और करी ने जानबूझ कर, समझी-बूझी साजिश के मुताबिक उसको पुलिस की हिफाजत नहीं दी। न ही जजों ने पहले बयानों से मुकर गये गवाहों के खिलाफ कोई कारवाई करने की सिफारिश की।

५ शर्तों पर रिहाइयां

भाई करतार सिंह झब्बर और तेजा सिंह भुच्चर वगैरा को लम्बी-लम्बी और सख्त सजायें देने का मकसद गुरुद्वारा लहर को कुचलना था। लेकिन सरकार बार बार बयान दे रही थी कि गुरुद्वारा सुधार लहर के साथ उसकी बड़ी सहानुभूति और हमदर्दी है—यह गलत बयानी है कि सरकार लहर को कुचलना चाहती है। सरकार का मकसद सिर्फ अमन और कानून को कायम और बहाल रखना है इससे ज्यादा कुछ नहीं। कानून तोड़ना बंद करो और अदालतों की शरण लो। सुधार का यही रास्ता है और कोई नहीं।

लेकिन अदालतों के जरिये इंसाफ हासिल नहीं होना था यह हम पीछे देख आये हैं। आगे तो हम यह और भी विस्तार के साथ देखेंगे।

जज बयू की तरफ से दी गयी ये लम्बी और सख्त सजायें, ब्रिटिश इंसाफ को मुंह चिढ़ाती थीं। इनके बारे में वकीलों में बड़ी चर्चा हुई थी और सिखों के दिल सरकार की महन्त-समर्थक नीतियों के विरुद्ध और भी सख्त तथा कड़े हो गये थे। इन अकाली रहनुमाओं की सजाओं की मंसूखी और उनकी रिहाई के लिए—समाचारपत्रों में और बाहर—आवाजें उठाना कुदरती बात थी। इस जोर पकड़ रही आवाज को ध्यान में रख कर कई ओर से सरकार पर जोर डाला जा रहा था कि अकालियों की सजाएं मंसूख कर दी जायें और उनको रिहा किया जाय। जुलाई १९२१ में चीफ खालसा दीवान का एक डेपुटेशन गवर्नर से मिला था। उसने भी इन कैदियों की रिहाई की मांग की थी। यह मांग दीवान की तरफ़ से वफादारी जिताते हुए यह कह कर की गयी थी कि

मुजरिमो ने ननकाने के हत्याकाड के बाद जोश म आकर ये काम किये—उनका इरादा मुजरिमो वाला नही था, इसलिए उन पर रहम करना चाहिए।

पर गवनमेट ने दीवान की दलीला का—इन "मुलजिमा द्वारा बरते गय जबरी तसद्दुद के कारण" "उचित तक" न स्वीकार किया और ये दलीलें रद्द करके सजायें देने के जज के फैसले को दुरुस्त ठहराया।[1] उसने कहा कि जिस उद्देश्य म यह 'एकान' लिया गया था, वह असरदार साबित हुआ है। परन्तु इसके बावजूद गवनमेट ने फसला किया कि अगर हरेक मुजरिम व्यक्तिगत रूप स य "शर्तें" लिख कर देता है कि वह वचन देता है कि रिहा होने पर वह सरकार की तसल्ली के मुताबिक अपनी सजा की अवधि पूरी होने तक "अच्छा आचरण" करेगा खास तौर स दूसरे लोगा को महतों व गुरुद्वारा पर कब्जा करन के लिए नहीं उकसायेगा, अगर सरकार की राय म य शर्तें पूरी नहीं होतीं तो सरकार उसको फिर पकड सकती है और दी हुई सजा पूरी भुगता सकती है—तो उसे रिहा कर दिया जायेगा।

ये शर्तें सीधे-सीधे निलज्जतापूण मुआफी की माग करती थी। कोई भी यह नही मानता था कि कोई आत्मसम्मानी अकाली रहनुमा या सेवक इन बेगरत शर्तों को स्वीकार करके जेल से बाहर आयेगा। किसी को यकीन नहीं था कि करतार सिंह झब्बर य शर्तें स्वीकार करके बाहर आ सकता है। जज को तो चैलेंज देकर उसन कहा था—मेरी लम्बी कैद इस बात का सबूत है कि मैंने पथ की सेवा सबस ज्यादा की है, मुझे तो इस लम्बी कैद पर फख्र है।[2] अकाली अखबार को उम्मीद थी कि सरदार करतार सिंह झब्बर, तेजा सिंह भुच्चर, लम्मा सिंह और दूसरे अकाली उक्त शर्तें मान कर इस किस्म से खरीदी हुई रिहायी की निस्बत जेला म रहना ज्यादा पसद करेंगे। (१२ सितम्बर)।

लेकिन लम्बे अर्से से चीफ खालसा दीवान से सबधित रहने के कारण दीवान के रहनुमाओ की भली-बुरी बातें मान लेना झब्बर की कमजोरी थी। उनके जोर देने पर उसने हथियार डाल दिये। पथ की सेवा पर फख्र की अपनी बात भूल गया। उसने और उसके कुछ और साथियों ने उक्त शर्तें लिख कर दे दी और रिहायी हासिल कर ली। दैनिक अकाली ने यह लिख कर लोगा के दिल की बात कह दी कि शर्तें मान कर रिहाई हासिल करने से गुरुद्वारा तहरीक को बडी चोट लगी है, अब हम ज्यादा कुर्बानिया करनी पडेंगी और अपने कधा पर ज्यादा जिम्मेदारिया उठानी पडेंगी। (१७ सितम्बर)। सिर्फ ६

१ सरकारी एलान शिमला, ७ सितम्बर, स्टेटसमन, ६ ६-२१
२ अकाली मार्चे ते झब्बर, पृ १३७

वीर अकाली ऐसे निकले जिन्होंने किसी भी किस्म की शर्तें देकर रिहा होने से इनकार कर दिया।

लेकिन चीफ खालसा दीवान के अखबार खालसा समाचार ने वफादारी दिखाने की अपनी आदत के मुताबिक कुछ इस तरह लिखा रिहाइया ने सिखा के जख्मी दिलो पर मरहम लगाया है और सिखो को बहुत ऋणी और अहसान मन्द बनाया है। हम समझते हैं कि अगर गवनमट चीफ खालसा दीवान के मुतालबे मान ले तो सिखो की शिकायतें दूर हो जायेंगी और कोई भी बुरा आदमी सिखो और गवनमेट के दरम्यान विरोध की भावनाए पैदा करने का मौका नही हासिल कर सकेगा। (१५ सितम्बर)।

चीफ खालसा दीवान गुरद्वारो के सुधार के लिए सरकार के विरुद्ध कोई भी मोर्चे लगाने के बेहद खिलाफ था। यह—बुरा या भला—गुरद्वारा बिल लेकर सरकार के साथ समझौता करना चाहता था। बिल भी ऐसा—जिसके तहत गुरद्वारे एक केन्द्र के अधीन न हो सकें बल्कि केन्द्र विहीन रहे। बिल ऐसा—जिसमे महतो और उनके प्रतिनिधिया को भी अधिकार प्राप्त रहे।

पर, तहरीक बहुत आगे बढ चुकी थी। वह चीफ खालसा दीवान के किसी भी बिल को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। कारण यह कि वह इस किस्म के बिलो को लताड कर ही अपने उद्देश्य हासिल कर सकती थी।

६ पहला गुरद्वारा बिल

गुरुद्वारो का दखल छोड देने का गवनमेट का कतई इरादा नही था। इस लिए जो बिल उसने लेजिस्लेटिव कौंसिल पजाब, म पेश किया वह न केवल सरकार का दखल कायम रखता था, बल्कि नियुक्त किये जाने वाले कमीशन के मेम्बरा की भारी तनखाहा का बोझ भी गुरद्वारो की गोलक पर डालता था। सरकार को कमीशन के मेम्बर नामजद या मुकरर करने थे और उसका प्रधान एक अग्रेज अफसर या जज को बनाना था। इसमे महतो मे से भी एक या दो मेम्बर लिये जाने थे, जिससे साफ जाहिर है कि दखल की सिफ शक्ल बदली जा रही थी दखल नही बदला जा रहा था। यही कारण है कि पजाब कौंसिल के सिख मेम्बरो ने इसकी हिमायत करने से इन्कार कर दिया।

बिल के विरुद्ध महता ने सनातनी हिन्दुआ की तरफ से सकडा तार और प्राथनापत्र भेजवाये थे। हिन्दू और सनातनी मेम्बरो ने डट कर बिल का विरोध किया था। गवनमेट खुद दूसरी पार्टियो' को अकाली तहरीक के विरोध मे उत्साहित और खडा कर रही थी और इस मुखालिफत के पर्दे के पीछे अकाली लहर को दबाना या कुचलना चाहती थी। पर वह इस चाल मे सफल

न हो सकी, क्योंकि वह नर्म ख्याल सिख मेम्बरों को भी अपने साथ न ले सकी।

इस "हगामी" बिल का मक्सद गुरुद्वारा आजादी की तहरीक को रोकना था। इसका मकसद सिख मोर्चों द्वारा गुरुद्वारो पर कब्जों को बद कराना था। "अमन और कानून"—कायम गद्दियो को बरकरार रखने का साधन और अकाली तहरीक का सिर तोडने वाला डडा बन गया था। बिल इतना निकम्मा था कि यह किसी को भी पसद नही आया। यह पेश किया गया था हगामी हालात का मुकाबला करने के लिए। लेकिन सिलेक्ट कमेटी मे इसमे सुधार के लिए 'पहाड' जैसी तरमीम आयी थी। इस कारण यह मुल्तवी कर दिया गया और हमेशा के लिए किसी जाले लगे सरकारी खाने मे फेंक दिया गया। दूसरी तरफ, अकाली साफ शब्दो मे एलान कर रहे थे कि अगर कोई तसल्लीबख्श बिल १० अप्रैल १९२१ तक पास न किया गया, तो वे शातिमय सग्राम शुरू कर देंगे।[1]

बिल पर बोलते हुए करतार सिह ने साफ शब्दो मे कहा था अकालिया ने गुरुद्वारा सुधार के लिए सीधा रास्ता अख्तियार किया है जब कि बिल—सुधार की ओर अगर ले भी जाता है तो—लम्बे और टेढे सफर के रास्ते। यह पथ की तसल्ली नही कर सकेगा और गवर्नमेट को समझना चाहिए कि उसे अविश्वास की नजर से देखा जा रहा है। मैं, बजाय इसके कि हम सब को लताडने के लिए बिल के झाड को छोडा जाय, इस बात को ज्यादा पसद करूगा कि अकाली जत्थे कुर्बानी, आत्मत्याग और शातिमय तरीको के जरिये गुरुद्वारा सुधार का सफर तय करें।[2] उसके ख्याल मे यह बिल उस ताजीरी चौकी जसा था, जो असल से भी सौ गुना ज्यादा बोझ लोगो पर लाद देती है। उसकी तजवीज यह थी कि कमीशन के सारे मेम्बर सिख हो। इनमे से ३/४ मेम्बरो को तो कौंसिल के सिख मेम्बर चुनें और एक चौथाई को गवनर नामजद करे। कमीशन के मेम्बरो की तनखाहें सरकार दे।

अकाली तहरीक की उस वक्त ये तजवीजें भी मजूर नही थी। सरकार तो उस वक्त इस किस्म की तजवीजें सुनने के लिए भी तैयार नही थी। वह समझती थी कि "दूसरी पार्टिया को नाराज नही किया जा सकता, न ही सिखो को कोई इस किस्म का कानून गुरुद्वारो के सबध मे दिया जा सकता है जो कल हिदुओ या मुसलमानो को नही दिया जा सकता हो। सरकार उन पुराने

१ पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल डिबेटस, खण्ड १, ८ जनवरी—१६ अप्रैल, १९२१, पृ ५४८

२ वही, पृ ५४६ ४७

वक्फ के कानून म हासिल किये हुए दखल के अधिकार छोडने के लिए तैयार नही थी—इन अधिकारो को वह नये रूप मे जारी रखना चाहती थी। उस कानून मे डेपुटी कमिश्नर (या एडवोकेट जनरल) की मर्जी चलती थी। पहले तो वह किसी बदचलन महत के खिलाफ मुकदमा चलाने की आज्ञा ही नही देता था। और अगर सरकार सौ मे से किसी एक को मुकदमा करने की आज्ञा दे भी देती थी, तो महत की पीठ पर दौलत, जत्थेबदी और गुडे होने के कारण मुकदमा किसी तरह भी सिरे नही चढता था—और, सिविल कोर्ट मे मुकदमा लडने के लिए भारी थैलियां चाहिए थी। सिखो ने इन मुकदमो का यह परिणाम, मुकदमे चला चला कर देख लिया था।

●

बारहवा अध्याय

कुंजियों का मोर्चा

दरबार साहब का प्रबध बहुत सुधर गया था और बेहतर हो गया था। गवनमेंट का सरबराह सरदार सुदर सिंह रामगढिया पूरी तरह श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी के साथ मिल कर चल रहा था। खुद गवनमेंट ने २० अप्रैल १९२१ को एलान किया था कि उसने दरबार साहब का प्रबध सिखो के हवाले कर दिया है। तोशेखाने (खजाने) की कुजिया अब तक सरकारी सरबराह के पास थीं। इनको हासिल करने की श्रोमणि कमेटी ने जरूरत ही नही समझी थी। आम मेम्बर जोर दे रहे थे कि सरकार का पूण दखल खत्म करने के लिए तोशेखाने की कुजिया सरबराह से ले ली जायें और श्रोमणि कमेटी के प्रधान सरदार खडक सिंह को सौंप दी जायें। इस सबध मे श्रोमणि कमेटी ने २९ अक्तूबर को एक प्रस्ताव भी पास कर दिया था।

कुछ अर्से बाद इस फसले की खबर[1] डेपुटी कमिश्नर के पास पहुची। उसने बडी फुर्ती से काम लिया। उसने लाला अमरनाथ ई ए सी को कुछ पुलिस देकर सरदार सुदर सिंह रामगढिये के पास तोशेखाने की कुजिया लेने भेजा। सरदार जी ने रसीद लिखवा कर कुजिया लाला जी के हवाले कर दी। यह नाटक क्यो रचा गया ? कारण हम आगे चल कर देखेंगे।

डेपुटी कमिश्नर की यह मूखता गुरुद्वारो की आजादी की तहरीक के लिए बडी कारगर और लाभदायक साबित हुई। उसकी इस मूखता ने सिखो के गुस्से को और भी भडका दिया। जो लोग अब तक गवनमेंट के नेक इरादे पर भरोसा किये बैठे थे उनम से बहुता के भरोसे टूट गये और काफी लोग डावा डोल हो गय। अकालियो की—खास कर असहयोगिया की—खुशी बहुत बढ गयी। वे पहले ही समझते थे कि गवनमट सीधे हाथो गुरुद्वारे पथ के हवाले नही करेगी। गुरुद्वारे लड कर और कुर्बानिया देकर ही हासिल किये जा सकेंगे

१ स्मिथ कहता है कि यह खबर खुद सरदार सुदर सिंह रामगढिये ने डी सी को दी थी। अकाली का मत था कि ३६ सरकारी मेम्बरो मे से किसी अय वफादार ने यह खबर पहुचायी थी

वकफ के कानून मे हासिल किये हुए दखल के अधिकार छोडने के लिए तैयार नही थी—इन अधिकारा को वह नये रूप मे जारी रखना चाहती थी। उस कानून म डेपुटी कमिश्नर (या एडवोकेट जनरल) की मर्जी चलती थी। पहले तो वह किसी बदचलन महत के खिलाफ मुक्दमा चलाने की आज्ञा ही नही देता था। और अगर सरकार सौ मे से किसी एक को मुक्दमा करने की आज्ञा दे भी देती थी, तो महत की पीठ पर दौलत, जत्थेवदी और गुडे होने के कारण मुक्दमा किसी तरह भी सिरे नही चढता था—और, सिविल कोट मे मुक्दमा लडने के लिए भारी थलिया चाहिए थी। सिखा ने इन मुक्दमो का यह परिणाम, मुकदमे चला चला कर, देख लिया था।

●

बारहवा अध्याय

कुंजियो का मोर्चा

दरबार साहब का प्रबंध बहुत सुधर गया था और बेहतर हो गया था। गवर्नमेन्ट का सरबराह सरदार सुन्दर सिंह रामगढिया पूरी तरह श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिल कर चल रहा था। खुद गवर्नमेंट ने २० अप्रैल १६२१ को एलान किया था कि उसने दरबार साहब का प्रबंध सिखो के हवाले कर दिया है। तोशेखाने (खजाने) की कुंजिया अब तक सरकारी सरबराह के पास थीं। इनको हासिल करने की श्रोमणि कमेटी ने जरूरत ही नही समझी थी। आम मेम्बर जोर दे रहे थे कि सरकार का पूर्ण दखल खत्म करने के लिए तोशेखाने की कुंजिया सरबराह से ले ली जायें और श्रोमणि कमेटी के प्रधान सरदार खड़क सिंह को सौंप दी जायें। इस संबंध मे श्रोमणि कमेटी ने २६ अक्तूबर को एक प्रस्ताव भी पास कर दिया था।

कुछ अर्से बाद इस फैसले की खबर[1] डिपुटी कमिश्नर के पास पहुंची। उसने बडी फुर्ती से काम लिया। उसने लाला अमरनाथ ई ए सी को कुछ पुलिस देकर सरदार सुंदर सिंह रामगढिये के पास तोशेखाने की कुंजिया लेने भेजा। सरदार जी ने रसीद लिखवा कर कुंजिया लाला जी के हवाले कर दी। यह नाटक क्या रचा गया? कारण हम आगे चल कर देखेंगे।

डेपुटी कमिश्नर की यह मूर्खता गुरुद्वारा की आजादी की तहरीक के लिए बडी कारगर और लाभदायक साबित हुई। उसकी इस मूर्खता ने सिखों के गुस्से को और भी भड़का दिया। जो लोग अब तक गवर्नमेंट के नेक इरादों पर भरोसा किये बैठे थे, उनमे से बहुतो के भरोसे टूट गये और काफी लोग डावा डोल हो गये। अकालियो की—खास कर असहयोगियो की—खुशी बहुत बढ गयी। वे पहले ही समझते थे कि गवर्नमेंट सीधे हाथों गुरुद्वारे पंथ के हवाले नही करेगी। गुरुद्वारे लड कर और कुर्बानिया देकर ही हासिल किये जा सकेंगे।

[1] स्मिथ कहता है कि यह खबर खुद सरदार सुन्दर सिंह रामगढिये ने डी सी को दी थी। अकाली का मत था कि ३६ सरकारी मेम्बरों में से किसी अन्य वफादार ने यह खबर पहुचायी थी

इसका सबूत खुद डी सी ने दरबार-साहब की कुंजिया छीन कर मुहैया कर दिया था।

इस मूर्खता पर पर्दा डालने के लिए डी सी ने प्रेस को जो बयान दिया, वह और भी मूर्खतापूर्ण था। उसने कहा श्रोमणि कमेटी सिखा की प्रतिनिधि सस्था नही है। उसे दरबार साहब और उसके खजाने के प्रबध का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। सरकार को अदेशा था कि श्रोमणि कमेटी दबाव डाल कर मनेजर से कुंजिया छीन लेगी। इसलिए सरकार को मजबूर होकर सरबराह से कुंजिया लेनी पडी है। कुंजिया गवनमट के खजाने म हिफाजत से रख दी गयी हैं। अदालत म 'दोस्ताना मुकदमा' दायर किया जायगा, जिसके जरिये गुरुद्वार के प्रबध की योजना का फसला किया जायगा।

गुरुद्वारा पब्लिसिटि कमेटी ने गवनमट के इस एलान की तीव्र आलोचना की। उसने भुलावा डालने और गुमराह करने के गवनमट के यत्नो को—एक एक नुक्ता लेकर—बडे सुलझे हुए तरीके से नगा किया। कमेटी ने जवाबी एलान म लिखा

१ दरबार साहब पर कट्रोल का गवनमट के पास बहाना यह है कि वह लम्बे अर्से स स्थापित अमल या रिवाज' के अनुसार गुरुद्वारे पर कब्जा किये बठी है। इसलिए कुंजिया लने की आज्ञा नही दी जा सकती।

२ ३६ आदमिया की कमेटी गवनमट की नजरा म सलाहकार नही थी। पर इस कमेटी को कायम करने का मतलब एक ही हो सकता है। वह यह कि गवनमट ने गुरुद्वारे के प्रबध से अलहदगी हासिल कर ली है और कुछ नही।

३ ३६ आदमिया की इस कमेटी को जिस वक्त श्रोमणि कमेटी मे शामिल कर लिया गया, उस वक्त न तो कमेटी के किसी मेम्बर ने, न गवनमट ने, कोई आवाज उठायी और इस मिली जुली कमेटी ने दरबार साहब का प्रबध अपने हाथ मे ले लिया।

४ इसके बाद सरकारी अफसरो के बयान स्पष्ट शब्दो म जाहिर करते हैं कि दरबार साहब के प्रबध मे गवनमट का कोई हाथ नही रहा।

५ प्रबधक या सरबराह के ऊपर दबाव डालने की कोई बात ही नही थी कि वह दरबार साहब की कुंजिया दबाव म आकर सरदार खडक सिंह को दे दे। वह तो शुरू स ही कमेटी के आदेशा के अन्तगत काम कर रहा था।

गवनमट का श्रोमणि कमेटी को गर-नुमाइदा कहने और कानून के जरिये कब्जा लेने के दावो का जो हश्र हुआ, वह हम जल्द ही आगे चल कर देखेंगे। तेरह महीना से दरबार साहब का प्रबध श्रोमणि कमेटी करती आ रही थी और उसने इस अर्से म सुधार के लिए कई अच्छे कदम उठाये थे। कुंजिया छीन लना तो सूखे आकाश स सिख पथ पर बिजली की तरह गिरा।

कुजिया छीन लेने की कारवाई पर सिख समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया बडी तीखी और जोशीली थी। पथ सेवक ने दरबार साहब की कुजिया लेने की कार्रवाई की घोर निन्दा की। उसने लिखा एक विदेशी हुकूमत को गुरुद्वारे के मामले मे दखल देने का क्या हक है ? हम देखेंगे कि हमारे धार्मिक खजाने पर सरकार किस तरह कब्जा करती है ! (६ १६ नवम्बर का सयुक्त अक)। रोजाना अकाली ने लिखा एक तो गुरुद्वार की कुजिया छीन ली गयी हैं, दूसरे दफ्तर-शाही झूठ बोलने म सब हदें पार कर ली गयी हैं। (२० नवम्बर)। इसी तरह खालसा अखबार, लायल गजट वगैरा ने गवनमेंट के इस गुनाह की भरपूर निन्दा की।

सिफ चीफ खालसा दीवान का खालसा एडवोकेट अखबार ही था, जो साम्राजी हाकिमो वाली बोली ही बोलता रहा। उसने लिखा इस तथ्य से इनकार नही किया जा सकता कि कानूनी मजूरी की मोहर हासिल करने के लिए—कानून को अमल मे लाने के लिए—कोई कारवाई नही की गयी थी। सरकार कानून का अमल मे लाकर दरबार साहब सिखो को देती है, तो सिखो को निराशा का अहसास नही होना चाहिए। (२५ नवम्बर, अग्रेजी से अनुवाद)। यही बोली सरकारी अफसर बोल रहे थे। बन्देमातरम् की टिप्पणी बहुत मजेदार थी यह उस तरह की ही बात है जिस तरह कोई अदालत को अर्जी दे कि उसने दूसरे आदमी की कुछ जायदाद चुरा ली है, उसको हिदायत करो कि वह अपना माल वापस ले ले। (२६ नवम्बर)।

१ सी आई डी की रिपोर्ट

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी के बुलावे पर ११ नवम्बर को अमृतसर मे अकाली जत्थे पहुच गये। इनकी सख्या दो तीन हजार के दरम्यान है। १२ नवम्बर का दोपहर ढले यह सख्या बढ कर पाच हजार पर पहुच गयी। अकाली टक्कर लेने के मूड मे हैं। कुछ तो कृपाणो, टकुवो और छुरो से लस हैं। इनमे से कुछ जत्थो मे विदेशो से वापस आये (गदरी) हैं, ज्यादातर नाम कटे या पेंशनर फौजी सिपाही हैं। १२ नवम्बर को दुआब के जत्थे ने दरबार साहब मे फौजी कतारबदी के मुताबिक माच किया।

अकालिया दे बाग मे पब्लिक मीटिंग की गयी, ताकि आम लोगो के साथ विचार विमश किया जाय और डी सी के हुक्म से कुजिया ले जाने के खिलाफ रोष प्रकट किया जाय। सरदार खडक सिह और जसवत सिह की तरफ से बडी तसद्दुद भरी तकरीरें की गयी। असहयोगियो के अलावा अन्य किसी को नही बोलने दिया गया। सरदार महताब सिह ने यह साबित करने का

मान लिया कि कुंजियां छीन कर गवर्नमेंट, दरबार साहब का कब्जा वापस करने के वचन से मुकर गयी है।'

कुंजियां छीनने का असली कारण तब खुफिया रिपोर्ट में दर्ज है। गवर्नमेंट को भय था कि 'गरम-ख्याल सिखों का उद्देश्य उन बड़े खजानों पर कब्जा करना है जो दरबार साहब में जमा है और कमेटी का इरादा शायद यह है कि इन खजानों को राजनीतिक तहरीक पर खर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाए।'[1]

कुंजियां छीनी जाने से सिखों में बड़ा जोश और गुस्सा पैदा हो गया। उनके अन्दर यह विचार और भी दृढ़ हो गया कि अंग्रेज हाकिम गुरुद्वारों में अपना दखल कायम रखना चाहते हैं और गुरुद्वारों का प्रबंध अपने से आजाद नहीं होने देना चाहते। कुंजियां छीन लेने का कदम बड़ा बेवकूफी भरा कदम था। इसने सारे सिख पंथ में अंग्रेज राज के विरुद्ध गुस्से के शोले भड़का दिये। इन शोलों को दूसरे अखबारों ने अपनी जोरदार सम्पादकीय टिप्पणियों के जरिये और भी भड़का दिया। सारे पंजाब में अंग्रेज राज के खिलाफ एक स्वर में आवाज गूंजने लगी—'कुंजियां जत्थेदार सरदार खड़क सिंह को वापस दो!' 'कुंजियां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान को वापस करो!' आंदोलन का एक जबरदस्त तूफान खड़ा हो गया। राज के हाकिमों के तो एक तरह से होश-हवास उड़ गये। उन्हें लेने के देने पड़ गये। वे अपने फैलाये जाल में खुद फंस गये। उन्हें राज का सत्कार और वकार पकड़े बैठा था। वे कुंजियां वापस करें तो किस मुंह से! इस मूर्खता भरे कदम से पल्ला छुड़ाने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता था।

कुंजियां छीन लेने की घटना से साम्राज्य विरोधी देशभक्तों की बातें सही साबित हुई और साम्राज्यवाद समर्थक पक्ष की सरकार-परस्त पालिसी को जबरदस्त चोट लगी। उनमें से कई तत्व टूट कर अंग्रेज राज के विरोधी बन गये। साम्राज्यवाद विरोधी पक्ष दिनों दिन मजबूत होने लगा। इसको आम सिखों द्वारा रोज-ब-रोज बढ़-चढ़ कर हिमायत मिलने लगी और इसका पलड़ा लगातार भारी होता गया।

२ गुरुद्वारे पहले या देश की आजादी ?

इस समय कुछ राजनीतिक हलकों में यह सवाल बड़े जोरों से उठा—गुरुद्वारों की आजादी पहले, या देश की ? हिंदू और सिख अखबारों ने इस

१ फाइल नं ४५६, सीरियल नं १-१७ होम पोलिटिकल १९२१ डी एस पी सत सिंह की रिपोर्ट
२ स्मिथ की रिपोर्ट, संख्या नं २०

बाबा खड़ग सिंह जी

सवाल के बारे मे अपने अपने विचार पेश किए। आम राय यह थी—जब तक हम गवर्नमेंट का सुधार नही कर लेते, तब तक गुरुद्वारा का सुधार नहीं हो सकता।[1] गुरुद्वारो पर कब्जा करने का यह मुनासिब वक्त नही। हम दूसरे तमाम मामले एक तरफ रख देने चाहिए और स्वराज्य के आशिक बन जाना चाहिए।[1] राजनीतिक विचारो के कुछ सिख भी यह महसूस करने लगे कि जब तक हिंदुस्तान आजाद नही होगा तब तक उनका जीवन और सम्पत्ति खतरे से मुक्त नही हैं इत्यादि।[1]

पर आजादी के योद्धा सिख इस सवाल को इस तरह नही देखते थे। उनके विचार म राष्ट्रीय आजादी का सवाल और गुरुद्वारा की आजादी का सवाल दो अलहदा-अलहदा सवाल होते हुए भी इकट्ठा किए जा सकते थे, क्योंकि दोनो सग्राम एक ही दुश्मन—अंग्रेज राज—के खिलाफ लडे जा रहे थे। साम्राज विरोधी सिख, कौमी आजादी के लिए राष्ट्रीय काग्रेस के साथ मिल कर लड सकते थे। वे गुरुद्वारा की आजादी के लिए शिरोमणि कमेटी के झडे के नीचे लड सकते थे। काग्रेस स्वराज्य के लिए लड रही थी। वे काग्रेस के मेम्बर बन कर देश के लिए कुर्बानिया कर सकते थे और शिरोमणि कमेटी या अकाली दल के मेम्बर बन कर गुरुद्वारा की आजादी के लिए कुर्बानिया कर सकते थे। ये दोनो सग्राम एक-दूसरे को मजबूत करते थे। इसलिए सवाल का इस तरह पेश किया जाना गलत था कि पहले कौमी आजादी की लडाई लडी जाय और बाद म गुरुद्वारा की।[1] दोनो लडाइया एक साथ इकट्ठी ही लडी जानी चाहिए थी।

महात्मा गाधी ने भी अपने एक लेख का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा था कि उन्होंने गुरुद्वारा सुधार के सवाल को छोड देने के बारे म कभी कुछ नही कहा। यह लडाई अपनी जगह और आजादी की लडाई अपनी जगह थी। ये लडाइया जारी रहनी चाहिए, ये परस्पर विरोधी नही हैं।

हालात बडी तजी स बदल रहे थे। गतिरोध की बफ तजी स पिघलने लगी थी। ननकाना साहब का हत्याकाड, इसम हाकिमों का हाथ होना, कुजिया का छीना जाना, अधाधुध गिरफ्तारिया—इन घटनाओ ने सिखो को झिझोड कर जगा दिया था। ज्यो ज्यो उन पर दमन बढता जाता, त्यो-त्या उनको साफ पता चलता जाता कि गुरुद्वारा की आजादी के बारे म अग्रेज राज के इरादे क्या हैं। गिरफ्तारिया, धम म हस्तक्षेप, गुरुद्वारा का अग्रेज राज की

१ खालसा अखबार, लाहौर, १५-११-१९२१
२ बाबा गुरुदत्त सिंह का बयान, केसरी, २ ११ १९२१
३ स्वराज, २७ अक्तूबर १९२१

मजबूती के लिए राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल और तगदुदद—इन चीजों ने सिखों की सोयी हुई सूझबूझारी जगाने में बड़ी सहायता की।

३ कुंजियाँ छीनने की प्रतिक्रिया

कुंजिया छीन लेने के फैसले के साथ श्रोमणि कमेटी के सहयोगी मेम्बरों का भी—चीफ खालसा दीवान के मेम्बरों के अलावा—गवनमेंट के वादों से विश्वास उठना शुरू हो गया। गवर्नमेंट अफसरों ने कई बार यह अहसान जताया था कि गवनमेंट ने दरबार साहब सिखों के हवाले कर दिया है। खुद गवनर मैकलैगन ने १३ नवम्बर को कौंसिल के मेम्बरों के सामने कहा था कि गवनमेंट ने दरबार साहब पर से कंट्रोल हटाने का प्रबंध कर दिया है। १५ मार्च को कौंसिल मे सरदार महताब सिंह के सवाल के जवाब मे कहा गया था—हमारा हिसाब किताब से कोई ताल्लुक नही। हम सिर्फ सरबराह नियुक्त करते थे और हमने अब यह भी छोड दिया है। इसी तरह कुछ और मौकों पर लोगों पर आम प्रभाव यही पडा था कि दरबार साहब का प्रबंध श्रोमणि कमेटी के हवाले कर दिया गया है। सरकार द्वारा नामजद ३६ मेम्बरों की कमेटी के श्रोमणि कमेटी मे विलय और इन मेम्बरों के पूरी तरह मिल कर काम करने के बाद भी आम लोग यही समझे थे कि सरकार ने गुरुद्वारा दरबार साहब का प्रबन्ध कमेटी को सौंप दिया है। कुंजिया छीन लेने पर लोगों का यह नतीजा निकालना गलत नही था कि सरकार अपने किये वादे से मुकर गयी है और गुरुद्वारों के प्रबंध में हर यत्न से अपनी टांग अडाए रखना चाहती है।

इसलिए श्रोमणि कमेटी के मेम्बरों का पारा चढ जाना समझ मे आने वाली बात है। उन्होंने इस बारे मे जो प्रस्ताव पास किया, उससे जाहिर होता है कि सरकारी वादों के प्रति उनके भ्रम कितने ज्यादा टूट चुके थे। प्रस्ताव का आशय यह था

(१) प्रिंस आफ वेल्स का बायकाट किया जाय। उसके हिन्दुस्तान की धरती पर उतरने और अमृतसर मे आने के दिन हडताल की जाय, किसी गुरुद्वारे मे न तो उसका चढावा कबूल किया जाय, न उसको कोई सरोपा दिया जाय और न ही उसकी कहीं अरदास की जाय,

(२) कुंजियां को वापस लेने के लिए गवनमेंट के साथ कोई मेल जोल न किया जाय और वापस करने के लिए आने की सूरत मे किसी भी शर्त पर कबूल न की जायें,

(३) गुरु नानक जी के जन्म दिन पर—जो १५ नवम्बर को आ रहा है—विरोध प्रकट करने के लिए कोई जलसा या उत्सव न मनाया जाय,

(४) श्रोमणि गुरद्वारा प्रवधक कमेटी के पाच सदस्य वारी-वारी से पहरे पर रह, और

(५) असहयोग पर अमल किया जाय। अगर गवनमेंट गुरद्वारो पर कब्जा करने के लिए आये, तो अकाली और गुरद्वारा के प्रवधक सत्याग्रह करें।[1]

कुजिया छीनने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य था। गवनमट कायम हो चुकी श्रोमणि कमेटी के हाथ मे कुजिया नही जाने देना चाहती थी, क्योकि कमेटी पर असहयोगिया का कब्जा था। गवनमेंट को भय था कि अगर तोशे खाने की कुजिया सरदार खडक सिंह और उसके हमख्याल साथियो के हाथो म आ गयी, तो खजाने का रुपया सरकार के खिलाफ असहयोग की तहरीक को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जायगा। सरकार जानबूझ कर गुरद्वारो की धार्मिक आजादी के लिए इस्तेमाल किये जा रहे असहयोग के हथियार को राजनीतिक कह-कह कर बदनाम करना चाहती थी, ताकि वह आम सिखो की खास कर, और गर सिखो की आम तौर पर, हमदर्दी अपने साथ जोडे रखे। सरकार के साथ आम सिखो की हमदर्दी खत्म होती जा रही थी। कारण यह कि गुरुद्वारो मे सरकारी दखल उनको प्रत्यक्ष नजर आने लगा था और अदालत के फैसले के बाद कुजिया देने का उज्र, मामले को लटकाने और श्रोमणि कमेटी के मुखालिफो को मैदान मे लाने के लिए पेश किया गया था। कुजिया लेने के अगले ही दिन डी सी न कुछ वफादारो को बुला कर कहा था—तुम प्रतिनिधि कमेटी बनाओ, सरकार उसको कुजिया देने को तयार है।

सिखो के धम म दखल देने की बात कोई नयी या अप्रकट बात नही थी। दखल दिया ही जा रहा था—राजनीतिक मनोरथो का, अंग्रेज राज को, मजबूत करने के लिए। जब इस राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए कहा जाता था और इस हस्तक्षेप के खिलाफ लडाई की जाती थी तो सारी सरकारी मशीनरी शोर मचाने लगती थी कि यह लहर सिखो की धार्मिक लहर नही, राजनीतिक लहर है। मास्टर तारा सिंह ने कुछ अर्से के बाद इस हमले के जवाब म दुरुस्त लिखा था

"असल बात यह है कि नौकरशाह, गुरद्वारा को अपने राजनीतिक मतलब के लिए इस्तेमाल करत हैं और अपनी नियत अनुसार ही इनको यह शक है कि सिख भी इन्हें राजनीतिक मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। फलत नौकर-

१ डी एसी पी सत सिंह की रिपोट, फाइल न ४५६/१९२१

शाही को गुरुद्वारा पर से कब्जा हटाना उतना ही मुश्किल हो रहा है जितना हिन्दुस्तान पर से अंग्रेजी राज को हटाना।[1]

४ और नया सरबराह

सरदार सुन्दर सिंह मजीठिया की तरह सरकार ने एक दूसरे वफादार व्यक्ति कप्तान बहादुर सिंह को सरदार साहब और दूसरे सम्बन्धित गुरुद्वारा का सरबराह बना दिया। सरदार सुन्दर सिंह का कसूर यह था कि वह शिरोमणि कमेटी के साथ मिल कर चलता था। मगर सरकार को इस किस्म का सरबराह चाहिए था जो गुरुद्वारा कमेटी के साथ मिल कर नहीं बल्कि सरकार के साथ मिल कर चले। यह सरकार ने ढूंढा—सरदार बहादुर सिंह मशिर एक पेंशनर कैप्टेन में। यह सिलसिला चलना भी था नहीं—सरकार इस मामले में बिलकुल जारी थी। उसने उस आदमी को सरबराह बनाया जिसने १९१४-१५ के देशभक्त गदरियों के साथ गद्दारी करके देशभक्त रंगा सिंह को होती मर्दान में पकड़वाया था। सरकार सिखों की मनोवृत्तियों में आ चुकी तब्दीलियों से आगाह थी, वह राज के दम्भ का सहारा लेकर गलत कदम ले रही थी।

शिरोमणि कमेटी ने १२ नवम्बर को अपनी एक मीटिंग में फैसला किया कि सरकार के नये सरबराह को दरबार के प्रबंध में किसी किस्म का दखल न देने दिया जाय। यह फैसला बाकायदा डी सी को भेज दिया गया। लेकिन डी सी ने अपने हुक्म से सरबराह को कुंजियां देकर दरबार साहब भेज दिया ताकि वह गुरु नानक के जन्म दिन पर सजावट रोशनी वगैरा का प्रबंध कर सके। सिखों ने—सवालों की बौछार करके—उसकी बडी बेइज्जती की। कप्तान साहब की उनके सामने जुबान ही नही खुलती थी। उसको पसीना आ रहा था। जब उसने देखा कि उसकी कोई बात नहीं मानी जाती, तो वह कुंजियां लेकर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद वह मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार हो गया और उसने सरबराही से इस्तीफा दे दिया तथा शिरोमणि कमेटी से अपनी गलती की मुआफी मांगी।

इस घटना का जिक्र सरकार की खुफिया रिपोर्ट में भी आया है, जिसमें लिखा है अकालियों का बर्ताव धमकियों वाला था। उन्होंने सरदार बहादुर को बुरा भला कहा और बेइज्जत किया। शिरोमणि कमेटी ने उसको जाती तौर पर अकाल तख्त के सामने हाजिर होने के लिए लिखा और गुरुद्वारे का प्रबंध स्वीकार करने पर अपनी गलती मानने तथा मुआफी मांगने को कहा—वर्ना

१ अकाली ते प्रदेसी, सम्पादकीय "खरी खरी बातें," ३० अक्तूबर १९२२

उसको पथ से निकाल दिया जायगा। यह यकीन किया जाता है कि यह कदम इस ख्याल को सामने रख कर उठाया गया था कि दूसरे लोगों को प्रतिद्वंद्वी गुरुद्वारा कमेटी बनाने से रोका जाय।[1]

प्रतिद्वंद्वी गुरुद्वारा कमेटी का विचार बड़ा अर्थपूर्ण है। तहरीकों में फूट डाल कर उन्हें किसी किनारे न लगने देना अंग्रेज राज की पॉलिसी थी। जब तक गुरुद्वारा तहरीक चलती रही तब तक मुकाबले की जत्थेबंदी कायम करने के सरकार के यत्न जारी रहे। इस सचाई की पुष्टि आगे बार-बार होगी। पीछे हम पढ़ आये हैं कि डी सी अमृतसर किसी भी मुकाबले की जत्थेबंदी को दरबार साहब की कुंजियां देने और उसकी सरपरस्ती करने को तैयार था। पर उस वक्त सरकार की यह साजिश सिरे न चढ़ी, पैदा होते ही मर गयी। उस समय शिरोमणि कमेटी और पंथ की मजबूत एकता के सामने सरकार की सरपरस्ती का सहारा लेकर कोई वफादार खड़ा नहीं हो सकता था।

कुंजियां ले जाने के बाद एक सरकारी एलान द्वारा बताया गया कि गुरुद्वारा कमेटी ने दरबार साहब का कंट्रोल हासिल करने के लिए अभी "कानूनी अधिकार" प्राप्त नहीं किया इसलिए वह "कुंजियां हासिल करने की—कानूनी तौर पर—हकदार नहीं।" गवर्नमेंट अदालत में "दोस्ताना मुकदमा" करेगी। अदालत दूसरी पार्टियों के दावों को भी सुन कर फैसला देगी, वगैरा। लेकिन ये सब मक्कारी और रियाकारी की बातें थीं। असल बात यह थी कि "गवर्नमेंट—कमेटी के राजनीतिक रवैये को सामने रख कर"—अभी भी उसको सिख धर्म की प्रतिनिधि होने की मान्यता देने से इनकार कर रही थी।[2]

●

1 एस पी ओ'डानल को कर्नल सी के का पत्र, १६ नवम्बर १९२१, फाइल न ४५६/१९२१, पैरा ६
2 फाइल न ६४२/१९२२, होम पालिटिकल 'दि सिख क्वेश्चन इन दि पंजाब' पैरा १२

तेरहवाँ अध्याय

गिरफ्तारियों का दूसरा दौर

एक तरफ सरकार कुजिया का फसला अदालत मे कराने की बातें कर रही थी, दूसरी तरफ अमृतसर का डी सी और बाकी जिलो के डी सी सिख जाग्रति वाले जिलो के कस्बो मे जा जा कर गवनमेंट के कुंजिया लेने के बारे म सरकार की पोजीशन की सफाई कर रहे थे। सिखो मे जो सरकार विरोधी व्यापक उभार पैदा हो गया था वे उसे ठंडा करना और रोकना चाहते थे तथा कुंजिया लेने के नाजायज दखल को—कानून की आड लेकर—जायज और दुरुस्त ठहराना चाहते थे। डी सी अपने अपने जिलो के देहात मे दरबार लगा कर अपनी बात करते थे। लेकिन पब्लिक के किसी भी आदमी को सवाल करने या बोलने की इजाजत नही दी जाती थी।

इसलिए अकालिया ने फसला किया कि जहा जहा भी जाकर डी सी बोले वहा वहा धार्मिक जलसा किया जाय और श्रोमणि कमेटी की पोजीशन की व्याख्या करके डी सी द्वारा फैलायी गयी गलत और गुमराह करने वाली बातो और तोहमतो का डट कर जवाब दिया जाय। डी सी अमृतसर ने एलान किया कि २६ नवम्बर को वह अजनाले मे कुंजियो और सिख स्थिति के बारे म दरबार लगायेगा। जिला गुरद्वारा कमेटी ने भी ढिंढोरा पीट दिया कि कमेटी द्वारा अजनाले मे एक धार्मिक जलसा किया जायगा, जिसमे कुंजियो के छीने जाने पर खास तौर से और गुरुद्वारा सुधार के मामलो पर आम तौर से सरदार दान सिंह विछोआ और जसवत सिंह चभाल वगैरा की तरफ से तकरीरो के जरिये रोशनी डाली जायगी। इस तरह एक ही जगह पर दो जलसो का एलान हो गया।

डी सी न अपन जलस म बताया कि गवनमेंट ने दरबार साहब की कुंजिया क्या हासिल की है और आग सरकार की मशा क्या है ? सरकार अदालत के जरिय फसला करायगी कि कुंजिया किस तरह और किस को दी जायें। उसने सरकारी एलान और प्रचार की पूरी तरह व्याख्या की। उस मीटिंग मे सरदार दान सिह और जसवत सिह भी बठे थे। डी सी के बोल चुकने के बाद उन्होंने भी बोलन की इच्छा प्रकट की। लेकिन डी सी ने उनको बोलन की आज्ञा

नही दी, जिस पर उन्होंने वही पर एलान कर दिया कि वे अलहदा धार्मिक जलसा कर रहे हैं। वहा पर असल और सच्चे हालात पर रोशनी डाली जायगी।

अलहदा दीवान सज गया और सिखो ने शब्द पढ़ने शुरू कर दिये। कुछ देर बाद डी सी अपने हामियो को साथ लेकर दीवान के बाहर खडा हुआ। वह बडे रौब से पूछने लगा—यहा क्या हो रहा है ? दोनो सरदारो ने दीवान से बाहर आकर बताया कि सिंह लोग शब्द पढ रहे हैं, यहा धार्मिक दीवान होगा।

डी सी यहा तकरीरें होगी ?

उत्तर हा होगी। लेकिन स्वराज्य, स्वदेशी या किसी राजनीतिक मसले पर नही।

डी सी कुजियो के मामले मे भी तकरीरें होगी ?

उत्तर हा होगी।

बस, यह जवाब मिलना था कि डी सी ने आव देखा न ताव, पुलिस इस्पेक्टर को हुक्म दिया सरदार दान सिंह जसवत सिंह, पडित दीना नाथ, सरदार तेजा सिंह समुद्री और हरनाम सिंह जैलदार को पकड ' लो। उनको पकड लिया गया। जैलदार हरनाम सिंह पहला बडा सरकारी कारिंदा था, जो अकाली तहरीक मे पकडा गया और कैद हुआ। उसको इसलिए पकडा गया था कि उसने खद्दर के कपडे पहन रखे थे। वह डी सी के जलसे म भी शामिल हुआ था।

जिस समय यह खबर अमृतसर पहुची, अकाल तख्त पर श्रोमणि कमेटी की बैठक हो रही थी। मीटिंग वहा से मुल्तवी करके अजनाले ले जाने का फैसला किया गया। कमेटी के मेम्बर कारो पर बैठ कर लगभग साढे चार बजे शाम अजनाले पहुच गये। जलसा पहले से ही जारी था। एक के बाद दूसरे मेम्बर ने बोलना जारी रखा। कोइ १९ रहनुमा बोल चुके होंगे कि पुलिस का सुपरिटेंडेंट आ धमका और उसने बोलने वालो के नाम पुकार-पुकार कर उन्हे गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उसने सरदार खडक सिंह प्रधान श्रोमणि कमेटी, सरदार महताब सिंह सेक्रेटरी श्रोमणि कमेटी, मास्टर सुदर सिंह लायलपुरी मनेजर दनिक अकाली भाग सिंह वकील और गुरचरण सिंह वकील तथा हरीसिंह जलधरी को पकडन के बाद डी सी का एलान सुनाया। इसम 'बगावती मीटिंग कानून' (सेडीशस मीटिंग्स एक्ट) के अधीन दीवान को गैर कानूनी मजमा करार दिया गया था। इनको इसलिए पकडा गया कि इन "सिख असहयोगिया ने बगावती मीटिंग-कानून को तोडा था।"[1] प्रो जोध सिंह और

१ कनल सी के, डी आई जी, २७ ११-१९२१

तारा सिंह बी ए (दोनों चीफ खालसा दीवान से संबंधित) ने कहा कि यह धार्मिक दीवान है और यह जारी रहेगा।'[1] दीवान दो घंटे और जारी रहा। लेकिन उनमें किसी ने न पकड़ा, क्योंकि वे सहयोगी थे। अंग्रेजों का कानून भी—अंग्रेज हाकिमों की तरह—असहयोगी सिखों और सहयोगी सिखों के बीच भेद करता और पक्ष लेता था।

२७ नवम्बर को श्रोमणि कमेटी के बाकी मेम्बरों ने अकाल तख्त पर मीटिंग की। इनमें सरदार अमर सिंह झबाल को कमेटी का प्रधान चुना गया। कप्तान राम सिंह को उप प्रधान और सरदार तारा सिंह को सक्रेटरी नियुक्त किया गया। कमेटी ने इस हमले का जवाब देने के लिए फिर से अपने को जत्थेबन्द और तैयार कर लिया। सिख रहनुमा भयभीत होना नहीं जानते थे। उन्होंने जो प्रस्ताव पास किया वह सरकारी हमले का मुकाबला करने की भावना को स्पष्ट प्रकट करता था। प्रस्ताव यह था

"अपने पवित्र स्थानों की रक्षा करने और दरबार साहब की कुंजिया वापस लेने के लिए और साथ ही धार्मिक मीटिंगें करने की आजादी का हक हासिल करने के लिए श्रोमणि गुरुद्वारा कमेटी फैसला करती है कि

(क) सब जगहों पर, खास कर अमृतसर, लाहौर शेखूपुरा के जिलों और दिल्ली में कुंजियों के मामले में तथ्य बयान करने के लिए धार्मिक दीवान किये जायें,

(ख) ४ दिसम्बर को गुरु तेगबहादुर के शहीदी दिन पर हर जगह दीवान किये जायें और पवित्र वाणी का पाठ किया जाय। बाद में अरदास में ये शब्द और कहे जायें 'हे वाहिगुरु धरम ते जुलम करन वालिआ दा खातमा कर'

(ग) हरेक सिख उस दिन जपुजी साहब के पांच पाठ करे और फिर उपरोक्त शब्द बढा कर अरदास करे, और

(घ) श्रोमणि कमेटी द्वारा जारी किया गुरुमुखी (में लिखा) एलान इन सारे दीवानों में पढा जाय।"

और, कुछ दिनों के बाद श्रोमणि कमेटी ने प्रिंस आफ वेल्स के भारत में आने का सवाल हाथ में लिया और प्रस्ताव पास किया कि उसके हिंदुस्तान की धरती पर उतरने वाले दिन पूर्ण हड़ताल की जाय, कोई सिख उसके साथ संबंधित कार्यों में हिस्सा न ले और उसका जगह-जगह बहिष्कार किया जाय। ६ दिसम्बर को कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि कुंजियां वापस लेने का तब तक कोई प्रबंध कबूल न किया जाय जब तक कुंजियों के संबंध में पकड़े गये सभी सिखों को बिना शर्त रिहा नहीं किया जाता।

१ प्रो तेजा सिंह गुरुद्वारा रिफार्म मूवमेंट पृ ३५२

इस तरह, कुंजिया का मोर्चा लगातार गम होता गया। रोज एक दीवान अकाल तख्त के सामने होता, दूसरा गुरु के बाग मे होता —कुंजिया के छीनने और अकालियो की गिरफ्तारियों के बारे मे बडी जोशीली और निभय तकरीरें होती। देहातो मे जत्थो ने रहनुमा प्रचार के लिए चल पडे। उनके पीछे पीछे गिरफ्तारी के वारट फिरते, लेकिन वे आगे बढते हुए घम स्थानो पर कब्जा जमाये रखने की अग्रेज राज की कुटिल चाला का देहाता म पर्दाफाश करते फिरते। ये रहनुमा एक एक दिन मे ढोल पीट-पीट कर, तीन-तीन, चार चार गावों मे तकरीरें कर आते थे।[1] सरकार विरोधी जजवा जोरो पर था। वफादारो ने सिर छिपा लिये थे। लोग हर जगह राज विरोधियो को पनाह देते थे। चुगलखोरा की जगह जगह दुर्गति होती थी।

कुंजिया के मोर्चे की उठान देख कर रोजाना अकाली न लिखा कि जेल मे बैठे हुए पथ के लीडर तब तक सरकार के साथ कोई समझौता नही करेंगे, जब तक निम्नलिखित शर्तें पूरी नही की जाती

(१) सारे गुरुद्वारे पथ के पूण कब्जे मे दिये जायें,

(२) कुंजिया बिना शत वापस की जायें और इस मोर्चे से सबधित गिरफ्तार किये गये सब कैदी रिहा किये जायें तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए माफी मागी जाय,

(३) गुरुद्वारो के सबध मे कैद हुए तमाम कैदी—सरदार सरदूल सिंह कवीश्वर समेत—छोडे जायें,

(४) कृपाण रखन पर कोई पाबदी न लगायी जाय,

(५) वे शर्तें वापस ली जायें जिनके अन्तगत कुछ अकाली रिहा किये गये थे, और

(६) अकाली के खिलाफ मानहानि का दावा वापस लिया जाय।[2]

शिरोमणि कमेटी का सत्कार और वकार शिखर पर पहुचा हुआ था। उसकी माग पर लोग हर कुर्बानी के लिए सिर पर कफन बाधे तैयार रहते थे। सरकार इधर एक अकाली नौजवान को पकडती, उधर १० दूसरे नौजवान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाते। हथकडियो, कैदों जेलो का डर भय खत्म हो चुका था। आम लोग बातें करते—यारो, जहा इतने बडे बडे सरदार कैद हो गये, वहां

१ इस लेखक को गिरफ्तार करने के लिए तहसील अजनाला और अमृतसर के लगभग हर थाने से वारट जारी थे। ग्राम जस्सड में लेखक को पकडने के थानेदार के यत्नों के बावजूद लोगों ने उसे पकडने नही दिया था, और बाद म उस गाव मे पुलिस और फौज का सख्त जुल्म हुआ था

२ रोजाना अकाली, १६ दिसम्बर १६२१

हमारा पीछे रहना नगर और सिखों को मसख है। पिता, पुत्रों को जेल जाने के लिए प्रेरणा देते, पत्नियां और बहनें अपने पतियों और भाइयों का पुष्प-मालाएं पहना-पहना कर भेजती और संदेश देती—कमजोरी दिखा कर न आना, सुखरू होकर आना।

जहां कुर्बानी के लिए यह जोश, यह उत्साह हो वहां निरंकुश किस तरह अपना काला मुंह दिखा सकती है? यहां तो फतह ही विजयी सहरा डाल कर डंके बजाती आयेगी।

१ इस हमले की पृष्ठभूमि

इन ऐतिहासिक दिनों में अकाली तहरीक के बारे में भांति भांति की अफवाहें उड़ रही थी। ये सब, रिपोर्टों की शक्ल में, सी आई डी के कर्मचारियों द्वारा दिल्ली की सरकार को भेजी जा रही थी। कुछ मिसालें देखिए अकाली तोशाखाने के ताले तोड़ना चाहते थे लेकिन शोमणि कमेटी ने उन्हें मना कर दिया (१२ नवम्बर)। आशा की जाती है कि शोमणि कमेटी ननकाने साहब के मेले पर एक प्रस्ताव पास करेगी कि सिखों के लिए पुलिस और फौज की नौकरी करना पाप है, इस प्रस्ताव का 'हुक्मनामे' के तौर पर एलान किया जायगा (१६ नवम्बर)। एक रिपोर्ट यह थी कि बाबा गुरदित्त सिंह कोमा गाटामारू, ननकाने में—गुप्त निवास छोड़ कर—प्रकट होगा, लेकिन साथ ही यह अफवाह भी गर्म थी कि वह प्रकट होकर शोमणि अकाली दल की कमान खुद सम्भालेगा। १४ नवम्बर की एक रिपोर्ट यह थी कि प्रबंधक कमेटी और सिख लीग के अकाली नाम कटे और पेंशनी फौजियों को प्रिंस ऑफ वेल्स के जलसों में जाने से रोकेंगे, वगैरा वगैरा।

हिन्द सरकार एक तो कैप्टेन बहादुर सिंह की बेइज्जती, अपनी बेइज्जती समझती थी। दूसरे उसको इस बात पर बड़ा गुस्सा था कि मास्टर मोता सिंह ननकाना साहब के मेले में प्रकट हुआ और एक बड़ी जोशीली और अत्यन्त गर्म तकरीर करके लुप्त हो गया तथा पकड़ा न जा सका। तीसरे वह अकालियों के कैम्पों की नियमबद्धता सीटी के साथ परेडों तथा पहरेदारी, साथ ही फौज जैसे अनुशासन की रिपोर्ट से बड़ी बौखलायी हुई थी। सरकार अभी १६१६ से पहले के अपने राज के वातावरण से बाहर नहीं निकली थी। नये सरकार-विरोधी हालात ने उसको बहुत दुखी कर दिया था। पंजाब सरकार की पालिसी से यह कतई सन्तुष्ट नहीं थी।

अजनाले की गिरफ्तारियों से पहले हिन्द सरकार पंजाब की घटनाओं के बारे में बड़ी चिंतातुर थी। उसे प्राप्त खबरों के अनुसार 'एजीटेटरों ने अपनी

सरगर्मिया बडी तेज कर दी थी, और इन मीटिंगो में केवल शहरी ही नही आते थे बल्कि देहाता स भी लोग आकर शामिल होते थे तथा कभी-कभी फौजी भी। मीटिंगें हर रोज का कार्यक्रम बन गयी थी और बडा उपद्रवी स्वरूप ग्रहण कर रही थी।"[1]

काईसमौंगर (सी आई डी अफसर) कहता है इस वक्त अकालियो की सख्या तीस और पचास हजार के बीच है। वे जत्था के दस हजार मेम्बर एकत्र करने म समर्थ हैं। ये फौजी तरतीब के मुताबिक मार्च करते हैं। धार्मिक खसलत होने के कारण इस लहर का खतरा बहुत बढ गया है। इसका अभी फौज पर प्रभाव पडना शुरु नहीं हुआ है। इसको जारी रहने देना बेवकूफी है फौजी जनरल स्टाफ का प्रधान (चीफ) चिन्तित है कि साधारण और सामान्य हालात पैदा करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।[2]

उपरोक्त हालात को ध्यान मे रख कर केन्द्रीय सरकार बार बार पजाब सरकार से पूछती थी कि वह इन हालात से निबटने के लिए क्या कर रही है। "अकालियो के सबध म मजबूत कारवाई करनी चाहिए। अकालियो म बडी हेकडी और तैश है। लेकिन अगर मजबूती के साथ हाथ डाला जाय, तो वे जल्दी ही फिस्स हो जायेगे।" (एस पी ओ'डानल १७ ११ २१)। "मुझे यकीन है कि अगर सिखो के पाच-छै लीडरों पर सफलता से मुकदमे चलाये जायें—खास कर दान सिंह और जसवत सिंह पर—तो सिखो म असहयोग की लहर को बडी जबरदस्त चोट लगेगी।" (एच डी क्रेक, २६ ११ २१)। "अकाली तहरीक के बारे म पजाब सरकार की पॉलिसी क्या है? क्या हमेशा की तरह पजाब सरकार कुछ भी न करने का फैसला करेगी?" नगरा-नमरा।

इस तरह पजाब सरकार पर दबाव डाला जा रहा था कि वह अकालियो के विरुद्ध कोई सख्त कदम उठाये और तहरीक को कुचल डाले। हिन्द सरकार यह लहर देहात म नही फैलने देना चाहती थी, क्योंकि इसके देहात में फैलने से फौजी भर्ती म विघ्न पडता था। दूसरे, इसका असर फौजा म पहुच कर बिगाड पैदा कर सकता था। इसलिए गुरुद्वारो का अगर कोई हल सरकार की मर्जी के मुताबिक ढूढा जा सकता है तो ढूढ लो, अन्यथा राज की तसद्दुद की मशीनरी को इस्तेमाल करके इसको कुचल डालो।

१ सेक्रेटरी एस पी ओ'डानल का चीफ सेक्रेटरी पजाब गवनमेंट को पत्र, १० ११ १९२१

२ डब्ल्यू एच विन्सेंट, ५ ११ २१

इसका एक तो यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय सरकार के सक्रेटेरियट के मेम्बर पंजाब सरकार के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। वे इसको कमजोर और अदृढ़ सरकार मानते थे। उन दिनों गवर्नर मक्लेगन को, अफसरों की नजर में, कोई मजबूत गवर्नर नहीं समझा जाता था। केन्द्रीय सरकार के नोटों में पंजाब सरकार के बारे में कुछ बेजारी और घृणा की भलक साफ नजर आती है।

दूसरे, इन ब्रिटिश राज के रखवालों द्वारा अकाली लहर का मूल्यांकन और लेखा-जोखा देखिए — मुख्य लीडरों को पकड़ लेने के साथ ही यह लहर खतम हो जायगी। मजबूती से कदम उठाये जायें तो 'इसकी फूक निकल जायगी' वगैरा। यह वस्तुस्थिति का मूल्यांकन नहीं अन्तर्मुखी निर्णय था जो सी आई डी की रिपोर्टों के आधार पर सेक्रेटारियट के गुर्राते महलों में बैठ कर किया गया था। इसलिए यह गलत था और गलत निष्कर्ष निकालता था।

तीसरे यह निर्णय राज्य की यहनी ताकत पर आधारित था—यानी यह कि गोली, घुड़की, पुलिस फौज, जेलखानों को इस्तेमाल करो तहरीक खत्म हो जायगी। इस किस्म के निर्णय या मूल्यांकन अफसरों की गहरी समझदारी के परिचायक नहीं थे और अमल में अकाली तहरीक ने इनको गलत सिद्ध किया।

२ धार्मिक मीटिंगें भी बंद

यह थी केन्द्रीय नौकरशाही की पृष्ठभूमि। इसी पृष्ठभूमि में अजनाले में अकाली नेताओं की गिरफ्तारियां की गयी। पंजाब सरकार अब अपनी मजबूती का प्रदर्शन करने लगी थी। लेकिन उसने शुरूआत ही गलत आधार पर की। डी सी डनेट ने अजनाले में गिरफ्तारियां जिला कांग्रेस का जलसा समझ कर की थी, क्योंकि दीवान में जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी प दीना नाथ उपस्थित थे। डी सी को सिख लीडरों ने अच्छी तरह बता भी दिया था कि दीवान धार्मिक है और जिला गुरद्वारा कमेटी की तरफ से किया जा रहा है इसमें राजनीतिक मसलों पर नहीं, धार्मिक मसलों पर भाषण होंगे। लेकिन उसने 'मजबूती" दिखाने के लिए सुनी-अनसुनी कर दी और गिरफ्तारियों का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया।

दूसरे उसने एक नयी मूर्खता यह की कि शिरोमणि कमेटी को लिख कर दे दिया कि बगावती मीटिंगों के कानून के अधीन, धार्मिक मीटिंगों पर भी रोक है। इस वक्त वह या तो अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रहा था या वह फर्ज की कोताही का कसूरवार था। दो दिन ही पहले, २४

नवम्बर को नय सिरे से 'बगावती मीटिंग कानून' लागू किया गया था, जिसमें धार्मिक मीटिंगें करने की आजादी बहाल की गयी थी और अखबारों ने डी सी ढनट की इस गलती के बारे मे आवाज भी उठायी थी। दैनिक अकाली ने तो यहा तक लिखा था कि अमृतसर का डी सी अपने जिले का गवनर बन गया है। वह कहता है कि धार्मिक मीटिंगे भी एक्ट की जद के अधीन आती हैं—जबकि पजाब गवनमेंट ने एलान किया है कि धार्मिक मीटिंगें बगावती मीटिंगो के कानून के अन्तर्गत नहीं आती। (३० नवम्बर)।

हिंदुओ, मुसलमानो और कुछ ईसाइयो ने गुरद्वारों की आजादी के सग्राम की बडी हिमायत की। कुजिया छीन लेने पर उन्होंने रोष प्रकट करने के लिए अलहदा-अलहदा तरीके इस्तेमाल किये। कांग्रेस कमेटियो और खिलाफत आन्दोलन के कायकर्त्ताओं ने शोमणि कमेटी के हक म तकरीरें की और गवनमेंट की सिख धम मे मदाखलत को नगा किया, जिस पर गवनमेंट के पास रिपोर्टें पहुची कि "लाहौर, अमृतसर तथा अन्य जगहा पर गैर सिख एजीटेटर सिख स्थिति को बिगाड रहे हैं।"

कुजियो के मामले ने सिख जगत म गवनमेंट के खिलाफ बडी बेचैनी और हलचल पैदा कर दी थी। इसलिए गवनमेंट को, सी आई डी की रिपोर्टों के अनुसार, फौजो मे गडबड का बडा खतरा पैदा हो गया था। इस खतरे को दूर करने के लिए गवनमेंट ने कई कदम उठाये डेपुटी कमिश्नर का एलान पजाबी (गुरमुखी लिपि) मे फौजो में परेड के वक्त ग्रथियो द्वारा पढ कर सुनाने का फसला किया गया। कमाडरो को हिदायत दी गयी कि व फौजो म प्रबधक कमेटी के प्रचार से खबरदार रहें, और फौजियो का गुमराह करके सरकारी वफादारी से मुकरने वालो के विरुद्ध षडयत्र के मुकदमे चलायें। (एच डी क्रेक २६ ११ २१—"मैं सहमत हू", डब्यू एच विसेंट २६ ११ २१)।

और फौज म गडबड पैदा होने का खतरा इसलिए भी महसूस किया जाने लगा था क्योंकि दो रिटायड फौजी अफसरो—कैप्टेन रामसिह पटियाला और रिसालदार सुन्दर सिह स्यालकोट—ने डेपुटी कमिश्नर अमृतसर को चिट्ठी लिख कर इत्तला दी थी कि वे कुजियो के मामले मे गुरू के बाग (दरबार साहब) मे बोलने जा रहे हैं। वह अगर चाहता है तो आकर उन्हें गिरफ्तार कर ले।

चौदहवां अध्याय

मुकदमे और सजाएं

इस संग्राम म ध्यान देने योग्य और अद्‌भुत बात यह थी कि चोटी के लीडर अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश कर रहे थे और नये अकाली तथा नौजवान सिख उनकी जगह ले रहे थे। उस वक्त की पिछड़ी हुई हालत और कुम्भकरणी नींद से सिखों को जगाने का यही दुरुस्त तरीका था और यह बडा कामयाब रहा। उस पिछड़ी हालत म अगर 'पिछा अगां पुत्ता पिछा' की कहावत पर अमल किया जाता, तो बडा नुकसान होता। लीडरों की गिरफ्तारियों ने आम लोगों को मैदान मे कूदने के लिए बहुत उत्साहित किया।

अमृतसर के दीवानों मे सरदार अमर सिंह झबाल, मास्टर तारा सिंह सरदार सरमुख सिंह झबाल प्रधान शिरोमणि अकाली दल पकड लिये गये। पुलिस तरह-तरह से भडकावे पैदा करती रही। लेकिन सिख उनके भडकावों मे न आये। प्रबंधकों ने एलान कर दिया—जो आदमी भी सरकार को चाहिए, सरकार उसका नाम लिख कर भेज दे, वह खुद कोतवाली म जाकर गिरफ्तारी दे देगा। जब किसी को पकडने की चिट आती, तो लोग उसको साथ ले जाकर कोतवाली म छोड आते। इस तरह लगता कि लोग गिरफ्तार होकर सरकार की जेलें भरने को बडे उतावले हैं।

२९ नवम्बर को अजनाले म पहले पकडे गये लीडरों का मिस्टर कानर की अदालत म मुकदमा पेश हुआ। मुलजिमो द्वारा ऐतराज किया गया कि एक्ट के अधीन धार्मिक मीटिंगों पर कोई पाबंदी नही लगायी गयी, इसलिए उनकी गिरफ्तारियां नाजायज और कानून के खिलाफ हैं। अगर डी सी जलसा या दरबार कर सकता है तो लोग भी कर सकते है। पर मजिस्ट्रेट ने इस दलील को कोई वजन न दिया। डी सी ने अदालत में यह बात मान ली थी कि मुलजिमो ने उसे बताया था कि वे धार्मिक दीवान कर रहे हैं—राजनीतिक जलसा नहीं। लेकिन, उसने कहा, अगर यह धार्मिक जमाव होता तो मैं इसमे कोई दखल न देता, पर गुरुग्रंथ साहब की आड लेकर यह जलसा किया गया। मेरा ख्याल है कि जैलदार हरनाम सिंह जलसे का प्रबंधक नही था कानून के विरुद्ध मजमे म शामिल जरूर था। एक सवाल के जवाब म डी सी ने

स्वीकार किया कि "२५ नवम्बर का नोटिफिकेशन, जिसके मुताबिक धार्मिक जलसा पर कोई पाबंदी नहीं लगायी गयी थी, २८ नवम्बर को मेरी नजर में आया। मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन खबर होती, तो भी मैं गिरफ्तारियां जरूर करता।"

पंडित दीना नाथ ने पूछा—कुंजियों का मामला धार्मिक है या राजनीतिक। डी सी ने जवाब दिया कि गुरुद्वारा कमेटी के कुछ मेम्बर इस किस्म के हैं जिनका गवर्नमेंट के साथ झगड़ा है। दुबारा व्याख्या करने पर भी, उसने यही जवाब दिया।[1]

मुलजिमों ने असहयोग किया और सफाई के लिए कोई गवाह पेश नहीं किये। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने मुलजिमों को सजा देते हुए अपने फैसले में लिखा—

इसमें कोई शक नहीं कि अमृतसर जिले की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में दरबार साहब की कुंजियों के बारे में कोई भी पब्लिक चर्चा, पब्लिक में भड़कावा पैदा करने का कारण बनेगी। कोई भी व्यक्ति जो इस विषय पर तकरीर करने के लिए उठेगा राजनीतिक उद्देश्यों से स्वतन्त्र नहीं हो सकता। इस किस्म की पब्लिक मीटिंग को शुद्ध धार्मिक मीटिंग के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।[2]

मामला बड़ा साफ है। डी सी की गलती बड़ी बुरी तरह नंगी हो गयी थी। उसने जलसा पर पाबंदी का नया लागू हुआ कानून पढ़ा ही नहीं था। अगर बात को घटा कर भी कहा जाय तो यह फर्ज की कोताही थी। जज का फैसला एकतरफा था और उसमें डी सी की गलती पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया गया था। कानून की नजर में गलत हो या दुरुस्त, डी सी को हर सूरत में असहयोगियों को पकड़ना ही था, क्योंकि उसको यकीन था कि दिल्ली में हाकिम उसकी पीठ थपथपायेंगे। आखिर सेक्रेटेरियट ही तो मजबूत कदम उठाने के लिए जोर देता आ रहा था। इसलिए उसकी इस गम्भीर गलती की भी ऊपर के हाकिम कोई परवाह नहीं करेंगे।

पहले एक जत्थे के लीडरों को सजायें हुइं[3] फिर उसी जज के सामने दूसरे जत्थे का केस पेश हुआ। सरकारी गवाहों के पेश होने और खुद लीडरों के

१ अकाली लहिर दा इतिहास, ज्ञानी प्रताप सिंह, पृ १३७ ३८

२ प्रो तेजा सिंह, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, पृ ३५६

३ पंडित दीना नाथ, सरदार दान सिंह, सरदार जसवंत सिंह, सरदार तेजा सिंह को ५ ५ महीने की सख्त कैद और एक एक हजार रुपये जुर्माना (या छै हफ्ते की और सख्त कैद) जैलदार हरनाम सिंह को ४ महीने की सख्त कैद और एक हजार रुपये जुर्माना (या छै हफ्ते की और कैद)

वेखौफ बयाना के बाद इस दूसरे जत्थे के लोगों को भी सजायें दी गयी—उतनी सजायें जितनी यह कानून एक आदमी को ज्यादा-से ज्यादा दे सकता था।[1]

उस समय के धार्मिक और राजनीतिक वातावरण और जोश खरोश को समझने के लिए जरूरी है कि इन अकाली लीडरों के बयानों के कुछ हिस्सा का अध्ययन किया जाय। यह वातावरण हिंदुस्तान के राजनीतिक वातावरण का ही अंग था और इसे उत्पन्न करने वाले प्रधानत महात्मा गांधी और देश की कौमी आजादी की तहरीक थी। गुरुद्वारों की आजादी हासिल करने के लिए शांतिमय सत्याग्रह या असहयोग का हथियार भी महात्मा गांधी की देन थी।

'मि डनेट ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं बागी तकरीरें करता हू। अगर देश की सेवा करना बगावत है, तो मैं सचमुच बागी हू। धार्मिक कामो मे दखल देकर हुकूमत गलती कर रही है। इसका फल उसको भुगतना पडेगा।" (पडित दीना नाथ)।

'मि डनेट ने मुझ पर और सरदार जसवत सिंह पर खास मेहरबानी की है साबित किया है कि हम दोनो पोलिटिकल आदमी हैं और गुरुद्वारा लहर मे अपने काम को जारी रखने के लिए शामिल हुए हैं। यह ठीक है कि सरदार जसवत सिंह जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है लेकिन वह डनेट को सीधे रास्ते पर लाने के ख्वाहिशमद है। मि डनेट उस दिन सख्त बेजार हुआ, जिस दिन उसने श्रोमणि कमेटी के दफ्तर म चीफ खालसा दीवान के एक स ज्यादा मेम्बरो को श्रोमणि कमेटी की एक्जेक्यूटिव म शामिल करने के लिए हमसे कहा और दरबार साहब के प्रबध म भी उनको लेने के लिए कहा। हमने स्पष्ट शब्दो म बता दिया कि हम इन मामलो में सरकार का कोई हुक्म नही मानगे। मजिस्ट्रेट साहब, हमारी सजाओ का जो हुक्म आप आज स पहले, क्लब घर म तजवीज कर चुके हैं, हम सुना दीजिए।' (सरदार दान सिंह)।

"मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हू। साथ ही मैं श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी का मेम्बर भी हू और सूबा कांग्रेस कमेटी का मेम्बर भी। मैं एक ही साथ गुरुद्वारा कमेटी और कांग्रेस का भी काम कर रहा हू। इसलिए मि डनेट को यह कहने का मौका मिला है कि अजनाले वाला जलसा कांग्रेस का था। अजनाले वाला दीवान, जिला गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से था—यह मि डनेट खुद मान चुके हैं। जिस हुकूमत ने चौकीदारो को नियुक्त करने तक

१ सरदार खडक सिंह प्रधान, सरदार महताब सिंह सेक्रेटरी, भाग सिंह वकील और गुरचरण सिंह वकील, मास्टर सुदर सिंह लायलपुरी को ६ ६ महीने कैद और एक एक हजार रुपये जुर्माना (या ६ हफ्ते की और कैद)

का अधिकार अपने ही हाथ म रखा हो, उनसे किसी तरह से इसाफ की उम्मीद करना गलती है।" (सरदार जसवन्त सिंह)।

सरदार महताब सिंह ने जज को सम्बोधित करते हुए कहा 'जिला गुरद्वारा कमेटी ने जो जलसे किये हैं, मैं उनके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हू। मैंने हुक्म भेज थे कि जहा-जहा भी मि इनेट या हुकूमत का कोई आदमी दरबार लगाये, वहा वहा दीवान करके हुकूमत या डनट की फलायी हुई गलतफहमिया दूर की जायें दरबार साहब की कुजिया छीने जाने से सारे सिख पथ का अपमान हुआ है और सिखो के जजबे भडक उठे हैं। मैं हुकूमत की इस नीति को अत्यन्त मूर्खतापूर्ण समझता हू मुझे निश्चय है कि डनट का सिर फिर गया है जब तक सिख म जान है, हम हुकूमत को अपने धार्मिक कामों मे दखल देने की इजाजत नही देंगे।"

सबसे छोटा, लेकिन आग लगाने वाला बयान सरदार खडक सिंह जी का था। उन्होंने कहा "इस मुकदमे म गवनमेंट एक पक्ष है, जज उसका एक नौकर है, इसलिए मैं किसी किस्म का बयान देने से इनकार करता हू। मेरी पोजीशन, सिख पथ का प्रधान होने की हैसियत से, अमरीका, फ्रांस और जर्मनी के प्रेसीडेंट जैसी है।"

"सरकार के प्रतिनिधियों म धार्मिक और राजनीतिक जलसा म फर्क समझने की अक्ल नही है।' (हरीसिंह जलधरी)। "कोई हुकूमत नही, कोई अदालत नही, कोई बयान नही।" (सुन्दर सिंह लायलपुरी)। 'मैं इस अदालत को अदालत नही समझता, न अंग्रेजी सरकार से इसाफ की उम्मीद करता हू—बयान देना फिजूल है।' (भाग सिंह वकील)। 'इस गवनमट ने अपने बनाये हुए कानून को तोड दिया है। मैं इस किस्म की सरकार के मुलाजिमो को कभी अपना जज नहा बनाना चाहता।' (गुरचरण सिंह वकील)।

यह थी भावना, जो इन दिनो काम कर रही थी। सरकारी अफसरों और जजो के लिए डर खौफ लोगो के दिलो से उड गया था। शिरोमणि कमेटी पर प्रभाव, गम-ख्याल असहयोगियो का था। सरकारी अफसरो की बडी इच्छा थी कि कमेटी म चीफ खालसा दीवान के हमख्यालो का बहुमत हो जाय। अगर बहुमत नही तो कम से कम, इतनी प्रभावशाली आवाज तो हो ही जाय कि शिरोमणि कमेटी को—कोई भी सरकार विरोधी कदम उठाने से—रोक थाम की जा सके। सरकार को, हम देखेंगे, चीफ खालसा दीवान की सहयोगपूर्ण भूमिका की सभावनाए कम होते देख बडी निराशा हो रही थी। लेकिन आखिरी दम तक सरकार ने न तो दो-तीन चीफ खालसा दीवान मेम्बरो का पल्ला छोडा, न इन मेम्बरों ने सरकार का पल्ला छोडा। हर मुश्किल के वक्त सरकारी अफसरों द्वारा आवाज दिये जाने पर, भाई जोध सिंह जी हाजिर हो जाते थे।

पन्द्रहवां अध्याय

मध्यस्थ ढूंढ़ने के यत्न

इस समय गवनमेन्ट की जान बुरे फंदे में फसी हुई थी। वह उससे निकलने के लिए बड़े हाथ पैर मार रही थी। वह पटियाले के दयाकिशन कौल के जरिये तेजा सिंह भुच्चर को अपनी मुट्ठी में करके १२ और १३ दिसम्बर को एक बड़ी भारी अकाली कान्फ्रेंस बुलाने का बन्दोबस्त कर रही थी जिसमें यह प्रस्ताव पास किया जाना था कि गुरुद्वारा तहरीक को राजनीति से दूर रखा जाय और इस लहर को असहयोगियों तथा गरम ख्याल सिखों से मुक्त किया जाय। सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि तेजा सिंह भुच्चर ने दयाकिशन कौल को विश्वास दिलाया था कि वह इस किस्म की कान्फ्रेंस कर सकेगा और उपरोक्त आशय का प्रस्ताव पास करा सकेगा। साथ ही, वह तार भिजवायगा कि महाराजा पटियाला मध्यस्थ बन कर गवनमेन्ट का सिखों से समझौता कराते तथा दरबार साहब का उचित प्रबंध हासिल करने की जिम्मेदारी हाथ में लें।

पंजाब गवनमेन्ट को दयाकिशन कौल के पास क्या जाना पड़ा? इसलिए कि 'सरदार सुन्दर सिंह मजीठिया तथा अन्य ने अकालियों को कन्ट्रोल में रखने की अपनी अयोग्यता को कबूल कर लिया था।' वह समझती थी कि दयाकिशन कौल अपनी कुटिल नीतियों के द्वारा कुछ अकाली नेताओं को अपनी ओर फोड़ लेगा और कुंजियां महाराजा पटियाला के हवाले कराने के लिए रास्ता साफ कर देगा। इस तरह गवनमेन्ट दलदल से बाहर निकल आयेगी!

लेकिन यह साजिश इससे भी गहरी और खतरनाक थी, क्योंकि इसकी तह में शिरोमणि कमेटी के मुकाबले एक ऐसी नयी सेंट्रल कमेटी बनाये जाने की साजिश थी जो सिख जाति की सारी सम्प्रदायों की प्रतिनिधि हो।" दरबार साहब की कुंजियां 'आरजी तौर पर' इसके हवाले की जावें। यह सेंट्रल कमेटी अन्य स्थानीय कमेटियों के साथ सलाह मशविरा करेगी और गुरुद्वारों का प्रबंध दुरुस्त बुनियादों पर रखने के लिए महाराजा पटियाला के मशविरे पर चलेगी तथा महाराजा पटियाला गवनमेन्ट को सारे हालात से वाकिफ

कराते रहेंगे और कानून की जरूरत पडने पर गवनमेंट के साथ उसका बदो-बस्त करेंगे।[1]

पर तेजा सिंह भुच्चर अपना वादा पूरा न कर सका और यह षड्यत्र आधे रास्ते मे ही दम तोड बैठा। दयाकिशन कौल ने उसको 'कुल अकाली जत्था के प्रमुख नेता" के तौर पर पेश किया था। कनल मिचन की रिपोर्टों के अनुसार, पजाब गवनमेंट को कौल पर बडा भरोसा था। परन्तु केंद्रीय सरकार उसके दावो पर ज्यादा यकीन नही करती थी और उसे एक बहुत "चालाक" मत्री समझती थी, जो अपनी डावाडोल स्थिति को मजबूत करने के प्रयत्न कर रहा था।

यह साजिश सफल हो जाती तो इससे तीन लक्ष्य पूरे होते

(एक) शिरोमणि कमेटी की जगह नयी सेंट्रल कमेटी कायम करके महाराजा पटियाला के जरिये गुरुद्वारा प्रबध पर कट्रोल रखना और सिखो के ऊपर अपनी मर्जी का गुरुद्वारा कानून थोपना,

(दो) चीफ खालसा दीवान की सिखो मे ऊपर से लीडरशिप खतम होने के बाद महाराजा पटियाला को सिख जाति का लीडर बनाने के यत्न करना और उसके वसीले मे अकाली लहर को निष्क्रिय और असफल बनाना, और

(तीन) महाराजा नाभा की "षड्यत्रपूर्ण सरगर्मियो" का सफल होने से रोकना, उसके एजेंटों को बदनाम करना, अकाली तहरीक पर उसके असर को तोडना तथा गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी—जिसमे उसको भारी प्रतिनिधित्व हासिल था—की जिदगी खत्म करना।[2]

गवनमेंट को शक था कि महाराजा नाभा के शिरोमणि कमेटी के साथ गुप्त सबध थे और वह कई पजाबी अखबारो को रुपये-पैसे देकर अपने लिए हिमायत हासिल कर रहा था तथा पथ का रहनुमा बनना चाहता था। वास्तविकता यह है कि पटियाला दरबार नाभे की साजिशो को आम तौर पर नाकारा बना रहा था और उसने कुछ "गुरमुखी अखबारों" को—जो नाभे की तनख्वाह पर चलते थे—अपनी तरफ खीच लिया था और उसके कुछ एजीटेटर भी अपनी तरफ खीच लिये थे। गवनमेंट नाभे के बढ रहे असर रसूख को ब्रिटिश राज के लिए बडा खतरनाक समझती थी। क्यों ?—यह हम आगे चल कर देखेंगे। इस समय जो प्रसग चल रहा है उसमें यही कहना काफी है कि

१ ए बी मिचल—जी जी (फुलकिया) स्टेट्स के एजेंट—का पोलिटिकल तथा विदेशी मामलात के सेक्रेटरी थाम्पसन का पत्र, १२ १२ २१
२ वही

कोई सरकार-प ी मध्यस्थ ढूंढ़ कर कुंजियां दे ी और अपने गले स स्सा उतारने के गवर्नमेंट के प्रयत्न नाममयाब न हुए।

१ गलती पर गलती

यह सचाई यद्यपि एकदम स्पष्ट हो चुकी थी कि बगावती मीटिंगों के कानून के अधीन धार्मिक जलसों पर कोई पाबन्दी नहीं लगायी गयी थी, तो भी गिरफ्तारियां बन्द नहीं हुई थीं। कुंजियां वापस लेने के बारे में जो भी अकाली या गैर अकाली सरकार द्वारा धर्म में दखल देने का विरोध करता था, उसे पकड़ कर जेल में धकेल दिया जाता था। भाषण करते हुए जो लोग गिरफ्तार नहीं किये जाते थे, वे रोष प्रकट करने लगते थे। कैद होने वालों में नाम देने वालों की कोई कमी नहीं थी। इस तरह मालूम होता था कि अकालियों ने ही नहीं, तमाम सिखों ने कुंजियों के मामले में सिर की बाजी लगा दी है और ज्यों ज्यों सिख अंग्रेज सरकार के जुल्मों के खिलाफ लड़ कर कैद होते जाते थे त्यों-त्यों कांग्रेसी हिन्दुओं और खिलाफती मुसलमानों की हमदर्दी उनके साथ बढ़ती जाती थी तथा पंजाब के ज्यादातर अखबार उनकी हिमायत करने लगे थे।

'निकट अतीत के इतिहास में हम ऐसा कोई समय याद नहीं जब सिख राय की इतनी बड़ी बहुतायत गवर्नमेंट के खिलाफ लामबन्द हो गयी हो, जैसी खास कर पिछले कुछेक महीनों में हुई है—विशेषकर पिछले कुछ दिनों में। सरदार महताब सिंह और उसके साथ के मुजरिमों को ६ ६ महीने की कैद हुई है। हम यह कहने में कोई झिझक नहीं कि ये सजायें और कैद वर्तमान सिख समस्या को हल करने में सहायक नहीं हो सकेंगी।" (४ दिसम्बर, ट्रिब्यून)।

दूसरी तरफ, सरकार किसी ऐसे वफादार आदमी की खोज करने में व्यस्त थी, जो कुंजियां उससे लेकर उसका गला फंदे से छुड़ाये। कप्तान बहादुर सिंह के इस्तीफे के बाद कोई आदमी सरबराही लेने को नहीं मिलता था। सरकार चाहती थी कि कोई नयी कमेटी वजूद में आ जाय जो उससे कुंजियां ले ले। शिरोमणि कमेटी को कुंजियां देने को वह तैयार नहीं थी, क्योंकि वह सरकारी निर्णय के अनुसार सिखों की पूरी तरह प्रतिनिधि नहीं थी। सरकार का सत्कार और बकार डावांडोल हालत में था। ब्रिटिश राज के पास जबरदस्त हथियारों से लैस पुलिस फौज की ताकत थी। उसने न तो पहले कभी खुले तौर पर *गलती मानी थी, न ही इस वक्त मानने को तैयार थी।*

गवर्नमेंट को बड़ी उम्मीद थी कि कुंजियों के मुकदमे में चीफ खालसा दीवान एक पार्टी बन कर सामने आयेगा। लेकिन दीवान को यह जुरअत न हुई। फलतः गवर्नमेंट ने अपनी निराशा इस तरह प्रकट की : यह जरूरी था

कि "अदालत के जरिये ऐसा समझौता किया जाय जो उदार विचारों वाली पार्टी (जिसका प्रतिनिधित्व चीफ खालसा दीवान करता है) और प्रबंधक कमेटी, दोनों को संतुष्ट कर सके—क्योंकि दीवान ने न तो अदालत में और न बाहर अपना दावा पेश करने के लिए कुछ किया, (इसलिए) गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उनकी तरफ से होकर अपने आप को झगड़े में उलझाना नावाजिब होगा।"[1]

लोगों के बीच से हर तरफ से आवाज आ रही थी कि धार्मिक मामलों में सिर्फ शिरोमणि कमेटी ही सिखों की पूर्णत प्रतिनिधि है। कुंजिया सरदार खड्क सिंह को दो—उसे ही देनी पड़ेंगी, दूसरा कोई सिख नहीं लेगा। ६ दिसम्बर को खालसा कालेज के प्रोफेसरों और टीचरों ने दो प्रस्ताव पास किये एक यह कि हमारी राय में शिरोमणि कमेटी यकीनी तौर पर सिख पंथ का प्रतिनिधित्व करती है और दरबार साहब की कुंजिया उसी को दी जानी चाहिए। दूसरे यह कि कुंजिया के बारे में किये जा रहे दीवान धार्मिक हैं। इन दीवानों के अवसर पर नेताओं को गिरफ्तार करने से वफादार सिखों की भावनाएं सरकार के खिलाफ हो जायेंगी।

ये प्रस्ताव उन्होंने खालसा कालेज के अंग्रेज प्रिंसिपल मि वादन के जरिये गवर्नमेंट के पास भेजवाये। मि वादन ने इन प्रस्तावों को भेजने के वक्त जो नोट लिखा, वह बहुत समयानुकूल था। उसने लिखा आपको यह बताना मेरा फर्ज है कि यह मेरा ईमानदारी से यकीन है कि सब पक्षों के सिखों द्वारा शिरोमणि कमेटी को प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता दी जा रही है—कमोबेश एक हजार की संख्या यहा तक कि चीफ खालसा दीवान के लोग भी, इसके साथ सहमति प्रकट करते हैं।

इस नोट ने सरकारी अफसरों को बड़ा परेशान किया और इसके ट्रिब्यून में छप जाने के कारण सरकारी वकार को एक तरह का अच्छा खासा धक्का पहुंचा। एक जिम्मेदार अंग्रेज प्रिंसिपल द्वारा यह निर्णय उन पर सूखे आकाश से बिजली की तरह गिरा। उनके गुस्से का पारा चढ़ना स्वाभाविक था। मि एच डी क्रेक ने लिखा—प्रेस को नोट देना "अविवेकपूर्ण" बात थी। "मैं उसके इस विचार से सहमत नहीं कि खालसा कालेज, राय के तमाम पक्षों का प्रतिनिधि है। यह कहना बिलकुल फिजूल है कि केन्द्रीय गुरुद्वारा कमेटी, जैसी कि यह इस वक्त है एक प्रतिनिधि जत्थेबंदी है। और, खालसा कालेज के विद्यार्थी और

[1] जोजफ का सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम, को पत्र लाहौर, १३ जनवरी १९२२ न ११२५

प्रोफेसर कुछ भी कहते रहे—मैं यकीन करता हूं कि सिख राय का बहुतायत मेरे साथ इत्तफाक रखता है।" (एच डी क्रेक, १५ १२ २१)।

प्रत्यक्ष है कि केन्द्रीय सरकार के अफसर बुद्धुओं जैसे थे। उनका बाहर की तहरीक के साथ न तो कोई वास्ता था, न ही कोई सम्पर्क। उनकी आंखें और कान भी अपने नहीं थे।

उन्हें वहम था कि राज की ताकत से वे होनी को अनहोनी बना सकते हैं और अनहोनी को होनी। सिख जगत उनसे अमली तौर पर टूट चुका था। लेकिन वे अभी भी सिख राय की ठोस बहुतायत को अपने साथ समझे बैठे थे।

गवर्नमेंट के तरद्दुद के सफल होने की सम्भावनाएं दिन-ब दिन लोप होती जा रही थी। लेकिन अफसर पहली लकीर को ही पीटे जा रहे थे। उनको कुंजिया लेने वाला कोई नहीं मिलता था। गवर्नमेंट बडे फन्दे में फसी हुई थी। फारसी मुहावरे के मुताबिक उसके पास "न जाये मादन, न पाये रफ्तन" (न जाने को जगह थी, न चलने को पैर)।

डेपुटी कमिश्नर ने टोह के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को शिरोमणि कमेटी के पास भेजा। कमेटी के जिम्मेदार मेम्बरो ने उससे साफ शब्दो म कहा कि कमेटी आरजी तौर पर कुंजिया वापस नहीं लेगी। पहले सारे कैदी छोडे जायेंगे, बाद मे कमेटी के प्रधान सरदार खड्ग सिंह जी कुंजिया लेंगे—और कोई शख्स नहीं लेगा। सिखो ने गुरु गोविन्द सिंह के जन्म दिन (१५ जनवरी) पर भी जलसे के लिए कुंजिया लेने से इनकार कर दिया।

इन्ही दिनो डी सी ने रियासती मेम्बरो की कमेटी बना कर, कुंजिया देने की स्कीम बनायी। पर यह स्कीम भी सफल न हो सकी। उसने सिखो मे फूट डालने के कई प्रयत्न किये। परन्तु उसका कोई भी तीर निशाने पर न बैठा। कोई बस चलता न देख कर उदासियों द्वारा अकाल तख्त पर हमला कराया गया। उदासियो ने चिमटो और त्रिशूलो से अकाली प्रबधको को मारा-पीटा और जख्मी किया। अगर बाहर से मदद को सिख न पहुचते, तो कई जानें जान का खतरा था। सत सिंह डी एस-पी कहता है कि अकालिया ने इस घटना की पुलिस से पडताल कराने से इनकार कर दिया। अफवाह फैल रही है कि इसम कसूर गवर्नमेंट का है। उसने साधुओ के वेश म फसाद कराने के लिए बन्दे भेजे थे। (७ दिसम्बर १९२१)।

पंजाब गवर्नमेंट ने एक और वफादार व्यक्ति प्रदुम्न सिंह बेदी को मुलतान से कुंजियों के मुआमले के लिए ढूढा। कुछ दिनो के लिए यह चर्चा भी चली कि शायद यह सिखों और शिरोमणि कमेटी के खिलाफ बगावत करके कुंजिया ले ले। बेदियों के नुमाइंदे शिरोमणि कमेटी म पहले से ही मौजूद थे। बेदियो ने अपनी

मीटिंग की और शोमणि कमेटी की हिमायत करने का फैसला किया। वेन्नी प्रदुम्न सिंह मुह बिचका कर कान्फ्रेंस से उठ कर चला गया।

चीफ सेक्रेटरी पजाब—मि जोजफ—ने अपनी चिट्ठी मे दो बातों को स्वीकार किया। एक यह कि खजाने की कुजियां इतना जोशो-खरोश पैदा करेंगी, इसकी कोई उम्मीद न थी। गिरफ्तारियों ने हर विचार के सिखों मे अहसास और जज्बे की बे मिसाल हालत पैदा कर दी। दूसरे यह कि दरबार साहब के सिविल केस मे, किसी ने भी शोमणि कमेटी के दरबार साहब के प्रबध के हक के खिलाफ खडे होने की जुरअत नहीं की।[1]

इस किस्म की स्वीकारोक्तिया सरकारी अफसर सिफ खुफिया मिसलों में ही करते थे। बाहर वे अधिकाधिक गलत-बयानिया और झूठ से काम लेते थे। जिस एक्ट के अधीन गिरफ्तारिया हो रही थीं, उस एक्ट द्वारा धार्मिक जलसे बन्द नही किये गय थे। परन्तु डी सी जिद पर अडा था, क्योंकि वह समझता था कि वह खुद ही मूर्तिमान कानून है, वह जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। हिंद सरकार के अफसर उसकी पीठ पर थे और पजाब सरकार की उसको पूरी हिमायत हासिल थी। इसलिए वह जो भी अंधेर मचाये, कानून ही कानून था।

देहात और कस्बो से सिख धडाधड गिरफ्तारिया के लिए चले आते थे। तहरीक ढीली नहीं पड रही थी, दिनो दिन जोर पकड़ती जा रही थी। सरकारी रिपोर्टें इसकी तसदीक करती हैं। १९३ अकाली गिरफ्तार हो चुके थे। देहात के देहात काली पगडिया बाध बाध कर और गले मे कृपाणें पहन पहन कर अकाली बनने जाते थे और स्त्रिया काले दुपट्टे लेकर, गलो मे कृपाणें डाल कर, जत्थो के साथ मार्च करती थी। वे इस यज्ञ मे अपनी आहुति का हिस्सा डालने मे पीछे नही रहना चाहती थी।

सरकार ने डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत मे जो दावा पेश किया, उससे सरकार के इरादे का अच्छी तरह पता चलता था। उसमें कप्तान बहादुर सिंह, शोमणि कमेटी के चार सदस्यो और "दूसरी पार्टियो"—जिनको अदालत इस योग्य समझे—को बुला कर अपना केस पेश करने के लिए कहा गया था, ताकि "सारे हितों" का मुनासिब प्रतिनिधित्व हो सके। साफ जाहिर है कि यह विरोधो और इख्तलाफों के लिए जमीन तैयार करके दरबार साहब को अकालियों के हाथ से छीनना था। शोमणि कमेटी ने गवर्नमेन्ट की इस नापाक साजिश को भाप लिया था और उसने इस मुकदमे का बहिष्कार कर दिया था।

अदालत के जरिये दरबार साहब से दस्तबरदार होने की पेशकश एक

१ जोजफ का एस पी ओ'डानल को पत्र, ११ फरवरी १९२२

बहुत बडा धोखा थी। गुरुद्वारा सिखा के कब्जे म आ चुका था। यह उनके कब्जे मे रहने दिया जा सकता था। गवनमेंट ने, सिखो की चली आ रही गुलामी और गुगेपन के कारण, इस पर जबदस्ती कब्जा कर रखा था। गवनमेंट ने अपनी रिपोर्टों मे खुद माना था कि दरबार साहब पर कब्जा जमाये रखने का उसे कोई 'कानूनी अधिकार" नही। असली बात यह है कि दरबार साहब पर कब्जा रखने के कारण गवनमेंट को जो राजनीतिक फायदे पहुचते थे, वह उनको छोडने के लिए तैयार नही थी।

मोर्चे का फैलाव लगातार बढ रहा था कि एकाएक सर जॉन मेनाड ने ११ जनवरी १९२२ को पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल मे एलान कर दिया कि गवनमेंट ने दरबार साहब स अपना ताल्लुक वापस लेने का आखिरी फैसला कर लिया है और वह गुरद्वारे का प्रबध श्रोमणि कमेटी के हाथ मे छोड रही है तथा १६ जनवरी को इस बारे म 'कानूनी कदम" उठाय जायेंगे, इसके साथ ही उसने कुछ सिख कैदी छोडने का भी हुक्म दे दिया है।

मेनाड के इस एलान का असल कारण वायसराय की उपरोक्त "गलती दुरुस्त कर लेने" की चिट्ठी थी। लेकिन मेनाड ने अपनी सामथ्य और ताकत दिखाने के लिए ८ माच १९२३ को पजाब कौंसिल की बैठक मे गुरू के बाग और कृपाण के कैदियो की रिहायी के प्रस्ताव पर बहस के जवाब मे कहा—"मैं ही वह आदमी था जिसने जनवरी १९२२ को इस हाउस मे खडे होकर (कुजिया के) कदियो की बडी सख्या मे बिना शत रिहायी का एलान किया था।" मेनाड शर्तों के बगर गुरू के बाग के कदियो को छोडने के लिए तैयार नही था। वह सचाई को दबा कर और झूठ का सुझाव देकर, इज्जत हासिल करना चाहता था।

सिख रहनुमा छोड दिये गये। हर जगह स्टेशनो पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। हिंदुओ मुसलमानो और सिखों ने मिल कर अमृतसर शहर को फूलकारियो और मोटुओ से सजा कर सिख रहनुमाओ का बेमिसाल स्वागत किया। अमृतसर शहर के इतिहास म इस किस्म का मिला जुला जुलूस पहले कभी नही निकला था। अकाल तख्त के सामने बडा भारी दीवान लगा जिसम लीडरो को सरोपे दिये गये। दीवान म डिस्ट्रिक्ट जज आया था। उसने सरदार खडक सिंह को दरबार साहब की कुजिया पेश की। सरदार जी की आखो मे आसू भर आये थे। उन्होंने कुजिया ले लेने की सगत से आज्ञा मागी और सत्-श्री अकाल के जयकारो के साथ कुजिया हासिल कर ली गयी।

यह एक बडी भारी जीत थी। इस जीत पर काग्रेसियो और खिलाफती मुसलमानो ने सिखो को मुबारकबाद दिया। लोगो की तरफ से बधाइयो की

सैकड़ा चिट्ठियां आयीं। सरदार खड़क सिंह को महात्मा गांधी का तार बड़ा अर्थपूर्ण था। लिखा था

'हिंदुस्तान की आजादी के लिए पहली लड़ाई जीत ली गयी। बधाइयां।
—मो क गांधी।"

गवर्नमेंट झुक गयी है क्योंकि वह सिखों के साथ बिगाड़ नहीं करना चाहती—यह सहयोगी वफादारों की प्रतिक्रिया थी। असहयोगी खुश थे कि पहली परीक्षा में पंथ को सफलता प्राप्त हुई है। इससे लोगों में आत्मविश्वास, जत्थेबंदी और एकता मजबूत होगी जो गुरुद्वारों की आजादी हासिल करने के आगामी संग्रामों में बड़ी सहायक होगी। गर्म ख्याल आजादीपसंद अकाली समझते थे कि कौमी आजादी का संग्राम अब पहले से और भी तीखा हो जायगा तथा वफादारी का कलंक सिख लोग माथे से धो डालेंगे। अकाली जत्थों में कुछ आदमी 'राज करेगा खालसा'—पहले से ज्यादा जोर से साथ पढ़ने लगे थे। चीफ खालसा दीवान के मुखिये रो रहे थे कि 'गलत रहनुमाई' देकर सिखों को बर्बादी के मुंह में झोंका जा रहा है वगैरा।

लेकिन सरकार की खुफिया मिसल कुछ दूसरी ही कहानी बताती है। कहानी यह है कि वायसराय के सेक्रेटरी मि हिगनल ने मि ओ'डानल को वायसराय कैम्प से १६ दिसम्बर १९२१ को एक चिट्ठी लिखी। उसमें हू-ब-हू यह लिखा था कि

'२७ नवम्बर को शिरोमणि कमेटी की तरफ से पूछने पर डेपुटी कमिश्नर द्वारा एक अनुचित जवाब दिया गया बताया जाता है। श्री हुजूर (वायसराय) जानना चाहते हैं कि क्या गलती पूरी तरह दुरुस्त की जा चुकी है।"[1]

१९ दिसम्बर को दिल्ली सेक्रेटारियट की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी और लिखी गयी जिसमें वायसराय की चिट्ठी के शब्द दोहराये गये और पूछा गया कि डी सी ने 'गलतफहमी' में जो यह कह दिया था कि बगावती मीटिंग एक्ट के अधीन धार्मिक जलसों की भी आज्ञा नहीं, यह गलती पूरी तरह दुरुस्त कर ली गयी है या नहीं? २० दिसम्बर को चीफ सेक्रेटरी का जवाब आ गया—"गलती पूरी तरह दुरुस्त कर ली गयी है।" (फाइल उपरोक्त)।

इस पृष्ठभूमि को समझे बगैर हेक्टवाज डनेट का ६ जनवरी को खुद शिरोमणि कमेटी के दफ्तर में चल कर आना समझ में नहीं आ सकता। वह कमेटी के दफ्तर में यह पूछने के लिए पहुंचा था कि कुंजियां किन शर्तों पर

१ फाइल न ७७१/१९२२ होम पोलिटिकल

वापस ली जायेंगी। कुंजियां लेने के लिए कोई जिम्मेदार सिख नहीं मिलता था और वायसराय की चिट्ठी ने दिल्ली और लाहौर के सेक्रेटेरियटों में अफरा-तफरी डाली हुई थी।

लेकिन रिहाइयों का एलान¹ ११ जनवरी को हुआ। गलती दुरुस्त करने के लिए २१ २२ दिन का वक्फा क्यों पड़ा? मसला यह था कि अपनी इस कानून विरोधी कारवाई से—इज्जत बरकरार रखते हुए—बाहर निकला कैसे जाय? इसलिए ये दिन रिहाइयों के मौके पर निकले एलान को लिखने, उसमें संशोधन करने काटने और पुनः लिखने में लगे। यकीनन गलती मान लेने से सरकार की हेठी होती थी। इसलिए, गलती पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक रियाकारी और बेईमानी से काम लिया गया। एलान में लिखा गया कि "अदालतों ने फसले दिये और सरकार उनके साथ सहमत है कि मीटिंगें एक्ट के अधीन धार्मिक नहीं थी।" इसलिए कुछ सिखों को कानून तोड़ने के अपराध में पकड़ लिया गया था।

लेकिन असल बात यह थी कि गवर्नमेंट ने गलत पतरा लेकर सिखों के साथ सीधी लड़ाई शुरू कर दी थी। धर्म के सवाल पर सीधी लड़ाई से उनके वफादार भी उनके हाथों से निकलते जा रहे थे। इसलिए "७०-साला दोस्ती और सिख' कानून के पक्के रक्षक हैं—की बातें करने के बावजूद सरकार कुछ कदम इसलिए पीछे हटी कि नया राजनीतिक और कानूनी पतरा लेकर अकालियों की जत्थेबंदी साहस और एकता को तोड़ा जाय और अकाली तहरीक को कुचल दिया जाय।

यह एकता और जत्थेबंदी के संग्राम की ही करामात थी कि 'गैर प्रतिनिधि श्रोमणि कमेटी" प्रतिनिधि कमेटी बन गयी, कानूनी अधिकार प्राप्त करने की बात खत्म हो गयी। दूसरी पार्टियों" और 'दूसरे हितों" के नारे बेकार हो गये। जिस सरदार खड़क सिंह के हाथ में कुंजियां न जाने देने के लिए सरकार की तरफ से कुंजियां छीनी गयी थी—उसी सरदार खड़क सिंह के हाथ में सरकार ने एक खास जज भेज कर कुंजियां दी।

इस एलान में सिर्फ दरबार साहब की कुंजियां देने की बात कही गयी थी, बाकी गुरुद्वारों की नहीं। बाकी गुरुद्वारों पर अपना टेढ़ा अधिकार जमाये रखने के लिए सरकार महंतों की पीठ पर खड़ी होकर निजी जायदाद की रक्षा के कानून का सहारा लेकर, अकाली तहरीक को कुचलने का मजबूत पतरा बांध रही थी। इस एलान को ध्यान से पढ़ने पर पता चल जाता है कि गुरुद्वारों की आजादी का सफर खत्म नहीं हुआ था बल्कि शुरू हुआ था।

१ ट्रिब्यून लाहौर, १३ १ १९२२

दूसरा खण्ड

सोलहवां अध्याय

गुरू के बाग का मोर्चा

तसद्दुद का तीसरा दौर

१ पंडित दीना नाथ की रिहाई

'जेल से वापस आये पक्षी' सरदार खडक सिंह जी ने जब दरबार साहब की कुंजियां ली थी, उस वक्त पंडित दीना नाथ की रिहाई का इकरार ले लिया गया था। पर न तो उनको ही रिहा किया गया और न दूसरे लगभग ४० आदमियों को रिहा किया गया। १९३ कैदियों में से १५० रिहा किये गये थे, बाकी नहीं। गवर्नमेंट गुरुद्वारों पर से अपना पूरा दखल खत्म करने के विषय में कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। वह इस सवाल को आगे के लिए लटकाये रखना चाहती थी।

श्रोमणि कमेटी के लिए—खास कर प्रधान खडक सिंह के लिए—यह इज्जत का सवाल बन गया था कि अकालियों के साथ पकडे गये पंडित दीना नाथ की रिहाई करायी जाय। डी सी इर्बेट से दो-तीन बार इस बारे में कहा गया। पहले तो वह चुप रहा। बाद में कहने लगा कि खडक सिंह रिहाई के लिए दरखास्त करें तो 'गौर' किया जायगा। यह गलती से पकडे गये एक ही किस्म के कैदियों में जानबूझ कर भेद भाव करना था। श्रोमणि कमेटी को यह बात मंजूर नहीं थी।

इसलिए कमेटी का आदेश मिलते ही पंडित दीना नाथ की रिहायी का संग्राम शुरू हो गया। पंडित की रिहायी से पहले कमेटी ने गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी बंद कर दी। जगह जगह जलसे और दीवान हुए जिनमें गवर्नमेंट की इस भेद भावपूर्ण पालिसी की जोरदार निन्दा की गयी और पंडित की रिहाई के प्रस्ताव पास किये गये। थोडे ही हफ्तों में यह मुहिम अच्छा जोर पकड गयी और गवर्नमेंट को पंडित की रिहाई का हुक्म जारी करना पडा।

कुंजियों के मामले में जीत और पंडित दीना नाथ की रिहायी के फलस्वरूप अकालियों के हौसले और भी बढ गये थे। दूसरी ओर देहात में सर

कारिन्दों में कम दिली और साहसहीनता के लिए रास्ता खुल गया था। अपने भाइयों से टूट कर उन्हें रोज-ब-रोज 'झोली चुक' और सरकारपरस्त होने के ताने सहने पड़ते थे। उनमें से कुछ के दिलों में अपने भाइयों के साथ मिल कर चलने के राज विरोधी विचार उत्पन्न होने लगे। कुछेक तो हौसला करके अपने ओहदों से दस्तबरदार होने के लिए तैयार भी हो गये। जैलदार हरनाम सिंह के पकड़े जाने के वहां से लेकर कैद होकर रिहा हो जाने के बाद तक, पंथ की तरफ से उसको जो सत्कार प्राप्त हुआ था—उसका भी इनके हृदय-परिवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा।

२ स्थिति में परिवर्तन

लाहौर का डी सी मेजर केरर देहात में दबदबा कायम करने के लिए अपने साथ पुलिस के चार पांच सौ हथियारबन्द जवान लेकर गया और कुछ देहातों में नम्बरदारों को बुला कर कहने लगा—अपने अपने गांवों में अकालियों के दीवान न होने दो। उन्होंने बेझिझक जवाब दिया—हम इस तहरीक में साथ हमदर्दी रखते हैं इन नम्बरदारियों के ओहदों की हम कोई परवाह नहीं।[1]

ग्रामों के प्रधी शिरोमणि कमेटी के आदेशानुसार रोज अरदासें करने लगे थे इस जालिम सरकार का, हे वाहिगुरु नाश करो—यह हमारे धर्म में दखल दे रही है। गवर्नमेंट इन अरदासों को भी राजनीतिक समझती थी और बन्द करना चाहती थी।

गुरू के बाग (घुक्केवाली) में अमावस पर रहनुमाओं की तकरीरों के बाद पहले जैलदार ईशर सिंह ने दीवान में उठ कर जैलदारी से इस्तीफा देने का एलान कर दिया और बाद में आशा सिंह लशकरी नगल ने सफेदपोशी का जुआ उतार फेंकने का एलान किया। कुछ दिनों के बाद बल्ल कलां (अमृतसर) के दो नम्बरदारों ने गांव के जलसे के बाद अपनी नम्बरदारियां त्याग दीं।[2]

इस तरह गवर्नमेंट की मशीनरी के गांवों में कमजोर होने के चिह्न नजर आने लगे थे। गवर्नमेंट के वास्ते यह मामूली बात नहीं थी, बड़ी गम्भीर बात थी। इस कमजोरी को, सरकारी जोर जुल्म के इस्तेमाल से ही रोका जा सकता था। इसलिए अकाली तहरीक को कुचलने के बड़े मनसूबे तैयार किये गये और कहा गया कि अगर इसी वक्त तहरीक को न कुचला गया तो 'हालात

१ अकाली १२ दिसम्बर १६२१
२ उपरोक्त मीटिंगों में लेखक ने तकरीरें की थी। इन ओहदों को छुड़ाने पर लेखक को दो मुकदमों में एक साल की सख्त कैद और ४०० रुपये जुर्माने की सजा हुई थी

१९१९ के शुरू से भी ज्यादा गम्भीर हो जाने का खतरा है और किसी वक्त भी गडबड उत्पन्न हो सकती है।"[1]

३ गलत मूल्याकन

सी आई डी की रिपोर्टें अतिशयोक्तिपूर्ण थी "सिख एजीटेटर असल में इन्कलाब के लिए काम कर रहे हैं।" "श्रोमणि कमेटी और श्रोमणि अकाली दल के रहनुमा महात्मा गाधी और सिविल नाफरमानी के पीछे चलने लगे हैं। पर वे ज्यादा देर तक शातिमय नही रहेंगे वे तब तक ही इन्तजार कर रहे हैं, जब तक सिख जनता तैयार नही हो जाती और सिख फौजी दस्ते काफी प्रभावित नही हो जाते। और जैसे ही स्थिति इस मजिल मे पहुचेगी, हिंसा खुले इन्कलाब की शक्ल म शुरू कर दी जायगी अकाली दल इन्कलाबी लक्ष्यो के लिए जत्थेबदी किये जा रहा है और अन्त मे यह बाकायदा फौज की शक्ल अख्तियार कर लेगा, जिसे ठीक तरीके से बन्दूको, पिस्तौलो, वगैरा से लैस किया जायगा। ये हथियार उनको मास्टर मोता सिंह मुहैया करेगा, जो उसने अपने बोल्शेविक दोस्तों से हासिल किये हैं।"[2]

'मेरी रिपोर्टें बताती हैं कि सिख एजीटेटर हिंदुस्तानी फौजो के सिखो के बीच एजीटेशन करने मे किसी हद तक सफल हुए हैं। और, सिख यूनिटें श्रोमणि कमेटी अमृतसर के साथ गुप्त या प्रकट रूप म लगातार सम्पर्क रख रही हैं तथा रेजीमेटो म जो भी मसले उठते हैं, उनके बारे म वे कमेटी से सलाह मशविरा लेती हैं, वगैरा।" (सत सिंह सी आई डी, ७ मार्च की रिपोर्ट)।

आगे हम अग्रेज अफसरो की अपनी लिखित रिपोर्टें पेश करके साबित करेंगे कि ये सब झूठी बातें और अफवाहें रेत पर खडे किये जा रहे महल थे। 'हिंसा के जरिये" इन्कलाब और फौजी बगावत कराने की इन मनगढत कहानियो मे रत्ती भर भी सचाई नही थी। यहा हम देखेंगे कि इन रिपोर्टों के आधार पर अग्रेज हाकिमो ने श्रोमणि कमेटी और श्रोमणि अकाली दल से निबटने के लिए कौन सी पालिसी बनायी और उसके क्या फल निकले।

दिल्ली की सरकार गुरुद्वारा की आजादी की लहर के कारण बहुत चिंतातुर और परेशान थी। सरकारी दमन और आतक के बावजूद अकाली तहरीक ढीली नही पड रही थी, बल्कि कदम-ब कदम तेज हो रही थी। अकाली दल की मेम्बरशिप हर रोज बढ़ रही थी। उसका सगठन और ज्यादा मजबूत हो रहा था। यही कारण है कि दिल्ली की सरकार इसको तोडने के लिए योजनाए

१ डब्ल्यू एच विन्सेंट १८ २ २२ तथा एस पी ओ'डायल १८ २-२२
२ डी एस पी सत सिंह की रिपोर्ट, ७ ३ २२

उनकी राय मे सिख रजीमटो म "बगावत की अलामतें" नजर आने लगी थीं, "इसलिए मैंने दो रेजीमटें जलधर से हटा कर किसी दूसरी जगह भेज दी हैं।"[1]

४ तहरीक को दबाने की हिदायतें

कुजिया के फैसले के बाद अकाली तहरीक को कुचलने की पालिसी पर गवनमेंट और ज्यादा दृढ़ हो गयी थी। वह गुरुद्वारा आजादी की तहरीक का "राजनीतिक लहर" कह कर लगातार बदनाम कर रही थी। यह पॉलिसी दो रुखी थी। एक तो यह कि गुरुद्वारा तहरीक के साथ मीठी मीठी बातो द्वारा और मामूली-सी रियायतें देकर हमदर्दी प्रकट की जाय—इस तरह वफादारो और तटस्थो को तहरीक म शामिल होने स रोका जाय, दूसरे यह कि "राजनीतिक लहर" होने का इलजाम लगा कर इस पर भरपूर हिंसा से हमला किया जाय।

इस हमले के लिए डेपुटी कमिश्नरो और सरकारी मशीनरी को पहले अच्छी तरह तैयार कर लेना आवश्यक था, ताकि हमला अपने उद्देश्य म पूरी तरह सफल हो और अफसर लोग किसी भी सिख बहुसख्यक जिले मे किसी तरह की ढील, कोताही या हिचकिचाहट न दिखा सकें। तहरीक को कुचलने के लिए सारी सरकारी मशीनरी को खबरदार और हाशियार करना भी आवश्यक था। इस उद्देश्य से २३ फरवरी को डेपुटी कमिश्नरो को बडी साफ और स्पष्ट हिदायतें भेजी गयी, जिनका साराश यह था

सिखो की रिहाइयो का गलत समझा गया है। कानून लागू करके सिखा के "होश ठिकाने न लाय गये" तो गडबड की सभावना है। कुछ जिला म परिस्थितिया के अनुसार कानून लागू नही किया गया, खास कर हथियारबद जत्थो को दुरुस्त करन के लिए। कुछ जिलो मे "गोली चलान" म पुलिस ने झिझक दिखायी है। नीम फौजी जत्थे के माच को तोडने के लिए गोली चलाने की आवश्यकता हो तो कानून लागू करने के लिए गोली चलानी चाहिए। जहा पर पुलिस दस्ता इस मकसद के लिए कम हो, इसकी तत्काल रिपोट करनी चाहिए। फौज सिफ दिखावे के लिए नही इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि कानून को लागू करने के लिए पुलिस की मदद के तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए। इस पालिसी का जरूरी नुक्ता यह है कि हर किस्म की धमकी का ताकत से दबा दिया जाय। किसी जत्थेबदी को गर-कानूनी करार देकर ही अवैध नही कर दिया जाता—अगर ऐसी जत्थेबदी हिंसा या धमकी की कारवाइयो को शह देनी है अगर उसके मेम्बर स्वाभाविक तौर पर इस किस्म की कारवाइया करते हैं, तो उसे गैर कानूनी जत्थेबदी ही समझना चाहिए।

१ रौलिसन, २९ २ २२

और, अगर किसी गुरुद्वारे पर ताकत या धमकी के साथ कब्जा कर लिया जाता है, तो ऐसा कब्जा करना जुर्म है। इसमें मुद्दई या गद्दीदार की शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए मुकदमा चला देना चाहिए। किसी जलसे में यदि पुलिस रिपोर्टरों को नहीं जाने दिया जाता, तो ऐसे जलसों के साथ 'फर्ज की अदायगी' में रोड़ा अटकाने वाले के तौर पर सलूक किया जाना चाहिए। धमकी या तसद्दुद का इलाज, कम से कम दफा १०७ लगा कर करना चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि अफसरों, जलदारों और राज प्रबंध के तमाम हिमायतियों को यह अहसास करा देना चाहिए कि गवर्नमेंट तुम्हारी पीठ पर है और वह कानून द्वारा मुहैया किये गये तमाम हथियारों को धमकी और तसद्दुद को रोकने के लिए इस्तेमाल करेगी। कई देहातों में ताजीरी चौकियां बैठाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनमें या तो वफादारों को धमकियां दी जाती हैं या बगावती और धमकी भरी तकरीरें की जाती है। माझे के एक गांव के अका-लियों ने एक फौजी को धमकी दी कि तुम फौज की नौकरी छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारी स्त्री के साथ बुरा सलूक करेंगे। इस किस्म के गांव में गवर्नमेंट पुलिस चौकी बैठाने की सोचेगी।

और, बे टिकट अकालियों को स्टेशन पर ही पकड़ना चाहिए। अगर पुलिस कम हो तो किसी अगले स्टेशन पर उनको पकड़ना चाहिए। गवर्नर इस बात को बड़ा महत्व देते हैं कि रेलवे स्टेशन पर रेल के डब्बे पर कब्जा करने से अकालियों को वकार हासिल होता है और आम देहाती लोगों पर हुक्मउदूली और गवर्नमेंट को डराने का प्रभाव पैदा होता है। 'अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि पंजाब में गम्भीर अपराध बहुत बढ़ गये हैं।" साथ ही यह भी देखा गया है कि जमानत पर छोड़े गये बदमाशों की संख्या कम हो गयी है। राजनीतिक असंतोष के साथ इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। अकालियों के बीच बड़े-बड़े मुजरिम हैं और गवर्नमेंट डेपुटी कमिश्नरों से जोर देकर कहना चाहती है कि दफा ११० के अधीन बदमाशों के नाम रजिस्टर नं० १० में दर्ज करने पर जोर दिया जाय।'[1]

६ मार्च को गवर्नमेंट ने १३ जिलों के डेपुटी कमिश्नरों को अकाली राज-नीतिक तहरीक' का खातमा करने के लिए हिदायतें जारी कीं। इनमें लिखा था कि १५ मार्च और २५ मार्च के बीच एक तारीख मुकर्रर की जायगी जिसमें गिरफ्तारियां और जत्थों को तितर बितर करने का काम आरम्भ किया जायगा। तारीख बाद में तार के जरिये बतायी जायगी। इन जिलों में इंस्पेक्टर

१ लाहौर २३ २ १९२२ विलसन जान्स्टन होम सक्रेटरी पंजाब का सक्रेटरी टु दि गवर्नमेंट आफ इंडिया, होम को पत्र

जनरल पुलिस कम से कम दो-दो सौ पुलिस सिपाही और भेजेगा। फौज को भेजने के बारे मे बाद मे सूचना दी जायगी। यह प्रबध तमाम जिलों मे लगभग एक ही समय किया जायगा। यह समझना चाहिए कि अकाली जत्थे अमन भग करने वाले हैं। इसलिए उनके साथ इसके मुताबिक ही सलूक करना चाहिए। सिख रियासतो और बिलासपुर का भी सहयोग हासिल कर लिया गया है। हरेक डेपुटी कमिश्नर, कमिश्नर के साथ मिल कर अपनी योजना बनायेगा ताकि नियुक्त की गयी तारीख पर अगुआ कुसूरवारो को पकड लिया जाय, जत्थों को तितर बितर कर दिया जाय और वतमान कानून को अच्छी तरह लागू किया जाय। गुरुद्वारो पर कब्जा करने वाले अकालियो के मुकदमे रुके हुए हों तो उनको भी पकड लिया जाय। जिन को पकड़ना है, वे हैं

५ गिरफ्तारियां

खतरनाक जत्था के रहनुमा और सगठन का काम करने वाले, वे अकाली जो किसी किस्म की धमकी या तसद्दुद के कसूरवार हैं, वे आदमी जिन्होंने उन मीटिंगो मे बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया हो जिनमे किये गये भाषण कानून की जद के अधीन आते हो, आम मुजरिम, गैर-कानूनी मजमो के मेम्बर, जो हुक्म देने पर भी तितर बितर न हो, अगर ये किसी दफा के अधीन न आते हो, तो दफा १०७ के तहत ही पकड लिये जायें।

अफसरो के लिए लाजमी है कि कम से कम ताकत का इस्तमाल करके ऊपर लिखे लक्ष्य पूरे कर, परन्तु गवनर साहब जोर देते हैं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए अगर दुर्भाग्यवश खून बहाना भी जरूरी हो, तो बहाया जाय। धार्मिक स्थानो की बे-अदबी और मजहब म दखल से बचा जाय। एक ही वक्त कारवाई करने से पहले गवनमेन्ट उर्दू और गुरुमुखी (लिपि) म फौजो और सिखो के बहुसख्यक जिलो के लिए एक वक्तव्य जारी करेगी, जिसमे बताया जायगा कि यह कारवाई अकाली जत्था की केवल राजनीतिक सरगर्मियो के खिलाफ की जा रही है, लेकिन गुरुद्वारा की समस्या हल करने के लिए बडे जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं। गवनमेन्ट, हमेशा की तरह धार्मिक आजादियो की रक्षक है। अकालियो की राजनीतिक सरगर्मियो की कोई भी अलामत जोरों के साथ और जल्द मे जल्द कुचल दी जाय और एडीशनल पुलिस की मदद हासिल करके इसको दोबारा न उठने दिया जाय।[1]

१ लाहौर, ६-३ १९२२, विलसन जान्स्टन का पजाब के कमिश्नरों और डेपुटी कमिश्नरो को पत्र

६ मार्च को ही दिल्ली सरकार ने पजाब सरकार को एक चिट्ठी भेजी जिसमे अकाली लहर के बारे मे "गम्भीर चिंता" प्रकट की गयी थी और लिखा गया था कि पिछले दो पखवाडो की रिपोर्टें जाहिर करती हैं कि अकालियो की सख्या तेजी से बढ रही है और अकाली जत्थे फौजी कतारबदी करके देहातों मे इधर उधर मार्च करते फिरते हैं। बाहर से तलवारें मगवायी गयी हैं और चारो तरफ बाटी जा रही हैं। बेशुमार गावो मे जलसे किये जा रहे हैं जिनमे सिखो द्वारा तशद्दुद भरी तकरीरें की जाती हैं। अकाली जत्थे रौब के साथ रेलवे अफसरो को भयभीत कर रहे हैं और उन्होंने कई गुरुद्वारो पर कब्जा कर लिया है। केन्द्रीय पजाब मे हाकिमो की हुक्मउदूली और धमकियो की मुहिम जारी है। यह तहरीक मुख्य तौर पर राजनीतिक तहरीक है जो गवनमेंट को उलटना चाहती है और सिखो के लिए जा-नशीनी का दावा कर रही है। इन घटनाओ की गम्भीरता, सिख फौजो मे असर पहुचाने के कारण और ज्यादा बढ गयी है।

केन्द्रीय सरकार इस बात को समझती है कि प्रिस आफ वेल्स के स्वागत के कारण पुलिस मसरूफ रही है। लेकिन अब कारवाई बडे पैमाने पर की जाने वाली है। केन्द्रीय सरकार को भरोसा है कि यह कारवाई जोरदार तरीके से और जल्द से-जल्द की जायगी। अकाली तहरीक ने स्थिति को बडा गम्भीर बना दिया है और खतरनाक खलल पैदा कर दी है। अब देर करने के नतीजे बडे नुकसानदेह हो सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को जल्दी से जल्दी इत्तला दी कि इस कदम का क्या असर पडा है और जत्थे किस हद तक नि शस्त्र किये गये हैं।

६ सी आई डी की रिपोर्ट

देहातो का वातावरण अकाली तहरीक के हक मे होता जाता था। नाम कटे फौजी और पेंशनर, जत्थो मे भरती होते जाते थे। कहीं-कहीं पेंशनर फौजी अफसर अकाली तहरीक की बडाई करने लगे थे और गुरुद्वारो को सरकारी पजे से छुडाने के लिए अकाली कुर्बानियो की सराहने लगे थे। लेकिन कहीं कहीं—जहा पेंशनर फौजी अकाली तहरीक का विरोध करके सरकार के प्रति वफादारी जताते थे, साथ ही जिन गावो मे अकाली तहरीक बडी मजबूत थी—उनके साथ बोलचाल और सामाजिक व्यवहार कम कर दिया जाता था या बन्द कर दिया जाता था। सरकार को इस बारे मे रिपोर्टें बहुत बढा चढा कर भेजी जाती थीं, जिनमे दर्ज रहता था—ग्रामो मे किसी भी इज्जतदार के लिए रहना असम्भव हो गया है वफादारो की बेइज्जती की जाती है उन्हें कुओ पर नहीं चढने दिया जाता, नाइयो धोबियो को उनका काम करने से

रोका जाता है उनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, वगैरा। सरकारी अफसर इन्ही दो-चार घटनाओ का साधारणीकरण करके हर जगह इन्हे लागू कर देते थे। वे अकाली तहरीक को दमन और आतक के इस्तेमाल के बगैर खत्म करना असम्भव समझते थे।

अन्य रिपोर्टों मे ये शिकायतें भी दर्ज थी कि अकाली लोग पेंशनरो और फौजियो को प्रिंस आफ वेल्स के स्वागत समारोहो मे हिस्सा लेने से रोक रहे हैं। जहा पर भी पेंशनर और फौजी जमा होते हैं—"अकाली और बदमाश" वहा पहुच जाते हैं। वर्तमान कानून वफादारो की रक्षा करने और बदमाशो को भयभीत करने के लिए नाकाफी है। वफादारो की ज्यादा अच्छी तरह हिफाजत की जानी चाहिए, बदमाशो को तोडफोड सजा मिलनी चाहिए और जो फौजी गैर वफादार हैं उनकी पेंशनें बद कर दी जानी चाहिए।

इन रिपोर्टों के फलस्वरूप गवर्नमेंट ने निम्नलिखित तीन काम निश्चित किये

(क) अकाली पूरी तरह नि शस्त्र किये जायें, यानी टकुवे, बरछे और लट्ठ वगैरा उनसे छीन लिये जायें।

(ख) कानून सख्ती के साथ लागू किया जाय, यानी गुरद्वारो पर जबरी कब्जा करने, बे टिकट रेल मे सफर करने वगैरा को सख्ती के साथ बद किया जाय।

(ग) कृपाण की लम्बाई की हद मुकर्रर कर दी जाय।

७ केन्द्रीय दबाव का असर

अन्त केन्द्रीय सरकार के दबाव का असर होना ही था, और हुआ। २० मार्च १९२२ को १३ सिख जिलो पर पजाब सरकार ने हल्ला बोल दिया। इन जिलो के डेपुटी कमिश्नरो के पास बहुत सी हथियारबद पुलिस मौजूद थी। उनके पास पुलिस की मदद के लिए फौज के दस्ते भी मौजूद थे। उनको हुक्म दिये गये थे कि जत्थो के पास यदि किसी भी किस्म के हथियार हो तो छीन लिये जायें और जत्था को तितर बितर कर दिया जाय। केवल कृपाणें रहने दी जायें। उन अकालियो को भी पकड लिया जाय जो फैसला किये हुक्मो का उल्लघन करके कृपाणें लिए फिरते हैं। ये गिरफ्तारिया सिर्फ सिखों तक ही सीमित नही होगी। सभी बागियो को पकडा जायगा। (एस पी ओ'डानल २२ ३ १९२२)।

अकालियो की फिर धडाधड गिरफ्तारिया शुरू हो गयी। दहशत का नया —तीसरा—दौर आरम्भ हो गया। बहुत सारे अकाली नेता और कारकुन पकड लिये गये। किसी ने भी सामने से 'हथियारबद मुकाबला" नही किया।

सरकारी हाकिमा का यह निर्णय गलत निकला कि अकाली जत्थे हथियारबंद मुकाबला करेंगे। उनके पास से डंडे, टकुवे, बरछे वगैरा छीन लिये गये। कई सिखो के पास से बडी कृपाणें भी छीन ली गयी और उन पर मुकदमे चला दिये गये। दहशत के नतीजे के तौर पर कुछ डरपोक अकालियो ने अपनी काली पगडिया उतार दी होगी। अफसरो ने फिर अपने निर्णय के कच्चेपन का सबूत दिया। उन्होंने नतीजा निकाल लिया कि लहर कमजोर हो रही है या मर रही है।

प्रिंस ऑफ वेल्स के लाहौर में आने के मौके पर बहुत से फौजी सिख सरदार इकट्ठे हुए थे। उन्होंने लिख कर एक विनय पत्र दिया कि धार्मिक मामलो मे सरकार श्रोमणि कमेटी को सिखो का प्रतिनिधि मान ले और तमाम सिख गुरुद्वारो का कंट्रोल उसको दे दिया जाय।[1] इसका मतलब यह है *कि अब सरकार की तथाकथित 'बेहतर जमातें" भी श्रोमणि कमेटी की हिमा*यत करने लगी थी। लेकिन सरकार ने इससे न तो हवा का रुख देखा, न ही कोई सबक सीखा।

८ गिरफ्तारियो का जिलेवार ब्योरा

गिरफ्तारियो और आतंक का चक्र जोरों से चल रहा था। गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक १३ जिलो मे इस तसद्दुद का ब्योरा इस प्रकार था

लाहौर डाके और कानून विरोधी मजमे के जुर्मों के अधीन १२० आदमी पकडे गये। यह कारवाई उन देहातो मे की गयी, जहा की पचायतें लोगो पर जबर कर रही थी। अभी और भी कारवाई करने की बात सोची जा रही है। *ताजीरी चौकियो के खर्चे और मालगुजारी के बकाये वसूल कर* लिये गये हैं। आम असर अच्छा पडा है।

गुरदासपुर कोई गिरफ्तारी नही की गयी। एक गाव मे ताजीरी चौकी बैठाने के लिए तैयारी की जा रही है। गाव पहले ही पश्चाताप की अलामतें दिखा रहा है।

सियालकोट कुल २५३ अकाली और दूसरे लोग पकडे गये। इनमे से १०३ छोड दिये गये है। बाकी अकालियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं, जिनम से ३९ पर गुरुद्वारो पर कब्जा करने के कारण डाके के मुकदमे चलाये जायेंगे। इस पकड धकड का असर अच्छा हुआ है।

गुजरावाला उन आदमियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं जो प्रिंस ऑफ

१ एच डी मैक, २५ ३ १९२२

वेल्स को देखने से लोगों को रोकते थे। यहा अकालियो की कोई खास सरगर्मी नही है।

शेखूपुरा २० आदमी पकडे गये। कुछ और को गिरफ्तार करने की बाबत सोचा जा रहा है। जिला खामोश है। असर अच्छा पडा है।

होशियारपुर ८८ आदमी पकडे गये जिनमे से ६४ बाकायदा अकाली हैं। असर स्वास्थ्यकर पडा है।

जलधर १२६ गिरफ्तारिया। इनमे ३६ अकालियों का एक जत्था भी शामिल है, जो तलवारें सूत कर एक दीवान में पहुचा। उनको मौके पर ही मुकदमा चला कर सजायें दी गयी। असर बहुत तसल्लीबख्श रहा। कृपाणें गायब हो रही हैं। काली पगडियो का फैशन कम होता जाता है। बडे अकाली देहात अप्रसन्न हैं।

लुधियाना ४० अकाली पकडे गये हैं। ताजीरी कदम उठाये जा रहे हैं। असर बहुत मेहनमद है।

अम्बाला २० अकाली पकडे गये। कृपाण फैक्टरियो के लिए गावो मे छापे मारे गये। ताजीरी पुलिस चौकिया बैठाने के लिए, ऊपर तजवीजें भेज दी गयी हैं। स्थिति सुधर रही है।

फिरोजपुर ६१ अकाली और उनके हमदर्द पकडे गये। अन्य गिरफ्तारिया की बाबत सोचा जा रहा है। एक गडबडी वाले गाव मे एडीशनल पुलिस बैठा दी गयी है। प्रभाव तसल्लीबख्श पडा।

मटगुमरी कोई कारवाई नही की गयी। अकालियो की तरफ से हमला करने वाली सरगर्मी बन्द हो गयी है।

अमृतसर बगावती मीटिंग एक्ट के अधीन ११ गिरफ्तारिया की गयी। एक गाव की पचायत के पाच मेम्बर पकड लिये गये हैं। असर बहुत अच्छा है। अकालिया की सरगर्मिया और असर लगातार कम हो रहे हैं।

लायलपुर ६४ गिरफ्तारिया की गयी। २४ को सजायें दी गयी। कुछ बिना लाइसेंस कृपाण फक्टरियों पर छापे मारे गये। कारवाई अभी जारी है। रिपोट के मुताबिक प्रभाव अच्छा पडा है।[1]

गवनमेन्ट कठोरता के साथ कानून लागू करने की पालिसी पर अमल कर रही थी। उसकी राय म नतीजे बडे अच्छे निकल रहे थे। वह काफी अर्से तक एडीशनल पुलिस को इस काम मे लगाये रखना चाहती थी, क्योकि उसको खतरा था कि पुलिस और फौज को हटाते ही जत्थे फिर अपनी बगावती

१ होम सेक्रेटरी विलसन जास्टन की डेपुटी सेक्रेटरी सी डब्ल्यू ग्वेन को साप्ताहिक रिपोट, लाहौर, ४ अप्रैल १६२२

कारगुजारियाँ शुरू कर दी। रिपोर्ट यह भी बताती थी कि छापो और गिरफ्ता रियों का असर गैर-अकाली तबकों पर आम तौर पर अच्छा पड़ा है। लेकिन अकाली तो ये गुस्से हुए थे। गवर्नमेंट इस पकड धकड की मुहिम को जोरों के साथ, और लगातार, जारी रखने की हिदायतें दे रही थी।

११ अप्रैल की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार लाहौर म दो और पचायतों को पकड लिया गया है। दूसरी पचायतें अब सोच-समझ से काम ले रही हैं। सियालकोट म सरदार खडक सिह प्रधान शिरोमणि कमेटी, को कृपाण जारी रखने के अपराध म एक साल की सख्त कैद की सजा दी गयी है। ७८ आदमियों पर मुकदमे चलाये जाने वाले हैं। मुजफ्फरगढ़ म एक मुकदमा दफा १२४/ए (बगावत) के अधीन चलाया गया है। शेखूपुरा म तीन मुकदमे १०४/ए के अनुसार चलाने के लिए ऊपर भेजे गये हैं। होशियारपुर मे गिरफ्तारियों की सख्या १३० हो गयी है। कुछ आदमी भाग गये हैं जिनको पकडने के प्रयत्न हो रहे हैं। मुकाबला कही नही हुआ। जलधर म सिर्फ भगोडो को पकडने के लिए ही कारवाई हो रही है। एक भगोडा—हरी सिह—गाव सिंबोवाल से घोडे पर चढ कर नूरमहल के थाने मे एक बडे जुलूस के साथ गिरफ्तारी देने आया था। पुलिस न सख्ती इस्तेमाल करके जुलूस को तितर बितर कर दिया और उस आदमी का गिरफ्तार कर लिया। जडिआले मे पुलिस की ताजीरी चौकी बठाने की सिफारिश की जा रही है। इस गाव म ज्यादातर वे लोग रहते हैं जो विदेशो से वापस आये हुए हैं। इस गाव की रुझान गडबडी पैदा करने की तरफ है। लुधियाने म १० और आदमी पकड लिये गये। जलसें करना अमली तौर पर बद हो गया है। असर बहुत बढिया है। फिरोजपुर म ३५ अकालियो को मुकदमे के लिए भेजा जा रहा है। अन्य कोई घटना नही घटी। लायलपुर मे और ज्यादा गिरफ्तारिया नही की जायेंगी। असर अच्छा है परन्तु मुकदमा के पेश होने के वक्त जलूस निकलते हैं। मुआफी मागने और जमानतें देने की रुझान बढ रही है। कई मशहूर बदे अडियल और गुस्ताख हैं। मटगुमरी मे ६ अप्रल को २२ अकालियो को भागोवाला मुकदमे मे ६ ६ महीने की कैद की तथा दो को एक एक दिन की कद की सजा हुई। स्थिति शात है। अम्बाले मे चार अकाली कानून के विरुद्ध कृपाणें बनाने के अपराध म हथियारा के कानून के अधीन सजा पा गये हैं।

सिख रियासतें तो अग्रेजी राज के रहमोकरम पर ही टिकी थी। वे अकालिया पर जुल्म करने म अग्रेज हाकिमा स भी चार कदम आगे रहती। पजाब के १३ जिलो पर सख्ती करने के हुक्म के साथ ही सिख रियासता के रजवाडा को भी अकाली तहरीक को दबाने के हुक्म भेज दिये गये। उन्होंने

भी पाच अकालियो का एक साथ मिल कर चलना कानून के खिलाफ करार दे दिया। अकालियो की अधाधुध गिरफ्तारिया शुरु कर दी गयी। चद दिनो मे ही सकडो अकाली पकड लिये गये और उनसे सम चढी (लोहा या पीतल चढी) लाठिया और टकुव वगैरा छीने जाने लगे। जगह-जगह फौजो के दस्ते नियुक्त कर दिये गये और आदेश जारी कर दिये गये कि आज्ञा लिये बगैर देहात म कोई भी जलसा या दीवान नही होगा।

परन्तु रियासता के वीर अकाली, दबने वाले नही थे। वे अकाली तहरीक का अग थे और इस लहर के हित म किसी भी कुर्बानी म पीछे नही रहना चाहते थे। उन्होने जलावतनिया स्वीकार की। उन्होने घरा की बर्बादी बर्दाश्त की। लेकिन उन्हाने इस लहर का पल्ला न छोडा। अकाली तहरीक उनके लिए रजवाडा स ज्यादा आजादिया हासिल करने का भी सग्राम थी। उन्होने पजाबी सिखो से किसी तरह भी कम मुसीबतें नही उठायी और जेला मे कारावास भेला।

उपरोक्त रिपार्टों और खबरा स साफ सिद्ध होता था कि गवनमेन्ट इस बार अकाली लहर का खात्मा करके ही दम लेगी। उसने श्रोमणि कमेटी के ३० मेम्बर तथा एक दूसरे के बाद चार प्रधान और तीन सक्रेटरी पकड लिये थे। सरदार खडक सिंह को सरकार ने दफा १०७ के अधीन ४ अप्रैल को पकडा, दो दिन के बाद उन पर हथियारो के कानून की धारा पाच के अधीन मुकदमा चला दिया। उन्होंने बगर लाइसेंस के कृपाण-फैक्टरी लगायी थी। इसम एक साल की सजा देन के बाद उनके खिलाफ सरकार ने एक और मुकदमा—बगावती तकरीर करने का—धारा १२४/ए के अधीन खडा कर दिया और तीन साल की सख्त कद की सजा और दे दी तथा उन्ह डरा गाजी खा की दूरदराज जेल मे भेज दिया। सरदार खडक सिंह को सरकार अपना सबसे बडा दुश्मन समझने लगी थी, क्योकि कुजियो के मुकदमे म उन्हाने यह कह कर कोई भी बयान देन से इनकार कर दिया था कि 'मेरी हैसियत जमनी, फ्रास वगैरा के प्रधान जसी है।" सरकारी अफसर इन शब्दो पर बहुत चिढ़े हुए थे और जहा तक सम्भव हो सके—इन शब्दा की सजा के तौर पर—उन्हें हमेशा जेल म बन्द रखना चाहते थे।

सरकार की हिदायता का जाल इतना लम्बा चौडा था कि इसमे से किसी भी सरगम अकाली या अकाली हमदद का बच निकलना मुश्किल था। "भयभीत करने और नुक्सअमन के खतरे" के तहत (यानी दफा १०७ से लेकर ११० तक) बडे से बडे नेता और छोटे से छाटे कायकर्ता तक को पकडा जा सकता था। इन दफाआ के अधीन मास्टर तारा सिंह और साधी प्रीतम सिंह आनन्दपुर को भी पकड लिया गया। पुलिस को खुली छूट मिली हुई थी कि जिसको मर्जी

हो पकड़ ले, जिसका मर्जी हो दस नम्बरी बदमाशों में नाम दर्ज कर ले। किसी वारंट की जरूरत नहीं, किसी दफा के बताने की जरूरत नहीं। पुलिस अफसरों का शब्द ही कानून था। हर बड़े छोटे अफसर की जबान ही ब्रिटिश कानून बन गयी थी।

६ काली पगड़ियों का हौआ

काली पगड़ी को पहनना जुर्म बन गया था। लेकिन ज्यों ज्यों काली पगड़ी के बांधने वालों पर सख्ती होती त्यों-त्यों देहात के देहात काली पगड़ी बांधते जाते थे। देहात में पानी के बड़े-बड़े देग और कड़ाह काला रंग डाल कर आग पर चढ़ा दिये जाते और बच्चे, जवान बूढ़े, कुमारी और ब्याही औरतें, बुढ़ियाएं—सभी अपने दुपट्टे और पगड़ियां ला ला कर उनमें डालते जाते। इस तरह एक एक दिन में एक एक गांव काली पगड़ी और दुपट्टे इस्तेमाल करने लगता। कोई-कोई सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग भोले ढंग से इनकार करके कहता "नहीं भाई, मजबूर न करो। दिल काला चाहिए पगड़ी काली न भी हुई तो क्या है। मैं तुम्हारे साथ हूं।" सब लोग खिलखिला कर हंस पड़ते और नौजवान कहते— 'बाबा जी, दिल आपका सफेद ही चाहिए, तुम पगड़ी काली करा लो।" और पलक झपकते बाबा जी की पगड़ी भी देग में डुबकियां लेती नजर आती।

काली पगड़ी वाला कोई भी शरीफ आदमी अपने कारोबार के लिए, या रिश्तेदारों से मिलने के लिए किसी दूसरे स्टेशन पर उतरता—या उसे गाड़ी ही बदलनी होती—तो वह पकड़ लिया जाता और पुलिस थाने ले जाकर उसे सताया जाता। उस बेगानी जगह पर उससे जमानतें तलब की जातीं, नेक चलनी के सबूत मांगे जाते—और तसल्ली न होने पर कोई दफा लगा कर जेल में भेज दिया जाता। मिसालें देखिए

पांच अप्रैल को भाई अजीत सिंह पाहला (जलंधर) सूत लेने के लिए लुधियाने शहर में गया। फौजियों ने पकड़ कर उसे थाने पहुंचा दिया। सनाख्तों, गवाहियों जमानतों की कई किस्म की मुसीबतों के बाद भी उसे रिहाई न मिली। वह जेल भेज दिया गया। दो और अकाली थाने में लाये गये। उनका भी कोई वाकिफ नहीं था। उनको भी जेल का मेहमान बना दिया गया। हरबंस सिंह सीसतानी को, जो एक प्रसिद्ध सौदागर थे, काली पगड़ी के कारण दुजदाब (क्वेटा) के स्टेशन पर रोक लिया गया। १५ मई को एक वीर सिंह रागी—अवतार सिंह—को, जो कि रागी जत्था लेकर एक दीवान पर जा रहा था, मथरा स्टेशन पर पकड़ लिया गया क्योंकि उसने—गात्रा टूट जाने के कारण—कृपाण अपने हाथ में पकड़ रखी थी। श्रोमणि कमेटी के अपने एक डेपुटेशन के साथ

भी—जिसम ज्ञानी शेरसिंह, सरदार नाभ सिंह बैरिस्टर और सरदार दलीप सिंह बरिस्टर शामिल थे—इसी तरह की एक घटना लुधियाना मे घटी। ये लोग स्टेशन से एक तांगा पर शहर जा रहे थे, तभी उनका तांगा खडा कर लिया गया। उनसे कहा गया कि अपनी अपनी कृपाणें दे दो। उन्होंने कृपाणें देने से इनकार कर दिया और पुलिस की कारवाई को कानून विरोधी ठहराया। पुलिस वालो ने यह समझ कर कि ये कानूनदा हैं और इन्होंने कृपाणें गवनमेंट की हिदायतो के मुताबिक ही पहन रखी हैं उन्हें छोड दिया। लेकिन वे अभी थोडी दूर ही गये थे कि उन्होंने एक शब्द पढते हुए जत्थे को पुलिस के घेरे में देखा। उन्होंने पुलिस से जाकर पूछा—आपने जत्थे को क्यों घेर रखा है और इनकी कृपाणें क्यों मागते हैं? जवाब मिला—हम हुक्म है कि दो से ज्यादा अकाली जहा भी हो, उन्हें तितर बितर कर दो। यह सुन कर डपुटेशन के मेम्बरो ने कहा अच्छा, जो कारवाई करनी है, करो, हम भी इनके साथ शामिल होते हैं। वे सारे वहा बैठ गये और शब्द पढने लगे। पुलिस ने घेरा डाले रखा। मालूम होता है कि वे ऊपर के अफसरो के साथ मशविरा कर रहे थे। कुछ देर के बाद एक पुलिसमन ने आकर कहा—तुम जा सकते हो। पुलिस वालो से उस हुक्म को दिखाने के लिए कहा गया, जिसके अधीन वे लोगो की आजादी मे दखल दे रहे थे। लेकिन उनके पास कोई हुक्म नही था। उन्होंने जवाब दिया हमारे शब्द ही हुक्म हैं, तुम जा सकते हो।

१० इस हमले के लिए 'सफाई'

इस सरकारी हमले के बाद इस बात में कोई शक नही रह गया था कि सरकार गुरुद्वारा सुधार तहरीक को कुचलने पर तुली है। वह समझौता करने और गुरुद्वारा बिल पेश करने की बातें आम जनता को गुमराह करने और धोखा देने के लिए कर रही थी। देहात में अकालियो का साहस जबरदस्ती तोडने के लिए ताजीरी चौकियां बैठायी जा रही थी। अकाली पन्थ की पंचायतों के मेम्बरो को जेलो मे ठूसा जा रहा था। भरपूर जुल्म के बूते पर जत्थो को तितर बितर किया जा रहा था। ऐसी स्थिति मे शिरोमणि कमेटी चुपचाप नही बैठी रह सकती थी। उसने स्थिति का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया था और उसकी अपनी रिपोर्टें सरकारी रिपोर्टों से भी ज्यादा अकालियो पर जुल्म और अत्याचार की तस्वीर पेश करती थीं।

सिखो को धोखा देने के लिए और गैर सिखो को गुमराह करके उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए सरकारी प्रचार की सब एजेंसियां लगातार शोर मचा रही थी—सरकार गुरुद्वारा सुधार के खिलाफ नही है, उसकी सारी शुभ-कामनाएं गुरुद्वारा सुधार के साथ हैं। गुरुद्वारो का सवाल हल करने के लिए

लिए गुरद्वारा कमटी को प्रतिनिधि स्वीकार करती है, तथा श्रोमणि कमटी न तमाम सिखो को मशविरा दिया था कि वे हर ऐसी चीज स परहेज करें जिससे स्वस्थ वातावरण दूषित होता हो।

"श्रोमणि कमेटी को इस बात की तसल्ली है कि सिख, पूरी ईमानदारी के साथ, इस समझौत पर अमल कर रहे हैं। परन्तु गवनमेंट ने अपनी जिम्म दारियो की बिलकुल ही परवाह न करके कई किस्म के बहाना के अधीन गुरुद्वारा सुधार लहर म हिस्सा ले रहे सिखा के खिलाफ तीखे, अधाधुध और व्यापक जुल्म की मुहिम शुरू कर दी।

"कृपाण सबधी दिये गये वचनो के बावजूद, गवनमेंट कृपाणें बनाने वाल या पहन कर चलने वाले सिखो को पकड रही है और फैक्टरियो मे छापे मार मार कर सकडा कृपाणें जब्त कर रही है।

"वचन भग के दोष को भुला कर गवनमेंट ने नोनार और हेरा के गुरुद्वारा के सिखो को बाहर निकाल दिया है तथा गुरुद्वारे उन लुटेरे महतो के हवाले कर दिये हैं जो सगतो द्वारा निंदित हैं।"

सत्रहवां अध्याय

इस हमले का जवाब

१ गुरुद्वारा बिल

गवनमेंट को इस बात का बडा अफसोस था कि शिरोमणि कमेटी के मुकाबले कोई इस किस्म की नम-ख्याल पार्टी नहीं उभर रही, जिसके साथ बातचीत करके वह अपनी मर्जी का बिल द सके और सिखो मे फूट डाल कर उनका कुछ हिस्सा अपने साथ ले सके। उसने सिखो म फूट डालने के कई प्रयत्न भी किये। लेकिन ये प्रयत्न सफल न हो सके। गवनमेंट को बडा दुख था कि "गुरुद्वारा सुधार तहरीक का जो विरोध आरम्भिक मजिला म उठा था, उसका जोर जाता रहा और वह दुबारा वजूद मे न आ सका। पुरातनवादी सिख खामोश हैं। वे तो भीतरी तौर पर लहर की हिमायत कर रहे हैं, या नयी घटनाओ का इतजार कर रहे हैं। चीफ खालसा दीवान, जो पहले सिखो से सबधित मामलो पर सरकारी सलाहकार था, नव मिस्ल हमले के मुकाबले अपनी पोजीशन कायम नहीं रख सका—और, मर गया या मर रहा है।"[1]

अपने नये अत्याचारपूण हमल के बाद गवनमेंट यह समझने लगी थी कि उसने शिरोमणि कमेटी की ताकत तोड दी है, अब कमेटी सिख पथ की प्रतिनिधि नहीं रही—इसलिए विचाराधीन बिल के अतर्गत बनने वाले कमीशन म मेम्बर नामजद करने का अधिकार उसको नहीं दिया जा सकता। गवनमेंट की राय इस प्रकार थी

"नये (गुरुद्वारा बिल) के ड्राफ्ट के अधीन बोड के लिए नामजदगी करने वाली एक जमात अमृतसर की प्रबधक कमेटी है। इस जमात को अब वैसा सत्कार प्राप्त नहीं रहा, जैसा कुछ महीने पहले प्राप्त था और इसके बहुत सारे मेम्बर या तो जेलो मे बद हैं या उन पर मुकदमे चल रहे हैं। सरकार, जहा तक सभव है, सिख (कौंसिल के) मम्बरो की इन ख्वाहिशो का पूरा करने की फिक्रमद है कि तजवीज किये गये बोड के वास्ते इस जमात को—नामजद करने वाली एक जमात के तौर पर—स्वीकार कर लिया जाय। पर सरकार अनुभव

१ वी डब्ल्यू स्मिथ, पुलिस सुपरिंटेंडेंट (सी आई डी), पैरा म २३

और मुसलमानों के कब्जे से बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी। श्रोमणि कमेटी ने एक बार नहीं, दर्जनों बार एलान किया था कि उसका मनोरथ गुरुद्वारों का सिखों के कब्जे में लाने तक सीमित है—सियासत उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आती। तो भी गवर्नमेंट यही रट लगाये हुए थी कि श्रोमणि कमेटी धर्म के परदे के पीछे से सियासत का खेल खेल रही है।

इसके राजनीतिक कारण थे पहला यह कि इस धार्मिक जत्थेबंदी में गमख्यालियों का गलबा गवर्नमेंट को चुभता था। वह इनको ही झगड़े की जड़ समझती थी। इसलिए वह चाहती थी कि श्रोमणि कमेटी का कंट्रोल नमरुशाह मेम्बरों के हाथों में रहे। दूसरे यह कि अपना दखल कायम रखने के लिए वह गुरुद्वारे न तो सिखों के कब्जे में जाने देना चाहती थी, न ही श्रोमणि कमेटी के महंतों के साथ समझौता को सिरे चढ़ने देना चाहती थी। इस पालिसी का स्वाभाविक नतीजा होना था टकराव। इसलिए गवर्नमेंट जानबूझ कर टक्करों को बुलावा देकर गुरुद्वारा सुधार की अकाली तहरीक को राजनीतिक बना रही थी। इन टक्करों से बचने और तहरीक को धार्मिक बनाये रखने का रास्ता यह था कि गवर्नमेंट गुरुद्वारों में दखल देना छोड़ दे गुरुद्वारे श्रोमणि कमेटी के हाथ में जाने दे या अपना सत्कार कायम रखने के लिए सिखों की रजामंदी से गुरुद्वारा कानून बनाये। सरकार ने न पहला रास्ता चुना, न दूसरा। उसने रास्ता यह चुना तसद्दुद का इस्तेमाल करके तहरीक को कुचलते जाओ साथ साथ बातचीत भी करते जाओ। श्रोमणि गुरुद्वारा कमेटी जैसी ताकतवर जत्थेबन्दी के साथ यह दोमुंही चाल कामयाब नहीं हो सकती थी। कामयाब हुई भी नहीं।

गुरुद्वारा बिल शुरू में बना दिया जाता, तो कई गुरुद्वारे महंतों के हाथों में ही रहने और कई महंतों को बड़ी जायदादें हासिल हो जातीं। गुरुद्वारों का मसला भी हल हो जाता और सरकार के विरुद्ध इस मसले पर लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। न ही इस तहरीक के राजनीतिक तहरीक बनने का सवाल पैदा होता।

अकाली तहरीक के बनने और चलने के चार कारण थे। एक कारण तो ऐसा था जो अतीत से अंग्रेज अफसरों के दिमाग में घर बना कर पालिसी की हैसियत रखने लगा था—यानी यह कि दरबार साहब जैसे बड़े गुरुद्वारे सिखों के कब्जे में नहीं जाने दिये जाने चाहिए क्योंकि ये 'राजनीतिक साजिशों के केन्द्र बन सकते हैं। अंग्रेज समझते थे कि सिख भूलने वाले नहीं हैं कि ५० ६० साल पहले वे पंजाब के शासक रह चुके थे। इसलिए नये हालात में भी अंग्रेज अफसर उस पालिसी से पीछा छुड़ाने में असमर्थ थे और बदले हालात के अनुरूप नयी पालिसी बनाने में वे नाकाबिल थे।

दूसरे, उनकी कथनी और करनी के बीच गहरी खाई थी। मुह से वे कहते थे कि हम कायम गद्दियां कायम रखने के खिलाफ हैं, हम 'ज्यों के त्यो' आसाना के रखवाले नहीं हैं। हम धार्मिक सुधार चाहते हैं। पर अमल मे वे कानून की रक्षा का बहाना बना कर महंतो की पीठ पर खडे थे। समझौता करने में वे महंतों को रोकते थे और उन्हें अडे रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे।

तीसरे यह कि वे गुरुद्वारा पर कब्जा जमाये बैठे थे। गुरुद्वारा को वे अपने राजनीतिक मकसदों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि वे मजहब में दखल नहीं दे रहे हैं—उन्होंने कभी किसी के मजहब में दखल नहीं दिया। यह ऐसी झूठ थी जिसको मूर्ख भी देख समझ सकता था।

चौथे, अफसरशाही की पालिसी बनाने वाले और उसे अमल में लाने वाले अफसरों में किंग, करी, और डनेट जैसे बेवकूफ अफसर भी थे, जिनकी मूर्खता ने तहरीक को बढने फैलने के बड़े अच्छे मौके मुहैया किये। ननकाने साहब मे हत्याकांड न रचा गया होता और कुंजियां छीन न ली गयी होतीं, तो अकाली तहरीक इतनी विशाल, गहरी और प्रभावशाली शायद कभी न हो सकती थी, अगले मोर्चों को सर करने की संगठनात्मक ताकत कभी न हासिल कर पाती।

'अमन और कानून" हमेशा राज समाज के स्थापित हितों को ज्यों-का त्यो कायम रखने का हथियार रहा है। राज-समाज में जो भी तब्दीली हुई है वह राज-समाज के कानून को भंग करके ही हुई है। अगर देश को आगे ले जाने वाले संग्रामी वीर यह रास्ता न अपनाते, तो न तो हिंदुस्तान ही आजाद होता और न गुरुद्वारे।

१२ एक्जेक्यूटिव का प्रस्ताव

गवर्नमेंट ने गुरुद्वारा बिल बनाने की चर्चा शुरू कर दी है—इस स्थिति पर विचार करने के लिए अमृतसर में २० मार्च को शिरोमणि कमेटी की एक बैठक हुई। इस सारे हालात पर विचार करके यह प्रस्ताव पास किया गया

"८ मार्च १९२२ को जब गवर्नमेंट और शिरोमणि कमेटी के प्रतिनिधि गुरुद्वारा बिल पर समझौते के लिए परस्पर विचार विमर्श कर रहे थे, तो दोनो पार्टियों के बीच सहमति हो गयी थी कि आवश्यक वातावरण पैदा करने के लिए किसी पार्टी द्वारा इस किस्म की कोई बात न की जाय जिससे सुलह-समझौते के अवसर पर विघ्न पैदा हो। इस मकसद को सामने रख कर ही दोनो पक्षों द्वारा एक ही समय पर एलान किये गये थे। गवर्नमेंट ने एलान किया था कि वह सिर्फ धार्मिक राय और कृपाण या तलवार की आजादी के

वह जल्दी ही पंजाब कौंसिल म मिल ला रही है। उसने ये छापे राजनीतिक तहरीक के खिलाफ मारे हैं। गवनमेंट केवल उन लोगों को पकड़ रही है, जो कानून की कोई परवाह नही करते और कानून हाथ म लेकर दूसरा की जाय दादो पर कब्जा करते हैं। श्रोमणि कमेटी अपने आपको अगर सिफ धार्मिक मामलों तक सीमित रखे और गैर-जरूरी राजनीतिक सरगर्मिया बन्द कर दे, तो गवनमेंट गुरुद्वारो के सबध म वैसा ही रवैया अख्तियार करने को तैयार है, जैसा उसने कुंजिया के मामले म अख्तियार किया था।

यह बताने के लिए कि सरकार गुरुद्वारा का मसला हल करने के लिए बहुत कुछ कर रही है, उसने लगातार दो-तीन एलान जारी किये। एक एलान के जरिये उसने २० फरवरी १९२२ को पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बरा की मीटिंग बुलायी, ताकि सिख गुरुद्वारा के बारे म वह अपनी तजवीजें पेश करे। दूसरे एलान के जरिये उसने यह नेकनामी हासिल करने की कोशिश की कि पिछले लगभग आठ महीनो मे गवनमेंट ने किसी अकाली को कृपाण या तलवार पहनने के कारण नही पकडा, अगर वे कानून के मुताबिक कृपाण पहनेंगे तो उन्हें नही पकडा जायगा। लेकिन साथ ही उसने अपने हाथ म ताकत रख ली कि गवनमेंट चाहे तो इसके खिलाफ भी हुक्म जारी कर सकती है। सरकार ने एक और एलान निकाला जिसम श्रोमणि कमेटी के बारे म उसने अपना रवैया साफ कर दिया।

इस तरह गवनमेंट एक तरफ तो हमले पर हमला करके, कानून का बहाना पेश करके, अकाली लहर को कुचल रही थी। दूसरी तरफ वह गुरुद्वारा सुधार के लिए 'सिख गुरुद्वारा बिल' पेश करने की बातें कर रही थी। इस पॉलिसी की तह मे राजनीतिक मकसद यह था कि अकाली जत्थेबदी को बढ़ने और फैलने देना राज के लिए खतरे का सामान पैदा कर सकता है और स्वराज की तहरीक के लिए सहायक हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी इसको कुचल दिया जाय, उतना ही अच्छा है।

स्वाभाविक था कि इस भरपूर हमले के कारण गुरुद्वारा लहर किसी हद तक सुस्त पड जाय और दोबारा कतारबदी मे कुछ समय लगे। सरकार को इस बारे म कोई भ्रम नही था कि—देहात से फौज और पुलिस हटाने की देर है कि अकाली तहरीक फिर तेजी से बढ़ने लगेगी और गुरुद्वारो की आजादी हासिल करने की ओर बढ चलेगी।

११ श्रोमणि कमेटी का फैसला

"गवनमेंट गुरद्वारा म शाति से पूजा पाठ करते सिखो को पकड रही है और उन पर मुकदमे चला रही है।

"सैंकड़ा सिख बिना किसी प्रत्यक्ष कसूर के अधाधुंध पकड़े जा रहे हैं और बरहमी से पीटे जा रहे हैं—सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कृपाणें और काली पगड़िया पहन रखी हैं।

"पुलिस औरतों की बेइज्जती करने से भी बाज नहीं आती। सिखों के केश उखाड़े गये हैं और सिख गुरुओं के लिए सिखों के सामने गंदी जबान इस्तेमाल की गयी है।

"इस सब ने, और इससे भी ज्यादा बहुत कुछ ने, तथा इसके बाद ननकाने साहब के केस में हाईकोर्ट के फैसले ने, और हाकिमों द्वारा उस पुलिस अफसर—जिसने गुरुग्रंथ साहब पर बड़ा गंदा और अपवित्र हमला किया था तथा दरबार साहब के नजदीक एक बूढ़ी औरत की बेइज्जती की थी—के खिलाफ कोई भी कारवाई करने से आखिरी तौर पर इनकार ने, गवर्नमेंट के वादों में सिखों के यकीन के—फिर ये वादे कितनी ही संजीदगी से क्यों न किये गये हों—टुकड़े टुकड़े कर दिये हैं।

"इसलिए शिरोमणि कमेटी यह फैसला करने पर मजबूर है कि समझौते की तमाम बातचीत उस समय तक के लिए तोड़ दी जाय, जब तक गवर्नमेंट अकालियों को कुचलने और गुरुद्वारा सुधार तहरीक को मिटा देने के अपवित्र यत्न को छोड़ नहीं देती।"

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारों का मसला सरकार के साथ समझौते द्वारा हल करना चाहती थी। वह, जहां तक सम्भव हो, गवर्नमेंट से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहती थी। गवर्नमेंट एक तो गुरुद्वारों में अपना सीधा या टेढ़ा दखल आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी, दूसरे, शिरोमणि कमेटी को—उसमें असहयोगियों का गलबा होने के कारण—वह शक की नजर से देखती थी। इसलिए वह शिरोमणि कमेटी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी। समझौता वह किसी ऐसी कमेटी से करना चाहती थी जिसमें सरकारपरस्तों की बहुसंख्या हो और जिस पर वह पूरा यकीन कर सके कि हर गुरुद्वारे के पास इकट्ठा होने वाला रुपया वह सिर्फ धार्मिक कामों पर ही खर्च करेगी। राजनीतिक कारणों से गवर्नमेंट यह नहीं चाहती थी कि शिरोमणि कमेटी या किसी भी केन्द्रीय कमेटी के पास मानाना आमदनी बहुत ज्यादा जमा हो जाय।

गवर्नमेंट धर्म और सियासत को अलहदा-अलहदा करने पर बड़ा जोर दे रही थी। शिरोमणि कमेटी कायम ही इसलिए की गयी थी कि वह केवल गुरुद्वारों के सुधार का काम हाथ में ले और सियासत में कोई दखल न दे। सियासत में दखल देने के लिए सेंट्रल सिख लीग वजूद में लायी गयी थी, जो सिखों के राजनीतिक हकों के लिए लड़ती थी और राष्ट्रीय आजादी के संग्रामों में हिन्दुओं

वह जल्दी ही पंजाब कौंसिल में मिल ला रही है ! उसने ये छापे राजनीतिक तहरीक के खिलाफ मारे है ! गवनमेंट केवल उन लोगों को पकड रही है, जो कानून की कोई परवाह नही करते और कानून हाथ मे लेकर दूसरो की जाय दादो पर कब्जा करते हैं ! श्रोमणि कमेटी अपने आपको अगर सिर्फ धार्मिक मामला तक सीमित रखे और गैर-जरूरी राजनीतिक सरगर्मिया बन्द कर दे, तो गवनमेंट गुरुद्वारा के सबध म वैसा ही रवैया अख्तियार करने को तैयार है, जैसा उसने कुंजिया के मामले मे अख्तियार किया था ।

यह बताने के लिए कि सरकार गुरुद्वारा का मसला हल करने के लिए बहुत कुछ कर रही है उसने लगातार दो-तीन एलान जारी किये । एक एलान के जरिये उसने २० फरवरी १९२२ को पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बरो की मीटिंग बुलायी ताकि सिख गुरुद्वारो के बारे मे वह अपनी तजवीजें पेश करे। दूसरे एलान के जरिये उसने यह नेकनामी हासिल करने की कोशिश की कि पिछले लगभग आठ महीनो मे गवनमेंट ने किसी अकाली को कृपाण या तलवार पहनने के कारण नही पकडा, अगर वे जाब्ते के मुताबिक कृपाण पहनेंगे तो उन्हें नही पकडा जायगा । लेकिन साथ ही उसने अपने हाथ मे ताकत रख ली कि गवनमेंट चाहे तो इसके खिलाफ भी हुक्म जारी कर सकती है । सरकार ने एक और एलान निकाला जिसमे श्रोमणि कमेटी के बारे मे उसने अपना रवैया साफ कर दिया ।

इस तरह गवनमेंट एक तरफ तो हमले पर हमला करके, कानून का बहाना पैदा करके, अकाली लहर को कुचल रही थी । दूसरी तरफ, वह गुरुद्वारा सुधार के लिए 'सिख गुरुद्वारा बिल' पेश करने की बातें कर रही थी। इस पालिसी की तह म राजनीतिक मकसद यह था कि अकाली जत्थेबदी को बढने और फैलने देना राज के लिए खतरे का सामान पदा कर सकता है और स्वराज की तहरीक के लिए सहायक हो सकता है । इसलिए, जितनी जल्दी इसको कुचल दिया जाय उतना ही अच्छा है ।

स्वाभाविक था कि इस भरपूर हमले के कारण गुरुद्वारा लहर किसी हद तक सुस्त पड जाय और दोबारा कतारबदी मे कुछ समय लगे । सरकार को इस बारे मे कोई भ्रम नही था कि—देहात से फौज और पुलिस हटाने की देर है कि अकाली तहरीक फिर तेजी मे बढ़ने लगेगी और गुरुद्वारा की आजादी हासिल करने की ओर बढ चलेगी।

११ श्रोमणि कमेटी का फैसला

"गवनमेंट गुरुद्वारा म शाति से पूजा-पाठ करते सिखो को पकड रही है और उन पर मुकदमे चला रही है ।

"तकरीबन सिख बिना किसी प्रत्यक्ष कसूर के अंधाधुंध पकड़े जा रहे हैं और बेरहमी से पीटे जा रहे हैं—सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कृपाणें और काली पगड़ियाँ पहन रखी हैं।

"पुलिस औरतों की बेइज्जती करने से भी बाज नहीं आती। सिखों के केश उखाड़े गये हैं और सिख गुरुओं के लिए सिखों के सामने गंदी जबान इस्तेमाल की गयी है।

"इस सब ने, और इससे भी ज्यादा बहुत कुछ ने, तथा इसके बाद ननकाने साहब के केस में हाईकोर्ट के फैसले ने, और हाकिमों द्वारा उस पुलिस अफसर—जिसने गुरुग्रंथ साहब पर बड़ा गंदा और अपवित्र हमला किया था तथा दरबार साहब के नजदीक एक बूढ़ी औरत की बेइज्जती की थी—के खिलाफ कोई भी कारवाई करने से आखिरी तौर पर इनकार ने, गवनमेंट के वादों में सिखों के यकीन के—फिर ये वादे कितनी ही संजीदगी से क्यों न किये गये हों—टुकड़े टुकड़े कर दिये हैं।

"इसलिए श्रोमणि कमेटी यह फैसला करने पर मजबूर है कि समझौते की तमाम बातचीत उस समय तक के लिए तोड़ दी जाय, जब तक गवनमेंट अकालियों को कुचलने और गुरुद्वारा सुधार तहरीक को मिटा देने के अपवित्र यत्न को छोड़ नहीं देती।"

श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारों का मसला सरकार के साथ समझौते द्वारा हल करना चाहती थी। वह, जहाँ तक सम्भव हो, गवनमेंट से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहती थी। गवनमेंट एक तो गुरुद्वारों में अपना सीधा या टेढ़ा दखल आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी, दूसरे, श्रोमणि कमेटी को—उसमें असहयोगियों का गलबा होने के कारण—वह दाब की नजर से देखती थी। इसलिए वह श्रोमणि कमेटी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी। समझौता वह किसी ऐसी कमेटी से करना चाहती थी, जिसमें सरकारपरस्तों की बहुसंख्या हो और जिस पर वह पूरा यकीन कर सके कि हर गुरुद्वारे के पास इकट्ठा होने वाला रुपया वह सिर्फ धार्मिक कामों पर ही खर्च करेगी। राजनीतिक कारणों से गवनमेंट यह नहीं चाहती थी कि श्रोमणि कमेटी या किसी भी केंद्रीय कमेटी के पास सालाना आमदनी बहुत ज्यादा जमा हो जाय।

गवनमेंट धर्म और सियासत को अलहदा-अलहदा करने पर बड़ा जोर दे रही थी। श्रोमणि कमेटी कायम ही इसलिए की गयी थी कि वह केवल गुरुद्वारों के सुधार का काम हाथ में ले और सियासत में कोई दखल न दे। सियासत में दखल देने के लिए सेंट्रल सिख लीग वजूद में लायी गयी थी, जो सिखों के राजनीतिक हकों के लिए लड़ती थी और राष्ट्रीय आजादी के संग्रामों में हिंदुओं

करती है कि अगर बिल पेश करने के बाद तक शिरोमणि कमेटी की हालत साक्षात तौर पर बदल गयी, तो यह जरूरी हो सकता है कि उन धाराओं को उस हद तक बदल दिया जाय, जिस हद तक कि वे कमेटी से संबंधित हैं।"[1]

इस उदाहरण से साफ प्रकट है कि शिरोमणि कमेटी के कुछ समय के मौन और पुरअमन कारवाई से गवनमेंट इस नतीजे पर पहुंच गयी दिखायी देती थी कि शिरोमणि कमेटी की ताकत तोड़ दी गयी है। अब यह कुछ करने योग्य नहीं रही। इसलिए इसके साथ गुरुद्वारा बिल को बनाने में न तो सलाह मशविरे की आवश्यकता है न ही बोर्ड में अपना एक मेम्बर नामजद करके देने का इसे हक रहा है। डनेट की इस मूर्खता ने जल्दी ही जाहिर कर दिया कि अकाली लहर के बारे में सरकारी अफसरों का लेखा जोखा कितना बचकाना और मूर्खतापूर्ण था।

गुरुद्वारा बिल के विरोधी वायसराय की कौंसिल में भी बैठे हुए थे और पंजाब गवर्नर की कौंसिल में भी। वायसराय की कौंसिल में बिल का सबसे बड़ा विरोधी तेज बहादुर सप्रू था, जो कुछ इस तरह कहता था कि हिन्दुस्तानी विधान निर्माण के इतिहास में इस बिल का न तो कोई उदाहरण है, न कोई मिसाल। उसके ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट यह बिल या तो किसी समझौते के नतीजे के तौर पर ला रही थी या अकालियों के साथ सुलह सफाई करना चाहती थी। कुछ भी हो 'मेरी राय में यह बड़ी खतरनाक मिसाल कायम करना है। फिरकावाराना नुमाइंदगी की बात और है। लेकिन फिरकावाराना जजों के लिए माग स्वीकार करने से पहले बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए। जजों को मुकर्रर करना ताज (शहंशाह) या एक्जेक्यूटिव गवर्नमेंट का हक है। इस किस्म के (वक्फ के) बारे में झगड़े मुसलमानों में भी उठ सकते हैं और हिन्दुओं के मंदिरों की जायदादों के बारे में भी। हम जो कुछ सिखों के लिए मंजूर कर रहे हैं क्या वही हम हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए भी मंजूर करने को तैयार हैं? इससे मैं न तो वकील के तौर पर न राजनीतिज्ञ के तौर पर सहमत हो सकता हूं।'[2]

इस बिल पर सरकारी अफसरों की टिप्पणियां और राय भी मजेदार थीं। मिसाल के लिए "यह (पंजाब) कौंसिल के हिन्दू और मुस्लिम मेम्बरों की दुश्मनी को उत्तेजित करेगा," (सी डब्ल्यू ग्वन, १५ ६ २२)। मुझे ट्रिब्यूनल (बोर्ड) का विचार पसंद नहीं, खास कर जिस तरीके से यह पेश किया गया है,'

१ एन हैनफार प्रेंटर, सक्रेटरी पंजाब लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का सक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र, ११ ६ १९२२

२ जनरल आर्काइव्ज आन सिविल फाइल न ६४४

(इन्डिपेंडेंट, १५ ६ २२)। 'गुरुद्वारा बिल का कुछ विरोध हुआ है, कारण यह कि सिखों की सुधारक पार्टी को यह बहुत ज्यादा अधिकार दे देता है" (सिविल ऐंड मिलिटरी गजट ३१ मई १९२२)।

ब्रिटिश राज के अंग्रेज और हिंदुस्तानी स्तंभ ज्यों-के-त्यों राज समाज रखने के हामी थे। वे केवल ऐसी तब्दीली स्वीकार करते थे, जो ब्रिटिश विधान और उसके अनुसार उदाहरणों के अनुकूल ब्रिटिश साम्राज्य उदार चित्त से करे। सप्रू और हरकिशन लाल ने न कभी कोई जन-संग्राम लड़े थे और न ही उनको जनता की संगठित जुझारू शक्ति पर कोई विश्वास था। हिंदुओं और मुसलमानों के वक्फों को भी बर्बाद किया जा रहा था। लेकिन वे कुर्बानी का इतना मूल्य देने के लिए तैयार नहीं थे, जितना अकाली दे रहे थे। उनके ये निर्णय अकालियों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों को उकसाने की संभावना तो रखते थे पर मसले को हल करने की तरफ कोई कदम नहीं उठाते थे।

पहला—१९२१ वाला—गुरुद्वारा बिल गवर्नमेंट ने पंजाब कौंसिल के सिख मेम्बरों के सलाह-मशविरे से बनाया था। लेकिन जब वह पंजाब कौंसिल में पेश होकर और सिलेक्ट कमेटी में से संशोधित होकर फिर सामने आया, तो कुंजियां छीन लेने की घटना घट चुकी थी जिसके कारण पहले वाले हालात बदल गए थे। इसलिए कौंसिल के मेम्बरों ने उसकी दी हिमायत वापस ले ली थी। यह नया बिल उन लाइनों पर ही बनाया गया था। लेकिन इसमें दो संशोधन किये गये थे

१) बोर्ड के कमिश्नरों में सभी कमिश्नर सिख रखे गये थे, गैर-सिख कोई नहीं रखा गया था, और

२) कमिश्नरों की तनखाहें गवर्नमेंट के बजट में दी जानी थी। उन गुरुद्वारों का ब्योरा बताया जाना था, जिन पर यह कानून लागू होना था।

पंजाब गवर्नमेंट इस बिल से बिलकुल संतुष्ट नहीं थी। उसका विचार था कि हिंदू इसका विरोध करेंगे। गवर्नमेंट सेलेक्ट कमेटी में की जाने वाली उचित तरमीमों पर विचार करने के लिए तैयार थी।

यही बिल था जिसके जरिये गवर्नमेंट शिरोमणि कमेटी से कमिश्नरों की नामजदगी का हक छीन रही थी, और शिरोमणि कमेटी के—कठोर सरकारी हमले के बाद—गैर-नुमाइंदा होने का प्रचार करने लगी थी। इन दावों का क्या हल हुआ, यह हम गुरु के बाग के मोर्चे के बाद देखेंगे।

२ मोर्चा गुरु का बाग

गवर्नमेंट की नजरों में तशद्दुद और गिरफ्तारियों की पालिसी सफल हो रही थी और वह इस पालिसी को और जोरों के साथ लागू कर रही थी। वह

थी, मगर उस पादरी को सिरे पकड़ो का काम उसका सौंपा गया था और वह बेरहमी और पशुबल का इस्तेमाल करके अकालियों को ऐसा सबक सिखाना चाहता था, जो वे कभी न भूलें।

३ सरकारी बन्दोबस्त, अख्तियार और निर्णय

इस मोर्चे से निपटने के लिए गवर्नमेंट की ओर से युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू हो गयी। गुरु के बाग को जाने वाले तमाम रास्तों और सड़कों पर पुलिस की टुकड़ियां बिठा दी गयी। गुरुद्वारे के लिए अमृतसर और देहात से आने वाली तमाम रसद बंद कर दी गयी। आ रही रसद को पुलिस वालों ने लूटना शुरू कर दिया ताकि गुरुद्वारे के अन्दर बैठे सेवादारों को भूखा मारा जा सके। 'एहतियात के तौर पर' घुड़सवारों का एक स्क्वाड्रन २६ अगस्त को अमृतसर पहुंच गया। २०० हथियारबन्द सिपाही और भेजे गये। फौजी अफसरों ने हथियारों से लैस दो कारें भी भेज दी। नजदीक के जिलों को तार दे दिये गये कि डेपुटी कमिश्नर किसी जत्थे को गुरु के बाग न जाने दे। और, अगर जत्थे जिद करें तो ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें तितर बितर कर दिया जाय। पंजाब सरकार निहत्थे और शान्तिमय अकालियों के साथ लड़ाई की तैयारियां कर रही थी।

किसी भी आदमी को गुरु के बाग की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। शहर या देहात के जो लोग भी उस तरफ जाते उनको वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता। प्रोफेसर रुचिराम साहनी और राणा फिरोजदीन अपनी आंखों से गुरु के बाग के हालात देखने के लिए अमृतसर से गये हुए थे। उनके साथ भी गुस्ताखी भरा सुलूक करके उन्हें शहर वापस भेज दिया गया। हर तरफ दहशत, मारपीट और बेइज्जती का दौरदौरा शुरू हो गया।

लड़ाई के क्षेत्र से अकालियों को भगाने के लिए डनेट को पूरे डिक्टेटरी अख्तियार मिले हुए थे। "हालत चिंताजनक है। पर श्रीमान गवर्नर को डेपुटी कमिश्नर डनेट पर—जिनके पास बड़ा आला पुलिस कप्तान मकफर्सन है—पूरा भरोसा है।"[1]

२६ अगस्त को डी सी ने श्रोमणि कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेने वाले ८ रहनुमाओं को पकड़ लिया।[2] गवर्नर को डनेट के फैसले पर भरोसा और

---

१ एच डी क्रेक का मिस्टर ओ'डानल को आधिकारिक पत्र, २६ सितम्बर १९२२

२ स महताब सिंह प्रधान भगत जसवंत सिंह जनरल सेक्रेटरी स नारायण सिंह बरिस्टर सेक्रेटरी, प्रो साहिब सिंह सहायक सेक्रेटरी,→

विश्वास था कि डनेट रहनुमाओं को तब तक नहीं पकड़ेगा, जब तक वह उन्हें मुकदमे में सजा न दिला सके। डनेट को गवनमेंट की आम पालिसी का भी पता था कि आम लोगों की गैर-जरूरी गिरफ्तारियां न की जायें और बड़े मजमों को "उतनी ही ताकत से तितर बितर किया जाय, जितनी जरूरी हो।"

इस सचाई को हर कोई जानता था कि अकाली लहर को चलाने की बागडोर श्रोमणि कमेटी के हाथ में है। उसके बुलावे पर बेशुमार अकाली हर वक्त जान पर खेल जाने के लिए तैयार हैं। डनेट इस भुलावे का शिकार था कि इन लीडरों के पकड़े जाने के बाद इस लहर में दम नहीं रहेगा और वह दम तोड़ देगी।

४ हालात का गलत लेखा-जोखा

और, इस भुलावे का शिकार केवल डनेट ही नहीं था। ऊपर के अफसरों का भी यही हाल था। मिसाल के लिए, कमिश्नर का ख्याल था कि स्थिति ज्यादा खराब नहीं होगी, श्रोमणि कमेटी का गुब्बारा "फूट गया" है, बाकी के मेम्बर अब पकड़े हुए मेम्बरों के साथ मुलाकातों की दरख्वास्तें दे रहे हैं।

कमिश्नर का जाती ख्याल यह भी था कि गुरू के बाग में वर्तमान स्थिति कोई दो या तीन हफ्ते रहेगी। "हमारा इससे कोई हर्ज नहीं होगा। कुछ वक्त के बाद अकाली थक जायेंगे और आहिस्ता आहिस्ता यहां आना बन्द कर देंगे।"[1]

कमिश्नर और डी सी दोनों ही श्रोमणि कमेटी और अकाली दल के दफ्तर को बन्द करने और उनकी तलाशी लेने के पहले खिलाफ थे। दोनों का ख्याल था कि बाकी रह गयी कमेटी टूट गयी है और तितर बितर हो गयी है। शहर में बिलकुल खामोशी है, शहर ने गिरफ्तारियों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी। तलाशी से मुकदमे के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उल्टे, तलाशी लेने के वक्त लोग इकट्ठे हो जायेंगे और जोश में आकर श्रोमणि कमेटी की हिमायत करने लगेंगे। लेकिन अगर ऊपर से हुक्म मिलेगा तो तलाशी ली जायगी।

यह था लेखा जोखा, जो सरकारी अफसरों ने उस वक्त के हालात का किया। यह जायजा नीचे से भेजी गयी खुफिया रिपोर्टों पर आधारित था। इसमें तहरीक की मजबूती और एकता को बहुत कम करके आंका गया था। इन अफसरों का वास्ता पहले कुंजियों के मोर्चे के साथ भी पड़ चुका था और मालूम होता

स सरमुख सिंह प्रधान श्रोमणि अकाली दल, मा तारासिंह, स रवेल सिंह, बाबा केहर सिंह पट्टी

१ एच डी क्रैक की रिपोर्ट, २९ ८ २२

गिरफ्तारी, श्रोमणि कमेटी की आज्ञा से मिला दो उसे तथा सरकार वहां पहुंच, ताकि उसका सीध रास्ता पर लाया जाय। उस वक्त उसने अपनी महन्ती कायम रखने के लिए सिक्खों की शर्तें स्वीकार कर ली और मान लिया कि यह श्रोमणि कमेटी के अधीन होकर चलेगा और जिस स्त्री के साथ उसके नाजायज सबध हैं उससे शादी कर लेगा। उसने यह समझौता मान कर इलाके के लोगों के सामने हस्ताक्षर किये और गुरुद्वारे के उसको सिक्खी मर्यादा के अनुसार अकाल तख्त पहुंच कर अपनी रखैल के साथ शादी कर ली।

फरवरी १९२२ में महन्त ने श्रोमणि कमेटी को अपना वेतन मुकर्रर करने के लिए लिखा। कमेटी और महन्त दोनों की रजामदी से तीन मध्यस्थ नियुक्त किये गये। महन्त को १२० रुपये माहवार गुजारे के लिए और अमृतसर शहर में एक रिहायशी मकान दिये गये। महन्त ने मध्यस्थों का यह फैसला स्वीकार कर लिया। मार्च-अप्रैल की गिरफ्तारियों के बाद उसका मन फिर बेईमानी की ओर मुड गया। वह कमेटी से फिर अकडने लगा। इस पर उसको—जैसा कि ऊपर हमने लिखा है—गुरुद्वारा प्रबंध से अलग कर दिया गया।

इस गुरुद्वारे के निकट ही कनाल जमीन थी जिसमें कीकर के पेड उगे हुए थे। यहां से गुरु के लंगर के लिए इंधन काटा जाता था। जब से श्रोमणि कमेटी का प्रबंध चालू हुआ था तब से बाकायदा लंगर चलता था। आये-गये मुसाफिरों तथा गुरुद्वारे के सेवादारों के भोजन की व्यवस्था होती थी। इंधन के लिए लकडी यहीं से काटी जाती थी। यह जमीन सहसरे के लोगों ने गुरुद्वारे के नाम लगवायी थी। यह महन्त के नाम पर नहीं थी। डी सी डनेट ने इसको उसी तरह महन्त की जायदाद बना कर गिरफ्तारियां शुरू कर दी थीं जिस तरह उसने 'बगावती मीटिंग कानून' के अधीन—यह कह कर कि धार्मिक दीवान नहीं हो सकते—अजनाले में गिरफ्तारियां शुरू कर दी थीं।

लकडी काटने की सूचना जलदार वदी ब्रिजलाल ग्राम महला वाला ने डी सी को भेजी थी। यह जलदार इलाके में बडा बदनाम था और सरकारी दलाल समझा जाता था। वह जानता था कि सरकार उसकी पीठ पर है और वह अकाली लहर को कुचलना चाहती है। खुद वह भी अकाली लहर को कुचलने की सरकारी मुहिम में सरगर्मी के साथ हिस्सा ले रहा था। इलाके के सक्रिय अकालियों को पकडवाने में वह हमेशा पुलिस के साथ रहता था।

८ अगस्त को गुरुद्वारे के पांच सेवादार लंगर के लिए कुछ इंधन काट कर लाये। ९ अगस्त को उनको पकड लिया गया। अदालत में पेश किये जाने पर उन पर चोरी के जुर्म में ५० ५० रुपये जुर्माना किया गया, और ६ ६ महीने

कैद की सजा दी गयी। व जेल म चले गये।' इनको मि डनट के हुक्म से पकड़ा गया था। डनट असल म कोई बहाना ढूंढ़ता था, जिसको इस्तेमाल करके वह गुरुद्वारे का प्रबंध अकालियो से छीन ले और महंत सुन्दरदास के हवाले कर दे। लकड़िया काट जाने का उसको बहाना मिल गया। उसने गुरुद्वारे म से अकालियो को पकड़ पकड़ कर, पीट पीट कर, निकालना शुरू कर दिया।

अकाली तहरीक के लिए यह एक नई चुनौती थी। गुरुद्वारे के लंगर के लिए गुरुद्वारे की जमीन से ईंधन काटने का सेवादारो को पूरा हक था। गवर्नमेंट के इस अफसर—डी सी डनट—ने एक मुखता तो कुंजियां छीन लेने के वक्त की थी, दूसरी मुखता सेवादारो को पकड़ कर की। उसका मकसद अकाली तहरीक को कुचलना था, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि नतीजे उसकी इच्छा के मुताबिक ही निकलें।

इस नये हमले के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए शिरोमणि कमेटी ने पांच-पांच अकालियों के जत्थे लंगर के लिए ईंधन काटने को भेजने शुरू कर दिये। यह गुरुद्वारे के लंगर के लिए ईंधन काटने का हक बहाल करने का यत्न करती रही। पुलिस ईंधन काटने वालों को पकड़ लेती और यह पूछ कर छोड़ देती कि उनको कौन भेज रहा है। यह सिलसिला कुछ समय तक जारी रहा। परंतु २२ अगस्त को फिर धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गयीं। २४ अगस्त तक १८० आदमी पकड़ लिये गये। अकाली जत्थों के सदस्यों की संख्या भी गिरफ्तारी के लिए बढ़ने लगी। २५ अगस्त को गिरफ्तार अकालियों की संख्या २१० हो गयी।

डी सी ऊपर के अफसरों को हालात की जानकारी देने के लिए शिमले गया हुआ था। उसके वापस आते ही गिरफ्तारियां बंद हो गयीं और जत्थों की पिटाई शुरू कर दी गयी। पहले दिन ही एक सौ अकालियों को मुक्कों, डंडों और बंदूकों के कुंदों से पीटा गया। अगले दिन गुरु के बाग म गुरुग्रंथ साहब की सेवा म उपस्थित चालीस सिखों को लाठियों से पीटा गया और उनके केश पकड़ कर उन्हें घसीटा गया। गुरुद्वारा सुधार के इतिहास म एक नया कांड शुरू हो गया।

डनट ओ डवायरशाही के वक्त का अफसर था। जुल्म और तशद्दुद म वह ओ डवायर की नीतियों पर चलने वाला अतिवादी हाकिम था। ऊपर की अफसरशाही की उसको पूरी पूरी हिमायत हासिल थी। पार्लिसी गवर्नमेंट की

१ बंद होने वाले सेवादारों के नाम हैं भाई संताप सिंह नामधरी नगल, भाई लाभ सिंह राजासांसी भाई लाभ सिंह मलेनगर, भाई सता सिंह मेसा तथा निरोदर का एक और अकाली

देहात म उभरते वर्करा को पकडती जाती थी और ऐसे हालात पैदा करना चाहती थी कि अकाली तहरीक भविष्य म फिर कभी सिर न उठा सके। वह चाहती थी कि अकाली तहरीक को बिलकुल ही कुचल दिया जाए, क्योकि गवर्नमेंट के साथ लडाई लड कर इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सत्कार और वकार को लोगो के दिलो से बहुत गिरा दिया था। यह तहरीक ब्रिटिश राज के वजूद के लिए बड़ी खतरनाक थी।

इन गिरफ्तारियो और इनके बाद की गिरफ्तारियो के बीच फर्क यह था कि इस दफा गवर्नमेंट अकाली जत्थेबंदी को तोडने के लिए पहले से ज्यादा तीव्र और बेरहमी भरे आतंक को इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी दिखायी देती थी। हर वह अकाली पकड लिया जाता था, जो अकाली जत्थे के लिए मेम्बरो की भर्ती करता हो, या पब्लिक मे बोल सकता हो। कई दर्जन गावो म पुलिस की ताजीरी चौकिया बैठा दी गयी थी और दर्जनो पचायतो के अकाली पच पकड कर जेलो के भीतर बद कर दिये गये थे चौकियो के जुर्माने—माल मवेशियो, घर के बर्तनो, वगैरा की कुर्की करके वसूल किये जा रहे थे। बहुतेरे इस किस्म के वर्करो से भी अदालती जुर्माने वसूल किये गये, जो न कभी पकडे गये थे, न किसी अदालत से जुर्माने सहित कैद हुए थे। थोडे म, ब्रिटिश आतंक ने अपने सब कानून छीके पर टाग दिये थे। पुलिस और फौज देहात म दौडी भागी फिरती थी। उसको बेझिझक लाठी डडे बरसाने और गोली चलाने की खुली छूट मिली हुई थी।

पहली गिरफ्तारियो के समय सरकार ने कुछ ऐसे गुरुद्वारे, जो अकालियो के कब्जे म आ गये थे, फिर से महतो के हवाले कर दिये थे। अकालियो और महतो के बीच कुछ गुरुद्वारो के सबध म हुए समझौते भी गवर्नमेंट को अच्छे नही लगे थे। गवर्नमेंट महतो को अकाली लहर के खिलाफ एक धडा बना रही थी। इसलिए इस किस्म के समझौते उसकी पालिसी के कामयाब होने म विघ्न डालते थे। अकाली तहरीक पर बदूक चलाने के लिए सरकार को महतो के कधो की जरूरत थी। यही कारण था कि मि डनेट ने गुरुद्वारा गुरु के बाग के महत को—जिसका शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी के साथ समझौता हो चुका था—शह देकर अपने हाथो म ले लिया और इस तरह गुरु के बाग का मोर्चा लगाने के हालात पैदा कर दिये। उद्देश्य स्पष्ट था—अकाली तहरीक को तोडने की ओर आगे बढ़ना।

महत भी गवर्नमेंट की नब्ज देख कर चलते थे। जब वे देखते कि गवर्नमेंट गुरुद्वारा बिल बना कर अकालियो की मागे स्वीकार करने की तरफ बढ रही है, तो वे आगे बढ कर अकालियो से समझौता करने के लिए मिलते या ऐसे मध्यस्थ ढूढते थे जो शिरोमणि कमेटी के साथ समझौता करा दें, लेकिन

जब वे देखते कि गवर्नमेंट की आखें बदल गयी हैं और उसने अकाली लहर को कुचलने के लिए हल्ला बोल दिया है, तो वे किये गये समझौता को तोड देते थे और गवर्नमेंट की शरण में चले जाते थे। खुद शिरोमणि कमेटी ने महंतो की इस गिरगिटी अवसरवादिता के संबंध में लिखा था

'ननकाने साहब की दुर्घटना के बाद सरकार ने सिखो पर सख्तियां करनी शुरू कर दी। कुछ महंत, जिन्होंने शिरोमणि कमेटी के साथ समझौता करके काम करना स्वीकार कर लिया था, अपने इकरारों से फिर गये। १९२१ में सैकडो सिख जेलो मे डाले गये, जब कि महंतो को बहाल किया गया और उनकी सहायता की गयी। महंत सुन्दरदास (गुरू का बाग) भी दूसरे महंतो की तरह इकरार से फिर गया और उसने फिर वही पहले जैसी कारवाई शुरू कर दी। महंत ने स्थानीय कमेटी के सेक्रेटरी को दफ्तर से बाहर निकाल दिया और उसके कागज पत्र जला दिये। लाचार होकर २३ अगस्त १९२१ को शिरोमणि कमेटी ने दफ्तर का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और महंत को गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिया।"[1]

महंत चुप नही बैठा रहा था। वह अंग्रेज अफसरो के पास गया और कई बातें बना कर उनसे दुबारा बहाली के लिए सहायता मांगी। मि मैकफर्सन जिस वक्त पुलिस का दस्ता लेकर गुरू के बाग पहुंचा, उस वक्त सरदार दान सिंह जी वहा मौजूद थे। सरदार जी ने पुलिस कप्तान को वे अखबार दिखाये, जिनमे महंत के साथ समझौते की कारवाई छपी थी। पुलिस कप्तान कारवाई देख-पढ कर ठंडा हो गया और उसने इस मामले में कोई दखल न दिया। इसलिए गुरुद्वारे पर सिखो के कब्जे की एक तरह से और भी तसदीक हो गयी। वह अकालियो की रक्षा के लिए पुलिस का दस्ता गुरू के बाग में छोड आया। कुछ देर बाद उसने शिरोमणि कमेटी को लिखा कि मैं पुलिस का दस्ता हटा लेना चाहता हूं, अगर तुम्हें रखना है, तो इसका खर्च कमेटी को अदा करना पडेगा। कमेटी ने जवाब दिया—बेशक, हटा लो, इसकी यहां कोई जरूरत नही।

महंत सुंदरदास चाल चलन से व्यभिचारी था, गैर-औरतो के साथ उसके अनैतिक संबंध थे।[2] इलाके के सिख उसके सख्त खिलाफ थे और उसको गुरुद्वारे से निकाल देना चाहते थे। ३१ जनवरी १९२१ को सरदार दान सिंह

१ "गुरू के बाग का झगडा किस तरह शुरू हुआ शिरोमणि कमेटी का बयान" अकाली ते प्रदेसी, ११ नवम्बर १९२२

२ देखिए पुस्तक के अंत मे

है कि वे अकाली लहर के उभार, आश और कुर्बानी के लिए उत्साह का पूरा पूरा माप तोल करने म बिलकुल असफल रहे वना इस किस्म के गलत नतीजे न निकालते।

३१ अगस्त को लगभग दो सौ[1] अकालियो का जत्था अमृतसर से गुरु के बाग की ओर रवाना हुआ। रवाना होने से पहले अकालियो को अकाल तख्त के सामने वाणी और कम से पूर्ण शांत रहने और जुल्म को बर्दाश्त करने की शपथ दिलायी गयी थी।

डी सी ने पहले ही सोच रखा था कि इनको गुरू के बाग नही पहुचने दिया जाएगा रास्ते म ही ताकत का इस्तेमाल करके, पीट पीट कर, भगा दिया जायगा। इस जत्थे को शहर से कोई तीन मील के फासले पर—गुमटाले के पुल पर—बुरी तरह पीटा गया। लेकिन पुलिस का तसद्दुद किसी भी अकाली को मैदान से नही भगा सका। कुछ अकाली इस मार पीट के कारण मूर्छित हो गये। कुछ के सिर फूट गये। कुछ के जिस्मो पर जख्म आये। परन्तु वे वही मार खाते रहे गिरते रहे और बेहोश होते रहे। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार १८ अकाली घायल और जख्मी हुए। लेकिन कोई भी गम्भीर केस नही था।[2]

इस दिन के बाद गुरु के बाग म और गुरू के बाग को जाने वाली सड़का के रास्ते म आम मुसाफिरा की अकालियो की तथा दर्शका की बेरहमी से मार पीट शुरू हो गयी—ऐसी बेरहमी से मार पीट जो अंग्रेज हाकिमा के तमाम जुल्मो और अत्याचारा को मात देने वाली थी और भारत के इतिहास म पहले कही नही देखी गयी थी। यह मार पीट अकालियो मुसाफिरा और दर्शका तक ही सीमित नही थी। खेतो म काम करने वाले और नजदीक के देहात के लोग भी इन जुल्म से नही बचे। खेता की उजाडी और मौता के जरिये उन्हें भी इस तहरीक मे हिस्सेदार बनाया गया।

५ जुल्म, तसद्दुद और मौतें

सहसरे, धुक्केवाली लागरी नगर जगदेव कला आदि गाव गुरू के बाग के चारा तरफ आबाद हैं। ये गाव—अफसरा से छिप कर—रात म गुरू के बाग म रसद पहुचाते थे। फलत इन गावा को सजाया का खास तौर पर शिकार होना पड़ा।

१ उगरत ही ३१ ८ २२ अकाली लहर मे दर्शाया म गडगज्ज अकाली जत्थे की सख्या १३० लिखी गयी है

२ पी बुड रॉबिनस सीनियर असिस्टेंट सक्रेटरी पजाब गवनमट, १ सितम्बर १९२२

इन दिनों इस इलाके में एक "दुरली जत्था" कायम हो गया था, जो बहती लाहौर ब्राच नहर पार करके, इधर उधर से छिप कर, या पुलिस का मुकाबला करके, गुरुद्वारे के अंदर रसद पहुंचाता था। इन देहातों में पुलिस मार-पीट भी करती थी, लेकिन ये लोग पुलिस की कोई खास परवाह नहीं करते थे। यह दुरली जत्था, न तो बब्बर अकालियों की तरह खूने तसद्दुद का हामी था और न ही अकालियों की तरह पूर्ण शांति का। ये एक तरह के आजाद मिस वालन्टियर थे, जिनका काम गुरुद्वारे को रसद और अकालियों को दूसरी जरूरी मदद पहुंचाने तक सीमित था।

सहसरे में पुलिस ने छापे मार कर कई बार स्त्रियों और मर्दों को डराया धमकाया और बुरा भला कहा। सहसरा कलां के एक आदमी की पीठ पर लाठियों के २४ निशान नजर आते थे। १४ निशान उसके गुप्त अंगों पर थे। एक और आदमी ने १८ निशान दिखाये थे, और एक तीसरे ने २१ निशान। इसी तरह अन्य देहातों में भी पुलिस अत्याचार कर रही थी तथा अंग्रेज कानून की मिट्टी पलीद कर रही थी। इर्द गिर्द के गांवों में, खास कर अकाली गांवों में कानून का राज नहीं—दहशत और ला कानूनी का राज था।

लेकिन सबसे बड़ा जुल्म पुलिस ने तेडाखुर्द नामक गांव के एक किसान परिवार पर किया। इस गांव के सरदार भगत सिंह और उनके दो पुत्र—तारा सिंह और आसा सिंह—अपने खेत में मक्की की निराई कर रहे थे। खेत के नजदीक से एक कुम्हार अपने गधा पर गुरुद्वारे के लिए रसद लेकर गुजरा। किसान अपने काम में व्यस्त थे। पुलिस को शक पैदा हो गया कि रसद भेजने में इनका भी हाथ है। पुलिस ने भगत सिंह से पूछा—ये गधे रसद लेकर कहां से आये हैं? उसने जवाब दिया—हम अपने काम में लगे हुए थे, हमें नहीं पता ये कहां से आये।

बस यह जवाब सुनना था कि पुलिस ने आव देखा न ताव, तीनों को बेतहाशा और अंधाधुंध पीटना शुरू कर दिया। लाठियों के सिरों व ठूंडों के कुंदों और बूटों से उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा गया कि भगत सिंह अगले ही दिन—४ सितम्बर को—शहीद हो गया। चौथे दिन उसका बड़ा लड़का तारा सिंह भी गुजर गया। उसके चाचा ने उसकी लाश लारी में डाल कर अमृतसर में अकालियों के बाग पहुंचायी। उसके जख्म देख कर लोग त्राहि त्राहि करने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि लोगों के जजबात अंग्रेज सरकार के इस जुल्म के खिलाफ और भी तप जायें। आसा सिंह गांव में जख्मी पड़ा था। उसको कार में डाल कर अमृतसर लाया गया। हर तरह की डाक्टरी इमदाद देकर उसे तंदुरुस्त किया गया। १७ सितम्बर को शहीद तारा सिंह की अर्थी का जुलूस निकाला गया, जिसने गुरु के बाग के मोर्चे को और दृढ़ तथा मजबूत कर दिया। इन किसानों की शहीदी ने कई नये अकाली तथा कार्यकर्ता पैदा किये।

६. चारों ओर नाकाबन्दी

स्टेशनों पर पुलिस के गश्त पहरे लगे हुए थे। बाहर से आने वालों की निगरानी की जाती थी। लाहौर, जलधर, लुधियाना वगैरा से अमृतसर आने वाले अकाली जत्थों को रोका जाता था। पर अकाली हर ओर से पैदल— सीधे टेढ़े रास्ते तय करके और पुलिस को चकमा देकर—अमृतसर और गुरु के बाग में धड़ाधड़ आ रहे थे। सरकार की संगठनात्मक मशीनरी उनको रोकने में असमर्थ थी और अमृतसर में कई अकाली लोग अपने लीडरों के पास जाकर लगातार रोष प्रकट कर रहे थे कि उन्हें जत्था में शामिल करके क्यों नहीं भेजा जा रहा हर दफा उन्हें पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है, उन्हें बताया जाय कि उनकी बारी कब आयेगी।

अकाल तख्त और गुरु के बाग (अमृतसर) में सुबह शाम हर रोज दो जलसे होते थे। इनमें गवर्नमेंट के जुल्म और अत्याचार तथा जत्थे की शान्तिमय बहादुरी के हालात बताये जाते थे। गवर्नमेंट अब अकालियों को गुरू के बाग पहुंचने ही नहीं देती थी। वह कभी उन्हें गुमटाले पुल पर मारने-पीटने लगती, कभी राजासांसी के अड्डे के नजदीक और कभी छीनिया के पुल के पास। मार पीट के वक्त जगत का कानून लागू हो जाता था। मारने या न मारने वाली जगह को कोई नहीं देखता था। लाठी चलाने वाले पुलिसमैन, मकफसन का लाठी चलाने का कोर्स[1] पढ़ा कर और लाठी चलाने का अभ्यास करा कर लाये गये थे।, डी एस पी बीटी उनका इन्चाज था। ये पुलिस वाले सरकारी मशीनरी के इस किस्म के वहिस और बेरहम पुर्जे बन चुके थे कि मनुष्यता के सारे अच्छे गुण उनके दिलों से गायब हो चुके थे या मर चुके थे। वे उन जगहों पर चोटें मारने में खास खुशी हासिल करते थे जहां चोटें सख्त दुखदायी, तड़पाने वाली और सहनशक्ति से बाहर होती हैं।

२६ अगस्त से गवर्नमेंट ने अकाली जत्थों को तोड़ने के लिए मार-पीट की नयी नीति अपनायी। आम लोगों को धोखा देने के लिए अखबारों और सरकारी एलानों में "कम से कम जरूरी ताकत" के इस्तेमाल की हिदायत की गयी बतायी जाती थी। पर असल में 'कम से कम जरूरी ताकत' के अर्थ थे ज्यादा से ज्यादा जरूरी ताकत" जो उस दिन तो मौत का कारण न बन सके— बाद में मौत हो जाय तो कोई परवाह नहीं। पुलिस इन्चाज बीटी को डी सी डनेट से उपरोक्त हिदायतें मिली हुई थीं और वह खुद भी बेरहमी और पशु

१ मैकफर्सन तथा इलफोर्ड डेरिक द्वारा लिखित, दि लाठी एंड हाउ टू यूज इट, गुरू का बाग कांग्रेस इन्क्वायरी कमेटी एपेंडिक्स थर्ड, पृ ५७

बन बरतन मे कोई कसर छोड़ने वाला अफसर नही था। ३१ अगस्त के बाद यह मार पीट और भी सख्त, हड्डी-पसली तोड़ने तथा सिर फोड़न वाली हो गयी।

हर रोज अमृतसर स कमोबेश १०० अकालियो का जत्था शातिमय रहने की सौगध खाकर गुरु के बाग को माच करता था, हर राज गुरु के बाग के रास्ते म बीटी की पुलिस उन्ह घेराव म ले लेती और उन्ह मार पीट कर जमीन पर लेटा देती थी। जो भी वीर उठता, उसको फिर पीट-पीट कर गिरा दिया जाता। होश आन पर अकाली उठते थे, और पीट पीट कर फिर जमीन पर गिरा दिये जाते थे। इस तरह मार पीट तब तक जारी रहती—जब तक वे बिलकुल ही बेहोश नही हो जाते थ। और, बाद म उन्ह टागा या केशो म पकड कर घसीट घसीट कर जोहड या नहर म गाते दिये जाते थे।

७ डरावे और धमकिया

पहले दिन ही एक अग्रेज अफसर ने जत्थे वालो को भयभीत करने के लिए कहा था—एक एक कर के वापस चले जाओ, नही ता मारे जाओगे। लेकिन वे तो आय ही थे जीवन अपण करने के लिए—वापस जाने के लिए नही। उनमे से एक भी वापस जाने को तयार नही हुआ। जब वे अधमरे हो जाते बेहरकत और बहोश हो जाते, तब पुलिस के कहने पर उन्ह अस्पताल मे ले जाने के लिए उठा उठा कर लारियो मे डाला जाता था। और अगले दिन, लोहा बधी लाठिया स पसलिया घुटने तुड़वाने सिर फड़वाने, गुप्त जगहा पर बूटा के ठुडडे तथा बदूका के कुदे खाने के लिए एक और जत्था आ जाता था।

जा कुछ ऊपर लिखा गया है, वह डॉक्टरा की रिपोर्टों के अनुसार अतिशयोक्ति नही पुनोक्ति भले ही हो—यह हम आगे चल कर देखेंगे। उस वक्त मौके पर लिये गये फोटोग्राफ इस कसाईपन की पुष्टि करते हैं।

एक तरफ गवनमेंट एलान पर एलान निकाल रही थी कि 'कानून तोडने स रोकना और कसूरवारा को सजा देना' गवनमेंट के लिए जरूरी है। अकाली कानून तोड रहे हैं। उन्हाने महत की जमीन से लकडिया काट कर चोरी की है इसलिए उनको सजायें दी जा रही हैं। गवनमेंट कानून विरोधी मजमो को तोडने के लिए कम स कम ताकत का इस्तेमाल कर रही है। जत्थे गवनमेंट और पब्लिक का परेशान करत हैं। इसलिए इनको तितर बितर करना गवनमेंट का फज है। गवनमेंट निजी जायदाद की रक्षा हर सूरत म करेगी, वगरा।

दूसरी तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी लगर के लिए लकडिया काटने का हक बहाल रखने पर जोर दे रही थी। निजी जायदाद की रक्षा की बात तो

राजासासी के अड्डे पर आम सवारियां तांगा में बैठने और चढ़ने के लिए आती थी। भाई चचल सिंह—कपड़े के एक सौदागर—अपने भाई और कुटुम्ब की एक स्त्री के साथ गुरू के बाग जाने के लिए अड्डे पर उतरे। पुलिस ने उनके साथ गाली-गलौज की और एक ताजे काटे हुए डंडे से उन्हें पीटा। उनका भाई तांगे में बैठा, तो उसको भी बेना से पीटा गया। उनको और उनके भाई को थप्पड़ मारे गये तथा जब उनका भाई अपनी साइकिल लेने गया तो उसे फिर पीटा गया। उन्होंने जांच कमेटी के सामने इस विषय मे गवाही दी और मेडिकल सर्टीफिकेट पेश किया। भाई चेत सिंह राजासासी ने बयान दिया कि उनकी दूकान पर कपड़ा लेने के लिए जो भी अकाली बढ़े थे, उन्हें इसलिए पीटा गया कि उन्होंने सिर पर काली पगड़िया बांध रखी थी। उन्होंने यह भी बताया कि मिस्टर बीटी और सर्किल इन्स्पेक्टर अकरमअली खां ने सिंह सभा के सेक्रेटरी हरनाम सिंह को पकड़ लिया तथा चार और व्यक्तियों को भी पकड़ लिया। उनको अड्डे के रास्ते में पीटा गया फिर अड्डे पर दुबारा चाबुक से पीटा गया और इतना पीटा गया कि पाचों ही बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़े।[1]

१० दर्शकों की दुर्गति

सिर्फ अकाली जत्था को ही बेतहाशा और अंधाधुंध नहीं मारा पीटा जाता था। दर्शकों को भी पीटा और लूटा जाता था। दर्शकों के पीछे दौड़ कर उन्हें पकड़ लिया जाता और उनकी तलाशी लेकर लूट लिया जाता था। उपरोक्त कथन की भरपूर तसदीक केंद्र के सी आइ डी अफसर भगवानदास द्वारा होती है। दर्शकों की इस मार पीट और लूट में किसी बड़े छोटे का गरीब और अमीर का सरकारी परमिट वाले या गैर परमिट वाले का कोई लिहाज नहीं किया जाता था। रिपोर्ट बहुत बड़ी है। हम सिर्फ कुछ घटनाएं ही पाठकों के सामने रखेंगे।

४ सितम्बर को सबेरे के वक्त चीफ खालसा दीवान की मुल्तवी हुई मीटिंग होनी थी। स. जोगेन्द्र सिंह के शिमले से आने का इन्तजार था। उनके आने पर फैसला किया गया कि मोर्चे के मौके पर जा कर तमाम हालात देखे जायें। राजासासी से कुछ दूर, राजासासी और अमृतसर से आये दर्शक जत्थे की मार पिटाई और उसके तितर बितर किये जाने की घटना देखने के लिए खड़े हो गये। पुलिस ने इन दर्शकों को भी तितर बितर करने का फैसला कर लिया। इनमें ही चीफ खालसा दीवान के मेम्बर खड़े थे। उनसे भी

१ उपरोक्त सब नगर कांग्रेस की जांच कमेटी की रिपोर्ट से लिये गये है—लेखक

गुरुद्वारा गुरु का बाग

पथक प्रबन्ध में लाने के लिए पथ की ओर से की गई कुरबानियों का एक दृश्य। यहा अग्रेजी सरकार की ओर से शान्तमई जत्थो को लाठिया मार कर तथा घोडो के नीचे रौंदा जाता रहा। (SGPC)

पीछे हट जाने क लिए कहा गया। पुलिस ने यह हुक्म ताकत के इस्तेमाल स लागू किया और वह कई ग्रुपा और व्यक्तिया के पीछे गोडी। सोटियो का इस्तेमाल किया गया और कुछ को बुरा भला भी कहा गया। आम शिकायत यह थी कि यह सब कुछ बिना इरादे के नही हुआ। इस मौके पर लूटने के भी इल्जाम लगाये गये। इनमे से कुछ ये है

मास्टर तारा सिंह हेडमास्टर खालसा कॉलिजियेट स्कूल, का एक मूजी के खेत मे फेंक दिया गया। उनके कपडे खराब हो गये। उनकी सोने के फ्रेम वाली ऐनक छीन ली गयी और एक रूमाल से छ-सात रुपये निकाल लिये गये। एक हिंदू के काना की मुरकिया खीच ली गयी कानो से खून बहने लगा। एक और आदमी का कुरता फाड कर सोने के बटन उतार लिये गये। एक मुसलमान की आधी जकेट ही फाड कर पुलिस वाले ले गय, जिसमे एक घडी थी और नकद रुपये थे। एक आदमी की वासनी (वह लम्बी पतली थैली जिसमे रुपये रखे जाते थे और जो कमर म लपेटी जाती थी) ही वे छीन कर ले गये, जिसम ढाई-तीन सौ रुपये थे, वगरा। ये खबरें मुझे उन दो आदमियो न दी हैं जो सरकार के वफादार और कानून के अधीन चलने वाले हैं। मुझे उनकी सचाई पर कोई सदेह नही। वे यह भी कहते हैं कि उन्होंने पुलिस वाला को इज्जतदार आदमियो के पीछे लगते और उन्ह लूटते अपनी आखा मे देखा है। पुलिस का रवया गर-जरूरी तौर पर—जानबूझ कर—गुस्ताखी भरा और बेरहमी का था।

इन लोगो के नाम कुछ अखबार वाला और श्रोमणि कमेटी ने भी हासिल कर लिये थे ताकि अखबारा म दिये जायें। डी एम पी बीटी के पास भी इस लूट की शिकायतें की गयी थी और उसम तलाशी लेने के लिए कहा गया था। पर उसने शिकायत करने वाला के सामने तलाशी लेन से इनकार कर दिया। यह भी कहा जाता है कि बीटी स जोगन्द्र सिंह के साथ बडी गुस्ताखी स पेश आया था और उसने सरदार जी को हुक्म दिया था कि जहा पर खडे हो, वहा से पीछे हट जाओ। इन घटनाओ की सूचना श्रोमणि कमेटी खुले तौर पर अखबारा को दे रही है पर स जोगन्द्र सिंह खुद अखबारो को कुछ नही भेज रह।'

इसके बाद चीफ खालसा दीवान पार्टी और स जोगन्द्र सिंह गुरू के बाग म गय और उन्होंने पाच-पाच अकालियो के पाच जत्था और पुलिस के दरम्यान सघर्ष देखा। एक आदमी ताकत के इस्तेमाल का वहशी बता रहा था। कुछ और कह रहे थे कि इस्तेमाल की गयी ताकत अत्यधिक नही। लेकिन दोनो इस पर सहमत थे कि अकालियो की गुप्त जगहा पर लाठियो से चोटें मारी

जो गवर्नमेंट लगानी थी और कहते थे कि तुम काग्रेसी नीति वाना के हाथो म खेल रहे हो।

मालवीय जी, उदारवादी होते हुए भी, अकाली लहर की मदद पूरा जोर लगा कर कर रहे थे। उन्होंने खुद स जोगेन्द्र सिंह के साथ यह बात की थी कि वह जाकर वायसराय से कह कि अकालिया पर किया जा रहा लाठी का हरेक वार हिन्दुस्तान म ब्रिटिश राज की जडा पर लाठी का वार है। य दीवान वाले तो इतने सत्कारहीन हो चुके थे कि अपने मम्बरा की बेइज्जती के बारे म भी जुबान खोलने के लिए तैयार नही थे। ज्यो ज्या इनकी सरदारी की दुनिया मर रही थी त्या त्या इनकी ताबेदारी और वफादारी की आवाज ऊची होती जा रही थी। खुद शक्तिशाली अग्रेज गवनमेंट के पैर भी डगमगाने लग थे। पर ये लोग अपने निजी दलगत स्वार्थों मे अघे हो रहे थ और बदले हुए हालात से आखें मीच कर बैठे थे।

११ गवनमेंट मे घबराहट

हिन्दुस्तानी अखबारा ने पुलिस-आतक, जार-जबर और अत्याचार के सच्चे हालात देख कर ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्स और नफरत का ज्वार पदा कर दिया। सारे हिन्दुस्तान के समझबूझ वाले, इसाफ पसद और राजकीय झुकाव वाल लोगा म अकाली तहरीक के लिए अपार हमदर्दी पदा हो गयी तथा हर तरफ अकालियो की बहादुरी और वीरता की चर्चा होने लगी। इस समय सिफ यही तहरीक ब्रिटिश साम्राज्य के साथ लोहा ले रही थी। काग्रेस और खिलाफत के रहनुमा इसकी हमदर्दी और ब्रिटिश राज के जुल्मो की निदा के प्रस्ताव पास कर रह थे। अकालिया की शातिमय अहिसा-वादी लडाई न सत्याग्रह की अथाह शक्ति का इजहार कर दिया था। शातिमय अकाली सग्राम ने अग्रेज राज के साथ जबदस्त टक्कर लेकर सिखा के अग्रेजा के हथियारबद बाजू और जो हुजूर होने के रहे सह काले धब्बा को भी धो डाला था। अकाली लहर अपना की नजर म ही नही दुश्मना—खास कर उच्चतम अफसरा—की नजर मे भी रोज ब रोज तरक्की करती जा रही थी। आइए, अब सरकारी मिसलो मे से वायसराय गवनर और अफसरा की अफरा तफरी तथा उनके फसला के निरथक होने का अध्ययन करें।

२ सितम्बर तक गवनमेंट समझती थी कि वह मार पीट म सफलता प्राप्त कर रही है और अकाली तहरीक को कुचल देन मे ज्यादा दिन नही लगेंगे। इस तारीख को वायसरीगल लाज म एक शिखर कान्फ्रेंस हुई। इसकी प्रधानता वायसराय ने की। इसमे गवनर मक्लेगन सर जॉन मेनार्ड, स सुदर सिंह मजीठिया, मिया फजल हुसन, श्री हरकिशन लाल, मि क्रेक, सर मैलकम हेली,

गयी है—डंडा लाठी और डंडा से मार मारी गयी है तथा अकालियों के केश भी नोचे गये हैं।

चीफ खालसा दीवान की पार्टी जब गुरु के बाग में थी, तो उसने पास लहगरा गुरुद्वारे (गुरु के बाग से एक मील से भी कम की दूरी पर स्थित) के बाशिन्दों ने अपने जिस्मों पर लाठियों के निशान दिखाये। उन्होंने बताया कि गश्त पार्टी उनके गांव में जा घुसी। उनको पीटा। गांव वालों और उनकी औरतों को इस आधार पर बुरा भला कहा कि तुम सब अकालियों के साथ हमदर्दी रखते हो तथा उनको खाना पहुंचाते हो। लेकिन चीफ खालसा दीवान पार्टी ने ये बातें एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल दीं।

उस दिन एक सौ एक अकालियों का गुरदासपुर का जत्था, भाई खड़क सिंह की जत्थेदारी में पहुंचा। जत्थे को पहले हमला की गयी जगह पर खड़ा कर दिया गया। चीफ खालसा दीवान की पार्टी भी वहां पहुंच गयी। पं मदन मोहन मालवीय जी भी उस दिन आज्ञा पत्र लेकर आये हुए थे। वह भी गुरु के बाग से वापस आकर जत्थे वाली जगह पर पहुंच गये। उनके साथ प्रो रुचि राम साहनी और गुरबख्श सिंह दिल्ली वाले थे। पंडित जी कहते थे कि मि बीटी ने वादा किया है कि वह उस दिन ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा और अकालियों से अमृतसर वापस चले जाने की अपील करेगा। उसने पंडित जी और उनके साथियों से वापस चले जाने के लिए कहा। बाद के हालात यह बताते हैं कि अकालियों को, वापस जाने से इनकार करने पर, बड़ी बेरहमी से पीटा गया और इसके बाद उन्हें मोटर लारियों में लाद-लाद कर अमृतसर ले जाया गया। पुलिस के दाव-पेंचों में यह तब्दीली इस साजिश के अन्तर्गत की गयी थी कि न तो कोई तमाशबीन मार-पीट देख सके और न ही कोई फोटोग्राफर उस घटना की फोटो ले सके। अकालियों को लारियों में डाल कर उस वक्त लाया जाता, जब लोग घरों में चले गये होते।[1]

इसी रिपोर्ट में चीफ खालसा दीवान के लीडरों की ब्रिटिश वफादारी की बहुत सारी सामग्री है। ये श्रीमान लोग चार और पांच सितम्बर को शिरोमणि कमेटी को "अत्यधिक" तथा 'कानूनहीन' दाव पेचों से रोकने के लिये गये और बेइज्जती भरा समझौता करने की बातें करते रहे। शिरोमणि कमेटी के रहनुमाओं ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें इन पर बिल्कुल कोई विश्वास नहीं क्योंकि ये लोग शिरोमणि कमेटी पर वे ही इल्जाम लगा रहे थे

१ नोटस इन दि इंटेलीजेंस ब्यूरो होम डी एस भगवानदास की गुरु के बाग के मामले पर रिपोर्ट १० सितम्बर १९२२

जो गवर्नमेंट लगाती थी और कहते थे कि तुम कांग्रेसी नीति वालो के हाथो म खेल रह हो।

मालवीय जी, उदारवादी होते हुए भी, अकाली लहर की मदद पूरा जोर लगा कर कर रहे थे। उन्होंने खुद स जोगन्द्र सिंह के साथ यह बात की थी कि वह जाकर वायसराय से कह कि अकालिया पर किया जा रहा लाठी का हरेक वार हिंदुस्तान म ब्रिटिश राज की जडा पर लाठी का वार है। ये दीवान वाले तो इतने सत्कारहीन हो चुके थे कि अपने मेम्बरा की बइज्जती के बारे मे भी जुबान खोलने के लिए तैयार नही थे। ज्या ज्यो इनकी सरदारी की दुनिया मर रही थी, त्यो त्यो इनकी ताबेदारी और वफादारी की आवाज ऊची होती जा रही थी। खुद शक्तिशाली अंग्रेज गवनमेंट के पैर भी डगमगाने लगे थे। पर य लाग अपने निजी दलगत स्वार्थों मे अधे हो रह थे और बदले हुए हालात से आखें मीच कर बैठे थे।

११ गवर्नमेन्ट मे घबराहट

हिंदुस्तानी अखबारा न पुलिस-आतक जोर-जबर और अत्याचार के सच्चे हालात देख कर ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्स और नफरत का ज्वार पदा कर दिया। सारे हिंदुस्तान के समभदार वाले, इन्साफ पसद और राजकीय भुकाव वाले लोगा म अकाली तहरीक के लिए अपार हमदर्दी पदा हो गयी तथा हर तरफ अकालियो की बहादुरी और वीरता की चर्चा होने लगी। इस समय सिफ यही तहरीक ब्रिटिश साम्राज्य के साथ लोहा ले रही थी। कांग्रेस और खिलाफत के रहनुमा इसकी हमदर्दी और ब्रिटिश राज के जुल्मा की निंदा के प्रस्ताव पास कर रह थे। अकालिया की शातिमय अहिंसा-वादी लडाई न सत्याग्रह की अथाह शक्ति का इजहार कर दिया था। शातिमय अकाली सग्राम ने अंग्रेज राज के साथ जबदस्त टक्कर लेकर सिखा के अंग्रेजा के हथियारबद बाजू और जी हुजूर हाने के रह सह वाले धब्बा को भी धो डाला था। अकाली लहर, अपना की नजर म ही नही, दुश्मनो—खास कर उच्चतम अफसरा—की नजर म भी रोज ब राज तरक्की करती जा रही थी। आइए अब सरकारी मिसला म से वायसराय गवनर और अफसरा की अफरा तफरी तथा उनके फैसला के निरथक हाने का अध्ययन करें।

२ सितम्बर तक गवनमेंट समभती थी कि वह मार-पीट म सफलता प्राप्त कर रही है और अकाली तहरीक को कुचल दन मे ज्यादा दिन नही लगेंगे। इस तारीख का वायसरीगल लाज म एक खिफर कार्फ्रेंस हुई। इसकी प्रधानता वायसराय न की। इसम गवनर मैक्लेगन सर जॉन मेनाड स सुदर सिंह मजीठिया, मिया फजल हुसन, श्री हरकिशन लाल, मि मेक सर मैलकम हली,

दो गम्र और डब्ल्यू एन सिगट ने हिस्सा लिया। एक हा फमला जिस पर वे पहुचे यह था कि अकालियो को दूसरा की जायदाद पर कब्जा करने स रोका जाय और कानून बनाने म जल्दी की जाय।' यह अकाली जत्थो की मार-पीट कर गिरफ्तार करके की पालिसी की तसदीक करता था। स गुन्दर सिंह जो इस पालिसी म सो की नहीं सहमत थ।

५ सितम्बर को सि मैक ने सि टाट—डी सा—को एक चिट्ठी लिखी जिसम कहा म ने गवनर क साथ मशविरा किया है उनका विचार है कि शामणि कमेटी के साथ समझौते की बातचीत के दौरान कदम के लिए खास शर्तों के बारे म जिक्र करना गैर-जरूरी है और इस बातचीत के बारे म कुछ भी यहा या लन्दन म जाहिर करना वक्त स पहले होगा।' मतलब यह कि सरकार इस वक्त सख्ती और मजबूती की पालीसी अपना रही थी।

१२ अत्यधिक आतक

५ सितम्बर को लायलपुर के एक सौ सिहो का जत्था गुरु के बाग को जा रहा था। इस जत्थे की अगुवाई जत्थेदार पृथ्वीपाल सिंह कर रहे थे। इसको पुलिस ने छीनिया के पुल पर घेर लिया और पिटायी शुरू कर दी। इस जत्थे म ज्यादातर सिख—पन्शनिया और इनाम तथा मुरब्बे वालो के पुत्र और रिश्तेदार थे। जत्थेदार खुद सूबेदार निहाल सिंह का पुत्र था और उप-जत्थेदार नादर सिंह सूबेदार ईश्वर सिंह का पुत्र। इस जत्थे की मार पिटायी की रहनुमाई एक अग्रेज अफसर ने की। वह खुद अपने हाथ से जत्थे के ऊपर लाठिया बरसा रहा था और पुलिस वालो को चुनौतिया दे दे कर पीटने के लिए जोर दे रहा था। जत्थेदार पृथ्वीपाल सिंह को जिस बेरहमी और बेदर्दी के साथ पीटा गया उसकी कहानी डॉक्टरो की जुबानी सुनिए।

यह जत्थेदार बडा मजबूत जवान था। इसको ६ ७ पुलिसमैनो ने मिल कर गिराया और उसकी छाती पर चढ कर उसकी पिटायी की। वह सात बार जमीन से उठा और हर दफा उसको पुलिस के लट्ठबाजो ने पीट पीट कर मौत के किनारे धकेल दिया। जिस वक्त वह बेहोश हो गया और बिलकुल ही हिलने डुलने लायक न रहा उस समय वह दूसरे जख्मियो के साथ एम्बुलेंस गाडी म डाल कर अमृतसर ले जाया गया। वह अकालियो के बाग म कइ दिन तक मूर्छित पडा रहा। डाक्टरो ने अपने मुआयने म उसके जख्मो का ब्यौरा इस प्रकार दिया

१ डब्ल्यू एच विन्सेट ४ ६ २२
२ एच डी क्रेक का टनेट को अर्ध-सरकारी पत्र, ५ सितम्बर १६२२

माथे पर लाठी की चोट का तीन इच लम्बा, दो इच चौडा निशान, कूल्हे के नीचे लहूलुहान दो इच लम्बा, चौथाई इच चौडा, चौथाई इच गहरा जख्म, ठोडी पर दो इच लम्बा, एक इच चौडा, आधा इच गहरा जख्म, गर्दन के पिछली तरफ बडी जबदस्त चोट, इसी किस्म की एक सख्त चाट दायें कान के नीचे, जिसके कारण दो इच लम्बी, डेढ इच चौडी सूजन हो गयी। दायें और बायें कधो पर लाठियों की चोटें। लाठी की चाट के तीन इच लम्बे, दो इच चौडे, बायें बाजू पर निशान, लाठी का निशान दाहिनी बाह पर, बडी सख्त चोट कनिष्ठ उगली और बीच की उगली पर—दाना ही उगलिया उतर गयी, कधे के पीछे की तरफ सख्त चाट—६ इच लम्बी और ४ इच चौडी, दाहिने कूल्हे पर ६ इच लम्बा ४ इच चौडा और ४ इच गहरा जख्म, बायें कूल्हे पर ६ इच लम्बी और ५ इच चौडी सख्त चोट, दाहिनी जाघ पर ६ इच लम्बी, ४ इच चौडी सख्त चाट, बायी जाघ पर ५ इच लम्बी, ३ इच चौडी सख्त चाट दोनो टागो पर आगे और पीछे ४ इच लम्बी, ३ इच चौडी चोटें और बायें पैर के पजे पर सख्त चोट।[1]

पृथ्वीपाल सिंह के जख्म बडे गहरे, गुप्त और खतरनाक थे। वह कभी तदुरुस्त हो जाता कभी फिर बीमार हो जाता। आखीर म २ अप्रैल १९२४ को गुरु रामदास अस्पताल मे उसका देहात हो गया और वह अग्रेज राज की सस्कृति को हमेशा के लिए धिक्कार गया।

७ सितम्बर को भगवानदास सी आई डी न एक रिपोट दी कि मार-पीट निरथक साबित हुई है और फैसला किया गया है कि यह बद की जाय, मि टालिटन आज अमृतसर जा रहा है ताकि हालात के साथ निबटने के लिए और वसीले ढूढे जायें।[2] पर यह फैसला मार पिटायी एकदम बद कर देने का नही था। यह हकीकत अमृतसर के डी सी डनेट के एक प्रेस वक्तव्य ने बिलकुल स्पष्ट कर दी पजाब सरकार म मशविरे के बाद फसला किया गया है कि अमृतसर अजनाला सडक और गुरु के बाग का जाने वाले अकाली जत्था को खडा करने और ताकत के इस्तेमाल स तितर बितर करन के अमली काम को बद कर दिया जाय। पर गवनमेंट ने महन्त की रक्षा की पालिसी नही छोडी है। अमन और कानून की रक्षा के लिए हमारे पास काफी (पुलिस और फौज की) ताकतें हैं।[3]

इसलिए यह मार पिटायी गुरु के बाग म और दूसरे रास्ता पर जारी

१ अकाली ते प्रदेसी, ४ नवम्बर १९२२
२ एच बी की हेयर, सेक्रेटारियट ९ ९ १९२२
३ एच डी फेक, १० सितम्बर १९२२

रही। यह कम्म सरकार ने श्रामणि कमगी के गवनमट के जबर के खिलाफ असरदार प्रचार को रोकन म लिए उठाया था।

१३ पादरी एड्रूज की प्रोटेस्ट

१२ सितम्बर को पादरी सी एफ एड्रूज गुरु के बाग मे पहुच ताकि वह अपनी आखो स मार पीट देख सकें। उन्होंने इस मार पीट की ददनाक घटनाओ के बारे म अखबारो मे दो लेख भजे। य लेख बड भावुक और करुणामय थ तथा एड्रूज के करुण हृदय की गहराइया स निकले थ। ये लेख मार-पीट की सही तस्वीर पश करत थ। पादरी साहब लिखते हैं

'यह वह नजारा था जो मैं फिर कभी भी नहीं देखना चाहूगा—नजारा, जो किसी अग्रेज के विश्वास करन के काबिल नहा। काली पगडिया वाले चार अकाली सिख एक दजन पुलिसमैनो और दो अग्रेज अफसरो के सामने खडे थ। वे पूरी तौर पर अडिग थ और अपनी जगह पर चुपचाप खडे थे। उनके हाथ प्राथना म जुडे हुए थे। तभी, उनकी तरफ से रत्ती भर भी भडकावे के बिना एक अग्रेज न पीतलजद लाठी का सिरा पूरे जोर के साथ मारा।' उसन यह सिरा इस तरीके स जार के साथ मारा कि उसकी मूठ, अकाली सिख के, जो प्राथना कर रहा था, बडे जोर के साथ ठीक गले की हसली पर लगी। यह अत्यत कायरतापूण चोट दिखायी देती थी। जब मने यह चोट लगती देखी तो मुझे अपने आपको काबू मे रखने म अत्यधिक कठिनाई हुई। बाकी अकाली बडी जल्दी ही लाठिया से मार मार कर जमीन पर बिछा दिये गय।'

एड्रूज इससे आगे लिखते हैं इस मौके और इसके बाद के मौका पर पुलिस ने कुछ इस किस्म की कारवाइया की जो अत्यत वहशियाना थी। मने अपनी आखा से इन पुलिसमना म से एक को एक सिख के पट म ठुड्डा मारत हुए देखा जा बे-आसरा उसके आग खडा था। यह ठुड्डा इतना नियमहीन (फाउल) था कि मैं अपने आपको जोर से चिल्लान और आग भाग कर जान स रोक न सका। पर इसके बाद मैंने एक और कुकृत्य देखा जो पहले स भी ज्यादा 'फाउल था। उन्होन एक अकाली सिख को उठा कर जमीन पर धडाम से दे मारा। वह औधा पडा हुआ था। पुलिस के सिपाही न अपना पूरा जोर डाल कर उसको लाता से रौंदना शुरू किया। वह अपने पर औंधे पडे आदमी के गल और कधो के दरम्यान जोर-जोर से मार रहा था। तीसरी चाट लगभग एसी ही 'फाउल थी। यह चाट एक अकाली को, जा अपने गिरे हुए साथी के पास खडा था मारी गयी। इस चोट न उसको अपने गिरे हुए साथी के, जो बेहोश पडा था उस पार फेंक दिया—उस वक्त जब वह दो व्यक्तियो द्वारा उठा कर एम्बुलेंस गाडी म रखा जा रहा था। इस किस्म के प्रहार का मकसद

कितना वहशियाना और ढीठतापूर्ण था ! मैं कमान वाले अंग्रेज की तरफ देखता रहा कि अब वह इस पर और इसी किस्म के दूसरे केसो की हालत मे, उस पुलिस सिपाही को, जिसने यह काय किया था, ताडना देगा । पर जहा तक मैं देख सका, उसने न तो अपने आदमियो को रोकने के लिए ही कुछ कहा और न ही ताडना दी । मैंने जो कुछ देखा था, वह गवनर को और हरेक अफसर को—जिनसे मैं अगले दिन मिला—बता दिया ।"

इस नेक पादरी की जबान म बडा रस था । वह सच्ची बात कहने से नही हिचकता था । उसने उन फौजियो के आकडे दिये थे, जो जत्थो म शामिल होते थे और पिछले विश्व युद्ध म हिस्सा ले चुके थे । उसके हिसाब के मुताबिक तीन अकालिया म से एक फौजी सिरा मोर्चे म जाता था ।

मार-पीट का बद कराने म गवनर के साथ पादरी एड्रूज की बातचीत का भी असर पडा ।[1] उसके लेखो का लोगा पर यह प्रभाव पडा कि सारे अंग्रेज, हुक्मरान अंग्रेजा जैसे नही थे । गैर हाकिमो मे अच्छे अंग्रेज भी थे ।

१४ मार-पीट बद नया फैसला

जत्थों की मार पीट जारी थी । १३ सितम्बर को गवनर और उसकी एक्जेक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर अमृतसर पहुचे और बाद मे गुरू के बाग गये । उसी दिन, वापस लौटने पर, गवनमेंट के मेम्बरा और मुकामी अफसरा की एक कान्फ्रेंस हुई । इसमे फैसला लिया गया कि मार पीट बद की जाय और गुरू के बाग म प्रवेश करने वालो का ताकत का इस्तेमाल करके भगाया न जाय । काटेदार तार का दरवाजा लगा कर बाग का रास्ता बद किया जाय और अकाली अन्दर घुसें तो उन्हे पकड लिया जाय ।

फसला किया गया कि गुरद्वारा वित प्रकाशित कर दिया जाय । मार-पीट क्यो बद की गयी ? इसका जवाब खुद सरकारी मिसला म दज है ।

"इस बात म कोई शक नहीं कि उन जरमा के कारण स्थिति धुधली हो गयी है जो अकालिया को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वास्तविक तौर पर उनके शरीरो पर किये है । इसम शक नही कि मार पीट की इन कहानिया और जख्मो के दृश्य ने वफादार और नम ख्याल सिखा तथा दूसरे लोगा के दिल मे—जिनकी आम तौर पर अकाली तहरीक के साथ हमदर्दी नही थी—अकालिया की हमदर्दी मे बडा जोश पैदा कर दिया है ।"

इस फैसले का तात्पय इसस ज्यादा कुछ नही था कि गवनमेंट ने दाव पेंचा मे तब्दीली कर ली है । कारण यह कि—"अनगिनत काग्रेसी और खिलाफती

[1] प्रो रुचिराम साहनी, स्ट्रगल फॉर रिफाम इन सिख शाइन्स

लीडर तथा पत्रकार अमृतसर में आकर जमा हो गये थे। इन्होंने गवर्नमेंट की जबरन गिरफ्तार करने की कारवाई में गिरफ्तार होना करने का अच्छा मौका ढूंढ लिया था और इस मौके का उन्होंने अधिक से अधिक इस्तेमाल किया। बेशक हिंदुस्तानी फौज की सिख इकाइयों में जोश पैदा करने के कुछ यत्न किये गये हैं। यह बात भी देखने में आयी है कि गुरु के बाग जाने वाले जत्थों में फौज में रह चुके लोगों की अच्छी गिनती है।"[1]

इन्हीं कारणों से गवर्नमेंट ने मार-पीट बंद की। गवर्नमेंट के अपने वफादार लोग उसको छोड़ते जा रहे थे। गवर्नमेंट के जन विरोधी कानूनों का अत्याचारी स्वरूप नंगा होने लगा था। जत्थों में बड़े-बड़े साम्राजी मोर्चों में लड़े बहादुर फौजी जाने लग थे। कमेटी की ओर से किन्हीं यत्नों के बगैर ही गुरु के बाग में हुए अत्याचारों का असर कुछ फौजियों पर होने की संभावना पैदा हो गयी थी। इसलिए ब्रिटिश राज के उच्चतम अफसर और हुक्मरान मार-पीट बंद करने के अपने फैसले को आधे रास्ते में ही छोड़ने पर मजबूर हो गये थे। अकाली तहरीक ने उनके रौब-दाब को पैरों तले रौंद दिया था।

पर इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि गवर्नमेंट शिरोमणि कमेटी की मर्जी के अनुसार बिल बना कर समझौता करने के लिए तैयार हो रही थी। नहीं। वह दूसरे किसी अच्छे मौके की तलाश में थी।

गवर्नमेंट ने सिर्फ अपना पैंतरा बदला था, अकाली तहरीक को कुचलने की पालिसी नहीं बदली थी। तमाम केन्द्रीय पंजाब में बड़ी अच्छी वर्षा हो गयी थी। गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि सिख किसान अपने खेतों से अधिक समय तक गैर हाजिर नहीं रह सकते। यही नहीं सरकारी रिपोर्टें यह भी जाहिर करती थीं कि अकाली लोग गुरु के बाग की मुहिम से थक चुके हैं। इसके अलावा शिरोमणि कमेटी के प्रबंधक अमृतसर में एकत्र हुए हजारों सिखों को खाना मुहैया करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वे लोग जो सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए अकालियों के धार्मिक जोश को इस्तेमाल कर रहे थे—मार पीट बंद होने के कारण उन्हें और ज्यादा शोले भड़काने का नया ईंधन नहीं मिलेगा।

यह था अफसरशाही का हास्यास्पद मूल्यांकन। अकाली लहर के बंद होने का भरोसा अब वह वर्षा के कारण अकालियों के अपने-अपने घरों को जाने मुहिम से थक जाने, लंगर के न मिलने पर कर रही थी। इस तरह वह अपने विश्लेषणात्मक दिवालियेपन को ही प्रकट कर रही थी।

●

१ एच डी क्रेक का ओ'डायल को अर्ध सरकारी पत्र, २० सितम्बर २२

अठारहवां अध्याय

मार-पीट के बारे में कांग्रेस की रिपोर्ट

कांग्रेस जांच-कमेटी की रिपोर्ट[1] गुरू के बाग के अद्वितीय शांतिमय मोर्चे का अनूठा इतिहास है। इसने इस मोर्चे की सफलता को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। इस कमेटी के सामने ११० गवाह पेश किये गये थे, जिन्होंने सत्याग्रही अकालियों पर होने वाले जुल्मों और ज्यादतियों वगैरा को अपनी आंखों से देखा था। इन गवाहों में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता थे, खिलाफती नेता और कार्यकर्ता थे तथा नरम-ख्याल और गरम-ख्याल के लोग थे। इनमें कई लोगों की पुलिस के हाथों बेइज्जती और मार-पीट भी हुई थी।

उनके बयानों से कई बातें बहुत उभर कर सामने आती हैं। यहां कुछेक बातें पेश करके मैं यह दुखदायी कांड खत्म करूंगा। पहले दो-तीन पत्रकारों के बयानों के कुछ हिस्से लें। इन्होंने कई जत्थों के साथ मार पीट होती देखी थी

१ पत्रकारों के बयान

'पुलिस ने सिंहों के सिर, पेट, छाती और पीठ पर लाठियां मारीं। मिस्टर बीटी ने तीन आदमियों को ठुड्डे मारे। सख्त मार-पीट के कारण जत्थे के कई सिंह बेहोश हो गये। जो भी आदमी दुबारा उठा, उसको फिर पीटा गया। घुड़सवार सिपाही जत्थे के ऊपर से गुजरे। पुलिस वालों ने जख्मी अकालियों को घसीट कर सड़क के दोनों तरफ फेंक दिया। कुछ आदमियों को होश आ गया। उनको फिर पीट-पीट कर जमीन पर बिछा दिया गया। पुलिस के

१ गुरू के बाग पर कांग्रेस की जांच-कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी के २७ सितम्बर १९२२ के प्रस्ताव के मुताबिक निर्मित की गयी थी। इसके सदस्य थे कांग्रेस के नेता और कानून के विशेषज्ञ एस श्रीनिवास आयंगर, एडवोकेट-जनरल मद्रास (प्रधान) जे एम सेनगुप्ता बरिस्टर कलकत्ता, एम ई स्टोक्स, कोटगढ़ शिमला, मुहम्मद तकी, वकील हाईकोर्ट, दिल्ली, एम वी अभिअंकर बरिस्टर नागपुर, और प्रो रुचिराम साहनी (कमेटी के सेक्रेटरी)

साथ एग आग्गी गोत बनाता था। द्वारा गैन पर वह भी मार पीट म गामिल हो गया। कुछ ये जम्मा स मूरा वह रहा था। उगी समय मालवीय जी वहा पहुच गये। यह जुल्म देख कर उसकी आखा म आसू आ गय। उनके मुख स ये शब्द निकले यहा गतान काम कर रहे हैं।" मार-पीट के बाद पुलिस के सिपाही हस रहे थ। इस दौरान मैं बीटी से मिला। वह मुझस कहन लगा यह आदोलन हिन्दुआ के विरुद्ध है इसलिए किसी हिन्दू को इसके साथ हमदर्दी नही करनी चाहिए। मैंने बीटी का ध्यान दद से कगह रहे एक बूढे की ओर आकर्षित किया। बीटी ने मुझे गाली देकर कहा हम कुछ परवाह नही करेगा। तू एडीटर है या कौन है ? मैं तुझे भी कीचड म फेंक दूगा।'" (गानचन्द रामपाल सपादक बदेमातरम्, लाहौर)।

" मार-पीट बहुत जालिमाना थी। पुलिस वाले अकालिया को सडक पर से पकड कर और घसीट कर रोडों पर फेंक देते। उस जगह सिर्फ रोडे-पत्थर ही नही थे बल्कि काच के टुकडे भी पडे हुए थे। सिख केशो को बडा पवित्र मानते है। अगर किसी सिख को केशा से पकड कर घसीटा जाय, तो वह इसे बहुत बडा अपमान समझता है। मेरी ठोस राय है कि अकालिया का रवया अमन भग करने वाला नहा था। पुलिस का रवैया भडकावा पैदा करने और अमन भग करने वाला था। मैंने पुलिस को लोगा के गुप्त अगा पर लाठिया और ठुड्डे मारते हुए देखा।" (जी ए सुन्दरम सह सम्पादक, इण्डिपेंडेंट, इलाहाबाद)।

" कई बँडे हुए अकालिया को इतना ज्यादा मारा गया था कि वे बेहोश हो गये। मिस्टर लाव अपने कुत्ते के साथ वहा आया। उसका कुत्ता भी अका लियो को काटने के लिए झपटा। बीटी खुद मार पीट मे हिस्सा लेता रहा। एसोशिएटिड प्रेस का प्रतिनिधि मि मलन वहा उस वक्त मौजूद था। उसने कई एक फोटो भी लिय। ये फोटो मैंने खुद देखे थे। मिस्टर बीटी के चेहरे से गुस्सा बरस रहा था। वह हमेशा पजाबी मे गदे शब्द इस्तेमाल करता था। पुलिस वालो के चेहरा से लगता था कि वे बडे जोश मे है—मिस्टर बीटी और पुलिसमैन कई दफा अकालियो के गुप्त अगा पर चोटें मारते थे। लाठी वे दोना हाथा से मारते थे। वे ठुड्डा स भी काम लेते थे। कुछ को वे केश पकड कर घसीटते थे।" (आनन्द नारायण, सहायक एडीटर, ट्रिब्यून, लाहौर)।

१० सितम्बर को अकाली गुरु के बाग मे दीवान कर रहे थे। एक सिख तकरीर कर रहा था। मिस्टर बीटी वहा आया। उसके हाथ म लाठी थी। बन्दूकी वाले पुलिसमैना ने वहा प्रदर्शन भी किया। उस मौके पर दस मजिस्ट्रेट मौजूद थे। बीटी ने लेक्चर देने वाले के मुह पर थप्पड मारा और उसको नीचे गिरा दिया। पुलिस ने लोगा को पीटना शुरू किया। तकरीर करने वाले का

नाम गगा सिंह था। उसको पुलिस बाहर ले गयी और उसकी सख्त पिटायी की। उसके तमाम अगो पर चोटें मारी गयी। उसको घसीट कर एक खाई मे फेंक दिया गया। बाद मे वे उसे कैम्प मे ले गये। दो बार पुलिस वाले अकालियो के जिस्मो पर चढ कर नाचते देखे गय थे। एक ने अकाली की गदन पर टाग रख रखी थी। एक दूसरे पुलिस वाले को मैंने एक अकाली की गदन मरोडते हुए देखा। मिस्टर बीटी आखो के नजदीक भी लाठी मारता था।" (महाशय कृष्ण, सम्पादक, प्रताप लाहौर)।

"मैंने गुरू के बाग की जमीन के सम्बध मे सरकारी कागज देखे हैं। उनसे जाहिर होता है कि यह जमीन श्रोमणि कमेटी के कब्जे मे है। जहा से लकडी काटी जा रही थी वह जगह महत के कब्जे म नही। अमन भग होने का कोई खतरा नही था। पुलिस के अलावा, कोई विरोधी पार्टी अकालियो की राह मे रुकावट नही डाल रही। महतो की आड बना कर सरकार अकाली लहर को दबाना चाहती है, क्योकि वह इस लहर को राथ राजनीतिक लहर समझती है। यह बात सरकारी बयानो, अफसरो तथा कौंसिल के मेम्बरो के साथ बातचीत से जाहिर होती है। मैं टमटम मे बैठा था कि एक पुलिसमैन ने मेरी पीठ मे अचानक एक मुक्का मारा।

"—तुम्हें किस लिए मुक्का मारा गया ?

"—मेरा ख्याल है कि पुलिस वाले लोगा को लूटना चाहते थे, इसलिए सख्ती कर रहे थे।

"—तुम बता सकते हो कि पुलिस ने दशको को क्या गालिया दी ?

"—(१) चले जाओ, तुम्हारी मा की । (२) खडे रहो मादर । (३) जाईना मा सूरा। मेरी राय है कि अकाली अमन को कायम रखते थे और पुलिस बदअमनी फलाती थी।" (अमर सिंह, सम्पादक, लायल गजट, लाहौर)।

कुछ अय अखबारा के सम्पादको ने भी बयान दिये, जो पुलिस अफसर बीटी और उसकी पुलिस टुकडी के वहशियाना जुम और तसद्दुद की तसदीक करते हैं और अकालियो के शातिमय सत्याग्रह की प्रशसा करते नही थकते। इस अध्याय के बहुत लम्बा हो जाने के भय से मैं इन बयानो को बद कर रहा हू। अब मैं आम नागरिको के बयाना से कुछ हिस्से देता हू

सिखो को केश पकड कर घसीटा जाता था और पैरो के नीचे रौंदा जाता था। कई अकालियो की दाढी नोची जाती थी। लौट आकर मैंने एक जख्मी सिख को देखा। उसके जिस्म पर लाठियो के ३५ निशान थे। ये निशान पडित मदनमोहन मालवीय प्रो रुचिराम साहनी और सुजान सिंह वकील ने भी देखे।" (हजूरा सिंह ठेकेदार)। पुलिस अकालियो के सारे शरीर को लाठियो से पीटती

थी—जैसे कुत्तो को पीटा जाता है। मैंने जख्मियो को देखने का प्रयत्न किया, किन्तु बीटी ने मुझे रोक कर कहा 'नतीजे का जिम्मेदार तू होगा।' मैंने अकाली बाग म एक स्त्री का जख्मी देखा। वह २ सितम्बर की पिटाई मे जख्मी हुई थी। वह जख्मियो को दूध पहुचाती थी। उसके पेट और जिस्म पर कई जगहो पर जख्म थे।" (लाला दुनीचन्द बैरिस्टर, लाहौर)।

२ पुलिस की लूट-खसोट

भाई मोहन सिंह वैद तरनतारन, ने अपने बयान मे पुलिस पर वे ही इल्जाम लगाये हैं जिनकी सी आई डी अफसर भगवानदास की रिपोर्ट से भी तसदीक होती है। उनके बयान के मुताबिक पुलिस वालो ने सरदार तारासिंह को नैनो की तरफ धकेल दिया। हम मे स चार पाच आदमियो ने देखा कि दो सिपाहियो ने उनकी गर्दन पकड कर उन्हे नीचे फेंक दिया। एक सिपाही ने छाती पर पैर रखा और उनसे कुछ चीजें छीन ली। पुलिस के आदमी बडी बेरहमी से उन्हें पीट रहे थे। पीछे एक और आदमी आ रहा था। पुलिस वालो ने उसकी जेब म स भी कुछ निकाल लिया और एक पुलिस वाले ने दो चार लाठिया मार कर उसको नीचे गिरा दिया। महत की जायदाद के रखवाले निदहाडे लोगो की जेबो पर डाका डाल रहे थे और बीटी—सरदार जोगेन्द्र सिंह के जोर देने पर भी—उनकी तलाशी लेने को तैयार नही था।

मिस्टर लाब और दो तीन सिपाही हमारे पास आकर कहने लगे जल्दी पीछे हट जाओ। हम म स सरदार बख्तावर सिंह ने कहा मैं पजाब कौसिल का मेम्बर हू। मिस्टर लाब ने जवाब दिया मुझे इस बात की कोई परवाह नही कि तुम कौसिल के मेम्बर हो। (मोहन सिंह वैद)।

अकालियो को इस तरह पीटा जाता था, जैसे पागल कुत्ते को पीटा जाता हो। मैं उस वक्त महात्मा गाधी की प्रशसा करता था। लेकिन मेरा दिल इस कूर दृश्य के विरुद्ध बगावत करता था। मेरी धर्मपत्नी इस मार-पीट के दृश्य को देख तक नहीं सकी। वह उस जगह को छोड कर दूर जा खडी हुई। (रायजादा हसराज, बैरिस्टर)।

मुझे पता है कि जिला जलधर के जैलदारो और नम्बरदारो को हुक्म दिया गया था कि गावों से कोई आदमी अमृतसर न जाने दिया जाय। मुझे पता है कि जिला होशियारपुर के अकालियो को अमृतसर जाने से रोका गया है। मैं यह बता देना चाहता हू कि १ सितम्बर की मार-पीट गोली मारने से भी बदतर था। अकालियो के साथ पशुओ जैसा बरताव किया गया था। (प अमर सिंह वकील)।

मैंने एक जख्मी स्त्री को भी देखा। वह बडी कमजोर आवाज मे बात

करती थी। गुरू के बाग के मामले से निबटने के लिए सरकार ने जो तरीका अख्तियार किया है वह तरीका ठीक नही। किसी की निजी जायदाद बचाने के लिए यह ढग इस्तेमाल करना सरकार के लिए ठीक नही था। अकालियो को गुरु के बाग म रोका जा सकता था, किन्तु रास्ते म रोकने की कोई जरूरत नही थी। (राजा नरेन्द्रनाथ)।

३ डॉक्टरों की रिपोर्ट

मैंने २५ जख्मियो की हालत देखी थी। केस नम्बर १, मूला सिंह सख्त जख्मी था। उसकी जिन्दगी खतरे मे थी। केस नम्बर ३, तारासिंह को १२ जख्म थे। केस नम्बर ४, मोहन सिंह सख्त जख्मी था। केस नम्बर ६, नानक सिंह के पेट, छाती और सिर के पिछली तरफ जख्म थे। दूसरो की तुलना मे जत्थेदार को ज्यादा सख्ती से पीटा जाता था। केस नम्बर ७ शिव सिंह को बहुत गहरे जख्म थे। केस नम्बर ६, सोहन सिंह के शरीर पर चोटो के १५ निशान थे। केस नम्बर १०, काबल सिंह को १४ चोटें और नम्बर १३, उत्तम सिंह की नाक और सारे शरीर पर जख्म थे। हजारा सिंह (नम्बर १६) सख्त जख्मी था। एक हजार से अधिक अकालियो को पुलिस ने पीटा था, जिन्हें मैंने अस्पताल मे देखा। मैंने इसके सबध म खिलाफत कमेटी को रिपोर्ट भेजी। खिलाफत कमेटी का शिरोमणि कमेटी के साथ कोई सबध नही। सरकार यदि जख्मियो की सभाल करती तो खिलाफत कमेटी शायद मुझे इस काम पर न लगाती। (मिर्जा याकूब बेग, एल एम एस, लाहौर)।[1]

कुल जख्मियो की सही सख्या नही मिल सकी। शिरोमणि कमेटी ने ८२६ जख्मियो की—उनके जख्मो सहित—फेहरिस्त छापी थी। डॉक्टर याकूब के ऊपर के बयान के मुताबिक एक हजार से ज्यादा अकालियो को पुलिस ने पीटा था। मगर यह सख्या भी बहुत कम मालूम होती है। गवनमेन्ट ने पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल म मिस्टर गणपतराय (लाहौर) के सवाल के पहले हिस्से के जवाब म कहा था 'सही सख्या असभव है। पर स्थानीय अफ्सरो का अन्दाजा १६५० का है।'[2] इस किस्म के मामलो म अफ्सर सचाई से काम नही लेते थे। मेरा ख्याल है कि जख्मियो की गिनती २,००० से कम नही होगी, ज्यादा हो सकती है। जत्थो से बाहर के लोग भी मार पीट के शिकार

१ ऊपर के कुछ बयान अकाली लहर के इतिहास और कुछ कांग्रेस रिपोर्ट से लिये गये हैं

२ सवाल न १६०७, पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल की कारवाई, जुलाई १६२२—माच १६२३ चौथा खण्ड, पृ ४६८

होते थे। लेकिन वे किसी गिनती मे नही आते थे। दूसरे हिस्से के जवाब मे कहा गया था कि मार-पीट के कारण मौत कोई नही हुई थी, एक आदमी की दो पसलिया टूटी थी। इस जवाब से पाठक अग्रेज अफसरो की ईमानदारी का अन्दाजा लगा सकते हैं। जख्मियो की हड्डी-पसली टूटने की बात तो अलहदा रही, ३ ४ मौतो की खबरें तो अखबारो मे ही निकल चुकी थी।

यह पाशविक हिंसा और शातिमय अहिंसा का जबदस्त सघष था। इस सघष म शातिमय अकाली सत्याग्रहियो का मुह उज्ज्वल हुआ और अग्रेज राज की हिंसात्मक पालिसी का मुह काला हुआ।[1] साम्राज्यवाद की कुत्सित नीतियो को नगा करने मे इस सघष की भूमिका अनुपम थी।

४ कानूनी नुक्ते और नतीजे

काग्रेस के मशहूर लीडरो और प्रसिद्ध वकीलो की इस जाच कमेटी ने दो मुख्य नुक्ते अपने विचार के लिए निकाले थे

(१) क्या पुलिस का गुरु के बाग मे रह रहे और गुरु के बाग को जाते अकाली जत्थो को ताकत का इस्तेमाल करके तितर बितर करने का हक था ?

(२) क्या इतनी ताकत—जो कि प्रमाणित तौर पर इस्तेमाल की गयी थी—जरूरी कम से कम ताकत थी ? या इससे ज्यादा थी ?

पहले सवाल पर बहस करते हुए कमेटी ने लिखा कि गवनमेंट की पोजीशन यह है कि उसके वास्ते कानून भग बद करना और कसूरवारो को

१ गवनमेंट ने एक अग्रेज अफसर द्वारा भी इस ददनाक घटना की जाच करायी थी। इसमे मि मैक्फसन—सुपरिटेडेट पुलिस—न जो गवाही दी थी वह इस प्रकार है। उसने कहा "यह बिलकुल सम्भव है कि कुछ लाठिया हड्डिया तोडने के लिए मारी गयी हो। जत्थे ने—बिलकुल शात रहने के कारण—किसी समय भी पुलिस की (मार पीट की) रोकथाम नही की। यह सम्भव है कि लाठियो से पीटे गये कुछ (अकाली) बेहोश हो गये हो। लाठियो से पीटे गये ६५३ लोगो की फेहरिस्त बनायी गयी थी जिनमे से २६६ ऐसे थे जिनकी छाती मे जख्म लगे थे, ३०० के छाती से ऊपर जख्म थे ७६ के माथे पर जख्म थे ६० की गुप्तेंद्रियो मे और गुप्तेंद्रिया के नीचे, १६ की गुप्तेंद्रियो और गुदा मे, ७ के दातो मे, और १५८ के अन्य अगो मे जख्म थे। इनके अलावा ८ गहरे जख्मो वाले २ बडे जख्म वाले, ४ पशाब की तकलीफ वाले, ६ हड्डिया टूटने तथा २ हड्डिया उतर जाने के केस थे

सजा देना जरूरी था। शुरू में ही यह बात याद रखनी चाहिए कि महंत द्वारा हिन्द दंडावली की धारा १४५ या १४७ के अधीन ऐसी कोई कारवाई नहीं की गयी थी जिसे करना उसके लिए दुरुस्त हो। यह झगड़ा ऊपर बतायी गयी दफाओं लगा कर खत्म हो सकता था कि जमीन महंत की है, या अकालियों को लंगर के लिए उस जमीन से कीकर काटने का हक है। गवनमेंट के लिए यह बात भी बहुत आसान थी कि हिन्द दंडावली के काड ७ के अधीन जमीन को वह कब्जे में ले लेती। पर इन सब बातों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा १४४ के अधीन अकालियों को जमतसर से दरख्त काटने से रोकने के लिए कोई भी हुक्म जारी नहीं किया गया था। इसलिए गवनमेंट का यह तर्क कि वह मार-पीट के कदम उठाने के लिए मजबूर हो गयी थी, कमेटी की नजर में बहुत ही अनोखा और बेमिसाल है। गवनमेंट के लिए और रास्ते भी खुले थे, जो ज्यादा असरदार हो सकते थे। गवनमेंट ने जो दलीलें महंत की जायदाद की रक्षा के लिए दी हैं---वे सही नहीं हो सकतीं। न ही इसका कोई कारण था कि जत्था को गुरू के बाग जाने से रोका जाता या लकड़िया काटने में दखल दिया जाता। कमेटी की राय में "गवनमेंट राजनीतिक कारणों के अधीन अकाली एजीटेशन को कुचलने की इच्छुक थी। गवनमेंट की दलील के उत्तर में यही जवाब काफी है।'

अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने गवनमेंट के इस इल्जाम पर भी विचार किया कि अकाली जानबूझ कर भड़कावा पैदा करते हैं। कमेटी ने इस इल्जाम को झुठलाते हुए कहा कि जत्थे का हर मेम्बर हर हालत में शान्तिमय रहने की सौगंध खाकर अकाल तख्त से चलता था और तमाम गवाह इससे सहमत हैं कि जत्थे का कोई भी मेम्बर ऐसी कोई बात नहीं करता था, जिससे पुलिस को भड़कावे या उकसावे का मौका मिले। इसके विपरीत, पुलिस द्वारा भड़कावा पैदा किए जाने के बावजूद, अकाली पूर्ण तौर पर शान्तिमय और पुरअमन रहे। कई गवाहों की शहादत मौजूद है कि जख्मी हुए और बेहोश पड़े अकालियों को केशों और दाढ़ियों से पकड़-पकड़ कर घसीटा गया। सिक्ख जैसी लड़ाकू कौम के लिए यह परीक्षा की एक महत्वपूर्ण घड़ी थी। लेकिन उन्होंने कभी हाथ न उठाया। उल्टे अपना धार्मिक फर्ज समझ कर वे मार-पर मार खाते रहे। तमाम गवाहों की गवाहियां साबित करती हैं कि अकालियों द्वारा इश्तियाल दिलाने का इल्जाम बिलकुल झूठा था। अकालियों के पास कृपाणों के अलावा और कोई हथियार नहीं थे। और, किसी गवाह ने यह सुझाव नहीं दिया कि किसी भी अकाली ने म्यान को हाथ लगाया था।

न ही यह इल्जाम सही था कि अकालियों से अमन के भंग होने का खतरा था। उनके पुरअमन रहने की सौगंध, उनका अनुशासन, उनकी लगन और

उनकी कुर्बानी—शाति और अमन की जामिन थी। गवनमेट के अफसर इस बात को जानते थे। मार पीट एक दिन नही हुई थी, लगातार २० दिनो से अधिक तक चली थी। इस अर्से म एक दिन भी—पुलिस के भडकावे के बावजूद—कही भी अमन या शाति भग नही हुई थी। खुद पुलिस कप्तान मिस्टर मैकफसन ने सरदार महताब सिह तथा अन्य के मुकदमे म गवाही देते हुए कहा "जत्थो के शातिमय रहने के लक्षण देख कर मुझे कोई हैरानी नही हुई। मैं यही उम्मीद करता था। मैं यह मानता हू कि सिखो की अहिंसा पुलिस जुल्म के प्रदशन के फलस्वरूप नही थी, बल्कि उस सौगध के कारण थी, जो उन्होने शातिमय रहने की ली थी। अहिंसा अकालियो की रोजाना सौगध का अग थी।" यह उस अफ्सर की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है जिस पर अकालियो को तितर बितर करने का दारामदार था। इससे सरकार का यह बहाना रत्ती भर भी कायम नही रहता कि अकालियो द्वारा सावजनिक शाति भग की कोई सम्भावना थी।

अब लीजिए दूसरा सवाल सरकार कहती थी कि 'सिफ कम से कम ताक्त" का इस्तेमाल किया गया था। इस पर जाच कमेटी अपना दो टूक फैसला देती है 'हम सभी लोग, साफ तौर पर और जोर के साथ इस राय के हैं कि इस्तेमाल की गयी ताकत—सभी मौको पर—अत्यधिक और कुछ मौको पर बेरहमी के साथ इस्तेमाल की गयी अत्यधिक, थी। हालत की जरूरता को देखते हुए यकीनी तौर पर इसकी कोई आवश्यक्ता नही थी। पुलिस पहले अकालियो को पकडती और उन पर मुकदमे चलाती थी फिर उसने उन्हे जबरी तौर पर तितर बितर करने का काम शुरू कर दिया। और, जब यह काम बन्द किया तो फिर पकडना धकडना और मुकदमे चलाना शुरू कर दिया। पुलिस जब जत्था को रोकती थी, तो वे बठ जाते थे और शब्द पढ़ने लगते थे। इससे सिद्ध होता है कि पुलिस को उनसे सिफ इतना कहने की जरूरत थी कि—तुम गिरफ्तार हो। वे खुशी से जेल जाने को तैयार थे। बहुत से गवाहो की एक जैसी गवाही हम इस नतीजे पर पहुचाती है कि गवनमेट का मकसद जत्थो को तितर बितर करना नही था। तमाम राजनीतिक तअस्सुब को अलहदा रख कर हम ख्याल करते हैं कि की गयी अत्यधिक ज्यादतिया पजाब गवनमेट की बहयाथी को प्रकट करती हैं और किसी भी सभ्य सरकार के लिए ये कलक हैं। अकालियो ने किसी वक्त भी कोई उकसावे की बात नही की, न मार-पीट से पहले न मार-पीट के दौरान। तथाकथित 'कम से कम ताक्त' का इस्तेमाल पहले से ही बेरहमी के साथ नियोजित किया गया था। हम बहुत से गवाहो—खास कर डाक्टरो की गवाहियो—से सहमत हैं कि इस्तेमाल की गयी ताकत अत्यधिक थी।'

यह दर्दनाक गाथा बहुत लम्बी है। मैं देश से कुछेक दाने ही पाठकों के सामने पेश कर रहा हूं। शायद इस गाथा का और भी संक्षिप्त किया जा सकता था। पर ज्यादा संक्षिप्त करने से पाठकों के सामने अंग्रेज साम्राज्य के चेहरे की वह बदसूरत, लहू लिथड़ी और मानव विरोधी तस्वीर मूर्तिमान न होती, जो उस वक्त लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी।

लेकिन अंग्रेज साम्राज्य इस रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक आजमाइश से ही संतुष्ट नहीं हुआ। वह मिस्रों के खून से और भी होली खेलने के बन्दोबस्त कर रहा था।

उन्नीसवाँ अध्याय

सरकार की नयी पॉलिसी

नयी पालिसी फिर स अकालियो को गिरफ्तार करने की थी। अकाली सबसे कठिन परीक्षा से—उस परीक्षा से जिसम अधमरा, लगडा लूला करके, सिर फाड कर और गुप्त जगहो पर चोटें मार मार कर उह बेहाल किया जाता था—सोलह आने खरे होकर निकले थे। गिरफ्तार होना और जेल जाना उनके लिए अब एक तमाशे से अधिक कुछ नही था। स्वाभाविक था कि गिरफ्तार होने के लिए जाने की बारी पर झगडे हा और कमेटी को व्यक्तियो तथा ग्रुपो द्वारा शिकायतें पहुचें कि उनके साथ बे इसाफी की जा रही है, क्योकि उन्हें गुरु के बाग के जत्थो मे कद होने के लिए शामिल नही किया जा रहा।

एक तरफ, गिरफ्तार होने वाले अकालियो की जत्थो म सख्या लगातार बढती जाती थी—२४ २५ सितम्बर को सरकारी रिपोट के अनुसार गिरफ्तार होने वालो की सख्या ८० हो गयी थी। दूसरी तरफ सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इडिया, लदन, को तार भेजे जा रहे थे कि पिछले एक दो दिन से सकेत मिल रहे हैं कि शिरोमणि कमेटी को गिरफ्तारियो का रोजाना कोटा हासिल करने म मुश्किलें पदा हो रही है, यह शायद इसलिए कि कमेटी ने अकालियो की भारी सख्या देहात म नये रगरूट भर्ती करने के लिए भेजी हुई है। ये भी सकेत मिलते है कि शिरोमणि कमेटी स्थानीय स्थिति पर समझौता करने के बारे मे विचार कर रही है। पर यह असभव है कि जो शर्तें कमेटी पेश करेगी, वे गवनमेट को मजूर हो सकेंगी।[1]

मगलवार, ३ अक्तूबर १९२२ को अकाली स्थिति के बारे म गवनमेट की एक और—उच्चतम स्तर की—कान्फ्रेंस हुई। इसम उपस्थित थे वायसराय, गवनर विसेट—होम मेम्बर, सर मैलकम हेली—वित्त मत्री, डॉक्टर सप्रू—कानून मेम्बर सर जान मेनाड—वित्त मेम्बर पजाब स सुन्दर सिह—माल मत्री, मिया फजल हुसन—शिक्षा मत्री, ला हरकिशन लाल—

१ हिज मजेस्टीज सेक्रेटरी आफ स्टेट को तार, डी ८०४६, २५ सितम्बर १९२२

खेती-बारी मत्री और पजाब का चीफ सेक्रेटरी एच डी क्रैक। विचाराधीन मसला यह था कि इस वक्त पजाब गवनमेन्ट की गुरु के बाग के बारे म पालिसी क्या थी, अकाली तहरीक के साथ निबटने के लिए तजवीजें क्या थी। गवनमेन्ट के पास आयी रिपोर्टें परस्पर विरोधी थी। कुछ कहती थी कि श्रामणि कमेटी लम्बे अर्से तक गिरफ्तारियो के लिए आदमी भेजती रहेगी। कुछ अन्य कहती थी कि कमेटी को वालटियर ढूढने मे अब मुश्किलें पेश आ रही हैं। सरकारी आकडो के अनुसार, गिरफ्तार अकालियो की सख्या ८०० हो गयी थी तथा सरकार के पास ६०० और अकालियो के लिए जेलो म जगह थी। वह बडे पैमाने पर जेलो मे अकालियो की रिहायश के लिए स्कीम बना रही थी। साथ ही वह कई तरीको से रोजाना गिरफ्तारिया का कम से कम करने के यत्न कर रही थी।

गवनर ने अपनी राय पेश करते हुए कहा समझौते और मध्यस्थता के यत्न असफल हुए हैं। अकाली पार्टी समझौता करने के लिए रजामद तो है—पर उन शर्तों पर जो सरकार को मजूर नही। महत समझौते के सुझाव की लगातार मुखालिफत कर रहा है। गवनमेन्ट महसूस करती है कि उसको समझौते के लिए मजबूर करना दुरुस्त नही। कमिश्नर स कहा गया है कि वह किसी सिख से यह फैसला लेने के लिए मुकदमा दायर करवाये कि जिनके हाथो म गुरद्वारा है, उन्ह लकडिया काटने का हक है।

१ चीफ खालसा दीवान का बिल

इसके बाद चीफ खालसा दीवान के बिल पर विचार हुआ। सरदार सुन्दर सिंह ने इस बिल की रूपरेखा बयान करते हुए कहा कि यह बिल मसले का दीर्घकालीन हल है। इस बिल के मुताबिक महत कुछ शर्तों पर अपनी-अपनी पोजीशनो पर कायम रहेगे। शर्तें ये थी

(क) महत गुरुद्वारे की जायदाद पर अपनी निजी जायदाद होने का दावा नही करेंगे,

(ख) वे धार्मिक सेवा-काय गुरुग्रथ साहिब के अनुसार चलायेंगे,

(ग) उनको हिसाब किताब रखना होगा और उसे प्रकाशित करना पडेगा, और

(घ) महत तीन आदमियो की स्थानीय कमेटी का मेम्बर और सेक्रेटरी होगा, दूसरे दो मेम्बरो म से एक श्रामणि कमेटी चुनेगी और दूसरा इलाके के सिख कौंसिल के वोटरो द्वारा चुना जायगा। इन दोनो म से एक कमेटी का प्रधान होगा। महत को तब तक गद्दी से नही उतारा जा सकेगा, जब तक

उसका बुरा चाल चलन उस ट्रिब्यूनल म साबित नही हो जाता, जो इस बिल द्वारा कायम किया जायगा।

वायसराय ने पूछा—इस बिल को समर्थन मिलने की सम्भावना क्या है? सरदार सुन्दर सिंह ने बताया कि बिल के मुख्य उसूल प्रबधक कमेटी के कुछ मेम्बरो को पसद हैं पर ये मेम्बर अपनी रजामदी लिख कर देने को तैयार नही हैं। बिल अभी पूरी तौर पर तैयार नही था, लिखा जा रहा था। इसका बुनियादी नुक्ता यह था कि वर्तमान हको को कम से कम छेडा जाय। महतो द्वारा, बेशक, इसका विरोध होगा। जायदाद जहां महत के नाम पर लिखी है वहा वह महत के नाम तब तक रहेगी, जब तक सिख ट्रिब्यूनल इसके खिलाफ फैसला नही कर देता। और, ट्रिब्यूनल के फसले के खिलाफ भी हाईकोर्ट म अपील की जा सकेगी। महतो म चेलो के वारिस बनने के वर्तमान नियम कायम रहगे और हरेक वारिस को ये शर्तें स्वीकार करनी होगी।

इसके बाद इस बिल पर विचार विमर्श हुआ। वायसराय को इस बिल से मसले के दीर्घकालीन हल की उम्मीद थी। लेकिन, उसने पूछा कि अगर यह बिल पास कर दिया जाय तो अकाली लोग महतो के नाम पर दर्ज की गयी जमीनो पर कब्जा तो नही करेंगे। उसकी राय मे, मुख्य तौर पर गुरद्वारा के सवाल का फैसला होना बहुत जरूरी था। असहयोगियो ने अपने तमाम वसीले अकालियो के हवाले कर दिये थे और तहरीक अब अखिल भारतीय रूप धारण कर चुकी थी। गवर्नमेंट के पास इस बात की इत्तला थी कि यह तहरीक सिख रेजिमेंटो म असर कर रही है—ज्यादा बढ कर वह हालात को और भी बिगाड सकती थी!

वायसराय इस एजीटेशन का इलाज चाहता था, क्योकि इस लहर के कारण किसी हद तक पंजाब गवर्नमेंट और हिन्द गवर्नमेंट, दोनो ही, बदनाम हो रही थी। लेकिन गवर्नर ऐसा कोई कदम जल्दबाजी म नही उठाना चाहता था, जिससे यह जाहिर हो कि गवर्नमेंट भगदड मे कानून पास कर रही है।

आम सहमति इस बात पर थी कि महतो के उन हको की रक्षा की जाय, जिनके वे कानूनी हकदार हैं। वायसराय चीफ खालसा दीवान को बिल पेश करने देने के हक मे था। पर गवर्नर ने कहा कि अगर यह बिल अक्तूबर के आखीर तक तैयार होकर मिल गया, तब तो पेश हो सकेगा, नहीं तो गवर्नमेंट का अपना आरजी बिल ही पेश कर दिया जायगा।[1]

[1] एच डी क्रेक का डब्ल्यू विन्सेंट को पत्र न ४८५६ (जुडीशियल), ५ अक्तूबर १९२२

२ आरजी बिल या दीर्घकालीन ?

ज्यो ज्यो सरकार अकाली लहर को तसद्दुद और हिंसा का इस्तेमाल करके कुचलने की कोशिश करती, त्यो-त्यों श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी का रवैया सख्त होता जाता था। यह बात नहीं कि श्रोमणि कमेटी सरकार के साथ कोई समझौता नही करना चाहती थी। वह समझौते के लिए बहुत उत्सुक थी। पर सरकार के सामने पहला उद्देश्य इस तहरीक को कुचलना था। और, अगर कुचली न जाय तो इसको सतुष्ट करना नही बल्कि हिन्दुओ और महतो को उकसा कर सिखो के सिर पर ऐसा कानून थोपना था, जिसके द्वारा गुरुद्वारे केन्द्रीय कमेटी के कन्ट्रोल म न रह सकें और सरकार—सीधे नही तो टेढे तरीके से—उनम अपना कुछ-न-कुछ दखल बनाये रखे।

इस वक्त सरकारी अफसरो के बीच दो बिलो पर विचार विमर्श हो रहा था। एक वह बिल जो पीछे से चला आता था और जिसे श्रोमणि कमेटी ने अस्वीकार कर दिया था। इसम कुछ तब्दीलिया करके सरकार इसको जल्दी से जल्दी पास करना चाहती थी—फिर श्रोमणि कमेटी इसको स्वीकार करे या न करे, सरकार को इसकी कोई परवाह नही थी। यह बिल पास करके वह दो मतलब हासिल करना चाहती थी। एक यह कि बिल पास करके वह सिख रेजिमेटो मे प्रचार कर सके कि वह सिखो को गुरुद्वारे देना चाहती है पर श्रोमणि कमेटी ही किसी भी तजवीज पर रजामन्द नहीं होना चाहती—हर बात पर वह बगर किसी दलील के जिद करती है। इससे सिख रेजिमेटो को प्रचार द्वारा गुमराह करके सतुष्ट किया जाय।

दूसरे यह कि वफादारो और नम-ख्याल लोगो को गवनमेन्ट पजाब म और बाहर बता सकेगी कि श्रोमणि कमेटी असम्भव शर्तें पेश करती है तथा कोई समझौता नहीं करना चाहती, वह जानबूझ कर भोले भाले तथा सीधे-सादे सिखो को कानून तोडने के लिए उकसा कर मरवा रही है और सरकार तथा सिखो के बीच हमेशा के लिए दरार और दुश्मनी पदा कर रही है—ताकि वह टूट रहे लोगो को अपने साथ जोड कर रख सके।

दूसरा सरदार सुन्दर सिंह मजीठिये का बिल था। यह सरदार जी के कथनानुसार, गुरुद्वारा सुधार का दीघकालीन हल पेश करता था। इसकी रूप रेखा सरदार जी ने—जैसा कि हम पीछे बता आये है—उच्चतम स्तर की सरकारी कान्फ्रेंस म बडे विस्तार के साथ रखी थी और गवनमेन्ट के उच्चतर अफसरो ने इसका बडा स्वागत किया था। यह बिल अभी पूरी तरह कानूनी शब्दावली का जामा नही पहन सका था। कान्फ्रेंस के कुछ मेम्बर बडे उतावले

थे कि इसको फौरन मुकम्मिल कर दिया जाय। लेकिन कुछ ही समय बाद, गवनमेंट ने इस बिल के प्रति अपना रवैया बदल दिया था।

रवैये मे यह तब्दीली एक्जीक्यूटिव कौंसिल की ३ नवम्बर १९२२ की मीटिंग मे लायी गयी। इस मीटिंग म बहुमत से फैसला किया गया कि शिक्षा मन्त्री—मिया फजल हुसैन—वाला "सिख गुरुद्वारा और मन्दिर (जाच) बिल" ही पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल म पेश किया जाय। सरदार जी ने इस फैसले के प्रति विरोध प्रकट किया और अपनी तरफ से एक लम्बा इख्तलाफी नोट लिख कर गवन मेट को दिया। इसम उन्होंने अपने द्वारा की गयी सरकार की खिदमतो का विस्तार से जिक्र किया था।

सरदार सुन्दर सिंह जी ने पजाब कौंसिल म चीफ खालसा दीवान का बिल पेश कराने के लिए बडा जोर लगाया। लेकिन उनकी कोई दलील या अर्ज स्वीकार नही की गयी। उन्होंने कहा था "मैं यह बडे जोर के साथ महसूस करता हू कि इस बिल को छोड देना और मिया फजल हुसैन के छपे हुए बिल को पेश करना बडी गम्भीर गलती होगी। चीफ खालसा दीवान का बिल जायज शिकायतो के कारणो को दूर करता है और इस तरह अकाली एजीटेशन को कमजोर करता है तथा फलस्वरूप स्थिति को शात करता है। मिया जी का बिल ऐसा कुछ नही कर सकेगा। मेरी राय म दीवान का (ड्राफ्ट) बिल वह कदम है जो सिख गुरुद्वारा और मदिरो के सम्बध म, जहा तक सम्भव है, सिख पथ की जायज मागो को पूरा करता है।'

सरदार जी चाहते थे कि सिखो की गुरुद्वारा सुधार सम्बधी 'जायज इच्छाए' पूरी की जायें और इस तरह सिखो को गलत रहनुमाई के विनाशकारी नतीजो से बचाया जाय—गलत रहनुमाई, जो उन्हे दी जा रही थी। सरदार जी ने सिखो की पिछली वफादारी की भी अपील की। कहा सिख हर मुसीबत मे गवनमेंट का साथ देते रहे हैं। गवनमेंट उनको सतुष्ट करने के प्रयत्न करे।

लेकिन, सरकार ने अपने इस वफादार की कोई बात नही सुनी—यद्यपि उसने यह विनय भी की कि सिखो की "वफादाराना भक्ति" को दूर नही होने देना चाहिए न ही इस भक्ति को उन लोगों के कब्जे मे जाने देना चाहिए जो इसको असरदार तरीके के साथ इस्तेमाल करने से नही झिझकेंगे। उन्होंने अपने नोट मे यह भी लिखा कि शिरोमणि कमेटी के जन्म के समय से ही चीफ

१ हेन्कौक प्रेंटर सेक्रेटरी गवनमेंट पजाब लेजिस्लेटिव डिपाटमट का सेक्रेटरी गवनमेंट आफ इडिया लेजिस्लेटिव डिपाटमेंट लाहौर को पत्र, ११ नवम्बर १९२२

खालसा दीवान ने गुरुद्वारा सुधार तहरीक म कोई हिस्सा नही लिया, क्योकि दीवान श्रोमणि कमेटी की नीतियो पर अमल नही कर सकता।

लेकिन उनकी सब अपीलें अनसुनी कर दी गयी।

और, यह चीफ खालसा दीवान निल सिखो को किस किस्म का गुरुद्वारा प्रबध देता था? खुद सरदार सुदर सिह जी के अपने शब्दो म "(गुरुद्वारा) कट्रोल की कमेटी के कुल पाच मेम्बरो मे से इस (बिल) मे श्रोमणि प्रबधक कमेटी का सिफ एक मेम्बर शामिल करने की व्यवस्था है। यह उचित नही होगा कि उनके प्रतिरोध को कम करने की दृष्टि से इस थोडे से प्रतिनिधित्व से भी बचा जाय और बिल की मदा के गलत समझे जाने के मौके मुहैया किये जायें। हमे ध्यान रखना चाहिए कि गुरुद्वारा कमेटी तमाम सिख गुरुद्वारा और मदिरा पर कब्जा करने का दावा करती है। अगर हम कट्रोल की इस कमेटी से उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, तो हम उस सगठन की मागो को सतुष्ट नही कर सकते, जिसकी पीठ पर वतमान समय में पथ निस्सदेह खडा है। बहुमत, अतत, स्थानीय आदमी के हाथ मे होता है। और अगर महत जो खुद कमेटी का सक्रेटरी होगा अपने साथ गुरुद्वारे के प्रबध मे तीन स्थानीय आदमियो को साथ नही ले सकना, तो प्रत्यक्षत वह अपनी जिम्मेदारी की पोजीशन मे रहने योग्य नही।"[1]

यह है सरदार सुदर सिह जी के चीफ खालसा दीवान के बिल की असली तस्वीर। यह बिल समस्त गुरुद्वारा प्रबध महता के—अच्छे चुस्त महता के—हवाले करने का बदोबस्त करता था। यह बिल भी वह बिल नही था जो शुरू म पेश किया गया। इसमे गवनमेट ने बहुत-सी तब्दीलिया करा दी थी और इसके कुछ तफ्सीली नुक्ते पेश होने वाले बिल मे शामिल कर लिये थे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि गवनमेट गुरुद्वारो का प्रबध श्रोमणि कमेटी के हवाले करने को तयार नही थी। वह एक नकली जाली सिक्के को असली सच्चे खरे सिक्के के तौर पर सिखो के गले मढना चाहती थी। पर श्रोमणि कमेटी ने ब्रिटिश साम्राज्य की चालाकिया से बचने का बडा तजुर्बा हासिल कर लिया था।

अकाली तहरीक के हर उभार के वक्त गवनमेट ने गुरुद्वारा बिल बनाने और इस मसले को हल करने की बातें की। ननकाना साहब के हत्याकाड के बाद गुरुद्वारा बिल बनाने की बातें हुइ। कुजियो के मोर्चे के वक्त बिल बनाने की चर्चा हुई। गुरू के बाग के मोर्चे के वक्त, और इसके बाद फिर, गुरुद्वारा बिल लाने का ढकोसला खडा किया गया। लेकिन सरकार की बच्चा को खुश करने वाली ये बातें उस वक्त की जा रही थी, जब अकाली लहर कही से कही

१ सरदार जी का इख्तलाफी नोट

पहुच चुकी थी और सरकार अपने रौब-दाब के नशे म अभी तक उसी पहली जगह खडी "दूसरा के हितो' और "महन्ता के हक' की तोतारटत लगाये थी।

पहले बिल कुछ इस तरह के बहाने करके पेश न किये गये कि उनके पेश होने से हिन्दुओ और मुसलमानो की दुश्मनी के जजबात उभरेगे, या ये अकाली तहरीक के समर्थको को बहुत ज्यादा अधिकार देते हैं, या इस किस्म के बिल पास हो गये तो हिन्दू और मुसलमान भी अपनी वक्फ जायदादो के लिए नये कानून बनवाने की माग करेंगे। सरदार सुन्दर सिंह जी के गुरुद्वारा लहर विरोधी बिल की अस्वीकृति के लिए यह बहाना गढा गया कि यह 'दूसरी पार्टी के हको पर बहुत बडा आघात करता है।' पर ये सब "मन हरामी, हुज्जता ढेर" वाली बातें थी।

चीफ खालसा दीवान अपना बिल पास करा कर बडी नेकनामी और इज्जत हासिल करना चाहता था। लेकिन इज्जत उसको न सरकार की तरफ से मिली, न सिखो की ओर से। दीवान ने सारी उमर सरकार के प्रति वफादार रह कर गुजारी थी। सरकार ने भी दीवान को ठुकरा दिया और अब सिखो ने भी उस ठुकरा दिया था। यह बिल मसले को उलझाता था, सुलझाता नही था। यह गुरुद्वारा के प्रबध का विकेन्द्रीकरण करता था, केन्द्रीकरण नहीं। इसके पीछे चीफ खालसा दीवान के 'कुदरती" लीडरो की—दुबारा सिखों के लीडर बनने की—ख्वाहिश छिपी मालूम होती थी।

पहले इस बिल को बहुत गुप्त रखा गया। जब इस बिल का पता चला तो जगह जगह से इसके विरुद्ध प्रस्ताव पास होने लगे। इस बिल में "पथ का साझा गुरुद्वारा तो कोई माना ही नहा गया था, हरेक गुरुद्वारा उस इलाके या तहसील का मान कर इस किस्म की स्थानीय कमेटिया बनाने का यत्न किया गया था जिनमे स्थानीय अफसरो का ही गुरुद्वारो म हुक्म चले। जब तक कोई केन्द्रीय प्रबध नही होगा, तब तक कभी कोई प्रबध कायम नहीं रह सकता। स्थानीय कमेटिया अगर बनें तो तहसीलदारो के हुक्म चलेंगे और अगर टूटें तो महन्त पहले की तरह मजे करेंगे। इस किस्म की स्थानीय कमेटियां कभी कायम नहीं रह सकेंगी। चिरा गुरुद्वारा के दीर्घकालीन प्रबध की होनी चाहिए।' [1]

गवर्नमेन्ट असल म फन्दे म फस गयी थी। उसे इस फन्दे से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। दुविधा म कभी वह सोचती कि गुरु के बाग के झगडे का फैसला किसी मध्यस्थ द्वारा करा लिया जाय, फिर सोचती कि कौसिल कमेटी मध्यस्थ की तजवीज को स्वीकार नहीं करेगी। फिर सोचती कि

[1] अकाली ते प्रदेसी, 'साफ-साफ बातें", २० अक्तूबर १६२२

फरमान जारी करके गुरुद्वारे गवर्नमेंट के कब्जे में ले लिये जायें और इसके मातहत कमिश्नर नियुक्त करके पंजाब सरकार की मुश्किल हल कर दी जाय। किन्तु इस मामले में ऐतराज होने पर यह विचार छोड़ दिया जाता। फिर, चीफ खालसा दीवान के बिल में मसले का हल नजर आता। लेकिन वह बिल तैयार ही नहीं था। दो बातों पर अफसर पूरी तरह सहमत थे। एक यह कि तमाम पार्टियों को संतुष्ट करना असम्भव है दूसरे यह कि उग्र विचारों वाले अकाली किसी बिल पर भी संतुष्ट नहीं होंगे।

लाला हरकिशन लाल की यह सोची-समझी राय थी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस किस्म का कोई भी बिल स्वीकार नहीं करेगी, जो उसको गुरुद्वारों और उनकी जायदादों का पूरा अधिकार न देता हो। एक दूसरे के बाद जो भी बिल तजवीज किया गया, वह सिखों को पहले से कुछ ज्यादा देता था। कमेटी सम्भवत यह सोचती होगी कि उसका बढ़िया पतरा यही है कि वह इस उम्मीद पर कोई बिल स्वीकार न करे कि अंतत उसे गुरुद्वारों पर पूरा अधिकार हासिल हो जायगा। उसकी राय में सरकार को जितनी जल्दी हो सके, कमेटी के साथ शर्तें तय कर लेनी चाहिए थी और कमेटी से पूछना चाहिए था कि आखिर वह चाहती क्या है। लेकिन लाला जी कमेटी के हाथों में ताकत केंद्रित होने के सख्त खिलाफ थे।

३ ठुकराया हुआ बिल—पास

गिरफ्तारियों का मोर्चा दिन प्रति दिन अधिक गर्म होता जाता था। इस स्थिति से निबटने के लिए गवर्नमेंट ने दो रास्ते अपनाये एक यह कि पहला बिल ही पंजाब कौंसिल में पेश कर दिया जाय ताकि गवर्नमेंट सिख रेजिमेंटों में यह कहने के काबिल हो जाय कि गुरुद्वारा का सवाल हल करने के लिए वह कौंसिल में बिल पेश कर रही है वह गुरुद्वारा सुधार में हर तरह की सहायता हवाले करने को तैयार नहीं परन्तु गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लीडर राजनीति का खरे सिक्के के तौर पर सिखों के गले मढ़ना चाहते ... का नहीं। इस तरह सिख फौजियों को ब्रिटिश साम्राज्य की चालाकियों से बचने का बड़ा तजुर्बा ...-स्थान के वफादार सिखों के अकाली तहरीक के हर उभार के वक्त गवर्नमेंट ने ...र रोक दिया जायगा कि और इस मसले को हल करने की बातें कीं। ननकाना ... करने के लिए खुद ही बड़ी वाले गुरुद्वारा बिल बनाने की बातें हुई। कुंजियों के ... की चर्चा हुई। गुरु के बाग के मोर्चे के वक्त, और इसके ...य जो अदालत में दावा करके बिल लाने का ढकोसला खड़ा किया गया। लेकिन सरकार ...ग है, उसको लगर के लिए करने वाली ये बातें उस वक्त की जा रही थी, जब अकाली ...टी के साथ समझौता कर बिल पास हो गया तो दो

१ सरदार जी का इख्तलाफी नोट

सालो के लिए गुरुद्वारो की जायदादें हासिल करके कमीशन के हवाले कर दी जायेंगी। समझौता करना लाभदायक रहेगा और अगर यह बात भी सिरे न चढे, तो कोई और रास्ता ढूढा जाय ताकि गुरु के बाग के मोर्चे का फंदा गले से हटाया जाय।

भीतरी तौर पर सरकार बडी परेशान थी क्योकि उसकी तमाम तदबीरें निरथक होती जाती थी। लेकिन बाहर लोगो म रौब-दाब कायम रखने के लिए वह एलान करके डीगे मार रही थी कि जेलो के इस्पेक्टर जनरल को हुक्म दे दिया गया है कि वह 'पाच या दस हजार और कैदियो को लेने का प्रबध करे। हमे ये डीगें पढ कर सरकारी कमजोरी पर बडी खुशी हुई है। अब सरकार अपनी गम्भीरता की जगह से (जो हर मजबूत सरकार की जगह होती है) गिर कर नीचे आ गयी है। ये हमारी फतह होने की अलामतें हैं। याद रखो, जिस कौम की पीठ पर इखलाकी ताकत नही होती, वह अधिक समय तक नही ठहर सकती। अब इन गिरफ्तारियो मे यह (कौम) पिछली मार-पीट से भी ज्यादा डटेगी और इस शातिमय सघष से ही इस नौकरशाही हुकूमत का खात्मा हो जाय तो कोई बडी बात नही। जितनी ही ज्यादा देर तक यह नौकरशाही अडेगी उतनी ही जबदस्त हार इसे खानी पडेगी।"[1]

१६ अक्तूबर को गिरफ्तारियो की सख्या २,४५७ हो गयी थी।[2] यह सख्या दिन प्रति दिन तेजी से बढ रही थी। हर जत्थे से कई अकालियो को अलग करने के लिए मिस्टर बीटी कई चालें खेलता। कुछ से कहता—कृपाणें उतार दो। वे इकार कर देते, तो उन्हे उनकी जूतियो से ही मारा-पीटा जाता। उनके मुह पर जूते मारे जाते और उन्हे माफी मागने के लिए मजबूर किया जाता। लेकिन अकाली सब कुछ शात रह कर बर्दाश्त किये जाते थे और मजबूती के साथ डटे रहते थे। अठारह अठारह साल के जवानो को नाबालिग कह कर छोड दिया जाता, चालीस-पचास साल के जवान अकालियो को बूढा बता कर कहा जाता—जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नही दुबारा जत्थे म न आना। उन्हे बडी निराशा होती और उनम से काफी लोग जिद करके दुबारा जत्था म शामिल होकर चले आते।

४ पेशनरों के फौजी जत्थे

२२ अक्तूबर को पेशनर फौजियो का १०१ का जत्था सरदार अमरसिंह सूबेदार मेजर के नेतृत्व म गुरु के बाग को रवाना हुआ। अकाली ते प्रदेसी ने

१ अकाली ते प्रदेसी, सम्पादकीय २५ अक्तूबर १६२२
२ शोमणि गुरुद्वारा कमेटी एलान नम्बर १८३

२५ अक्तूबर को अपने अक म उम मजमे के जोशो-खरोश और उत्साह का बयान किया जिसका नजारा दशको ने देखा। इनके गलो म हार, सिरा पर सेहरे सुशोभित थे। हरेक की वर्दी एक जैसी थी—लम्बा काला कुर्ता, काली दस्तार (पगडी), केसरी रग का कमरकसा और केसरी गात्रे वाली कृपाण। गवनमेंट को चुभने वाली एक और बात यह थी कि जत्था फौजी अनुशासन मे मार्च कर रहा था। इस जत्थे म वे बहादुर सिंह थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा और प्रसार के लिए अनगिनत कठिनाइया सह कर योरप तथा अय देशा मे साम्राजी युद्धा म भाग लिया था। अब वे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ तथा अपने धम की रक्षा एव गुरुद्वारा सुधार के लिए जूझने जा रहे थे। रास्ते में कचहरी के नजदीक तीन अग्रज इनके फोटोग्राफ लेते हुए देखे गये।

कचहरी से कुछ ही आगे डी सी डनेट तथा दो-तीन अय अग्रेज उनको मिले। डनेट ने तरह-तरह की बातें करके उन्हे भरमाना चाहा। कहा : गुरुद्वारा सुधार के लिए सरकार तैयार है। फैसला हो जायगा। बिल बन जायगा। तीन सिखा की एक पचायत बनायी जायगी, जो गुरुद्वारो का फैसला करेगी। जबदस्ती करके आप फौजी लोग कोई अक्ल की बात नही कर रहे हैं।

जत्थेदार अमरसिंह ने डट कर जवाब दिया हम लोग गुरुद्वारों की जायदाद मे से लकडी काटने जा रहे हैं कोई जबदस्ती नही कर रहे। हम लोग किसी को डडा से पीटने नही जा रहे। हम चार भाई तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए जग मे लडते रहे। बडा भाई कप्तान था, छोटा लस नायक और मैं सूबदार मेजर हू। पजाब के कितने ही जवाना ने जग म अपने सिर दे दिये। हम लोग अग्रेजा के गिरजे म नही जा रहे हैं, अपने गुरुद्वारे मे जा रहे हैं। जब तुम्हारे गिरजा मे कोई सिख या मुसलमान दखल नही देता, तो तुम क्या गुरुद्वारो मे दखल दे रहे हो ?

डनेट ने पहले तो पिछने सत्तर साला की दोस्ती की बातें की। फिर कहा गुरुद्वारे म जाओ—लेकिन लकडी काटने के लिए नही। जब उन्होंने कहा कि हम लकडी काटने के लिए जरूर जायेंगे, तो डनेट ने धमकी दे कर कहा—ये गरीब मारे जायेंगे। पर जत्थेदार के डटे रहने के कारण डनेट गुस्से मे आकर कहने लगा यह मामला गैर-कानूनी है, तितर बितर हो जाओ। लेकिन जत्थे ने यह हुक्म मानने से इकार कर दिया। डनेट ये बातें करके वापस चला गया। उधर जत्था गुरु के बाग की ओर मार्च करता, आगे बढता गया।

उसी दिन इस फौजी जत्थे को पकड लिया गया। उनकी तत्काल तलाशी ली गयी। कच्छो के सिवाय उनके तमाम कपडे उतार लिये गये और उन्हें नगा

कर दिया गया। उन्होंने खुशी के साथ इस अपमान भरे सलूक को बर्दाश्त किया।[1]

२७ अक्तूबर को दूसरा मुकदमा लाला अमरनाथ वजीफाख्वार की अदालत में पेश हुआ। वह बहुत ही सरकारपरस्त और खुशामदी आदमी था। वह सरकारी अफसरों के इशारे पर नाचता था। इन फौजियों ने जो लिखित बयान अदालत में दिया, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके कुछ अंश मैं नीचे दे रहा हूं

हम गवर्नमेंट के सामने यह बात स्पष्ट करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करते हैं कि गुरुद्वारा सुधार के लिए आम तौर पर और गुरु के बाग के मामले में खास तौर पर सिख हृदय की भावनाएं क्या हैं हम तीराह चितराल अफगानिस्तान बर्मा चीन उत्तरी अमरीका सुडान, मिस्र ईरान मैसोपोटामिया, इसराइल गलीपोली, रूस, फ्रांस और कई अन्य कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में (ब्रिटिश साम्राज्य की खातिर) युद्धों में शामिल हुए। यह सेवा हमने हद दर्जे की सर्दी और गर्मी के वातावरण में की। फ्रांस में हजारों सिख फौजी कई दिनों तक बर्फ के पानी से भरी खंदकों में खड़े रहे। उन्होंने मसोपोटामिया में जहां १३५° डिग्री फारेनहाइट की गरमी थी और जहां प्यास से एक दिन में ही १६० से कम मौतें नहीं हुई थीं—जंगी सर्विस की। नवेसैपल तथा साइप्रस में सिख फौजी अगर हाथापाई करते संगीनों के साथ कामयाब जर्मन लश्कर की बाढ़ को न रोकते तो दुनिया शक करती है कि उसे रोका जा सकता। कोनलअमारा में हम उस वक्त डटे रहे जब कि कहीं से भी मदद पहुंचने की उम्मीद टूट चुकी थी। खबर लेने देने के वसीले तोड़ दिये गये थे और हमारे पास घोड़ों तथा खच्चरों का मास खाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। हममें से २४ फौजी जवान लड़ाई में सख्त जख्मी होकर नौकरी करने के नाकाबिल हो गये थे जिसके कारण पेन्शनें देकर उन्हें घरों में भेजना पड़ा—एक की टांग काटनी पड़ी थी और दो की गैस से आंखें खराब हो गयी थीं। हमने गदर के अप्रिय दिनों में गिरते टूटते हुए अंग्रेजी झंडे को खड़ा रखा। हममें से लगभग हरेक फौजी के पास एक या दूसरी बहादुरी का तमगा है। लेकिन जब से गुरुद्वारा सुधार लहर शुरू हुई है, तब से ब्रिटिश अफसरों के रवैये ने हमारे दिलों में कई दुख भरे सदेह पैदा कर दिये हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सदेह हमारे अहसासों को सख्त चोट पहुंचा रहे हैं। हमने ननकाने साहब का कत्लेआम देखा और जालिम पार्टी के प्रति अफसरों की हमदर्दी देखी। हमने कृपाणों काली पगड़ियों और दरबार साहब की कुंजियों के मामले में अपनी रियाया की धार्मिक आजादियों में दखल न देने के मामले में—गम्भीर वचन तोड़ते देखा। दूसरा

1 शिरोमणि कमेटी का एलान नम्बर २०५

की ईमानदारी म अध विश्वास के मामले म हमारे भ्रम बुरी तरह टूट चुके हैं। और अब इस सबके बाद—यह गुरु का बाग है। पिछले लगभग दो महीना से —जब से यह सग्राम शुरू हुआ है—हम अपन भाइया की बरहमी से और कानून विरोधी मार-कुटाई होते देखते रहे हैं। हमने उनके केश और दाढी अपवित्र हाथो से नोची जाती देखी है। अपने गुरुआ के बारे म अपमान भरे और भडकावे पैदा करने वाले शब्द सुने हैं। कानून के नाम पर पुलिस न गर-कानूनी काम किये हैं जबकि हमारी ओर स अमन-कानून की ख्वाहिशभरी चिंता के लिए कोई आधार नही था। हमारे सब्र का आजमाइश अब अन्तिम छोर तक पहुच गयी है। हम गुरु और पथ के प्रति अपनी श्रद्धा साबित करने आये हैं। पुलिस न हम भी उस जलालत का स्वाद चखाया जिसका हमारे भाइया के साथ बर्ताव किया जाता था। पहले तो जलील से जलील मुजरिम की तरह हमारी तलाशी ली गयी। फिर हम ऐसी कडी और चुस्त गारद के अधीन रखा गया जिसने हम ग्यारह बजे रात से लेकर (दूसरे दिन) ६ बजे शाम तक न तो टट्टी जाने दिया और न पेशाब करने दिया। अगले दिन हम उन्ही का अपने हाथो को हथकडिया लगाते देखेंगे, जिनकी खिदमत करते हुए हमने अपने हिता की तरफ कम ही ध्यान दिया था।

आज अपने धार्मिक गुरुद्वारा की आजादी की खातिर जेल मे जाते हुए हम अपन आपको सौभाग्यशाली समझते हैं।

पर ब्रिटिश राज इस किस्म की सेवा की रत्ती भर परवाह नही करता था। वजीराबाद मजिस्ट्रेट अमरनाथ ने २६ वृद्ध फौजियो को दो दो महीने कैद की सजा सुनायी और १०० १०० रुपये जुर्माना किये। जुर्माना न दें तो तीन महीने और कैद। ७४ सिहो को दो-दो साल कैद और १०० १०० रुपये जुर्माना —न दें तो ६ ६ महीने और कैद। फौजियो को भारी हथकडिया पहना कर पुलिस जेलखाना के सीखचो म ले गयी।

५ दूसरे फौजी जत्थे की गिरफ्तारी

१२ नवम्बर को फौजियो का दूसरा जत्था गिरफ्तारिया देने के लिए अमृतसर से रवाना हुआ। इसके जत्थेदार थे रिसालदार रणजोध सिह (जिला गुरदासपुर)। फ्रास के मोर्चे पर गोली लगने के कारण इनकी एक आख निकल गयी थी। यह अग्रेज राज के विस्तार के लिए कई मोर्चों पर लड चुके थे। १०२ अकालियो के इनके जत्थे म तीन कमीशड अफसर, कई हवलदार और बाकी रिटायड फौजी सिपाही थ। दो फौजियो की सिर्फ एक एक टाग थी। चलने से पहले जत्थेदार न अपनी तकरीर म कहा हम अग्रेज राज के लिए दूर-दूर जाकर लडे हैं और उसके लिए कुर्बानिया दी हैं। पर इस सबके बदले

म हमे मिना गुरुद्वारो म दखल और उनकी बेअदबी। हमारी पेन्शनें जब्त होती हैं तो हो जायँ, हमे ज्यादा से ज्यादा सजायें मिलती हैं तो मिलें—हम पथ का साथ जरूर देंगे। इस दीवान मे रिसालदार अनूप सिंह ने भी एलान किया कि सरकार के जुल्मो और धार्मिक कामा मे हस्तक्षेप ने मुझे मजबूर किया है कि मैं भी जत्थे लेकर गुरु के बाग पहुचू।

इस फौजी जत्थे ने अदालत म अपने लम्बे, साझे बयान म कहा

" जब सब्र का प्याला लबालब भर गया नहीं-नहीं, जब कौम का गवनमेंट की हमदर्दी और दियानतदारी पर से विश्वास उठ गया, तो हमने मुसीबतें बर्दाश्त करने का रास्ता अख्तियार किया। गुरद्वारा सुधार के सबध मे गवनमेंट की पालिसी ने इससे वह चीज छीन ली है जो हरेक गवनमेंट को प्यारी होती है—मतलब यह कि अब इसकी दियानतदारी पर एतबार नहीं रहा।"

पेन्शन पाने वाले फौजियो मे बडा उत्साह था। वे और भी फौजी जत्थे मोर्चे म भेजने की तैयारी कर रहे थे।

इस दूसरे जत्थे के जाने से पहले गवनमेंट के दलालो द्वारा अफवाहें उड़ायी जा रही थी कि शिरोमणि कमेटी को गिरफ्तारिया देने के लिए आदमी नही मिल रहे हैं। लेकिन ये दरअसल दिल तोड़ने वाली अफवाह थी। गिरफ्तारिया देने के लिए आदमियो की कोई कमी नही थी। कुछ देर और मोर्चा चलता रहता, तो शायद पलटनियो के जत्थे जाने शुरू हो जाते।

पेन्शन पाने वाले फौजियो के मोर्चे पर जत्थे जाने और कैद होने के कारण सिखो में और भी जोश तथा उत्साह बढ़ गया। अकाली ते प्रदेसी अपने सम्पादकीय लेखो मे बडी ओजस्वी अपीलें छाप कर सिखो को चुनौती दे रहा था कि कैद हो हो कर नौकरशाही का पेट भर दो। वह खालसा कालिज के ग्रेजुएटो और विद्यार्थियो को १०० १०० के जत्थे भेजने के लिए उत्साहित कर रहा था। वह माझे मालवे और दुआबे के अकालियो को लगातार जत्थे भेजने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने यह भी अपील की थी कि एक एक गाव से १०० १०० का जत्था भेजने की तैयारी की जाय। और तो और, सूरमे सिंह (सूरदास सिंह) अपना जत्था अलहदा भेजने की तैयारिया करने मे जुटे थे।

६ भागने का रास्ता मिल गया

दूसरी तरफ सरकारी अफसर इन यत्नो में लगे हुए थे कि नाक भी रह जाय और छुटकारा भी मिल जाय। दोनो बातों का एक साथ होना असम्भव था। सरकारी अफसरों द्वारा छुटकारा हासिल करने के लिए किसी मध्यस्थ

का झुकना ही कमजोरी की निशानी थी। आखिर सर गगाराम (लाहौर) उनकी बाह पकडने के लिए आगे बढ़ आया। उसने सुझाव दिया कि वह महत की जमीन एक साल के लिए पट्टे पर ले लेगा और जिला मजिस्ट्रेट (डनेट) से विनय करेगा कि उसको पुलिस की जरूरत नही, इसलिए पुलिस वापस बुला ली जाय।

फदे से निकलने के लिए यह तजवीज अच्छी थी। पर महत को इससे सहमत करना जरूरी था। महत की रजामदी के बिना, यह तदवीर सिरे नही चढ सकती थी। लेकिन महत को मनाना आसान काम नही था, क्योकि वह अब न तो घर का रहा था, न घाट का। लेकिन अफसरो ने उसके गले मे अगूठा देकर सर गगाराम को जमीन पट्टे पर देने के लिए राजी कर लिया और इन दोनों ने ही जिला मजिस्ट्रेट को लिख कर दे दिया कि उन्हे पुलिस की रक्षा की जरूरत नही। इस दरखास्त के फलस्वरूप १८ नवम्बर १९२२ को पुलिस वापस बुला ली गयी।[1]

इस सफलता पर सरकारी अफसरो को जो खुशी हुई वह सरकारी मिसलो के ही शब्दो मे देखिए "मैं यह भी लिख दू कि गवनर इन-कौसिल इस बन्दोबस्त के बारे मे हिन्दुस्तान की गवनमेन्ट को बताने योग्य होकर बडे खुश होग। इससे, उम्मीद की जाती है गुरू के बाग म रोजाना गिरफ्तारिया का सिलसिला खत्म हो जायगा और शिरोमणि प्रबधक कमेटी सम्भवत बडी हद तक हैरान हो जायगी। लेकिन उसको समाप्त हो चुके काय से निबटना पडेगा और उस सरकार की शिकस्त के रूप म इस पेश करने मे मुश्किल पडेगी, क्योकि महत और पटटेदार म समझौता दो प्राइवट आदमियो क दरम्यान समझौता है। पट्टे पर जमीन लेने का विचार सर गगाराम की तरफ स आया। किन्तु बातचीत के वक्त अफसरो ने उसे सहायता दी। इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि प्रबधक कमेटी का अगला कदम क्या होगा। पर यह यकीनन सम्भव है कि वह इस किस्म की एजीटेशन किसी और गुरुद्वारे मे खडा करने का यत्न करेगी।'[2]

पजाब गवनमेन्ट को अनुभव हो गया था कि अकालियो को गिरफ्तार करके शिरोमणि कमेटी को झुकाया नही जा सकता। लगभग ५,५०० अकाली पकडे जा चुके थे और कई हजार और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार होते जा रहे थे। यह नतीजा निकालने के बाद ही, मालूम होता है, पजाब के गवनर ने

१ अकाली ते प्रदेसी, २० नवम्बर १९२२
२ एच डी क्रेक (लाहौर) का १७ ११ १९२२ का मिस्टर एस पी ओ'डानल को अध-सरकारी पत्र

वायसराय को एक प्राइवेट और निजी तार मे लिखा था "लेकिन हमारा वतमान रवैया यह है कि हम गिरफ्तारियो को जल्दी से जल्दी वद करने को वडा महत्व दते हैं। हम यकीन है कि कानून बनन से अपने आप मे किसी भी शक्ल मे, कोई फल नही निकलेगा। कारण यह कि प्रबधक कमेटी—जो गिरफ्तारिया देने के लिए लोगो को जत्थेवद कर रही है—कानून बनने के बावजूद अपने रवये मे कोई तब्दीली नही लायेगी। हम महसूस करते है कि समझौता कराने को प्रोत्साहन देकर हम ठीक काम कर रह हैं।"[1]

शिरोमणि कमेटी को पहले से ही खबर मिल गयी थी कि सरकार कोई मध्यस्थ लाकर मोर्चे से अपना हाथ खीचने का यत्न कर रही है। अकाली ते प्रदेसी ने अपने मुख्य लेख म लिखा था 'गुरुद्वारा कमेटी ने एक एलान (न २५०) निकाला है कि सरकार किसी आदमी के द्वारा गुरु के बाग की जमीन ठेके पर लेकर गिरफ्तारिया बन्द करना चाहती है। यह एक बडा खतरा सामने आ रहा है। मिया साहब (सर फजल हुसैन) कहते हैं कि अगर कोई भलामानुस इस तरह से गिरफ्तारिया वद करा दे तो इसम गुरुद्वारा कमेटी को क्या डर है।" (१६ नवम्बर १९२२)। अकाली ते प्रदेसी की राय म असल कारण यह था कि सरकार इस झगडे म एक तो झूठी होन के कारण और दूसरे मार-पीट के फलस्वरूप धिक्कारी जान के कारण, इसमे निकलना चाहती है। लेकिन इससे निकलने का अर्थ फैसला कर लेना नहीं है। इसका अथ यह है कि इस जगह से निकल कर किसी और अच्छी जगह पर सिखो का मुकाबला करे।" इस वक्त गवनमेन्ट न तो अकालियो को रिहा करने के मूड म थी न ही वह गुरुद्वारा सवाल का हल करना चाहती थी। उसका लक्ष्य इस वक्त केवल मार्चे स अपना सिर निकाल लेना था।

यह अकालियो की एकता, जत्थेबदी और कुर्बानी की एक और जीत थी। रायबहादुर सर गगाराम ने १६ नवम्बर को डी सी की कोठी पर महत सुदर दास स जमीन को दो हजार रुपये साल पर ठेका ल लिया। इस ठेके के कागज का लिखन वाला एक तहसीलदार था और गवाह के तौर पर सरकारी वकील का मुशी था। स्पष्ट है कि इस तमाम कारवाई क पीछे सरकारी हाकिम काम कर रह थे। यह दो व्यक्तियो क बीच व्यक्तिगत समझौता नही था। लोगो का इस मार्चे म यह नतीजा निकालना स्वाभाविक था कि गवनमेन्ट फिर निरुत्त हो गयी है। यह भी स्वाभाविक था कि हिन्दुस्तान म जगह जगह शिरोमणि कमेटी की प्रशसा की जाय।

गुरु के बाग की इस जीत का श्रेय हिन्दुस्तान के हिंदू मुसलमान ईसाई

1 टेलीग्राम पी न १३१४, ५ नवम्बर १९२२ (फाइल न ९१४)

लोगो और उनके रहनुमाओं की अमली मदद तथा लामवंदी को भी कम नहीं। अंग्रेज हाकिमों ने अत्यधिक आतंक और अत्याचार इस्तेमाल करके गुरुद्वारा तहरीक को तोडने का फैसला किया था। सब से बढ कर कांग्रेस और खिलाफत कमेटी ने तहरीक की हर तरह से मदद की। उन्होंने अपने अपने खर्च पर डाक्टर भेजे। हालात का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए रहनुमा भेजे। अंग्रेज राज के जुल्मों का भंडाफोड करने के लिए उन्होंने अपने अखबारों के कालम के कालम गुरू के बाग के संग्राम को समर्पित कर दिये। अपनी सभाओं में उन्होंने अकालियों की बहादुरी के और हुकूमत के तशद्दुद की निन्दा के प्रस्ताव पास किये। यह हिंदुस्तान की एकजुट आवाज थी जिसने हेकडबाज अंग्रेज हाकिमों को गुरु के बाग के मोर्चे में शिरोमणि कमेटी के सामने हथियार डालने को मजबूर किया।

७ शिरोमणि लीडरों की रिहाई

गुरू के बाग के प्रसंग में १४ सितम्बर १६२२ को पकडे गये अकाली लीडरों का अमृतसर केस बडा लम्बा हो गया था। इन्होंने आम अकालियों की तरह अदालत में असहयोग नहीं किया था, साथ ही अपनी सफाई में गवाह बुलवाये थे। इस केस में कम से कम दो बातें साबित हो गयी थीं। एक यह कि महंत सुंदर दास बदचलन था, और परायी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुक रखता था। दूसरे यह कि जिस जमीन से लकडियां काटने के कारण सरकार अकाली तहरीक पर तशद्दुद बरपा कर रही थी और गिरफ्तारियां कर रही थी, वह महंत की निजी जायदाद नहीं बल्कि गुरुद्वारे के नाम दर्ज जमीन थी—जिस पर शिरोमणि कमेटी का कब्जा था। यह बात न सिर्फ सरकार के अफसरों ने अपनी गवाहियों में माल के रिकार्ड पेश करके स्वीकार की बल्कि सहसरे के लोगों ने भी गवाही दी कि यह जमीन उन्होंने गुरुद्वारे को दी थी महंत को नहीं। इसलिए गवर्नमेंट का केस खोखला हो चुका था।

जज ने इस केस का फसला १४ मार्च १६२३ को दिया। उसने सिर्फ एक नेता को छोड बाकी सब को कसूरवार ठहराया और केस की लम्बाई का ख्याल करके लीडरों को उसी दिन रिहा कर दिया। गवर्नमेंट को मालूम था कि यह केस बिला वजह ही—नेताओं को अकाली तहरीक से अलहदा करने के उद्देश्य से—चलाया गया था। वह इसकी कामयाबी के लिए बडी फिक्रमंद थी। अकाली लीडर कसूरवार करार दिये गये तो उसे बडी तसल्ली हुई, क्योंकि गवर्नमेंट को केस की सफलता की उम्मीद नहीं थी।

अकाली लीडरों ने डट कर गुरू के बाग की तहरीक की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। जनरल सक्रेटरी भगत जसवंत सिंह ने कहा सरकार हमारे

वायसराय को एक प्राइवेट और निजी तार म लिखा था "लेकिन हमारा वतमान रवैया यह है कि हम गिरफ्तारियो को जल्दी से जल्दी वद करने को वडा महत्व दते हैं। हम यकीन है कि कानून बनने स अपने आप मे किसी भी शक्ल म, कोई फल नही निकलेगा। कारण यह कि प्रवधक कमेटी—जो गिरफ्तारिया देने के लिए लोगो को जत्थेवद कर रही है—कानून बनने के बावजूद, अपने रवैये म कोई तब्दीली नही लायगी। हम महसूस करते है कि समझौता कराने को प्रोत्साहन देकर हम ठीक काम कर रह हैं।"[1]

श्रोमणि कमटी को पहले से ही खवर मिल गयी थी कि सरकार कोई मध्यस्थ लाकर मोर्चे से अपना हाथ खीचने का यत्न कर रही है। अकाली ते प्रदेसी ने अपने मुख्य लेख म लिखा था 'गुरद्वारा कमेटी ने एक एलान (न २५०) निकाला है कि सरकार किसी आदमी के द्वारा गुरु के बाग की जमीन ठेके पर लेकर गिरफ्तारिया वद करना चाहती है। यह एक बडा खतरा सामन आ रहा है। मिया साहब (सर फजल हुसैन) कहते हैं कि अगर कोई भलामानुस इस तरह से गिरफ्तारिया वद करा दे तो इसम गुरुद्वारा कमेटी को क्या डर है।' (१६ नवम्बर १९२२)। अकाली ते प्रदेसी की राय म असल कारण यह था कि सरकार इस झगडे म एक तो झूठी हार के कारण और दूसरे मार पीट के फलस्वरूप धिक्कारी जान के कारण इससे निकलना चाहती है। लेकिन इसम निकलने का जय फैसला कर लेना रहा है। इसका अथ यह है कि इस जगह म निकल कर किसी और अच्छी जगह पर सिखो का मुकावला करे।' इस वक्त गवनमट न तो अकालियो को रिहा करने के मूड म थी, न ही यह गुरुद्वारा सवाल को हल करना चाहती थी। उसका लक्ष्य इस वक्त केवल मोर्चे स अपना सिर निकाल लेना था।

यह अकालियो की एकता जत्थवदी और कुर्वानी की एक और जीत थी। रायवहादुर सर गगाराम न १६ नवम्बर को डी सी की कोठी पर महत सुदर दास स जमीन को दो हजार रुपय साल पर ठेका ल लिया। इस ठेके मे कागज को लिखन वाला एक तहसीलदार था और गवाह के तौर पर सरकारी वकील का मुशी था। स्पष्ट है कि इस तमाम कारवाई के पीछे सरकारी हाकिम काम कर रह थ। यह दो व्यक्तियो क बीच व्यक्तिगत समझौता नहीं था। लोगो का इस मोर्चे म यह नतीजा निकालना स्वाभाविक था कि गवनमेंट फिर शिकस्त खा गयी है। यह भी स्वाभाविक था कि हिदुस्तान म जगह जगह श्रोमणि कमटी की प्रशसा की जाय।

गुरु के बाग की इस जीत का श्रेय हिदुस्तान क हिंदू मुसलमान ईसाई

[1] टेलीग्राम पी न ३३१४ ४ नवम्बर १९२२ (फाइल न ९१४)

लोगो और उनके रहनुमाओ की अमली मदद तथा लामबदी को भी कम नहीं। अंग्रेज हाकिमो ने अत्यधिक आतक और अत्याचार इस्तेमाल करके गुरुद्वारा तहरीक का तोडने का फैसला किया था। सब से बढ कर काग्रेस और खिलाफत कमेटी ने तहरीक की हर तरह से मदद की। उन्होने अपने-अपने खच पर डाक्टर भेजे। हालात का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए रहनुमा भेजे। अंग्रेज राज के जुल्मो का भडाफोड करने के लिए उन्होने अपने अखबारो के कालम-के कालम गुरू के बाग के सग्राम को समर्पित कर दिये। अपनी सभाओ म उन्होने अकालियो की बहादुरी के और हुकूमत के तसददुद की निन्दा के प्रस्ताव पास किये। यह हिन्दुस्तान की एकजुट आवाज थी जिसने हेकडबाज अंग्रेज हाकिमो को गुरू के बाग के मोर्चे मे श्रोमणि कमेटी के सामने हथियार डालने को मजबूर किया।

७ श्रोमणि लीडरो की रिहाई

गुरू के बाग के प्रसग म १४ सितम्बर १९२२ को पकडे गये अकाली लीडरो का अमृतसर केस बडा लम्बा हो गया था। इन्होने आम अकालियो की तरह अदालत मे असहयोग नही किया था, साथ ही अपनी सफाई म गवाह बुलवाये थे। इस केस म कम से कम दो बातें साबित हो गयी थी। एक यह कि महत सुदर दास बदचलन था, और परायी औरतो के साथ नाजायज ताल्लुक रखता था। दूसरे यह कि जिस जमीन स लकडिया काटने के कारण सरकार अकाली तहरीक पर तसददुद बरपा कर रही थी और गिरफ्तारिया कर रही थी, वह महत की निजी जायदाद नही बल्कि गुरुद्वार के नाम दज जमीन थी—जिस पर श्रोमणि कमेटी का कब्जा था। यह बात न सिफ सरकार के अफसरो ने अपनी गवाहियो म माल के रिकाड पेश करके स्वीकार की बल्कि सहसरे के लोगो ने भी गवाही दी कि यह जमीन उन्होने गुरुद्वारे को दी थी, महत को नही। इसलिए गवनमेन्ट का केस खोखला हो चुका था।

जज ने इस केस का फैसला १४ माच १९२३ को दिया। उसन सिफ एक नेता को छोड बाकी सब को कसूरवार ठहराया और केस की लम्बाई का ख्याल करके लीडरो को उसी दिन रिहा कर दिया। गवनमेन्ट को मालूम था कि यह केस बिला वजह ही—नेताओ को अकाली तहरीक से अलहदा करने के उद्देश्य से—चलाया गया था। वह इसकी कामयाबी के लिए बडी फिक्रमद थी। अकाली लीडर कसूरवार करार दिये गये तो उसे बडी तसल्ली हुई क्योकि गवनमेन्ट को केस की सफलता की उम्मीद नही थी।

अकाली लीडरो ने डट कर गुरू के बाग की तहरीक की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। जनरल सेक्रेटरी भगत जसवत सिंह ने कहा सरकार हमारे

धम मे नाजायज दखल दे रही है। मैं कमेटी का जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से जत्थे लकडी काटने के लिए भेजता रहा हू। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हू। कमेटी के प्रधान, सरदार महताब सिंह ने अपने बयान म कहा गुरु के बाग पर ३१ जनवरी १६२१ से श्रोमणि कमेटी का कब्जा है इसलिए गुरुद्वारे की जमीन पर इधन काटना कोई जुम नही।[1]

८ हेली द्वारा स्थिति का निणय

इन दिनो हेली खुद लाहौर गया और उसने स्थानीय अफसरो के साथ विचार विनिमय करन के बाद होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उसन उस वक्त की स्थिति का मूल्याकन किया। यह चिट्ठी सरकारी अफसरों की मनोवृत्ति पर प्रकाश डालती है और कुछेक भेद भी प्रकट करती है। वह लिखता है

'एक साल पहले प्रबधक कमेटी यद्यपि कुछ असर रखती थी—लेकिन वह सिखो के सिफ एक हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करती थी। यह काग्रेस के हाथो म नही गयी थी, और किसी किसी वक्त गवनमेन्ट के साथ सहयोग करती थी, जैसे कि कृपाण की लम्बाई का फसला करने के वक्त। लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर यद्यपि उसके साथ हमदर्दी प्रकट करते थे लेकिन पूरे तौर पर उसके असर मे नही थ। सम्भवत एक साल पहले गुरद्वारा कानून पास कराया जा सकता था। लेकिन यह कारवाई नही की गयी, क्योकि अलहदा-अलहदा अफसर शाही के बीच पूण एकमत हासिल न किया जा सका।

'गुरु के बाग की घटना न प्रबधक कमेटी को नई जिन्दगी और शाबाशी दी। मार पीट न अकाली धडे के प्रति उन लोगो म भी हमदर्दी पैदा कर दी जो आम तौर पर अमन और कानून के हक म स्थिर थे। इस मार पीट न और 'अधिक खतरनाक' हलके म भी हमदर्दी जगा दी, यानी काग्रेस पार्टी मे, जिसने प्रबधक कमेटी को फण्ड और जत्थेबदी मुहैया किय। यकीनी तौर पर पडित मदनमोहन मालवीय और अन्य के अमृतसर पहुच जान के कारण मसले ने नया रूप धारण कर लिया। मार पीट यद्यपि काफी जल्दी खत्म कर दी गयी फिर भी इसका जजबाती असर बाकी है और गिरफ्तारियो के जारी रहने

1 इस अमृतसर केस म गिरफ्तार अकाली लीडर य थ स महताब सिंह प्रधान स जसवत सिंह जनरल सक्रेटरी, स नारायण सिंह बरिस्टर, स सरमुख सिंह चभाल—प्रधान श्रोमणि अकाली दल, प्रो साहब सिंह, मास्टर तारा सिंह स खड़क सिंह स तेजा सिंह भुच्चरवाला और बाबा केहर सिंह पट्टी (क्रिमिनल केस न ८०) १६२२, अमृतसर)

से इसका अहसास भी जिन्दा है। हर व्यक्ति महसूस करता है कि ये गिरफ्तारियां एक मुसीबत या इससे भी बुरी बात हैं। और, पंजाब सरकार इनको खत्म करके खुश होगी, बशर्ते कि वह बड़ी खुली रियायत के बगैर इसे खत्म कर सके।"

हेली ने अकालियों के शांतिपूर्ण सत्याग्रह की भी एक तरह सराहना की। उसने लिखा कि यद्यपि गिरफ्तारियां हो रही हैं तथापि सूबे में कोई गम्भीर गड़बड़ नहीं—जैसी कि १९०७ में या रॉलेट एक्ट पास होने के बाद हुई थी। यहां तक कि जत्थों के आने के वक्त अमृतसर शहर में भी कोई खास जोशोखरोश नहीं होता। हां फौजी जत्थों के आने के वक्त बड़े प्रदर्शन हुए।

अंग्रेज अफसर अपनी खुफिया चिट्ठियों में तो धार्मिक कमेटी को पंथ का प्रतिनिधि स्वीकार करते थे, पर खुले तौर पर नहीं। खुद हेली स्वीकार करता है कि प्रबंधक कमेटी ने अब वह पोजीशन हासिल कर ली है, जो उसे यह दावा करने योग्य ठहराती है कि वह वास्तविक अर्थों में पंथ का प्रतिनिधित्व करती है। कौंसिल के मेम्बरों के जाती स्वार्थ, हेली की राय में, अकाली तहरीक के विरुद्ध थे। पर वे किसी ऐसी तजवीज के लिए वोट देने को तैयार नहीं थे, जिसे प्रबंधक कमेटी मंजूर न करती। उसकी यह भी राय थी कि फौज के सिख अफसर, यद्यपि खुले तौर पर सरकार का विरोध करने के खिलाफ थे और कोई गड़बड़ नहीं चाहते थे—फिर भी, वे प्रबंधक कमेटी को बहुसंख्यक सिखों को धार्मिक विचारों का प्रतिनिधि मानते थे।

हेली चीफ खालसा दीवान के बिल को—इसकी दीर्घकालीन खसलत के कारण—अच्छा बिल समझता था। लेकिन इसकी कुछ धाराओं पर गवर्नमेंट द्वारा ऐतराज किये गये। इसलिए यह बिल छोड़ दिया गया और स० सुन्दर सिंह जी ने इसमें दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। गवर्नमेंट ने छपा हुआ ही आरजी बिल कौंसिल में पेश कर दिया। इसका कमजोर नुक्ता, हेली की नजर में, बिल का आरजी होना और मसले को हमेशा के लिए तय न कर सकना था। दूसरे, इसके अधीन एक केन्द्रीय कमेटी भी बनायी जानी थी। और प्रबंधक कमेटी या स्थानीय कौंसिल के मेम्बरों द्वारा नामजदगियां करने से इन्कार करने पर, यह कमी गवर्नमेंट को पूरी करनी पड़ती। कौंसिल के सिख मेम्बरों ने भी इस बिल का बहिष्कार कर दिया था—यहां तक कि उन्होंने सेलेक्ट कमेटी में भी सहयोग देने से इन्कार कर दिया था।

हेली के दफ्तर में अफसर दो रायों में बंटे हुए थे। एक राय इस बात से संतुष्ट थी कि गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और फौज को प्रभावित करने के लिए प्रचार की अच्छी मदद हासिल कर ली है। यह चीज सरकार को यह दावा करने के योग्य बना देगा कि उन्होंने, आध्यात्मिक मनोरथों के लिए,

बसीले हासिल करने का सस्ता और सरल तरीका सिखों को पहुंच में ला दिया है। दूसरी राय का दावा यह था कि कानून कोई योग्य हल नहीं पेश करेगा, न कर ही सकता है। इस राय के लोग, बिल के पास हो जाने के बाद कुछ वक्त के लिए इंतजार करने के हक में थे। बाद में वे कमेटी के बाकी मेम्बरों पर भी मुकद्दमे चलाने की मुहिम जारी रखने के समर्थक थे।[1]

यह आरजी बिल साफ जाहिर है सरकार ने अपनी मुश्किलें हल करने के लिए पेश किया था। इसका मकसद गुरद्वारा सुधार का मसला हल करना नहीं था। कारण यह कि श्रोमणि कमेटी कौंसिल के सिख मेम्बर तमाम सिख संस्थाएं इत्यादि इस बिल के खिलाफ थीं। इसका मकसद एक तो सिख रेजिमेंटों में सरकारी पोजीशन दुरुस्त करने के लिए योग्य हथियार गढना था। दूसरे, गुरू के बाग के मोर्चे से भागने के लिए गवनमेंट दो रास्ते अपना रही थी। एक रास्ता था—महन्त को जमीन पटटे पर देने के लिए तैयार करना और पट्टेदार से कहलवा कर पुलिस को गुरू के बाग में से निकाल लेना, दूसरा रास्ता था—बिल पास करा कर ट्रियूनल के मेम्बर नामजद करके उनका जमीन पर कब्जा करवा कर पुलिस हटा लेना। १६ नवम्बर को बिल भी पास हो गया और पटटेदार भी मिल गया। बिल पास होने के बाद ट्रियूनल बनाने में अभी काफी समय दरकार था। पट्टेदार के मिल जाने के कारण गवनमेंट ने गुरू के बाग की कीकरों में से अपने फंसे हुए सींग पहले ही छुडा लिये।

इस बिल को पास कराने के लिए कौंसिल के मेम्बरों के वोटों का अध्ययन कीजिए। कुल सिख और हिन्दू मेम्बरों तथा तीन मुसलमान मेम्बरों ने इसकी मुखालफत में वोट दिये। पहले गवनमेंट के सामने यह तजवीज भी रखी गयी थी कि इस बिल पर दुबारा विचार करने के लिए इसे एक महीने के वास्ते मुल्तवी किया जाय। पर सरकारी बहुमत ने यह तजवीज रद्द कर दी थी। सर जान मेनार्ड इसको जल्दी से जल्दी पास कराने के लिए जोर दे रहा था और सरकार की पालिसी को दुरुस्त करार दे रहा था। बिल के विरुद्ध ३३ और हक में ४१ वोट पडे। बिल को पास कराने में वोट देने वाले तीन के अलावा बाकी सब मुस्लिम मेम्बर थे, तथा दो के अलावा सब के सब सरकारी।

इस बिल का पंथ में उसी दिन जबदस्त विरोध शुरू हो गया। १६ नवम्बर को अकाल तख्त के सामने बडा भारी दीवान हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि यह बिल पास करके सरकार ने सिख पंथ का अपमान किया है। इस बिल के बोर्ड में कोई सिख कमिश्नर न बने, जो बनेगा

१ डब्ल्यू एम हेली का डब्ल्यू विन्सेंट को अर्ध सरकारी पत्र, १५ नवम्बर १६२२

वह पथ द्राही होगा। खालसा पथ गुरुधामा का सुधार करके ही रहेगा। और, यह भी पास किया गया कि जब तक गिरफ्तार हुए अकाली वीर रिहा न किये जायें तब तक श्रोमणि कमेटी सरकार के साथ समझौते की कोई बातचीत न करे।

अकाली ते प्रदेसी की इस बिल के बारे म प्रतिक्रिया यह थी कि "हम ता सभी गुरुद्वारा को पथ के प्रबध मे लाना चाहते हैं किन्तु सरकार ने उन्हे अपने प्रबध म लेने का कानून बना लिया है। यही कारण है कि सारे सिख मेम्बरा ने इसकी सख्त मुखालफत की है।" (२२ नवम्बर)। "गवनमेट न शिक्षा मत्री मिया फजल हुसन का सब गुरुद्वारा का श्रीमहत' बना दिया है।"

९ वफादारो की मिन्नतें

इस मोर्चे के दौरान अग्रेज राज के वफादारो और जी हुजूरा की हालत बडी डावाडाल हो गयी थी। उनकी पूछताछ अब न ता आम सिखा म रही थी, न अग्रेज अफसरा के घर म। वे दुविधा मे फमे हुए थे। अकाली तहरीक के साथ उनकी हमदर्दी बढती जाती थी पर अग्रेज राज से भे टूटना चाहते थे। इसलिए उनकी हालत एक हद तक काफी पतली हो गयी थी।

सरदार अमर सिंह वकील (कसूर) न वायसराय का दो चिट्ठिया लिखी एक २ सितम्बर १९२२ का और दूसरी १ नवम्बर १९२२ को। इनम उसने अपने आपको ब्रिटिश राज का निरभिमान शुभचितक बताया। वह हर कीमत पर अमन कानून को कायम रखने' का हामी था और कुजिया के मुकद्दमे मे सरकारी वकील था। उसका गवनमेट के 'ईमानदारी के इरादा' मे कभी शक नही हुआ था और वह चाहता था कि गवनमेट जा भी करे अपना 'सकार और रौब-दाब रख कर' करे।

उसकी बडी इच्छा थी कि वायसराय किसी न किसी तरह गुरुद्वारा और कृपाण के मसला को हल कर दे, ताकि सिखो और अग्रेजो की दोस्ती कायम रहे। उसने अपनी वफादारी की रमान मे यहा तक लिख मारा था कि अगर श्री हुजूर ये दोना मसले हल कर दें तो सिखो के साथ रहते भारत म दूसरा कोई फिरका गवनमेट को कोई खास नुकसान नही पहुचा सकता।" वह चाहता था कि कानूनी और अदालती अमलो की जगह तदब्बर से काम लिया जाय।

उसन उस वक्त की अकाली तहरीक का जो लेखा जोखा किया, वह बडी हद तक दुरुस्त था। उसने एक बात यह कही कि इस सग्राम मे अकाली यद्यपि रहनुमाई और कुर्बानी कर रहे है, पर धार्मिक मामला मे विशाल बहुमत उनके साथ सहमत है। उसन दूसरी बात यह कही कि पिछले दो महीनो मे हालत बेहतर होने की जगह बहुत बिगड गयी है, और इसको बिगाडने मे ३०

अक्तूबर को हमने अटारी रेलवे स्टेशन पर हुई मौतों का बहुत बड़ा योग है। तीसरी बात उसने यह लिखी कि ऊपर के अफसरों को अपने मातहतों की रिपोर्टें पढ़ कर गिला की निहायत धार्मिक जत्थेबन्दी से गलत तौर पर राजनीति की गंध आती है। कुछ व्यक्ति निजी तौर पर राजनीतिक विचार रखते हैं—पर उन तमाम ने बार-बार यह एलान किया है कि उनकी जत्थबंदी और सरगर्मियां पूर्णत धार्मिक हैं तथा राजनीति से बिल्कुल पाक-साफ हैं। वर्तमान झगड़े का असली कारण यही है। और, उसने वायसराय को यकीन दिलाया कि जत्थेबंदी के तौर पर इसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है।

एक महत्वपूर्ण बात उसने यह लिखी कि अकाली अपनी जान की बाजी लगाए बैठे हैं। वे इस संग्राम को कटु अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं—यहां तक कि वफादार सिख, यानी फौजी पेंशनर तक संग्राम में कूद पड़े हैं। पंजारा का बयान उनके धार्मिक दिलों, उनके धार्मिक जोश और उनकी सदाकत की तस्वीर पेश करेगा। "श्रीमान जी, मैं ब्रिटेन गवर्नमेंट की शक्ति को जानता हूं। पर मैंने इतिहास में अपने पंथ की आत्मत्यागपूर्ण भावना को भी पढ़ा और देखा है। इसीलिए मैंने दूसरी बार आपका वक्त लिया है। श्रीमान जी मैं बड़ी अधीनता के साथ विनय करता हूं कि जो भूमिका लार्ड हार्डिंग ने कानपुर की मस्जिद के केस में अदा की थी, आप भी उस किस्म का रोल सिखों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अदा करें।'

सरदार अमर सिंह ने कानूनी नुक्तों पर भी अफसरों की पोजीशन को चैलेंज किया और कहा कि जिस जमीन पर से लकड़ियां काटी जा रही हैं—वह महंत के नाम दर्ज नहीं गुरुद्वारे के नाम दर्ज है, वह एक साल से ज्यादा अर्से के लिए अकालियों के कब्जे में रही है और मेरा डी सी अमृतसर के साथ इस मामले में मतभेद है कि गुरू के लंगर के लिए उस जमीन से लकड़ियां काटना जुर्म है जो गुरुद्वारे को दान कर दी गयी हो वगैरा।

पर वकील साहब की ये सब धार्मिक या कानूनी दलीलें, सिर्फ हवा में तलवारें भांजने जैसी थीं। लार्ड रीडिंग अब कूजियों के मामले वाला वायसराय नहीं रहा था, जो पंजाब के अंग्रेज अफसरों की गलत और गैर-कानूनी कार्रवाइयों को दुरुस्त करने के लिए हिदायतें देता। उसको अब सेक्रेटेरियट के अफसरों ने नाथ लिया था। उसने शायद अनुभव कर लिया था कि ब्रिटिश राज के विरोधियों को कुचलने के लिए जो भी ला-कानूनी की जाय, सब ही जायज है। इसलिए उसने सरदार अमर सिंह की सब अपीलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और पंजाब के मामले में कोई भी दखल देने से इस उसूल के आधार पर इन्कार कर दिया था कि पंजाब सरकार को पंजाब के हालात की बेहतर जानकारी है, इसलिए उससे निबटने के लिए वह आजाद है। गुरू

के बाग का मामला निपटाने के लिए चीफ खालसा दीवान के लीडरों—खासकर सुंदर सिंह मजीठिया ने भी—हाथ-पाँव मारे थे और गवर्नमेंट को राय दी थी कि सिखों की जायज ख्वाहिश पूरी की जानी चाहिए। निर्णय उसका भी यही था कि अकाली 'लहर' यहां तक फैल गयी है कि हरेक सिख—फिर वह शहरी हो या देहाती—इसमें दिलचस्पी लेने लगा है। पर वह सरकार के साथ इतना ज्यादा जुड़ चुका था कि उसकी राय की फूटी कौड़ी बराबर भी कीमत नहीं थी।

ये मिन्नतें असल में अंग्रेज राज और सिखों का पुराना रिश्ता बरकरार रखने के लिए थीं। मगर तेजी से बदल रहे हालात में इन मिन्नतों की कोई कीमत नहीं थी।

●

बीसवां अध्याय

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हलचल

१ फौज मे तस्वीरें

गुरू के बाग की मार पीट की तस्वीरा तथा अकाली लहर से सबधित अय सामग्री को फौजा मे भेजने पर पाबदी थी। इन तस्वीरो को फौजी अफसर 'अकाली प्रचार की तस्वीरें" का नाम देकर रोकते थे। अमृतसर के फोटोग्राफर 'मास्टर ब्रदस ने कनानोर की तीन ग्यारहवी सिख रेजिमट के लागरी को डाक के जरिये कुछ तस्वीरें भेजी। सेंसर ने तस्वीर पकड ली। मार पीट की तमाम तस्वीरें रोक ली गयी। फौजी अफसरो ने अपने सदर दफ्तर को लिखा कि इन तस्वीरो का बाटना और भेजना बद किया जाय तथा मास्टर ब्रदस के खिलाफ कारवाई की जाय।[1] फौजा मे गवनमेंट अकाली लहर की कोई खबर नही पहुचने देना चाहती थी।

२ गुरू का बाग इगलड मे

मार पीट के दौरान पजाब मे मनचेस्टर गार्जियन, लदन टाइम्स, नेशनल हेराल्ड वगैरा के पत्रकार भी मौजूद थे। उनका मुख्य उद्देश्य गवनमेंट की उपनिवेशवादी पालिसी को दुरुस्त ठहराना था। पर कई सच्ची बातो को वे भी नही छिपा सके। मिसाल के लिए गार्जियन के पत्रकार ने अपने अखबार को जो सदेश भेजा, उसमे लिखा था

'यद्यपि इस मामले मे जिले के हाकिमा पर कोई इल्जाम लगाना कठिन है पर यह बात मेरे दिल और दिमाग म पूरी तरह बठ गयी है कि इस घटना को असहयोग की तहरीक की अद्वितीय जीत गिना जायगा। मुझे दुख के साथ इस नतीजे पर पहुचना पडा है कि पजाब के लोगो म हमारे लिए बची खुची इज्जत का जो लिहाज था वह भी आहिस्ता-आहिस्ता जा रहा है। दुनिया मे ऐसी कोई कौम नही जो अपने लोगा को रोजाना एक गैर मुल्की सरकार के कारिदो द्वारा मार खाती देखती रहे और मारने वाला को चुपचाप आशीर्वाद देती रहे।"

१ फाइल न, १७—१९२४—होम पोलिटिकल

" इस मामले मे हिंदुओ और मुसलमानो की सिखो के साथ पूरी हमदर्दी है। सिख अपनी दृढ़ता और बहादुरी का मान करते हैं और उनको इस बात का पूरा निश्चय है कि इस लडाई का अंत क्या होगा। मैं जब पहले पहल अमृतसर आया तो पढे लिखे लोगो का ख्याल था कि देर-अबेर शहर मे बलवा हो जायगा। पर सिखो का अनुशासन सहनशीलता और शांति अद्वितीय है तथा फिसाद का डर बिल्कुल गलत साबित हो चुका है।"

'मुसीबत यह है कि हाकिमो ने अपने सबंध मे अविश्वास पैदा कर दिया है और इससे प्रकट है कि आम अविश्वास की हालत मे हुकूमत करना कितना कठिन हो जाता है। लोग हाकिमो को शक की नजर से देखते हैं। वे हाकिमो की नसीहतो को सुनते तक नही।'[1]

नेशनल हेराल्ड के विचार मे 'सच्चाई से प्यार करने वाले सभी लोग गुरू से इस राय के रहे हैं कि यह मामला फैसले के लिए अदालत मे नही जाना चाहिए था। परंतु सरकार खामखाह एक धडे की हिमायत करके अपने लिए बडी पेचीदगियां पैदा कर रही है। नतीजा यह है कि हुकूमत के विरुद्ध जहां सारे भारतवर्ष मे नाराजगी पैदा हो रही है वहां अकालियो के लिए भारत वासियो के दिलो मे हमदर्दी पैदा हो रही है।"[2]

किंतु ऐसा लगता है कि दैनिक हेराल्ड ने पंजाब और हिंद गवर्नमेंट की पालिसियो की इससे ज्यादा नुक्ताचीनी की थी। कारण यह कि रशब्रुक विलियम्स को उसके जवाब मे इंगलैंड को एक विशेष तार भेजना पडा था। इसमे उसने हेराल्ड के 'पंजाब स्थित संवाददाता' के संदेश को 'गुमराह करने वाली और सनसनीखेज गुरू के बाग की घटनाएं' माना था और इंडिया आफिस को ताकीद की थी कि यह तार इंगलैंड के अखबारो मे प्रकाशित करवा दिया जाय। इसमे लिखा था कि अकाली लोग झगडे वाली जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए धावा" बोल रहे हैं और उन्हे बगैर फौज और गोली इस्तेमाल किये पुलिस का डंडा इस्तेमाल करके भगाया जा रहा है।[3]

लंदन के आजादी समर्थक हिंदुस्तानियो के अखबार हिंद ने २७ अक्तूबर के अंक मे लिखा 'सजा पा चुके अकालियो की संख्या का हिसाब लगाना कठिन है क्योंकि एक ही आदमी एक ही अपराध मे दो दो बार कैद किया

१ अकाली ते प्रदेसी, २२ नवम्बर १९२२
२ अकाली ते प्रदेसी, १९ नवम्बर १९२२
३ टलीग्राम नम्बर १४५६ ११ सितम्बर १९२२ वायसराय की ओर से सक्रेटरी आफ स्टेट को

जाता है और जो लोग इस नाजायज कार्रवाई के विरुद्ध आवाज उठाते हैं वे अदालत का अपमान करने के जुर्म में (तीसरी बार) और अधिक दंड के भागी बन जाते हैं। कई दफा बेहोश होकर गिरे सिखों पर न घोड़े दौड़ाये जाते हैं। यह सम्राट की हिंदी रिआया पर पंजाब में अंग्रेजी कानून और अमन का इस्तेमाल है। इससे पता लग जायगा कि हिंद में भेजा गया वायसराय अर्ल रीडिंग किस तरह कानून की मिट्टी पलीद कर रहा है। क्या यह रीडिंग के लिए काफी है कि अपने चेम्बर में बैठा हुआ वह अपने सेक्रेटरियों और उन जैसे अफसरों से ये हाल सुनता रहे जबकि डनेट और बीटी—ओ'डवायर और डायर को भी मात कर रहे हों? यह हिंद में किस लिए है?—क्या वह गुरु जाकर यह सब कुछ नहीं देख सकता?'

३ गुरु का बाग अमरीका में

गुरु के बाग के ब्रिटिश जुल्म की खबरें अमरीका भी पहुंच गयी थीं। मार-पीट के दिनों में कैप्टन ए एल वर्गीन अमृतसर आया था। उसने उस वक्त की वहशी मार पीट की फिल्म ले ली थी। अमरीका में उसने वे अमरीकी लोगों को दिखानी शुरू कर दी थी। उसका इश्तहार बड़ा दिलचस्प था हिंदुस्तानी शहादत की एकमात्र तस्वीरें। एक सबक, मानव इतिहास में बेमिसाल, आज रहस्यवादी भारत में चलाया जा रहा है, जहां लाखों देशवासी ब्रिटिश हाकिमों के खिलाफ पुरअमन बगावत में जुटे हैं। उन्होंने टकराव न करने की विशेष सौगंधें खायी हैं। उनके पास कट्टर धर्म के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं। पूरब गोरे लोगों के मापदंडों को पलटने के यत्न कर रहा है, आदि-आदि।

ये तस्वीरें ब्रिटिश हाकिमों की पाशविक मार पीट को ज्यों का त्यों मूर्तिमान करती थीं। ये जहां भी दिखायी जातीं वहीं अमरीकी लोग ब्रिटिश राज उसके हाकिमों और अत्याचारी तौर-तरीकों की निंदा करते। इन फिल्मी तस्वीरों ने हिंदुस्तानी लोगों के लिए आम तौर से और सिखों के लिए खास तौर से वहां बड़ी हमदर्दी और सहानुभूति पैदा कर दी। हिंदुस्तान के अंग्रेज हाकिम स्वभावत जल कर खाक हो गये और उन्होंने यह प्रचार बंद कराने के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिये। ये हाकिम ब्रिटिश सरकार द्वारा अमरीकी सरकार पर जोर डलवा कर ये फिल्म बंद कराना चाहते थे, और अगर बंद न भी की जायें तो इनके एतराज योग्य हिस्से कटवा देना चाहते थे।

हाकिमों को फिल्म के शीर्षक तक पसन्द नहीं थे। वे उन्हें बदलवाना चाहते थे और फिल्मों से दो हिस्से कटवाने पर विशेष जोर दे रहे थे (१) एक दृश्य का वह हिस्सा, जिसमें एक अंग्रेज पुलिस अफसर अकाली को पीटने के लिए लाठी इस्तेमाल कर रहा है, (२) दूसरे दृश्य का वह हिस्सा, जिसमें एक

अकाली आहिस्ता आहिस्ता धरती से उठ रहा है, लेकिन सिखे पुलिस सिपाही पकड़ लेता है और पीट-पीट कर फिर जमीन पर गिरा देता है।[1]

पंजाब में अपना मुंह काला करने की कारवाइयां और बाहर अमरीका में मुंह उजला रखने की कोशिशें! यह थी ब्रिटिश राज की पालिसी—अंदर और बाहर!

●

1 फाइल नम्बर ७१—१९२३ शिमला रिकार्ड होम पोलिटिकल

इक्कीसवां अध्याय

उगलवी का मिशन

गुरू के बाग की मार पीट ने सिख रेजिमेंटो के समझबूझ वाले सिपाहियो पर असर किया। कुछ फौजी सिपाहियो ने अकाली लहर के साथ हमदर्दी के तौर पर काली पगडिया और कृपाणें धारण कर ली। फौजी अनुशासन तोडने के अपराध मे इन्होंने सख्त सजायें पायी। सिख फौजो म बढ रहे अकाली असर को रोकने के लिए गवर्नर ने ६ नवम्बर १६२२ को फौजो का दौरा करने के लिए मिस्टर उगलवी को नियुक्त किया। इस अफसर ने एक महीने बीस दिन (७ नवम्बर से २६ दिसम्बर तक) फौजो मे सरकारी दृष्टिकोण को प्रचारित किया और अपने दौरे की रिपोर्ट पेश की।

उगलवी जिला शाहपुर (अब पाकिस्तान मे) का कायम-मुकाम डेपुटी कमिश्नर था। १६१५ से वह पजाब मे कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह सरकारी अफसर के रूप मे काम कर रहा था। वह ठेठ मुहावरेदार देहाती पजाबी बोली बोलने म माहिर गिना जाता था। उसका विचार था कि सिख बडी मोटी अक्ल के लोग होते हैं। उनके सामने सिद्धान्त रटो तो वे सिर *खुजलाने लगेंगे। लेकिन अगर बात उदाहरण देकर समझाओगे, तो वे वाह्-वाह्* कर उठेंगे।

सरकारी रिपोर्टों के अनुसार उगलवी को जाट सिख ग्रामो का अच्छा तजुर्बा था और जाटो से हर जगह उसने वाह-वाह हासिल की थी। वह बडी अच्छी तकरीर कर लेता था और जाटो के मुहावरो मे उनसे बातें करके उनका मन मोह लेता था। इसी कारण उसको इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए चुना गया था। फौजी सदर दफ्तर की तरफ से पहले भी फौजो मे कुछ वक्ता भेजे गये थे, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हुए थे।

फौजी सिपाहियो के बीच जाकर उगलवी क्या कहता था—यह उसने अपनी एक रिपोट मे दज किया है। रिपोट मे कहा गया है बदा बडा चालाक और साधारण लोगो को गुमराह करने मे माहिर है। एक मिसाल लीजिए मैं "मार-पीट" का बिलकुल जिक्र नहीं छेड़ूगा। यह तमाम लोगो पर असर करती है—और सबसे बढिया (यानी वफादार सिपाहियो) पर बहुत

ज्यादा । अच्छी बात यह होगी कि मार पीट (के मसले) को सामने ही न लाया जाय । इस विवादास्पद मसले पर उनके लिए रास्ता नही खोल देना चाहिए, वर्ना वे उसी से चिपट जायेंगे और बाकी तमाम बाते नजर से ओझल कर देंगे ।"[1]

उगलवी ने पहले ही तय कर लिया था कि सिख रेजिमटो म जाकर सिपाहियो के साथ क्या बातें करनी है और उनके सामने क्या दलीले रख कर उन्हे कायल करना है। उसने मीठी और ठगने वाली बातें करके सिख सिपाहियो को किस तरह शात किया होगा—यह उसके बोलने के ढग से अच्छी तरह पता लग सकता है। बुरे से बुरे केस को भी वह अच्छा बना कर पेश करना जानता था । कुछ मिसालें लीजिए

(१) सरकार अगर खालसे की दोस्त नही है, तो वह रेजिमटो मे सिख धर्म क्यो जोरो के साथ लागू करती है ? माझे (अमृतसर, तरनतारन, वगैरा) की देहाता के जवान अपने केश कटवा लेते हैं । अगर वे पलटन म केश कटवायें तो पता है उनके साथ क्या सलूक किया जाता है ?

(२) सरकार अगर तुम्हारी विरोधी है, तो उसने तुम्हे गर सिख जिलो—लायलपुर, शाहपुर, मटगुमरी, खानगाह डोगरा (अब सब पाकिस्तान) वगरा—म जमीनें क्या दी हैं ? सरकार ने तो तुम्हारी आबादी और दौलत बढाने के प्रयत्न किये हैं ।

(३) वर्तमान अकाली लहर बिलकुल नयी है । सरकार कैसे जान सकती है कि अगले कुछ सालो मे कूके (नामधारी सिख) ज्यादा शक्तिशाली नही हो जायेंगे और कहेंगे कि तुम हमारी "मिलीजुली जायदाद"—सारे सिखो की साझी जायदाद—अकालियो के हवाले कर रहे हो ? सरकार "ला जवाब" हो जायगी ।

(४) सरकार अगर कब्जे वाले—यानी महत—की तब तक रक्षा नही करती जब तक वह कानून के अमल (यानी अदालतो) के जरिये हटाया नही जाता, तो इस बात की क्या गारटी है कि महत अपनी रक्षा खुद आप नही करेगा, अर्थात दूसरा ननकाना किसी और जगह नही बन जायगा ? अगर सरकार—जैसा कि तुम कहते हो—ननकाने म पुलिस न भेजने के कारण गलत थी, तो गुरू के बाग म पुलिस भेजने म दुरुस्त थी ।

(५) सरकार अपना पहरा कानून के अनुसार ही ले सकती है । अगर ५०० आदमी आयें और तुमसे कहे—"तू, रूप सिंह, कातिल है और तुझे अभी फांसी लगनी चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए ? मुझे कहना चाहिए 'अपनी

[1] ४ नवम्बर १९२२, सी एम जी उगलवी की रिपोट

गवाही पेश करो।' चूंकि वे जकाली हैं इसलिए कहेंगे 'नहीं, हम गवाही नहीं पेश करेंगे। हम जानते हैं, वह कातिल है—सारी दुनिया यह बात जानती है और उसे फांसी दी जानी चाहिए।' पर, रूप सिंह, मैं तुझे तब तक फांसी नहीं दूंगा जब तक (तू कातिल) साबित नहीं हो जाता।"[1]

सरकार को उसने सलाह दी थी कि "सरकारी एलान" शीर्षक के अंतर्गत कोई एलान नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसको कोई नहीं पढ़ता। सरकार को अपना प्रचार हृदय को आकर्षित करने वाले शीर्षकों के अंतर्गत करना चाहिए, जैसे 'सरकार बड़ी मुश्किल में है।" और, उसने सरकार का एक प्रचार पम्फलेट भी इसी शीर्षक के अंतर्गत लिख कर दिया, जो हजारों की संख्या में बांटा गया था। इसमें अन्य झूठी बातों के अलावा यह तूफान भी उठाया गया था कि "पुलिस तो गुरू के बाग में इसलिए भेजी गयी है कि महंत सिंहों पर कोई हमला न कर दे।"

यह था उगलवी का ठगने और गुमराह करने का ढंग। ब्रिटिश साम्राज्य की हिफ़ाजत को मजबूत करने के लिए ज्यादातर अंग्रेज कोई भी पाप और उपद्रव कर सकते थे और झूठ बोल सकते थे।

उगलवी ने जलंधर, अम्बाला, फ़िरोजपुर और लाहौर का दौरा किया। यह ५३वीं सिख २३वीं सिख पायनियर्स २१वीं पदल ग्रुप २८वीं पंजाबी, तीसरी स्किनर्स हार्स, हड्सन हार्स और ८९वीं पंजाबी रजिमेंटों में गया और उसने हिंदुस्तानी तथा ब्रिटिश अफसरों के सामने सिख स्थिति के बारे में तकरीरें कीं और सिख अफसरों के साथ कितनी ही देर तक बातें कीं। कई अफसरों से बातचीत के बाद उसे पता चल गया कि इस विषय में उनकी जानकारी अधूरी और अपूर्ण थी तथा कुछ अफसर ईमानदारी से यह समझते थे कि गवर्नमेंट अकारण ही सिखों पर सख्ती कर रही है। उसकी राय में सारे सिखों की गुरद्वारा सुधार के साथ हमदर्दी थी। थोड़े से सिख जोश में थे, अन्य —जो कुछ हो रहा था उससे—चिंतातुर थे।

उगलवी की रिपोर्ट के अनुसार, सिख फौजियों और अफसरों ने साफ-साफ बातें कीं। जो कुछ उनके मन में था, उन्होंने कहा। पर उगलवी इस नतीजे पर पहुंचा कि वे "बिल्कुल वफादार' थे, और इस विश्वास के अंतर्गत ईमानदारी से खुश थे कि गवर्नमेंट उनको "नीचे नहीं गिराना' चाहती। उसने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि शिरोमणि कमेटी बगैर किसी वजह के बात को बढ़ा रही है। उसके दौरे का सबसे बड़ा नतीजा यह था कि मैं यकीन

[1] सी एम जी उगलवी, ४ नवम्बर १९२२

नहीं करता कि श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी ने फौज को बरगलाने का कोई भी यत्न किया है। (जोर मेरा)

इसलिए अग्रेज अफसरो द्वारा लगातार जो यह प्रचार किया जा रहा था कि श्रोमणि कमेटी फौजो के सिख सिपाहियो को बरगला रही है और उन्हे गैर वफादार बना रही है—गलत निकला। कमेटी का फौजो मे दखल देने का कभी कोई इरादा नही हुआ। इसकी पुष्टि बाद म सी आई डी के अफसरो की रिपोर्टों से भी हो गयी।

लेकिन उगलवी ने अपनी रिपोर्ट म कुछ और बाते भी लिखी, जो अय प्रभावो तथा विचारो को प्रतिबिंबित करती हैं। उदाहरण के लिए

वे मार पीट से बडे दुखी थे और बीटी को बुरा भला कहते थ, क्योकि उसने गुरु गोबिन्द सिंह के लिए अपशब्द इस्तेमाल किये थे। महत नारायण दास की मौत की सजा रद्द किय जाने का वे बार-बार जिक्र करते थे और कहते थे कि अफसरो को रिश्वतें देकर वह जेल मे भी मजे लूट रहा है। सारी पुलिस और नीचे के अफसरो के वे सख्त विरोधी थे। 'एक पुराने अफसर ने जो, मुझे यकीन है पूरी तौर पर वफादार था—तमाम लोगो के सामने कहा सिर्फ मार पीट की गुरू के बाग की या अय कोई घटना ही हम पर असर नही कर रही, हम तो गवनमेन्ट के समूचे सिस्टम—वकील, कानून, अदालतो से फसला लेने की मुश्किलो और नीचे के नौकरो की रिश्वतखोरी—स तग आ गय हैं।" उसको पहले ही वह तजुर्बा हासिल था, जो श्रोमणि कमेटी के मेम्बरों को गवनमेन्ट के खिलाफ गुरुद्वारा सग्रामो के दौरान मार-पीट झेल कर हुआ।

१ फौज मे काली पगडी और कृपाण

अग्रेज हाकिम काली पगडी को गैर-कानूनी चीज और बगावत का निशान समझने लगे थे। वे किसी सिख के सिर पर काली पगडी बधी देखते तो आपे स बाहर हो जाते थे। सरकारी दफ्तरो और अदालतो मे कोई सिख नौकरी से हाथ धोने के लिए तैयार होकर ही काली पगडी पहन कर जा सकता था। जजों की नाराजगी से डर कर वकील भी काली पगडी बाध कर जाने में भय खाते थे। फौज म कई सिख फौजियो को काली पगडी बाधने और कृपाण पहनने पर लम्बी-लम्बी सजायें काटनी पडी।

फौजो के जवान साधारण जनता के बच्चे होते है। अपनी मागो उमगो के लिए चलाये गये जनता के सग्राम उन पर असर डाले बिना नही रहते। जवान छुट्टियो म घर जाते हैं अपने रिश्तेदारो से मिलते हैं। सग्राम के वातावरण मे रहने पर उन पर उस वातावरण का कमोबेश प्रभाव पडना स्वाभाविक बात है। सचार साधनो के विकास के कारण बाहर के हालात से फौज को

बिलकुल महफूम रखना लगभग असम्भव हो गया है। बाहर जन साधारण के बीच घट रही घटनाओ और फौजी जवानो के बीच खबरो को रोकने म कोई चीनी दीवार भी आज तक सफल नही हुई।

श्रोमणि कमटी की फौजो म दखल न देने की पालिसी के बावजूद गुरुद्वारा तहरीक का सिख फौजी रेजिमटो पर भी असर हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य की पालिसी यह थी कि फौजी सिपाहियो को हर किस्म की तहरीको स बिलकुल अलग थलग रखा जाय। उन्ह बाहर की किसी तरह की हवा न लगने दी जाय। पर यह एक अनहोनी और असम्भव बात थी।

ननकाना साहब के हत्याकाड, अकालियो की बार-बार की गिरफ्तारियो, जेलो म अत्याचार, कुजियो के छीने जाने के मामले और गुरु के बाग म पुलिस के अत्याचारो न काफी फौजियो म बचैनी पैदा कर दी। छुट्टियो पर आये कई फौजियो न गुरु के बाग की मार-पीट की वहशियाना तस्वीरें देखी, अपने गाव और इलाके म सिखो पर अग्रेज राज के जुल्मो की कहानिया सुनी। उन्होने अकालियो की बहादुरी के कारनामे सुने, गुरुद्वारो की आजादी के लिए किय जा रहे सग्रामो की गाथाए सुनी। उनके हृदय पर इनका असर हुआ और उनम स कुछ के दिलो म विचार उत्पन्न हुआ कि जब लोग देश और धम के लिए कुर्बानिया कर रहे हैं शहीद हो रहे है, अपने माल मवेशी जुर्माना मे कुर्क करवा रहे हैं तो हमारा भी देश और धम के लिए कुछ फज है। इसलिए उन्होने काली पगडिया बाध ली, कुछेक ने कृपाणें धारण कर ली और अपनी-अपनी फौजो म जाकर बाहर की हवा की चर्चा की।

फौजी अफसरो ने जवानो के सिर पर काली पगडिया देखी, तो जल कर राख हो गय। काली पगडी पजाब मे अग्रेज राज के खिलाफ अवज्ञा का चिह्न बन गयी थी—हाकिम इसको बगावत का तमगा समझने लगे थे। काली पगडी बाधना व फौजी अनुशासन के खिलाफ बहुत बडा जुम समझते थे। इसलिए काली पगडी और कृपाण पहनने वाले सिख जवानो को अफसरो ने बडी सख्त सजायें दी—पजाब म ही नही, बल्कि दूसरे सूबो म भी।

इन जवानो म से कई डिसमिस किये गये। कुछ ने नाम कटवाने के यत्न किये और कई रेजिमेंटें छोड कर भाग गये। इनकी गिनती हासिल करना असम्भव है। चौदहवी सिख (किंग जाज की अपनी रेजिमेंट) के आठ आदमियो पर कोट माशल द्वारा मुकदमा चलाया गया। इल्जाम हर मुकदमे म हुक्म उदूली का था। सात केसो मे यूनीफाम (वर्दी) के साथ काली पगडी बाधना और हुक्म दिये जाने पर भी न उतारना तथा ८वें केस मे अफसरो को कायदे के मुताबिक सल्यूट न करके पजाबी सल्यूट (हाथ जोड कर) करना, आदि इल्जाम लगाये गये थे।

'पाच आदमियो को दो-दा साल की सख्त कैद की सजा दी गयी। एक को डढ साल की और दो को एक एक साल की कैद की सजा दी गयी। ये आखिरी दो व्यक्ति नये रगरूट थे। बाद म उनकी सजा ६ ६ महीने कम कर दी गयी।"

"इसी रेजिमट के सूबेदार मेजर ने मुकदमे मुल्तवी करने के लिए कहा। मैंने (फौजी अफसर ने) उसकी बात मानने से इकार कर दिया। उसने फौज म असतोष पैदा होने की बात की। मैंने उससे कह दिया कि मामूली से असतोष के इशारे पर ही मैं उन्हे निरस्त्र कर दूगा। मैंने महसूस किया कि खतरा नही मोल लेना चाहिए। यूनिट के क्वाटर गाड के लिए मैंने सिफ एक सौ राउड रहने दिये। बाकी का बारूद सिक्का वहा से हटा लिया।"

'जलधर जेल के सुपरिटेंडेंट ने मुझ से मिल कर कहा यह जेल शहर मे बडी खुली जगह पर है, इसलिए इस जेल मे सिख फौजी कैदी न भेजें। उसको खतरा था कि सिख अगर जेल को तोडन का प्रयत्न नही करेंगे, तो मुजाहिरा जरूर करेंगे। कमिश्नर से सलाह मशविरा करने के बाद कैदियो को लाहौर भेज दिया गया। इस अर्से मे २० आदमी भगोडे हो गये। अभी १० १२ आदमी और थे जिन पर गडबड पदा करने का शक था।"[1]

और यह तो सिफ एक यूनिट की कहानी है। बाकी सिख यूनिटा मे भी कमोबश यही हालत थी। और, ऊपर की घटनाओ से अदाजा लग सकता है कि अग्रेज हाकिम और फौजी अफसर अकाली लहर से कितने परेशान तथा भयभीत थे।

एक और साधारण केस लीजिए १३ १६वें रिसाले का एक सिख अपनी छुट्टी खत्म करने के बाद लुधियाने स कुहाट पहुचा। उसने कृपाण पहन रखी थी और काली पगडी बाधे हुए था। अफसरा ने उसका खबरदार किया। इस अर्से म उसने एक फौजी जुम किया जिस पर उसको २८ दिन की कैद की सजा देकर डिस्चाज कर दिया गया। यह फौजी जुम गढा गया प्रतीत होता था। उद्देश्य उस फौजी को फौज स निकाल देना था, ताकि अय सनिक प्रभावित न हो।

१४वी सिख रेजिमट के ४ आदमी भगोडे हो गये थे। कुछ औरा के भी भगोडे हो जाने की सभावना थी। "कल इतिवार को ही मैं दो का कोट माशल करके उनको सजा दे रहा हू और सिविल जेल मे भेज रहा हू। अफसर कहते हैं कि जेलो से सिख कैदियो के अभी-अभी छोडन का फौजिया के डिसिप्लिन पर बुरा असर पडा है।"

१ अपेंडिक्स टू नोट्स, फाइल न ४५६, सेविंड सीरीज होम पोलिटिकल

१६वीं पंजाबी रेजिमेंट के अफसरों का भी यही विचार था। पर कृपाण के सवाल पर वे काट मानने नहीं चाहते थे। 'मैं कमान देने को अधिकार दे रहा हूं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके यह संता सिंह को २८ दिनों की कैद की सजा दे। कैद खत्म होने के बाद मैं उसका नाम काट दूंगा।'

सिख फौजों पर इतना डर छा गया था कि एक कम्पनी गढ़वाल भेजने का हुक्म मिलने पर टालकर भेज गये, मिला रहा। १४वीं सिख और १६वीं पंजाबी रेजिमेंट को हिन्दुस्तान से बाहर भेजने के हुक्म मिल चुके थे। शायद कुछ के झगड़े हो जाने का भी डर रहा हो।

इसी तरह अन्य फौजी कम्पनियों के कुछ फौजी सिपाहियों को भी हुक्म उदूली व अपराध के अंतर्गत सजायें मिलीं। उनका कसूर भी यह था कि उन्होंने काली पगड़ियां बांधी और कृपाणें पहनीं। रेजिमेंट नं ४५ के दो सिखों को काली पगड़ियां बांधने पर १८ और साढ़े आठ सालों की कड़ी कैद सजायें दी गयीं। ५७वीं राइफल्स में १५ सिखों को कृपाणें पहने रहने की जिद करने पर ४ से १० साल तक कैद की सजा देकर जेलों में भेज दिया गया। इसी तरह की और सख्त सजायें दी गयीं जिनकी रिपोर्टें शोमणि कमेटी को मेसोपोटामिया से भी मिलीं। कई सिखों के फौज में से नाम काट दिये गये। संक्षेप में, छोटी छोटी बातों के पीछे अनुशासन के नाम पर सिख फौजियों को—काली पगड़ी और कृपाण पहनने के कारण—बड़ी-बड़ी सख्त सजायें देकर जेलों के सींखचों में ठूंस दिया गया।

२ शोमणि कमेटी की प्रतिष्ठा

शोमणि कमेटी की प्रतिष्ठा इस समय बहुत व्यापक और गहरी हो गयी थी। मार पीट की अग्नि-परीक्षा से उत्तीर्ण होने के बाद कमेटी के नेतृत्व का सिक्का जम गया था। कमेटी की प्रचार मशीन की बड़ी सराहना हो रही थी। फौजों में कमेटी का प्रचार जल्द से जल्द रोकने का बंदोबस्त करने के वास्ते अफसरों में सलाह मशविरे हो रहे थे। शोमणि कमेटी की ओर से फौजों में इस संबंध में—जैसा कि हम पीछे देख आये हैं—कुछ नहीं किया जा रहा था। पर विदेशी राज को हर तरफ देश के लोगों से खतरा ही खतरा नजर आता था। अकाली—फौजी अनुशासन के पाबन्द होने के कारण—अंग्रेज हाकिमों को अपने राज के लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आते थे।

छुट्टी बिता कर मेरठ रेजिमेंट में पहुंच रहे सिपाही प्रबंधक कमेटी के प्रचार की बड़ी प्रशंसा करते थे। उनके कुटुंबों पर दबाव डाला जा रहा था

१ वही

कि वे नौकरी छोड दें। हो सकता था कि कई सिख इस्तीफे द दें। लाहौर स्थित एक रेजिमेंट के कमान-अफ्सर की राय थी कि अगर प्रबधक कमेटी हुक्म दे कि "हथियार फेंक दो" तो उसकी कमान के अधीन स्क्वाड्रन हथियार फेंक देगी —इसलिए नहीं कि वह ब्रिटिश अफसरों की विरोधी है (अफसरों के साथ उनके रिश्ते बडे दोस्ताना हैं), न ही तसद्दुद के इरादे के साथ, बल्कि चुपचाप और अफसोस भरे दिल के साथ—सिर्फ इसलिए कि शिरोमणि कमेटी उनको ऐसा करने की सलाह देती है। सिख फौजी को शिरोमणि कमेटी पर बडा भरोसा था और उसका विचार था कि कमेटी उसके लिए सिख गुरुद्वारे हासिल कर रही है।[1]

इस कमान-अफ्सर की राय थी कि अगर सारी की सारी प्रबधक कमेटी पकड ली जाय, तो भी इस स्क्वाड्रन के आदमी कुछ नहीं करेंगे, हा, वे इस कदम पर खुश नहीं होंगे। यकीनन उनका कमेटी में भरोसा बहुत ज्यादा है।

कुछ अफसरों का विचार था कि कुंजियों के मामले में अकालियों की आम रिहाइया, फौजी अनुशासन में ढील का कारण बनी हैं। तात्पर्य यह कि ये अफसर और भी सख्त तथा मजबूत पॉलिसी के पक्ष में थे। कुछ फौजी अफसरों को तो फौजी सिखों की वफादारी सदेहास्पद नजर आने लगी थी! बाहर गडबड दबाने के लिए—सिविल हुकूमत की मदद के लिए—ये उन्हें भेजने में झिझकते थे। इस शक के कारण ही कुछ सिख फौजी रेजिमेंटों को बाहर, दूसरे सूबो तथा विदेशों में, भेज देने की तैयारियां जारी थीं। फौजी अफसरों की रिपोर्टें बडी घबडाहट पैदा करने वाली थीं। वे परों की डार बना-बना कर वायुमण्डल में उडा रहे थे। उन्होंने काली पगडियां या कृपाणें पहनने के लिए हुक्मउदूली करने की बातें फौजी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी थीं। इस हुक्मउदूली में उन्हें ब्रिटिश राज के लिए बडा खतरा नजर आता था। यही कारण है कि सिख सिपाहियों को उन्होंने बडी सख्त सजायें दीं।

३ देहातों मे फौजी गश्तें

देहातों में गडबड रोकने और गावों को दबा कर रखने के लिए फौज के गश्ती दस्ते भेजे जाते थे। दूसरी इकतालीसवीं डोगरा कम्पनी ने १२ जनवरी से १७ जनवरी १९२२ तक फिरोर तहसील में गश्त की। उसकी रिपोर्ट से देहात की उस वक्त की स्थिति का अच्छा पता चलता है। 'कम्पनी की नजर मे छोटे गावों की हालत अच्छी है। पर बडे गाव—अमशेर कगणीवाला और जडिआला—सोच-समझ कर, जानबूझ कर, गुस्ताख हैं। गवर्नमेंट की

१ सी डब्ल्यू गिन का मिस्टर एस पी ओ'डानल को अर्ध-सरकारी पत्र, ३१ अक्तूबर १९२२

पसन्द करने वाले लोगों को डराया धमकाया जाता है और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। समराले और कुहाले के आसपास के गावों में बाहर से आये (गदरी) सिख बहुत हैं। पुराने सिपाही किसी काम के नहीं। कोई मदद नहीं करते। कई तो असहयोग की भावना से भरपूर हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि बड़ी जंग में हिस्सा लेने पर उन्हें कुछ नहीं दिया गया। फौजों की वफादारी को कमजोर करने वाले कोई बदमाश (अकाली या राजनीतिक जवान) भर्ती नहीं किये जा रहे। नूरमहल में वफादारों ने अच्छा स्वागत किया तथा शाहजादे के स्वागत के लिए फण्ड भी दिया। पर यह बात खुफिया रखी जाय, क्योंकि बायकाट का डर है।"

मार्च करती पलटन ने बिलगे नगर में प्रवेश किया। बायकाट और डराने-धमकाने की खबरें उसने भी दी। उसने बताया कि सिखों की बहुसख्या अकाली लहर में शामिल हो गयी है। वर्तमान बेचैनी अफसरों की तरफ से लोगों के साथ ताल-मेल न रखने के कारण है। तीन पलटनें रुड़का-कलां गांव पहुंचीं। आवभगत बडी खराब हुई। सरदार बहादुर शिवनारायण सिंह (सरकार-परस्त) ने कहा इन लोगों पर कोई रहम न खाओ। वफादारों को धमकियां देने वाले सिखों को बल प्रयोग के जरिये दबा दो। पुलिस ने रुड़का-कलां में एक खतरनाक आदमी को गिरफ्तार किया। "यह असहयोग करने वाला पहला गांव है। इसका अभी तक अपना 'बादशाह' है। कुछ वक्त पहले तक इसकी अपनी कानूनी अदालत थी। यह सिविल हाकिमों को बडी तकलीफ देता रहा है। यह बात नोट करने की है कि एक भी पेंशनरी अफसर कम्पनी के नजदीक नहीं फटका। सिर्फ एक पेंशनरी हवलदार आया।"[1]

कमोबेश यही स्थिति उस वक्त सिख बहुसख्यक इलाकों और जिलों की थी। देश और गुरुद्वारों की आजादी के लिए पंजाबी हर जगह अकडे हुए थे। फौज के जनरल स्टाफ के दृष्टिकोण से पंजाब की हालत बडी गम्भीर थी। उनकी नजरों में अकाली हाथों से निकलते जा रहे थे और बागी होते जा रहे थे। उनको अकाली फौज के वजूद में, अकालियों के अनुशासन में, अकाली दल की जत्थेबंदी में, शिकार वाली बन्दूकों में, कृपाणों और टकुओं के अस्तित्व में, हर घर से फण्ड की उगाही के एलान में—संक्षेप में अकाली तहरीक की हर सरगर्मी में—बगावत की तैयारी नजर आ रही थी। सबसे ऊपर के फौजी जनरलों की मनोवृत्ति जब यह हो, तो वे किस किस्म के नतीजों पर पहुंचेंगे—समझना मुश्किल नहीं।

१ फ्रॉम दि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, नार्दन कमांड, १४ फरवरी १९२२ टु दि चीफ आफ दि जनरल स्टाफ

इन कमान अफसरो की राय म कौमागाटामारू की दुर्घटना से भी पहले से 'सिख भावनाए" ब्रिटिश गवनमेट के विरुद्ध रही हैं। एजीटेटरो ने इन भावनाओ को तपाय रखा और पिछले १८ महीनो मे ये बहुत बढ गयी हैं। इसमे अब कोई शक नही रहा कि एजीटेटरा के लीडरा का आखिरी उद्देश्य पजाब की बादशाहत फिर बहाल करना है—जो, वे दावा करते हैं अग्रेजो ने दिलीप सिंह से छीन ली थी। यह जुझारू उद्देश्य उन्होंने धम के आवरण मे छिपा रखा है ताकि किसानो की हिमायत अपने साथ जोडे रखी जाय, जो—अगर उनको उनके हाल पर छोड दिया जाय तो—कानून के पाबद हैं। यह धार्मिक जामा उनको श्रोमणि कमेटी और गुरद्वारो पर उसके कब्जे के प्रोग्राम ने मुहैया किया है।[1]

ये हैं विदेशी अग्रेज साम्राज्य के फौजी अफसरा के आन्तरिक विचार। विदेशी अफसरो का देशवासिया की बगावत के डर और भय से हर समय कपकपी चढी रहती थी। मामूली जनवादी अथवा नागरिक अधिकारो की प्राप्ति की तहरीक को भी वे बगावती तहरीक समझने लगते थे और राज्य मशीनरी के जबर और अत्याचार की तोपें उसके विरुद्ध अडा देते थे। अकाली तहरीक को श्रोमणि कमेटी चला रही थी। यह धार्मिक और दुराचारी महता से गुरद्वारे लेकर पथ के हाथा म देने की तहरीक थी, इसमे ज्यादा कुछ नही। लेकिन हाकिमो को यह भी स्वीकार नही थी, क्याकि भविष्य मे वे इसमे सिखा की मजबूती, एकता और सगठित शक्ति देखते थे—जिसमे अग्रेज राज के लिए भयानक खतरा था।

इस समय खिलाफत तहरीक धीमी पड चुकी थी। सत्याग्रह की तहरीक चौरीचौरा काड के कारण वापस ले ली गयी थी। सिर्फ अकाली तहरीक ही जोरा से चल रही थी। सिखो की अभिलाषा तो यही हा सकती थी कि उक्त तहरीकें भी जोरा से चलती रहती—पर इस अभिलाषा की पूर्ति उनक बस की बात नही थी। इसकी पूर्ति ठोस वस्तुगत स्थितिया पर निभर थी। स्वराज हासिल करने की लहर हिंदू सिख-मुस्लिम एकता की मिजी जुली तहरीक थी, जो कि इस समय सकट का सामना कर रही थी।

अग्रेज हाकिमो ने अकाली तहरीक को कुचलने के लिए बार-बार हमले किये थे, पर यह कुचली नही जा सकी थी। महात्मा गाधी का शातिमय सत्याग्रह का हथियार श्रोमणि कमेटी के लिए बडा उपयागी सिद्ध हुआ था। इसके फलस्वरूप ही कमेटी ने गुरू के बाग म भारी सफलता प्राप्त की थी। अग्रेजों

१ जी एस एम शोय, लफ्टीनेंट-जनरल सी जी एस (ऑफीशियेटिंग) १ ३ २२

के बार बार इस निर्णय पर पहुंचने के बावजूद कि सिखों ने अब शांतिमय *सत्याग्रह का रास्ता त्यागा और हिंसा अख्तियार की—कमेटी शांतिमय राह* को मजबूती से पकडे रही और वह एक के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करती गयी। असल मे अंग्रेज अफसर बहाने ढूढ रहे थे—ऐसे बहाने जिनका सहारा लेकर वे इस लहर को कुचल सकें। इनमे स सबस बडा बहाना अफसरो ने सिखो के खिलाफ 'पजाब की बादशाहत वापस लेने" का ढूढा—जो कि उस वक्त भी हास्यास्पद था और इस वक्त भी हास्यास्पद है।

इस "सिद्धांत" को साबित करने के लिए फौजी अफसरो ने कुछ इस तरह की बेतुकी दलीलें दी यू पी से *जिस तरह ब्रिगेड बनने की खबरें आयी है* कम से कम उसी तरह की पजाब मे बटालियनें बन जाने के कारण मौजूद हैं। इसके प्रमाणो की कमी नही कि मलाबार (के मोपलो की बगावत) जैसी जत्थेबदी पजाब म भी बन गयी है। इसके भी सबूत मौजूद है कि एक मजबूत स्टाफ वाली जत्थेबदी कायम है। दस हजार की नफरी की अकाली फौज बढ कर बहुत बडी हो गयी है और लक्ष्य तीस हजार की भर्ती पूरी करना है। चदे और हथियार इकट्ठे किये जा रहे हैं। स्वराज के कमोबेश साझे मनोरथ पर *मुसलमानो के साथ एकजुट होना, गम-ख्याल सिखो का आज का जगी नारा है।*[1] फौजी सिपाहियो की वफादारी डिगाने के बहुत प्रयत्न किये जा रहे है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है सब जगी सामग्री तैयार है, सिर्फ 'बगावत शुरू करो' का हुक्म होना बाकी है।

एजीटेशन के दौरान सिख लोग शाहजादा दिलीप सिंह के साथ किये गये अंग्रेज हाकिमो के धोखे और बेईमानी की बातें बताते थे। अकाली जत्थे "राज करेगा खालसा' हर अरदास के बाद पढ़ते थे पर मुख्य सिख नेतृत्व *इस साम्प्रदायिक नारे को प्रोत्साहित नही करता था, क्योकि यह नारा हिंदुओ* और मुसलमानो की हमदर्दी सिखो मे अलग करता था। शुरू से ही कांग्रेस और खिलाफत के लीडरो ने अकाली तहरीक की अमली तौर पर मदद की थी तथा उन्होंने सिखो स हिंदुओ और मुसलमानो को अलग करने की सरकार की चालो को बुरी तरह नाकाम किया था। अकाली लीडर हिंदुओ और मुसलमानो की अमली हमदर्दी और सहायता की कद्र करते थे, और व इस अमूल्य वस्तु को हर तरह अपनाये रखना चाहते थे।

फौजी अफसरो के इन तर्के-जोगे का असल मकसद यह साबित करना था कि गुरुद्वारा तहरीक धार्मिक लहर नही है। यह एक राजनीतिक लहर है और इसका राजनीतिक लक्ष्य 'सिख बादशाहत' कायम करना है, असल म धर्म की

1 वही

आड लेकर सिरफ राजनीतिक संस्था की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अब इसके सिवाय और कोई चारा नहीं दिखायी देता कि श्रोमणि कमेटी के गरम-ख्याल लीडरों (जोर मेरा) के खिलाफ सख्त कदम उठाये जायें। अकाली फौज और अकाली दल के लीडरों से निपटा जाय, कृपाण की लम्बाई पर ९ इंच की पाबंदी लगा दी जाय तथा इस हुक्म को ताकत के जोर से लागू किया जाय।

इस लेखे जोखे का स्पष्ट अर्थ यह था कि गुरुद्वारों की आजादी हासिल करने की मुसीबतें अभी खतम नहीं हुई थी, वे अभी बाकी थी और सिखों को अभी और भी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना था।

लेकिन क्या गुरुद्वारा तहरीक राजनीतिक थी? नहीं, श्रोमणि कमेटी की रहनुमाई में चल रही गुरुद्वारा तहरीक राजनीतिक लहर नहीं थी। कमेटी के मेम्बरों में राजनीतिक धार्मिक विचारों के व्यक्ति भी थे और गैर-राजनीतिक-धार्मिक विचारों के व्यक्ति भी। दोनों प्रवृत्तियां गुरुद्वारों के सवाल पर एकजुट थी और कमेटी के अन्दर इस मामले में लगभग सबकी एक राय थी। राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग अपने राजनीतिक विचार कांग्रेस में या सिख लीग में रखते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग श्रोमणि कमेटी में। श्रोमणि कमेटी का राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। इसमें सिर्फ धार्मिक और गुरुद्वारों के सुधार के संबंध में ही सवाल उठाये जा सकते थे, राजनीतिक नहीं।

फिर श्रोमणि कमेटी पर राजनीतिक होने का आरोप क्या लगाया गया? पहली बात यह कि अंग्रेज सरकार, निजी राजनीतिक उद्देश्यों से, गुरुद्वारों को आजादी नहीं देना चाहती थी। वह इस तहरीक को कुचलना चाहती थी। पर यह तहरीक जेलों, कुर्कियों, तशद्दुद और फूट के यत्नों के बावजूद कुचली न गयी। इसलिए अंग्रेज अफसरों ने इसको बदनाम करके कुचलने के लिए धर्म के आवरण में राजनीतिक लहर कहना शुरू कर दिया।

दूसरी बात यह कि सरकार का इस तहरीक पर हर हमला राजनीतिक था। कारण यह कि वह धार्मिक संघर्ष को तोड़ना और अपनी साम्राजी डिक्टेटरशिप कायम तथा मजबूत रखना चाहती थी। बहाना चाहे दूसरों के हितों की रक्षा, अमन कानून की हिफाजत, बदअमनी रोकना या जान माल की हिफाजत करना हो—असल मकसद अंग्रेज राज को मजबूत बनाना था। इस-लिए इस तहरीक को तोड़ना एक राजनीतिक काम था।

तीसरी बात यह कि राज के हर हमले का सफल जवाब राजनीतिक महत्व धारण कर लेता है—चाहे यह जवाब धार्मिक जत्थेबंदी की तरफ से ही क्यों न दिया गया हो। इसलिए सरकार श्रोमणि कमेटी की धार्मिक मांगों को न मान कर और कमेटी को तोड़ने के लिए वार करके, जानबूझ कर तहरीक को खुद राज-नीतिक बना रही थी—यद्यपि गुरुद्वारा तहरीक वास्तव में धार्मिक ही थी।

तो फिर श्रोमणि कमेटी पर सरकार द्वारा यह तोहमत क्या लगायी गयी कि कमेटी राजनीतिक मकसद के लिए—सिख राज हासिल करने के लिए—लड रही है ?

पहली बात यह कि सरकार दिन-पर दिन मजबूत हो रही गुरद्वारा तहरीक को कुचलने का फैसला किये बैठी थी। वह गुरद्वारा को आजादी नही देना चाहती थी। इसलिए इस तहरीक को बदनाम करने के लिए उस पर राजनीतिक लहर होने की तोहमत लगायी जा रही थी। जेलो, कुडकिया, मार-पीट, फूट डालने की चाला और दमन आतक के बावजूद यह लहर जोर पकड रही थी और कामयाबिया हासिल करती जा रही थी। दूसरी राजनीतिक पार्टियो के लिए उसमे काफी शिक्षा निहित थी। इसलिए अफसरो की नजर म यह ब्रिटिश राज के लिए खतरे का कारण बन गयी थी।

दूसरी बात यह कि इस तहरीक को राजनीतिक न बनने देने का सिर्फ एक ही तरीका था—वह यह कि राज सरकार गुरद्वारा म दखल देना और लहर के ऊपर हमले करना बन्द करे ताकि यह राजनीतिक न बन सके।

तीसरी बात यह कि हर ऐसी जत्थेबदी—भले ही वह केवल धार्मिक हो—जो स्थापित राज को चुनौती देती है, राज सरकार की नजरों मे राजनीतिक बन जाती है। सरकार उसको अमन कानून की बहाली, दूसरो के हिता की रक्षा, बदअमनी रोकने या जान माल की हिफाजत करने के बहाने खडे करके, तोडती है। सरकारी हमले का शातिपूर्ण जवाब भी उसकी नजरा म राजनीतिक उद्देश्या से प्रेरित होता है।

●

बाइसवां अध्याय

मोर्चे की फतह का असर

उगलवी इस सही नतीजे पर पहुचा था कि गुरू के बाग के मोर्चे म अकालियों की जीत हुई है। आम लोगा पर ठीक यही प्रभाव था। लेकिन हेली की राय मे यह "अतिशयोक्तिपूण तथा पक्षपातपूण" निष्कय था। उसको शक था कि सही अर्थों म इसको 'गवनमेट की शिकस्त" कहा जा सकता है। पर उसके मन में इस बात से तसल्ली हो गयी लगती थी कि स्थानीय गवनमेट को "सास लेने का कुछ वक्त" मिल गया है। उसके विचार से श्रोमणि कमेटी के लिए नये मोर्चे के वास्ते नये रगरूट भर्ती करना आसान बात नही होगी। वह इस राय से सहमत था कि अगर कमेटी ने गुरुद्वारा पर नये हमले किये तो स्थानीय सरकार को अपनी कमेटिया बना कर गुरुद्वारो पर कब्जा करना पडेगा।[1]

श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बिल का भरपूर विरोध कर रही थी। सिख पथ से वह बडे अधिकार के साथ कह रही थी कि गवनमेट के झासे मे आकर कोई सिख बिल के अधीन कमिश्नर न बने, बिल का पूण बहिष्कार किया जाय। पहली बात गुरू के बाग के 'बे गुनाह कदियो' को रिहा कराना था, बिल बिल की बात बाद म देखी जायगी, पथ मे फूट डालने के लिए अफसर पूरी कोशिश करेंगे, इनकी चालो से सावधान रहना हरेक सिख का दायित्व है।

अकाली ते प्रदेसी अकालियो को नये मोर्चे की तैयारिया के लिए चुनौती दे रहा था। 'नौकरशाही की भूठों की लडी" को तार-तार करके वह सिखों को खबरदार कर रहा था। गवनमेट खुद इश्तहार निकाल रही थी और अपने समर्थन मे किताबें छाप-छाप कर बाट रही थी। वह शहीदगज (लाहौर) का मसला उठा कर सिखा को मुसलमानों के साथ लडाना चाहती थी। गुरुद्वारों को ज्यादातर जायदाद हिदुओं ने दान की है—कह-कह कर वह हिदुओ को उकसाना चाहती थी। 'नौकरशाही अब इस यत्न मे हैं कि सिखा का किसी और जाति के साथ झगडा करा दिया जाय, ताकि हिदुस्तानी आपस म लडने

१ एम हेली ५ १२ १९२२

तो फिर शिरोमणि कमेटी पर सरकार द्वारा यह तोहमत क्यों लगायी गयी कि कमेटी राजनीतिक मकसद के लिए—सिख राज हासिल करने के लिए—लड रही है ?

पहली बात यह कि सरकार दिन पर दिन मजबूत हो रही गुरद्वारा तहरीक को कुचलने का फैसला किये बैठी थी। वह गुरुद्वारा को आजादी नही देना चाहती थी। इसलिए इस तहरीक को बदनाम करने के लिए उस पर राजनीतिक लहर होने की तोहमत लगायी जा रही थी। जेला, कुर्कियो, मार-पीट, फूट डालने की चालो और दमन आतक के बावजूद यह लहर जोर पकड रही थी और कामयाबिया हासिल करती जा रही थी। दूसरी राजनीतिक पार्टिया के लिए उसम काफी शिक्षा निहित थी। इसलिए अफसरा की नजर म यह ब्रिटिश राज के लिए खतरे का कारण बन गयी थी।

दूसरी बात यह कि इस तहरीक को राजनीतिक न बनने देन का सिफ एक ही तरीका था—वह यह कि राज सरकार गुरद्वारो म दखल देना और लहर के ऊपर हमले करना बन्द करे ताकि यह राजनीतिक न बन सके।

तीसरी बात यह कि हर ऐसी जत्थेबदी—भले ही वह केवल धार्मिक हो—जो स्थापित राज को चुनौती देती है, राज सरकार की नजरों म राजनीतिक बन जाती है। सरकार उसको अमन कानून की बहाली, दूसरा के हितो की रक्षा बदअमनी रोकने या जान माल की हिफाजत करने के बहाने खडे करके, तोडती है। सरकारी हमले का शातिपूण जवाब भी उसकी नजरा म राजनीतिक उद्देश्यो से प्रेरित होता है।

●

बाईसवां अध्याय

मोर्चे की फतह का असर

उगलवी इस सही नतीजे पर पहुचा था कि गुरू के बाग के मोर्चे मे अकालियों की जीत हुई है। आम लोगा पर ठीक यही प्रभाव था। लेकिन हेली की राय मे यह 'अतिशयोक्तिपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण" निष्कष था। उसको शक था कि सही अर्थों म इसको "गवनमेट की शिकस्त" कहा जा सकता है। पर उसके मन मे इस बात से तसल्ली हो गयी लगती थी कि स्थानीय गवनमेट को "सास लेने का कुछ वक्त" मिल गया है। उसके विचार से शिरोमणि कमेटी के लिए नये मोर्चे के वास्ते नये रंगरूट भर्ती करना आसान बात नही होगी। वह इस राय से सहमत था कि अगर कमेटी ने गुरुद्वारो पर नये हमले किये तो स्थानीय सरकार को अपनी कमेटिया बना कर गुरुद्वारो पर कब्जा करना पडेगा।[1]

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी बिल का भरपूर विरोध कर रही थी। सिख पथ से वह बडे अधिकार के साथ कह रही थी कि गवनमेट के झांसे मे आकर कोई सिख बिल के अधीन कमिश्नर न बने, बिल का पूण बहिष्कार किया जाय। पहली बात गुरू के बाग के 'बे गुनाह कैदियो" को रिहा कराना था, बिल विल की बात बाद म देखी जायगी, पथ मे फूट डालने के लिए अफसर पूरी कोशिश करेंगे, इनकी चालो से सावधान रहना हरेक सिख का दायित्व है।

अकाली ते प्रदेसी अकालिया को नये मोर्चे की तैयारियो के लिए चुनौती दे रहा था। 'नौकरशाही की झूठी की लडी" को तार-तार करके वह सिखों का खबरदार कर रहा था। गवनमेट खुद इश्तहार निकाल रही थी और अपने समथन मे किताबें छाप छाप कर बाट रही थी। वह शहीदगज (लाहौर) का मसला उठा कर सिखो को मुसलमानों के साथ लडाना चाहती थी। गुरुद्वारों की ज्यादातर जायदाद हिंदुओं ने दान की है—कह कह कर वह हिंदुओ को उकसाना चाहती थी। "नौकरशाही अब इस यत्न में हैं कि सिखा का किसी और जाति के साथ झगडा करा दिया जाय, ताकि हिंदुस्तानी आपस म लडने

१ एम हेली ५ १२ १९२२

लगें और ये कन्टराट इसाफ करा के लिए दोना के बीच बैठ जाय।" (६ दिसम्बर १६२२)।

एक तरफ, बिल के विरोध म जगह-जगह पर प्रस्ताव पास किय जा रहे थे, जोर दिया जा रहा था कि पहले सभी 'बे गुनाह कैदी' रिहा किये जायें और फिर सिखो की मर्जी के मुताबिक कानून बनाया जाय, जिसके द्वारा गुरुद्वारे सिख पथ के हवाले कर दिये जायें। दूसरी तरफ, अब इस मोर्चे की जीत और बिल के बनने के बाद महता और गद्दीदारा की समझ मे आ गया था कि वे गुरुद्वारो और उनकी जमीन जायदादो के मालिक नहीं रह सकेंगे—गवनमेंट अकालियो के आगे झुक रही है, गुरुद्वारा पर उनके कब्जे कराने की तरफ चल पडी है। इसलिए *यही लाभदायक रहेगा कि कमेटी के साथ सीधी बात चीत करके समझौते किये जायें।*

गवनमेंट न खुद यह हकीकत अपनी एक खुफिया चिट्ठी म स्वीकार की है कि इस तथ्य ने कि बिल पास कर दिया गया है, महतो पर गहरा असर डाला है। महत श्रोमणि कमेटी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गय हैं। उन्होंने महसूस कर लिया है कि बिल उनको गुरुद्वारो स निकाल सकता है। दो सालो के लिए तो वे कोई कानूनी बदोबस्त भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह बात उनके हित मे है कि वे श्रोमणि कमेटी से समझौता कर लें। पिछले कुछ दिना म कई महतो ने यही रास्ता अपनाया है।

यही बात अकाली ते प्रदेसी ने—"महतो को समझ आ गयी है"—शीर्षक के अतगत लिखी थी 'नौकरशाही जो कुछ कर रही है, यह उनके भले के लिए नही बल्कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रही है। दूसरे, जो गुरुद्वारा *बिल बना है, वह भले ही कितना ही बुरा हो, महता को तो बेदखल कर* ही देता है। इसलिए महता को अब यह निश्चय हो गया है कि वे गुरुद्वारा और उनकी जायदादो के मालिक नही बने रह सकते। इसलिए महत अब झगडे छोड कर श्रोमणि गुरुद्वारा कमेटी के साथ धडाधड समझौते कर रहे हैं। इस वक्त इन दिनो म रमदास, नेणाकोट, महल साहब, नौरगाबाद, बबेक्सर और बटाला के गुरुद्वारा की सेवा श्रोमणि कमेटी के सिपुर्द हो चुकी है। कई महत आये बैठे हैं और कई अन्य आ रहे हैं, क्योकि उनको निश्चय हो गया है कि जिस उदार हृदय से श्रोमणि कमेटी समझौते कर रही है, उसकी वे कभी किसी बिल मे उम्मीद नही कर सकते।" (४ दिसम्बर १६२२)।

इस समय श्रोमणि कमेटी का सत्कार और वकार शिखर पर था। उसका हुक्म सिखों के लिए फतवे जैसा था। जिसको वह धिक्कार देती थी वह सिख समाज म धिक्कारा जाता था। कोई सिख जुरअत नही कर सकता था कि

कमेटी की हुक्मउदूली करके गुरद्वारा बिल या कमिश्नर बनने के लिए अपना नाम गवर्नमेंट को दे दे।

१ गुरद्वारा खडूर साहब

खडूर साहब के बावे बडे घमंडी और अखडबाज थे। उन्होंने गुरू के बाग के मोर्चे से न तो कोई सबक सीखा, न ही अपने सिरों पर जिल की लटकती हुई तलवार का खतरा देखा। उन्होंने गुरु अगद साहब के इस गुरुद्वारे को समाधि का नाम देकर हथियाना चाहा और अपनी तथा गुरद्वारे की रक्षा के लिए पुलिस की एक बडी टुकडी मगवा ली जिसमे लगभग ४० सिपाही, एक इस्पेक्टर, एक थानेदार तथा एक अंग्रेज अफसर था। मोर्चा लगने के लिए आकाश मे बादल छाने शुरू हो गये।

इन स्थानीय बावो का लीडर एक बाबा परदुमन सिंह वकील था, जो मुलतान मे वकालत करता था। यह दरबार साहब के कुजियो के मोर्चे के वक्त भी अमृतसर मे कुजिया हथियाने के लिए आया था। पर गुरभेग काग्रेस ने शिरोमणि कमेटी को अपना प्रतिनिधि मान लिया था और इसकी कोई चालाकी नही चलने दी थी। बल्कि एक मजाकिये ने इसको कुजियो का एक गुच्छा पेश करके यह कह कर बेइज्जत किया था कि दरबार साहब की कुजिया तो तुझे कोई नही देगा—यह गुच्छा ही लेकर अपना शौक पूरा कर ले। यही अब फिर से नयी छेडखानी के लिए यहा आ गया था।

यह गुरुद्वारा १६२१ मे शिरोमणि कमेटी के कब्जे मे आ चुका था। इसलिए कमेटी ने डी सी डनेट को लिखा कि खडूर साहब 'बाकायदा तौर पर कमेटी के साथ सबधित है।" पुलिस को यहा बठाना कमेटी के हको पर हमला है। पुलिस को यहा से हटा लिया जाय। वह ड्योढी मे हुक्के पी-पी कर इसे अपवित्र कर रही है। इस "हुक्म" पर सिखो की तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। (गैनान २२३)। गुरुद्वारे मे सिखो का आना जाना बन्द कर दिया गया था।

६ दिसम्बर १६२२ को शिरोमणि कमेटी के सेक्रेटरी ने डी सी को पुराने समझौते की नकल भी भेज दी। समझौते मे शिरोमणि कमेटी के आदेशो के अनुसार चलने का इकरार किया गया था और इस पर ८ बावों के हस्ताक्षरो सहित नाम दर्ज थे। इन आठो मे बाबा परदुमन सिंह के भी दस्तखत मौजूद थे। इस दस्तावेज का डी सी को पहले पता नही था।

डी सी और गवर्नमेंट ने अभी एक मोर्चे से ही बडी मुश्किल से छुटकारा हासिल किया था। इस किस्म के दूसरे मोर्चे मे फस जाना उसके लिए आसान काम नही था। उसने इस हालत से निबटने के लिए ऊपर से हुक्म लेने के वास्ते लिखा और अपनी राय दी कि "दस्तावेज सच्ची है।' इसके होते हुए १४६

दफा के अधीन लोगो के गुरुद्वारे मे दाखिल होने के खिलाफ पुलिस कारवाई करने का वावो का दावा बडा कमजोर हो जाता है। यह राय उसने बावा के साथ विचारो का आदान प्रदान करने के बाद बनायी।

गवनमेट ने डी सी को लिखा कि इन हालात मे पुलिस सिफ बावा की जान और जायदाद की ही रक्षा करे। लोगो को गुरुद्वारे के अन्दर जाने से न रोके। ११ दिसम्बर को इस हुक्म के अतगत सतरी गुरुद्वारे के दरवाजे के आगे से हटा लिये गये। उस दिन खड्डूर साहब मे दीवान हो रहा था और अकाली बडी सख्या मे पहुचे थे। बावो को सीधे रास्ते पर लाने के लिए श्रोमणि कमेटी के प्रति निधि उनसे बातचीत कर रहे थे। गवनमेट ने अमृतसर के डी सी को हुक्म भेज दिय थे कि जहा तक सम्भव हो कोई ऐसी घटना नही घटने दी जाय, जो समझौते की बातचीत मे विघ्न डालने वाली हो।

६ १० जनवरी १९२३ को श्रोमणि कमेटी ने कुछ प्रस्ताव पास किये। पहले प्रस्ताव मे अकाली दल ने अमृतसर शहर के नागरिको, काग्रेस और खिलाफत कमेटिया को धयवाद दिया था। इहोने गुरू के बाग के मोर्चे में बडी मदद की थी। काग्रेस की मदद खास तौर पर उल्लेखनीय है। काग्रेस के सेवादार बडी प्रेमभावना से जख्मियो को उठा कर लाते थे। उन्होंने जख्मियो के इलाज के लिए डॉक्टर भेजे थे। कई काग्रेसियो ने अपने घर खाली करके जख्मियो की रिहाइश का बन्दोबस्त किया था। उन्होंने रुपये पैसे की भी मदद की थी और सबसे बडी बात यह कि उन्होंने ब्रिटिश राज द्वारा सिखा पर किये जा रहे जुल्मो का अखबारो द्वारा प्रचार किया था। इसी किस्म की कमोबेश मदद खिलाफत के वकरो और डाक्टरो ने की थी। श्रोमणि कमेटी ने उनका विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया।

कौंसिल के सिख मेम्बरा ने मोर्चे के दिना म और बाद मे कौंसिल म सवाल उठा उठा कर अकाली लहर की अच्छी सेवा की थी तथा गुरुद्वारा बिल के दौरान डट कर बिल का विरोध किया था। इसलिए दूसरे प्रस्ताव के जरिये उनके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का पहले पास किया हुआ प्रस्ताव वापस ले लिया गया और भाई अर्जुन सिंह बागडिया के सामाजिक बहिष्कार पर विचार करने के लिए एक कमेटी बना दी गयी।

गुरू के बाग के मोर्चे का हिसाब भी कमेटी के सामने पेश हुआ। मोर्चे के दिना म हजारा रुपये का रोजाना खच था। कुल आमदनी १ ३६ ००० रुई बतायी गयी। खच कुल ३३, ००० हुआ। ३०,००० रुपये से लेकर ५० ००० रुपये तक के दरम्यान रकम गवनमेट ने मोर्चे को फेल करने के लिए रोक ली थी। यह भी आमदनी म शामिल की गयी। गवनमेट अपनी खुफिया रिपोर्टों म लिख रही थी कि श्रोमणि कमेटी को खर्चों के लिए रुपये मिलने मुश्किल हो रहे हैं

जब कि लोग मोर्चे के लिए धडाधड रुपये दे रहे थे। सरकारी रिपोर्टों में कई बातें बचकानी और फिजूल की थी। मिसाल के तौर पर शोमणि कमेटी की वकिंग कमेटी को अख्तियार दिये गये कि वह अपने फण्ड में से गरीब अकालियो की मदद करे। इस बारे में सरकारी टिप्पणी यह थी कि "कमेटी सम्भावित तौर पर किसी को कुछ भी नही देगी।"

इस मीटिंग मे यह भी एक प्रस्ताव पास किया गया कि चीफ खालसा दीवान को गुरुद्वारा बिल पश करने का कोई हक नही।

२ रिहाइयो का सवाल

१९२३ के शुरू में अकाली कैदियो की रिहाई का सवाल मुख्य सवाल था। गवनमेन्ट ने गुरुद्वारा बिल तो पास कर दिया था लेकिन बिल की तरफ कोई ध्यान नही देता था। जगह जगह पर इसकी निन्दा हो रही थी। अक्सर ग्रामो मे बिल के लिए हिमायत हासिल करने के यत्न कर रहे थे। पर लोगो ने एक ही जवाब रट लिया था 'जो बिल शोमणि कमेटी को मजूर नही, हम भी मजूर नही। बिल के बारे म कमेटी के पास जाकर बातचीत करो।" इसलिए पास हुआ बिल खटाई मे पडा हुआ था, अमल मे नहा आ रहा था।

रिहाइयो के सवाल का पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बरो ने अपने हाथ म लिया और ८ माच को उन्होने यह गैर सरकारी प्रस्ताव पेश किया

> 'यह कौंसिल गवनमेन्ट से सिफारिश करती है कि गुरु के बाग के मामले कृपाण के मुकदमो मे गिरफ्तार और गुरुद्वारा लहर मे पकडे हुए लोगो को तत्काल रिहा कर दिया जाय।"

गुरु के बाग की मार पीट ने कौंसिल के मेम्बरो म अकालियो के लिए बडी हमदर्दी पदा कर दी थी। गवनमेन्ट के अफसर जानते थे कि यह प्रस्ताव भारी बहुमत स पास हो जायगा। इसलिए उन्होने परस्पर सलाह मशविरे के बाद अपने सरकारी मेम्बरो को प्रस्ताव मे यह सशोधन पश करने की हिदायत दी

> "बशर्ते कि भविष्य म उस किस्म का जुम करने से परहज करें जिसके कारण वे पकड लिये गये थे।"

इस सशोधन का ज्यादातर मेम्बरो न विरोध किया। सरकारी मेम्बरो ने अमन कानून और निजी जायदाद की रक्षा की बाते की। पर इन का गैर सरकारी मेम्बरो पर कोई असर न हुआ। गवनमेन्ट द्वारा सुझाये सशोधन को २६ वोट मिले और उसके खिलाफ ३८। गवनमेन्ट का सशोधन गिर जाने के बाद रिहायी का प्रस्ताव अपनी पहली शक्ल म ही पास हो गया।

कौंसिल म पास हुए गैर-सरकारी प्रस्तावों पर अमल करना ब्रिटिश सरकार

के लिए कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान थी। वह कौंसिल के सामने जवाबदेह नहीं थी। कौंसिल तो उसके लिए एक खिलौना थी। भारत सरकार को—कहा जाय तो—इस बात का अफसोस हुआ कि इस मामले को प्रथमतः पंजाब कौंसिल के हाथों में क्यों जाने दिया गया, यानी सूबाई गवर्नमेंट को रिहाइयों के बारे में खुद कोई कदम उठाना चाहिए था। गवर्नर ने १७ मार्च को इस विषय में फैसला किया कि कौंसिल के प्रस्ताव को ज्यों-का-त्यों मंजूर करना सुरक्षा के हितों में नहीं। पर उसने आम नियमों के अधीन कैदियों को फायदा देने का फैसला किया। इन नियमों के तहत कैद की दो तिहाई अवधि पूरी कर चुके कैदी सूबे भर में रिहा किये जा रहे थे। अंदाजा किया गया कि अगले, या उससे अगले, महीने तक इस तरह लगभग दो हजार चार सौ सिख कैदी रिहा किये जा चुकेंगे।

३ साम्प्रदायिक फसाद और अकाली

कुछ समय से पंजाब के वातावरण में साम्प्रदायिकता का विष व्याप्त था। इसका असर अमृतसर शहर पर भी पड़ा। १३ अप्रैल १९२३ को बैसाखी से दो दिन पहले, एकाएक हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गया। कोई कहता था कि फसाद की तह में पंजाब कौंसिल के आगामी चुनाव हैं, कोई कहता था कि एक हिंदू लड़की को किसी मुसलमान गुंडे ने छेड़ा था जिसके कारण नौबत फसादों तक पहुंची। एक अफवाह यह भी गर्म थी कि दो फिरकों के दो लड़के आपस में लड़ पड़े, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गया। ऐसे मौकों पर 'जितने मुंह उतनी बातें'' वाला मुहावरा लागू होता है।

इस एकता के शहर में—जहां गुरू के बाग के मोर्चे के वक्त हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेज हाकिमों को हक्का-बक्का और परेशान कर दिया था—साम्प्रदायिक दंगा अकाली लहर की इत्तहादी स्पिरिट के खिलाफ था। गुरुद्वारा लहर का ध्येय अभी अभी मझधार में ही था। अगले संग्रामों के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों की इमदाद की जरूरत थी। अतः, अकाली लीडरों ने मौके की संगीनी को ताड़ लिया। उनके वालंटियर पहल करके दोनों के बीच जा खड़े हुए। जिले के हाकिम अभी तक मस्ती मार रहे थे और चुप थे।

अमन कायम करने के लिए वालंटियर भेजने के बाद श्रोमणि कमेटी ने डी सी डनेट को लिखा कि अमन कायम रखने के लिए वह २०० अकाली वालंटियर देना चाहती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस तरह चाहे उनसे काम ले सकता है। उस समय न तो शहर में काफी पुलिस थी न ही फौज। इसलिए डनेट ने इस पहलकदमी का स्वागत किया और अकाली वालंटियरों को फसाद रोकने के काम में लगा दिया। अगले दिन भी डी सी ने कमेटी को यह नोट

भेजा कि वह "नमकमंडी और कटरा करम सिंह म कमेटी की सहायता पाकर खुश होगा।'

११ अप्रल को डेपुटी-कमिश्नर—खुद अपने कथन के अनुसार—अकेला ही शहर म फिर रहा था कि फसाद शुरू हो गये। उसने लडने वालो को अलग अलग करने का यत्न किया। पर वह कामयाब न हुआ। उस वक्त एक अकाली जत्था नजदीक से गुजर रहा था। उसने उनसे लडाई खत्म कराने म मदद करने को कहा। वह जत्था वालटियरो का ही था। उन्होने दोनो के बीच खडे होकर, हाथ जोड कर, दोनो को अलग कर दिया। श्रोमणि कमेटी ने खालसा कालिज से भी २०० विद्यार्थी और टीचर फसाद रोकने के लिए मगाये थे।

सरदार तेजा सिंह समुद्री और मास्टर तारा सिंह भी डी सी से अमृतसर कोतवाली म मिले थे। अमन कायम रखने के लिए उन्होंने भी गवनमेन्ट का हाथ बटाने की कोशिश की थी। डी सी को वहम था कि कमेटी की मदद को मुसलमान लोग कही हिन्दुओ की मदद न समझ लें। लेकिन अकालियो पर दोनो पक्षो को भरोसा था कि ये निष्पक्ष हैं। अकालियो द्वारा किसी पर हाथ उठाने का सवाल ही पैदा नही होता था। वे तो हाथ जोडने और भाइयो को लडने से रोकने के लिए जा रहे थे।

फसाद रोकने मे वालटियरो ने प्रशसनीय काम किया। रात भर घोडो पर सवार रह कर कुछ अकाली बाजारो म शाति कायम रखने के लिए हाथ जोडते रहे। जख्मियो को उठा-उठा कर, बगैर किसी भेदभाव के, वे गुरु रामदास अस्पताल मे लाते और उनकी सेवा करते रहे। इस हिम्मत और पहल का नतीजा यह हुआ कि कोई मौत न हुई। फसाद रुक गया। मुकदमा किसी पर न चल सका।

ऊपर से डी सी को गवनमेन्ट का हुक्म आ गया—अकाली वालटियरो की सेवाओ को हटा दो! उसने, एक सौ घुडसवार फौजियो के आने से १० मिनट पहले, अकाली वालटियरो को हटा कर वापस भेज दिया। कारण यह कि पुलिस की जगह वालटियर अमन शाति की रक्षा करें तो गवनमेन्ट पर इल्जाम आता था कि वह लोगो के जान माल की हिफाजत नही कर सकती, फिर वह कायम किस लिए है? यही नही। १९२१ २२ के असहयोग के दिनो म कानून विरोधी घोषित किये गये अकाली वालटियर जत्थे इस समय भी गवनमन्ट के लिए हौआ बने हुए थे।

इस डी सी के ऊपर के अफसरो के साथ ताल्लुक बडे गहरे थे। उसके बारे म वह रिपोट मजूर कर ली गयी जिसम अकालियो से मदद लेने के उसके काय को 'स्वस्थ और 'सिखो को गडबड से बाहर रखने का कदम" बताया

गया था। स्वय उसकी अपनी रिपोट म सिखा की इस सहायता की श्लाघा की गयी थी।[1]

४ रिहाइयो के रास्ते की खोज

२ और ३ अप्रल को शोमणि कमेटी की आम मीटिंग हुइ। विचाराधीन मसले थे—उस वक्त की स्थिति जेलो मे मार पीट और रिहाइयो का मसला। गुरु के बाग के कदियो की रिहायी का प्रस्ताव, गवनमेट के विरोध के बावजूद, पजाब कौसिल म पास हो गया था। गवनमेट ढेर सारे बन्दियो को छोडना चाहती थी। कारण एक तो यह कि जेलो म बडा "जमघट' हो गया था, दूसरे यह कि 'खच" का बोझ जरूरत से ज्यादा बढ गया था।[2] पर वह उन्ह छोडे किस तरह ? अकाली तो फिर जीत के नगाडे बजाने लगेंगे।

इसलिए गवनमेट ने किसी मध्यस्थ के जरिये शोमणि कमेटी के पास यह तजवीज भेजी कि गवनमेट गुरु के बाग के कैदियो को—हिंसा के जुम वाले कदियो के अलावा—इस शत पर छोडने को तैयार है कि शोमणि कमेटी एलान कर दे कि वह किसी भी ऐसी कारवाई को नापसद करेगी, जो गुरद्वारा के सम्बध म बिलकुल ही कानून के मुताबिक नही होगी।' कमेटी न इसके जवाब म कहा

कमेटी यह वचन देने को तयार है कि कैदियो की रिहाइयो के समय से लेकर नये गुरद्वारा बिल के निश्चित समय म पास होने तक, वह किसी गुरद्वारे के ऊपर महतो के साथ परस्पर समझौते के बिना, कब्जा नही करेगी।'[1]

कमेटी का यह जवाब दुरस्त था और अपनी ताकत के भरोसे पर दिया गया था। कमेटी जब तक बिल को आखिरी शक्ल मे पास हुआ देख कर फैसला न कर ले कि गुरद्वारा बिल उसकी मर्जी के मुताबिक है या नहीं—तब तक वह अपने हाथ बाधने को तैयार नहीं थी। गवनमेट ने इस बात को 'अस्पष्ट' कह कर बातचीत बद कर दी।

जेलो म इतने ज्यादा कैदी रखने की गुजाइश बिलकुल नही थी। गवनमेट ने तम्बू गाड गाड कर और काटदार तार लगा-लगा कर बन्दियो का अहाता बना रखा था। एक-एक जेल म—जेल की गुजाइश के मुकाबले—दो-दो गुना ज्यादा कैदी भरे हुए थ। कदियो को देने के लिए गवनमेट के पास—बन्दियो की सख्या के मुताबिक—कुर्ते, पैजामे, कम्बल वगैरा भी नहा थ। बजट

१ फाइल नम्बर १२५/१९२३
२ ई डी मक्लैगन १६ माच १९२३
३ फाइल म २५ अंक

की रस्म मे पच कहीं ज्यादा हो रहा था। गवर्नमेंट कोई रास्ता ढूंढ रही थी जिसको बहाना बना कर बहुत से कदियो को छोडा जाय। उसको बहाना मिल गया—अकालियो की तरफ से साम्प्रदायिक फसादो मे सरकार को मदद।

इसलिए गवनर इन कौंसिल ने फैसला किया है कि उस मौके पर अकालियो के अच्छे आचरण को मान्यता देने हुए—सिवा उनके जिन्होने जेल के अन्दर गम्भीर जुर्मों मे हिस्सा लिया है—गुरु के बाग के सब कैदियो को फौरन रिहा कर दिया जाय। अमृतसर की यह घटना इन कदियो से छुटकारा हासिल करने के लिए बडा अच्छा मौका मुहैया करती है।' केन्द्रीय सरकार ने इस तजवीज को मन्जूरी देते हुए, ऊपर दिये हुए शब्द दोहराय और लिखा

यह साफ तौर पर उन बहुसख्यक कैदियों से छुटकारा हासिल करने का अच्छा मौका है जिन्हें—पब्लिक हित म—ज्यादा अर्से के लिए बद रखना गैर जरूरी है और इससे कुछ और फायदा भी उठाना चाहिए। इस आशय का लोगो मे एलान करना जरूरी है।"[1]

गवनमेंट ने बहाना ढूढ कर कैदी तो बहुत से छोड दिये—पर छोडे अपने हाथ म अधिकार रख कर। एक तो तथाकथित गम्भीर जुम वाले कदियो को जेलो से रिहा न किया गया। इस श्रेणी म भिन्न भिन्न जेलो के कितने ही कैदी आते थे। इनमे सरदार खडक सिंह प्रधान शिरोमणि कमेटी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दूसरे उन कदियो को रिहा न किया गया जो कृपाण बनाने, तलवार (कृपाण) उगर लाइसेंस पहनने, या गुरुद्वारो पर जबरी कब्जा करने के अलग अलग जुर्मों म कैद किये गये थे। न ही गवनमेंट ने मार्च अप्रैल १९२२ की आम गिरफ्तारियो म बगावती तकरीरें करने के जुम मे पकडे गये अकालियो को छोडना चाहा। गवनर ने इन कदियो की रिहाई—अदालती फसलो के अध्ययन के बाद—करने का अधिकार अपने हाथ मे रखा था।

रिहा किये गये कैदियो को—सजाओ की मियाद खत्म हो जाने के कारण—अगले दो या तीन महीनो म वैसे ही रिहा हो जाना था। इनम से कई अकाली एक ही जुम म दो दो साल के लिए कैद किये गये थे। कुछ को इससे आधी, या आधी से भी कम, सजायें हुई थी। जुम एक ही था—पर सजायें कहीं तो ज्यादा थी, और कहीं कम थी। यह गलत इन्साफ गवनर को भी नजर आता था। इसलिए गवनर की राय म यह अच्छी बात नहीं थी कि उन कैदियो से सारी कैद कटायी जाय, जिनको दो दो साल की कैद हुई थी—जबकि बहुसख्या को उसी जुम म थोडी सजायें मिलने के कारण रिहा कर दिया जाय।

लगभग सवा हजार कैदी रिहा कर दिये गये थे। लेकिन बहुत से नेता

१ फाइल न १२५/१९२३ होम पोलिटिकल

अभी जेता म प॰ सड रहे थे। गवनमेंट को मालूम था कि इस किस्म की रिहाइया से न तो गम ख्याल कारकुन सतुष्ट होंगे, न ही पजाब कौंसिल द्वारा पास किये गये प्रस्ताव की मशा पूरी होगी। पर गवनमंट आम रिहाइया के लिए तैयार नही थी। इसलिए इन रिहाइया के हो जाने पर खुशी अधूरी रही। लेकिन गवनमंट के इस कदम के साथ बाकी अकाली कैदियो और लीडरो की रिहाइयो की मुहिम और भी तेज हो गयी।

५ रिहाइयों के बाद मार पीट

असल मे गवनमंट अकाली तहरीक को कुचल पाने म असमथ होने के कारण बडे ओछे तरीको पर उतर आयी थी। अकाली तहरीक से पहले उसके हर फैसले का सिक्का चलता था। नयी स्थिति पैदा हो जाने के कारण, उसके फैसले माने नही जा रहे थे। इसलिए अपना गुस्सा वह अकालियो की बेजा और कानून विरोधी मार पीट के जरिये निकालती थी। उसकी ओछी मनोवृत्ति और नीचता की दो मिसालें यहा पेश हैं

२८ अप्रल १९२३ को रावलपिंडी जेल स लगभग १७० कैदी रिहा किये गये। गवनमंट का बयान यह है कि कैदिया से कहा गया था कि व छावनी स होकर न गुजरे। लेकिन स्टेशन का रास्ता बताने वाला कोइ आदमी उनके साथ न भेजा गया। अकाली अपनी जत्थेबदी के अनुशासन के अनुसार चार चार की लाइनें बना कर छावनी से माच करते हुए स्टेशन की तरफ चल पडे। उन्हे फौजी तरतीब से माच करत देख अग्रेज हाकिमा के गुस्से का पारा बहुत ऊपर चढ गया। पुलिस अफसरो और सिपाहिया ने तत्काल जाकर उनको घेर लिया और उन्हें भुट्टो की तरह पीटना शुरू कर दिया। कई अकाली जख्मी होकर धरती पर चारो खाने चित्त गिर गये। कई अकालियो की हड्डिया-पसलियो को जख्म लगे, कुछ के जिस्मो से लहू बहने लगा।

लेकिन गवनमंट की रिपोट म बडी ढिठायी से लिखा गया—"पुलिस को ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत पडी और वह बगर किसी मुश्किल के अकालिया का गवनमंट द्वारा मजूर किये रास्ते स भेजने के अपने मकसद म कामयाब हुई। थोडे से अकालिया को जमीन पर गिरा दिया गया, पर चोट किसी को भी नही लगी।[1]

दूसरी घटना इसम भी ज्यादा गम्भीर थी। २६ अप्रल को कम्बलपुर जेल स ४५० अकाली रिहा किय गय। उनको सीधे अमृतसर के टिकट दिये गय। हसन अब्दाल का स्टेशन आने स कुछ पहले अकाली कैदिया को ख्याल

१ फाइल न २५ मई १९२३

आया कि गुरद्वारा पजा साहव के दर्शनो का मौका न गवाया जाय। गवर्नमन्ट के बयान के अनुसार—अकालिया ने जजीर खीच कर गाडी खडी कर ली और नीचे उतर गय। उन्होंने अपन टिकट स्टेशन के स्टाफ को नही दिये। रास्ते म ही सफर छोडने के कारण उनके टिकट रद्द हो गय।

स्टेशन मास्टर ने गुरद्वारे के प्रबधको को लिख कर भेजा कि अकालियो से टिकट लेकर वापस कर दिये जायें। लेकिन टिकट वापस नही किय गय। अगले दिन ४०० अकालिया न हसन अब्दाल से रावलपिंडी स्टेशन तक के नय टिकट खरीदे। लेकिन ५५ अकालिया न कोई टिकट न लिय। गवनमन्ट ने पुलिस पहले ही रावलपिंडी स्टेशन पर बुला कर खडी कर ली थी। उन्होंने अकालियो को घसीट घसीट कर रेल स उतार लिया और पशुओ की तरह लाठी-सोटा से पीट पीट कर प्लेटफाम से बाहर निकाल दिया। व स्टेशन की हद म बठ कर शब्द पढने लग।

भला अफसरों को यह बात कस गवारा हो सकती थी? उन्होंने बहाना गढा कि अकालिया ने स्टेशन के रास्ते बन्द कर दिये हैं। अत, पहले पुलिस न अच्छी तरह ताकत का इस्तमाल किया, फिर ब्रिटिश पदल फौज की एक कम्पनी बुला ली गयी। इन दोना ने अकालिया को मार मार कर पीट पीट कर स्टेशन की हदा से बाहर निकाल दिया और बाद म बेशर्मी के साथ एलान किया कि 'पुलिस और फौज न, सिविल अधिकारिया की हाजिरी म, एसी कोई ताकत नहीं इस्तेमाल की जिस बिलकुल दुरुस्त न करार दिया जा सक'।"[2]

शोमणि कमेटी ने अपने एलाना म गवनमन्ट द्वारा ऐसी वहशियाना और जगली ताकत के इस्तेमाल की निन्दा की। ४५० अकालिया म स ४२८ अकाली सख्त जख्मी हो गय थ। बाकी का कुछ कम चोटें लगी थी। इस बुरी हालत म उनको लगभग एक हफ्ते वहीं पडे रहना पडा। किन्तु गवनमन्ट न बयान निकाला कि किसी भी अकाली की हड्डी पसली नही टूटी।

रावलपिंडी की सिंह सभा न इन अकालिया की बडी सवा की। जिनक पास टिकटो के लिए पस नही थे, उन्ह टिकट भी सभा की तरफ म खरीद कर दिय गये और अमृतसर पहुचाया गया।

६ गुरुद्वारा मुक्तसर

गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी ने सीधी कारवाई करके बहुत से गुरुद्वारा पर कब्जा कर लिया था। गुरु के बाग की जीत ने पुजारिया के होश कुछ कुछ ठिकाने लगा दिये थ। मार्च १९२३ की गवनमन्ट की एक रिपोट म कहा गया है

२ वही

हासिल किया जाय । गुरु के बाग के मोर्चे की कामयाबी से पहले पुजारी हवा में तलवारें भाजते रहते थे और कमेटी की कोई बात नहीं सुनते थे ।

आनन्दपुर के मोती सिंह सोढी के खानदान ने डट कर अकाली तहरीक की हिमायत की थी । इस हिमायत के बदले गवर्नमेन्ट ने उन पर बड़े जुल्म किये । अकाली लीडरों के पहले जत्थे के साथ गिरफ्तार होकर सोढी प्रीतम सिंह लगभग ढाई साल तक जेल में सड़ते रहे थे ।

इस वक्त गवर्नमेन्ट भी कुछ ढीली थी । उसकी एक रिपोर्ट में लिखा था "पुरअमन समझौते की उम्मीद की जा रही है ।" असली अड़गा तो गवर्नमेन्ट का ही था । यह अड़गा निकल जाने पर पुजारियों के सामने इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वे हथियार डाल दें क्योंकि जिस कीले के जोर पर पुजारी अकड़ते थे वह तो लगभग उखड़ चुका था ।

पुजारी गुरुद्वारा को कमेटी के हवाले करने के लिए रजामन्द हो गये और गुरुद्वारा आनन्दपुर कमेटी के कब्जे में आ गया ।

तेरहवाँ अध्याय

जेलों में दमन और आतंक

१ बन्दियों का स्टेशनों पर स्वागत

गुरु के बाग के बन्दी जिस ओर भी जाते या भेजे जाते, उस ओर ही स्टेशनों पर उनका हार्दिक स्वागत होता। स्टेशनों पर से गाड़ी के गुजरने से दो-तीन घंटे पहले लोग फूलों के हार, फल, मिठाई या पराठे, प्रसाद, भाजियाँ वगैरह लेकर पहुँच जाते। वे बन्दियों को खाना दिये बगैर उन्हें नहीं जाने देते थे। बन्दियों के आने जाने की खबरें सारे के सारे स्टेशनों पर पहले ही पहुँच जाती थी।

कई स्टेशनों पर बन्दियों के इन्चार्ज अफसर उन तक खाना पहुँचाने की लोगों को आज्ञा दे देते थे। सन्देश-पत्र भी लिये दिये जा सकते थे। पर कई अफसर बड़े सख्त और अक्खड़ होते थे। वे गाड़ी के इर्द गिर्द पुलिस के पहरे लगा देते और किसी बाहरी आदमी को बन्दियों के नजदीक नहीं फटकने देते थे। पर सख्तियों के बावजूद, बातचीत करना रोकना असम्भव होता था—यद्यपि कहीं-कहीं बन्दियों को खाने का सामान भी नहीं लेने दिया जाता था। ऊपर के अफसर, इन्चार्ज अफसरों को हिदायतें देकर भेजते थे कि किसी गैर-आदमी को अकाली बन्दियों के नजदीक न जाने दिया जाय। इस सम्बन्ध में कुछ अफसरों से जवाब-तलबी भी हुई थी कि उन्होंने स्टेशनों पर बंदियों के साथ मुलाकातों की इजाजत क्यों दी।

साका श्री पंजा साहिब [हसन अबदाल]
रुकेगी और नगर (जलपान) छकाने के बाद चलेगी। बलिदान
नीय दृश्य। (SGPC)

होगा। इलाके के लोग बडे उत्साह से स्टेशन पर से गुजरते अकाली कैदियों की सेवा करते थे—बस पता लग जाना चाहिए कि अमुक समय पर गाडी अकाली कैदियों को लेकर गुजरने वाली है।

२ पंजा साहब के शहीद

इस इलाके के लोगों को एक दिन पता चला कि पंजा साहब (हसन अब्दाल) स्टेशन से अकाली कैदियों को लेकर गाडी लगभग आठ बजे सुबह गुजरेगी। सिंहों ने फैसला किया कि अकाली कैदियों को प्रसाद छकाये जायें। मुंह-अंधेरे ही उन्होंने पंजा साहब के गुरुद्वारे में लंगर तैयार किया और आठ बजे से पहले स्टेशन पहुंच गये। ढेर सारे अकाली उस समय गुरुद्वारे में जमा थे। खबर मिलते ही बाहर से भी कुछ लोग आकर शामिल हो गये। दो ढाई सौ के करीब सिख स्टेशन पर इकट्ठे हो गये थे।

स्टेशन मास्टर से पूछने पर पता चला कि गाडी सीधी गुजर रही है स्टेशन पर रुकेगी नहीं। सिखों को बडी निराशा हुई। किन्तु भाई प्रताप सिंह और उनके साथियों ने कहा कि हमें सिंहों को प्रसाद जरूर छकाना चाहिए, उन्हें भूखे नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए गाडी रोकने का बंदोबस्त किया जाय। सारे सिंहों ने एक आवाज में कहा "ठीक है! ठीक है! गाडी रोकी जाय।" फैसला हुआ कि गाडी की लाइन पर धरना दिया जाय और हर कुर्बानी देकर गाडी रोकी जाय।

कुछ सिंह जिस ओर से गाडी आने वाली थी उस ओर सिगनल के इधर उधर लाइन पर बैठ गये। उनके साथ ही कुछ वीरांगनाएं थोडी थोडी दूरी पर बैठ गयीं। कुछ अकाली नौजवान सिगनल के नजदीक जाकर बैठ गये। इनमें भाई प्रताप सिंह और करम सिंह तथा कुछ अन्य नौजवान थे। गाडी सीटियां मारती हुई बडी तेजी से आ रही थी। पर सिंह लाइनों पर डटे रहे। मृत्यु की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी। गाडी कुछ को काटती कुछ को जख्मी करके छज्जे से बाहर फेंकती हुई थोडी आगे जाकर खडी हो गयी।

सिंहों ने अकाली कैदियों को प्रसाद छकाने का प्रण पूरा किया, इसके बाद ही जाकर वीरों की खबर ली। प्रताप सिंह और करम सिंह बुरी तरह कट गये थे। करम सिंह पहले और प्रताप सिंह बाद में शहीद हो गये। लगभग आधे दर्जन सिंहों के अंग कट गये—किसी की टांगें, किसी की बाहें। वे अंग हीन तो हो गये, पर उनके प्राण बच गये।

यह थी भावना उन दिनों जो अकालियों में काम कर रही थी।

३ जेलो मे अनुशासन

गुरु के बाग की तगद्दुद की पालिसी जेलो मे भी पूरे जोर-शोर से लागू की गयी। इसका मकसद भी अकाली तहरीक को कुचलना था। बाहर मार पीट और जुल्म नगे हो जाते थे अखबारो मे चर्चा का कारण बनते थे। जेलो के अन्दर जुल्म की चर्चा की सम्भावना बहुत कम थी क्योकि जब तक कोई आदमी रिहा होकर बाहर न आये और आकर शिरोमणि कमेटी को न बताये—तब तक जुल्म की कोई खबर बाहर नही मिल सकती थी।

इस जुल्म का लक्ष्य था अकालियो से माफिया मगवाना और अपने लिए तरक्की या खिताब हासिल करना। माफिया और तरक्किया एक-दूसरे के साथ जुडी हुई थी। इससे अनुभव किया जा सकता है कि जेलो मे अफसरो द्वारा अकालियो पर तसद्दुद कितना सख्त रहा होगा। मेरा विचार है कि तसद्दुद के उन स्वरूपो तक हमारी काल्पनिक उडान भी नहा पहुच सकती, जो जेल के अफसर अकालियो का मनोबल तोडने और माफिया मगवा कर उन्हें घरो को भेजने के लिए उन पर ढाते थे।

जेलें 'वेदाग' नगरिया थीं। इनमे एक एक अफसर की असीमित डिक्टेटर शिप का राज था। वह जो चाहे अधेरगर्दी मचा सकता था कोई पूछने वाला नही था। अनुशासन के पर्दे के पीछे जेलो मे कोई भी उपद्रव किये जा सकते थे। असहयोग आन्दोलन के राजनीतिक और गुरुद्वारा सुधार लहर के अकाली कदियो के लिए जेलो का अमानवीय वातावरण बर्दाश्त से बाहर की चीज था। वहा इखलाकी जुर्मों के कदियो और असहयोगी अकालियो के बीच कोई फर्क नही था। अकाली और असहयोगी कैदी, शुरू शुरू मे इखलाकी जुर्मों के कैदियो से ज्यादा बुरे और मुजरिम समझे जाते थे। पर जेलो के अन्दर उनके सग्रामो ने, जिनमे उन्होने असह्य मुसीबतें झेली, हालात मे कुछ तब्दीलिया पदा की।

इनसे पहले गदरी शूर वीरो ने बडी मुसीबतें उठा कर कडा, कच्छो और पगडियो वगरा की सहूलियतें हासिल की थी। जिस समय गदरी शूर वीर जेलों मे गये थे उस समय कैदी के गले मे लोहे की हसली डाल कर कद की पट्टी लटकायी जाती थी। खूराक की, और बीमारो के लिए अस्पतालो की, हालत बहुत बुरी थी। कैदियों को तीन महीने मे सिर्फ एक कार्ड लिखने की इजाजत थी। कदियो से मुलाकात के मामले मे यह जेलर की मर्जी थी कि वह किसी की मुलाकात होने दे, या न होने दे। अन्य पुस्तकों की बात तो बहुत दूर—धार्मिक पाठ के गुटके और गुरुग्रथ साहब को पास रखने तक की इजाजत नही दी जाती

थी। सक्षेप म यह कि जेल मे गये आदमी का दम बाहर की गुलामी स भी ज्यादा घुटन लगता था।

राजनीतिक और अकाली कैदियो पर हो रहे जुल्मो ने पजाब कौंसिल और असेम्बली के मेम्बरो को भी झिझोड दिया। उन्होंने इन हालात को बदलने के लिए असेम्बली और कौंसिल मे कई सवाल उठाये। पजाब कौंसिल मे राजनीतिक कैदियो के साथ जेलो म बेहतर सलूक करने के बारे मे एक प्रस्ताव पेश किया गया। तकरीरो मे उन्हें 'जगी कैदियो या "योरपीय कैदियो' जैसा दर्जा देने पर जोर दिया गया। इससे पहले, इसी तरह के प्रस्ताव बिहार और यू पी की कौंसिलो ने भी पास किये थे। इनमे खूराक, मुलाकातो, मशक्कत और जेल के भीतर की सजाओ मे सुधार के सुझाव दिये गये थे। चक्की कुआ कोल्हू चलाने और मूज कूटने की मशक्कत कराने का विरोध किया गया था। किन्तु सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा "राजनीतिक कैदी की सतुलित व्याख्या नही हो सकती।"[1]

इन दिनो मे लगभग सभी बडी जेलो के सुपरिंटेंडेट अग्रेज होते थे जो अकाली तहरीक को कुचलने के लिए हर तरह के जुल्म करने को तैयार रहते। हर जेल म—किसी मे कम तो किसी म ज्यादा—जुल्म का इस्तेमाल होता था। प्रत्येक जेल मे कमोबेश एक महीने तक बडिया डडा बेडियो, हथकडिया, तप्पड के कपडे (यानी टाट वर्दी), चक्की, कोल्हू कुआ या खरास, हाथो मे हथकडी लगा कर ऊपर टागने आदि की सजायें दी जाती थी। एक महीने या पद्रह दिन के लिए चक्की बद करके पक्के १८ सेर दाने पीसने को देने का तो आम कायदा था।

ये सब सजायें अफसर लोग जेल के जुर्म की ज्यादा या कम गम्भीरता के अनुसार देते थे। बान बनाना, चर्खा कातना, निवाड बुनना तो नर्म सजायें थी, बाकी सब की सब सख्त थी। अरदास के बाद जयकारा छोडना या ऊची आवाज म शब्द पढना जेल का अनुशासन भग करने का द्योतक था और एसा करने वाला सजा का भागीदार बनता था। लेकिन इनस भी सख्त सजायें थी—बेतो की सजा देना और जेल के नम्बरदारो तथा वाडरो से पिटवाना। सबसे बडा जुल्म था एलाम बजा कर, बाहर से आम पुलिस मगवा कर, तमाम अकालियो की दुर्गति करके उन्ह अधमरा कर देना।

अकाली जयकारे बोलना अपना धार्मिक फर्ज समझते थे। अरदासे के बाद कही धीमी तो कही ऊची आवाज म, वे जयकारा जरूर बोलते थे। जेल के

१ पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल डिबेटस लाला ठाकुर दास का प्रस्ताव, १० जनवरी १९२२

अफमरा को जयकारे से हुक्मउदूली, बगावत और अवज्ञा की बू आती थी। वे कैदियो को जूते या डडे के नीचे रखने के आदी थे। इस किस्म की हुक्म उदूली की बातो से उनका पहले कभी वास्ता नही पडा था। अनुशासन उनकी पूजा का सबसे बडा बुत था। और, उस समय तो सरकार की पालिसी भी अका लियो को अच्छी तरह से रगडने की थी—जो उन्हे जितना रगडता, उसकी निजी तरक्की का रास्ता भी उतनी ही जल्दी खुलता। इसलिए जेला म जगह-जगह अकालियो की हड्डिया सेंकी गयी।

गले मे लोहे की हसली पहनने के खिलाफ लायलपुर जेल म सग्राम शुरू हुआ। अकाली कदी इसको लानत का तौक कहते थे। विरोध प्रदर्शन के रूप म सुपरिटेंडेंट की परेड के वक्त अकाली कदिया ने खडे होना बन्द कर दिया। मुतालबा एक ही था हसली गले मे नहीं डाली जायगी—जो मर्जी है सजायें दिये जाओ। बेतो के नीचे सब सजायें—कोठी बन्द खडी हथकडिया-बडिया और डडा बडिया वगैरा—दी गयी। इस किस्म की सजाओ की अकाली तनिक भी परवाह नही करते थे। सघर्ष तीव्र हो गया। अकाली डटे रहे। नौबत भूख हडताल तक पहुची। गले म हसली डालने के खिलाफ अन्य जेला मे भी सग्राम हो रहे थे। गवर्नमेंट झुक गयी और लोहे की हसली का तौक गले से हमेशा के लिए उतर गया।[1]

जेलो के अफसर अपनी जेला के 'शरारती लीडरो' को दूसरी जेला मे बदल देते थे। लीडर अपनी जेला के सग्राम की कहानिया, नयी जेलो मे साथ ले जाते थे। वहा पहले ही कोई सग्राम चल रहा होता या इनके जाने के साथ शुरू हो जाता। अकाली जायज और वाजिब अनुशासन मानने के हामी थे। पर वे इसानियत की भावना कुचलने वाले अनुशासन को नही मानते थे। लायलपुर जेल के 'शरारती लीडर', मटगुमरी जेल भेज दिये गये।

यह किसी वक्त फौजिया का कैम्प था। काटेदार तारो से हर तरफ से घेर कर यह जेल मे तब्दील किया गया था। यहा की हालत बहुत खराब थी—खाने का प्रबध निकम्मा, अस्पताल का इतजाम रद्दी जरूरी दवाइया नदारत। बरिक बहुत पुरानी थी जो बारिश के वक्त टपकने लगती। ज्यादातर कैदी तम्बुओ म रखे जाते थे जहा बिच्छू रेंगते फिरते थे और बाहर से साप आ जाते थे। हवा के चलने के साथ तम्बू बाहर की मिटटी से भर जाते। नहाने और टट्टियो का प्रबध बहुत ही खराब था। इसी जेल म ज्यादातर

१ लेखक लायलपुर जेल मे इस सग्राम का एक नेता था। उसके हिस्ट्री टिकट पर तीन बार लिखा गया था कि यह शरारती लीडर (रिंग लीडर) है और उसे सख्त सजायें दी गयी थी

अकाली लीडर रखे गये थे। हालात न सुधरने के कारण, विरोध प्रदर्शन के रूप मे एक वक्त की रोटियों का बायकाट कर दिया गया था। एजीटेशन के कारण गवनमेंट को यह कैम्प जेल तोडनी पडी और यहा के कैदियो को जिला मुलतान जेल म भेजना पडा।

जयकारे बोलन के कारण इस जेल म भी डडा-बेडिया लगी' और कई कई अकाली कायकर्ताओ व लीडरो को अन्य सजायें दी गयी। इस जेल मे प्रति सप्ताह धर्म दरबार और लेक्चर होत जिसके कारण अकाली कदियो की समझ-बूझ और भी बढी। *यह सहूलियत दूसरी किसी जेल म नही थी।* वैसे, जेलो की मार-पीट और अफसरो के जानिमाना रवय ने अकालियो को बहुत-कुछ सिखाया था। जेलो म आकर अकालियो ने ब्रिटिश साम्राज्य का असली खूखार और वहशी चेहरा देखा जिसके कारण उनकी नफरत और भी तेज हो गयी थी।

सबसे ज्यादा सख्ती तीन जेलो मे की गयी कैम्बलपुर जेल किला अटक जेल और जिला मुलतान जेल मे। गुरू के बाग के ज्यादातर कैदी इन्ही जेलो मे बद थे। पहली दोनो जेलें डी सी कावन के अधिकार के अतगत थी। यह डी. सी उसी डायर और ओ'डवायर वाली पीढी का था जिसने डडे के बल पर हिदुस्तानियो को सीधा करने का गुर सीखा था [1] इसने कम्बलपुर और अटक जेल दोनो म कुछ अकाली कैदियो को बेंत मारने की सजा दी और बेंत मारे। साथ ही, बाहर से पुलिस मगवा कर आम कैदियो को बुरी तरह पिटवाया भी गया। कहानी इस प्रकार है

गुरू के बाग म गवनमेंट अकालियो को पकडती तो जा रही थी लेकिन उसके पास उन्ह रखने के लिए जगह नही थी—जेलें अकालियो से पहले ही अटी पडी थी। अत वह तम्बू गाड गाड कर जेलो, किलो या फौजी बारिको म उन्हें बन्द कर रही थी। कैदियो के लिए जरूरी सामान भी इन जेलो मे

१ अकाली ते प्रदेसी ने उनके नाम इस तरतीब स दिये थे सोहन सिंह जोश (चेननपुरी) म प्रताप सिंह जत्थेदार होशियारपुर स करतार सिंह मरली स निरजन सिंह कदोवाली स बरियाम सिंह लाहौर स करनैल सिंह लाहौर स नन्द सिंह लाहौर स बलवत सिंह सेक्रेटरी प्रबधक कमेटी लाहौर बाबा सता सिंह बोरियाबाला, स बधावा सिंह जलधरी स चचल सिंह लाहौर। डडे आम तौर पर १६ इच लम्बे होत हैं, पर य बीस इच के होते हैं। (मिस्टर घोष का राज—डडा-बेडिया अकाली ते प्रदेसी १६ नवम्बर १९२२)

मौजूद नही था। इसलिए गवर्नमेंट के अफसर गरु के बाग की शिकस्त का बदला अकालियो को जेलो मे पीट-पीट कर लेना चाहते थे। अकालियो पर गुस्सा उतार कर वे अपनी अयोग्यता को ढकना चाहते थे।

४ बेंतो की सजायें

कुछ दिनो बाद कैम्बलपुर जेल मे २७०० अकाली कैदी भेजे गये। जेल मे कैदियो के लिए पूरा सामान नही था। फलत उन्होंने जेल स्टाफ के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर नारे लगाये और जयकारे बोले। उन्होंने पहले सुपरिंटेंडेंट जेल मि घोष से जयकारे बोलने की आज्ञा भी ले ली थी। उसने सुबह और शाम की अरदास के बाद जयकारे छोड़ने की आज्ञा दे रखी थी।

२१ अक्तूबर को दोपहर ढलने के वक्त—डी सी कावन की अपनी रिपोर्ट के अनुसार—कैदियो ने जेल मे हुक्मउदूली की और नारे लगाये। यह डी सी भी मौके पर पहुच गया था। बस जेल के एलार्म का घटा बज उठा। सीटियां गूजने लगी। वार्डर और नम्बरदार इकट्ठे हो गये। मिस्टर बनट नामक पुलिस अफसर की कमाड मे लाठियो और बन्दूको से लैस पुलिस की कुमक बाहर से आ धमकी। अकालियो को चुन-चुन कर उनकी पिटायी शुरू हो गयी, जिसमे लाठियो का अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया।

कावन की नजरो मे हालात 'हल्ले गुल्ले वाली' हो गयी थी। उसकी दृष्टि मे खतरा यह पैदा हो गया था कि कहीं इकट्ठा हल्ला बोल कर अकाली काटेदार तारो के घेरे तोड बाहर न निकल जायें। बैनेट और कावन बडे फिक्रमद थे कि कही गोली ही न चलानी पड जाय। वे तम्बुओ के भीतर गये ताकि झगड़ालू कुछ लीडरो को अलहदा कर सकें। 'हमने उतनी ही ताकत इस्तेमाल की जितनी बाकी कैदियो पर असर डालने के लिए जरूरी थी। ये चुने हुए आदमी जेल के सेंटर मे लाये गये। इनमे से चार को सब कैदियो के सामने कडे बेंत मारे गये।' अभी औरो को भी बेंत मारे जाने थे पर अधेरा और शांति हो जाने के कारण उन्हे अहाते मे बन्द कर दिया गया ताकि अगले दिन इनके साथ मेजर पुरी साहब निपटें।

और इस कावन ने निहत्थे कैदियो के हाड घुटने तोड कर बडी बेशर्मी के साथ लिखा 'जेलर ने दखल देकर यह इच्छा व्यक्त की कि कैदियो को एक और मौका दिया जाय। पर मैंने स्वीकार किया यह बात नही मानी जा सकती।' उसके ख्याल मे अकालियो में बहुत सारे आदमी 'मुजरिमाना किस्म के प्रभाव मे थे। उसके अनुसार, किसी समझौते के तौर पर अपने हाथ

इनको छोड़ देना गर वाजिब होगा। सुपरिंटेंडेंट जेल अच्छे बुरे की पहचान बता सकते हैं—यह बावन का गवनमेंट को मशविरा था।[1]

ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह बावन की अपनी रिपोर्ट पर आधारित है। अकाली अभी-अभी जेलों में गये ही थे। उन्हें जेल के कानूनों की अभी पूरी जानकारी भी नहीं थी। जेलों में दजनों सजाओं—कोठी बन्दी मूंज कूटना चक्की पीसना वगैरा—में से कोई भी दी जा सकती थी। पर बेंतों की इतहायी सजा देना अर्थहीन नहीं। इस रिपोर्ट को ही गौर से पढ़ा जाय तो अकाली बन्दियों को पीटने और उनकी स्पिरिट कुचल देने की साजिश साफ साफ नजर आ जाती है। जेलर बेंतों की सजा देने के हक में नहीं था। उसने सुबह और शाम जयकारे छोड़ने की आज्ञा दे दी थी। वह अलार्म का घंटा बजाने का अर्थ डी सी से ज्यादा अच्छी तरह समझता था। इसलिए वह इस काम की हिमायत एक मातहत की हैसियत से ही—मजबूर होकर—कर सकता था। उसको नौकरी का खतरा न होता, तो शायद अलार्म बजाने की हिमायत वह कभी न करता। अकालियों को पीटने की यह साजिश दरअसल बावन और जैनेट दोनों की ही, मालूम होती थी। इस मार पीट की हवा बाहर नहीं जाने दी गयी।

अटक जेल में अकालियों के साथ कसाइयों जैसा सलूक किया जा रहा था। ताला बन्द हो जाने के बाद—सुपरिंटेंडेंट के कथनानुसार—चार लड़के शब्द पढ़ रहे थे। उन्हें डंडा बेड़ी की सजा दी गयी। जिस समय डंडा बेड़ी उनके पैरों में डाली जा रही थी उन्होंने सत श्री-अकाल!" के जयकारे लगाये। उनके साथ ही १४०० कैदियों का सारा कैम्प नारे लगाने लगा। कैदी अपने तम्बुओं से बाहर निकल आये। सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें अपने तम्बुओं में चले जाने का हुक्म दिया। उनमें से २० अकाली चुन कर निकाल लिये गये और उन्हें खड़ी हथकड़ियों की सजायें दी गयी।

'इन्हें भूखा नहीं रखा गया, इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी। नल खराब होने के कारण इन्हें दरिया से पानी लाने का हुक्म दिया गया था। पर इन्होंने पानी लाने से इन्कार कर दिया। इसलिए इन्हें दो दिन पानी नहीं मिला।'—यह कहानी बना कर अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट चुप हो गया। उसने मार पिटायी की अपनी करतूत पर पर्दा डालना चाहा। उसने इस बात का जिक्र न किया कि जेल में अलार्म बजाया गया था बाहर से बुलायी गयी पुलिस और अन्दर के वार्डरों तथा नम्बरदारों ने मिल कर अकालियों को पीटा था।

बाहर आम लोगों और अखबारों में इस जुल्म की बड़ी चर्चा हुई। और

1 फाइल न० १०६/२, १९२२ होम पोलिटिकल

कई कस्बो और शहरो म जलूस करके इस अत्याचार की निन्दा की गयी थी। एजीटेशन इतनी बढी कि गवनमेट को मजबूर होकर कौंसिल के दो मेम्बरो को जाच पडताल के लिए भेजना पडा।

५ जाच पडताल की रिपोट

कौंसिल के ये दोनो मेम्बर सरकार परस्त थे और खिताबी म लस थे। इनम से एक का नाम था दीवान बहादुर राजा नरेन्द्रनाथ और दूसरे का रायबहादुर लाला सवकराम। गवनमेट ने इन्ह जन क जुल्मो पर पर्दा डालने के लिए चुना था। पर य दोनो भी हकीकत पर गए हुए तो ही पर्दा डाल सकते थे—पूरी हकीकत पर नही।

उपर्युक्त घटना १५ नवम्बर १९२२ का घटी थी। दोनो पडतालिया मेम्बर अटक जेल म २ दिसम्बर को पहुचे। उन्हान जेल के हालात और इस घटना की जाच की। जेल अफसरो का केस ऊपर बयान कर दिया गया है। पडतालिया ने सुपरिन्टेडेट की आज्ञा से बाद म तीन कैदिया के अलग अलग बयान लिये। कदिया न बताया कि उन्ह पुलिस और वाडरो ने बहुत बुरी तरह पीटा था जानबूझ कर ५४ घटे उन्ह भूखा रखा था और उनके तम्बुओ स पानी के घडे भी उठवा कर ले गये थे।

लगता है कि कदियो को अलग-अलग करके इस तरह बयान लेने की मेम्बरो की हरकत सुपरिंटेन्डेट को अच्छी नही लगी। वह वहा स चला गया। इसके बाद ये मेम्बर दारोगा और जेल स्टाफ को साथ लेकर हर घिरे हुए अहाते म गय तथा उन्होने हर तम्बू के कदियों से पूछ-ताछ की। सबके बयान एक-दूसरे के बयानो की तसदीक करते थे। लगभग ३० अकालियो ने ये ही बयान दिये।

इसके बाद दोनो मेम्बरो ने जेल अफसरो से कहा कि अपने बयान के सबूत मे वे कोई अकाली—एक ही सही—लायें। वे एक भी अकाली पेश नहा कर सके। इसके बाद पडतालियो ने जेल का रोजनामचा देखा। उसम दर्ज था तब मैंन अपने स्टाफ को हुक्म दिया कि उन आदमियो का पकड लो जो शरारती रहनुमा मालूम होते हैं और बाकियो का पीछे धकेल दो। मेरे स्टाफ द्वारा यह यत्न किये जाने पर उन्ह मुजाहमत का सामना करना पडा और आम गुत्थम गुत्था शुरु हो गयी। यह गुत्थम गुत्था ही है जिसको कदी मार पीट बयान करते है।'

हम इससे यह नतीजा निकालने को मायल है कि जब लीडर पकड लिये गये थे और भीड का पीछे धकेला जा रहा था उस वक्त जेल अफसरो वाडरो तथा पुलिस ने कैम्प म आम मार पिटायी की। नल का खराब होना और उसी

वक्त कैदियो का मिलना न मिलना इस बात का तगडा शक पैदा करता है कि यह ऐसा सब मजबूर योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था।

मेम्बरो ने लिखा कि हमारी राय यह है कि चार लडको के जयकारा बोलने का बडा गम्भीर नोटिस लिया गया। उन्हें इतहायी सजा—डडा-बेडी दी—दी गयी। इस मामले का बड अच्छे ढग स निपटना चाहिए था। उन्होने यह भी राय दज की कि आधी सर्दी के मौसम मे नदी किनारे की इस जेल म कैदियो को तम्बुओ म रखना कोई अच्छी जगह नही। आम इखलाकी कैदियो स इनके साथ कुछ अलग सलूक होना चाहिए और एक कम्बल ज्यादा दिया जाना चाहिए (इस जेल मे सर्दी लगन के कारण एक साठ साला वृद्ध कदी ज्वाला सिंह पहले ही मर चुका था)।

दोनो मेम्बरो ने बाहर आकर—अखबार वालो के जोर देने पर—अटक जेल की स्थिति पर एक बयान दिया और गवनमेंट के सामने अपनी लिखी हुई रिपोर्ट पेश कर दी। गवनमेंट को मेम्बरो से इस किस्म के बयान की उम्मीद नही थी। उधर इस जुल्म के खिलाफ एजीटेशन शुरू हो गयी। कौसिल और असेम्बली म इस घटना के बारे म सवाल उठाये गये। माग की गयी कि मेम्बरो की रिपोर्ट असम्बली म पेश की जाय। गवनमेंट फदे मे फसी हुई थी। अकाली ते प्रदेसी इस सवाल को 'बाक्स-आदटम' के रूप म पेश कर रहा था। आखिर मजबूर होकर गवनमेंट को यह रिपोट कौसिल के सामन रखनी पडी।[1]

पर गवनमेंट न इन सरकार-परस्त मेम्बरो तक की रिपोर्ट रद्द कर दी और जेल अफसरो के बयान को दुरस्त करार दिया। इस पर अकाली ते प्रदेसी न अपन ६ जून के अक म टिप्पणी की "गवनमेंट न तो सम्माननीय शरीफ आदमियो को पहले वहा भेजा और फिर उनकी बेइज्जती की। इनकी जाच का नतीजा यह निकलता है कि अटक जेल म सख्ती पहले स ज्यादा होने लगी है और अफसर सिखो से बदला लेने की कारवाइया कर रहे हैं।' क्या सच है और क्या झूठ इसका पता करने के लिए अखबार ने एक खुले निष्पक्ष कमीशन' की माग की।

६ बेंतो की सजा

इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर डी सी बावन के तन-बदन म आग लग गयी। उसने पहले ही गवनमेंट को चिट्ठी लिख रखी थी कि बेंत मारने का हक सुपरिटेंडेंट स नही छीनना चाहिए। इस चिट्ठी का गवनमेंट की तरफ स

१ पजाब कौसिल डिबट्स जुलाई १९२२ से मार्च १९२३, पृ ९८८ ८९

कई कस्बों और शहरों में जलसे करके इस अत्याचार की निन्दा की गयी थी। एजीटेशन इतनी बढ़ी कि गवर्नमेंट को मजबूर होकर कौंसिल के दो मेम्बरों को जांच पड़ताल के लिए भेजना पड़ा।

५ जांच पड़ताल की रिपोर्ट

कौंसिल के ये दोनों मेम्बर सरकार परस्त थे और सिक्खों में लस थे। इनमें से एक का नाम था दीवान बहादुर राजा नरेन्द्रनाथ और दूसरे का रायबहादुर लाला सवकराम। गवर्नमेंट ने इन्हें जान बूझ कर जुल्मों पर पर्दा डालने के लिए चुना था। पर ये दोनों भी हालात पर एक हद तक ही पर्दा डाल सकते थे—पूरी हकीकत पर नहीं।

उपयुक्त घटना १५ नवम्बर १९२२ को घटी थी। दोनों पड़तालिया मेम्बर अटक जेल में २ दिसम्बर को पहुंचे। उन्होंने जेल के हालात और इस घटना की जांच की। जेल अफसरों का केस ऊपर बयान कर दिया गया है। पड़तालियों ने सुपरिंटेंडेंट की आज्ञा से बाद में तीन कैदियों के अलग अलग बयान लिये। कैदियों ने बताया कि उन्हें पुलिस और वार्डरों ने बहुत बुरी तरह पीटा था, जानबूझ कर ५४ घंटे उन्हें भूखा रखा था और उनके तम्बुओं से पानी के घड़े भी उठवा कर ले गये थे।

लगता है कि कैदियों को अलग-अलग करके इस तरह बयान लेने की मेम्बरों की हरकत सुपरिंटेंडेंट को अच्छी नहीं लगी। वह वहां से चला गया। इसके बाद ये मेम्बर दारोगा और जेल स्टाफ को साथ लेकर हर घिरे हुए अहाते में गये तथा उन्होंने हर तम्बू के कैदियों से पूछ-ताछ की। सबके बयान एक-दूसरे के बयानों की तसदीक करते थे। लगभग ३० अकालियों ने ये ही बयान दिये।

इसके बाद दोनों मेम्बरों ने जेल-अफसरों से कहा कि अपने बयान के सबूत में वे कोई अकाली—एक ही सही—लायें। वे एक भी अकाली पेश नहीं कर सके। इसके बाद पड़तालियों ने जेल का रोजनामचा देखा। उसमें दर्ज था 'तब मैंने अपने स्टाफ को हुक्म दिया कि उन आदमियों को पकड़ लो जो शरारती रहनुमा मालूम होते हैं और बाकियों को पीछे धकेल दो। मेरे स्टाफ द्वारा यह यत्न किये जाने पर उन्हें मुजाहमत का सामना करना पड़ा और आम गुत्थम गुत्था शुरू हो गयी। यह गुत्थम गुत्था ही है जिसको कैदी मार पीट बयान करते हैं।

हम इससे यह नतीजा निकालने को मायल हैं कि जब लीडर पकड़ लिये गये थे और भीड़ को पीछे धकेला जा रहा था उस वक्त जेल अफसरों, वार्डरों तथा पुलिस ने कैम्प में आम मार पिटायी की। नल का खराब होना और उसी

वक्त नदिया का पता न मिलना, इस बात का तगडा शक पैदा करता है कि यह एसा सारा सबूत योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था।

मेम्बरो ने लिखा कि हमारी राय यह है कि चार लडको के जयकारा बोलने का बडा गम्भीर नोटिस लिया गया। उन्हे इतहायी सजा—डडा-बेडी की—दी गयी। इस मामले का बडे अच्छे ढग से निपटना चाहिए था। उन्होंने यह भी राय दर्ज की कि आधी सर्दी के मौसम मे नदी किनारे की इस जेल म कदियो को तम्बुओ म रखना कोई अच्छी जगह नही। आम इखलाकी कैदियो से इनके साथ कुछ अलग सलूक होना चाहिए और एक कम्बल ज्यादा दिया जाना चाहिए (इस जल मे सर्दी लगने के कारण एक साठ साला वृद्ध कैदी ज्वाला सिंह पहले ही मर चुका था)।

दोनो मेम्बरो ने बाहर आकर—अखबार वालो के जोर देने पर—अटक जल की स्थिति पर एक बयान दिया और गवनमेन्ट के सामने अपनी लिखी हुई रिपोट पेश कर दी। गवनमेन्ट को मेम्बरो से इस किस्म के बयान की उम्मीद नहीं थी। उधर इस जुल्म के खिलाफ एजीटेशन शुरू हो गयी। कौंसिल और असम्बली मे इस घटना के बारे म सवाल उठाये गये। माग की गयी कि मेम्बरो की रिपोट असम्बली म पेश की जाय। गवनमेन्ट फदे मे फसी हुई थी। अकाली ते प्रदेसी इस सवाल को बावस-आइटम' के रूप म पेश कर रहा था। आखिर मजबूर होकर गवनमेन्ट को यह रिपोट कौंसिल के सामने रखनी पडी।[1]

पर गवनमेन्ट न इन सरकार परस्त मेम्बरो तक की रिपोट रद्द कर दी और जल अफसरो के बयान को दुरुस्त करार दिया। इस पर अकाली ते प्रदेसी ने अपने ६ जून के अक म टिप्पणी की 'गवनमेन्ट ने दो सम्मानीय शरीफ आदमियो को पहले वहा भेजा और फिर उनकी बइज्जती की। इनकी जाच का नतीजा यह निकला है कि अटक जेल म सख्ती पहले म ज्यादा होने लगी है और अफसर सिखो से बदला लेने की कारवाइया कर रहे हैं।" क्या सच है और क्या झूठ, इसका पता करने के लिए अखबार ने एक 'खुले निष्पक्ष कमीशन' की माग की।

६ बेंतो की सजा

इस रिपोट के प्रकाशित होने पर टी सी बावन के तन-बदन म आग लग गयी। उसने पहले ही गवनमेन्ट को चिट्ठी लिख रखी थी कि बेंत मारने' का हक सुपरिटेंडेंट से नहीं छीनना चाहिए। इस चिट्ठी का गवनमेन्ट की तरफ स

१ पजाब कौंसिल डिबेटस, जुलाई १९२२ से मार्च १९२३, पृ ९८८ ८९

कई वस्वा और शहरा म जनम करके इस अत्याचार की निन्दा की गयी थी। एजीटेशन इतनी वढी कि गवनमेट या मजबूर होकर कौंसिल के दो मम्बरो को जाच पडताल के लिए भेजना पडा।

५ जाच पडताल की रिपोट

कौंसिल के ये दोनो मेम्बर सरकार परस्त थे और नितान्त सलस थे। इनमे से एक का नाम था दीवान बहादुर राजा नरेन्द्रनाथ और दूसरे का रायबहादुर लाला सवकराम। गवनमेट न इन्ह जन के जुल्मो पर पर्दा डालने के लिए चुना था। पर ये दोनो भी ऊपरी तौर पर ही पर्दा डाल सकते थे—पूरी हकीकत पर नही।

उपयुक्त घटना १५ नवम्बर १९२२ को घटी थी। दोनो पडतालिया मम्बर अटक जेल म २ दिसम्बर को पहुचे। उन्होंने जेल के हालात और इस घटना की जाच की। जेल अफसरो का केस ऊपर बयान कर दिया गया है। पडतालिया न सुपरिटेडेट की आज्ञा से बाद म तीन कैदियो के अलग अलग बयान लिये। कदियो ने बताया कि उन्ह पुलिस और वाडरो ने बहुत बुरी तरह पीटा था जानबूझ कर ५४ घटे उन्ह भूखा रखा था और उनके तम्बुओ स पानी के घडे भी उठवा कर ले गय थे।

लगता है कि कैदियो को अलग-अलग करके इस तरह बयान लेने की मम्बरो की हरकत सुपरिटेडेट को अच्छी नही लगी। वह वहा स चला गया। इसके बाद ये मेम्बर दारोगा और जेल स्टाफ को साथ लेकर हर घिरे हुए अहाते म गये तथा उन्होने हर तम्बू के कदियो से पूछ-ताछ की। सबके बयान एक-दूसरे के बयानो की तसदीक करते थे। लगभग ३० अकालियो ने ये ही बयान दिये।

इसके बाद दोनो मेम्बरो ने जेल अफसरो से कहा कि अपने बयान के सबूत मे वे कोई अकाली—एक ही सही—लायें। व एक भी अकाली पश नहा कर सके। इसके बाद पडतालियो ने जेल का रोजनामचा देखा। उसमे दज था तब मैंने अपने स्टाफ को हुक्म दिया कि उन आदमियो को पकड लो जो शरारती रहनुमा मालूम होते है और बाकियो का पीछे धकेल दो। मेरे स्टाफ द्वारा यह यत्न किये जाने पर उन्ह मुजाहमत का सामना करना पडा और आम गुत्थम गुत्था शुरू हो गयी। यह गुत्थम गुत्था ही है जिसको कदी मार पीट बयान करते हैं।'

हम इससे यह नतीजा निकालने को मायल हैं कि जब लीडर पकड लिये गये थे और भीड को पीछे धकेला जा रहा था, उस वक्त जेल अफसरो वाडरो तथा पुलिस ने कम्प म आम मार पिटायी की। नल का खराब होना और उसी

कानूनी समझता हू। मुझे अपने पत्र का कोई जवाब नही मिला। इसलिए मैंने मेजर ट्रूटर से कह दिया है कि जेल मैनुअल के अनुसार उन्हे बेंता की सजा देने का हक है। अनुशासन भग, प्रत्यक्ष ही दो सरकारी मेम्बरो के आने की तारीख स शुरू हुआ। उन्हे अनुशासन की कोई सूझ नही थी। लेकिन उन्होंने इसमे दखल दिया।

और सुपरिटेंडेन्ट जेल न, कावन द्वारा कही गयी बातो की हिमायत म और भी मसाला लगा कर गवनमेंट को लिखा दोनो मेम्बरो के 'रवये और तौर तरीको न' अपने पीछे प्रभाव यह छोडा कि अकाली कदी "हीरो और शहीद हैं—व जेल के नियमो और अनुशासन से ऊपर हैं। उन्हे जेल मे अपनी मर्जी करन की आजादी है। इस जेल म दूसरी जेलो वाली सजायें—जस तनहाई कोठी बन्दी सजा वाली खूराक वगैरा, या कुआ चलाना, आटा पीसना वगरा—इन निकम्मे, पेट भरे लडाकू कदियो के लिए मुहय्या नही हैं। "गदरी व्यवहार' को रोकने के लिए बेंता की सजा ही एकमात्र हथियार है, जो सुपरिटेन्डेन्ट से छीन लिया गया है।

गवनमेंट ने माच १९२२ म एक हुक्म जारी किया था जिसके जरिये हिदायत की गयी थी कि—मुनासी सरकार से पहले आज्ञा लिये बिना जेलो के आई जी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेतो की सजा इस्तेमाल न करें। कावन ने यह हुक्म गैर-कानूनी" कह कर तोडा था'—वह भी एक बार नही दो बार। और, केन्द्रीय सरकार के सेक्रेटारियट की इस पर टिप्पणी यह थी सम्भव है कि अकाली कदियो को दी गयी बेंता की यह सजा व्यापक चर्चा का जन्म द। हली की राय थी कि "जहा तक सम्भव हो, बेता के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। जेल के अनुशासन से बढ कर कई और महत्वपूर्ण चीज भी हैं। ग्रेन का कहना था कि डी सी ने ज्यादा सूझ से काम लिया होता यदि वह पजाब गवनमेंट की कानूनी पोजीशन पर अगर मगर करने के बजाय, कुछ कदियो को बेत मारने की उससे आज्ञा माग लेता। होम सेक्रेटरी क्रीरार ने कावन को 'बकायदगी का कसूरवार' ठहराया यद्यपि—वतमान हालात की दलीलें देकर—उसने उसकी इस अनियमितता को मुआफ कर देने की राय दी। टी सी को कोई सजा नहा दी गयी। सेक्रेटारियट के अफसर नीचे के हाकिमो की हुक्मउदूलियो को नजरअदाज कर देने म बडे माहिर थ और गवनर ने यह भी फैसला किया था कि यह चिट्ठी कौंसिल म पेश न की जाय।[2]

१ अध सरकारी पत्र न ८३९८ पोलिटिकल, ३ माच १९२२
२ पत्र न ११, ४ जनवरी १९२३ की एक प्रति से कुछ नोट्स

उसको कोई जवाब नहीं मिला था। लेकिन कैदियो का बेत मारने की तमन्ना उसके मन म बहुत जोर मार रही थी। उसने गवनमेंट के हुक्म का थोड़ा इन्तजार न किया और ४ जनवरी १९२३ को पुलिस के सुपरिंटेंडेंट को साथ लेकर वह अटक जेल म जा पहुंचा। उसने देखा कि उसके 'हुक्मो की खुली नाफरमानी' दो हफ्तो से हो रही है। समझाना बुझाना और अन्य साधन—नाकारा हो चुके हथियार थ। स्थिति "गदर जैसी" हो गयी थी। इसलिए ६ कैदियो को बेत मारने की सजा दी गयी।

बेंत खाने वाले शूर वीरो के नाम ये हैं

(१) सरदार प्रेम सिंह नम्बरदार, माड़ी मेघा, लाहौर,

(२) सरदार लाभ सिंह चठियावाला, माड़ी मेघा लाहौर,

(३) सरदार पूरन सिंह घरिंडी, जिला अमृतसर,

(४) सरदार मघर सिंह कसेल अमृतसर,

(५) सरदार जगत सिंह जिला गुजरावाला, तथा

(६) सरदार शमशेर सिंह, जिला स्यालकोट।

तीन सिंहो के नाम नहीं मिले। एक तकीपुर छापा, जिला लाहौर और एक जिला झेलम का था। एक का पता नहीं मिला।[1]

यह दूसरा मौका था जब अटक जेल मे अकाली कदियो की बडी बेरहमी के साथ पिटायी की गयी। सिंह सभा रावलपिंडी ने तार स यह खबर वायसराय को ५ जनवरी को कलकत्ते भेजी। तार म लिखा था

"विश्वसनीय सूत्रो स पता चला है कि अटक जेल के २६८ अकालियो के सब कपडे—कच्छो समेत—जबदस्ती उतार लिय गय हैं। लगभग १००० ने हमदर्दी के बतौर अपने कपडे उतार दिये हैं। सर्दी बडी सख्त पड रही है। जाने खतरे म है। बडी नाराजगी प्रकट की जा रही है। नुकसान की जिम्मेदार गवनमेंट होगी।"

एक एक अकाली को ३० ३० बेंत मारे गये थे। कुछेक के बदन से तो लहू के फौवारे छूट पडे थे। कुछ टिकटिकी पर ही बेहोश हो गये थे। शिरोमणि कमेटी ने इस बारे मे एलान न ३७४ और ३७६ निकाले थे। अकाली ते प्रदेसी ने जनवरी म कई बार इस जुल्म के खिलाफ गवनमेंट की सख्त नुक्ताचीनी की थी।

और बावन ने ४ जनवरी क रोजनामचे म लिखा एक महीने स ज्यादा अर्सा हुआ मैंने गवनमेंट को लिखा था कि जेलो के सुपरिंटेंडेंटो को बेंतो की सजा बन्द करन के लिए गवनमेंट की तरफ स भेजे गये हुक्म को मैं गर

१ अकाली लहर का इतिहास स

कानूनी समझता हू। मुझे अपने पत्र का कोई जवाब नही मिला। इसलिए मैंने मेजर ट्रूटर स कह दिया है कि जेल मैनुअल के अनुसार उन्हें बेंतो की सजा देन का हक है। अनुशासन भग प्रत्यक्ष ही दो सरकारी मेम्बरो के आने की तारीख से शुरू हुआ। उन्हें अनुशासन की कोई सूझ नही थी। लेकिन उन्होंने इसमे दखल दिया।

और सुपरिटेन्डेन्ट जेल ने बावन द्वारा कही गयी बातो की हिमायत म और भी मसाला लगा कर गवनमेन्ट को लिखा दोना मेम्बरो के 'रवय और तौर-तरीको न अपने पीछे प्रभाव यह छोडा कि अकाली कदी "हीरा और शहीद" हैं—व जेल के नियमो और अनुशासन से ऊपर हैं। उन्हें जेल मे अपनी मर्जी करने की आजादी है। इस जेल म दूसरी जेलो वाली सजायें—जैसे तनहाई कोठी बन्दी, सजा वाली खूराक वगरा, या कुआ चलाना आटा पीसना, वगरा—इन निकम्मे, पेट भरे लडाकू कैदियो के लिए मुहय्या नही हैं। 'गदरी व्यवहार" को रोकने के लिए बेंतो की सजा ही एकमात्र हथियार है, जो सुपरिटेन्डेन्ट से छीन लिया गया है।

गवनमेन्ट ने माच १९२२ म एक हुक्म जारी किया था जिसके जरिये हिदायत की गयी थी कि—मुकामी सरकार स पहले आज्ञा लिये बिना जेलो के आई जी और डिस्टिक्ट मजिस्टेट बेंतों की सजा इस्तेमाल न कर। बावन न यह हुक्म 'गैर-कानूनी' कह कर तोडा था[1]—वह भी एक बार नहीं, दो बार। और, केन्द्रीय सरकार के सक्रेटारियट की इस पर टिप्पणी यह थी सम्भव है कि अकाली कैदियो को दी गयी बेंतो की यह सजा व्यापक चर्चा का जन्म द। हली की राय थी कि 'जहा तक सम्भव हो बेंतो के इस्तमाल स परहेज करना चाहिए। जेल के अनुशासन से बढ कर कई और महत्वपूर्ण चीजे भी हैं। ग्वेन का कहना था कि डी सी ने ज्यादा सूझ स काम लिया होता यदि वह पजाब गवनमेन्ट की कानूनी पोजीशन पर अगर मगर करने के बजाय, कुछ कैदियो को बेंत मारने की उससे आज्ञा माग लेता। होम सक्रेटरी क्रीरार ने बावन को 'बफादारी का कसूरवार' ठहराया यद्यपि—वतमान हालात की दलील देकर—उसन उसकी इस अनियमितता को मुआफ कर देने की राय दी। डी सी को कोई सजा नही दी गयी। सक्रेटारियट के अफसर नीचे के हाकिमो की हुक्मउदूलियों को नजरअन्दाज कर देने म बडे माहिर थ और गवनर न यह भी फैसला किया था कि यह चिट्ठी कौंसिल म पेश न की जाय।[2]

१ अध-सरकारी पत्र न ८३६८ पोलिटिकल, ३ माच १९२२
२ पत्र न ११, ४ जनवरी १९२३ की एक प्रति स कुछ नोट्स

टो गा और जब सुपरिंटें ट म डग अकाली कैदियो स्वय म समझा जा सकता है कि अकाली कैदियो के साथ अन्य जेल म क्या सुलूक होता होगी। इस अधी और बेरहम मार पीट का मतलब यही हो सकता था कि—अकाली कैदियो को डरा दिया जाय कि उनकी जानें हमारे हाथ म हैं हम तुम्हारी जिन्दगियो के साथ जब चाहें खेल सकते हैं जिजिटर बाहर जाकर यहा की हालत के बारे म कभी भी रिपोर्ट करता फिरें वे हम अफसरो का कुछ नही बिगाड सकते, बचन का तुम्हारे सामने रास्ता एक ही है—मुआफी!

बडी सख्त और कठिन परीक्षा का समय था यह। पर अकाली क डटे रहे। ब्रिटिश हाकिमो के गुमान यार वे अपने सिरो पर भरा रहे। मुआफियाँ मगवाने की पॉलिसी सफल न हो सकी।

तीसरी मुलतान (जिला) जेल थी जहा अकालियो की अच्छी तरह पिटायी की गयी। मटगुमरी कैम्प जल के टूट जाने पर सब कैदी तब्दील हो कर इसी जेल म आ गय थे। अटक जल का दरोगा गोकुलचन्द खास तौर से यहा भेजा गया था ताकि वह अटक जल की तरह यहा भी अकाली कैदियो की अच्छी तरह खाल उतारे। वह बडा जालिम दरोगा था। वह मूछो पर हमेशा ताव दिय रहता था और बाह म मोटी छडी लटका चलता था। अकालियो की चमडी उधेडने के इनाम के तौर उस राय साहब का खिताब मिला था।

७ मुलतान जेल की मार पीट

११ जनवरी १९२३ को कैम्प जल मटगुमरी ताड दी गयी, क्योकि उस जल की हालत बडी खराब थी। कमोबेश ५०० अकाली वहा काटेदार तारो के घेरे म मवेशियो की तरह रख गय थे। खाना बहुत खराब था। दवाइयो का कोई प्रबध नही था। बारिश म तम्बुओ के अन्दर पानी आ जाता था। बैरिकें चूती थी। साप बिच्छू कैम्प म भी घूमते फिरते थे[1] और बाहर से भी आते थे। आधी म तमाम बिस्तरे और कैदी मिट्टी स सन जाते थे। जेल के सुधार के लिए बडी ऐजीटेशन की गयी। एक वक्त खाना भी विरोध स्वरूप बन्द किया गया। पर गवनमेन्ट ने सुधार करने के बजाय, इस जेल को ही तोड दिया और स्पेशल गाडी द्वारा तमाम कैदियो को मुलतान जिला जेल मे भेज दिया।

१ 'मेरिको रे रिन रे। अचानक ही तम्बू की ऊपरी चोब स सरदार सोहन सिह जोश की छाती पर तगडा लम्बा साप गिरा। हम सब इधर उधर दौडने लगे। साप कम्बलो मे घुस गया वह जल्दी ही मार दिया गया। अजुन सिंह गडगज मेरा अपना आप पृ ४५

मन्टुगुमरी कम्प जेल के बंदियों को ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन के तीन डिक्टेटर चुन गये ईशर सिंह मरहाणा, बघावा सिंह भेजी और भाग सिंह स्यालवाद। गाड़ी के मुलतान स्टेशन पर पहुंचते ही पुलिस अफसर इन तीनों को गाड़ी से उतार कर वहीं ले गये। जाते समय व माहन सिंह जागा को डिक्टेटर बना गये। स्टेशन मे उतरते ही झगड़ा शुरू हो गया। माग यह थी कि कैदियों को पहले ट्रेन के तीनों डिक्टेटर दिखाये जायें—इसके बाद ही सभी बन्दी यहां से जेल म जायेंगे, अन्यथा नहीं। झगड़ा बहुत बढ़ गया। आखिर अफसरों को झुकना पड़ा। बन्दियों के नुमाइंदे उन तीनों को जेल में सही सलामत देख कर आये, फिर जेल जाने की बात शुरू हुई।

अब झगड़ा पैदल चल कर जाने के मसले पर शुरू हो गया। जेल स्टेशन से कमोबेश दो मील की दूरी पर थी। पांव म बेड़ियां, हाथों म रास्ते का सामान। कैदियों ने फैसला किया कि हम तांगों म जायेंगे, पैदल जाना हमारे लिए मुश्किल है। पुलिस वालों को तांगे और रेढ़े लाने को मजबूर होना पड़ा। शाम ढलते ढलते सभी कैदियों को जेल ने हड़प लिया। पर पुलिस अफसरों ने बंदियों की हुक्मउदूली की बात अपने दिलों में दबा रखी थी और जेल अफसरों के साथ मिल कर बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे।

यह मौका उन्हें जल्द ही मिल भी गया। जेल म जलाल होते ही ये पुलिस अफसर जेल म घुस आये और चुन चुन कर रहनुमाओं को पीटना शुरू किया। उन्होंने उनको पकड़ पकड़ कर, घसीट घसीट कर सेलों म बुरी तरह फेंका और ताले बंद करके चले गये। दूसरे बंदियों की भी इसी तरह पिटाई की गयी। यह झगड़ा जयकारे बोलने और तम्बुओं म रखे जाने पर शुरू हुआ था।

इस विषय म सरकारी रिपोर्ट म दर्ज है "मुलतान जिला जेल म अकाली कैदी बहुत दुख द रहे थे। थोड़े दिन पहले, ५० अकालियों को एक कैम्प म दूसरे कैम्प म तब्दील करना जरूरी हो गया था। उन्होंने तब्दील हो जाने से इन्कार कर दिया। उन्हें जिस्मानी तौर पर उठा उठा कर ले जाना पड़ा। लड़ाई रोकने के लिए पुलिस गार्द को तैयार रखा गया।"[1] इसका साफ मतलब यह है कि पुलिस की तरफ से अकालियों को बुरी तरह पीटा गया। घसीट घसीट कर उन्हें चक्कियों म लाया गया और पीट पीट कर सेलों म बन्द किया गया।

अकाली जयकारे गुंजाने से नहीं चूकते थे और जेल वाले पीटने से नहीं चूकते थे। यहां पर बंदियों पर जुल्म ढाने के दो तरीके इस्तेमाल किये जाते थे (१) काली और पीली वर्दी वाले नम्बरदारों का जत्था दनदनाता सेल म आ घुसता था और हाथ म चक्की का हत्था पकड़ा कर पक्के १८-१८ सेर दाने

[1] फाइल न २५, पोलिटिकल, फरवरी १९२३

पीसा के लिए मजबूर करता था। १८ गर ग्गा पीसना कुछ हा बन्दिया के बूते की बात थी गर थ नही। इसलिए रात उन्हें मुक्का ठुका और *थप्पडा का हार चगता रहता था। (२) जयदार उद कराने के लिए व* उन्हें सला से बाहर निकाल कर मारत पीटते फिर करा के इकट्ठे हुए गदे पानी के गड म टाग पकड कर उन्ह सिर के बल पानी म डुबा देते। कभी जब बहोश हा जाना, तो उस वापस पकीट कर सेल म बन्द करके दूसर कैदी के साथ भी वही बर्ताव करत। कभी हाल म आकर अरदास के बाद फिर जय कारे लगाने लगत। जुल्म ढाने का यह एक बड़ा जालिमाना तरीका था।

बन्दिया ठडा-बन्दिया बडी हृदयरडिया ता मामूली सजायें थीं, जो मूज कूटने या दाने पीसने की महान पूरी न होने के कारण लगती रहती थी। सबस भयानक सजा नम्बरदारा द्वारा पिटायी थी। लकिन इसस भी दुखदायी गदे पानी के गडढे म डुबा-डुबो कर बेहोश करना था। हर दूसरे दिन दरोगा गोकुलचद छड़ी घुमाता हुआ आ धमकता था और पूछने लगता था—सुनाओ जोश अभी ठडा हुआ है कि नही। फिक्र नहीं करो अच्छी तरह ठडा करके भेजूगा।

इस जुल्म की बाहर *दुहायी मच गयी थी। सरदार सगत सिंह ने बन्दिया* को गदे पानी म डुबाने के बारे म कौंसिल म कई सवाल किये। उसके सवाला म ज्ञानी जयसिंह सरदार गज्जा सिंह वगरा के नामा का जिक्र था।[1] इनके अलावा कई और इसी तरह डुबोये गये थे जिनम हरदित सिंह भट्ठल (उस वक्त का धरती घवेल सिंह) तथा दो तीन अय थे।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी की ओर से इस जुल्म के खिलाफ मुलतान *म बहुत बडी कान्फ्रेंस की गयी थी। इन जुल्मो का पर्दाफाश करने के* बाद जेल मे हो रहे अत्याचारा की जाच कराने की माग की गयी थी। लेकिन सर कार ने जाच कराने की माग को यह कह कर रद्द कर दिया था कि विशेष कारणा के न होने के कारण वह जाच करान को तयार नही।[2] गवनमेंट ने अटक जेल की जाच के बाद सबक सीख लिया था। इस वक्त तो मार-पीट खुद उसकी पालिसी को अमल मे लाने के लिए की जा रही थी। इसलिए गवनमेंट अपने गुनाहा की जाच करा कर और नगी नहीं होना चाहती थी।

१ पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल डिबेट्स, २० अक्तूबर १६२३ सरदार सगत सिंह के सवाल और सर जान मेनार्ड का जवाब
२ वही

८ सरदार खडक सिंह पर प्रहार

गवर्नमेंट ने ताड़ लिया था कि ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा दुश्मन सरदार खडक सिंह है और वह दिन-ब-दिन सिखों का सबसे प्रसिद्ध लीडर बनता जा रहा है। ब्रिटिश राज को—आने वाले दिनों में—उसकी प्रसिद्धि से सख्त खतरा पैदा हो सकता था। पहले उसने कुंजियां दरबार साहब के अन्दर आकर देने की जिद करके गवर्नमेंट की साख को चोट पहुंचायी थी और पंडित दीना नाथ को छुड़ाने के लिए धर्मक्रिया दी थी। अस्तु अगर उसे रास्ते से हटाया न गया, तो हालात और बिगड़ जाने का खतरा था।

अफसरशाही के सरदार जी के सख्त खिलाफ होने के तीन मुख्य कारण थे

(१) अदालत के सामने उनका यह बयान कि 'मेरी पोजीशन सिख पंथ का प्रधान होने की हैसियत से अमरीका, फ्रांस और जर्मनी के प्रेसीडेंट जैसी है।" अगर वह यह कह कर कि "इस मुकदमे में गवर्नमेंट एक धड़ा है, जज उसका एक नौकर है इसलिए मैं किसी किस्म का बयान देने से इंकार करता हूं" ही बस कर देते, तो गवर्नमेंट सरदार जी को ज्यादा तंग न करती, क्योंकि उस वक्त के वातावरण में इस किस्म के शब्द अदालतों में आम तौर से इस्तेमाल किये जाते थे। लेकिन सिख पंथ के या कांग्रेस के प्रधान की हैसियत की आजाद देशों के प्रेसीडेंटों से तुलना की बेधड़क बात उस वक्त बाहर या अदालत में कहना उनके रास्ते में कांटे बोती थी। पहले से ही शक-शुबह में डूबी गवर्नमेंट ने अगर इसका मतलब सिख राज कायम करना निकाल लिया हो तो कोई अचम्भे की बात नहीं।

(२) सिखों ने अपनी श्रद्धा और उनकी प्रसिद्धि के लिए उनके नाम के साथ 'बेताज बादशाह' का गैर जमहूरी और जागीरदाराना गंध वाला खिताब जोड़ दिया था। अंग्रेज हाकिम अपने ताजदार बादशाह के मुकाबले किसी बेताज बादशाह का नाम सुन कर आप से बाहर हो जायें, तो समझ में आने वाली बात थी। अंग्रेजों को गुरद्वारा लहर से सिख राज की बू आने लगी थी। इसलिए सरदार खडक सिंह उनकी आंखों में सबसे ज्यादा खटकता था।

(३) 'राज करेगा खालसा' का जयकारा पहले से ही लगाया जा रहा था। इससे दबकी अंग्रेज साम्राजी हाकिमों के सामने भविष्य की तस्वीर यह बनती थी—सरदार खडक सिंह की हैसियत आजाद अमरीका के प्रेसीडेंट जैसी, साम्राजी बरतानिया के शहंशाह जैसी, इस वक्त वह बेताज बादशाह, बाद में राज करेगा खालसा! कुछ इस किस्म की तस्वीर बना कर ही अंग्रेज हाकिम सरदार खडक सिंह के खून के प्यासे बन गये थे। वे उनको जेल में फेंक कर—जहां तक सम्भव हो सके—दुबारा बाहर नहीं आने देना चाहते थे।

सरदार गडा सिंह ने कृपाण बनाने का कारखाना खोल रखा था। पुलिस ने कारखाने पर पहला छापा २१ नवम्बर १९२१ को मारा और १७६ कृपाणें ले गये। दूसरा छापा २२ मार्च १९२२ को मारा और यहाँ से और छोटी १८८ कृपाणें जब्त कर ली। सरदार जी ने अपने बयान में कहा कि कृपाणें बनाना और पहनना हमारा हक है हम बगैर किसी लाइसेंस के कृपाणें बनायेंगे, क्योंकि इनको बनाना किसी कानून की जद में नहीं आता।

गवर्नमेंट का मुकदमा यह था कि सिख कृपाण पहन सकते हैं, अपने कब्जे में रख सकते हैं, लेकिन लाइसेंस लिये बगैर औरों के लिए बना नहीं सकते। स्यालकोट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फारसन ने ८ अप्रैल १९२२ को ऊपर के दोनों केसों का फैसला करते हुए लिखा था "इस केस का फैसला करते समय मेरे सामने ऐसा कोई पूर्ववर्ती केस नहीं है जिससे मैं रहनुमाई ले सकूं। मुल्जिम किसी वक्त भी लाईसेंस लेने का इरादा नहीं रखता। मैं उसको एक साल की सख्त कैद की सजा देता हूं।" कृपाणों के मामले में सजा के बाद यह सरदार जी की दूसरी सजा थी।

उपरोक्त मजिस्ट्रेट की अदालत में ही सरदार जी पर एक और मुकदमा—एक आम जलसे में भाषण पर—चलाया गया। यह भाषण उन्होंने कांग्रेस के प्रधान की हैसियत से ६ मार्च १९२२ को आदमके (पुलिस थाना डसका—स्यालकोट) में दिया था। भाषण बहुत साधारण था। सरदार जी ने कहा था इन अंग्रेजों को अब हिन्दुस्तान में नहीं रहने देना चाहिए। अगर इन्हें यहां रहना है तो बरदों (आदमियों) की तरह रहना चाहिए। बरदों का अर्थ गुलामों मानकर उनको १२ अप्रैल १९२२ को तीन साल की सख्त कैद की सजा दी गयी। सरदार जी ने इन केसों में असहयोग किया था और सफाई कोई नहीं दी थी।

कृपाण के केस के मामले में तो गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी ने खुद एक नोट में लिखा था "इस केस में कुछ गैर-तसल्लीबख्श तत्व इस कारण आ गये हैं कि मुल्जिम ने अपनी सफाई पेश करने से इन्कार कर दिया था। वह बदनाम किस्म का उग्रवादी विचारों का अकाली है।"

कृपाण बनाने के कारखाने के सम्बन्ध में एक केस सरदार खजान सिंह आनरेरी मजिस्ट्रेट स्यालकोट के ऊपर भी चलाया गया था। पर उसने धमकी दी कि यह गवर्नमेंट पर हरजाने का दावा करेगा क्योंकि हथियारों के कानून में कृपाणें बनाने पर कोई मनाही नहीं है। उस पर मुकदमा ही नहीं चलाया गया।

१ जे श्रीरार २६ ४ २४ मुकदमों की तारीखें और फैसले फाइल न १४४, भाग २, १९२४, से लिये गये हैं

अंग्रेजों का कानून बडा सयाना था। वह जानता था कि असहयोगियों को ही पामना है, सहयोगियों को नहीं।

६ जेल मे मुकदमे

म सडक सिंह डेरा गाजी खा जेल मे भेजे गये। यह जेल स्पेशल क्लास के कैदियो के लिए रखी गयी थी यानी इस मे कम स कम एफ ए पास और इससे ज्यादा पढे लिखे कैदी भेजे जाते थे। या फिर इसम ऐसे कैदी भेजे जाते थ जो अच्छा इन्कम टैक्स अदा करते थ। इन कैदियो को अपने कपडे पहनने, जल्दी मुलाकातें करने ज्यादा चिट्ठिया लिखने और पुस्तकें मगवाने की सहूलियतें प्राप्त थी। इन्हें आम कैदियो से अधिक—कुछ और भी—रियायतें मिली हुई थी। ये जेल से राशन लेकर अपनी मर्जी का खाना बनवाते अपने धोबियो से धुलवाते और चारपाईयो पर सोते थे। इनके लिए मशक्कतें नाम मात्र की होती थी।

इस जेल मे सरदार जी के साथ करीब ४० कैदी और थे जो अकाली, खिलाफत या कांग्रेस आन्दोलन म भाग लेने के कारण कैद होकर आये थे। इनम सरदार जसवत सिंह चभाल मौलवी मोहम्मद इस्माइल खान खान अब्दुल गफ्फार खा सतोष सिंह विद्यार्थी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमे से तीन चार कैदी इस जेल म किये गये जुल्मो के खास शिकार थ।

सरदार खडक सिंह ने जेल म पहुच कर स्पेशल क्लास छोड दी। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि गवर्नमेन्ट क्लास बना कर कैदियो और तहरीक मे फूट डालना चाहती है। इसलिए वह जेल की स्पेशल क्लास की रियायतो और सहूलियतो स फायदा नहीं उठायेंगे और आम कैदियो जसी जिन्दगी गुजारेंगे। स्वाभाविक था कि इस त्याग का आम राजनीतिक और धार्मिक कैदियो पर बडा अच्छा असर पडा। सरदार जी की इज्जत जेल के अन्दर और बाहर और ज्यादा बढ गयी।

जेल म कुछ महीने बगैर किसी घटना के बीत गय, कोई खास झगडा नहीं हुआ। दिसम्बर १९२२ म जेल के हाकिमो की ओर से एक नया हुक्म जारी किया गया कोई कैदी वह चीज नहीं पहन सकता जिसका सबध कौमी पोशाक से हो। तात्पर्य यह कि इस हुक्म के बाद स्पेशल क्लास के या डेरा गाजी खा जेल के कैदी न तो काली पगडिया पहन सकते थे न ही गाधी टोपी लगा सकते थे। एक तरफ तो यह कैदियो की इज्जत को चुनौती थी दूसरी तरफ ब्रिटिश हाकिमो की राजनीतिक मनोदशा के पतन की सूचक।

कुछ समय पहले मेजर गल, जेल का नया सुपरिन्टेंडेंट बन कर आया था। उसने इस हुक्म को लागू करने के यत्न किये। लेकिन सरदार खडक सिंह की रहनुमाई म कैदियो ने काली पगडिया और गाधी टोपिया उतारने म इन्कार कर

सरदार खड़क सिंह ने कृपाण बनाने का कारखाना खोल रखा था। पुलिस ने कारखाने पर पहला छापा २१ नवम्बर १९२१ को मारा और १८९ कृपाणें ले गये। दूसरा छापा २२ मार्च १९२२ को मारा और बड़ी और छोटी १८८ कृपाणें जब्त कर लीं। सरदार जी ने अपने बयान में कहा कि कृपाणें बनाना और पहनना हमारा हक है हम बगैर किसी लाइसेंस के कृपाणें बनायेंगे क्योंकि इनका बनाना किसी कानून की जद में नहीं आता।

गवर्नमेंट का मुकदमा यह था कि सिख कृपाण पहन सकते हैं, अपने कब्जे में रख सकते हैं लेकिन लाइसेंस लिये बगैर औरों के लिए बना नहीं सकते। स्यालकोट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाइसन ने ८ अप्रैल १९२२ को ऊपर के दोनों केसों का फैसला करते हुए लिखा था "इस केस का फैसला करते समय मेरे सामने ऐसा कोई पूर्ववर्ती केस नहीं है जिससे मैं रहनुमाई ले सकूं। मुल्जिम किसी वक्त भी लाइसेंस लेने का इरादा नहीं रखता। मैं उसको एक साल की सख्त कैद की सजा देता हूं।" कुंजियों के मामले में सजा के बाद यह सरदार जी को दूसरी सजा थी।

उपरोक्त मजिस्ट्रेट की अदालत में ही सरदार जी पर एक और मुकदमा—एक आम जलसे में भाषण पर—चलाया गया। यह भाषण उन्होंने कांग्रेस के प्रधान की हैसियत से ९ मार्च १९२२ को आदमके (पुलिस थाना डसका—स्यालकोट) में दिया था। भाषण बहुत साधारण था। सरदार जी ने कहा था इन अंग्रेजों को अब हिन्दुस्तान में नहीं रहने देना चाहिए। अगर इन्हें यहां रहना है तो बरदा (आदमियों) की तरह रहना चाहिए। बरदों का अर्थ गुलामों मानकर उनको १२ अप्रैल १९२२ को तीन साल की सख्त कैद की सजा दी गयी। सरदार जी ने इन केसों में असहयोग किया था और सफाई कोई नहीं दी थी।

कृपाण के केस के मामले में तो गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी ने खुद एक नोट में लिखा था "इस केस में कुछ गैर-तसल्लीबख्श तत्व इस कारण आ गये हैं कि मुल्जिम ने अपनी सफाई पेश करने से इन्कार कर दिया था। यह इल्जाम किस्म का उग्रवादी विचारों का अकाली है।"[1]

कृपाण बनाने के कारखाने के संबंध में एक केस सरदार सज्जन सिंह आनरेरी मजिस्ट्रेट स्यालकोट के ऊपर भी चलाया गया था। पर उसने धमकी दी कि वह गवर्नमेंट पर हर्जाने का दावा करेगा क्योंकि हथियारों के कानून में कृपाणें बनाने पर कोई मनाही नहीं है। उस पर मुकदमा ही नहीं चलाया गया।

१ ये ब्यौरे नं० ८/२४ मुकदमों की तारीखें और फैसले फाइल नं० १४४, भाग २ १९२४ में निर्दिष्ट हैं

लिया। थोड़े ही दिनों बाद जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल ने जेल का दौरा किया। उसने हुक्म दिया कि जेल में काली पगड़ियां और गांधी टोपी का पहनना बर्दाश्त नहीं किया जायगा—इन्हें उतारना ही होगा।

इसलिए सरकार ने उन पर जेल में ही एक पर एक मुकदमे चलाने शुरू कर दिये। हर नई कैद—पुरानी सारी कैद भुगत लेने के बाद—भुगताने के फैसले किये गये। कैद की हर सजा में बदला लेने की भावना काम कर रही थी। सिख पंथ के जत्थेदार के आत्मसम्मान को कुचलने के गवर्नमेंट भरपूर यत्न कर रही थी। लेकिन उन्होंने जुल्म के आगे झुकना नहीं सीखा था। वे—बाकी साथियों के कपड़े पहन लेने के बाद—जेल के कैदियों के सर्वसम्मति से पास हुए प्रस्ताव पर डटे रहे।

बाबा खड़क सिंह के अकेले रह जाने के कारण गवर्नमेंट की तशद्दुद की पालिसी को और शह मिल गयी। जेल में छोटी छोटी बात पर अनुशासन भंग हो जाना था। कोई भी कैदी—पूरी तरह अनुशासनबद्ध होने के बावजूद—जेल मैनुअल के दकियानूसी नियमों पर खरा नहीं उतर सकता था। इसलिए अगर किसी बन्दी को गवर्नमेंट जेल के अन्दर रखना चाहे तो जेल के कानून तोड़ने पर ही उमर भर उसे कैद रख सकती थी। सिर्फ ऊपर के हाकिमों के इशारे की जरूरत होती थी।

जेल के हाकिमों ने कुछ समय बाद पहले हुक्म में कुछ तब्दीली की। काली पगड़ी का 'कौमी लिबास' से हटा दिया। जेल के दरोगा ने गवर्नमेंट का नया हुक्म दिखा कर बाबा जी से कहा—अब आप को काली पगड़ी पहनने का हक मिल गया है। काली पगड़ी बांध लो, और बाकी के कपड़े भी पहन लो। पर बाबा जी ने कोई कपड़ा न पहना। कहा—जब तक गांधी टोपी के पहनने की इजाजत नहीं मिलती मैं कोई कपड़ा नहीं पहनूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान था, मैं कांग्रेस के सत्कार और वकार को गिराना नहीं चाहता।

गांधी टोपी की एजीटेशन न छोड़ने के कारण 'अनुशासन भंग' का उनके खिलाफ एक और मुकदमा चलाया गया। इसमें उन्हें ६ महीने की और सजा दी गयी। इसके बाद एक और सजा जेल का वही कानून तोड़ने पर, ६ महीने की और दी गयी। और एक बार ५ महीने की और सजा दी गयी। लेकिन बाबा खड़क सिंह के फौलादी इरादे को कोई उकसावा न डिगा सका। उन्होंने न तो जेल के किसी कानून की परवाह की और न किसी जेल के—या बाहर के—अफसर के आने जाने पर वह खड़े होते थे।[1]

1 ऊपर के तथ्य बाबा जी के अभिनन्दन ग्रंथ से लिए गये हैं इसमें स. सन्तोख सिंह विद्यार्थी का एक लेख भी है जो बाबा जी के साथ जेल में थे

१० बाबा जी की प्रसिद्धि

जेल की निडर जिंदगी ने बाबा जी की शोहरत को चार चांद लगा दिए। पंजाब के हिंदू मुस्लिम सिख अखबारों में उनकी कुर्बानी के बारे में कालम पर कालम लिखे गये। आम लोगों में चर्चा यही थी कि लीडर हो तो ऐसा हो। आम अकाली, कांग्रेस और खिलाफत के कार्यकर्ता भी बाबा जी के हौसले, दिलेरी और साहस पर वाह-वाह करते थे।

बाबा जी की रिहाई के सिलसिले में सेंट्रल असेम्बली और पंजाब कौंसिल में सवालों-पर सवाल हुए और प्रस्ताव पास हुए। उन दिनों कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पास करवा लेना आसान बात नहीं थी। पहले तो अंग्रेज मेम्बर कोई न कोई कानूनी या तकनीकी नुक्स निकाल कर प्रस्ताव पेश ही नहीं होने देते थे। और, अगर पेश करने की आज्ञा मिल भी जाय तो गैर-सरकारी मेम्बरों को अपने पीछे लामबंद करके वे उसे पास नहीं होने देते थे। प्रस्ताव वही पास हो सकता था, जिसके पीछे आम लोगों की जबरदस्त आवाज लामबन्द हो और गैर-सरकारी मेम्बरों के लिए प्रस्ताव के विरुद्ध वोट देना मुश्किल हो चुका हो। प्रस्ताव पास भी हो जाय, तो उस पर अमल करना या न करना, सरकार की मर्जी पर निर्भर था। कौंसिलें और असेम्बली उन दिनों लोगों को बुद्धू बनाने की संस्थाएं थी और हिन्दुस्तानी अमीर लोगों को बुद्धू बनाने में अंग्रेज राज की मदद करते थे।

८ मार्च १९२३ को सरदार रणबीर सिंह कलासवाला (सिख, देहाती हलका स्यालकोट—गुरदासपुर) ने पंजाब कौंसिल में सारे कैदियों की तत्काल रिहाई का प्रस्ताव पेश किया था। गुरु के बाग की कुर्बानियों के प्रभाव के अंतर्गत यह प्रस्ताव पास हो गया। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर क्रेक ने, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है प्रस्ताव में तरमीम की थी। इस तरमीम का मकसद यह था कि कैदियों को 'यह वचन देने पर छोड़ा जाय कि वे इसके बाद उन जुर्मों से परहेज करेंगे, जिनके कारण वे बंद हुए थे।" यह तरमीम ३८ वोटों के मुकाबले २६ वोट ही मिलने से रद्द हो गयी। मूल प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन कैदियों को रिहा फिर भी न किया गया।[1]

सरदार खड़क सिंह की रिहाई के लिए सरदार करतार सिंह और सरदार गुलाब सिंह ने सेंट्रल असेम्बली में एक प्रस्ताव पेश किया बाबा जी को तुरन्त बिना शर्त रिहा किया जाय। इससे पहले २६ फरवरी १९२४ को सेंट्रल असेम्बली बाबा जी की रिहाई के विषय में एक प्रस्ताव पास कर चुकी थी। होम मेम्बर हेली ने सिर्फ इतना ही वादा किया था कि वह इस पर पंजाब गवर्नमेंट

१ ८ मार्च १९२३, पंजाब कौंसिल डिबेटस

से म ।त्रिरा लेगा—वस ! गवनर इन-कौंसिल ने जवाब दिया था कि "इस वक्त वह कैद के मामले म कोई रियायत दने को तैयार नही।"[1] यही हस्र इस नये प्रस्ताव का हुआ। अपनी नीति क खिलाफ असेम्बली और कौंसिल म पास हुए प्रस्तावा को गवनमेट रद्दी की टोकरी म फेंक देती थी। उन दिनो इन चुनी हुई सस्थाओ की बस इतनी ही कीमत थी।

•

१ एच डी मेक १० अप्रैल १९२४ (लाहौर) का डिप्टी सेक्रेटरी गवनमेंट आफ इन्डिया को पत्र फाइल न १४४/१९२४

चौबीसवां अध्याय

अकाली मोर्चे और कृपाण

कृपाण पहनने की आजादी हासिल करने के सग्राम का बडा लम्बा इतिहास है। इस सग्राम मे सिखो ने बडी कुर्बानिया दी हैं। अग्रेज राज के सारे समय म यह सग्राम कभी तेज रफ्तार से तो कभी धीमी रफ्तार से लगातार जारी रहा। दायें हाथ से लिख कर अग्रेज हाकिमो की तरफ मे कृपाण देने के एलान किये जाते थे, बायें हाथ से कृपाण पहनने वालो पर मुकदमे चलाये जाते थे। उधर अग्रेज जज सख्त से सख्त सजायें देकर उन्हें जेलो मे भेजते जाते थे।

अग्रेज साम्राजिया स हार जाने के बाद, सिखो से कृपाण छीन ली गयी थी। कृपाण रखना और पहनना जुम करार दे दिया गया था। यह उसी मद मे शामिल कर ली गयी थी जिसम बन्दूकें, पिस्तौलें वगैरा थी। पर एक धार्मिक चिह्न के रूप म सिखो के लिए इसे पहनना लाजिमी था। इसलिए शुरू म, कानून से बचने के लिए चाकू मे भी छोटी कृपाण बनने लगी और पहनी जाने लगी। अग्रेज राज की वफादारी ने स्थिति यहा तक पहुचा दी कि कृपाण इच से भी छोटी हो कर—आधे इच स भी घट कर—कघे मे जा घुसी। २०वीं सदी के आरम्भिक बीस साल खत्म होने तक कृपाण ने आम तौर पर सिखो के कघा के अन्दर गुप्त वास कर लिया था—सिफ अमृत छकाने के लिए कमोवेश ६ ६ इच की कृपाणें गुरुद्वारा मे रह गयी थी।

उन दिनो चीफ खालसा दीवान सिखो का 'कुदरती" लीडर था। उसे कृपाण की आजादी से उतनी ही दिलचस्पी थी, जितनी गुरुद्वारो की आजादी की लहर से। विनती और प्रार्थनाओ से कुछ मिल जाय तो बहुत अच्छा, नही तो चुप। चीफ खालसा दीवान ऐसी कोई बात नही करना चाहता था जिससे हाकिमो की भौहो पर रत्ती भर बल पडे। अकाली आन्दोलन ने इस सवाल को अपने हाथ मे लिया और निधडक होकर—मुकदमो की कोई परवाह न करके—सिखो ने पूरी कृपाण (तलवार) पहननी शुरू कर दी और नतीजे भुगतने के लिए डट कर छाती आगे कर दी।

अकाली आन्दोलन से पहले, कृपाण पहनने के कारण अनेकानेक निडर सिख व्यक्तियो को सजायें हुई थी। पजाब से बाहर—उत्तर प्रदेश, बगाल

और सभा नगरों में—भी कृपाण पहनने वाले गिरफ्तार किये जाते थे। सिख सगत ज्यादा मुसीबतों का शिकार कृपाण पहनने वाले फौजियों को होना पड़ा। उनमें से कुछ को अनुशासन के नियम तोड़ने के लिये फौजी अदालतों ने १४-१४ साल की सख्त सजायें देकर जेलों में ठूंस दिया। इस पर बड़ा बावेला मचा। कुछ मेम्बरों ने पंजाब कौंसिल और केंद्रीय असेम्बली में सवाल पूछे। कुछ अखबारों ने विशेष प्रस्ताव करते हुए लेख लिखे। २५ जून १९१४ को गवर्नमेंट ने एक ऐलान निकाला जिस के जरिये कृपाण को हिंदुस्तानी हथियार नियमों से अलग कर दिया गया और कृपाण पहनने की पाबन्दी सिद्धान्त पर से हटा ली गयी।

पर पाबन्दी हटनी कागज पत्रों के लिए ही—हकीकत में बात वहीं की वहीं रही। कृपाण पहनने पर गिरफ्तारियां होती रहीं—पंजाब में भी पंजाब के बाहर भी। कभी बहाना यह होता कि यह कृपाण नहीं तलवार है—कृपाण पहनने की आज्ञा है, तलवार बांधने की नहीं। कभी गिरफ्तारी का बहाना यह होता कि ६ इंच की कृपाण पहनने की इजाजत है इससे बड़ी नहीं। संक्षेप में यह कि कृपाण का मसला वहीं का वहीं रहा हल नहीं हुआ। तो भी इसके हल के लिए आवाज कभी बन्द नहीं हुई।

१९ मई १९१७ को सरकार ने एक और ऐलान जारी किया, जिसके द्वारा हिंदुस्तान भर में कृपाण पहनने की आज्ञा दे दी गयी। पर न तो कृपाण की लम्बाई का कोई फैसला किया गया, न कृपाण और तलवार को एक ही चीज बताया गया—नतीजा यह कि बात साफ न हुई। पुलिस अफसरों और जिला मजिस्ट्रेटों ने इस ऐलान की अपनी अपनी व्याख्या करके गिरफ्तारियों और सजाओं का सिलसिला जारी रखा। इतना ही नहीं फौजों में अगर सिख कृपाण पहनते थे तो उनके सिरों पर कोर्ट मार्शल की नंगी तलवार लटकती रहती।

इसके अलावा गवर्नमेंट ने अब एक नया हमला कृपाण बनाने वालों पर शुरू कर दिया था।

युद्ध समाप्त होने के बाद—सिखों की जंगी सेवा के उपलक्ष्य में—गवर्नमेंट ने एक दो सिख त्योहारों को आम छुट्टी का दिन करार दे दिया और फौजों में कृपाण पहनने की छूट दे दी।[1] पर यह छूट अधिक समय तक जारी न रही। अकाली लहर के उभार के साथ साथ काली पगड़ी और कृपाण अंग्रेज अफसरों के लिए भयानक हौआ बन गये। इनमें उनको बगावत की झलक दीखने लगी। कृपाण पहनने की आजादी का ऐलान जहां का तहां रह गया।

१ चीफ सेक्रेटरी पंजाब सरकार जे पी थाम्पसन का सेक्रेटरी भारत सरकार को पत्र होम न ६२२१ शिमला, ६ अक्तूबर १९२०

ननकाना साहब के कत्लेआम के बाद पहली बार और मार्च अप्रैल १९२२ में दूसरी बार—अकाली लहर को कुचलने के उद्देश्य से अंग्रेज अफसरों ने योजनाबद्ध तरीके से सिखों पर हमले किये। कृपाणधारी अकाली को अंग्रेज राज का दुश्मन नम्बर एक समझा जाने लगा था। कृपाण तो क्या—टकुवे, नेजे, सोटे और लाठियां तक सिखों से छीन ली गयीं। ९ इंच से बड़ी कृपाण रखने वालों को पकड़ पकड़ कर अदालतों के हवाले कर दिया गया। अदालतों ने कानून में दर्ज कठिनतम सजायें अकालियों को दीं। इन सजा पाने वालों को आम जनता और सिख दीवानों की तरफ से 'कृपाण बहादुर' के खिताब दिये गये। कृपाण पहनने के धार्मिक हक के लिए अदालतों में लड़ना सिखों के लिए सत्कार और वकार का सवाल बन गया। भाई सेवा सिंह 'कृपाण बहादुर' ने एक हफ्तावार अखबार ही कृपाण बहादुर नाम से अमृतसर से जारी कर दिया। इस अखबार ने रियासतों की अकाली लहर, कृपाण की लड़ाई और रियासती प्रजामंडल की तहरीक की बहुत मदद की। इसके सम्पादकों और प्रकाशकों ने कई बार जेलें काटीं और जुर्माने भरे।

१ फूट डालो और राज करो

'सिखों के धार्मिक चिह्न कृपाण का जिक्र पहले आ चुका है। पिछले दो-चार सालों में—अकाली एजीटेशन के दौरान—इसकी खुले तौर पर चर्चा हुई है। इस हथियार की घातक खसलत ने—जो लम्बाई में इतना बढ़ता चला गया है कि इसे अब तलवार से अलहदा करना मुश्किल हो गया है—दूसरे फिरकों के दिलों में, जिनको अपने पास हमले का कोई तेज धार हथियार रखने का हक प्राप्त नहीं हुआ—शक पैदा करने के मौके मुहैया किये हैं। कृपाणें आम तौर पर खुफिया जगहों पर बनायी जाती हैं। कारण यह कि यकीन किया जाता है कि इनको बनाना—पास रखने के अलावा—हथियारों के कानून के मातहत जुर्म है। इसे हासिल करने का जरिया ढूंढना हमेशा ही मुश्किल रहा है। एक सबसे बड़ी कृपाण फैक्टरी पर, जिसका मालिक सरदार खड़क सिंह स्यालकोट था, नवम्बर १९२१ में बहुत सफल छापा मारा गया था और १७९ कृपाणें जिनकी लम्बाई ९ इंच से ज्यादा थी, पुलिस ने अपने कब्जे में कर ली थीं।''[१]

ऊपर के पैरे को ध्यान से पढ़िए और इसकी लेखन शैली की चतुराई देखिए। एक तो इसमें गैर सिख फिरकों को कृपाण के मामले में सिखों के विरुद्ध

१ सी आई डी सुपरिंटेंडेंट मि स्मिथ की अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में खुफिया रिपोर्ट, १९२१ १९२२

उगाने और उन्हें गराने के पीछे तामग्र करने का यत्न किया गया है। दूसरे, हथियारों के कानून के अधीन कृपाण बनाना— वर्जीत किया जाता है —यह कह कर जुर्म बना दिया गया है। हथियार ऐक्ट में कृपाणें बनाने पर किसी पाबन्दी का कोई जिक्र तक नहीं—यह हम अभी देखेंगे। तीसरे कानून में कृपाण की कोई लम्बाई नियत नहीं की गयी। किन्तु उस रिपोर्ट में इसकी लम्बाई ६ इंच तक सीमित करने का नाजायज भरा प्रयत्न किया गया है— जब कि कृपाण और तलवार में कोई फर्क न तो किया जाता था न समझा जाता था। चौथे कृपाणें खुले तौर पर आम लोगों और सरकार की नजरों के सामने कई जगहों पर बनती थीं—वहां गुप्त स्थानों में नहीं बनती थीं।

अब सीतिज सरदार खडक सिंह के कृपाण कारखाने पर छापा मारने की बात। यहां भी सचाई छिपाने और झूठ गुमराह की पुरानी साजिशी पद्धति पर अमल किया गया है। सचाई यह है कि स्यालकोट में छापा एक जगह नहीं दो जगह मारा गया था। एक सरदार खडक सिंह के कारखाने पर और दूसरा सरदार गज्जान सिंह ई ए सी के कारखाने पर। और, इन दोनों प्रसिद्ध व्यक्तियों को पकड लिया गया। सरदार खडक सिंह पूर्ण असहयोगी थे पर सरदार गज्जान सिंह एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके थे अत पूर्णत वफादार थे। गज्जान सिंह को तो हतक इज्जत का दावा करने की धमकी पर—जैसा हम पीछे देख आये हैं—उन पर से मुकद्मा हटा लिया गया। लेकिन सरदार खडक सिंह को नौ महीने की सख्त कैद की सजा दी गयी। यही था सरकार और उसकी अदालतों का इन्साफ!

कप्तान गोपाल सिंह ने पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल में इस केस के बारे में सवाल उठाया था सरदार सजान सिंह पेंशनर ई ए सी के कृपाण बनाने के केस में क्या हुआ? सर जान मेनार्ड ने जवाब दिया था कि केस डिस्चार्ज कर दिया गया और 'इसके बाद सरकार ने इस केस के विषय में कोई कारवाई नहीं की।'[1]

कृपाणें बनाने और पहनने की मद सरदार सुन्दर सिंह मजीठिये के महकमे का अंग थी। किंतु सवाल के जवाब जो कुछ सक्रेटरियट के कानून इंचार्ज लिख देते थे उन्हें ही यह श्रीमान पढ़ देते थे। ज्यादातर जवाब टालने वाले होते थे। सीधा और स्पष्ट जवाब देना जन हितों के खिलाफ" बन जाता था। कई बार कृपाण के मामले या अन्य मामलों पर सरकार द्वारा कौंसिल में ऐसे सवाल जानबूझ कर करवाये जाते थे जो—सीधे या टेढे ढंग से—सरकार की पालिसी की हिमायत करते हों।

मिसाल के लिए एक सरकारपरस्त खान बहादुर सैयद मेहदी शाह

[1] पंजाब कौंसिल डिबेट्स, सवाल न १७८४

ने एक सवाल पूछा पिछले साल कृपाण के दुरुपयोग से कितने कत्ल हुए ? क्या सरकार इस मामले पर दुबारा विचार करेगी ? इसके खिलाफ गवनमेंट क्या इलाज कर रही है ? जवाब म जान मेनाड ने कहा दो कत्ल हुए और दो कत्लो की कोशिश की गयी। श्रोमणि कमेटी ने कृपाण के धार्मिक चिह्न धारण करने के बारे मे कुछ हिदायतें जारी की थी। दूसरा कोई हुक्म जारी करने की जरूरत नही समझी गयी। कुल्हाडिया और सोटा के जरिये की गयी हिंसा की वारदातें कृपाण की वारदातो से कही ज्यादा हैं।[1]

य दो कत्ल भी सभवत किसी गुड या बदमाश ने किये होंगे जिसका अकाली लहर से दूर का भी वास्ता न होगा। पर उक्त सवाल उठाने का मकसद अकालिया के खिलाफ कृपाण का मसला उठा कर तअस्सुब पैदा करना था, और कुछ नही।

जून १९२२ के शुरू मे गवनमेंट ने गिरफ्तार किये गये कृपाणधारी अकालिया के आकडे इकट्ठे किये थे। इन आकडा के अनुसार कुल ६८ कृपाणधारी अकाली गिरफ्तार किय गये थे। इनम स ६६ पर मुकदमे चलाये गये थे जिनमे से ४० को पिछले १२ महीनो म कृपाणें रखने, बेचन और बनाने के कारण सजाय दी गयी, १८ अकालियो पर अभी तक मुकदमे चल रहे थे।[2] लेकिन ये आकडे अधूरे और अपूण हैं।

२ अधेरखाता

अधेर यहा तक मचा हुआ था कि मजिस्ट्रेट गवाहा को मजबूर करते थे कि पहले कृपाण उतारो, फिर गवाही ली जायगी। और, मजीठिये ने तो एक सवाल के जवाब म यहा तक कहा था कि अदालत म मुकदमा सुन रहे मजिस्ट्रेट का हक है कि वह हिंसा की मुजरिमाना रुझान वाले आदमिया की कृपाणें उतरवा ले (सवाल न १७६५ और उसका जवाब)। और, उन दिनो सरकार हर कृपाणधारी सिख को मुजरिम समझती थी।

यही नही, एक अग्रेज प्रोफेसर न एक कृपाणधारी विद्यार्थी का क्लास मे कृपाण उतार कर आने का हुक्म दिया, साथ ही उसन यह भी कह दिया कि अगर प्रिंसिपल ने उसको क्लास मे कृपाण पहने रहने की इजाजत दी तो भी यह उसकी (प्रोफेसर की) मर्जी होगी कि वह विद्यार्थी को अपनी क्लास म बठने दे या न बैठने दे। इसी तरह एक विद्यार्थी हाथ म कृपाण पकडे जल्दी जल्दी स्कूल का जा रहा था। उसको पकड लिया गया और अदालत की तरफ

१ उपरोक्त

२ लाला ठाकुर दास का सवाल न १४६७ और उसका जवाब

से उस पर जुर्माना कर दिया गया। मनाड का जवाब था कि इस केस मे कोई कारवाई नही की जायगी।

खुद मजीठिया ने एक सवाल के जवाब मे स्वीकार किया था कि कृपाण की लम्बाई मुकरर नही की गयी। लेकिन उसका यह जवाब बडा हास्यास्पद था कि सिखो को कृपाण पहनने के कारण नही तलवार पहनने के कारण पकडा जा रहा है क्योकि तलवार हथियारो के कानून से मुक्त नही।[1]

हथियारो सबधी कानून अफसरशाही के हाथो मे अकालियो को पीटने का एक डडा बन गया था। कोई भी कृपाणधारी इससे पीटा जा सकता था। इस कानून की व्याख्या अफसर और जज अपनी-अपनी समझ के मुताबिक करते थे। अगर सख्ती का दौर चल रहा है तो जिसको मर्जी है पकडो और जेल मे धकेलो, अगर नर्मी का दौर है, तो कुछ उदारता से काम लो। अकाली विरोधी भावना अफसरो मे लगातार काम कर रही थी।

कृपाण के बारे मे एक दो फैसले लीजिए सरदार महताब सिंह ने कौसिल मे कृपाण के बारे म एक सवाल पूछ कर सरकारी पालिसी का स्पष्टीकरण कराना चाहा था। सरदार सुन्दर सिंह मजीठिया न जवाब दिया कृपाण सब बदिशो से मुक्त है। यह रियायत सिखो को १९१४ म दी गयी थी। गवनमेंट को कानूनी मशविरा यह दिया गया है कि लाइसेंस के बगैर कृपाणें बनाना गैर कानूनी है। यह ठीक है कि लाहौर के असिस्टेंट कमिश्नर ने कृपाण बनाने के लिए लाइसेंस हासिल करने की दरखास्त देने वाले एक शख्स से कहा था कि अगर कृपाणें सिखो को बेची जायें, तो लाइसेंस की कोई जरूरत नही। पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह गलती जल्दी ही दुरुस्त कर ली थी। उसने कृपाणें बनाने वाले दो मुसलमानो और एक सिख के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिये थे। अभी तक लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नही थी, क्योकि कृपाण दो तीन इच लम्बी ही बनायी जाती थीं। ज्यादा लम्बाई के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत थी।[2]

पर यह एक जिला मजिस्ट्रेट का फैसला था, किसी सेशन जज या सूबे की उच्चतम अदालत—हाईकोर्ट—का नही था। इसलिए हथियार-कानून की व्याख्या के बारे मे अराजकता जारी रही और कृपाणधारी सिख इस अराजकता के शिकार होते रहे। अम्बाला के सेशन जज ने एक मुकदमे मे अपना फैसला दिया जहा तक सिखो का सबध है, कृपाण—बनाये जाने समेत—सब बदिशो से मुक्त है।

१ कैप्टन गोपाल सिंह के सवाल न १७६४ का जवाब
२ पजाब कौसिल डिबेट्स सवाल १०३ और उसका जवाब

इस मसले पर एक और सवाल पूछे जाने के बारे में मेनाड ने जवाब दिया यह मामला हाईकोर्ट के सामने लाया जा रहा है, ताकि कानून के इस नुक्ते पर आखिरी फैसला लिया जा सके। जब तक फैसला नही हो जाता, तब तक डेपुटी कमिश्नरो को हिदायत दी गयी है कि वे बगैर लाइसेंस कृपाणें बनाये जाने पर कोई मुकदम न चलायें।[1]

कृपाण बनाने की आजादी के खिलाफ गवर्नमेंट ने हाइकोर्ट मे अपील की थी। अपील का फैसला हाइकोर्ट ने यह दिया था कि सिखो को कृपाणें रखने और पहनने का तो हक है—पर लाइसेंस लिये बगैर कृपाणें बनाने का हक नही है। कानून म शक की गुजाइश थी—इस कारण कृपाणें बनाने वाले एक सिख बस्ता सिंह को थोडी सजा दी गयी। दैनिक अकाली ते प्रदेसी की इस पर टिप्पणी यह थी कि जब जज की अपनी राय मे ही कानून मे शक की गुजाइश थी, तो शक का फायदा मुल्जिम को मिलना चाहिए, न कि उसको सजा दी जानी चाहिए। (११ जनवरी १९२३)।

गुरू के बाग के मोर्चे की सफलता के बाद हेली ने केन्द्रीय सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी एक साल पहले 'श्रोमणि कमेटी कई मौका पर गवर्नमेंट के साथ सहयोग करती थी, जैसे, मिसाल के तौर पर कृपाण की लम्बाई का फैसला कराने मे।" इससे सिद्ध होता है कि कृपाण का मामला निपटाने के बारे म गवर्नमेंट और श्रोमणि कमेटी के बीच बातचीत हुई और दोनो की तरफ से इसके एलान निकाले गये। कमेटी का एलान यह था

३ समझौता, जो समझौता नहीं था

(१) कृपाण एक धार्मिक चिह्न है, जो अमृतधारी सिखो को अपने जिस्म के एक तरफ पहनना चाहिए। यह म्यान से अरदासे के वक्त गुरुग्रंथ साहब की सवारी की पाच प्यारा द्वारा रहनुमाई के वक्त, म्यान से बाहर निकालनी चाहिए। नगी कृपाण हवा म नही घुमानी चाहिए—न ही उससे ताक्त का मुजाहरा करना चाहिए। उपरोक्त तीन मौका के अलावा, कृपाण म्यान से नही निकालनी चाहिए। श्रोमणि कमेटी ऊपर की हिदायतो के विरुद्ध कृपाण के इस्तेमाल को नापसद करती है।

(२) श्रोमणि कमटी फिर वही कुछ दुहराती है जो वह कई बार पहले कह चुकी है कि कमेटी एक खालिस धार्मिक जत्थेबदी है और रही है। इस वक्त सिखो और सरकार क बीच सिख पथ की धार्मिक शिकायतें दूर करने के लिए

१ पजाब कौंसिल की कारवाई, सरदार मगन सिंह का सवाल न १६६३ और उसका जवाब

विचार हो रहा है। श्रोमणि कमेटी अपने मेम्बरा का आह्वान करती है कि वे इस किस्म की कोई बात न करें, जो सरकार या श्रोमणि कमेटी को परेशान करने वाली हो और मसले को हल करने के मौका पर बुरा असर डालती हो।

सरकार ने इस बातचीत के बाद "पुलिस और मुकदमा चलाने वाली एजेंसियो की रहनुमाई के लिए' ये हिदायतें जारी की थी।

हाइकोट के हुक्म के अधीन—यदि कोई हथियार चेहरे मोहरे से तलवार हो, तो यह साबित करना मुल्जिम का फर्ज होगा कि वह तलवार नही है कृपाण है। अगर कोई सिख उसे उठाये फिरता हो तो कारवाइ सबधी मामला के लिए यह मान लेना चाहिए कि वह तलवार है—अगर

(क) पहनने या उठाने वाला आदमी उसको अपने जिस्म के एक तरफ ही पहन या उठा रहा हो, या

(ख) ऐसा आदमी पहन या उठा रहा हो, जो पाचो की उस पार्टी म से एक हो जो फौजी तरतीब म माच कर रही हो, या

(ग) वह बल प्रदशन के तरीके से पहनी या उठायी जा रही हो, या

(घ) वह म्यान से बाहर (केवल धार्मिक रस्मा को छोड) निकाल रखी गयी हो। अगर यह कृपाण कही जाती हो और ऊपर बताये गये तरीका म से नही उठायी या पहनी जा रही हो तो इसको एक्जेक्यूटिव की कारवाई के मामला के लिए तलवार समझ लना चाहिए।[1]

कृपाण का मसला यह बातचीत भी हल न कर सकी। कारण यह कि सरकार तो हर कृपाण को तलवार मानती थी। उसे पहनने वाले की जिम्मेदारी थी कि वह साबित करे कि वह कृपाण पहन रहा है तलवार नही। हाथ मे पकडने स वह तलवार बन जाती थी। कधे पर रखने से वह कृपाण नही रहती थी—इसलिए वह कानून की गिरफ्त म आ जाती थी। हर कृपाणधारी को पुलिस यह कह कर पकड सकती थी कि उसने तलवार म्यान से निकाल रखी थी या म्यान से निकाल कर पतरे लेता था या पाचो के या बडे जलूस म कृपाण नगी उठाये फिरता था।

इसलिए कृपाण पहनने पर गिरफ्तारिया और कैदें होती रही। अग्रेज राज म यह मसला पूरी तरह कभी हल नही हुआ। सिखा ने कभी इस बात का विरोध नही किया था कि गर सिखा को तलवार रखने का हक न दिया जाय। उल्टे सरकार सिखा को कृपाण के खिलाफ गर सिखा को भुलावे म डालने और उकसाने के लगातार प्रयत्न करती रही। यह चाल अग्रेजी राज की कुत्सित नीति का एक अहम अग थी। ●

१ न ७८७४ (होम जनरल) लाहौर, १५ माच १६२२

तीसरा खण्ड

पच्चीसवा अध्याय

नाभे की गद्दी का मसला

गुरु के बाग के बहुत से कैदियो के रिहा होने के बाद फिर कुछ उम्मीद बध गयी थी कि गुरद्वारा का मसला शायद हल हो जायगा। गवनमेट अपने पास किये हुए गुरुद्वारा बिल को लागू करने म सफल नही हो सकी थी। उसने कई सिख वकीलो को कमीशन का मेम्बर बनाने की कोशिश की थी, पर किसी ने हा नही की—यहा तक कि अमर सिह वकील न जिसका जिक्र हम पीछे कर चुके हैं जॉन मेनाड से साफ शब्दा मे कह दिया था कि वह कमिश्नर बन कर अपना मुह काला नही कराना चाहता। कमोवेश इस किस्म के जवाब ही और सिख वकीलो तथा विद्वानो ने भी सरकार का दिये थे।

इसलिए गवनमेट के पास गुरद्वारा बिल के बारे मे फिर श्रोमणि कमेटी के साथ बातचीत चलाने के अलावा और काई चारा नही था। खिचाव पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया था। श्रोमणि कमेटी बाकी के कदियो को रिहा कराने के लिए जोर दे रही थी। पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल ने ८ माच १९२३ को तमाम कैदिया की रिहाई का प्रस्ताव पास कर लिया था। पर सरकार न जजो के फसलो की जाच करने के बहाने दो-ढाई सौ अकालिया और अकाली लीडरा को रिहा नही किया था।[1] इन रिहा न किये जाने वालो म डेरा गाजी खा जेल के सरदार खडक सिह जसवत सिह चभाल और कुछ जेलो के और कैदी थे। सरदार खडक सिह को सरकार किसी हालत म भी छोडने के लिए तैयार नही थी, क्योकि वह सरदार जी को अपना कट्टर दुश्मन समझती थी।

१ १५ अप्रैल १९२१ से १५ अप्रैल १९२२ तक २६८६ आदमी पकडे गये थे। ३० सितम्बर १९२३ को (रिहाइया क बाद) २२४ रह गय थे। (आर ए माट की पजाब कौसिल म स्पीच, भाग ५, अक्तूबर १९२३, पृ १५४ ५५)

१ कार सेवा[1]

इन दिना म दरबार साहब की कार सेवा हो रही थी। आम अफवाह यह उड रही थी कि महाराजा नाभा को सरकार गद्दी से उतार रही है। इन्ही दिनो जलियावाला बाग म सेंट्रल सिख लीग का इजलास हुआ, जिसम महाराजा नाभा के गद्दी से उतारे जाने की आम चर्चा शुरू हो गयी। ६ जुलाई १९२३ को महाराजा नाभा के गद्दी से उतारे जाने की अखबारो ने तस्दीक कर दी। सरकार के इस फसले ने हालात बिल्कुल बदल दिये और महाराजा नाभा रिपुदमन सिंह को फिर से गद्दी पर बैठाने की तहरीक हाथ म लेने के लिए श्रोमणि कमेटी पर जोर डाला जाने लगा। लेकिन पहल कुछ कार सवा की बात कर लें।

कार सेवा के शुरू होते ही कुछ बे रसी हो गयी। गडगज्ज अकाली दीवान ने एतराज उठाया था कि कार सेवा के काम का आरम्भ सोने की कसियो और चादी के बाटो के साथ नही होना चाहिए। लोहे की कसियो और बाटो के साथ होना चाहिए, क्योकि सोने चादी से सिख मत म लोहा ज्यादा महत्व रखता है। वे गुरु गोबिन्द सिंह जी की रचना म से बहुत सारे प्रमाण देकर सिद्ध करते थे कि सिख मत म लोहे का बहुत ऊचा दर्जा है और कार सेवा के लिए सोने चादी का इस्तेमाल करना सिख मत के विरुद्ध है।

श्रोमणि कमेटी सैद्धातिक मतभेदो को बुरा नही समझती थी। उसकी नजर म 'सिद्धान्तो के कारण पैदा हुए मतभेद जीती जागती कौमो के लिए बुरी बात नही होते।' इसलिए वह "पथ म सहमति-असहमति को प्रसन्नता की नजर से देखती है।"[2] पर उसको यह पसन्द नही था कि राय के मतभेद की आड मे 'जत्थेबदी तोडने वाली और मुहजोर कारवाइया' की जायें तथा पथ मे फूट का प्रदशन करके गवनमेन्ट को खुश होने का मौका दिया जाय।

२ गडगज्ज दीवान की मुहजोरी

गडगज्ज दीवान ने कार सवा का पहला टक लगाने वाले पाच सिंहो को 'पाच प्यारे' कहने पर भी एतराज किया। यह एतराज श्रोमणि कमेटी ने स्वीकार कर लिया था। २९ ३० मई १९२३ के गुरमते (प्रस्ताव) म कमेटी ने स्वीकार किया था कि "जो गुरमता कार सेवा आरम्भ के सम्बन्ध मे पास

१ दरबार साहब के तालाब की गार (मिट्टी) निकाल कर साफ करने की रस्म को कार सेवा कहते हैं।—ले

२ देखिए उनका सारा केस, अकाली ते प्रदेसी, २ ३ अगस्त १९२८

हुआ है, उसमे शब्द 'पाच प्यारे' की जगह 'पाच सिंह' रखा जाय।" इसका साफ अर्थ यह है कि उनके एतराज म बहुत वजन था।

गडगज्ज दीवान के नेताओ ने श्रोमणि कमेटी के साथ बातचीत करके वचन दे दिया था कि वे कार सेवा की आरम्भिक रस्म मे कोई विघ्न न डालेंगे। मगर उन्होने यह वचन भग करके अनुशासन तोडने और मुहजोर होने का प्रदर्शन किया तथा डी सी और पुलिस की धाड को मौके पर आने का मौका मुहैया किया। इस तरह उन्होंने एक गम्भीर कार्य को हास्यास्पद बनाने का यत्न किया। वचन भग करना और रस्म के शुरू होने से पहले ही जाकर लोहे की कस्सिया से टक लगाना गडगज्ज अकाली दीवान के नेताओ की सख्त गलती थी।

उनको सिर्फ प्रोटेस्ट करने तक ही सीमित रहना चाहिए था। उनको हक हासिल था कि वे इस तरह का मतभेद श्रोमणि कमेटी को लिख कर दे देते और कार सेवा मे मिल कर हिस्सा लेते। तब उनकी पोजीशन अच्छी रहती तथा उन्हे 'तनखाइये' करार दिये जाने तक नौबत न पहुचती, न ही उनके मेम्बर श्रोमणि कमेटी के बाहर किये जाते।

३ पटियाले की राजनीतिक चालबाजी

लेकिन कार सेवा के वक्त आकर गलतिया बख्शवा कर और अमृत छक कर, महाराजा पटियाला के चालीस हजार रुपया देकर कार सेवा म हिस्सा लेने पर दो रायें हो सकती हैं। यह फितरती, ऐशपरस्त और 'हर ऐब शरई" राजा था। इसका गलतिया को बख्शवाने का मकसद आम लोगो की आखो म धूल झोकना था। इसका अमृत छकना एक राजनीतिक चाल थी। वह महाराजा नाभा को गद्दी से उतारने की ब्रिटिश गवनमेंट की साजिश म शामिल था और इसम अपनी भूमिका अदा कर चुका था। इसने उन पर मुकदमा कर रखा था और महाराजा नाभा के गद्दी से उतारे जाने के फैसले का इसे मान था। आम सिखों के गुस्से से बचने के लिए इसने कार सेवा मे हिस्सा लिया था और सिखो से वाहवाह हासिल की थी। कोई ताज्जुब नही कि बरतानिया का यह "फरजदे अजमद" अंग्रेज सरकार की मर्जी से सिखो का वाहिद लीडर बनने के विचार से आया हो। कार सेवा मे टोकरिया उठा कर कार निकालने का इसको यह लाभ पहुचा कि इसकी आत्मघाती करतूत पर बहुत समय तक परदा पडा रहा।

भूलें बख्शवा कर जाते ही इसने रियासत के अकाली लीडरो पर, अंग्रेज हाकिमो की तरह ही, जुल्म ढाये। उन्हे जेलो मे पिटवाया। नाभा मे अपनी फौज भेजी और विलसन के साथ मिल कर तमद्दुद बरपा करता रहा। यह

१ कार सेवा[1]

इन दिनों में दरबार साहब की कार सेवा हो रही थी। आम अफवाह यह उड रही थी कि महाराजा नाभा को सरकार गद्दी से उतार रही है। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग में सेंट्रल सिख लीग का इजलास हुआ जिसमें महाराजा नाभा के गद्दी से उतारे जाने की आम चर्चा शुरू हो गयी। ९ जुलाई १९२३ को महाराजा नाभा के गद्दी से उतारे जाने की अखबारों ने तस्दीक कर दी। सरकार के इस कदम ने हालात बिल्कुल बदल दिए और महाराजा नाभा रिपुदमन सिंह को फिर से गद्दी पर बैठाने की तहरीक हाथ में लेने के लिए शिरोमणि कमेटी पर जोर डाला जाने लगा। लेकिन पहले कुछ कार सेवा की बात कर लें।

कार सेवा के शुरू होते ही कुछ झगडे खडे हो गये। गडगज्ज अकाली दीवान ने एतराज उठाया था कि कार सेवा के काम का आरम्भ सोने की कहियों और चांदी के बाटों के साथ नहीं होना चाहिए। लोहे की कहियों और बाटों से आरंभ होना चाहिए, क्योंकि सोने चांदी से सिख मत में लोहा ज्यादा महत्व रखता है। वे गुरु गोविन्द सिंह जी की रचनाओं से बहुत सारे प्रमाण देकर सिद्ध करते थे कि सिख मत में लोहे का बहुत ऊंचा दर्जा है और कार सेवा के लिए सोने चांदी का इस्तेमाल करना सिख मत के विरुद्ध है।

शिरोमणि कमेटी सैद्धांतिक मतभेदों को बुरा नहीं समझती थी। उसकी नजर में 'सिद्धान्तों के कारण पैदा हुए मतभेद जीती-जागती कौमों के लिए बुरी बात नहीं होते।' इसलिए वह पंथ में सहमति-असहमति को प्रसन्नता की नजर से देखती है।" पर उसको यह पसन्द नहीं था कि राय के मतभेद की आड में "जत्थेबंदी तोडने वाली और मुंहजोर कारवाइयां' की जायें तथा पंथ में फूट का प्रदर्शन करके गवर्नमेंट को खुश होने का मौका दिया जाय।

२ गडगज्ज दीवान की मुंहजोरी

गडगज्ज दीवान ने कार सेवा का पहला टक लगाने वाले पांच सिंहों को 'पांच प्यारे" कहने पर भी एतराज किया। यह एतराज शिरोमणि कमेटी ने स्वीकार कर लिया था। २९ ३० मई १९२३ के गुरमते (प्रस्ताव) में कमेटी ने स्वीकार किया था कि 'जो गुरमता कार सेवा आरम्भ के सम्बन्ध में पास

१ दरबार साहब के तालाब की गार (मिट्टी) निकाल कर साफ करने की रस्म को 'कार सेवा' कहते हैं।—ले

२ देखिए उनका सारा केस, अकाली ते प्रदेसी, २ ३ अगस्त १९२४

हुआ है, उसम शब्द 'पाच प्यारे' की जगह 'पाच सिंह' रखा जाय।" इसका साफ अर्थ यह है कि उनके एतराज में बहुत वजन था।

गडगज्ज दीवान के नेताओ ने श्रोमणि कमेटी के साथ बातचीत करके वचन दे दिया था कि वे कार सेवा की आरम्भिक रस्म में कोई विघ्न न डालेंगे। मगर उन्होंने यह वचन भंग करके अनुशासन तोडने और मुहजोर होने का प्रदर्शन किया तथा डी सी और पुलिस की धाड को मौके पर आने का मौका मुहैया किया। इस तरह उन्होंने एक गम्भीर कार्य को हास्यास्पद बनाने का यत्न किया। वचन भंग करना और रस्म के शुरू होने से पहले ही जाकर लोहे की कसियो से टक लगाना गडगज्ज अकाली दीवान के नेताओ की सख्त गलती थी।

उनको सिर्फ प्रोटेस्ट करने तक ही सीमित रहना चाहिए था। उनको हक हासिल था कि वे इस तरह का मतभेद श्रोमणि कमेटी को लिख कर दे देते और कार सेवा म मिल कर हिस्सा लेते। तब उनकी पोजीशन अच्छी रहती तथा उन्हें 'तनखाइये' करार दिये जाने तक नौबत न पहुचती, न ही उनके मेम्बर श्रोमणि कमेटी के बाहर किये जाते।

३ पटियाले की राजनीतिक चालबाजी

लेकिन कार सेवा के वक्त आकर गलतियां बख्शवा कर और अमृत छक कर, महाराजा पटियाला के चालीस हजार रुपया देकर कार सेवा म हिस्सा लेने पर दो रायें हो सकती हैं। यह पितरती, एशपरस्त और 'हर ऐब शरई" राजा था। इसका गलतियों को बख्शवाने का मकसद आम लोगो की आखो म धूल झोकना था। इसका अमृत छकना एक राजनीतिक चाल थी। वह महाराजा नाभा को गद्दी से उतारने की ब्रिटिश गवर्नमेंट की साजिश में शामिल था और इसम अपनी भूमिका अदा कर चुका था। इसने उन पर मुकदमा कर रखा था और महाराजा नाभा के गद्दी से उतारे जाने के फैसले का इसे मान था। आम सिखो क गुस्से से बचने के लिए इसने कार सेवा म हिस्सा लिया था और सिखो से वाहवाह हासिल का थी। कोई ताज्जुब नहीं कि बरतानिया का यह "फरजदे अजमद" अंग्रेज सरकार की मर्जी से सिखो का वाहिद लीडर बनने के विचार स आया हो। कार सेवा म टोकरिया उठा कर कार निकालने का इसको यह लाभ पहुचा कि इसकी भ्रातृघाती करतूत पर बहुत समय तक परदा पडा रहा।

भूलें बख्शवा कर जाते ही इसने रियासत के अकाली लीडरो पर, अंग्रेज हाकिमो की तरह ही, जुल्म ढाये। उन्हें जेलो म पिटवाया। नाभा म अपनी फौज भेजी और विलसन के साथ मिल कर तशद्दुद बरपा करता रहा। यह

अपनी ऐशपरस्ती पर सब-कुछ कुर्बान कर सकता था और अंग्रेज हाकिमो के नचाये नाचता था। अंग्रेज हाकिमो की तरह ही इसका भी कोई इखलाक या उसूल नही था।

जहा तक व्यभिचार और भ्रष्टाचार का सवाल है, कोई भी महाराजा इन लाछनो से बचा हुआ नही था—नाभा का महाराजा रिपुदमन सिंह भी नही। यह पराई लडकियो को अपने जाल म फसाने के लिए अकल्पित चालें खेलता था।[1] पर यह महाराजा पटियाला के व्यभिचार के तरीको के सौवें हिस्से को भी नही पहुच सकता था। पटियाला के भूपेन्द्र सिंह ने तो तन्त्रवाद की अति घृणित शक्ल को वजूद मे लाकर व्यभिचार को धर्म का चोला पहना कर अपने महल म एक पूज्यनीय स्थान पर बैठा दिया था।[2]

४ महाराजा नाभा की आजादख्याली

महाराजा नाभा को गद्दी से क्यो उतारा गया ? इसके कारण राजनीतिक थे। पटियाले और नाभे का परस्पर झगडा तो एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। असल कारण यह था कि रिपुदमन सिंह स्वतन्त्र विचारो वाला आदमी था। वह महाराजा पटियाले की तरह हर बात मे ब्रिटिश सरकार का जी हुजूर नही था। गुरुद्वारा सुधार तहरीक के शुरू होने के वक्त से वह इसकी इखलाकी हिमायत करता था और उसने अपने राज के सिखो को गुरुद्वारा सुधार के लिए काम करने की खुली छुट दी हुई थी। वह खुद भी श्रोमणि कमेटी की कई तरीको से मदद करता था। अकालियो की मार्च-अप्रल की आम गिरफ्तारियो के वक्त उसने सरकारी हुक्म की कोई परवाह नही की थी और अकालियो को नही पकडा था। ननकाने की दुखद घटना के बाद यही एक सिख रियासत थी, जिसम सिखो ने ननकाने साहब के शहीदो का 'शहीदी दिवस' मनाया था, यही एक रियासत थी, जहा सिख कृपाण पहन कर और काली पगडी बाध कर स्वतन्त्रता से चल फिर सकते थे। ये आजादिया न पटियाला की रियासत म थी, न किसी दूसरी रियासत में। पटियाला तो ब्रिटिश राज का बगलबच्चा या 'फरजदे-अजमद' बना हुआ था। इखलाक का कोई पहलू नहा था जो इसके पास गवाने के लिए रह गया हो।

मगर रिपुदमन सिंह पटियाले के विपरीत, बडी उभार शख्सियत का व्यक्ति था। वह हरेक सामाजिक, राजनीतिक और सास्कृतिक लहर म दिलचस्पी लेता था और तरक्कीपसद लोगो के साथ उठने-बैठने म खुशी महसूस

१ देखिए, पुस्तक महाराजा दीवान जरमनी दास पृ २१३ १६
२ उपरोक्त, पृ ३१ ४२

करता था। माटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार स्कीम से पहले वह वायसराय की कौंसिल का मेम्बर था और उस अर्से मे लगभग हर मौके पर वह प्रगतिशील लोगो का साथ देता था। बगावती जलसा के बिल पर बहस के वक्त उसने गवनमेंट की मुखालिफत की थी और लाहौर के गोलीकाड के वक्त जब कुछ योरपीय आदमियो ने एक हिंदू औरत की इज्जत लूटी थी और एक हिंदुस्तानी मुलाजिम को गोली से मार दिया था—उसने अफसरशाही की निंदा की थी। इसी तरह उसने रावलपिंडी की नारी की बेइज्जती के काड मे बडी हिम्मत दिखायी थी।

उसकी आजादख्याली का कुछ अदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गद्दी पर बैठने के वक्त की रस्म उसने ब्रिटिश एजेंट से कराने से इनकार कर दिया और यह रस्म सगत की आज्ञा के साथ अदा की गयी। पजाब के लेफ्टिनेंट गवनर सर लुइस डन ने उसका अपमान किया था, जिसका जवाब उसने अपमान भरे शब्दो म दिया था। इस किस्म के आजादख्याल राजे और रियासत के मालिक को सर माइकेल ओ'डवायर और ऊपर के हाकिम किस तरह गद्दी पर ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकते थे?[1]

इसलिए महाराजा नाभा बहुत अर्से स गवनमेंट की आखा मे काटे की तरह चुभ रहा था और ब्रिटिश अफसर उसको गद्दी से उतारने के लिए अरसे से खुसर-पुसर कर रहे थे, क्योकि उसकी आजादख्याली का बीज दूसरी रियासतो की जमीन मे पड कर गवनमेंट के लिए खतरा बन सकता था। सिखो म उसकी साख और इज्जत हुकूमत के लिए खतरनाक बन सकती थी, कुछ इस किस्म के हालात के घटने का खतरा ब्रिटिश अफसरो को हमेशा ही महसूस होता था और वे महाराजा नाभा पर हाथ डालने का मौका ढूढ रहे थे।

यह मौका गवनमेंट को पटियाला और नाभा के परस्पर झगडे ने मुहैया कर दिया। झगडा इन दोनो सिख महाराजाओ के बीच एक खूबसूरत लडकी—रचनी[2]—से शुरू हुआ था जिसे महाराजा पटियाला नाभा रियासत से, उठवा कर ले गया था। इसलिए यह ज्यादती भी पहले पटियाले की ही तरफ से हुई थी। ये दोनो एक ही फूलकिआ खानदान म से थे। पर वे एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। श्रोमणि कमेटी का यह बयान गलत था कि महाराजा पटियाले का महाराजा नाभे को गद्दी से उतारने मे कोई हाथ नही था।

महाराजा पटियाला की तरफ से नाभे के विरुद्ध कई आरोप लगाये गये थे नाभा दरबार ने पटियाले की खुदमुख्तारी को भग किया है इसने पटियाला की रियासत के कई आदमी नाजायज तौर पर जेलो म बन्द कर रखे हैं, इसने कई

१ दि इडियन एनुअल रजिस्टर, १९२३ (कलकत्ता), खण्ड २, पृ २३२ बी
२ महाराजा, पृ १७२

अपनी ऐशपरस्ती पर सब कुछ कुर्बान कर सकता था और अंग्रेज हाकिमो के नचाये नाचता था। अंग्रेज हाकिमा की तरह ही इसका भी कोई इखलाक या उसूल नही था।

जहा तक व्यभिचार और भ्रष्टाचार का सवाल है, कोई भी महाराजा इन लाछनो से बचा हुआ नही था—नाभा का महाराजा रिपुदमन सिंह भी नही। यह पराई लडकियो को अपने जाल मे फसाने के लिए अकल्पित चालें खेलता था।[1] पर यह महाराजा पटियाला के व्यभिचार के तरीका के सौवें हिस्से को भी नही पहुच सकता था। पटियाला के भूपेन्द्र सिंह ने तो तत्रवाद की अति घणित शक्ल को वजूद म लाकर व्यभिचार को धम का चोला पहना कर अपने महल म एक पूज्यनीय स्थान पर बैठा दिया था।[2]

४ महाराजा नाभा की आजादख्याली

महाराजा नाभा को गद्दी से क्यो उतारा गया ? इसके कारण राजनीतिक थे। पटियाले और नाभे का परस्पर झगडा तो एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। असल कारण यह था कि रिपुदमन सिंह स्वतत्र विचारो वाला आदमी था। वह महाराजा पटियाले की तरह हर बात मे ब्रिटिश सरकार का जी हुजूर नही था। गुरद्वारा सुधार तहरीक के शुरू होने के वक्त से यह इसकी इखलाकी हिमायत करता था और उसने अपने राज के सिखा को गुरद्वारा सुधार के लिए काम करने की खुली छट दी हुई थी। वह खुद भी शिरोमणि कमेटी की कई तरीका से मदद करता था। अकालियो की माच-अप्रैल की आम गिरफ्तारिया के वक्त उसने सरकारी हुकम की कोई परवाह नही की थी और अकालिया को नही पकडा था। ननकाने की दुखद घटना के बाद यही एक सिख रियासत थी जिसम सिखा ने ननकाने साहब के शहीदो का शहीदी दिवस मनाया था यही एक रियासत थी जहा सिख कृपाण पहन कर और काली पगडी बाध कर स्वतत्रता स चल फिर सकते थे। ये आजादिया न पटियाला की रियासत मे थी न किसी दूसरी रियासत म। पटियाला तो ब्रिटिश राज का बगलबच्चा या फरजदे-अजमद' बना हुआ था। इखलाक का कोई पहलू नही था जो इसके पास गवाने के लिए रह गया हो।

मगर रिपुदमन सिंह पटियाले के विपरीत, बडी उदार शख्सियत का व्यक्ति था। वह हरक सामाजिक, राजनीतिक और सास्कृतिक लहर म दिलचस्पी लेता था और तरक्कीपसद लोगो के साथ उठन-बठने म खुशी महसूस

१ देखिए, पुस्तक महाराजा, दीवान जरमनी दास, पृ २१३ १६
२ उपरोक्त, पृ ३१ ४२

करता था। माटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार स्कीम से पहले यह वायसराय की कौंसिल का मेम्बर था और उस अर्से में लगभग हर मौके पर वह प्रगतिशील लोगों का साथ देता था। बगावती जलसा के बिल पर बहस के वक्त उसने गवनमेंट की मुखालिफत की थी और लाहौर के गोलीकांड के वक्त जब कुछ योरपीय आदमियों ने एक हिंदू औरत की इज्जत लूटी थी और एक हिंदुस्तानी मुलाजिम को गाली से मार दिया था—उसने अफसरशाही की निंदा की थी। इसी तरह उसने रावलपिंडी की नारी की बेइज्जती के कांड में बड़ी हिम्मत दिखायी थी।

उसकी आजादख्याली का कुछ अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गद्दी पर बैठने के वक्त की रस्म उसने ब्रिटिश एजेंट से कराने से इनकार कर दिया और यह रस्म मंगल की आज्ञा के साथ अदा की गयी। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेन ने उसका अपमान किया था, जिसका जवाब उसने अपमान भरे शब्दों में दिया था। इस किस्म के आजादख्याल राजे और रियासत के मालिक को सर माइकल ओ'डवायर और ऊपर के हाकिम किस तरह गद्दी पर ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकते थे?[1]

इसलिए महाराजा नाभा बहुत अर्से से गवनमेंट की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था और ब्रिटिश अफसर उसको गद्दी से उतारने के लिए अरसे से गुपर-पुसर कर रहे थे क्योंकि उसकी आजादख्याली का बीज दूसरी रियासतों की जमीन में पड़ कर गवनमेंट के लिए खतरा बन सकता था। सिखों में उसकी साख और इज्जत हुकूमत के लिए खतरनाक बन सकती थी, कुछ इस किस्म के हालात के घटने का खतरा ब्रिटिश अफसरों को हमेशा ही महसूस होता था और वे महाराजा नाभा पर हाथ डालने का मौका ढूंढ़ रहे थे।

यह मौका गवनमेंट को पटियाला और नाभा के परस्पर झगड़े ने मुहैया कर दिया। झगड़ा इन दोनों सिख महाराजाओं के बीच एक खूबसूरत लड़की—रचनी[2]—से शुरू हुआ था, जिसे महाराजा पटियाला, नाभा रियासत से, उठवा कर ले गया था। इसलिए यह ज्यादती भी पहले पटियाले की ही तरफ से हुई थी। ये दोनों एक ही फूलकिआं खानदान में से थे। पर वे एक-दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। शिरोमणि कमेटी का यह बयान गलत था कि महाराजा पटियाले का महाराजा नाभे को गद्दी से उतारने में कोई हाथ नहीं था।

महाराजा पटियाला की तरफ से नाभे के विरुद्ध कई आरोप लगाये गये थे : नाभा दरबार ने पटियाले की खुदमुख्तारी को भंग किया है, इसने पटियाला की रियासत के कई आदमी नाजायज तौर पर जेलों में बंद कर रखे हैं, इसने कई

१ दि इंडियन एनुअल रजिस्टर, १९२३ (कलकत्ता), खण्ड २, पृ २३२ बी
२ महाराजा पृ १७२

अय गैर-दोस्ताना कार्रवाइया की हैं, वगैरा। इस वक्त महाराजा नाभा न यह झगडा सुलझाने के लिए एक कदम उठाया, लेकिन यह खुद उसके खिलाफ पडा। उसने दिसम्बर १६२२ को पटने के सर अली इमाम को, जो कि एक मशहूर कानूनन्त था, बुला कर अपना केस जाच-पडताल के लिए दिया। जाच पडताल करने के बाद उसने फसला दिया कि न सिफ पटियाले के सभी गैर कानूनी ढग से पकडे गये कैदी छोडना जरूरी है, बल्कि पटियाले से माफी मागना और उसको हर्जाना देना भी जरूरी है।[1]

इस फैसले ने गवनमेंट के हाथ मजबूत कर दिये और सरकार ने समझौते के यत्नो की कोई परवाह न करते हुए इलाहाबाद हाइकोट के जज मिस्टर स्टुअट को अम्बाले म नाभा-पटियाला झगडे की जांच करने मे लगा दिया। यह जाच ४ जनवरी १६२३ को शुरू हुई। महाराजा पटियाला ने नाभे के खिलाफ ८ आरोप लगाये थे। पडताल जनवरी, फरवरी, माच और अप्रल १६२३ मे हुई—नाभे के खिलाफ ६ आरोप साबित हुए, दो साबित न हो सके।

५ गद्दी छीन ली

जज के फैसले के अनुसार महाराजा नाभा ने तीन इकरारनामे तोडे

(१) उसने अपने लोगो की खुशहाली के लिए कुछ नही किया,

(२) उसने मजलूम और दुखी लोगो की शिकायतें मुनासिब तरीके से दूर नही की, और

(३) वह अपने आपको ब्रिटिश ताज और हिंदुस्तान मे ब्रिटिश सरकार की ताबेदारी और वफादारी के साथ नही बाध सका, वगैरा।[2]

पटियाले के इलाकाई हकों में जबदस्ती उल्लघन को ताज की वफादारी को तोडना बताया गया और दरबार के झगडे को प्रसिद्ध उसूल का तोडा जाना बताया गया, जिनके अनुसार रियासतो के बीच दुश्मनी बन्द की गयी थी।[3]

दरअसल बात ब्रिटिश राज की वफादारी की थी। महाराजा पटियाला अग्रेज हाकिमो का पूरी तौर पर ताबेदार और वफादार था। मगर महाराजा नाभा सरकार के नचाये नही नाचता था। नाभे की आजादख्याली और अमल उसके गद्दी से उतारे जाने का कारण बने। उसका गद्दी पर बैठने के वक्त से लेकर अकाली लहर के साथ हमदर्दी तक का इतिहास, अग्रेज हाकिमा की

१ दि इडियन एनुअल रजिस्टर १६२३, खण्ड २, पृ २३२ बी
२ फाइल न १४८ II १६२३, होम पोलिटिकल
३ वही

हेकडबाजी और धक्केशाही के विरुद्ध था। गवनमेंट समझने लगी थी कि महाराजा नाभा सिखों का लीडर बनने के लिए हाथ पैर मार रहा है।

और इसके सबूत के लिए सी आई डी की रिपोर्टें इलजाम लगाती थीं कि महाराजा नाभा पंथ-सेवक और उसके एडीटर चंदा सिंह को माली इमदाद देता है। वह सरदूल सिंह क्वीश्वर को रुपये-पैसे की मदद देता है। उसके गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ ताल्लुक हैं। वह राजनीतिक कैदियों और उनके रिश्तेदारों की माली सहायता के लिए फण्ड मुहैया करता है और उसके मानक सिंह और बख्शीस सिंह के साथ पटियाला जेल में सम्बध हैं।'[1]

गवनमेंट महाराजा नाभा की जगह सिखों का लीडर महाराजा पटियाला को बनाना चाहती थी—पर बागडोर अपने हाथ मे रख कर। गवनमेंट के विचार मे 'यह बात कई दलीलों के कारण ठीक नही होगी कि उस (पटियाले) को ब्रिटिश हिंदुस्तान की रिआया और सरकार के बीच सालिसी (मध्यस्थता) के लिए लाया जाय। कई मौकों पर उसका असर और रसूक सच्चा साबित हो सकता है कई मौकों पर बुरा। और, हम ज्यादातर, महाराजा नाभा की कारवाई की तरह, उस पर भी शक करते थे।"[2] और यह शक पहले से चला आ रहा था क्योंकि सिखों का राज हथियाये अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। अंग्रेज हाकिमों को सिखों पर फिर से सिख राज हासिल करने की साजिशें चलाने का हमेशा शक बना रहता था।

६ गवनमेंट का दावा

सरकार का दावा यह था कि महाराजा नाभा अपनी मर्जी से गद्दी से दस्त बरदार हुआ है। जज स्टुअर्ट के फैसले के बाद सरकार अभी सोच ही रही थी कि नाभे के खिलाफ क्या कारवाई की जाय कि महाराजा खुद गवनर जनरल के एजेंट मिनचन के पास कसौली गया और उसने अपने-आप गद्दी से अलहदा होने की इच्छा जाहिर की। गवनमेंट ने कुछ शर्तों के साथ उसकी पेशकश मजूर कर ली। शर्तें ये थी

(१) नाभे का राजप्रबंध हिंदुस्तान की सरकार के हवाले कर दिया जायगा और महाराजा रियासत के मामला मे दखल देने से हट जायेगा,

(२) जब महाराजा का पुत्र बालिग हो जायगा तो वह बाकायदा तौर पर गद्दी त्याग देगा,

(३) महाराजा आगे से रियासत के बाहर निवास करेगा और उसकी

१ टक्नू एच विनसेंट्स ड्राफ्ट एप्रूव्ड बाई हिज एक्सीलेंसी, ११-१ १६२२
२ वही

रिहाइश के लिए रियासत या एक बगला देहरादून म और दूसरा मसूरी म उसके हवाले किया जायगा,

(४) महाराजा, धार्मिक रस्मा व मवसदा के अलावा, नाभा रियासत म नही आ-जा सकेगा—और उस वक्त भी सरकार की पहले से आज्ञा लेकर ही,

(५) हिंद सरकार की आज्ञा के बिना महाराजा पजाब, योरप या अमरीका नही जा सकेगा,

(६) गद्दी के हकदार शहजादे की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर होगी,

(७) पटियाला दरबार को मुआवजे म उतनी रकम अदा की जायगी, जितनी हिंद सरकार नियत करेगी—यह ८० लाख से ज्यादा नहीं होगी

(८) महाराजा ब्रिटिश ताज और हिंद सरकार की ताबेदारी और वफादारी के अधीन रहेगा,

(९) महाराजा के रिवाजी अधिकार और सेल्यूट के हक कायम रहेंगे और उसको रियासत के मालिये म स तीन लाख रुपये सालाना दिये जायेंगे,

(१०) अगर महाराजा इकरारनामे की इन म से कोई भी शर्तें—जिनकी उस पर पाबदी लगायी गयी है—पूरी करने म असफल रहेगा, तो गवनमेट ऊपर की शर्तों को तब्दील या मसूख करने के लिए आजाद होगी।[1]

ऊपर की शर्तों स साफ जाहिर होता है कि महाराजा के हाथ-पैर बाध दिये गये थ। उसकी सब आजादिया छीन ली गयी थी। वह देहरादून और कसौली के दो बगला के अलावा कही भी आ जा नहीं सकता था। और तो और, उसके हाथो से उसके बच्चे की शिक्षा का हक भी छीन लिया गया था। उसको अन्तिम विश्लेषण म एक तरह स कद करके गद्दी से अलग कर दिया गया था।

कुदरती बात थी कि सरकार के इस फैसले की बेइसाफी पर नाभा रियासत के अन्दर और आम सिखा म नाराजगी और गुस्से का प्रदशन हो। रियासत मे और बाहर भी अपने आप जगह जगह जलसे होने लगे, जिनम माग की गयी कि श्रोमणि कमटी यह मामला अपने हाथ मे ले क्योकि महाराजा को गद्दी से इसीलिए उतारा गया है कि वह गुरुद्वारा तहरीक की हिमायत करता रहा था—यह दरअसल गुरुद्वारा तहरीक पर वार था जिसका यथायोग्य जबाब देने पर जोर दिया जा रहा था। गुरु के बाग की जीत ने सिखो मे यह विश्वास और भरोसा पैदा कर दिया था कि उनम इस बेइसाफी को दूर कराने की हिम्मत और ताकत मौजूद है।

१ जी डी उगनकी पोलिटिकल सेक्रेटरी गवनमेट आफ इडिया, फाइल न १४८/२—१९२३ होम

छब्बीसवाँ अध्याय

क्या गद्दी स्वेच्छा से छोडी गयी ?

सरकार का सारा जोर इस बात पर लग रहा था कि महाराजा ने गद्दी स्वेच्छा से छोडी है। पर यह हकीकत नही थी, हकीकत यह थी कि महाराजा से डरा धमका कर गद्दी छुडवायी गयी थी। इस असलियत को अकाली ते प्रदेसी ने अच्छी तरह नगा कर दिया था। मास्टर तारा सिंह जी खुद महाराजा से मिल कर इस असलियत की तसदीक कर चुके थे। मास्टर जी ने 'अकाली लीडरो की साजिश के मुकदमे मे बयान देते हुए कहा था

"महाराजा ने कहा कि उसको कई किस्म की धमकियाँ दी गयी थी। मुझे मालूम था कि उसके विरुद्ध प्रिंस आफ वेल्स के ऊपर बम फेंकने की गढी गयी साजिश की तरफ यह इशारा है। श्रोमणि कमेटी को भी इस साजिश मे लपेटने की कोशिश की गयी थी पर एक गवाह ने इस साजिश को नगा कर दिया। उसने अपनी रोजाना डायरी श्रोमणि कमेटी के हवाले कर दी और कमेटी ने यह पुलिस के हवाले कर दी। इस तरह इस साजिश का भडा फूट गया।"[1] यह खौफनाक इल्जाम ऊपर के इल्जामो से अलहदा था। इसलिए जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं महाराजा नाभे का गद्दी से उतरने का प्रत्यक्ष कारण नाभे-पटियाले का "व्यक्तिगत झगडा"[2] नही था, बल्कि इसका कारण उसका पथ और देश के साथ प्यार था।

गद्दी छोडने की खबर सुनते ही श्रोमणि कमेटी की तरफ से एक बयान प्रकाशित किया गया, जिसमे सरकार के इस फैसले को अन्यायपूर्ण कहा गया। उसमे बताया गया कि महाराजा को "बडी हीनता और बेइज्जती के साथ रियासत छोडने के लिए मजबूर किया गया" और 'फौजी ताकत का प्रदर्शन किया गया।" इस बयान मे कमेटी ने पोलिटिकल एजेंट कर्नल मिंचन के खिलाफ 'सीनाजोरी और धक्काशाही' वगैरे के गम्भीर इल्जाम लगाये थे।

अकाली ते प्रदेसी ने लिखा

(१) सरकार ने महाराजा नाभा को गद्दी से उतार कर अन्याय किया है

१ अकाली ते प्रदेसी, २ नवम्बर, १९२४

२ ज्ञानी प्रताप सिंह, अकाली लहर का इतिहास, पृ ३०२

(२) महाराजा एक आजादीपसंद राजा था, इसलिए जिस तरह इंगलैंड के बादशाह के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता—सरकार महाराजा नाभा के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं चला सकती थी,

(३) अंग्रेजो और फूलकिया रियासतों के सधि-पत्रों को ध्यान में रख कर, सरकार महाराजा नाभा को गद्दी से नहीं उतार सकती,

(४) महाराजा नाभा अच्छा मित्र है, राजनीतिक मतभेद के कारण उसको गद्दी से उतारा गया है। अहलकारों ने उसके साथ द्रोह किया है।[1]

महाराजा नाभा के अहलकार बड़े अवसरवादी और सिद्धान्तहीन निकले। महाराजा पर मुकदमा चलते ही वे मुखालिफों के साथ मिल गये और उन्होंने सब खुफिया कागज-पत्र दुश्मनों के हवाले कर दिये। "महाराजा का अपना साबिक ए डी सी आसा सिंह बहुत सारा मसाला लेकर महाराजा पटियाले से जा मिला। 'भाई कहान सिंह के भतीजे प्रदुमन सिंह को फाइलें लाने और मसाला इकट्ठा करने के काम पर लगाया गया।'[2] यह मसाला महाराजा नाभा के खिलाफ मुकदमे में इस्तेमाल किया गया।

१ शिरोमणि कमेटी का केस

२ अगस्त को शिरोमणि कमेटी द्वारा वायसराय को इस आशय का तार दिया गया कि महाराजा नाभा को सरकारी अफसरों ने डरा धमका कर जबरदस्ती गद्दी से उतारा है। इसके संबंध में एक निरपक्ष जांच कमेटी कायम की जाय, जो बता सके कि महाराजा अपनी इच्छा से गद्दी से उतरा है या उसको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। पर इसका वायसराय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वायसराय को यह मामला याद दिलाने के लिए एक और तार दिया गया पर जवाब इसका भी कोई न मिला, बल्कि सरकारी एजेंसी की तरफ से खबर यह प्रकाशित की गयी कि वायसराय नाभा रियासत के लिए कौंसिल आफ एजेंसी की नियुक्ति के विषय में सोच रहा है। इस पर कमेटी ने मुख्य सिखों को मशविरा दिया कि वे इस कौंसिल के मेम्बर न बनें।[3]

इन हालात में शिरोमणि कमेटी ने सिखों को दावत दी कि वे इस धक्के के खिलाफ अपने गुस्से का प्रदर्शन करने के वास्ते ६ सितम्बर को नगर नगर जुलूस निकालें। शहरों के मुख्य बाजारों में कीर्तन करते हुए वे किसी गुरुद्वारे में

१ अकाली ते प्रदेसी, ६ सितम्बर १९२३
२ तसद्दुक हुसैन सी आई डी अफसर, की रिपोर्ट, २२ नवम्बर १९२३
३ कमेटी का ऐलान न ६, १७ अगस्त १९२३

पहुचें। वहा महाराजा नाभा की गद्दी पर दुबारा बहाली के लिए प्रार्थना करें और सरकार की उपरोक्त कारवाई की—प्रस्ताव पास करके—निन्दा करें।

५ ६ अगस्त १९२३ को शिरोमणि कमेटी की बाकायदा जनरल बॉडी मीटिंग म कमेटी की एक्जेक्यूटिव कमेटी को अख्तियार दिये गये कि 'वह महाराजा नाभा और पंथ के साथ की गयी इस बेइन्साफी को सारे शातिमय और जायज तरीकों के जरिये दूर कराये।' इस प्रस्ताव म जोर 'शातिमय और जायज तरीकों' के इस्तेमाल पर दिया गया था और महाराजा नाभा को गद्दी पर बैठाने के लिए मुख्य तौर पर एजीटेशन और प्रोपगडा करने का प्रोग्राम था। पर गवनमेंट तो शिरोमणि कमेटी की गुरुद्वारों की आजादी की धार्मिक तहरीक को भी राजनीतिक तहरीक समझती थी। महाराजा नाभा की गद्दी की बहाली के सवाल पर तो सरकारी हाकिमों ने कमेटी पर खुल्लमखुल्ला राजनीतिक सवाल हाथ म लेने का इलजाम लगाया और अकाली तहरीक के खिलाफ सख्ती का नया दौर शुरू हो गया।

कमेटी की इस जनरल बाडी मीटिंग म भाई जोधसिंह ने नाभा महाराज के इस सवाल को लेने की सख्त मुखालिफत की थी।[1] यह कोई नयी बात नही थी। यह सरकार के खिलाफ कोई भी टक्कर लेने के खिलाफ था, क्योंकि उसकी जिन्दगी का मुख्य ध्येय सिखों और सरकार के बीच 'मित्रता' कायम रखना था। वह हर मुख्य सवाल पर सरकार का पक्ष लेता था और उसको कमेटी के अन्दर कुछेक ताईद करने वाले आदमी मिल जाते थे। भारी बहुमत का रुझान उसकी साम्राज्यपरस्त पालिसी के सख्त खिलाफ होता था।

शिरोमणि कमेटी का वायसराय को तार देने का मकसद यह था कि अगर यह बात साबित कर दी जाय कि महाराजा नाभा ने अपनी मर्जी से गद्दी छोडी है तो यह सवाल हाथ म नही लिया जायगा। पर सरकार का शात रहना और कोई जवाब न देना, साबित करता था कि महाराजा नाभा के साथ अन्याय किया गया है क्योंकि उससे जबदस्ती गद्दी छुडायी गयी है। सरकार का वतीरा यह था कि शिरोमणि कमेटी की हस्ती ही क्या है कि वह गवनमेंट के फैसलों पर उगली उठाये।

१ इस मीटिंग मे लेखक उसके पास ही अकाल तख्त पर बैठा था और मैंने बैठे बैठे कहा था हम तो गवनमेंट के खिलाफ हर सवाल पर लडने के लिए तैयार है यही बात उसने (जोधसिंह ने) मीटिंग म नाभा के सवाल के विरोध म दलीलें देते हुए एक और दलील के तौर पर कही थी

२ अफसरों की हमदर्दी

उन दिनो अकाली लहर का घेरा बड़ा विशाल हो गया और आम अफसरों—खास कर सिख अफसरों—म कुछ की हमदर्दी अकाली लहरों के साथ बहुत बढ़ गयी थी। कई अफसरों के शिरोमणि कमेटी के साथ खुफिया ताल मेल भी थे और वे गवर्नमेंट की खुफिया कारवाइयां के फैसले शिरोमणि कमेटी को बताते रहते थे—यहा तक कि गवर्नमेंट के फैसलों की फाइलें तक शिरोमणि कमेटी को मिल जाती थीं जिनमें से जरूरी फैसले नकल करके फाइलें वापस कर दी जाती थी। प्रो तेजा सिंह जी इस विषय म अपनी जीवनी आरसी म लिखते हैं "उस वक्त अकाली लहर की शोभा हर तरफ फैल चुकी थी। न केवल आम जनता ही हमारे साथ थी बल्कि अंग्रेजों के अलावा सरकारी अफ्सर भी (हमारी) हर तरह की मदद करते थे। कई गुप्त से गुप्त सरकारी फाइलें हिंदू सिख और मुसलमान अफसर मिलके से लाकर हमें दिखाते थे और हम उनका इस्तेमाल करके वापस कर देते थे।"

"इन्ही फाइलो की मदद से जतो के मोर्चे के वक्त पुस्तक 'नाभा के बारे म सच्चाई,' (Truth about Nabha)[1] लिखी गयी। जो गुप्त कोड वाला तार महाराजा नाभा को गद्दी से उतारने के सबंध मे भेजा गया था वह भी हमारे पास पहुच गया था। जब हमने यह बात व्यक्त कर दी कि सरकार ने जबरदस्ती महाराजा को गद्दी से उतारा है तो सरकार ने करनल मिन्चन को देहरादून भेजा कि महाराजा के पास से लिखवा कर लाये कि उसने अपनी मर्जी से गद्दी छोडी है। कर्नल मिन्चन बाहर गोल कमरे मे बैठा था और महाराजा अपनी रानी सहित साथ वाले कमरे मे था, जिसमे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था। वही गुरु ग्रंथ साहब के हुजूर महाराजा से प्रण लिया गया कि वह मशविरा किये बगर कोई दस्तावेज लिख कर नही देगा। जो कागज भी मिन्चन, महाराजा के सामने रखे वह महारानी वाले कमरे मे लाकर दिखाया जायगा। मिन्चन ने एक दस्तावेज पेश की जो टाइप की हुई थी और जिसमे महाराजा की तरफ से ऐलान था कि मैंने अपनी मर्जी से गद्दी छोडी है। जब वह दस्तावेज महाराजा अन्दर लाया तो उससे कहा गया कि वह जाकर मिन्चन से कहे कि मैं इस पर तब तक दस्तखत नही करूंगा जब तक मुझे यह लिख कर नही दोगे कि यह हुक्म वायसराय का है। इस पर मिन्चन ने अपने हाथ से उस टाइप किये हुए कागज पर लिख दिया कि यह वायसराय का हुक्म है कि इस पर दस्तखत कर दो।

१ ट्रुथ एबाउट नाभा

"जब महाराजा वह कागज लेकर अन्दर आया, तो उससे कहा गया—आइए, यह कागज हम नहीं देते। आप मिन्चिन से कह दें कि महारानी ने कागज रख लिया है और वह नहीं देतीं। महाराजा बहुत तिलमिलाया। मरते पर मुक्के मार। पर उसे कागज नहीं दिया गया।"[1]

प्रो तेजा सिंह जी शिरोमणि कमेटी की पब्लिसिटी कमेटी के इन्चार्जों में से एक प्रमुख हस्ती थे। "नाभा के बारे में सच्चाई" पुस्तक लिखने में उनका बड़ा हाथ था। उपरोक्त हवाले से साफ जाहिर होता है कि महाराजा नाभा ने गद्दी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी थी, बल्कि उस पर दबाव और जोर डाल कर छुड़वायी गयी थी। सरकारी बयान और एलान झूठ और बद दयानती पर आधारित थे, सच्चाई पर नहीं।

३ फाइलों की चोरी

सरकार की अपनी खुफिया रिपोर्टों से जाहिर होता है कि शिमले के राजनीतिक और विदेशी मामलों के दफ्तर में से कुछ फाइलें गुम हो गयी थीं। इन फाइलों का सम्बंध नाभे के केस से था। इन फाइलों को पकड़ने के लिए छापे तक मारे गये थे। गुरु शिरोमणि कमेटी के दफ्तर के साथ सम्बंध रखने वाला एक बंदा भी इन फाइलों के सुरक्षित ठिकाने के बारे में गवर्नमेंट को खबरें पहुंचाता था और सरकार से इनाम के तौर पर एक बड़ी रकम वसूल करना चाहता था। पर उसका मंसूबा सिरे न चढ़ सका।

२४ दिसम्बर १९२३ को वायसराय के प्राइवेट सक्रेटरी ने गवर्नर मलकम हेली को चिट्ठी के जरिये मंजूरी दी थी कि नाभे से ताल्लुक रखने वाले कागजों के बारे में जानकारी हो जाने या भेद खुल जाने की जांच पड़ताल की जाय और जांच पड़ताल के नतीजे जिन लोगों के खिलाफ जायें उनको सजा दी जाय।[2] इस पड़ताल में क्लर्कों के अलावा दफ्तर का इंचार्ज एक अंग्रेज अफसर मिस्टर लारेंस भी फंसा हुआ था। उसकी छः महीनों की छुट्टी १२ जनवरी को समाप्त होने पर उसे पेंशन देकर सर्विस से जबरदस्ती अलहदा कर दिया गया था। उसकी अंग्रेज श्रीमती ने ऊपर के अफसरों के दफ्तरों की बड़ी परिक्रमा की, बड़ी विनतियां कीं—पर उसकी कोई बात भी न सुनी गयी।

इस केस की जांच पड़ताल के लिए मिस्टर डब्ल्यू टी एन राइट और सी डब्ल्यू ग्रेन नियुक्त किये गये थे। उन्होंने लिखा था "प्रदुमन सिंह ने

१ आरसी प्रो तेजा सिंह, पृ ६४ ६५
२ फाइल न २५४,—१९२४ होम पोलिटिकल

गुलजार मोहम्मद के साथ कुछ मुलाकातें की थी। पर उसको एक हफ्ते तक कुछ नही मिला था। दिसम्बर के पहले हफ्ते मे वह एक नीली फडी वाली फाइल लाया। इस फाइल का सम्बध महाराजा पटियाला के जरिये पजाब सरकार और शिरोमणि कमेटी के बीच मध्यस्थता की सभावना और मि भगवान दास (सी आई डी अफसर) द्वारा महाराजा नाभा की राजनीतिक सरगर्मियो के बारे मे पडताल करने के फैसले से था।"[1]

गुलजार मोहम्मद को पहले नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया था और फैसले के बाद मुअत्तली के दिन से ही नौकरी से अलहदा कर दिया गया। दफ्तर के सुपरिटेंडेंट को अख्तियार दिया गया था कि वह बाकी के सम्बधित क्लर्कों के बारे मे, जो भी कारवाई जरूरी समझे, करे। इस मुकदमे मे एक बिचौला मजहर अली मिर्जा था। उसके बारे मे हुक्म दिया गया कि वह सक्रेटारियट के दफ्तरो म आने-जाने से बिलकुल वर्जित कर दिया जाय।

सरदर गुरदयाल सिंह का कहना था कि देशी रियासतो के खुफिया कागजो को चुराने की बाकायदा तिजारत चलती है। इस बात का कर्नल मिन्चन को भी पता था। पर उसकी राय म फाइलो की इस चोरी का रोकना मुश्किल था, क्योंकि रियासतो के महाराजे क्लर्कों को खुफिया फाइलें चुरा कर लाने के लिए इतनी बडी रकम देते थे कि चोरो को इस बात की परवाह नही रहती थी कि नौकरी से निकाल दिये जायेंगे या मुकदमा म फसा लिये जायेंगे।[2]

गवर्नमेंट राजनीतिक और धार्मिक जत्थेबदियो वगैरा मे अपने जो आदमी एजेंट के तौर पर भेजती थी, उनका फाइलो म नाम कभी-कभी मिल जाय तो मिल जाय नही तो उनके नाम नही मिलते। शिरोमणि कमेटी के अपने भरोसे म ली हुई भी एक काली भेड थी जिसके पजाब सरकार के चीफ सक्रेटरी एच डी क्रैक के साथ सीधे ताल्लुक थे। वह गवर्नमेंट को नाभे के बारे म खुफिया फाइलें पकडवाने की पेशकश करता था। वह कहता था कि वह ऐसी फाइलें पकडवाने के लिए तयार है—जिनके आधार पर अकाली साजिश के लीडर दावा करते हैं कि वे मुकदमे म साबित करेंगे कि महाराजा नाभा ने अपनी मर्जी से गद्दी नहीं छोडी थी।[3]

मिस्टर क्रैक ने उसी चिट्ठी म लिखा था कि "अगर सम्बधित दस्तावेजें उस आदमी के जरिये हासिल हो जायें तो वह सभवत इनका मूल्य मागेगा। मैंने उसको अभी तक कोई हा या ना नहीं की।' उस वक्त उसकी तरफ से बनायी

१ फैसला २८ दिसम्बर १९२३ को हुआ
२ लेटर टू उगनकी बाई कर्नल मिन्चन २० जुलाई १९२३
३ एच डी क्रैक का नोट, होम सेक्रेटरी लाहौर को पत्र ५ जनवरी १९२४

गयी दस्तावज कोई खास वजनदार नही मालूम हुई थी। पर उस अकाली एजेंट की बातचीत से लगता था कि उसको फाइलो के कभी किसी जगह ता कभी किसी जगह रखने के ठिकाना का पता था। सरकार दरबार साहब के अदर सम्भवत छापा मारने के खिलाफ थी, क्याकि "इस किस्म की कोई भी घटना भडकाव का कारण" बन सकती थी।

पत्र व्यवहार के बाद गवनमट के सक्रेटरिया को ऐसा लगा कि जिन दस्तावेजा की अकाली एजेंट बात करता है—वे, वे नही थी जो चोरी की गयी बतायी जाती हैं। हा, श्रोमणि कमेटी के पास उनके फोटो हो सकते हैं। स्टूअट का फैसला महफूज है। चोरी की हुई दस्तावेजो को मुकदमे म पेश करने की कानून इजाजत नही दता।

इन दस्तावेजो को हासिल करन के लिए, गवनमेट द्वारा छापा मारन की खबर श्रोमणि गुरुद्वारा कमेटी के बाहर के लीडरो को भी मिल गयी थी। यह सूचना वेअल सिंह तहसीलदार ने पहुचायी थी।[1] कमेटी के नेता खबरदार और चौकन्ने हो गये थ। गवनमेट को गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी और अकाली दल के दफ्तरा मे छापे मारने पर कुछ नही मिला था।

न ही उस अकाली "काली भेड" को कुछ मिला, जो अपना ईमान चन्द टका की खातिर बेचने के लिए तयार था।

१ श्री निरजन सिंह कदोवाली (अमृतसर) का लिखित बयान

सत्ताइसवा अध्याय

जैतो का मोर्चा

महाराजा नाभा को गद्दी स उतारने के सरकारी प्लान के वक्त से ही सरकार के विरुद्ध एजीटेशन शुरू हो गयी थी। महाराजा के समथन मे यह उभार स्वत स्फूत था। श्रोमणि कमेटी ने इस उभार को जत्थेबद कुछ देर बाद किया था। प्रो रुचिराम साहनी ने नाभे के लोगो की पडित मोतीलाल नेहरू से नाभा स्टेशन पर हुई बातचीत का वणन किया है। उसम लोगो के खयालो का कुछ अन्दाज लग सकता है।

पडित मोतीलाल जी ने सवाल किया क्या तुम उन बुरी बातो म यकीन करते हो जो महाराजा नाभा के चालचलन के बारे मे कही जा रही हैं?

लोगो ने जवाब दिया बदनामी की मुहिम का काम सिफ कुछेक गद्दारो और खुदगर्जों की तरफ से किया जा रहा है और किसी तरफ से नही।

पडित जी ने दूसरा सवाल पूछा क्या तुम महाराजा नाभा को फिर से गद्दी पर बठाना चाहते हो?

उन्होने एक स्वर से जवाब दिया हम अपने दिल और रूह स उनकी वापसी चाहते है।[1]

इससे पता चलता है कि वह लोगो म कितना रसूख रखता था। कुछेक खुदगज अफसरो के अतिरिक्त आम जनता उसके साथ थी और उसे प्यार करती थी। नाभे के लोगो की तरफ से प्रोटेस्ट के तौर पर किये गये गुरद्वारा गगसर मे दीवान ही बताते हैं कि महाराजा को लोगो की इच्छा के विपरीत गद्दी से उतारा गया था। जतो मडी के महाजनो का पुलिस द्वारा पीटा जाना भी यही बताता है कि आम लोग महाराजा को चाहते थे। सरकार का प्रचार झूठा था कि आम लोग महाराजा के खिलाफ थे।

उन दिनो खबरें पहुचाने वाली एजेंसिया गवनमट के रहम ओ करम पर निभर रहती थीं। सिविल मिलटरी गजेट (लाहौर), स्टेटसमन (दिल्ली), पायोनियर (इलाहाबाद) तथा अन्य कई अंग्रेजी के रोजाना अखबार अंग्रेज

१ प्रोफेसर रुचिराम साहनी स्ट्रगल फार रिफाम्स इन सिख श्राइन्स, पृ २१५

राज का पक्ष पूरी तरह पेश करते थे। पायोनियर ने यह खबर छापी कि "अकालियों ने जैतो में गुरुद्वारा गगसर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है।" इस किस्म की झूठी बातो का इस्तेमाल करना अग्रेज हाकिमो के लिए कोई नई बात नही थी। बदनाम करने के लिए झूठ का हथियार इस्तेमाल करके वे जुल्म व सितम के लिए रास्ता तयार करते थे।

पहली सितम्बर को शिरोमणि अकाली दल ने जैतो मे एक जत्था भेजा था। मकसद यह था कि गुरद्वारा गगसर म धार्मिक दीवान करने की आजादी का हक बहाल किया जाय। रियासत के नये एडमिनिस्ट्रेटर (प्रमुख प्रबधक) ने रियासत मे एक तरह का मार्शल लॉ लगा रखा था। उसकी नजरो में तरन तारन और ननकाने गुरद्वारा म शहीद हुए सिखो का, या नाभे की बहाली का, अरदास म जिक्र करना धार्मिक नही था राजनीतिक था। इसलिए रियासत म सब जलसे जुलूस बद कर दिये गये थे। नाभे की बहाली की तकरीरो की बात अलहदा रही, उसका अरदासे म भी जिक्र करना एक बडा जुर्म बना दिया गया था।

कुछ दिनो तक २५ २८ अकालियो के जत्थे जाते रहे। रियासत के हाकिम उन्हे पकडते रहे और दूर ले जा कर रियासत से बाहर छोड आते थे। वे दोबारा धक्के खाते हुए नाभे मे वापस आ जाते, ताकि धार्मिक आजादी की लडाई, हर कुर्बानी दे कर कायम और बहाल रखी जाय। ४ सितम्बर को शिरोमणि कमेटी की कार्यकारिणी समिति ने जैतो के मोर्चे के मामले को हाथ म ले लिया और ६ सितम्बर को नाभे की बहाली के लिए जबरदस्त जुलूस निकले और बाद म बडे बडे जलसे किये गये।

१ अखड पाठ को खडित करना

११ सितम्बर को ११० सिंहो का जत्था, शातिमय रहने का प्रण लेकर, मुक्तसर से होकर, जैतो जाने के लिए चला। १४ को फिर एक जत्था जिसमे १०२ सिंह शामिल थे—उसी रास्ते से जैतो पहुचा। उन्होने गुरद्वारा गगसर म दीवान करके महाराजे की बहाली के लिए तकरीरें की और अखड पाठ रखा। गुरद्वारे के बाहर दीवान लगते थे और अन्दर अखड पाठ जारी था। रियासत की वर्दीधारी हथियारबद पुलिस की धाड अफसरो की कमाड म आयी और उसने तीस प्रसिद्ध अकाली नेता चुन कर बाहर से पकड लिये, और तीस—पाठी सहित—गुरद्वारे के अन्दर से पकड लिये। धर्म मे दखल देने की जो बेवकूफी मिस्टर डनट ने अमृतसर मे दो बार की थी, वही बेवकूफी नाभे के हाकिमो ने की। पाठी सिंह को पकड कर घसीट ले जाने के साथ अखड पाठ

असल म रियासता की अदालतें कोई अदालतें नही थी। य अदालतें इसाफ का मखौल उडाती थी। नाभे मे सरकार बाहर स या पजाब से अपने मुल्जिमो की कामयाबी के लिए अच्छे से अच्छे वकील मगवा सकती थी, लेकिन मुलजिमो को बाहर से वकील मगवाने का कोई हक नही था। एडमिनिस्ट्रेटर अपनी रियासत के जुल्मो और उपद्रवो पर परदा डालने के लिए बाहर स आज्ञाकारी और जी हुजूर मजिस्ट्रेट मगवा सकता था, पर उस सामतशाही राज म मुलजिमो के तमाम अधिकार बिल्कुल ही छीन लिये गये थे।

३ पडित मोतीलाल को नाभे से निकल जाने का हुक्म

पडित जवाहरलाल की नाभे मे गिरफ्तारी की खबर सुन कर पडित मोतीलाल नेहरू को बडी चिंता हुई। उन्हें रियासता की तानाशाही और डिक्टेटरशिप की पूरी वाकफियत थी। उन्होने वायसराय को २३ सितम्बर १९२३ को एक तार के जरिये खबर दी कि वह नाभे मे पडित जवाहरलाल नेहरू स मिलने के लिए जा रहे हैं, उनका मकसद "अपने लडके पडित जवाहरलाल नेहरू स मिलना है। अब तक मैंने अकाली तहरीक मे कोई हिस्सा नही लिया। इस वक्त मुलाकात के अलावा मेरा और कोई दूसरा मकसद नहीं। आशा है कि इस कुदरती हक को अमल मे लाने म नीचे के अफसर कोई दखल नही देंगे।"

इस तार के पहुचने पर एडमिनिस्ट्रेटर और हिंद सरकार के बीच दो दिनो म ही सात तारो का आदान प्रदान हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर ने लिखा कि पडित मोतीलाल की नाभे मे हाजिरी बडी गर जरूरी है। मैं हुक्म जारी करता हूँ कि वह नाभे मे न आयें। हिंद सरकार न जवाब दिया कि उनको नाभे म आने से न रोको और उन्हे जवाहरलाल से मिलने की इजाजत इन शर्तों पर दो कि वह रियासत के अन्दर किसी राजनीतिक काय म हिस्सा नही लेंगे और मुलाकात करने के फौरन बाद ही रियासत स चले जायेंगे।

२४ सितम्बर को फिर विलसन ने हिंद सरकार को तार दिया—पडित मोतीलाल कोई भी शत मानने से बिलकुल इनकार करता है इसलिए उसको नोटिस दे दिया गया है कि वह अगली गाडी से ही नाभे स बाहर निकल जाय। इसका साफ अथ यह था कि पिता से लडके की मुलाकात मुकदमे की पैरवी करने मुकदमे मे पेश होने या मशविरा देने—यहा तक कि उसका पक्ष सुनने तक के—सब हक छीन लिये गये थे।

हिंद सरकार ने विलसन स पूछा कि जवाहरलाल और उनके साथियो के मुकदमे के सबध मे क्या प्रबध किये गये हैं।[1] मुकदमे का अन्त होने पर उनको

१ नाभा फाइल न ४०१/१९२४, तारा का क्रम ६४ ७१ तक, पृ ४७ ४८ ४९ (आखिरी हिस्सा)

रियासत से निकाल देने म मामला ठीक हो जायगा ? विलसन ने जवाब दिया सजा का ऐलान कर दिया जाय और शर्त रखी जाय कि कैदी फौरन रियासत म से निकल जायें और फिर वापिस न आयें अगर ये शर्तें तोड दी गयी तो सजा बहाल कर दी जायेगी।

हिन्द सरकार न कहा दुरुस्त रास्ता यह है कि अदालत सजा सुना दे और ऐलान करे कि मुखामी सरकार ने सजा को बगैर किसी शर्त के मुअत्तल कर दिया है। इसके बाद उन्हें रियासत मे से निकाल दिया जाय। साथ ही कार्यकारी हुक्म जारी किया जाय कि अगर उन्होने हुक्मउदूली की तो सजा लागू हो जायगी।[1]

ऊपर का वृत्तान्त हमने इसलिए दिया है कि रियासत म डिक्टेटरशिप की तेज धार का पाठको को कुछ पता लग सके। अगर चोटी के कांग्रेसी लीडरो के साथ इस किस्म का अभद्र और बेइज्जती भरा हुआ सलूक किया जा सकता था तो अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि जत्था के साथ रियासत मे क्या बर्ताव किया जाता होगा।

४ पडित जवाहरलाल और उनके साथियों पर मुकदमे

पडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथियों का अभी पहला मुकदमा खत्म नहीं हुआ था कि उन पर सगीन साजिश का एक और मुकदमा शुरू हो गया। पहले मुकदमे म ज्यादा से ज्यादा ६ महीने की सजा हो सकती थी। पर नाभे का डिक्टेटर उन्हे नाभे म आने की जुरत करने की बेमिसाल सजा देना चाहता था। तीन आदमी साजिश के लिए काफी न समझे गये इसलिए उनके साथ एक चौथा सिख सरदार दरबारा सिंह मल्लण शामिल किया गया। कोई पत्रकार या बाहर का आदमी अदालत के अन्दर नही आ जा सकता था। पुलिस ही सब कुछ थी और वह अफसर जज की भी कोई परवाह नही करती थी—यहा तक कि उसके हुक्म को मानने स भी इन्कार कर देती थी। इन अदालतो म न तो दलील की जगह थी, और न वकील या अपील की।[2]

मालूम होता है कि इन प्रमुख नेताओ पर साजिश का मुकदमा इसलिए

१ वही

२ बाहर भी जब दफा १४४ या बगावती तकरीरो के कानून के अधीन जुबानबंद की जाती थी तो आम कारकुन यह शेर पढते थे

वही कातिल, वही शाहिद वही मुसिफ ठहरे

करल का दावा करें मेरे अकरबा किस पर

या न तडपने की इजाजत है न फरियाद की है,

घुट के मर जाऊ यही मर्जी मरे सैयाद की है

चलाया गया था कि इन्हें भयभीत किया जाय, लम्बी सजाओं का होवा खड़ा करके इनसे मुआफिया मगवायी जायें। नाभा जेल की गन्दी कोठरी। मेंढ़िया की खुराक की दुगना। अफसरों का उनसे असभ्यतापूर्ण दुर्व्यवहार। ये सब कांग्रेसी लीडरों के लिए नये तजुर्बे थे और वे इनसे अन्दाजा लगा सकते थे कि अगर उन जैसी हस्तियों के साथ इस किस्म का अमानुषिक और वहशियाना सलूक हो सकता है तो आम अकाली जत्थों के साथ क्या बीतती होगी।

पंडित जी ने इस मुकदमे में अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की। उन पर साजिश का एक और केस खड़ा कर दिया गया। उसमें भी उन्होंने और उनके साथियों ने असहयोग जारी रखा। 'नाभा रियासत में हमारे खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की कारवाइयाँ की गयी हैं। मैंने बताया है कि ये (कारवाइयाँ) कितनी गयी गुजरी ला-कानूनी और कारणहीन हैं। मैं इनके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हम किसी तकनीकी या कानूनी उज्र से फायदा नहीं उठाना चाहते।

पंडित जी ने अपने चौथे साथी दरबारा सिंह के बारे में कहा, इस केस में हमारा एक साथी मुलजिम दरबारा सिंह था। कल्पनाशील पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने बयान दिया कि वह जत्थे का रहनुमा था और उसने बड़ी हिकारत से जत्थे को तितर बितर करने से इनकार कर दिया था। यह बिलकुल ही झूठ था। और मैं यह बात व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि दरबारा सिंह कभी भी जत्थे के साथ नहीं था। जत्थे के हरेक मेम्बर के सिर पर काली पगड़ी थी। दरबारा सिंह के सिर पर केसरी पगड़ी थी।" पर पंडित जी की यह सच्ची बात भी किसी ने न सुनी।

पंडित जी की निर्भयता का कुछ अनुमान निम्न शब्दों से लग सकता है मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझ पर उस मनोरथ के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है जो सिखों ने अपनाया हुआ है। मैं उस वक्त जेल में था जब गुरु के बाग का मोर्चा बहादुरी से लड़ा और जीता गया। मैं अकालियों की बहादुरी और कुर्बानी पर हक्का-बक्का रह गया। और मैं चाहता था कि मुझे कोई मौका मिले कि मैं उनकी किसी किस्म की सेवा करके उनकी प्रशंसा कर सकूँ। वह मौका अब मुझे मिल गया है और मैं दिल से आशा करता हूँ कि मैं उनकी ऊंची रवायत और आला हौसले के योग्य साबित होऊंगा। सत श्री-अकाल।

२८ सितम्बर १९२३ जवाहरलाल नेहरू [1]

इन दिनों इन नेताओं के पास एक दिन जेल का सुपरिंटेंडेंट आया और कहने लगा कि एडमिनिस्ट्रेटर ने संदेश भेजा है कि अगर तुम माफी माँग लो

१ मिसलेनियस प्रिजन पेपर्स नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी दिल्ली

और नाभा से चले जाने और फिर यहा वापिस न आने का इकरार करो, तो मुकदमे वापस ले लिय जायेंगे और तुम्ह रिहा कर दिया जायगा। इन नेताओ ने उसको वैसा ही निधडक जवाब दिया जैसा उनका सत्कार माग करता था। उन्होंने कहा—माफी माग आकर हमसे नाभे का एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हमे उसन नाजायज तौर पर पकडा है। हम न कोई माफी मागने के लिए तैयार हैं, न किसी किस्म का इकरार करने को तैयार हैं।

१४ १५ दिना म मुकदमा की कारवाई खत्म हो गयी। इस मनगढत साजिश म पडित नेहरू प्रो गिडवानी और श्री के सतानम और चौथे दरबारा सिंह मल्लण को ढाई-ढाई साल की सजा हुई। मुकदमे के फैसले की नकल मागी गयी तो जवाब मिला कि नाभे के जाब्ते के मुताबिक अर्जी दो, तब गौर किया जायगा। पुलिस वाले इस मुकदमे के सबध म कोई कागज बाहर नही जाने देना चाहते थे, यहा तक कि पुलिस ने कपिल देव मालवीय से खुली अदालत म कुछ कागजात छीनने की कोशिश की थी।[1]

सजा सुनायी जाने के बाद जेल के सुपरिटेंडेंट ने शाम के वक्त उन्हें अपने पास बुलाया और कहने लगा एडमिनिस्ट्रेटर ने फौजदारी जाब्ते के अधीन तुम्हारी सजायें मुअत्तल कर दी हैं। इस हुक्म के साथ कोई शर्त नहीं लगायी गयी थी। उसने दूसरा हुक्म यह सुनाया कि तुम नाभे से चले जाओ और आज्ञा के बिना फिर वापिस नही आना। इन हुक्मो की नकलें भी मागने पर, देने स इनकार कर दिया गया। बाद मे इन नेताओ को रेलवे स्टेशन पर पहुचाया गया और रिहा कर दिया गया। पर दरबारा सिंह मल्लण से पूरी की पूरी सजा भुगतवायी गयी।

इस रिहायी के हुक्म ऊपर से आये थे। विलसन के अपने बस की बात होती तो य काग्रेसी नेता पूरी सजा भुगतकर ही बाहर जाते। २२ मई १९२४ को विलसन ने महात्मा गाधी को एक चिट्ठी यह बताने के लिए लिखी कि पडित जी को इस इकरार पर छोडा गया है कि वह आज्ञा लिये बिना रियासत नाभा मे न आयें। पडित जी न २४ मई को इस बयान का खण्डन किया और कहा कि उन्होंने फिर नाभे न जाने का कोई इकरार नही किया। अगर विलसन के पास इसका कोई सबूत है, तो पेश करे। पर सबूत उसके पास कोई नही था। उन्होंने उससे फिर फैसले की नकल मागी। पर विलसन द्वारा नकल न भेजना उसके दावे को झुठलाता था।[2]

१ जैतो की गिरफ्तारी, मुकदमे वगैरा के बारे मे पडित जी ने अपनी आत्मकथा म सब कुछ लिखा है। उनकी आत्मकथा देखिए—लेखक
२ अकाली ते प्रदेसी, २ जून १९२४

अट्ठाइसवाँ अध्याय

श्रोमणि कमेटी की ताकत

श्रोमणि कमेटी ने अपना अधिकार-क्षेत्र बढा कर तमाम जागृत पंथ पर पूरी तरह असर जमा लिया था। सिर्फ अंग्रेजो के कट्टर पिट्ठू ही कमेटी के प्रस्ताव स्वीकार नही करते थे। आम सरकारपरस्तो के भी कान ढीले हो गये थे। कमेटी के हुक्म पर अनेकानेक आदमी अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर वक्त कमर बाध कर तैयार रहते थे। कमेटी असली अर्थों म सारी सिख जाति की नुमाइंदा बन चुकी थी। इसके प्रस्ताव पंथ के फरमान का असर रखते थे। जो कुछ यह कहती थी उस पर हू-ब-हू अमल करना हरेक सिख अपना फर्ज समझता था। उसके फरमान के सामने किसी बडे छोटे सरकारी दलाल की कोई दाल नही गल सकती थी। जो कुछ वह कहती थी, हो जाता था—अगर मगर का सवाल ही पैदा नही होता था।

नई चुनी गयी श्रोमणि कमेटी की ताकत बेहद बढ गयी थी। पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुनाव सिर पर आ गये थे। गुरद्वारो की आजादी की लडाई बाहर तो लडी ही जा रही थी कमेटी के सदस्यो का ख्याल आया कि यह लडाई कौंसिल म भी लडी जानी चाहिए। सिख जाति को पंजाब की कौंसिल मे सिर्फ १३ सीटें हासिल थी। कमेटी ने १२ सिख हलको मे इस धार्मिक लडाई के लिए अपने उम्मीदवार खडे किये। ये बारह-के-बारह ही कामयाब हो गये और सरकारी पिट्ठुओ को हर हलके मे शर्मनाक हार का सामना करना पडा। कुछ तो अपनी जमानतें भी जप्त करवा बैठे। इन कामयाबियो से कमेटी की धाक को चार चाद लग गये। तेरहवा उम्मीदवार कमेटी ने खुद ही खडा नही किया था।

श्रोमणि कमेटी ने जनो मे अखड पाठ को खडित करने की जिम्मेदारी नाभे के बडे अहलकार गुरदयाल सिंह पर डाली और उसको इस गुनाह के बदले पंथ से खारिज करने की सजा दी। इससे पहले कमेटी ने बेदी करतार सिंह को ननकाने के महंत की सिखो को कत्ल करने की साजिश मे शरीक होने के कारण पंथ से खारिज कर दिया था। गुरदयाल सिंह इस फैसले के बाद 'गुरुघालू' बन कर बडा बदनाम हो गया और करतार सिंह 'करतारू बन

कर। इन दानों व नाम पंथ के गद्दारों के तौर पर याद किये जाते थे और इनकी बनी हुई सारी और इज्जत मिट्टी में मिल गयी थी। सिख जाति में से ये बिल्कुल ही दुत्कार दिये गये थे। उन दिनों शिरोमणि कमेटी के मुकाबले में खड़े होने की किसी की जुरत नहीं होती थी।

इस किस्म की जत्थेबन्द और ताकतवर जमात, हाकिमों की नजर में, अंग्रेज राज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। पहले अंग्रेज साम्राज्य के लिए कांग्रेस जत्थेबंदी भी बहुत बड़ा खतरा बनी हुई थी। उसने कांग्रेस और खिलाफत की वालंटियर कोरों को कानून विरोधी बता कर अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस किया था। अब शिरोमणि कमेटी और अकाली दल को कानून विरोधी घोषित करने का हुक्म जारी कर देने के बारे में उच्चतम हाकिमों में कई बार सोच विचार किया गया था। लेकिन इस बारे में खुद उनमें मतभेद होता था। इसलिए कुंजियों के मामले के वक्त और फिर गुरु के बाग के मोर्चे के समय इस सवाल के विचाराधीन होने के बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका था। अतः, ये दोनों जत्थेबंदियां गुरुद्वारा सवाल का हल करने के लिए काम करती रहीं।

पिछले अकाली मोर्चों ने अंग्रेज राज के हाकिमों का रोबदाब आम सिखों के दिलों से उठा लिया था। सरकार के वफादारों का घेरा दिन-ब-दिन सिकुड़ता जाता था। रिटायर्ड फौजी लोग मोर्चों में बढ़ाचढ़ हिस्सा ले रहे थे। फौजी पेंशनरों के जत्थे अपने दूसरे भाइयों से पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्हें न पेंशनों की जब्ती का डर था और न जमीन की जब्ती का। कैद होना तो बड़ी इज्जत का तमगा बन गया था। देहात में कोई-कोई ही नम्बरदार, सफेदपोश और जैलदार रह गए थे, जो अकाली लहर के खिलाफ सरगर्म थे और ऊपर के अफसरों को अकालियों के बारे में रिपोर्टें देते थे। और सी आई डी की रिपोर्टें कहती थीं कि देहात में जो भी फौजी छुट्टियों पर जाते हैं वे अकाली पक्ष के बन कर आते हैं। फौजों में दर्जनों सिपाहियों को काली पगड़ी या कृपाण पहनने और अफसरों की हुक्म उदूली करने के कारण सजायें हो चुकी थीं।

ऊपर लिखे हालात की—खास कर फौजों में गड़बड़ की—चिंता अफसरों की नींद हराम किये ही थी कि कमेटी ने महाराजा नाभा की गद्दी पर बहाल करने का मसला हाथ में ले लिया। पहले ही गवर्नमेंट के अफसर शिरोमणि कमेटी पर इलजाम थोप रहे थे कि कमेटी धर्म की आड़ ले कर राजनीति में दखल दे रही है। अब उन्हें एक तरह यकीन हो गया कि नाभे का सवाल बिल्कुल राजनीतिक सवाल है। यह ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र का सवाल है। इसमें शिरोमणि कमेटी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। यह दखल

अट्ठाइसवां अध्याय

श्रोमणि कमेटी की ताकत

श्रोमणि कमेटी ने अपना अधिकार-क्षेत्र बढा कर तमाम जागृत पथ पर पूरी तरह असर जमा लिया था। सिर्फ अंग्रेजो के कट्टर पिट्ठू ही कमेटी के प्रस्ताव स्वीकार नही करते थे। आम सरकारपरस्तो के भी कान ढीले हो गये थे। कमेटी के हुक्म पर अनेकानेक आदमी अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर वक्त कमर बाध कर तयार रहते थे। कमेटी असली अर्थों मे सारी सिख जाति की नुमाइदा बन चुकी थी। इसके प्रस्ताव पथ के फरमान का असर रखते थे। जो कुछ यह कहती थी उस पर हू ब हू अमल करना हरेक सिख अपना फर्ज समझता था। उसके फरमान के सामने किसी बडे छोटे सरकारी दलाल की कोई दाल नही गल सकती थी। जो कुछ वह कहती थी, हो जाता था—अगर मगर का सवाल ही पैदा नही होता था।

नई चुनी गयी श्रोमणि कमेटी की ताकत बेहद बढ गयी थी। पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुनाव सिर पर आ गये थे। गुरुद्वारो की आजादी की लडाई बाहर तो लडी ही जा रही थी कमेटी के सदस्यो को ख्याल आया कि यह लडाई कौंसिल मे भी लडी जानी चाहिए। सिख जाति को पजाब की कौंसिल मे सिर्फ १३ सीटें हासिल थी। कमेटी ने १२ सिख हलको मे इस धार्मिक लडाई के लिए अपने उम्मीदवार खडे किये। ये बारह-के बारह ही कामयाब हो गये और सरकारी पिट्ठुओ को हर हलके मे शर्मनाक हार का सामना करना पडा। कुछ ना अपनी जमानतें भी जब्त करवा बैठे। इन कामयाबियो से कमेटी की धाक को चार चाद लग गये। तेरहवा उम्मीदवार कमेटी ने खुद ही खडा नही किया था।

श्रोमणि कमेटी ने जैतो मे अखड पाठ को खडित करने की जिम्मेदारी नाभे के बडे अहलकार गुरुदयाल सिंह पर डाली और उसको इस गुनाह के बदले पथ से खारिज करने की सजा दी। इससे पहले कमेटी ने रेनी करतार सिंह को ननकाने के महन्त की सिंघो को कत्ल करने की साजिश मे शरीक होने के कारण पथ से खारिज कर दिया था। गुरुदयाल सिंह इस फैसले के बाद 'गुरुद्रोह' बन कर बदनाम हो गया और करतार सिंह 'करतारू' बन

कर। इन दोनो के नाम पंथ के गद्दारों के तौर पर याद किये जाते थे और इनकी बनी हुई साख और इज्जत मिट्टी में मिल गयी थी। सिख जाति में से ये बिल्कुल ही दुत्कार दिये गये थे। उन दिनों शिरोमणि कमेटी के मुकाबले में खड़े होने की किसी की जुरत नहीं होती था।

इस किस्म की जत्थेबन्दक और ताकतवर जमात, हाकिमों की नजर में, अंग्रेज राज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। पहले अंग्रेज साम्राज्य के लिए कांग्रेस जत्थेबंदी भी बहुत बड़ा खतरा बनी हुई थी। उसने कांग्रेस और खिलाफत की वालंटियर कोरों को कानून विरोधी बता कर अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस किया था। अब शिरोमणि कमेटी और अकाली दल को कानून विरोधी घोषित करने का हुक्म जारी कर देने के बारे में उच्चतम हाकिमों ने कई बार सोच विचार किया था। लेकिन इस बारे में खुद उनमें मतभेद होता था। इसलिए कुंजियों के मामले के वक्त और फिर गुरु के बाग के मोर्चे के समय इस सवाल के विचाराधीन होने के बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका था। अत, ये दोनों जत्थेबन्दियां गुरुद्वारा सवाल का हल करने के लिए काम करती रहीं।

पिछले अकाली मोर्चों ने अंग्रेज राज के हाकिमों का रौबदाब आम सिक्खों के दिलों से उठा दिया था। सरकार के वफादारों का घेरा दिन-ब-दिन सिकुड़ता जाता था। रिटायर्ड फौजी लोग मोर्चों में धड़ाधड़ हिस्सा ले रहे थे। फौजी पेंशनरों के जरिये अपने दूसरे भाइयों से पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्हें न पेंशनों की जब्ती का डर था और न जमीन की जब्ती का। कैद होना तो बड़ी इज्जत का तमगा बन गया था। देहात में कोई-कोई ही नम्बरदार, सफेदपोश और जैलदार रह गये थे, जो अकाली लहर के खिलाफ सरगर्म थे और ऊपर के अफसरों को अकालियों के बारे में रिपोर्ट देते थे। और सी आइ डी की रिपोर्टें कहती थीं कि देहात में जो भी फौजी छुट्टियों पर जाते हैं वे अकाली बन कर आते हैं। फौजों में काली सिपाहियों की काली पगड़ी या कृपाण पहनने और अफसरों का हुक्म न मानने के कारण सजायें हो चुकी थीं।

ऊपर लिखे हालात को—[illegible]—देखते हुए सिख रियासतों के अफसरों [illegible] हक में फैसला किया कि महाराजा नाभा को गद्दी पर बहाल करने का [illegible]। [illegible] के अफसर शिरोमणि [illegible] पर [illegible] कि [illegible] राजनीति में [illegible]। [illegible] हो गया कि नाभे का सवाल बिल्कुल [illegible] है। [illegible] और होने का सवाल है। [illegible] नहीं। यह दखल [illegible] है।

बदाश्त नहीं किया जा सकता। 'राज करेगा खालसा' का जयकारा पहले ही अफसरों के दिलों में कई संदेह पैदा कर रहा था। इसलिए सरकार ने ऊपर दिये तमाम हालात को सामने रख कर—जिनमें नाभे की गद्दी का सवाल प्रमुख था—श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणि अकाली दल, और इनके साथ तमाम सम्बंधित जत्थेबंदियों को गैर कानूनी करार दे दिया और इसके साथ एक नया ऐतिहासिक प्रकरण शुरू हो गया।

१ बागी जत्थेबंदियां

सितम्बर १९२३ के आखीर के १० १२ दिनों में य अफवाह बड़े जोर से चल रही थी कि श्रोमणि कमेटी और अकाली दल वगैरा बागी जमातें करार दी जाने वाली हैं और तमाम अकाली लीडरों को कुछ दिनों के अन्दर ही बन्दी बना लिया जायगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कमेटी के कुछ लीडरों को सरकार के अन्दर से भी इस बारे में खबरें मिल चुकी थी। २९ सितम्बर को श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किये उनमें से एक प्रस्ताव इस घटना की सम्भावना के बारे में खबरदार करता था कुल अकालियों की गिरफ्तारियों की आम रिपोर्टें उड़ रही हैं और गुरुद्वारा लहर को बन्द करने तथा गुरुद्वारा प्रबंध को उलटने के लिए इन जत्थेबंदियों को गैर कानूनी करार देने का एलान किया जाने वाला है तथा साथ ही सिख अखबारों का भी गला घोंट दिया जायगा। श्रोमणि कमेटी पंथ को यकीन दिलाती है कि वह इस हमले का झेलने के लिए तैयार है।

प्रस्ताव का दूसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें कहा गया था 'इससे आगे श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भरोसा रखती है कि वाह गुरु और पंथ की कृपा के साथ, उस सम्भव घटना से, वह अहिंसा की तय की हुई पालिसी पर मजबूती से चलेगी और एकजुट रहेगी तथा कमेटी की ओर से पास की गयी लाइनों पर ईमानदारी के साथ अमल करेगी और वाह गुरु तथा गुरु की खातिर पक्के इरादे और जोर के साथ शांतिमय तथा जायज वसीलों के जरिये तब तक संग्राम जारी रखेगी जब तक पूर्ण तौर पर धार्मिक आजादी बहाल नहीं हो जाती।"

एक और प्रस्ताव में गरीब और अमीर सब सिखों को खबरदार किया गया था कि जो भी संगत और सिखों के मजहब की धार्मिक आजादी और गुरुद्वारों में पूजा-पाठ में विघ्न डालेगा वह पंथ के दुश्मन का काम करेगा। पहले प्रस्ताव में नाभे के राजप्रबंध की निन्दा की गयी थी कि उसके अफसरों ने पाठी ग्रंथी को जबरदस्ती घसीट कर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की और गुरुद्वारा गंगसर में अखंड पाठ खंडित किया तथा जैतो में एकत्र हुई संगत को भंग किया। "श्रोमणि

कमेटी ने एलान किया कि जिन सिख हकों को सरकार ने चुनौती दी है ये वे हक हैं जो कभी हाथ से नही जाने दिये जायेंगे और गुरु ग्रंथ का सत्कार बहाल करने के लिए किसी कुर्बानी से वे पीछे नही हटेंगे।'

इस मीटिंग के प्रस्ताव बडे ओजस्वी और जोरदार थे और वे सिखो के क्रोध को प्रकट करते थे। कमेटी के प्रस्ताव इस बात की घोषणा करते थे कि उसके सदस्य हर क्षण बलिदान के लिए तयार बैठे है। इन प्रस्तावो का महत्व इस बात मे निहित है कि वे सरकार की चुनौती को पूरे जोश के साथ कबूल करने को तैयार थे।

२ बब्बर अकालियो पर सख्ती

उन दिनों बब्बर अकालियो को दबाने के बहाने सरकार ने होशियारपुर और जलधर के जिलो में बडा तसद्दुद किया था। इस जुल्म की पडताल के लिए शोमणि कमेटी ने एक जाच कमेटी नियुक्त की थी, जिसे सरकार ने दुआबे म काम नही शुरू करने दिया था। शोमणि कमेटी ने इस दुआबा-जाच-कमेटी की गिरफ्तारी की सख्त निन्दा की थी और एलान किया था कि वह दुआबे मे किये गये जुल्मो की पडताल जरूर करायेगी।

दुआबे (जलधर—होशियारपुर) को दबाने के लिए सरकार ने भेनमी मुसलमानो की घुडसवार बटालियन नियुक्त की थी। उन्होंने अंधेरगर्दी मचा रखी थी। ये पुलिस वाले न किसी को अपने गाव से बाहर जाने देते थे, न किसी को बाहर से आने ही देते थे। हुक्म यह लागू किया गया था कि अगर किसी के घर मे कोई मेहमान भी आये, तो वह पुलिस को इत्तला दे। कई देहातों मे लोगो को गेहू काटने के लिए भी बाहर नही जाने दिया जाता था। पुलिस वाले जब चाहते थे और जिसको चाहते थे रात म जगा लेते थे और पूछताछ करते तथा तलाशी लेते थे कि तुम्हारे घर मे कोई गैर आदमी तो नही आया हुआ है?

इस जुल्म की जाच पडताल के लिए, दूसरी बार सरमुख सिंह चभाल, गोपाल सिंह कौमी, गुरचरण सिंह वकील, भाग सिंह कनेडियन और राम सिंह जज मुकर्रर हुए। ये पुलिस को धता बता कर खुदपुर, माणक, कुडियाल आदमपुर गये। इन देहातो के लोग बहुत दुखी थे। उनकी गवाहिया ली गयी और नोट की गयी। पडोरी निझरा बब्बरो का हेडक्वार्टर था। यहा के लोगो की जाच पडताल की गयी। कुछ देहातो मे लोग इतने डरे हुए थे कि वे इस कमेटी के नजदीक ही नही जाते थे और मेम्बरो से चले जाने के लिए कहते थे। दो तीन गुरुद्वारो के महतो ने उन्हें रात म रहने की भी इजाजत न दी। पर उन्होंने पडताल का काम जारी रखा और वे राजोवाल, पडोरी श्यामचौरासी

वगरा म गय। श्यामचौरासी के लोगा ने इनके साथ आख ही न मिलायी। व एक वाडे मे फूम विछा कर सोय। अगले सवेरे व धामिया बुल्लोवाल होते हुए मोरावाली पहुच। उसके अगले दिन जस्तोवाल पहुच कर पडताल की। यह बब्बरो के हाईकोट का गाव था। यहा पर बयान लेते हुए बडी देर हो गयी। पुलिस के दस्तो ने आकर उन्हें घेर लिया और पडताल का काम अधूरा ही रह गया।[1]

यह थी दहशत जो पैदल और घुडसवार पुलिस न देहातो मे फैला रखी थी।

●

१ भाग सिंह कनेडियन का बयान

उन्तीसवां अध्याय

नये हालात का मुकाबला

(तसदद्दुद का चौथा दौर)

१२ अक्तूबर को शिरोमणि गुरद्वारा प्रबधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल के गैर-कानूनी करार दिये जाने के बाद, छापे मार मार कर सरकार ने तमाम असर वाले अकाली रहनुमाओ और कार्यकर्ताओ को पकड लिया। पकडने से पहले अमृतसर के सारे दरवाजो पर मशीन गनें अडा दी गयी। अहम जगहो और अकाली लहर के गढो पर हथियारो से लैस फौजी पहरे लगा दिये गये। शहर मे घुडसवारो की गश्त शुरू हो गयी और दहशत फैलाने के लिए एक तरह का आधा मार्शल ला लागू कर दिया गया।

सर जार्ज मेनार्ड का एक कथन उन दिनो बडा प्रसिद्ध था "सिर काट दो, धड खुद-ब-खुद नीचे गिर पडेगा।" सरकार अब इस कथन को अमली जामा पहना रही थी। उसने दोनो जत्थेबंदियो के सारे ओहदेदार और सरगम लीडर पकड लिये। इतना ही नही, उसने इन कमेटियो के दफ्तरो म काम करने वाले छोटे बडे क्लर्को और सुपरिटेंडेंटो को हथकडिया लगा कर जेल म भेज दिया। सी आई डी के अफसरो और सिपाहियो ने जिनकी तरफ भी इशारा किया वे सब हिरासत मे ले लिये गये, हथकडिया लगा कर जेल मे भेज दिये गये। सिर, और काम काज करने के हाथ पर धड से अलहदा कर दिये गये। पर क्या धड गिर पडा? नही वह बराबर लडता रहा क्योकि जेल के अदर के सिर भी बराबर काम करते रहे और बाहर उनकी जगह और सिर भी कायम हो गये, जिन्होने निर्धारित लक्ष्य के लिए निधडक होकर लडाई जारी रखी।

अब नेतागण अमृतसर की जेल मे बन्द थे पर उनका बाहर की तहरीक के साथ पूरा तालमेल कायम था।[1] सरकार इस तालमेल को तोड नही सकती थी। मुकदमे की सफाई और डिफेंस करने वालो को हक हासिल था कि वे अपने वकीलो से मिल सकें। उन्हे मुकदमे के बारे म हिदायतें दे सकें। हरेक दिनने

१ होम डिपार्टमेंट की सूचनाये जी एस उगनवी, २२ २ २४

दार गुप्त-गुप्त अंगों के पास जेल में दफ्न करने दोनों से दिन गुजरता था। सी आई डी के अफसर गुरुद्वारों के पास हाजिर रहते थे लेकिन इसके बावजूद खबरों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता था। जेल के वार्डन भी इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पर जेल का तार बाहर से जाने वाली चिट्ठियों—जिसमें ताहू का नाम सभी रहता था—बस काम देती थी। इसके जरिये खबर में जाने और आने में सरदार महताब सिंह का नौकर मगन सिंह बड़ा तेज और होशियार था। वह जेल में इधर-उधर ही घूमता रहता था। ठीक वक्त पर यह उस मारी पर पहुंच जाता बाहर की चिट्ठी रख देता और अन्दर की ले जाता।

इस तालमेल को रोकने के लिए सरकार ने बड़े-बड़े पहरे लगाये और प्रबन्ध किये थे। जेल अफसरों द्वारा सी आई डी को खबरें रोकने और चिट्ठियों को पकड़ने की सख्त हिदायतें दी गयी थी। पर, जो ढूंढता है वह रास्ता निकाल ही लेता है। खबरों को लाने और पहुंचाने का प्रबन्ध जेलों में कभी भी बन्द नहीं हुआ।

१ भतीजे का मशविरा सरकार को

और, गवर्नमेंट को इस कारवाई का पता था। खुद सरदार महताब सिंह के भतीजे स करतार सिंह सरगोधा ने चीफ पुलिस अफसर नामा लाला नत्थूराम को इस बारे मे रिपोर्ट दी थी। लाला नत्थूराम की सिफारिश से उसको सरदार बहादुर का खिताब मिला था। करतार सिंह लाला जी का धन्यवाद करने के लिए नाभे गया और उसने बताया

'अकाली लहर बहुत बुरी हालत म है। इस वक्त सभी अकाली नेता जेल में हैं। अकाली लहर सिर्फ इसलिए कायम है कि आम पब्लिक की उन तक पहुंच है—सारे हुक्म अन्दर के नेताओं द्वारा जारी किये जाते हैं। उनकी आम हिदायतें ये हैं कि हरेक राजनीतिक मामले को धार्मिक रंगत दो और सरकार को धर्म के मामले म फंदे म फंसाओ। इस लक्ष्य को मुख्य मान कर ही पहला शहीदी जत्था अपने साथ गुरु ग्रंथ साहब लेकर जा रहा है अफसर शाही के खिलाफ यही उनकी सुरक्षा है और सरकार के खिलाफ हमला करने का यही एक बड़ा हथियार है। वे उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई घटना इस किस्म की घट जायेगी, जिसके जरिये उन्हें सरकार के बारे मे कहने का मौका मिल जायेगा कि सरकार ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है।'

करतार सिंह की राय थी कि इन रहनुमाओं तक किसी भी व्यक्ति की पहुंच बन्द कर दी जाय तो यह तहरीक अपने आप खत्म हो जायगी। उसका यह भी ख्याल था कि पहले जत्थे के बाद जल्दी ही किसी दूसरे जत्थे के भेजे

जाने के कोई आसार नजर नहीं आते। दूसरे जत्थे को भेजने की सम्भावना बमाखी के मौके पर, यानी १२ १३ अप्रल के इद गिद, हो सकती है।

नाभे के एडमिनिस्ट्रेटर विल्सन जॉसटन का नोट इस पर यह था "उसके (करतार सिंह के) विचारो पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।"[1]

पुनी मुलाकातो का और अकाली लहर को अमृतसर जेल से चलाने की रिपोर्टों का असर यह हुआ कि सरकार ने अमृतसर मे मुकदमा चलाये रखने का फैसला बदल दिया। रहनुमाओ को और भी ज्यादा बदिशो मे रखने के वास्ते मुकदमे के लिए लाहौर का किला चुना गया। सारे मुलजिम किले की एक बडी बरक मे रखे गये और साथ ही एक कमरा अदालत के लिए बना दिया गया।

२ अकाली नेताओ की साजिश का केस

मुलजिमो पर बडे सगीन इलजाम लगा कर मुकदमा चलाया गया था। ५६ मुलजिमो पर १२०/बी, १२१/ए, १२४/ए, १७/ए १७/सी (कानून १९०८) वगैरा की गम्भीर दफाए लगायी गयी थी। इनके अतगत आजीवन कद तक की सजाए हो सकती थी। सरदार खडक सिंह जी पहले ही बडी मुद्दत से डेरा गाजी खा जेल मे बद थे। अन्यथा उन्हें ही सबसे पहले इस मुकदमे म रखा जाता। सरदार मगल सिंह अकाली का नाम भी इस साजिश केस म पहले से ही दज था। लेकिन जेल म पहले से ही होने के कारण उनका नाम मुकदमे म से काट दिया गया था। साजिश का साराश यह था कि अपराधियो ने बादशाह शाहनशाह-बरतानिया और हिंद सरकार का राज उलट कर सिख राज कायम करने का मसूबा बाधा है।

मुलजिमो ने अमन और कानून को भग करके कई गुरुद्वारो पर कब्जा कर लिया है और गुरुद्वारो के महतो को गुरुद्वारो से निकाल दिया है। उनकी जायदादो पर कब्जे कर लिये हैं और अमृतसर तरनतारन ननकाना साहब तजा कला, आठिया, आनदपुर साहब कमालिया कीरतपुर आदि गुरुद्वारे जबरदस्ती अपने अधिकार मे कर लिये हैं। इन्होने इस साजिश की पूर्ति के लिए कई जत्थे बदिया कायम की हैं जिनका काम सरकार के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार और एजीटेशन करना है।

श्रोमणि कमेटी न अपना सबध नेशनल काग्रेस और खिलाफत कमेटी के साथ कायम कर रखा है। ये दूसरी दोनो जमातें राजनीतिक काम करती हैं।

१ डी ओ नम्बर कम्प/०२—विल्सन की तरफ से जैतो, फरवरी १६, १९२४ कनल मिचल को ए जी जी पजाब रियासतें—लाहौर

श्रोमणि कमेटी के कई मुख्य सदस्य सिख लीग के भी सदस्य हैं और कांग्रेसी सदस्यों की हैसियत से राजनीतिक काम भी करते हैं। उन्होंने प्रिंस आफ वेल्स के स्वागत का राजनीतिक कारणों से बहिष्कार किया। उन्होंने कई देहातों में (घविंड, हुडियारा, लाहौर और कुछ लायलपुर में) पंचायतें कायम कीं तथा कमेटी ने अलीगढ की एक फर्म के साथ ढाई लाख कृपाणें खरीदने की बात-चीत की है।

श्रोमणि कमेटी के प्रभाव से जलंधर, कपूरथला और होशियारपुर में बब्बर अकाली लहर कायम हुई जिसका प्रोग्राम लूट मार करना और सरकारी हितैषियों को कत्ल करना था। इसने कई आदमियों को कत्ल किया। श्रोमणि कमेटी ने कांग्रेस के असहयोग के प्रोग्राम को अपनाया है, देश में और देश के बाहर सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रचार किया है। इसके सदस्य खद्दर पहनते हैं और खद्दर पहनने का प्रचार भी करते हैं।

सबसे बड़ा और मुख्य इल्जाम यह था कि श्रोमणि कमेटी ने महाराजा नाभा के गद्दी से उतारे जाने के खिलाफ एलान जारी किये हैं, 'नाभा दिवस' प्रार्थना दिवस के तौर पर मना कर सरकार के खिलाफ प्रचार किया है। नाभे का सवाल पूर्णत राजनीतिक सवाल है। श्रोमणि कमेटी ने इसमें दखल दिया है। कमेटी की सरगर्मियां राजनीतिक और सरकार विरोधी हैं। इसलिए सरकार ने श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणि अकाली दल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है और इनके रहनुमाओं के खिलाफ साजिश का मुकदमा दायर किया है।

इस मुकदमे की कहानी ढाई-पौने-तीन साल तक जारी रही। इस अरसे में बड़ी अहम और गम्भीर घटनाएं घटीं। समझौतों के लिए बिचौलियों ने यत्न किये। गुरुद्वारा बिल बनाने, गैर कानूनी जत्थेबंदियों का एलान वापस लेने और बंदियों की रिहाई के सवाल उठाये गये। बाहर नये सदस्यों ने कमेटी के काम सम्भाले। वे भी पकड़े गये। तब और भी नये रहनुमा आगे आये। सरकार ने फूट डालने के यत्न किये और अकाली तहरीक को मटियामेट करने के लिए कई कुटिल नीतियां चलायीं। अब पहले हम इन सवालों को लेते हैं क्योंकि ये सवाल अनेक गांठों और गुत्थियों में उलझे हुए हैं। आइए, इनको सुलझाने का यत्न करें।

१ नेताओं के दूसरे जत्थे की गिरफ्तारी

श्रोमणि कमेटी और अकाली दल को गैर-कानूनी घोषित करने के अर्थ यही थे कि कोई असरदार रहनुमा बाहर न रहने दिया जाये जो तहरीक को जारी रख सके। रहनुमाओं को कड़ी बड़ी सजायें देकर उनके हिमायतियों

और हमदर्दों को भयभीत किया जाय। शिरोमणि कमेटी की धार्मिक आजादी की तहरीक का गला घाट दिया जाय। जो भी असरदार और प्रसिद्ध रहनुमा आगे आयें, उन्हें बागी जत्थेबंदियों के सदस्य घोषित करके पकड़ पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिया जाय और इस तरह इस तहरीक का हमेशा के लिए फातिहा पढ दिया जाय।

अकाली नेताओं का प्रमुख जत्था तो साजिश केस में पकड़ कर जेल में बन्द ही कर दिया गया था। अब सरकार मौका ढूंढ रही थी कि बाकी रहनुमाओं को जैसे भी हो, पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया जाय। यह मौका ७ जनवरी १९२४ की शिरोमणि कमेटी की मीटिंग ने मुहैया कर दिया और सरकार भूखे भेड़िये की तरह उन पर टूट पड़ी।

उनको पकड़ने के लिए डी सी अमृतसर ने फौजी दस्ता की माग नहीं की, सिर्फ पचास पुलिस के सिपाहियों की और माग की थी। मीटिंग अकाल तख्त पर हो रही थी इसलिए अफसरों को हिदायत दी गयी थी कि वे गुरुद्वारे के अन्दर जूतियां बूट वगैरा उतार कर जायें। लेकिन अगर मुसीबत आ पड़े तो यह अहतियात त्यागा भी जा सकता है''। क्योंकि हो सकता है कि वे पकड़े जाने से बचाव की कोशिश करें।

अकाली नेताओं को पुलिस के आने से पहले ही खबर मिल गयी थी कि उनकी गिरफ्तारियों का बन्दोबस्त किया जा रहा है। सरकार ने अपनी खुफिया कारवाइयों में यह बात मानी थी कि 'अकालियों के पास खबर हासिल करने का असाधारण प्रबंध है।" पुलिस अफसर और सिपाही जब बड़ा साहब के रास्ते से अन्दर जाकर अकाल तख्त पर गिरफ्तारियों के लिए चढ़ने लगे तो सेवादारों ने उन्हें अन्दर जाने से रोक दिया। बहुत सारे सिख इकट्ठे हो गये। उन्होंने पुलिस के सामने छातियां तान कर कहा कि वर्दी वाली पुलिस सिंहों की लोथों पर से गुजर कर ही अन्दर जा सकेगी, इस तरह नहीं जाने दी जायगी। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अकालियों का 'झगड़े वाला रवैया" था और उन्होंने अफसरों के साथ धक्का मुक्की की।

अफसरों को मशविरा दिया गया कि वे घटाघर चले जायें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भाई जोध सिंह को 'अपने पास बुलाया' और उनके हाथ में, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाना था, उनकी लिस्ट पकड़ा दी। भाई जी अकाल तख्त पर मीटिंग में चले गये और वहां जाकर उन्हें लिस्ट दे दी। पुलिस वाले घटाघर पर उनके आने का इंतजार करते रहे।

१ ऊपर के हवाले फाइल न १/१, १९२४ होम, पोलिटिकल में से दिये गये हैं

श्रोमणि कमेटी ने पहले अपनी मीटिंग का एजेंडा खत्म किया, उसने सात प्रस्ताव पास किये। पहले प्रस्ताव में श्रोमणि कमेटी और अकाली दल को सरकार द्वारा बागी करार देने की निन्दा की गयी थी और इस कदम को धक्केशाही और जालिमाना कदम बताया गया था। दूसरे प्रस्ताव में श्रोमणि कमेटी और अकाली दल की सेवाओं और कुर्बानियों की प्रशसा की गयी थी और तीसरे प्रस्ताव में जैतो में अखंड पाठ के खंडित करने को सिख धर्म की तौहीन बताया गया था तथा इस पाप को धोने के लिए कमेटी ने जैतो में १०१ अखंड पाठ करने का फैसला किया। उसने एक्जेक्यूटिव कमेटी को नये हालात से निबटने के अधिकार दिये।

यह कार्यवाही खत्म करने के बाद ६२ अकाली नेतागण अकाल तख्त से उतरे, सामने लगे हुए दीवान में तकरीरें की और घंटाघर पर जाकर गिरफ्तार हो गये। डी सी पकल को इस बात का बडा अफसोस हुआ कि वे आदमी नहीं पकडे जा सके जो तहरीक की रहनुमाई कर रहे थे मसलन अमर सिंह झबाल सजान सिंह ई ए सी, स महताब सिंह का भतीजा अजन सिंह वगैरा।[1] सरकारी वकील मि पटमन की रिपोर्ट थी कि इन गिरफ्तारियों की खबर पढ कर साजिश केस के अकाली नेताओं के चेहरे उतर गये थे।"

इन अकाली वीरों का मुकदमा सरदार हरप्यान सिंह मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास की अदालत में दफा १७ (२) के अन्तर्गत चलाया गया। शुरू में ही रतन सिंह आजाद और निरंजन सिंह तानसेन को रिहा कर दिया गया। बाकी सभी मुलजिमों ने अदालत के साथ असहयोग किया—न तो किसी जुर्म का इकबाल किया न किसी जुर्म से इन्कार किया और न ही कोई सफाई पेश की। मजिस्ट्रेट ने टिप्पणी की कि अकाली तहरीक की तरफ से एक जमी पालिसी पर अमल किया जा रहा है। यहां सफाई पेश की जा रही है, यहीं नहीं।

४ भाई जोध सिंह और नुक्ताचीनी

जज ने भाई जोध सिंह की सख्त नुक्ताचीनी की क्योंकि उसने मौके का गवाह यही था। उसने किसी भी मुलजिम की पहचान न की। जज ने लिखा लगभग सारे मुलजिमों की पहचान में इनकार करके उसने लगातार उन्हें बचाने की कोशिश की है और मुझे यह यकीन करने के लिए कहा है कि गुरुद्वारा कमेटी के मेम्बरों के तौर पर उनमें किसी का भी पता नहीं।[2]

---

१ एस. एस. दफ्तर का चीफ सक्रेटरी क्रेक का पत्र ८ १ २४

२ कोर्ट जजमेंट पार्ट न १/८—१९२४

उसकी इस गवाही का सरकार ने अलहदा तौर पर नोटिस लिया। 'दो नावों में पैर रखना' आदमी के लिए बड़ा खतरनाक होता है।

इस मुकदमे में सिर्फ स. सुन्दर सिंह वेरका को ही रिहा किया गया। उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं थी। बाकी सारे अकाली रहनुमाओं को कड़ी सजायें दी गयीं।

५५ साल से ज्यादा उमर के होने के कारण स. करम सिंह, स. ज्वाला सिंह, स. जस्सा सिंह, स. अमरीक सिंह और जमादार साधू सिंह को एक-एक साल की सादी (मशक्कत बगैर) सजा और ५०० ५०० रुपये का जुर्माना या तीन-तीन महीने और सादी सजा का हुक्म दिया गया। बाकी तमाम लीडरों को दो-दो साल की सजा और पांच पांच सौ रुपये जुर्माना या तीन-तीन महीने की और सख्त सजा का हुक्म दिया गया। इनमें से १६ रहनुमाओं को स्पेशल क्लास दिया गया।

इस मुकदमे में सजा पाने वाले कुछ प्रसिद्ध नेता थे स. अवतार सिंह बरिस्टर, भाई मोहन सिंह वैद, स. हुक्म सिंह वकील, स. अमर सिंह एडीटर लायल गजट, मास्टर सुजान सिंह, राजा सिंह वकील, जमादार साहब सिंह, डा. भगवान सिंह, जवाहर सिंह बुज, जुगिंदर सिंह वकील, जगत सिंह पेशावर वाले, स. निर्मल सिंह, भगत दूजा सिंह तथा कितने ही अन्य।[1]

बाद में सरदार स्वरूप सिंह और तीन अन्य रहनुमाओं ने अपील की थी

१ अन्य नेताओं के नाम ये हैं स. मोहन सिंह खड्डर, स. चन्दन सिंह निकोदर, स. आशा सिंह चभोली, स. वरियाम सिंह गरमूला, स. ज्ञान सिंह, स. जलवंत सिंह आरिफवाला, स. नक्षत्र सिंह कौनके, स. मोहन सिंह शेखूपुरा, स. सौदागर सिंह मुलावाला, स. इंदर सिंह मरड, स. शेर सिंह कोट पिंडीवाल, स. सता सिंह, स. करतार सिंह नाहनपुर, स. रणबीर सिंह काउके, स. सुन्दर सिंह घुमण, स. हरनाम सिंह कादरवाला, स. गुरदयाल सिंह फौडी, स. भगत सिंह पसरूर, स. ज्ञान सिंह ठीकरी, स. प्रताप सिंह कोट फतूही, स. मानी वतन सिंह, जत्थेदार तेजा सिंह अलावलपुर, स. गुरबख्श सिंह मसदकोट, स. किशन सिंह, स. लहणा सिंह नलो, स. मान सिंह सक्रेटरी अकाली दल, स. मान सिंह, स. दीवान सिंह कोट नजीबुल्ला, स. फौजा सिंह चुणीया, स. इंदर सिंह बग्गा, स. बलदेव सिंह गुजरखान, स. जवंद सिंह रावलपिंडी, स. जयसिंह मर्दान, स. महताब सिंह कोहाट, स. हरनाम सिंह, स. अमर सिंह, स. मूल सिंह, स. धर्म सिंह नामधारी, स. सुन्दर सिंह बुटाला, स. हीरा सिंह नारली और स. सुच्चा सिंह खरासौदा

तथा वे चारो ही रिहा हो गये थ। पर पजाब कौंसिल म सवालो के बावजूद बाकी रहनुमाओ को पूरी सजा भुगता कर ही छोडा गया था।

५ सरकार ने गिरफ्तारिया बद कीं

श्रोमणि कमेटी बाकायदा काम करती रही। कमेटी के तीसरे जत्थे ने अकाल तख्त पर मीटिंग की। उन्हें पहले पकड लिया गया बाद म यह कह कर छोड दिया गया कि वे कोई अहम या प्रसिद्ध नेता नहीं हैं। अमृतसर के बाजारो मे आम अकाली 'हम बागी जमात के मेम्बर हैं'—के बिल्ले लगाये फिरते थे। पर कोई उन्हें पकडता नही था। रतन सिंह आजाद ने अपनी पुस्तक —बागी सिख और सरकार—म लिखा है अमृतसर म अकाली दल और श्रोमणि कमेटी के दो वक्त जलूस निकलते थे तथा एलान करते थे कि हम वही काम करते है जिस काम को करते हुए सरदार बहादुर सरदार महताब सिंह जी आदि पकडे गये हैं। क्या तुम्हारा (लार्ड रीडिंग) कानूनी हथियार कुद हो गया है? क्या आज तक श्रोमणि कमेटी और अकाली दल के दूसरे मेम्बरो तथा उनके साथ सम्बन्ध रखने वालो को न पकडना कानून शिकनी (कानून तोडना) नही?'

क्या सरकार ने 'यह एलान भी किया था कि कोई अखबार या प्रेस श्रोमणि कमेटी के एलान प्रकाशित न करे? जो प्रकाशित करेगा उसका एडीटर और प्रिंटर गिरफ्तार कर लिया जायगा। क्या इस एलान पर अमल किया गया? बिल्कुल नही। रोज अखबारो मे एलान प्रकाशित होते हैं लेकिन किसी इन्साफ के पुतले ने कोई कारवाई नही की।' (पृ ४४ ४५)।

●

तीसवां अध्याय

रियासतों में घोर दमन

ाली तहरीक को कुचलने के लिए सरकार हर हरबा इस्तेमाल कर रही थी। म्राजी नीति की शतरंज पर अंग्रेज कूटनीतिज्ञ झूठ, फरेब, धोखा, रिश्वत गराही, इतिहास की तोड़ मरोड़, जी हुजूरी की शह बद दयानतो, तसद्दुद, ल वगैरा तमाम मोहरे यह बाजी जीतने के लिए इस्तेमाल किये जा रहे। पंजाब के सभी अखबारों के एडीटरों को २० नवम्बर १९२३ को बुला र बताया गया था कि शिरोमणि कमेटी एक गैर-कानूनी जत्थेबंदी है। इसका ोई एलान वगैरा प्रकाशित न किया जाय। अगर प्रकाशित करोगे तो नतीजे गतने के लिए तैयार रहना होगा। इस तरह कमेटी की सच्चाई की आवाज ा गला घोट दिया गया और साम्राजी झूठ ने मोर्चा संभाल कर कूड़ और सत्य के अपने प्रचार की दुहायी देनी शुरू कर दी।

रियासतों के आम लोगों में जाग्रति थी। पर रियासतों के राजे महाराजे सरकार इंगलिशिया के "फरजंद-अज़ीज़" बने हुए थे। नाभा महाराजा के ही से उतारे जाने के बाद वे, अपनी जानें बचाने के लिए, अंग्रेज अफसरों के रणों पर उनके नाक रगड़ने लगे थे। इनकी हालत शेख सादी के कौल जैसी ो गयी थी "अगर बादशाह दिन को कहे कि—वह देखो रात हो गयी तो ये हने लग जायेंगे 'जहांपनाह देखिए चांद और तारे निकल आये।'[1] कुल रियासतों को हुक्म चल गये कि अकालियों को दबाओ। कोई मीटिंग, कोई चार न होने दो। वे पहले ही यह काम कर रहे थे। लेकिन हुक्म मिलते ही और ज्यादा अत्याचार के लिए रास्ते खुल गये।

रियासतों में राजाओं में अकाली तहरीक का कोई भी कम दुश्मन नहीं था। सब एक से एक बढ़ कर दुश्मन थे। पर, सबसे ज्यादा दुश्मन महाराजा पटियाला था—वही महाराजा पटियाला जो सरकार सेवा के दिनों में नये सिरे से अमृतसर अकाल तख्त पर अमृत छक कर भूलें बख्शवा कर गया था। वह अकाली तहरीक को कुचलने के लिए सरकार का हर किस्म की फौजी—और सरकारी

1 अगर शाह रोजरा गोइद शबस्ती बबायद गुफ्त ईनक माहोपरवीं

मांग के अनुसार हर तरह की—इमदाद देने के लिए तैयार था। विलसन ने उच्चतम स्तरीय सेक्रेटरियट की ६ फरवरी १९२४ की मीटिंग में महाराजा पटियाला की एक चिट्ठी पेश की थी, जिसमें 'नाभा रियासत को मदद देने की" उसने अपने आप पेशकश की थी। फैसला किया गया था कि यह पेशकश लाभकारी होने के कारण स्वीकार कर ली जाय। उस वक्त उसकी फौज का एक छोटा दस्ता जैतो के लिए मांगा गया था।

इस पर भी विचार किया गया था कि अगर पटियाला इस संकट के समय *नाभा रियासत में सरकार का पक्ष लेने लगे, तो इसका असर बहुत अच्छा* होगा। पहले पड़ाव पर यह यकीन किया जाता था कि नाभे में पटियाला फौज की हाजिरी गैर जरूरी है। पर अब हालात बदल गये हैं और इस वक्त गर्म ख्याल सिखों के दिमाग में यह विचार डालने के निश्चित फायदे हैं कि अकाली खतरे के विरोध में सारी सिख रियासतें एक हैं।'

१ पटियाले के बहादुर अकाली

पटियाले के हाकिम अपनी रियासत में किसी किस्म की भी तहरीक नहीं चलने देना चाहते थे। उन्होंने सिख दीवान करने या नगर कीर्तन के जुलूस निकालने तक पर पाबन्दी लगा दी थी। अकालियों से जबरदस्ती दस्तखत करवाये जा रहे थे कि वे किसी मीटिंग या जुलूस में शामिल नहीं होंगे। पर सारी रियासत में महाराजा नाभा की बहाली के लिए बड़ा उभार था। अकाली तथा आम लोग 'नाभा दिवस' मनाने के लिए गांवों से जत्थे के जत्थे लेकर नजदीक के कस्बों और शहरों में इकट्ठे हो रहे थे, ताकि वे महाराजा नाभा की बहाली के अरदास में शामिल हो सकें। पटियाला शहर के नाकों पर पुलिस का खास प्रबंध किया गया था ताकि कोई जत्था शहर के अन्दर न घुस सके। सारी रियासत में दहशत और तसद्दुद का दौर-दौरा था। पटियाला स्टेशन पर अकालियों को रोकने का खास प्रबंध किया गया था। लोगों को भयभीत करने के लिए शहर में हर वक्त पुलिस की गश्त होती रहती थी।

गांवों से पटियाले का १०० अकालियों का एक जत्था आया जिसने तितर बितर होने से इन्कार कर दिया। उन्हें पकड़ लिया गया। अखबारों के नुमाइन्दों पर शहर में जाने की पाबन्दी लगा दी गयी। फिर भी लगभग एक दर्जन पत्रकार शहर के अन्दर पहुंच गये। उनके पीछे सी आई डी के लोग लगा

१ यह मीटिंग दिल्ली में हुई जिसमें हेनी थॉम्पसन, क्रेक, फ्रीरार, जॉनसटन और मेजर उगरी हाजिर थे इसके फैसला का आगे भी जिक्र होगा

दिये गये। सरहद में २०० के करीब अकाली पकड़ लिये गये, ताकि वे किसी मुजाहिरे में हिस्सा न ले सकें। भरालीगढ़ की पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद लोगों ने तितर बितर होने से इन्कार कर दिया। दरअसल देहात के जितने ही लोग उनसे आ मिले। उन्होंने घरों को वापस जाने से इन्कार कर दिया। इसलिए पुलिस के पास उन्हें पकड़ने के सिवा कोई और चारा न रहा।

बरनाले में इससे भी ज्यादा जोर था। वहां लोगों ने वे ही अरदासें किये जिन पर पाबंदी लगायी गयी थी। ठीकरीवाला (शहीद सेवा सिंह का गांव) में एक बड़ा दीवान किया गया और जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जत्थेदार व पांच अकालियों को गिरफ्तार कर लिया। मगर लोगों ने घेरा डाल दिया और जत्थेदार से अलहदा होने से इन्कार कर दिया, इस पर पुलिस को ढाई सौ आदमी पकड़ने पड़े। पुलिस इन्हें बरनाले ले गयी। बरनाले के सिख भी उनके साथ शामिल हो गये। सिख औरतें भी घरों से निकल कर शामिल हो गयीं। राजपुर का जत्था जो पटियाले के जुलूस में शामिल होने के लिए जा रहा था, रास्ते में ही पकड़ लिया गया। सुनाम के सभी गुरुद्वारों में—जिनमें दीवान के बाद नाभे के बारे में अरदासें होने थे—सरकार ने ताले लगा दिये। खुद पटियाला रियासत में अकाली तहरीक का यह शानदार उभार था।

यह थी महाराजा पटियाला की अपनी रियासत में इज्जत! एक खुफिया रिपोर्ट में ठीक ही लिखा गया था कि 'मालवा सिख खित्ते में सरकार के बाद सबसे ज्यादा बदनाम सिर्फ महाराजा पटियाला है, जिसके खिलाफ शिरोमणि कमेटी प्रचार कर रही है।'[1]

२ फरीदकोट में अत्याचार

जो पटियाले में हुआ वही सलूक रियासत फरीदकोट में अकाली जत्था के साथ किया गया। फरीदकोट के राज प्रबंधक प्रधान ने एलान किया[2] कि रियासत की रिआया के बंदे न किसी मुजाहिरे में शामिल हो सकते हैं न जैतो के दीवान में जा सकते हैं और न ही महाराजा नाभा के साथ किसी किस्म की हमदर्दी का प्रदर्शन कर सकते हैं। फरीदकोट के अकाली जत्थे के एक नेता और शिरोमणि कमेटी के मेम्बर सरदार गुरुचरण सिंह को सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने अपना आदमी भेज कर बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वह फरीद

1 जलंधर डिवीजन एरिया के कमाण्डेन्ट की चार रिपोर्टें
२ फरीदकोट में उन दिनों कौंसिल ऑफ रीजेंसी कायम थी जिसका प्रधान अंग्रेज राज का लाडला बेटा इन्दर सिंह था

मोट मे कोई जुलूस न निकलने दे। पर उसने बेखौफ होकर जवाब दिया कि श्रोमणि कमेटी की इस बारे म हिदायतें आ चुकी हैं। लोग उन हिदायतों पर अमल करने के लिए तुले हुए हैं। वे रोके नही जा सकते और उसने पुलिस अफसर से साफ शब्दो मे कह दिया कि इस धार्मिक मामले मे मैं तुम्हारी कोई मदद नही कर सकता।

सरदार गुरुबख्श सिंह को इस ओजस्वी जवाब के बाद पकड लिया गया और फिर जत्थे के जत्थेदार स नन्द सिंह को डराया धमकाया गया पकड लेने की धमकी दी गयी। उसने भी पुलिस को बेखौफ होकर जवाब दिया, जिस पर उसको भी पकड कर जेल म धकेल दिया गया। सारे शहर के इद गिर्द पुलिस ने पहरे लगा दिये ताकि बाहर से किसी अकाली को शहर मे न घुसने दिया जाय। पर इन पाबदियो की कोई परवाह न करते हुए सैकडा सिंह फरीदकोट रेलवे स्टेशन पर पहुच गये। उनके साथ गुरु ग्रथ साहब की पालकी, धार्मिक जुलूस के तौर पर, मौजूद थी। पर वहा धर्म की या गुरु ग्रथ साहब की कौन परवाह करता था? पालकी उनसे छीन ली गयी और सारे अकालियो को पकड कर जेल म धकेल दिया गया। मगर शाम का तमाम सिंहो को छोड दिया गया और कहा गया कि अपने अपने घरो को चले जाओ। सिंहो ने फिर जुलूस बना लिया और एलान किया कि जब तक ६ सितम्बर का दिन खत्म नही हो जाता तब तक उनका जुलूस निकालने का प्रोग्राम कायम है। इसलिए उन्हे फिर पकड लिया गया और रात को १२ बजे के बाद रिहा किया गया। उन्हे धमकिया दी गयी कि अगर रियासत म गडबड की तो तुम्हारे गावो मे पुलिस की ताजीरी चौकिया बैठा दी जायेंगी और तुम्हारी जायदादें जब्त कर ली जायेंगी।

भाई अमर सिंह कोटकपूरा के एक स्कूल म धार्मिक विषय के अध्यापक थे। वह श्रोमणि कमेटी के आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। उन पर रियासत मे जुलूस जत्थेबन्द करने का आरोप लगाया गया व कुछ अरसे के लिए रियासत से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया गया। सिक्खावाला, मिस्री और चेही वगरा गावो के लोग जत्थे की शक्ल म शब्द पढते फरीदकोट जा रहे थे। उन्हें भी पकड कर बन्द कर दिया गया।

इन दिनो म अकाली तहरीक को दबाना और कुचलना अंग्रेज हाकिमों मे वफादारी का प्रमाण पत्र हासिल करना था। श्रोमणि कमेटी की राय म फरीदकोट म जो बर्ताव अकालियो के साथ किया जाता था वह गुरुद्वारा सुधार लहर को खत्म करने के अंग्रेज राज के बर्ताव से भी बाजी ले गया था। अकालियो को सात सात साल की कैद की सजा दी जाती थी, और साथ ही एक एक

हजार रुपये का जुर्माना किया जाता था। जेलो म अकाली कैदियो को इसान नही समभा जाता था। उनके साथ पशुओ जैसा सलूक किया जाता था।

हथकडिया और पैरा मे बेडिया लगाने की सजा आम थी और वह भी १४ १४ घटे की। कैदियो को कई बार बेहोशी की हालत मे उलटा लटका दिया जाता था। इस हालत मे कई अकालियो की बेहोशी मे टट्टिया निकल जाती थी। उन्ह कई और भी रागटे खडे करने वाली सजायें दी जाती थी।

भाई तग्न सिंह को १४ साल कैद और १००० रुपया जुर्माने की सजा दी गयी। लगभग एक दजन सिंहो को सात-सात साल कैद की सजा के अलावा एक एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया।[1]

फरीदकोट के प्रधान के लिए, महाराजा पटियाला की तरह ही, अंग्रेज साम्राज्य के हुक्म प्रधान थे, धम प्रधान नही था।

३ नाभे के शेर अकाली

मोर्चे का गढ जैतो (नाभा) था। इस जगह के अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर विल्सन को हिटलरी अधिकार मिले हुए थे। इसको मर्दों का कत्ल करने और स्त्रियो को मारने-पीटने की पूरी आजादी मिली हुई थी। यह अंग्रेज साम्राज्य की सभ्यता की चडालीभरी और खूखार शक्ल का कोई छोटा मोटा नमूना नही था।

इसने शहीदी जत्थे का मुकाबला करने के लिए लगभग दो हजार जी हुजूर और अंग्रेज पिट्ठू इकट्ठे किये थे, ताकि वह इनके जरिये जत्थे पर हमला करा सके और मारपीट कर उसे रियासत से बाहर निकाल सके। वह जत्थे के पहुचने के वक्त वहा हाजिर था। पर मालूम होता है कि विल्सन ने मौके पर यह इरादा इसलिए बदल दिया, क्योकि वह सिखो को जबदस्त 'सबक' सिखाना चाहता था। मारपीट के बजाय गोलिया चलाने का हुक्म देकर अकालियो को मौत के घाट उतारना ज्यादा शिक्षाप्रद समभा गया।

नाभा रियासत मे तसद्दुद और जुल्म की कोई हद न रही। दजनो देशभक्तो को रियासत से बाहर निकाल दिया गया। उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। काफी अकालियो को नजरबद किया गया। हजारो से नेकचलनी के मुचलके भरवाये गये। जिस पर भी महाराजा नाभा से हमदर्दी रखने का शक हुआ, उसी की शामत आ गयी। विल्सन ने सिर्फ पाच महीनो (अगस्त १९२३ से जनवरी १९२४) तक नाचे सिखो की जायदादें जब्त की और १२००० से नेकचलनी की

1 देखिए, समाचार पत्र अकाली, १ फरवरी १९२४, और शोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी का एलान न ५९८

जमातें थीं।[1] रियासत के भारी मशीन का जुल्म और कहर कपूरथला में तो ज्यादा जा सकता है पर यहां दिया जा सकता।

४. कपूरथला में जुल्म

मार्च १९२२ में सरकार द्वारा अकालियों पर सख्ती करने और उनके [illegible] के हुक्म सिर्फ पंजाब के जिलों को ही नहीं भेजे गये थे पंजाब की रियासतों को भी भेजे गये थे। अकाली तहरीक पर भरपूर सख्ती की कार्रवाई उसी समय से रियासतों में शुरू हो गयी थी। इन रियासतों में कपूरथला दूसरी रियासतों से पीछे नहीं रहना चाहती थी। कपूरथला के रियासती अफसर ने ११ मार्च १९२२ को जो फरमान जारी किया उसकी नकल का गौर से अध्ययन कीजिए

कोई अकाली अपने गांव से बाहर न निकले। आज्ञा के बिना जो भी अकाली गांव से बाहर जायेगा वह गिरफ्तार कर लिया जायगा। जत्थेदार अपने अपने जत्थे के लिए जिम्मेदार होंगे। पुलिस के डायरेक्टर की आज्ञा के बिना कोई मीटिंग नहीं हो सकेगी। जो मीटिंगें इजाजत के बिना की जायेंगी वे गैर-कानूनी समझी जायेंगी और तितर बितर कर दी जायेंगी।

फगवाड़े के लिए एक चीफ एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त किया जाय। वह सारी तहसील के लिए जिम्मेदार होगा। हर अहम नाके पर संतरियां भी रखी और देखभाल की जायगी। जो अकाली इन हुक्मों की नाफरमानी करेगा, वह सिर्फ पकड़ा ही नहीं जायगा, उससे सारे गांव को ताजीरी चौकी का खर्चा भरना पड़ेगा। दूसरे जिलों के एजीटेटर किसी और गांव में जायेंगे तो पकड़ लिये जायेंगे। पुलिस के ५० और सिपाही भरती किये जायेंगे जिनका खर्च गड़बड़ करने वाले गांवों पर डाला जायगा। बाहर के सब एजीटेटर पकड़ लिये जायेंगे।

और हुक्म दिया गया कि फगवाड़ा तहसील के ६ और भुलत्था तहसील के ६ लीडर पकड़ लिये जायं। उनकी निगरानी करने के लिए उन पर आदमी लगाये जायें। जमादार अमरसिंह धालीवाल की पेंशन बन्द कर दी जाय। सुलतानपुर तहसील से एक और कपूरथला तहसील से चार लीडर पकड़ लिये जायें। देहात की तरफ से बनायी गयी कमेटियां तोड़ दी जायें।'

१ अकाली ३० जनवरी १९२४ (शिरोमणि कमेटी का एलान)
२ सम कान्फिडेंशियल पेपर्स आफ दि अकाली मूवमेंट, पृ ११-१२ २३

५ विल्सन की पॉलिसी

इससे पहले कि हम जैतो के कत्लेआम का अध्ययन करें, हमे विल्सन की पालिसी के सम्बन्ध मे कुछ बातें जान लेना जरूरी है।

जैतो के गुरुद्वारे के विषय म विल्सन की पॉलिसी यह थी कि अकालियो को बाहर से अन्दर जाने से रोको और दीवान के मेम्बरो को बाहर से कोई रसद-पानी न पहुचने दो। उसने खुद जैतो जाकर ६ सितम्बर को ये हिदायतें सरदार गुरदयाल सिंह को दी थीं। १४ सितम्बर को स गुरदयाल सिंह ने एक तार द्वारा जोर देते हुए विल्सन को यह सुझाव दिया कि दीवान के और गुरुद्वारे के अकालियो को फौरन पकड़ लिया जाय, क्योकि फाकाकशी के नतीजे बडे बुरे हो सकते हैं। विल्सन ने इस तार का जवाब दिया कि दीवान या गुरुद्वारे से गिरफ्तारिया किसी सूरत मे न की जायें, न ही अनाज वगैरा किसी हालत म अन्दर जाने दिया जाय। दीवान का घेराव नही किया जा रहा। जो जाना चाहते है वे नाभा छोड जायें। उन्हें गिरफ्तार नही किया जायगा। जो भूखे मरते है सरकार उनके लिए जिम्मेदार नही।

उसी दिन गुरदयाल सिंह न दो तार और दिये। एक म लिखा कि गुरुद्वारे मे अकालियो ने तसद्दुद से भरपूर तकरीरें की हैं। उन्होंने हमारे सब इन्स्पेक्टर को भी गालिया दी हैं। इसलिए हमने दीवान के सारे अकालियों को पकड लिया है। दूसरे मे लिखा एक सौ का जत्था, जो हथियारो के साथ लैस था, समालपुर (मागे) से आया था। उसने घेराव तोड दिया है। उसके साथ कई और जत्थे रास्ते म मिल गये थे।

विल्सन की उस वक्त राय यह थी कि गिरफ्तारिया नही की जानी चाहिए थी। गुरदयाल सिंह ने 'सीधे हुक्मो' की कोई परवाह न की। गुरुद्वारे मे अखड पाठ हो रहा था। उसन पाठ का भोग पान के लिए आदमी नियत कर दिये थे।[१]

अखड पाठ को खडित करने की यही है सरकारी कहानी। विल्सन चाहता था कि दीवान मे कोई सिख न आने दिया जाय और जाहिर यह किया जाय कि सरकार ने दीवान पर कोई पाबदी नही लगायी। पर काठ की हडिया ज्यादा देर नही चढी रह सकती। गुरदयाल सिंह ने विल्सन की कोई हिदायत न मानी और दीवान पर धावा बोल कर पहले बाहर के अकाली पकड लिये, और बाद मे गुरुद्वारे के अन्दर जाकर पाठी और दूसरे सिंहो को गिरफ्तार कर लिया। शोमणि कमेटी द्वारा सरकार के धम मे दखल देने के इल्जामो की पूरी तरह तस्दीक हो गयी।

१ नाभा फाइल न ४०१, पृ १७६

६ केन्द्रीय सरकार की पॉलिसी

दिल्ली की ब्रिटिश सरकार ने सितम्बर १९२३ में ही पॉलिसी तय कर ली थी कि जैतो में अकाली जत्थों के साथ किस तरह निपटना है। उन्होंने एक तो यह प्रचार शुरू कर दिया था कि अकाली 'नाभा के मामलात में दखल दे रहे हैं और सशस्त्र हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं।' दूसरे उन्होंने धार्मिक दीवान यह कहकर बन्द कर दिये थे कि इनमें राजनीतिक बातें की जाती हैं। तीसरे उन्होंने यह प्रचार किया था कि सिक्खों में राजनीतिक जत्थे पहले से ही बने हैं। इसलिए धार्मिक जलसों को आम में राजनीतिक जलसा नहीं बनने दिये जा सकते।

जैतो में अकालियों को गुरुद्वारे से बाहर और भीतर से निकाल बाहर करने के लिए जमीन तैयार की जा रही थी। गुरुद्वारे के बाहर फौजी घेराव इतना मजबूत कर दिया गया था कि न तो बाद आदमी जरूरी हाजत के लिए बाहर जा सकता था न अन्दर के सिक्खों के लिए बाहर से कोई अन्न-पानी ला सकता था। गुरुद्वारे से बाहर निकलने के लिए दो शर्तें लगायी गयी थीं: पहली यह कि जाने वाला फिर गुरुद्वारे में वापस नहीं आ सकेगा, दूसरी यह कि उसको नाभा रियासत से फौरन निकल जाना पड़ेगा। पर सिक्ख ये शर्तें मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए १२ सिक्ख बुखार और भूख के कारण बुरी तरह बीमार हो गये थे। बाहर से कोई जत्था अगर अन्न-पानी पहुंचाने के यत्न करता तो जत्थे के सिक्खों को गुरु के बाग की तरह ही बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया जाता था।

१५ सितम्बर को शिरोमणि कमेटी ने दो तार देकर वायसराय रीडिंग को जैतो की दुर्घटनाओं और फौजी जुल्मों के बारे में सूचनायें दीं। तार का सारांश यह था कि १४ की शाम को फौज ने सिक्ख संगत पर हमला कर दिया। उन्होंने सिक्खों को बड़ी बेरहमी से पीटा। उन्हें लाठियां और बूटों के ठुड्डे मारे। उन्हें घसीट कर जनों के किले में बन्द कर दिया और गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ जहा हो रहा था, वहा चारपाइयां बिछा दी गयी हैं। इसके बाद वे गुरुद्वारे के अन्दर गये और ताकत का इस्तेमाल करके सब को पकड़ लिया—यहां तक कि अखण्ड पाठ कर रहे पाठी और उनके साथ के सेवादारों को भी पकड़ लिया। गुरु ग्रन्थ

१ इंडियन न्यूज एजेंसी का १५ सितम्बर के अखबारों को तार इस तार की प्रतियां हिन्दुस्तान में छापी गयीं और सिखों को बदनाम करने के लिए लंदन मेलबोर्न केपटाउन तथा दूसरी कालोनियों में भेजी गयीं इस तरह आगे और भी जुल्म के लिए मैदान साफ किया जा रहा था

साहब उसी तरह खुला पडा रहा और कोई भी उसकी सेवा म हाजिर न रहा। गुरुद्वारे के अन्दर दाखिला बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया। इस तरह, गुरु ग्रंथ साहब की अत्यन्त बअदबी की गयी है और हाकिमो ने सिख धार्मिक आजादी और गुरुद्वारे म सिख संगत के इकट्ठे होने के हक पर धावा बोल दिया है। सिहो को केशो मे पकड पकड कर घसीटा गया है वगैरा।

वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी का इस प्रोटेस्ट पर जवाब यह था कि राजनीतिक दीवानो पर पाबन्दी के बावजूद जैतो मे कुछ आदमियो ने राजनीतिक दीवान किया। इसलिए नाभे के हाकिमो को कुछ आदमी पकडने पडे।[1]

इस वक्त सरकार न भविष्य के लिए बाकायदा पालिसी बनायी। इससे कुछ समय पहले फीरोजपुर का जत्था—सरकार द्वारा गुरुद्वारे के घेराव के बावजूद—गुरुद्वारे म दाखिल हो गया था। इस पर सरकार बहुत बौखलायी थी और सख्ती का रास्ता अपनाने लगी थी। सरकार ने फैसला किया था कि किसी भी सिख को गुरुद्वारे के अन्दर बिना इजाजत नही जान दिया जायगा और घेराव तोडन वाला के साथ सख्ती बरती जायगी।

पालिसी का मसौदा हेली ने तयार किया था। उसने लिखा अब तक हम इस बात पर सहमत थे कि घेराव को तोडने की कोशिश करने वालों पर गोली चलाने को जायज ठहराने के लिए ताकत का कम से कम इस्तेमाल जरूरी होगा। इस किस्म की मजबूत कोशिश हकीकी तौर पर गोली चलाना जायज ठहरायेगी—फिर चाहे *अकाली गोलियाँ या गडासे या लाठियाँ न भी* इस्तेमाल करें। अगर हम इससे आगे बढें, तो मैं मोटे तौर पर इस तरह की शर्तें लागू करूगा। गोलियाँ सिर्फ तभी चलायी जायें

(क) जब भीड, तितर बितर किये जाने के यत्नो का या व्यक्तियो की गिरफ्तारी का जबरदस्ती मुकाबला करे या,

(ख) उसका वतीरा हिंसक कारवाई करने के इरादे को साफ तौर पर प्रकट करे या भीड के लोग इस किस्म के हो जो इस (हिंसक) इराद से गम्भीर खतरे की हालत पैदा कर सकते हो।

मेरा विचार आम तौर स यह है कि गोलियाँ चलाने की मंजूरी हमे संतुलित तरीके पर सीमित कर देनी चाहिए, क्योकि खास तौर पर जैतो मे (गोली का) हुक्म रियासती अफसर के हाथो म होगा। मेरा ख्याल है कि अकाली हमे सख्त कारवाई करने का जायज मौका जल्दी ही मुहैया करेगे। और, मैं

[1] नाभा फाइल न ४०१—१९२४ जी एफ डेमोंटमोरेंसी, १५ ९-१९२३

अपने (रियासती) एजेंट को उस एक्शन से आगे जाने की आज्ञा देने से गिनाए गए, जिसको हम मुनासिब तरीके से जायज न ठहरा सकें ।[1]

वायसराय ने अपने दस्तखत के साथ इस पालिसी पर मोहर लगाते हुए लिखा "मैं सर मैल्कम हेली के साथ पूरी तरह सहमत हूं । यह उन्होंने यह भी लिखा कि प्रशासन का भेदभाव नहीं होना चाहिए अंतिम जात सरकार की ही होगी ।[2]

यह तय की गयी पॉलिसी बड़ी चालाकी भरी और महत्वपूर्ण थी । कम से कम दो बातें साफ उभर कर सामने आती हैं एक यह कि अकाली अगर शांतिमय रहते हुए, हाथ मे कोई हथियार न भी रखते हुए, गुरुद्वारे में जाने के लिए घेराव तोड़ें तो गोली चलाना जायज होगा, और जायज ठहराया भी जा सकेगा । दूसरे यह कि एक तरफ रियासती एजेंट, यानी विल्सन को गोली चलाने के हुक्म को सीमित करने की बात और दूसरी तरफ यह बात कि सरकार की सख्त कारवाई का अकाली शायद जल्दी ही मौका देंगे—परस्पर विरोधी बातें हैं । शब्द चालाकी भरे जरूर हैं पर ये स्थानीय रियासती अफसर विल्सन के हाथ किसी तरह नहीं बांधते, क्योंकि गोली चलाने का मौके की नजाकत के बारे मे फैसला करने का और कम से कम ताकत इस्तमाल करनी है या ज्यादा से ज्यादा—जिन्दगी और मौत के इन सवालों का फैसला करने का हक उसी को था और जैसे भी वह जो भी सफेद या स्याह कर देगा, वह अन्त मे मंजूर कर लिया जायगा । साम्राज्यी ताकत को कायम रखने का तथा अब तक का सारा अकाली इतिहास इस बात का गवाह है कि अवाम को कुचलने के लिए ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने वाले अफसरों को हमेशा ऊंचा ओहदा और इनाम मिलता था । उनके बेरहम तशद्दुद को हमेशा जायज ठहराया जाता था ।

●

१ नाभा फाइल न ४०१—१९२४, डब्ल्यू एम हेली १६ ९ २३
२ नाभा फाइल न ४०१—१९२४, रीडिंग १७ ९ २३

इकत्तीसवां अध्याय

पहले शहीदी जत्थे का मार्च

पांच सौ चुने हुए सिखों का पहला शहीदी जत्था ९ फरवरी को अकाल तख्त से, शान्तिमय रहने की सौगंध खा कर, जैतो के खंडित अखंड पाठ को फिर से आरम्भ करने के लिए चला। उस वक्त तक शिरोमणि कमेटी और अकाली दल साजिश केस में पकड़े हुए नेताओं का पहला जत्था अमृतसर जेल में ही था। मुकदमे की कारवाई तभी से शुरू हो चुकी थी। बाहर के नेता अन्दर के प्रमुख नेताओं के सलाह मशविरे से ही नहीं बल्कि पूरी सहमति से काम करते थे। यह कहना गलत नहीं है कि पांच सौ का शहीदी जत्था भेजने की तजवीज अन्दर के नेताओं ने ही पेश की थी। उसे बाहर के नेताओं ने स्वीकार कर लिया था और इस पर अमल करना शुरू कर दिया था।

इससे पहले कुछ समय तक २५ २५ अकालियों के जत्थे भेजे गये थे और कुछेक कमीशन सौ-सौ के। नाभा तो एक छोटी सी रियासत थी। अकाली तहरीक ने पंजाब की हेकड़बाज सरकार को गिरफ्तारियां देकर मैदान से भगा दिया था। नाभे में यह तौफीक ही नहीं थी कि वह अकालियों को लगातार गिरफ्तार किये जाये, क्योंकि उसके पास उनको रखने के लिए जेलें और सम्बन्धित सामान का इतना प्रबंध ही नहीं था। इससे नाभे का डिक्टेटर विल्सन उनको पकड़वा कर ट्रकों तथा जेल-गाड़ियों में बन्द करवा कर दूर दूर छोड़वा देता था। इस वक्त तहरीक में थोड़ी सी निष्क्रियता पैदा हो गयी लगती थी।

इस निष्क्रियता को तोड़ने के लिए और तहरीक में तेजी लाने के लिए ५०० का शहीदी जत्था भेजने की तैयारी की गयी थी। इसका प्रोग्राम यह बनाया गया था कि जिस जिस इलाके से यह मार्च करते हुए शब्द पढ़ते हुए तथा नारे लगाते हुए गुजरे उन इलाकों की देहातों में सरकार के उपद्रवों और अत्याचारों के खिलाफ जाग्रति तथा भयहीनता पैदा हो। अखंड पाठ के खंडित किये जाने के कारण साथ हुए गांवों में भी जाग्रति पैदा हो गयी थी। लोग सिरों पर कफन बांध-बांध कर जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो गये थे। शहीद होने वालों की गिनती बेहिसाब थी। कमेटी जितने शहीदों की मांग करती थी, संख्या हमेशा उससे ज्यादा ही होती थी।

१ सरकार की साजिश

पंजाब सरकार के सामने इस समय मुख्य सवाल यह था कि शहीदी जत्थे को पहले ही पकड़ लिया जाय या गांवों में, बिना दखल किये गुजरने दिया जाय। इस सवाल पर ऊपर के अफसरों की बाकायदा मीटिंग हुई। गवर्नमेंट के पास जत्थे की ताकत के बारे में रिपोर्ट ये थी:

"अमृतसर से कम से कम पांच सौ का एक जत्था जैतो के लिए ९ फरवरी को चलेगा। उसके साथ बड़ा बाजा और गुरु ग्रंथ साहब की सवारी होगी। यह जत्था उन जत्थों से, जो अब तक जैतो भेजे गये हैं, ज्यादा शोर शराबा करने वाले सदस्यों का होगा। यह मानने के लिए कारण मौजूद हैं कि जत्थे या इसके लीडरों की गिरफ्तारी का मुकाबला हिंसा यानी तशद्दुद से किया जायगा। (जोर मेरा)।

'एडमिनिस्ट्रेटर नाभा के सुझाव पर—जिससे ए जी जी और डी सी लाहौर सहमत थे—फैसला किया गया कि जत्थे को जैतो जाने दिया जाय और इसके मेम्बरों या लीडरों को ब्रिटिश इंडिया में पकड़ने की कोई कोशिश न की जाय। कारण यह देखने की ख्वाहिश है कि इतने बड़े जत्थे के मार्च का देहाती इलाकों पर क्या असर पड़ेगा। यह सम्भव है कि गांवों में यह बड़ी थोड़ी हमदर्दी हासिल कर सके क्योंकि यह रसद वगैरा की जरूरतों की संभवत भारी मांगें पैदा करेगा। अगर इतना बड़ा और ऐसी ताकत का दूसरा जत्था इस किस्म की यात्रा का यत्न करेगा तो इसका साथ ब्रिटिश इंडिया में ही निपट लिया जायगा।'"[1]

यह मीटिंग ७ या ८ फरवरी को हुई थी। ९ फरवरी को दिल्ली में इसी विषय पर विचार करने के लिए इम्पीरियल सेक्रेटारियट में एक और मीटिंग हुई जिसमें पहली मीटिंग में हिस्सा लेने वाले चीफ सक्रेटरी क्रेक और नाभे का एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल थे। इनके अलावा दिल्ली सक्रेटारियट के चार सदस्य—हेली, थाम्पसन, क्रीरार और मेजर उगलवी—हाजिर थे। मिस्टर क्रेक ने उनके सामने ५०० के शहीदी जत्थे के बारे में सारी पोजीशन रखी। उसने उनके शांतिमय रहने की सौगंध, अखंड पाठ करने अथवा जीवित वापस न

१ इस अकाली सवाल पर विचार करके फैसला लेने वाले थे (१) गवर्नर, (२) वित्त मंत्री, (३) पंजाब रियासत के गवर्नर जनरल का एजेंट (४) कमिश्नर लाहौर, (५) कर्नल कमांडेंट लाहौर ब्रिगेड, (६) नाभे का एडमिनिस्ट्रेटर, (७) लाहौर डी सी, (८) डी आई जी, सी आई डी, (९) एस पी लाहौर पुलिस, (१०) चीफ सेक्रेटरी पंजाब (फाइल नं I/II १९२४ होम पोलिटिकल)

आने, वगैरा की बातें दोहरायीं। उसने पंजाब में किये गये फैसले के कारण बताये। यह भी बताया कि जत्थे के लीडर के अपने बयान के अनुसार यात्रा के समय कोई राजनीतिक भाषण नहीं होंगे। सिर्फ प्रार्थना संबंधी मीटिंगें ही की जायेंगी।

इस मीटिंग में दिल्ली सेक्रेटारियट के मेम्बरों ने कुछ सवाल किये, कुछ सुझाव दिये और कुछ फैसले किये। मिस्टर थॉम्पसन ने विल्सन से वादा ले लिया कि वह बहुत बड़े "धावे" की सूरत में पंजाब सरकार की मदद पर निर्भर करे। पांच सौ आदमियों का "धावा" संभालना कोई मुश्किल नहीं। जत्थे को नाभे की सरहद पर रोकने के संबंध में बहस के बाद फैसला हुआ कि 'खतरे के लिहाज से यह ऐतराज वाली" बात है। "जत्थे से निबटने का सबसे आसान तरीका समग्रत: यह होगा कि उसको जैतो की परिधि में दाखिल होने दिया जाय और वहां पर इसके साथ ऐसे तरीके से निपटा जाय जो उचित और फायदेमंद हो सके। एडमिनिस्ट्रेटर के निर्णय और इस (फैसले) पर कोई सख्त पाबंदी लगाने की ख्वाहिश नहीं।" (जोर मेरा)।

यह भी फैसला किया गया कि नाभे में दाखिल होने से पहले तीन जगहों पर थानेदार या कोई और योग्य अफसर जत्थे से मिल कर सरकार की शर्तें बताये कि—गुरुद्वारे में जाने की सिर्फ पचास आदमियों को, अखंड पाठ करने के लिए ६० घंटों के लिए इजाजत दी जायगी और किसी को नहीं। बाकी ४५० अकालियों को फौरन नाभे से बाहर निकल जाना पड़ेगा। लेकिन इन अफसरों को खुद यह बात असंभव दिखायी देती थी कि जत्था इन शर्तों को स्वीकार करेगा।

शर्तें न मानने की सूरत में फैसला यह हुआ कि जैतो के बाशिंदे जत्थे से सरहद पर जाकर मिलें। उन्हें हिदायत दी जाय कि वे अपने अधिकारों पर "धावे" के खिलाफ उनसे प्रोटेस्ट करें और अकालियों के साथ वाद विवाद करें कि वे उनके रियासती मामलों में गैर-वाजिब तौर पर दखल दे रहे हैं। पर जत्थे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाशिंदों को ज्यादा ताकत वाले तरीके इस्तेमाल करने की आज्ञा न दी जाय, और, अगर उनकी प्रोटेस्ट काम न करे, तो उनको हिदायत दी जाय कि वे जत्थे को अंदर आने दें। किसी अकाली को गुरुद्वारे के अंदर दाखिल होने की इजाजत न दी जाय।

अगर अकाली अहिंसा की सौगंध तोड़ने की प्रवृत्ति दिखायें और गिरफ्तार होने के वक्त मजम्मत करें या गुरुद्वारे में जबरदस्ती घुसने के तरीके अख्तियार करें, तो जत्थे को गैर-कानूनी करार दे दिया जाय। "शरारती नेताओं" को पकड़ लिया जाय। आखिरी हथियार के तौर पर, अगर जरूरत पड़े तो दमन

१ सरकार की साजिश

पजाब सरकार के सामने इस समय मुख्य सवाल यह था कि नहीं। जत्थे को पहले ही पकड लिया जाय या गांवा म, बिना दखल दिए, गुजरने दिया जाय। इस सवाल पर ऊपर के अफसरा की बाकायदा मीटिंग हुई। गवनमेंट के पास जत्थे की ससलत के बारे मे रिपोर्टें ये थी

" अमृतसर स कम से कम पाच सौ का एक जत्था जैतो के लिए ९ फरवरी को चलेगा। उसके साथ बड बाजा और गुरु ग्रथ साहब की सवारी होगी। यह जत्था उन जत्थों से, जो अब तक जैतो भेजे गये हैं, ज्यादा शोर शराबा करने वाले लक्षणों का होगा यह मानने के लिए कारण मौजूद हैं कि जत्थे या इसके लीडरों की गिरफ्तारी का मुकाबला हिंसा यानी तशद्दुद से किया जायगा। (जोर मेरा)।

एडमिनिस्ट्रेटर नाभा के सुझाव पर—जिसस ए जी जी और डी सी लाहौर सहमत थे—फैसला किया गया कि जत्थे का जतो जाने दिया जाय और इसके मेम्बरा या लीडरा को ब्रिटिश इडिया म पकडने की काइ कोशिश न की जाय। कारण यह देखने की ख्वाहिश है कि इतने बडे जत्थे क माच का देहाती इलाका पर क्या असर पडेगा। यह सम्भव है कि गावो म यह बडी थोडी हमदर्दी हासिल कर सके क्योंकि यह रसद वगरा की जरूरतो की सभवत भारी मागें पदा करेगा। अगर इतना बडा और एसी ससलत का दूसरा जत्था इस किस्म की यात्रा का यत्न करेगा तो इसके साथ ब्रिटिश इडिया म ही निपट लिया जायगा।"[१]

यह मीटिंग ७ या ८ फरवरी को हुई थी। ९ फरवरी को दिल्ली म इसी विषय पर विचार करने के लिए इम्पीरियल सेक्रेटारियट म एक और मीटिंग हुई जिसमे पहली मीटिंग म हिस्सा लेने वाले चीफ सेक्रेटरी क्रेक और नाभे का एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल थे। इनके अलावा दिल्ली सेक्रेटारियट के चार सदस्य—हेली, थॉम्पसन, क्रीरार और मेजर उगलवी—हाजिर थे। मिस्टर क्रेक ने उनके सामने ५०० के शहीदी जत्थे के बारे मे सारी पोजीशन रखी। उसने उनके शातिमय रहने की सौगध अखड पाठ करने अथवा जीवित वापस न

१ इस अकाली सवाल पर विचार करके फैसला लेने वाले थे (१) गवनर, (२) वित्त मत्री, (३) पजाब रियासत के गवनर जनरल का एजेंट (४) कमिश्नर लाहौर, (५) कनल कमाडेंट लाहौर ब्रिग्रेड, (६) नाभे का एडमिनिस्ट्रेटर (७) लाहौर डी सी, (८) डी आई जी, सी आई डी, (९) एस पी लाहौर पुलिस (१०) चीफ सेक्रेटरी पजाब (फाइल न I/II १९२४ होम पोलिटिकल)

आने, वगैरा की बातें दोहरायीं। उसने पंजाब में किये गये फैसले के कारण बताये। यह भी बताया कि जत्थे के लीडर के अपने बयान के अनुसार यात्रा के समय कोई राजनीतिक भाषण नहीं होंगे। सिर्फ प्रार्थना संबंधी मीटिंगें ही की जायेंगी।

इस मीटिंग में दिल्ली सेक्रेटारियट के मेम्बरों ने कुछ सवाल किये, कुछ सुझाव दिये और कुछ फैसले किये। मिस्टर थॉम्पसन ने विल्सन से वादा ले लिया कि वह बहुत बड़े "धावे" की सूरत में पंजाब सरकार की मदद पर निर्भर करे। पांच सौ आदमियों का "धावा" संभालना कोई मुश्किल नहीं। जत्थे को नाभे की सरहद पर रोकने के संबंध में बहस के बाद फैसला हुआ कि "पत्तरे के लिहाज से यह ऐतराज वाली" बात है। "जत्थे से निबटने का सबसे आसान तरीका समग्रत यह होगा कि उसको जैतो की परिधि में दाखिल होने दिया जाय और वहां पर इसके साथ ऐसे तरीके से निबटा जाय जो उचित और फायदेमंद हो सके। एडमिनिस्ट्रेटर के निर्णय और इस (फैसले) पर कोई सख्त पाबंदी लगाने की ख्वाहिश नहीं।" (जोर मेरा)।

यह भी फैसला किया गया कि नाभे में दाखिल होने से पहले तीन जगहों पर थानेदार या कोई और योग्य अफसर जत्थे से मिल कर सरकार की शर्तें बताये कि—गुरुद्वारे में जाने की सिर्फ पचास आदमियों को, अखंड पाठ करने के लिए ६० घंटा के लिए इजाजत दी जायगी और किसी को नहीं। बाकी ४५० अकालियों को फौरन नाभे से बाहर निकल जाना पड़ेगा। लेकिन इन अफसरों को खुद यह बात असंभव दिखायी देती थी कि जत्था इन शर्तों को स्वीकार करेगा।

शर्तें न मानने की सूरत में फैसला यह हुआ कि जैतो के बाशिंदे जत्थे से सरहद पर जाकर मिलें। उन्हें हिदायत दी जाय कि वे अपने अधिकारों पर "धावे" के खिलाफ उनसे प्रोटेस्ट करें और अकालियों के साथ वाद विवाद करें कि वे उनके रियासती मामलों में गैर-वाजिब तौर पर दखल दे रहे हैं। पर जत्थे का आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाशिंदों को ज्यादा ताकत वाले तरीके इस्तेमाल करने की आज्ञा न दी जाय, और, अगर उनकी प्रोटेस्ट काम न करे, तो उनको हिदायत दी जाय कि वे जत्थे को अन्दर आने दें। किसी अकाली को *गुरुद्वारे के अन्दर दाखिल होने की इजाजत न दी जाय।*

अगर अकाली अहिंसा की सौगंध तोड़ने की प्रवृत्ति दिखाये और गिरफ्तार होने के वक्त मजम्मत करें या गुरुद्वारे में जबर्दस्ती घुसने के तरीके अख्तियार करें, तो जत्थे को गैर-कानूनी करार दे दिया जाय। "शरारती नेताओं" को पकड़ लिया जाय। आखिरी हथियार के तौर पर, अगर जरूरत पड़े, तो दमन

बहाल करने के लिए कदूमो का इस्तमाल किया जाय। इस विषय म हिज सरकार द्वारा विस्तार स हिदायतें दी जा चुकी थीं।

ये हैं वे निणय, लेफ्टि-जोन्स और गफिल्टा फसल जा ऊपर के हाकिमो न गहीदी अकाली जत्थे से निबटने के लिए किये गे। इन पर विचार करने से पहले आइए, जत्थे के सामने रखी गयी शर्तों का अच्छी तरह स अध्ययन कर लें।

सिफ उन ८० अकालियो को गुरुद्वारे म जान और अखड पाठ करने की आज्ञा दी जायगी जो यह बात लिख कर देंगे कि

(१) इस लिखित बात को देने के बाद बाकी सब अकाली फौरन रियासती इलाके से बाहर चले जायेंगे,

(२) यह रस्म खालिस धार्मिक होगी और किसी राजनीतिक मसले का कोई जिक्र नहा किया जायगा,

(३) अखड पाठ के खतम होने पर गुरुद्वारे म आना स्वर गय हुए अकाली फौरन गुरुद्वारा छोड कर चले जायेंगे।

२ इन फैसलो पर कुछ विचार

(१) अकालियो की अहिंसा की और शातिमय रहने की नीति बार-बार आजमायी जा चुकी थी। श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी इस पालिसी की निर्माता और सचालक थी। उसे अपनी इस पॉलिसी की दृढ़ता और सच्चाई साबित करने के लिए बब्बर अकालियो की हिंसावादी तहरीक की भी मजम्मत करनी पडी थी जिसे कई अकाली नौजवानो ने पसद नही किया था। श्रोमणि कमेटी की आज्ञानुसार अकाली जत्थो ने बी टी की गालिया, गुप्त जगहा पर चोटो और गुस्सा दिलाने वाले भडकावो के बावजूद शातिमय रहने की ऐसी करामात कर दिखायी थी कि दुनिया दग रह गयी थी। पर अग्रेज हाकिम लगातार यही रट लगाये हुए थे कि सिख शातिमय नही रह सकते, वे किसी वक्त भी हिंसा पर उतर सकते हैं वगरा।

जैतो के इस शहीदी जत्थे का इन हाकिमा ने पहले के अकाली जत्थो स ज्यादा शोर शराबा करने वाला घोषित किया था और यह अतमुखी नतीजा निकाला था कि यह गिरफ्तारी के वक्त 'हिंसा के जरिये मुकाबला करेगा।" यह नतीजा वस्तुनिष्ठ नही था और झूठ पर आधारित था। अमृतसर के मौके पर अफसरा का अनुमान इस जत्थे के बारे मे इससे बिलकुल विपरीत था। उनका अनुमान यह था

"जत्थे म एक सौ आदमी अमृतसर के, तीस लाहौर के और बाकी अन्य जिलो के हैं। वे दरबार साहब की रोटियो पर गुजारा करने वाले (या जा

हुजूर) नही है। इनमे से ज्यादातर जाट बताये जाते हैं और सभवत सच्चे दिल से कट्टरवादी हैं। जहाँ तक समव था इस जत्थे मे वे लोग चुने गये हैं जो पहले गुरू के बाग के मामले में कैद हो चुके हैं। मुझे बताया गया है कि बुरे चलन वालो को बाकायदा तौर पर जत्थे से बाहर रखा गया है। मुझे हैरानी होगी अगर जत्था किसी भडकावे के मातहत अपनी अहिंसा की कसम तोडेगा।"[1] (जोर मेरा)।

और यह बात नोट करने वाली है कि इस रिपोट पर दोना—हिंद के होम सेक्रेटरी क्रीरार और पोलिटिकल तथा विदेशी महकमे के सेक्रेटरी थाम्पसन —के दस्तखत हैं यानी उन्होने यह फाइल देख-पढ ली थी। इससे एक ही नतीजा निकालना सम्भव है कि हिंसा की बात किसी पहले तय की हुई साजिश के साथ सबध रखती थी और जानबूझ कर बुरी नीयत से दोहरायी जा रही थी, ताकि हिंसा के आरोप लगा कर मौका पाकर, तहरीक को कुचल दिया जाय।

(२) अफसरो की मीटिंग ने यह रणनीति उसी तरह बनायी थी, जैसे जग के लिए बनायी जाती है और दाव पेंच गढे जाते हैं। सरहदो पर जत्थो को रोकना रद्द कर दिया गया क्योकि ऐसा करने से रियासत से बाहर के इलाका म तसद्दुद पैदा होता, और गोलिया चलाना पेचीदगियां पैदा करने का खतरा मोल लेना था, इसीलिए जत्थे को नाभे म जाने से न रोका जाय, जैतो की परिधि मे लाकर उसके साथ निबटा जाय। किसी लीडर या पत्रकार को अदर न घुसने दिया जाय, ताकि जिस तरह भी जत्थे के साथ निबटा जाय उसकी कोई खबर जैतो से बाहर न जा सके। डी सी अमृतसर की जत्थे की खसलत के बारे मे उपरोक्त चिट्ठी के होते हुए ये दाव पेंच गढना साबित करता है कि अफसरो की नीयत साजिश भरी थी। इसको अमल में लाने के लिए वे हर पहलू पर विचार कर रहे थे और इसकी कोई भी खबर बाहर नही निकलने देना चाहते थे।

(३) सरकार को इस बात का इल्म था कि जत्था—पूरे पाच सौ का जत्था—खडित अखड पाठ को फिर से जारी करने के मकसद से जा रहा है। वह सौगध खाकर आया था कि उनमे से कोई भी वापस नहीं लौटेगा—या तो सारे लौटेंगे या पचास भी नही लौटेंगे। शर्तें हास्यास्पद, धर्म म हस्तक्षेप करने वाली और जानबूझ कर अडचनें पैदा करने वाली थी। इनके पीछे भी कोई मकसद काम कर रहा था।

पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लेजिस्लेटिव असेम्बली (दिल्ली) में ठीक

१ डी सी अमृतसर का कमिश्नर लाहौर डिवीजन को डी ओ लेटर, ११ फरवरी १९२४

बहाल करने के लिए बन्दूका का इस्तेमाल किया जाय। इस विषय में हिदायतें सरकार द्वारा विस्तार से हिदायतें दी जा चुकी थीं।

ये हैं वे निर्णय, लम्बे जोखे और संक्षिप्त फैसले जो ऊपर के हाकिमों ने शहीदी अकाली जत्थे से निबटने के लिए किये थे। इन पर विचार करने से पहले आइए जत्थे के सामने रखी गयी शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें।

सिर्फ उन ८० अकालियों को गुरुद्वारे में जाने और अखंड पाठ करने की आज्ञा दी जायगी जो यह शर्त लिख कर देंगे कि

(१) इस निश्चित शर्त को देने के बाद बाकी सब अकाली फौरन रियासती इलाके से बाहर चले जायेंगे,

(२) यह रस्म खालिस धार्मिक होगी और किसी राजनीतिक मसले का कोई जिक्र नहीं किया जायगा,

(३) अखंड पाठ के खत्म होने पर गुरुद्वारे में आना सब्र गये हुए अकाली फौरन गुरुद्वारा छोड़ कर चले जायेंगे।

२ इन फैसलों पर कुछ विचार

(१) अकालियों की अहिंसा की और शांतिमय रहने की नीति बार-बार आजमायी जा चुकी थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस पालिसी की निर्माता और संचालक थी। उसे अपनी इस पालिसी की दृढ़ता और सच्चाई साबित करने के लिए अक्सर अकालियों की हिंसावादी तहरीरों की भी मजम्मत करनी पड़ी थी, जिसे कई अकाली नौजवानों ने पसंद नहीं किया था। शिरोमणि कमेटी की आज्ञानुसार अकाली जत्थों ने बी टी की लाठियों, गुप्त जगहों पर चोटों और गुस्सा दिलाने वाले भड़कावों के बावजूद शांतिमय रहने की ऐसी करामात कर दिखायी थी कि दुनिया दंग रह गयी थी। पर अंग्रेज हाकिम लगातार यही रट लगाये हुए थे कि सिख शांतिमय नहीं रह सकते, वे किसी वक्त भी हिंसा पर उतर सकते हैं वगैरा।

जत्थों के इस शहीदी जत्थे को इन हाकिमों ने पहले के अकाली जत्थों से ज्यादा शोर शराबा करने वाला घोषित किया था और यह अंतमुखी नतीजा निकाला था कि यह गिरफ्तारी के वक्त 'हिंसा के जरिये मुकाबला करेगा।" यह नतीजा वस्तुनिष्ठ नहीं था और झूठ पर आधारित था। अमृतसर के मौके पर अफसरों का अनुमान इस जत्थे के बारे में इससे बिल्कुल विपरीत था। उनका अनुमान यह था

"जत्थे में एक सौ आदमी अमृतसर के तीस लाहौर के और बाकी अन्य जिलों के हैं। वे दरबार साहब की रोटियों पर गुजारा करने वाले (या जा

हुजूर) नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर जाट बताये जाते हैं और संभवत सच्चे दिल से कट्टरवादी हैं। जहां तक संभव था इस जत्थे में वे लोग चुने गये हैं जो पहले गुरु के बाग के मामले में कैद हो चुके हैं। मुझे बताया गया है कि बुरे चलन वालों को बाकायदा तौर पर जत्थे से बाहर रखा गया है। मुझे हैरानी होगी अगर जत्था किसी भड़कावे के मातहत अपनी अहिंसा की कसम तोड़ेगा।"[1] (जोर मेरा)।

और यह बात नोट करने वाली है कि इस रिपोर्ट पर दोनों—हिंद के होम सेक्रेटरी क्रीरार और पोलिटिकल तथा विदेशी महकमे के सेक्रेटरी थॉम्पसन—के दस्तखत हैं यानी उन्होंने यह फाइल देख-पढ़ ली थी। इससे एक ही नतीजा निकालना सम्भव है कि हिंसा की बात किसी पहले तय की हुई साजिश के साथ संबंध रखती थी और जानबूझ कर बुरी नीयत से दोहरायी जा रही थी, ताकि हिंसा के आरोप लगा कर, मौका पाकर, तहरीक को कुचल दिया जाय।

(२) अफसरों की मीटिंग ने यह रणनीति उसी तरह बनायी थी, जैसे जंग के लिए बनायी जाती है और दाव पेंच गढ़े जाते हैं। सरहदों पर जत्था को रोकना रद्द कर दिया गया क्योंकि ऐसा करने से रियासत से बाहर के इलाकों में तसद्दुद पैदा होना, और गोलियां चलाना पेचीदगियां पैदा करने का खतरा मान लेना था, इसीलिए जत्थे को नाभे में जाने से न रोका जाय, उसको की परिधि में लाकर उसके साथ निबटा जाय। किसी लीडर या पत्रकार को अंदर न घुसने दिया जाय, ताकि जिस तरह भी जत्थे के साथ निबटा जाय उसकी कोई खबर जैतो से बाहर न जा सके। डी सी अमृतसर की जत्थे की खसलत के बारे में उपरोक्त चिट्ठी के होते हुए ये दाव पेंच गढ़ना साबित करता है कि अफसरों की नीयत साजिश भरी थी। इसको अमल में लाने के लिए वे हर पहलू पर विचार कर रहे थे और इसकी कोई भी खबर बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे।

(३) सरकार को इस बात का इल्म था कि जत्था—पूरे पांच सौ का जत्था—खंडित अखंड पाठ को फिर से जारी करने के मकसद से जा रहा है। वह सौगंध खाकर आया था कि उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटेगा—या तो सारे लौटेंगे या पचास भी नहीं लौटेंगे। शर्तें हास्यास्पद, धर्म में हस्तक्षेप करने वाली और जानबूझ कर अड़चनें पैदा करने वाली थीं। इनके पीछे भी कोई मकसद काम कर रहा था।

पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लेजिस्लेटिव असेम्बली (दिल्ली) में ठीक

१ डी सी अमृतसर का कमिश्नर लाहौर डिवीजन को डी ओ लैटर, १६ फरवरी १९२४

कहा था "और सिख कर क्या रहे थे? वे मांग क्या थे? व यह नहीं कह रहे थे कि दूसरों को बाहर निकाल कर हमें गुरुद्वारे का कब्जा दो। वे सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे थे कि उनको गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने के लिए जाने दिया जाय और जब वे अपने पवित्र ग्रंथ का पाठ कर लें, तो उन्हें वापस लौट आने दिया जाय। लोग भले ही उनसे भी निपुण हों जिनके कि वे थे— कानून या आम समझदारी को सामने रखते हुए, किसी अफसर को क्या हक था कि उन पर गोलियां बरसायी जातीं जबकि वे लोग बेकसूर थे।"[1]

(४) सरकार रियासत के वफादारों का जत्था अकालियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करके लायी थी और बाकायदा हिदायत दे रही थी कि— यह करो, वह करो, उनके 'धावे" को रोकने के लिए तकरार करो, वगैरा। उनका सरकार की हिदायतों के मुताबिक आगे जाना और पीछे हटना सिद्ध करता था कि सरकार ने खुद उन्हें बुलाया था। एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायतों के अनुसार ये वफादार लोग काम कर रहे थे। व अपने आप अपनी इच्छा से नहीं आये थे।

इस पर हेली के भाषण के दौरान मालवीय जी ने सवाल किया था 'क्या ये देहाती ब्रिटिश हाकिमों की तरफ से जत्थों के साथ खास तौर पर लड़ने के लिए नहीं बुलाये गये थे?" हेली ने जवाब दिया— मेरी जानकारी यह है कि उनकी तरफ से ऐसी स्वेच्छिक पहल एक बार नहीं कई बार की गयी थी।' मगर यह झूठ था जो कि सवालों को टालने के लिए बड़े-बड़े अंग्रेज अफसर भी बोलने से नहीं हिचकते थे।[2]

(५) सरकार ने सिखों के पूजा पाठ के हक पर अंकुश लगा रखा था। जो कुछ हो रहा था—वायसराय और उसके सेक्रेटारियट के आदेशानुसार हो रहा था। ५० आदमियों की शर्तों के साथ गुरुद्वारे के अंदर जाने के खिलाफ प्रो जोध सिंह ने ही सेनाट को एक वफादारी भरा पत्र लिखा था जिसका असेम्बली मे मालवीय जी ने अपनी स्पीच के दौरान पेश किया था "धार्मिक रस्म का पूरा किया जाना और उन आदमियों की सख्या पर पाबंदी लगाया जाना जो कि शामिल हो सकते हैं—यह एक असली धार्मिक शिकायत पैदा करना होगा। अगर अखंड पाठ किया जाना है तो उस तक सबकी पहुच होनी चाहिए।"[3] पर इस किस्म के लोग तो सरकार के घड़े की मक्खियां थीं, इनकी आवाज कौन सुनता?

१ *लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स खंड ४, भाग २ २६ फरवरी १९२४* प्रोसीडिंग्स
२ उपरोक्त, पृ ६६१
३ उपरोक्त

जसा कि हम पीछे देख आये हैं गोली चलाने का फैसला अंतिम कदम के तौर पर किया गया था। पर एडमिनिस्ट्रेटर के अधिकारो पर पाबदी लगाने के बावजूद हालात से निबटना उसी के बस की बात थी। यह अफसर, हम जानते हैं अकाली तहरीक को खत्म करने वालो म एक बडा अफसर था।

३ जैतो मे जत्थे का कत्लेआम

अब तक हमने सरकार के फसलो पर कुछ टीका टिप्पणी ही की है। जत्था अभी रास्ते मे ही था जैतो नही पहुचा था। इसके पहुचने की तारीख ननकाने साहब के शहीदो का दिन—२१ फरवरी—था। जत्थे की रास्ते की कारवाइया के विषय मे सरकार को हर जगह स रिपोर्ट मिल रही थी। जत्थे का गाव गांव मे जोरदार स्वागत हो रहा था। सडको पर लोग दूध और रोटिया ले कर जत्थे की सेवा के लिए कई-कई घटे खडे रहते थे। काग्रेसी और जिला कती मेम्बर उनसे मिल कर उन्हें शाबाशी देते थे। लोगो म बहुद जोश था। 'लोग कई मीलो से आ आ कर जत्थे के दशन कर रहे हैं। कई लोग उस जगह की मिट्टी उठा लेते हैं जिस जगह से जत्था गुजर जाता है। शिरोमणि कमेटी ने गैर अकाली सिखो को प्रभावित कर लिया है कि यह एक धार्मिक यात्रा है।'[1]

४ गोली चलाने के बारे मे सरकारी बयान

सरकार की अपनी रिपोट के अनुसार शहीदी जत्था दली दुपहर बरगाडी (रियासत फरीदकोट) नगर स जैतो को चला। २४५ बजे के करीब जैतो के लोगो ने उसे आते देखा। उसके चारो तरफ ६००० आदमी (उसे घेरे में लिये) आ रहे थे। जत्थे के साथ की भीड कोई ६०० गज की चौडाई मे आगे बढ रही थी। वे लाठियो गडासो भालो और बन्दूको से लैस थे। एडमिनिस्ट्रेटर पाच अन्य रियासती अफसरो को साथ लेकर अकालियों से मिलने के लिए लगभग सौ गज आगे बढा और उन्हें खडा हो जाने का आदेश दिया तथा स्पष्ट किया कि अगर वे हुक्म पर अमल नही करेंगे तो उसको मजबूर होकर गोली चलानी पडगी। अकालियो ने इस आदेश की कोई परवाह न की और उन्होंने तेजी के साथ एडमिनिस्ट्रेटर और उसकी पार्टी का पीछा किया। (जोर मेरा)।

इस एलान म जो और नुक्ते लिखे गये वे ये है

(१) अकालियो द्वारा चलायी गयी गोली उस वक्त नाभे के एक देहाती को लगी और वह जख्मी हो गया।

(२) एडमिनिस्ट्रेटर ने लीडरो पर जो कि कुछ ही गजो के फासले पर थे बक्शाट के तीन राउन्ड चलाने का हुक्म दिया।

१ डी सी अमृतसर की रिपोर्ट

(३) अकालियो की कतार अपनी दायी तरफ से टूट गयी जहा कि नाभा की पैदल पलटन पोजीशन सभाले थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने अकालियो पर सर्विस गोलियो के तीन राउड (पावदियो सहित) चलाने का हुक्म दिया।

(४) अकाली जत्थे और उसके साथियो का मुह गुरद्वारा टिब्बी साहब की तरफ हो गया। घुडसवारो का दल उन्हें रोकने के लिए उसी ओर गया।

(५) अकालियो ने इस मौके पर गोलिया चलाना तेज कर दिया और एक घुडसवार की रहनुमाई मे, जो अग्रेजी में हुक्म दे रहा था, जोरदार हमला कर दिया। घुडसवार दस्ते के दस नीचे उतरे हुए जवानो की गोलियो ने उन्हें रोक लिया, लेकिन जत्था टिब्बी साहब की तरफ बढता गया और वहा लगभग दो हजार आदमी इकट्ठे हो गये। पर ये तितर बितर होने गये और लगभग १०० आदमी पकड लिये गये।

(६) गोलीकाड के बाद डॉ किचलू और प्रो गिडवानी मोटर से मौके पर पहुचे। उन्हें हिरासत मे ले लिया गया।

(७) अब तक जो कुछ मालूम किया जा सका है उसके अनुसार मरे हुओ और घायलो की गिनती इस प्रकार है १४ अकाली मर गये हैं और ३४ घायल हुए हैं।

(८) एक मजिस्ट्रेट को विशेष जाच करने का हुक्म दे दिया गया है।'[1]

ऊपर की रिपोर्ट के नुक्ते सरकारी बयान के मुताबिक दिये गये हैं जो एक सरकारी एजेंसी ने अखबारो को दिये। ये एकतरफा बयान हैं। अकाली पक्ष क्या है यह हम आगे देखेंगे। सरकारी पक्ष के सच और झूठ की परख उनके अपने बयानो के अर्तविरोधो और कुछ रहनुमाओ की जाच पडताल के आधार पर हम पाठको के सामने रखेंगे।

उपरोक्त नुक्तों के अतिरिक्त दो और नुक्ते सरकार की खुफिया रिपोर्ट मे मिलते हैं। इन्हें भी उनके साथ ही जोड लिया जाय

(९) ख्याल रखा गया था कि शहीदी जत्थे पर गोली न चलायी जाय।

(१०) गुरू से आखीर तक कम से कम ताकत इस्तेमाल की गयी। अगर अकालियो को जहा रोका गया था उसी जगह न रोका जाता तो जतो नगर और मडी म तथा सम्भवत रेलवे स्टेशन पर, पहुच कर वे इकट्ठे होते और जायदाद को बहुत नुकसान पहुचाते।'[2]

१ इडियन न्यूज एजेंसी टेलीग्राम, न ३७ (डी) दिल्ली, २२ फरवरी १९२९, समय ११ ५०

२ न जे ११ डी/२२ २ २४ हस्ताक्षर म्यूरहेड, लेफ्टिनेंट-कर्नल कमाडिग ट्रूप्स जैतो

गुरुद्वारा गंगसर जैतो का साका

श्री अकाल तख्त साहिब से शान्तमई का प्रण लेकर और शहीदी पहरावा ओढ कर शहीदी प्राप्त करने के निमित्त सिक्खो के जत्थे गये थे नि शस्त्र शूरवीर सिक्खो को गोलिया चला कर सैकडो की गिनती मे शहीद किया गया।

उपरोक्त नुक्तो पर सरकारी मिसलो मे परस्पर बडी विरोधी सामग्री है जिसके ज्यादा अध्ययन की जरूरत है। मालूम होता है कि गुरु मे श्रोमणि कमेटी को भी पूरी खबरें शामिल नही हुई थी। सिविल एण्ड मिलिट्री गजट मे कमेटी की एक खबर २६ फरवरी को छपी थी जिसमें शहीद होने वाला की गिनती १८ और घायलो की ६० बतायी गयी थी। नाभा के एडमिनिस्ट्रेटर ने इस बयान से फायदा उठाते हुए हिंद सरकार को लिखा था कि उसका अदाजा है कि ये सख्याए कम हैं।

५ पटियाले द्वारा कत्लेआम की हिमायत

६ फरवरी, वसत पचमी का वह दिन है जिस दिन ५०० अकालियो का पहला शहीदी जत्था शालिमय रहने की सौगध खाकर अकाल तख्त से जैतो को रवाना हुआ था।

इस शहीदी जत्थे के सदस्यों पर गोलिया की बौछार के दो दिन बाद महाराजा पटियाला ने २३ फरवरी को गवनर जनरल के एजेंट मिचल को एक और चिट्ठी लिखी जो अकाली तहरीक को दबाने और कुचलने का सुझाव देती थी। इस चिट्ठी से पता चलता है कि महाराजा पटियाला अग्रेज हाकिमों की दलाली करने म किस घणास्पद हद तक पहुच चुका था। वह लिखता है

" जत्थे ने नाभे की पोजीशन पर हमला किया और उसने उन (पुलिस-फौज) पर गोलिया चलायी। उनकी हालत ने अपने बचाव के लिए जवाब मे उन्हें गोलिया चलाने के लिए मजबूर किया। लोगो का जख्मी होना और उनकी मौतें होना लाजिमी था। गिडवानी और डा किचलू जसे व्यक्तिया की जत्थे के साथ मौजूदगी—उक्त बात को बहुत साफ कर देती है। और, कोई आदमी जिसमें रत्ती भर भी सूझ है शक कर सकता है कि अकाली जत्थे का पूरा मिशन राज-नीतिक मिशन था तथा यह जनपद जनता की हमदर्दी हासिल करने के लिए धार्मिक मिशन के पर्दे का सहारा ले रहा था।

'मैं यह भी सोचता हू कि यह घटना पहले से भी ज्यादा इस बात को जरूरी बनाती है कि अकाली मसले को काबू म लाने के लिए पजाब की रियासतो को एक जैसी पॉलिसी तय करनी चाहिए। पजाब सरकार की कारवाई और पालिसी के साथ पूर्ण सहयोग से उन्हे एक ही वक्त पर अमल में लाने मे सक्रियता बरतनी चाहिए। यह एक जैसे प्रयास और रवय की एकता ही है जिसके द्वारा हम मुल्क म अमन और कानून के लिए लगातार बढ रहे खतरे को रोक सकते हैं और अपने नामवर सूबे को इस खतरे से बचाने की उम्मीद कर सकते हैं।

'मेरी राय मे यह (इन्कलाबी प्रचार) शुरू म ही कुचल देना चाहिए

नहीं तो इसका नतीजा होगा आम लोगों के जज्बो का भड़कना और ब्रिटिश सरकार तथा उसके अफसरों के खिलाफ हिंसामय नफरत फैलना—और इसका अर्थ, संक्षेप में, देश में खूनी बगावत पैदा करना ही हो सकता है।"

महाराजा पटियाला के अंग्रेज हाकिमों की वहलीजो पर माथा रगड़ने के बारे में फाइलों में बहुत कुछ दर्ज है। वह बड़ा जलील, बेशर्म और बे-उसूल राजा था। अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए वह कोई भी गुनाह जुर्म और कोई भी कत्ल कर या करवा सकता था। जॉन्सटन ने हिंद सरकार से कहा कि अगर और ट्रूप्स की जरूरत पड़े तो सरकार को मुहैया करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर पटियाला से और फौज की जरूरत पड़े तो उससे और फौज मांगने पर कोई एतराज तो नहीं होगा? इस वक्त पटियाले के १५० सिपाहियों का फौजी जत्था एडमिनिस्ट्रेटर के अधिकार में दिया जा चुका था। कुछ समय पहले महाराजा ने जॉन्सटन से कहा था कि इस मामले में उसका दिल और रूह गवर्नमेंट के साथ हैं और अगर जरूरत पड़े तो वह कोई भी मदद देने के लिए तैयार है—फिर वह २० हजार ग्रामीणों की शक्ल में हो या फौजियों की शक्ल में।[1]

इन चिट्ठियों से पता चलता है कि पटियाले के आम लोगों पर किस किस्म के अत्याचार किये जाते होंगे और अकाली तहरीक को कितना जुल्म इस्तेमाल करके कुचला जाता होगा। सरकारी रिपोर्टों में बड़े फख्र के साथ दर्ज किया मिलता है कि पटियाले में कृपाणें और काली पगड़ियां उतरती जाती हैं और अकाली तहरीक कमजोर पड़ती जाती है।

●

१ पंजाब स्टेट्स एजेंसी दी आ (थॉम्पसन को गुप्त पत्र), लाहौर, २४ फरवरी १९२४

बत्तीसवाँ अध्याय

कितने सिंह शहीद हुए ?

जैतो गोलीकाड म कितने सिंह शहीद हुए—इसका शायद कभी भी पता न लग सके। सरकार की अपनी खुफिया रिपोर्टों के अन्दाजे ठीक नही माने जा सकते। श्रोमणि कमेटी की पहली रिपोट म भी आकडे गलत दिये गये थे जो शहीदो व जख्मियों की सख्या कम बताती थी। पडित मदनमोहन मालवीय जी की स्पीच मे उल्लिखित आकडे सही मालूम होते हैं। उन्हें हम आगे दज कर रहे हैं।

२१ फरवरी के कत्लेआम के बाद २२ और २३ फरवरी को जो रिपोर्टें मिचल या एडमिनिस्ट्रेटर विल्सन ने ऊपर हिन्द सरकार को भेजी, उनम गोरखा के दस्ते की तरफ से गोलिया चलाने का कोई जिक्र नही था। २५ फरवरी की रिपोट मे बताया गया कि गोरखो ने ३५ राउड चलाये थे। लेफ्टीनेंट-कनल म्यूरहेड ने एक चिट्ठी लिख कर दी थी जिसमे दज था

'मैं बहुत अफसोस करता हू कि गलतफहमी के कारण मेरी पहली रिपोट सही नही थी।" दूसरे मेजर वल्ल किगले ने अफसोस प्रकट किया कि वह अपने कमाडिंग अफसर से यह नुक्ता साफ न कर सका कि—"मेरे हुक्म से ३५ राउड चलाये गये थे।" पहली रिपोट तो खुद कनल मिचल ने लिख कर भेजी थी। इसमे साफ जाहिर होता है कि अधाधुध गोलिया चलाने के बेरहम हुक्म दिये गये थे। बाहर अखबारो मे सरकार यह जाहिर कर रही थी कि जैतो म कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया गया।

यही नही। कुल कितने राउड चलाये गये इसकी भी सही सख्या नही मिलती। कहा यह जाता है कि कुछ कारतूस मिले नही थे। रिपोट म यह भी दज है कि जो कारतूस वापस किये गये थे वे किसी गिनती म शामिल नही किये गये, कुछ कारतूस अभी तक मिले नही गुम हो गये हैं।

२१ फरवरी को १४ मत अकाली उठाये गये। ३४ जख्मी हुए थे। बाद म और पाच ने दम तोड दिया। मतकों की सख्या १९ हो गयी और जख्मियो की २९। दो दिन बाद एक और जख्मी अकाली अस्पताल म दाखिल कराया गया। इस तरह जख्मियो की गिनती ३० हो गयी। यह निश्चित है

कि कुछ कम जख्मी लोग वहां से भी गये थे। इस किस्म के कुछ जख्मी फीरोजपुर में और कुछ फरीदकोट में मिले।'

इस रिपोर्ट को हिन्द सरकार के राजनीतिक और फिल्मी मन्त्री ने भी सही नहीं माना। उन्होंने इस हत्याकांड का मुकाबला १९१९ के जलियांवाला बाग के साथ किया। इस पर नाभा के एडमिनिस्ट्रेटर ने लिखा 'अमृतसर में १९१९ के (हत्याकांड—स) से मुकाबला बेमा है।"

राजनीतिक महकमे ने इसका जवाब दिया 'तुम्हारे २६ फरवरी के तार में मृतकों और जख्मियों की संख्या, मिस्टर-चान्द के पत्र को ध्यान में रखा जाए तो, बहुत कम है। अप्रैल १९१९ में अमृतसर में २० गोलियों के पीछे एक मौत का हिसाब था। जैतो में हिसाब है एक मौत पर २० गोलियां। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जनरल स्टाफ भी जांच कर रहा है।'

'जनरल स्टाफ और विचार करने के बाद, इस नतीजे पर पहुंचता है कि मर जाने वाले और जख्मियों की संख्या उससे ज्यादा है जितनी उम्मीद की जाती थी। हम अब ज्यादा पड़तालें करने के समर्थक नहीं हैं। एक चिट्ठी में जो अभी अभी मिली है ए जी जी (मिन्चिन) कहता है कि उसके ख्याल के मुताबिक यह सम्भव हो सकता है कि कुछ मृतकों और जख्मियों को लोग उठा कर ले गये हों। अगर तुम्हारे पास इस विषय में कोई भरोसा रखने वाली इत्तला हो तो कृपा करके रिपोर्ट दो।

"खबर मिली है कि ३ जख्मी जो फीरोजपुर ले जाये गये थे मर गये हैं। ३ कम जख्मियों को मोगा तहसील से पकड़ कर हिरासत में ले लिया गया है।"

यहां पहली बात यह जाहिर होती है कि नाभे का एडमिनिस्ट्रेटर जनरल स्टाफ और पोलिटिकल सेक्रेटरी को शहीदों और जख्मियों की संख्या जानबूझ कर कम बता रहा था। दूसरे हिन्द सरकार का जनरल स्टाफ जैतो कांड और जलियांवाले बाग की तुलना करता था क्योंकि दोनों जगहों पर बीस गोलियों के पीछे एक एक पंजाबी शहीद हुआ था। इसका अर्थ यह निकलता है कि जैतो में भी शहीदों की संख्या लगभग अमृतसर जितनी ही थी। तीसरे यह कि

१ हिन्द सरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी को नाभा एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा भेजा गया २७ फरवरी का तार
२ मिन्चिन का हिन्द सरकार को २७ फरवरी का तार
३ हिन्द सरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी का नाभा के एडमिनिस्ट्रेटर को २७ फरवरी का तार
४ मिन्चिन द्वारा २८ फरवरी को हिन्द सरकार को तार

जनरल स्टाफ ने नाभा के एडमिनिस्ट्रेटर को यह कह कर डाट पिलायी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जनरल स्टाफ भी जाच-पडताल करा रहा है। इन खबरो के अनुसार मौतो की सख्या बहुत ज्यादा थी। चौथे यह कि नाभे का एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर के अफसरो से जैतो मे हुई मौतो के बारे मे सच्चाई छिपाने का प्रयत्न कर रहा था।

जनरल स्टाफ ने और ज्यादा जाच पडताल न करने का क्यो फैसला किया—यह समझ मे आने वाली बात है। नीचे के अफसरो को गलतियो की सजा नही दी जाती थी। उनकी गलतिया माफ कर दी जाती थी। जैसा कि हम पीछे देख आये हैं उन्हे इनाम दिये जाते थे। पजाब सरकार ने जैतो के कत्लेआम पर अवाम के गुस्से को कम करने के इरादे से उर्दू, पजाबी और अग्रेजी मे हजारो की तादाद मे इश्तहार छाप कर बाटे। इनमे बताया गया था कि (क) अखड पाठ कभी एक मिनट के लिए भी बद नही किया गया, और (ख) गुरुद्वारा जैतो मे प्रवेश की पूर्ण मनाही नही थी (मतलब यह कि गिनती और वक्त की पाबदी की शर्तों के अनुसार गुरुद्वारे मे जाने की आज्ञा थी)।

१ गोली पहले किसने चलायी ?

हम पीछे देख आये हैं कि सरकार ने गुरुद्वारे मे जाने के लिए घेरा तोडने पर गोलिया चलाने का फैसला कर लिया था। जैतो के कत्लेआम को नाजायज करार देने के लिए विल्सन ने यह सरासर झूठ कहा था कि गोली पहले *जत्थे ने चलायी थी, जिसके जवाब मे फौज ने गोलिया चलायी।* यह बिल्कुल झूठ था—जिसकी पुष्टि सरकार की खुफिया रिपोर्टों से भी होती है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि जगह जगह तलाशिया लेने तथा टिब्बी साहब के अन्दर बाहर खोज करने के बावजूद न तो कोई बन्दूक निकली और न ही कोई पिस्तौल मिली। यहा तक कि शहीद हुए अकालियो के पास से कृपाण के सिवा और कुछ भी न मिल सका।

२ मिन्चन का बयान

सगत के पास न कोई बन्दूक थी और न पिस्तौल थी। मिन्चन के पहले बयान मे सिखो के पास हथियार होने का कही कोई जिक्र तक नहीं है। वे बिल्कुल पुरअमन और शान्तिमय थे। इस हकीकत और सच्चाई की गवाहिया कई आदमियो ने श्रोमणि कमेटी को दी। इनमे पुलिस के वे कर्मचारी भी शामिल थे जो वहा मौजूद थे। इनमे गोलिया चलाने वाले फौजी भी थे। उन्होने कसमे खाकर बताया कि न तो जत्थे के पास कोई हथियार थे और न उनमे शाति भग करने के कोई आसार थे। जत्थे ने गोली नही चलायी।

गोली चलाने की झूठ पहले ही गढ़ ली गयी थी। यह तथ्य गोरी जान सिंह मुहर्रिर, मेरी गुरुद्वारे पुलिस द्वारा पूरा के बयान के साथ प्रकट होता है।' इस हथौड़ा को झूठ और लोगों ने भी मोमिन कमेटी को बताया।

३ मि जिमंड का बयान

पर इस झूठ की तरदीद करती पाया गया बयान अमरीकी पत्रकार मि जिमंड का है जो जत्थे के साथ उस वक्त और उससे पहले था। उसने गा से महात्मा गांधी के नाम एक पत्र में लिखा था

"इसलिए मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं २० फरवरी को ७ बजे शाम से लेकर २१ फरवरी को दो बजे तक—जब जत्था और जत्थे के साथ जा रही भीड़ नाभे के इलाके में दाखिल हुए—इन्हें बड़े गौर से देखा था और मेरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी के मुताबिक जत्था और उसके साथ जा रही भीड़ हथियारबंद नहीं थे। उनका वतीरा पुरअमन और अनुशासनबद्ध था।"[1] (जोर मेरा)।

मिस्टर जिमंड अमरीका के प्रसिद्ध दैनिक पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रतिनिधि थे, वह एक आजाद और निष्पक्ष आदमी थे। उनको कोई तअस्सुब या किसी के साथ कोई लगाव नहीं था। वह जत्थे के साथ इसलिए गये थे कि सही हालात अपनी आंखों से देख सकें। डी सी लाहौर ने उनसे, बतौर असर, एक बयान भी लिया था जिसमें उन्होंने वही बयान दिया था जो ऊपर दिया गया है। यह और इसके अलावा बहुत कुछ इस पत्र में दर्ज है।

यह एक निष्पक्ष मनुष्य की गवाही है जिसे सच्ची बात कहने में कोई झिझक नहीं थी। इस गवाही के होते हुए और किसी बयान की जरूरत नहीं। जत्थे के पास न कोई बारूदी हथियार था और न ही आम भीड़ के पास कोई हथियार—तब इनके द्वारा गोली चलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जत्थे या भीड़ की तरफ से पहले गोली चलाने की बात मिस्टर विल्सन ने गढ़ी थी, ताकि वह अपने गुनाहों तथा जैतो के कत्लेआम पर परदा डाल सके।

४ जांच कमेटी की मांग

एक झूठ पर परदा डालने के लिए, कई दूसरी झूठी बातों की जरूरत पड़ती है। पंजाब सरकार ने ३ मार्च को एक एलान निकाला कि 'आठ ब्रिटिश

१ सम का फौरेंशियल पेपर्स आफ दि अकाली मूवमेंट प ४१, ४२, ४३ और इनके पहले तथा पीछे कुछ और गवाहियां

२ लंदन १९२४ दि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजस वर्शिप इन जैतो (एस जी पी सी पब्लिकेशन) से उद्धृत

अफसरा पर गोलिया चलायी गयी थीं।" इस झूठ के लिए रत्ती भर भी आधार नहीं था। 'अगर यह बात होती तो सरकार पहले बयान मे ही इसका जिक्र करने स कभी न चूकती या २६ फरवरी को असेंबली मे ही इसका जिक्र करती।" [1]श्री हुजूर को सम्भावित तौर पर पता होगा कि नाभा के एडमिनिस्ट्रेटर ने असेम्बली के दो मेम्बरो को, पजाब कौंसिल के दो मम्बरो को, प्रो गिडवानी डॉ किचलू और न्यूयॉर्क टाइम्स (अमरीका) के पत्रकार जिमड को, जो जतो के हालात आखो से देखने के लिए वहा गये थे, अन्दर जाने की इजाजत नहीं दी थी। असम्बली को जैतो की दुघटना के विषय मे बहस करने से रोक दिया गया था। होम मेम्बर ने काम रोको प्रस्ताव पर ऐतराज किया था। असेम्बली मे सरकारी बयान के मुताबिक गोलियो से १४ मरे थे और ३४ जख्मी हुए थे। इन जख्मियो मे से पाच और मर गये। गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी का अब तक का अन्दाजा ३०० से ज्यादा का है, जिनमे ६० हलाक होने वाले भी शामिल हैं। इतनी मौतो की फौरन जाच होनी चाहिए थी। १० दिन हुए असेम्बली के ४२ मेम्बरो ने हिन्द सरकार को एक मिली जुली चिट्ठी भेजी थी, जिसमे जल्दी-से जल्दी एक स्वतत्र जाच कमेटी कायम करने के लिए जोर दिया गया था। पजाब कौंसिल के सदस्यो ने भी काम रोको प्रस्ताव पेश किया था, जिसकी आज्ञा नहीं दी गयी थी। कौंसिल के ४० मेम्बरो ने कौंसिल से बाहर इकट्ठे होकर एक प्रस्ताव पास किया था जिसमे एक ऐसी जाच कमेटी कायम करने पर जोर दिया गया था जिस पर लोगो का विश्वास हो। पर सरकार ने कोई कमेटी कायम नहीं की।"[1]

सरदार गुलाब सिंह और सरदार करतार सिंह ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (लदन) को अपने तार मे यह भी लिखा था जत्थे के पास कोई हथियार नहीं थे, न ही जत्थे ने उस पुलिस या फौज पर हमला किया जो जत्थे को गुरुद्वारे के अन्दर जाने से रोकने के लिए तैनात की गयी थी। गुरुद्वारे के अन्दर जाने पर लगायी गयी पाबदी हटाओ और सिखो को गुरुद्वारे के अदर धार्मिक मकसदो के लिए जाने की आज्ञा दो। देर करने से बचैनी बढ रही है और सिखो को सरकार से दूर ले जा रही है, वगैरा।

लगता है इस तार का सेक्रेटरी आफ स्टेट लॉर्ड ओलीवियर (लदन) ने कोई जवाब नहीं दिया। पजाब कौंसिल के मेम्बरो की दरखास्त का उसने जवाब यह दिया कि जो विचार उसने २५ फरवरी को हाउस आफ लार्ड्स मे प्रकट किये थे, वह उनमे कोई तब्दीली नहीं करना चाहता।

१ सरदार गुलाब सिंह एम एल ए और सरदार करतार सिंह एम एल ए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (लदन) को तार ११ मार्च १९२४

गोली चलाने की झूठ पहले ही गढ़ ली गयी थी। यह तथ्य साठी जगत सिंह मुहर्रिर, पनी सुपरिंटेंडेंट पुलिस जिला पून, के बयान से साफ प्रगट होता है।' इस हकीकत को मुख्य और साथ ने भी शिरोमणि कमेटी को बताया।

३ मि जिमड का बयान

पर इस झूठ की तरदीद करने वाला एक बयान अमरीकी पत्रकार मि जिमड का है जो जत्थे के साथ उस वक्त और उससे पहले था। उसने सन्त से महात्मा गाधी के नाम एक पत्र में लिखा था

'इसलिए मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मैं २० फरवरी को ७ बजे शाम से लेकर २१ फरवरी को दो बजे तक—जब जत्था और जत्थे के साथ जा रही भीड नाभे के इलाके में दाखिल हुए—इन्हें बड़े गौर से देखा था और मेरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी के मुताबिक जत्था और उसके साथ जा रही भीड हथियारबन्द नहीं थे। उनका तरीका पुरअमन और अनुशासन बद्ध था।'' (जोर मेरा)।

मिस्टर जिमड अमरीका के प्रसिद्ध दैनिक पत्र न्यूयार्क टाइम्स के प्रतिनिधि थे वह एक आजाद और निष्पक्ष आदमी थे। उनको कोई तअस्सुब या किसी के साथ कोई लगाव नही था। वह जत्थे के साथ इसलिए गये थे कि सही हालात अपनी आखो से देख सकें। डी सी लाहौर ने उनसे, कसम लेकर, एक बयान भी लिया था जिसमे उन्होंने वही बयान दिया था जो ऊपर दिया गया है। यह और इसके अलावा बहुत कुछ इस पत्र मे दर्ज है।

यह एक निष्पक्ष मनुष्य की गवाही है जिसे सच्ची बात कहने से कोई झिझक नही थी। इस गवाही के होते हुए और किसी बयान की जरूरत नही। जत्थे के पास न कोई बारूदी हथियार था और न ही आम भीड के पास कोई हथियार—तब इनके द्वारा गोली चलाने का कोई सवाल ही पैदा नही होता था। जत्थे या भीड की तरफ से पहले गोली चलाने की बात मिस्टर विलसन ने गढी थी, ताकि वह अपने गुनाहो तथा जैतो के कत्लेआम पर परदा डाल सके।

४ जांच कमेटी की माग

एक झूठ पर परदा डालने के लिए, कई दूसरी झूठी बातो की जरूरत पडती है। पजाब सरकार ने ३ मार्च को एक एलान निकाला कि "आठ ब्रिटिश

१ एस० क० कोंफिडेन्शियल पेपर्स ऑफ दि अकाली मूवमेंट प ४१, ४२, ४३ और इनके पहले तथा पीछे कुछ और गवाहियां

२ लदन, १९२४ दि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजस वर्शिप इन जैतो (एस जी पी सी पब्लिकेशन) से उद्धृत

जत्थे पर गोलिया चलायी गयी थी।" इस झूठ के लिए रत्ती भर भी आधार नही था। "अगर यह बात होती तो सरकार पहले बयान मे ही इसका जिक्र करने से कभी न चूकती या २६ फरवरी को असेंबली मे ही इसका जिक्र करती।' "श्री हुजूर को सम्भावित तौर पर पता होगा कि नाभा के एडमिनिस्ट्रेटर ने असेम्बली के दो मेम्बरो को, पजाब कौंसिल के दो मेम्बरो को, प्रो गिडवानी, डा किचलू और 'न्यूयार्क टाइम्स (अमरीका) के पत्रकार जिमड को, जो जैतो के हालात आखो से देखने के लिए वहा गये थे, अन्दर जाने की इजाजत नही दी थी। असेम्बली को जतो की दुघटना के विषय मे बहस करने से रोक दिया गया था। होम मेम्बर ने काम रोको प्रस्ताव पर ऐतराज किया था। असेम्बली मे सरकारी बयान के मुताबिक गोलियो से १४ मरे थे और ३४ जख्मी हुए थे। इन जख्मियो मे से पाच और मर गये। गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी का अब तक का अन्दाजा ३०० से ज्यादा का है, जिनमे ६० हलाक होने वाले भी शामिल हैं। इतनी मौतों की फौरन जाच होनी चाहिए थी। १० दिन हुए असेम्बली के ४२ मेम्बरो ने हिंद सरकार को एक मिली-जुली चिट्ठी भेजी थी, जिसमे जल्दी-से-जल्दी एक स्वतत्र जाच कमेटी कायम करने के लिए जोर दिया गया था। पजाब कौंसिल के सदस्यो ने भी काम रोको प्रस्ताव पेश किया था जिसकी आज्ञा नही दी गयी थी। कौंसिल के ४० मेम्बरो ने कौंसिल से बाहर इकट्ठे होकर एक प्रस्ताव पास किया था जिसमे एक ऐसी जाच कमेटी कायम करने पर जोर दिया गया था, जिस पर लोगो का विश्वास हो। पर सरकार ने कोई कमेटी कायम नही की।"[1]

सरदार गुलाब सिंह और सरदार करतार सिंह ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (लदन) को अपने तार मे यह भी लिखा था जत्थे के पास कोई हथियार नही थे, न ही जत्थे ने उस पुलिस या फौज पर हमला किया जो जत्थे को गुरुद्वारे के अन्दर जाने से रोकने के लिए तैनात की गयी थी। गुरुद्वारे के अन्दर जाने पर लगायी गयी पाबदी हटाओ और सिखो को गुरुद्वारे के अदर धार्मिक मकसदो के लिए जाने की आज्ञा दो। देर करने से बेचैनी बढ़ रही है और सिखो को सरकार से दूर ले जा रही है, वगैरा।

लगता है इस तार का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड ओलीवियर (लन्दन) ने कोई जवाब नही दिया। पजाब कौंसिल के मेम्बरों की दरख्वास्त का दमन जवाब यह दिया कि जो विचार उसने २५ फरवरी को हाउस आफ लार्ड्स मे प्रकट किये थे, वह उनमे कोई तब्दीली नही करना चाहता।

१ सरदार गुलाब सिंह एम एल ए और सरदार करतार सिंह एम एल ए, का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (लदन) को तार १२ मार्च १९२४

हाउस आफ लार्ड स मे उसने जैतो के हत्याकाड के बारे म अपने बयान म कहा था

"खुद यात्री गुरुद्वारे की तरफ आगे बढते चले गये और ६००० के जत्थे ने उस पुलिस और फौज पर गोली चला दी जो गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार के सामने खडी थी। परिणामत यह दुखद घटना घटित हुई—जिसम रियासत की फौज और पुलिस को बेगुनाह और धार्मिक विचारो के लोगो पर गोली चलानी पडी। इन्ह एक छोटी सी इकलाबी कमेटी ने भडकाया था।"

और, उसने यह भी कहा कि यह हत्याकाड जानबूझ कर रचा गया था "ताकि सिखो और सरकार के बीच झगडा पैदा किया जाय, यह कहा जा सके कि ब्रिटिश हाकिम अमृतसर जैसा हत्याकाड रचाने के इच्छुक थे और सच्चे धार्मिक सिखो को गोलियो से भून देना चाहते थे। बहाना यह गढा गया कि महराजा नाभा को गद्दी से उतार दिया गया है।"[1]

किन्तु खुफिया चिट्ठी म उसने लिखा है कि हिन्द सरकार के २२ फरवरी के एलान मे सुझाव दिया गया था कि जैतो मे गोली पहले अकालियो की तरफ से चलायी गयी। पर इस बयान के दुरुस्त होने पर मिस्टर विलसन जानसटन के २५ फरवरी के तार ने शक पैदा कर दिया। सिख मजिस्ट्रेट ने, जिसने इस मामले की जाच की, इस सवाल को खुला रहने दिया। बदकिस्मती से इस केस मे यह घटना घटी कि हाउस आफ लार्ड स म जो बयान उसने दिया वह एलान पर आधारित था। इस तरह उसने अपने को अस्पष्टता के दोष के खतरे मे डाला।[2]

इस चालाकी भरे वाक्य की रचना देखिए। गलती को सीधी तरह गलती नही माना गया—यह अग्रेज हाकिमो की विशेषता थी। यदि किसी मातहत अफसर की नुक्ताचीनी करनी होती थी तो वह भी खुफिया मिसलो म ही की जाती थी। झूठी प्रतिष्ठा का भूत उनके सिर पर हमेशा सवार रहता था।

५ प मदन मोहन मालवीय का बयान

जैतो के कत्लेआम के पाच दिन बाद २६ फरवरी को मालवीय जी ने लेजिस्लेटिव असेम्बली दिल्ली म इस हत्याकाड के बारे म सब तथ्यो का विस्तार वर्णन किया। उन्होने हिन्द सरकार पर आरोप लगाया कि उसने नाभा

१ हा० ग आफ लॉर्ड स—डिबेटस आन इंडियन एफेयस १३ फरवरी से १६ नवम्बर १९२३ तक पृ २८ २९

२ इंडिया ऑफिस व्हाइट हाल लन्दन (२८ जुलाई १९२४) की ओर से सेक्रेटरी गवनमेंट ऑफ इंडिया, होम डिपार्टमेंट को

एडमिनिस्ट्रेटर को खुली छूट दे दी थी कि वह फौज जमा करे, तथा पैदल और घुडसवार सैनिको को इकट्ठा करे। किस लिए ? इसलिए कि वे गुरुद्वार को जाने वालो का मुकाबला करें मुझे उन लोगो म जो उस मौके पर हाजिर थे यह सूचना मिली है कि सारा दश्य एक सभ्य सरकार के लिए बेशर्मी भरा था। वे लोग—जो निहत्थे थे जिन्होंने अहिंसा की कसम खा रखी थी जो कई महीनो से गुरुद्वारे जाते थे और जिन्होंने अहिंसा का कभी भी उल्लघन नही किया था, जो उसी बहादुरी के साथ मुसीबतें बर्दाश्त करते थे जिस बहादुरी से उन्होने (अग्रेज) बादशाह के दुश्मनो के खिलाफ लडाई लडी थी—वे ही लोग वहा थे। इन आदमियों पर गोलिया चलायी गयी। पहला एलान जो प्रकाशित किया गया यह था कि गोली उन लोगो द्वारा चलायी गयी जो वहा गये थे। जो कुछ भी मैं अब तक सुन चुका हू उसे झूठी बात मानता हू, और मैं यकीन करता हू कि जब पूर्ण जाच की जायगी तो यह झूठ साबित होगी। जत्थे के पास गोलिया चलाने वाले कोई हथियार नही थे। आम भीड के पास भी कोई हथियार नही थे। अब तक किसी ने नही कहा कि सरकार का कोई आदमी जख्मी हुआ है—जबकि सारी फौज वहा मौजूद थी। किसी ने भी वहा ऐसे किसी आदमी को नही देखा जिसके पास कोई हथियार हो। पहले यह कहा गया कि जत्थे का कोई आदमी नही मरा, अब यह बयान दिया जाता है कि जत्थे के चार आदमी मारे गये हैं। जो रिपोर्ट मैंने उन आदमियो से सुनी जो वहा मौजूद थे—उससे पता चलता है कि जत्थे के कम से कम २१ आदमी मर गये थे और १५० जख्मी हुए थे। मुझे यह भी बताया गया है कि कुल एक सौ से डेढ सौ तक के बीच आदमी मौके पर ही, गोलियो का शिकार बनाये गये थे। उनमे से कुछ को जला दिया गया कुछ को जमीन मे गाड या दबा दिया गया कुछ अन्य दूर अनजानी जगहो पर भेज दिए गये। इसकी गभीर जाच होनी चाहिए।[1]

हेली जब इस दुखद घटना पर जवाब म, बयान दे रहा था तो श्री विपिनचन्द्र पाल ने पूछा आप ने जत्थे के मारे जाने वाले लोगो और जख्मियो की सख्या ता दी है। क्या आपको दूसरी तरफ के जख्मियो और मारे जाने वालो के बारे मे भी कुछ जानकारी है ?

हेली अब तक जो रेकार्ड मिला है—बताता है बन्दूक का एक जख्म।

पडित श्यामलाल नेहरू कौन है वह आदमी ? क्या वह फौजी है ?

हेली वह देहातियो म स एक है।

पडित श्यामलाल नेहरू श्रीमान ने अपने बयान म भीड द्वारा बार-बार

1 २६ फरवरी को मालवीय जी का असेंबली म बयान, डिबेट्स, पृ ९७१

गोली चलाये जाने का जिक्र किया है। क्या भीड़ के बार-बार गोली चलाने का यही नतीजा निकला ?

हेली गोलियां ठीक निशानों पर नहीं बैठी होंगी। (हंसी)।

शेख सादिक हसन देहातियों को सरकारी पुलिस के पास खड़ा होने की क्यों इजाजत दी गयी ?

हेली देहाती अपने आप आगे बढ़ रहे थे ।[1]

६ जैतो—पार्लियामेन्ट मे

जैतो कत्लेआम के बारे में लंदन की पार्लियामेंट मे सवाल उठाये गये। दीवान चमनलाल ने मिस्टर लंसबरी (लेबर एम पी) को इस बारे में एक तार भेजा था जिसमे उन्होंने लिखा था यद्यपि जत्था और उसके साथ की भीड़ बिल्कुल निहत्थी थी फिर भी बेगुनाह लोगों और दर्शकों का बेवजह कत्लेआम किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (लॉर्ड ओलीवियर) को झूठी इत्तला दी गयी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह कभी नहीं कहा कि जत्थे या भीड़ से एक भी बंदूक या पिस्तौल पकड़ी गयी जिससे आखिरी तौर पर साबित हो जाता है कि मुहैया की गयी इत्तला बिलकुल झूठी थी।

मिस्टर लंसबरी ने जैतो के मामले पर एक काम रोको प्रस्ताव पेश किया—जिसमें मुख्य सवाल जैतो के कत्लेआम की जांच का उठाया गया था। अपनी तकरीर में मिस्टर लंसबरी ने कहा मुझे अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट मिस्टर रिचर्ड्स ने बताया है कि इकट्ठे हुए लोगों के पास हथियार थे। नतीजे के तौर पर उनमें से २१ मर गये और ३३ जख्मी हो गये। मैं यकीन करता हूं कि ७०० इस वक्त जेल में हैं। पर अद्भुत बात यह है कि हमें बताया जाता है कि लोगों की बड़ी भीड़ थी। वह पुलिस के घेरे में थी, लेकिन एक भी फौजी या सिपाही को नाममात्र की चोट नहीं लगी ? यह बात खुद अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट ने मुझे बतायी कि हमारी तरफ से किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। फिर भी २१ आदमी मारे गये और ३३ जख्मी हुए।' इस प्रसंग में उसने मांग की कि वायसराय इस घटना की पूर्ण और निष्पक्ष जांच' करायें ताकि हिंदुस्तानियों के हृदय से यह बात निकाल दी जाय कि हिंदुस्तानियों की जिंदगी बड़ी सस्ती है। हिंदुस्तानियों के मन में यह अहसास पैदा करना चाहिए कि और तो और ब्रिटिश पार्लियामेंट गरीब से गरीब हिन्दुस्तानी की जिन्दगी की भी कद्र करती है।[2]

१ असेम्बली की पिछली कार्यवाही, पृ ९८९

२ हाउस ऑफ कॉमन्स, डिबेट्स आन इंडियन अफेयर्स ११ मार्च १९२४, (पृ ६७-७०)

पूण और निष्पक्ष जाच का सवाल मिस्टर स्नैल एम पी ने भी उठाया। उसने कहा कि सरकारी और गर-सरकारी मेम्बरो मे जैतो के कत्लेआम के बारे म बहुत मतभेद हैं—जैसा कि दिल्ली के ४१ असेम्बली मेम्बरो की चिट्ठी से जाहिर होता है। किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जाच, आम जनता की तसल्ली नहीं कर सकेगी। इसलिए सावजनिक जाच करायी जाय। मिस्टर लसबरी ने भी एक बार फिर जाच का सवाल उठाया।

मि रिचड स (अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट) का जवाब हिंद के नौकरशाही जैसा ही रूखा था। उसने कहा पूण तथ्य जानने के लिए गवनमट सभी जरूरी कदम उठायेगी—अगर उसके पास यह सोचने का कारण होगा कि वे (तथ्य) पहले ही हासिल नही किये गये है। हमे कोई सुझाव देने की जरूरत नही।

इससे पहले लदन के हुक्मराना को अपने हिंदुस्तानी हाकिमो की काली करतूता का पता लग चुका था। मिस्टर जिमड का बयान उनके पास था। मि मिचन का यह बयान कि हम भीड के साथ साथ जा रहे थे और विलसन का यह बयान कि भीड हमारा पीछा कर रही थी—दोनो परस्पर विरोधी बयान थे। जनरल स्टाफ और विलसन के बीच हुआ पत्र व्यवहार भी उनके पास था। इसलिए उन्हें हकीकत का पता लग चुका था। वे जानते थे कि सावजनिक जाच करवायी गयी तो विलसन की झूठ का सारा ताना बाना तार तार हो जायगा। इसलिए, सावजनिक जाच के लिए जबदस्त कारण होने के बावजूद, उन्होने निष्पक्ष सावजनिक जाच की माग ठुकरा दी। उन्होने इस कत्लेआम पर पोचा फेरने के यत्न शुरू कर दिये।

७ सच्चाई पर परदा डालने का प्रयत्न

सच्चाई पर परदा डालने की हाकिमो के पास कई तरकीबें थी। इस किस्म की कातिलाना करतूता पर परदा डालने के लिए उन्होने कई मुर्दा जमीर देशघातक पिट्ठू रखे हुए थे, जो अपने निजी स्वार्थों और ओहदो की खातिर मुल्क का बचने के लिए तैयार रहते थे। इनकी वफादारी को हाकिमा ने बार-बार आजमाया हुआ था और वे जानते थे कि जिस जगह और जिस बयान पर वे कहेंगे—ये भलेमानस दस्तखत कर देंगे।

पहले जत्थे के गिरफ्तार अकालियो पर मुकदमा चलाया गया। इस किस्म के कामो के लिए ब्रिटिश अफसर लाला अमरनाथ मजिस्ट्रेट का इस्तेमाल करते थे। इस आदमी के साथ हमारी जान पहचान पहले हो चुकी है। यह शख्स जिस काम के लिए अमृतसर से जैतो भेजा गया था, वह इसने पूरा कर दिखाया। मुकदमे म दो ही मुख्य बातें थी (१) जत्थे या भीड के पास

हथियार थे या नही ? और, (२) हथियार पहले किसने इस्तेमाल किये ? लाला अमरनाथ ने जो फसला लिखा उसम लिखत मे बयाना को सच्चा और और सही ठहराया गया था। उसने फैसले म लिखा कि लोगो के पास हथियार भी थे और गोली भी पहले भीड न ही चलायी थी। उसके शब्द थे "मैं इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुचा हू कि गोली पहल भीड की तरफ से ही चलायी गयी थी।'

पोलिटिकल सेक्रेटरी, मि थॉम्पसन बहुत जोर दे रहा था कि यह खबर सेक्रेटरी आफ स्टेट (लदन) को पहुचा दी जाय कि जिस मजिस्ट्रेट न नाभा के अकालियो का मुकदमा सुना है उसने अपनी पक्की राय दी है कि गोली पहले अकालियो की तरफ से चलायी गयी थी। पर साथ ही, उसने यह भी लिखा कि २२ फरवरी को होम सेक्रेटारियट का तार उस एलान के मुताबिक नहीं था जो उसी दिन जारी किया गया था। यही नही, उसने कनल मिचल स भी—जो मौके पर हाजिर था—जाच पडताल की थी। वह इस बात पर अडा था कि गोली पहले भीड की तरफ स चलायी गयी थी। साथ ही, उसने स्वीकार किया कि यही एक मात्र तथ्य नही था जिसके कारण हमारे आदमियो की तरफ से गोली चलाने की जरूरत पडी। मसविदे के पहले शब्द यह सुझाते हैं कि हमारे आदमियो न इसलिए गोली चलायी क्योकि भीड ने गोली चलायी थी। इस भावना को दूर करने के लिए इसकी तरमीम की गयी।'[1]

साफ जाहिर है कि भीड द्वारा गोली चलाने की कहानी बे-बुनियाद और मनगढत थी। पर यह अदरखाने की गुप्त बात थी। बाहर इस झूठ को छिपाने के लिए इस हत्याकाड की जाच का काम एक तथाकथित सिख बलवत सिंह नलवा पी सी एस, को सौंपा गया। कारण यह कि एक सिख जज द्वारा की गयी जाच सिखो को गुमराह करने और धोखा देने मे ज्यादा कारगर हो सकती थी। पर इस बलवत सिंह नलवे की नियुक्ति को और किसी सिख की हिमायत तो क्या चीफ खालसा दीवान तक की हिमायत हासिल नही हो सकी।

चीफ खालसा दीवान की कार्यकारिणी समिति न २६ ३० माच १९२४ की बैठक म जैतो हत्याकाड के बारे मे कुछ प्रस्ताव पास किये। एक प्रस्ताव इस प्रकार था दीवान न तो एक अकेले जज बलवत सिंह की नियुक्ति स ही सतुष्ट है और न जाच के नतीजे से ही। दीवान सरकार से प्रार्थना करता है कि वह एक प्रतिनिधित्वपूर्ण और स्वतत्र जाच कमेटी कायम करे। पर गवनमेंट ने न तो सरकारपरस्त चीफ खालसा दीवान की विनती स्वीकार की और न अवाम के प्रतिनिधियो—असम्बली और पजाब कौसिल के मेम्बरो—की एक निष्पक्ष

१ थाम्पसन ६ ६ १९२४ (कान्फीडेंशियल)

जाच कमेटी की माग को स्वीकार किया। सरकार तो अपने झूठे बयानो को सही साबित करने पर तुली हुई थी। आम लोगा की माग को स्वीकार करने का अथ था—सरकार की झूठ का नगा हाना। इसलिए सरकार ने लोगो की एक भी बात न सुनी और बलवत सिंह को अपने हक म फैसला देन के लिए नियुक्त कर दिया। पर उसने इस तथ्य के बारे म कोई फैसला ही न दिया कि गोली पहले भीड की तरफ से चलायी गयी थी या रियासती हाकिमा की तरफ से।[1]

बलवत सिंह भी लाला अमरनाथ जैसा ही था। पजाब सरकार ने विशेष तौर पर ढूढ कर इसे जतो हत्याकाड की जाच के लिए भेजा था। इसका विल्सन के साथ उस वक्त स ही सम्बध था जब विल्सन पजाब का चीफ सक्रेटरी था। विल्सन ने अपने एक पत्र मे उसके बारे मे लिखा था

" इस समय मैं सरदार बलवत सिंह को मजिस्ट्रेट के तौर पर उन अपराधिया के बयान लिखन के लिए इस्तेमाल कर रहा हू जो अपन बयान सिफ उस मजिस्ट्रेट के सामने देने को तैयार हैं जो रियासत का मुलाजिम न हो। **इसलिए मैं माग करता हू कि सरदार बलवत सिंह की सेवाए—इस जांच के खत्म होने के बाद रियासत के हवाले कर दी जायें।**" (जोर मेरा)।

इस हवाले से साफ सिद्ध हो जाता है कि बलवत सिंह विल्सन का आदमी था। विल्सन उसे अपना उल्लू सीधा करन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। रिश्वत के तौर पर उस और तरक्की देकर वह उसे नाभा रियासत म ही रखना चाहता था। इसलिए यह एक तरह से पूव निश्चित बात थी कि बलवत सिंह जैतो गोलीकाड के बारे मे मि विल्सन के बयानो की ही तस्दीक करेगा।

पर उसने विल्सन की अधूरी ही तस्दीक की। उसने अपने फसले म जत्थे के सिर पर यह कसूर थोपा "मेरा मत यह है कि जत्थे के पास कुछ बदूकें थी और उसने उन्ह ठीक मौके पर इस्तेमाल किया। अकाली पूणत हिंसात्मक हो उठे सही सूझबूझ वाले आदमी के सामने गोली चलाने के अलावा दूसरा काई चारा नही था। मर जाने वालो और जख्मियों की अल्पसख्या मुझे यह नतीजा निकालने म सहायक होती है कि **इस्तेमाल की गयी ताकत कम से कम थी और गोली बडी किफायत से चलायी गयी थी।**' (जोर मेरा)।

उसने इस बात पर जोर दिया कि उनके साथ 'दुर्ली जत्था (आतकवादी जत्था) था जिसम ढर सारे बदमाश और मार धाड करने वाले आदमी मौजूद थे। वे खुल्लमखुल्ला अपने इस इराद का इजहार कर रहे थे कि जो कोई शहीदी जत्थे को रोकेगा उसके खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जायगी, वगैरा-

१ इडिया इन १९२३ २४ परिशिष्ट ७, पृ ३२५ तथा आगे

वगैरा। नलवे ने ५६ लोगों के बयान लिये जिनमें भारी सख्या सरकारी अफसरो, पुलिसवालो और फौजिया की थी। इनके अलावा कुछ धनासेठ, नाभे के कुछ देहाती और शहीदी जत्थे के कुछ अकाली मम्बर" थ।[1]

यह फैसला पढ़ कर सेक्रेटरी आफ स्टेट का कुछ हौसला बढ़ा था। पर उसे इस बात का, एक तरह, अफसोस हुआ कि फैसले म यह बात नही लिखी गयी थी कि गोली पहले भीड ने ही चलायी थी।

इस फैसले से पहले मिन्चन ने हिन्द सरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमे उसने कहा था "उनकी तरफ से मिस्र देहातियो को कुछ अकालियो को लाने के लिए भेजा गया था जो गुरुद्वारा टिब्बी साहब म रह गये थे। १७० आदमियो और ५ स्त्रियो को हिरासत मे ले लिया गया। उनके पास लाठिया, बर्छे और टकुवे थे। बन्दूकें नही मिली। पर इन्हे भीड ने उस वक्त जब अकालियो को घुडसवार फौज ने तितर बितर किया, इधर उधर कर दिया, या छिपा दिया।"[2]

यह भ्रष्ट बुद्धि की समझदारी थी। उस वक्त गोलियों की वर्षा में लोगो को जान बचाने की फिक्र थी या हथियारा को छिपाने और इधर-उधर करने की? झूठ पर परदा डालने के लिए कभी भी दुरुस्त और सही दलीलें नही मिली। सम्भव है कि बर्छे टकुवे वगरा भी अफसरो ने अपनी तरफ से ही डाल दिये हो।

पर बलवत सिंह नलव ने तो सरकारी वफादारी की हद ही कर दी। उसने जैतो के गोलीकाड मे अकालिया द्वारा बदूकें इस्तेमाल किये जाने की बात फैसले मे लिख दी। इन नलवो और अमरनाथो के इस किस्म के फैसलो के सम्बध मे ही मालवीय जी ने असेम्बली म अपने भाषण म कहा था 'उन्हें (अवाम को) इसाफ की भ्रष्टता इसाफ की असफलता, की इतनी मिसालो का सामना करना पडा है कि उन्हे मुआफ *किया जाय अगर उनका विश्वास* कानूनी अदालता स उठ गया है।"

यह है अंग्रेज अफसरो द्वारा, जैतो हत्याकाड मे, झूठ को सच बनाने के प्रयत्नो की कहानी। झूठ की जजीर से हमेशा कई छल्ले टूट जाते हैं और वह निकम्मी होकर किसी काम की नही रह जाती।

१ इडिया—१९२४ परिशिष्ट ६ ३ १९२४
२ कनल मिन्चन द्वारा लाहौर से २६ फरवरी १९२४ को सेक्रेटरी, गवनमट ऑफ इडिया (दिल्ली), को भेजा गया पत्र

८ उकसावे भरे सरकारी हुक्म

पहले शहीदी जत्थे के जैतो पहुचने पर प्रो गिडवनी और डॉ किचलू को जैतो जाने पर पकड लिया गया था। उन पर लगभग आधा दजन सगीन से सगीन धारायें लगा दी गयी थी। उन पर मुकदमे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ने फीरोजपुर के प्लीडर ला दुर्गादास को बुलाया। जरा सोचिए—उसी एडमिनिस्ट्रेटर ने केंद्रीय सरकार से सिफारिश की कि मुलजिमो के डिफेंस के लिए बाहर के किसी वकील को लाने की इजाजत न दी जाय। "पुरानी परम्परा कायम रहनी चाहिए, इसलिए बाहर के वकीलो के आने पर पाबदी लगा दो।"[1]

इस बात का पहले ही सब प्रबन्ध कर लिया गया था कि नाभा रियासत मे जो भी उपद्रव और अत्याचार किये जायें, उनकी कोई खबर बाहर न निकलने दी जाय। गवनर (पजाब) ने इस मसले पर अपनी यह राय बहुत सोच-समझ कर दी थी कि जत्थे को ब्रिटिश हिदुस्तान (पजाब) म ही रोका जाय या जैतो जाने दिया जाय। वह इस नतीजे पर पहुचा था कि जत्थे को जतो पहुचने देने मे ज्यादा लाभ है।

'अगर जत्थे को बल प्रयोग द्वारा (ब्रिटिश पजाब मे) तितर बितर किया जाता है तो पुराना अनुभव यह बताता है कि सारे हिदुस्तान के राजनीतिज्ञो और प्रोपेगडा एजेंटो के उस स्थान की ओर दौड पडने की सभावना है। इस तरह के आदमियो को एक्जीक्यूटिव हुक्म के द्वारा रियासती इलाके मे प्रवेश करने से रोका जा सकता है। लेकिन यह बात अगर आम तौर पर असम्भव नही तो अत्यन्त कठिन होगी कि ब्रिटिश हिदुस्तान मे उनकी सरगर्मिया को कट्रोल किया जा सके।"

"अगर तितर बितर करने या गिरफ्तारिया का काम बडे पमाने पर होता है तो इस पर बहस करने की सभावना न स्थानीय कौंसिल मे पदा होती है और न लेजिस्लेटिव असेम्बली मे।'

'गिरफ्तार किये गये मुलजिमो का मुकदमा ब्रिटिश इडिया के मुकाबले नाभा क्षेत्र म ज्यादा जल्दी खत्म किया जा सकता है क्योकि पजाब म वकीलो की हाजिरी अपीलें, फिर मुकदमा सुनने की दरखास्तें—मुकदमे को अनिश्चित समय तक लम्बा करने का कारण बन सकती हैं।"

१ ए जी जी पजाब स्टेट का पोलिटिकल सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इडिया, को पत्र न ३२४ आर २८ फरवरी १९२८

"जैतो के मोर्चे की जगह अकालियों के लिए अमृतसर के पास की जगह से कम निकट और ज्यादा खर्च वाली है," वगैरा।[1]

ये थी वे दलीलें जो अकाली लहर को सदैव के लिए समाप्त करने के वास्ते बहुत सोच-समझ कर गढ़ी गयी थी। नाभा में विल्सन की फासिस्ट डिक्टेटरशिप का अत्यधिक भयानक रूप कायम था। उसको गवर्नर और वायसराय की पूर्ण हिमायत की शह मिल रही थी। इन्ही विचारों के मातहत अकालियों के लिए बाहर से हर तरह की सहायता रोक दी गयी थी। जैतो में खुल कर अकालियो के खून से होली खेली गयी थी।

●

1. रेकर्ड पंजाब सिविल सेक्रेटारियट (लाहौर) का फौरार, सेक्रेटरी इंडिया होम, दिल्ली ... २४ २ १९२४

तेंतीसवां अध्याय

समझौते के प्रयत्न

१ जनरल बर्डवुड के निरर्थक प्रयास

अकाली तहरीक के सारे इतिहास मे तसद्दुद-समझौता-तसद्दुद का एक चक्र-सा चलता रहा। यह बात हर मोर्चे के दौरान, या आगे-पीछे साफ नजर आती है। एक तरफ जतो म निहत्ये अकालियो को गोलियो से भूना गया था, हजारो अकाली जेलो म पडे सड रहे थे, सरकार का तख्ता उलटने की साजिश का अकाली लीडरो पर मुकदमा चलाया जा रहा था, शिरोमणि कमेटी और अकाली दल गैर-कानूनी यानी बागी जत्थेबन्दियां करार दी जा चुकी थी, भरपूर तशद्दुद और जुल्म का दौर चल रहा था, दूसरी तरफ सरकार द्वारा खुफिया एजेंट ढूढे जा रहे थे जो जेलो मे जा कर या बाहर के लीडरो से मिल कर उनके साथ समझौते की शर्तों के बारे में बातचीत करें ताकि सरकार की इच्छा के मुताबिक समझौते का कोई रास्ता ढूढा जा सके।

गवनर मैक्लगन की गवनरी की मियाद खत्म होने वाली थी। दिल्ली असेम्बली और पजाब कौंसिल के मेम्बरो ने बार-बार सवाल उठाये थे कि सिखों के मसलो के हल के लिए जाच-कमेटी बनायी जाय और उनकी मांगों का कोई हल ढूढा जाय। जैतो के हत्याकाड के बाद सरकार ने बडवुड की प्रधानता मे एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। उसमे गुरद्वारा सुधार के मसले पर विचार करने और अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए कहा गया।

जनरल बडवुड को सिखो के हमदर्द के तौर पर पेश किया गया और प्रचार किया गया कि अब सिखो के गुरद्वारा सुधार का मसला निबट जायगा, अंग्रेज हाकिमो और सिखो के बीच फिर पुरानी दोस्ती बहाल हो जायगी और सब गलतफहमियां दूर हो जायेंगी, वगैर-वगैरा।

इस वक्त अंग्रेज हुक्मरान बुरी तरह हीनभावना के शिकार थे। कुंजियो और गुरु के बाग की जीतों ने उनमे यह अहसास पैदा कर दिया था कि अकाली हर दफा जीत का प्रचार करके अपनी जत्थेबन्दी मजबूत करते जा रहे हैं और सरकारी हामियो को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब, अब

इस किस्म की कोई बात नहीं की जाय जिससे अकाली यह ढिंढोरा पीट सकें कि वे फिर जीत गये हैं और गवनमेंट को भारी मात खानी पडी है।

एक तरफ सरकार की तरफ से समझौते की बातचीत की तैयारियां हो रही थी, दूसरी तरफ पांच सौ का दूसरा शहीदी जत्था—पूर्व निश्चित प्रोग्राम के अनुसार—देहातों से गुजरता अखंड पाठ करने और गुरुद्वारों मे पूजा-पाठ का हक बहाल करने के लिए जैतो की तरफ बढ रहा था। बिचौलियो के जरिये समझौते की बातें भी चल रही थी, उधर जैतो का मोर्चा भी चल रहा था। शिरोमणि कमेटी की—उस वक्त उसका नेता कोई भी हो—आम पालिसी यह थी कि बातचीत का कोई मौका हाथ से न जाने दिया जाय, गुरुद्वारा से अंग्रेज हाकिमो का दखल समझौते से ही खत्म किया जा सकेगा—और किसी तरह नहीं। शिरोमणि कमेटी गुरुद्वारो को सिखो के प्रबंध के अधीन लाने के लिए लड रही थी कौमी आजादी हासिल करने के लिए नही।

नाभे का सवाल हाथ में लेने के कारण मामला बहुत उलझ गया था। वैसे तो गवनमेंट शुरु से ही गुरुद्वारा लहर को राजनीतिक लहर कह कह कर बदनाम कर रही थी पर शिरोमणि कमेटी के जवाबी प्रचार के सामने गवनमेंट की कोई नही चल रही थी। लोग कमेटी के एलान को सही मानते थे और गवनमेंट के एलानो को गलत और झूठा। पर महाराजा नाभा की गद्दी बहाल करने के फसले के कारण हिंदू और मुस्लिम लीडरो पर गवनमेंट के इस प्रचार का—किसी हद तक—असर जरूर हुआ कि शिरोमणि कमेटी राजनीतिक मामलो में दखल दे रही है इसके काम का घेरा गुरुद्वारा सुधार तक ही सीमित नही—यह राजनीतिक मामलो में भी दखल देती है।

इस वक्त समझौते की बातचीत में—अन्य मसलों के अलावा—तीन सवाल अहम थे अखण्ड पाठों का सवाल नाभे की गद्दी का सवाल और समस्त बंदियों की रिहायी तथा मुकदमों की वापसी का सवाल। इनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता था। किसी भी सवाल को मुल्तवी करके पूर्ण समझौते का वातावरण तैयार नहीं होता था—झगडा वैसे का वैसा ही कायम रहता था। गवनमेंट और शिरोमणि कमेटी दोनों की इच्छा यह थी कि सरकार और सिखो के बीच का झगडा पूरी तरह खत्म कर दिया जाय। लेकिन इस इच्छा को अमली जामा पहनाने के संबंध में दोनों तरफ जबरदस्त मतभेद थे। पहले तो सारी मांगों को ही गवनमेंट पूरा नहीं कर रही थी, दूसरे, समझौते में सबसे बडी अडचन गुरुद्वारा बिल पर सरकार की "दूसरे हिंदों' की रट थी—जब तक यह रट छोडी न जाय समझौता होना असम्भव था।

२ मीर मकबूल के माध्यम से बातचीत

सरकार ने अपने एक भरोसेलायक मुस्लिम नेता—मीर मकबूल महमूद (अमृतसर)—को अकाल तख्त कमेटी के साथ बातचीत चलाने को लिखा।[1] उसने ख्वाजा गुलाम यासीन (म्युनिसिपल कमिश्नर), सैयद बुड्ढे शाह और मौलाना अहमद साहब (उच्च स्तर के मुसलमान मौलवी) को अपने साथ लिया। ये चारो आदमी मुसलमानो की तरफ से—सरकार की तरफ से नहीं—अकाल तख्त कमेटी के मेम्बरो से मिलने गये। यह मीटिंग सैयद बुड्ढे शाह के बुलाने पर हुई। अकाल तख्त कमेटी की ओर से सरदार अजन सिंह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, स हरनाम सिंह सीसवानी स प्रताप सिंह और स तारा सिंह बी ए ने इस मीटिंग म भाग लिया।

मीर मकबूल बहुत चालाक और होशियार सरकारपरस्त था। उसने बात ही शुरू इस तरह की कि मुसलमानो की हमदर्दी अकाली तहरीक से हटने लगी है और वे कमेटी के नेक इरादो पर शक करने लग हैं। इसका कारण कमेटी द्वारा नाभे की गद्दी का सवाल उठाया जाना बताया गया—क्योकि नाभे का सवाल मुस्लिम दृष्टिकोण स बिल्कुल राजनीतिक सवाल था। मीर मकबूल का तीर निशाने पर बैठा। कमेटी के मेम्बर कतई नही चाहते थे कि मुसलमानो की हमदर्दी अकाली तहरीक स हटे। स्वाभाविक तौर पर व ख्वाहिशमन्द थे कि मुसलमानो की हमदर्दी अकाली तहरीक के साथ कायम रहे।

मीर मकबूल की खुफिया चिट्ठी के अनुसार, कमेटी के प्रतिनिधियो ने एक एलान की कापी मुसलमान सज्जनो को दी, जिसम अकालियो से मुसलमानो के जज्बातो का ख्याल रखने के लिए कहा गया था। कमेटी के मेम्बरो ने अपनी पोजीशन उ हे समझायी और कहा कि मुसलमानो की हमदर्दी कायम रखने के लिए वे इस एलान मे तरमीम करने के लिए तयार हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नाभे म कमेटी की सरगर्मिया पूर्णत धार्मिक ह, सरकार की बात छोडिए वह तो 'सत श्री अकाल' और 'अल्लाह हू अकबर' के नारो को भी पोलिटिकल मानती है।

मीर मकबूल ने मुसलमानो का विरोध सिर्फ नाभे के सवाल पर ही बताया। इसके जवाब म अकाली लीडरो ने कहा कि वे जैतो की सरगर्मियो को नाभे के सवाल से अलहदा देखते हैं। फिर भी मुस्लिम जाति की खातिर वे अकाल तख्त स एलान कर देंगे कि नाभे मे वे कोई राजनीतिक प्रचार नही करेंगे और अपनी सरगर्मिया धार्मिक मामलो और अखड पाठ तक ही सीमित रखेंगे।

१ जी डी उदासी पोलिटिकल डिपार्टमेंट ४४१६२४

कमेटी के मेम्बरों से तीन दिनों में अखण्ड पाठ समाप्त कर देने को कहें। [illegible] बार में उन्हें कोई भी मना न करेगा। वे इसरार करें कि [illegible] दिनों के गुरुद्वारे में जाने और पूजा पाठ के हक पर जोर दिया था। [illegible] बताया कि उन्होंने बार-बार ऐलान किया है कि जत्थों के आने का [illegible] कोई नहीं न कोई कानून नहीं, यह सिर्फ अखण्ड पाठ करने का धार्मिक मामला है। उनका विचार था कि [illegible] को कोई भी [illegible] मानने के लिए [illegible] कर लेंगे। जिस वक्त अखण्ड पाठ शुरू हो जायगा, [illegible] जत्थे [illegible] लिये जायेंगे। और, पाठों के भोग पड़ जाने के बाद सब [illegible] आ जायगा।

एक प्रश्न पूछे जाने पर मीर मकबूल ने कहा [illegible] पर हम दुर्भाग्य [illegible] रहे हैं क्योंकि जत्थों की भरमार हो रही है और [illegible] का धाराप्रवाह [illegible] हो रहा है। इस [illegible] ने कमेटी के मेम्बरों पर कुछ असर किया। मीर मकबूल ने सुझाव दिया—क्या इस तरह का रास्ता निकाला जा सकता है कि जत्थे में अकालियों की संख्या [illegible] गुरुद्वार में भेजी जाय, एक ही सीमित कर दी जाये और कमेटी यह ऐलान कर दे कि जैसा गुरुद्वार को यह [illegible] का अड्डा नहीं बनायगी। इस-को और बातों के बाद मीर मकबूल ने सरदार से पूछा — हम बातचीत जारी रखें या तोड़ दें?[1]

यह बातचीत बिल्कुल खुफिया तौर पर—गवर्नमेंट को दरकिनार रख कर—हुई थी। मीर मकबूल और उनके साथियों ने अकाली लीडरों से कुछ वायदे हासिल किये थे। इनसे सरकार का कोई सरोकार नहीं था। उपरोक्त मामले पर यह समझौता दोनों पार्टियों के बीच होना था। एडमिनिस्ट्रेटर को ठीक जंचे तो माने न जंचे तो न माने। पर सरकार ने मीर मकबूल को बातचीत जारी रखने से रोक दिया और भाई जोधसिंह से यह बातचीत जारी रखने को कहा।

३ सरदार महादुर के भतीजे की भाग-दौड़

एक तरफ सरकार अपनी तरफ से यत्न कर रही थी कि सिखों का मामला निबटा लिया जाय और इस काम के लिए यह जनरल बर्डवुड को समझौता कराने के लिए मध्यस्थ बना कर मैदान में ले आयी थी—साथ ही वह मीर मकबूल के जरिये श्रोमणि कमेटी के मेम्बरों का मन टोह रही थी कि भरपूर तसद्दुद के बाद इस वक्त उनके मन की अवस्था क्या है। सरकार समझौता तो करना चाहती थी, पर अपनी शर्तों पर। कारण यह कि अकाली सिखों की जीतों का भूत अफसरों को बहुत तंग कर रहा था।

दूसरी तरफ सरदार महताब सिंह—जैसा कि नीचे दर्ज की गयी मुलाकात

१ मीर मकबूल की कर्नल मिन्चन को चिट्ठी, अमृतसर, २६ ४ १९२४

से मालूम होता है—समझौते के लिए बड़ा उतावला हो रहा था। उच्च स्तर के लीडर मे यह कमजोरी की निशानी थी। इसमे सरकारी अफसर अगर अपनी तमद्दुन की पॉलिसी की कामयाबी की अलामतें पढ लें, तो ज्यादा गलत बात नही होगी।

स महताब सिंह की पत्नी ने ठेकेदार और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट स शोभा सिंह (दिल्ली) से कहा कि वह जाकर 'सरदार जी से मुलाकात करे क्योकि सरदार जी गवनमेंट के साथ समझौता करने के लिए बडे इच्छुक हैं।" स शोभा सिंह स महताब सिंह के भतीजे थे। वह "पूरी तरह वफादार और गवनमेंट के खैरख्वाह' थे। इसलिए सी आई डी के सबसे बडे अफसर—कनल के—ने उन्हें पजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास चिट्ठी देकर भेजा। उसमे कहा गया था—स शोभा सिंह को स महताब सिंह से मुलाकात की इजाजत दे दी जाय।

मुलाकात के बाद सरदार शोभा सिंह चीफ सेक्रेटरी से मिले और उसे बताया कि वह "स महताब सिंह तथा कुछ और अपराधियों" से मिले हैं। मुख्य सवालो की तरफ उनका नजरिया इस तरह है

(क) नाभा सबाब कौंसिल ऑफ रीजेंसी कायम कर दी जाय। इसके सभी सदस्य सिख हो।

(ख) गुरुद्वारा बिल यह चाहे वतमान बिल म तरमीम करके बना दिया जाय या नया बिल बना लिया जाय।

(ग) कृपाण का मसला पजाब सरकार, लेजिस्लेटिव कौंसिल का इस बारे म कुछ समय पहले किया हुआ प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अर्थात सरकार तलवार पर हथियारो के कानून के अधीन लगायी गयी सारी पाबदिया उठा ले—यह इस मसले का आखिरी हल होगा।

दो और छोटे मामले हैं

(१) जग के बाद के नाम-कटे फौजी जवानो की तकलीफें, विचार के लिए इडियन सोल्जस बोड के हवाले की जायें। उनको शिकायत है कि उन्हें जमीन की ग्राटो का उचित हिस्सा नही दिया गया।

(२) पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल म सिखो का प्रतिनिधित्व बढाया जाय।

सरदार शोभा सिंह की इत्तला के *अनुसार, अकाली लीडर*, खास कर सरदार महताब सिंह, "विचारशील मनोदशा" में थे। गवनमेंट ने सरदार शोभा सिंह को अकाली लीडरो के साथ मुलाकात का एक और आज्ञा-पत्र दिया। गवनमट चाहती थी कि वह लीडरो से जाकर कहे कि सरकार के

साफ उलटा साबित होता है और सरकार लिखित इकरारनामा उन्हें तभी दे
विचार करेगी जब पहले दो शर्तें हर हालत में पूरी की जाएं।

(१) जत्थों का जाना बन्द कर दिया जाए और जत्थेबन्द भरती बन्द किया
जाए

(२) गुरुद्वारा में अकालियों की संख्या कम करके सिर्फ उतनी रखी जाए जितनी
जितनी से दरबार साहब की जरूरतें पूरी हो सकें यानी बाईस सौ—या इससे
से ज्यादा नहीं रखी।

यह दूसरी मुलाकात १० मार्च १९२४ को लाहौर में की हुई।
उसी शाम सरदार शोभा सिंह ने आकर कमेटी को बताया कि सरदार
सिंह जी तो बकायदा लिखापढ़ी करने को तैयार हैं पर दूसरे मुखिया ने कोई
भी बात मानने से इनकार कर दिया है। बातचीत शुरू करने से पहले
जो विचार रखे सरदार शोभा सिंह जी ने उन्हें अपने हाथ से लिख लिया :

समझौते के लिए विचार विनिमय अपने इलाके में शुरू करने के लिए
यदि शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करना है तो सरकार और सिखों दोनों को कदम
उठाने चाहिए। सिखों की तरफ से सत्याग्रह बन्द करने से बड़ी कमजोरी पैदा
पहुंची पैदा हो सकती है जिससे कारण गुरुद्वारा सुधार तहरीक को नुकसान
पहुंच सकता है। अगर सरकार १३ अक्तूबर १९२३ से पहले वाली हालत
बहाल करने के लिए तैयार हो (यानी जत्थेबन्दियों को गैर-कानूनी करार देने वाला
ऐलान वापस ले ले) और जैतो के गुरुद्वारा गंगसर पर से पूजा पाठ और सेवा
की सारी पाबन्दियां हटा ले तो जत्थों का जाना और भाई फेरू में भेजना बन्द
कर दिया जायगा। उस हालत में किसी भी गुरुद्वारे में गुरुद्वारे की सेवा के
लिए जरूरी संख्या से ज्यादा अकाली जमा नहीं होने दिये जायेंगे।'[1]

सरकार ने ये तजवीजें स्वीकार नहीं कीं। फलत समझौते की बातचीत
आगे न बढ़ सकी और सरदार शोभा सिंह जी चुप होकर बैठ गये।

४ जारल के सिख सलाहकार

कौंसिल के लिए उम्मीदवारों ने पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल के आम
चुनाव के वक्त कसम उठायी थी कि धार्मिक और गुरुद्वारे के मामलों में वे
शिरोमणि कमेटी की मर्जी और सलाह के बगैर सरकार से कोई बातचीत
नहीं चलायेंगे। उन्होंने पंजाब के हाकिमों को यह बात साफ साफ बता दी थी।
इसलिए सरकार जानती थी कि शिरोमणि कमेटी की मदद से कामयाब हुए

१ पंजाब सिविल सेक्रेटेरियट लाहौर का मिस्टर क्रीरार, गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया को पत्र १३ ३ १९२४

मेम्बरो को बातचीत के लिए बुलाने पर कोई भी नही आयेगा। उनके लिए, बिचौलिया के तौर पर काम करने वाले भाई जोध सिंह एम एल सी और स नारायण सिंह बैरिस्टर एम एल सी ही उपयुक्त थे। ये दोनो सरकारपरस्त थे और इन्हे सरकार का भरोसा प्राप्त था।

इस समय सरकार, पजाब गवनर की पहल पर, जनरल बडवुड की प्रधानता मे एक कमेटी बना कर सिखो का मसला हल करने की बात सोच रही थी। जनरल बडवुड के अधीन एक कमेटी बनाने का एलान हो चुका था। पर अभी इसके मेम्बरो के नामो का एलान होना बाकी था। असली ताकत जनरल के हाथ म नही थी। वह तो पजाब और दिल्ली की सरकारो का एक मोहरा मात्र था, जिसे पजाब और दिल्ली की सेक्रेटारियटो मे मिला कर चलाना था। गवनमेट पहले टोह लेना चाहती थी कि समझौता हो सकेगा या नही। समझौता होने के हालात पैदा हो सके तो कमेटी बना दी जायगी, न हो सकें तो जनरल को इस मामले मे नही घसीटा जायगा।

१७ अप्रेल १९२४ को गवनमेट हाउस लाहौर में, एक तरफ जनरल बडवुड और चीफ सेक्रेटरी पजाब सरकार क्रेक तथा दूसरी तरफ भाई जोधसिंह और नारायण सिंह के दरम्यान समझौते के विषय म बातचीत हुई। इन सिख मम्बरो ने गवनमेट को यकीन दिलाया था कि वे कमेटी मे काम करने के लिए तयार हैं। उपयुक्त चारो सज्जनो के बीच विचार विनिमय के बाद समझौते के लिए कुछ शर्तों के बारे म सहमति हो गयी। दोनो सिख मेम्बरो ने यह मान लिया कि वे य शर्तें ले कर श्रोमणि कमेटी के पास जायेंगे और समझौते की बातचीत चलायेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इन शर्तों का स्वीकार किया जाना या स्वीकार न किया जाना पजाब सरकार और दिल्ली सरकार पर निभर है।

समझौते की इस बैठक मे तय हुई शर्तें ये थी

(१) बडवुड कमेटी की स्थापना होते ही, जत्थो को भेजना तुरत बद कर दिया जाय। इसमे जतो, भाई फेरु या दूसरी जगहो के जत्थे शामिल थे।

(२) दोनो सिख मेम्बरो ने तजवीज पेश की कि जतो म अखड पाठ करने के लिए कम से कम २५ अकालियो के जत्थो मे से एक जत्थे को रोज जाने की आज्ञा दी जाय। उन्हे बताया गया कि यह एलान पहले ही किया जा चुका है। इस एलान म प्रकाशित शर्तों के आधार पर जत्थे को जाने की आज्ञा दी जा सकती है—यानी, कोई राजनीतिक तकरीरें नही की जायें और अखड पाठ के समाप्त होते ही जत्थे जैतो के इलाके मे तुरत निकल जायें (तीन दिनो की हद मुकरर की गयी है, पर यह—सम्भव तौर पर—एक दो दिन तक बढायी भी जा

सकती है)। दानो सिख मेम्बरो ने इन शर्तों मे तरमीम करने पर कोई जोर नही दिया।

(३) गवनमेंट यह जिम्मा लेती है कि क्रिमिनल लॉ एमेडमेट एक्ट के अधीन आगे वह कोई गिरफ्तारी नही करेगी।

(४) श्रोमणि कमेटी—महाराजा नाभा से इस बात की पुष्टि कर लेने के बाद कि शासन से उसकी दस्तबरदारी स्वेच्छिक थी और वह नही चाहता कि इस बारे मे कोई एजीटेशन जारी रखी जाय—महाराजा नाभा को गद्दी पर बठाने की एजीटेशन को वापस लेने का सावजनिक तौर पर एलान करेगी।

[जोध सिंह ने अमृतसर मे १७ अप्रैल को जोर दिया था कि सबसे पहला यही कदम होना चाहिए और इसके बाद श्रोमणि कमेटी द्वारा एजीटेशन को छोड देना और फिर क्रिमिनल ला एमडमेड एक्ट के अधीन (कानून विरोधी जत्थेबदियो के) एलानो को हटाना पर कैदियो की रिहायी नही—एच डी क्रेक]।

(५) जब कोई एक्ट बडवुड कमेटी मे विचार विनिमय के बाद, पजाब कौंसिल के सिख मेम्बरो की रजामदी से, कानून की शक्ल धारण करले तो निम्नलिखित श्रोमणि कैदी छोड दिये जायें

(क) जो गुरद्वारा पर जबदस्ती कब्जा करने के जुर्मो मे सजा पा चुके है—जैतो और भाई फेरू के कदियो समेत।

(ख) वे आदमी जो कृपाण से सम्बधित जुर्मों के कारण सजा पा चुके हैं।

(ग) वे आदमी जो क्रिमिनल ला एमेडमेट एक्ट के अधीन सजायें काट रहे हैं तथा वे भी जिन पर इस कानून के अधीन मुकदमे चल रहे है। इस मद मे न बब्बर अकाली कैदी शामिल थे, न सिख साजिश केस कैदी[1] और न कुछ और केसो के कैदी।

(६) उपरोक्त शर्तों और होने वाले समझौते, को बिल्कुल खुफिया रखा जाय।

(७) श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक-कमेटी लिखित रूप मे यह जिम्मेदारी ले कि उस कानून को जो सिख मेम्बरो की रजामदी से पास किया जाय—उसकी स्पिरिट और शब्दावली के अनुसार—वह अमल मे लायेगी।

ये शर्तें समझौते की अच्छी बुनियाद बन सकती थी। जब जेल के अन्दर के और बाहर के जिम्मेदार लोगो को ये शर्ते दिखायी गयी, तो उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह थी कि कुछ छोटी मोटी तरमीमो के बाद समझौते के लिए रास्ता खुल सकता है। उन्होने समझ लिया था कि सरकार अब इन शर्तों से भागेगी

१ फाइल न २६७

नही। पर सरकार के चीफ सक्रेटरी ने इससे बच निकलने के लिए रास्ता बना रखा था।

गवनमट की अफसरशाही मे ढेर सारे मूर्ख अफसर मौजूद थे। इही म पजाब का चीफ सेक्रेटरी क्रैक भी एक था। जनरल बडवुड तो खैर पहले के सारे झगडा मसलो और नाकाम समझौतो से अपरिचित था—लेकिन क्रैक तो अनजान नही था। वह गवनमेंट सेक्रेटारियट के अफसरो की समझौता पक्षी और समझौता विरोधी रुचियो को जानता था। उसका फज यह था कि पहले वह पजाब सरकार और हिद सरकार से उन न्यूनतम और अधिकतम शर्तों को लेकर आये जिन पर डट कर खडे होना था, फिर कोई शर्तें पेश करे—नही तो एक तरफ मोर्चा लगा था, दूसरी तरफ तसद्दुद के सब हथियार थे पुलिस, फौज जेलें, गोलिया, अदालतें, वगैरा। हमारे मध्यस्थ महानुभावो को यह बात भी नही सूझी कि क्रैक उनके कधो पर रख कर बदूक चला रहा है गवनमेंट का आखिरी शर्तें नही दे रहा, इसका नतीजा अच्छा नही निकलेगा।

उसने दोनो गवनमेटो के सेक्रेटारियटो के अफसरो की मीटिंग बाद म की, रजामदी देकर ऊपर की शर्तें पहले ही भेज दी। सेक्रेटारियटा के अफसरो ने इन शर्तों मे इस किस्म के नुक्स निकाले और ऐसी नुक्ताचीनी की कि इन शर्तों की रूह ही निकल गयी। आइए, इस पहलू पर एक नजर डाल।

५ उच्चतम अफसरो की मीटिंगें

पजाब सरकार की गतिविधियो से मालूम होता था कि वह समझौता कर लेना अच्छा समझती थी। 'गवनर इन-कौंसिल का विचार है कि और आगे बातचीत से उन शर्तों से ज्यादा सहायक शर्तें हासिल हो सकेंगी जो स जाध सिंह को लिखित रूप मे बतायी गयी हैं। मुझे यह पूछने की आज्ञा हुई है कि अगर हिद सरकार ये शर्तें मानने के लिए तैयार है तो इनकी मजूरी की इत्तला मुझे दी जाय।"[1]

वायसराय न इन शर्तों के सबध मे एक लम्बा तार सेक्रेटरी आफ स्टेट को दिया था जिसमे उसने लिखा था एक तरफ पजाब सरकार और जनरल बडवुड और दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव कौंसिल के दो प्रभावशाली सिख मेम्बरा के दरम्यान इन शर्तों को तय करने के बारे मे कुछ समय से बातचीत चल रही है। हमे इन शर्तों का एक मसौदा मिला है जिसको पजाब सरकार स्वीकार करने को तैयार है। कुछ जरूरी तब्दीलियो के बाद ये शर्तें ये हैं ।[2]

१ क्रैक (लाहौर) का क्षीरार को पत्र फाइल न २६७, पैरा ४ २८ ४ १९२४
२ वायसराय का सेक्रेटरी आफ स्टेट (लदन) को तार ५ मई १९२४

लेकिन इन मसौदे की शर्तों में उन्होंने इस किस्म की तब्दीलियां की कि मसौदे का हुलिया ही और का और हो गया।

इन उच्चतम अफसरों की एक मीटिंग १८ अप्रैल १९२४ को हुई। इसमें होम मेम्बर मुडीमैन पोलिटिकल सेक्रेटरी थाम्पसन, होम सेक्रेटरी क्रीरार, चीफ सेक्रेटरी (पंजाब) क्रेक मेजर उगलबी (डिप्टी सेक्रेटरी होम) और विलसन जान्सटन शामिल थे। क्रेक ने पहले हो चुकी बातचीत के बारे में रिपोर्ट पेश की और अकाली रहनुमाओं को भाई जोध सिंह के वसील से समझौते के लिए भेजी गयी शर्तें दोहरायीं। उसने बताया कि भाई जोध सिंह और नारायण सिंह बैरिस्टर समझौता कमेटी में काम करेंगे। ये तजवीजें बडवुड कमेटी के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए की गयी हैं। इन पर जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए। इस किस्म की बात अगर तुरंत हाथ में न ली गयी तो मामला ठंडा पड़ जायगा।[1]

सबसे पहले नाभे वाली शर्त पर हमला हुआ। मुडीमैन की राय थी कि नाभा रियासत के मामले में श्रोमणि कमेटी को दखल देने का कोई हक नहीं। इस मामले का संबंध पार्लियामेंट और यहां के राज से है। इस दखल को स्वीकार करना श्रोमणि कमेटी को मान्यता देने का अधिकार देना है। यह फैसलाकुन दलील है। इसके अलावा महाराजा नाभा से रजामंदी से गद्दी छोड़ने का बयान लेना कोई आसान बात नहीं। महाराजा के वे बयान जोध सिंह और नारायण सिंह को दिये जा सकते हैं जो वह पहले दे चुके हैं। यह मुद्दा कौंसिल आफ रीजेंसी कायम करने के रास्ते में भी रुकावट डालता है।

मुडीमैन ने यह भी कहा—रिहाइयों के लिए उदारता दिखायी जा सकती है पर गम्भीर जुर्मों और हिंसा करने वालों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यह बात सिरे चढ़ जाय, तो इसके असल नतीजे को जीत के तौर पर पेश किया जायगा और अगर सरकार बदले में अकालियों से खासा कुछ हासिल नहीं कर पाती तो वह कोई रियायतें देने के लिए सहमत नहीं होगी। अकालियों ने अपनी जत्थेबंदी कुछ लक्ष्य हासिल करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की है। उनके लक्ष्य ये हैं

(१) महाराजा नाभा की गद्दी पर बहाली,

(२) जैतो में बिना शर्त अखंड पाठ होना,

(३) अपनी तसल्ली के मुताबिक गुरुद्वारा सवाल हल कराना,

(४) श्रोमणि कमेटी पर लगायी गयी पाबंदी हटवाना और

(५) कैदियों की रिहाई।

[1] फाइल नं० २८७

ये मागें या तो स्वीकार की जा सकती हैं या टाली जा सकती हैं। हरेक टाली गयी माग पर गवनमेंट के हाथ मे एक नम्बर आता है, हरेक स्वीकार की गयी माग पर अकालियो के हाथ मे एक नम्बर आता है। तखमीने से पता चला कि विराम सधि से अकालियों के हाथ मे तीन नम्बर आयेंगे और सरकार के हाथ मे शून्य।

नाभे की गद्दी वाली शर्त पूरी नहीं हो सकती। महाराजा चिट्ठियों के जवाब कभी नही देता। यह कतई समव प्रतीत नहीं होता कि वह मागा गया वयान दे देगा। अखड पाठ की शर्तें व ही हैं जो २५ अकालियों के जत्थे के सामने पेश की गयी थी। गुरुद्वारा बिल वह ही होगा जो सरकार और सिखों दोनो को स्वीकार होगा। पर इसका मतलब यह होगा कि सरकार सिखों को कुछ वे रियायतें देगी जो उसने अब तक नही दी। अकालियो के हाथ मे एक नम्बर आया।

और अगर बिल पास हो जाता है तो हम अकाली जत्थेबदियों पर दुबारा कानूनी पाबन्दियां नही लगा सकते। अकालियों ने एक और नम्बर हासिल किया। फिर बिल के पास हो जाने पर कैदियों की रिहाई। इस तरह, अकालियो के हाथ मे तीन नम्बर आते हैं और सरकार के हाथ मे कुछ भी नहीं। किन्तु यह दलील दी जा सकती है कि जत्थों को भेजना बद करवा देने का अधिकार गवर्नमेंट को हासिल होता है। पर यह सिर्फ कुछ देर के लिए होगा क्योंकि प्रस्तावित विराम सधि के समाप्त होने के बाद अकालियो को दुबारा जत्थे भेजने की आजादी है ताकि वे माग नम्बर एक और दो हासिल कर सकें। इस तरह सरकार नाभे के सवाल को छुडाने और शर्तों के साथ अखड पाठ कराने मे असफल होती है और अकाली अपने मकसद हासिल करने के लिए गैर कानूनी तरीके जारी रखते हैं। फलत, विराम सधि के एलान के साथ ही अकाली तीन लक्ष्य हासिल कर लेते है। नतीजा यह निकलेगा कि सरकार आखिरी समझौते मे उतनी ही दूर रहेगी जितनी वह हमेशा थी।

ऊपर की शर्तों मे यह बात दर्ज ही नही कि अगर अकाली लीडर छोडे न जायें तो भी अकाली लोग वडबुड जाच कमेटी को सहयोग देंगे। यह विराम सधि की एक शर्त होनी चाहिए थी। इस सधि का फौरी निशाना पडताल को सफल बनाना है। सर मलकम हेली हमेशा जोर देता रहा था कि एक एक करके रियायतें देना गलत है, रियायतें पूर्ण सफलता के हिस्से के तौर पर दी जानी चाहिए। समय अनुकूल है क्योंकि अकाली जोश इस वक्त कम हो रहा है और सरकार को ये सकेत भी मिले हैं कि वर्तमान स्थिति को खत्म करने मे उनके रहनुमाओं को कोई अफसोस नहीं होगा। (जोर मेरा)।[1]

१ सर मुडीमन और थाम्पसन, १६ ४ १९२४

इसलिए होम मेम्बर ने जोर दिया कि शर्तें ये होनी चाहिए (१) जाच पडताल म सहयोग, (२) नाभे के सवाल को त्याग देना, और (३) अखड पाठ के सबध म फैसला।[1]

वायसराय आम तौर पर इन नुक्तो स सहमत था। पर वह नाभे के सवाल पर कोई बात नही सुनना चाहता था। वह अकाली नताओ स बात मनवाना चाहता था कि व इस सवाल को छोड दें। वह समझौते का गुप्त रखने मे भी विरुद्ध था और कौंसिल आफ रीजेंसी को किसी बात का अग नही बनाना चाहता था। कौंसिल आफ रीजेंसी कायम करना, वायसराय की राय मे, गवनमेंट के अपने अधिकार की बात थी।

६ गवर्नमेंट और कमेटी के बीच गहरे मतभेद

सरकार और श्रोमणि कमेटी दोनो के बीच गहरे मतभेद थे। इनको मिटाना कोई आसान बात नही थी। मतभेद एक-दो सवालो पर नही, लगभग सभी सवालो पर थे। सरकार ने—जसा कि ऊपर की मीटिंग और दूसरी सरकारी रिपोर्टों से साफ प्रकट होता है—एक तरह से फसला कर रखा था कि वह कोई ऐसी रियायत नही देगी जिसे अकाली अपनी जीत कह सकें। श्रोमणि कमेटी का बहुमत इस वक्त ऐसी कोई शत मानने को तैयार नही था जिसे इस्तेमाल करके सरकार अपनी जीत का ढिढोरा पीट सके।

अप्रैल का महीना तेज सरगर्मियो का महीना था। दोनो धडा ने अपनी अपनी जगह बडी मीटिंगे की। बिचौलियो को कभी इधर कभी उधर—कपडा बुनने की तुरी (शटल) की तरह—बडी भाग दौड करनी पडी ताकि दोनो ओर के मतभेद कम किये जा सकें और कोई न कोई रास्ता निकाल कर सुलह सफाई करायी जा सके। स नारायण सिंह और भाई जोध सिंह 'दोना ओर के दोस्त" थे। वे जाकर सरकार को अकालिया के विचारो से अवगत कराते थे और अकालिया को सरकार के विचारो स।

आइए, दोनो तरफ के मतभेदा का अध्ययन करें।

(अ) अखड पाठ के बारे मे

गवनमेंट पहले अपनी दो शर्तों पर अडी हुई थी एक यह कि गुरुद्वारा गगसर म पाठ के लिए २५ अकालिया से ज्यादा नही जाने दिये जायेंगे और दूसरी यह कि उन्हें १०१ अखड पाठा के लिए सिर्फ ९ दिना की मोहलत दी जायगी—इससे ज्यादा नही। गुरु म मोहलत केवल ३ दिनो की दी गयी थी।

१ यह नतीजा स नोभा सिंह की बातचीत की रिपोर्ट से निकाला गया प्रतीत होता है

शोमणि कमेटी इन दोनो ही शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती थी। कारण यह कि वह इसे सिख धर्म मे दखल समझती थी। ६ दिनों मे १०१ अखंड पाठ करना असभव था। इसलिए शोमणि कमेटी ६ दिनो की पाबंदी के खिलाफ थी—वैसे वह अल्पतम समय मे जल्दी से जल्दी पाठ खत्म करने और जैतो से वापस चले जाने का वचन देने को तैयार थी। इसी तरह केवल २५ अकालियो के गुरुद्वारे के अदर जाने की शर्त का स्वीकार कर लेना सगत के हक को तिलाजलि देने के बराबर था। इसलिए कमेटी यह शर्त भी स्वीकार नहीं कर सकती थी।

ये शर्तें अभी बीच म ही लटकी थी कि विचार विनिमय म सरकार ने दो अडचनें और डाल दी एक, अरदास की, दूसरी, जत्थो के फौजी अनुशासन मे मार्च करने की। सरकार, पाठो के अत म की जाने वाली अरदास म महाराजा नाभा के गद्दी पर बहाली का कोई भी जिक्र किये जाने के विरुद्ध थी। वह इसे एक राजनीतिक सवाल और राजनीतिक प्रचार समझती थी। पहले तो वह अरदास म 'शहीदो की आत्मा को शाति मिले" के उल्लेख के भी खिलाफ थी, क्योंकि वह इसे नाभे के राजप्रबध की तीखी आलोचना समझती थी। किन्तु, अत मे शहीदो की आत्मा के बारे मे जिक्र करना—बिचौलिया और अकाल तख्त पर जिम्मेदारी डाल कर—उचित बात मान ली गयी थी।

शोमणि कमेटी ने स्वीकार कर लिया था कि अखड पाठ के शुरू होने पर जैतो को जत्थे भेजने बन्द कर दिये जायेंगे और इसके बारे म अकाल तख्त से एलान कर दिया जायगा किन्तु जो जत्थे प्रतिज्ञा लेकर जैतो की तरफ रवाना हो चुके हैं, वे जरूर वहा पहुचेंगे। शोमणि कमेटी ने जत्थो के फौजी अनुशासन म जैतो की ओर मार्च का हल यह माना था कि जत्थो को रेल गाडियो के जरिये भेजा जायगा, और लोग जत्थेबदी की शक्ल म नही बल्कि व्यक्तिगत रूप से जायेंगे।

(आ) शर्तें गुप्त रखने के बारे मे

वायसराय रीडिंग शर्तों को गुप्त रखने के बिल्कुल खिलाफ था। वह नहीं चाहता था कि गत न ६ कायम रहने दी जाय। यह शर्त, एक तो अतत लाजिमी तौर पर टूट जायगी और विश्वास भग करने के इल्जामो का रास्ता खोलेगी, दूसरे यह गवर्नमेंट के हाथो को बाधती थी। हिंद सरकार ने टेली-फोन के जरिये पजाब सरकार से यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि वह इसके बदले मे कोई भी शर्त सुनने को तैयार नहीं। उसके अनुसार तो शर्त यह होनी चाहिए थी कि हिंद सरकार और पजाब सरकार दोनो जिस वक्त भी जरूरत

महसूस करें, कोई भी बयान देने के लिए आजाद होगी। जब तक यह बुनियादी शत हासिल नहीं की जाती समझौते की बातचीत सफल नहीं हो सकती।'

पंजाब के चीफ सेक्रेटरी क्रैक ने भाई जोध सिंह को बुलाया और उसे यह लिख कर दे दिया कि किसी भी समझौते से पहले अनिवार्य शर्त यह है कि हिंद सरकार और पंजाब सरकार जब भी मुनासिब समझें, किसी भी वक्त कोई भी बयान देने का हक रखती है।'

यह शर्त नं. ६ पहली मीटिंग में बिचौलिया और पंजाब सरकार द्वारा मिल कर पेश की गयी थी। इसे शिरोमणि कमेटी ने पेश नहीं किया था। इसको एक सिद्धांत का सवाल बना कर वायसराय ने अपने हस्ताक्षर के नीचे लिखा कि अगर पंजाब सरकार शर्तों को खुफिया रखती है तो वह दूसरे लोगों को गवर्नमेंट पर जीत हासिल करने का दावा करने का रास्ता खोलती है और यह दिखाती है कि गवर्नमेंट ने अकाली एजीटेशन के सामने हथियार डाल दिये हैं।' उसका नोट यह जाहिर करता है मानो यह शर्त शिरोमणि कमेटी ने पेश की हो। इसी किस्म की दानायी के मालिक थे हिंद सरकार के ये हाकिम !

'सरदार जोध सिंह आशावादी दिखायी देता था कि यह शर्त (निकाल देने की शर्त) स्वीकार कर ली जायगी।'

(इ) नाभे की गद्दी के बारे में

१७ अप्रैल के समझौते के मसौदे में चौथी शर्त यह थी कि अगर महाराजा नाभा लिख दे कि उसने अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ी है और वह नहीं चाहता कि इस बारे में एजीटेशन जारी रखी जाय तो शिरोमणि कमेटी अपनी एजीटेशन वापस ले लेगी। क्रैक और वर्ड एक तरफ, तथा स. जोध सिंह और स. नारायण सिंह दूसरी तरफ इस शर्त को पेश करने के लिए जिम्मेदार थे। मालूम होता है कि चीफ सेक्रेटरी क्रैक बिलकुल बुद्धू था। उसको यह भी पता नहीं था कि महाराजा नाभा ऐसी कोई चीज लिख कर नहीं देगा जो घोषित करे कि गद्दी उसने स्वेच्छा से छोड़ी है अतः शिरोमणि कमेटी इस बारे में प्रचार करना बंद कर दे।

मसौदे में इस शर्त के रखने की [illegible] थी—अगर महाराजा नाभा को गद्दी से उतारने का हक इंगलैंड [illegible] या हिंद सरकार का था ?

[१]० अप्रैल १९२४ फाइल नं. २०
क्रीरार का सदर ३०
फाइल २९७/१९२४, १९२४

क्या चीफ सेक्रेटरी को इस वैधानिक पोजीशन का पता नही था कि श्रोमणि कमेटी की नाभा एजीटेशन का आधार ही यह था कि महाराजा को—पुराने अहदनामे को तोड कर—गद्दी से जबरदस्ती उतारा गया है और वह कभी भी इस किस्म की बात लिख कर अपने हाथ काट कर नही देगा कि उसने गद्दी अपनी मर्जी से छोडी है ? क्या उसे पहले ही इस बारे मे हिंद सरकार के विचारो का पता नही था ?

इसलिए सरकार अपनी इस बात से भी भाग खडी हुई, क्योकि उसको पता था कि महाराजा नाभा इस शर्त को पूरा करने के लिए अपने हाथ से कुछ भी लिख कर नही देगा। सरकार महाराजा की हाथ की लिखी हुई वही चीज दिखाने को तैयार थी जो डरा धमका कर उससे ले ली गयी थी। लेकिन उसे तो श्रोमणि कमेटी पहले ही रद्द कर चुकी थी। इतना ही नही, क्रेक की नजरो मे स जोध सिंह और स नारायण सिंह इस बात पर 'कायल दिखायी देते थे कि ३१ ७ १९२३ का बयान (महाराजा नाभा से) डरा धमका कर लिया गया है।'[1] बिचौलियो ने सरकार से साफ कह दिया था कि श्रोमणि कमेटी नाभे सबधी एजीटेशन तब तक छोडने को तयार नही, जब तक महाराजा अपने हाथो से लिख कर नही देता।

वायसराय ने इस समझौते की मजूरी के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (लदन) को तार भेजा। इसमे उसने लिखा कि श्रोमणि कमेटी के सार्वजनिक रूप से यह एलान करने पर कि श्रोमणि कमेटी और अकाली दल ने नाभे मे, या और कही पर, सरकार के खिलाफ एजीटेशन और प्रचार के सब रूप छोडने या इनसे परहेज करने का फैसला किया है—गवर्नमेट श्रोमणि कमेटी और अकाली दल को बागी करार देने वाला एलान मसूख कर देगी वगैरा।[2]

मतलब साफ था। मतलब यह था कि गवर्नमेट श्रोमणि कमेटी से हर प्रकार की एजीटेशन रुकवा कर ही अगला कदम रखना चाहती थी। वह नाभे की एजीटेशन के 'मुल्तवी' किये जाने की बात भी मानने को तैयार नही थी—क्योकि 'मुल्तवी' शब्द मे एजीटेशन फिर शुरू करने का अर्थ छिपा हुआ था। सरकार कमेटी द्वारा सब एजीटेशन छोडे जाने पर जोर दे रही थी। और वह जब एजीटेशन से 'परहेज करने" की बात करती थी तो स्पष्ट कर देती थी कि परहेज करने का अर्थ "छोडना' तो हो सकता है 'मुल्तवी' करना नही हो सकता। इस तरह सरकार समझौते को रास्ते मे ही छोड देने की राह पर चल पडी थी।

१ एच डी क्रेक का होम सेक्रेटरी शीरार को तार
२ टेलीग्राम पी ३३९/५ मई १९२४ फाइल न २६७/१९२४

७ रिहाइयो का मसला

१७ अप्रैल के समझौते के मसौदे की मद न ५ के अनुसार—गुरद्वारा त्रिल के कानूनी शक्ल धारण करने के बाद—गुरद्वारो पर जबदस्ती कब्जा करने वाले जतो और भाई फेरु मे पकडे जाने व कैद हो जाने वाले, कृपाण से सम्बधित जुर्मो वाले और क्रिमिनल ला के अधीन मुकदमा म फसे या कैद हुए अकाली रिहा किये जाने थे। इस मद के अधीन तसद्दुद के जुर्मो वाले और बब्बर अकाली रिहा नही किये जाने थे, न ही सिख साजिश केस के, और फौजी अदालतो मे कैद किये गये बदी छोडे जाने थे।

वायसराय ने सेक्रेटरी आफ स्टेट (लदन) को भेजे गये उपरोक्त तार मे भी उक्त किस्म के कैदियो की रिहाई का जिक्र किया था। पर उसमे कहा गया था कि पजाब सरकार का उतने ही आदमी रिहा करने का इरादा है जितने सभव हो सकें।[1] इसका मतलब यह था कि गवनमेन्ट रिहाइयो के मसले को जानबूझ कर अस्पष्ट रख रही थी ताकि इसे समझौते मे दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जाय।

रिहाइयो के मसले पर श्रोमणि कमेटी द्वारा दो अन्य बातो पर भी जोर दिया जा रहा था। एक यह थी कि अकाली रहनुमाओ की साजिश के मुकदमे मे पकडे गये लीडरो को रिहा किया जाय, दूसरी यह थी कि रिहाइयो के बाद गवनमेन्ट ऐसा कोई कदम न उठाये जिसके नतीजे के तौर पर रिहा हुए अकालियो को अपने अपने काम या धधे पर जाने म कठिनाई पैदा हो।

इन दोनो बातो के कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। रिहाइयो के प्रसग म श्रोमणि कमेटी ने स महताब सिह और उनके बाकी साथियो की रिहाई पर विशेष जोर दिया था। श्रोमणि कमेटी से यहा मतलब सिर्फ बाहर खुफिया तौर पर या खुले तौर पर काम कर रही श्रोमणि कमेटी से नही था, बल्कि किला लाहौर म बद और साजिश का मुकदमा लड रहे श्रोमणि कमेटी के अकाली नेताओ से भी था। किले मे बद नेताओ के सलाह मशविरे के बिना बाहर के लीडर कोई कदम नही उठाते थे। यही कारण था कि बिचौलियो को कभी किला लाहौर म जाकर मुलाकातें करनी पडती थीं और कभी अमृतसर जाकर। बिचौलियो के जरिये बातचीत बाहर के लीडरो को साथ लेकर ही हो सकती थी—अमृतसर वालो और किले वालो की सीधी नही। यह अलग बात है कि खुफिया जरिया स बाहर वालो और अन्दर वालो के दरम्यान चिट्ठियो द्वारा विचारो का आदान प्रदान होता रहता था। सरकार की कोई भी मशीनरी इन चिट्ठियो को नहीं रोक सकती थी।

[1] वही

अन्दर बातचीत करने वाले कुछ नेताओं में कमजोरी आ गयी थी। मुकदमा लम्बा हो जाने के कारण वे कुछ निराश हो गये थे और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी रिहाई हासिल करें। इसलिए वे समझौते के लिए बड़ी जल्दबाजी मचा रहे थे। पर अब भी वे अल्पमत में थे, बहुमत उनकी कनई नहीं चलने देता था। ये ही व लीडर थे जो अपनी रिहाई पर खास जोर देते थे। बाहर की कमेटी के मेम्बरों का इसके साथ सहमत हो जाना समझ में आने वाली बात थी।

दूसरी शर्त भी इन अन्दर के लीडरों ने ही पेश की थी। शर्त अच्छी थी, क्योंकि कैद काट चुके अकालियों को यह कई तरह की कानूनी पाबंदियों से छुटकारा दिलाती थी। इस शर्त का लुब्बेलुबाब यह था कि अकाली आन्दोलन में काटी गयी कैद अपनी नौकरी पर दुबारा जाने, नौकरी हासिल करने या लगी हुई पेंशनों को वसूल करने में कोई रुकावट न डाले और कैद काट चुके अकाली छोटे अफसरों के तअस्सुब के शिकार न बनें। अदालतों द्वारा किये गये जुर्मानों की वसूली बन्द करने पर भी समझौते के दौरान शिरोमणि कमेटी ने जोर दिया था।

यह इस शर्त का एक अच्छा पहलू था जो समूची अकाली तहरीक पर लागू होता था। पर इसमें एक कमजोर पहलू भी था—वह यह कि साजिश केस के अकाली लीडरों को कैद के कारण दागी न होने दिया जाय, क्योंकि इनमें से किसी को जज बनना था और किसी को इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट पुलिस बनना था इसलिए मुकदमा लम्बा किया जाय और किसी को सजा न होने दी जाय तथा समझौते का कोई रास्ता निकाला जाय। इस किस्म की बातें शिरोमणि कमेटी के प्रधान स. महताब सिंह ने किले के अन्दर अपने साथी मुलजिमों के सामने कई बार उस वक्त कही थीं ठीक जिस वक्त इन लीडरों के हुक्म पर जैतो में पांच पांच सौ के नाहीने जत्थे हंसते हंसते बलिदान हो रहे थे। इस हालत को देख कर ही गोपाल सिंह कौमी ने यह टप्पा गाना शुरू किया था

> की खट्टिया कमेटी विच आके जिन्दड़ी नूं रोग ला लिया,
> मेरी तोबा![1]

किले के अन्दर जिन कुछ अकाली लीडरों में कमजोरी आ गयी थी, उनका लीडर शिरोमणि कमेटी का प्रधान स. महताब सिंह था।

इन लीडरों के विचारों में अंतर्विरोध काम कर रहा था। अगर—रिहाई के बाद—काटी हुई कैद पर किसी प्रकार के हर्जाने की पाबन्दी नहीं लगती थी,

[1] शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेम्बर बन कर हमने क्या कमाया, अपनी जान को रोग लगा लिया—हाय मेरी तौबा!

तो यह बात साजिश केस के रहनुमाओं पर भी लागू होगी। उसूल यह होना चाहिए था हम यारा दोजख हम यारा बहिश्त।

पर स महताब सिंह जी मुकद्दमे के दौरान लगातार ऐसा मौका ढूंढ रहे थे कि समझौता हो जाय और साजिश केस में किसी को भी कैद न होने दी जाय।

८ हेली की तरफ से अड़चन

१४ मई को लंदन मे सेक्रेटरी आफ स्टेट ने हेली से मशविरा करके वायसराय को एक चिट्ठी लिखी जिसका मतलब यह था कि कोई इस किस्म का समझौता न किया जाय जो हिंदुओं और मुसलमानों को सतुष्ट न करता हो, क्योंकि वे सरकार की हिमायत करते रहे हैं। 'आप शुरू में ही यह बात साफ कर दीजिए कि अगर (गुरुद्वारा) बिल मे कोई इस किस्म की मदें हुई जिनको गवनमेंट—दूसरे फिरकों के साथ अपनी जिम्मेदारियों के कारण—मजूर करने की स्थिति मे नही होगी, तो आप कैदियों को रिहा करने की जिम्मेदारियों से आजाद होंगे।"[1]

इस चिट्ठी के बाद वायसराय का रवैया और भी सख्त हो गया। उसने अपनी १७ मई की आखिरी पेशकश' मे गवनमेंट की रिहाइयों की जिम्मेदारी को एक तरह से तिलांजलि दे दी, क्योंकि उसने इस आखिरी पेशकश मे रिहाइयों की शर्त की जगह मध्यस्थों को लिख कर भेज दिया— पंजाब सरकार का यह इरादा है कि वह उतने कैदी रिहा कर देगी जितने संभव हो सकेंगे।"[2] यह पेशकश एक तरह का अल्टीमेटम थी जिसका मतलब यह था ये शर्तें मानते हो तो मानो नही तो दफा हो जाओ।

मध्यस्थों ने शिरोमणि कमेटी को जब ये शर्तें दिखायीं, तो वे हक्के बक्के रह गये। उन्होंने गुस्सा पीकर बड़ी शान्ति से इस पर विचार किया। यह दस्तावेज उन विचारों से बिल्कुल भिन्न थी जिन पर उस समय तक अनुगमन होता रहा था। शिरोमणि कमेटी के लीडरों ने इस समझौते पर सहमत होने से इन्कार कर लिया और मध्यस्थों को लिख कर दे दिया 'हम हमेशा ही और अब भी इस किस्म के विचार के लिए और इज्जतदार समझौते के लिए तैयार हैं जो पंथ के गुरुद्वारा सुधार का मकसद हल कर सके। इसके साथ ही, हमारा तनिक भी इरादा नहीं कि आम लोगों की नजरों में गवनमेंट की साख रत्ती भर भी कम की जाय।'[3]

१ फाइल न २७/१९२४
२ वायसराय का तार सेक्रेटरी आफ स्टेट को न ३८९, १७ मई १९२४
३ मध्यस्थों को दी गयी लिखित चिट्ठी १८ मई १९२४

"आखिरी पेशकश" मे सरकार ने अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नही ली थी। सभी जिम्मेदारिया उसने श्रोमणि कमटी के सिर पर डाल दी थी। दो शर्तों के बारे मे उसने कहा कि वह इन्हे किसी सूरत मे नहीं मानेगी (१) नाभे मे चल रहे मुकदमे वापस नही लिये जायेंगे, और (२) महाराजा नाभा को गद्दी पर बैठाने की मुहिम छोडन का पक्का बचन देना होगा।

म्यौलिया ने साफ तौर पर कमेटी के नेताओ को बताया था कि अखड पाठ शुरू होते ही जत्थो म पकडे गये अकाली रिहा कर दिये जायेंगे। लेकिन उन पर नाभे म नया मुकदमा चला दिया गया जिसमे शहीदी जत्थे के प्रमुख जत्थेदार, तथा कुछ अन्य अकालिया पर हिंसा के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। उधर सरकार ने अपने एलान म खुद इकबाल किया था कि जत्था बिल्कुल शातिमय रहा था और इसकी तसदीक "निष्पक्ष, विचारशील और निस्वार्थ गवाहो' ने की थी।[1]

६ केन्द्रीय सेक्रेटारियट मे मतभेद

सरकार के कुछ उच्च विभागा के अफसरो मे श्रोमणि कमेटी के साथ समझौता करने के बार म मतभेद थे। १७ अप्रैल के समझौते का मसौदा पेश होने के बाद उनमे से कुछ ने इसकी नुक्ताचीनी करना और इसमे खामिया निकालना शुरू कर दिया था। ये अफसर समझौते के खिलाफ थे। कुछ चाहते थे कि श्रोमणि कमेटी के साथ समझौता हो जाय, ताकि यह झगडा समाप्त कर दिया जाय। पर सेक्रेटारियट म ज्यादा उन लोगो की चलती थी जो अग्रेज राज की साख और इज्जत के मजबूत रक्षक बन कर सामने आते थे और ज्यादा से ज्यादा सख्ती का इस्तेमाल करके तहरीक को कुचलने की हिमायत करते थे। पजाब के जालिम गवनर ओ डवायर का दाहिना हाथ मिस्टर थॉम्पसन, इस वक्त राजनीतिक और विदेशी महकमे का पोलिटिकल सेक्रेटरी था। वह इस समझौते का कट्टर विरोधी था।

अप्रल १९२४ की उच्चतम स्तर की सरकारी कौंसिल की मीटिंग म जो अफसर समझौते के लिए रजामद हो गये थे उनमे से भी दो-तीन पश्चाताप करने लगे। उनमे से एक ने अपने हाथ से लिखे नोट मे कहा

'मैं इन फसलो के साथ दाखिल मे आत्मग्लानि सहित, सहमत हुआ था। हम एक गैर-कानूनी जमात के साथ सौदे की शर्तों पर लेन-देन कर रहे हैं जिसमे कि बागी लोग मान्यता प्राप्त दुश्मन बन गये हैं और हमारे साथ अमन की सधि करने की पोजीशन म हो गये हैं—यह बात अपने आप म बहुत

१ उपरोक्त फाइल, २९७/१९२४

समझते वाली है। मैं इस तौर से काम छिड़ाने के लिए बकत-बढ़ाना को बहुत नापसन्द करता हूं। इसके अर्थ दूसरी तौर पर एक उन समझौते से लिये जा सकते हैं जिनके अधीन ढाई हजार गिरफ्तार हुए अकालियों को इस मक सद से जेल में रख रहे हैं कि वे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कानून पास करना चाहें—इसलिए नहीं कि वे जेल में ही रखे लायक हैं। [1]

उसकी अटकलों में से एक और मैकेन्जी भी कौंसिल में समझौते की तज वीज़ से सहमत हो गया था। पर बाद में उसकी आत्मा को भी कुछ तकलीफ होने लगी   अगर समझौते की बातचीत टूट जाती है तो हम मजबूत पोजी शन म हो जायेंगे क्योंकि हमारे सामर्थ्य म जो भी था वह हमने समझौता करना ठानने के लिए किया। पर अगर समझौता कामयाब हो गया तो मैं नहीं कह सकता कि अकाल पाठ की मालूम शरणता का तमाम सिख पंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किये गये आश्वासनों के बावजूद अगर उन्हें जैसे म अच्छा जामा पहना दिया जाय तो मैं यह महसूस करने से नहीं रह सकता कि इसे अकालियों की फतह समझा जायगा और सरकार की हार। अगर इस सम झौते का असर बुरा पड़ा, तो यह सर मैलकम हेली ही है जिसको इस हमले के गुस्से का मुकाबला करना पड़ेगा और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके गवनर बनते ही हम उसके हाथ एक ऐसी पालिसी से बांध देंगे जिसे वह पसद नहीं करता। अगर सम्भव हो, तो मैं उसके यहां पहुंचने तक बातचीत को मुल्तवी करने की सलाह दूंगा।'[2]

इस तरह हम देखते हैं कि सेक्रेटेरियट के अफसरों म समझौता विरोधी धड़ा खासा मजबूत था। उनकी दलीलें—ब्रिटिश राज की मजबूती और साख की दृष्टि से—वजनदार थीं। हेली के गवनर बन कर आने से पहले ही वे हेली का पक्ष लेने लगे थे, क्योंकि 'चढ़ते सूरज' के साथ पहले ही हो जाना सिद्धांत हीन और अवसरवादी लोगों के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। अकाली तहरीक का कुचला न जाना, उनकी नजरों में ब्रिटिश राज के लिए शर्म की बात थी। कोई अचम्भे की बात नहीं कि इस वक्त उनके सोचने का ढंग कुछ इस तरह का हो ब्रिटिश साम्राज्य जिसकी सल्तनत में सूरज कभी डूबता नहीं, जिसके पास इतनी जबर्दस्त फौज पुलिस वगैरा की ताकत है—इस विशाल राज से टकराने वाले ये कुछ लाख सिख होते ही कौन हैं! ब्रिटिश राज

१ मडवुड कमेटी फाइल न २६७/१६२४ ८ ५ २४ पृ १२७ हस्ताक्षर—अस्पष्ट

२ फाइल—२६७/१६२४ प १२४ १२७

उनकी कुछ शर्तें स्वीकार करके अकालियो के साथ बातचीत करे? असम्भव, अनहोनी बात!

पर किया क्या जाय, कई अनहोनी बातें दुनिया मे होनी हो जाती हैं।

१० सरदार जोध सिंह की भूमिका

बिचौलियो की भूमिका सिर्फ हरकारो वाली नही थी—यानी इधर से परवाना लेकर उधर दे दो और उधर से जवाब लेकर इधर दे दो। वे दोनो धडो के साथ विचार विनिमय करते थे। अग्रेज हाकिमो का मन पढ कर वे अकाली लीडरो को बताते थे, और अकाली लीडरो का मन पढ कर अग्रेज हाकिमो को बताते थे। वे खुद अपने मन मे निर्णय करते थे कि दोनो धडो मे मतभेदो का पाट कितना चौडा है और यह चौडाई पाटी भी जा सकती है या नही।

दो बिचौलियो मे से दोनो धडो के साथ बातचीत करने का ज्यादा भार भाई जोध सिंह पर था। भाई जोध सिंह अकाली तहरीक को समझता था। वह श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी से कभी इस्तीफा दे देता था, कभी फिर मेम्बर बन जाता था। वह नही चाहता था कि अग्रेज राज और सिख पथ की मैत्री मे विघ्न पडे। मोर्चे लगते देख कर वह खुश नही होता था, दुखी होता था। कारण यह कि मोर्चे लगने के साथ ही अग्रेज राज से सिखो की दुश्मनी भी बनती जाती थी। असल मे वह अग्रेज राज का पक्का भक्त था।

स जोध सिंह शुरू से लेकर आखीर तक समझौते के लिए काम करता रहा। स नारायण सिंह उसके साथ कोई चार-पाच बार जनरल वडवुड और चीफ सेक्रेटरी क्रेक के पास—या अकेले चीफ सेक्रेटरी के पास—गया। इसलिए समझौते का ज्वार भाटा भाई जोध सिंह के हाथो से ही गुजरा। अकाली नेताओ से वह कम से कम ९ बार मिला।[1] चीफ सेक्रेटरी, या चीफ सेक्रेटरी और जनरल वडवुड दोनों से वह इससे दो-तीन बार ज्यादा ही मिला होगा। दो तीन बार इन मीटिंगो म कर्नल मिन्चन भी शामिल हुआ था।

१ आम तौर पर मुलाकातें पहले किसी अग्रेज हाकिम या हाकिमो के साथ होती थी फिर श्रोमणि कमेटी के नेताओ के साथ। श्रोमणि कमेटी के नेताओ से हुई मुलाकातो की तारीखें य हैं (१) १७ ४ १९२४, (२) २४ ४ १९२४ (३) २८ ४ १९२४ (४) ३० ४-१९२४, (५) १ ५-१९२४, (६) १८ ५ १९२४, (७) २१ ५-१९२४ (८) २४ ५-१९२४, (९) २ ६ १९२४ ये सब तारीखें सरकार की खुफिया कार्रवाई फाइल न २६७/१९२४ वडवुड कमेटी, से लेकर दर्ज की गयी हैं

इन मामलों में उनका रवैया अंग्रेज हाकिमों के प्रति वफादारी का था। नामुराद अंग्रेज हाकिम कहता से जो कह 'सम्मान' मिल जाता था और आगे जाकर वह ऐसा था। हाकिमों का उन पर पूरा पूरा भरोसा था। इस सम्बन्ध में हम कुछ मिसालें पेश करते हैं

सबसे पहले हम सर जॉन मेनार्ड को १३ फरवरी १९२४ को लिखी उनकी चिट्ठी पेश करते हैं। इस चिट्ठी को लिखने का मकसद यह था कि अगर सरकार गुरुद्वारा गंगसर में अखंड पाठ की धार्मिक मर्यादा की आज्ञा देती है तो उन लोगों पर सख्ती की पाबंदी लगाता जो पाठ में हाजिर हो गए हैं—हालांकि धार्मिक रिवायत पेश करता है। अगर अखंड पाठ किया जाता है तो उन सबको—जो शामिल होने का इरादा रखते हैं—जाने की आजादी होनी चाहिए और पाठ उतनी देर तक होते रहने की आज्ञा मिलनी चाहिए जितनी देर तक सिख चाहते हैं। सरकार को उन लोगों के साथ इन्साफ और कानून के अनुसार निपटने का हक है जो अपने राजनीतिक प्रचार में कानून की सीमा पार कर जाते हैं। पर मेरी विनम्र राय में सरकार को कोई इस किस्म के नियम लागू नहीं करने चाहिए, जो धार्मिक कार्य की पूर्ति के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले हों।"

ऊपर दी हुई चिट्ठी का उक्त हिस्सा सिख मत के प्रचारक और सिख भाई जोध सिंह ने सर जान मेनार्ड को लिखा। सिख इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते। पर आरम्भिक हिस्से को वे खुद ही अगर पढ़ें तो शर्मिन्दा होंगे। यह हिस्सा बड़ी अरदास के साथ खुशामदिया भाषा में लिखा गया है। 'मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे ये पंक्तियां लिखने का कोई हक नहीं। पर मेरा बहाना केवल यह है कि मैं सिखों और गवर्नमेंट के दरम्यान दरार चौड़ी होती नहीं देखना चाहता।'

यह ब्रिटिश राज की भक्ति और वफादारी की हद है। थोड़ी बहुत इज्जत रखने वाला कोई वफादार भी इस हद तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकता। सर जान मनाड ने इस चिट्ठी के निचले हिस्से को तोड़ मरोड़ कर सरकार के हक में इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया। उसने यहां आम देहातियों को यह बात साफ साफ बता देनी चाहिए कि सरकार का धार्मिक रीति रिवाजों में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। शर्तें लगाने का मकसद राजनीतिक और बगावती स्पीचों को रोकना है।" धर्म में दखल देना और इस दखल के

१ लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स खंड ४, भाग २ २६ फरवरी १९२४ पं. मदन मोहन मालवीय के भाषण में दिया गया हवाला
२ पंजाब स्टेट एजेंसी डी ओ (लाहौर) २४ फरवरी १९२४

सामने म बगावती स्पीचा का बहाना करके लोगा को गुमराह करना—यही चालाक अग्रेज अफसरा की पालिसी थी।

पर क्या यह त्रिमूर्तियां—जोत सिंह—अपने पाठ या अखड पाठ के उसूला पर कायम रहा? चीफ सेक्रेटरी पजाब की दस्तावेजा स जाहिर होता है कि उसने मिस्टर क्रेक के सामने सिर नीचा करके उसकी हरेक बात माननी शुरू कर दी। लगता है कि उसने एक बार भी प्रोटेस्ट नही किया कि अखड पाठ पर सरकार द्वारा दिनो और नियुक्त की हुई सख्या के मुताबिक सिखो के गुरुद्वारे म प्रवेश पर लगायी गयी पाबदिया गलत और बमौका हैं, ये किसी सूरत म नही लगने देनी चाहिए।

१७ अप्रैल की मीटिंग मे उसके सामने तीन दिन म पाठ को खत्म करने और ज्यादा स ज्यादा २८ आदमियो की सख्या को गुरुद्वारे म जाने की आज्ञा देने के बारे म विचार विमर्श या बहस हुई। "उन्होने इन शर्तों म कोई रद्दो बदल करने पर जोर नही दिया।" इस मीटिंग की कारवाई म क्रेक ने (अब चद्रा मे) एक नोट लिया है जोध सिंह ने अमतसर मे जोर दिया कि यह (महाराजा नाभा का खुद गद्दी से दस्तबरदार होने का सवाल) सबसे पहला खत्म होना चाहिए। बाद म श्रोमणि कमेटी द्वारा एजीटेशन को तिलाजलि देने और इसके बाद मुजरिमाना कानून के तरमीमी एक्ट के अधीन (जत्थेबदिया को गैर कानूनी करने क) एलान की मसूखी, पर कदिया की रिहाई नही।"[1] —एच डी सी (क्रेक)।

इस मसले पर म सुन्दरसिंह मजीठिया की पोजीशन बहुत साफ और स्पष्ट थी। वह यह कि वह गुरुद्वारे मे जाने की आजादी देने के पूर्णत हक म था। उसने कहा था कोई भी सिख अपने धार्मिक रस्म रिवाजो पर किसी पाबदी को स्वीकार नहा करेगा और जैतो म मजमा कितना ही बडा क्या न हो जाय, किसी को कोई दखल देने का हक नही। मि चन ने उसके रवैये को नितात जिद भरा कहा था। यही नही। २१ फरवरी का गोलीकाड के बाद कई वफादार सिखा का भी यही नजरिया था कि सिखा पर सख्या की पाबन्दी लगा कर सरकार ने गलती की है।

किन्तु सरकार का डर था कि अगर जैतो म सिखा को कामयाबी मिल गयी तो वे नाभे म तथा कुछ अन्य जगहो पर मोर्चा लगायेंगे और फिर उनकी शरारता का कोई अन्त नही होगा। उन्हे बताने की जरूरत यह है कि वे अपनी मनमर्जी नही कर सकते।[2]

१ बडवुड कमेटी फाइल न २९७/१९२४ तारीख १७ ४ १९२४
२ ए बी मिचन का जे पी थॉम्पसन को पत्र फाइल २९७/१९२४

जनरल वडवुड, स जोध सिंह और नारायण सिंह जैसे वफादारों को अपनी कमेटी मे लेना चाहता था। जोध सिंह पर हाकिमो का पूर्ण विश्वास था। समझौता टूटने से पहले वायसराय ने खुद उसको शिमले बुला कर राजदारी के साथ सलाह मशविरा करने का क्रेक को हुक्म दिया था "अगर वह मशविरा दे कि नेता अपनी १८ मई की आखिरी चिट्ठी म कोई ठोस रद्दो बदल करते नही दिखायी देते, तो बातचीत आगे जारी न रखी जाय। अगर स जोध सिंह मशविरा दे कि नेता लोग अपने रवैये मे तब्दीली करने को तयार हैं, तो उनके साथ बातचीत फिर से शुरू की जा सकती है।"[1]

स जोध सिंह को शिमले बुलाया गया। उसने क्रेक से मुलाकातें करके सरकार के फैसले सुने। फिर उसने किले मे जाकर अकाली नेताओ से बातचीत की। अकाली नेताओ ने सरकार की शर्तें मानने से इकार कर दिया। २५ मई को उसने क्रेक को एक चिट्ठी लिखी जिसमे लिखा मने और नारायण सिंह ने दूसरे पक्ष के साथ पाच से सात शामो तक बातें की। वे जैतो गोलीकाड की निष्पक्ष जाच की माग करते हैं। वे कैदियो की बिना शर्त रिहायी का साफ साफ एलान चाहते हैं और अखड पाठ के लिए ३४ ३५ दिन मागते हैं। आज वे जैतो मे अपने मकसद के स्पष्टीकरण के बारे मे एलान निकाल रहे है कि जैतो को वे नाभे के एजीटेशन का अड्डा नही बनाना चाहते। उनका अपनी मर्जी से उठाया गया यह कदम आपको कायल कर देगा कि वे चाहते हैं कि—हो सके तो—इज्जतदार समझौता कर लिया जाय।"[2]

इस चिट्ठी मे इस्तेमाल किये गये दो शब्दो—'दूसरे पक्ष"—पर ध्यान दीजिए। वह अग्रेज राज की तरफ कितना झुका हुआ था! वह उस वक्त एक सतुलित तराजू पकड कर चलने वाला बिचौलिया नही रह गया था। इसीलिए श्रोमणि कमेटी "दूसरा पक्ष' हो गयी थी, और हाकिमो का धडा अपना धडा। 'दूसरा पक्ष' शब्द वायसराय ने अपनी २३ ५ १९२४ की मीटिंग मे श्रोमणि कमेटी के लिए दो बार इस्तेमाल किये थे। क्रेक जैसे सक्रेटरी अपने मालिको के शब्द दोहराना फख समझते थ। जोध सिंह का 'दूसरा पक्ष' शब्दो को इस्तमाल करना बडा अर्थपूर्ण है।[3]

जोध सिंह जिन्दगी म कभी भी अग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध नही गया क्योकि उसकी नीति यह थी कि सिखो को अग्रेज राज के नीचे पहले की तरह

१ वायसरीगल लाज डिसीजन्स २० मई १९२४
२ क्रेक के लिए रेलवे ट्रेन म मोटे कागज पर पेंसिल स लिखी चिट्ठी २५ ५ २४
३ मेमोरेंडम आफ दि कन्वर्सेशन एट वायसरीगल लॉज २३ मई १९२४

ही रखा जाय—इसको वह "सिख पथ और सरकार के बीच चौडी खाई" को पाटना कहता था।

पर अंग्रेज हाकिम अपने वफादारों के भी दोस्त नही थे। वे अपने राज की मजबूती के लिए काम लेना सीखे हुए थे—एतबार तो वे बडे से बडे वफादार पर भी नही करते थे। समझौता तोडने के आखिरी दो दिनो मे वायसराय ने कहा "जनरल बडवुड और क्रेक द्वारा सरदार (जोध सिंह) को प्रस्ताव की कोई तरमीम या और कोई दस्तावेज नही दी जानी चाहिए। हा, इस बात पर कोई एतराज नही किया जा सकता कि बातचीत मे जो नुक्ते उठें, उन्हे वह खुद नोट कर ले।"[1]

समझौते के दौरान सरकार के खिलाफ बगावती प्रचार को बद करने का सवाल उठा, तो क्रेक ने माग की कि श्रोमणि कमेटी की माली सहायता से चल रहे अखबारो को भी इस किस्म का प्रचार बन्द करना पडेगा। स जोध सिंह और नारायण सिंह ने कहा कि श्रोमणि कमटी किसी अखबार को कोई माली सहायता नहीं देती, न ही उसके प्रबध के मातहत कोई अखबार चलता है। पर क्रेक को इस सच्ची बात पर भी यकीन न आया। उसने लिखा 'यद्यपि इस खण्डन की सच्चाई पर शक करने के कारण मौजूद है, पर हम श्रोमणि कमटी और बगावती प्रेस के बीच रिश्ते को साबित नही कर सकते।" इस तरह वे कई बार अपने गलत निर्णय स टकराती अपने वफादारो की सच्ची बातो पर भी शक करने लगते थे।

२३ मई को ही जनरल बडवुड और क्रेक ने जोध सिंह के सामने गवनमेन्ट के रवैये का स्पष्टीकरण किया और उन्हे तसल्ली हो गयी कि जोध सिंह ने सारी हालत समझ ली है, वह अपने दोस्तो स कल—२४ मई शनिवार—को मिलेगा। 'उसने जिम्मेदारी ली है कि उनके (अकाली लीडरो के) साथ उसकी बातचीत इस किस्म के शब्दो म की जायगी कि उपयुक्त प्रस्ताव के मसौदे की तब्दीलियो के कारण गवनमेन्ट के हाथ न बाधे जा सकें।'[2]

श्रोमणि कमेटी ने जोध सिंह को 'दोनो का—यानी सरकार और सिखो का—दोस्त" लिखा था। पर सरकार, और उसकी अपनी चिटिठ्या साबित करती हैं कि उसका झुकाव अंग्रेज सरकार की तरफ ज्यादा था श्रोमणि कमेटी की तरफ नही। वह दरअसल न तो श्रोमणि कमेटी के प्रोग्राम को पसन्द करता था और न सरकार के खिलाफ मोर्चों को ही। सरकार उसको अपना काम

१ रिपोर्ट आन दि कान्फ्रेंस इन दि वायसरीगल लाज, २३ मई १९२४

२ एच डी क्रेक के अपने हाथ से लिखे शब्द फाइल २९७ पृ २०४

जिवालने लायक आदमी समझती थी, पर सिख होने के कारण उस पर पूरा विश्वास भी नहीं करती थी।

रिपोर्ट देते समय स. जोध सिंह अकाली नेताओं के आगामी इरादों के बारे में भी सरकारी अफसरों को बताता था। १८ मई की बातचीत में उसने अकाली नेताओं के बारे में उससे कहा कि वे नाभा में चलाये जा रहे मोर्चे जत्थेदारों के मुकदमे को छोड़ देंगे पर बहुत जोर न देंगे। जोध सिंह यह नहीं कह सकता था कि अकाली लीडर अपने मोर्चे में कोई तब्दीली लायेंगे या नहीं। "उनमें से कुछ संतुष्ट हो जायेंगे—अगर उनका प्रमुख जत्थेदार और जत्थेदार की रिहाई करने के लिए नजीर रखने की आशा मिल जाए।"

जोध सिंह ने सरकार को वचन दिया था कि इस समझौते की बातचीत के बारे में वह सरकार की सलाह के बिना कोई बयान नहीं देगा। उसने यह भी बताया कि शिरोमणि कमेटी के एक सदस्य ने कहा था कि इस मजिलस में वे कुछ भी प्रकाशित नहीं करना चाहते।

११ जोध सिंह की हालत पतली !

डी सी अमृतसर के बुलाने पर स. जोध सिंह ने ६२ अकाली लीडरों के दूसरे जत्थे को—खुद बीच में पड़ कर—अकाल तख्त से पकड़वाया था। सरकार उस मुकदमे में उसकी गवाही दिलाना चाहती थी। लेकिन वह गवाही देने में हिचकिचाता था—गवाही नहीं देना चाहता था। लेकिन सरकार उसे भागने नहीं देना चाहती थी। इसलिए अदालत में भाई जी के खिलाफ कारवाई शुरू हो गयी। सरकार ने चीफ सक्रेटरी (पंजाब) को लिखा 'जब तक जोध सिंह के खिलाफ अदालती कारवाई का मामला साफ नहीं होता, वह वडवुड कमेटी की मेम्बरी के लिए चुना नहीं जा सकता।'[1] इससे भी जोरदार शब्दों में गवर्नमेंट ने अगले दिन फिर लिखा 'यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि जब तक जोध सिंह के खिलाफ जनवरी के अकाली मुकदमे में उसकी गवाही नहीं हो जाती, तब तक वह न तो वडवुड कमेटी का मेम्बर चुने जाने के योग्य है और न ही उसे इस किस्म का आदमी समझा जा सकता है जिसकी गवर्नमेंट द्वारा कोई जिम्मेदारी (शर्त) कबूल की जा सकती हो।'[2]

भाई जी पर झूठी सौगध खाने का मुकदमा चलने वाला था कि उसने अदालत के सवालनामे का लिखित जवाब दे दिया। गवाही अकाली लीडरों के दूसरे

१ एच डी क्रेक उपरोक्त फाइल २२ ५ २४
२ उपरोक्त फाइल क्रीरार का क्रेक को पत्र लाहौर ८ ५ १९२४

मुकदमे म देनी थी। इस लिखित जवाब के बाद अदालत ने झूठी सौगध के मुकदमे की कारवाइ बन्द कर दी। और, यह हजरत बच निकले।[1]

यह थी जोध सिंह की बिचौलिये के तौर पर भूमिका। सरकारी फाइलो मे नारायण सिंह का कोई खास जिक्र नही।

१२ समझौते की बातचीत किस तरह टूटी

समझौते के टूटने की तरफ बढ रहे हालात का हम पीछे काफी अध्ययन कर चुके हैं। १७ अप्रैल के पजाब सरकार के प्रस्ताव मे—जिसे सरकार बाद मे मसौदा कहने लगी थी—हिन्द सरकार तब्दीलिया करने लगी थी। उसने पहले इसमें तरमीमें की, दुबारा फिर तरमीमे की। बार-बार की तरमीमों के बाद उसे आरजी तौर पर मजूर किया और फिर उसम भी तब्दीलिया होनी शुरू हो गयी। हिन्द सरकार किसी एक ठिकाने पर खडी ही नही होती थी। वह तब्दीलिया पर तब्दीलिया किये जा रही थी। और, पजाब सरकार का सेक्रेटरी हिन्द सरकार को लिख रहा था "शिरोमणि कमेटी के प्रतिनिधि किसी एक जगह खडे नही होते, लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं। ये प्रतिनिधि फसला तो हासिल करने की दिली ख्वाहिश रखते प्रतीत होते हैं पर लगता है कि वे अपने दोस्तो को काबू म रखने म कठिनाई महसूस करते हैं।"[2]

एक तो, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं नये आने वाले गवनर हली ने यह कह कर समझौता होने म अडचन डाली थी कि अकाली वचन-बद्ध नही रहगे, हिन्दुओ और मुसलमानो के हितो का ख्याल रखना है, अगर गुरद्वारा बिल की मर्जी सरकार को मजूर न हुइ—यानी बिल सरकार की मर्जी के मुताबिक न बना—तो कैदी नही छोडे जायेंगे वगैरा। दूसरे उसकी हिमायत के लिए सेक्रेटारियट के कुछ विभागो के सेक्रेटरी खडे हो गये थे। वे कहते थे कि सरकार को ऐसा कोई गलत समझौता नही करना चाहिए जिसके नतीजे हमें भी भुगतने पडें। तीसरे, यह रुझान बढ रही थी कि बागी जमात के साथ समझौते की बातें सरकार की पोजीशन को हल्का और नीचा करती हैं। इसका प्रभाव दूसरी पार्टियो पर अच्छा नही पडेगा, क्योकि एक तरह स यह कानून को तोडने वालों के हक म जायेगा। चौथे, वायसराय ने अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर शिरोमणि कमेटी तीन शर्तें मजूर नही करती, तो बातचीत तोड दी जायगी। ये तीन शर्तें निम्नलिखित थी

१ क्रेक का क्रीरार को पत्र लाहौर ६ मई १९२४ फाइल न २९७
२ उपरोक्त लाहौर २८ ४ २४

(१) बंदियो की रिहायी का "पजाब सरकार का इरादा" है। लेकिन सरकार रिहाइया के संबध म कोई दात देने को तैयार नही—न इसके बारे म कुछ लिख कर देने को तैयार है। १७ अप्रैल के प्रस्ताव म जो शब्द इस्तेमाल किये गये थे, वे थे सरकार जिम्मेदारी लेती है या दात मानती है। इसके अथ स्पष्ट थे—अर्थात कि गवनमेंट की मर्जी होगी तो बंदी छोड देगी या लीडरो का साजिश केस वापस ले लेगी। उसकी मर्जी नहीं होगी, तो कुछ नहीं करेगी।

(२) नाभे म तसददुद को दाह देने का प्रमुख जत्थेदार तथा अय जत्थेदार पर जो मुकदमा चल रहा है, वह वापस नही लिया जायगा।

(३) महाराजा नाभा को गद्दी पर बहाल करने की मुहिम "छोडनी पडेगी", या इस मुहिम से "परहेज करना' पडेगा। सरकार एजीटेशन को 'मुल्तवी' करने की बात नही मानती, क्योकि मुल्तवी करने के बाद यह मुहिम दोबारा किसी वक्त भी शुरु की जा सकती है। गवनमेंट अहम मुद्दा पर झुकने के लिए तैयार नही, पर मामूली मुद्दो पर झुकने के लिए तैयार है—वह भी उस सूरत मे जब गवनमेंट के पास यह देखने के ठोस कारण हो कि दूसरी ओर से सारी शर्तें मान ली जायेंगी।

वायसराय का सारा जोर तमाम शर्तों को मनवाने के लिए १७ मई के (मसौदे) प्रस्ताव म मामूली तब्दीलिया करने पर था। इसी प्रस्ताव को वह 'आखिरी पेशकश" कहता था। पहली रियायत यह थी कि जो जत्थे अमृतसर से जैतो को रवाना हो चुके है उन्हें—अगर वे जाना चाहें—रेल से अपने निर्दिष्ट स्थान तक जाने की आज्ञा होगी। पहले अडगा यह लगाया गया था कि जत्थे—फौजी तरतीब मे—जैतो नही जाने दिये जायेंगे, लोग व्यक्तिगत तौर पर जा सकेंगे। यह अडगा जैतो स्टेशन से आगे गुरुद्वारा गगसर तक पहुचने के लिए उठा लिया गया था।

दूसरे, वायसराय का यह भी ख्याल था कि अरदास के इन शब्दो को छोडने पर जिद करना फिजूल है कि (हे महाराज), 'आप महाराजा की मुसीबत म सहायक हो"—यद्यपि ये शब्द राजनीतिक प्रोपगेडा के बहुत नजदीक हैं। पहले, 'शहीदो की रूह को शाति मिले" जैसे निरीह शब्दो पर भी सरकार की तरफ से ऐतराज किये गये थे।

तीसरे, उसने यह भी कहा कि सारे हिता के लिए "न्यायपूर्ण हल" के शब्द भी छोडे जा सकते है। यह वह फामूला था जिसके अन्तगत सरकार हिंदुओ और मुसलमानो की हमदर्दिया अकाली तहरीक से तोडने के यत्न कर रही थी\ इस पर भी वह काफी अर्से से डटी थी और इसको गुरुद्वारो पर अपना दखल बनाये रखने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी।

और वायसराय ने यह हुक्म दे दिया कि अगर सोमवार २ जून को दोपहर तक, सरकार द्वारा तजवीज की गयी व्यवस्था (समझौता शब्द अब खटकने लगा था) बगैर किसी तब्दीली के मजूर नही की जाती, तो सरकार यह समझेगी कि अकाली नेता उसे स्वीकार नही करते। तब, समझौता टूटने का २७ मई वाला एलान—जो जोध सिंह ने देखा है—प्रकाशित कर दिया जाय।[१]

साफ जाहिर है कि यह सरकार ही थी जिसने समझौता तोडने मे पहल की। सरकार के उच्चतम हाकिमो के सिर पर सत्कार और वकार का, तथा अकालियो की जीत के डर का, भूत सवार था। वे स्वय कोई बात मानने को तैयार नही थे। तमाम शर्तें वे अकाली लीडरो से, उनके गले मे अगूठा डाल कर, मनवाना चाहते थे। जेल के लीडरो के बहुमत ने ऐसी गिरी हुई शर्तों के सामने झुकने से इकार कर दिया। फलत, बातचीत बीच मे ही खत्म हो गयी।

१३ बर्डवुड कमेटी का अत

समझौते की बातचीत का टूट जाना, एक तरह से अच्छी बात थी। कमेटी मे सरकार जी हुजूरी करने वाले सनातनी हिंदू लीडरो को डालने के यत्न कर रही थी। वह महाराजा बर्दवान को ला रही थी—जिसने महाराजा की हैसियत से और बजबज घाट के गोलीकाड की जाच कमेटी में हिस्सा लेकर अपनी वफादारी का सरकार को सबूत दे रखा था। एक दूसरे आदमी—भावनगर रियासत से प्रधान सर प्रभाशकर पटानी—को लाने के लिए भी वह लिखा पढी कर रही थी। उसका 'सर' और रियासत का प्रधान होना ही सरकार के प्रति उसके वफादार होने के लक्षणो को प्रकट करता था। तीसरा आदमी था कौंसिल आफ स्टेट का मेम्बर सर देव प्रसाद सर्वाधिकारी। बडवुड कमेटी मे ये तीन आदमी तथा कौंसिल के दो तीन मेम्बर लिये जाने थे। कमेटी का गठन 'दूसर हिंदो' को मुख्य मान कर ही किया जा रहा था। इसके जरिये नये बखेडे पैदा किये जाने थे। और, गुरुद्वारा पर श्रोमणि कमेटी के कट्रोल का मसला हल नही होना था।

बातचीत टूटने के बाद जनरल बडवुड की अपनी राय यह बन गयी थी कि कमेटी को वजूद मे लाने का कोई फायदा नही। सेक्रेटारियट मे कुछ आदमी

१ ऊपर के सारे तथ्य वायसराय की कान्फ्रेंस, इसके मैमोरेंडम (२३ ५-२४) और वायसराय के साथ जनरल बडवुड तथा क्रेक की मुलाकात (२८ मई) के विवरण से लिये गये हैं देखिए फाइल २९७—बर्डवुड कमेटी

थे जो महत ये कि श्रोमणि कमेटी अपने मेम्बर भेजे या न भेजे, वडवुड कमेटी कायम कर देनी चाहिए। उनकी राय म कमटी के न बनाय जान स श्रोमणि कमेटी की कद्र और कीमत बढेगी, क्योंकि आम असर यह होगा कि सिख मसले को हल करने के लिए श्रोमणि कमेटी के सहयोग के बिना कोइ कमेटी वजूद म नही आ सकती। लेकिन उनकी राय रद्द कर दी गयी।

जनरल वडवुड इस बात का कायल था कि ऐसी कोई कमेटी फायदमद साबित नही होगी, जिसम श्रोमणि कमेटी के विश्वासपात्र सदस्य शामिल नही होगे। और, गवनर इन कौंसिल की भी यही राय थी। श्रोमणि कमेटी के विरोध के कायम रहते जनरल बडवुड स ऐसी कमेटी की अध्यक्षता के लिए कहना जिसका बायकाट किया जायगा और मखौल उडाया जायगा—उसके साथ इंसाफ करना नही था।[1] वायसराय भी बाद म इसी राय म शामिल हो गया क्योंकि इस किस्म की कमेटी की सिफारिश की वैसी ही मिट्टी पलीद होनी थी जसी श्रोमणि कमेटी के सहयोग के बगर सरकार द्वारा थोप गये गुरुद्वारा बिलो की हुई थी।

१४ अखबारो के जरिये सरकार द्वारा प्रचार

सरकार ने अपना एलान तो हानिरहित सा निकाला लेकिन एग्लो इडियन अखबारो के जरिये समझौता तोडने की जिम्मेदारी का घडा श्रोमणि कमेटी के सिर पर फोडना चाहा। हिदुस्तान म ढर सारे एसे अखबार थे जो हाकिमो के इशारे पर नाचते थे। उन्होने लिखना शुरू कर दिया 'सरकार रियायतें देने की आखिरी हद तक इस उम्मीद से गयी थी कि पुरअमन फसला हो सके। उदार विचारो वाले सिखो की बहुसख्या भी चाहती है कि यह फैसला सिरे चढे। किन्तु दुर्भाग्य से अकाली कम्प के अडियल लीडरो का तमाम पथ पर जहरीला असर है। और यह सर्वविदित है कि उनकी ताकत पिछले दो हफ्ता मे बहुत बढ गयी है।'[2]

दैनिक ट्रिब्यून ने भी इस प्रचार का नोटिस लिया एक से अधिक एग्लो इन्डियन अखबारो ने बातचीत की असफलता का इल्जाम अकालियो पर थोपा है। इस किस्म के इल्जाम अफसरो के प्रभाव के अतगत लगाये गये थे। इसमे पहल श्रोमणि कमेटी ने नही की। सरकार ने एक से अधिक बयान इस

१ चीफ सेक्रेटरी का सेक्रेटरी होम डिपाटमट फौरारर को पत्र लाहौर ५ मई १९२४

२ पायनियर, इलाहाबाद, ५ जून १९२४

बारे मे दिये। उसने प्रचार किया कि समझौते का टूटना लोगो के लिए बडा महत्व रखता है। लोग जानना चाहते हैं कि समझौता किन हालात मे टूटा। 'श्रोमणि कमटी के लिए लोगो का भरोसा हासिल करना उसकी जिन्दगी है।"[1] लोगो की हिमायत के बिना वह नाकारा होकर रह जायगी।

[1] ट्रिब्यून, लाहौर ५ सितम्बर १९२४

चौंतीसवाँ अध्याय

श्रोमणि कमेटी द्वारा स्पष्टीकरण

इस समय श्रोमणि कमेटी का सरकार की तरफ रवैया बड़ा सुलह-सफाई वाला और नम था। लोग माग कर रहे थे कि समझौता टूटने की वजह बतायें जायें। पर श्रोमणि कमेटी अपना बयान सरकार को दिखा कर और उससे ह करा कर ही प्रकाशित करना चाहती थी। पहले १० जून को स राजा सिंह मगल सिंह तथा एक अन्य नेता अपना एलान लेकर चीफ सेक्रेटरी क्रेक को दिखाने शिमला गये। उसने पहले तो उन्हें लेक्चर देना शुरू कर दिया कि सिख एक छोटा सा फिरका हैं हिन्दू और मुसलमान उनके सख्त खिलाफ हैं, उन्हे सभल सभल कर चलना चाहिए। फिर डराने धमकाने के लिए उसने कहा मैं अगर चाहू तो अभी तुम्हें पकड कर जेल म फेंक सकता हू क्योंकि तुम एक गैर-कानूनी सगठन के सदस्य हो। पर उसका यह वार निरर्थक हो गया जब उन्होंने डट कर जवाब दिया कि पजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से पकडे जाने पर हमें खुशी होगी। पर उसने झट पतरा बदल कर कहा मैं भरोसे के सत्कार के कारण ऐसा कदम नहीं उठाऊगा।[1] ११ जून को वे तीनों अपना एलान देकर अमृतसर वापस आ गये।

२० जून को स तारा सिंह (मोगा वाले) द्वारा सरकार को एक और स्मरण-पत्र तथा एलान नम्बर १६६३ भेजा गया। उसमे लिखा गया कि श्रोमणि कमेटी इस एलान के सिवा और कुछ प्रकाशित नहीं करना चाहती। २३ जून को एक तार भेजा गया जिसमे सरकार से कहा गया कि अगर एलान म कोई गलत तथ्य हो तो एलान को प्रकाशित करने से पहले बता दिया जाय। पर गवनर ने फैसला किया कि इस तार का कोई जवाब ही न दिया जाय। उसका तर्क था कि—एक तो, किसी गैर कानूनी जत्थेबदी के साथ पत्र व्यवहार करना वैसे ही ऐतराज की बात है, दूसरे, किसी गलत तथ्य को दुरुस्त करना किसी हद तक, सरकार को ही एलान के लिए जिम्मेदार बनाता है।[2]

१ श्रोमणि गुरद्वारा प्रबधक कमेटी का स्मरण पत्र १६ ६ २४

२ २७ जून फाइल न २६६/१६२४ होम, पोलिटिकल

इससे अंग्रेज हाकिमों की रिआकारी और कुटिल नीति का पर्दाफाश होता है। एक तरफ वे अपने मध्यस्था को—फिर चाहे वह स शोभा सिंह हो, या स जोध सिंह और नारायण सिंह—गैर-कानूनी जथेबदी के लीडरों मे पास (जेल के अन्दर और बाहर) मुलाकातो की इजाजत की चिटिठया लिख लिख कर भेजते थे, दूसरी तरफ यह दिखाया कर रहे थे कि बागी जमात होने के नाते श्रोमणि कमेटी एक अछूत जमात है, उसके साथ कोई रिश्ता-नाता नही रखा जा सकता। इस किस्म का दोगलापन अंग्रेज राज की नीति का एक अग था।

श्रोमणि कमेटी का यह एलान (न १६६३) बहुत हिचकिचाहट भरा था। इस मजिल मे वह बातचीत की तफसील देने के खिलाफ थी। समझौता टूटने का कारण, श्रोमणि कमेटी की कोई असाधारण माग नही थी। बाकी तमाम नुक्ता पर अमली सहमति थी। पर सरकार जैतो के कैदियो का एक अहम जत्था छोडने का वचन देने को तैयार नही थी। न ही वह—गुरुद्वारा बिल के पास हो जाने के बाद भी—सारे धार्मिक कैदियो को रिहा करने का विश्वास दिलानी थी। इसमें कोई शक नही कि गुरुद्वारा बिल का अमल मे लाने के लिए यह एक वजनदार शर्त थी। इस बात पर असेम्बली और कौंसिल के मेम्बरो ने बार-बार जोर दिया था और प्रस्ताव भी पास किये थे।

गवनमेन्ट इस मामले म नगा होने से बहुत डरती थी। कारण यह कि श्रोमणि कमेटी के हाथो म आये लिखित सबूत समझौता तोडने का कसूरवार सरकार को ठहराते थे। इसलिए चीफ सेक्रेटरी क्रेक ने राजा सिंह और उसके साथियो से शिमले मे भी कहा था कि समझौते के टूटने के बारे मे कुछ कहना "वचन भग" करना होगा और जब एसाशियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि ने क्रेक का ध्यान श्रोमणि कमेटी के समझौते के सबध म निकले बयान की ओर आकर्षित किया और पूछा कि क्या बातचीत के बारे म श्रोमणि कमेटी का बयान दुरुस्त है—नो उसने जवाब दिया वह इस मसले पर कोई विचार नही व्यक्त करना चाहता क्योंकि इस बात पर आपस मे इत्तिफाक था कि बातचीत टूटने की हालत मे इस कारवाई को गुप्त रखा जायगा।[1]

क्रेक समझौते का गुप्त रखने के बारे म सरासर झूठ बोल रहा था—और, अंग्रेज हाकिमो के लिए झूठ बोलना कोई अनोखी बात नही थी। पीछे पाठक पढ चुके हैं कि वायसराय समझौते के बारे म किसी भी वक्त कोई भी बयान देने के लिए हिन्द सरकार और पजाब सरकार के हाथ खुले रखने पर जोर दे रहा था और पजाब सरकार उसके आगे मुह तक नही खोल सकती थी।

१ ट्रिब्यून, लाहौर, ५ सितम्बर १९२४

गुरु सिंह ने कोई भी बयान देने से दोनों सरकारों के हक को बहाल रखने के बारे में, जो सरकार ने ऐलान किया था जिसके जरिये य ऊपर पहुंचाये गये थे

???(चीफ) ने जोध सिंह को एक निजी चिट्ठी दी थी कि समझौते से तय हो जाने वाली बात यह है कि हिन्द सरकार और पंजाब सरकार के पास कोई भी करार जो यह मुनासिब समझे किसी भी वक्त देने का अधिकार कायम है। सरकार जोध सिंह को आशा था कि इस शर्त पर अमल किया जायगा।[1] इसलिए शामनि कमेटी का बयान देने की कोई मनाही नहीं थी। न ही उसके साथ इस किस्म की कोई शर्त तय हुई थी। इतना ही नहीं। बिचौलिया ने भी इस किस्म की कोई राय नहीं दी थी कि बातचीत के असफल होने पर कोई बयान नहीं दिए जायेंगे। उन्हें तो सरकार द्वारा बातचीत खुफिया रखने के खिलाफ हिदायत मिली थी।

पर शामनि कमेटी—समझौते की उम्मीद में—सरकार की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती थी। उसने राय यह बनायी थी कि तमाम हालात का 'प्रकाशित करना' दोनों के तबकों में तनाव पैदा कर देगा, क्योंकि यह जाहिर करना सरकार को मुश्किल हालत में डाल देगा कि उसने अपने दिये हुये वचनों का मुनासिब पालन नहीं किया—न ही सुलह सफाई के लिए काफी इच्छा प्रकट की है।[2]

१ कमजोरी के चिह्न

इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि सरकार की कमजोर पोजीशन से फायदा उठाया जाता समझौते की सारी बातचीत पर से बिना झिझक पर्दा हटा लिया जाता होते होते समझौते को तोड़ने का जोरदार इल्जाम गवर्नमेंट पर लगाया जाता लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में बताया जाता कि किस तरह सरकार पहले अपनायी गयी स्थितियों से एक एक कदम पीछे हटी है तथा समझौता करने से भाग निकली है।

इस स्पष्टीकरण का असर यह होता कि लोगों में पंजाब सरकार की पोजीशन बहुत कमजोर हो जाती उसको सफाई देने के लिए बयान पर बयान देने को मजबूर होना पड़ता, शिरोमणि कमेटी की पोजीशन ज्यादा मजबूत हो जाती तथा अकाली जत्थेबंदी और भी सुदृढ़ हो जाती। इतना ही नहीं, सरकार की कुटिल नीति को नंगा करने से हिन्दू मुस्लिम लीडरों की सहानुभूति पहले

१ जे फीरार ३० ४ २८ फाइल न २६७
२ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का मैमोरेंडम १६ ६ २४

, ज्यादा श्रोमणि कमेटी के माथ हो जाती, क्योंकि समझौता तोडने का इल्जाम गवनमेंट के सिर पर लगता।

पर अकाली लीडरों की यह समझ "सम्प्रदाय मे तनाव" को कम नहीं करती थी। दरअसल यह अगर इस तनाव को बढ़ाती नहीं थी—तो कायम जरूर रखती थी। जल्द समझौता हो जाने की आशा ने कुछ लीडरों म कमजोरी पैदा कर दी थी जिसके कारण हली गवनमेंट का हाथ ऊपर हो गया था। ऐसा क्योंकर हुआ यह हम आगे चल कर देखेंगे।

समझौते के टूटने की खबर सुन कर "सरदार महताब सिंह और उसके दोस्तों' को बड़ा अफसोस हुआ। उनके उतरे हुए चेहरे सरकारी वकीलों पैटमैन और ज्वाला प्रसाद न देखे। उन्होंने इसकी रिपोर्ट ऊपर के अफसरों को दी। मुस्लिमों के वकील रायजादा भगतराम ने भी उनकी मनोदशा देखी और परखी। उसने उनकी बातें सुनी। उनसे एक ही बात जाहिर होती थी। वह यह कि स महताब सिंह और उनके दोस्त रिहाइयों के लिए बडे बेताब थे। सरकार के साथ लडते लडते वे थक गये थे और समझौते के टूटने की जिम्मेदारी श्रोमणि कमेटी के (जेल से) बाहर के लीडरों पर यह कह कर डालते थे कि उन्होंने (तास के पत्ते) अच्छी तरह नहीं खेले नहीं तो समझौता हो जाता।[1]

२ महात्मा गाधी और दूसरा शहीदी जत्था

पहले शहीदी जत्थे पर गोली चल चुकी थी। दूसरा शहीदी जत्था तैयार हो चुका था। तभी महात्मा गाधी और लाला लाजपतराय ने अलग अलग सन्देश भेजे जिनमे श्रोमणि कमेटी से प्रार्थना की गयी कि वह जैतो मे तब तक और जत्थे भेजना बन्द कर दे जब तक कि राष्ट्रीय नेता समय निकाल कर इस मसले पर विचार नहीं कर लेते तथा अकालियों को सलाह मशविरा देने का फैसला नहीं कर लेते।[2]

महात्मा जी का विचार था कि जत्था चलने से पहले अगर वह अकाली मित्रो से मिल सकते तो सब कुछ सुनने के बाद भी यही सलाह देते कि सारी स्थिति का लेखा जोखा लेने और जाच पडताल करने से पहले जत्था नहीं भेजना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि "हालाकि जत्था इस वक्त अपनी *मंजिल के नजदीक पहुच रहा है, तो भी म इसको वापस बुलाने का मशविरा*

१ एक विश्वसनीय सिख पत्रकार (अर्थात् सी आई डी) की रिपोर्ट १७ जून १९२४

२ दिल्ली इंडियन न्यूज एजेंसी, तार न ४४ (डी) २६ २ १९२४

देता हू ताकि सारी हालत पर फिर से विचार किया जा सके।"[1]

एक चिट्ठी महात्मा जी ने शिरोमणि कमेटी को उसी तारीख को और लिखी जिसमे अपनी तसल्ली के लिए महात्मा जी ने पूछा

१ अकालियो की शक्ति कितनी है ?

२ (क) अखड पाठ की पूर्ति का कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नही है ? अखड पाठ के जरिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे महाराजा नाभा की बहाली की कोई एजीटेशन तो नही की जायगी ?

(ख) हरेक गुरुद्वारे का झगडे वाला केस सालसी के हवाले किया जायगा और यह मामला भी सालसी के पास जायगा कि कोई ऐतिहासिक गुरुद्वारा ऐतिहासिक है भी या नही वगैरा ।

महात्मा जी ने यह भी पूछा कि क्या गुरुद्वारा तहरीक म उन लोगो के तरीके बिल्कुल अहिंसात्मक हैं ? यानी अकाली विचार शब्दो म और अमल म लोगो के प्रति अहिंसात्मक रहेंगे—फिर लोग अग्रेज हो या अकाली तहरीक के विरोधी हो या कोई और इत्यादि ।[2]

इससे पहले कि इन सवालो पर और अहिंसा के सिद्धात के बारे म हम विचार करें दो बातो को ध्यान मे रखना चाहिए। एक यह कि महात्मा गाधी ने गुरु गोबिन्द सिंह को अपने एक लेख म 'गुमराह हुआ देशभक्त' कहा था। इसके कारण कट्टरपथी सिखो के दिल म महात्मा जी के प्रति तअस्सुब पैदा हो जाना स्वाभाविक बात थी । महात्मा जी ने ये शब्द गुरु गोबिंद सिंह द्वारा तलवार के इस्तेमाल को जायज ठहराने के खिलाफ कहे थे।

दूसरे यह कि सिख गुरुओ ने हालात के मुताबिक दोनो रास्ते अपनाये थे—कुर्बानी याना अहिंसात्मक रास्ता भी और दुश्मनो के साथ तलवार से निबटने का रास्ता भी। गुरु गोबिन्द सिंह जी ने तलवार का इस्तेमाल करना उस हालत मे जायज करार दिया था जब दूसरे प्रयत्नो और वसीलो से बात आगे गुजर गयी हो।[3] इसलिए अकाली नेता भी हालात की नजर देख कर महात्मा गाधी के अहिंसा के उसूल या सिद्धान्त पर अमल कर रहे थे—और यह वे कर रहे थे अकाल तख्त के सामने धर्म का बीच म रख कर। पर यह अकाली उसूल उनके धर्म का अग नहीं था उनके धर्म का अग जरूरत पड़ने पर हिंसा का इस्तेमाल करना भी था।

१ महात्मा गाधी की ओर से शिरोमणि कमेटी को ८ ३ २४ की चिट्ठी हिस्ट्री ऑफ सिख कान्फ्रेंसियल पेपर्स, पृ ८८

२ उपरोक्त पृ ८९

३ चू कार अज हमा हीलते दर गुजश्त हलाल अस्त बुरदन बशमशीर दस्त

इसलिए अहिंसा का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए भी, उनके मन मे उक्त भावना मौजूद थी। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नही कि वह गुरद्वारा की तहरीर की किसी मजिल पर भी हिंसा का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके विपरीत बदनामी का खतरा मोल लेकर भी उन्होने गवर्नमेंट के सारे सन्देह दूर करने के लिए बब्बर अकालियो की हिंसात्मक तहरीक से अपनी अलहदगी का एलान किया था।

महात्मा जी के इस आकस्मिक हस्तक्षेप का अकाली वहुसख्यका पर अच्छा असर नही पडा था। पहले शहीदी जत्थे पर गोली चलने के फौरन बाद ही इस चिट्ठी के आने के कारण आम असर यह पडा था कि, लगता है महात्मा जी ने इस ब्रिटिश प्रचार को सही मान लिया था कि शहीदी जत्थे ने हथियार इस्तेमाल किये हैं—वह भी ऐसी स्थिति मे जब खुद विल्सन और *मिन्चन के परस्पर विरोधी बयान तथा एक भी पुलिस वाले या फौजी का जख्मी* न होना सिद्ध करते थे कि सरकारी अफसर बेगुनाह अकालियो के कत्लेआम के जुर्म पर पर्दा डालने के लिए जानबूझ कर हथियारो के इस्तेमाल के झूठ का प्रचार कर रहे हैं।

महात्मा जी ने और भी बहुत कुछ अपनी चिट्ठियो मे लिखा था। अकाली लीडरो न जेल में और बाहर उनकी चिट्ठियो पर ध्यान से विचार किया था पर उस वक्त उन्हें जवाब कोई नही दिया था। पहली बात यह कि अकाली लीडरो का बडे-बडे जत्थे न भेजने की महात्मा गाधी की राय मजूर नही थी, न ही वे महात्मा जी की इस राय से सहमत थे कि बहुत सारे आदमी शिरोमणि कमेटी द्वारा (गुरुद्वारों पर) कब्जा करने के लिए नही भेजे जा सकते। महात्मा जी की राय के मुताबिक 'एक या ज्यादा से ज्यादा दो आदमी—जो दियानतदारी, रूहानी ताकत और विनम्रता के पुज हो—इस हक को मनवाने के लिए भेजे जा सकते हैं।'[1] पर शिरोमणि कमेटी तो गुरू के बाग के मोर्चे के वक्त से ही सौ सौ अकालियो के जत्थे भेजती रही थी। अब पाच सौ के जत्थे से उतर कर एक-दो, या पाच-दस आदमियो के जत्थे पर आना असम्भव बात थी। कारण यह कि इससे हाकिम और गैर सिख लोग एक ही अर्थ निकाल सकते थे। वह यह कि अकाली लहर दम तोड रही है—और, सरकार की रिपोर्टें भी यही कहती थी कि अब अकालियों को जत्थो के लिए रगरूट नही मिल रहे।

दूसरे समझौते के लिए वडवुड कमेटी के वजूद मे आने की चर्चा शुरू हो चुकी थी। यह दूसरे जत्थे के रवाना होने, और तीसरे चौथे जत्थे की तैयारियो

१ महात्मा गाधी की ४ ३ २४ की चिट्ठी सम कान्फिडेंशियल पेपर्स प ४६

का दबाव ही था जिसने सरकार को समझौते के लिए कदम उठाने को तैयार किया था। वैसे भी 'सर एडवर्ड मैकलगन (गवर्नर) अपनी मियाद खत्म होने से पहले कुछ कदम उठाने का इच्छुक था जो मसले को हल की तरफ ले जा सकें। पर, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कुछ दूसरे अफसर थे जो चाहते थे कि यह मामला तब तक लटकता रहे जब तक सर मैलकम हैली आकर (गवर्नरी का) चार्ज नहीं ले लेता।'[1] इसलिए महात्मा जी के सवाल का जवाब आगे टलता गया।

शिरोमणि कमेटी ने २० अप्रैल को बड़े विस्तार से महात्मा जी के हर सवाल का जवाब दिया। उसने खासतौर से बारे में महात्मा जी से सहमति प्रकट की और कहा कि सत्याग्रह करने पर शिरोमणि कमेटी उस समय ही मजबूर हुई जब महंत ने बैठ कर परस्पर बातचीत करने से या समझौते के दूसरे प्रयत्नों को मानने से इन्कार कर दिया। सत्याग्रह पूर्ण अहिंसा की भावना सामने रख कर किया गया था। कमेटी के लक्ष्य और साधन, एकदम खुले और सन्देह से परे थे। 'हमारे तजुर्बे ने इस (शान्तिमय सत्याग्रह) के तरीके में हमारे विश्वास को और उसमें हमारी लगन को मजबूत किया है।"

'हमारी तहरीक न तो हिंदू विरोधी है, न ही किसी दूसरी नस्ल या धर्म की विरोधी। यह अपने लक्ष्यों और भावना में वास्तव में धार्मिक है और नजरिये में पूर्णत राष्ट्रीय है। इसीलिए शुरू से अब तक हमने अच्छे लोगों की सद्भावनाएं और शुभकामनाएं हासिल की हैं।'

'यह तहरीक केवल धार्मिक है। इसके सामने कोई बुनियादी लक्ष्य या इरादा नहीं है। सिख राज कायम करने की शिरोमणि कमेटी की कोई इच्छा नहीं क्योंकि यह केवल धार्मिक जमात है। जब भी सरकार ने यह निराधार आरोप लगाया है, इसका खंडन किया गया है। सरकार का मकसद है—यह इल्जाम लगा कर कमेटी को दूसरे फिरकों में बदनाम करना। कोई भी सिख जत्थेबंदी, स्वप्न में भी सिख राज कायम करने की इच्छुक नहीं है।'"[2]

तहरीक की धार्मिक खसलत पर जोर देते हुए कमेटी ने यह भी कहा कि यद्यपि गुरु के बाग के मोर्चे के समय हिंदुओं और मुसलमानों ने जत्थे भेजने में पहल की थी पर कमेटी ने उनको धन्यवाद देते हुए उसे स्वीकार नहीं किया। अकाली तहरीक की पंडित नेहरू, प्रो गिडवानी, पं मदन मोहन मालवीय डा किचलू, अली बन्धुओं और कई हिंदू मुस्लिम लीडरों तथा

१ महात्मा गांधी को पणिक्कर का पत्र, ६ मई १६२४

२ सम कान्फीडेंशियल पेपर्स पृ ५६ तथा आगे

सिख कौमपरस्ता ने बेहद मदद की है कमेटी उनकी ऋणी है। इनका, और गाधी जी आपना प्यार सिखा को हिदुआ मुसलमानो या और किसी फिरके के खिलाफ कभी नही जान देगा, न ही किसी फिरके पर गलबा हासिल करने के सपने देखने देगा।'

कमेटी ने जैतो के अखड पाठ के बारे म कहा कि अखड पाठ करने के अलावा जैतो मे उनका कोई भी दूसरा लक्ष्य नही है। जैतो का महाराजा नाभा की बहाली की मुहिम का अड्डा बनाने का कोई इरादा नहा—अखड पाठो के पूर्ण हाने के बाद व फौरन नाभा रियासत को छोड देंगे। पर कमटी के लीडरा ने यह बात साफ-साफ कही कि "महाराजा के साथ की गयी बेइसाफी को दूर कराने वाला उनका प्रस्ताव पूरी ताकत के साथ कायम है और कमेटी उस प्रस्ताव का, उसके शब्दो के मुताबिक अमल म लाने मे कोई कसर नही उठा रखेगी।" कमेटी ने जवाब म यह भी लिखा कि किसी को कोई हक नही कि वह हम पर हमारे गुरुद्वारा मे जाने वालो की सख्या निश्चित करने के मामलो म और पूजा पाठ के तरीका के सबध मे कोई पाबदी थाप।"

जहा तक अकालिया की ताकत का सबध है इक्के दुक्के महतो क अलावा सारा सिख पथ कमटी के साथ है। अकाली सत्याग्रहियो की सख्या उतनी ही बढ़ती जाती है जितना ज्यादा जुल्म हाता है। पर कमेटी ने महात्मा जी के साथ दा नुक्ता पर अपना मतभेद स्पष्टत प्रकट किया पहला—बडी सख्या मे सिखो द्वारा सत्याग्रह को "ताकत का दिखावा" मानना, दूसरा—गिरफ्तारियो के हुक्म का उल्लघन करना। दूसरा नुक्ता अभी वजूद म न हाने के कारण उस पर विचार करना अकारथ है। पहले नुक्ते पर विचार करते हुए कमेटी ने कुजिया के मामले और गुरु के बाग के मोर्चे का जिक्र करके लिखा कि पहले दो दा चार चार अकाली सत्याग्रह करते थ। भाई फेरू मे भी उस समय सिफ चार चार अकाली ही सत्याग्रह कर रह थ। पर जता के हालात बिलकुल दूसरे थ, इसलिए बडे बडे जत्थे भेजने की जरूरत पडी। 'इसको हम अहिंसा की भावना के पूर्णत अनुरूप समझते हैं और अपनी सफलता के लिए जरूरी मानते हैं।

श्रामणि कमटी की आर से महात्मा गाधी का लिखी गयी यह चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। इसम महात्मा गाधी के सभी सवाला का जवाब बडी योग्यता स दिया गया है। हम आगे भी इसका जिक्र करेंगे। दो-तीन नुक्ते और देकर हम यह प्रसग बद करेंगे।

(क) शिव लिंग दरबार साहब की परिक्रमा के एक नुक्कड पर एक हिंदू मूर्ति थी। कुछ समय स कही से लाकर एक शिव लिंग वहा रखा गया था। सिख मूर्तिपूजक नही हैं। दरबार साहब से शिव लिंग हटाने के लिए

हिंदू नेताओं से बातचीत करके ही सिख कोई कदम उठाना चाहते थे। इस प्रश्न पर मालवीय जी और शंकराचार्य के साथ भी विचार विमर्श हुआ था। ये दोनों श्रोमणि कमेटी से इस मामले में सहमत थे। पर इसके पहले कि यह मामला हिंदू नेताओं के सहयोग से तय होता, कुछ 'गैर जिम्मेदार और गुमराह आदमियों' ने इसको श्रोमणि कमेटी की जानकारी के बिना तोड कर फेंक दिया। कमेटी को जब इस घटना का पता चला तो उसने इस कारवाई की निंदा की और आम जनता मे इस पर अफसोस प्रकट किया।

(ख) दो न्यूनतम मांगें हम ऐसे कानून की मांग करते हैं जो सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारों को सिखों के चुने हुए केंद्रीय संगठन के अधीन ले आये—यानी, उन सारे गुरुद्वारों को जो सिख गुरुओं शहीदों, संतों और एतिहासिक व्यक्तियों से संबंधित हैं। इन गुरुद्वारों का प्रतिष्ठित और प्रमाणित सिख ग्रंथों में जिक्र है। सरकार यह स्वीकार करती है कि वर्तमान कानून नाकिस है और उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। पर वह नया कानून बना कर देने से इंकार करती रही है।

हम अपने धार्मिक चिह्न कृपाण (तलवार) को पहनने की आजादी चाहते हैं। इसे रखने पहनने उठाने, बनाने बेचने पर और इसकी लम्बाई तथा आकार पर कोई पाबंदी नहीं लागू होनी चाहिए। यह कोई नयी मांग नहीं है। पुरानी मांग चली आती है। न ही कृपाण की आजादी का संग्राम नया है—जब से सुधार तहरीक चली है तब से ही कृपाण का मसला हल कराने के लिए संघर्ष चल रहा है। हमारा दावा है कि कानून—जैसा कि वह इस वक्त है—हमें आजादी देता है। पर गवनमेंट इस कानून की अलग अलग समय पर अलग-अलग व्याख्या करती रही है—कभी कृपाण कानून के मुताबिक हो जाती है और कभी उसके विरुद्ध।

ये ही हैं हमारी दो न्यूनतम मांगें।[1]

३ अकाली सहायक ब्यूरो

राष्ट्रीय कांग्रेस और खिलाफत की कमेटियों ने अकाली लहर की लगातार हिमायत की। कांग्रेस और खिलाफत के लीडरों ने ननकाने साहब के हत्याकांड के बाद गवनमेंट के झूठे प्रचार के जाल को मौके पर जाकर और असल हालात का अध्ययन करके तार-तार कर दिया। गुरु के बाग के वक्त इन

1 ऊपर के सारे विचार श्रोमणि कमेटी द्वारा महात्मा गांधी को लिखी चिट्ठी से उद्धृत किये गये हैं चिट्ठी किला जेल लाहौर, से लिख कर भेजी गयी थी और अमृतसर से २० अप्रैल को डाक में डाली गयी थी

लीडरा ने मारपीट के सही हालात अखबारो म प्रकाशित करके और डाक्टरी सहायता भेज कर बडी मदद की। काग्रेस ने तो हर समय अकाली लहर की हर प्रकार मे मदद की। गुरू के बाग की काग्रेस जाच कमेटी ने गवनमेट के अवे जुल्म और तसद्दुद की घोर निंदा की और अकालियो के शातिमय सत्याग्रह की तहरीक की सफलता को स्पष्ट रूप मे हिंदुस्तान भर के नक्शे पर चित्रित किया।

काग्रेस ने जैतो के मोर्चे से कुछ समय पहले, अकाली तहरीक की सहायता के लिए 'अकाली सहायक ब्यूरो" कायम किया था। इस ब्यूरो के इचाज गुजरात विद्यापीठ के प्रिंसिपल श्री गिडवानी थे। गुरद्वारा तहरीक के साथ इनकी गहरी दिलचस्पी और हमदर्दी थी। पहले यह डा किचलू के साथ जैतो गये थ, फिर पडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। यह जैतो म कैद हो गय थे।

इनके कद हो जाने पर कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश के श्री शुक्ला ब्यूरो के इचाज बने, पर जल्दी ही महात्मा जी ने श्री के एम पणिक्कर (केरल) को ब्यूरो का इचाज बना कर भेज दिया। यह नया इचाज बहुत होशियार था। यह रियासता म दीवान रह चुका था और इतिहासकार था। इसन महात्मा जी के पास जा रिपोर्टें भेजी, वे अकाली तहरीक के खिलाफ तअस्सुब पैदा करने वाली थी और कई नुक्ता पर ब्रिटिश साम्राज्य के अकाली विरोधी प्रचार की पुष्टि करती थी। यह विद्वान निष्पक्ष नही था। अकाली तहरीक के खिलाफ उसके अपने पूर्वाग्रह थे। वस इसने पहली चिट्ठी म "सारे सवाल का हमदर्दी स और निष्पक्ष भाव से अध्ययन करने की बात लिखी थी।

१) अहिंसा के विषय मे इसने गाधी जी को जो विचार लिखे वे कुछ इस प्रकार थे अहिसा का सारे देश ने अपने शत्रुओ पर सरगर्मी से हमला न करने के अर्थों मे समझा है। शायद यह विचार, किसी हद तक, उन अनपढ देहातियो मे होना लाजिमी है जिनका जत्था बना होता है। पर सारी सिख स्थिति म जो बुनियादी कमजोरी देखता हू वह यह है कि शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी भी अहिंसा का अथ नही समझती—यानी केवल पणिक्कर ही महात्मा जी के सिद्धात को समझ सका दूसरा कोई नही।

अग्रेज साम्राज्य के खिलाफ लडन के लिए महात्मा गाधी ने हिंदुस्तान को शातिमय सत्याग्रह का हथियार दिया। वजूद म आने के बाद वह न तो महात्मा जी की जायदाद रहा, न व्याख्याकार पणिक्कर की ही। यह सारे देश और दुनिया के इस्तेमाल का हथियार बन गया। इसे अब कोई भी इस्तमाल कर सकता था। पर शत यह थी कि इस्तेमाल करने वाली कोई जत्थेबदी, कोई साझा मोर्चा, या कोई व्यक्ति शातिमय रहे और हरेक कुर्बानी के लिए तैयार हो। शिरोमणि कमेटी ने इसको एक हथियार समझ कर इस्तेमाल किया और

सही ढंग से इस्तेमाल किया। महात्मा जी के लिए लक्ष्य अलग बात नहीं थी, साधन और शुद्धता का सवाल ही अलग बात थे।

पणिक्कर के लिए तो अगर पाठ पूरा करने के लिए सत्याग्रह करना भी, सत्याग्रह के लिए सच्ची कुर्बानी नहीं था।

२) पणिक्कर तो पंजाब की हालत से वाकिफ नहीं थी। वह अप्रैल १९२४ में ही चिल्लाने लगा था कि सिख दबे हुए तो अभी से साहसहीन हो गये हैं, सरकार उनके खिलाफ थोड़ी ही सख्ती न सख्त कदम उठायेगी अकाली तहरीक से सम्बन्धित सब लोगों को सरकार पकड़ने वाली है अकाली जत्थों में गड़बड़ पैदा हो जायगी सदेह है कि तहरीक का सही खात्मा ही न हो जाय या कहीं वह हिंसा के गढ़े में न जा गिरे। पर उसके इस किस्म के सब सदेह निराधार थे।

३) उसने महात्मा जी को यह भी लिखा कि अकालियों के प्रचार के तरीके उनकी शिक्षा के अनुरूप नहीं हैं। अकाली (उर्दू) दैनिक इस मामले में और भी गया गुजरा है। महात्मा जी चाहते थे कि पणिक्कर अंग्रेजी पत्र आनवर्ड का सम्पादक बने पर अकालियों ने यह विचार रद्द कर दिया। मैं समझता हूँ कि वह डमी एडीटर की पालिसी कायम करने के इच्छुक है।

पंजाब में डमी (कुर्बानी के बकरे) एडीटरों का सिस्टम कड़े कटु अनुभव के बाद कायम किया गया था। मंगल सिंह हीरा सिंह दर्द और उत्तम सिंह वगैरा असली एडीटरों के पकड़े जाने के बाद, पत्रकारिता के जानकार और जागरूक एडीटरों का मिलना मुश्किल होता जाता था। शिक्षा के अभाव के कारण ऐसे पढ़े लिखे एडीटर बहुत कम मिलते थे जो साम्राज्यवाद विरोधी सम्पादकीय कार्य को अपने हाथ में ले सकें। अकाली तहरीक का तकाजा था कि अकाली लहर के प्रचार को ठीक तरह चलाया जाय। उन हालात में सही प्रचार का काम डमी एडीटरों की मदद के बिना सिरे नहीं चढ़ सकता था।

पणिक्कर को पंजाब की असली स्थिति की कतई कोई जानकारी नहीं थी। पंजाब अंग्रेज राज की रक्षा और प्रसार के लिए रंगरूट भर्ती करने का केन्द्र था। अंग्रेज हाकिम ऐसे केन्द्र में किसी किस्म की राजनीति नहीं घुसने देना चाहते थे न ही वे किसी किस्म के जनवादी और नागरिक अधिकारों की आज्ञा देना चाहते थे। समाचारपत्र हर कुर्बानी देकर इस किस्म के दमघोट वातावरण के खिलाफ कमर बांध कर संघर्ष न करते, तो ब्रिटिश राज की गुलामी के खिलाफ लड़ाई में पंजाब वह योगदान न कर पाता जो योगदान करने का फख्र उसे हासिल हुआ।

४) पणिक्कर सबसे ज्यादा अकाली जत्थेबंदी और कृपाण के खिलाफ था। उसकी इस किस्म की चिट्ठियों का महात्मा जी पर कितना असर हुआ—यह

कहना मुश्किल है। पर, लगता है, अकाली लहर के बारे में अपनी तरफ से गलतफहमियां खड़ी करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अकाली जत्थेबंदी के बारे में उसने लिखा

'एक नुक्ते पर आप विचार करें—इस बात पर मैं ईमानदारी से जोर देता हूं। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि जत्थबंदी की यह प्रणाली, जिस पर तमाम अकाली तहरीक आधारित है १८वीं सदी के उत्तरार्ध में खालसा और मुसलमान हाकिमों के बीच लड़ाइयों के फलस्वरूप वजूद में आयी थी। सार रूप में तथ्य यह है कि हर गांव में सिखों की एक नागरिक सेना बनानी चाहिए। यह सेना अपने-अपने नेता के मातहत होगी और भिन्न भिन्न इलाकों के जत्थे, मिसलों की शक्ल में, जत्थेबंद कर दिये जायेंगे। इसी ने पंजाब में सिखों का गलबा कायम किया था। रणजीत सिंह ने बाकायदा एक कमान के अधीन अनुशासनबद्ध फौज कायम करके इन जत्थों की ताकत को तोड़ा था। पर रणजीत सिंह के मरने के बाद जत्थों की यह प्रणाली थोड़े समय तक ही कायम रही अंग्रेजों की जंग में यह तोड़ दी गयी। अब यह प्रणाली अकाली दल की शक्ल में फिर से वजूद में लायी गयी है। बुनियादी तौर से यह अकाली दल—जिलों के संगठित जत्थों को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है। निस्संदेह जत्थेबंदी की पूरी प्रणाली का उद्देश्य उस छोटी सी जमात का प्रधान होना है, जो सारे सूबे में अल्पसंख्या में है। यही भावना है जो जत्थों द्वारा पैदा की गयी है और (अकाली) दल बाकायदा तौर पर हर गांव और हर जिले में जत्थेबंद किया जा रहा है। इसके साथ ही, एक स्थायी फौज कायम हो गयी है जो सारे सूबे में फैली हुई है। स्वभावत, केंद्र इतना मजबूत नहीं कि वह उन लोगों पर अपना अनुशासन लागू कर सके। इस किस्म के एक हिस्से की फौज दूसरे फिरकों के लिए एक गम्भीर खतरा है (जोर मेरा)। इस समय, सिखों के साथ सरकार की दुश्मनी के कारण जत्थे, कमोबेश, पुरअमन हैं और दूसरे फिरकों को कोई तकलीफ नहीं देते। पर कोई भी आदमी कल्पना कर सकता है कि कृपाणों से लैस—जो कि शृंगार के लिए नहीं हैं बल्कि लम्बी तलवारें हैं—ये जत्थबंद दल पंजाब में किस किस्म का प्रबंध कायम करेंगे। मैं समझता हूं कि इस सवाल को किसी भी शान्तिमय ढंग से हल करने या कौमी निशाने के तौर पर इसे हमारी तरफ से स्वीकृति देने, से पहले इस ताकत को तोड़ने पर जोर देना चाहिए। इस देश में, जिसकी जनता गैर हथियारबंद और गैर जत्थेबंद है, एक हिस्से को तलवारों से लैस फौजी सेनाओं में एकत्रित करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है।'

पहली बात यह कि पिछले ४५ सालों के इतिहास ने पणिक्कर की सारी उक्त बातों को झूठा साबित कर दिया है, दूसरी यह कि कृपाण की आजादी ने सारे

पजाबियो तथा दूसरा के लिए तलवार रखने की आजादी हासिल की, तीसरे यह कि कृपाण की मुखालिफत म उसने वे ही दलीलें दी जो ब्रिटिश सरकार देती थी। इस तरह कृपाण के मामले म उसने ब्रिटिश साम्राज्य की हिमायत की। चौथे यह कि जत्थबदी की उसकी मुखालिफत ब्रिटिश राज के प्रति उसकी वफादारी और भक्ति को प्रकट करती है क्योंकि मुल्क भर म अनुशासबद्ध और मजबूत जत्थेबदी के बगर राष्ट्रीय आजादी नही हासिल की जा सकती थी। उसकी तमाम उपयुक्त दलीलें उसे अग्रेज हाकिमो के दामन म पहुचा देती हैं। मजे की बात यह कि वह उस राष्ट्रीय काग्रेस का प्रतिनिधि होकर पजाब आया था जो अकाली तहरीक की हिमायत करने वाली थी।

५) पणिक्कर ने कुछ और मसलो पर भी अपने कुछ अच्छे कुछ बुरे विचार लिखे हैं। उसकी जानकारी के मुताबिक, पजाब सरकार म भी दो पार्टिया थी। मैक्लेगन अपनी रुखसत से पहले मसले को हल करना चाहता था, किन्तु दूसरे कुछ अफसर यह नही चाहते थे। जनरल बडवुड समझौते के लिए बडा इच्छुक था, पर न तो पजाब के सिविल अफसर उसकी हिमायत करते थे न शिमले के केन्द्रीय अफसर।

उसके अपने अध्ययन के मुताबिक—वायसराय नाभे की गद्दी का सवाल दरकिनार करने के लिए जोर देता था और ऐसा हो जाने पर ही अगला कोई कदम उठाना चाहता था। उधर श्रोमणि कमेटी सारे कैदियों की रिहाई, जैतो के अखड पाठ के फसले और कमेटी को गैर-कानूनी करार देने की पाबदी उठाने की मागो पर जोर दे रही थी। उसके मतानुसार बातचीत करने वाले आदमियो (बिचौलियो) म सिखो को कोई विश्वास नही था। प्रोफेसर जोध सिंह को लोग एकदम नापसद करते थे, और वही जेल के लीडरो के साथ मुलाकातें करता था।

उसको हिन्दुओ के हितो की रक्षा का ख्याल बिल्कुल हाकिमो की तरह ही था। सिखो की योजना यह थी कि जनरल बडवुड की प्रधानता के अधीन कमेटी बनने से पहले सब मसला हल कर लिया जाय—जिसके अर्थ यह होंगे कि हिन्दुओ के हितो का प्रतिनिधित्व राजा नरेन्द्रनाथ नही कर सकेंगे। हिन्दुओ को यह स्थिति स्वीकार नही होगी। हिन्दू नेता नही चाहेंगे कि इस बातचीत म उनके हितो को कोई नुक्सान पहुचे।

आम लोगो के साथ बातचीत के बाद पणिक्कर इस नतीजे पर पहुचा था कि सिख राज का ख्याल सिर्फ सरकार का प्रचार है और उसे विश्वास हो गया था कि कोई भी अकाली सिख, सिख राज नही चाहता। पर उसकी राय थी कि आम जत्थेबदी की तगनजरी और कट्टरता ने हिन्दुओ को नाराज कर

दिया है। कारण यह कि उन्होंने हिंदुओं को कुछ धार्मिक रस्म रिवाज पूरे करने से वर्जित कर दिया है, वगैरा।'

४ दूसरा तथा कुछ अन्य शहीदी जत्थे

२८ फरवरी १९२४ को ५०० सिक्खों का दूसरा शहीदी जत्था अकाल तख्त से बडी शान के साथ चला। सी आई डी अफसरों की रिपोर्ट के अनुसार जत्थे का बडा भारी जलूस निकाला गया। अकाल तख्त के दीवान में हमदर्दों और समर्थकों की उपस्थिति की संख्या बहुत ज्यादा थी। स्यालकोट के स निमल सिंह ने बडी 'उकसाव भरी" तकरीर की। सरकारी शब्दकोश में कुर्बानी के लिए प्रेरित करने वाली तकरीर के माने ही 'उकसाव भरी' तकरीर होते हैं।

इस बार दीवान में कोई भी कांग्रेसी और खिलाफती नेता उपस्थित नहीं हुआ था। यह जत्था को रोक देने की महात्मा गांधी की चिट्ठी की प्रतिक्रिया थी। लेकिन यह असर अधिक समय तक नहीं रहा। थोडे समय बाद ही यह

१ फाइल न २६७ बडबुन कमेटी

नोट पणिक्कर जहां रहता था वहां उसके साथ एक सी आई डी का मजबूत आदमी भी रहता था। स मंगल सिंह को इसका कोई ज्ञान नहीं था। पणिक्कर को इसकी कोई जानकारी थी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। वह पणिक्कर के साथ बहुत घुला मिला मालूम होता था। उसी जगह स मंगल सिंह भी उनके साथ रहने लगा। स मंगल सिंह की गैरहाजिरी में वह उनके कागज पत्र भी खोल लेता था और जरूरी कागजों की नकल तथा दोनों के बीच बातचीत का सार ऊपर के अफसरों को लिख कर भेज देता था।

वह खुद लिखता है "मंगल सिंह अब हमारे साथ रह रहा है। जो कुछ भी वह करता है, पणिक्कर से सलाह करके करता है।'

यह शख्स अमृतसर छोड कर चला गया था। किंतु ऊपर के अफसरों ने इसे फिर वहां ही भेज दिया। वह लिखता है बुद्धवार को मैं वापस अमृतसर चला गया। वहां पहुंच कर जब मैंने पणिक्कर को बताया कि महीने के अंत तक अब मैं यहां ही रहूंगा, तो वह कुछ हक्का बक्का सा रह गया। मैं समझता हूं कि उसे कोई शक नहीं हुआ।

मैं अब तक एक ही कागज हासिल कर सका हूं—और यह मुझे सबसे महत्वपूर्ण मालूम होता है। मैं इस चिट्ठी के साथ ही इसे भेज रहा हूं।'→

अगर जगा कि हम आग चल कर दगग जाता रहा। और शामणि कमटी को कांग्रेस और खिलाफत आन्दोलन की फिर स हिमायत हासिल हो गयी।

कमटी ने यद्यपि महात्मा गांधी की हिदायत स्वीकार नहीं की थी, पर उसका एक यह असर जरूर हुआ कि इस बार पहले स भी ज्यादा शांतिमय रहन, पुलिस या फौज रोके तो बैठ जान और गिरफ्तार करें तो गिरफ्तार हो जान पर बहुत जोर दिया गया। 'शहीदी जत्थे' का यकीनी तौर पर इस बार शांतिया की बहुत बड़ी गूज प्राप्त हुई।'

जत्थे के मेम्बरा के शरीर तन्दुरुस्त थ। 'जत्थ के पास कृपाण के धार्मिक चिह्न के अलावा कोई लाठी सोटा या टकुआ नहीं था। जत्थ म अपार जोश था और लोगा के माथो पर हसी खेलती थी। उनम अधिक सख्या नामन्वट या पेंशनी फौजिया की थी। उनम कोई १२ १३ निमले और नामधारी भी थ। इस तरह यह जत्था अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण था। खालसा कालेज के कुछ विद्यार्थी और कुछ देहाती स्त्रिया भी जत्थे के साथ माच *करती चली गयी।*

इस शहीदी जत्थे के जत्थेदार बड़े ही जिम्मेदार और प्रसिद्ध अकाली थे। इनम स एक जत्थेदार तेजा सिंह गुरदासपुर और एक जत्थेदार इन्दर सिंह स्यालकोट के ... जत्थे के चलने के समय 'पूयार्क टाइम्स' का सवाददाता मिस्टर जिमड भी जत्थे का फो... ... ... म स एक था—वही जिमड जो डाक्टर किचलू और आचाय गिडवानी के साथ जता गया था और जिसने हट कर बयान दिया था कि पहला शहीदी जत्था पूर्णत निशस्त्र था।

सी आई डी अफसर लिखता है जत्था म शामिल होन के लिए अकालियो ने जो जोश दिखाया है, जिस साहस या लगन स उन्होने जत्थे म

मैंने आपके साथ गिडवानी के सबध म कई बार बातें की थी। जेल मे उसकी हालत कुछ अच्छी हो जाय तो मुझे खुशी होगी। पर मैं उसे जेल से बाहर देखना पसद करने वाला आखिरी आदमी होऊगा। मगरा सिंह गिडवानी की गैर हाजिरी महसूस कर रहा है। जब भी मैं अकालियो की ज्यादती की बात करता था, तो गिडवानी यह जवाब देता था सिखो को हिन्दू एक अलहदा जाति के रूप म जत्थेबद नहीं देखना चाहते —सारी मुसीबत की जड यही है। गिडवानी शरीफ आदमी है किन्तु वह सदहास्पद विचारो वाला आदमी है। उसम अकालियो के इरादे समझने की योग्यता नहीं है। पणिक्कर बातूनी है और बहुत सिद्धातहीन है, वह अकालियो को समझता है—इसलिए उनस नफरत करता है। (कोई नाम नहीं सी आई डी रिपोर्ट, अमृतसर, १८ ४ १९२४)

शामिल होकर जैतो जाने के लिए पहले से पहला मौका हासिल करने पर जोर दिया है—उससे जाहिर होता है कि जत्थों के २१ फरवरी के वास्तविक गोली काट ने उनके मनों में कोई तब्दीली पैदा नहीं की। उनके जोश को ठंडा करने के बजाय उसने उन्हें और बड़ी संख्या में आने के लिए उत्तेजित किया है। हमारा महसूस होना है कि अगर गोलीकांड दोहराया गया तो भी शिरोमणि कमेटी हर सूरत में दो तीन और शहीदी जत्थे हासिल करने में सफल हो जायगी।'[1]

उस समय इस किस्म के कुछ अजमाये हुए सरकारपरस्त और वफादार लोग भी मौजूद थे जो कल तक कहा करते थे कि सरकार हिमायत अकालियों का सख्ती से काबू में रखने की मजबूती नहीं दिखा रही। वे यह कहते सुने गये थे कि अखंड पाठ के मामले में सरकार को झुकना ही पड़ेगा क्योंकि सिखों का कट्टरवाद फिर जो उठा है और सरकारी दमन आतंक आग में घी का ही काम करेगा। पर अभी भी इस किस्म के कुछ कट्टर हिंदू और सिख सरकारपरस्त मौजूद थे, जिनकी राय में सीधे-सादे और अनपढ़ सिखों को धर्म के नाम पर बुद्धू बना कर और गुमराह करके मौत के जबड़ा में धकेला जा रहा था। इस कारण वे अकाली नेताओं को बुरा भला कह रहे थे।

कुछ अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव यह था कि इस किस्म के कट्टरवादियों को रोकना मुश्किल है क्योंकि वे निपट अंधविश्वासी हैं और 'धर्म खतरे में है' के नारे के अधीन शिरोमणि कमेटी के हुक्म पर जानें कुर्बान करने को तैयार खड़े हैं।

पर आम लोग जत्थे के सदस्यों की कुर्बानी की भावना से बहुत प्रभावित थे। वे रूमालों से बार बार अपने आंसू पोंछ रहे थे और जत्थे के सदस्यों की चरण रज उठा उठा कर अपने माथा पर लगा रहे थे। वे "धन्य धन्य", 'बलिहार बलिहार" शब्दों का उच्चारण कर रहे थे।

इन जत्थों के मार्च का प्रोग्राम बहुत सोच-समझ कर बनाया जाता था। हर बार ये जत्थे नये नये गावों से गुजरते हुए जाते थे और अपने पीछे नयी जाग्रति, अकाली भर्ती कुर्बानी करने का उत्साह और एक हलचल-सी छोड़ते जाते थे। इन देहातों से ही नये जत्थों में भर्ती होकर नौजवान संग्राम करने के वास्ते मैदान में उतर पड़ते थे। जरा सरकार की निम्नलिखित अर्थपूर्ण रिपोर्ट पर नजर डालिए :

"लोगों की भारी बहुसंख्या पर खुद जत्थे के गुजरने के साथ, बहुत जबर्दस्त प्रभाव पैदा होता है—खास कर जत्थे के ठहरने वाली जगहों पर।

१ पंजाब के सी आई डी अफसर की रिपोर्ट २८ फरवरी १९२४

अगर जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, जारी रहा। और शासन कमेटी को कांग्रेसी और खिलाफत आंदोलन की फिर से हिमायत हासिल हो गयी।

कमेटी ने यद्यपि महात्मा गांधी की हिदायत स्वीकार नहीं की थी, पर उसका इस पर यह असर जरूर हुआ कि इस बार पहले से भी ज्यादा शांतिमय रहने, पुलिस या फौज रोके तो बैठ जाने और गिरफ्तार करें तो गिरफ्तार हो जाने पर बहुत जोर दिया गया। 'शहीदी जत्थे' का मकसद तौर पर इस बार तारीफ की बहुत बड़ी गूंज प्राप्त हुई।"

जत्थे के मेम्बरों के 'शरीर तन्दुरुस्त थे।" जत्थे के पास कृपाण के धार्मिक चिह्न के अलावा कोई लाठी, सोटा या टकुआ नहीं था। जत्थे में अपार जोश' था और लोगों के माथों पर हंसी खेलती थी। उनमें अधिक संख्या नाम-कट या पेंशनी फौजियों की थी। उनमें कोई १२ १३ निमल और नामधारी भी थे। इस तरह यह जत्था अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण था। खालसा कालेज के कुछ विद्यार्थी और कुछ देहाती स्त्रियां भी जत्थे के साथ मार्च करती चली गयीं।

इस शहीदी जत्थे के जत्थेदार, बड़े ही जिम्मेदार और प्रसिद्ध अकाली थे। इनमें से एक जत्थेदार तेजा सिंह गुरदासपुर और एक जत्थेदार इन्दर सिंह स्यालकोट के ... जत्थे के चलने के समय 'पायोनियर' टाइम्स का संवाददाता मिस्टर जिमंड भी जत्थे का फोटो ... वाला में से एक था—वही जिमंड जो डाक्टर किचलू और आचार्य गिडवानी के साथ जैतो गया था और जिसने डट कर बयान दिया था कि पहला शहीदी जत्था पूर्णत निःशस्त्र था।

सी आई डी अफसर लिखता है जत्था में शामिल होने के लिए अकालियों ने जो जोश दिखाया है जिस साहस या लगन से उन्होंने जत्थे में

मैंने आपके साथ गिडवानी के संबंध में कई बार बातें की थीं। जेल में उसकी हालत कुछ अच्छी हो जाय तो मुझे खुशी होगी। पर मैं उसे जेल से बाहर देखना पसंद करने वाला आखिरी आदमी होऊंगा। मंगल सिंह गिडवानी की गैर हाजिरी महसूस कर रहा है। जब भी मैं अकालियों की ज्यादती की बात करता था तो गिडवानी यह जवाब देता था सिखों को हिन्दू एक अलहदा जाति के रूप में जत्थेबंद नहीं देखना चाहते —सारी मुसीबत की जड़ यही है। गिडवानी शरीफ आदमी है किन्तु वह संदेहास्पद विचारों वाला आदमी है। उसमें अकालियों के इरादे समझने की योग्यता नहीं है। पनिक्कर बातूनी है और बेहद सिद्धांतहीन है वह अकालियों को समझता है— इसलिए उनसे नफरत करता है। (कोई नाम नहीं, सी आई डी रिपोर्ट, अमृतसर, १८ ४ १९२४)

५०० आदमियों की फौजी तरतीब से साथ चलना, जत्थेदार के हुक्म का पालन करने एवं जैसी ही सेवादारी पोशाक म गुजरना के साथ जग हाने का दृश्य अपने आप म बहुत उत्साहजनक है। और, जब इस किस्म की जत्थाबन्दी के लक्ष्य मुल्कपरस्ताना सरकार के खिलाफ हो तब इस प्रकार के दृश्य के लिए किसी टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं। साथ ही अकाली जत्था के साथ नयी-नयी सरगर्मियो—जैकारा लगाना धार्मिक मसलों पर भाषण होना गुरुओं और सिखो की कुर्बानी का इतिहास बताया जाना अमृत छकना राजनीतिक भाषण, नाभा महाराजा की बहाली—ने महत्व का बड़ा चक्र घर घर दरसाना आसान है।"[1]

फीरोजपुर के निकट से गुजरते समय इस दूसरे जत्थे का अमरीकी मिशन स्कूल के मिस्टर मकी और मिस्टर मास्टर ने भी देखा था। मास्टर ने डी सी को बताया था कि वह जत्थे की संख्या देख कर हक्का-बक्का रह गया था। जत्थे के आदमी स्कूल मास्टरो या ग्रेजुएटो जैसे नजर आते थे। उनके पहुचने पर लोगो की बहुत बडी भीड उन्हें देख रही थी। पर वह बहुत अनुशासनबद्ध थी किसी ने उनके असम्मान जैसी कोई बात नही की।

इसी रिपोर्ट के अनुसार दो अंग्रेज फौजी अफसरो ने डी सी को बताया जत्था रेस्ट हाउस के पास से गुजर रहा था। उधर से गाडी आ गयी। जत्था सडक पर बैठ गया। जत्थे वालो ने उसी समय दर्शको मे अपना साहित्य बाटना और अपने पैम्फलेटो को पढ पढ कर सुनाना शुरू कर दिया। लोग उन्हे पानी पिलाने के लिए तथा उनके मुह और कपडो पर से धूल हटाने को तैयार खडे थे। गाडी गुजर गयी। बिगुल की आवाज के साथ ही जत्था गतिमान हो उठा। सबसे बडी बात जो हमे उस समय नजर आयी वह यह थी कि यह किसी निकम्मे किस्म की जत्थेबंदी का प्रदर्शन नही था।[2]

जत्थे के खिलाफ सरकार के पास एक यह रिपोर्ट भी पहुची थी कि मोगे और सिंघावाला के दरम्यान उनके कुछ आदमियो ने साथ-साथ जा रहे घुडसवार फौजी दस्ते से यह भी कहा कि— वे अपने ब्रिटिश अफसरो के विरुद्ध बन्दूको का इस्तेमाल करें।[3] इस रिपोर्ट म कितनी सचाई है यह कहना मुश्किल है। किन्तु कोई आश्चर्य नही यदि जत्थे के किसी जोशीले अकाली ने फौजियो से यह बात कह दी हो।

१ एच डी क्रेक (लाहौर) का ११ अप्रैल १९२४ का मौरार (होम, पोलिटिकल) का पत्र
२ चीफ सेक्रेटरी का पोलिटिकल डिपाटमट, दिल्ली को पत्र १२ माच १९२४
३ एडमिनिस्ट्रेटर कम्प जैतो का मिचल को पत्र ११ माच १९२४

शोमणि कमेटी के एलानो के अलावा जत्था रास्ते म कुछ तस्वीरें भी बाटता जाता था। कुछ "बगावती पोस्टरो" पर वायसराय, मिन्चन और विल्सन के कार्टून थे जिनम मिन्चन और विल्सन बच्चा और औरता पर गोली चलाते हुए दिखाये गये थे। मकसद यह था कि लोगा का सरकार के जुर्मो की तस्वीरें दिखा कर तहरीक के लिए उनकी हमदर्दिया हासिल की जायें।

५ सरकारी पॉलिसी नई कि पुरानी ?

सरकारी रिपोर्टों से जाहिर होना था कि जैता के गोलीकाड के बाद जैसी उत्तेजना की आशका की जाती थी, उससे बहुत कम अमृतसर मे नजर आयी। डी सी अमृतसर का यह भी कहना था कि दूसरे जत्थे की भर्ती के लिए कोई खास तेजी नजर नहीं आती। इस किस्म के गलत अन्दाजा से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे विदेशी हाकिम किस किस्म की सूझ बूझ और दूरदर्शिता के धनी थे। हुकूमत की ताकत पीठ पर हो तो बुद्धू अफसर भी बहुत ताकतवर नजर आते हैं।

गवनर इन-कौंसिल ने इस मसले पर बहुत विचार किया कि जत्थे से ब्रिटिश भारत मे ही निबटा जाय या इसको जैता पहुचने दिया जाय। वह इस फैसले पर पहुचा कि—लेखा-जोखा करने के बाद—ज्यादा फायदा जत्थे को जैतो जाने देने मे है। सक्षेप मे कारण इस प्रकार थे

(क) यह जत्था भी अगर पहले जत्थे की तरह कोई राजनीतिक तकरीरें नही करता और दीवाना को शब्दो और अरदासो तक ही सीमित रखता है तो कानूनन उसकी गिरफ्तारी नही की जा सकती। अगर गिरफ्तारिया की जाती हैं तो कहा जायगा कि एकदम धार्मिक जुलूस मे दखल दिया जा रहा है।

(ख) जत्था अगर पकड लिया जाता है या तितर बितर कर दिया जाता है तो हिन्दुस्तान भर के राजनीतिक नेता और प्रचारक उस जगह पहुच जायेंगे, जहा रियासत म दाखिल होने के आरोप पर उनको बन्द किया जा सकता है। पर ब्रिटिश हिन्दुस्तान मे ऐसा नही किया जा सकता।

(ग) जत्थे के रियासत मे पकडे जाने से केन्द्रीय असेम्बली या स्थानीय कौंसिल में बहस का मौका नहीं पैदा होगा।

(घ) पकडे गये अपराधियों पर मुकद्मा नाभे के इलाके मे जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है। पजाब म—वकीलो, अपीलो, पुनर्विचार के लिए दरख्वास्तों का बहुत बडा झझट रहेगा।

(ङ) मोर्चे की जगह के तौर पर अमृतसर से जैतो अकालियो के लिए दूरी और खच के लिहाज से बहुत महगा है वगैरा।

इसलिए गवनर इन-कौंसिल हिन्द सरकार से सिफारिश करता है कि जत्थे को जाने दिया जाय। अगर ब्रिटिश इलाके म [illegible] हो। यानी उत्तेजना का रास्ता है और जत्थे म अमृतसर [illegible] है तो [illegible] अकालियो का एक ऐसी जगह मार्ग रोकना का और मुकाबला करना होगा जो उनके लिए बहुत उपयुक्त होगी।

हिद सरकार ने तार के जरिये तजवीज भेजी थी कि नाभे का हाकिम एलान करे कि जैतो म सिर्फ नाभा रियासत के बाशिदे ही जा सकते हैं। गवनर की राय म इस किस्म का एलान आम सिखो म और खास कर सहायक जमातो म, धार्मिक मामलो म हस्तक्षेप समझा जायगा और यह अगले जत्थे को रोकने के बजाय उसका हौसला बढायगा।

इसलिए स्थानीय सरकार को जल्द स जल्द बताया जाय कि हिन्द सरकार ने इस जत्थे से निबटने के सबध म क्या फैसला किया है ? अगर हिन्द सरकार गवनर की सिफारिशो को स्वीकार नही करती और फैसला करती है कि जत्थे से पजाब मे ही निबटा जाये तो बडे पैमाने पर फौजी तयारिया की जरूरत पडेगी।[1]

इस पर विचार करने के लिए गवनमेट हाउस म एक कान्फ्रेंस हुई। इसम फैसला किया गया कि पजाब सरकार ५०० अकालियो के इस नये जत्थे मे कोई दखल न दे और उसे जैतो पहुचने दे। मिन्चन की राय म पजाब सरकार जत्थे से निबटने के लिए रजामद नही थी इसलिए इसको तितर बितर करने का जतो मे ही बदोबस्त होना चाहिए। और मुझे डर है कि जो कुछ २१ फरवरी को हुआ था, वही फिर यहा न घट जाय।[2]

और वायसराय ने अपने हस्ताक्षरो सहित हुक्म भेज दिया 'दूसरे जत्थे के सबध म भी वही पालिसी अपनायी जाय जो पहले जत्थे के सबध मे अपनायी गयी थी।—रीडिंग, वायसराय सोमवार २५ फरवरी।

रीडिंग को हिद सरकार के सेक्रेटरियो ने बहुत बडी हद तक अपने प्रभाव के अधीन कर लिया था। वह गुरुद्वारे मे जाने वाले अकालियो की सख्या पर और समय पर पाबदी लगाना जरूरी समझने लगा था। इस कानून शास्त्री की दृष्टि मे अब यह पाबदी धम मे मुदाखलत नही रह गयी थी। इस पाबदी का हटाना—उसकी राय म—अकालियो की जीत का समथन करना था।

१ पजाब सिविल सेक्रेटेरियट (लाहौर) का २४ फरवरी १९२४ को क्रीरार (होम डिपाटमेट) को पत्र
२ पजाब स्टेटस एजेंसी (लाहौर) का २४ फरवरी १९२४ को थाम्पसन (पोलिटिकल सेक्रेटरी) को पत्र

जलधर डिवीजन के कमिश्नर ने अपने डिवीजन के डेपुटी कमिश्नरों को लिखा मैंने इस डिवीजन से हो कर जैंतो जाने वाले अकाली जत्था को तोडने की सरकार से माग की थी। हुक्म यह है कि जत्थे को, बिना किसी रुकावट के जैंतो जाने दिया जाय। बगावती तकरीरा की हालत मे, अकालिया को व्यक्तिगत तौर पर दफा १०७ के अधीन पकड लिया जाय और अगर तकरीर बहुत ही खराब हो तो दफा १२४ क अधीन मुकदमा चलाया जाय।[1]

६ जतो मे पडित मदन मोहन मालवीय

यह दूसरा शहीदी जत्था १४ माच को जैंतो पहुचा। पडित मदन मोहन मालवीय ने ऐसे मौके पर जैंतो पहुचने की सरकार से आज्ञा ले ली थी। असेम्बली के अय तीन मेम्बरो ने भी आज्ञा-पत्र हासिल कर लिये थे। ये थे श्री देवकी प्रसाद सिंह स गुलाब सिंह और स करतार सिंह। इन मेम्बरो ने असेम्बली में अकाली तहरीक के पक्ष मे प्रस्ताव और सवाल पेश करके सराहनीय काम किया था। पर पूरी गुरुद्वारा लहर के दौरान सबसे ज्यादा दिलचस्पी मालवीय जी ने ली थी। अकाली सग्राम की हर मजिल में वह इस तहरीक की मदद के लिए पहुचते रहे थे।

होम मेम्बर हेली ने उन्हें लिखा था तुम्हारे वहा जाने म मुझे कोई ऐतराज नही। तुम वहा जत्थे के पहुचने तक और एडमिनिस्ट्रेटर की आज्ञा लेकर कुछ और वक्त तक रह सकते हो। अगर वहा कोई गडबड न हुई तो वह तुमसे १५ को सवेरे चले जाने को कहेगा। जैंतो मे स्थिति वैसी नही है जसी ब्रिटिश इडिया मे है। तुम्हें नाभे के एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म के अधीन रहना पडेगा। तुम हाकिमा के काम मे कोई रुकावट न डाल सको, इसलिए तुम्हे खतरे वाली जगह पर जाने की आज्ञा नही होगी।

एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारी रिहायश का प्रबन्ध नही कर सकेगा—इसका प्रबन्ध खुद कर लेना।

लेकिन बाद म घरेलू मत्रालय ने अपनी राय बदल ली और एडमिनिस्ट्रेटर को इनकी रिहायश का प्रबध करने को लिख दिया।[2]

एडमिनिस्ट्रटर ने लगभग १३ राय साहब, खान साहब, आनरेरी मजिस्ट्रेट, सब रजिस्ट्रार, सफेदपोश, सरदार साहब, वगैरा, पहल से ही बुला रखे थे। वे जत्थे के पास गये और उन्हें समझाने लगे—शर्तें मान लो तुम्हारे लिए यही अच्छी बात है। लेकिन प्रमुख जत्थेदार ने जवाब दिया—गुरुद्वारा गगसर मे

१ जलधर डिवीजन के कमिश्नर का डेपुटी कमिश्नरा को पत्र २३ माच १९२४

२ दिल्ली ११ माच १९२४

जाना और पाठ करना हमारा धार्मिक अधिकार है। हम इस मामले में किसी किस्म की शर्तें स्वीकार करने को तैयार नहीं।

प्रधान दानी भाई साहब सिंह—बाजोके पट्टी का—हिरासत के हल में रखा गया था। उसने दूसरे लोगों ने जत्थे को "समझाने बुझाने" के प्रयत्न किए। उस जत्थे का संचालित करना भी मना भी किया गया। पर जब उसने २१ फरवरी का सार्वजनिक की बात सुन ली तो सुन रहा की आवाजें उसने गया। जत्थे ने जैतो के बारे में कुछ भी सुनने से इन्कार कर दिया। हालांकि इस जत्थे को सार्वजनिक बार ज्ञापित किया।

यह जत्था शान्तिपूर्ण तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। एक तो जत्था बिल्कुल पुरअमन और नाजिम था, दूसरे सरकार के पास इस बार यह बहाना भी नहीं रह गया था कि जत्थे के साथ ग़ैरजरूरी आदमी बाहर से अन्दर घुस आये थे। कारण, यह कि जत्थे ने बाहर से किसी भी आदमी को अपने साथ न जाने में सख्ती से इन्कार कर दिया था। तीसरे—और यह सबसे महत्वपूर्ण कारण था—मालवीय जी तथा तीन अन्य केन्द्रीय एम एल ए जो कुछ उस वक्त जैतो में घट रहा था अपनी आंखों से देख रहे थे। मालवीय जी की जैतो कांड के बारे में असेम्बली में तकरीर का असर भी काम कर रहा था।

७ तीसरा शहीदी जत्था

तीसरा शहीदी जत्था अमृतसर से २२ मार्च को चला। गांवों से गुजरता हुआ—अपने प्रोग्राम के मुताबिक—७ अप्रैल को यह जैतो पहुंचा। गांवों में उसका हर जगह जोरदार स्वागत किया गया। ७ अप्रैल की शाम को जत्थे का कयाम शहीद भाई बलवंत सिंह के गांव—खुदपुर (जिला जलंधर)—में था। जत्थे के साथ इस समय २०० से ज्यादा सिखों की संगत थी। दर्शकों की संख्या तो ५००० ६००० से भी ज्यादा थी। हर जगह लंगर और जलपान का बहुत बडे पैमाने पर प्रबंध किया जाता था।

इस जत्थे के रहनुमा बड़े होशियार थे। खंडित पाठ के मसले के हल के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ तजवीजें पेश की थीं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार वे तजवीजें ये थीं

(१) हम १०१ अखंड पाठों का २५ दिनों में भोग डालने को तैयार हैं—एक वक्त में १० अखंड पाठ शुरू कर देंगे।

१ डी ओ नम्बर कैम्प/५४ एडमिनिस्ट्रेटर-कार्यालय ११ ३ १९२४ मिंचन को

(२) पाठो की समाप्ति पर हम नाभे का इलाका छोड देने की जिम्मेदारी लेते हैं।

(३) यह रस्म पूणत धार्मिक होगी—कोई राजनीतिक तकरीर नही की जायगी।

(४) हम श्रोमणि कमेटी के साथ प्रबन्ध कर लेंगे कि अमतसर से और कोई जत्थे न भेजे जायें।

(५) जो रोजाना जत्थे जैता मे आ रहे हैं उन्हें गुरुद्वारे के अन्दर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी जाय।

(६) चौथा जत्था जैतो को आ रहा है अभी वह रास्ते मे है। उसे भी सगत मे शामिल होने की आज्ञा दी जाय, और

(७) गुरुद्वारे के अन्दर आने और जाने की खुली इजाजत हो।

ये शर्तें मौखिक थी। जत्थे के रहनुमा कोई भी शत लिख कर देने को तयार नही थे क्योंकि उनके लिए यह मामला धम का था।

जत्थे के सदस्यो ने यह भी कहा था कि स करतार सिंह स गुलाब सिंह स सुरजन सिंह और स बाघ सिंह सरगोधा को बुला लो। वे आपको तीसरे शहीदी जत्थे की तरफ से लिख कर वचन दे देंगे कि य शर्तें पूरी की जायेंगी।[1]

विल्सन ने जत्थे की यह सारी बातचीत सुनी। पर उसने 'हा' या 'ना' म कोई जवाब नही दिया। उसने ये तजवीजें लिख कर ऊपर—हिन्द सरकार को—भेज दी और जत्थे से बातचीत चलाने की आज्ञा मागी।

विल्सन इस वक्त बहुत घबडाया हुआ था। उसकी दष्टि मे गवनमेन्ट की उस वक्त की कारवाई मसले को हल नही करती थी। 'हम जल्दी जल्दी उस मजिल पर पहुच रहे हैं जब हम देखेंगे कि हर तरफ से बडे बडे जत्थे चले आ रहे है। इनका मुकाबला, जत्थो के यहा पहुचने से पहले—ब्रिटिश हिन्द म ही—इनको तोडने की कारवाई से किया जा सकता है। इस सकट को पैदा होने से पहले ही रोक देना जरूरी समझा जाय तो मुझे निम्नलिखित शत के मुताबिक बातचीत चलाने का अधिकार दिया जाय तीसरे शहीदी जत्थे के जत्थेदार लिखित रूप मे शर्तें दें कि (१) रस्म पूणत धार्मिक होगी और गुरुद्वारे म प्रचार की खातिर कोई राजनीतिक स्पीच नही होगी, (२) धार्मिक रस्म के खात्मे के फौरन बाद जत्था इलाका छोड कर चला जायगा।"[2]

१ एडमिनिस्ट्रेटर नाभा का ११ अप्रल का सेक्रेटरी (पोलिटिकल डिपाटमट, शिमला) को पत्र

२ उक्त

विलसन का अनुमान था कि जत्थेदार इस शर्त पर दस्तखत कर देंगे। वक्त की पाबंदी के बारे मे ऊपर बताये गये चार सरदारो से वह लिखित रूप मे गारंटी ले लेगा कि १०१ अखड पाठ १५ दिनो के अदर अदर समाप्त कर दिये जायेंगे।

उक्त चिट्ठी से दो नतीजे बडी आसानी से निकाले जा सकते हैं एक यह कि लगता है कि विलसन को गवनमेट की पालिसी के कारगर होने पर विश्वास नही रहा था दूसरा यह कि जैतो मे अकाली जत्था का हर तरफ से आ घुसने का भय उसकी नीद हराम करने लगा था। असल मे जत्थो के जतो पहुचने के साथ उसके लिए इतने ज्यादा नये मसले पैदा हो गये थे कि उनसे निबटना मुश्किल हो गया था। हिदुस्तान की हुकूमत की ताकत पीठ पर होते हुए भी, उसे खुद सरकार द्वारा खोदी गयी खाई से निकलने का रास्ता नही दीखता था।

इस खूखार एडमिनिस्ट्रेटर को निराशा की इस हालत मे धकेल देने का श्रेय अकाली जत्थेबदी की एकता और मजबूती को था।

हिद सरकार ने जत्थे से समझौते की बातचीत का विलसन को अधिकार देने से इकार कर दिया। उसने लिखा कि जिस किस्म की रियायतें देने की तजवीज की गयी है वे इस सारे मसले के आखिरी फैसले के हिस्से के तौर पर तो दी जा सकती हैं लेकिन इन्हे मौजूदा हालत मे देना किसी तरह भी जायज नही। सवाल नाभे पर धार्मिक और राजनीतिक धावे को रोकने का है। इस समझौते से वह रोका नही जा सकता।[1]

और इस समझौते की तजवीज के बारे में पजाब सरकार की प्रतिक्रिया यह थी तजवीज की गयी स्कीम से यह सरकार उसी सूरत मे सहमत होगी जब उसे यकीन हो जाय कि जत्था हमारी शर्तें स्वीकार कर रहा है, न कि हम उसकी शर्तें स्वीकार कर रहे हैं। इसके विपरीत कोई भी दूसरा समझौता अकालियो की जीत समझा जायगा।[2]

दोनो सरकारो के पत्रो मे विरोध साफ नजर आता है।

तीसरे जत्थे के सदस्यो को लाठियों से लैस फौज ने छोटे-छोटे गिरोहो मे घेर घेर कर पकडा और ले जाकर किले मे बद कर दिया। यह पकड धकड लगभग पौन घटे तक होती रही—जब यकायक सब की आखें एक फौजी जवान पर गड़ गयीं जो एक अकाली को घसीटे लिये जा रहा था। अकाली की पगडी

१ डी जी मैंकेंजी (सक्रेटरी टु ए जी जी) का टेलीफोन सन्देश ११ ४ १९२४

२ चीफ सक्रेटरी पजाब (लाहौर) का १२ अप्रैल का पालिटिकल सक्रेटरी का पत्र

उतरी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे और पीछे की तरफ लटके हुए थे। यह फौजी जवान उस अकाली को लोहे के खुरदरे फौजी बूटो के ठुड्डे मार रहा था। अकाली बडे सब्र के साथ बार-बार "वाह गुरु" "वाह गुरु" उच्चारण कर रहा था। उसी हालत मे उसकी फोटो ले ली गयी। उसको पीटा क्यो गया, इसका पता नही लग सका।[1]

इस तरह एक तरफ शहीदी जत्थो के जैंतो मे पहुचने का सिलसिला जारी था, दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारियो और मारपीट का सिलसिला भी जारी था। अकालियो को शिकस्त देकर सरकार उन्हे मैदान से भगाना चाहती थी। उन्हे अच्छी तरह कुचल कर वह उनसे अपनी शर्तें मनवाना चाहती थी। अकालियो को अपने लोगों पर और अपनी एकता पर विश्वास था। उन्हे विश्वास था कि जैसे वे पहले मोर्चे फतह करते रहे हैं जैंतो का मोर्चा भी उसी शान के साथ फतह करेंगे, एक सौ एक अखड पाठ जरूर करेंगे और गुरुद्वारा कानून बनवा कर सरकार को जेलें खाली करने पर मजबूर करेंगे।

८ मोर्चे के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याए

नाभा एक छोटी सी रियासत थी। इसमे कुल १८४ गाव थे। सालाना आमदनी केवल १७ लाख रुपये थी। इस छोटी सी रियासत के लिए जैंतो मोर्चे जैसे बडे मोर्चे का बोझ उठाना आसान बात नही थी। पाच-पाच सौ के दो-तीन जत्थों के बाद ही इसका दिवाला निकलने के आसार दीखने लगे थे।

रियासत के सामने अब कितनी ही नयी समस्याए उठ खडी हुई थी। गिरफ्तार हुए जत्थो के लिए जेलें चाहिए थी। उनके लिए दारोगे, वार्डर अमले, खाने-पीने का सारा सामान, वगैरा, चाहिए था। २५ २५ आदमियो के जत्थे दूर किसी जगल मे छोड आने मे वक्त गुजरता था—हालाकि ये लोग धक्के खा कर, रास्ते की तकलीफें उठा कर, फिर वापस आकर गिरफ्तार हो जाते थे। पर सवाल था इतनी बडी भीड को नाभे मे रोक कर किस तरह रखा जा सकेगा?

उधर रियासत मे प्लेग फैल रहा था। हिन्द सरकार इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी मागती थी। कहती थी जैंतो मे प्लेग फैलने की पूरी तफसील भेजो। कितने केस हो चुके हैं? कितनी मौतें हुई हैं? इस विस्तृत जानकारी के बिना जत्थे को खबरदार भी किया गया तो इसका कोई असर होना सभव नही। सिर्फ दो मौतें होने की ही रिपोर्ट की गयी थी। मेडिकल अफसर की राय मे मौतो की गिनती छिपायी जा रही थी। उसने कह दिया था कि अगल

१ ट्रिब्यून (लाहौर), १६ अप्रल १९२४

जत्थे से निबटने के लिए देहात से लोगो को इकट्ठा न करो—इससे रियासत के गावो मे प्लेग फैल जाने का खतरा है। उनके मिलने जुलने से प्लेग फौजी दस्ता म भी फैल सकता था।

पजाब सरकार अब अकालिया को बावल ले जा कर छोडने का भी विरोध करती थी। कारण यह कि इससे शिरोमणि कमेटी को अकाली भर्ती म मदद मिलती थी। जेलो का प्रबन्ध कसे किया जाय ? महाराजा पटियाला, भटिंडा और बहादुरगढ़ के किलो मे कैदी रखने की आज्ञा नही दे रहा था।

सरकार यह समझती थी कि असाढ की फसल के मौके पर जत्था के कम हो जाने के कारण सास लेने का कुछ मौका मिलेगा। पर यह ख्याल भी गलत निकला। जत्थे बराबर चले आ रहे थे और शिरोमणि कमेटी ने एलान किया था कि सबसे पहले उन अकालियो की फसलें काटी और सभाली जायें, जो इस वक्त जेलो म हैं। इन अकालिया को फसलो की भी परवाह नही थी, घम की परवाह कुछ अधिक दिखायी देती थी। एजीटेशन इस वक्त पहले से भी ज्यादा बढ गयी मालूम होती थी।

(अ) केसरी बाने

एक और मसला, शहीदी (यानी केसरी) बाने का था। गवर्नमेन्ट ने पहले इजाजत द दी थी कि रिहा किये जाने वाले अकालियो के केसरी बाने उतार लिये जायें और इन अकालियो को ट्रको वगैरा म ले जा कर दूर दूर छोड दिया जाय। एडमिनिस्ट्रेटर का विचार यह था कि केसरी बाना अकालिया को अपनी सौगध से बाधे रखता है और उन्हे वापस अमृतसर म नही जाने देता। इसलिए विल्सन अपनी तरफ स महसूस कर रहा था कि अगर इसके नतीजे अच्छे निकले तो यह सिस्टम जारी रखा जायेगा, नही तो केसरी बाना नही उतारा जायगा। उसन हिन्द सरकार स इस बारे म आज्ञा भी मांगी थी।

वायसराय न उसके १४ अप्रल के तार का जवाब यह दिया था कि केसरी बाना जब्त नही किया जाना चाहिए, क्योकि सरकार की राय म इसस उतना फायदा नही होगा जितना नुकसान। धार्मिक पहलू स सभावित एजीटेशन के लिए एक मजबूत कारण बन सकता था। इसस थोडे समय के लिए यह फायदा हो सकता था कि छोडे हुए अकाली जल्दी ही फिर जत्था म शामिल न हो। पर इसका, जत्था भेजन की पालिसी पर दीर्घकालिक प्रभाव नही पड सकता था। उल्टे इसका असर इस पॉलिसी म सहायक हो सकता था।

बाद म बगरी बर्गी वाल ६० अकाली छोडे गये। रवाही स्टेशन स ये—बाकायदा कमेटी (रवाही) स कम के दर्जे के टिकट हासिल करने के बाद—चार बजे की गाडी म सवार हो कर फिर जल्दी पहुच गये। और उसी रात

वे फिर बावल भेज दिये गये। कुछ और जत्था का छाडन के बाद एडमिनि स्ट्रेटर ने उनको छोडना बन्द कर दिया। ये (छाडे हुए) शहीदी अकाली बाद में कई जगहो पर इकट्ठे हो जाते थे और जता वापस आ जाते थे। हाकिमो के सामने दरअसल समस्या यह थी कि अकाली केसरी बाने उतार कर छोडे जायें, या उसी बाने म छोडे जायें। वे इधर-उधर घूम फिर कर जैतो पहुच जाते थे। इससे यह नतीजा नही निकालना चाहिए कि इन शहीदी अकालिया मे कोई काली भेडें थी ही नही। इतनी बडी तहरीक मे कुछ अकालिया का—चमडी बचाने के लिए—साहस छाड बैठना कोई अचम्भे की बात नही थी।

छोडे हुए जत्था के फिर से जैतो पहुचने म कांग्रेस कमेटिया ने और अलग-अलग कांग्रेसिया ने व्यक्तिगत रूप से बडी सहायता की। उन्होंने भूखे फिरते जत्था को खाना खिलाया, उनको हौसला दिया और उनकी कुर्बानियो की सराहना की। इस सग्राम का रूप धार्मिक था। पर आम देशभक्ता के लिए यह लडाई राष्ट्रीय और साम्राज्यवाद विरोधी थी—क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद सारे हिन्दुस्तानिया का साझा दुश्मन था।

(आ) फौजियों पर असर

सरकार के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और परेशान करने वाली समस्या यह थी कि फौजियो मे अकालियो की कुर्बानी धार्मिक जज्बे और लगन की 'जाभन' लगनी शुरु हो गयी थी। अकालियो के रहने-सहने और शब्दो के पाठ वगैरा का प्रभाव यह हुआ कि सिख फौजिया म सिखी मर्यादा उभर कर नजर आने लगी। कैंप के इद गिद घूमते फौजिया ने हाथा म गुटके पकड कर पाठ करने शुरू कर दिये और एक एक दो दो व्यक्ति उनके साथ घूम घूम कर पाठ सुनने लग। पटियाले के पदल फौजी दस्ते न एक शहीदी जत्थे को—जो बावल ले जाने वाली गाडी मे चढ़ने म मुश्किलें पैदा कर था — गाडी मे चढाने मे मदद देने से इन कार कर दिया। ये फौजी — जब भी कोई शहीदी जत्था गाडी से बाहर भेजा जाता था — उसके जयकारे या सत श्री अकाल के जवाब मे सत्कार से जुडे अपने दाना हाथ ऊपर उठा देते थे। दूसरे शहीदी जत्थे के जैतो से फौजी कैम्प के निकट से बाहर भेजे जाने के समय—ये फौजी लोग जूतिया उतार कर खडे हो गये और उनके गुजरने के समय उनके सत्कार के तौर पर सिर झुका लिये। यह सूचना दो दिन पहले नत्थूराम को कर्नल बचन सिंह ने दी थी। ये सारे तथ्य उस आम अहसास का सकेत देते हैं जो बडी एहतियात के साथ छिपाया गया था और जिसको मालूम करना बेहद मुश्किल था।[1]

[1] मेमोरडम आन टास्क आफ लाला नत्थूराम

इस किस्म की और भी रिपोर्टें थी जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि सिख फौजियो म "धार्मिक हवा" की जाहिरा निशानियां पैदा हो गयी थी—खास कर उस वक्त जब वे ड्यूटी देकर वापस आते थ। दो-दो, तीन-तीन फौजिया के ग्रुप शब्दो के गुटके निकाल लेते थे और पहले स ज्यादा मन लगा कर पाठ करने लगते थे। यह बात कप्टेन स्मिथ, लाला नत्थूराम और खुद मैंने देखी।

इतना ही नही। उनका यह भी विचार था कि नाभा रियासत म अकाली जत्थो की नजरबदी—खास कर नाभे के आस पास—बुरी सलाह पर आधारित थी। ऐसा करके तो हम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी का वह काम कर रह है जिसके सफल होने की कमेटी को कोई उम्मीद नहीं थी—अर्थात खुद नाभा रियासत म एक या दो हजार का जत्था जत्थेबद करना। यह दलील देना गैर-जरूरी है कि वे अहिंसावादी हैं।"[२]

इन विचारा से सभी अफसर सहमत थे।

इस तरह नाभे के हाकिमो को अकालियो से खतरा ही खतरा नजर आता था। उन्हे यह चिंता खाये जा रही थी कि कही फौज ही हुक्मउदूली न करने लगे। कही यह जत्था ही काटेदार बाडे तोड कर नाभे पर हमला न कर बैठे। कही

●

२ स्थानापन्न (एक्टिंग) एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेगसन (कम्प जतो) का १७ ४ १९२४ का पोलिटिकल सेक्रेटरी थाम्पसन को पत्र

पैंतीसवाँ अध्याय

नया गवर्नर—नयी पॉलिसी

१ हेली की चालबाजिया

पजाब का गवनर एडवड मैक्लेगन गुरुद्वारा तहरीक का मसला उलझा का उलझा छोड कर यहा से चला गया। ३१ मई १६२४ को उसने नये गवनर मैलक्म हेली को बबई म गवनरी का चाज दे दिया। वह स्वय जहाज से इग्लड चला गया। उसकी बडी इच्छा थी कि वह गुरुद्वारा का मसला हल कर के जाय। पर केंद्रीय सरकार की सेक्रेटारियट ने उसकी कोई न चलने दी। उसके लिए—कैदी छोडने से भी पहले—बडा मसला था जतो को जाने वाले जत्थे रोकना और इस बार म शोमणि कमटी स वचन लेना। इसके विपरीत वायसराय के लिए दूसरे तमाम सवाला से अहम सवाल था नाभे की एजीटेशन को बद कराना। हिंद सरकार ने पजाब सरकार की काई बात न चलने दी—जनरल बडवुड को भी अपना वक्त जाया करके समझौते की बातचीत बीच ही मे छाड कर चले जाना पडा।

मैलक्म हेली के बारे मे हमारे पाठक थोडा-बहुत जान चुके हैं आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। लदन मे छुट्टी के समय उसने भी, सेक्रेटरी आफ स्टेटस को प्रभावित करके, समझौते मे टाग अडायी थी। केन्द्र मे होम मेम्बर के नाते इसका रवया गुरुद्वारा तहरीक के विरुद्ध था। यह नौकरशाह अमन कानून और व्यक्तिगत जायदाद की रक्षा के झडाबरदारो मे एक बडा झडाबरदार था। यह कानून के तोडने वाला और निजी जायदाद पर हमला करने वालो को सरकार का हर हरबा इस्तेमाल करके कुचल देने का हामी था।

यही कारण था कि गुरुद्वारा की आजादी के हामी सिख अखबारो ने, उसके आने के कुछ समय पहले ही भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी कि मैलक्म हेली का तौर तरीका और भी तमदद्दुद तथा जुल्म का होगा। इसलिए सिखो को पहले स ज्यादा जत्थेबदी और कुर्बानी क लिए तयार हो जाना चाहिए। सगठन और एके के बगर हेली की पालिसी को शिकस्त नही दी जा सकेगी—इसलिए हेली के नये हमले का मुकाबला करने के लिए सिख जाति को कमर बाध लेनी

इस किस्म की और भी रिपोर्टें थीं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि सिख फौजियों में "शामिल हुआ" की जाहिरा निशानियाँ पैदा हो गयी थीं—खास कर उस वक्त जब वे ड्यूटी से फारिग आते थे। दोनों रात-रात फौजियों के कुछ दस्तों ने गुरु के दीवान लेते थे और पहले से ज्यादा मन लगा कर पाठ करने लगे थे। यह बात कैप्टेन स्मिथ, लाला नरसूराम और मैंने देखी।

इतना ही नहीं। उनका यह भी विचार था कि नाभा रियासत में अकाली जत्थे की नजरबन्दी—खास कर नाभे के आस-पास—बुरी सलाह पर आधारित थी। ऐसा करके तो हम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का वह काम कर रहे हैं जिसके सफल होने की कमेटी को कोई उम्मीद नहीं थी—अर्थात गुरु नाभा रियासत में एक या दो हजार का जत्था नजरबन्द करना। यह दलील देना गैर जरूरी है कि ये अहिंसावादी हैं।"

इन विचारों से सभी अफसर सहमत थे।

इस तरह नाभे के हाकिमों को अकालियों से खतरा ही खतरा नजर आता था। उन्हें यह चिन्ता खाये जा रही थी कि कहीं फौज ही 'हुक्मउदूली' न करने लगे। कहीं यह जत्था ही काँटेदार बाड़े तोड़ कर नाभे पर हमला न कर बैठे। कहीं

२ स्थानापन्न (एक्टिंग) एडमिनिस्ट्रेटर प्रेगसन (कैम्प जैतो) का १७ ४ १९२४ का पोलिटिकल सेक्रेटरी थाम्पसन को पत्र

पेंतीसवां अध्याय

नया गवर्नर—नयी पॉलिसी

१ हेली की चालबाजियां

पंजाब का गवर्नर एडवर्ड मैक्लेगन गुरुद्वारा तहरीक का मसला उलझा का लझा छोड कर यहा से चला गया। ३१ मई १९२४ को उसने नये गवर्नर लकम हेली को बबई म गवनरी का चार्ज दे दिया। वह स्वय जहाज से ग्लड चला गया। उसकी बडी इच्छा थी कि वह गुरुद्वारा का मसला हल र के जाय। पर केंद्रीय सरकार की सेक्रेटारियट ने उसकी कोई न चलने दी। सके लिए—कैदी छोडने से भी पहले—बडा मसला था जैतो को जाने वाले त्थे रोकना और इस बारे म श्रोमणि कमटी स वचन लेना। इसके विपरीत ायसराय के लिए दूसरे तमाम सवालो से अहम सवाल था नाभे की एजीटेशन ो बद कराना। हिंद सरकार ने पजाब सरकार की कोई बात न चलने दी—नरल बडवुड को भी, अपना वक्त जाया करके, समझौते की बातचीत बीच ो मे छोड कर चले जाना पडा।

मैलकम हेली के बारे मे हमारे पाठक थोडा-बहुत जान चुके हैं आगे और ी बहुत कुछ जानेंगे। लदन मे छुट्टी के समय उसने भी, सक्रेटरी आफ स्टेटस ो प्रभावित करके, समझौते मे टाग अडायी थी। केन्द्र म होम मेम्बर के नाते सका रवया गुरुद्वारा तहरीक के विरुद्ध था। यह नौकरशाह, अमन कानून ौर व्यक्तिगत जायदाद की रक्षा के झण्डाबरदारो म एक बडा झण्डाबरदार था। वह कानून के तोडने वाला और निजी जायदाद पर हमला करने वालो को सरकार का हर हरबा इस्तेमाल करके कुचल देने का हामी था।

यही कारण था कि गुरुद्वारो की आजादी के हामी सिख अखबारो न, उसके आने के कुछ समय पहले ही, भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी कि मैलकम हेली का तौर तरीका और भी तसदद्दुद तथा जुल्म का होगा। इसलिए सिखो को पहले से ज्यादा जत्थबदी और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सगठन और एके के बगर हेली की पालिसी को शिकस्त नही दी जा सकेगी—इसलिए हली के नये हमले का मुकाबला करने के लिए सिख जाति का कमर बाध लेनी

चाहिए। जागी हुई सिख कौम, गुरद्वारे आजाद करके ही अपनी कमर खोलेगी, वगैरा।

गवर्नर बनने के बाद हेली ने कुछ मुख्य सवालों के बारे में हिन्द सरकार को लिखा था "क्या यह उचित होगा कि बातचीत फिर से शुरू की जाय? या, यह उचित होगा कि किसी न किसी दाव में और ज्यादा दबाव डाला जाय—मिसाल के तौर पर हमारे (ब्रिटिश) इलाके में से गुजरते हुए अकालियों की गिरफ्तारियां? आपको याद होगा कि आम विचार यह था कि इस वक्त नये सिरे से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। खामोशी के साथ इस किस्म का दबाव कायम और जारी रखना चाहिए जो ऐसी घटनाएं न होने दे जो कि अतिवादियों को देहातियों के जोश को उभारने में एक हथियार के तौर पर मदद करें। साथ ही, नरम और पुरातनवादी राय वालों को अपने हक में करने का हर प्रयत्न किया जाय और उनसे कहा जाय कि वे धार्मिक मुश्किलों को हल करने वाले सरकार के कदमों की हिमायत करें। हमने अपनी ओर से खामोश दबाव जारी रखा है।'[1]

यह थी पालिसी जिस पर, गवर्नर बनने के बाद हेली ने अमल करना शुरू किया। इस पालिसी का एक अंग यह था कि गिरफ्तारियां जारी रखी जायें पर कोई ऐसी घटना न घटने दी जाय जिससे उग्र विचारधारा वालों के हाथ मजबूत हों और आम देहाती लोगों को वे धर्म के नाम पर गवर्नमेंट के खिलाफ उकसा और भड़का सकें तथा अपने पीछे गोलबंद कर सकें। दूसरा अंग यह था कि नरमख्यालियों और पुरातनवादियों—यानी वफादार लोगों—को शह और मदद दी जाय कि वे शिरोमणि कमेटी के मुकाबले पर एक केन्द्रीय संस्था बना कर गुरद्वारा बिल की मांग करें। तीसरा अंग यह था कि गर्म ख्याल अखबारों और प्रेस के खिलाफ कानून को सक्रिय किया जाय ताकि गवर्नमेंट सही और सच्ची खबरों का गला घोंट सके और अपने प्रचार साधनों के जरिये गलत खबरें पहुंचा कर लोगों को गुमराह कर सके तथा अपने लिए हिमायत हासिल कर सके।

'फूट डालो और राज करो' की पालिसी लागू करने में हेली को न कोई झिझक थी और न शर्म! उसने साफ लिखा "अमली तौर पर हम हर उस जिले में जहां सिख रहते हैं अकाली विरोधी जत्थेबंदियां कायम करने में सफल हो गये हैं। इन जत्थेबंदियों ने, प्रान्तीय जत्थेबंदी कायम करने के लिए, पहले से ही अपने अपने प्रतिनिधि अमृतसर भेज दिये हैं। ये जत्थेबंदियां जमींदारों, रईसों और पेंशन प्राप्त फौजियों ने कायम की हैं। मैंने यह जरूरी समझा

[1] एम हेली का ए मुड्डीमन (होम मेम्बर) को पत्र ३० अगस्त १९२४

है कि सार्वजनिक तौर पर उनका हौसला बढ़ाया जाय। और, यह हो सकता है कि ऐसा करते समय मुझे अकाली सियासत के खिलाफ एक कड़ी लाइन पर चलना पड़े। पर पंजाबी आदमी ऐसा आदमी नहीं है जो उस लीडरशिप के पीछे चलेगा, जो खुद झिझक या शक में फंसी हुई नजर आती हो। मैं इस बात का कायल हूं कि सिखों में अकालियों के विरोध को अगर हमें प्रभावशाली बनाना है, तो हम अपनी पोजीशन और इरादों के बारे में अपने दोस्तों और दुश्मनों—दोनों को—किसी गलतफहमी में नहीं रहने देना चाहिए।'[1]

हेली पूरी निलज्जता से शिरोमणि कमेटी के खिलाफ सुधार कमेटियां कायम कर रहा था। इन कमेटियों को उसने अकाली तहरीक के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वह अच्छी तरह जानता था कि इन कमेटियों की जनता में कोई जड़ नहीं है, ये तब तक ही इस्तेमाल की जा सकेंगी जब तक हाकिमों का इनके सिरों पर हाथ रहेगा। 'हम अपने हिमायतियों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे लम्बे अरसे तक सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। अगर कुछ भी अमल में दिखायी नहीं देता, तो वे जल्द ही थक जायेंगे। इसलिए जब जिला कमेटियां बन जायेंगी और अखबारों में इनका खूब प्रचार कर लिया जायगा, तब प्रान्तीय जत्थेबंदी कायम कर दी जायगी और यह कमेटी गुरुद्वारा बिल की रूपरेखा का मसौदा पेश कर देगी।'[1]

हेली जानता था कि पुरानी लकीरों पर बनाया गया गुरुद्वारा बिल स्वीकार नहीं किया जायगा, उसमें कुछ नयी रियायतें देनी पड़ेंगी। पर अभी वह कुछ अड़ा हुआ था। "एक अकाली वकील से मैंने खुद कुछ तजवीजें दर्ज की हैं। ये उस गुरुद्वारा बिल से—जो पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल में पास किया गया था—हमें ज्यादा दुरुस्त बैठेंगी। उनमें हिसाब को प्रकाशित करना, खर्च की मदों की व्याख्या, धार्मिक-दान तथा जिला प्रबंध की मदें वगैरा दर्ज होंगी।" इसको उसने 'अकाली विरोधी गुरुद्वारा बिल" का नाम दिया। और यह बिल, हेली की राय में, 'सुधार कमेटियों के लिए एक झंडे का काम देगा, जिसके पीछे ये कमेटियां और इनके हिमायती लामबंद होंगे।

इस समय हेली की पालिसी यह थी कि वह समझौते की बातचीत की कोई पेशकश मंजूर नहीं करेगा। उसकी राय में शिरोमणि कमेटी के साथ कोई पक्का समझौता हो ही नहीं सकता था, क्योंकि "शिरोमणि कमेटी के पीछे सिख लोग हैं और उसके पीछे अकाली दल है और, शिरोमणि कमेटी के साथ कोई भी

१ उक्त

२ डब्लू एम हेली का ५ अगस्त १९२४ का वायसराय के प्राइवेट सक्रेटरी जी डमाटमोरेंसी का पत्र

समभौता क्यों न हो, वह उसे समभौते पर कायम नहीं रहने देगा।" आगे समाधान तो यह होगा कि शिरोमणि कमेटी सिखों के दूसरे हिस्सों—हमारे पक्ष वाला—के साथ मिल कर दरख्वास्त करे, और अगर यह ऐसा नहीं कर सकती तो अपना केस हमारे सामने खुल्लमखुल्ला ऐसी शक्ल में पेश करे जिससे कि मैं दूसरे पक्ष वाला के साथ सुलह सलाह मशविरा कर सकूं।"

इसलिए, इस समय सरकार जोरों से दबाव की पालिसी पर अमल कर रही थी। समझौते के लिए न तो शिरोमणि कमेटी की तरफ से पहल की जा रही थी न गवनमेंट की तरफ से। गवनमेंट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल और भी जोरों से करना शुरू कर दिया था ताकि कमेटी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया जाय। उसने कुछ नये और कुछ पिछले फैसलों को कड़ाई के साथ लागू करना शुरू कर दिया था। फैसले ये थे

१) शिरोमणि कमेटी के नेताओं के साजिश केस को और जोर से चलाये रखो। अगर उसी विचारधारा के (यानी गर्म ख्याल के) और रहनुमा पैदा हो जायें, तो उन पर भी मुकदमे चलाओ,

२) सजा पाने वाले कैदियों की रिहाई की कोई बात न करो, इनमें से कोई मुआफी मांगे भी तो मुआफी न दो,

३) अकाली विरोधी सिखों की जत्थेबंदियों का हर तरह हौसला बढ़ाओ,

४) किसी उस सिख को, सिविल या फौज में, कोई नौकरी न दो, जिसके खानदान की खुली हमदर्दी अकाली तहरीक के साथ हो, और इस बात का खुल्लमखुल्ला प्रचार करो, तथा,

५) जो सिविल या फौजी पेंशनर गवनमेंट के खिलाफ अकाली एजीटेशन में हिस्सा लेते हैं उनकी पेंशनें और जमीन की ग्रांटें बन्द करो।

अफसरों का विचार था कि यह पालिसी जल्दी ही मसले का हल निकाल देगी, क्योंकि सिख जाति पर इसका असर यह होगा कि गवनमेंट के साथ उनकी लड़ाई उन्हें लाभ नहीं पहुंचा रही, उल्टे नुकसान पहुंचा रही है, यही पालिसी इस बात का मौका मुहैया कर सकती है कि अतिवादियों को नमख्याल और पुरातनवादी सिखों से अलग कर दिया जाय, नर्म और पुरातनी ख्याल के सिखों का उभरना ही मसले को हल करने के रास्ते पर ला सकता है।

ऐतिहासिक तौर पर अतिवादी अकाली लीडरों को नर्मख्याल सिखों से अलग करने की सरकारी पॉलिसी काफी लम्बे अर्से से चली आ रही थी। यह बात नहीं कि अंग्रेज हाकिम नर्मख्याल सिखों को गुरुद्वारों का कंट्रोल सौंप देने के लिए तैयार थे अतिवादी अकालियों को नहीं। असल बात यह थी कि वे

१ उक्त

इन नमख्याल सिखो के जरिये गुरुद्वारो पर अपना सीधा या टेढ़ा असर कायम रखना चाहते थे—और यह बात नमख्याल सिखो के हाथो म गुरुद्वारो का कट्रोल पहुचने से नहीं हो सकती थी। गवनमेन्ट जानबूझ कर यह झूठा प्रचार कर रही थी कि नमख्याल सिख गुरुद्वारा का रुपया राजनीतिक मकसद से गवनमेट के खिलाफ खच कर रहे थे।

इतना ही नही गवनमेन्ट ने प्रबधक कमेटी के खिलाफ एक और मुकदमा दायर करवा दिया था। अर्थात यह कि प्रबधक कमेटी बताये कि वह गुरुद्वारो का रुपया किस तरीके से इस्तेमाल मे ला रही है। इसका मतलब श्रोमणि कमेटी को परेशान करने, लागो म गलतफहमिया फैलाने और कमेटी का ध्यान तहरीक से दूसरी तरफ ले जाने के अलावा और कुछ नही था। श्रोमणि कमेटी के पास ५ पसा फण्ड के कारण, तथा अदर की और बाहर की (अमरीका कनाडा वगैरा के सिखो की) भाली इमदाद के कारण, रुपये-पैसे का कोई टोटा नही था। गवनमेन्ट ने तो हुक्म जारी कर बाहर से आये हजारों रुपये डाकखानो मे रोक रखे थे।

और पजाब गवनमेन्ट खुद लोगों की गाढी कमायी के हजारो रुपये खच करके गुरुद्वारा तहरीक को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। खुद हेली लिखता है

कुछ समय हुआ हमने जिलो के अफसरों को इस बात के लिए हुक्म दिया है कि वे जितनी खामोशी से सभव हो, उतनी खामोशी से अकाली विरोधी जत्थेबदियो की पूरे जोर शोर से इमदाद करें। हम वे वसीले सोच रहे हैं जिनके जरिये हम अकालियो के खिलाफ प्रचार मुहिम के लिए रुपये हासिल कर सकें।'[१]

अकाली ते प्रदेसी ने अपने सम्पादकीय म सर मैलकम हेली की पालिसी को इस प्रकार आका था

सर मैल्कम हेली ने सूबे की बागडोर अपने हाथ मे सभाली, तो सारे काम छोड कर आप श्रोमणि कमेटी के पीछे हाथ धोकर पड गया। हेली ने खुद हर जगह घूम कर एक प्रचारक की तरह श्रोमणि कमेटी के विरुद्ध प्रचार किया—लोगा को डराया धमकाया कि कोई सिख कमेटी के कहने पर न चले। श्रोमणि कमटी के मुकाबले कागजी सुधार कमेटियो के बुत खडे किये और उनके जरिये श्रोमणि कमेटी के खिलाफ बडा जहरीला प्रचार किया और करवाया। महता को गुरुद्वारा के सम्बध म दावे दायर करने के लिए उकसाया, श्रोमणि कमेटी

१ एम हेली का जी डेमाटमोरेंसी (प्राइवेट सेक्रेटरी टु वायसराय) को पत्र तिमता ८ जुलाई १९२४

जैसी सूरत बना कर जवाब दिये जाते थे कि गवनमेंट सुधार कमेटिया नहीं बना रही है, न ही उन्हें कोई माली इमदाद दे रही है।

पहले सवाल का यह जवाब ही कि 'गवनमेंट फण्ड' से कोई माली इमदाद नही दी जा रही—सच्चाई को छिपाता है। यह इस झूठ को बेपद करता है कि ब्रिटिश गवनमेंट के पास कई फण्ड होते थे—खुफिया जासूसी क लिए फण्ड राजनीतिक तहरीको को तोडने के लिए फण्ड, देश के अन्दर और बाहर अपने एजेंट खरीदने के लिए फण्ड तथा कई ऐसे फण्ड जो ब्रिटेन से तिजारत करने वाला के मुनाफा और चदा के रूप म आते थे। साथ ही, गवनमेंट के खर्चे की कुछ इस किस्म की मदें थीं जिन्हें आम अफसर तक नही देख सकते थे। उस जमाने में ब्रिटिश विरोधी वातावरण म सिख सुधार जसा हफ्तावार अखबार—सरकारी इमदाद के बिना—दो हफ्ते भी नही निकल सकता था।

अकाली तहरीक के सबध मे एक याद रखने वाली बात यह है कि एक तरफ जलदार, सफेदपोश और नम्बरदार जैसे पुराने जी-हुजूर और वफादार अपने ओहदे, इनाम और खिताब छोड रहे थे दूसरी तरफ इन गुलामी के तोको को हासिल करने के लिए नये जी हुजूर, नये वफादार, मुरब्बो और इनामो के नय ख्वाहिशमद पैदा हो रहे थे। निजी स्वार्थों पर देश के हितो को बलिदान कर देने म इन्हे कोई शम नही महसूस होती थी।

इस वक्त लडाई की मुख्य धारा—जैतो को लगातार पाच-पाच सौ जत्थे भेजने की थी। जत्थो की इस समय कोई कमी नजर नही आ रही थी। जिन जिला स जत्थे तैयार होते थे उन पर सरकारी दमन यत्र कहर बरपा करने लगता था। लोगो पर बहशियाना जुल्म शुरू हो जाते थे। लेकिन इन जुल्मो के सामने लोग घुटने नही टेकते थे। वे निभयता से अपने पुत्रो और पौत्रो को जत्थो मे भेजते थे। माताए थपकी दे दे कर पुत्रो से कहती थी देखो बेटा, कही मेरी कोख को कलक का टीका न लगाना।

चौथा जत्था २७ माच को श्री केशगढ आनदपुर साहब से चला। यह दुआबे के बहादुर अकालियो का जत्था था। इसके प्रमुख जत्थेदार स पूरन सिह बाहोवाल थे। इस मे पाच निमल पथी भी शामिल थे। जत्थे के साथ अस्पताल का भी प्रबध था। ऐसा प्रतीत होता था मानो निहत्था शातिमय लश्कर बदूको और मशीनगनो से लैस सरकारी फौज को चुनौती देकर कह रहा हो लो तुम अपनी बदूकें मशीनगनें आजमाओ, हम अपनी छातिया आजमाते हैं। इस जत्थे के दो अकालियो—स शेर सिह दौलतपुर और स वतन सिह कनाडियन—को रास्ते मे ही पकड लिया गया।

गवनमेंट अपने दाव-पेंचो म इस वक्त कुछ तब्दीली ले आयी थी। एक

तब्दीली तो यह थी कि जत्थे के अहम मेम्बरो को—अगर उनके खिलाफ कोई गवाही हो तो—रास्ते म ही पकड लिया जाय, दूसरे, जत्थे के साथ मजिस्ट्रेट और हथियारबद पुलिस का दस्ता न जाय, क्योंकि उन्ह लोगो की मखौलबाजी का निशाना बनना पडता है।

पहला फैसला ज्यों का त्यो कायम रखा गया—अर्थात यह कि ब्रिटिश इलाके मे से गुजरते समय जत्थे को न छेडा जाय।

'यह जत्था बाजेखाने म ठहरा हुआ था कि एक पुलिस इसपेक्टर ने १७ अप्रैल का ५ बजे शाम वाले जत्थेदार को एक नोटिस लाकर दिया। इसम लिखा था कि सारा जत्था तीन दिन तक जैतो मे पाठ कर सकता है। पर जत्थे ने कहा हम आने जाने की कोई पाबदी मानने को तैयार नही।'"[1]

१८ अप्रैल को यह जत्था पकड लिया गया। सरकारी रिपोट के अनुसार इस जत्थे का पकडने मे कोई तकलीफ नही हुई। जत्थेदार पूरन सिंह ने कुछ मुश्किलें पेश करने के दाव खेले। यह आदमी "इलाके का दस नम्बरिया बदमाश' के रूप म दज था—जिसका अथ उन दिनो आम लोगो मे अच्छा प्रसिद्ध कायकर्ता माना जाता था। इस जत्थे के आन के साथ ही पूरी रियासत के गुरूसर, जनाल और लोहटबद्दी इलाको मे अकाली एजीटेशन दुबारा जोर पकड गयी थी। सम्बधित गावा मे नत्थूराम जा रहा था, ताकि वह जरूरी कारवाई करे। एस एस पी नारायण सिंह की इस बात पर तारीफ की गयी कि उसने गुरूसर मे जत्थे का स्वागत नही होने दिया।

इस जत्थे के बारे म अफसरो की राय यह थी जत्थे म ढेर सारे बूढे हैं कम्मियो और कमीनो का प्रतिशत तगडा है। इनमे कोई भी असर रसूख वाला बन्दा नही है। अकालियो के धावा के मुकाबले में रियासत के वसीले खत्म हो चुके थे। सारा मेडिकल स्टाफ जैतो मे केंद्रित करना पडा था जिसके कारण और जगहा पर काम रुक गया था।

४ पाचवा जत्था

पाचवा जत्था जिला लायलपुर से चला। इसे जत्थेबद करने मे बडी मुश्किलें पेश हुई। शहर के लीडरो—डाक्टर हरसरन सिंह स मुन्दर सिंह वगैरा—को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले मे बडी दहशत फैलायी गयी। पर इस सब के बावजूद जत्थे को बढने से रोका न जा सका। इस जत्थे के प्रमुख जत्थेदार स उत्तम सिंह जत्थेदार हरभजन सिंह और उप-जत्थेदार स उजागर सिंह थे जो पल्टन की नौकरी छोड कर जत्थे मे शामिल हुए थे।

सिंह सभा लायलपुर के गुरुद्वारे म हिन्दू सिख और मुस्लिम रहनुमाओ

१ अकाली लहर नानी प्रताप सिंह, पृ ४१६ ४१७

जैसी सूरत बना कर जवाब दिए जाते थे कि गवर्नमेंट सुधार कमेटियां नहीं बना रही है, न ही उन्हें कोई माली इमदाद दे रही है।

पहले सवाल का यह जवाब ही कि 'गवर्नमेंट फण्ड' से कोई माली इमदाद नहीं दी जा रही—सच्चाई को छिपाता है। यह इस झूठ का पर्दाफाश करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कई फण्ड होते थे—खुफिया जासूसी के लिए फण्ड, राजनीतिक तहरीकों को तोड़ने के लिए फण्ड, देश के अन्दर और बाहर अपने एजेंट खरीदने के लिए फण्ड तथा कई ऐसे फण्ड जो ब्रिटेन से तिजारत करने वालों के मुनाफों और चन्दों के रूप में आते थे। साथ ही, गवर्नमेंट के खर्चों की कुछ इस किस्म की मदें थीं जिन्हें आम अफसर तक नहीं देख सकते थे। उस जमाने के ब्रिटिश विरोधी वातावरण में सिक्ख सुधार जैसा हफ्तावार अखबार—सरकारी इमदाद के बिना—एक हफ्ता भी नहीं निकल सकता था।

अकाली तहरीक के संबंध में एक याद रखने वाली बात यह है कि एक तरफ जैलदार, सफेदपोश और नम्बरदार जैसे पुराने जी हुजूर और वफादार अपने ओहदे इनाम और खिताब छोड़ रहे थे दूसरी तरफ इन गुलामी के तोहफों को हासिल करने के लिए नये जी हुजूर नये वफादार खुशामदी और इनामों के नये ख्वाहिशमंद पैदा हो रहे थे। निजी स्वार्थों पर देश के हितों को बलिदान कर देने में इन्हें कोई शर्म नहीं महसूस होती थी।

इस वक्त लड़ाई की मुख्य धारा—जैतो को लगातार पांच-पांच सौ जत्थे भेजने की थी। जत्थों की इस समय कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। जिन जिलों से जत्थे तैयार होते थे उन पर सरकारी दमन यंत्र कहर बरपा करने लगता था। लोगों पर वहशियाना जुल्म शुरू हो जाते थे। लेकिन इन जुल्मों के सामने लोग घुटने नहीं टेकते थे। वे निर्भयता से अपने पुत्रों और पौत्रों को जत्थों में भेजते थे। माताएं थपकी दे दे कर पुत्रों से कहती थीं देखो बेटा, कहीं मेरी कोख को कलंक का टीका न लगाना।

चौथा जत्था २७ मार्च को श्री केशगढ़ आनंदपुर साहब से चला। यह दुआब के बहादुर अकालियों का जत्था था। इसके प्रमुख जत्थेदार स. पूरन सिंह बाहोवाल थे। इस में पांच निर्मल-पंथी भी शामिल थे। जत्थे के साथ अस्पताल का भी प्रबंध था। ऐसा प्रतीत होता था मानो निहत्था शांतिमय लश्कर बंदूकों और मशीनगनों से लैस सरकारी फौज को चुनौती देकर कह रहा हो लो तुम अपनी बंदूकें मशीनगनें, आजमाओ हम अपनी छातियां आजमाते हैं। इस जत्थे के दो अकालियों—स. शेर सिंह दौलतपुर और स. वतन सिंह कनाडियन—को रास्ते में ही पकड़ लिया गया।

गवर्नमेंट अपने दांव पेंचों में इस वक्त कुछ तब्दीली ले आयी थी। एक

तब्दीली तो यह थी कि जत्थे के अहम मेम्बरा को—अगर उनके खिलाफ कोई गवाही हो तो—रास्ते मे ही पकड लिया जाय, दूसरे, जत्थे के साथ मजिस्ट्रेट और हथियारबद पुलिस का दस्ता न जाय, क्योकि उन्ह लोगा की मखौलबाजी का निशाना बनना पडता है।

पहला फसला ज्यो का त्या कायम रखा गया—अर्थात यह कि ब्रिटिश इलाके म से गुजरते समय जत्थे को न छेडा जाय।

"यह जत्था बाजेखाने म ठहरा हुआ था कि एक पुलिस इसपेक्टर ने १७ अप्रैल का ५ बजे शाम वाले जत्थेदार को एक नोटिस लाकर दिया। इसम लिखा था कि सारा जत्था तीन दिन तक जैतो म पाठ कर सकता है। पर जत्थे न कहा हम आने जाने की कोई पाबन्दी मानने को तैयार नही।"[1]

१८ अप्रैल को यह जत्था पकड लिया गया। सरकारी रिपोट के अनुसार इस जत्थे का पकडने म कोई तकलीफ नही हुई। जत्थेदार पूरन सिंह ने कुछ मुश्किलें पश करने के दाव खेले। यह आदमी "इलाके का दस नम्बरिया बदमाश" के रूप म दज था—जिसका अथ उन दिनो आम लोगो म अच्छा प्रसिद्ध कायकर्ता माना जाता था। इस जत्थे के आने के साथ ही पूरी रियासत के गुरूसर, जलाल और लौहटबद्दी इलाको मे अकाली एजीटेशन दुबारा जोर पकड गयी थी। सम्बधित गावा मे नत्थूराम जा रहा था, ताकि वह जरूरी कारवाई करे। एस एस पी नारायण सिंह की इस बात पर तारीफ की गयी कि उसने गुरूसर म जत्थे का स्वागत नही होने दिया।

इस जत्थे के बारे म अफसरा की राय यह थी जत्थे मे ढेर सारे बूढे हैं कम्मियो और कमीना का प्रतिशत तगडा है। इनमे कोई भी असर रसूख वाला बन्दा नही है। अकालियो के धावा के मुकाबले मे रियासत के वसीले खत्म हो चुके थे। सारा मेडिकल स्टाफ जैतो मे केंद्रित करना पडा था जिसके कारण और जगहा पर काम रुक गया था।

४ पाचवा जत्था

पाचवा जत्था जिला लायलपुर से चला। इसे जत्थेबद करने मे बडी मुश्किलें पश हुइ। शहर के लीडरा—डाक्टर हरसरन सिंह, स सुदर सिंह वगैरा—को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले मे बडी दहशत फैलायी गयी। पर इस सब के बावजूद जत्थे को बढने से रोका न जा सका। इस जत्थे के प्रमुख जत्थेदार स उतम सिंह जत्थेदार हरभजन सिंह और उप-जत्थेदार स उजागर सिंह थे, जो पल्टन की नौकरी छोड कर जत्थे मे शामिल हुए थे।

सिंह सभा लायलपुर के गुरुद्वारे मे हिंदू सिख और मुस्लिम रहनुमाओ

१ अकाली लहर गानी प्रताप सिंह, पृ ४१६ ४१७

ने जत्थे का जोरदार स्वागत किया। नियत प्रोग्राम के अनुसार जत्थे का १२ अप्रैल १९२४ को विदा किया गया। जहां जहा भी यह जत्था पहुचा, लोगो ने इसका बडा सत्कार किया। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हर ठहरने वाली जगह पर जत्थे को खाने पीने की चीजें भारी मात्रा म मिलती रहीं। गावो के लोग उसकी आवभगत म जगह जगह इकट्ठे हुए। पमोरपुर पडाव पर उप-जत्थेदार स उजागर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

लाहौर म इस जत्थे के स्वागत के लिए अपार जोश था। रावी नदी पार करते समय जत्थे की फिल्म भी ली गयी। लाहौर के अखबारों के एडीटर—लाला श्यामलाल (केसरी) लाला खुशहालचन्द (मिलाप) मौलाना अख्तर अली (जिमींदार) तथा मुस्लिम और हिन्दू नेता सैयद हबीब लाला बोरे दयाल, डा परशुराम मौलाना इस्माइल तथा सिख नेता जत्थे की आवभगत के लिए मौजूद थे। शहर में जत्थे का बहुत शानदार जलूस निकाला गया। गवर्नमेंट को डर था कि अगर जत्थे ने डेरा साहब गुरुद्वारे म पडाव किया तो लोग लाहौर किले के इद गिर्द नारे लगायेंगे अकाली लीडरो को रिहा करो!' 'मुकदमा वापस लो!' वगैरा-वगैरा। और यह बहुत बुरी बात होगी।

५ खालसा कालेज बन्द

२६ अप्रैल को यह जत्था जब खालसा कालेज पहुचा तो स्वागत के लिए कालेज के विद्यार्थी पहले से ही मौजूद थे। वे जत्थे को कालेज के गुरुद्वारे म ले गये और हर प्रकार जत्थे की सेवा की। गुरुद्वारे म बडा भारी दीवान सजाया गया। इसमे जत्थे को एक मानपत्र दिया गया जिसमे खडित अखड पाठ को फिर से शुरू कराने के लिए जत्थे की कुर्बानियो की भरपूर सराहना की गयी।

जत्थे के पहुचने से एक दिन पहले तहसीलदार और इन्सपेक्टर पुलिस कालेज के प्रिंसिपल मि आमस्ट्रौंग से मिले थे। उन्होने कहा था कि आप आर्डर निकाल कर विद्यार्थियो को जत्थे का स्वागत करने से रोकिए। प्रिंसिपल ने साफ साफ कह दिया था न मुझे विद्यार्थियो को जत्थे का स्वागत करने से रोकना है, न तुम्हें गिरफ्तारिया करने से। इस मामले म मैं इस समय कोई दखल नही दूगा।

किन्तु विद्यार्थियो द्वारा जत्थे के स्वागत से सरकार आपे से बाहर हो गयी। सरकारी दबाव के मातहत प्रिंसिपल ने कुछ अग्रणी विद्यार्थियो को सजायें दी। फलस्वरूप कालेज बन्द हो गया। हेली की नजर मे ये सजायें 'एकदम नाकाफी' थी। लेकिन प्रिंसिपल ने दलील दी कि अगर वह इससे ज्यादा

१ फाइल न ६७/III बी १९२४ होम पोलिटिकल

सजायें देता तो उसे ताकत का इस्तेमाल करके विद्यार्थियों को कालेज से बाहर निकालना पड़ता। "पता नहीं यह कहां तक ठीक है। बात साफ है कि कमेटी द्वारा कालेज बन्द करने का कदम उठाने से पहले ही कालेज हाथों से निकल चुका था। प्रबंधक कमेटी ने विद्यार्थियों की मनोभावनाओं की खुली हिमायत नहीं की। यह काम व्यक्तियों पर छोड़ दिया गया। इसका अर्थ यह होगा कि रियासतों के चन्दे और गवर्नमेन्ट के इमदादी रुपये बन्द हो जायेंगे। इस बात में सन्देह है कि कमेटी कालेज को हाथों में लेगी, क्योंकि यह कोई धार्मिक मसला नहीं है।"[1]

इससे कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अकाली तहरीक को तोड़ने पर हेली गवर्नमेंट किस कदर कमर कसे थी। हेली को एक अंग्रेज प्रिंसिपल द्वारा विद्यार्थियों को दी गयी सजा भी खुश नहीं कर सकी। पता नहीं वह कितने विद्यार्थियों को कालेज से बाहर निकालने की सजा देने पर खुश होता! धर्म पीछे वफादारी पहले—यही थी हेली की पॉलिसी।

खालसा कालेज से जत्थे को अपने साथ ले जाने के वास्ते हजारों सिख पहुंचे हुए थे। यहीं से एक बड़े जलूस की शक्ल में—बड़े जोशोखरोश और बड़े बाजे के साथ—जत्था गुरुद्वारा पिपली साहब पहुंचा। जत्थे के वहां पहुंचने पर ज्ञानी करतार सिंह कलासवालिये[2] ने मानपत्र पेश किया। जत्थे के स्वागत में हाल बाजार नयी दुल्हन की तरह सजाया गया था। अकाल तख्त के सामने एक बड़ी मीटिंग के बाद जत्थे के विश्राम का प्रबंध बाग अकालियां में

१ शिमला से ८ जुलाई १९२४ को हेली का जी डेमांटमोरेंसी को पत्र पी एस बी

२ ज्ञानी करतार सिंह कलासवालिये ५/११वीं पंजाब रेजीमेंट में ग्रंथी था। इसकी पुस्तक सुधार खालसा को रेजीमेंट के कमान अफसर ने "गवर्नमेंट विरोधी" कह दिया था। उसको बड़ी चिंता हो गयी कि सरकार उसकी जमीन जब्त कर लेगी। उसने इस बारे में तीन चिट्ठियां लिखीं।

(१) चीफ सेक्रेटरी ने लिखा "कुछ ही ऐतराज योग्य पंक्तियां हैं—बड़ी नम्र जबान में। किसी कारवाई की जरूरत नहीं।"

(२) मैं तुम्हें बताता हूं कि ज्ञानी करतार सिंह ने अकाली जत्थेदार के नाराज हो जाने के कारण इस्तीफा दे दिया है।

(३) वह अब अकाली विरोधी मुहिम में मदद कर रहा है। "उसके होशियार कलम का यह मुहिम बड़ा लाभ उठायेगी।" टिप्पणी की जरूरत नहीं।

फाइल नं ३३३ (पोलिटिकल), १९२४, एच डी क्रंक की डेपुटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट आफ इंडिया को चिट्ठी ३ ११-२४

कराया गया। जत्या पहली मई को जैतो को रवाना हुआ और २१ मई को जैतो मे गिरफ्तार हो गया।

इस जत्थे की बाबत सरकार ने ढिंढोरा पीट रखा था कि यह हिंसक कारवाइया करेगा। इसलिए पुलिस और फौज का जबदस्त प्रदर्शन किया गया था और जत्थे को अच्छी तरह पीटने के लिए १२ गावों से लोगों को बुलाया गया था।

विल्सन की नजरो म यह जत्था सबसे ज्यादा कमजोर था। "ज्यादा कमजोरों की एवज म २०० अकाली अमतसर म नये डाले गये। इनमें बच्चा और बूढो की भरमार थी। बहुसख्या कमीनो की थी। इनम जाट दस भी सही भी नही थे। और, कोई भी रिक्रूटिंग अफसर जत्थे के पाच की सदी लोगों को पास नही कर सकता था।"[१]

उक्त रिपोट का मतलब समझ लेना चाहिए। गवनमट के मतानुसार मोर्चे की मुख्य धुरी जाट थे। इनकी सख्या कम होने का अथ था—तहरीक का कमजोर पड जाना। गवनमट की रिपोर्टों म 'कमीनो' का उल्लेख बडी घृणा के साथ किया गया है—जैसे इनकी कोई कद्र कीमत ही नही। बूढा और बच्चा का जिक्र भी इस तरह किया गया है मानो जवान अकाली अब श्रोमणि कमेटी को नही मिल रहे थे, इसलिए लहर दिना दिन कमजोर होती जा रही थी।

६ हिन्दुस्तान से बाहर के जत्थे

जैतो के हत्याकाड ने दुनिया भर के सिखों को झिझोड दिया था। जहा कही भी सिख मौजूद थे वहा ही उन्होंने जैतो के अखड पाठ के मोर्चे को सिख जाति की जिंदगी और मौत का सवाल बना लिया था। कलकत्ता और बबई के सिखो की तो बात छोडिए—इन जगहो से तो ताकत के अनुसार अकाली आ ही रहे थे—अब विदेशा से भी सिह और उनके जत्थे आने शुरू हो गये थे। इसलिए पजाब के सिखो की इस अकाली तहरीक ने राष्ट्रीय ही नही अन्त र्राष्ट्रीय शक्ल भी धारण कर ली।

पहले ही गुरु के बाग की वहशियाना मारपीट ने अकाली तहरीक को हिन्दुस्तान के इतिहास का एक अनूठा काड बना दिया था। पजाब कौंसिल तथा सेंट्रल असेम्बली मे मौजूद पजाब और हिन्दुस्तान के गैर सरकारी प्रति निधियो ने इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज हिन्दुस्तान के कोने कोने मे पहुचा दी। इग्लड की लेबर पार्टी के कुछ पार्लियामेंट मेम्बरो ने अपने सवालो और भाषणा के जरिये इस जुल्म को ससार भर मे नगा कर दिया था। गुरु

[१] विल्सन जानसन का कार मिचल, ए जी जी, को पत्र २२ मई १९२४

के नाग के जुल्म और अत्याचार की कि मा न अमरीका म इसे नगा करने म बडा काम किया। निहत्थे शहरियो पर ब्रिटिश राज के इस जुल्म के खिलाफ अमरीकी नागरिको ने नफरत का इजहार किया था, जिस पर ब्रिटिश सरकार को अमरीकी सरकार के पास प्रोटेस्ट भेजनी पडी थी।

अब जैतो के गोलीकाड ने तो ब्रिटिश साम्राज्य की अत्यन्त भयानक और घिनौनी मसलत लोगो के सामने ला खडी की थी। गवनमट झूठी थी। वह अपने झूठ पर पर्दा डालने की कोशिशो मे जुटी थी। असेम्बली और कौसिल के मेम्बरो ने इस झूठ का ताना बाना तार-तार कर दिया था। सरकारी अफसरो के बयाना म इतनी परस्पर विरोधी बातें थी कि उनकी तरफ से सफाई की कोई बात ही नही बनती थी। वे यू ही, ढीठो की तरह, सिर अडाय हुए थे। पार्लियामेंट मे लेबर पार्टी के मेम्बर लसबरी तथा अन्य ने जैतो गोली काड का केस अच्छी तरह पेश किया। लदन टाइम्स, मैनचेस्टर गार्जियन तथा नेशनल हेराल्ड जस साम्राज्यपरस्त अखबारो तक को अग्रेज राज के खिलाफ रोज-ब रोज बढ रही नफरत नजर आने लगी।

एसे मे कनाडियन शहीदी जत्थे ने जैतो के मोर्चे को—असली अर्थों मे—अन्तर्राष्ट्रीय शोहरत का मोर्चा बना दिया। २७ जुलाइ १६२४ को ११ सिहा का यह जत्था जैतो मोर्चे पर पहुचने के लिए वकूवर से रवाना हुआ। प्रोग्राम यह था कि रास्ते म वह शघाई, हागकाग, सिगापुर, पीनाग वगैरा बदरगाहा पर उतरगा और उन जगहा से जत्थे में और मेम्बर भर्ती करके अपने साथ लायेगा। इस तरह उम्मीद थी कि वह एक बड़ा जत्था बन कर हिंदुस्तान पहुचेगा।

चलने से पहले कनाडा और अमरीका मे इस शहीदी जत्थे की बडी चर्चा हुई। मगलवार २२ जुलाई के वकूवर मार्निग सन के पहले पृष्ठ पर इन ११ सिखों की तस्वीर छपी। एक ही कद के जवानो की यह तस्वीर बडी प्रभावशाली थी। इसका शीर्षक था "नये जेहाद के लिए हिंदुस्तान को रवाना।" तस्वीर के नीचे यह इबारत लिखी थी

"यहा ग्यारह सिख पादरियो की तस्वीर दी गयी है। ये कनाडा के कई शहरो से आये हैं। यह हिंदुस्तान के लिए 'एम्प्रेस आफ आस्ट्रेलिया' जहाज म चढने से पहले की तस्वीर है। मुजाहिदों और शहीदो के रूप म ये कनाडा से विदा हो रहे हैं। इन्होने कनाडा मे अपनी जायदादें त्याग दी हैं, ताकि हिंदुस्तान जा कर ये ब्रिटिश कुशासन के खिलाफ सघर्ष की रहनुमाई कर सकें। यह कदम इन्होने हिंदुस्तान से आये अखबारो के भडकील लेखो को पढ कर, जोश म आकर उठाया है। चलने से पहले इन्होने तीन दिन तक प्रार्थना की और अनाज त्याग दिया। इनका इरादा हिंदुस्तान मे पहुच कर धार्मिक आजादी के लिए जग

करने का है। ये सिख पादरी फिर कनाडा नही लौटेंगे। वकूवर और विक्टोरिया के इनके साथियो ने इन्हें अपने मिशन की कामयाबी की शुभकामनाओ के साथ विदा किया है।"

दि ट्रैंवलर अखबर के हिदुस्तान मे रह चुके सपादक ने २३ जुलाई को वायसराय को उपरोक्त तस्वीर काट कर भेजी। चिट्ठी मे उसने लिखा गोरो के प्रति देशी (हिदुस्तानी) लोगो म मुझे बडा फर्क आया नजर आता है। उनम ब्रिटिश फौज के खिलाफ प्रत्यक्ष दुश्मनी पैदा हो गयी है। ये पादरी धार्मिक जग करने के लिए जा रहे हैं। इन्होने बताया है कि निकट भविष्य म ही गोरे लोगो को वे हिदुस्तान स बाहर निकाल देंगे।'

अग्रेज उपनिवेशवादियो द्वारा इस किस्म की भयप्रद तस्वीर खीचा जाना, समझ मे आने वाली बात है। कनाडा मे गये अग्रेज हाकिमो को गदर पार्टी के शूर बीरो के शहीदी कारनामे भूले नही थे। वे शातिमय सग्राम और हिंसात्मक सग्राम मे भेद करना नही जानते थे। इसलिए असल स्थिति का उनका मूल्याकन गलत था।

११ सिखो का यह शहीदी जत्था जब जहाज से शघाई की ओर बढ रहा था तो शघाई के ब्रिटिश कौंसल जनरल ने वायसराय से पूछा कि जत्थे को वहा उतरने से रोकने का उसे अधिकार है या नही—क्योकि जत्था शघाई मे ७ दिन ठहरेगा तथा जत्थे म नये मेम्बर भर्ती करेगा। वह चाहता था कि जत्थे को जहाज स उतरने ही न दिया जाय, उसे सीधे आगे जाने का आदेश दे दिया जाय।

जत्था १३ अगस्त को शघाई पहुचा। शघाई मे इसने १३ सिह जत्थे म भर्ती किये। १६ अगस्त को जत्थे को हागकाग पहुचना था। ४ सिख इसने वहा से भर्ती किये और १० सिगापुर से। सिगापुर मे जत्थे का बडा शानदार स्वागत किया गया। १३ सितबर को यह जत्था 'लाइसाग" के रास्ते सिगापुर को रवाना हुआ जहा उसे गोदी पर उतरने नही दिया गया। इस जत्थे की बाबत सरकारी रिपोर्ट यह थी कि 'जत्था पुरअमन तरीके वाला है। कोई मुश्किल नही पेश आयी।"[1]

१४ सितबर को कलकत्ते मे उतरते वक्त आम लोगो द्वारा जत्थे का बडा शानदार स्वागत हुआ। कुछ दिन के आराम के बाद जत्था इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली अम्बाला, लुधियाना जलधर होता हुआ अमृतसर पहुचा। हर जगह लोगो ने बडी श्रद्धा के साथ जत्थे के लोगो के गले मे हार डाले। इसमे कांग्रेसी और खिलाफती नेता सिखो से पीछे नही रहे। अमृतसर स्टेशन पर इतनी भीड थी कि तिल रखने को जगह नही थी।

१ फाइल न १/११ १९२४

जत्थे के आगमन ने पजाबियो मे, खास कर सिखो म, नया उत्साह और जोश भर दिया। दो तीन दिन आराम करने के बाद जत्थे के मेम्बरो ने पजाब के जिलो का दौरा शुरू कर दिया। नये शहीदी जत्थो मे भर्ती के लिए जगह जगह पर सिंह अपने नाम लिखवाने लगे। सरकार के इन तमाम अनुमानो पर पानी फिर गया कि नये जत्थो के लिए शोमणि कमेटी को आदमी नही मिल रहे।

रावलपिंडी के दौरे के वक्त इस जत्थे के जत्थेदार भाई भगवान सिंह दुसाझ और उप जत्थेदार स हरबस सिंह को पकड लिया गया। मुकदमा चला कर १५ दिसम्बर १६२४ को उन्हे दो-दो साल की कैद और एक एक हजार रुपये के जुर्माने की सजायें दी गयी। बाकी सिंह दौरा करते रहे। अन्तत २१ फरवरी १६२५ को वे जैतो पहुचे। उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया।

७ भर्ती बद, पेंशनें आदि जब्त

समझौते की बातचीत तोड कर सरकार ने सख्ती और तेज कर दी। शुरू से ही नाम-कटे और पेंशनी फौजी अकाली तहरीक म हिस्सा लेना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे। कोई भी ऐसा सग्राम नही था जिसम कमोबेश सख्या म फौजियो ने हिस्सा न लिया हो। कई सूबेदारो, रिसालदारो और पेंशनरो ने शोमणि कमेटी के कब्जे मे गुरुद्वारे लाने के लिए कुर्बानिया दी थी। इनकी गिनती हर मोर्चे मे बढती जाती थी।

पाच सौ के शहीदी जत्थो के लगातार जारी रहने के कारण सरकारी अफसरो का गुस्सा बढ गया था, उनकी प्रतिशोध भावना तीव्र हो उठी थी। उन्होने सिखो की भर्ती बद करने के हुक्म जारी किये। उन्होने हिदायतें भेजी कि अकालियो को सिविल या फौज के किसी महकमे मे—छोटी या बडी—कोई नौकरी न दी जाय।[1] कुछ अग्रेज अफसर समझते थे कि सिखो का गुजारा ही अग्रेज राज की नौकरिया पर चलता है—ये नौकरिया बन्द हो जायें, तो इनका दिवाला निकल जायेगा।

अग्रेज हाकिम तब तक ही किसी को दोस्त कह कर सबोधित करते थे, जब तक कोई हा मे-हा मिला कर उनका मतलब निकालता जाय। सिखो ने गुरुद्वारों की आजादी का सग्राम शुरू किया, तो अग्रेज हाकिम सिखो को अपना दुश्मन समझने लगे। उनके साथ वे दुश्मनों जैसा ही सलूक करने लगे।

अग्रेज हाकिमो की समझदारी पर गौर कीजिए वे समझते थे कि

१ फाइल न ११८/१६२५ होम, पोलिटिकल आर्मी डिपार्टमट, शिमला १६ ७ १६२४

किसी सिख को पेंशन, जगी इनाम या जमीन देने का मतलब है, हमेशा के लिए उसकी वफादारी को खरीद लेना। ये पेंशनें वगैरा सिर्फ उनकी बहादुरी, सेवा या साम्राज्य के लिए की गयी कुर्बानियों के कारण नहीं दी जाती थी। ये उन्हें अपना चिरजीवी वफादार गुलाम बनाये रखने के लिए भी जाती था। पर पेंशनें या जमीनें हासिल करने वाले इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे क्योंकि उन्होंने जो कुछ हासिल किया था, वह पिछली सेवा या बहादुरी के कारण।

गवर्नर इन-कौंसिल का फैसला था कि अकाली तहरीक की वर्तमान मंजिल में किसी सिख को—जिसका खानदान मजबूती से उभर कर अकाली हमदर्दियां रखता है—गवर्नमेंट के अधीन कोई सिविल या फौजी नौकरी न दी जाय। इसलिए तजवीज है कि यह बात स्पष्ट कर दी जाय कि फौज की भर्ती उन गावों में बन्द कर दी जायगी जिन्होंने अकाली तहरीक में सरगर्म हिस्सा लिया है। ऐसे कोई सिख फौज में भर्ती नहीं किये जायेंगे जिन्होंने खुद इसमें कुछ हिस्सा लिया है, या अपने खानदान के जरिये किसी तरह से अकाली तहरीक से सम्बन्धित हैं। रिक्रूटिंग अफसरों को हिदायत दी जाय कि कोई भी सिख रगरूट भर्ती करने से पहले वे जिला अफसरों की राय हासिल करें।[1] हुक्म तो यहां तक दिये गये कि किसी सिख को चपरासी, दफ्तरी या मामूली क्लर्क तक की नौकरी न दी जाय।

और हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली) ने बड़ी बड़ी सुर्खियां देकर १३.२.२५ के अपने अंक में लिखा : सिखों पर पाबन्दी ! अकालियों को नौकरियों से महरूम कर दिया गया !

आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा रावलपिंडी, लाहौर, जलंधर डिवीजनों तथा दिल्ली को इस बारे में हिदायतें भेज दी गयीं : इस मेमो को खुफिया न माना जाय। कोई देर नहीं होनी चाहिए : तुरन्त करो। यानी, सिखों को साहसहीन और निराश करने के लिए, भर्ती बन्द करने का खूब प्रचार करो ताकि अकाली तहरीक को हर तरफ से जबरदस्त चोटें पहुंचायी जायें।

'फौजी अफसर रिक्रूटिंग अफसरों को यह हिदायत देकर हमारी मदद करें कि वे अकाली गावों से कोई सिख भर्ती न करें। पेंशनों के बारे में कारवाई करने के लिए हम तेजी से कदम उठा रहे हैं—यानी उन लोगों की पेंशनों पर लकीर फेर दी जाय जो अकाली एजीटेशन में खुल्लमखुल्ला हिस्सा लेते हैं। हम उनके कुछ अखबारों पर भी मुकदमा चला रहे हैं।'[2]

शिरोमणि कमेटी और उससे सम्बंधित जत्थेबंदियां राजनीतिक कारणों से

१ एच डी मेक शिमला ८ जुलाई १९२४
२ मेक्लम हेली दिल्ली ८ जुलाई १९२४

बागी करार दी जा चुकी है। इनके साथ ताल मल रखना कारवाई करने के लिए रास्ता साफ करता है। हालत अब इस किस्म की हो गयी है कि बहुत केसो मे तम्बीह करके पहले की तरह अब पेंशनो को जब्त करने की भी जरूरत नही रही।

पहले सरकार जमीनें पेंशनें या जगी इनाम बन्द करने का वार उन फौजियो पर करती थी जिन्हे अदालत सजा देती थी। *अब यह एहतियात बरतना भी* छोड दिया गया था। पर अकाली तहरीक को आतक के बल पर दबाने और भयभीत करने के लिए हर किस्म के हथियार का इस्तेमाल करना अब जायज और कानून के अनुकूल बन गया था। फौजी और सिविल सेवाओ मे लगे लोगो को फासने के लिए घेरा इतना विशाल कर लिया गया था कि "अकालियो के साथ हमदर्दिया" रखने के हास्यास्पद आरोप के अतर्गत किसी भी सिख नौकर को पकड लिया जा सकता था और उसे नौकरी से अलहदा कर दिया जा सकता था—अन्य सजायें देना तो अलग बात रही। इस स्थिति का सहारा ले कर थानेदारो ने अपने मुखालिफो से खूब बदले लिये।

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (लदन) ने अकाली तहरीक से हमदर्दी रखने वाले खानदान के किसी आदमी को नौकरी न देने के बारे म एक चिट्ठी मे टिप्पणी की: "मैं फर्ज करता हू कि अकाली (शब्द) यहा पर पोलिटिकल अर्थों मे इस्तेमाल किया गया है। पर, नि सदेह, इसको धार्मिक अर्थों मे तोडा मरोडा जा सकता है और गवनमेंट पर—१८५८ के (धर्म मे दखल न देने के) एलान के विपरीत—धार्मिक सुधारको का बायकाट करने का इल्जाम लगाया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि इस तजवीज पर अमल करने मे बडी एहतियात बरतनी होगी।"[1]

पर कौन सुनता था एहतियात बरतने की बात का! जो कुछ करना था, वह तो मौके पर मौजूद अफसरो को ही करना था। उन्होने अपनी तरफ से अकालियो को दबाने और कुचलने म कोई कोर कसर नहीं छोडी। उनके लिए कोई भी धार्मिक नही था। नीली या काली पगडी वाले सब के सब राजनीतिक थे। कौन पूछता था महारानी बरतानिया के १८५८ के ऐलान को? सिख धर्म मे तो शुरू से ही दखल दिया जा रहा था।

८ मोर्चा भाई फेरू

यह मोर्चा ५ जनवरी १९२४ को लगा और सितम्बर १९२५ के आखिरी हफ्ते मे समाप्त हुआ। मोर्चा लगने का कारण था महत किशनदास का

१ सेक्रेटरी आफ स्टेट (लदन) का वायसराय (होम डिपार्टमेंट) को पत्र २३ जुलाई १९२४

—समझौता करके—पथ के खिलाफ बागी हो जाता। लाहौर जिले में अकालियों ने इस मोर्चे को अपनी इज्जत का सवाल बना लिया था। फलत, इस मोर्चे को जब वापस लिया गया तो वे बड़े दुखी और क्रुद्ध हुए।

अकाली लहर द्वारा कुछ गुरुद्वारो पर कब्जा कर लेने के बाद महंत किशन दास ने श्रोमणि कमेटी के साथ समझौता कर लिया था और २८ सितम्बर १९२२ को गुरुद्वारे का कब्जा कमेटी के हवाले कर दिया था। समझौते के तौर पर कमेटी ने महंत को ४०० रुपये माहवार और मुफ्त रसद पानी देना मंजूर कर लिया था। लगभग एक साल तक महंत समझौते पर कायम रहा। दिसम्बर १९२३ के पहले हफ्ते मे उसने अफसरो और ननकाने के कातिल महंत के भाई के उकसाने पर समझौता तोड़ दिया। पर गुरुद्वारे की मिल्कियत वापस लेने का उसने अकाली प्रबंधको पर दावा ठोक दिया।

जमीन का मुकदमा पहले ही जिला मजिस्ट्रेट की अदालत मे चल रहा था। इसका फैसला श्रोमणि कमेटी के हक मे हो चुका था। पर महंत की दरख्वास्त पर—अमन भंग होने का बहाना बना कर—कसूर का एस डी ओ भाई फेरू पहुच गया। उसने हुक्म जारी किया कि दोनो धड़े ३ जनवरी १९२४ को कसूर पहुचें और जमीन पर कब्जे के अपने अपने दावे और सबूत पेश करे।

जमीन श्रोमणि कमेटी के कब्जे मे आ चुकी थी। कमेटी ने पिछले मुजाविरो की जगह नये मुजाविरे रख दिये थे। पुराने मुजाविरो ने पुलिस की सहायता के लिए दरख्वास्त दी। पुलिस ने २ जनवरी १९२४ को ३४ अकालियो और मुजाविरो को पकड़ लिया।[1] इस पर भाई फेरू का मोर्चा लग गया।

कानून, कमेटी के हक मे था। पर कानून को कौन पूछता था ? कारण यह कि कानून भी राजनीतिक उद्देश्यों के अधीन था। इस समय सरकार की पालिसी सिखो को दबाने और कुचलने की थी। उधर जैतो मे मोर्चा लगा हुआ था और श्रोमणि कमेटी का दूसरा जत्था पकड लिया गया था। इस तरह गिरफ्तारियो का एक नया फ्रंट खुल गया।

इस मोर्चे मे चार चार अकालियो के पाच छ जत्थे रोज जाते और गिरफ्तार हो जाते थे। इस तरह रोज कमोबेश २५ सिंह गिरफ्तार होते और सजायें पाते रहे। शुरू शुरू मे ये सजायें कुछ दिनो और महीनो तथा कुछ जुर्मानो की होती थी। पर ज्यो-ज्यो मोर्चा लम्बा होता गया, जत्थेदारो और नामवर

१ अकाली (उर्दू) ९१२४

अकालियों की सजायें भी लम्बी होती गयीं। एक एक, दो दो साल की सजाओं के अलावा सौ सौ रुपये के जुर्माने तो आम बात हो गयी थी।

जत्थे गुरु के लंगर के लिए गुरुद्वारे की जमीन से सब्जी, लक्कड़ आदि लेने जाते। पुलिस उन्हें रास्ते में पकड़ लेती और उनकी पिटाई करती। रात में "भाई फेरू के चंद गुंडे लंगर में ईंटों और पत्थरों की वर्षा करते।"[1] जुलाई १९२५ के पहले हफ्ते तक ६,१५७ सिंह पकड़े जा चुके थे। पिछली मई में—सरकारी रिपोर्ट के अनुसार—२,६१९ सिंहों को विभिन्न सजायें दी चुकी थीं। सख्तियां इतनी बढ़ गयी थीं कि जेल जाते वक्त अकालियों को रास्ते में दूध और पानी पिलाने के लिए भी किसी नागरिक को नजदीक नहीं फटकने दिया जाता था। जो लोग उनके नजदीक जाते, उनके साथ गाली गलौज और मार पीट तो की ही जाती—उन्हें मार देने की धमकियां भी दी जाती थीं।[2]

१० सितम्बर को गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ कर ६,३७२ हो गयी थी। "सजायें १९२२ के गुरु के बाग की सजाओं से भी ज्यादा लम्बी और शिक्षाप्रद असर वाली दी जा रही थीं।" पंजाब सरकार हिंद सरकार को चिट्ठी पत्री लिख कर सलाह दे रही थी कि कैदियों को अगर मद्रास, महाराष्ट्र—हो सके तो काले पानी—की दूर-दूर की जेलों में भेजा जाय, तो गिरफ्तारियों के लिए बहुत कम लोग आयेंगे।"[3] पर यह तिकड़म, दूसरे प्रांतों द्वारा इंकार कर देने और कई शर्तें लगाने के कारण, सिरे न चढ़ सकी।

यह मोर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था—कि एक दुराचारी आदमी को एक लड़के के साथ बदचलनी करने के कारण कत्ल कर दिया गया। इस पर श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी स० अजन सिंह ने मोर्चा बंद कर दिया। इस मोर्चे को बंद कर देने पर आपस में बड़ी ले दे हुई। हेली के शब्दों में—यह पहला मौका था जब इस मोर्चे से कमेटी ने कुछ भी हासिल न किया।

●

१ अकाली ते प्रदेसी, २९ जुलाई १९२५
२ फाइल नं० १५/२ पार्ट-बी १९२४
३ फाइल नं० २६२—१९२५

चौथा खण्ड

छत्तीसवां अध्याय

हेली की रणनीति

१ सरकारी सुधार कमेटियां

हेली बडा चालबाज गवर्नर था। उसकी रणनीति यह थी कि जिस तरह भी हो अकाली तहरीक को कमजोर किया जाय और सिखों की नजरों में उसे गिरा कर अपनी मर्जी का समझौता स्वीकार करने को मजबूर किया जाय। इस उद्देश्य से वह अपनी सुधार कमेटियों को गुरुद्वारा बिल की रूपरेखा का मसौदा तैयार करने के लिए शह दे रहा था। एक तरह से सुने शब्दों में वह कह रहा था तुम गुरुद्वारा बिल बना कर धार्मिक मसले को सुलझाओ, श्रोमणि कमेटी तो राजनीतिक कामों में जुटी है वह गुरुद्वारों का मसला हल नहीं करना चाहती।

अकाली तहरीक को कमजोर करने के लिए उसने कई तरीकों का इस्तेमाल किया। मुख्य तरीका था जिलावार सुधार और प्रोपेगेंडा की कमेटियां बना कर सिखों में फूट डालना श्रोमणि कमेटी की संगठनात्मक और सामाजिक साख को जबरदस्त चोट पहुंचाना अपनी सुधार कमेटियों की ताकत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना तथा श्रोमणि कमेटी के कमजोर समर्थकों को साहसहीन बना देना। अकाली तहरीक की कुर्बानियों ने श्रोमणि कमेटी के प्रति हिंदू और मुसलमानों की सद्भावनाएं जगा दी थीं। इसलिए हेली यह प्रयत्न भी कर रहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की इस लहर से सदभावनाएं तोडी जायें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर तरह के हथकंडों को वह जायज और दुरुस्त समझता था।

मिसाल के लिए म्युनिसिपल कमेटी अमृतसर के मानपत्र का जवाब देते हुए उसने कहा—अगर वह घंटाघर के इर्द गिर्द की जमीन पर कब्जा करने के लिए श्रोमणि कमेटी पर मुकदमा चलाये तो 'अदालत की डिगरी को मूर्त रूप देने को हम तैयार रहेंगे।'[1] यही नहीं। उसने म्युनिसिपल कमेटी को यह भी उकसावा दिया कि अगर श्रोमणि कमेटी ने जमीन

1 हेली का मुडीमन को पत्र, ३० अगस्त १९२४

का कोई और टुकडा दबाया है, तो उसके खिलाफ भी अदालत में मुकदमा लडो।

श्रोमणि कमेटी के खिलाफ उसके हाथ म एक और बडा हथियार आ गया था। गुरू के बाग के महत को, पट्टा खत्म होने पर, सर गगाराम वाली दी हुई जमीन वापस लेन की—माल अदालत की ओर स—डिगरी मिल गयी थी। महन्त नारायणदास की ननकाना गुरुद्वारा वाली जमीन के लिए भी अदालत ने रिसीवर मुकर्रर कर दिया था। हेली के शब्दो मे 'ये बातें घटनाक्रम को बहुत तेज कर देंगी, क्योंकि इन दोनो मुकदमो म श्रोमणि कमेटी डिगरियो का विरोध करने से पीछे नही हट सकती—पीछे हटने से उसके सत्कार को जबदस्त चोट पहुचेगी। और, ननकाना साहब के मुकदमे मे तो उसे भारी माली नुकसान भी उठाना पडेगा। इसने झगडे को नया रुख दे दिया है। हम दाव पेंचो के लिहाज से उस समय की तुलना मे अब बहतर हालत मे हैं, जब हमें पिछले पाच महीने म सेंट्रल असेम्बली (दिल्ली) मे अपने आलोचको का सामना करना पडा था। हमारे आलोचक उस वक्त जैतो और नाभे का हवाला देते थे और हम इनके बारे म सफाई देनी पडती थी। अब हमारे पास बहुत ज्यादा फायदेमद लडाई क्षेत्र है—अपनी सिविल अदालतो की डिगरिया की हिमायत करने का सवाल। जहा तक मेरा सबध है, मैं प्रेस मे और दूसरी जगहो पर सवाल के इस पहलू पर इस उम्मीद से ध्यान खीचने का प्रयत्न कर रहा हू कि यह जैतो के सवाल को धुधला बना देगा और वक्ती तौर पर कैदियो की रिहाई की चर्चा को पीछे धकेल देगा।"[1]

इतना ही नही, श्रोमणि कमेटी को परेशान करने के लिए उसने गुरुद्वारो के हिसाब किताब का मुकदमा शुरू करा दिया था और व्यूह यह रचा था कि गुरू के बाग और ननकाने के बाद के मोर्चो म—भाई फेरू की गिरफ्तारियो की तरह—इस तरह गिरफ्तारिया की जायें कि कोई दुघटना न घटने दी जाय और अकालियो के प्रति बाहर की हमदर्दी जगाने की कोई सभावना ही पैदा न होने दी जाय।

यह था हेली की चालाकी भरी चपल रणनीति का एक पहलू।

इस तरह अपने दरबारो म, कानून को लागू करने का हौआ खडा करके, वह दरबारी स्रोतो से कहला था कि इससे बचने का एक ही रास्ता है गुरद्वारा बिल को अस्तित्व मे लाने के वास्ते इक्टठे होकर लडाई छेडो। यह तुम्हें धार्मिक सस्थाओ का कब्जा दिलायेगा और आम सिविल कानून की गिरफ्त मे आने से तुम्हे बचायेगा।

१ उक्त

की गयी हैं कि नाभे के जेल कारो मे अकालियो को 'गीदड़ पिटाई' की सजा दी जाती है, ये भी शिकायतें मिली हैं कि उन्हें खुराक बहुत कम और निकम्मी दी जाती है तथा कदियो को लम्बे लम्बे अर्से के लिए पानी नही दिया जाता, इन तथ्यो की जाच करायी जाय। पर अडर सेक्रेटरी का टालने वाला जवाब यह था कि जेलो का इन्स्पेक्टर जनरल पिछले दिसम्बर म वहाँ म गया था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार हालात तसल्लीबख्श हैं। खुराक अच्छी दी जा रही है और पानी की कोई कमी नही।'

इसी मेम्बर ने कान परेड और इस पोजीशन मे कैदियों को मारने पीटने के बारे मे भी सवाल उठाया था। उत्तर यह दिया गया विस्तार स लिख कर पूछो फिर जाच करायी जायगी जेल के नियमो मे कान परेड जैसी कोई सजा दर्ज नही। इस तरह जेल अफसरो के गुनाहो पर हिन्दुस्तान के अफसरो स ले कर लदन के सेक्रेटरियो तक के जरिये पर्दा डाला जाता था। कान परेड और गीदड पिटाइ के जरिये अकाली कैदियो की इखलाकी कैदियो से मार पीट करायी जाती थी—इतनी सख्त कि कई बार कैदियो को मार पीट के दौरान पेशाब निकल जाता था।

जेलो म कानून जसी कोई चीज नही थी। जेल अफसरो के शब्द ही कानून थे। मारपीट की तो बात ही क्या—कतलो तक का पता नही लगने दिया जाता था। 'उल्टा टागना केश नोच लेना दाढी उखाडना चारपाई के पायो के नीचे हाथ रख कर उस पर सिपाहियो का बैठ जाना गुप्त और प्रकट मार पीट'[3]—जेल अफसरो के लिए ये मामूली बातें थी। हड्डी पसली टूटती है तो टूटे जेल अफसरो को क्या? ऊपर के अफसर तो उनस खुश थे।

मुलतान सेंट्रल जेल मे भी अकालियो पर बडी सख्तियां की गयी थी। इन सख्तियो का दैनिक उर्दू पत्र बन्देमातरम ने अपने कालमो म विस्तार से जिक्र किया था। जेल के दारोगा ने इस अखबार के विरुद्ध मान हानि' का मुकदमा चलाया। मुकदमे म दारोगा पर कैदियो के साथ गैर कानूनी सलूक करने के इल्जाम सिद्ध हो गये थे। इस मुकदमे के बारे म भी पार्लियामेंट मे सवाल पूछे गये थे।'

इतनी कडी तहरीक म कुछेक लोगो का कमजोर पड जाना कोई बडी बात नही थी। बडी बात यह थी कि जेलो म सख्तियो की कठिन परीक्षा से अकाली

१ उपरोक्त पृ ५६
२ अकाली ते प्रदेसी २६ जुलाई १६२५ पृ २
३ अकाली ते प्रदेसी अगस्त १६२५ पृ ८

सुख रू होकर निकले। इन सख्तियों ने उन्हें ब्रिटिश राज का कट्टर दुश्मन बना दिया था।

३ मसले का हल गुरुद्वारा बिल

हेली का यह सुझाव कि अदालती डिगरियो की गिरफ्त से बचना है तो गुरुद्वारा बिल बनवाने का प्रयत्न करो—बडा अर्थपूर्ण था। उसने सुधार कमेटियो को भी—तथा अन्य लोगो को भी—गुरुद्वारा बिल बनवाने के सुझाव दिये थे। इसका मतलब यह निकल सकता था कि वह, जहा तक सम्भव हो नई लडाई नही छेडना चाहता था। गुरुद्वारा बिल बनवा कर वह झगडा खत्म करना चाहता था—पर साथ ही यह भी चाहता था कि गुरुद्वारो की बागडोर नमरख्याल सिखो के हाथ मे जाय, गमख्याल कौमपरस्तो के हाथ में नही। आगे चल कर हम देखेंगे कि कैदियो को रिहा न करने पर अडे रहने म उसकी यही पालिसी काम कर रही थी।

बाहर शिरोमणि कमटी मे नमख्याल तत्वो की बहुतायत हो गयी थी और गमख्याल लोग अल्पसख्या मे थे। नमरख्याल लीडर गवनमेट के साथ समझौते की बातचीत करने के लिए तैयार बैठे थे। उन्हे सुधार कमेटियो का विरोध भयभीत कर रहा था और जत्थेबदी मे 'शिथिलता' बढ रही नजर आ रही थी—ऐसे वक्त जब कलकत्ता कनाडा और शघाई से आ रहे जत्थे आम सिखो के हृदयो मे नया उत्साह भर रहे थे।

स जुगिन्दर सिंह जैसे सरकारपरस्त द्वारा प्रस्तुत हेली की तकरीरो का अध्ययन भी यही कुछ बताता था। उसने स नारायण सिंह प्लीडर गुजरावाला को लिखा था "मैं समझता हू कि गवनमेट भी इस मामले से निबटने के लिए फिक्रमद है—यद्यपि कुछ सिद्धान्तहीन लाग, जिन्हें अपना उल्लू सीधा करना है शिरोमणि कमेटी के प्रति गवनमेट के वतमान रवैये से फायदा उठा रहे हैं।"[१]

यही तथ्य लाहौर जिले मे सरकारी वकील मि पैटमैन की सरदार महताब सिंह के साथ बातचीत स प्रकट होता है। स गुरबख्श सिंह स्यालकोट का समझौते की बातचीत करने के लिए डेपुटी-कमिश्नर की कमिश्नर लखे के लिए चिट्ठी लेकर आना, इसी ओर सकेत करता है। समझौते की बातचीत शुरू करने से पहले गवनमेंट के अफसर शिरोमणि कमेटी के लीडरो के मन की टोह लेने के लिए इसी किस्म के तरीके इस्तेमाल करते थे। गवनमेट अपना रौबदाब कायम रखती हुई बातचीत चलाना चाहती थी। अपने माथे पर त्यौरिया डाल कर वह डरा रही थी, साथ ही थोडा-सा मुस्करा कर समझौते की बातचीत चलाने के इशारे भी कर रही थी।

१ राम की कौन्फिडेंशियल पेपस न ६८ पृ १३१

दूसरी तरफ, किले में शिरोमणि कमेटी के सीडरों में बड़ी घबराहट फैली हुई थी। बाहर की कमेटी से उन्हें बहुत भयभीत करने वाली रिपोर्ट मिल रही थी। स राजा सिंह स अजन सिंह और स दीवान सिंह के पत्र बता रहे थे कि लोगों का जोश कम हो रहा है।[1] रुपया-पैसा ख़त्म हो गया है। जत्था को भेजने के लिए आदमी मिलने मुश्किल हो गये हैं। ये हालात देख कर 'बाहर वाले कमेटी के सज्जन बड़े मायूस थे और गवर्नमेंट से साथ समझौता कराने के लिए कई आदमियों को बुला-बुला कर विनती कर रहे थे।' और तो और, राजा सिंह और अजन सिंह स सुन्दर सिंह मजीठिया के पास भी गये कि समझौता करा दो।'

लाहौर किले के कुछ पार्टी के नेता पहले ही साहस छोड़ बैठे थे। उनकी हालत बड़ी पतली हो रही थी। वे बाहर की कमेटी वालों को नसीहत दे रहे थे जत्थों की तहरीक में कोई ढील नहीं आने दो। यह बड़ा नाजुक वक्त है। गवर्नमेंट पर उतना ही दबाव डालो जितना सम्भव और उचित हो मगर उग्र बातों से काम नहीं लो। याद रखो तुम्हारा वास्ता बहुत ही चालाक और *मजबूत आदमी से पड़ा है जिसको गर्मागर्म बातों से झुकाया नहीं जा सकता।'* (जोर मेरा)।

ऊपर के शब्दों से किले के कुछ दीवारस्थ नेताओं की गिरती हुई मनोदशा का पता चल जाता है। उनके हृदयों पर हेली की चालाकी और मजबूती का रौब बैठ गया था। इंसान की जब यह मनोदशा हो जाती है तो वह न तो असली स्थिति का सही लेखा-जोखा ले पाता है और न सही राय कायम कर पाता है। कारण यह कि इस हालत में उसे अपनी ताकत कम नजर आने लगती है दूसरों की बहुत ज्यादा।

हेली ऊपर से कोई भी शेखी क्यों न बघारता हो, अन्दर से वह गुरुद्वारों का मामला निबटाने के लिए बड़ी जल्दी में था।[2] 'नवंबर १९२४ में मालवीय जी के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप एक गुरुद्वारा बिल तैयार होने वाला था—यह जान कर सरकार को पिस्सू पड रहे थे। वह सोचती थी कि अगर सिख और हिंदू मेम्बरों की सलाह से गुरुद्वारा बिल पेश किया गया, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। इस मुश्किल से निकलने के लिए सरकार कई तजवीजें सोच रही थी। आखिर उसने सिखों को इस बात पर रजामंद कर लिया कि कैदियों की

१ उक्त न ६६ पृ १३२
२ उक्त न १७० पृ २७०
३ उक्त न १८२ पृ २८२

रिहाई के सवाल का फैसला किये बगैर गुरुद्वारा बिल पर विचार शुरू कर दिया जाय। ऐसा करने की श्रोमणि कमेटी की ओर से भी आज्ञा दे दी गयी।"[1]

४ बातचीत कैसे शुरू हुई

बडवुड और क्रेक के साथ समझौते की बातचीत के समय शर्तें पहले तय कर लेने पर जोर था। उस समय समझौता न हो सकने के कई कारण थे। मसलन श्रोमणि कमेटी का पहले कैदी छुडाने पर जोर देना और सरकार का नाभे का सवाल छुडाने पर जोर देना। इसी तरह, जैतो के अखड पाठो की मियाद और हाजिरी पर दोनो पक्षो के बीच तीव्र मतभेद थे। बातचीत के टूटने का इल्जाम, जैसा कि हम पीछे देख आये हैं गवनमट के सिर आता था।

गवनर हेली ने अपने भाषणो के द्वारा वडे टेढे मेढे तरीको से समझौते के लिए खुले बुलावे दिये थे। उसकी तकरीरें बातचीत के लिए इशारे नही थी, बुलावे थी। स तारा सिंह मोगा ने इनका मतलब ठीक ही समझ कर पजाब कौंसिल के सिख मेम्बरो की एक मीटिंग बुलायी और उनमे से एक सब कमेटी चुन ली। कमेटी के मेम्बर थे तारा सिंह जोध सिंह नारायण सिंह, गुरबख्श सिंह और मगल सिंह। इस कमेटी ने श्रोमणि कमेटी स बातचीत करने की आज्ञा हासिल कर ली, क्योकि श्रोमणि कमेटी तो पहले ही समझौते के लिए तैयार बैठी थी। इस तरह, यह बातचीत शुरू हुई।

इस नई बातचीत के समय कोई शर्तें तय नही हुइ। इसमे मुख्य मसला गुरुद्वारा बिल बनवा कर गुरुद्वारा का सवाल हल करना था। बाकी सब बातें पीछे आती थी। इसलिए बिल को बनाने पर सरकार के प्रतिनिधियो और कौंसिल के प्रतिनिधियो के बीच बहस शुरू हो गयी। बिल की रूपरेखा निखरने लगी।

इसका मतलब यह था कि सरकार को भी कई मामलो मे अपना अडियलपना छोडना पडा था। वायसराय ने पहली शर्त यह रखी थी कि पहले नाभे का सवाल छोडो, फिर बातचीत शुरू होगी। लेकिन वह नही छोडा गया। गवनर जत्थे भेजना बन्द करवाने के बाद बातचीत शुरू करने की बात करता था। गुरुद्वारा गगसर म उपस्थिति और दिना की हदबदी को लेकर अडचन थी। ये अडचनें जाती रही। भविष्य मे गगसर जाने के बारे मे भी कोई रुकावट नही रही थी। इसलिए श्रोमणि कमेटी की ओर से जब पहले रिहाइयो का सवाल नही उठाया गया, तो सरकार ने भी कई उपरोक्त सवालो पर चुप्पी साध ली थी।

इस समय, जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं दोनो धडे—सरकार और श्रोमणि कमेटी—गुरुद्वारा बिल बनाने के लिए तैयार थे। इस नतीजे पर पहुचने के दोना धडो के अपने-अपने कारण थे। समान बात दोनो मे—यह

१ अकाली ते प्रदेसी सम्पादकीय १४ अक्तूबर १९२५

दूसरी तरफ, किले में शिरोमणि कमेटी के लीडरों में बड़ी घबराहट फैली हुई थी। बाहर की कमेटी से उन्हें बहुत भयभीत करने वाली रिपोर्ट मिल रही थी। स राजा सिंह स अजन सिंह और स दोनार सिंह के पत्र बता रहे थे कि लोगों का जोश कम हो रहा है। 'रुपया-पैसा खत्म हो गया है। जत्थों को भेजने के लिए आदमी मिलने मुश्किल हो गये हैं। ये हालात देख कर 'बाहर वाले कमेटी के सदस्य बड़े मायूस थे और गवर्नमेंट के साथ समझौता कराने के लिए कई आदमियों को चुना-चुना कर विनती कर रहे थे।' और तो और, राजा सिंह और अजन सिंह स सुन्दर सिंह मजीठिया के पास भी गये कि समझौता करा दो।'[1]

लाहौर किले के कुछ लोगों के नेता पहले ही साहस छोड बैठे थे। उनकी हालत बड़ी पतली हो रही थी। वे बाहर की कमेटी वालों को तसीहत दे रहे थे जत्थों की तहरीक में कोई ढील नहीं आने दो। यह बड़ा नाजुक वक्त है। गवर्नमेंट पर उतना ही दबाव डालो जितना संभव और उचित हो। मगर उग्र बातों से काम नहीं लो। याद रखो तुम्हारा वास्ता बहुत ही चालाक और मजबूत आदमी से पड़ा है जिसको गर्मागर्म बातों से झुकाया नहीं जा सकता।'[2] (जोर मेरा)।

ऊपर के शब्दों से किले के कुछ सोचरच नेताओं की गिरती हुई मनोदशा का पता चल जाता है। उनके हृदयों पर हैली की चालाकी और मजबूती का रौब बैठ गया था। इंसान की जब यह मनोदशा हो जाती है तो यह न तो असली स्थिति का सही लेखा जोखा ले पाता है और न सही राय कायम कर पाता है। कारण यह कि इस हालत में उसे अपनी ताकत कम नजर आने लगती है, दूसरों की बहुत ज्यादा।

हैली ऊपर से कोई भी सेखी क्यों न बघारता हो, अन्दर से वह गुरुद्वारों का मामला निबटाने के लिए बड़ी जल्दी में था। "नवंबर १६२४ में मालवीय जी के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप एक गुरुद्वारा बिल तैयार होने वाला था—यह जान कर सरकार को पिस्सू पड़ रहे थे। वह सोचती थी कि अगर सिख और हिंदू मेम्बरों की सलाह से गुरुद्वारा बिल पेश किया गया, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। इस मुश्किल से निकलने के लिए सरकार कई तजवीजें सोच रही थी। आखिर उसने सिखों को इस बात पर रजामंद कर लिया कि कैदियों की

१ उक्त न ६६ पृ १३२
२ उक्त न १७० पृ २७०
३ उक्त न १८२ पृ २६२

रिहाई के सवाल का फैसला किये बगैर गुरद्वारा बिल पर विचार शुरू कर दिया जाय। ऐसा करने की शिरोमणि कमेटी की ओर से भी आज्ञा दे दी गयी।"[1]

४ बातचीत कैसे शुरू हुई

बडवुड और फ्रेंक के साथ समझौते की बातचीत के समय शर्तें पहले तय कर लेने पर जोर था। उस समय समझौता न हो सकने के कई कारण थे। मसलन शिरोमणि कमेटी का पहले कैदी छुडाने पर जोर देना और सरकार का नाभे का सवाल छुडाने पर जोर देना। इसी तरह, जैतो के अखड पाठो की मियाद और हाजिरी पर दोनो पक्षो के बीच तीव्र मतभेद थे। बातचीत के टूटने का इल्जाम, जैसा कि हम पीछे देख आये हैं, गवर्नमेंट के सिर आता था।

गवर्नर हेली ने अपने भाषणो के द्वारा बडे टेढे मेढे तरीको से समझौते के लिए खुले बुलावे दिये थे। उनकी तकरीरें बातचीत के लिए इशारे नही थी, सुझाव थीं। म तारा सिंह मोगा ने इनका मतलब ठीक ही समझ कर पजाब कौंसिल के सिख मेम्बरो की एक मीटिंग बुलायी और उनम से एक सब कमेटी चुन ली। कमेटी के मेम्बर थे तारा सिंह, जोध सिंह नारायण सिंह, गुरुबख्श सिंह और मगल सिंह। इस कमेटी ने शिरोमणि कमेटी से बातचीत करने की आज्ञा हासिल कर ली, क्योकि शिरोमणि कमेटी तो पहले ही समझौते के लिए तैयार बैठी थी। इस तरह, यह बातचीत शुरू हुई।

इस नई बातचीत के समय कोई शर्तें तय नहीं हुइ। इसमें मुख्य मसला गुरुद्वारा बिल बनवा कर गुरुद्वारो का सवाल हल करना था। बाकी सब बातें पीछे आती थी। इसलिए बिल को बनाने पर सरकार के प्रतिनिधियों और कौंसिल के प्रतिनिधियो के बीच बहस शुरू हो गयी। बिल की रूपरेखा निखरने लगी।

इसका मतलब यह था कि सरकार को भी कई मामलो मे अपना अडियलपना छोडना पडा था। वायसराय ने पहली बात यह रखी थी कि पहले नाभे का सवाल छोडो, फिर बातचीत शुरू होगी। लेकिन वह नही छोडा गया। गवर्नर जत्थे भजना बन्द करवाने के बाद बातचीत शुरू करने की बात करता था। गुरुद्वारा गगसर मे उपस्थिति और दिवा की हदबदी को लेकर अडचन थी। ये अडचनें जाती रही। भविष्य म गगसर जाने के बारे मे भी कोई रुकावट नही रही थी। इसलिए शिरोमणि कमेटी की ओर स जब पहले रिहाइयो का सवाल नहीं उठाया गया, तो सरकार ने भी कई उपरोक्त सवालो पर चुप्पी साध ली थी।

इस समय, जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं, दोनों धडे—सरकार और शिरोमणि कमेटी—गुरुद्वारा बिल बनाने के लिए तैयार थे। इस नतीजे पर पहुंचने के दोनो धडो के अपने अपने कारण थे। समान बात दोनो मे—यह

१ अकाली ते प्रदेसी समाचार १८ अक्तूबर/१९२५

झगडा मिटाने की इच्छा थी एक-दूसरे की ताकत का भय भी था। दोनों इस मसले को हल करने के लिए विचार कर रहे थे। मगर बड़ी मुश्किल कैदियों और लाहौर किले के मुकदमे वापस लेने की पहल किसकी हो। रिहाई का सवाल छोड़ कर शिरोमणि कमेटी ने इस मुश्किल का हल कर लिया था। गुरुद्वारा बिल को बनाने के लिए जमीन साफ हो गयी थी।

पंजाब कौंसिल के सिख मेम्बरों की मीटिंग में गुरुद्वारा बिल तैयार करने के लिए पांच मेम्बर चुने गये। ये थे स. नारायण सिंह वकील, स. तारा सिंह मोगा, स. गुरबख्श सिंह वकील, स. मंगल सिंह मान बोहनेरा और प्रो. जोध सिंह। ये मेम्बर उस बात को पूरा करने के लिए जी-जान से लगा रहे थे। इनमें बहुसंख्या सरकारपरस्तों की थी। दो मेम्बर ऐसे थे जिन्होंने वहवुद-समझौते की बातचीत में हिस्सा लिया था। इनमें से शायद किसी ने भी गुरुद्वारा तहरीक में अमली तौर पर हिस्सा नहीं लिया था। शिरोमणि कमेटी ने, किले के लीडरों की सहमति लेकर इन्हें गुरुद्वारा बिल तैयार करने की हरी झंडी दे दी।

५ गुरुद्वारा बिल की तैयारी

सरकार ने मिस्टर पक्कल (डी. सी. अमृतसर) और मिस्टर एमसन (डी. सी. लाहौर) को गुरुद्वारा बिल की तैयारी के काम पर मुकर्रर किया। इनकी मदद के लिए दो कानून-दां—कुंवर दिलीप सिंह बैरिस्टर और मिस्टर बोजले—नियुक्त किये गये। इस प्रकार एक तरफ सरकार के ये नुमाइंदे और दूसरी तरफ कौंसिल के ५ सिख सदस्य गुरुद्वारों का कानून बनाने में जुट पड़े।

इस बिल के चार अहम और बुनियादी नुक्ते थे

(१) सिख गुरुद्वारे कौन कौन से हैं उनका एलान किस प्रकार करना है तथा उन्हें नये कंट्रोल के अन्तर्गत किस प्रकार लाना है।

(२) गुरुद्वारों की कौन कौन सी जायदाद है तथा इस सवाल का फैसला किस प्रकार करना है।

(३) गुरुद्वारा प्रबंध में परिवर्तन से जिन लोगों के हितों को चोट पहुंचेगी, उन्हें मुआवजा किस प्रकार देना है।

(४) उन गुरुद्वारों का जिन्हें सिख गुरुद्वारे घोषित किया जायेगा किस प्रकार प्रबंध किया जायेगा और यह प्रबंध कौन करेगा।

जैसे जैसे मसौदा तैयार होता उसकी कापियां किले के अन्दर के लीडरों और बाहर शिरोमणि कमेटी के लीडरों को बाकायदा मिलती जाती। कौंसिल के चुने हुए सिख मेम्बरों और बाहर के शिरोमणि कमेटी के मेम्बरों को किले में बन्द लीडरों से सलाह मशविरा करने के लिए सरकार ने किले के दरवाजे खोल दिये थे। इसलिए बिल का जो भी हिस्सा तैयार हो रहा था, वह कौंसिल के

सिख मेम्बरा, शोमणि कमेटी के वाहर के लीडरो और किले म बद नेताओं के सलाह मशविरे स तैयार हो रहा था। इस तरह लगातार मुलाकाता की आज्ञा देते रहना भी जाहिर करता है कि सरकार गुरुद्वारा का झगडा निवटाने की इच्छुक थी।

शुरू मे लिस्ट नम्बर एक म सिख गुरुद्वारा की सख्या २३२ दी गयी थी। पर सेलेक्ट कमेटी म इस लिस्ट से १७ गुरुद्वारे हटा दिये गये और २६ दूसरे शामिल कर लिये गये। एक एक गुरुद्वारे पर भरपूर बहस हुई। इन गुरुद्वारो के नाम प्रकाशित करके उन महता या सिखो को, जो उन पर कब्जा जमाये थे, फौरन सूचित कर दिया गया कि एक्ट के लागू होने के दिन से ६० दिन के भीतर वे उन जायदादो की फेहरिस्तें मुहैया करें जिनके वे अपनी होन का दावा करत हैं। जो गुरुद्वारे लिस्ट नम्बर एक म दज नहीं थे, उनके बारे मे ५० या इनसे ज्यादा सिख सरकार को दरख्वास्त दे सकते थे कि उन्हे सिख गुरुद्वारे घोषित किया जाय। पर लिस्ट नम्बर दो म दज गुरुद्वारो के सबध मे उस समय तक कोई दरख्वास्त कबूल नही की जायगी, जब तक उस पर गुरुद्वारे के श्रद्धालुओ की बहुसख्या के हस्ताक्षर नही होंगे। इस दरख्वास्त का नोटिस प्रकाशित होने पर महत और दस या इससे अधिक श्रद्धालु ६० दिन के अन्दर अन्दर ऐतराज भेज सकते थे कि अमुक गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा नही है। विवादास्पद गुरुद्वारा का मुकदमा एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनल के हवाले किया जायगा, जो एक्ट के कायदा के मुताबिक फसला करेगा कि वह गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा है या नही। और, अगर किसी गुरुद्वारे के बारे मे कोई एतराज न हुआ हो तो उसे सिख गुरुद्वारा घोषित कर दिया जायगा।

लिस्ट नम्बर दो मे पहले २२४ गुरुद्वारे दज थे। सेलेक्ट कमेटी मे बहस के बाद ६५ छोड दिये गये और ३ नये शामिल कर लिये गये। इस सख्या के कम हो जाने का कारण यह था कि अफसरा ने, नासमझी के कारण, कई पचायती धमशालाओ के नाम लिख लिख कर भेज दिये थे।

(क) जायदाद के बारे मे

इस सबध म जानकारी यह हासिल करनी थी गुरुद्वारे के नाम कौन कौन सी और कितनी जायदाद दज है। उस पर जिनका कब्जा है, उनके नाम क्या हैं। दरख्वास्त देने वाले की अधिकतम जानकारी म उसके कुदरती या कानूनी मालिक कौन हैं। सरकार का इनम से हरेक को नोटिस जारी करना होगा। इस तरह तीसरी पार्टी के हित सुरक्षित किये गये थे। फिर म गुरुद्वारे के हक मे सरकार को एक से ज्यादा जायदादो की लिस्टें भेजने की व्यवस्था थी। इससे गुरुद्वारे के हितो की रक्षा की गयी थी।

उन जायदादो के बारे म, जिन पर गुरुद्वारे का दावा था और जिनके बारे मे कोई एतराज नही उठाया गया था सरकार एलान जारी करेगी। कोई स्थानीय कमेटी, ५ रुपये की वोट फीस लगा कर, कब्जा लेने का दावा कर सकती थी। यह एलान इस बात का स्पष्ट सबूत होगा कि जायदाद गुरुद्वारे की थी और इसके खिलाफ कोई दावा नही। इसी तरह गुरुद्वारे के हर प्रबन्ध और भी व्यवस्था की गयी थी।

(ख) मुआवजे के बारे मे

गुरुद्वारे के प्रबध मे तब्दीली से जिन महन्तो वगैरा के हितो को ठेस पहुचती, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की गयी थी। मुआवजा उन चेलो को भी दिये जाने की व्यवस्था थी जिन्ह, जद्दी हक के मुताबिक गद्दी पर बैठना था।

(ग) गुरुद्वारों का प्रबध

इस हिस्से म गुरुद्वारा प्रबध के बारे म चुनाव वगैरा की व्यवस्था की गयी थी। अकाल तख्त और केसगढ के गुरुद्वारो का प्रबध सेंट्रल बोर्ड के हाथ म दिया गया था। सरकार की मर्जी इसके विपरीत थी। सरकार इन केन्द्रीय सस्थाओ को स्पेशल कमेटियो के हवाले कर देना चाहती थी। वह इस बात पर डटी हुई थी कि बिल मे शिरोमणि कमेटी का नाम नही आने देगी। इसकी जगह वह सेंट्रल बोर्ड का नाम ठसना चाहती थी। बहुत झगडे के बाद बिल म यह व्यवस्था की गयी कि चुनाव के बाद सेंट्रल बोर्ड पहली मीटिंग म अगर अपना नाम फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी रखना चाहे तो, भारी बहुमत मिलने पर, वह यह नाम रख सकेगी।

गवनमेंट स्त्रियो को भी वोट का हक देने के खिलाफ थी। लेकिन, बहुत जोर देने के बाद उसने यह हक मान लिया। यह हक हिंदुस्तान भर म सिख स्त्रियो को सबसे पहले हासिल हुआ। इसके अलावा कपूरथला रियासत के निवासियो के दो नामजद सदस्य गुरुद्वारा आनन्दपुर और सबधित गुरुद्वारो के वास्ते लिये जाने की व्यवस्था की गयी। लाहौर के गुरुद्वारो के प्रबध के लिए जिला लाहौर के तीन नामजद सदस्यो के प्रबधक कमेटी मे लिये जाने की व्यवस्था की गयी। पजा साहब और हसन अब्दाल तथा अन्य गुरुद्वारो की प्रबधक कमेटी मे सरहदी सूबे के दो नामजद सदस्य लिये जाने का बदोबस्त किया गया।

गुरुद्वारा बिल ही, हालात के अनुसार, गुरुद्वारो को सिखो के कब्जे म ले आने के लिए एकमात्र रास्ता था। यह बिल सिखो की मागो और कुर्बानियो के अनुपात म बराबर नही बठता था। इसमें सबस बडा नुक्स यह था कि यह तथाकथित सेंट्रल बोर्ड को केन्द्रीयता के हको से वचित करके उसे एक सरसी

मस्था बना दिया था। शिरोमणि कमेटी को निर्बल करना और उसके हाथों से गुरद्वारों का प्रबंध छीन कर स्थानीय कमेटियों के हाथों में बांट देना—शुरू से गवर्नमेंट की यही पॉलिसी चली आती थी। उसको इस पॉलिसी को सफलता भी मिली थी।

इस पॉलिसी को समझ कर ही ६ अकाली नेताओं ने किले से शिरोमणि कमेटी को लिखा था

"प्रबंध की स्थानीय कमेटियाँ सीधे शिरोमणि कमेटी के अधीन होनी चाहिए। प्रबंध की दूसरी कमेटियाँ भी शिरोमणि कमेटी के नीचे मुअस्सर तरीके से होनी चाहिए, यानी केंद्रीयता के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को जहाँ तक संभव हो, निकाल देने की कोशिश करनी चाहिए।"[1]

●

१ सम कान्फीडेंशियल पेपर्स न० ७७ पृ० १४०-४१

सतीसवां अध्याय

बिल मंजूर हो गया

१ कौंसिल के मेम्बरों द्वारा स्वागत

बिल के पेश किये जाने और पास हो जाने के बाद, पंजाब कौंसिल के प्रत्येक मेम्बर ने इसका भरपूर समर्थन किया। उन्होंने दिल खोल कर सिख जाति को बधाइयां दीं। इन बधाइयों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई और अंग्रेज मेम्बरों ने एक दूसरे से बढ चढ कर हिस्सा लिया। हर सदस्य ने अपने-अपने तरीके से इसे "सिखों की जीत" घोषित किया और इस जीत का सेहरा सिखों की कुर्बानियों के सिर बांधा।

बिल के पेश होने के वक्त पंजाब के चीफ सेक्रेटरी मि. क्रेक ने जो भाषण दिया वह उन जनवादी सिद्धांतों की पुष्टि करता था, जिनके लिए गुरुद्वारा तहरीक लड़ी जा रही थी। उसने बिल को दो अच्छे सिद्धान्तों पर आधारित बताया। 'इनमें पहला सिद्धान्त यह है कि किसी भी मजहब के मंदिर, उस मजहब के श्रद्धालुओं की जायदाद हैं और उन मंदिरों के मालिक महंत नहीं हैं, वे सिर्फ ट्रस्टी (प्रबंधकर्ता) हैं। दूसरा सिद्धान्त यह है कि इस किस्म के मामले में जिसमें समूची जाति के अहसास बड़ी गहराई से जागरूक हो गये हों, बहुमत की मर्जी को सफलता प्राप्त होनी ही चाहिए—कोई बात नहीं अगर स्थापित हकों या जायदाद के कानूनी हकों की कितनी ही कीमत अदा करके मुदाखलत करनी पड़े।'

इस दूसरे सिद्धान्त का जिक्र करते हुए लगता है क्रेक को ख्याल आ गया कि वह पंजाब सरकार का चीफ सेक्रेटरी है और जायदाद के कानूनी हकों के बारे में निर्धारित सीमा से कुछ आगे छलांग मार गया है। इसलिए अगले ही वाक्य में उसने कहा "इस कौंसिल में संभवतः ऐसा कोई नहीं जो जायदाद के हकों या स्थापित हितों को उलटने की मुझसे ज्यादा घृणा करता हो। पर मैं मानता हूं कि इस मामले में हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसमें

और कुछ समझ नहो और जिसमे—अगर मैं रूखी और कड़वी बात कहूं तो—अल्पमत को नुकसान उठाना ही पड़ेगा।"[1] (जोर मेरा)।

इस "अल्पमत को नुकसान" की बात पर जिल के पास होने तक चर्चा होती रही। कारण यह कि गवनमेंट अब तक "दूसरे हितों" की रक्षा का दावा करती आयी थी। यह स्थापना दूसरे हिता या अल्पमत के हिता की रक्षा करने के एकदम विपरीत थी। इसलिए जॉन मेनाड को बीच मे उठ कर इस बारे मे सफाई देनी पडी और जोर देना पडा कि फ्रेक को गलत समझा गया है। अल्पमत के हिता और हकों की रक्षा करना गवनमेंट का पहला फज है। "विल म रक्षा के बहुत मे प्रबंध किये गये हैं जो इस इरादे के सबूत हैं कि अल्पमत के हकों की रक्षा की गयी है।"[2]

पर फीरोजखा नून ने उदासियो की मिट्टी पलीद कर दी। उसने कहा सेवादारो की जमात के तौर पर उदासियों को अल्पमत कहलाने का, या सिखो की छोटे सम्प्रदाय होने का दावा करने का, कोई हक नहीं। वे गिनती म न आने वाला आकडा हैं।

राजा नरेन्द्रनाथ उदासियो की सख्या २,००० बताते थे, जबकि डा गोकुल चद के हिसाब से उनकी सख्या २६०० थी। इन दोना सदस्या ने गुरुद्वारा बिल बनने के दौरान उदासिया के हकों के लिए बड़ी लडाई लडी थी। उदासियो के बारे म डाक्टर साहब ने कौसिल म कहा था मैं उनसे कहूगा कि अगर इस हालत के लिए कोई कसूरवार है तो व उदासियो के बीच के ही कुछ आदमी हैं। सारे उदासी बुरे नही। इसमें कोई शक नहीं कि उनम से कुछ ने अपनी जिम्मेदारिया—जो गुरुद्वारों के प्रबधक होने के नाते उन पर आयद होती थी—नही निभायी। कुछ ने तो प्रबध के अपने काम के साथ गद्दारी तक की।

पर डॉक्टर नारग ने एक बात कही जो उस समय तो कुछ अटपटी लगती थी, लेकिन समय ने उसकी कीमत बढा दी है। उसने कहा था 'सरकार से एक सफल अहदनामा हासिल करने पर मैं सिखो को मुबारकबाद देता हू।" (जोर मेरा)। गुरुद्वारा बिल हासिल करना उसकी नजरा मे एक अहदनामा हासिल करना था। इस स्थापना मे बहुत सच्चाई है।

अहदनामे का विचार, दो फौजा के बीच लडाई और उनमे से एक की हार तथा दूसरी की जीत से उत्पन्न होता है। अकाली तहरीक के इतिहास का

१ पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल डिबेट्स ७ मई १९२५
२ उक्त ६ जुलाई १९२५

अगर गहराई से अध्ययन किया जाय, तो पहली बात उभर कर यह सामने आती है कि तसददुद की सारी मशीनरी के इस्तेमाल, जेलो मे वहशीपन, जगल कानून और जत्थेबदियो को बागी करार देने आदि के बावजूद गवनमेंट अकाली तहरीक को शिकस्त न दे सकी। उसे इस तहरीक के साथ समझौता करने को मजबूर होना पडा।

दूसरी बात यह कि खामियो के बावजूद गवनमेंट को मजबूर होकर उस प्रचलित कानून मे तब्दीली करनी पडी, जो उसके वजूद का आधार था। सरकार कानून और जायदाद की रक्षा का ढिंढोरा पीटती थी। पर गुरुद्वारो के सबध म उसे प्रचलित सम्पत्ति अधिकारो की रक्षा को तिलाजली देनी पडी। महतो से जायदादें छीनने का कानून उसे बनाना पडा।

तीसरी और सबसे अहम बात यह थी कि अकाली तहरीक ने—भला हो या बुरा—अग्रेज राज से अपने वास्ते एक छोटी रियासत छीन ली। इसके सबूत गुरुद्वारो के केन्द्रीय फण्ड, बजट और प्रबध के लिए अमले फैले की शक्ल मे हमारे सामने प्रत्यक्ष मौजूद है। शिरोमणि कमेटी पजाबी सूबे मे, गुरुद्वारो पर कब्जे की शक्ल मे एक छोटे से राज की मालिक बन गयी है। कमेटी लोगो के भले का हथियार भी बन सकती है और इस ताकत के गलत इस्तेमाल का हथियार भी।

एक नतीजा जो चीफ सेक्रेटरी क्रेक के भाषण से साफ साफ निकलता है यह है कि साम्राजी हितो की रक्षा और मजबूती की खातिर हुक्मरान दूसरे हितो या अल्पमत के हितो और हको की रक्षा का भी कुर्बान कर देते थे। महतो की जो दुदशा हुई वह सरकार के अड्डे चढ जाने के कारण हुई। अन्यथा, गुरु के बाग और भाइ फेरू वगैरा के महतो के साथ अच्छे खासे फैसले हो चुके थे। इन महतो को विश्वास था कि गवनमेंट उनके खिलाफ कोई गुरुद्वारा कानून नही बनायेगी और उन्हें उनकी गद्दियो पर बरकरार रखेगी। लेकिन अकाली लहर के वेग ने अल्पमत के भी हक छीन लिये।

२ हेली का फूट डालने वाला भाषण

पजाब कौंसिल म बिल मजूर हो जाने के बाद ९ जुलाई १९२५ को गवनर मलकम हेली ने पजाब कौंसिल म एक भाषण दिया। इस भाषण म मुकद्दमो के अकालियो की बिना शत रिहाई, अखड पाठ करने की आजादी पजाब के कर्मियो और जिन लीडरो पर मुकदमा चल रहा था उनकी सशत रिहाई के बारे म पालिसी का बयान दिया गया था। इस पालिसी न अकाली तहरीक का—जो कि गवनमेंट के पूरा दबाने के यत्नो के बावजूद मजबूत और एकजुट रही थी—छिन्न-भिन्न करने में एक बडी भूमिका अदा की।

हेली ने कहा कि हमसे अपील की गयी है कि पिछले कुछ सालों के "मत भेदो' की याद मिटाने के लिए और कटुता को दूर करने के लिए कैदियो और मुकदमे वालो की आम रिहाइयो का हुक्म जारी कर दिया जाय। पर बिल की हिमायत हमने किन्ही भी खुली, या शब्दा म निहित, "शर्तों" के अधीन नही की। इसका साफ अथ यह है कि पजाब के अकालियो की रिहाइया शर्तें लेने देने के बाद ही की जायेंगी।

और, उसने सरकार के इस दृढ फैसले की शर्तें भी बयान की। यह फैसला केन्द्रीय सरकार की मजूरी से किया गया था। फैसला यह था कि

(१) कोई भी ऐसा अकाली नही छोडा जायगा, जिसने तसद्दुद के जुर्म किये थे या तसद्दुद के लिए उकसावा पैदा किया था।

(२) बाकी को लिखित रूप मे शर्त देनी पडेगी कि वे (अ) बिल की धाराओ को, बाहर आने पर, अमली रूप देंगे, और (आ) किसी गुरुद्वारे की जायदाद पर कब्जा करने के लिए बल प्रदर्शन या बल प्रयोग नही करेंगे।

और सरकार इसी भावना के अनुरूप जमीन और पेंशनो की जब्ती के बारे मे फैसले करेगी।

शर्तें थोपने का बहाना यह पेश किया गया कि कुछ अतिवादी धडो ने बिल का विरोध किया था। वे कोई फैसला नही होने देना चाहते थे। अगर उनकी इस मौके पर हम मदद नही करते तो बिल का अमल मे आना खतरे मे पड सकता था। सयाने लोग ठीक ही कहते हैं कि बहाना गढने वालो को बहाने बहुत मिल जाते हैं।

और, हेली ने श्रोमणि कमेटी और श्रोमणि अकाली दल पर १२ अक्तूबर १९२३ का लगायी गयी पाबंदिया हटा लेने से भी इन्कार कर दिया। उसने कहा ये पाबंदिया उस समय उठायी जायेंगी जब सेंट्रल बोर्ड, बिल की धाराओ के अनुसार, चुनाव के बाद बाकायदा वजूद मे आ जायेगा।

३ जैतो की समस्या का हल

पजाब सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद, जैतो की समस्या के हल के बारे मे जो पॉलिसी बनायी वह यह थी

" उन लोगों को जो प्रार्थना के जायज मकसद के लिए जैतो के गुरुद्वारे का इस्तेमाल करना चाहते हैं गवनमेंट गुरुद्वारे मे जाने की पूरी आजादी देगी। नाभे का एडमिनिस्ट्रेटर, तसद्दुद के कैदियो के अलावा, बाकी कैदियो को—फिर वे नजरबद हो या सजायाफ्ता—छोड देगा। नाभे का राजप्रबधक निम्नलिखित नियमो के अनुसार जत्थो को गुरुद्वारा गगसर की यात्रा की इजाजत देगा

"(क) रियासत म अपनी रिहायश क दौरान वे कोई राजनीतिक दीवान नही लगायेंगे, न ही कोई राजनीतिक प्रचार करेंगे

'(ख) अपने को वे उन हदों म बन्द रखेंगे जो गुरुद्वारे के इस्तमाल के लिए, उनके रहने रहने पर लगायी जायेंगी,

"(ग) यात्रा के समय अपने गाव का बोझ वे गुरु उठायेंगे, जतो क गाव और जैतो मडी म जाने की उन्ह आज्ञा नहीं होगी

'(घ) जो भी जत्था जैतो म आयगा, वह उस सड़क या रेलगाड़ी स जायगा जिसे राजप्रबधक मुकरर करेगा और किसी जत्थे के साथ भी सगत नही होगी,

(ङ) जैतो पहुचने वाले हर जत्थे का अपने पहुचने की तारीख राजप्रबधक को अग्रिम रूप स देनी होगी ताकि इस सबध मे वह उचित प्रबध कर सके।

ये हैं वे फैसले जो गुरुद्वारा कानून को नेकनीयती के साथ अमल म लाने के लिए सरकार ने किये हैं और इस भावना के साथ किय हैं कि कायम किय *गये अमन और गवनमेट म पुराने विश्वास तथा यकीन के सम्बधा के अनुरूप* सिख जाति अपने को ढालेगी। अब यह अन्दर क और बाहर के लीडरा पर निभर है कि वे कौन से रास्ते पर चलना पसद करते हैं।'

यह थी गुरुद्वारा बिल मजूर हो जाने के बाद हेली सरकार की पालिसी। हेली ने यह भाषण चालाकी भरे शब्द इस्तेमाल करके तैयार किया था। इसम धमकी की बात भी है समझौते की बात भी और दबा कर रखने की बात भी। आइए, सरकारी कारवाइया के प्रकाश म इस पर कुछ और विचार करें।

हेली केन्द्रीय सरकार के होम मिनिस्टर स पजाब का गवनर बना था। वह केन्द्रीय सक्रेटारियट के सारे महकमो के सेक्रेटरियो को अच्छी तरह जानता था। उसकी गवनरी के लिए खुद वायसराय रीडिंग ने सिफारिश की थी। राज चलाने की साम्राजी कुटिल नीति म वह माहिर समझा जाता था। यानी पार्टिया म फूट डालना, हिन्दुओ, मुसलमाना और सिखा को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते रहना, हर तहरीक मे अपने जासूस भेजना, वगैरा—यही उसकी कुटिल नीति थी। होम मेम्बर मुडीमैन और वायसराय का प्राइवेट सक्रेटरी डेमान्टमोरेंसी—उसके यार थे। इसलिए, उसकी ऊपर तक बडी पहुच थी।

पजाब के अकालियो की रिहाई का फार्मूला उसने खुद तयार किया था। उसके इन नाम—गुरुद्वारा बिल की कारवाई की स्वीकृति की शत'—पर केन्द्रीय सक्रेटारियट की तरफ से कुछ एतराज किया गया था। पर हेली ने

१ पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल डिबेटस ९ जुलाई १९२५

ये शब्द रखने पर जोर दिया और दलील दी कि यह शर्त कायम रहनी चाहिए क्योंकि "यह तो खुद बिल ही है जो हमें रिहाइयो के लिए बहाना मुहैया करता है। इसके बगैर हम रिहाइयो के लिए तैयार नही थे। और (यही नही) इस वक्त यह समझौते के लिए रजामदो और अतिवादी सिखो म फर्क करता है। अतिवादियो को छोड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं उन लोगों की मजबूत पार्टी बनाना चाहता हू जो बिल को अमल मे लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैं सफल न हो सकू। पर अगर मैं असफल हुआ तब भी मैं आम राजनीतिक हिंदुस्तानी के सामने यह साबित करने के जरिये अपनी पोजीशन बेहतर बना लूगा कि जो सिख गुरुद्वारा बिल नही मानते, उनके पास शिकायत के लिए कोई वजनदार आधार नही। उनसे यही कहा जा रहा है कि वे गुरुद्वारा बिल को अमल म लायें।"[1] (जोर मेरा)।

फिर भी, वायसराय के सुझाव पर उसे "कारवाई" शब्द की जगह एक दूसरा शब्द—'धाराए'—डालने पर सहमत होना पडा।

लेकिन जहा तक जैतो के अखड पाठ और जैतो की रिहाइयो का सम्बन्ध है हेली की मुदाखलत ने समझौते के लिए रास्ता खोल दिया। इस दूसरे फार्मूले के बारे म उसने लिखा मैं इन शब्दो के बढाये जाने को नापसद करता हू कि रिहाइया इस किस्म की शर्तों पर—अगर कोई है तो—होनी चाहिए जो नाभे का राजप्रबधक उचित समझे।"[2] इसमे शक की गुजाइश पैदा हो जायगी। हेली की राय थी कि जो भी शर्तें लागू की जायें उनका पहले ही एलान कर दिया जाय। 'मैंने एक महीने की पाबदी लगाने के बारे मे बहुत सोच विचार किया है। मुझे यकीन है कि अगर हिंद सरकार इस पर जिद करेगी तो जैतो के मसले का हल हासिल नही कर सकेगी क्योंकि पुराना सवाल उठ खडा होगा महीने के आखीर में आपका क्या करने का इरादा है? क्या आप गुरुद्वारा गगसर यात्रियो के लिए बद करने वाले हैं?" हेली ने जोर दिया कि न तो यात्रियो की सख्या पर कोई पाबदी लगनी चाहिए, न ही समय पर।[4]

नाभे के राजप्रबधक ने ऊपर की शर्तें लगाने पर जोर दिया था। उसकी थोथी दलील यह थी कि गुरुद्वारा रियासत के अन्दर है और नाभा दरबार को

१ हेली का मुडीमैन को पत्र ४ ७ १९२५
२ उक्त
३ उक्त
४ पैटमन का मुडीमन को पत्र ४ जुलाई १९२५

हक है कि अपने गुरद्वारे के सबंध मे वह अपने अधिकार को लागू करे। पर वैस उसने पंजाब सरकार के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की। इसलिए उसकी बात अस्वीकार कर दी गयी।

जैतो सबंधी फार्मूले म भी 'शर्तें" शब्द मौजूद था। पर हेली के कहने पर इस नम करके 'नियम या कायदे' कर दिया गया।' शायद हेली का मकसद यह था कि जहा तक सभव हो, जैतो के मसले म अडगा डालने वाली कोई शर्तें न लगायी जायें ताकि शर्तों की लडाई पंजाब तक ही सीमित रह जाय। इस लडाई म उसकी नीति बहुत साफ थी। वह नरमदल कौमपरस्ता को ब्रिटिश राज का दुश्मन समझता था क्योकि वे स्वराज्य की माग कर रहे थे और ब्रिटिश राज को कायम नही रहने देना चाहते थे। इसलिए वह उन्ह जेला म ही बद किये रखना चाहता था। साथ ही वह नरमदल लीडरा को, गुरद्वारा के प्रबंध म ऊपर लाना चाहता था।

●

अड़तीसवां अध्याय

जैतो में अखंड पाठ

यह ठीक है कि नाभे के राजप्रबधक ने जोर दिया था कि एक समय मे ज्यादा से ज्यादा एक हजार आदमियों को जाने की आज्ञा दी जानी चाहिए और १०१ अखड पाठ १४ दिनो म खत्म कर दिये जाने चाहिए। पर उसकी ये शर्तें नही मानी गयी थीं, बाकी शर्तें मान ली गयी थी। इन शर्तों ने ही बाद मे "नियमो या कायदो" का रूप धारण किया।

हेली के बयान के मुताबिक जैतो के अखड पाठ और रिहाइयां—दोनो एक दूसरे स सम्बद्ध मसले थे। इस समय नाभे मे ३,७०० कैदी थे। इनम से ६०० से कुछ ज्यादा, पहले और दूसरे शहीदी जत्थे से सबधित थे। राजप्रबधक का अनुमान था कि रिहाई का हुक्म हासिल होने पर अकाली कैदी जत्थो की शक्ल मे ही रिहा होने पर जोर देंगे और तुरत जैतो जाने की इच्छा प्रकट करेंगे। पर गवनमेट का इरादा उन्हे सीधे घर भेजने का था, जैतो भेजने का नही।

इसलिए चाल यह चली गयी कि जो अकाली कैदी अपना ठौर ठिकाना बता दें, उन्हें गाव के नजदीक का सीधा टिकट द दिया जायगा। पर जो ठौर ठिकाना नही बतायें वे अम्बाला जलधर और लाहौर छावनी मे से कोई जगह चुन लें। उन्हें वही का टिकट दे दिया जायगा। लेकिन अगर पहले और दूसरे जत्थे के लोग भी ठिकाना बताने स इन्कार करें, तो उन्हें फीरोजपुर भेज दिया जायगा।

सरकार को इस बात का बडा खतरा था कि रिहा होने के बाद ये अकाली कही गडबड न पैदा कर दें। इसलिए रियासत के अन्दर पुलिस और फौज का जबदस्त बदोबस्त किया गया। फिलौर से एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट की कमान मे डेढ सौ पुलिसमैन लाये गये। एक सौ वहा पर रिजव मे रखे गये थे और रियासत की फौज के तीन सौ फौजी केंद्रित कर दिये गये थे। हुक्म जारी हो गया था कि यात्रियों का कोई जत्था अगर "नियमों" को भग करेगा तो उसे पकड लिया जायगा और रियासत से बाहर निकाल दिया जायगा। उक्त चार

जिलो की पुलिस और फौज को होशियार रहा का हुक्म भेज दिया गया था। सरकार की फौज और पुलिस की मशीनरी बडी तेजी से हरकत म आ गयी।[1]

१९ जुलाई का कौंसिल के चार सदस्य—भाई जोध सिंह, मा तारा सिंह, स नारायण सिंह और स गुरदत्त सिंह—अखड पाठ शुरू करने के बारे म बातचीत करने के लिए जना म राजप्रबधक विल्सन के पास गये। बातचीत एक बजे स लेकर सात बजे तक लगातार छ घटे होती रही। विल्सन के अपने शब्दो म 'नतीजे तसल्लीबख्श थे। इन सदस्यो ने मुझे यकीन दिलाया कि श्रोमणि कमेटी और किले के आदमियो ने हम अधिकार दिया है कि हम व नियम स्वीकार कर लें जो आपने लागू किये हैं। उन्होने अखड पाठ जल्दी से जल्दी खत्म करने की इच्छा प्रकट की और इस काम के लिए तीन हफ्ता की मोहलत मागी। जत्था की रिहायश के लिए टिब्बी साहब वाली जगह मुकरर की गयी। यह गगसर गुरुद्वारे से दो फर्लांग की दूरी पर है।

जोध सिंह के अलावा बाकी सदस्य वापस चले गये। इक्कीस जुलाई को *दोपहर बाद अखड पाठ शुरू हो गया।* इस मौके पर जत्थेदार *अकाल तख्त* जत्थेदार श्रोमणि कमेटी और जत्थेदार श्रोमणि अकाली दल द्वारा एक साझा इश्तहार निकाला गया। इसका शीर्षक था **गुरु पथ की शानदार फतह।** इसी मौके पर जत्था न १९—१ और कनाडियन शहीदी जत्था जतो स्टेशन पर पहुचे। उपरोक्त सस्थाओ के जिम्मेदार सज्जन भी पहुच गये। कौंसिल के सदस्यो तथा अन्य लोगो ने कनाडा म आये जत्थे का बडे चाव से स्वागत किया। ये सब एक जलूस की शक्ल म बड बाजे के साथ, गुरुद्वारा गगसर पहुचाये गये। लाहौर और गुजरावाला जिलो के जत्था को, जो अपने अपने प्रोग्राम के अनुसार दौरे कर रहे थे रेलगाडी से जतो पहुचने के लिए तार दे दिये गये। विल्सन ने स जोध सिंह को *आज्ञा दे दी कि वह जैतो मडी के दो दूकानदारो से कैम्प* टिब्बी साहब मे दो दूकानें खुलवाने का बदोबस्त कर सकता है ताकि अकाली जरूरी चीज खरीदने के लिए मडी म न जायें। अधिकाश राशन मुक्तसर और फीरोजपुर से लाया जाना था।

सदस्यो के साथ हुई बातचीत के बाद विल्सन इस नतीजे पर पहुचा था कि मुश्किल समूचे तौर पर किसी तरह खत्म नही हुई। मैं पता नही लगा सका कि उनके असल इरादे क्या हैं।' उसे लगा कि सदस्यो ने दो बातो पर बडा असतोष प्रकट किया है (१) कैदियो की रिहाइयो की शर्तो के बारे मे, और (२) पजाब के कुछ गुरुद्वारो पर कब्जा न कर सकने की असफलता के बारे

१ पेंगन की ७ ७ १९२५ की मुडीमैन को चिट्ठी के आधार पर

१ विल्सन और भाई जोध सिंह की बातचीत

विल्सन ने स जोध सिंह को बुला कर "अपने विश्वास मे ले लिया।" अकाली दल की तरफ से नियमो" को तोडने की बात पर विचार विमर्श शुरू हो गया। भाई जी ने उसको बताया कि इस किस्म की बात का उसे भी खतरा महसूस हो रहा था पर वह और उसके साथी सदस्य अफसरो के साथ पूरे दिल से सहयोग करेंगे ताकि कोई दुघटना न घटे।

उस वक्त की हालत के बारे मे दोनो के बीच बडी "दिलचस्प बातचीत" हुई। विल्सन लिखता है "उसने मुझे बताया कि इस वक्त मालवा और दुआवा के हिस्से अपने स्वर म नमख्याल हैं और गुरद्वारा बिल को अमल मे लाने के लिए पजाब के कौंसिल मेम्बरो की हिमायत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके उलट माभा मे अतिवादियो का जोर है और वे गवनमेन्ट के साथ कोई भी समझौता करने के खिलाफ हैं। किले के ३६ लीडरो मे से ३० कौंसिल के मेम्बरो की पीठ पर हैं और बिल की हिमायत करते हैं, बाकी के अतिवादी हैं। जोध सिंह ने स्वीकार किया कि अगले कुछ महीने बडे चिंताप्रद हैं। उसने माना कि अगर नमख्याल लीडर जिम्मदारी नही सभालते—जो उन्हें सभालनी चाहिए—तो अतिवादी उन्हे मैदान से भगा देंगे। उस हालत म बही ज्यादा मुसीबतो की उम्मीद करनी चाहिए।

जोध सिंह का विचार था कि जत्थेबदी का आगे के लिए कोई महत्व नही रहेगा। पर उसने दो और बातें विल्सन को बतायीं। एक यह कि अगर हाई-कोट ने कोई ऐसा फैसला बदल दिया जो कि गुरद्वारा बिल के अनुसार कायम हुए गुरद्वारा बोड के सम्बन्ध मे हो, तो इस बात का खतरा था कि अतिवादियो का हाथ ऊपर हो जायगा और वे गवनमेट को मजबूर करने के लिए जत्थेबदी और मोर्चा शुरू कर देंगे। दूसरी यह कि गुरद्वारा बिल मे सिख औरतो को दिया गया वोट का हक नम ख्याल के लोगों के लिए गम्भीर खतरा है, क्योंकि अधिकाश सिख औरतो का झुकाव अतिवादी पार्टी की तरफ है। उसे डर था कि अपने मर्दों पर असर डाल कर वे अतिवादियो का पलडा भारी कर देंगी।

समूचे तौर पर जोध सिंह और उसके नमख्याल साथी भविष्य के बारे म बेफिक्र नहीं थे।

२२ जुलाई को मगल सिंह और अजन सिंह जैतो पहुच गये थे। विल्सन ने उनके साथ भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि अखड पाठ १५ दिन में

१ नाभा एडमिनिस्ट्रेटर का सैन्ट जॉन ए जी जी को पत्र २१ जुलाई १९२५.

समाप्त हो जायेंगे। विल्सन ने नियमो को कुछ ढीला कर दिया और पाच आदमियो के नाम के पास बना दिये, ताकि वे खुद जैतो मडी जाकर जरूरी सौदा खरीद कर ला सकें। विल्सन द्वारा बुलाये गये कुछ पेंशनर फौजी अफ्सरो ने उसे खबर दी थी कि यात्रियो की भारी सख्या अखड पाठ जल्दी खत्म करने की समथक है।

२ वापसी

नाभे के अनेकानेक अकाली रियासत से जलावतन कर दिये गये थे। बहुत से पकड लिये गये थे। उन्हे भी अखड पाठ मे हिस्सा लेने की आज्ञा मिल गयी। कैदी छोड दिये गये और जलावतन फिर वापस घरो मे आ गये—इनकी रिहाई के बारे मे लोगो को बडी चिन्ता थी। सिख रियासतो के निवासियो ने इस मोर्चे मे सरगम हिस्सा लिया और बेमिसाल कुर्बानिया की।

६ अगस्त को पाठो का भोग समाप्त हो गया। ऊपर बताया जा चुका है कि जैतो मे सगतो की सख्या बेशुमार थी। इसलिए, फैसले के मुताबिक, जत्थे तरनतारन म इकट्ठे होने शुरू हो गये थे। २६ जुलाई को पहला शहीदी जत्था और ३० जुलाई को दूसरा तथा चौदहवा शहीदी जत्था रेलगाडी से तरनतारन भेज दिये गये। कपडो और जूतियो की बहुत कमी थी। श्रोमणि कमेटी की अपील पर ये चीजें तुत फुत पहुचने लगी।

शहीदी जत्थो का 'हेडक्वाटर" तरनतारन बनाया गया था। वहा से ६ अगस्त को पैंदल चल कर अमृतसर मे पहुचना था। गगसर मे लोग जत्थे बना-बना कर चले आ रहे थे। वहा से ये जत्थे बडे अनुशासनबद्ध तरीके से तरनतारन भेजे जा रहे थे। तसद्दुद के मुलजिमो के अलावा बाकी सब सिंह रिहा कर दिये गये थे। नाभे के कैदियो को गगसर न पहुचने देने का सरकार का फैंसला अधूरा ही सिरे चढ़ा था, क्योकि नाभे के रिहा हुए कई जत्थे गगसर मे पहुच गये थे। बहुत से सिंह फटे कपडो और बीमारी की हालत मे अमृतसर पहुचे थे।

१६ पालकिया, एक सौ से ज्यादा निशान साहब और सैंकडो कृपाण वगैरा—जो भी सामान छीना गया था, वापस मिल गया था। ३० जुलाई को पाचवा और सातवा जत्था तरनतारन रवाना कर दिये गये थे। श्रोमणि कमेटी ने, अखड पाठ की खुशी मे, ढाई आने प्रति व्यक्ति फण्ड की अपील की थी। जो भी जत्थे जैतो से तरनतारन पहुचते थे, वहा ठहरा लिये जाते थे। तरनतारन म, अमावस की तरह, सिंहो का मजमा ठाठें मारने लगा था।

६ अगस्त को १०१ अखड पाठो का भोग लगा। चारा तरफ से बधाइयो के तार आने लगे। अनुमान लगाया गया था कि पाठो पर खर्चा एक लाख

४ आम रिहाइयो का सवाल

इस समय अकाली तहरीक के सामने मुख्य सवाल आम रिहाइयो का था। कुछ नमख्याल लीडरो की राय थी कि गवनमेंट पजाब के बंदियो को भी जल्दी ही बिना शर्त छोड देगी, पजाब कौंसिल के भाई जोध सिंह जैसे कुछेक मेम्बर भी लगातार यही उम्मीद बधाते आ रहे थे। पर हेली जल्दी से पसीजन वाला बन्दा नही था। वह सिर्फ उन्हे रिहा करना चाहता था, जो लिख कर शर्तें दें कि जेल से बाहर निकल कर वे गुरुद्वारा एक्ट को अमली जामा पहनाने मे हिस्सा लेंगे। ऐसा लगता है कि उसने अनुमान लगाया था कि नमख्याल लीडर तो शर्तें मान कर बाहर आ जायेंगे, पर गमख्याल लोग—जिन्हे वह अतिवादी लीडर कहता था—शर्तो के आधार पर बाहर नहीं आयेंगे। यही वह चाहता भी था। उसे खतरा था कि अगर गमख्याल लीडर बाहर आ गये, तो वे आम लोगो को गुरुद्वारा बिल के खिलाफ लामबद करेंगे और मार्चो का टटा शायद पहले की ही तरह गले मे पडा रहेगा।

पर उसका यह लेखा जोखा सही नही था। कारण यह कि किले के नेताओ ने भी कह दिया था कि बिल पर अमल किया जाय। किले के नमख्याल रहनुमा तो बाहर के नेताओ पर जोर डाल रहे थे कि बिल पर अमल करने का एलान जल्दी से जल्दी किया जाय।

५ श्रोमणि कमेटी की बैठक

१३ जुलाई १९२५ को श्रोमणि कमेटी की एक्जेक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई जिसमे एक प्रस्ताव पास किया गया कि 'कैदियो की रिहाई के सबध मे जो शर्त लगायी गयी है वह बिल्कुल ही गैर जरूरी, अन्यायपूर्ण और जलील करने वाली है।'[1] प्रस्ताव मे सरकार की इस कारवाई को 'अनुचित' बताया गया और इस रवैये पर 'घृणा प्रकट की गयी।' इससे पहले दिन, यानी १२ जुलाई को, श्रोमणि अकाली दल ने अपने एलान न ६ मे कहा था कि ये शर्तें सिख जाति को जलील करने के लिए गढी गयी है। कोई भी गैरतमद सिख इस किस्म की बुरी शर्तों को मान कर रिहा होने को तैयार नही होगा।[2]

इन दिनो रिहाइयो की मुहिम की मुख्य दिशा यह थी कि बंदियो को बिना शर्त रिहाइयां करके सरकार 'शांतिपूर्ण वातावरण' तैयार करे ताकि गुरुद्वारा बिल पर शांतिपूर्वक काम हो सके। श्रोमणि अकाली दल सिखो को

१ अकाली ते प्रदेसी, १६ जुलाई १९२५
२ उक्त

बाकी सारी मागें पूरी कराने" पर जोर दे रहा था। पर मुख्य जोर रिहाइया के जरिये 'शातिपूण वातावरण" तयार करने पर ही था। इस तरह गवनमेंट का सफाई देने की स्थिति मे डाला जा रहा था—जिसके अथ साफ तौर पर यह थे कि कैदियो की रिहाई न करके गवनमेंट जानबूझ कर शातिपूण वातावरण पदा नही कर रही और इस तरह गुरुद्वारा बिल के कार्यान्वयन के रास्ते मे खुद रोडे अटका रही है।

रिहाइया के लिए गाव गाव शहर शहर मे जलस हो रह थे और प्रस्ताव पास किये जा रहे थे। पजाब कौंसिल और सेंट्रल असम्बली मे सदस्य भी गवनमेंट पर जोर डाल रहे थे कि शर्तों की बात गैर जरूरी है। कारण? कारण यह कि जब किले के लीडरा ने बिल पर अमल करने के समथन मे प्रस्ताव पास कर दिया, तो शर्तें लेने की जरूरत ही कहा रह गयी। लाला दुनीचद और मिस्टर रगा अय्यर ने असेम्बली मे कहा कि गवनमेंट का सिख कदियो को रिहा न करना इस बात की पुष्टि करता है कि गवनमेंट का खुद गुरुद्वारा बिल पर अमल करने का इरादा नही।[1] मगल सिंह अकाली ते प्रदेसी मे लिख रहा था कि 'बिल पर अमल करने या न करने की बाबत सारे सिखो की राय एक नही। पर कदियो की रिहाई के मामले म सारा पथ एक राय का है।'[2]

४, ५ और ६ अक्तूबर को जब श्रोमणि कमेटी की एक्जेक्यूटिव कमेटी और आम सभा की बैठकें हुइ, तो स शत रिहाइयो के खिलाफ जबदस्त वातावरण पदा हो चुका था। शर्तों को अकाली तहरीक के लिए एक 'चलेंज" समझा जाने लगा था। किले के अन्दर के लीडरो का विचार भी पहले यही था कि रिहाइया हो या न हो, गुरुद्वारा बिल पर अमल होना चाहिए।

आम सभा ने एक प्रस्ताव मे, "लम्बे मोर्चे की कामयाबी और उसकी प्रसन्नतापूण समाप्ति" पर पथ को बधाइया दी और कुर्बानी करने वाला की सराहना की। प्रस्ताव मे कहा गया ये कुर्बानिया हमेशा प्रकाश स्तम्भ का काम करेंगी। एक और प्रस्ताव द्वारा पूरी तरह विचार करने के बाद भाई फेरू का मोर्चा बन्द कर दिया गया।

एक्जेक्यूटिव कमेटी ने गुरुद्वारा एक्ट को एक प्रस्ताव द्वारा, "लहर की बुनियादी और जरूरी मागें पूरी करने वाला" बताया। और "चूकि किला लाहौर वाले लीडरो ने भी गुरुद्वारा एक्ट स्वीकार कर लेने और उस पर तहे दिल स अमल करने के लिए पथ से अपील की है, इसलिए श्रोमणि गुरुद्वारा

१ उक्त १२ सितम्बर १९२५
२ उक्त

प्रबधक कमेटी इस प्रस्ताव के जरिय गुरुद्वारा एक्ट की स्वीकृति का एलान करती है और सभी सिखो का आह्वान करती है कि वे गुरुद्वारा एक्ट को अमल मे लाने के लिए तन और मन से सहायता करें।"[1]

स मगल सिह ने इस प्रस्ताव पर अमल को आगे डालने के लिए सशोधन पेश किया कि "गुरुद्वारा एक्ट पर अमल आरभ करने के सवाल को एक महीने के लिए मुल्तवी" किया जाय। सशोधन मजूर हो गया।

इस सशोधन का मतलब बिल को नामजूर करना नही था। बिल मजूर कर लिया गया था। उस पर अमल की कारवाई का सिफ एक महीने के लिए इसलिए मुल्तवी किया गया था कि एक्ट के अधीन बनने वाले नियमा का अध्ययन कर लिया जाय। कारण यह कि डर था कि गवनमेन्ट कही धोखा न दे रही हो। शायद एक कारण यह भी था कि श्रोमणि कमेटी द्वारा भाई फेरू के मोर्चे के अपने आप बन्द कर देने के सकेत से गवनमेन्ट कुछ शिक्षा प्राप्त करेगी और रिहाइया की शर्ते हटा कर आम कैदिया तथा मुकदमे वाले मुलजिमो को—सब को—रिहा कर देगी। शायद यह भी कारण हो कि एक्ट की मजूरी के बाद उस पर अमल करना मुल्तवी करके सरकार को रिहाइया का मौका दिया जायगा, या यह कि इस अर्से मे रिहाइयो की मुहिम और तेज करने से सरकार पर दबाव बढ़ेगा और वह आम कैदियो और मुकदमे वाले मुलजिमा को छोड देगी। पर गवनमट चुप्पी साधे बैठी रही, उसने रिहाइया नही की।

इसका मतलब यह नही कि इस एजीटेशन का कोई असर नही हुआ था। इसका असर, और तो और, खुद नीचे के अफसरो पर पडा और डी सी अमृतसर तथा लाहौर के मुह से निकला कि हेली जिद कर रहा है—वह वातावरण को शान्त नही होन देता। शर्ते हटा कर कैदी रिहा कर देन चाहिए।

६ इस मीटिंग के बारे मे सरकारी रिपोर्ट

सी आई डी की रिपोट के अनुसार, इस मीटिंग मे १५० से १७५ मेम्बरो के बीच हाजिरी थी। ये मेम्बर तीन पार्टियो मे बटे हुए थे। एक पार्टी चाहती थी कि गुरुद्वारा एक्ट स्वीकार कर लिया जाय, सीधी कारवाई बन्द कर दी जाय और कैदियो की रिहाई का काई इन्तजार न किया जाय। दूसरी पार्टी चाहती थी कि अगर गवनमट कैदिया को बिना शत रिहा नही करती, तो गुरुद्वारा एक्ट नामजूर कर दिया जाय। तीसरी पार्टी, जो मगल सिह की रहनुमाई मे चलती थी—जो कल तक कमेटी का प्रधान था—इस सवाल

१ अकाली ते प्रदेसी, १० अक्तूबर १९२५

पर फैसले को तब तक टालना चाहती थी जब तक कि एक्ट के अधीन नियम छप कर सामने नही आ जाते।[1] डी सी का अदाजा था कि पहली पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है पर अन्य दोनो स बहुमत मे नही। दूसरी पार्टी म लाहौर जिले के अतिवादी वामपथी थे। मगल सिंह की पार्टी गठन और शक्ति की दृष्टि स कमजोर थी।

इस रिपोर्ट म शिरोमणि कमेटी के एक प्रस्ताव के बारे म यह भी दज है कि कमेटी ने अपनी तरफ स वह सब कुछ किया है जो गुरद्वारा एक्ट पर सफलता स अमल का वातावरण पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए था। इस वक्त सरकार के सिर पर यह जिम्मेदारी है कि वह रिहाइया करके (इस वातावरण को कायम रखने म) अपना योगदान करे।

हेली की शिरोमणि कमेटी के प्रस्ताव म (मगल सिंह की) सशोधन की व्याख्या यह थी कि सशोधित प्रस्ताव—पुराने कैदी छोड़े नही जाते तो एक्ट पर अमल करने स इकार नही करता। यह सिफ फसले को तब तक मुलतवी करता है जब तक कि नियम प्रकाशित नही कर दिये जाते। यह बात केवल मुह रखने की ब्योत है। अगर बिल पार्टी काफी तगडी है तो नियम उन्ह सफलता हासिल करने स रोक नही सकेंगे। भाई फेरू का मोर्चा खत्म करने का आखिरी प्रस्ताव नरमख्याल लीडरो की जीत है। यह प्रस्ताव लोगो पर अच्छा असर डालेगा। यह पहला मौका है जब सिखो ने अपने लक्ष्य के किसी भी हिस्से को हासिल किये बगैर उसे बीच म छोडा है।[2]

७ अदरूनी फूट

गुरद्वारा बिल तैयार होने के समय से गड़गज्ज अकाली दीवान, बबर शेर और कृपाण बहादुर अखबारो ने फिर अपने मतभेदो का शिरोमणि कमेटी स लड़ाई म तब्दील कर दिया और हरेक लीडर की—फिर वह बाहर का हो या जेल के अन्दर का—बेइज्जती करनी शुरू कर दी। उन्ह 'कौम घातक', गद्दार और स्वार्थी' कह कह कर बदनाम करने के यत्न किये जाने लगे। इसमे कोई शक नहीं कि बिल म खामिया थी और गुरद्वारो पर किसी हद तक अफसरो का और खास कर हाईकोर्ट का दखल रहना था। पर ऐतिहासिक गुरद्वारो की बागडोर सिखो की प्रतिनिधि कमेटियों के हाथ म आ गई थी। जो ऐतिहासिक गुरद्वारे बच भी उन्ह पथ के कब्जे म लाने के लिए, बडी हद तक रास्ता साफ हो गया था। यह बहुत तगडी जीत थी।

१ फाइल न १२०/३/१९२५ होम पालिटिकल
२ उक्त

पर गडगज्ज दीवान और इनके अखवारा—कृपाण बहादुर और बबर शेर —द्वारा इस जीत को हार बनाना सही नही था। इनके साथ ही एक "निभय उपदेशक दल" काम कर रहा था। इसम कुछ ऐसे लोग काम कर रह थे जिन्हे श्रोमणि कमेटी ने 'नौकरी मे बदचलनी, नालायकी, गवन, नाफरमानी आदि कारणो से वर्खास्त कर दिया था।'[1] वैचारिक मतभेद की आड लेकर स्वाथ सिद्धि के लिए इस किस्म के आदमियो ने अच्छा खासा नाना बाना खडा कर लिया था और वे सभ्यताहीन ढग से अकाली लीडरो पर हमले कर रहे थे।

इनका आम प्रचार यह था कि "पथ की हार हो गयी है। पथ की शान मिट्टी मे मिल गयी है। अखड पाठ शर्तें मान कर किय गय हैं। गुरुद्वारा विल तसल्लीवरश नहीं", वगैरा। श्रोमणि कमेटी का नाम उन्हाने—हली के नाम वाला ही—'बिल पार्टी" रख दिया था। इस हमले का असल मकसद पहले नेतृत्व को बदनाम करके पथ की नजरो मे गिराना और खुद पथ का नेतृत्व हथियाने के यत्नो के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। पर इस अनुभवहीन, अनपढ और अध-पढ चौकडी मे नेतृत्व सभालने की न तो कोई सगठनात्मक योग्यता थी, न ही नता बनने की निपुणता। श्रामणि कमटी के किसी मत के भी अकाली लीडरा को य अपने साथ न जोड सके, जिसके फलस्वरूप ये पथ से एक तरफ छेंक दिये गये। श्रोमणि कमेटी ने बबर शेर और कृपाण बहादुर के वायकाट का प्रस्ताव पास कर दिया और इनकी रही-सही साख भी मिट्टी म मिलने लगी।

इस स्थिति मे इनस हमदर्दी रखने वाले भी टूटने लग। इनके दो लीडरो, स सतोख सिंह विद्यार्थी और नारायण सिंह ने जैतो जा कर अपनी आखा स सब हालात देखे और अखबारा को तारो के जरिय खबर भेजी कि अखड पाठो पर कोई पाबन्दी नहीं—न तो गिन हुए दिना के अन्दर खत्म करने की, और न सगता की सख्या की। बदिश लगायी गयी थी जतो कस्त्रे और मडी म जान पर। वहा न कोई पथ का धार्मिक काम था, न वहा जान की माग की गयी थी। इन्ह ये नेता भी छोड गय। कुछ समय वाद इन्हें सेंट्रल माझा दीवान ने भी छोड दिया और जगह-जगह इनके अखवारा के वायकाट के प्रस्ताव पास होने लग। नतीजा यह कि ये लोग तिनका स भी हलके और पानी से भी पतले हो गये।

हालात ऐस वन गये थे कि समझौते के वाद जैतो गाव और मडी म जान की वदिशें भी ढीली हो गयी थी। जो अकाली मडी म फिरते हुए पुलिस की नजरो म आ जाते थे, वे वापस कैम्प म भेज दिय जाते थे और कौंसिल मे

१ अकाली ते प्रदेसी, ३,४,५ अगस्त १९२५

मम्बरा से कह दिया जाता था कि वे इन्हे रोक कर रखें अन्यथा इन्हे पकड कर रियासत से बाहर कर दिया जायगा। खुद विल्सन ने नियम ढीले कर दिये थे और चीजें खरीदने के लिए पाच अकालियो को पास दे दिये थे। इस तरह इस बदिश का भी कोई महत्व नही रह गया था।

इन विरोधियो का लीडर मूल सिह चविंडा था जिसे कृपाण बहादुर होने का सम्मान प्राप्त हो चुका था। गडगज्ज अकाली दीवान और निभय उपदेशक दल वाला ने कुछ समय तक शोर शराबा किया। पर शोर शराबे के अलावा कोई रचनात्मक प्रोग्राम इनके पास रहनुमाई देने को नही था। गड़गज्ज दीवान पर पटियाला के प्रधान मत्री पडित दयाकिशन कौल का दलाल होने का इल्जाम भी था। तेजा सिह भुच्चर के कौल के साथ अच्छे सबध थे—यह हम पीछे देख आये हैं।

८ गडबडी मचाने के यत्न

४ अक्तूबर की श्रोमणि कमेटी की आम बैठक म मुख्य तौर पर गडगज्ज अकाली जत्थे और सेंट्रल माझा दीवान के कुछ मेम्बरो द्वारा गडबडी पैदा करने और हाथापाई करने के कुछ प्रयत्न किये गये। मीटिंग पहले की तरह अकाल तख्त पर हो रही थी। उन्होंने अकाल तख्त के दरवाजे तोड कर, सीढिया लगा कर ऊपर मीटिंग म जाने के लिए हल्ला बोल दिया। यह करतूत सारी सिख रवायता के खिलाफ थी। उनका बहाना यह था कि अगर कौंसिल के तीन मेम्बर—तारा सिह नारायण सिह और जोध सिह—श्रोमणि कमेटी के मेम्बर न होने के बावजूद मीटिंग मे बैठ सकते हैं तो वे क्यो नही जा कर बैठ सकते? इस आपाधापी को रोकने के लिए स अमर सिह झबाल मीटिंग से उठ कर नीचे सीढ़िया पर जा कर खडे हो गये और उन्हें हल्ला गुल्ला मचाने से रोकने लग। पर गडगज्ज दीवान वाले और उनके साथी बहुत भडके हुए थे। वे सरदार अमर सिह झबाल के गले पड गये और उनकी बडी बेइज्जती की। अमर सिह झबाल इस वारदात के बारे म लिखते हैं

बाकी के सज्जन इतने भडके हुए थे कि व जबरदस्ती मेरे गले पड गये और मुझे सीढ़िया से नीचे खींचना चाहा। मेरी कृपाण तोड कर दूर फेंक दी, कुर्ता फाड दिया और एक सज्जन के हाथ म मेरी दाढी भीची गयी। एक सिह ने कृपाण निकाल कर मुझे मारने के लिए मेरे सिर पर तान दी। इन भाई भाइयों की कारवाई पर रज और गुस्सा आने के बजाय मुझे हंसी आ रही थी।[1]

1 अकाली ते प्रदेसी, ६ अक्तूबर, पृ ६

ये थे हालात जो जैतो की रिहाइयों और गुरुद्वारा बिल पास हो जाने के बाद, गडगज्ज अकाली जत्थे और उसकी पालिसी के हामिया ने श्रोमणि कमेटी के खिलाफ पैदा किये थे। इस हाथापाई की अकाल तख्त के दीवान मे घोर निंदा की गयी। अकाली ते प्रदेसी ने प्रस्ताव पास कर "इस घोर निंदनीय कारवाई को धिक्कारने" की सलाह दी (१० अक्तूबर, एडीटोरियल)।

गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार इस घटना मे हिस्सा लेने वाले 'नाभा रियासत के जलावतन, अमृतसर शहर के बाशिंदे गडगज्ज और सेंट्रल माझा दीवान के आदमी थे। वे कहते थे कि मीटिंग मे शामिल होने के वे उतने ही हकदार हैं जितने कौंसिल के तीन मेम्बर।" असल मे ये लोग कौंसिल के मेम्बरों की ईमानदारी पर शक करते थे। श्रोमणि कमेटी ने इन मेम्बरों को कुछ जानकारी हासिल करने के लिए और गुरुद्वारा बिल की कुछ धाराओं की व्याख्या करने के लिए बुलाया था।

●

उन्तालीसवां अध्याय

किले के नेताओं में मतभेद

बिल पर अमल करने के फैसले को लटकाने पर किले के सरदारों और रिसाल दारों में बड़ी भगदड़ मच गयी। शिरोमणि कमेटी के प्रधान स. महताब सिंह और उसके साथी यह समझते थे कि गुरुद्वारा बिल के कार्यान्वयन के सवाल को आगे टाल कर बहुत बुरा काम किया गया है। शिरोमणि कमेटी को चाहिए था कि गुरुद्वारा एक्ट पर अमल करने का झटपट एलान कर देती। ऐसा करने से 'दुनिया को इस बात का विश्वास दिलाने में कमेटी की पोजीशन बहुत मजबूत हो जाती कि हमारा निशाना रचनात्मक है और हम समझौते के लिए फिक्रमंद हैं। ऐसा करने से रिहाइयों पर लगायी गयी शर्तों के खिलाफ एजीटेशन बहुत प्रभावशाली हो जाती साथ ही पंथ को रचनात्मक काम करने के लिए अच्छी तरह तैयार कर देती।'[1]

स. महताब सिंह ने कमेटी द्वारा ऐसा प्रस्ताव न पास किए जाने को 'एक गम्भीर तकनीकी गलती' बताया। यह उनकी और उनके साथियों की "साफ राय और दृढ़ मत था। तुम इस किस्म का एलान न करके दोस्तों और दुश्मनों को हैरानी में डाल रहे हो। यानी कई मित्र सोच रहे होंगे कि शायद एक संभावना यह हो कि बिल रद्द कर दिया जायगा क्योंकि शिरोमणि कमेटी ने प्रस्ताव में अपना मत प्रकट नहीं किया। हमारे दुश्मन और निष्पक्ष लोग बिल का—जिसे हमने बनाया और पेश किया है और जो हमारी जरूरी मांगों को स्वीकार करता है—मानने में हिचकिचाहट की नुक्ताचीनी करते हैं।"[2]

किले की जेल के लीडरों में बहुत मतभेद पैदा हो गये थे। बिल की खामियों के बावजूद सारे लोग इस पर अमल करने के हामी थे पर शुरू में ही शर्तें मान कर बाहर जाना कोई पसंद नहीं करता था। शर्तों को बाहर अकाली अखबारों और शिरोमणि कमेटी के प्रस्तावों ने जलील करने वाली और पंथ को हेठी करने वाली बता-बता कर उनके खिलाफ जबर्दस्त वातावरण पैदा

१ सम कान्फीडेन्शियल पेपर्स नं १८१ पृ २८८-२८९
२ उक्त नं १८२, पृ २८९-९०

कर दिया था। किले के भीतर के कुछ लीडरो ने इसके खिलाफ भी रोष प्रकट किया था क्योकि बाहर इस किस्म का वातावरण पैदा हो जाना शर्तें मानने का रास्ता बद करता था। उन्होने अन्दर से लिखा "अपनी तकरीरो के जरिये आपने हम सबको उस रास्ते पर चलने को बाध्य किया है जो हम सब का रास्ता नही।" साफ जाहिर है कि स महताब सिंह और रिसालदार सुन्दर सिंह के विचारो के नेता शर्तें देकर बाहर आने को तैयार बैठे थे।[1]

दिसम्बर १९२४ के तीसरे हफ्ते मे किले के २४ लीडरो ने बाहर यह लिख कर भेजा था 'आप को कमेटी को हर प्रकार के फैसले लेने का पूर्ण अधिकार है।" इन २४ मे न रिसालदार रणजोध सिंह का नाम था और न रिसालदार सुन्दर सिंह का। पर इस पर २५ रहनुमाओ के दस्तखत होने का दावा किया गया था। मास्टर तारा सिंह जी इसके साथ सहमत तो थे, पर दस्तखत करने मे शामिल नही थे। छ सज्जनो ने अलग नोट लिख कर भेजा था।[2] ये असहयोगी थे। दो असहयोगियो—गोपाल सिंह 'कौमी" और सरमुख सिंह चभाल—ने कोई लिखित नोट नही भेजा था। तेजा सिंह चूहड़ काणा ने अपना अलहदा नोट भेजा था।[3]

ये नोट भेजने की विशेष जरूरत इसलिए पडी थी कि शिरोमणि कमेटी के बाहर वाले लीडर आम तौर पर शिकायत करते थे कि किले के नेता उन्हे आजादी से कोई फैसला नही लेने देते और किये-कराये फैसलो को उलट देते हैं। इस हस्तक्षेप के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए स अमर सिंह चभाल ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया था। उक्त नोट अन्दर का हस्तक्षेप छोड देने के तौर पर लिखा गया था। पर इस नोट पर सरदार महताब सिंह जी और उनके हमख्याल सज्जन अधिक समय तक टिके न रह सके।

अग्रेज अफसर अकाली नेताओ के विचारो की—खास कर महताब सिंह के विचारो की—टोह लेने के लिए किले मे जाकर उनके साथ मुलाकातें करते थे और शर्तें मान लेने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। मुकदमे का सरकारी वकील पैटमैन इन अकाली नेताओ की नब्ज नीचे ऊपर होती रोज़ देखता था और उसका सहायक वकील ज्वाला प्रसाद डी सी लाहौर तथा अन्य अफसरो के साथ घी खिचडी बना हुआ सब रिपोर्टें अफसरो को देता था। सरकार के साथ सबध रखने वाले स महताब सिंह के कई रिश्तेदार मुलाकात के लिए आते थे और इन मुलाकातों की रिपोर्टें बाहर अफसरो को देते थे। इन मुलाकातो ने

१ उक्त न १०१, प १६३
२ सम काफीडेंशियल पेपस न ७७ पृ १३९ १४२
३ उक्त न ७८ प १४२ ४४

स महताव सिंह के मन मे परेशानी और कमजोरी पैदा कर दी। वह शर्तें मानने वाले रास्ते पर चल पडे।

१ मुलाकातो का सार

सरकारी वकील पटमन ने पहले गवनर से मुलाकात की और फिर सरदार बहादुर से। वसे किले की अदालत मे इस वकील से सरदार जी की हर वक्त बातचीत होती रहती थी। पर यह विशेष मुलाकात थी। पैटर्मन ने गवनर की पालिसी का ज्यो का त्यो बयान किया गवनर जानता है कि ये सुधार कमेटिया क्या चीज हैं। पर जब तक विचारशील और सुलह चाहने वाले लोग सुलह न चाहने वालों से—जो हमे हिन्दुस्तान से बाहर निकाल देना चाहते हैं और कुछ छोडने तथा कुछ लेने के लिए तयार नहीं—अपने आपको अलहदा नहीं नहीं कर लेते, तब तक हमे कुछ आदमी राजनीतिज्ञों के तौर पर इस्तेमाल करने ही पडेंगे।" (जोर मेरा)। हम हाथ-पैर बाध कर बैठ नही सकते और हालात को हाथो से निकल नही जाने दे सकते।[1]

१४ जुलाई १६२५ को सरदार जी से मिलने मिस्टर लग्ले कमिश्नर लाहौर डिवीजन किले मे गया। सरदार जी ने उसे अपना टाइप किया हुआ नोट दिखाया। उसमे लिखा था कि शर्तें कबूल करने से बिल मानने वालो और उनके हिमायतियो की हेठी होगी। लग्ले ने कहा—इस बात की क्या जमानत है कि आप बाहर जाकर बिल का विरोध नही करोगे ? सरदार जी ने जवाब दिया—हमने बिल पर अमल करने के लिए श्रोमणि कमेटी को लिख कर दे दिया है और जरूरत पडने पर फिर लिख कर दे सकते हैं। लग्ले ने गवनर को यह बात बताने का वादा किया और कहा 'मकसद सिर्फ उन लोगों को जेल मे रखने का है, जो गुरुद्वारा बिल से अलहदा, गवनमेंट के खिलाफ दुश्मनी की भावनाए उभारना चाहते हैं और सुलह समझौते को अटकाना चाहते हैं।'" (जोर मेरा)।

११ जुलाई को डेपुटी कमिश्नर लाहौर, मिस्टर उगलवी सरदार जी से मिला। उसने आधे घटे सरदार जी के साथ और आधे घटे सरदार जी तथा कप्तान राम सिंह दोनो के साथ, मुलाकात की। उसने सरदार जी से जिरह करते हुए पूछा चुनाव में जीत हासिल करने के आपके इरादे और विचार क्या हैं ? उसने आशका प्रकट की कि अगर असहयोगियो को रिहा कर दिया गया तो व गडगज्ज पार्टी से जा मिलेंगे और बिल के उद्देश्य तथा सुलह की

१ सम कॉन्फीडेंशियल पेपस न० ६८ प १५८
२ उप न १०० प १०७ तथा आग

सम्भावनाओ को नुकसान पहुचायेंगे। "मैंने उसको विश्वास दिलाया कि वे गडगज्ज पार्टी के साथ कभी शामिल नही होगे। हम बहुमत हासिल करेंगे और हमारे द्वारा बिल को अमली जामा पहनाने का असहयोगी विरोध नही करेंगे। उसने मुझे यकीन दिलाया कि गवनमट का उद्देश्य बिल के समथको की बेइज्जती करना नही है। मैंने जवाब दिया हो सकता है बात ऐसी ही हो, पर हमारे द्वारा शत मानन का मतलब हमारी बेइज्जती होगा। उसने पूछा—**क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बाहर चले जायें, और वे लोग जो गुरुद्वारा बिल के अलावा गवनमेंट के विरोधी है, जेल मे रहें।**' मैंन कहा—हमारे जाने के साथ ही साजिश केस हास्यास्पद बन जायगा। (जोर मेरा)।

कप्तान राम सिंह ने उसके दिमाग मे यह बैठाने की कोशिश की कि "असहयोगियो को जेल मे रख कर तुम उन्हें लीडर बना दोगे और हमे लोगो की नजरो मे गिरा दोगे।" उसका यह मूल्याकन सही था।

सरदार महताब सिंह ने अपनी डायरी के इस नोट मे यह विचार भी पेश किया है कि उसे शर्तें दे देनी चाहिए या नही। "मान लो कि मैं शर्तें देना स्वीकार कर लेता हू। चूकि मैं कानून का पक्का हिमायती हू इसलिए मैं अल्हदा हो कर नही बैठ सकता। मुझे अपने पथ को इसे स्वीकार कर लेने मे मदद करनी पडेगी। ज्याही मैं अपना मुह खोलूगा और कोई शब्द बिल के समथन मे बोलूगा, वैसे ही श्राताओ के बीच से आवाज उठेगी 'महताब सिंह बेशक आपने कुर्बानिया की हैं और गुरुद्वारा सुधार के ध्येय के लिए मुसीबतें झेली हैं पर बिल की हिमायत करके आप अपनी रिहाई की शर्तें पूरी कर रहे हो। किसी बेगज पुरुष को उठ कर हम मशविरा देने दो।' उस वक्त क्या पोजीशन होगी ? गैर जरूरी तौर पर मेरी बेइज्जती हो जायगी और मेरी हिमायत बिल को नुकसान पहुचायगी। गम्भीर सोच विचार के बाद मैंने फैसला कर लिया है कि **कम से कम इस वक्त मैं** शर्तों पर दस्तखत नही करूगा और तब तक जेल मे रहूगा जब तक अदालत मुझे रखेगी। हा, अगर श्रोमणि कमेटी किसी वक्त सोचती है कि पथ की बेहतरी के लिए आत्मसम्मान और इन्सानी शान की कुर्बानी की जरूरत है, तो मैं उसका हुक्म मान लूगा और उसकी ख्वाहिश को अमल मे लाऊगा। यह मेरी जाती और व्यक्तिगत राय है। मैंने किसी साथी से इस सबध म विचार विमश नही किया है।"[1] **(सरदार महताब सिंह, १९ जुलाई १९२५)।**

ऊपर हमने सरदार महताब सिंह प्रधान श्रोमणि कमेटी के वे विचार प्रस्तुत किये हैं जो उनकी अपनी डायरी म उनके अपने हस्ताक्षरो सहित दर्ज

१ उक्त न १००, पृ १५९ १६३

हैं। शर्तें मान कर बाहर जाने का जो नतीजा निकल सकता था, उसका उन्होंने सही विश्लेषण किया था। इसका पहला नतीजा यही निकल सकता था कि उनके द्वारा शर्तें किसी सूरत में नहीं स्वीकार की जायेंगी। पर उनका यह दृढ़ निश्चय नहीं था। इस निश्चय के विपरीत काम करने के लिए उन्होंने 'कम से कम दस वक्त" वाले स्तमान लिये थे और शिरोमणि कमेटी के नाम पर आत्मसम्मान की कुर्बानी की अनहोनी और हास्यास्पद माँग का इन्होंने आधार बना कर किसी भी समय शर्तें मान कर बाहर निकल आने की राह तैयार कर ली थी।

अंग्रेज अफसरों की उपरोक्त बातचीत से साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट असहयोगियों और नरमख्याल नेताओं को नहीं छोड़ना चाहती थी। वह सिर्फ उन्हें छोड़ना चाहती थी जो सहयोगी और कानून के हिमायती थे। इन्हीं की यही पालिसी थी। वह सुलह चाहने वालों और सुलह न चाहने वालों को अलहदा अलहदा कर रहा था। न सुलह करने वालों को छोड़ने की उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। वह सुलह वालों की—जो गुरुद्वारा बिल को अमल में लायें—मजबूत पार्टी बनाना चाहता था।[1] यही खबर अकाली ते प्रदेसी को अपने संवाददाता से शिमले से मिली। गवर्नमेंट जेल वालों का रवैया देख रही थी। "सरकार कोई ऐसा ढंग निकालेगी जिसके जरिये नरमख्याल लोग तो बाहर आ जायें, पर बाकी—गरमख्याल लोग—न आयें। स सरदार सिंह जी की रिहाई में सरकार बहुत घबराती है।[2]

२ धड़ेबंदी की शुरुआत

गवर्नमेंट ने किले के 'साजिशियों' को अच्छी तरह टोह लिया था। सहयोगी नेता बाहर आने को बड़े उतावले ही नहीं थे वे बेसब्र भी हो रहे थे। उनमें से कुछ के बाहर बयान छप रहे थे "गवर्नमेंट ने बिल को पास करने में जो नरम पालिसी दिखायी है, उसका उत्तर हमारी तरफ से भी नरम होना जरूरी है।"[3] रिसालदार सुन्दर सिंह जल्दी से जल्दी बाहर आने के लिए तैयार बैठा था, हालांकि किले में कैद नेताओं ने एक प्रस्ताव भी पास किया था कि शिरोमणि कमेटी कैदियों की रिहाई के सवाल का कोई ख्याल न करे वह गुरुद्वारा बिल

१ हेली का मुडीमन को पत्र ४ जुलाई १९२५
२ अकाली ते प्रदेसी १६ अक्तूबर १९२५ पृ ६
३ उक्त ४ अक्तूबर १९२५ (पहला पृष्ठ—ज्ञानी शेर सिंह और भगत सिंह जसवन्त सिंह की रावलपिंडी में गवाही देने के बाद की बातचीत)

पर अमल करे। लेकिन ये तो अब इस प्रस्ताव को भी पीठ दिखाने को तैयार बैठे थे।

सरदार बहादुर महताव सिंह का धडा शर्तों को मानने को तैयार हो गया था। बाकी के सज्जनो ने वडे प्रयत्न किये कि वे शर्तों को मानने की राह पर न चलें। कमेटी के अन्दर आपस मे बडी चर्चा हुई। भाग सिंह वकील ने कमेटी को लिख कर भेजा कि प्रस्तावित एलान का (अदालत मे) किया जाना "शान के विरुद्ध, हेठी भरा और गैर-जरूरी" होगा। सारा पथ जब सशर्त रिहाइयो की निन्दा कर चुका है तो ऐसी रिहाइया समूची सिख जाति को परेशान करेंगी और इस नाजुक वक्त म उसकी स्थिति को हास्यास्पद बना देंगी। इस किस्म के बयान के लिए अदालत अच्छी जगह नही। "हमारी महान जाति के प्रति निधियो की इस कारवाई को मैं हेठी भरी समझता हू।"[1]

ये "साजिश केस वाले" नेता थे, जो शर्तें देने पर तुले हुए थे। उनको सरदार तेजा सिंह समुद्री ने सुझाव दिया कि वे दो-तीन महीने और सब्र करें। इस दौरान शिरोमणि कमेटी को जल्दी से जल्दी यह एलान करने को कहा जायगा कि सिख गुरुद्वारा एक्ट पर समूची सिख जाति पूरे जोर के साथ अमल करे। लेकिन उसकी भी न सुनी गयी। जब सब्र का बाध टूट जाय, तो सब्र करने की शिक्षा बेअसर हो जाती है। "साजिश केस वाले" इन नेताओ ने इस महान लीडर की बात भी सुनी-अनसुनी कर दी।

असहयोगियो ने बहुत जोर देकर कहा कि ये १६ अकाली नेता जो कदम उठा रहे हैं वह "पथ के भले के लिए बडा खतरनाक है। यह हमारे कैम्प में फूट डाल देगा और इससे हमे कुचलने के लिए गवनमेंट का हाथ मजबूत हो जायगा। शिरोमणि कमेटी और अकाली दल के लिए यही वक्त है कि सोचा समझा और मजबूत कदम उठा कर स्थिति को बचायें।"[2] पर जिन्होने सरदार तेजा सिंह समुद्री जैसे सुलझे हुए और सुलहपसद नेता की बात नही मानी थी, वे असहयोगियो और गमख्यार लीडरो की अच्छी और बाइज्जत सलाह कैसे मान सकते थे? वे तो उन्हे पहले ही अपना मित्र समझने से हट गये थे।

'साजिश केस वाले' इन नेताओ के साहसहीन हो जाने का कारण कुछ समय से बाहर से आ रही गलत रिपोर्टें थी। मसलन ऐसी रिपोर्टें कि—जत्थो मे भेजने के लिए आदमी नही मिल रहे हैं,[3] अकाली दल असहयोग कर रहा है, रुपया

१ सब का फीडेंशियल पेपर्स न १०२ पृ १६३ १६५
२ उक्त न १०३ पृ १६६ ६७
३ उक्त न १५६ पृ २३७

पैसा नहीं रह गया है, हालत बडी खराब होती जा रही है इत्यादि। ये रिपोर्ट भेजने वाले थे सरदार अजन सिंह स राजा सिंह मास्टर दौलत सिंह वगैरा, जो छूछा ढोल बजा रहे थे और जितनी जल्दी हो सके बोझ गले से उतार फेंकना चाहते थे। ये सभी लोग सहयोगी और कानून ने पक्के हामी थे।

इन रिपोर्टों के कारण सहयोगियों म बड़ी हैरानी और भगदड मची हुई थी। उन्ह इस बात पर "बडा रज" हुआ था कि 'शोमणि कमेटी और अकाली दल के आपसी रिश्ते खुशगवार नहा हैं। यह बडी बदकिस्मती है कि जब दुश्मन कौम को तबाह करने की फिक्र म है तब हमारे अपने घर के हालात इस किस्म के हैं। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि हमारी छोटी से छोटी बात भी दुश्मन के पास पहुचती रहती है। इस किस्म के आपसी झगडे और रिश्ते उस तसल्ली देते हैं कि उसकी सख्ती और दबाव की पॉलिसी कामयाब हो रही है और हमारा घर तबाह होने ही वाला है। जिस तरह भी हो सके तुम कोशिश करो कि अगर घर में कुछ गडबड है भी तो दुनिया को और दुश्मन को पता न चले। स मगल सिंह जी स कहो कि वह स अमर सिंह झबाल से दरख्वास्त करें कि वह अकाली दल से अपने रसूख इस्तेमाल करें और जिस किसी म भी कोई नुक्स हो, उसे दूर करके अकाली दल और शोमणि कमेटी के बीच अच्छे सम्बन्ध कायम करें। स मगल सिंह भी अपनी तरफ से इस मामले मे पूरी कोशिश करें। दोनो के बीच अच्छे सम्बन्धो पर ही हमारी सफलता निभर है।"[1]

एकता और सबको मिला कर चलने की किले वालो की उक्त अपील अच्छी थी। शोमणि अकाली दल का नाराज हो जाना—वह चाहे स अजन सिंह राजा सिंह दौलत सिंह की नम और सरकारपरस्त पालिसी के कारण ही हो—पथ के ध्येय को चोट और नुकसान पहुचाता था। अगर किले के नेता एकता और परस्पर सहयोग पर खुद भी अमल करते रहते तो यह फूट न पडती। गुरुद्वारा के धार्मिक मामले मे तब शायद धडेबदी और फूट की सभावनायें पैदा ही न होती।

रुपये इकट्ठे करने के बारे मे किले के अन्दर से बाहर यह सलाह भेजी गयी 'रुपयो के वास्ते आपने जो पाच आने की अपील की है उसके अलावा एक जनरल अपील हिन्दुओ, मुसलमानो और सिखो से भी करें। हिन्दू मुसल मान भाइयो से आप अपील करें कि इस मौके पर जब गवनमेट तशद्दुद के इस्तेमाल से सिखो को तबाह करना चाहती है वे अपनी हस्ती कायम रखने की अपने भाइयो की जद्दोजहद मे रुपये पसे से माली इमदाद करें। यह आम

१ सम कॉन्फीडेंशियल पेपस न १७० पृ २६६ ७०

अपील जारी करने से पहले स मगल सिंह या कोई और महात्मा गाधी के पास जाय और असली स्थिति वता कर उनसे दरख्वास्त करे कि हमे इस वक्त रुपये की वडी तगी है और खतरा है कि तगी के कारण कही तहरीक ही फेल न हो जाय इसलिए रुपये के सबध मे हमारी मदद कीजिए और हिंदुआ मुसलमानो से अपील कीजिए कि वे अपने सिख भाइयो की रुपया वगैरा से मदद करें। जो अपील आपको प्रकाशित करनी है उसका मसौदा भी अपने साथ लेते जाओ और महात्मा जी को दिखा दो। किसी तरह प नेहरू, मालवीय, सी आर दास और हकीम अजमल खा से भी सारे हिंदुस्तान के नाम अपील जारी करने का वादा ले लो। फिर अपनी अपील प्रकाशित करो और प्रातो मे प्रतिनिधिमडल भेजो। यह सब कुछ करने से सफलता की आशा मजबूत हो जायगी। अपनी अपील म आप हिंदुओ और मुसलमानो से साफ कहो कि हम कम से कम दो साल तक और लडने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आप भाइयो से रुपये पैसे की इमदाद के लिए अपील की जा रही है।"[1]

एक तो ऊपर की लिखित वातो से घवराहट के सकेत मिलते हैं। दूसरे, इस मसौदे वाली अपील सिखो को कौमपरस्त देशभक्त हिंदुआ और मुसलमानो से जोडती है। इस कौमी एकता से ब्रिटिश राज बहुत घवराता था। हेली का खास प्रयत्न यह था कि सिख किसी भी तरह काग्रेस के साथ न मिल सकें। तीसरे, इससे यह जाहिर होता है कि हिंदुओ और मुसलमाना से सिखों को रुपये-पैसे की या और किसी शक्ल म, पहले भी मदद मिलती रही थी।

३ किले के नेताओ की चिटिठया

किले से लिखी गयी चिट्ठियो मे बाहर की अकाली लहर की कमजोरी के बारे मे घबराहट की बहुत सामग्री मिलती है। यह कमजोरी इतनी ज्यादा नही थी, जितनी बाहर के और अदर के सहयोगियो और कानून के हामियो द्वारा वढा चढा कर पेश की जा रही थी। खुद रिसालदार सुदर सिंह आदि सात सदस्या की चिटठी इस हकीकत का उल्लेख करती है। वह लिखते हैं "आप म से कुछ जिम्मेदार आदमी जोर शोर से यह कह रहे हैं कि अदर वाले निरर्थक ही अपनी विपरीत राय के कारण तहरीक को कमजोर कर रहे हैं हालाकि बाहर के सारे लोग मिल-जुल कर काम कर रहे हैं। तहरीक बहुत मजबूत है और उसमे हर प्रकार की काफी ताकत है। स राजा सिंह जी,

१ उक्त न १७३ प २७७ ७८

स अजन सिंह जी और स दौलत सिंह जी की तरफ से आये पत्र बताते हैं कि जोश दिनो दिन कमजोर होता जा रहा है।"[1]

दूसरी तरफ स मगल सिंह स हीरा सिंह दद स अमर सिंह चभाल और उनके साथी शर्तें देकर पथ की हेठी न कराने, जरूरत पडने पर नया मोर्चा लगाने और इस हालत से निकलने के लिए श्रोमणि कमेटी के नये चुनाव करा कर नया नेतृत्व आगे लाने की बातें कर रहे थे। अकाली दल के लीडरो के मन इनसे खटटे हो गये थे, क्योकि इनकी पालिसी ढीली और हथियार डाल देने वाली थी। अकाली जनता के जोश मे कोई फर्क नही आया था। यह फर्क दोनो टकराती हुई पालिसियो मे था जिसमे एक पालिसी को लहर मे जोश कम होना हुआ नजर आ रहा था और दूसरी को बढता हुआ।

इस स्थिति के लिए जिम्मेदार थे स महताब सिंह जी और उनके साथी जिन्होंने रिहाइयो के मामले में बेहद उतावलापन दिखा कर बाहर के साथियो को भी साहसहीन कर दिया था। अपनी मुदाखलत के जरिये ये बाहर वालो को कोई स्वतत्र फैसला नही लेने देते थे। इसी मुदाखलत से तग आकर स अमर सिंह चभाल ने कमेटी से प्रोटेस्ट के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। इस पर स महताब सिंह और उसके हामियो ने कुछेक चिटिठयो मे लिखा था हम बाहर के मामलो मे कोई दखल नही देंगे, आप अपनी मर्जी स काम जारी रखो।

स मगल सिंह अकाली ते प्रदेसी मे शर्तों के खिलाफ बडे जोशीले लेख लिख रहे थे और मुहिम चला रहे थे कि श्रोमणि कमेटी के नये चुनाव कराओ। इस मुहिम का आम सिखो की ओर से स्वागत किया जा रहा था। जगह जगह बिना-शर्त रिहाइया और नये चुनाव कराने के प्रस्ताव पास हो रहे थे। उस समय के लगभग सारे सिख अखबार इस मुहिम मे हिस्सा ले रहे थे। खालसा दीवान के अखबार शुरू से ही अग्रेजो से दोस्ती का राग अलाप रहे थे। उनके स्वर म कोई अन्तर नही आया था।

सरकारी अखबार हेली की हा मे हा मिला कर कह रहे थे अगर सिख गुरुद्वारा बिल पर अमल करने को तैयार हैं तो शर्तों पर दस्तखत करके बाहर क्यो नही आ जाते? एक तरफ हेली सिख लीडरो को जलील करने पर तुला था दूसरी तरफ मगल सिंह ने अपने सम्पादकीय लेख (न ४) मे लिखा "हमारे भाइयो का यह हाल है कि वे सरकार के इतने श्रद्धालु बनते जा रहे हैं कि सब कुछ सरकार की नेकनीयती पर छोड कर उसके आगे हथियार डालने को तैयार बठे हैं।"[2]

१ उक्त न ६६ पृ १३१ ३२
२ अकाली ते प्रदेसी १६ अक्तूबर १६२५

हेली पर बिना शर्त रिहाइया के लिए आम लोगो तथा असेम्बली और कौंसिल के सदस्या का वडा दवाव पड रहा था। उसके नीचे के कुछ अफसर भी चाहते थे कि रिहाइया बिना शर्त की जायें। इससे सिखो के सहयोग के हालात बनेंगे। आम अफवाहें फैल रही थी कि बिना शर्त रिहाइया होने वाली हैं। "पर प्रो जोध सिंह जी (खालसा कालेज) की चीफ सेक्रेटरी पजाब गवनमेंट के साथ मुलाकात के बाद सब कुछ रुक गया।"[1]

कुछ भी हो सरदार महताब सिंह और उसके साथियो ने गवनमेंट के आगे हथियार डाल दिये। निश्चय ही, अगर वे दो महीने और अडे रहते, तो बिना शर्त रिहाइया के लिए गवनमेंट मजबूर हो जाती। इस दबाव के अहसास को हेली खुद अपनी एक चिट्ठी मे टेढे तिरछे ढग से स्वीकार करता है। वह कहता है

'स्वभावत, शायद सभव है कि (गुरुद्वारा) एक्ट पर उतनी मैत्रीपूर्ण भावना के साथ या किसी किस्म की रजामदी के साथ, अमल नही किया जायगा जितनी रजामदी से तब सभव था जब हम सिखा की मागा के आगे पूरी तरह झुक जाते। अगर हम उनके आगे पूरी तरह झुक जाते तो एक्ट पर अमल उतनी रजामदी की भावना से नही किया जाता, जितना फतह के वातावरण मे किया जाता। और सिख मनोदशा के लिए इस यकीन से बढ कर बुरी और कोई बात नही कि वह अत्यधिक हठ के जरिये किसी भी हद तक रियायतो का हमेशा आग बढा सकती है।'[2] ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सिखो का हठ, हौआ बन गया था।

आखिरी बात कुछ गूजदार है। पर सिखो के दुश्मनो की तरफ से यह इस बात की स्वीकृति का सूचक भी है कि सिखो की मनोदशा यह है कि वे हठ के साथ लडाई लड कर कोई भी मागें या रियायतें हासिल कर सकते हैं। सरकार के झुक जाने से उनके इस यकीन को कोई शह नही मिलनी चाहिए।

स महताब सिंह और उसके हमख्याल साथियो ने पुराने सारे फैसलो से मुह फेर लिया था। उनके अपने सतुलित मूल्याकन ने जो बातें रद्द कर दी थी, उन्हें उन्होंने अपना लिया था। जेलो मे सड रहे हजारो अकालियो की रत्ती भर परवाह न की गयी। न ही शिरोमणि कमेटी के निधडक और कुर्बानी करने वाले नेता स खडक सिंह का ख्याल किया गया। और तो और, उन्होने किले के बाकी १६ साथियों—स तेजा सिंह समुद्री, मास्टर तारा सिंह वगैरा—को भी पीछे जेल म छोड जाने की कोई चिंता न की। अपने साथियो के सब मशविरे ठुकरा कर, वे शर्तें मानने को तैयार हो गये।

१ अकाली लहर गुरुद्वारा सुधार लहर, डा जगजीत सिंह, पृ ५१
२ हेली का मुडीमैन को पत्र, ५ नवम्बर १९२५

चालीसवाँ अध्याय

शर्तें स्वीकार कर ली गयी

किले के कुछ नरमख्याल नेताओं की कमजोर मनोवृत्ति की सरकार अच्छी तरह जानकारी हासिल कर चुकी थी। उसकी अपनी एक पाक्षिक रिपोर्ट में लिखा गया है 'यकीन किया जाता है कि कुछ अकाली लीडर अपनी रिहाइयाँ हासिल करने के लिए शर्तों पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। पर मंगल सिंह और दूसरों की ओर से—जो उन्हें जेल में रखने में दिलचस्पी रखते हैं—उन्हें रोका जा रहा है।'[1] पर जो जाने पर तुले हुए हों, उन्हें कोई भी धार्मिक या राजनीतिक दलीलें या पंथ के हितों की मिन्नतें नहीं रोक सकती।

उन दिनों फिरकापरस्त तक्सीम के मुताबिक सिखों के हिस्से में आने वाली एक—वजीर की—जगह खाली हुई थी। कौंसिल के सिख मेम्बरों ने एलान किया था कि जब तक सिख लीडर बिना शर्त रिहा नहीं किये जाते, तब तक इस ओहदे को कोई सिख कबूल न करे। कौंसिल और असेम्बली के सिख ही नहीं, 'मुखालिफ बेंचों' के मेम्बर भी रिहाइयों के लिए जोर लगा रहे थे और सरकार पर हर तरह के दबाव डाल रहे थे। अखबारों ने रिहाइयों के लिए आसमान सिर पर उठाया हुआ था। पर यह सब बत्तखों के पंखों पर पानी की तरह उन पर कतई कोई असर नहीं कर रहा था।

२१ जनवरी १९२६ को अन्दर ही अन्दर जो खिचड़ी पक रही थी उसका भेद खुल गया। उस दिन दोनों रिसालदारों—रिसालदार सुन्दर सिंह और रिसालदार रणजोध सिंह—ने एक मसौदा पढ़ा जिसका मकसद गवर्नर हेली की शर्तें कबूल करना था। सरकार ने उन पर से केस वापस ले लिया और उन्हें रिहा कर दिया। एक सरकारी रिपोर्ट सिख जत्थेबन्दियों पर छींटाकशी करती और उनको रगड़ती हुई लिखती है रिसालदार सुन्दर सिंह श्रोमणि कमेटी का भूतपूर्व प्रधान है और अकालियों के 'बेताज बादशाह' सरदार खड़क सिंह का भतीजा है। और, रिसालदार रणजोध सिंह भी श्रोमणि अकाली दल का भूतपूर्व प्रधान है।'[2]

१ फाइल नं ११२/४/१९२६ १ से १५ जनवरी तक की पाक्षिक रिपोर्ट
२ उक्त १६ जनवरी से ३१ जनवरी तक की पाक्षिक रिपोर्ट

इन भद्र पुरुषों के सरकारी शर्तों पर हस्ताक्षर कर देने का एक ही कारण हो सकता है जाती खुदगर्जी। इन्होंने सीधी कारवाई करने से तौबा की, गुरुद्वारा एक्ट पर अमल करने का वचन दिया और यह वचन देकर अपनी "पेंशनों और जमीनों की जब्ती' से छुटकारा हासिल कर लिया। समूची सिख जाति के हितों को अपने निजी हितों पर वार देने की इन्होंने कोई परवाह न की।

२५ जनवरी १९२६ का बाबा हरकिशन सिंह ने उठ कर अदालत मे अंग्रेजी मे एक बयान पढ़ा। बयान का सार यह था मैं हेली के ९ जुलाई १९२५ के भाषण का हवाला देकर बयान देना चाहता हूं कि मैंने गुरुद्वारा एक्ट के बनाने मे इमदाद की है और मैं ख्याल करता हू कि यह एक्ट गुरुद्वारा सुधार लहर की जरूरी बातें पूरी करता है। इस कानून के पास हो जाने के बाद सीधी कारवाई करने की कोई जरूरत नहीं रह गयी। इसलिए मैं सिख गुरुद्वारों के प्रबंध के संबध मे कोई भी सीधी कारवाई नहीं करूंगा और ईमानदारी तथा पूरे दिल से एक्ट को अमल मे लाऊंगा। सच्चाई यह है कि इस पर अमल करने की मैं पहले ही पत्र से अपील कर चुका हू।'[1]

बाबा जी के बाद १९ और अकाली लीडरों ने एक दूसरे के बाद उठ कर अदालत मे कहा "हमारा भी वही बयान है जो बाबा हरकिशन सिंह जी का।' कुछ समय बाद ये २० सज्जन[2] अपना सामान लपेट कर, रिहाई प्राप्त कर, किले से बाहर चले गये। इनके गलों से साजिश का फंदा उतर गया। इस किस्म की "भयानक" और "बादशाह शहनशाह का तख्ता उलटने की" साजिशें बना कर अंग्रेज हाकिम हिन्दुस्तानियों को भयभीत करके राज करते थे। इनकी अदालतें लम्बी लम्बी सजायें देकर लोगों को जेलों मे सड़ने के लिए फेंक देती थी।

१ अकाली लहर गुरुद्वारा सुधार लहर डा जगजीत सिंह, पृ ५२५३
२ शर्तें मान कर रिहा होने वाले ये २० नेता थे १ प्रो बाबा हरकिशन सिंह २ स बहादुर महताब सिंह, ३ स गुरदित्त सिंह बहलोलपुर, ४ ज्ञानी शेर सिंह ५ स प्रीतम सिंह अनन्दपुर, ६ स गुरदित सिंह एडीटर नेशन, ७ हेडमास्टर महताब सिंह तरनतारन, ८ स गरबख्श सिंह दिल्ली, ९ स गोपाल सिंह सागरी, १० कप्तान रामसिंह, ११ स प्यारा सिंह कनाडियन, १२ स कृपाल सिंह अमृतसर, १३ स किशन सिंह अमृतसर, १४ स दलीप सिंह १५ स बाल सिंह कनाडियन, १६ स दान सिंह बिछोआ, १७ स बख्शीश सिंह लुधियाना, १८ भगत जसवंत सिंह, १९ स मित सिंह कनाडियन, २० प्रो साहिब सिंह

इनके जाने के बाद सिर्फ १९ अकाली लीडर किले के अन्दर रह गये।[1] इनके ऊपर पहले की तरह ही बादशाह शहनशाह जार्ज का तख्ता उलटने की साजिश' का मुकदमा चलता रहा। इस साजिश की हास्यास्पद स्थिति यह बन गयी थी कि अदालत में हाजिर होकर कह दे कि वह गुरुद्वारा कानून पर अमल करेगा और सीधी कार्रवाई नहीं करेगा—और तत्काल रिहा हो जाता। अगर यह नहीं कहो तो जेल में पड़े रहो और अनिश्चित समय तक मुकदमे के फैसले का इंतजार करो।

अभी सिर्फ १४ दिन ही गुजरे थे कि तेजा सिंह चूहड़काना भी शर्तें देने को तैयार हो गया। सरदार तेजा सिंह समुन्दरी ने खास कर और बाकी सज्जनों ने आम तौर पर, बड़ा जोर लगाया और मिन्नतें की कि वह शर्तें दे कर न जाय। पर उसने किसी की न सुनी। वह भी ८ फरवरी को उसी मोरी के रास्ते (तेजा सिंह के अपने शब्द) निकल गया जिसमें बाकी निकाले गये थे। यह तेजा सिंह वही तेजा सिंह चूहड़काना था जिसने २० सितम्बर १९२४ को बाहर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लिखा था कि अन्दर वाले सज्जन आप के पास अन्तिम संदेश' भेज रहे हैं इसलिए मैं भी अपने टूटे फूटे विचार लिख रहा हूं 'मेरा काला मुंह और नीले पैर दीन और दुनिया का मैं देनदार हूं क्योंकि मैं एक ऐसी कमेटी का सदस्य हूं जिसने श्री अकाल तख्त साहब की हजूरी में कई प्रस्तावों द्वारा और हजारों व्याख्यानों द्वारा पंथ को हथेली पर सिर 'मरो तो हरि के द्वार' आदि शब्दों से कुर्बानी के वास्ते ललकारा और जिसकी आवाज को पंथ ने तन मन धन कुर्बान करके पूरा किया। कमेटी ने महाराजा (नाभा) का सवाल श्री अकाल तख्त गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में लिया और यह भी पास किया कि जब तक सरकार धक्का न छोड़े उससे कोई बातचीत न चलायी जाय। गुरुद्वारा बिल ऐसा हो जो पंथ की मर्जी के मुताबिक हो किसी तरह की पाबंदी न हो, कृपाण आजाद करायी जाय।

१ जिन १९ अकाली लीडरों ने शर्तें मानने से इन्कार कर दिया वे थे १ स तेजा सिंह समुद्री, २ मास्टर तारा सिंह ३ भाग सिंह वकील गुरदासपुर ४ स गुरचरण सिंह वकील ५ स गोपाल सिंह कौमी, ६ स सरमुख सिंह चभाल ७ स सोहन सिंह जोश, ८ स सेवा सिंह ठीकरीवाला ९ बाबू त्रिपत सिंह लायलपुर १० स तेजा सिंह अकरपुरी, ११ स सता सिंह सुलतान विंड १२ स तेजा सिंह थविंड, १३ स हरी सिंह जलधरी १४ स हरी सिंह एडीटर अकाली, १५ स राय सिंह (दलजीत सिंह), १६ स तेजा सिंह चूहडकाणा

इन सब बातो को अमल म लाये बिना अब वह (कमेटी) "गुरद्वारा बिल पर बडी खुशी से विचार करने के लिए तैयार हो गयी है।"

यही तेजा सिंह चूहड़काणा अपने साथियो को पीठ दिखा कर, ऊपर के सब प्रस्तावो से मुह फेर कर, बाहर चला गया।

इस समय १५ लीडर किले के अन्दर बाकी रह गये थे। इनमे से कोई भी ऐसा रहनुमा नही था, जो शर्तें दे कर बाहर जाने की बात सुनने को भी तैयार हो। य 'साजिश' की हर मुसीबत झेलने को तैयार बैठे थे। मुकदमा रोज चलता था। गवाह बाकायदा भुगतते थे। वकील और स तेजा सिंह समुद्री, स भाग सिंह वकील, मास्टर तारा सिंह मुकदमे मे दिलचस्पी लेते थे। असहयोगी नेता निश्चिन्त हो कर अदालत मे बैठे रहते थे और कारवाई मे कोई हिस्सा नही लेते थे।

१. रिहा होने वालों की आवभगत

बाहर जाने वाले य सज्जन श्रोमणि कमेटी के चोटी के रहनुमाओ मे से थे। बाहर आने पर—यारो दोस्तो और इनके हमख्याल बदो के अलावा—किसी ने इनकी आवभगत नही की। कहीं पर इनकी इज्जत नही हुई, न ही कही इनका दिल से स्वागत हुआ। इसके विपरीत, जगह-जगह यह प्रचार होने लगा कि स बहादुर और उनके साथी पथ की शान को बट्टा लगा कर आये हैं। इन्होंने अपनी सारी कुर्बानी कुए म झोक दी है, पथ की शान के रखवाले अब भी जेलो म बंद हैं जो सरकारी शर्तों को दृढता के साथ ठुकरा रहे हैं। ये लोग तो हेली की टाग के नीचे से गुजर कर आये हैं।

स महताब सिंह इन हमलो का जवाब इस तरह देता था हम पथ की भलाई को मुख्य रख कर बाहर आये हैं, पथ की हेठी करके नही आये हैं। गुरुद्वारा की जायदादा की सूचिया निश्चित समय के अन्दर देनी थी, जो नही दी जा रही थी। हमने अपना फर्ज समझा कि जा कर यह काम वक्त के अन्दर किया जाय, नही तो पथ को बडा नुकसान पहुचेगा, इत्यादि। पर उनकी ये दलीलें लोगो पर कोई असर नही कर रही थी। उनकी इस कमजोरी ने उन्हे लोगों स अलहदा करना शुरू कर दिया था। वही महताब सिंह जिसकी राह मे लोग पलकें बिछाते थे और जिसके हुक्म पर जान हथेली पर रख कर मैदान मे कूद पडते थे, बाहर आने पर हीरो नही रहा था, बल्कि 'गद्दार' बन गया था।

असल म य सज्जन बाहर गये ही हेली की पालिसी को अमल मे लाने के

१ सम कॉन्फीडेंशियल पेपर्स न ७८ पृ १४२-४३

इनके जाने के बाद सिर्फ १६ अकाली लीडर किले के अन्दर रह गये।[1] इनके ऊपर पहले की तरह ही 'बादशाह महाराजा जार का तख्ता उलटने की साजिश' का मुकदमा चलता रहा। इस साजिश की हास्यास्पद स्थिति यह बन गयी थी कि अदालत में गई होकर यह कहो मैं गुरुद्वारा कानून पर अमल करूंगा और सीधी कारवाई नहीं करूंगा—और तत्काल रिहा हो जाओ! अगर यह नहीं कहते तो जेल में सड़ते रहो और अनिश्चित समय तक मुकदमे के फैसले का इंतजार करो!

अभी सिर्फ १४ दिन ही गुजरे थे कि तेजा सिंह चूहड़काणा भी शर्तें देने को तैयार हो गया। सरदार तेजा सिंह समुद्री ने खास कर और बाकी सज्जनों ने आम तौर पर, बड़ा जोर लगाया और मिन्नतें की कि यह शर्तें दे कर न जाय। पर उसने किसी की न सुनी। वह भी ८ फरवरी को उसी मोरी के रास्ते (तेजा सिंह के अपने शब्द) निकल गया जिसमें बाकी निकल गये थे। यह तेजा सिंह वही तेजा सिंह चूहड़काणा था जिसने २० सितम्बर १९२४ को बाहर श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लिखा था कि अन्दर वाले सज्जन आप के पास अन्तिम संदेश भेज रहे हैं इसलिए मैं भी अपने टूटे फूटे विचार लिख रहा हूं 'मेरा काला मुंह और नीले पैर दीन और दुनिया का मैं देनदार हूं क्योंकि मैं एक ऐसी कमेटी का सदस्य हूं जिसने श्री अकाल तख्त साहब की हुजूरी में कई प्रस्तावों द्वारा और हजारों एलानों द्वारा पंथ को हथेली पर सिर' धरो तो हरि के द्वार आदि शब्दों से कुर्बानी के वास्ते ललकारा और जिसकी आवाज को पंथ ने तन मन धन कुर्बान करके पूरा किया। कमेटी ने महाराजा (नाभा) का सवाल श्री अकाल तख्त गुरु ग्रंथ साहब की हुजूरी में लिया और यह भी पास किया कि जब तक सरकार कभी न छोड़े उससे कोई बातचीत न चलायी जाय। गुरुद्वारा बिल ऐसा हो जो पंथ की मर्जी के मुताबिक हो किसी तरह की पाबंदी न हो कृपाण आजाद करायी जाय।

१ जिन १६ अकाली लीडरों ने शर्तें मानने से इंकार कर दिया वे थे १ स तेजा सिंह समुद्री २ मास्टर तारा सिंह ३ भाग सिंह वकील गुरदासपुर, ४ स गुरचरण सिंह वकील ५ स गोपाल सिंह कौमी, ६ स सरमुख सिंह चभाल ७ स सोहन सिंह जोश ८ स सेवा सिंह ठीकरीवाला, ९ बाबू त्रिपत सिंह लायलपुर, १० स तेजा सिंह अकरपुरी ११ स सता सिंह सुलतान विंड १२ स तेजा सिंह चविंड, १३ स हरी सिंह जलधरी १४ स हरी सिंह एडीटर अकाली, १५ स राय सिंह (दलजीत सिंह) १६ स तेजा सिंह चूहड़काणा

इन सब बातो को अमल मे लाये बिना अब वह (कमेटी) "गुरद्वारा बिल पर बडी खुशी स विचार करने के लिए तयार हो गयी है।"[1]

यही तेजा सिंह चूहडकाणा अपन साथियो को पीठ दिखा कर, ऊपर के सब प्रस्तावो से मुह फेर कर, बाहर चला गया।

इस समय १५ लीडर किले के अन्दर बाकी रह गये थे। इनमे स कोई भी ऐसा रहनुमा नही था, जो शर्तें द कर बाहर जाने की बात सुनने को भी तयार हो। ये 'साजिश" की हर मुसीबत झेलन को तयार बैठे थे। मुकदमा रोज चलता था। गवाह बाकायदा भुगतते थे। वकील और स तेजा सिंह समुद्री, स भाग सिंह वकील, मास्टर तारा सिंह मुकदमे मे दिलचस्पी लेते थे। असहयोगी नता निश्चित हो कर अदालत म बैठे रहत थे और कारवाई मे कोई हिस्सा नही लेत थे।

१ रिहा होने वालो की आवभगत

बाहर जाने वाले ये सज्जन श्रोमणि कमेटी के चोटी के रहनुमाओ मे स थे। बाहर आने पर—यारो दोस्तो और इनके हमख्याल बदो के अलावा—किसी ने इनकी आवभगत नही की। कही पर इनकी इज्जत नही हुई, न ही कही इनका दिल से स्वागत हुआ। इसके विपरीत, जगह जगह यह प्रचार होने लगा कि स बहादुर और उनके साथी पथ की शान को बट्टा लगा कर आये हैं। इन्होंने अपनी सारी कुर्बानी कुए म झोक दी है, पथ की शान के रखवाले अब भी जेलों मे कद हैं जो सरकारी शर्तों को दढता के साथ ठुकरा रहे है। ये लोग तो हली की टाग के नीचे से गुजर कर आये हैं।

स महताब सिंह इन हमलो का जवाब इस तरह देता था हम पथ की भलाइ का मुख्य रख कर बाहर आय हैं पथ की हठी करके नही आय हैं। गुरुद्वारा की जायदादो की सूचिया निश्चित समय के अदर देनी थी, जो नही दी जा रही थी। हमने अपना फज समझा कि जा कर यह काम वक्त के अदर किया जाय, नही तो पथ को बडा नुकसान पहुंचेगा, इत्यादि। पर उनकी ये दलीलें लोगो पर कोई असर नही कर रही थी। उनकी इस कमजोरी ने उन्ह लोगो म अन्हदा करना शुरू कर दिया था। वही महताब सिंह जिसकी राह मे लोग पलकें बिछात थे और जिसके हुक्म पर जान हथेली पर रख कर मैदान मे कूद पडते थे, बाहर आने पर हीरो नही रहा था, बल्कि 'गद्दार' बन गया था।

असल मे ये सज्जन बाहर गये ही हेली की पालिसी को अमल म लाने के

१ सम कॉन्फीडेंशियल पेपस न ७८ पृ १४२ ४३

लिए थे—यानी, पहले गमख्याल अकाली लीडरो को शिरोमणि कमेटी म बेअसर कर दिया जाय, फिर सेंट्रल बोर्ड पर कब्जा करके अपने धडे के अकालियो को गुरुद्वारो का प्रबधक बनाया जाय। इस तरह वे फिर सिख जाति के नेता बन कर अपने नेतृत्व को बहाल करने के स्वप्न देख रहे थे। पर ये स्वप्न, स्वप्न ही थे।

महताब सिह के बाहर आने के पाचवें दिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी की आम सभा हुई। इसमे लगभग १४० मेम्बर उपस्थित थे। इसमे फैसला किया गया कि ओहदेदारो का फिर स चुनाव कर लिया जाय। चुनाव किया गया। चुनाव मे नमरयाल वाले धडे ने स महताब सिंह को और गम रयाल वाले धडे ने स भाग सिंह कनाडियन को प्रधान पद के लिए खडा किया। स बहादुर ७७ वोट हासिल करके प्रधान बन गया, भाग सिंह ४४ वोट लेकर हार गया। इसके बाद प्रधान ने अपने मत के उप प्रधान और जनरल सेक्रेटरी वगैरा चुन लिये और स मगल सिंह और स अमर सिंह अपने साथियो समेत इस कारवाई पर प्रोटेस्ट करके बाहर चले गये।

गमख्याल अकालियो ने उसी शाम गुरू के बाग (अमृतसर) मे एक आम जलसा किया और स बहादुर तथा उसके धडे के मुआफिया माग कर आने और शिरोमणि कमेटी पर तिकडम से कब्जा करने की भरपूर निंदा की। उन्होंने एलान किया कि जब तक शिरोमणि कमेटी का चुनाव रद्द नही किया जाता और नया आम चुनाव नही कराया जाता, तब तक वे इसके फसलो को बिल्कुल स्वीकार नही करगे। स बहादुर ने अपने खिलाफ हमले की धार कुद करने के इरादे स कमेटी म दो प्रस्ताव पास करवाये एक यह कि शिरोमणि कमेटी के आम चुनाव अगस्त मे कराये जायेंगे, दूसरा यह कि जब तक सारे कैदी रिहा नही किये जायेंग, ये चन से नही बठेंगे। एक और प्रस्ताव के जरिये एक कानूनी महकमा कायम किया गया जिसका काम गुरुद्वारो के कानूनी मामलो की पैरवी करना था।

सरकारी रिपोट ने उक्त कमेटी के चुनाव का विश्लेषण इस प्रकार किया स महताब सिंह 'रावलपिंडी के खत्रियो के और अरोडो तथा मालवे की मदद म ताकत म आया है। उसने अपनी मर्जी के उप प्रधान और जनरल सेक्रेटरी *बनाये हैं तथा एक्जेक्यूटिव कमेटी मे अपना भारी बहुमत बना लिया है।* चभाल पार्टी के लगभग ५० ६० मेम्बर थे। उन्होंने भी भाग सिंह कनाडियन को प्रधान और मगन सिंह को जनरल सेक्रेटरी बना कर एक कमेटी बना ली है जिसने ढेर सारे जलस किय हैं। यह पार्टी ज्यादातर लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर, दहाती स्यालकोट, दुआबा और लायलपुर के जाटो की है। अकाली दल

का बहुलाश इस पार्टी के कब्जे मे है। अभी तक दोनो पार्टियो के बीच समझौते के कोई चिह्न नजर नही आते।"[1]

और इस रिपोट ने आखिरी परिणाम यह निकाला था कि "यह झगडा, एक तरफ अरोडो और खत्रियो, तथा दूसरी तरफ जाटो के बीच पक्का पाड बाधने का रूप धारण कर सकता है।" आरजी हल ढूढे जायेंगे, वाद विवाद रोकने के प्रयास किये जायेंगे, और "चुनाव कराओ" की चर्चा होगी। पर पक्का समझौता कोई नही हो सकेगा।

अग्रेज हाकिमो का पार्टियो का विश्लेषण करने का यही तरीका था। वे यही देखते थे कि कौन सी जातिया और बिरादरिया किस पार्टी के साथ हैं। गरीब मेहनतकश जमातो का व किसी गिनती मे शुमार नही करते थे। ऊपर की तखमीम के मामले मे मतभेद हो सकता है। पर अगर ध्यान से देखा जाय तो अग्रेजो के विश्लेषण से अकाली दल का देहात म ज्यादा जोर दिखायी देता है, और स बहादुर पार्टी का बहुत कम। अगर सग्राम की दृष्टि से देखा जाय तो अकाली पार्टी की पीठ पर सग्रामियो की भारी बहुसख्या थी—अकाली लहर का धुरा जाट ही थे—और स बहादुर की पार्टी के साथ लडाकू स्पिरिट वाले कम लोग थे।

इस विश्लेषण से भी आखिरी फतह अकाली दल पार्टी को ही मिलती थी, सरदार बहादुर की पार्टी को नही।

२ पथक एकता का नारा

इन दिनो 'पथक एकता' का नारा बडे जोरो से चला। पथक एकता का भावुक नारा बहुत मनमोहक और दिल को लुभाने वाला है। पर, यह लगता उस वक्त है जब एक धडा किसी अडगे म आ जाता है और इस अडगे मे से निकलने के लिए वह इस नारे के पर्दे के पीछे शतरज की चालें चलता है तथा मुखालिफ धडे म खलबली पदा करने के यत्न करता है। स बहादुर के धडे की इखलाकी और धार्मिक कमजोरी का अकाली पार्टी के लीडर लगातार लाभ उठा रहे थे। उनका नारा—'कमेटी के नये चुनाव कराओ'—सिखो म बडी काट कर रहा था। इसलिए माच मे श्रोमणि कमेटी की कायकारिणी ने 'पथक एकता की खातिर' नये चुनाव कराने का फैसला किया और स मगल सिंह को चुनाव कराने वाली सब-कमेटी मे ले लिया।

दोनो धडो का ध्यान इस वक्त गुरुद्वारा सेंट्रल बोड मे बहुमत हासिल करने पर लगा था। यह चुनाव जीतने के लिए श्रोमणि कमेटी एक अच्छा हथियार

१ फाइल ११२/फरवरी १९२९ (मासिक रिपोट)

बन सकती थी। इसलिए अकाली पार्टी इस पर कब्जा करना चाहती थी। वह चाहती थी कि श्रोमणि कमेटी के चुनाव, गुरुद्वारा सेंट्रल बोर्ड के चुनाव से पहले हो जायें ताकि श्रोमणि कमेटी पर कब्जा करके इसके सत्कार और वकार को सेंट्रल बोर्ड के चुनाव जीतने के वास्ते इस्तेमाल किया जा सके। पर श्रोमणि कमेटी पर हावी धड़ा खुद इसे इस्तेमाल करके बोर्ड पर कब्जा हासिल करना चाहता था। दोनों धड़े एक दूसरे की चालों को समझ रहे थे और पंथक एकता की शह देकर एक दूसरे को मात देना चाहते थे।

स मंगल सिंह ने इस सब-कमेटी की तरफ से एलान किया कि श्रोमणि कमेटी के चुनाव के लिए ११ अप्रैल को मतदान होगा। पर उसकी इस कारवाई को तत्काल रद्द कर दिया गया। इस पर उसने सब-कमेटी से इस्तीफा दे दिया। इस हमले को रोकने के लिए स बहादुर ने श्रोमणि कमेटी की प्रधानता से इस्तीफा दे दिया और करतार सिंह दीवाना को प्रधान बना दिया। स बहादुर के इस्तीफा देने के पीछे समझदारी यह थी कि उसके प्रधान होने के कारण उसकी पार्टी और श्रोमणि कमेटी पर जो जाती हमले हो रहे थे वे बन्द हो जायें और वह पीछे रह कर काम चलाता रहे। इन इस्तीफों के कारण वाद विवाद और भी ज्यादा तीव्र हो गया। फलत सेंट्रल बोर्ड के चुनावों से पहले श्रोमणि कमेटी के चुनाव की बातें आयी गयी हो गयी।

२८ मार्च को श्रोमणि कमेटी का आम इजलास हुआ। इसमे दोनों धड़ों ने हिस्सा लिया। लगभग १९६ सदस्य उपस्थित थे। इस इजलास ने स महताब सिंह के इस्तीफे को नामजूर कर दिया। उसने उसे प्रधान बने रहने के लिए मना लिया और फैसला किया गया कि कमेटी के चुनाव नही कराये जायेंगे।

गावों मे स बहादुर की पार्टी की बड़ी मिट्टी पलीद की जा रही थी। कोई कहता था कि इसने सिख 'कौम" के लिए अपयश कमाया है। कोई कहता था यह नया ध्यान सिंह और तेजा सिंह पैदा हुआ है जिसने सिखों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। जिन लोगों को सभ्य बातें कहना नही आती थी वे स बहादुर का नाम लेकर सीधे गालियां देते थे। आम देहातों मे स महताब सिंह का नाम बहुत बदनाम हो गया था।

इस दौरान वाद विवाद बंद करने के कई समझौते हुए, जो सिरे न चढ़े। कई लोग समझौता कराने के लिए अपने आप बिचौलिये बन कर आये। लेकिन उनकी किसी ने न सुनी। एक धड़े के अखबारों ने, दूसरे धड़े के अखबारों पर आरोप लगाये कि पहले समझौता उन्होंने" तोड़ा था। वाद विवाद कम होने के बजाय बढ़ते ही गये। न कोई उसूल बचा था, न कोई शिष्टाचार। नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करके उनके आचरण का 'तलवारीकरण' किया जा रहा था। बहस बहुत नीचे स्तर तक उतर आयी थी।

३ सरबत्त कान्फ्रेंस

२१ अप्रेल को अकाली दल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसने २१-२२ मई को 'सरबत्त कान्फ्रेंस' बुलाने का फैसला किया। उसका मुख्य एजेंडा था पंथ की वर्तमान दशा पर विचार करना। साफ जाहिर था कि अकाली पार्टी के लीडर यह कान्फ्रेंस स० बहादुर की पार्टी की मिट्टी पलीद करने के लिए बुला रहे थे। स० बहादुर की पार्टी को इस कान्फ्रेंस की चिंता हो उठना स्वाभाविक बात थी। लिहाजा समझौते का रास्ता निकालने के यत्न फिर शुरू हो गये। यह भार बाबा गुरदित्त सिंह ने अपने कंधों पर लिया। झगड़ा समाप्त करने का रास्ता यह निकाला गया कि अकाली पार्टी 'सरबत्त कान्फ्रेंस' का विचार छोड़ दे, सेंट्रल बोर्ड के उम्मीदवार यह वचन दें कि चुने जाने के बाद वे सारे अकाली लीडरों की बिना शर्त रिहाई के लिए काम करेंगे। अगर वे रिहाइयां न करा सके तो बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे। यह बात भी सिरे न चढ़ी। शिरोमणि कमेटी के मेम्बरों ने एलान कर दिया कि वे 'सरबत्त कान्फ्रेंस' में शामिल नहीं होंगे इसलिए यह 'सरबत्त कान्फ्रेंस' सिखों की प्रतिनिधि नहीं रहेगी।

इस वक्त एक पार्टी दूसरी पार्टी की आंखों में धूल झोंकने के पूरे प्रयत्न कर रही थी। अकाली दल, जो गुरुद्वारों के मोर्चों के संबंध में शिरोमणि कमेटी के आदेशों पर लगातार फूल चढ़ाता रहा था, अब उसे आंखें दिखाने लगा था। स० बहादुर वगैरा के वक्त तक ये दोनों जत्थेबंदियां बिल्कुल मिल कर चलती रही थीं। अब ये अलहदा-अलहदा होने के रास्ते पर चल पड़ीं। स० महताब सिंह के कब्जे में आयी शिरोमणि कमेटी पर से शिरोमणि दल का विश्वास उठता जाता था। अकाली दल शिरोमणि कमेटी की चालों को शक की नजर से देखने लगा था। कमेटी भी अकाली दल को शक की नजरों से देखती थी।

शिरोमणि कमेटी की ओर से एलान किया गया कि कमेटी के चुनाव मई के अंत में कराये जायेंगे। यह स० बहादुर की पार्टी की तरफ से धोखे की एक नई चाल थी। कारण यह कि इस चुनाव से पहले सेंट्रल बोर्ड के उम्मीदवारों की नियुक्तियां हो चुकनी थीं और इन उम्मीदवारों के नाम स० बहादुर की पार्टी को निश्चित करने थे। अकाली दल के लीडर भी सोये हुए नहीं थे। उन्होंने फौरन इस चाल को भांप लिया और चुनावों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।

समझौते की बातें कई बार टूटीं और कई बार फिर शुरू हुईं। यह सिलसिला कभी खत्म होने को नहीं आया। पर, इस समय तक अकाली दल के लीडर इस परिणाम पर पहुंच चुके थे कि शिरोमणि कमेटी पर कब्जे की उम्मीद छोड़ दी जाय। शिरोमणि कमेटी के मुकाबले सेंट्रल बोर्ड के चुनाव शिरोमणि अकाली दल की तरफ से लड़े जायें—इसे मुख्य बात रख कर १० मई

को अकाली दल के आम इजलास की मीटिंग की गयी। इसमें जरयेबन्दी को मजबूत करने के कदम उठाये गये और आम सभा की ११० की संख्या पूरी करने के लिए सब इलाकों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने में हुए नये मेम्बर बनाये गये। नये मेम्बर बनाने में कप्तान स महताब सिंह और ज्ञानी शेर सिंह के नाम भी पेश हुए। पर किसी ने भी इस सुझाव को गम्भीरता से न लिया।

४ शिरोमणि अकाली दल की गल्ती

स महताब सिंह की पार्टी 'सरबत्त कान्फ्रेंस' में फसने से बहुत डरती थी। उसे डराने के लिए अकाली दल के लीडर 'सरबत्त कान्फ्रेंस' की कभी कोई ता कभी कोई तिथि निश्चित कर देते थे। और सरदार बहादुर की पार्टी की तरफ से समझौते की फिर कोई-न-कोई नई तजवीज आ जाती थी। एक बार मध्यस्थों के जरिये समझौते की बात शुरू हुई। सरदार मगल सिंह और ज्ञानी शेर सिंह ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किये जिसका सार यह था कि जलसों और अखबारों में एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा बन्द किया जाय, सरबत्त कान्फ्रेंस की बैठक और शिरोमणि कमेटी के चुनाव स्थगित किये जायें तथा जो भी फैसला मध्यस्थ दें उसे दोनों धड़े दिल से स्वीकार करें। लेकिन न तो कोई सालिस इकट्ठे हुए, न ही कोई फैसला हुआ। झगडा जारी रहा।

सरबत्त कान्फ्रेंस' मुल्तवी करने पर अकाली दल ने अपने प्रधान स अमर सिंह चभाल पर अनुशासन की कारवाई की। इस पर उसने और स मगल सिंह ने इस्तीफे दे दिये। बाबा गुरदित्त सिंह कोमागाटामारू नया प्रधान चुना गया और फैसला किया गया कि अगर २७ मई तक दोनों धड़ों में कोई समझौता नहीं हुआ तो १० ११ जून को 'सरबत्त कान्फ्रेंस' बुला ली जाय तथा शिरोमणि कमेटी २६ ३० मई के अपने चुनाव यदि अकाली जत्थों के जरिये न कराये, तो उसके चुनाव नाजायज करार दिये जायें।

पंथक एकता के भावुक नारे के आधार पर कभी कोई पायेदार और पक्का समझौता नहीं हुआ। अव्वल तो ऐसा समझौता होता ही नहीं, और अगर होता तो ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकता था। किसी समझौते के पायेदार होने के लिए एक ठोस तफसीली कार्यक्रम पर सहमति होना और साथ ही उस पर ईमानदारी से अमल का अहद करना जरूरी और मुख्य शर्तें हैं। फलत न कोई समझौता होना था न हुआ। सरदार बहादुर की पार्टी ने चुनाव करा कर शिरोमणि कमेटी पर पक्की तरह अपना कब्जा जमा लिया। उधर अकाली दल ने भी सरबत्त कान्फ्रेंस' का इजलास बुला लिया।

कान्फ्रेंस के परिणामों से स्पष्ट हो गया कि सरबत्त कान्फ्रेंस' बुलाना

अकाली दल की गलती थी। एक तो यह बुलायी ही नही जानी चाहिए थी। दूसरे, अगर बुलायी भी गयी थी तो इसकी सफलता के लिए जो तैयारी, जो दूरदर्शितापूर्ण सूझबूझ और व्योंतबदी जरूरी थी, वह सब इस्तेमाल नही की गयी थी। कान्फ्रेंस बेएहतियाती के हवाले कर दी गयी। अकाली दल की भारी ताकत के होते हुए—अगर उसने सोच विचार कर सब-कुछ पहले से ही तय कर लिया होता—उसकी अपनी पालिसी के खिलाफ फैसले नही हो सकते थे। मगर कान्फ्रेंस मे हुआ वह जो अकाली दल नहीं चाहता था। इस कान्फ्रेंस म स अमर सिंह चभाल और स मगल सिंह ने कोई दिलचस्पी नही दिखायी थी।

श्रोमणि अकाली दल ने महाराजा को गद्दी पर बहाल कराने की मुहिम नही छोडी थी। श्रोमणि कमेटी के "शर्तें मानन वाले" लीडरो ने इस मुहिम को छोड दिया था। अकाली दल ने श्रोमणि कमटी के लीडरो को भी आमन्त्रित किया था कि वे 'सरबत्त कान्फ्रेंस' में आकर बतायें कि महाराजा नाभा सबधी प्रस्ताव के बारे म उनकी स्थिति क्या है। बाबा गुरदित्त सिंह स्वागत कमेटी के प्रधान थे। उन्होंने अकाली दल के फैसले के बगैर ही महाराजा नाभा को कान्फ्रेंस का प्रधान बनने का निमत्रण दे दिया। महाराजा ने धन्यवाद देते हुए, प्रधान बनना अस्वीकार कर दिया। पर अकाली दल ने बाबा जी से इस बात की मुआफी मगवायी कि उन्होंने निमत्रण अपने आप क्यों दिया। कान्फ्रेंस के प्रधान स अवतार सिंह बैरिस्टर गुजरावाला थे।

सरबत्त कान्फ्रेंस म उपस्थिति लगभग तीन हजार थी। सरकारी रिपोर्ट उपस्थिति २५०० बताती है। इसमें गडगज्ज अकाली दीवान और सेंट्रल माझा दीवान के अतिवादी प्रतिनिधि भारी सख्या मे पहुचे थे। उन्होने एक तरह से कान्फ्रेंस पर कब्जा कर लिया था। इसमे गुरुद्वारा एक्ट को नामजूर करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। एक और फैसले के जरिये श्रोमणि कमेटी से गुरुद्वारो का कब्जा ले लेने के लिए २१ आदमियो की एक कमेटी बना दी गयी। वोटो की स्थिति ७०३ और २६१ थी। प्रधान ने पजाब से बाहर के गुरुद्वारे हासिल करने के लिए जत्थेबदी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया। बाबा जी ने कहा कि कैदियो को बिना शर्त रिहा कराने के लिए एक लाख अकालियो को जेल म जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक प्रस्ताव महाराजा नभा की बहाली के लिए भी पास किया गया।

गुरुद्वारा बिल को नामजूर करने और गुरुद्वारो पर जबरन कब्जा करने के प्रस्ताव श्रोमणि अकाली दल की पालिसी के विरुद्ध थे। इसलिए, अकाली दल के पास इनकी निन्दा करने के अलावा दूसरा कोई चारा नही था। अकाली दल एक गलत स्थिति में फस गया था। इन प्रस्तावो को रद्द करके ही इससे निकाला जा सकता था। अकाली दल ने यह कान्फ्रेंस की थी ताकत हासिल करने के लिए।

लेकिन कान्फ्रेंस ने अकाली दल के सतकार और वकार को वडी हद तक चोट ही पहुचायी । अकाली दल को इस समय तक विश्वास नही था कि सिखा की वहुत ज्यादा सख्या—श्रोमणि कमेटी की तुलना मे—उसके पीछे है और शर्तें मान कर वाहर आने के कारण श्रोमणि कमेटी के लीडरो की पहले वाली शान और इज्जत अब नही रह गयी थी ।

५ दरबार साहब मे पुलिस

'सरवत्त कान्फ्रेंस का सहारा लेकर मूल सिंह चविंडा, रिसालदार तारा सिंह तथा कुछ अ य गडगज्ज अकाली दीवान के सदस्यो ने गुरुद्वारो पर कब्जा करने का बधान बाधा । १७ जून की शाम को एक छोटा-सा जत्था श्रोमणि गुरद्वारा प्रवधक कमेटी के दफ्तर पर कब्जा करने के लिए अकाल तख्त से रवाना हुआ । श्रोमणि कमेटी के सेवादार पहले से ही तैयार थे । नौबत सिर्फ हाथापाई तक पहुची । १८ जून को कुछ अकाली अकाल तख्त पर पहुचे और माग की कि दरबार साहब की चाबिया उनके हवाले की जायें । इन्कार करने पर उन्होने सेवादारो के साथ लडाई शुरू कर दी । बात हाथापाई से बढ कर सोटियो और लाठियो तक पहुच गयी । कुछ आदमी जख्मी हो गये और एक की बाह टूट गयी । तमाशबीन बहुत थे पर झगडा बन्द कराने के लिए कोई भी मैदान मे न उतरा ।

'प्रो जोध सिंह और ज्ञानी शेर सिंह ने पुलिस के हस्तक्षेप की माग की । डी सी को इत्तला दी गयी । उसने पुलिस की सहायता के लिए एक ब्रिटिश कम्पनी मगवा ली और खुद दरबार साहब के अन्दर आ गया । दरबार साहब मे दफा १४४ लगा दी गयी । उसने तमाशबीनो से अकाल तख्त मे हट जाने के लिए कहा ताकि वह फसाद के लिए जिम्मेदार आदमियो को पकड सके ।'[1]

इसके बाद पुलिस अकाल तख्त पर चढ गयी । अन्दर आने वाली गली पर पहरा लगा दिया गया । कुछ अकालियो ने अकाल तख्त को छोडने से इन्कार कर दिया । पर थोडी वहा मुनी के बाद उन्हें पकड लिया गया । जो अकाल तख्त के ऊपर चढ गये थे उन्हें भी वर्दीधारी और गैर वर्दी पुलिस ने पकड लिया । इन गिरफ्तारियों के बाद उन लोगो को भी पकड लिया गया जो श्रोमणि कमेटी के दफ्तर पर कब्जा करने गये थे । इस तरह दोनो जगहो से ६२ अकाली पकड लिये गये । मूल सिंह चविंडा और रिसालदार तारा सिंह भी इन ६२ मे थे । अकाल तख्त पर श्रोमणि कमेटी का कब्जा बहाल हो गया । दरबार साहब कमेटी की मांग पर गवनमेंट ने मुआवजा ले कर कुछ दिन के लिए दरबार साहब मे पुलिस तैनात कर दी ।

[1] फाइल ११२/४—१९३६ जून महीने की मासिक रिपोर्ट

इक्तालीसवां अध्याय

सेंट्रल बोर्ड के चुनाव

इस तरह, न तो कोई समझौता हो सका, न ही सेंट्रल बोड के चुनाव के लिए उम्मीदवारो की कोई सयुक्त सूची तैयार हो सकी। चुनाव लडने के लिए मैदान मे तीन पार्टिया थी जिन्होंने अपने अपने उम्मीदवार खडे किये थे श्रोमणि अकाली दल, श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी और हली की सुधार कमेटी।

श्रोमणि कमेटी ने इस चुनाव के लिए एक लाख रुपये से कुछ ऊपर की राशि हाथ म कर ली थी। सरकार की एक रिपोट इसकी तस्दीक करती है "भरोसे योग्य वसीले से पता चला है कि पक्के डिपाजिट खाते से श्रोमणि कमेटी ने ५० हजार रुपये से ज्यादा रकम निकाल ली है, ताकि यह रकम चुनाव मुहिम पर खच की जा सके और मुखालिफो के प्रचार का मुकाबला किया जा सके। कुछ जिलो मे श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी और हेली की सुधार कमेटियो के उम्मीदवारो के बीच समझौता हो गया है, ताकि इस किस्म की तिकोनी लडाई न लडी जाय जिसका अकाली अतिवादी उम्मीदवारो को लाभ पहुचे।"[1]

इस रकम के अलावा कमेटी के लीडरो के पास बडे-बडे आसामी थे जिनके लिए पाच-पाच, दस-दस हजार रुपये देना मामूली बात थी।

ऊपर की रिपोट मे अकाली पार्टी के बारे मे ये शब्द लिखे गये "दूसरी तरफ अकाली पार्टी महाराजा नाभा को गद्दी पर बैठाने के लिए दुबारा एजीटेशन खडी कर रही है जो—यह फज करने के लिए कारण मौजूद है—उन्हे माली इमदाद दे रहा है।" इस वाक्य की बनावट से महाराजा द्वारा माली इमदाद की बात पक्की नही मालूम होती, यो ही फज की गयी प्रतीत होती है—जब कि श्रोमणि कमेटी के पास रुपयो की बात "भरोसे योग्य वसीले" के साथ कही गयी है और रुपया हासिल करने का जरिया भी बताया गया है।

तीसरी पार्टी जैलदारो, सफेदपोशो, आनरेरी या तनखादार मजिस्ट्रेटो और हर प्रकार के सरकारपरस्तो की थी। इसे रुपयो और सरकारी इमदाद

१ फाइल न ११२/४/१९२६ मई महीने की दूसरी पाक्षिक रिपोट

की कोई कमी नही थी, क्योंकि यह जमी ही ब्रिटिश राज की कोख से थी।

इनके अलावा गिनती के कुछ आजाद उम्मीदवार भी सेंट्रल बोर्ड के चुनाव मे हिस्सा ले रहे थे।

हेली की सुधार कमेटी के उम्मीदवारो को लोग सुनना तक नही चाहते थे। इनके जलसे बहुत कम होते थे, जो होते भी थे, उनम हाजिरी बहुत कम होती थी। इन जलसो म लोग कोई सवाल उठाते थे, तो सुधार कमेटी के मेम्बर जवाब नही दे पाते थे। कुछ अकाली जलसों म इन्होंने गड़बड़ी मचाने की भी कोशिश की थी, जिसके कारण आम लोगो ने इनकी खासी पिटायी की। धुलेता (जलधर) के अकाली जलसे में "सुधारिया" के एक या दो आदमियों ने शोर शराबा मचाने का यत्न भी किया था। यह जलसा खास तौर पर १६ मई के चुनाव प्रचार के लिए रखा गया था। प्रसिद्ध नेता बचित सिंह रुड़का कला और उसके साथियो ने शोर मचाने वालो की अच्छी तरह पिटायी की थी, जिस पर पुलिस झटपट उनकी इमदाद के लिए पहुच गयी। उन्होने बचित सिंह और उसके कुछ अन्य साथियो को पकड लिया तथा मुकदमा चला कर दो दो साल के लिए जेल भेज दिया।

१८ जून को सेंट्रल बोड के चुनाव के लिए वोट पडने शुरू हो गये। इस चुनाव के सबध मे सरकार का पूर्वानुमान इस प्रकार था "अनुमान है कि अकाली पार्टी माझे और दुआबे मे बहुमत हासिल कर लेगी—इन इलाको मे ही इसकी असली ताकत है। बताया जाता है कि अमृतसर जिले मे सिखो का भारी बहुमत एक्ट के अधीन, कानून के मुताबिक, गुरद्वारो के प्रबध के लिए एक मजबूत कमेटी की स्थापना का स्वागत करेगा। दूसरे हिस्सों म नरमख्याल पार्टी के चुनाव मे अच्छे रगरूट दिखायी देते हैं।"[1]

उपर्युक्त विश्लेषण म, अमृतसर को माझा से अलग करने का यत्न समझ मे आता है। सुधार कमेटी द्वारा सबसे ज्यादा शोर इसी जिले मे मचाया जाता था। सरकार ने ज्यादातर मुरब्बे और इनाम इसी जिले मे सुधार कमेटी के कार्यकर्ताओ को बाटे थे। इस तमाम पक्षपात के बावजूद, सुधार कमेटी और सरदार बहादुर की पार्टी के सारे उम्मीदवार इस जिले मे नाकामयाब हो गये।

सुधार कमेटी वाले तो किसी तीन-तेरह मे ही नहीं आते थे।

अकाली पार्टी को भी पूरा यकीन नहीं था कि उसे सेंट्रल बोड के चुनाव मे —भारी बहुमत की तो बात ही छोडिए—मामूली बहुमत भी हासिल हो जायगा। सरदार बहादुर की पार्टी अपने लिए बहुमत की उम्मीद लगाये बैठी थी। सेंट्रल बोड पर कब्जा जमा कर गवनमेट की यह ख्वाहिश पूरी करने

१ उक्त १६ से ३० जून तक की पाक्षिक रिपोट

के हेतु वह पूरा जोर लगा रही थी कि सरदार बहादुर की नमख्याल पार्टी गुरुद्वारा का कन्ट्रोल अपने हाथ मे ले और सरकार के साथ पूरे सहयोग तथा तालमेल से चले।

१ चुनाव के हथकडे

इस चुनाव में वे सब बदनाम तरीके अख्तियार किये गये, जो आजकल विधान सभा और लोक सभा के चुनावो मे इस्तेमाल किये जाते नजर आते हैं। भ्रष्टाचार की कोई भी ऐसी किस्म नही थी जो इस चुनाव मे इस्तेमाल न की गयी हो। चुनाव जीतो—अच्छे और बुरे तरीको की कोई परवाह नही करो। चुनाव की कामयाबी से ज्यादा बडी दूसरी कोई कामयाबी नही।— मानो यही धर्म बन गया था।

सरदार बहादुर कानूनी नुक्ते उठाने म बडे होशियार थे। मास्टर तारा सिंह और अमर सिंह वासू के नामाकन इसलिए रद्द कर दिये गये कि वे फार्म देने के लिए खुद पेश नही हुए थे। वासू वाले क्षेत्र में—कप्तान राम सिंह जी को बैठा कर—सरदार बहादुर जी बिना मुकाबले सफल हो गये। मास्टर जी वाले क्षेत्र मे ज्ञानी शेर सिंह जी को खाली मैदान मिल गया। भगत जसवत सिंह, स गुरदित्त सिंह, और स बख्शी सिंह के मुकाबले मे खडे उम्मीदवारो के कागज भी रद्द कर दिये गये। इस तरह ये तीन भी बिना किसी मुकाबले के मेम्बर बन गये। स बहादुर की पार्टी की शुरूआत बहुत बढिया हो गयी। उन्हें उम्मीदें फलीभूत होती नजर आने लगी। पर उनकी उम्मीदो पर पानी फिर गया।

'स बहादुर की पार्टी ने श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी के नाम का, गुरुद्वारे का और कमेटी के मुलाजिमो का अपने धडे की मदद के लिए खुले आम इस्तेमाल किया और पथ का साझा रुपया केवल एक पार्टी को कामयाब बनाने के लिए पानी की तरह बहाया। इतना ही नही, सरकारी अफसर और सुधार कमेटी वाले अपना सारा असर-रसूक इस पार्टी को कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे—यानी एक तरफ श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी, सुधार कमेटी और सरकारी अफसरो का रसूक, रुपया और आदमी थे, और दूसरी तरफ गरीब अकाली इन जबदस्त ताकतो का अकेले मुकाबला कर रहे थे।'"[1]

यह बात माननी मुश्किल है कि अकाली पार्टी वाले नग धडग थे, उनके हाथ बिल्कुल पाक-साफ थे और उनमे से अमीर आदमियो ने ऊपर के सब या कुछ भ्रष्टाचारी तरीके नही अपनाये होंगे। अपनाये जरूर होंगे, पर अपनी

१ अकाली ते प्रदेसी, ४ जुलाई १९२६ (सम्पादकीय)

की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यह जन्मी ही ब्रिटिश राज की कोख से थी।

इनके अलावा सिक्खों के कुछ आजाद उम्मीदवार भी सेंट्रल बोर्ड के चुनाव में हिस्सा ले रहे थे।

रेनी की सुधार कमेटी के उम्मीदवारों को लोग सुनना तक नहीं चाहते थे। इनके जलसे बहुत कम होते थे जो होते भी थे उनमें हाजिरी बहुत कम होती थी। इन जलसों में लोग कोई सवाल उठाते थे, तो सुधार कमेटी के मेम्बर जवाब नहीं दे पाते थे। कुछ अकाली जलसों में इन्होंने गड़बड़ी मचाने की भी कोशिश की थी जिसके कारण आम लोगों ने इनकी भारी निन्दा की। चुहेड़ा (जलंधर) के अकाली जलसे में 'सुधारियों' के एक या दो साथियों ने शोर शराबा मचाने का यत्न भी किया था। यह जलसा खास तौर पर १९ मई के चुनाव प्रचार के लिए रखा गया था। प्रसिद्ध नेता बचित सिंह ग्यानी वहां और उनके साथियों ने शोर मचाने वालों की अच्छी तरह निन्दा की थी, जिस पर पुलिस झटपट उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुँच गयी। उसने बचित सिंह और उनके कुछ अन्य साथियों को पकड़ लिया तथा मुकदमा चला कर दो दो साल के लिए जेल भेज दिया।

१८ जून को सेंट्रल बोर्ड के चुनाव के लिए वोट पड़ने शुरू हो गये। इस चुनाव के संबंध में सरकार का पूर्वानुमान इस प्रकार था: 'अनुमान है कि अकाली पार्टी माझे और दुआबे में बहुमत हासिल कर लेगी—इन इलाकों में ही इसकी असली ताकत है। बताया जाता है कि अमृतसर जिले में सिक्खों का भारी बहुमत एक्ट के अधीन, कानून के मुताबिक, गुरद्वारों के प्रबंध के लिए एक मजबूत कमेटी की स्थापना का स्वागत करेगा। दूसरे हिस्सों में नरमख्याल पार्टी के चुनाव में अच्छे रिजल्ट दिखायी देते हैं।'[1]

उपर्युक्त विश्लेषण में अमृतसर को माझा से अलग करने का यत्न समझ में आता है। सुधार कमेटी द्वारा सबसे ज्यादा शोर इसी जिले में मचाया जाता था। सरकार ने ज्यादातर मुरब्बे और इनाम इसी जिले में सुधार कमेटी के कार्यकर्ताओं को बांटे थे। इस तमाम पक्षपात के बावजूद सुधार कमेटी और सरदार बहादुर की पार्टी के सारे उम्मीदवार इस जिले में नाकामयाब हो गये।

सुधार कमेटी वाले तो किसी तीन-तेरह में ही नहीं आते थे।

अकाली पार्टी को भी पूरा यकीन नहीं था कि उसे सेंट्रल बोर्ड के चुनाव में —भारी बहुमत की तो बात ही छोड़िए—मामूली बहुमत भी हासिल हो जायगा। सरदार बहादुर की पार्टी अपने लिए बहुमत की उम्मीद लगाये बैठी थी। सेंट्रल बोर्ड पर कब्जा जमा कर गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश पूरी करने

१ उक्त १६ से ३० जून तक की पाक्षिक रिपोर्ट

के हेतु वह पूरा जोर लगा रही थी कि सरदार बहादुर की नमख्याल पार्टी गुरुद्वारो का कट्रोल अपने हाथ मे ले और सरकार के साथ पूरे सहयोग तथा तालमेल से चले।

१ चुनाव के हथकडे

इस चुनाव में वे सब बदनाम तरीके अख्तियार किये गये, जो आजकल विधान सभा और लोक सभा के चुनावो मे इस्तेमाल किये जाते नजर आते हैं। भ्रष्टाचार की कोई भी ऐसी किस्म नही थी, जो इस चुनाव मे इस्तेमाल न की गयी हो। चुनाव जीतो—अच्छे और बुरे तरीको की कोई परवाह नही करो! चुनाव की कामयाबी से ज्यादा बडी दूसरी कोई कामयाबी नही!—मानो यही धर्म बन गया था।

सरदार बहादुर कानूनी नुक्ते उठाने मे बडे होशियार थे। मास्टर तारा सिंह और अमर सिंह वासू के नामाकन इसलिए रद्द कर दिये गये कि वे फार्म देने के लिए खुद पेश नही हुए थे। वासू वाले क्षेत्र मे—कप्तान राम सिंह जी को बैठा कर—सरदार बहादुर जी बिना मुकाबले सफल हो गये। मास्टर जी वाले क्षेत्र मे ज्ञानी शेर सिंह जी को खाली मैदान मिल गया। भगत जसवत सिंह, स गुरदित्त सिंह, और स बख्शी सिंह के मुकाबले मे खडे उम्मीदवारो के कागज भी रद्द कर दिये गये। इस तरह ये तीन भी बिना किसी मुकाबले के मेम्बर बन गये। स बहादुर की पार्टी की शुरूआत बहुत बढिया हो गयी। उन्हें उम्मीदें फलीभूत होती नजर आने लगी। पर उनकी उम्मीदो पर पानी फिर गया।

"स बहादुर की पार्टी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी के नाम का, गुरुद्वारे का और कमेटी के मुलाजिमो का अपने धडे की मदद के लिए खुले आम इस्तेमाल किया और पथ का साझा रुपया केवल एक पार्टी का कामयाब बनाने के लिए पानी की तरह बहाया। इतना ही नही, सरकारी अफसर और सुधार कमेटी वाले अपना सारा असर रसूक इस पार्टी को कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे—यानी एक तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी, सुधार कमेटी और सरकारी अफसरो का रसूक, रुपया और आदमी थे, और दूसरी तरफ गरीब अकाली इन जबरदस्त ताकतो का अकेले मुकाबला कर रहे थे।"[1]

यह बात माननी मुश्किल है कि 'अकाली पार्टी वाले नग धडग थे, उनके हाथ बिल्कुल पाक-साफ थे और उनमे से अमीर आदमियो ने ऊपर के सब या कुछ भ्रष्टाचारी तरीके नही अपनाये होंगे। अपनाये जरूर होंगे, पर अपनी

१ अकाली ते प्रदेसी, ४ जुलाई १९२६ (सम्पादकीय)

सामर्थ्य के अनुसार। और यह सामर्थ्य कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। असल म यह सिख जनता का जबदस्त उभार था, जो उनका बेडा पार लगा गया।

२ चुनाव के नतीजे

चुनाव के परिणामो ने स्पष्ट कर दिया कि आम सिख, स बहादुर की पार्टी को पसद नही करते थे। शर्तें मान कर आन के कारण, ये लोग आम लोगो के मना से उतर गये थे और लोग उन्हें सरकारी पार्टी समझने लगे थे। सेंट्रल बोड की शिकस्त असल मे उनके प्रति अविश्वास का वोट थी। पर वे अभी भी बहुमत हासिल करने के लिए जाड-तोड कर रहे थे और अपने कामयाब मेम्बरा की सख्या ६७ बताते थे। इसका एक कारण शायद यह था कि वे अकाली पार्टी के कई मेम्बरो को अपना मेम्बर समझ बैठे थे। दूसरा यह कि वे समझते थे कि सुधारवादी और आजाद मेम्बरो को अपने साथ मिला लेने म वे सफल हो जायेंगे, रियासतो के नामजद मेम्बर तो होंगे ही उनके। इस तरह उनकी समझ यह थी कि सेंट्रल बोड पर कब्जा करके वे फिर सर्वेसर्वा बन जायेंगे। पर यह तो दोपहर के स्वप्न थे—न पूरे होने वाले स्वप्न !

श्रोमणि अकाली दल ने अपने सफल हुए ८४ ८५ मम्बरा की जिलेवार लिस्ट प्रकाशित कर दी और स बहादुर की पार्टी को चुनौती दनी शुरू की कि वह अपने मेम्बरो की लिस्ट प्रकाशित करे। अकाली पार्टी के मेम्बरा ने खुल्लमखुल्ला कहना और लिखना शुरू किया कि वे अकाली दल के टिकट पर कामयाब हुए हैं, वे पूरी तरह अकाली दल के साथ हैं और उसके प्रति वफादार हैं। अकाली दल के सदस्यो ने गलतफहमी की कोई गुजाइश नही रहने दी। लाहौर अकाली साजिश केस के स भाग सिह वकील स गुरचरण सिह वकील और जत्थेदार तेजा सिह जेल में बैठे हुए ही चुन लिये गये थे।

पार्टियो के मेम्बरो की सख्या इस प्रकार थी श्रोमणि अकाली दल ८५, श्रोमणि कमेटी २६, हेली सुधार कमेटी ५, और आजाद ४। कुल १२०। श्रोमणि अकाली दल की जीत एकदम साफ थी। कोई हेरा फेरी, कोई गिनती विनती, इस जीत को हार मे नही बदल सकती थी।

वह श्रोमणि कमेटी, जिसके प्रस्ताव की हैसियत धार्मिक फतवे की थी और जिसके आह्वान पर लोग हथेलियो पर जान रख कर मैदान म कूद पडते थे, लोगा के मनो मे अब इतनी उतर गयी थी कि उन्होंने उसके उम्मीदवारो को अपना वोट देना तक गवारा न किया। इसका कारण यह था कि श्रोमणि कमेटी पर कब्जा किये बैठे लीडर अंग्रेज साम्राज्य के सामने हथियार डाल चुके थे और अपने साथियो को जेल म छोड कर बाहर भाग गये थे।

बयालीसवां अध्याय

स॰ तेजा सिंह समुद्री का देहांत

अकाली पार्टी की जीतो ने साजिश केस के जेल मे कैद लीडरो पर बडा अच्छा प्रभाव डाला। सरकार की शर्तों को ठुकराने और उसके आगे न झुकने की उनकी वीरता ने भी इस चुनाव की जीतो मे अपना योगदान किया था। इसलिए वे बडे खुश थे कि सिख जनता ने स बहादुर की पार्टी को सरकारी शर्तें मानने का 'इनाम' दे दिया है—पथ के लिए यही हितकर था, ब्रिटिश सरकार के आगे घुटने टेकने वालो का यही हश्र होना चाहिए था।

पर पथ की खुशिया अधूरी रह गयी। सूखे आसमान से यकायक बिजली सी गिरी। स तेजा सिंह समुद्री अदालत मे गवाह भुगता कर, हसते हुए दोस्तो से मुलाकातें करते हुए सेंट्रल जेल के अदर गये पुराने कपडे उतारे, नये पहने और अपने साथियो से कहने लगे—मेरी बायी बाह से दर्द उठ कर कलेजे को आ रहा है। बस, पाच छ मिनट मे ही वह अपने साथियो और पथ को पीछे छोड कर ससार से विदा हो गये।

यह बडी दुखद घटना थी। जेल से किये गये टेलीफोनो और तारो पर अमृतसर के अकाली लीडरो ने काफी देर तक यकीन ही न किया। उन्होंने इसे झूठ समझा और कहा कि यह किसी दुश्मन की शरारत है। पर यह किसी दुश्मन की शरारत नही थी। वह ठीक ही देह छोड गये थे।

१८ जुलाई १९२६ को उनके शरीर को जेल के फाटक से बाहर निकाला गया। जेल के उनके साथियो ने आसुओ से अलविदा कहा और सूझी हुई आखें और दुख भरे दिल लेकर अदर चले गये।

उनकी देह का लाहौर शहर और अमृतसर मे जलूस निकाला गया। पथ ने उन्हें एक सच्चे वीर की तरह सम्मानित किया। वह थे ही सच्चे शूर-वीर! वह अकाली तहरीक के श्रेष्ठ नेताओ मे से थे। उनका नाम पहले ही ३६ मेम्बरो मे दर्ज था। एक सुलझे हुए नेता के तमाम गुण उनमें मौजूद थे। जत्थेबदी का ताना-बाना बनाने और सभालने का जितना उन्हें तजुर्बा था, उतना शायद उस वक्त किसी लीडर को नही था। चाबियो के मोर्चे के वक्त या गुरू के बाग के मोर्चे के वक्त—जब भी कभी आदमियो को भेजने की कमी

महसूस होती, वह रातो रात अपने आदमी भेजवा कर कमी पूरी कर देते। तेजा सिंह जी अकाली तहरीक से उस समय छिन गये, जब मैदान फतह कर लिया गया था और सकारात्मक कार्यों के लिए उनके तजुर्बे की बड़ी जरूरत थी।

आप किसी भी किस्म की शर्तें मानने के खिलाफ थे और कहा करते थे या तो हम बिना शर्त रिहा होंगे या हमारी लाशें ही जेल से बाहर निकलेंगी। आपने अपना वचन पूरा किया।[1] गवर्नमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में दर्ज किया था "बाकी अतिवादी टोलिया के लिए उसकी मौत एक करारी चोट होगी।"

●

1 तेजा सिंह समुद्री की आयु ४४ साल, चार महीने, २२ दिन थी। पिता का नाम स देवा सिंह, माता का नाम नंद कौर था। जन्म स्थान गुज राय (अंदरून सरहाली—अमृतसर) था। पिता रिसालदार मेजर थे। समुद्री में उन्हें चक १४० में मुरब्बे मिले हुए थे। तेजा सिंह खुद रिसाला न २२ में दफेदार के रूप में भर्ती हुए थे, पर तीन साल के बाद नौकरी छोड़ कर काश्तकारी करने लगे। वह दसवीं कक्षा तक पढ़े थे, पर बुद्धि बड़ी तेज थी। वह सिखों के अधुल कनाम आजाद थे। उन्होंने सरहाली और लायलपुर में खालसा हाई स्कूल खोलने में आगे बढ़ कर योगदान किया था और चक १४० में मिडिल स्कूल खोला था। आप सिंह सभा में हिस्सा लेते रहे थे और सरदार हरचंद सिंह के साथी थे। ननकाना साहब के गोलीकांड के बाद आप गुरुद्वारा तहरीक को सारा समय देने लगे। चाबियों के मोर्चे में आप सरदार खड़क सिंह के साथ पकड़े गये थे।

इस साजिश से पहले, गवर्नमेंट 'सिख साजिश' के नाम के अंतर्गत मसाला इकट्ठा कर रही थी। उसमें आपके बारे में लिखा है "जब १९२३ में श्रोमणि कमेटी वजूद में आयी तो उनको उप प्रधान और वर्किंग कमेटी का मेम्बर बना लिया गया। श्रोमणि अकाली दल ने उन्हें अपना मेम्बर नामजद कर लिया। नाभा एजीटेशन में उन्होंने आगे बढ़ कर काम किया। वह पंजाब सूबा कांग्रेस के उप प्रधान थे। उन्होंने शर्तें देने से इन्कार किया और दूसरों को भी प्रेरणा दी कि वे कोई शर्तें न दें।"

आपने रकाबगंज की दीवार दुबारा बनवाने की एजीटेशन में बड़ा हिस्सा लिया और इस बारे में चीफ खालसा दीवान ने जलंधर की सिख एजुकेशनल कान्फ्रेंस में प्रस्ताव पेश करने की जब आज्ञा नहीं दी, तो आप स हरचंद सिंह तथा कुछ अन्य के साथ क्रोध से उठ कर बाहर चले गये थे। आप अकाली अखबार को शुरू करने वालों के साथ थे और जब ओरिंग और किंग ने चालीस हजार रुपये के हर्जाने का अकाली पर दावा किया, तो आपने एक मुरब्बा जमीन लिख कर दे दी।

सरदार तेजा सिंह जी समुन्द्री

(SGPC)

सैंतालीसवां अध्याय

रिहाइयां नहीं होंगी

तेजा सिंह चूहड़काणा के शर्तें मान कर बाहर जाने के बाद सरकार ने शायद यह सोचा था कि बाकी मुजरिमों में से भी कुछ शर्तें मान कर रिहा हो जायेंगे। इसलिए उसने अकाली साजिश केस के जेल में बन्द नेताओं की रिहाई के बारे में अपना रवैया बड़ा सख्त कर लिया। वह इस बात पर जोर दे रही थी कि शर्तें दिये बगैर साजिश केस के लीडरों को और बाकी कैदियों को, रिहा नहीं किया जायगा। असल में, इस सख्त रवैये के पीछे राजनीति काम कर रही थी। यह थी रिहा किये गये नमख्याल नेताओं को अपने पांव पर खड़ा होने का मौका दिया जाय।

पंडित मदन मोहन मालवीय ने १९२६ के शुरू में सेंट्रल असेम्बली में सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिए दो प्रस्ताव पेश किये थे एक स खड़क सिंह की रिहाई के बारे में, दूसरा आम गुरद्वारा कैदियों और किले में बंद नेताओं की रिहाई के बारे में। स खड़क सिंह की रिहाई के लिए १९२४ में असेम्बली ने एक गैर-सरकारी प्रस्ताव पास भी कर दिया था। पर सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया। उन दिनों असम्बली के गैर सरकारी प्रस्तावों की कोई कीमत नहीं होती थी। कारण यह कि सारी ताकत केंद्रीय सक्रेटारियट के हाथों में केंद्रित थी। केंद्रीय सेक्रेटारियट जो फैसला ले लेता, वायसराय आम तौर पर उसी पर दस्तखत कर देता था। इस बार तो सरकार ने फैसला यह कर लिया था कि स खड़क सिंह की रिहाई के बारे में अगर कोई प्रस्ताव पेश होने को हो, तो उसे पेश ही न होने दिया जाय।

जहां तक आम रिहाइयों के बारे में प्रस्ताव की बात है, उस के बारे में होम सेक्रेटरी मीरार ने नोट लिखा "यह प्रस्ताव वर्तमान स्थिति के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। स महताब सिंह और दूसरे १९ अकाली जवानी शर्तें दे कर रिहा हो गये हैं। स महताब सिंह शिरोमणि कमेटी के प्रधान के ओहदे पर चुन लिये गये हैं। पर स मंगल सिंह जी की तरफ से उनका सख्त विरोध हो रहा है। उनका मकसद अतिवादी धड़े का कमेटी पर फिर से कंट्रोल

हासिल करना है। अकाली पंथ के १६ जिन्हें मुलजिम जिसमें अतिवादी धड़े से सबधित हैं। कोई भी प्रस्ताव, जो उनके हक में पास किया जायगा, उगरो नमख्याल तत्वों पर बड़ी गभीर प्रतिक्रिया होगी।"

अपने हाथ मजबूत करने के लिए तार के जरिये होम सेक्रेटरी ने इस प्रस्ताव के बारे म पजाब सरकार की राय पूछी। उसने जवाब दिया जिन लोगो ने शर्तें देने से इन्कार कर दिया है, उनका वर्तमान रवैया और उनके कुछ हिमायतियों की वे दलीलें जो खुल्लमखुल्ला उनकी तरफ से इस्तेमाल की जा रही हैं इस बात का उचित नहीं ठहराती कि उन पर लगायी गयी शर्तें उठा ली जायें।"

पजाब का वित्त मत्री जॉन मनार्ड साजिश केस के इन मुलजिमों को जेल के अदर वद रखने की दूसरी दलीलें दे रहा था। इतना बेवकूफ यह नहीं था कि लोगो के सामने वे ही दलीलें देता, जो होम सेक्रेटरी और कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी ने स महताब सिंह के नमरयाल धड़े को मजबूत करने के लिए, खुफिया मिसलो म, दी थी। उसने नई दलील यह गढ़ी थी कि साजिश केस के मुलजिमो को बिना शर्त रिहा करना, शर्तें मान कर रिहा होने वालो के साथ बेइन्साफी होगी, इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता।

पर गवनमट द्वारा रिहाइयाँ न करने का सवाल सेंट्रल बोर्ड के चुनाव म एक अहम सवाल बन गया था। कारण यह कि नमरयाल धड़े के लीडरो ने बड़े जोरो से लोगो मे यह दलील देनी शुरू कर दी थी कि अगर सेंट्रल बोर्ड के चुनाव म सरदार बहादुर का धड़ा जीत गया तो कोई भी मुलजिम या कैदी शर्तें दिये बिना रिहा नहीं किये जायेंगे, सरदार बहादुर की पार्टी गवनमट पर जोर डाल कर उन्हें तब तक जेलो मे ही रखेगी जब तक वे शर्तें नहीं मान लेते। शर्तों के विरुद्ध गमरयाल नेताओ की आम एजीटेशन और उक्त दलील ने महताब सिंह के धड़े को—और गवनमट की नमधड़ा-समथक पालिसी को—नाकाम बना दिया और दोनो की बुरी तरह शिकस्त हुई।

१ कुछ रिहाइयाँ हो गयीं

सेंट्रल बोर्ड के बाकायदा चुन लिये जाने के बाद, पजाब गवनमेंट के पास इसके अलावा और कोई चारा न रहा कि वह श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी, अकाली दल और उनसे सबद्ध जत्थेबंदियों को गैर-कानूनी करार देने वाला

१ क्रोरार, ४ २ २६ फाइल न २६/४—१६२६

२ आई एम डनेट, आफीशियेटिंग चीफ सेक्रेटरी, ११ फरवरी १६२६ फाइल न २७

अक्तूबर १६२३ का एलान वापस ले ले। गवनर हेली ने कौसिल मे अपनी स्पीच म यह वचन दिया भी था। शायद वह इस वचन से मुकर जाता—अगर आम हाकिमा ने रिहाइया के बारे मे उसके सख्त रवैये पर टीका टिप्पणी न की होती। अस्तु, गवनमट ने १३ सितबर १६२६ को वह एलान वापस ले लिया। इस तरह, कानून द्वारा कल तक बागी करार दी जा रही जमातें फिर कानून द्वारा स्वीकृत जमातें बन गयी।

साजिश का मुकदमा चलाने का बुनियादी आधार इन सिख जत्थेबदियो को बागी करार देना था। जब ये जत्थेबदिया ही कानून की नजरो मे बागी न रही, तो साजिश के मुकदमे के पैरो के नीचे से जमीन ही निकल गयी। बगैर पैरो के वह हवा मे लटकने लगा।

इससे पहले भी, २२ २३ अकाली रहनुमाओ के यह कहने पर बाहर चले जाने के कारण कि वे गुरुद्वारा एक्ट पर अमल करेंगे—मुकदमे मे कोई जान नही रह गयी थी।

स महताब सिह और उनके साथियो की स शत रिहाई से भी पहले दिल्ली की सेक्रेटारियट मे एक सक्रेटरी ने नोट लिख कर दिया था "अगर जेलो मे बद साजिश केस के अकाली शर्तें मान लें और बाकी शर्तें न मानें, तो उस रूप मे पोजीशन क्या होगी ? कुछ मुलजिमो के खिलाफ मुकदमे सिफ इस कारण वापस ले लेना कि उन्होने गवनमट की शर्तें मान ली हैं और दूसरो के खिलाफ मुकदमे वापस न लेना—इसको दरअसल जायज ठहराना मुश्किल होगा। मुझे कोई शक नही कि सर मैलकम हेली कहेंगे—'इसमे कुछ भी गलत नही और मैं नही समझता कि हिन्दुस्तान की गवनमट मे काम करने वाले हम लागा को इस नुक्ते पर जोर देकर कुछ कहने की जरूरत है।' पर (मैंने जो कहा है) यह भी एक नुक्ता है जिस पर पजाब गवनमेट को सोचना ही पडेगा।"[1]

उक्त नोट से साफ जाहिर है कि हेली की जिद के बारे मे सेक्रेटारियट के मेम्बरा की क्या राय थी। वे जानते थे कि कुछ आदमियो के शर्तें मान कर बाहर जाने से मुकदमे की गम्भीरता को धक्का लगता था तथा बाकी अकालियो को जेला मे बद रखना जायज नही ठहराया जा सकता था।

हेली की इच्छा यह थी कि अगर अकाली लीडर गुरुद्वारा बिल पर अमल करने की सीधी शत नही मानते, तो किसी जिम्मेदार ओहदेदार से इसके सम्बध म वचन ले लिया जाय ताकि वह बडी शान के साथ कह सके कि उसने

१ फाइल न १२०/३/१६२१ एक सेक्रेटरी का ६ ७ २५ का नोट (नाम नही पढ़ा जा सकता)

किसी अकाली लीडर को बगैर शर्तों के रिहा नहीं किया। पर उसकी यह चालाकी सिरे न चढ़ी।

प्रो रुचिराम जी, स मगल सिंह प्रधान श्रोमणि कमटी को सर गगाराम के पास ले गये। सर गगाराम ने बडे मीठे शब्दो म कहा 'आप मुझे केवल इतनी बात लिख कर दे दें कि जो गुरुद्वारा बिल पास हो चुका है, मैं उस पर तन मन स अमल करूगा।" सरदार जी सरकार की चाल समझ गये और उन्होने इस चालबाजी म फसने स इकार कर दिया। गवनमट अकाली लीडरो को छोडने के लिए 'बहाना' ढूढ़ती थी—पर उसकी यह चाल भी असफल हो गयी।[1]

बैरिस्टर (यानी कानूनदा) होने के नाते स महताब सिंह खुद अच्छी तरह जानता था कि उसके बाहर चले जाने के बाद साजिश के मुकदमे की रत्ती भर भी कीमत नही रह जायेगी। 'मैंने उससे (डी सी उगलवी से) कहा कि हमारे बाहर चले जाने के साथ ही बादशाह शहनशाह को हिन्दुस्तान की बादशाहत से महरूम करने की साजिश का आधा दजन असहयोगी जमात के खिलाफ चलाया जा रहा यह इतना बडा 'साजिश केस' हास्यस्पद बन जायगा।[2]

इस तरह अब गवनमट के सामने जेल मे बद बाकी लीडरो को बिना शत रिहा करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नही रह गया था। इसम गवनमेट की 'उदारता" का रत्ती भर भी अश नही था। गवनमेट की स्थिति हास्यास्पद बन गयी थी और वह मुकदमे के सफेद हाथी से छुटकारा हासिल करना चाहती थी।

फलत, २७ सितम्बर को सेंट्रल जेल लाहौर म बन्द बाकी १५ लीडरो को भी बिना शत रिहा कर दिया गया।

इन रिहाइयो के वक्त भी सबको एक साथ नही छोडा गया। राय सिंह और हरी सिंह जलधरी को कुछ दिन बाद रिहा किया गया। बहाना यह था कि उनके खिलाफ दूसरे मुकदमे भी हैं। स सेवा सिंह ठीकरीवाला को पटियाला जेल मे भेज दिया गया, जहा दुष्ट महाराजा पटियाला ने तक्लीफें देन्दे कर उसे जेल के अन्दर ही मार दिया—उसकी लोथ को ही बाहर जाने दिया।

इन नेताओ की रिहाइयो से अकाली पार्टी और भी मजबूत हो गयी। उसने जगह जगह इन नेताओ के जलूस निकाले। कारण यह कि यह अकाली पार्टी ही थी जिसने इनकी रिहाइया के लिए मुहिम चलायी थी। स्वाभाविक था कि

१ स मगल सिंह का हस्ताक्षरित बयान
२ सम काफीडेंशियल पेपस न १०० पृ १६१

रिहाइयो का श्रेय अकाली पार्टी को ही मिले। इस तरह, लगभग तीन साल तक चलने और लोगो की गाढी कमाई के लाखो रुपये बर्बाद करने के बाद यह केस खत्म हुआ।

२ बोर्ड की आरम्भिक मीटिंग

सेंट्रल बोड के चुने हुए सदस्यो की पहली मीटिंग ४ सितम्बर १९२६ को टाउन हाल अमृतसर मे हुई। मीटिंग कराने के लिए, एक्ट के मुताबिक, डी सी अमृतसर उपस्थित था। इस मीटिंग का एजेंडा यह था कि कारवाई चलाने के लिए प्रधान (चेयरमैन) का चुनाव किया जाय और १४ मेम्बरो को नामजद किया जाय। लगता है कि 'सरवत्त कान्फ्रेंस' के समय की गयी गलतियो और लापरवाही से अकाली दल के लीडरो ने कुछ सबक सीखे। उन्होने इस चुनाव के लिए तैयारिया बडे अच्छे ढग से की थी। चेयरमैन के चुनाव पर ही आगामी व्यवस्था का भविष्य निभर था।

चेयरमैन के लिए दो नाम तजवीज किये गये स जोगिदर सिह वकील रायपुर (अकाली पार्टी की सहायता से चुने हुए)—स बहादुर की पार्टी की तरफ से, और स मगल सिह—अकाली पार्टी की तरफ से। मेम्बरो ने वोट पर्चियो पर नाम लिख कर दिये। वोटो की गणना के बाद पता चला कि स मगल सिह को ८२ वोट मिले और स जोगिन्दर सिह को ५३। कारवाई चलाने के लिए सरदार मगल सिह को चेयरमैन बनाया गया। डेपुटी कमिश्नर अपना काम खत्म करके चला गया।

अब चेयरमैन ने नामजदगियो का काम शुरू किया। १४ मेम्बर चुने जाने थे, पर पेश हुए २२ के नाम। चुनाव 'इकहरे बदलने वाले वोट' (सिंगल ट्रासफरेबल वोट) के तरीके स हुआ। इसमें अकाली दल के ९ उम्मीदवार कामयाब हुए और सरदार बहादुर महताब सिह की पार्टी के ५।

३ बाकायदा मीटिंग

सेंट्रल बोड की पहली बाकायदा मीटिंग २ अक्तूबर को हुई। एक नामजद मेम्बर—स हजारा सिह जाभाराय—ने इस्तीफा दे दिया ताकि उनकी जगह मास्टर तारा सिह नामजद किये जा सकें। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा सेंट्रल बोड के पदाधिकारियो का चुनाव करना था। अकाली दल का बहुमत अब स्थापित और साबित हो चुका था, इसलिए चुनाव करने मे कोई खास मुश्किल पेश नही आयी। स खडक सिह जी सवसम्मति से प्रधान चुने गये और मास्टर तारा सिह जी उप प्रधान बना लिये गये।

मीटिंग शुरु होने पर ही स तेजा सिंह समुद्री के 'असामयिक निधन' पर शोक प्रस्ताव पास किया गया। वह गुरुद्वारा तहरीक के एक बानी थे। 'उनकी शहीदी से कभी न पूरी होने वाली रिक्तता पैदा हो गयी थी। उनके शोकाकुल परिवार के साथ हमदर्दी" प्रकट की गयी। उप प्रधान के चुनाव के बाद स मगल सिंह चेयरमैन ने प्रधानता की कुर्सी मास्टर तारा सिंह जी के हवाले कर दी और अगली कारवाई शुरू हुई।

प्रधान और उप प्रधान के अलावा एक्जेक्यूटिव कमेटी के लिए ७ लोग और चुने जाने थे। किन्तु नाम ८ के पेश हो गये। इसलिए वोट लेकर फैसला किया गया। चुने गये सात नाम थे (१) स मगल सिंह, (२) स भाग सिंह वकील, (३) स जसवत सिंह दानवाल, (४) स मान सिंह सरगोधा, (५) स कुदन सिंह ठेकेदार, (६) स महेन्द्र सिंह सिघवा, और (७) भानी गेर सिंह। पहले पाच लीडर अकाली पार्टी के थे और बाद के दो सरदार बहादुर की पार्टी के। शिकस्त खाने वाला मेम्बर सरदार बहादुर की पार्टी का था।[1]

इस मीटिंग ने सेंट्रल बोड का नाम बदल कर फिर श्रोमणि गुरद्वारा प्रबधक कमेटी नाम मजूर कर लिया। इस प्रस्ताव के खिलाफ किसी को वोट देने की हिम्मत न हुई। हेली को इस प्रसिद्ध जुझारू जत्थेबदी के नाम से बडी चिढ थी। इस चिढ के ठोस कारण भी थे। श्रोमणि गुरद्वारा प्रबधक कमेटी ने ताकतवर ब्रिटिश सरकार को लगभग आधे दजन बार मदान से भगाया था और जीतें हासिल करके उसकी शास को जबदस्त चाट पहुचायी थी। इसलिए ब्रिटिश राज के इस खूटे को श्रोमणि कमेटी पर बडा गुस्सा था और वह इस नाम को सुनना तक नही चाहता था। पर उसे यह कडवी गोली चुपचाप निगलनी पडी।

इस कारवाई के अलावा, बैठक ने तीन और महत्वपूण प्रस्ताव पास किये। एक प्रस्ताव जेला मे रह गये तमाम अकाली कैदियो की रिहाई के सबध मे था। प्रस्ताव के शब्द इस प्रकार थे

'गुरद्वारा सेंट्रल बाड की यह बैठक सरकार पर जोर डालती है कि पथ की इच्छा के अनुसार गुरुद्वारा सुधार लहर के १९१३ से लेकर सारे, नाभा के कदियो समेत, दूसरे रियासती कैदियो को रिहा किया जाय और उन सारे सज्जनो की शिकायतें दूर की जायें जिन्हें, किसी तरह की सख्ती की पालिसी के कारण गुरुद्वारा सुधार लहर म नुक्सान पहुचा है। जब तक सारे कदी रिहा नहीं किये जाते, सिख कौम म शाति होना असम्भव है।"

१ अकाली ते प्रदेसी, ४ ५ अक्तूबर १९२६

इस प्रस्ताव की भावना और शब्द प्रकट करते हैं कि इस वक्त श्रोमणि कमेटी की रुचि लड़ाई करके बाकी के कैदियों को छुडाने की नहीं थी, गुरुद्वारा एक्ट पर अमल करके जोर डालने की थी। दोनों धड़ों की सहमति से बनने के कारण प्रस्ताव नम्र और अपील करने वाला था।

दूसरा प्रस्ताव शर्तें न मानने और जेलों में डटे रहने वालों को बधाई देने का था। यह प्रस्ताव स मगर सिंह ने पेश किया था। प्रस्ताव के शब्द इस प्रकार थे

"सेंट्रल बोर्ड की यह मीटिंग उन शूर-वीरों को, जो गुरुद्वारा सुधार लहर में कैद हो कर पंथ की शान कायम रखने की खातिर अब तक जेलों में डटे हैं और जिन्होंने सरकार की तरफ से थोपी गयी जलील करने वाली शर्तें मान कर रिहा होना मंजूर नहीं किया, सच्चे दिल से बधाई देती है।"

इस प्रस्ताव ने कुछ वाद विवाद पैदा किया, क्योंकि यह शर्तें मान कर आने वालों की परोक्ष रूप से निंदा करता था। स्वाभाविक था कि इस प्रस्ताव पर कुछ ले दे होती। प्रस्ताव वैसे तो शर्तें न मान कर आने वालों को सम्बोधित करके बधाई देने का था और उन्हें जेलों में डटे रहने के लिए प्रोत्साहित करता था—पर चालाकी से सरदार बहादुर महताब सिंह की पार्टी की निंदा भी करता था।

इस प्रस्ताव पर, फलत, बड़ी तू तू मैं मैं हुई। एक-दूसरे को धमकियां देने तक की नौबत पहुंच गयी। स महताब सिंह ने गुस्से में आकर कहा—"स खड़क सिंह जी गुरुद्वारा (मुहिम के) कैदी नहीं हैं, वह कांग्रेस के मामले में कैद हुए थे।' इस पर वातावरण और भी गर्म हो गया। कारण यह कि स खड़क सिंह पर पहला मुकदमा असला कानून के अधीन लाइसेंस लिये बगैर कृपाण बना कर बेचने का था। पीछे हम स खड़क सिंह जी और उन पर चलाये गये मुकदमों के बारे में काफी बहस कर चुके हैं।

स मगर सिंह ने अपने प्रस्ताव का भाव स्पष्ट करते हुए कहा कि शर्तें मानने या न मानने के सवाल पर पंथ में फूट पड़ गयी है। पंथ की इस प्रतिनिधि संस्था का इस विषय में फैसला लेना जरूरी है ताकि आने वाली नस्लों और इतिहासकारों को शर्तों के संबंध में सिख कौम की राय का स्पष्ट शब्दों में पता चल जाय।

तीसरा प्रस्ताव स जसवंत सिंह चभाल के पेश करने पर पास किया गया "गुरुद्वारा सेंट्रल बोर्ड की यह बैठक स्वीकार करती है कि सेंट्रल बोर्ड की सारी कारवाई पंजाबी (गुरुमुखी) में की जाया करे।" इससे मिलता जुलता एक और प्रस्ताव अगले दिन स अर्जुन सिंह की तरफ से पेश किया गया और

पास हुआ "हर प्रकार की कारवाई मे देशी तारीखो और खालसा सवत का इस्तेमाल किया जाय तथा साथ ही अग्रेजी तारीखो का भी इस्तेमाल किया जाय।"

गुरुद्वारा बिल के आखिरी पाठ मे कौंसिल के सिख मेम्बरो ने यह तरमीम पेश की थी कि गुरुद्वारा बोर्ड की कारवाई पजाबी में की जाय। इस पर मुस्लिम मेम्बरो ने बडा हगामा खडा कर दिया था और सिख मेम्बरो के खिलाफ इलजाम लगाये थे कि वे चोर दरवाजे से पजाबी घुसडने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम मेम्बर उन दिनो पजाबी के विरोधी थे। वे समझते थे कि यह उर्दू को धक्का मारने का प्रयत्न है। किन्तु प्रो जोध सिंह ने बडी शाति के साथ उनके इलजामो के वाजिब जवाब देकर उन्हें ठडा किया और सेंट्रल बोर्ड की कारवाई पजाबी मे लिखनी मजूर कर ली गयी। बिल की उसी मद के अधीन यह प्रस्ताव पास किया गया था।

३ अक्तूबर को सेंट्रल बोर्ड (दफा ८५ गुरुद्वारा एक्ट) के अधीन मुख्य गुरुद्वारो की कमेटियो के निर्विरोध चुनाव हो गये। निम्नलिखित मेम्बर चुने गये

(अ) दरबार साहब, बाबा अटल और अमृतसर शहर के अन्य गुरुद्वारे

(१) मास्टर तारा सिंह, (२) स रत्न सिंह अम्बाला, (३) स जवाहर सिंह बुज (तीनो अकाली पार्टी के), (४) स बख्शीश सिंह लुधियाना (सरदार बहादुर की पार्टी के), और (५) प्रो अरबेल सिंह (रियासती मेम्बर)।

(आ) दरबार साहब तरनतारन तथा शहर के अन्य गुरुद्वारे

(१) स हजारा सिंह जी जामाराय, (२) स तेजा सिंह घविंड (अकाली पार्टी के), और (३) स बचित्तर सिंह पटियाला (सरदार बहादुर की पार्टी के)।

(इ) ननकाना साहब के सिख गुरुद्वारे

(१) स बूटा सिंह वकील शेखूपुरा, स वरियाम सिंह गरमूला (गुजरावाला), स दलीप सिंह समुद्री (तीनो अकाली पार्टी के), (४) स बहादुर महताब सिंह, और (५) करतार सिंह दीवाना (सरदार बहादुर की पार्टी के)।

(ई) आनन्दपुर के सिख गुरुद्वारे (श्री केशगढ़ को छोड़ कर)

(१) नानी राम सिंह मनाइया, (२) स चनण सिंह शकर (दोनो अकाली पार्टी के), और (३) भाई प्यारा सिंह लगेरी (सरदार बहादुर की पार्टी के)।

(उ) पजा साहब के गुरुद्वारे

(१) मास्टर सुजान सिंह सरहाली, (२) मुशी गोपाल सिंह रावलपिंडी।

पचासीसवां अध्याय

हेली की मजबूरी

इन केन्द्रीय ऐतिहासिक गुरुद्वारो को सीधे गुरुद्वारा सेंट्रल बोर्ड के अधीन करा लेना बहुत बडी बात थी। हेली कतई नही चाहता था कि केन्द्रीय जत्थेबदी के हाथो मे कोई भी ताकत जाने दी जाय—न तो गुरुद्वारो के धन की, और न ही बडे ऐतिहासिक गुरुद्वारो पर कट्रोल की। वह चाहता था कि विकेन्द्रीकरण का उसूल इस्तेमाल करके सारी ताकत स्थानीय कमेटियो के हाथ मे दे दी जाय और केन्द्र तथा स्थानीय कमेटियो के बीच लडाई और मुकदमेबाजी चलती रहे। केन्द्रीय जत्थेबदी के हाथो मे ताकत आने के—राजनीतिक करणा से—वह सख्त खिलाफ था।

गुरुद्वारा बिल पर विचार के समय वह खुद दिल्ली की सरकार को एक नोट मे लिखता है "अगर सम्भव होता तो हम केंद्रीय जत्थेबदी को कानूनी मान्यता से मुक्त करके बडे खुश होते। पर इसके इतिहास के इस दौर मे यह बात साफ तौर पर असम्भव है। हमे मशविरा दिया गया था कि वे सिख भी, जो शिरोमणि कमेटी के विरोधी हैं किसी ऐसे बिल से सहमत नही होंगे जो केंद्रीय नियत्रण वाली जत्थेबदी से मुक्त होने का यत्न करेगा।"[1]

हेली के ख्याल में उन (हाकिमो) के पास इस जबदस्त दलील का कोई उचित जवाब नहीं था कि कोई भी स्थानीय कमेटी दरबार साहब और अकाल तख्त का कुशलता के साथ नियत्रण नही कर सकती है। इसलिए इन सस्थाओ का प्रबध करने के लिए आम सिखो की चुनी हुई केन्द्रीय प्रतिनिधि जत्थेबदी की जरूरत होगी। हेली का यह ख्याल था कि कानून के जरिये एक जाति के लिए मजबूत मजहबी जत्थेबदी पैदा करने के राजनीतिक खतरे के बारे मे कोई कुछ भी महसूस क्यो न करे, इस दौर मे ऐसे बिल पर विचार करना जिसमे केन्द्रीय सिख मजहबी जत्थेबदी के लिए कोई जगह न हो, असभव बात है। इसका एक ही विकल्प हो सकता है। वह यह कि गुरुद्वारा कानून बनाने का ख्याल ही छोड दिया जाय और शिरोमणि कमेटी को, जैसी कि वह है, कायम

१ फाइल न १२० और के डब्ल्यू भाग ४ १९२५

पास हुआ "हर प्रकार की कारवाई में देसी तारीख और खालसा संवत का इस्तेमाल किया जाय तथा साथ ही अंग्रेजी तारीख का भी इस्तेमाल किया जाय।"

गुरुद्वारा बिल के आखिरी पाठ म कौंसिल के सिख मेम्बरो ने यह तरमीम पेश की थी कि गुरुद्वारा बोर्ड की कारवाई पजाबी म की जाय। इस पर मुस्लिम मेम्बरो ने बडा हगामा खडा कर दिया था और सिख मेम्बरो के खिलाफ इलजाम लगाये थे कि वे चोर दरवाजे से पजाबी घुमडने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम मेम्बर उन दिनो पजाबी के विरोधी थे। वे समझते थे कि यह उर्दू को धक्का मारने का प्रयत्न है। किन्तु प्रो जोध सिंह ने बडी शांति के साथ उनके इलजामो के वाजिब जवाब देकर उन्हें ठडा किया और सेंट्रल बोर्ड की कारवाई पजाबी म लिखनी मजूर कर ली गयी। बिल की उसी मद के अधीन यह प्रस्ताव पास किया गया था।

३ अक्तूबर को सेंट्रल बोर्ड (दफा ८५ गुरद्वारा एक्ट) के अधीन मुख्य गुरुद्वारो की कमेटिया के निर्विरोध चुनाव हो गये। निम्नलिखित मेम्बर चुने गये

(अ) दरबार साहब, बाबा अटल और अमृतसर शहर के अन्य गुरुद्वारे

(१) मास्टर तारा सिंह, (२) स रत्न सिंह अम्बाला, (३) स जवाहर सिंह बुज (तीनो अकाली पार्टी के), (४) स बरशीश सिंह लुधियाना (सरदार बहादुर की पार्टी के), और (५) प्रो अरबेल सिंह (रियासती मेम्बर)।

(आ) दरबार साहब तरनतारन तथा शहर के अन्य गुरुद्वारे

(१) स हजारा सिंह जी जामाराय, (२) स तेजा सिंह चविंड (अकाली पार्टी के), और (३) स बचित्तर सिंह पटियाला (सरदार बहादुर की पार्टी के)।

(इ) ननकाना साहब के सिख गुरुद्वारे

(१) स बूटा सिंह वकील शेखूपुरा, स वरियाम सिंह गरमूला (गुजरावाला), स दलीप सिंह समुद्री (तीनो अकाली पार्टी के), (४) स बहादुर महताब सिंह, और (५) करतार सिंह दीवाना (सरदार बहादुर की पार्टी के)।

(ई) आनन्दपुर के सिख गुरुद्वारे (श्री केशगढ़ को छोड़ कर)

(१) ज्ञानी राम सिंह मनाइया, (२) स चन्नण सिंह शकर (दोनो अकाली पार्टी के), और (३) भाई प्यारा सिंह लगेरी (सरदार बहादुर की पार्टी के)।

(उ) पजा साहब के गुरुद्वारे

(१) मास्टर सुजान सिंह सरहाली, (२) मुशी गोपाल सिंह रावलपिंडी।

हेली की मजबूरी

इन केन्द्रीय ऐतिहासिक गुरुद्वारो को सीधे गुरुद्वारा सेंट्रल बोर्ड के अधीन करा लेना बहुत बडी बात थी। हेली कतई नही चाहता था कि केन्द्रीय जत्थेबदी के हाथो मे कोई भी ताकत जाने दी जाय—न तो गुरुद्वारो के धन की, और न ही बडे ऐतिहासिक गुरुद्वारो पर कट्रोल की। वह चाहता था कि विकेन्द्रीकरण का उसूल इस्तेमाल करके सारी ताकत स्थानीय कमेटियो के हाथ मे दे दी जाय और केन्द्र तथा स्थानीय कमेटियो के बीच लडाई और मुकदमेबाजी चलती रहे। केन्द्रीय जत्थेबदी के हाथो मे ताकत आने के—राजनीतिक करणा से—वह सख्त खिलाफ था।

गुरुद्वारा बिल पर विचार के समय वह खुद दिल्ली की सरकार को एक नोट मे लिखता है "अगर सम्भव होता तो हम केंद्रीय जत्थेबदी को कानूनी मान्यता से मुक्त करके बडे खुश होते। पर इसके इतिहास के इस दौर मे यह बात साफ तौर पर असम्भव है। हमे मशविरा दिया गया था कि वे सिख भी, जो शिरोमणि कमेटी के विरोधी हैं किसी ऐसे बिल से सहमत नही होंगे जो केंद्रीय नियत्रण वाली जत्थेबदी से मुक्त होने का यत्न करेगा।"[1]

हेली के ख्याल में उन (हाकिमो) के पास इस जबदस्त दलील का कोई उचित जवाब नही था कि कोई भी स्थानीय कमेटी दरबार साहब और अकाल तख्त का कुशलता के साथ नियत्रण नही कर सकती है। इसलिए इन सस्थाओ का प्रबध करने के लिए आम सिखो की चुनी हुई केन्द्रीय प्रतिनिधि जत्थेबदी की जरूरत होगी। हेली का यह ख्याल था कि कानून के जरिये एक जाति के लिए मजबूत मजहबी जत्थेबदी पैदा करने के राजनीतिक खतरे के बारे मे कोई कुछ भी महसूस क्यो न करे, इस दौर मे ऐसे बिल पर विचार करना जिसमे केन्द्रीय सिख मजहबी जत्थेबदी के लिए कोई जगह न हो असभव बात है। इसका एक ही विकल्प हो सकता है। वह यह कि गुरुद्वारा कानून बनाने का ख्याल ही छोड दिया जाय और शिरोमणि कमेटी को, जैसी कि वह है, कायम

१ फाइल न १२० और के डब्ल्यू भाग ४ १९२५

रहने दिया जाय तथा उसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बेलगाम हाथों खर्च करने की खुली छूट दे दी जाय।

साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट—सिक्खों का या अन्य किसी का—कोई मजबूत केन्द्र नहीं बनने देना चाहती थी, क्योंकि यह केन्द्र ब्रिटिश राज के खिलाफ किसी वक्त भी राजनीतिक खतरा बन सकता था। ब्रिटिश हाकिम अपने राज की मजबूती की गारंटी इस बात में देखते थे कि कोई मजहबी या राजनीतिक केन्द्र वजूद में ही न आने दिया जाय—मजबूत केन्द्र का तो क्या सोचना।

गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती थी कि गुरुद्वारा का पैसा किसी प्रकार भी गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाय। गवर्नमेंट ने एक्ट में इसका पूरी तरह बंदोबस्त भी कर लिया था। एक्ट की दफाओं में दर्ज था कि (१) गुरुद्वारा का पैसा धर्म से सम्बन्ध रखने वाली मदों पर ही खर्च किया जायगा—यानी यह गुरुद्वारा प्रबंध, प्रचार, गुरुद्वारों की नयी या पुरानी इमारतों, धार्मिक पुस्तकों के छापने आदि पर ही खर्च होगा अन्यत्र कहीं नहीं (२) गुरुद्वारों के फंडों और खर्चों का बाकायदा हिसाब किताब रखा जायगा और ऑडीटर के जरिये इनके हिसाब की साल-ब-साल पूरी तरह जांच करायी जायगी और इसे छाप कर प्रकाशित किया जायगा, (३) गुरुद्वारा के प्रबंधकों की फिजूल खर्ची के खिलाफ स्थानीय गुरुद्वारा के सिक्खों को कानूनी कारवाई करने का हक होगा।

किन्तु कानून कितनी ही सख्त पाबन्दियां क्यों न लगाये धार्मिक कामों पर खर्च के अलावा बाकी राजनीतिक या दूसरे गैर धार्मिक खर्चों को रोकने की कितनी ही कोशिश क्या न करे खर्च करने वाले प्रबंधक रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। साम्राजी या सरमायेदारी समाज में आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें चालाक आदमियों के लिए यहां-वहां खामियां ढूंढना मुश्किल हो गया हो और उन्होंने मनमानी कारवाइयां न की हों।

१ गुरुद्वारा तहरीक की समाप्ति

स्थानीय कमेटियों के मेम्बरों के भी चुनाव हो गये थे। दोनों धड़ों के बीच समझौतों के आधार पर नामजदगियां कर ली गयी थीं। जहां यही समझौते नहीं हो सके थे वहां अकाली पार्टी के मेम्बर नामजद हो गये थे। गुरुद्वारों की प्रधानता का पद लगभग हर जगह अकाली पार्टी के हाथ में आ गया था। कानून की तरमीम होने के बाद सेंट्रल बोर्ड का नाम निकाल दिया गया था। श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसकी जगह ले ली थी।

कमेटी के प्रधान स. खड़क सिंह जी अभी जेल में ही थे। दूसरे सैंकड़ों अकाली भी जेलों की अमानुषिक यातनाएं झेल रहे थे। उनकी रिहाइयों के लिए

प्रस्ताव पास किये जा रह थे। पर सरकार उन्हे रिहा नही कर रही थी, वे आहिस्ता आहिस्ता अपनी सजाए भुगत कर रिहा होते जाते थे। मास्टर तारा सिह ने श्रोमणि कमेटी के प्रधान का काय सभाल लिया था।

गडगज्ज अकाली दीवान वाले अभी भी शोर मचाये जा रहे थे। उनकी नजरो मे अकाली तहरीक पूरी तरह कामयाब नही हुई थी—लीडरो ने कमजोरी दिखा कर पथ की शान मिट्टी में मिला दी थी। पर उनकी आवाज दिना दिन मद्धिम पडती जा रही थी। आम अकाली कमरकसे खोलने लगे थे और छोडे हुए काम धधो मे फिर जुटने लगे थे।

यो ही कहीं-कही आवाज उठती थी कि जब तक सारे अकाली छोडे जायें, गुरुद्वारा एक्ट पर अमल न किया जाय। पर गुरुद्वारा एक्ट पर अमल शुरू हो गया था और मतभेद रखने वालो की ओर कोई भी ध्यान नही दे रहा था। इतनी बडी तहरीक मे कुछ लोगो का विपरीत राय रखना समझ में आने वाली बात है। धूल के बादल, जो अकाली तहरीक के दौरान उठे थे, आहिस्ता आहिस्ता धरती पर बैठने लगे थे। आकाश निमल हो चला था।

४ नवबर को सरदार बहादुर की प्रधानता वाली श्रोमणि कमेटी की बैठक हुई। उसने फसला किया कि कमेटी का चाज सेंट्रल बोड को दे दिया जाय और कमेटी तोड दी जाय। पर, गवर्नमेंट की रिपोट के अनुसार, उनका दिल चाज देने को नही करता था। वे ज्यो-त्यो करके वक्त टालना चाहते थे।[1] उधर सेंट्रल बोड मे बहुमत वाले लोग माग कर रहे थे कि गुरुद्वारे उनके हवाले कर दिये जायें और सरदार बहादुर वाली श्रोमणि कमेटी का फातिहा पढ दिया जाय।

अन्तत परस्पर समझौते के मुताबिक कमेटी ने २७ नवम्बर को गुरुद्वारा का चाज सेंट्रल बोड को दे दिया। हा, चाज तो दिया, पर हिसाब कोई न दिया। इस वक्त बोड के पास कोई पैसा धेला नही था। उधर, कमेटी का सेक्रेटरी महेन्दर सिंह सिधवा टालमटोल कर रहा था। बहुत झगडे के बाद, सेंट्रल बोड के पदाधिकारियो को ८००० रुपये मिले। इस समय माली तौर पर सेंट्रल बोड की हालत बडी खस्ता थी।

५ दिसम्बर को श्रोमणि अकाली दल की जनरल कमेटी ने सरदार खडक सिह और बाकी अकालियो की बिना शत रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया। इसमे 'हर जायज और शातिमय तरीके से मुनासिब कारवाई" करने पर जोर दिया गया था।[2] इसका अथ यह था कि "जत्थेबधक सीधी कारवाई" का

१ फाइल न ११२/१९२६ नवम्बर महीने का पहला पखवाडा
२ अकाली ते प्रदेसी, ११ दिसम्बर १९२६

रास्ता छोड़ दिया गया था और शांतिमय आन्दोलन का कानूनी रास्ता अपना लिया गया था। हालात की रफ्तार असाधारण से साधारण बनने की तरफ थी।

इस प्रस्ताव के पास होने पर सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया था कि 'रिहाइयों की एजीटेशन को ऐसे लोग कानून के दायरे के अन्दर रखने के इच्छुक हैं।'[1]

इस तरह इस महान तहरीक ने गुरद्वारा पर पंथ का कब्जा कराया और अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करके समाप्त होने की ओर बढ़ चली।

●

१ फाइल नं ११२/४—१९२६ दिसम्बर का दूसरा पखवाड़ा

पैतालीसवां अध्याय

अकाली लहर और पंजाबी साहित्य

अकाली लहर ने पजाबी साहित्य मे नयी रचना को बहुत प्रोत्साहित किया। पजाबी गद्य और कविता मे बडी शिथिलता आ गयी थी। वफादारी ने आजाद-ख्याली का गला घोट दिया था। नये विचारो का आदान प्रदान हमारे लिए बन्द कर दिया गया था। देशभक्ति, अग्रेज भक्ति का पर्याय बन गयी थी। अग्रेज सरकार के खिलाफ कोई भी, किसी किस्म का भी, मोर्चा लगाना हमारे लिए बन्द था। इस तरह, साहित्य को प्रोत्साहित और उत्तेजित करने के स्रोत एक तरह से सूख गये प्रतीत होते थे।

इन स्रोतो पर लगे अवरोध तोड कर इन्हे फिर से उन्मुक्त किया अकाली मोर्चों ने। पतझड के दिन खत्म हो गये, नई कलिया और नई फूल पत्तिया छिटकनी शुरू हो गयी। बहार आने के साथ हमारी बुलबुलें चहकने लगी। पजाबी साहित्य के गुलशन पर बहार आ गयी जिसने पजाबी साहित्य की झोली रग बिरगे फूलों और गुलाबो से भरनी शुरू कर दी।

पजाबी साहित्य का विकास, एक बडी हद तक, मोर्चों द्वारा हुआ है। अकाली मोर्चों ने, हमारे पजाबी साहित्य को तरक्की की मजिल की तरफ और आगे बढा दिया। गुरुद्वारा आजादी और देशभक्ति के गीतो का आलाप शुरू हो गया। चाबियो का मोर्चा हो या गुरु के बाग का, नाभे की गद्दी का सवाल हो या जैतो के अखड पाठ का, देश की आजादी का सवाल हो या शान्तिमय सत्याग्रह का—हमारे नौजवान कवियो ने हर विषय पर अपनी कविता द्वारा अपने उद्गार प्रकट किये। रूप अच्छा नही था तो न सही, पर, दिली बलबलो और भावनाओं की अतवस्तु अच्छी थी।

इस नई परम्परा के जन्मदाता थे, अकाली अखबार और उसके एक एडीटर हीरा सिंह दर्द'। हीरा सिंह 'दर्द' की गुरुद्वारा आजादी और देशभक्ति की कविताओ ने पजाबी साहित्य मे नई जान डाल दी। आज ये पढी जायें तो हमारे कई साहित्यकार इन पर शायद नाक भौं चढायें, पर उस वक्त ये कविताए बगावत की रूह भरती थी और नये कवियो को कवितायें लिखने को प्रेरित करने मे बडी सहायक होती थी। विधाता सिंह 'तीर' ने अपनी पुस्तक तीर

तरग और दशन सिंह 'दलजीत' ने अपनी पुस्तक बिजली दी कड़क हीरा सिंह 'दद' को समर्पित की थी। उनकी रचना शैली का प्रभाव आम कवियो ने स्वीकार किया था।

अकाली के पहले अक मे ही 'दद' ने एक कविता लिखी जो पजाबियों की सही भावनाओ को मुखर करती थी। उन्होने लिखा

अक्खीं वेख बेअदबी[1] हुंदी, धीर न कोई सहार सके,
जिसने शीश तली ते धरिया, उसनू कोई न मार सके।
जीउदे होण अकाली[2] वरगे, कौम कदे ना हार सके
ना कोई उसदा कानज खोहे न कोई खोह दरबार सके।
इक अकाली आखों यारो बन गयी कौम पराली जे,
अक्खा खोलो ढिल्लड धीरो कौम गरकदी जांदी जे।
कुर्बानी दा अमृत पा के गरत सोई जिवायेगा,
ठूठा पडके दरदर मंगण वाली झूर हटायेगा।
आवणे उते भरोसा रखणा ऐसा याद करायेगा,
असी हिंद ते हिंद असाडा, बच्चा बच्चा गायेगा।
दूर होणगे सारे दुखड़े वरतेगी खुशहाली जे,
अक्खा खोलो ढिल्लड धीरो आ गया फेर अकाली जे।[3]

इस नये काव्यात्मक उभार ने कानून की सब बदिशें और पाबदिया तोड दी। कवियो ने निभय हो कर गुरुद्वारो और देश की आजादी के लिए जोशीली कवितायें लिखी। ये कवितायें अकाली मोर्चों से प्रभावित होकर लिखी गयी थी। इन्होने अकाली मोर्चों को विशालतर जत्थेबद व सफल बनाने म सहायता की तथा लोगो को इन मोर्चों मे शामिल होकर कुर्बानी करने को अनुप्राणित किया।

इन कवियो की पुस्तकें जब्त कर ली गयी। इन्हे बडी सख्त सजायें दी गयी। पर अपने आदश के पीछे मतवाले जवान—कैदो और जेलो की तकलीफो को मामूली बात समझते हैं। अकाली लहर ने विधाता सिंह 'तीर', अवतार सिंह आजाद' गुरुमुख सिंह 'मुसाफिर', फीरोजदीन 'सफ', रणजीत सिंह 'ताजवर' अमर सिंह 'सफ्दर रघुबीर सिंह वीर', सूरत सिंह 'जोगी अजन सिंह गडगज्ज वगरा, दजनो कवि पदा किये। इनमे से कुछ अय के नाम पाठको को 'जब्त कितावें' शीपक परिशिष्ट और सम्बधित पुस्तको मे मिलेंगे।

१ गुरुद्वारा की बेअदबी
२ अकाली फूला सिंह
३ अकाली फूला सिंह का पैगाम लेकर निकला दैनिक अकाली अखबार

उस समय कोई भी ऐसी ज्वलत समस्या नही थी, जिस पर हमारे कवियो ने अपने विचार प्रकट न किये हो। यद्यपि यह वृत्तात बहुत लम्बा है, तथापि हिंदी पाठको के लिए हम सिफ नमूने के तौर पर कुछ कविताए पेश कर रहे हैं

१ लोगो बताओ तुम किस तरफ हो ?

इक बने देश सेवा, कौम दा प्रेम दद, दूजे बने गना सके वीरा दा चढ़ाना है
इक बने झोली चुक, जी-हुज़ूर, माई बाप, दूजे बने कौम लई काले
पाणी जाणा है।
इक बने कौम विच कौम घाती ते असिख, दूजे देश-सेवक ते सिख
अखवाणा है,
इक बने लानत ते दूजे वडिआई मान, दोहीं हथीं लडडू लिखा खा ले
जिहडा खाणा है।

—विधाता सिंह 'तीर'

२ जबान बदी

जेकर करे सरकार जबान बदी साफ-साफ इह उह नू ललकार देइये
टोने खा खा दाइये ते पहुच जाइये हिम्मत हार ना 'रोड' विचकार रहिये।
बाघी पाऊगी बागी बणा सानू कर घडे अपराध इह तोलिया ई,
चुभा साडीया पीच के बह के थी, कद करन लई पिंजरा खोलिया ई।

—फीरोजदीन 'सफ'

३ वफादरी दा फल

दिला जिहा लई अरब अराक अदर जा के कट्टीया मुश्किलां मारीयां ने,
खा-खा लखरां जिहां दी शान बदले राता भुख ते दुख गुजारीया ने।
मिलिया उहां तो की इनाम तनू दिला को है गोरीयां यारीया ने।
गोते छपडां ते बार सोटियां दे बजबज घाट ते गोलीया मारीयां ने।

—तीर'

४ शूरवीरता

विक गये धड़ा उतो शीश साडे ज्यूदे ही,
फेर वी अथक रहि के हिम्मतां ना हारीया।
गोली नाल सल्ले हेठां इजिणा दे दले पर
पिछां नहीं हल्ले जिंदां हस हस वारीया।

—दर्शन सिंह 'दलजीत'

५ कृपाण

समय गेड खाधा भाणा वरतिया इह, रही जिसम मेरे अन्दर जान बाकी,
तीन फुट तो ववल के तीन सूतर, रिहा सिफ कृपाण निशान बाकी।
सुक छिप के वक्त टपाण लगी बन्दीवान यांगू भोडी जा मिल गयी,
कथा मुझ खातर शाही जेल बणिया घोर दुखी नू कैद तनहा मिल गयी।
ग्रपर फेर आ समा पलटीजिया ये उसे फाही विच मनू फसाण लगे,
तीन फुट तों फुट नौ इंच कर के हेठां कुडतिया दे मनू पाण लगे।

—विधाता सिंह 'तीर'

६ ननकाना साहब

नए पापी ने कीता ये धम्म जिहड़ा तार रूस दी उतों हिलावदे ने,
देवे होसले किग ते करी उस नू ग्हदे विच उह हत्य रलावदे ने।

—हरनाम सिंह 'मस्त पछी'

७ गुरुद्वारे

तेरे विच गुरधामां दे होण मुजरे अते नित्त शराब दा दौर चल्ले,
कब्जे दस कानून विरुद्ध मूजी तेरी उम्मत कुठालडी पाण लग्गा।

—अवतार सिंह 'आजाद'

८ कानून

अज्ज कल्ल कानून जबान साडी अते दफा वी एहो बतावदें हो,
उत्तो हुकम तुहानू गिरफ्तार करना ताहीं पकड असी जेलीं पावदे हा।

—भाग सिंह 'निधडक'

९ कांग्रेसी रहनुमा

डाक्टर क्चिलू ते मिस्टर गिडवानी गगसर नू कदम उठाये यारो,
दर्दी कौम दे जालिमा पकड लीते दित्ते नाभे दी जेल पुचाये यारो।

—भाग सिंह 'निधडक'

१० आजादी

माल असबाव दीयां कुर्कियां तां चीज की ने
वेग, सवराज उत्तों जिन्दगी घुमावसां
मुड़के तों ही आये 'दलजीत' हां, अजीत असीं
वडियां दी रीत नाल सिरा दे निभावसां।

—'दलजीत'

गुलामी दे जीउण नालों मौत है 'आजाद' चंगी,
होवे बर्बादी भावें होण खुशहालीयां !

—आजाद'

११ कुजिया दा मामला

कजीया पुसीया वेख के मार छाला आये धमिया ने जेलां मल्लीयां नस,
हथ्य जालिमा कनी लवा कर के कुजा डार अदर फेर रलीया सन ।

—'आजाद'

कीता मश्र के विच जा दम पछी परों पं के यावी फड़ाण लग पये ।

—'मस्त पछी'

१२ सरकारी एजेण्ट

भोली युवको, अजे वी ना बाज आइयो एस गल्लो,
कोई न फिकर तुहानू हिंद की तबाही दा ।
पुछागे तुहानू जरा थोडा चिर ठहर जाउ,
फड फड जेला विच किस तरा पुचाई दा ।

—'गडगज्ज उडारू'

ऊपर की कुछ पक्तिया जब्त किताबा से दी गयी हैं। जब्त किताबो की लिस्ट बडी लम्बी है। इन पुस्तकों म उस समय के हर मसले पर कविया ने कविताए लिखी। इन रचनाओ से उस ओजस्वी भावना का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जो व्याप्त थी। महाराजा पटियाला की घोर निंदा और महाराजा नाभा की स्तुति मे पष्ठ पर पष्ठ लिखे पडे हैं। सरकार के जुल्मो और जेल के अत्याचारो को निभयता से नगा किया गया है और कानून भग करने के एवज म उन्हें क्या सजायें मिलेंगी, इसकी कोई परवाह नही की गयी।

निभयता और जोश का कुछ अदाजा उन जवाबो से मिल सकता है, जो मजिस्ट्रेटो द्वारा नाम पूछे जाने पर मुलजिमा ने दिये

किसे आखिया मोर्चे-तोड हां में जड-पुट्ट ही कोई बतावदा ए।
कोई कहे कड तोड सिंह नाम मेरा कोई दिल्ली ही तोड जतावदा ए।
कोई कहे मैं लन्दन-तोड सिंह हां वलत रोड ही कोई फरमावदा ए।

इसी तरह जत्थो से गिरफ्तार हुए सिंह अपने उल्टे-सीधे नाम बता कर, —पिता का नाम गुरु गोविन्द सिंह माता का साहब देवा और निवास स्थान आनन्दपुर कह कर—मौन धारण कर लेते थे। पुलिस को अधिकाश अकालियो के असल ठिकाना और नामा का कभी पता ही नही चलता था।

इस साहित्यिक उभार के समय पंथ में मास्टर मोता सिंह का जीवन, बाबा गुरदित्त सिंह का जीवन वृत्तांत, बाबा जी की आत्मकथा, स सरदूल सिंह कवीश्वर का जीवन, और कई अन्य ग्रंथ तथा पैम्पलेट, वगैरा, प्रकाशित हुए। मोर्चों ने पंजाबी साहित्य में नई जान और रूह फूंकी। शिल्प तथा विषय वस्तु की दृष्टि से पंजाबी साहित्य अपनी शिथिलता छोड कर यौवन के पथ पर बढ चला। इस उभार ने मोर्चों के उभार को और भी निखारा।

इससे एक नतीजा यह निकलता है कि जो भाषा शास्त्री पंजाबी भाषा के विकास का अध्ययन करते समय धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों की भूमिका को साहित्य के इतिहास में नजरंदाज करते हैं, उनका अध्ययन अधूरा है।

●

छयालीसवां अध्याय

सिख धर्म की तोड़-मरोड

अंग्रेज हाकिमा ने अपने राज के स्वार्था के लिए सिख धम के उसूलो को भी अपने एजेंटा द्वारा तोड-मरोड करायी। अकाली तहरीक के दौरान "टोपी वाला सिख" की बडी चर्चा होती रहती थी। "टोपी वाले सिख" (यानी अंग्रेज) के पजाब म आकर राज करने की कहानी गुरु तेग बहादुर के वचनो के साथ जोडी गयी थी। इसी तरह, गुरुओ के नाम पर यह झूठ थोपा गया था कि अगर कोई मुसलमान तेल से बाहु को भिगो ले और तिलो वाली बोरी मे बूद पडे तथा उतनी ही कसमे खाये जितने तिल उसकी बाहु पर लगे हुए हो, तब भी उस मुसलमान का एतबार नही करना चाहिए। यह सिखो को मुसल माना से विलग करने की साम्राजी पालिसी का प्रचार था, जो १६४६ ४७ के बाद तक चलता रहा।

फौजो के ग्रथी, अफसरो को खुश करने के लिए, अंग्रेज राज की तारीफ के गीत गाते नही थकते थे। उन ग्रथियो पर अफसर बडे खुश होते थे जो गुरुओ के शब्दो की व्याख्या, तोड मरोड कर, उनकी हुकूमत के हक मे करते थे। अंग्रेज अफसरो की रिपोर्टों और लेखो मे सिख धम को दो विरोधी हिस्सो मे बाटा गया था पहले ६ गुरुओ का धम, फिर १० वें गुरू का धम। ये अफसर सिह सभा की तहरीक के भी इसलिए विरोधी थे कि वह सारे सिखो को सिह कह कर जत्थेबधक एकता और सगठन कायम कर रही थी। और, यह एकता अंग्रेज राज के लिए किसी वक्त भी बडी खतरनाक साबित हो सकती थी। अकाली तहरीक के दौरान उन्होंने उक्त व्याख्या का सहारा ले कर अकाली तहरीक को सिखो का आपस का झगडा बताया था।

शाहपुर के डी सी मिस्टर उगलवी को फौजो मे अकाली तहरीक का असर रोकने के लिए नियुक्त किया गया था। यह अंग्रेज पजाबी भाषा जानता था और इसने पजाबी कहावतो का बडे प्रभावशाली ढग से इस्तेमाल करना सीख लिया था। इसे गवनमट द्वारा निकाले जा रहे आम रूखे एलान भी पसद नहीं थे। एक एलान खुद इसने भी तैयार किया था, जो 'गवनमेंट बडी ओखी" (मुसीबत मे) के शीषक से लिखा गया था। उसम कहा गया था कि

"गुरू के बाग की मारपीट" की बात सिख फौजो मे बिल्कुल नही छेडनी चाहिए, क्योकि "यह सारे फौजियो पर असर डालती है और उन्हे वाद विवाद की बाते करते रहने के रास्ते पर ले जाती है। दूसरी सब बाता को यह नजरदाज कराती है।"

सिख फौजो को कायल करने की उसकी एक दलील यह थी वतमान अकाली लहर बिल्कुल नई लहर है। सरकार को क्या पता कि अगले कुछ सालो म कूके (नामधारी) बहुत ताकतवर नही हो जायेंगे और कहेंगे तुम्ह "साझी जायदाद" को अकालियो को दे देने का क्या हक है ?—सारे सिखो की साझी मिल्कियत ! सरकार "लाजवाब" हो जायेगी।

पर इसकी रिपोर्ट ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी। वह यह कि श्रोमणि कमेटी फौजियो को बरगलाने मे बिल्कुल ही कोई दखल नही दे रही थी।[1]

किन्तु अकाली धार्मिक प्रचार का जवाब फौजों में किस तरह दिया जाता था, इसके कुछ नमूने देखिए। ये "नुक्ते" एक फौजी कमाडर ने थाडे दिनो मे ही सीखे थे :

(१) सिख धम में चार तख्त हैं। कोई भी कारवाई करने से पहले सभी तख्तो को सहमत होना चाहिए। अगर कोई तख्त स्वतत्र कारवाई करे, तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। अकालियो ने इस बात का ख्याल नही किया।

(२) यह दावा कि अकाल तख्त, पाचवा तख्त, बाकी चारा से प्रधान है—गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है।

(३) सिख ग्रथो मे लिखा है कि ग्रथ साहब को राजनीतिक मकसदा के लिए इस्तेमाल नही करना चाहिए क्योकि यह सिफ धार्मिक ग्रथ है। पर अकाली इसे खुला रखते हैं और राजनीतिक तकरीरें करते हैं।

(४) श्रोमणि कमेटी रुपये की कदर जानती है और सिफ जायदाद वाले गुरुद्वारो पर ही कब्जा करती है तथा अपने खर्चों का कोई हिसाब नही देती।

(५) श्रोमणि कमेटी ने खिलाफ्त के हामी मोहम्मद अली और आय समाजी लाजपत राय का कई जगहो पर स्वागत किया—ये दोनो ही सिख धम के दुश्मन हैं।

(६) सिख धम ने अय लोगा को अपने धम मे शामिल किया है, पर उसने नीच जातिया, दर्जिया, सुनारा का हावी होना कभी स्वीकार नही किया, इत्यादि।[2]

१ एच डी क्रेक का ग्रीरार को पत्र, ६ जनवरी १९२३
२ जलधर डिवीजन के कमाडेट की रिपोट

सतालीसवाँ अध्याय

अकाली तहरीक और अक्तूबर क्रान्ति

इसम कोई शक नही कि रूस के इन्कलाबी भूचाल ने हिंदुस्तान की राज नीतिक स्थिति पर भी असर डाला। मानटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (१९१८) म दज है कि रूसी इन्कलाब ने हिंदुस्तान मे राजनीतिक जाग्रति को बढाया। पजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसलिए पजाब पर भी रूसी इन्कलाब का कम या ज्यादा प्रभाव पडना स्वाभाविक बात थी। पर गवनमेंट रिपोर्टों म अकाली लहर पर रूसी इन्कलाब के प्रभाव को बहुत बढा चढा कर पेश किया गया है।

हकीकत यह है कि रूसी क्रातिकारी साहित्य के हिंदुस्तान मे प्रवेश पर पाबदी थी। अखबारा म आम तौर पर जो लिखा जा रहा था, वह लोगो म बोल्शेविज्म को बदनाम करने के लिए लिखा जा रहा था और यह छिपाया जा रहा था कि लेनिन ने सारी कौमो के आत्मनिणय का एलान कर दिया था और ईरान तथा चीन के साथ अपने उपनिवेशवादी सम्बध समाप्त करके इनकी आजादी स्वीकार कर ली थी। अफगानिस्तान के भी एक आजाद देश होने का उन्होंने एलान कर दिया था। इन एलाना का गुलाम कौमा पर—अपनी-अपनी आजादी के लिए—बडा उत्साहवधक प्रभाव पडा था।

ब्रिटिश साम्राज्य ने बोल्शेविज्म (कम्युनिज्म) को एक हौवा बना दिया था। उसने कौमी तहरीको को दबाने के लिए इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। ननकाना साहब के हत्याकाड के बाद अफसरा ने उदासी महामडल के महत बसत दास, सीतल दास और हरनारायण दास द्वारा लाड रीडिंग के पास १९२२ में एक मेमोरेंडम भेजवाया जिसमे लिखा था कि अकाली 'किसी भी पुराने प्रबध के मुकाबले बोल्शेविक विचारधारा से अधिक सम्बधित हैं।" व अपने ग्रथो से रहनुमाई प्राप्त नही करते, बल्कि बोल्शेविक आदर्शों से रहनुमाई प्राप्त करते हैं।" साफ जाहिर है कि उपरोक्त राजनीतिक सूझ शराबी कबाबी महता की नही थी। यह अफसरा की सूझ थी जो महतों को इस्तेमाल करके अकाली लहर के खिलाफ तअस्सुब पैदा करना चाहते थे। पर न तो अफसरो की और न महतो की ही चालें सफल हुई।

सरकारी रिपोर्टों म मास्टर मोता सिंह को "बोल्शेविक" के तौर पर पेश किया गया है। ऐसा लगता है कि जिन दिनों वह "चक्रवर्ती" था, वह अफगानिस्तान गया था और उसने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के जरिये रूस से सम्बन्ध कायम किये थे। यह बात उसके विचारों में आये परिवर्तन से भी प्रकट होती है। पंजाब म उसने बोल्शेविज्म के लिए 'अग्रान्शेविज्म' शब्द प्रचलित करने के प्रयत्न किये। पर ये प्रयत्न सफल नहीं हुए।

अकाली लहर को मास्टर मोता सिंह की देन बहुत ज्यादा है। पर वह बोल्शेविक नहीं था। वह एक गर्मख्याल कांग्रेसी रहनुमा, या ज्यादा से ज्यादा जम्हूरी सोशलिस्ट था। वह महात्मा गांधी की अहिंसा में यकीन नहीं करता था और बब्बर अकालियों से सम्बन्धित था। उसके लिए अहिंसा से ज्यादा अहमियत हिंसा के हथियार की थी। उसने कांग्रेस के लगान न देने और टैक्स कम करने के प्रोग्राम का बडा प्रचार किया था। नवम्बर १९२१ के ननकाना साहब के मेले के समय वह यकायक प्रकट हुआ, दो-ढाई घंटे तकरीर की और लुप्त हो गया। गवनमेंट उसको पकडने के लिए बहुत उतावली थी।

१९२३ में बाबा गुरमुख सिंह और ऊधम सिंह कसेल[1] का अड्डा अफगानिस्तान मे था। ये दोनों छिप कर हिंदुस्तान आते रहते थे और स मगल सिंह अकाली तथा मास्टर तारा सिंह से मिलते रहते थे। इन अकाली लीडरों से मिलने पर ये इन्हें बहुत कोसते थे। कहते थे छोडो यह अहिंसावादी गांधी का रास्ता, इससे कोई काम सिरे नहीं चढेगा, बोल्शेविक रास्ते के बिना कुछ नहीं बनेगा। पर अकाली लीडरों ने शांतिमय सत्याग्रह का रास्ता न छोडा।

रिपोर्टों म यह भी दर्ज है कि सोवियत रूस के किसानों की अन्तर्राष्ट्रीय तहरीक (क्रेस्टिन्टर्न) अकाली लहर से सबंध कायम करना चाहती थी। उन्होंने अकाली ते प्रदेसी अखबार को चिट्ठियां लिखी थी और अकाली लीडरों को भी। पर ये चिट्ठियां उन तक पहुंचने नहीं दी गयी, रास्ते म पकड ली गयी। अक्तूबर १९२५ म किसान अंतर्राष्ट्रीय तहरीक के प्रमुख नेता ने अमृतसर मे श्रोमणि कमेटी के सेक्रेटरी को गुरुद्वारा सुधार की तहरीक के संग्राम म सफलता पर

१ ये दोनों गदरी बाबे थे। लाहौर साजिश केस के मुकदमे म इन्हें उमर कैद की सजा मिली थी। एक जेल से दूसरी जेल मे भेजे जाने के दौरान गाडियों से छलांग लगा कर पुलिस के कब्जे से ये भाग निकले थे। अफगानिस्तान मे इन्कलाबी अड्डा बना कर ये गदर पार्टी (अमरीका), सोवियत रूस और हिंद से ताल मेल रख रहे थे। ऊधम सिंह जो एक बार अफगानिस्तान को जाते हुए डाकुओं द्वारा रास्ते मे ही कत्ल कर दिये गये

बधाई का पत्र भेजा था और उसमें किसान अन्तर्राष्ट्रीय तहरीक के प्रोग्राम और लक्ष्यो के बारे मे लिखा था तथा अकाली तहरीक की पूरी-पूरी जानकारी हासिल करने की इच्छा प्रकट की थी।"

अकाली ते प्रदेसी की चिट्ठी म 'हिन्दुस्तान की साम्राजी सरकार के जुल्मों के खिलाफ अकालियो के वीरतापूर्ण सग्राम" की सराहना की गयी थी और भरोसा दिलाया गया था कि आपकी सही मागो और उमगो के बारे में पूरा-पूरा प्रचार किया जायगा। अत में लिखा था: "आप की लडाई हमारी लडाई है।"[1]

क्रशटटन की चिट्ठियों से मालूम होता है कि रूस के किसान क्रान्तिकारियो को अकाली लहर मे गहरी दिलचस्पी थी और वे इस लहर को मुख्यत किसानो का सग्राम मानते थे, जो गुरुद्वारा सुधार के रूप मे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लडा जा रहा था। इस लहर की साम्राज्य विरोधी खसलत उन्हे बहुत प्रभावित कर रही थी। ब्रिटिश राज के विरुद्ध अकालियो की लडाइयों और इन लडाइयों की सफलताओ ने अकाली लहर को दुनिया के नक्शे पर चित्रित कर दिया था।

●

१ कम्युनिज्म इन इण्डिया, डो पेट्री १९२४ १९२७

अड़तालीसवाँ अध्याय

कुछ महत्वपूर्ण नतीजे

(१) बीसवी सदी के तीसरे दशक मे, गुरुद्वारा तहरीक अंग्रेज राज के खिलाफ हिंदुस्तान भर मे सबसे बडी शांतिमय तहरीक थी। इसने भारतवासियो को दिखा दिया कि शांतिमय सत्याग्रह वह शक्तिशाली हथियार है, जिसके जरिये अंग्रेज साम्राज्य जैसे हेकडबाज और उद्दंड राज्य को झुकाया जा सकता है। इस तहरीक ने सबसे बडी फतह हासिल की—यानी, पंजाब राज के अंदर एक छोटा (धार्मिक) राज प्राप्त कर लिया।

(२) यह फतह अंग्रेज राज के कानून के दायरे के अंदर रह कर नही, बल्कि कानून को तोड कर हासिल की गयी थी, यह शान्तिमय तरीके से मुकाबला करके अंग्रेज राज के आतंक को कोई आधे दजन बार पराजित करके और नया कानून बनवा कर प्राप्त की गयी थी।

(३) यह तहरीक, जीत के अंत मे पहुच कर, अंग्रेज हाकिमो की फूट डालने की कुटिल नीति को शिकस्त न दे सकी। कारण यह कि कुछ लीडर इस नीति के शिकार हो गये जिसके फलस्वरूप अकाली तहरीक अंत मे दो—नम और गम—धडो बट गयी।

(४) इस तहरीक को हिंदू मुस्लिम कौमपरस्तो के अखबारों, प्रचार-मंत्रो और मेडिकल मिशनो ने लगातार मदद पहुचायी। गवनमेंट की फूट डालने की कोई भी चाल उन्हें इस तहरीक की हिमायत करने से न रोक सकी क्योंकि यह अंग्रेज राज की जकड पर चोटें करके, जनता मे उसका वकार और सत्कार खत्म करके, कौमी आजादी की तहरीक को मजबूत करती थी।

(५) इस तहरीक ने बेहिसाब और असीम भडकावों के बावजूद, महात्मा गाधी के शांतिमय सत्याग्रह के सिद्धान्त को सबसे पहले अमली जामा पहनाया और कांग्रेसी तथा खिलाफती रहनुमाओं ने इस हकीकत को स्वीकार किया तथा तहरीक को शाबाशी दी।

(६) इस तहरीक के दौरान अमृतसर के हिन्दू मुस्लिम दगों मे सिखो पर दोनों समुदायों का इतना भरोसा था कि दोनों अपने-अपने बचाव के लिए

श्रोमणि कमेटी से अकाली वालटियरों की मांग करते थे। पर यह तहरीक उनका यह विश्वास अन्त तक कायम नही रख सकी।

(७) अकाली सग्रामा और जेलो की मार-पीट से सिख बहुत कुछ नया सीख कर, नये तजुर्बे हासिल करके और बहुत से पुरातनवादी सिद्धान्त पीछे छोड कर बाहर निकले। नामा बीड से रिहा हुए अकालियों और जत्थेदारों का प्रभाव इस सच्चाई की पुष्टि करता है। 'हमने हुकूमत को असली रूप मे देख लिया है। हमारे ऊपर जो-जो जुल्म ढाये गये हैं, उन्होंने हमे शिक्षा दी है कि विदेशी हुकूमत के अधीन गुलाम रहना सबसे बुरा पाप है।''[1] इस किस्म के लोग ही थे, जो गुरद्वारों की आजादी हासिल करने के बाद अपने 'बडे गुरुद्वारे' —अर्थात हिंदुस्तान—की आजादी मे हिस्सा लेने लगे थे। इस तहरीक के फलस्वरूप अग्रेजी राज के प्रति सिखो की वफादारी की पोल खुल गयी।

(८) अकाली तहरीक ने अन्तर्राष्ट्रीय हैसियत प्राप्त कर ली थी। ननकाना साहब के हत्याकाड और गुरु के बाग के मोर्चे की चर्चा तस्वीरों और अखबारो के जरिये अमरीका तथा इग्लैण्ड में भी फैल गयी थी। जैतो के मोर्चे म कनाडा, अमरीका, शघाई और सिंगापुर से आये जत्थो के शामिल होने के कारण, इसे अन्तर्राष्ट्रीय शोहरत हासिल हो गयी थी। छोटा सा पजाब—सदका मौत से आखें लडाने वाली अकालियों की तहरीक का—दुनिया के नक्शे पर उभर आया था।

(९) अकाली तहरीक ने सिखो के माथे से यह कालिख धो दी कि सिख तो अग्रेजो के वफादार गुलाम हैं और हिंदुस्तान को गुलाम बनाये रखने तथा ब्रिटिश साम्राज्य को दुनिया मे फैलाने का हथियार हैं, देश की आजादी म इनकी कोई दिलचस्पी नही। इस तहरीक ने सिखो को आजादी की लडाई में हिस्सा लेने की प्रेरणा दी और उन्हें प्रोत्साहित किया।

(१०) इस तहरीक मे बुद्धिजीवियो और विद्वानो ने बडी ही ऐतिहासिक भूमिका अदा की। ये वीर अपनी नौकरिया, अपने कारोबार और पेशे छोड कर इस आन्दोलन मे शामिल हुए। इसमे प्रोफेसरो, बैरिस्टरो, वकीलों और स्कूल मास्टरो, वगैरा, ने हिस्सा लिया और हसते-हसते कुर्बानिया दी। सिख जनता ने अपने लीडरा के इशारे पर सिर हथेलियों पर रख कर फूल चढाये। बुद्धि

१ अकाली ते प्रदेसी, १० अगस्त १९२५

अधिकारियों पर, शांतिमय सत्याग्रह द्वारा, और ज्यादा दबाव डाला जाना चाहिए संक्षेप मे, ये वाश्तकार हैं जिनके पास फूले हुए दिमाग हैं पर अक्ल सीमित है।"[1]

सर माइकेल ओ'डवायर की नजरो मे सिख "बहादुर और जगजू" हैं जिन्हें हिंदू इन्कलाबपसन्द लोग गुमराह करके अपने पीछे लाना चाहते है। "नियम के तौर पर सिख, किसानो जमे अनजान और मजबूत आदमी हैं। इनम स ज्यादातर पुराने फौजी हैं, जो अपनी हालत सुधारने के लिए बाहर गये थे।" उसको पजाब गवनमेट पर बडा गुस्सा था कि वह अकाली तहरीक के साथ उस तरह नही निबट रही, जैसे खुद वह गदरियो के साथ—उन्हें फासिया और उमर कैदें दे कर—निबटा था। अपनी पुस्तक म वह लिखता है

"अकाली सिखा के सम्बध म तीन साल तक 'बिल्ली और चूहा' पालिसी चलायी गयी। उन्होने धार्मिक सुधार के जोश के बारीक पर्दे के पीछे कानून तोडने की गम्भीर हरकतें की, उन्ह एक दिन कैद किया जाता था, अगले दिन छोड दिया जाता था, फिर कैद कर लिया जाता था और अच्छे चलन की गारटिया लिये बिना फिर छोड दिया जाता था। बेशक, इस रवैये ने उनके अकडपने की हौसलाअफजाई की। वे विश्वास करते थे—और यह कुछ कारणों के आधार पर ही—कि गवनमेन्ट उनसे डरती है।"[2]

सर जान मेनाड की राय मे सिख "जाहिल, ये दलीले और बच्चो जैसे"[3] (जिद्दी) हैं। उन्हे राजी नही किया जा सकता। ये कोई बात मानते ही नहा हैं।

लाड ओलीनियर ने, उपरोक्त लेखे जोखे के विपरीत सिखो के बारे मे बडे अच्छे शब्द कहे है 'सिख उस नस्ल से सबद्ध हैं जो बहुत पुरानी है। जिस किसी अग्रेज को उनके साथ वास्ता पडा है उसने उनकी तारीफ की है और उनके लिए मुहब्बत प्रकट की है। ये लोग अच्छी, पुरातन और कुलीन नस्ल स सम्बध रखते हैं और अत्यन्त धार्मिक हैं"[4] इत्यादि।

(ख) हिंसात्मक झुकाव

अग्रेज हाकिम, अकाली तहरीक के दौरान बार बार भविष्यवाणिया करते थे कि सिखो का शांतिमय सत्याग्रह सिफ नाखून जितना गहरा है। ये आज नही तो कल कल नही तो परसों हाथ उठायेंगे और हिंसा पर उतर आयेंगे।

१ कमाडेन्ट जलधर ब्रिगेड एरिया की चार रिपोर्टें
२ इडिया एज आई न्यू इट पृ २३८
३ पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल डिबेट्स ८ माच १९२३
४ हाउस ऑफ लाड्स डिबेटस ऑन इडियन एफेयस, १९२३ प २६-२७

कृपाण के बारे मे भी वे कहते रहे थे कि कृपाण हिंसा का हथियार है और हिंदुओ तथा मुसलमानो को इससे खतरा है। इस प्रचार का एक मकसद यह था कि सिखो के खिलाफ पहले से ही सरकारी जुल्म के लिए जमीन तैयार कर ली जाय, दूसरा यह कि हिंदुओ और मुसलमानो को सिखो की हिमायत मे दूर—उनके विरोध म—रखा जाय।

पजाव कौंसिल के इजलास मे तकरीर करते हुए मेनाड ने गैलरी मे बैठे एक सिख सबधी कहानी गढी। चर्चा चाभियो के मामले मे बिना शर्त की गयी रिहाइयो की हो रही थी "उस भलेमानुस ने, जिसके पास एक बडा सोटा था उसे थोडा-सा ऊचा उठा कर कहा 'अगर सरकार न छोडती तो यह सोटा छुडा लेता।'"[1] सुभाव यह दिया गया था कि अगर सरकार सीधे हाथो अकालियो को नही छोडती, तो सिख तसदुदुद का इस्तेमाल करके उन्हें छुडा लेते। किंतु मेनाड की तकरीर के दौरान मि गनपतराय ने "उस भलेमानुस" का नाम पूछा, तो मेनाड ने बताने से इकार कर दिया। इस इकार से ही समझा जा सकता है कि पहले तो किसी विजिटर (दर्शक) के लिए गैलरी मे सोटा ले जाना मना है, दूसरे, नाम बताने से पता चल जाता कि इस नाम का कोई आदमी गैलरी मे था भी या नही।

मिस्टर स्मिथ ने अपनी रिपोर्ट मे सिखो के हिंसावादी होने के कई जगह इशारे किये हैं। शिरोमणि कमेटी के "अनुयायी, तलवार की नोक से गुरुद्वारा सवाल को हल करने की तत्परता प्रकट करते हैं। पर अपने असर से, शिरोमणि कमेटी उन्हें रोक रही है।" (अक २१, आखिरी पैरा)। दूसरी जगह वह जत्थो की भर्ती की हिदायतें नोट करता हुआ लिखता है 'भर्ती सिर्फ तसल्लीबख्श चलन के आदमियो तक सीमित रहनी चाहिए। और, भर्ती के समय जो वचन लिया जाता है वह यह है कि 'मैं तन मन से गुरुद्वारा सुधार के लिए काम करूगा। जत्थेदार के हुक्म का पालन करूगा। पर यह बात बडी अर्थपूर्ण है कि 'मैं तसदुदुद मे परहेज करूगा' वाली धारा भर्ती के समय छोड दी जाती है।" (अक ३५)।[2]

दूसरे शहीदी जत्थे के बारे म विल्सन की एक रिपोर्ट मे दर्ज है कि इस जत्थे के साथ हथियारबद फौजी, और रिसाले के आदमी, जा रहे थे। मोगा और सिंघावाला के बीच जत्थे के आदमियो ने फौजियों को सम्बोधित करके कहा कि "वे अपनी बदूको का इस्तेमाल ब्रिटिश अफसरो के खिलाफ करें।"[3] इस

१ पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल डिबेटस, ३ मार्च १९२३
२ डी डब्ल्यू स्मिथ, अकाली दल एण्ड एस जी पी सी (१९२१-२२)
३ विल्सन का मिचन को पत्र, कैम्प/५४ ११ मार्च १९२४

रिपोट का मकसद ही यह दिखाना मालूम होता है कि मौका आने पर सिख हिंसा के रास्ते पर चलने स परहेज नही करने वाले।

सिखो के हिंसा का रास्ता अपनाने के बारे मे हेली के विचार और भी स्पष्ट थे। उसने लिखा था "हमारे बहुत से अफसर सोचते हैं कि आम अकाली तथाकथित अहिंसा की निबलता के बारे मे कायल होते जा रहे हैं और उनके अपने अखबार, तलवार द्वारा अपने दावो को अमल मे लाने की जरूरत का रोज ब रोज ज्यादा जिक्र करते हैं। मुकदमे के लिए किले मे बन्द लीडर —अपने हितो के लिए—इस तरफ झुकाव को रोकने का यत्न करेंगे, पर यह पूणत सभव है कि अकाली दल शिरोमणि कमेटी के नियन्त्रण को अपने सिर से उतार फेंके और अपनी लाइनो पर मुहिम चलाने की जिद करे।"[1]

अंग्रेज हाकिमो की दिली ख्वाहिश यह थी कि सिख हिंसा को अपनायें, ताकि ये हाकिम मनमर्जी का तसद्दुद करके उन्हे पूरी तरह कुचल दें और बब्बर अकालियो तथा गदरियो की तरह उन्हें चुन चुन और गिन गिन कर, गोलियो से भून कर, उनका ढर लगा दें। इस प्रसग मे, कई बार उन्हें अकाली दल बगावत करके शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी के विरोध मे खडा नजर आता था। दिली ख्वाहिशो का गलबा बाह्य परिस्थिति का कभी सही लेखा जोखा नही लेने देता। यही कारण है कि अकालियो के बारे मे हाकिमों का मूल्याकन एकदम गलत था।

(ग) विचार और अमल मे फर्क नहीं

अंग्रेज हाकिमो ने सिखो को बदनाम करके कुचलने के लिए एक फार्मूला (सूत्र) गढा था। यह फार्मूला शायद सर माइकल ओ'डवायर के दिमाग की उपज था। यह सूत्र था "ऊचे साहस वाले और मुहिमबाज सिखो के लिए विचार और अमल के बीच फर्क बहुत थोडा होता है। वे अगर जोशीली और भडकीली अपीलो के वशीभूत हो जायें, तो यह सभव है कि जल्दबाजी से और इस किस्म के तरीको से वे अमल की तरफ बढ चलें, जो वैधानिक राज और अमन के ताने बाने के लिए खतरनाक हो सकता है।" इस फार्मूले का अथ यह है कि सिख को एक बार भडका दो, तो वह आपे से बाहर हो जाता है, उस उतार चढाव की कोई सूझ नही रहती, यह वक्त का इन्तजार नही करता, उसी वक्त जो मन मे आये कर गुजरता है—आगा पीछा नही सोचता।

इस फार्मूले को अंग्रेजो की हर प्रसिद्ध रिपोट मे हू ब-हू बार-बार लिखा

१ हेली (गवनस कैम्प) का मुडीमैन को पत्र ३० अगस्त १९२४

गया। सेडीशन (बगावत) कमेटी १६१८ (रौलेट) में इस सूत्र को दोहराया गया (पृ १६१), इडिया १६१६ मे । रशब्रुक विलियम्स ने इसको हू ब हू नक्ल किया (प ३४ ३५), और, हटर कमेटी की रिपोट मे सिखो को बदनाम करने के लिए इसको विशेष जगह दी गयी (पृ १०१)। इस तरह सिखों को, एक तरह, ना-समझ और नीम पागल सा करार दिया गया।

इस फामूले को अग्रेज राज के भाई जोध सिंह जैसे सेवको ने और भी चमका दिया। अपने लेखो तथा तकरीरो मे सिखों को इन लोगो ने 'सूखा बारुद" बताया। इस फामूले को प्रो जगजीत सिंह तरनतारन न अपनी पुस्तक गदर लहर की भूमिका मे पूरे का पूरा स्वीकार कर लिया है। इससे साफ हो जाता है कि अग्रेज हाकिमो के प्रचार ने हमारे दिमागो पर किस तरह काबू पा लिया था।

इस झूठ को गुरू के बाग के मोर्चे ने, शांतिमय और अथाह सब्र वाले अकालियों की मार कुटाई ने, नगा कर दिया। जैतो मे पहले शहीदी जत्थे से लेकर आखिरी शहीदी जत्थे तक की बे मिसाल सहनशीलता से साबित हो गया कि सिखो के खिलाफ यह तोहमत राजनीतिक मकसद हल करने के लिए लगायी गयी थी। अकाली लहर का सारा इतिहास इस सचाई का गवाह है कि सिख जो भी कदम उठाते थे, सोच समझ कर उठाते थे और शांतिमय रहते हुए उस पर फूल चढाते थे।

●

उन्चासवां अध्याय

क्या अकाली लहर राजनीतिक थी ?

अकाली लहर का रूप धार्मिक था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचारी महन्तों से गुरद्वारों की आजादी हासिल करना था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्रो रुचिराम साहनी के अनुसार ये महन्त दो हजार थे। डॉ गोकलचन्द के हिसाब से ये २६०० थे।[1] ब्रिटिश सरकार इन ज्यादा से ज्यादा २६०० महन्तों को बहाल रखने के लिए लगभग ३०,००,००० सिखों से लड़ रही थी—उन सिखों से जिन्होंने अंग्रेज राज की रक्षा और प्रसार के लिए कितनी ही जानें कुर्बान की थीं।

फिर यह धार्मिक लहर राजनीतिक लहर किस प्रकार बन गयी? अंग्रेज हाकिमों ने अकाली तहरीक शुरू होने के कुछ समय बाद से ही, इसको राजनीतिक लहर कहकह कर बदनाम करना शुरू कर दिया था। तो क्या यह धार्मिक लहर सचमुच राजनीतिक लहर बन गयी थी? या यह अंग्रेज हाकिमों का केवल प्रोपेगेंडा ही था?

लाहौर के डेपुटी-कमिश्नर से एक अखबार के सम्पादक ने पूछा "कौन सी बात धार्मिक है और कौन सी राजनीतिक?" उसने जवाब दिया "जो बात सरकार के खिलाफ जाय वह राजनीतिक है—भले ही वह धर्म से कितनी ही सम्बंधित क्यों न हो। और जो बात सरकार के हक में बैठती हो, वह धार्मिक है—भले ही वह सोलह आने राजनीतिक हो।"[2] यह एक ऐसे हाकिम का जवाब था जो सरकार की कोई भी नुक्ताचीनी—वह धार्मिक दृष्टिकोण से हो या राजनीतिक दृष्टिकोण से—बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शुरू शुरू में, मोटे तौर पर, हाकिमों का धार्मिक या राजनीतिक आन्दोलनों की तरफ रवैया इसी किस्म का था।

अकाली तहरीक को धार्मिक लाइनों पर रखना या न रखना अधिकांशत अंग्रेज हाकिमों के इरादों पर निर्भर था। विशुद्ध धार्मिक तहरीक यह दो तरह ही रह सकती थी—एक, सरकार महन्तों से कहती महन्तो, चुपचाप अकाली तहरीक के साथ समझौता करो और ऐब छोड़ कर, शिरोमणि कमेटी के अधीन

१ पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल डिबेट्स, ६ जुलाई १९२५
२ अकाली ते प्रदेसी (एडीटोरियल), २१ अक्तूबर १९२५

रह कर काम करो, दूसरे सरकार सिखो से कहती : गुरुद्वार तुम्हारे है, जिस तरह चाहो इनका प्रबंध करो, सरकार सिखो के इस धार्मिक मामले मे कोई दखल नही देना चाहती।

सरकार के इस रवैये से मसला भी हल हो जाता और तहरीक भी विशुद्ध धार्मिक बनी रहती।

पर सरकार ने इनमे से कोई भी रास्ता अख्तियार नही किया। रास्ता उसने अख्तियार किया कानून बहाल रखने का—यानी महंतो द्वारा नाजायज और भ्रष्टाचारी तरीको से हासिल की गयी गुरुद्वारो की जायदाद की रक्षा के लिये दौड पडने का। फलत, लडाई का रुख महंतो की तरफ से हट कर सरकार की तरफ हो गया, यानी भ्रष्टाचारी महंतो द्वारा नाजायज और भ्रष्टाचारी तरीकों से पंथ से छीनी हुई जायदाद की रक्षक बन कर सरकार सामने आ खडी हुई, और महंत पीछे चले गये। इसलिए, अकाली तहरीक का मुकाबला, स्वभावत, सीधे अंग्रेज राज से हुआ और इस तहरीक की अंतर्वस्तु बदल कर साम्राज्य विरोधी हो गयी।

अंग्रेज राज से यह टक्कर ही—यद्यपि इसका रूप धार्मिक था—राजनीतिक रूप धारण कर गयी। अकाली तहरीक डट कर अंग्रेज राज के वार झेलती गयी कुचली नही जा सकी। इस तरह, यह अंग्रेज राज के वकार और सरकार को चोटें पहुचाती, उसे नंगा करती और उसका मुकाबले पर मुकाबला करती चली गयी।

इस तरह सरकार खुद ही, कानून की रक्षा के नाम पर, अकाली तहरीक को राजनीतिक तहरीक बना रही थी और शोर यह मचा रही थी कि अकाली तहरीक राजनीतिक है, धार्मिक नही। इस नारे का एक और मकसद भी था। वह यह कि सरकारपरस्तों और निष्पक्ष सिखो को सरकार के साथ जोडे रखा जाय और तहरीक मे हिस्सा लेने वालो मे फूट डाली जाय, अर्थात धार्मिक ख्याल वाले और धार्मिक राजनीतिक विचार रखने वाले सिखो के बीच फूट पैदा करके उनमे लडाई करायी जाय और तहरीक को छिन्न भिन्न कर दिया जाय।

गवर्नमेंट दूर तक सोचती थी। वह सोचती थी कि अकाली तहरीक अगर कुचली नही गयी तो देश मे उठने वाली राजनीतिक तहरीक के लिए यह रास्ता बनायेगी और उसके लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगी, इस तरह राजनीतिक तौर पर वह अंग्रेज राज के लिए खतरनाक साबित होगी। इसलिए शुरू से ही इसे राजनीतिक कह-कह कर बदनाम करो ताकि यह फल फूल न सके।

पर सरकार का यह नारा भी अकारथ हो गया, क्योंकि अकाली तहरीक साम्राजी दुश्मनो के वार झेलती रही और महंतो की जागीरदारी के खात्मे के लिए आगे बढ़ती रही।

अमन और कानून का दैत्य

अकाली तहरीक के दौरान, बड़े और छोटे हाकिमों ने, इस तहरीक द्वारा अमन कानून भंग किये जाने का बड़ा शोर मचाया। अंग्रेज राज की जिन्दगी—दूसरी साम्राजी हुकूमतों की तरह ही—अमन और कानून की रक्षा पर आधारित थी। अंग्रेज राज "अमन और कानून व्यवस्था में तब्दीली" का हमेशा दुश्मन था और 'ज्यों-की-त्यों व्यवस्था" का झंडाबरदार था। इसका लक्षण था—कायम आसनों को कायम रखना और तब्दीली को रोकना। खास कर साम्पत्तिक-सम्बन्धों में ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तब्दीली की सख्त दुश्मन थी।

और अकाली तहरीक का जन्म ही महंतों के कब्जे वाले साम्पत्तिक-सम्बन्धों में तब्दीली के लिए—यानी गुरुद्वारों की जायदादें महंतों के नामों से हटा कर पंथ के नाम कराने के लिए—हुआ था। इसलिए, अमन-कानून के दैत्य ने अकाली तहरीक पर बार बार खूंख्वार और दरिंदगी से भरे हमले किये और अकालियों के खून के प्याले-पर प्याले भर भर कर पिये।

अदालत के सामने बयानों में एक अकाली लीडर ने अपने बयान में इस दैत्य के बारे में कहा "यह बेहद लहू पीने वाला दैत्य है। इसके दांत और नाखून हमेशा लहू से सने रहते हैं। दुनिया में इसको हर जगह गड़बड़ी और शोर शराबा ही नजर आता है। रौलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाले बाग के जलसे में इसे गड़बड़ी और बगावत की दुर्गंध आ गयी और इसने पुरअमन शहरियों पर गोलियों की आग बरसानी शुरू कर दी।"[1]

इसलिए अकाली तहरीक में गिरफ्तारियां हुईं—कानून और अमन तोड़ने का जाप करके, जेलें और कैदें हुई—इसकी रक्षा की खातिर, गोलियां चला कर दर्जनों अकालियों को ढेर किया गया—इसके नाम की माला जप कर। इस दैत्य ने अकालियों का पीछा जेलों में भी किया। उनकी पीठ और चूतड़ों से मांस उतारा गया—भिगो भिगो कर बेंत मार कर।

पर अमन कानून का यह दैत्य तब तक ही खूंख्वार बना रहता है, जब तक

1 मि. एण्डर्सन की अदालत में सोहन सिंह जोश के बयान से

कोई तहरीक कमजोर होती है। कमजोर तहरीक पर यह बार बार झपटता है। पर, जब कोई तहरीक—इसके खूख्वार वारो के बावजूद—और ज्यादा फैलती जाती है, तो यह मामूली कीडे मकौडे की तरह हो, अपने सीग अपने सिर के अदर खीच लेता है और राजनीतिक आन्दोलन के आगे हथियार फेंक देता है। तोडे जा रहे कानून की तरफ से यह आखें बन्द कर लेता है।

कुछ मिसालें देखिए

(१) गुरुद्वारा होठिया (जिला गुरदासपुर) पर अकाली जत्थे ने कब्जा कर लिया। महत ने दुबारा कब्जे के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अदालत म दावा कर दिया। मजिस्ट्रेट ने महत के हक म फैसला दे दिया और स्थानीय तहसील दार को हुक्म दिया कि महत को वह फिर से बहाल कर दे। स महताब सिंह वहा पहुच गये और उन्होंने गुरुद्वारे के प्रबध के लिए एक कमेटी बना दी। 'मजिस्ट्रेट द्वारा (अकालियो को) बाहर निकाल देने के हुक्मो को बिल्कुल ही नजरदाज कर दिया गया। तब से अकालियों का गुरुद्वारे पर कब्जा है और अकालियों को, ताकत का इस्तेमाल करके, निकाल देना अनुचित समझा गया है।"[1] (जोर मेरा)।

(२) गवनमेट ने कौमी दर्द के १ और ५ जनवरी १९२५ के अका के सबध म एडीटर कपूर सिंह और मुद्रक फतह सिंह पर मुकदमा चलाया। इसी तरह बबर शेर के ११ फरवरी के अक के सबध मे उसी जुम के अधीन एडीटर वगैरा पर एक और मुकदमा दायर कर दिया। दोनो अखबारो ने नाभा जेल के अत्याचारो के बारे म (गैर-कानूनी) श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी का सनसनीखेज एलान प्रकाशित किया था। उधर गुरुद्वारा बिल (कानून) बनने वाला था।

इन मुकदमो को चलाने के बारे मे गवनमेट के अदर दुबारा विचार हुआ अगर मुकदमे चलाये जाते हैं तो 'नाभा के अफसरो को गवाही के तौर पर बुलाया जायगा। उनसे लम्बी-चौडी जिरह की जायगी। इससे नाभा मे हुए जुल्मो की कहानियो मे फिर दिलचस्पी पैदा हो जायगी। इस मौके पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा जबकि हालात सुधर रहे हैं और सिख तथा श्रोमणि कमेटी अच्छा वातावरण पैदा करने मे दिलचस्पी ले रहे हैं। इसलिए, इन आम कारणो के अतगत मुकदमे को गिर जाने देना चाहिए।"

पर गवनमेट ने १४ माच को मुकदमा चलाने का अखबारो म एलान कर दिया था। अब सवाल था नाक बचा कर इससे निकलने का। हेली ने माना

१ व्ही डब्ल्यू स्मिथ नोट आन दि अकाली दल एण्ड एस जी पी सी, न ६

कि 'गवनमेंट गलत पोजीशन म फंस गयी है।" यहे बहस मुबाहसे और बडी दलीलबाजी के बाद फसला किया गया कि मुकदमे का धुपराल फिर जाने दिया जाय।[1] यहा पर भी राजनीतिक मसलेहत ने कानून का निग्रह कर दिया।

(३) २६ फरवरी १६२६ को सेंट्रल असेम्बली म स करतार सिंह द्वारा पेश किये गये स सडक सिंह की रिहाई के प्रस्ताव पर बहस हुई। प्रस्ताव पास हो गया। तकरीरो मे सरदार जी को हथियारों के कानून के अधीन दी गयी एक साल की सजा गैर कानूनी ठहरायी गयी। नवूना के तौर पर स सुदर सिंह मजीठिया का पजाब कौंसिल म दिया गया यह बयान पेश किया गया कि "गवनमेंट ने इस किस्म के जुर्मों के मुकदमे वापस ले लिये हैं।" होम सेक्रेटरी क्रीरार ने स्वीकार किया कि 'मुकदमे म कुछ गैर तसल्लीबख्श तत्व हैं—खास कर इस कारण कि मुलजिम ने अपनी सफाई पेश करने से इन्कार कर दिया। वह बदनाम किस्म के अतिवादी ग्यालो का अकाली है।'"[2] साफ जाहिर है कि इस केस में भी कानून आखें मूद कर गहरी नींद सो गया, क्योंकि राजनीतिक मसलेहत सरदार सडक सिंह को इस कारण रिहा नही करना चाहती थी क्योंकि वह "बदनाम किस्म के अतिवादी ग्याला' के अकाली थे।

(४) मुसलमानो के तीन प्रसिद्ध नेता डॉ सैफुद्दीन किचलू, माहम्मद अली और शौकत अली कराची म इसलिए कैद कर लिये गये थे क्योंकि उन्होंने मुस्लिम मुफ्तियो का फतवा—पुलिस और फौज की नौकरी हराम है—अपनी तकरीरो मे दोहराया था। उनके कैद हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने भी यह फतवा दोहराना शुरू कर दिया। इस पर गवनर-जनरल इन-कौंसिल के सामन इनकी गिरफ्तारी का सवाल उठा। इस पर कानून मेम्बर तेग बहादुर सप्रू ने एक जबदस्त नोट लिखा 'यह कानून का इतना सवाल नही है जितना राजनीतिक मसलेहत का है। ज्यादातर लोगो के लिए जेल की दहशत जाती रही है और कैद सामाजिक बेइज्जती की जगह देशभक्ति का चिह्न बन गयी है।" इसलिए वायसराय भी इस राय का हो गया था कि 'गाधी को हाथ नही लगाना चाहिए।'"[3] इस तरह मसलेहत के तौर पर गाधी को गिरफ्तार नही किया गया था।

१ फाइल न ८८/१—१६२५, (पाट-बी डिपाजिट)

२ फाइल न १४४ कायवाही—पाट-बी १६२४

३ फाइल न ३०३ सीरियल न १४८, शिमला रिकार्ड्स, १६२१

पूरक जानकारी

पहला खंड

१ स. भगत सिंह

सिस साजिश' की खुफिया फाइल में इसके बारे में लिखा है : 'पिता का नाम जैलदार कपूर सिंह, जात गिल जाट, चक २०८, जिला लायलपुर। जग म इसके पिता की और इसकी सेवाओं के कारण इसको सहमीलदार नियुक्त किया गया था। यह पंजाब यूनिवर्सिटी ब्रिगेड, सिगनल सेक्शन, में शामिल हुआ था। रियायत के तौर पर बी. ए. की डिग्री दी गयी थी। यह मालगुजारी की निगा ले रहा था तभी इसने गवनमेंट सर्विस म शामिल होने का विचार छोड दिया और दैनिक अकाली की एडीटरी संभाल ली—यह अकाली एतराज के योग्य कौमी प्रकाशन था।

'उक्त अखबार में कुछ अत्यंत बगावती लेख लिखने के कारण इस पर मुकदमा चलाया गया और इसे ३.१२.१९२० को दफा १२४ ए के मातहत ३ साल की सख्त कैद तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी। जुर्माना न देने पर एक साल की और कैद। दोनों कैदें एक साथ काटनी थीं।

'इसे १९२३ म जिला लुधियाना की ओर से शिरोमणि कमेटी का मेम्बर चुन लिया गया। १९२३ में अकाली नेताओं के साजिश केस मे इसे पकड लिया गया था, पर इसका मुकदमा (जेल म पहले से ही होने के कारण) वापस ले लिया गया। यह बहुत सख्त किस्म का अतिवादी नेता है।' (इसका जुर्माना अमरीका के देशभक्तों ने उतार दिया था)।[1]

२ ज्ञानी हीरा सिंह 'दर्द'

आप का जन्म ३० सितम्बर १८८९ को गांव घघरोट, जिला रावलपिंडी, म हुआ था। पिता का नाम भाई हरी सिंह निरकारी था। ज्ञानी हीरा सिंह अंग्रेजी का मैट्रिक और ज्ञानी पास थे। इन्होंने पंजाबी मे आजादी के लिए कवितायें लिखने की परम्परा शुरू की। गुरुद्वारा सुधार और आजादी के संबंध में इन्होंने

१ फाइल न २३५/१९२६ होम, पोलिटिकल

ओजस्वी कविताए लिखी और दैनिक अकाली निकलने के कुछ दिन बाद ही उसके सम्पादक मडल मे बुला लिये गये थे। यह अकाली के सम्पादक रहे, अकाली के सम्पादक रहते हुए तीन-चार बार कैद हुए।

यह हर प्रगतिशील तहरीक मे छाती ठोक कर लडते रहे और—दूसरे कई नेताओ की तरह—हार कर या जी छोड कर, कभी बैठ नही गये। यह खुद लिखते हैं 'कोई नेता दस मील चल कर थक जाता है, कोई बीस मील चल कर हार जाता है, कोई चालीस मील पर दम तोड कर बैठ जाता है। पर जनता आगे बढती जाती है। जिस नेता की जडें जनता मे होती हैं और जो जनता के साथ एक हो कर सग्राम जारी रखता है, वह जीवन भर नही थकता।"

और, यह 'दद' जी के लिए बडी श्रेयस्कर बात थी कि वह जीवन भर जनता के लिए सग्राम करते नही थके। सच्चे देशभक्त की तरह, अन्त में मार्क्सवादी बन कर, जनता के मार्चे में तीन चार बार कैद हुए और नजरबद भी रहे।

वह कई अखबारो के सम्पादक रहे और बाद मे दो मासिक पत्र खुद चलाये—फुलवाडी और फुलेरन। फुलवाडी ने पजाबी साहित्य की बडी सेवा की और पजाबी साहित्य को एक उच्च स्तर तक उठा कर बन्द हो गया। फुलवाडी मे अकाली तहरीक और अकाली नेताओ की जीवनियो के सबध मे बहुत सामग्री मिलती है।

उन्होंने जेलों म बहुत कुछ पढा और लिखा। वह बहुत मेहनती थे। उनकी सरगर्मियो का केन्द्र पहले लाहौर था। देश के विभाजन के बाद १९४७ म वह जलधर आ गये। यहा उन्होंने 'फुलवाडी ज्ञानी कालेज' चलाया, जो उनका पुत्र रणधीर सिंह अब भी चला रहा है।

आप ब्रिटिश साम्राज्य के कट्टर दुश्मन और आजादी के मतवाले थे। इतिहास मे आप अपने पद चिह्न छोड गये हैं। यह सम्मान हरेक को नसीब नही होता।

३ स सरदूलसिंह कवीश्वर

स सरदूलसिंह कवीश्वर सिखो क सर्वोच्च नेताओ मे से एक थे। आपको राजनीति और सिख धम की गहरी समझदारी थी, साथ ही देश और गुरुद्वारो की आजादी की बडी लगन भी। आप सेंट्रल सिख लीग के जनरल सेक्रेटरी थे। आपने ही लीग की दूसरी जनरल बैठक मे गवनमेट के खिलाफ असहयोग का प्रस्ताव पेश किया था और पास कराया था। आप श्रोमणि गुरुद्वारा

प्रबधक कमेटी की पब्लिसिटी कमेटी के भी सेक्रेटरी थे। गवनमट के झूठे प्रचार का भडाफोड करने के लिए आप काग्रेसी और खिलाफती नेताओ को झटपट लामबद कर लेते थे। पजाब मे राष्ट्रीय काग्रेस ने इन्हें अपना सेक्रेटरी चुना था।

सरदार जी ने अकाली में १३ माच से २१ माच १९२१ तक ननकाना हत्याकाड पर एक लेख माला लिखी थी जिसमे सरकारी अफसरो द्वारा "फज की कोताही' की तीव्र आलोचना की थी। ये लेख कानून की जद में नही आते थे। लेकिन सरकार सरदार जी जैसे गमख्याल नेता को जेल से बाहर नही रहने देना चाहती थी। इसलिए उन्हे—इन लेखो की बिना पर—२७ मई को पकड लिया गया और एक मुकदमे का ढोंग रच कर दफा १२५ ए के अतगत ५ साल की सख्त सजा दे कर जेल मे ठूस दिया गया। इस मुकदमे के दौरान आपने जो पुरजोश बयान दिया, वह ऐतिहासिक महत्व का है।

सरदार जी १५ अगस्त १९२५ को रिहा हुए। रिहा होते ही आप धार्मिक और राजनीतिक कामो मे जुट गये। हेली ने आपकी रिहाई के सम्बध मे कहा था "उसकी रिहाई से गमख्याल धडा मजबूत हुआ है।" हेली ने आपके बारे मे यह भी लिखा था "पक्का स्वराजी, बडी साहित्यिक योग्यता वाला व्यक्ति।"

आपने एम ए की पढाई बीच म ही छोड दिल्ली से सिख रिव्यू नाम का अग्रेजी रिसाला निकालना शुरू किया था जिसके निधडक लेखो के कारण सरकार ने उस पर सेन्सर बैठा दिया था। फिर लाहौर से आपने न्यू हेराल्ड जारी किया। आप १९१९ के माशल लॉ के दिनो मे कैद कर लिये गये, पर कुछ शर्तों पर छूट आये। आने के बाद गवनर को पत्र लिख कर आपने शर्तें तोड दी और लिखा "पकडना है तो पकड लो।" और फिर धार्मिक तथा राजनीतिक कार्यों म जुट गये।

रिहाई के बाद आपने पजाबी भाषा मे सगत और उर्दू भाषा म लहरें पत्र निकाला। इसके एक-दो एडीटर भी कैद हुए। गुरुद्वारा तहरीक को आपने 'सिखो की तीसरी जग" की हैसियत दी थी। कुछ गलतियो के कारण कवीश्वर जो साथियो द्वारा बिना रोये गाये विदा हो गये।

४ स दानसिंह बिछोवा

स दानसिंह के पिता डॉ गगासिंह रायबहादुर थे और कई सरकारी अस्पतालो म सिविल सजन रह चुके थे। उनके दादा स हीरासिंह १८५७ के गदर के समय कमीशड अफसर थे। सरकारी खानदान में पैदा होने के कारण

मिस्टर किंग (डेपुटी कमिश्नर) ने उन्हें "दरबारी" बना दिया था। वह बहुत समय तक सरकार के वफादार रहे और सरकार के दरबारो मे आते-जाते रहे। उस समय उनका सम्बंध चीफ खालसा दीवान से था। २०वी सदी के दूसरे दशक मे अपने गाव बिछोवा मे उन्होंने सिंह सभा की कान्फ्रेंस भी करायी थी।

१९१९ मे जलियावाला बाग ने और बाद मे ननकाना साहब के कत्ले-आम ने उनकी आखें खोल दीं और वह धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्रो म चल रहे सग्रामो मे शामिल हो गये। उन्होंने १९२० के दिसम्बर मे, अपने खच पर बिछोवे मे बडी भारी राजनीतिक कान्फ्रेंस करायी थी जिसमे लाला लाजपत राय, आगा सफ्दर, डा सतपाल तथा कई अय हिंदू और सिख नेताओ न भाग लिया था। अमृतसर मे ही नही, पजाब भर मे यह अपने किस्म की पहली राजनीतिक कान्फ्रेंस थी।

आप नगर कांग्रेस कमेटी के, जिला सिख लीग के तथा गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान थे। साथ ही, आप श्री दरबार साहब की स्थानीय कमेटी के इन्चाज भी थे। अमृतसर म सूबाई सिख लीग के इजलास के समय आप स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। आप कई बार जेल गये थे और अकाली लीडरों के साजिश केस म लगभग ढाई साल लाहौर किले म कैद रहे थे।

आप बडे निधडक और दशनीय जवान थे। अमृतसर से बाहर की जायदाद पर ही आप कोई दो हजार रुपय का टैक्स देते थे। आप अच्छे स्वाभिमानी पुरुष थे। कांग्रेसियो और अकालियो की खुद तो मदद करते थे पर अपने लिए अकालियो से, या सरकार से कभी कोई मदद नही मागी।

१९७३ के शुरू मे आपका निधन हुआ। बिछोवे में अपनी कोठी म ही आप रहते थे।

दूसरा खंड

१ भाई जोध सिंह

"जोध सिंह को डर है कि कई सिख धम की आड मे पथ को किसी और दिशा म ले जा रहे हैं। पर दूसरे सिखो को डर है कि इस हमदर्दी की आड में वह सिखो को आ'इवायरशाही की गुलामी की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अपने लेख मे सबसे भयानक और जुल्म वाली बात आपने यह कही है कि अगर सरकार एक माग मान लेती है तो दूसरी बढ़ा दी जाती है, दूसरी मान लेती है तो तीसरी बना दी जाती है । यह विशुद्ध झूठ है।

समझौने की खातिर कमेटी ने अपनी कोई माग घटायी भले ही हो—जरा बताइए तो कि कमेटी ने माग बढायी कौन सी है ?"[1]

२ कमेटी और राजनीतिक सरगर्मिया

शोमणि कमेटी राजनीतिक जत्थेबदी नही थी। पर एक छोटे फिरके म राजनीतिक लीडर, सामाजिक या धार्मिक सुधारक आसानी से गड्डमड्ड हो जाते हैं या एक समान भी हो जाते हैं। गवनमेंट ही इस अतर को कायम नही रहने देती थी। जब सरकारी सरबराह द्वारा जनरल डायर को दरबार साहब मे खिलअत दी गयी, तो उसके गुनाहो पर पोचा फेरने के लिए दरबार साहब के धार्मिक सत्कार को इस्तेमाल किया गया। और, लार्ड फिनले ने इस घटना का हाउस आफ लार्ड स मे उस समय ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया, जब उसने कहा कि सिखो ने उस (डायर) की कारवाई को पसद किया है—यहा तक कि उसे सिख बना लिया है। इससे पहले यह दरबार साहब ही था, जहा से सरकारी सरबराह ने एलान करवाया था कि बजबज घाट के शहीद सिख नही थे। दरबार साहब के फड से ही सरकार ने पहले विश्व युद्ध के दौरान पचास हजार रुपये का जगी कर्जा लिया था।[2]

३ कमेटी धार्मिक सस्था थी या राजनीतिक ?

काग्रेस के इतिहास म लिखा है :

तब गुरु के बाग के मामले की घटना हुई इतना ही कहना काफी है कि सिखो ने गाधी जी के इस कथन को सिद्ध किया कि "लाठी के वार सभालने म गोली के सामने छाती अडा देना बहुत आसान है। और, जो शातिमय रह कर यह वार झेलते हैं वे सम्मान के हकदार हैं।" इस घटना के दौरान झेली गयी सख्तियो के सबध मे पजाब सरकार के एक योरपीय अफसर ने जाच पडताल की। सी एफ एण्ड्रूज जैसे आदमियो ने उन सख्तियो की गम्भीर खसलत के बारे मे गवाहिया दी हैं। 'यह एक बहुत ही दिल हिला देने वाला तथा दर्दनाक दृश्य था" एण्ड्रूज ने कहा। "यह अहिसा की पूर्ण जीत है। अकालिया की यह असल शहादत है। जैसा कि पडित मोती लाल नेहरू ने कहा था, उधर नाकाबदी थी। और कितने ही दिनो से खाने-पीने की किसी चीज के एक अश तक को काटेदार तार की बाड नही लाघने दिया गया था। जो लोग खाने पीने वाली कोई चीज भूल स ले आते हैं वे बुरा

१ अकाली ते प्रदेसी अक्तूबर १६२२
२ पट्टाभि सीतारमैया, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का इतिहास, खड १ पृ २६४

तरह मारे-पीटे जाते हैं। गुरुद्वारे के सामने मेरी कार की तलाशी ली गयी।" उसने कहा, "और तब ही उसे बाड का छोटा रास्ता पार करने दिया गया।"[1]

४ मास्टर तारा सिंह

जन्म २४ जून १८८५, देहात २२ नवम्बर १९६७।

१९०७ मे बी ए पास किया। एम ए बी पास करने के बाद लायल पुर म हाई स्कूल चलाया। गुजारे के लिए केवल १५ रुपये माहवार लेते रहे। अकाली लहर शुरू होने के बाद इसमे शामिल हो गये और इसके चोटी के नेता बन कर काम करते रहे। कई बार जेल गये और दो-तीन बार नजरबन्द हुए।

'सिख साजिश" के रजिस्टर मे आप की बाबत लिखा है

"मास्टर तारा सिंह, बेटा काशी राम उर्फ गोपी चन्द हरियाल (ग्राम), जिला रावलपिंडी का खत्री। श्रोमणि कमेटी जो १९२३ मे (?) चुनी गयी थी, की एक्जेक्युटिव और वर्किंग कमेटी का मेम्बर। नाभा एजीटेशन मे आगे बढ कर हिस्सा लिया। असल मे एजीटेशन शुरू करने वाले रहनुमाओ मे यह एक था। १९२३ मे अकाली लीडरो के साथ पकड लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। मुकदमे मे उन सिख लीडरो का प्रमुख था, जिन्होंने गवनमेन्ट द्वारा लगायी गयी शर्तों को मानने से इन्कार कर दिया था।"[2]

१९३२ ३३ तक आप फिरकापरस्ती के एकदम खिलाफ थे और कांग्रेस की विचारधारा से सहमत थे तथा पशावर गोलीकांड मे पठाना की हिमायत के लिए जत्था ले जाते हुए पकडे गये थे। बाद मे आम चुनाव के खेल ने आपको प्रतिक्रियावादिया की पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी और उसके लीडर राजगोपालाचारी के साथ बिल्कुल एक कर दिया था।

तीसरा खण्ड

१ गैर-कानूनी

पजाब सरकार श्रोमणि कमेटी और अकाली दल को गैर-कानूनी नहीं करार देना चाहती थी। हिन्द सरकार ने पजाब सरकार को मजबूर करके यह एलान करवाया। यह सचाई स करतार सिंह के सेंट्रल असेम्बली मे एक सवाल करने पर सामने आयी।[3]

१ पी सीतारमैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, पृ २६४ २६५
२ सिख कॉन्सपिरसी फाइल न २३५/१९२६
३ फाइल न 1/III—१९२४

भूमिगत हो गये थे। तीन साल वह जेलों में नजरबंद रहा। रिहाई के बाद उसने गांव में जलसा किया। इस पर पुलिस ने गांव पर आतंक बरपा कर दिया। दरबारा सिंह मरलण ने थानेदार को पकड़ कर पीटा। वह कैद कर लिया गया। रिहाई हुई, तो कुछ दिन बाद ही फिर कैद कर लिया गया। दरबारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सतानम के साथ जैतो गया। वहां उसे गिरफ्तार करके दो साल के लिए फिर कैद में डाल दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरबारा सिंह मरलण के बारे में लिखा था

"दरबारा सिंह ने अपने देश के लिए कई सालों तक दुःख झेले हैं। उसने नजरबंदी और जेल काटी और अब जब वह कोमागाटामारू के जरिये वापस आया तो ब्रिटिश फौज ने उस पर गोलियां चलायीं। मुझे उसके साथ मुलजिमों के कटघरे में खड़ा होने पर फख्र है और मैं विश्वास करता हूं कि मैं भी उसी क़िस्म की बहादुरी दिखाऊंगा जैसी उसने कई मौकों पर दिखायी है।'

जवाहरलाल नेहरू ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दरबारा सिंह उनके साथ था वह जत्थे में नहीं गया था। पर जैतो में जवाहरलाल की दुहायी कौन सुनता था? जत्था रिहा हो गया, पर दरबारा सिंह दो साल के लिए कैद कर लिया गया। वह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेम्बर था।

५ प्रचारकों का काम

शहीदी जत्थों को जत्थेबंद करने के लिए शिरोमणि कमेटी के प्रचारकों ने भी बड़ा काम किया था। ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर और ईश्वर सिंह मझैल इनमें से प्रमुख प्रचारक थे। अकाल तख्त के ग्रंथियों, जत्थों के जत्थेदारों और अकाली लीडरों ने आगे बढ़ कर शहीदी जत्थों की रहनुमाई की थी और जेलों में आम अकालियों की तरह उनके साथ तकलीफें बर्दाश्त की थीं। जवाहर सिंह बुर्ज, दर्शन सिंह फेरूमान, मोहन सिंह नागोके, ऊधम सिंह नागोके वगैरा —हर जिले के प्रसिद्ध अकाली लीडरों—ने बढ़-चढ़ कर कुर्बानियां की थीं। किस किस का नाम लिखा जाय और किस किस का नहीं। हर अकाली नेता अपने और वीरों के साथ आगे होकर हर मुसीबत झेलने को तैयार रहता था और मोर्चे में जाने के लिए तीव्र उत्सुकता जाहिर करता था।

६ शहीदी जत्थे को नोटिस

पहले शहीदी जत्थे को विल्सन ने जो नोटिस भेजा था, वह जत्थे को नहीं डॉ॰ किचलू को मिला था। यह बात 'न्यूयार्क टाइम्स' के संवाददाता मि॰ जिमंड ने नोट की थी। नोटिस में दर्ज था कि ५० से ज्यादा आदमी जैतो नहीं जाने

दिये जायेंगे, बाकी को वापस जाना पडेगा। जैतो मे धार्मिक रस्म अदा करने के बाद, उन्हें भी रियासत के इलाके से निकल जाना होगा।"[1]

७ जैतो हत्याकाड का परिणाम

"२१ (फरवरी के जैतो हत्याकाड) का नतीजा यह निकला है कि महाराजा नाभा के बारे मे विचार या चर्चा बद हो गयी है और लोगो की सारी एजीटेशन अखड पाठ पर केंद्रित हो गयी है। आम आदमी यह यकीन करता है कि अखड पाठ खडित किया गया था। वह इस सवाल से बडी गहरी हमदर्दी रखता है।"[2]

८ जैतो के मुकदमे

"वह (हिंद सरकार) पक्की तरह इस राय की है कि सारे अकालियो पर मुकदमे नही चलाये जाने चाहिए। सारे अकालियो के खिलाफ गवाही हो, तब भी कुछ आदमियो—कमोबेश एक दजन—पर ही मुकदमे चलाये जाने चाहिए। फैसला कर लो कि किन पर मुकदमे चलाने हैं। बाकी अकालियो को, बिना देर किये, जाने दो।"[3]

९ अफसर और अखड पाठ

सरकारी अफसर तोते की तरह रट लगाये थे कि अखड पाठ खडित नही हुआ—नही हुआ। पर नाभे के कुछ पिटठुआ के अलावा सरकार की इस तोता रटत को कोई नही मानता था। तो भी, गवनमेट ने यह ढोग जारी रखा और २२ फरवरी को कुछ सिखा द्वारा गुरुद्वारे मे अखड पाठ रखवा दिया। भोग पडने पर अरदासा कराया—वाह गुरू का शुन है कि उसने नगर को अकालियो के हाथो से नजात दिलायी।[4]

नाभा रियासत के अफसरों और फौजी दस्तो मे आम अहसास यह मिलता है कि अखड पाठ खोल दिया जाना चाहिए और शर्तों मे इस हद तक तब्दीली

1 दि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजस वर्शिप इन जतो, एस जी पी सी प्रकाशन
2 २६ फरवरी को लाहौर डिवीजन के कमिश्नर को डी सी अमतसर की चिटठी
3 पोलिटिकल सेक्रेटरी दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर नाभा को पत्र २३ २ १९२४
4 सिविल सेक्रेटारियट (लाहौर) का मि थाम्पसन (पोलिटिकल सेक्रेटरी) को पत्र २६ २ १९२४

कर देनी चाहिए कि पाठा के खत्म होने का समय वढा दिया जाय और किसी तीसरी पार्टी से लिखित रूप मे ले लिया जाय कि वह जत्थे की जमानत करती है।[1]

१० कब्जे की अफवाहें

इस वक्त बडी अफवाहें फैल रही थी कि सरकार दरबार साहब पर कब्जा करने वाली है अमृतसर मे मार्शल ला लगने वाला है। नाभे के राजप्रबधक ने यह सुझाव भी दिया था कि "अगर यह सच है कि दूसरा शहीदी जत्था रवाना होने वाला है तो मैं अमृतसर मे मार्शल ला घोषित करने का सुझाव दूगा।"[2] ये अफवाहें बहुत अर्से तक फैलती रही और दरबार साहब की रक्षा के विशेष प्रबध किये गये।

सी आई डी की यह रिपोर्ट भी थी कि अगर सरकार ने दरबार साहब पर कब्जा कर लिया तो शिरोमणि कमेटी का (धार्मिक और राजनीतिक) 'हेड क्वाटर" बबकसर मे, और अकाली दल का बाबा दीप सिंह की समाधि पर, ले जाया जायगा। अगर दफ्तर अमृतसर म रखना मुश्किल हो गया, तो केन्द्रीय जत्थेवदी तरनतारन या चुभाला साहब चली जायगी। यह रिपोर्ट भी थी कि शिरोमणि कमेटी के मौजूदा सदस्यो से कह दिया गया था कि वे अपनी अपनी जगह एक एक आदमी नामजद कर दें और दरबार साहब की रक्षा का प्रबध पक्का कर दिया जाय सारे जरूरी कागजात और रुपया-पैसा छिपा दिया गया है और प्रेस पर हमले की सूरत मे डुप्लीकेट मशीनो का प्रबध कर लिया गया है।[3]

११ महाजनों की पिटाई

पुलिस ने जैतो मडी के महाजनो पर चढाई कर दी और उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। महाजनो को पीटने का कारण यह था कि "तुम अकालियों को रसद पानी क्या देते हो। कई महाजनो को सख्त चोटें लगी। देहात के रास्तो पर पहरे बैठा दिये गये ताकि अकालियों का खाने पीने की कोई चीज न मिल सके।[4]

१ लाला नत्थूराम (चीफ पुलिस अफसर) के काम के बारे मे मेमोरडम
२ एडमिनिस्ट्रेटर का पालिटिकल सेक्रेटरी (दिल्ली) का पत्र २५-२ १९२४
३ डी सी अमृतसर का पत्र १४ ४-१९२४
४ जैतो विच खून दे परनाले, लेखक भाग सिंह मस्त निधडक'

१ चुनाव हथकंडे

ननकाना साहब के मैनेजर करतार सिंह दीवाना ने सेंट्रल बोर्ड का मेम्बर बनने के लिए पूरी तानाशाही बरती। उसने शराब के दौर चलाये। शहीदों के कातिल महंतों को साथ लेकर वह प्रोपगेंडा करता रहा। चुनाव में वह गुरुद्वार के वसीले इस्तेमाल करता रहा। जो उसके मददगार थे उन्हें तरक्किया दी, जो अकाली दल के साथ थे, उन्हें नौकरियों से बरखास्त कर दिया गया। अपने चुनाव में मदद न देने के कारण उसने गुरु नानक हाई स्कूल के कुर्बानी करने वाले मास्टरों को स्कूल से निकाल दिया। मददगारों के सफर खर्च के बिल, गुरुद्वारे के खाते में डाले जाते रहे। लंगर की रसद इस्तेमाल की जाती रही। रिश्वत का बाजार गर्म रहा। इन बेइखलाक और बेउसूल करतूतों की पड़ताल अकाली दल के तीन मेम्बरों—निरंजन सिंह सरल, करतार सिंह लायलपुरी और ज्ञानी अनूप सिंह—की जांच कमेटी द्वारा करायी गयी। रिपोर्ट इखलाकी आचरण की अधोगति की साकार तस्वीर है।[1]

२ वोट न दे सके

प्रोफेसर जोध सिंह ने न्याय विभाग के बारे में अपनी एक रुपये की कटौती की तहरीक पर पंजाब कौंसिल में बोलते हुए कहा "जिन सिख रहनुमाओं पर मुकदमा चल रहा है, उन्होंने चुनाव के स्थानों पर पहुंच कर गुरुद्वारा एक्ट के अनुसार वोट डालने की आज्ञा भी मांगी है। क्या अब भी गुरुद्वारा एक्ट को इस्तेमाल में लाने की उनकी इच्छा के बारे में शक रह जाता है?" प्रोफेसर रुचिराम साहनी ने इस मामले को और साफ करते हुए कहा कि लीडरों ने अमली तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वे गुरुद्वारा एक्ट को इस्तेमाल में लाने के हक में हैं, अब उन्हें एक पल भी जेल में रखने का सरकार के पास कोई कारण नहीं रह जाता।

सर जॉन मेनाड ने बोलते हुए उत्तर दिया जिन लोगों ने अपने आगे के रवैये के संबंध में दूसरा की तरह वचन देने से, या सीधी कारवाई न करने का इकरार करने से इनकार कर दिया है—उन पर विश्वास करना कठिन है। कुछ भले लोगों ने बड़ी माकूल शर्तें मान ली हैं परन्तु कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। इसलिए शर्तें मानने वालों के साथ

1 अकाली ते प्रदेसी, १८ १६ जुलाई १६२६

यह इसाफ नहीं होगा कि शर्तें न मानने वालों के साथ भी वैसा ही सलूक किया जाय ।''

इसी को कहते हैं मन हरामी, तो हुज्जतें ढेर ।

३ एक्जेक्यूटिव कमेटी का प्रस्ताव (४ अक्तूबर १९२५)

कानून मजूर

श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी पिछले कुछ सालों से सिख गुरुद्वारों का प्रबध पूरी तरह पथ के हाथों में लाने के लिए कानून बनवाने का प्रयत्न करती रही है। अब पजाब कौंसिल के सिख मम्बरों, श्रोमणि कमेटी के मौजूदा सेवकों तथा जेलों में कैद सिख लीडरों के साथ परस्पर विचार के आधार पर बना गुरुद्वारा एक्ट १९२५, जाब्ते के अदर शामिल हो चुका है। कुछ खामियों के होते हुए भी, यह गुरुद्वारा एक्ट गुरुद्वारा सुधार लहर की बुनियादी और जरूरी मागें पूरी करता है। और, चूकि किला लाहौर वाले लीडरों ने भी गुरुद्वारा एक्ट स्वीकार कर लेने और उस पर दिल से अमल करने की पथ से अपील की है, इसलिए श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी इस प्रस्ताव के जरिये गुरुद्वारा एक्ट की स्वीकृति का एलान करती है और समस्त गुरुसिखों का आह्वान करती है कि गुरुद्वारा एक्ट को अमल में लाने में तन मन से सहायता करें।

४ स बहादुर महताब सिंह

आप जिला शाहपुर के निवासी थे। जन्म १८७६ में और निधन १९३८ में हुआ। बैरिस्टरी पास करके आपने वकालत में बड़ी सफलता हासिल की। पजाब कौंसिल के मेम्बर बने और डेपुटी-स्पीकर चुने गये। आप पब्लिक प्रोसीक्यूटर भी थे। आपको रुपये-पैसे की कमी नहीं थी। श्रोमणि कमेटी के प्रस्ताव पर फूल चढाते हुए आपने कौंसिल की मेम्बरी और सरकारी ओहदे त्याग दिये। ननकाना साहब के महत के केस में सरकारी पक्षपातपूर्ण रवैये से आप बड़े दुखी हुए थे और गवर्नमेंट के तीव्र आलोचक बन गये थे।

स बहादुर धार्मिक विचारों के आदमी थे। गुरुद्वारों में गवर्नमेंट के दखल को देख कर आप अकाली लहर में कूद पड़े। दो तीन दफा जेल जाकर कुर्बानी की। गुरुद्वारा बिल के पास हो जाने के बाद इनमें कमजोरी आ जाने के चार कारण थे

(१) सरकारपरस्त रिश्तेदारों और सरकारी अफसरों से गहरे सबध, (२) अग्रेज राज की पायेदारी में यकीन और राजनीतिक मामलों से—जहा

१ अकाली ते प्रदेसी, २ जुलाई १९२६

तक सभव हो सके—बच कर रहना, (३) 'अकाली साजिश केस' मे, कैद हो जाने से पहले रिहा हो जाने की तमन्ना और जेल की जिन्दगी का उनको साहसहीन बना देने का असर, तथा (४) रिसालदार सुन्दर सिंह, रणजोध सिंह तथा अन्य साथियो का शर्ते मान कर रिहाइयो के लिए जोर और दबाव।

उक्त कारणो से उनमे कमजोरी आ गयी थी। वह अपने दुरुस्त इरादे के खिलाफ शर्ते देकर बाहर आ गये थे। वह श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी के दुबारा प्रधान चुन लिये गये, किन्तु कमजोरी के कारण लोगो के दिल से उतर गये थे। इसलिए जल्दी ही उन्हें प्रधानता के पद से उतार दिया गया और पथ मे जगह जगह उनकी सख्त मुखालिफत होने लगी।

परिशिष्ट १

अकालियों की सख्या का सक्षिप्त विवरण

प्रान्त का इलाका	जिलो की क्रमिक सख्या	अकालियों की सख्या	जाट	कमीन	जाटों, कमीनो के अलावा अन्य	प्रवास से आये
पूर्वी पजाब मिली जुली आबादी	१ अम्बाला	१५६	१३४	२३	२	
मालवा इलाका	२ लुधियाना	६७२	५२१	१५१		३१
बहुत ज्यादा सिख आबादी	३ होशियारपुर	१०५८	६४४	११४		२८
	४ जलधर	९१६	७४६	१६७		७३
	५ फीरोजपुर	४४६	३४४	१०२		२७
माझा इलाका	६ गुरदासपुर	९०९	६५०	२५९		३
बहुत ज्यादा	७ अमृतसर	१३६३	११०८	२५५		३३
सिख आबादी	८ लाहौर	१७२२	९१२	५८७	२२३	३९
रचना दुआब	९ शेखूपुरा	२१९८	१४४५	२५०	५०३	३
बहुत सिख	१० गुजरावाला	४४४	१७१	८८	१८५	२
आबादी	११ स्यालकोट	७२०	४९५	८०	१४५	
नहरी आबाद-	१२ लायलपुर	३१४८	२३५८	२७४	१६	४
कारी मिली जुली आबादी	१३ मटगुमरी	१३८	२८	४६	६४	
रावलपिंडी	१४ गुजरात	३१४	३१३	१		१
मुस्लिम आबादी	१५ झेलम	५२६			५२६	
बहुत ज्यादा	१६ शाहपुर	१६१	२८	२	१६१	
	१७ रावलपिंडी	५८२			५८२	४
कुल सख्या		१५५०६	१०२००	२३९९	२६०७	२४८

१ लेखक के नोट

(१) उक्त अकाली सख्या फरवरी १६२२ से पहले की है। उस वक्त अकाली तहरीक उभार पर थी।

(२) ब्रिटिश साम्राज्य के हाकिम सभी हिंदुस्तानियो से गुलामो जैसी नफरत करते थे, पर निधन दलित जातियो को कमीन के खाने मे रखने का अथ उनके प्रति अत्यधिक नफरत है। पहले वे अकाली तहरीक को भी कमीनो की तहरीक कहते थे।

(३) अगला परिशिष्ट फौजी पेंशनरो, नाम कटे फौजियो और सजायाफ्ता कैदियो या मुजरिमो के अकाली दल मे शामिल होने की सख्या बताता है। यह सख्या फरवरी १६२२ तक की है। इसमे, बदमाशी मे एक दफा कैद हो चुके राजनीतिक कार्यकर्ता और अकाली शामिल हैं। पेंशनरो की सख्या, पेंशनें जब्त करने की तैयारी के सबध म थी।

परिशिष्ट-२

अकाली दल की बनावट और ताकत

फौजी पेंशनर	नाम कटे फौजी	सजायाफ्ता और बदचलन	वह महीना जिसम यह सख्या ली गयी
१	२	?	दिसम्बर
१०२	१२८	?	"
७३	७५	?	नवम्बर और दिसम्बर
७४	७४	?	" "
२५	५५	?	दिसम्बर
३४	४८	५	"
६०	६२	७६	"
१५	७०	१८३	दिसम्बर-जनवरी
६५			
२३		५३	जनवरी फरवरी
३७	४८	?	जनवरी
५४	६३	८४	जनवरी फरवरी
३		?	जनवरी
३	५	?	"
१	१	?	दिसम्बर
२	३७	?	दिसम्बर जनवरी
६०२	६५८	४०४	

नोट। उक्त दोना परिशिष्ट सी आई डी सुपरिटेंडेंट व्ही डब्लू स्मिथ की रिपोट के अत मे दिये गये हैं और दिल्ली रिकाड स—२—कॉफीडेंशियल फाइल न ४५६—पाट २, क्रमवार नम्बर ११०-१६२२ (होम पोलिटिकल) मे दज हैं।

परिशिष्ट-३

गुरू के बाग के जख्मी अकालियो को इलाज के लिए तीन अस्पतालो मे रखा जाता था। नीचे हम सिफ दो जत्थो के जख्मियो का विवरण दे रहे हैं। श्रोमणि कमेटी का यह रिपोट डाक्टरो ने छठी और सातवीं तारीख के जत्थो की मारपीट के सबध म दी थी। इसमे उस बेरहमी और पाशविकता का कुछ पता चल जाता है जो पुलिस के हत्यारे शातिमय अकाली सत्याग्रहियो के साथ बरतते थे।[1]

६ तारीख के जत्थे के जख्मियो का सक्षिप्त विवरण

१	लिगो मे चोटें	३२
२	जल्दी ठीक न होने वाले जख्म	१२
३	दिमाग मे चोटें	१५
४	जिस्म के ऊपर के हिस्सो मे जख्म	२०
५	जिस्म के सामने के हिस्से पर चोटें	१५
६	दात हिल गये	१
७	पेशाब की तकलीफ	७
८	साधारण चोटें	५५
९	बुरी तरह जख्मी	२५
१०	बहुत बुरी तरह जख्मी	३
११	गम्भीर हालत	१८
	कुल सख्या	२०३

७ तारीख के जत्थे के जख्मियो का सक्षिप्त विवरण

१	जिस्म के ऊपर के हिस्सा मे जख्म	१२
२	जल्दी ठीक न होने वाले जख्म	११
३	फटे हुए जख्म	१
४	जिस्म के अगले हिस्सो मे जख्म	१५

१ देखिए श्रोमणि कमेटी का एलान नम्बर ६३

५	दिमाग मे चोटें	११
६	लिंग मे चोटें	१५
७	पेशाब की तकलीफ	१
८	हड्डी टूटी	३
९	साधारण चोटें	५९
१०	बुरी तरह जख्मी	१४
११	बहुत बुरी तरह जख्मी	३
१२	गम्भीर हालत	१५
	कुल सख्या	१६०

परिशिष्ट-४

उन कारवाइयो की सूची जो अखबारो के एडीटरो, पत्रकारो और अखबारो के मुद्रणालयो के खिलाफ की गयी

१ मगल सिंह एडीटर अकाली (लाहौर) दफा १२४।ए और १५३ के अन्तगत तीन साल की सख्त कैद और एक हजार रुपये जुर्माना+दो साल और (सख्त कैद), सजायें इकट्ठी चलेंगी।

२ सुन्दर सिंह सचालक पीपुल्स प्रेस (लाहौर)। एक हजार रुपये की जमानत मागी गयी, इस प्रेस मे खालसा अखबार छपता था। आरोप लगातार दुश्मनी का प्रचार करता है।

३ पीपुल्स प्रेस की जमानत जब्त। अकाली अखबार में, १९२० मे, असहयोग पर एतराज योग्य लेख लिखने के कारण।

४ चन्दा सिंह सचालक पथ सेवक प्रेस (अमृतसर) एतराज योग्य लेखो के कारण एक हजार रुपये की जमानत मागी गयी।

५ निधान सिंह सचालक प्रताप हरी प्रेस (लाहौर) सचालक को बदलने की दरख्वास्त और एक हजार रुपये की जमानत मागी गयी।

६ जवाहर सिंह सचालक हिन्दुस्तानी प्रेस (लाहौर) दो हजार रुपये की जमानत। जमानत जब्त। कारण पुलिस और फौज की नौकरी हराम है'—पोस्टर छापना।

७ अब्दुल रहमान (मास्टर सुन्दर सिंह लायलपुरी का शागिद), मुबारक प्रेस (लाहौर) की दो हजार रुपये की जमानत जब्त, दैनिक अकाली छापने के कारण।

८ चतुर सिंह, सचालक पब्लिक प्रेस (लाहौर) १०,००० रुपये की जमानत मागी गयी।

९ साधू सिंह, सचालक साधू प्रेस (लाहौर) १०,००० रुपये की जमानत मागी गयी।

१० बलवन्त सिंह सचालक अपर इडिया प्रिंटिंग वक्स (लाहौर) : पहला हुक्म बदल कर एक हजार रुपये की जमानत मागी गयी, नया सचालक रखने के कारण।

११ हजूरा सिंह सचालक प्रताप हरी प्रेस (लाहौर) पहला हुक्म बदल कर दो हजार रुपये की जमानत मागी गयी।

१२ प्रताप सिंह, एडीटर दैनिक अकाली दफा १२४।ए के अतगत मुकदमा, मुआफी मागने के बाद छोडा गया।

१३ नरिन्दर सिंह, अकाली अखबार (लाहौर) का मुद्रक और प्रकाशक दफा १७८ (आई टी ए) के अतगत चार महीने की कैद।

१४ सरदूल सिंह कवीश्वर' अकाली म ननकाना हत्याकाड पर क्रमश ६ लेख लिखने के कारण दफा १२४।ए और १५३।ए के अतगत ५ साल की सख्त कैद।

१५ उत्तम सिंह एडीटर अकाली (लाहौर) दफा १२४।ए के अतगत ६ महीने की सख्त कैद।

१६ मास्टर सुदर सिंह लायलपुरी अकाली मे एतराज योग्य लेखमाला लिखने के कारण दफा १२४/ए के अतगत एक साल की सख्त कैद।

१७ लाभ सिंह एडीटर और प्रकाशक अकाली (लाहौर) दफा १२४।ए के अतगत एक साल छ महीने की साधारण कैद।

१८ हीरा सिंह दद एडीटर प्रिंटर और पब्लिशर दैनिक अकाली दो मुकदमों मे डेढ साल की सख्त कैद।

१९ हरदित्त सिंह रावलपिंडी, अंग्रेजी राज में मिट्टी खराब के लेखक और प्रकाशक तीन साल की सख्त कैद।

२० कन्हैया सिंह उक्त पैम्फ्लेट का मुद्रक एक हजार रुपये जुर्माने या ६ महीने की सख्त कैद।

२१ हरी सिंह एडीटर मुद्रक और प्रकाशक परदेसी खालसा (अमृतसर) केस चल रहा है।

२२ सरदारा सिंह एडीटर आजाद अकाली (लाहौर) दफा १२४।ए के अतगत दो साल की साधारण कैद।

२३ हरबस सिंह, सह-सम्पादक आजाद अकाली (लाहौर) १२४।ए के अतगत ६ महीने की साधारण कैद।

२४ सुदर सिंह एडीटर आजाद अकाली (लाहौर) दफा १२४।ए के अन्तगत डेढ साल की साधारण कैद।

२५ सरदारा सिंह और खेम सिंह, एडीटर, प्रिंटर और पब्लिशर गडगज्ज अकाली (अमृतसर) दो हजार रुपये की जमानत जब्त।

२६ हजूरा सिंह सचालक प्रताप हरी प्रेस दो हजार रुपये की जमानत जब्त।

२७ चन्दा सिंह, सचालक पथ सेवक प्रेस समाचार अखबार मे बगावती लेख लिखने के कारण एक हजार रुपये की जमानत जब्त।

२८ पथ सेवक प्रेस मे छप रही बाबा गुरदित्त सिंह की पुस्तक कोमागाटामारू दी गाथा के प्रूफ सामग्री वगैरा, जब्त।

२९ गुरचरन सिंह सचालक सरदार प्रेस (अमृतसर) पथ सेवक को छापने का काम लेने के कारण एक हजार रुपये की जमानत मागी गयी।

३० दया सिंह सचालक ओकार प्रेस परदेसी खालसा छापने का काम लेने के कारण दो हजार रुपये की जमानत मागी गयी।

नोट ये कारवाइया सरकार ने १९२० २२ म की थी। बाबू एन सी नियोगी द्वारा लेजिस्लेटिव असेम्बली (दिल्ली) म एक सवाल के जवाब मे यह चिट्ठा पेश किया गया था। कुल १०७ अखबारो और प्रेसो के खिलाफ कारवाइया की गयी थी। यहा अकाली और पजाबी अखबारो और प्रेसो को कुचलने की फेहरिस्त दी गयी है। उर्दू के अखबारो—जमीदार, सियासत बन्देमातरम वगैरा—की जमानतें जब्त हुइ और एडीटर प्रिंटर तथा पब्लिशर कैद हुए। ब्रिटिश औप निवेशिक शासन म आजादी से लिखने के रास्ते पर चलने के लिए प्रेस को बडी बडी कुर्बानिया करनी पडी।

परिशिष्ट—५ (अ)

उन पम्फलेटों और अखबारों की सूची जो प्रेस एक्ट १९१० ई दफा १२ के अन्तगत जब्त किये गये

१९२२

१ अकाली ते प्रदेसी (अमृतसर), एडीटर जम. (सीमाभ) और सिंह अकाली। अक सख्या नही दी गयी।

२ अकाली (गुरमुखी, लाहौर), एडीटर उत्तम सिंह। अक सख्या नही दी गयी।

३ अकाली गूज (अमृतसर) एडीटर भाई खेम सिंह।

४ अग्रेजी राज विच मिट्टी खराब (पजाबी) लेखक हरदित्त सिंह, रावलपिंडी।

५ अग्रेजों दा टेन्टुआ (उर्दू) लेखक अब्दुल हक स्यालकोट।

६ अग्रेजां दा टटुआ (पजाबी) लेखक अब्दुल हक, स्यालकोट।

७ गुरू नानक जहाज दे मुसाफिरां दी दुख भरी कहाणी (भाग १ और २), लेखक बाबा गुरदित्त सिंह जी कोमागाटामारू।

८ ए हिस्ट्री आफ कृपाण (ए साम्पल आफ ब्रिटिश गवनमेन्ट्स रीसेंट प्रोसी क्यूशन ऑफ सिख रिलीजन), अदवानी प्रेस, शिकारपुर सिंध।

९ नौकरशाही दी करतूत (पंजाबी), लेखक नत्था सिंह रामगढ़िया, जलधर।

१० नौकरशाही दे जुलम दा नमूना नवा डायर जन्मिया, लेखक ज्ञानी मान सिंह, लाहौर।

१९२३

११ गुरू दे बाग विच गोरेशाही तूफान, लेखक निरंजन सिंह सरल अमृतसर।

१२ हिंदुस्तानी (अप्रैल) उर्दू पम्फलेट हिन्द गदर पार्टी सानफ्रांसिस्को।

१३ जाग्रत खालसा (उर्दू), लेखक सूरज सिंह, जलधर।

१४ जीवन चरित्र बाबा गुरदित्त सिंह (पंजाबी), लेखक ज्ञानी हीरा सिंह 'दर्द', लाहौर।

१५ खुलासा कान्हा शरीफ (पंजाबी), लेखक रामसरन दत्त, लाहौर।

१६ कृपाण बहादुर (पंजाबी सप्ताहिक), एडीटर ब्रह्मा सिंह अमृतसर।

१७ पंथ दर्दी महाराजा नाभा दा गद्दिऊं उतारिया जाणा, लेखक जोध सिंह अमृतसर।

१८ पोलिटिकल पंजाबी भजन (पंजाबी), गीताराम दशराज, लाहौर।

१९ संगीत ओ डायरशाही यानी मजलूम पंजाब (उर्दू), प्रकाशक सूरज भान, अमृतसर।

२० ताजे जख्म यानी गुरु के बाग का नजारा (उर्दू), लेखक मान सिंह अमृतसर।

२१ ट्रूथ एबाउट नाभा नं १ (अंग्रेजी), लेखक श्रोमणि कमेटी अमृतसर।

२२ जुलमां दा तूफान अर्थात साका गुरू दा बाग, लेखक भाई महताब सिंह, अमृतसर।

२३ जख्मी दिल (पंजाबी), लेखक भाई नानक सिंह, अमृतसर।

१९२४

२४ रोजाना अकाली (उर्दू), साल पहला नं ३८, एडीटर हरनाम सिंह ओंकार प्रेस।

२५ अकाली दी खिच्च (पंजाबी पैम्फलेट), लेखक भंग सिंह, अमृतसर।

२६ बिजली दी कड़क (पंजाबी पम्फलेट), लेखक दर्शन बलजीत, अमृतसर।

२७ कैदी वीर (पंजाबी), तारा सिंह खालसा प्रेस, अमृतसर।

२८ दर्दां दे हंझू (पहला भाग), लेखक निहाल सिंह अकाली, अमृतसर।

२६ इक ओंकार वाह गुरू जी की फतह (उर्दू पैम्फलेट), लेखक फीरोजदीन 'सफ' अमृतसर।

३० गवर्नमेन्ट पॉलिसी इज इट दि मीडियम टू गेट कॉम्प्रोमाइज, लेखक श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर।

३१ जतो विच खून दा परनाला (पंजाबी), लेखक रतन सिंह आजाद, अमृतसर।

३२ काले ते गोरे दे सवाल-जवाब (पंजाबी), लेखक रणजीत सिंह 'ताजवर', अमृतसर।

३३ खूनी गदर (पंजाबी और उर्दू) लेखक ठाकर सिंह सूद अमृतसर।

३४ नौकरशाही जुलम दे नजारे (पंजाबी), लेखक अमर सिंह अमृतसर।

३५ नौकरशाही दी छाती विच मातमयी गोला, लेखक रतन सिंह 'आजाद', अमृतसर।

३६ आनवर्ड (जिल्द पहली, न ५, अंग्रेजी हफ्तावार), एडीटर हरनाम सिंह अमृतसर।

३७ कौमी तराना वर्दो दे हर्फू लेखक प्रीतम सिंह अमृतसर।

३८ सब्र दे अकाली गोले (तीर तरंग), लेखक विधाता सिंह तीर, अमृतसर।

३९ शहीदी दी खिच्च (पंजाबी), लेखक गुरबख्श सिंह, अमृतसर।

४० शहीदी परवाने, लेखक अवतार सिंह 'आजाद' अमृतसर।

४१ शहीदी साका जतो (पंजाबी), लेखक ठाकर सिंह सूद, सूद प्रिंटिंग प्रेस अमृतसर।

४२ शहीदी यात्रा (पंजाबी), लेखक बाबा सन्त सिंह अकाली, अमृतसर।

४३ श्री अकाल जी सहाय छोडो जतो एलान (पोस्टर), श्रोमणि कमेटी।

४४ सिदक सीना चीर के वी हाह निकले, लेखक त्रिलोचन सिंह, अमृतसर।

४५ एक्स्ट्रीम एण्डेवर टू कंसील दि ब्लड ऑफ दि माटर्स, श्रोमणि कमेटी का एलान न १०८७, अमृतसर।

४६ इनक्वायरी बाई बलवंत सिंह मलवा इ टू जतो मसेकर, श्रोमणि कमेटी का एलान न १०१५।

४७ तीर तरंग दर्द भरी कहाणी, लेखक विधाता सिंह 'तीर', अमृतसर।

४८ उडारू गूंज पिआ (भाग पहला दूसरा), लेखक सता सिंह, अमृतसर।

४९ जुलम दे बाण अर्थात गवर्नमेंट दे इंसाफ दीआं नो भांकीयां (पंजाबी), लेखक हरनाम सिंह 'मस्त पंछी', अमृतसर।

नोट देखिए फाइल न ३३/१९२५ होम पोलिटिकल

परिशिष्ट—५ (आ)

निम्नलिखित १० पैम्फलट हिंद दण्डावली की दफा ९९ ए के अंतर्गत जब्त किये गये

१ शहीदी परवाने अर्थात प्रेम मार्ग दे पथाऊ औवडे, लेखक अवतार सिंह 'आजाद', प्रिंटर तारा सिंह शाद, पंजाब खालसा प्रेस, अमृतसर (२१ अगस्त १९२४)।

२ सब्र दे अकाली गोले, लेखक विधाता सिंह 'तीर', प्रकाशक रतन सिंह 'आजाद', पंजाब खालसा प्रेस, अमृतसर (९ अक्तूबर १९२५)।

३ सन ५७ का खूनी गदर (पंजाबी और उर्दू), लेखक ठाकर सिंह सूद सूद प्रिंटिंग प्रेस, अमृतसर।

४ जीवन वृत्तांत मास्टर मोता सिंह जी, लेखक ज्ञानी गुरुमुख सिंह, खालसा नेशनल प्रेस, जलधर शहर।

५ जुलम दे बाण अर्थात गवर्नमेंट इसाफ दीआ नौ झाकीया, लेखक हरनाम सिंह 'मस्त पछी'।

६ आजाद की गरज, लेखक रतन सिंह 'आजाद'।

७ गुरुद्वारा गगसर विच शातमयी जग (खून दे परनाले का दूसरा हिस्सा), लेखक भाई भाग सिंह 'निधडक', प्रकाशक भाई रतन सिंह 'आजाद', कोरोनेशन प्रिंटिंग प्रेस, अमृतसर।

८ जनो विच खून दी होली, खूनी साका, लेखक मूल सिंह दुखिया, प्रकाशक ठाकर सिंह सूद।

९ दर्दा दे हझू (भाग एक), लेखक भाई निहाल सिंह अकाली, पब्लिशर खेम सिंह, अकाली प्रेस, अमृतसर।

१० गवर्नमेंट इ साफ दीआ नौ झाकीया, लेखक हरनाम सिंह 'मस्त पछी'। दुबारा जब्त।

परिशिष्ट-६

फौजो मे खुफिया प्रचार द्वारा प्रभाव डालना (न १)

छावनियो से कुल २७ आदमी राजनीतिक प्रचार और सरगर्मिया के कारण निकाले गय। ये सारे केस असहयोग के उभार के समय हुए। इनम से १८ छावनियो मे रिहायश वाले थे ९ बाहर के।

फौजा म विगाड पैदा करने के यत्न -

१९२०	३० केस	कुल १७१ केस
१९२१	८२ केस	
१९२२	५९ केस	

(फाइल न ४४ १९२३)

इनका वर्गीकरण

साल	बगावती पैम्फलेट और सूचनाएं	बगावती अखबार	बगावती चिट्ठियां	गुप्त एजीटेटर	खुले एजीटेटर	मुल्लाओं, ग्रंथियों और साधुओं की तकरीरें	खिलाफत कमेटी के प्रयत्न	शिरोमणि कमेटी के प्रकाशनों के कारण	असहयोगियों द्वारा भर्ती में रोड़े	देहात और रेलवे का बायकाट और जिब करना	गुमनाम तथा अन्य बेतरतीब प्रयत्न	कुल
१९२०	६	२	१	७	३	३			१	१	६	३०
१९२१	१५	५	४	२१	४	५	६	२	८	८	४	८२
१९२२	२६	२	४	७		५		११		४		५९
	४७	९	९	३५	७	१३	६	१३	९	१३	१०	१७१

१ खिलाफत एजीटेशन ने मुस्लिम फौजो में गडबडी पदा करने के प्रयत्न किये।

२ शिरोमणि कमेटी का लक्ष्य सिख रेजीमेंटें थी।

परिशिष्ट-७

सिख फौजों मे गडबडी पैदा करने के नतीजे (न २)

अकाली एजीटेशन एक गम्भीर मसला रही है और अब भी है। आम फौजी इसमे कोई दिलचस्पी नही लेते पर कुछ ओहदेदार (कमीशन्ड) और गैर-ओहदेदार इनसे प्रभावित हुए हैं और यह मानते हैं कि गुरुद्वारा सवाल पर गवनमेंट गलत है।

४५ फौजियो के खिलाफ एक्शन लिया गया।

(१) १४ वी सिख और १९ वी पजाबी—जलधर, १२ को कोट माशल किया गया।

(२) डेरा इस्माल खा २८ वा रिसाला, २ को कोट माशल और डिस मिस किया गया।

(३) लौरालायी २० वी पजाबी, ३ डिसमिस किये गये।

(४) ईदक ३० वी सिख, २ को कोट माशल किया गया और उन्हे डिसमिस किया गया।

(५) क्वेटा २७ वी सिख, १ का डिसमिस किया गया।

(६) ख्वाजा रागजा ५७ वी राइफल्स, १५ को कोट माशल, डिसमिस और कैद किया गया।

(७) कैनानूर ४५ वी सिख, एक सिपाही को कोट माशल, डिसमिस और कैद किया गया।

(८) बम्बई मेकेनिकल ट्रासपोट, एक सिपाही को कोट माशल और कैद किया गया।

(९) मैसोपोटामिया, १५ को कोट माशल किया गया।

(१०) क्वेटा सी आई एच, १ को पेंशन, १ डिसमिस।

(११) देवलाली हिंदुस्तानी पलटन आफ के ओ वाई एल आई, १ को कोट माशल किया गया।

कुल सख्या ४५

श्रोमणि कमेटी ने अपने प्रचार के जरिये फौजियो म धार्मिक अहसास और गवनमेन्ट के खिलाफ नफरत के भाव पैदा किये। उनकी वफादारी मे विघ्न डालने का सीधा प्रयत्न कोई नही किया। उसके लेखो से फौजो मे दखल देने का कोई सीधा यत्न साबित नही होता। कोई कानूनी कारवाई नही की जा सकती।[1]

१ फाइल ४४—१९२३, भाग १

परिशिष्ट-८

उन फौजी पेंशनरों की सूची जिनकी पेंशनें जमीन की ग्रांटें या इनाम गैर वफादारी के जुर्मों के कारण जब्त किये गये दफा न १४ १५ और १६ खिलाफत आन्दोलन से हमदर्दी के कारण सजा के भागीदार हुए मालूम होते हैं

नम्बर	नम्बर रैंक और नाम	यूनिट	क्या मिला	जुर्म	सजा	बाद में की गयी जब्ती	यदि बहाल की गयी
१	ऑनरेरी कप्तान मोहन सिंह, स बहादुर		पेंशन, जमीनी ग्रांट, मुलतान कालोनी में	बगावती स्पीचें	दो सौ रुपये जुर्माना या ६ महीने कैद	सजा होने पर पेंशन जब्त, जमीन के बारे में तबीह	नही
२	१४६६, सिपाही हजारा सिंह	१०/२ री पायनियर	८ रुपये पेंशन	सेक्रेटरी अकाली जत्था	एक महीना सादी कैद १०० रुपये जुर्माना	पेंशन जब्त	नही
३	६२७, सिपाही रतन सिंह	२/११वी रेजीमेंट	जख्म पेंशन	जत्थे का सगठनकर्ता	१८ महीने सख्त कैद, २०० रुपये जुर्माना	पेंशन जब्त	नही
४	१५१२, चदा सिंह सिपाही	२/२ री रेजीमेंट	पेंशन	बगावती तकरीरें	५०० रुपये की जमानत साल भर के लिए	पेंशन जब्त	नही
५	सिपाही इदर सिंह	३/१५वी रेजीमेंट	६ रुपये पेंशन	बगावती तकरीरें	एक साल साधारण कैद	पेंशन जब्त	नहीं
६	सिपाही बता सिंह	२/१५वी रेजीमेंट	५ रुपये पेंशन	बगावती तकरीरें	एक साल साधारण कैद	पेंशन जब्त	नही
७	रिजर्विस्ट हरनाम सिंह	१०/१४वी रेजीमेंट	पता नही	हथियारबद जत्थे का जत्थेदार	डेढ साल सख्त कैद	अगर पेंशन है तो जब्त	नही

८	रिजर्विस्ट तारा सिंह	१०/१४वी रेजीमेंट	पता नही	बगावती तकरीरें	एक साल सख्त कैद	अगर पेंशन है तो जब्त	—
९	४७६, सवार धम सिंह	३१ लसस	५ रुपये पेंशन	बब्बर अकाली साजिश केस मुकदमा	—	कैद होने पर जब्त	—
१०	१६४०५, नायक दुम्मण सिंह	७२ लैंसस	६ रुपये पेंशन	बब्बर अकाली साजिश केस मुकदमा	—	—	—
११	२४७६, नायक संत ठाकर सिंह	२/३५वी सिख	१० रुपये पेंशन	बब्बर अकाली साजिश केस मुकदमा	—	—	—
१२	सूबेदार जमर सिंह	आई एम ड्र.प	२० रुपये पेंशन	बब्बर अकाली साजिश केस मुकदमा	—	—	—
१३	हवलदार किशन सिंह	२/३५ वी सिख	१२ रुपये पेंशन	गर वफादार सरगर्मिया	—	पहले ही जब्त	—
१४	जमादार मुहम्मद आलम	१/६७ वी पंजाबी	पेंशन	बगावती सरगर्मिया	—	पेंशन जब्त	नही
१५	साबक रिसालदार रुक्नदीन	१७ वा रिसाला	पेंशन	गवर्नमेंट विरोधी सरगर्मिया, गर वफादारी	— —	पेंशन जब्त पेंशन जब्त	नही नही
१६	रिसालदार मोहम्मद इलियास	२२ वा रिसाला	पेंशन	बगावत	—	पेंशन जब्त	नही
१७	लेफ्टीनेंट दफेदार साधू सिंह	२२ वा रिसाला	पेंशन	बगावत	—	पेंशन जब्त	नही
१८	रिसालदार दलीप सिंह	३५ वी सिंधी हास	पेंशन	नाभा म राजनीतिक सरगर्मिया	७ साल कद	कैद होने पर पेंशन अपने आप जब्त	नही नही

परिशिष्ट-९

१९२५ के पहले छै महीनों मे लेखकों और सम्पादकों के खिलाफ दफा १२४/ए और १५३/ए के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमों की सूची

१ माघ सिंह, लेखक, शहीदी साका जतो, प्रकाशक वगैरा—दो साल कैद, २०० रुपये जुर्माने के या ६ महीने और कद।

२ भाई नत्था सिंह एडीटर और प्रकाशक बबर शेर—भगोड़ा, दफा ५१२ के अतगत कारवाई।

३ लाल सिंह जौहर, एडीटर, प्रिंटर और प्रकाशक बबर शेर—तीन साल कैद, ५०० रुपय जुर्माने क या ६ महीने और कैद।

४ कपूर सिंह मेहर, एडीटर, प्रिंटर और प्रकाशक कौमी दद, १ और ५ जनवरी के बगावती लेख।

५ दिलीप सिंह एडीटर, प्रिंटर और प्रकाशक देश सेवक (जलधर)—१८ जनवरी का लेख—ढाई साल कैद।

६ रतन सिंह आजाद, लेखक तीर तरग अर्थात दद भरी कहाणी—३ साल कैद एक हजार रुपये जुर्माने के या ६ महीने और कैद।

७ विधाता सिंह तीर', लेखक तीर तरग—पकडा गया, ३ साल कैद, एक हजार रुपये जुर्माने के या ६ महीने और कैद।

८ त्रिलोचन सिंह बुफ़ील, लेखक जहरी साप मोहन सिंह प्रिंटर और प्रकाशक—दो साल कै, २५० रुपय जुर्माने के या ६ महीने और कैद।

९ सोहन सिंह, प्रिंटर और प्रकाशक माझे दा तख्त—एक साल कैद, सौ रुपये जुर्माने क या तीन महीने और कद।

१० लहणा सिंह एडीटर, प्रिंटर और प्रकाशक बबर शेर—मुकदमा ११-२ २५।

११ कपूर सिंह महर, एडीटर कौमी दद—हरी सिंह मरगिद प्रिंटर और प्रकाशक, पर्चा १८ २-२५—मुकदमा।

१२ कपूर सिंह मेहर, एडीटर और प्रकाशक कौमी दद, फतह सिंह प्रिंटर पर्चा ६ ७ और ८ फरवरी—मुकदमा।

१३ बूटा सिंह लेखक सत बचन—१५३/ए के अन्तगत २०० रुपये जुर्माने क या ३ महीने और कै।

१४ मास्टर गापू सिंह और गाफार सिंह उक्त मुकदमे म भगोडे।

१५ इन्दर सिंह ममदौन, एडीटर वगैरा कृपाण बहादुर बगावती कविता २२ २ २५।

१६ गुरनाम सिंह मान, प्रकाशक अकाली सेवक, गुरबचन सिंह प्रिंटर —१२४/ए के अन्तगत।

१७ भाग सिंह, लेखक आजादी खिच—दो साल कैद, २०० रुपये जुर्माने के या ६ महीने और कैद १२४/ए के अतगत, १८ महीने और कद १५३/ए के अतगत। दोनो सजायें एक साथ चलगी।

१८ उजागर सिंह प्रिंटर, हरनाम सिंह प्रकाशक—दोनो भगोडे।

१९ ईश्वर सिंह नथावा, एडीटर, प्रिंटर और प्रकाशक अकाली—दो साल कैद, २०० रुपये जुर्माने के या ६ महीने और कैद १२४/ए के अन्तगत, दो साल और कैद १५३/ए के अतगत। दोनो सजायें एक साथ चलेंगी।

२० जगत सिंह, एडीटर, लहणा सिंह प्रिंटर और प्रकाशक बबर शेर अक २० ५ १९२५ (वीरा दा सच्च राड विच स्वागत)—मुकदमा।

२१ अवतार सिंह, लेखक और प्रकाशक, प्रिंटर तारा सिंह कदी धीर (भाग एक)—दो-दो साल कैद और दो दो सौ रुपये जुर्माने के या ६ ६ महीने और सख्त कद।

२२ हरनाम सिंह भौरा, प्रिंटर बिजली दी कडक—दो साल कद, २०० रुपये जुर्माने के या ६ महीने और कैद।

२३ सज्जन सिंह, स रतन सिंह आजाद दी गरज—पाच साल की जलावतनी।

२४ दशन सिंह दलजीत 'कडक'—भगोडा।

नोट उपरोक्त सब सजायें सख्त कैदा मे हैं।[1]

परिशिष्ट-१०

अरदास

"हे सच्चे पातशाह इसाफ होवे अन्याय दूर होवे ते महाराजा दी विपता विच हर प्रकार सहायी होवे। गुरुद्वारा गगसर जैतो दे अखड पाठ ते यात्रा दे विच जो गुरमुख पियारे शहीद होये हन ते जिना तरा-तरा दे कष्ट सहारे हन, उहना दी घाल परवान करो ते उहना दे सबधिया नू सिखी सिदक ते शाति बख्शो ते सब सगत नू उहना दे पूनिया ते चलण दी समर्था बख्शो।"[2]

१ फाइल न ४९/१ १९२५ होम, पोलिटिकल

२ सम कान्फीडेंशियल पेपस न ४१, पृ ८०

परिशिष्ट ११

(क) न इश्तहार देने के लिए, न फौजो मे पढे जाने के लिए अखबारो की सूची ए—(काली फेहरिस्त)

१ अकाली, २ अकाली ते प्रदेसी, ३ आकाशवाणी, ४ बबर शेर, ५ बदे मातरम ६ देश सेवक (तलवर) ७ गुरुद्वारा, ८ केशरी (लाहौर), ९ कृपाण बहादुर, १० लायल गजट (पहले यह अखबार वफादार था)।

फौजो द्वारा न पढने योग्य अ य अखबार

११ पजाब दपण (नमरयाल साप्ताहिक), १२ प्रीतम (साहित्यिक मासिक पत्र), १३ रामगढिया गजट, १४ सतयुग १५ शेरे पजाब, १६ उपदेशक।

(ख) सरकारी इश्तहार देने और फौजो मे पढे जाने के लिए (सफेद फेहरिस्त)

१ खालसा (भाई जोध सिंह वाला), २ खालसा समाचार, ३ फौजी अख बार, ४ जाट गजट, ५ सिख सुधार (उदू साप्ताहिक फौजी अखबार, सब फौजो म जाता है)।

(अ) सडे टाइम्स (पहले काली लिस्ट मे था) खालसा समाचार (१४००) अमतसर, सिख सुधार (२१००), सत समाचार (१०००) अमतसर, रामगढिया गजट (काली स सफेद फेहरिस्त मे दज किया गया)।

(ग) काली से सफेद फेहरिस्त मे ले लिये गये (सिफ इश्तहार देने के वास्ते)

१ हिंदू रोजाना (उदू) लाहौर, २ कमवीर (उदू) लाहौर ३ पगामे सुलह (उदू) लाहौर।

(अ) अंग्रेजी सिविल एण्ड मिलिट्री गजट, ट्रिब्यून, मुस्लिम आउटलुक, तथा आब्जवर।

उदू के कुल ३३ अखबार (मिलाप प्रकाश) सहित।

नोट साम्राज्यपरस्त अखबारो को सफेद फेहरिस्त म रख कर और इश्तहार दे कर सम्मानित किया जाता था। जो साम्राज्य के विरुद्ध थोडी सी भी आवाज बुलन्द करते थे वे काली फेहरिस्त म फेंक दिय जाते थे। अखबारो का यह चुग्गा अंग्रेज राज का हामी बनाने के और बनाये रखने के लिए फेंका जाता था—लेखक

परिशिष्ट-१२

नितनेम का गुटका

३/११ वी रेजीमट मे एक नितनेम का गुटका गया। इसमे मौजूद अरदास का एक परा 'बगावती" करार दिया गया। अरदास मे ननकाना साहब तरनतारन और गुरू के बाग मे शहीद हुए लोगो की मारपीट का जिक्र किया गया था। इस अरदास को 'प्रोपगेंडे का एक रूप' बताया गया 'जिसको जनरल स्टाफ खतरनाक समझता है" क्योकि "सिख फौजो म धम के पर्दे के पीछे बगावत फैलान का यह एक आसान तरीका है।" सिफारिश की गयी कि इसका जब्त कर लिया जाय और फौजियो स स्वस्थ साहित्य' खरीदने को कहा जाय।[१]

प्रीतम पत्रिका उन दिनो एक गैर राजनीतिक साहित्यिक मासिक पत्रिका के रूप मे चलती थी। यह पत्रिका श्रोमणि कमेटी की गुरुद्वारा सुधार की पालिसी की हिमायत करती थी। सूबदार बावा सिंह (५/८वी रेजीमेन्ट) के एक परिचित ने अमरीका से रुपये भेज कर यह पर्चा उनके नाम लगवा दिया था। पर फौजी अफसरा ने इस पर्चे को बन्द कराने के लिए ऊपर के अफसरा को लिखा।[२]

"जनरल स्टाफ ने एक और पुस्तक हाउ दि इगलिश टुक दि पजाब (अग्रेजो ने पजाब का किस तरह हासिल किया) की जाच की। यह पुस्तक पढे लिखे हिन्दुस्तानिया पर गैर सेहतमद असर डालेगी। लेखक ने अग्रेजी साहित्य से बडे हवाले दिये हैं और उसने दो-तीन केस इस किस्म के ढूढे हैं, जिनम हमारी तरफ स सभवत बेइन्साफी हुई थी। इन केसो मे कोई भी सिख इनके प्रभाव से नही बच सकता। पुस्तक का मकसद अच्छे पढे लिखे सिखा को अपने प्रभाव मे लाना है।"[३]

परिशिष्ट-१३

बाहर से आने वाला तमाम साहित्य जब्त

हिन्दुस्तान मे बाहर से आने वाला हर किस्म का राजनीतिक साहित्य जब्त कर लिया जाता था। यह जिसे भेजा जाता था, उसके पास पहुचता ही नही था। यह नय विचार हासिल करने की आजादी पर पाबदी थी। गवनमट लोगा को जाहिल और ज्ञान शून्य रख कर निरतर अपना राज जारी रखना चाहती थी।

१ फाइल न ३२३/१९२४ होम, पोलिटिकल

२ फाइल न २५१/१९२४ पाट बी

३ नितनेम का गुटका वाली फाइल

परिशिष्ट ११

(क) न इश्तहार देने के लिए, न फौजो मे पढे जाने के लिए अखबारो की सूची ए—(काली फेहरिस्त)

१ अकाली, २ अकाली ते प्रदेसी, ३ आकाशवाणी, ४ बबर शेर, ५ बदे मातरम, ६ देश सेवक (जलधर), ७ गुरुद्वारा, ८ केशरी (लाहौर), ६ कृपाण बहादुर, १० लायल गजट (पहले यह अखबार वफादार था)।

फौजों द्वारा न पढने योग्य अन्य अखबार

११ पजाब दर्पण (नमकहलाल साप्ताहिक) १२ प्रीतम (साहित्यिक मासिक पत्र), १३ रामगढिया गजट, १४ सतयुग १५ शेरे पजाब, १६ उपदेशक।

(ख) सरकारी इश्तहार देने और फौजो मे पढे जाने के लिए (सफेद फेहरिस्त)

१ खालसा (भाई जोध सिंह वाला) २ खालसा समाचार, ३ फौजी अख बार, ४ जाट गजट, ५ सिख सुधार (उर्दू साप्ताहिक फौजी अखबार, सब फौजो म जाता है)।

(अ) सडे टाइम्स (पहले काली लिस्ट म था) खालसा समाचार (१४००) अमतसर, सिख सुधार (२१००), सत समाचार (१०००) अमतसर, रामगढिया गजट (काली से सफेद फेहरिस्त मे दर्ज किया गया)।

(ग) काली से सफेद फेहरिस्त मे ले लिये गये (सिर्फ इश्तहार देने के वास्ते)

१ हिंदू रोजाना (उर्दू) लाहौर, २ कमवीर (उर्दू) लाहौर, ३ पयामे सुलह (उर्दू) लाहौर।

(अ) अग्रेजी सिविल एण्ड मिलिट्री गजट ट्रिब्यून, मुस्लिम आउटलुक, तथा आब्जवर।

उर्दू के कुल ३३ अखबार (मिलाप, प्रकाश) सहित।

नोट साम्राज्यपरस्त अखबारो को सफेद फेहरिस्त म रख कर और इश्तहार दे कर सम्मानित किया जाता था। जो साम्राज्य के विरुद्ध थोडी सी भी आवाज बुलन्द करते थे व काली फेहरिस्त म फेंक दिय जात थ। अखबारो का यह गुण्डा अग्रेज राज का हामी बनाने के और बनाये रखने के लिए फेंका जाता था —लखक

परिशिष्ट-१२

नितनेम का गुटका

३/११ वी रेजीमट मे एक निननेम का गुटका गया। इसम मौजूद अरदास का एक पैरा 'बगावती' करार दिया गया। अरदास मे ननकाना साहब तरनतारन और गुरू के बाग म शहीद हुए लोगो की मारपीट का जिक्र किया गया था। इम अरदास को "प्रोपेगेंडे का एक रूप' बताया गया जिसको जनरल स्टाफ खतरनाक समझता है' क्योकि 'सिख फौजो म धम के पर्दे के पीछे बगावत फैलाने का यह एक आसान तरीका है।" सिफारिश की गयी कि इसका जब्त कर लिया जाय और फौजियो मे 'स्वस्थ साहित्य' खरीदने को कहा जाय।[1]

प्रीतम पत्रिका उन दिनो एक गर राजनीतिक साहित्यिक मासिक पत्रिका के रूप मे चलती थी। यह पत्रिका शिरोमणि कमेटी की गुरुद्वारा सुधार की पालिसी की हिमायत करती थी। सूबेदार बावा सिंह (५/८वी रेजीमेन्ट) के एक परिचित ने अमरीका से रुपये भेज कर यह पर्चा उनके नाम लगवा दिया था। पर फौजी अफसरो ने इस पर्चे को बन्द कराने के लिए ऊपर के अफसरो को लिखा।[2]

'जनरल स्टाफ ने एक और पुस्तक हाउ दि इगलिश टुक दि पजाब (अग्रेजो ने पजाब को किस तरह हासिल किया) की जाच की। यह पुस्तक पढे लिखे हिन्दुस्तानियो पर गैर सेहतमद असर डालगी। लेखक ने अग्रेजी साहित्य से बडे हवाले दिये हैं और उसने दो-तीन केस इस किस्म के ढूढे हैं, जिनम हमारी तरफ स सभवत बेइसाफी हुई थी। इन केसो म कोई भी सिख इनके प्रभाव से नही बच सकता। पुस्तक का मकसद अच्छे पढे लिखे सिखो को अपने प्रभाव मे लाना है।'[3]

परिशिष्ट-१३

बाहर से आने वाला तमाम साहित्य जब्त

हिन्दुस्तान मे बाहर से आने वाला हर किस्म का राजनीतिक साहित्य जब्त कर लिया जाता था। यह जिसे भेजा जाता था, उसके पास पहुचता ही नही था। यह नये विचार हासिल करने की आजादी पर पाबदी थी। गवनमेंट लागो को जाहिल और ज्ञान शून्य रख कर निरतर अपना राज जारी रखना चाहती थी।

१ फाइल न ३३३/१९२४ होम, पोलिटिकल

२ फाइल न २५१/१९२४ पाट बी

३ नितनेम का गुटका वाली फाइल

देखिए सी आई डी की रिपोर्ट (जापान से)

"मुझे जापान से बगावती पुस्तका वगैरा का एक पैकेट मिला है। यह अलग अलग मौको पर हिंदुस्तानियो द्वारा ब्रिटिश कौसल (याकोहामा) को दी गयी पुस्तको वगैरा का पकेट है। इस पकेट मे १२ कापिया बगावत की गूज की, २५ कापिया यू एरा (नया दौर) पैम्फलेट की, ८ कापिया बलेंस शीट (अग्रेज राज के होने का नफा नुक्सान) की, २ कापिया डब्लयू जे ब्राइन की ब्रिटिश रूल इन इडिया की, २ कापिया गदर की २ कापिया बदेमातरम की, एक एक कापी इस्लामिक यूनिटी और इडियन सोशियोलाजिस्ट की तथा ५ कापिया अकाल के चित्रो की हैं। इन पर युगातर आश्रम की मुहर लगी है।"[1]

अमरीका के युगातर आश्रम की कोई भी पुस्तक या अखबार हिंदुस्तान नही पहुचने दिया जाता था। १९१३-१४ से गदर पार्टी की तमाम सरगर्मिया बागी करार दे दी गयी थी। यही हाल दूसरे देशो स आने वाले साहित्य का था। शघाई म पजाबी के दो साप्ताहिक पत्र हिंद जगावा और परदेसी सेवक छपते थे। दोना के हिंदुस्तान लाने पर पाबदी थी, क्योकि ये ब्रिटिश राज के विरोधी थे।

हिंद जगावा के सम्पादक हरबरश सिंह को गडबडी फैलाने का मुकदमा चला कर शघाई से जलावतन कर दिया गया था। उ होने २२-११ २४ के अक मे गवनर हेनी को चेतावनी दी थी कि वह जेल कमेटियो द्वारा शरारतें करवाना छोड दे और राइफला व मशीनगना पर ज्यादा भरोसा न करे। वह कनाडियन शहीदी जत्थे मे शामिल हुए थे। रावलपिंडी म मुकदमा चला कर उन्हें दो साल कद की सजा दी गयी थी।

इस तरह हिंदुस्तान म नय विचारा की काई भी पुस्तक—वह अग्रेजी म हो या पजाबी म हिंदी म हा या उर्दू म—नही आने दी जाती थी। लाला लाजपत राय की पुस्तक यग इडिया रोकी गयी। सरकार की राय थी कि इसे राकना गर-जरूरी" था। फिर भी, पाबदी न उठायी गयी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का १९२२ का अदालती बयान जब्त किया गया। एम एन राय का पम्फलेट हिंदुस्तानी राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए प्रोग्राम जब्त किया गया। यह कहानी बहुत लम्बी है। इस पर एक पुस्तक हो लिखी जा सकती है। अग्रेज हाकिमों ने स्वतत्र विचारा के हिंदुस्तान म प्रवेश पर पाबदी लगा रखी थी।

१ फाइल न ७७७-७८०

परिशिष्ट-१४

नोटिस

"जैतो के मामले मे दो बातें हैं जिनकी बाबत आम लोगो मे भ्रम है

(१) यह कहा गया है कि जैतो मे पिछले सितम्बर मे अखड पाठ बद किया गया था और इसलिए पाठ को फिर से आरम्भ किया जाना जरूरी है। यह ठीक नही। अखड पाठ कभी एक मिनट के लिए भी बद नही किया गया।

(२) यह कहा गया है कि सिखो को जैतो मे अखड पाठ करने से रोका जा रहा है। यह ठीक नही। सिख पाठ कर सकते हैं—अगर वे निर्धारित सख्या से ज्यादा आदमी एक वक्त मे गुरुद्वारे के अदर न जाने दें और अगर वे इस बात का इकरार करें कि पाठ का भोग पडने के बाद वे रियासत से बाहर चले जायेंगे। ये शर्तें जरूरी हैं क्योकि जैतो मे शोर शराबा महाराजा साहब के अपनी रियासत के प्रबध से अपने आप को अल्हदा करने के सबध मे एक बाका यदा पोलिटिकल नुमाइश के कारण ही हुआ है और यह मामला किसी सूरत मे भी धार्मिक नही।

मुफीदे आम प्रेस, लाहौर"

[यह पोस्टर पजाबी और उर्दू मे प्रकाशित करके हजारो की सख्या मे फौजो मे बाटा गया (पजाब सिविल सेक्रेटारियट लाहौर, एच डी फ़ाइल, १ ३ १९२४)]

परिशिष्ट-१५

१ऊ सतगुरु प्रसाद

(अ) हम निम्नलिखित अकाली (गुरुद्वारा) बिल को लेने के इतने ही हक मे हैं जितना कोई ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, पर हम साफ तौर पर प्रकट करते हैं कि हमारी विनम्र राय मे इस किस्म का बिल मजूर करना जिसमे पथ की किसी प्रकार की हेठी होती हो, या उसकी शान को बट्टा लगता हो, या पथ मे धडेबन्दी या फूट पडने का रत्ती भर भी डर हो मौत से भी हजार दर्जे बुरा है। इसलिए इन हालात मे हम कतई यह वचन नही दे सकते कि अगर कोई ऐसा धर्म इखलाक से विरत, खालसा पथ की शान को बटटा लगाने वाला और फूट की आग भडकाने वाला बिल मजूर किया गया, तो हम बाहर आ कर कोई मुखालिफत नही करेंगे।

(आ) सबसे पहली बात तो यह है कि बिल के सम्बन्ध मे जो बातचीत हो रही है, वह तभी मानने योग्य हो सकती है जब बिल के जारी होने से पहले सब अकाली छोड दिये जायें। असल मे तो बातचीत शिरोमणि कमेटी के प्रस्ताव के

अनुसार तभी होनी चाहिए, जब कैदी पहले छोड दिये जायें। पर अब कमेटी यह (बातचीत) शुरू कर चुकी है। फिर भी बिल जारी होने से पहले कैदियो के छोडे जाने का पहले यकीन होना जरूरी है, बाद मे कोई और बात। हमारी राय म निम्नलिखित बातें ऐसी है जिनको मजूर कराये बिना कोई बात स्वीकार करना जाति के साथ द्रोह करना है और पथ को टुकडे टुकडे करना है। हम उतने जोर से जितना कि हम लगा सकते है यह कहते हैं कि निम्नलिखित बातो के मजूर हुए बिना कोई बिल कतई नही स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल हमने पूरे का पूरा नही देखा, इसलिए और किसी बात के लिए—जो छूट गयी हो—हम कभी भी जिम्मेदार नही होगे बल्कि समय और हालात के अनुसार, जितना जोर लगेगा उसकी मुखालिफत करेंगे। इसलिए हमारे जेल मे रहने का कोई ख्याल न करके, बिल वह स्वीकार करो जिसे देख कर सारा ससार वाह वाह करे।

(१) श्रोमणि गुरद्वारा प्रबधक कमेटी का नाम कभी भी नही बदलना चाहिए भले ही हजारा समझौते क्यो न टूट जायें।

(२) वोट देने का हक श्रोमणि कमेटी के इस समय के नियमो के अनुसार होना चाहिए अर्थात हर सिख और सिखणी को राय देने का हक होना चाहिए। इस हक को किसी प्रकार और किसी के द्वारा भी कम करना—धर्म मे दखल देना है। इसको कभी कोई सिख (या सिखणी) मजूर नही करेगा।

(३) वे सिख जो सरकार की सर्विस मे हैं, उन्हें मेम्बर बनने, या nominate (नामजद) होने का कोई हक नही होना चाहिए क्योंकि ऐसा हक देने से सरकार उन पर मेम्बर आदि बनने के लिए influence (प्रभाव) डाल सकती है।

(४) अदालत का कोई हक नही होना चाहिए कि पहले चुनाव मे इस बात का फैसला वह करे कि कोई मेम्बर पतित है या नही। इस काम के लिए निर्वाचित सिखो की ही कोई कमेटी होनी चाहिए। अदालत को यह हक देना, जाति को खतरे म डालना है।

(५) श्रोमणि कमेटी के मेम्बरो की सख्या कम स कम २०० (दो सौ) होनी चाहिए। इस सख्या को बढ़ाने का हक कमेटी का होना चाहिए।

(६) 'स्थानक कमेटीज आफ मैनेजमेंट' भी श्रोमणि कमेटी के नीचे होनी चाहिए और दूसरी 'कमेटीज आफ मैनेजमेंट' भी श्रोमणि कमेटी के नीचे होनी चाहिए अर्थात principle of centralisation (केन्द्रीयता के सिद्धान्त) पर जोर देना चाहिए और principle of decentralisation (विकेन्द्रीयता के सिद्धान्त) का जहा तक हो सके, हटाने की कोशिश करनी चाहिए।

(७) रियासता के मेम्बर कमेटी के सारे मेम्बरो की सख्या के पाचवें हिस्से से भी हर हालत मे कम होने चाहिए ज्यादा कभी नही होन चाहिए ।

(८) सिफ दो आदमियो का पैनल ही कमेटी को मजूर करना चाहिए, इनसे ज्यादा का कतई नही ।

(९) कमेटी के चुनाव की मियाद तीन साल कर देनी चाहिए—वतमान (मियाद) बहुत लम्बी है । वैसे कमेटी के नियमो के अनुसार यह दो साल की होनी चाहिए ।

(१०) श्रोमणि कमेटी के एवजेक्यूटिव मम्बरों को स्थानीय कमेटियो के मेम्बर बनने का पूरा पूरा हक हाना चाहिए और इस हक को राकना बकार की गुलामो है ।

(११) श्रोमणि कमेटी के जत्थेदार या एक्जेक्यूटिव मेम्बर की तनखाह नही होनी चाहिए । बिल म इनकी आनरेरी सविस जा जानी (दज होनी) चाहिए जो कि जत्थेदार की हालत मे ५०० (पाच सौ) रुपये और बाकी मेम्बरो की हालत मे ३५० (साढे तीन सौ) रुपये से कम होनी चाहिए—वह भी अत्यधिक आवश्यक्ता आ पडने पर और सिफ कभी कभी ही बर्ती जानी चाहिए ।

(१२) (क) सरकार को कोई और Rules (नियम) बनाने की बिल मे आजादी नही होनी चाहिए ।

(ख) श्रोमणि कमेटी के बाइनॉज (उप नियम) बनाने मे गवनमेन्ट को कोई दखल नही देना चाहिए जब तक कि कमेटी बिल के खिलाफ काई बाइलाज न बनाये ।

(ग) चुनाव कराना श्रोमणि कमेटी के हाथ म होना चाहिए ।

(१३) सारे बिल म सरकार ने हर जगह अपना ही हाथ ऊपर रखने की और सिखो का जरा जरा सी बात का मोहताज बनाने की कोशिश की है । इस कोशिश को जितना भी कम करान का यत्न किया जाय, अच्छा है ।

उक्त सारी ही बातो के लिए हमारे पास Conclusive (निर्णायक) और irrefutable (अखड्य) दलीलें हैं जिन्हे विस्तार के डर से हम यहा नही लिख रहे और आप खुद भी इनमे स बहुत कुछ समझ सकते हैं । इतनी कुर्बानिया देने के बाद भी काई बिल इन लाइना के विरुद्ध लेना, कौम को, हमारी राय मे कलकित करना है ।

न १—जब तक Unlawful association (गैर-कानूनी जत्थेबदी) का एलान अकाली दल और सम्बधित जत्थो तथा श्रोमणि गुरद्वारा प्रबधक

कमेटी पर से वापस न लिया जाय, किसी बिल को सपने तक मे नही लेना चाहिए।

न २—इस बिल से नाभे के सवाल का कोई सम्बध नही होना चाहिए और यह अलग का अलग रहना चाहिए। जैतो के issues (मामले) कभी भी मन स नही भुलाने चाहिए।

२० १२ २४ गुरू पथ के दास

१ सोहन सिह जोश चेतनपुरी
२ राय सिह (दलजीत सिह)
३ सता सिह मुलतान विड
४ तेजा सिह जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब
५ सेवा सिह ठीकरीवाला
६ गुरचरण सिह

(अग्रेजी मे)[1]

परिशिष्ट-१६

१०३

चिल

२५ ७ १९२५

(From inside Lahore Fort)

स गुरचरण सिह और दूसरो की चिट्ठी।

स मगल सिह प्रधान श्रोमणि कमटी

श्रीमान जी,

११ आदमियो के दस्तखतो सहित एक बयान श्रोमणि कमटी को एक मसौदे के तौर पर मजूरी के लिए आपके पास भेजा गया है। बाकी १७ आदमियो ने जानबूझ कर इस पर दस्तखत करने से इन्कार कर दिया है और बहुत विचार करने के बाद व इस नतीजे पर पहुचे हैं कि यद्यपि उनमे स कुछ जाती तौर पर यह समझते हुए कि, नुक्सा के बावजूद, सिख गुरुद्वारा एक्ट पर अमल करना चाहिए—वे जेल म ही रहेंगे। नीचे दिये गये तथ्यो से स्पष्ट हो जायगा कि इन १७ आदमियों ने उस दस्तावेज पर दस्तखत न करने का क्या फैसला किया है जो श्रोमणि कमटी और गवनर की मजूरी के बाद अदालत म पढ़े जाने के इरादे से भेजा गया है

(१) अदालत म इस किस्म का बयान देना जरूरि गवनर से पहले सम

1 गृह कॉन्फिडेंशियल फाइल न ७१, पृ १३९ १४२

झौते के आधार पर रिहाइयों की शर्तें सामने हो और झटपट उन लोगों के खिलाफ मुकदमे का वापस हो जाना जो इस बयान की हिमायत करते हैं— प्रकट या अप्रकट रूप से स शत रिहायी के साफ साफ और ठीक ठीक बराबर होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता।

(२) श्रोमणि कमेटी का इस समय इस किस्म का सुझाव देना जबकि सारे पथ ने स शत रिहायी की निन्दा करने की पॉलिसी अपने खास प्रस्तावो द्वारा स्वीकार की है, समूची जाति को चितातुर करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता और इस नाजुक वक्त पर इसकी स्थिति को हास्यास्पद बना देता है।

(३) अगर हम लोगो म से लगभग आधे इस किस्म की स शत रिहाई ले कर बाहर चले जाते हैं तो पजाब की दूसरी जेलो म बद अकालियो की बिना शत रिहायी की कोई गारटी नही रहेगी। इस तरह हमारी कमजोरी को देख कर, गवनमेन्ट को अपना रवैया और भी सख्त कर देने का मौका मिलेगा।

(४) अगर हमारे दोस्त यह रवैया अख्तियार न करते तो बहुत सभव था कि सिख जनमत के दबाव के अन्तगत तमाम लोगो की बिना शत रिहायी के फैसले पर गवनर अपने आप पहुचता। इतनी जल्दबाजी और बेसब्री हमारे मनोरथ का सत्यानाश कर देगी।

(५) स तेजा सिह समुद्री ने इन १६ आदमियो के प्रतिनिधियो को इस आशय का सुझाव दिया था कि वे दो तीन महीने और इतजार करें और इस अर्से मे श्रोमणि कमेटी झटपट एक एलान जारी करे कि सिख गरुद्वारा एक्ट पर सिख जाति पूरी तत्परता से अमल करेगी। जब सेंट्रल बोर्ड वजूद मे आ जायगा तो श्रोमणि कमेटी और अकाली दल पर से गर-कानूनी जत्थेबदिया होने की पाबदी हटा ली जायगी। अकाली कदियो को जेल म बन्द रखने की गवनमेन्ट की स्थिति तब खुद ब खुद न सफाई दी जाने-योग्य बन जायगी। अगर गवनमेन्ट हमे उस वक्त भी रिहा नही करती, तो जो कदम वे अब उठा रहे हैं वे ही कदम— बिना कोई नुक्सान पहुचाये—उस वक्त भी उठा सकते हैं। पर उन्होने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। ऐसा लगता है मानो इस सुझाव को उन्होने मुखालिफ पार्टी द्वारा एक शत की रोशनी मे लिया जिसका जवाब उन्होने और गैर जरूरी शर्तें लगा कर देना मुनासिब समझा जबकि यह उनको सिख जाति के भले के लिए हास्यास्पद स्थिति से बचाने के लिए एक अच्छा सुझाव था।

(६) फलस्वरूप, १६ आदमियो द्वारा उठाया गया कदम हमारी जाति की भलाई के लिए बडा खतरनाक है। यह हमारे शिविर मे फूट पदा कर देगा। हमे कुचलने के लिए गवनमेन्ट का हाथ मजबूत हो जायगा। श्रोमणि कमेटी

और अकाली दल के पास अब भी मजबूत और सोचा समझा रवया धारण करके स्थिति को बचाने का समय है।

—गुरचरण सिंह तथा अन्य
२५-७ २६

ये "तथा अन्य" थे

१ सेवा सिंह ठीकरीवाला
२ तेजा सिंह जत्थेदार अकाल तख्त
३ सता सिंह सुलतान विंड
४ राय सिंह (दलजीत सिंह)
५ सोहन सिंह जोश चेतनपुरी
(पजाबी)[1]

परिशिष्ट-१७

१०२

(लाहौर किले से)

स माग सिंह वकील के एतराज

मसौदा, जो बाहर श्रोमणि कमेटी को भेजने के लिए तजवीज किया गया और जिस तरह का मुझे २४ जुलाई १६२५ को दिखाया गया, उस पर मेरे एतराज

(१) मैं समझता हू कि जो साझा नोट २५ आदमियो द्वारा अपने दस्तखता सहित श्रोमणि कमेटी को भेजा गया था, वह अब भी हम पर लागू होता है। उसम किया गया फसला, दस्तखत करने वालो द्वारा रद्द नही किया गया और इसमे उनकी ओर से श्रोमणि कमेटी को कोई भी सुझाव भेजना बन्द कर दिया गया है।

(२) अगर श्रोमणि कमेटी ने सुझाव देने के लिए हमसे कहा होता तो दूसरी बात थी। पर ऐसी कोई माग नही की गयी। इसके साथ ही, अगर हम अपने सकडो भाइयो की इच्छाओ की जाकि साझे मनोरथ के लिए कद हैं, कोई परवाह न करके और इस बात को जाने बिना कि उनका इस बारे मे क्या रवया होगा बाहर चले जाते हैं तो मुझे अफसोस है कि यह कारवाई अनुचित, अनुदार और अनावश्यक होगी।

(३) यह नही माना जा सकता कि श्रोमणि कमेटी खामोश बठी है और

१ सम कान्फीडेंशियल पेपस न १०३, पृ १६६ १६७

अपनी जिम्मेदारियो को भुला चुकी है। प्रस्तावित मसौदा भेजना न केवल उसकी भावनाओ को चोट पहुचायेगा, बल्कि उसे पथ की स्वाधीन, बेदाग और स्वतत्र रहनुमाई करने मे भी गम्भीर तौर से परेशान करेगा।

(४) चूकि मसौदे को गवनर द्वारा मजूर किया जाना है और इस पर अमल किया जाना है—इसलिए यदि यह उसकी मजूरी हासिल कर लेता है और उसके आधार पर हम रिहा किया जाता है, तो मैं यह समभने मे असमर्थ हू कि यह किस तरह हमारी स शर्त रिहायी से भिन्न होगा।

(५) मैं समझता हू कि जब हम इस एलान को दाखिल करते हैं तो हम अपने लोगों की आखो मे धूल भोक रहे हैं—जबकि हकीकत बिल्कुल प्रत्यक्ष है और स्थापित एलान की जरूरत, मौके और मनोरथ से साफ जाहिर है कि यह सिर्फ हमारी जाति की भलाई के लिए है कि हम एलान करते हैं कि बिल पर अमल किया जाना चाहिए। यह एलान केवल हमारी रिहाई के साथ ही सम्बध रखता है। अगर इसका मतलब केवल पथ को बिल पर अमल करने का मशविरा देता है, तो हम श्रोमणि कमेटी को और इसके द्वारा अपनी जाति को, पहले ही अपनी राय दे चुके हैं। अदालत वह उचित स्थान नही, जहा रिहायी की शर्तों का सामना करने वाले हम लोग बाहर के लोगो को उदार मशविरा पेश करें। मैं इस किस्म की कारवाई को हमारी महान जाति के प्रतिनिधियो के लिए अनुचित समभता हू।

(६) मुझे मालूम है कि हमे बिना शर्त रिहा करने के लिए गवनर पर दबाव डाला जा रहा है। आइए, इसके नतीजे का इतजार करें और कोई भी बीच की तजवीजें पेश करके उनके लिए, जिनका इस मामले मे सम्बध है, इस दबाव के असर को कमजोर न करें।

(७) अगर यह दलील दी जाती है कि हम या ही (जेल मे रह कर) और ज्यादा समय बर्बाद नही करना चाहिए, तो मेरा जवाब यह है कि यह वह समय है जब सब्र और तदब्बर की बेहद जरूरत है और कोई भी जल्दबाजी—चालाक गवनमेंट से सामना—हमारी घबराहट को प्रकट करके मामला बिगाड देगी।

(८) यह कोई गुप्त रहस्य नही है कि गवनमेंट का इरादा उन लोगो को जेलो म ही रखने का है जिनकी स्थिति यह है कि वे बिल की हिमायत नही करते। हम मे ज्यादा सख्या उन लोगो की है जो बिल पर अमल करना चाहते हैं, पर इस बात के लिए तैयार नही हैं कि उन लोगो को पीछे (जेल म) छोड कर चले जायें, जिन्होंने हमारे साथ काम किया है और मुसीबतें झेली हैं तथा हम इस तरह गवनमेंट का बिल के हामियो और गैर हामियो म तमीज करने का कोई मौका मुहैया करें और अचेतन रूप से उनकी मुसीबतों का कारण

वर्ने। प्रस्तावित एलान के जरिये हम गवनमेंट को ठीक ऐसा ही मौका मुहैया करते हैं—और यह बात हमारे लिए पयक तथा भावनात्मक कारणों से हानिकारक है।

(९) मैं इस बात का कायल हू कि अगर श्रोमणि कमेटी बिरा पर अमल करन वे हुक म एलान करती है और इसके लिए तन मन से जमीन तैयार करनी है मोर्चे लगाने बिल्कुल ही बन्द कर देनी है और हमारी बिना शत रिहायी के लिए अखबारो मचो तथा दूसरे जायज और सुलझे हुए तरीकों से गवनमेंट पर दबाव डालती है तो गवनमेंट अपनी नुनित रास्ते पर बहुत समय तक अडी नही रह सकती।

(१०) हमने ऊपर की सारी दलीलें जोर देकर पेश की हैं और प्रस्तावित एलान पर दस्तखत करने वाला से कहा है कि वे दो या तीन महीने और इन्तजार करें तथा पैरा ७ म सक्षेप मे उल्लिखित ताकतो को गवनमेंट पर असर डालने का मौका दें—जो हम यकीन है जरूर ही असर डालेंगी।

—भाग सिंह
(अंग्रेजी म)[1]

परिशिष्ट-१८

दिसम्बर १९२४ (तीसरा हुक्म)

१ऊ श्री वाह गुरु जी की फतह

सेवा म सक्रेटरी साहब
श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी श्री अमृतसर जी।

श्रीमान,

हम आपकी नेकनीयती और पथक दर्द पर पूर्ण विश्वास है। आप को समाज का हर किस्म के फैसले लेने का पूर्ण अधिकार है। आप पथक हित को ध्यान म रखत हुए जो उचित समझें करें हमसे पूछने की कोई जरूरत नही। कारण यह है कि जेल मे होने के कारण हम किसी मामले म किसी समूचे फैसला पर नही पहुच सकते।

आप के दास,

(१) महताब सिंह (२) तेजा सिंह समुद्री (३) राम सिंह कप्तान (४) भाग सिंह (५) सरदार सिंह हेड मास्टर, (६) बाबा हरकिशन सिंह, (७) [illegible] सिंह (८) [illegible] सिंह (९) हरी सिंह जलधरी (१०) तेजा सिंह [illegible] (११) [illegible] सिंह (१२) [illegible] सिंह (१३) जसवत सिंह (भगत), (१४) प्यारा सिंह (१५) गुरबचन सिंह [illegible] (१६) नरायण सिंह बरिस्टर,

1 [illegible] न १०२ पृ १९३ १९५

(१७) गुरम्ति सिंह वहलोनपुर, (१८) रणजोध सिंह, (१६) किशन सिंह अमृतसर, (२०) दान सिंह, (२१) मित सिंह, कनाडियन, (२२) बख्शीश सिंह, (२३) त्रिपत सिंह (२४) गोपाल सिंह सागरी।

(अग्रेजी मे)

पहले सारे सुझावो के उल्लघन के सम्बध मे, जो हमारी तरफ से अब तक आपको भेजे गये हैं, २४ आदमियो के दस्तखतो सहित हम आपको यह नोट भेज रहे हैं। मास्टर तारा सिंह, जिन्होने जाती कारणो से इस पर दस्तखत नही किये, इसस सहमत हैं और उन्होने यह मसौदा देख लिया है।

हमारे यहा श्रोमणि कमेटी के कुल ३४ मेम्बर हैं। इस नोट पर २५ ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। ६ ने साथ नत्थी किया हुआ नोट दिया है। बाकी के तीन—स सरमुख सिंह, स गोपाल सिंह कौमी और स तेजा सिंह चूहडकाणा—ने कोई राय लिख कर नही भेजी। इन ९ मे से स सेवा सिंह, स राय सिंह और स तेजा सिंह चूहडकाणा के अलावा, बाकियो ने हमारी मीटिंगो मे कभी भी हिस्सा नही लिया।[1]

१ सम कान्फीडेंशियल पेपस न ७६, पृ १३८ ३९

नामावली

क

ख

ग

घ

ज

ट

ड

त

थ

द

ध

न

प

फ

ब

भ

म

इस पुस्तक के लेखन से

सम्बधित पुस्तको तथा अन्य सामग्री की सूची

अग्रेजी

१ दि स्टोरी ऑफ जनरल डायर, लेखक आई कालविन ।
२ बाबा खडक सिंह स अभिनन्दन ग्रथ ।
३ सरदूल सिंह कवीश्वस सिख स्टडीज ।
४ महाराजा, लेखक दीवान जमनीदास ।
५ दि गुरुद्वारा रिफॉम मूवमेन्ट एण्ड दि सिख अवेकनिंग,
लेखक प्रो तेजा सिंह ।
६ स्ट्रगल फॉर रिफार्म इन सिख श्राइन्स, लेखक प्रो रुचिराम साहनी ।
७ सम कॉन्फीडेनियल पेपस, लेखक डा गडा सिंह ।
८ हिस्ट्री ऑफ दि सिख्स, खण्ड दो, १८३९ १९६४, लेखक खुशवत सिंह ।
९ ट्रासफार्मेशन ऑफ सिखिज्म, लेखक डा गोकलचन्द नारग ।
१० दि रिपोट ऑफ दि गुरु का बाग काग्रेस एनक्वायरी कमेटी ।
११ इडिया एज आई न्यू इट, लेखक : एम ओ'डवायर ।
१२ इडिया, लेखक : रशब्रुक विलियम्स वष १९१९ स १९२७ तक ।
१३ हटर कमीशन्स रिपोट, खण्ड चार, एवीडेंस ।
१४ सेडीशन कमेटी १९१८ (रौलेट रिपोट) ।
१५ मेमोरडम दि पॉलिटिक्स आफ सिख कम्यूनिटी, सिंह समाज एण्ड दि चीफ खालसा दीवान, लेखक डी पैट्री ।
१६ गदर कान्सपिरसी रिपोट लेखक आईसमौगर और स्लेटरी ।
१७ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रोसीडिंग्स, १९१९ से १९२६ ।
१८ पजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल प्रोसीडिंग्स, १९१९ से १९२७ ।
१९ दि हिस्ट्री ऑफ दि नेशनल मूवमेंट, खण्ड २, लेखक पट्टाभि सीतारमैया ।
२० इडिया टुडे, लेखक : रजनी पाम दत्त ।
२१ दि मॉरल एण्ड मटीरियल प्रोग्रेस एण्ड कडीशन ऑफ इडिया ड्यूरिंग दि इयर १९२२-२३ ।

२२ अकाली लीडस कॉसपिरसी केस प्रोसीडिंग्स, १६२३ २६।
२३ हिस्टरिक्ल राईटिंग्स, लाला लाजपतराय।
२४ स्ट्रगल फॉर सिविल लिबर्टीज, लेखक राम मनोहर लोहिया।
२५ दि प्रेस लॉज आफ इडिया, लेखक के वी मनन।
२६ दि काग्रेस रिपोट आन दि जलियांवाला बाग।
२७ दि पजाब एण्ड दि वार, लेखक एम एस ले।
२८ दि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजस वशिप एट जैतो (एस जी पी सी प्रकाशन)।
२६ प्रोसीडिंग्स आफ दि अकाली लीडस केस एण्ड देयर स्टेटमेटस।
३० दि इडियन रेवोल्यूशन रिव्यू एण्ड पसपेक्टिव्स, लेखक मोहित सेन।
३१ दि इडियन एनुअल रजिस्टर, एच एन मित्रा (वष १६२२,२३,२४,२५,२६)
३२ आन दि पेपस, प्रोसीडिंग्स डिसीजन्स ऑफ दि गवनमेट आफ इडिया एण्ड पजाब गवनमेट (सीक्रट, वेरी सीक्रेट, कान्फीडेंशियल फाइल्स, १६१८ से १६२७)।
३३ कम्युनिज्म इन इडिया लेखक डी पैट्री डी आई बी १६२४ २७।
३४ ट्रूथ एबाउट नाभा (एस जी पी सी प्रकाशन)।
३५ आटोबायोग्राफी आफ जवाहरलाल नेहरू।

पजाबी

३६ आरसी, लेखक प्रो तेजा सिंह।
३७ मेरीया कुझ इतिहासक यादा, लेखक ज्ञानी हीरा सिंह दद'।
३८ अकाली मोर्चे ते झब्बर, लेखक नरायण सिंह।
३६ जीवन भाई मोहन सिंह वद, लेखक मुशा सिंह दुखी।
४० जीवन यात्रा मास्टर तारा सिंह, लेखक प्रो निरजन सिंह।
४१ मेरी याद, लेखक मास्टर तारा सिंह।
४२ मेरा जीवन विकास, लेखक प्रो निरजन सिंह।
४३ आजादी दीया लहरा, लेखक ज्ञानी नाहर सिंह।
४४ मेरा आपणा आप, लेखक अजन सिंह गडगज्ज।
४५ दो पर घट्ट तुरना लेखक अजन सिंह गडगज्ज।
४६ गुरुद्वारा सुधार अर्थात अकाली लहर, लेखक । ज्ञानी प्रताप सिंह।
४७ स सरदूल सिंह क्वीश्वर दा बियान मिस्टर हैरीसन दी अदालत विच।
४८ अकाली लहर गुरुद्वारा सुधार लहर, डा जगजीत सिंह।
४६ अजीत अखबार अवतार सिंह आजाद दे लेख जून, जुलाई अगस्त १६६६।

५० जत्थेदार, प्रो निरंजन सिंह के लेख—अगस्त, सितम्बर १९६७।
५१ डा भाई जोध सिंह अभिनंदन ग्रंथ, डा गंडा सिंह द्वारा संपादित।
५२ जीवन वृत्तांत मास्टर मोता सिंह, लेखक ज्ञानी गुरमुख सिंह।
५३ कलगीधर दा जहूर (गुरुद्वारा रवालसर)।
५४ बाबा गुरदित्त सिंह दी जीवन कथा।

अन्य साहित्य

५५ तीरतरंग (कविताएं), लेखक विधाता सिंह 'तीर'।
५६ कैदी वीर (कविताएं), लेखक अवतार सिंह 'आजाद'।
५७ जुल्म दे वाण (कविताएं), लेखक हरनाम सिंह मस्त पंछी।
५८ जैंतो विच खून दे परनाले (सख्ती दा हड), लेखक भाग सिंह।
५९ अकाली भवक (कविता संग्रह)।
६० बिजली दी कड़क, लेखक दर्शन सिंह दलजीत।
६१ जागृत खालसा, लेखक सूरज सिंह उपदेशक।
६२ शहीदी दी खिच्च, लेखक गुरबख्श सिंह सदस्य शहीदी जत्था नं २।
६३ शहीदी साका जैतो, लेखक माघ सिंह।
६४ गोराशाही दे ढोल दा पोल, लेखक रणजीत सिंह ताजवर।
६५ शांतमयी दा गोला, लेखक भाग सिंह आजाद।
६६ दर्दां दे हंझू कौमी कहानी, लेखक प्रीतम सिंह प्रीतम।
६७ बागी सिख कि सरकार, लेखक रतन सिंह 'आजाद'।
६८ उडारू गूंज, लेखक गुरदयाल सिंह 'गडगज्ज उडारू'।
६९ सब्र दे वाण, लेखक ज्ञानी गुरमुख सिंह 'मुसाफिर'।
७० लिखती बिआन, स मंगल सिंह अकाली, एडीटर अकाली।
७१ लिखती बिआन, स भाग सिंह कनेडियन।
७२ लिखती बिआन, स निरंजन सिंह कंदोवाली (अमृतसर)।

अखबार

पंजाबी

रोजाना अकाली तथा अकाली ते प्रदेसी। ज्यादातर इन अखबारों को ही इस्तेमाल किया गया है। अन्य जो अखबार देखे गये वे हैं पंथ सेवक कृपाण बहादुर, रोजाना खालसा, खालसा समाचार, गडगज्ज अकाली, देश सेवक (जलंधर), कौमी दर्द, वगैरा।

उर्दू

दैनिक रोजाना अकाली, बंदेमातरम, प्रताप, मिलाप जिमीदार, सियासत केसरी वगैरा।

साप्ताहिक : खालसा सेवक, नौजवान मजदूर, साथन गजेट, वगैरा।

अंग्रेजी

दैनिक : ट्रिब्यून, नेशन, वगैरा। साप्ताहिक : इंडिपेंडेंट (इलाहाबाद), रि-सिप (लाहौर), मराठा (पूना), सोशलिस्ट (बम्बई) इंटरनेशनल प्रेस कारस्पॉडेंस (मास्को) वगैरा।